

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

अन्तर्राष्ट्रीय कानून

लेखक

हरिदत्त वेदालकार, एम० ए०

प्राध्यापक, गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार.

(अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, आधुनिक राजनीतिक चिन्तन, पश्चात्त्य राजनीतिक चिन्तन का इतिहास आदि के प्रयोग तथा मोनीलान नेट्स, कौटिल्य, बंगाल हिन्दी सम्बन्धादि विविध पुरस्कार विजेता)

प्रकाशक

सरस्वती सदन,

७-यू० ए०, जवाहर नगर, दिल्ली-७

[मूल्य : १५ रुपये ५० पैसे

प्रकाशक
सरस्वती सदन, मसूरी
७ यू० ए०, जवाहर नगर, दिल्ली-७

© २० अक्टूबर, १९६०

श्री हरिदत्त वेदान्तकार, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार
प्रथम संस्करण, अक्टूबर, १९६०
द्वितीय संशोधित संस्करण, दिसम्बर, १९६४
तृतीय संशोधित संस्करण, जुलाई १९६८

मुद्रक
भारत मुद्रणालय
नवीन गार्डन, दिल्ली-३२

तृतीय संस्करण की भूमिका

इस पुस्तक का सम्पूर्ण रूप से संशोधित तृतीय संस्करण प्रस्तुत करते हुए इस बात का पूरा प्रयास किया गया है कि इसमें अन्तर्राष्ट्रीय कानून विषयक नवीनतम विकास, घटनाओं और मामलों का समावेश किया जाय। अतः इसमें बाह्य अन्तरिक्ष संधि (Outer Space Treaty, p 235), गहरे समुद्रतल (Deep Sea-bed) पर प्रभुत्व की समस्या (पृ० २२७), क्षेत्रीय आश्रयविषयक नवीन दृष्टिकोण (पृ० ३२३-४), युद्ध की वैधता के विचार की समाप्ति, अप्रत्यावर्त्तन के सिद्धान्त (पृ० ३२४) आदि पर नवीन प्रकाश डाला गया है। राजदूतों की अव्यवस्था और दूतावासों की अनति-क्रम्यता (Inviolability) के अन्तर्राष्ट्रीय नियम की अवहेलना के नवीन उदाहरण (पृ० ३४७-६) दिये गये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दक्षिण अफ्रीका के मामलों पर निर्णय (पृ० ४११-६) पर विस्तृत विचार किया गया है तथा सैंव्राटिनी (पृ० ६०२), स्वेतलाना (पृ० ३२१), मुच्चासिह (पृ० ३०४), घर्मतेजा (पृ० ३००-१) जैसे नये मामलों का निर्देश किया गया है।

इस संस्करण में अन्तर्राष्ट्रीय कानून विषयक भारतीय उदाहरणों तथा मामलों को अधिक विस्तार से दिया गया है। १९६५ के भारत-पाक संघर्ष में पाकिस्तान द्वारा हवाई युद्ध के नियमों की अवहेलना (पृ० ४६४-५), पाकिस्तान के अधिग्रहण न्यायालय की वैधता (पृ० ४८६), समुद्री युद्ध के नियम तथा सांस्कृतिक सामग्री को ज्वन न करना (पृ० ४७७), राज्य उत्तराधिकार के सम्बन्ध में भारतीय परिपाटी और व्यवहार (पृ० १६५-२०२), भारत में राष्ट्रीयताविषयक कानूनों का विकास और मामलों (२६७-३०३) पर नवीन सामग्री दी गई है। इस संस्करण की एक विशेषता यह है कि इसके प्रथम परिशिष्ट में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विदेशी मामलों के साथ-साथ भारतीय मामलों को विस्तृत परिचय दिया गया है (पृ० ६१२-६०३)। अनुक्रमिका में अन्तर्राष्ट्रीय मामलों को काले टाइप में दिया गया है ताकि इन्हे पुस्तक में आसानी से ढूँढा जा सके।

इस पुस्तक का नवीन संस्करण प्रस्तुत करने में मुझे इण्डियन कौन्सिल आफ वर्ल्ड अफेयर्स (Indian Council of World Affairs), सप्रू हाउस, नई दिल्ली के पुस्तकालय से इस पुस्तक के संशोधन के लिये आवश्यक पुस्तकों तथा पत्रिकाओं को प्राप्त करने में बहुमूल्य सहायता मिली है, इसके लिये मैं इसके अध्यक्ष का बहुत आभारी हूँ। आशा है, नवीन संस्करण इस विषय में अभिन्धि और अनुराग रखने वाले पाठकों के लिये उपयोगी तथा ज्ञानवर्द्धक सिद्ध होगा।

द्वितीय संस्करण की भूमिका

इस पुस्तक का द्वितीय संशोधित संस्करण प्रस्तुत करते हुए लेखक को बड़ा हर्ष है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून का निरन्तर विकास हो रहा है। अतः इस संस्करण में १९६३ के अन्त तक इस कानून के विविध क्षेत्रों में होने वाले सभी महत्वपूर्ण नवीन परिवर्तनों का समाधान समावेश करने का प्रयत्न किया गया है।

आशा है, इस विषय में अभिरुचि और अनुराग रखने वाले पाठकों के लिये नया संस्करण अत्यन्त उपयोगी साबित होगा। इंडियन कौन्सिल आफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के पुस्तकालय से इस संस्करण के संशोधन के लिये मुझे अन्तर्राष्ट्रीय कानून पर नई पुस्तकों और पत्रिकाओं की प्राप्ति करने में बहुमूल्य सहायता मिली है, इसके लिये मैं इसके अध्यक्ष का बहुत आभारी हूँ।

गुरुकुल कागड़ी

२४-११-६३

— हरिदत्त

प्रथम संस्करण की भूमिका

वर्तमान शताब्दी के आरम्भ में अन्तर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन बिल्कुल निरर्थक समझा जाता था और इस विषय की सत्ता में भी संदेह प्रकट किया जाता था। १९०७ में जब अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विभिन्न विषयों पर नियमों के निर्माण के लिये दूसरा हंग मम्मेलन बुलाया गया तो पश्चिमी देशों के कतिपय उच्च सैनिक अधिकारियों ने इस विषय में यह मन्तव्य प्रकट किया कि "तथाकथित अन्तर्राष्ट्रीय कानून प्रोफेसरों तथा विनासी बीडा के विभाग की उपज है, इन नियमों में वे स्थल एवं जलमेनाओं के मेनाध्यक्षों को कुछ कार्य करने से रोकना चाहते हैं। ऐसे नियम बिल्कुल बेकार हैं, क्योंकि इनका पालन करने वाली कोई राजनीतिक सत्ता या शक्ति नहीं है।" लार्ड साल्सबरी (Salisbury) ने यह मन प्रकट किया — 'कानून शब्द का प्रायः जिस अर्थ में समझा जाता है, उस अर्थ में अन्तर्राष्ट्रीय कानून की कोई सत्ता नहीं है। इसे लागू कराने वाला कोई न्यायालय नहीं है, अतः इसे कानून कहना बहुत भ्रामक है।'

किन्तु पिछले पचास वर्षों में कई कारणों से, न केवल अन्तर्राष्ट्रीय कानून की सत्ता स्वीकार की जाने लगी है, अपितु इसका अध्ययन और पालन आवश्यक समझा जाने लगा है। दो विश्वयुद्धों ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अराजकता के दुष्परिणामों को सुस्पष्ट करते हुए इस कानून की प्रतिष्ठा बढ़ाने और उसके पालन की अनिवार्यता पर बहुत बल दिया है। द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति पर आविष्कृत अगुबमा ने तथा इसके बाद बनाये गये हाटड्रोजन बमों, अन्तःमहाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्रों (Intercontinental Ballistic Missiles), अन्तरिक्षगामी राकेटों (Rockets), स्पूतनिकों (Sputniks) चन्द्रगामी लूनिकों (Luniks) ने मानव मम्यता के विनाश, विध्वंस और प्रलय के ताण्डव की अमित सम्भावनाएँ उत्पन्न कर दी हैं।

इन परिस्थितियों में अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान के लिये अन्तर्राष्ट्रीय कानून के पालन को वैसा ही अनिवार्य समझा जाने लगा है, जैसा विभिन्न देशों में राष्ट्रीय (Municipal) कानून का पालन आवश्यक समझा जाता है। जिन प्रकार राष्ट्रीय क्षेत्र में कानून ने अराजकता का अन्त किया है, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मानव न्याय की समाप्ति हानी चाहिए, अन्यथा प्रत्येक नृनीय विश्वयुद्ध में मानवजाति का सर्वनाश हो जायगा। कहा जाता है कि जब एक बार सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक आइनस्टाइन स पूछा गया कि अगले विश्वयुद्ध में लड़ाई के क्या माधन होंगे तो उन्होंने कुछ समय तक विचार के उपरान्त यह कहा कि 'अगले विश्वयुद्ध के साधनों का तो मुझे ज्ञान नहीं, किन्तु उसमें अगले युद्ध तक यदि मानव जीता रहा तो वह पत्थरों से तथा अपने नाखूनों से ही लड़ेगा'। प्रलयकर शस्त्रों द्वारा प्रवर्तित वर्तमान मम्यता के

सर्वमेव यज्ञ के वाद मनुष्य के पाम इनके अतिरिक्त किसी अन्य शस्त्र के रहने की कल्पना नहीं की जा सकती ।

इस समय मनुष्य के लिये सत्ताप और विन्ता का सबसे बड़ा विषय यह है कि गोरों के शब्दों में वह "आकाश में पक्षियों की तरह उड़ सकता है, समुद्र में मछलियों की तरह तैर सकता है किन्तु यह नहीं जानता कि पृथ्वी पर कैसे रहना चाहिए ।" विश्वविष्वसकारी अणुबमों तथा प्रलयकर प्रक्षेपणास्त्रों की निर्भीषिका शय उसे बाधित करने लगी है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय कानून की सत्ता स्वीकार करे, इसकी प्रतिष्ठा बढ़ाये, इसका पालन सब राज्यों के लिये अनिवार्य ममभा जाय, हमकी अबहेलना उपेक्षा दृष्टि से न देखी जाय, जिस प्रकार विभिन्न देशों में फौजदारी कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दण्डित किया जाता है, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति भंग करने वालों के लिये प्रभावशाली दण्ड-व्यवस्था हो । अन्तर्राष्ट्रीय समाज का निर्माण करने वाले राज्य अपनी सम्मिलित शक्ति द्वारा ऐसे प्रबल लोकमत का निर्माण करें कि कोई राष्ट्र ऐसा दुस्साहस न कर सके । इस समय सभी राजनीतिक और विचारक, तथा सामान्य व्यक्ति इस प्रश्न पर सहमत हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून की व्यवस्था और पालन आवश्यक है । सर्वनाश और विध्वंस के ताण्डव में मानवजाति के परित्राण का एकमात्र प्रभावशाली साधन यही है । नाग्य पन्था विद्यतेऽप्यनाय ।

प्रस्तुत पुस्तक में इसी महत्वपूर्ण विषय के सक्षिप्त, सागोपाग और सारगर्भित प्रतिपादन का विनम्र प्रयास किया गया है । यह अत्यन्त जटिल और दुर्गह कानूनी विषय है, किन्तु इसका वर्णन अत्यधिक स्पष्ट, सुबोध और सरल शब्दों में करने का प्रयत्न किया गया है । अन्तर्राष्ट्रीय कानून के महत्वपूर्ण अंगों और विषयों को हस्तामलक बनाने के लिये उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की विस्तार से दिया गया है ।

अब तक अन्तर्राष्ट्रीय कानून के ग्रंथों में भारतीय विचारधारा और पृष्ठभूमि का बहुत कम उल्लेख होता है, इसकी प्रायः उपेक्षा की जाती है । इस पुस्तक में पहली बार अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्राचीन भारतीय विचारों को आधुनिक विचारों के साथ तुलनात्मक रूप में दिया गया है । अन्तर्राष्ट्रीय कानून के आधुनिक विद्वानों—ग्रोशियस, विकरशोपेक, वेटल, ब्लशली, हाल्लेण्ड, हाल, भापेनहाइम, तारेन्स, हगड्ड, त्रियर्ली, स्टार्क आदि के विचारों के साथ-साथ रामायण, महाभारत, कौटिलीय अर्थशास्त्र, गौतम, बौधायन और आपस्तम्ब धर्मसूत्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, कामन्दकीय नीतिसार, नीतिवाक्यामृत आदि भारतीय धर्मग्रंथों धर्मसूत्रों, स्मृतियों तथा नीतिग्रंथों के विचारों का यथास्थान उल्लेख किया गया है । उदाहरणार्थ द्वन्द्व (पृ० ३३६-३४३), संधियों (पृ० ३०२-३०४), स्वतन्त्रपुत्र (पृ० ४५६, ६६१-२, ४६५, पृ० ४६०, ४०२), समुद्रीयुद्ध (पृ० ४०६) तटस्थता (पृ० ५१७-८) विषयक प्राचीन भारतीय विचारों को आदृष्टिपरिणामों में दिया गया है । अन्त में द्वितीय परिशिष्ट में महाभारत, रामायण, कौटिलीय अर्थशास्त्र, धर्मसूत्रों और स्मृतियों

की अन्तर्राष्ट्रीय कानून सम्बन्धी कुछ व्यवस्थाओं का सक्षिप्त उल्लेख किया गया है। पहले अध्याय में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के ऐतिहासिक विकास का प्रतिपादन करते हुए भारतीय विचारों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विकास प्रधान रूप से पश्चिमी देशों में हुआ है, अतः इस विषय को स्पष्ट करने के अविकाश उदाहरण या मामले (Cases) इन्हीं देशों के हैं। इस समय ये मामले (Cases) अन्तर्राष्ट्रीय कानून का प्रमुख आधार हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कानून को समझने के लिए इनकी जानकारी आवश्यक है। दुर्भाग्यवश प्राचीन भारत की ऐसी वादविधि (Case Law) हमें बिल्कुल अपलब्ध नहीं होनी। इस पुस्तक में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास में महत्वपूर्ण मामलों का यथास्थान परिचय दिया गया है। प्रथम परिशिष्ट में इनका पृथक् रूप से भी उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही इस बात का प्रयत्न किया गया है कि यथासम्भव भारतीय उदाहरणों का समावेश हो। राज्यों की सीमाओं और सीमावर्ती नदियों के सम्बन्ध में भारत, पाकिस्तान और चीन के आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के उदाहरण दिये गये हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय निरन्तर विकासशील है। इस पुस्तक में इन बातों का प्रयत्न किया गया है कि इसमें नवीनतम विचारों और उदाहरणों के समावेश में इन्हें अधिक से अधिक अद्यतनीय (Up-to-date) और अभिनव बनाया जाय। इसमें प्रादेशिक समुद्र की सीमा के सम्बन्ध में मार्च १९६० के समुद्री कानून के दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन (International Second Conference on the Law of the Seas) के परिणामों का, १२ अप्रैल १९६० को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा पुर्तगाल के भारतीय प्रदेश में से होकर गुजरने के अधिकार के विषय में दिये गये निर्णय का, १ मई १९६० को अमरीकी यू-२ विमान द्वारा सोवियत आकाश की सीमा के अतिक्रमण से उत्पन्न हुए अन्तर्राष्ट्रीय विवादों तथा स्पूतनिकों द्वारा बाह्य अन्तरिक्ष (Outer Space) की प्रादेशिक प्रभुता सम्बन्धी सर्वथा नवीन और अद्यतन विषयों का प्रतिपादन किया गया है।

हिन्दी में अन्तर्राष्ट्रीय कानून पर पुस्तक लिखने में सबसे बड़ी कठिनाई पारिभाषिक शब्दों की है। इन विषयों में अनेक मराठीय प्रयत्न हुए हैं, किन्तु ये सब इस कानून की जटिल पारिभाषिक शब्दावली के लिये अपर्याप्त सिद्ध हुए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कानून की अंग्रेजी शब्दावली बड़ी समृद्ध है, उसमें एक प्रधान अर्थ के विभिन्न सूक्ष्म भेदों को स्पष्ट करने के लिये अनेक शब्द हैं, Authority, Title और Right अधिकार के विभिन्न भेदों को सूचित करते हैं। किसी प्रदेश को वसवती बनाने के लिये subjugation, subjection, subordination, annexation आदि अनेक शब्दों का प्रयोग होता है, किन्तु इन सबसे सूक्ष्म अन्तर है। यही वशा Interference, Intervention, Continuity, Contiguity आदि बीसियों शब्दों की है। यहाँ इस बात का प्रयत्न किया गया है कि इन शब्दों का सूक्ष्म अन्तर स्पष्ट करने के लिये यथासम्भव पृथक्-पृथक् शब्दों का प्रयोग किया जाय।

कानूनी शब्दावली का निर्माण करते हुए तीन सिद्धान्तों का पालन किया गया

है। सर्वप्रथम भारत सरकार द्वारा स्वीकृत और प्रकाशित कानून, राजनीति और राजनय की पारिभाषिक शब्दावलियों से शब्द लिये गये हैं। इनमें शब्द न मिलने पर प्राचीन भारतीय साहित्य में से इसके लिये उपयुक्त शब्द खोजे गये हैं। Prescription के लिये नारदस्मृति का बिरकालिक भुक्ति अपनाया गया है, Belligerent के लिये मनुस्मृति का युष्पगान ग्रहण किया है। Armistice के लिये हिन्दी में युद्धविराम का प्रचलन है, Truce के लिये भी इसी शब्द का प्रयोग होता है, दोनों में अन्तर रखने के लिये महा-भारत के अन्तहार शब्द को अपनाया गया है। अनेक प्राचीन शब्द इस समय हिन्दी में प्रयुक्त नहीं हो सकते। Convention के लिये पुराना संस्कृत शब्द 'समय' है, आज-कल हिन्दी में यह कालवाचक है, अतः इसका प्रयोग अभि उपमर्ग के साथ 'अभिसमय' के रूप में किया गया है ताकि कालवाची समय से इसका भेद बना रहे। इस बात पर पूरा ध्यान दिया गया है कि पारिभाषिक शब्द सरल, स्पष्ट और मुनिद्विबत अर्थ के स्रोतक हों।

अंग्रेजी में अन्तर्राष्ट्रीय कानून की शब्दावली का प्रमुख आधार रोमन कानून और लैटिन की शब्दावलियाँ हैं। लैटिन के अनेक वाक्यांशों का अंग्रेजी में बहुत प्रचलन है। इस ग्रन्थ में पढ़ाई बार इनके संसृष्ट प्रतिरूप निरिचय करने इनका प्रयोग किया गया है। उदाहरणार्थ, Nullum crimen sine lege, pacta sunt servanda तथा Rebus sic Stantibus, के लिये क्रमशः 'नियमाभावे दण्डाभाव', 'राज्यसमया सम्माननीया', 'वस्तुनामावर्तमानस्थिते' का व्यवहार किया गया है। इसके साथ ही हिन्दी में इनका आशय स्पष्ट कर दिया गया है।

इस ग्रन्थ के प्रणयन और प्रकाशन में लेखक को कई व्यक्तियों से बहुमूल्य सहयोग प्राप्त हुआ है, इसके लिये वह इन सबका आभारी है। गुरुकुल कागड़ी के पुस्तकालय में तथा इसके अध्यक्ष श्री प० घमंदेव जी वेदवानस्पति तथा अ-प कार्यकर्त्ताओं श्री विजयस्वरूप जी तथा श्रीराम जी शर्मा ने मुझे पुस्तकालय सम्बन्धी जी सुविधाये दी हैं, उनके बिना इसका लेखन सम्भव नहीं था, इसके लिये वह इन महानुभावों का कृतज्ञ है। वन्नुवर श्री रामरत्नलाल जी ने इस पुस्तक के प्रूफ देवने में तथा भाषा परिष्कार में सहायता देकर लेखक को अनुगृहीत किया है। पारिभाषिक शब्दों के चयन में दी गई सहायता के लिये लेखक श्री घमंदेव जी विद्यामार्तण्ड का आभारी है। श्री विश्वरजन जी को इस बात का श्रेय है कि उन्होंने इस ग्रन्थ के प्रणयन की प्रेरणा दी, इसके लिये प्रोत्साहन दिया, इसके सुचारु, सुन्दर और शीघ्र मुद्रण की व्यवस्था की, एतदर्थ लेखक उनका आभारी है।

एतद्विनिष्ठा

६ अक्टूबर, १९६०

गुरुकुल कागड़ी

—हरिदत्त

विषय-सूची

प्रथम भाग

विषय प्रवेश

प्रथम अध्याय— अन्तर्राष्ट्रीय कानून का ऐतिहासिक विकास (Historical Development of International Law) १७-५२

विषय का महत्त्व, पृ० १७, अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उद्गम, पृ० १७, विकास के तीन युग, पृ० १८, प्रथम युग (क) भारत, पृ० १९, (ख) प्राचीन मध्यपूर्व के राज्य, पृ० २३, (ग) यूनान, पृ० २४ दूसरा युग— रोम, पृ० २५, जस जेन्दायम, पृ० २८, मध्यकाल में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास में सहायक तत्व, पृ० २९, (१) चर्च, पृ० ३०, (२) व्यापारिक तथा समुद्री कानूनों का विकास, पृ० ३२, आधुनिक युग, पृ० ३५, फ्रांसिस्को विटोरिया, पृ० ३६, फ्रांसिस्को सुआरेज, पृ० ३७, पीरिनो वेल्ली पृ० ३७, बल्यसर अयाला, पृ० ३८, एल्वेरिको जैण्टिली, पृ० ३८, ह्यूगो ग्रीशियस, पृ० ४०, ग्रीशियस के ग्रन्थ पृ० ४१, ग्रीशियस के सिद्धान्त, पृ० ४२, अन्तर्राष्ट्रीय कानून के तीन सम्प्रदाय, पृ० ४६, (१) प्रकृतिवादी सम्प्रदाय, पृ० ४६, (२) अस्तित्वादी सम्प्रदाय, पृ० ४७, (३) ग्रीशियस सम्प्रदाय, पृ० ४८ १९वीं तथा २०वीं शतियाँ, पृ० ४९, पेरिस की घोषणा, पृ० ५०, ह्यूग सम्मेलन, पृ० ५०।

द्वितीय अध्याय— अन्तर्राष्ट्रीय कानून का स्वरूप (Nature of International Law) ५३-

नियम और कानून, पृ० ५३, अन्तर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा, पृ० ५४, अन्तर्राष्ट्रीय कानून के आवश्यक तत्व, पृ० ५७, अन्तर्राष्ट्रीय कानून का चार प्रकार का वर्गीकरण, पृ० ५७ (क) सार्वजनिक तथा वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून, पृ० ५७, (ख) वास्तविक तथा भ्रमिक्यात्मक अन्तर्राष्ट्रीय कानून, पृ० ५९, (ग) युद्ध और शान्ति के अन्तर्राष्ट्रीय कानून, पृ० ५९, (घ) विशेष, सामान्य और सार्वभौम अन्तर्राष्ट्रीय कानून, पृ० ५९, (ङ) शक्ति, सहयोग और पारस्परिकता के अन्तर्राष्ट्रीय कानून, पृ० ५९, अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रतिपाद्य विषय, पृ० ६०, अन्तर्राष्ट्रीय कानून क्या वास्तव में कानून है? (क) पूर्वपक्ष, पृ० ६१, (ख) उत्तरपक्ष, अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के कानून होने का समर्थन—सर हेनरी नेन, पृ० ६३, लार्ड

रसेल, पृ० ६४, त्रिग्रली, पृ० ६४, स्टार्क, पृ० ६५, चापेनहाइम, पृ० ६५,
 हाव, पृ० ६८, क्या अन्तर्राष्ट्रीय कानून कपोल कल्पना है ? पृ० ७१,
 क्या अन्तर्राष्ट्रीय कानून वस्तुतः समझौते में बने कानून का भ्रम है ? पृ०
 ७२, अन्तर्राष्ट्रीय कानून के दाय तथा इन्हें बुर करने के उपाय, पृ० ७३,
 अन्तर्राष्ट्रीय कानून का आधार (क) मौलिक अधिकारी का सिद्धान्त, पृ०
 ७८, (ख) सहमति का सिद्धान्त, पृ० ७९, (ग) वास्तविक आधार, पृ०
 ८१, अन्तर्राष्ट्रीय कानून के निर्माण में नई प्रवृत्ति, पृ० ८२, सार्वभौमिक
 सह-मन्त्रित्व का सिद्धान्त, पृ० ८३, अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्वरूप में स० रा०
 सभ की स्थापना से तथा अन्य कारणों से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन, पृ० ८४ ।

सारा अन्वय—अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत (Sources of International Law)

संज्ञा का अर्थ, पृ० ८७, स्रोतों के प्रकार, पृ० ८८, सन्धिशां, पृ० ८८
 (क) विधिमूलक वा प्रज्ञापक सन्धियाँ, पृ० ८९, (ख) विषयक सन्धि
 पृ० ८९, (ग) सन्धिवा सन्धियाँ, पृ० ९०, रिवाज या आचार, पृ० ९१,
 आचार या रिवाज तथा प्रथा का भेद, पृ० ९२, कानून के सामान्य सिद्धान्त,
 पृ० ९५, न्यायालय के निर्णय (क) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय,
 पृ० ९६, (ख) राष्ट्रीय न्यायालयों के निर्णय, पृ० ९६, (ग) अधिग्रहण
 न्यायालयों के निर्णय, पृ० ९७, अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ताओं के ग्रन्थ, पृ० ९८,
 अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य, पृ० ९९, तर्कवाक्य पृ० ९९, अन्तर्राष्ट्रीय राजगण,
 पृ० १०० विभिन्न स्रोतों की प्रामाणिकता का रूढ, पृ० १०० ।

सारा अन्वय—अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून का सम्बन्ध (Relation between International Law and Municipal Law)

अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय कानून पृ० १०२, द्वैतवादी सिद्धान्त, पृ० १०३,
 एकत्ववादी सिद्धान्त, पृ० १०५, स्थान्तरवाद, पृ० १०५, सगर्भवाद,
 पृ० १०६, अन्तर्राष्ट्रीय कानून को राष्ट्रीय क्षेत्र में लागू करने के सम्बन्ध
 में विभिन्न देशों का व्यवहार—(१) ग्रेट ब्रिटेन, पृ० १०७, (२) संयुक्त
 राज्य अमरीका, पृ० १०९, (३) फ्रांस पृ० ११० (४) स्पेन, पृ० ११०,
 (५) नाबे, पृ० ११०, (६) जर्मनी, पृ० ११० (७) मोविएल रूम पृ०
 १११, भारत में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सम्बन्ध, पृ० १११ ।

सारा अन्वय—अन्तर्राष्ट्रीय कानून का संहिताकरण (Codification of International Law),

संहिताकरण का अभिप्राय पृ० ११३ संहिताकरण के लाभ, पृ० ११४
 संहिताकरण के दोष पृ० ११५, संहिताकरण की कठिनाइयाँ, पृ० ११५,
 संहिताकरण का सहायक इतिहास, पृ० ११५, (१) प्रारम्भिक प्रयत्न, पृ०
 ११५, (२) हग सम्मेलन, पृ० ११६, (३) राष्ट्रसंघ के प्रयत्न, पृ० ११७,

६) समुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा सहिताकरण का कार्य, पृ० ११८, अन्तर्राष्ट्रीय वि आयोग का कार्य, पृ० १२०, राज्यों के अधिकारों तथा कर्तव्यों की रूप घोषणा, पृ० १२२, न्यूरेम्बर्ग सिद्धान्तों का निर्माण, पृ० १२२, निय जाति की शान्ति और सुरक्षा के विरुद्ध अपराधों की प्रारूप संहिता, १२३, अन्तर्राष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय, पृ० १२३, अन्य कार्य, पृ० २४, सहिताकरण का भविष्य, पृ० १२५।

दूसरा भाग शान्ति के कानून

द्वितीय अध्याय—राज्यों का स्वरूप और प्रकार (The Nature and Classification of State) १२६-१५५

राज्य का लक्षण, पृ० १२६, राज्यों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य, पृ० १३१, राज्या की स्वतन्त्रता का अधिकार, इसका स्वरूप तथा इसकी मर्यादा, पृ० १३२, स्वतन्त्रता सम्बन्धी अधिकार और कर्तव्य, पृ० १३३, पहला कर्तव्य—दूसरे राज्य के प्रदेश में प्रभुसत्ता के कार्य न करना, पृ० १३४, राज्यों की समानता का अधिकार पृ० १३६, राज्यों का वर्गीकरण (क) स्वतन्त्र राज्य, पृ० १३७ (ख) परतन्त्र या पराधीन राज्य पृ० १३८, (ग) समुक्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति—(घ) वास्तविक संघ, पृ० १३८, (आ) व्यक्तिगत संघ, पृ० १३६, (इ) प्रसधान, पृ० १३६, (ई) सघ पृ० १४०, (फ) बसनेवाली राज्य, पृ० १४१, (ड) सरक्षित राज्य पृ० १४१, (च) सहसंघ, पृ० १४३, (छ) राष्ट्रमण्डल पृ० १४३ (ज) तटस्थीकृत राज्य, पृ० १४५ तटस्थीकरण और तटस्थता में अन्तर पृ० १४६, (झ) होली सी तथा वैटिकन नगर, पृ० १४७, (ञ) मँडेट पद्धति पृ० १४८, (ट) न्यास पद्धति, पृ० १५०, न्यास पद्धति के मौलिक उद्देश्य, पृ० १५१, न्यास परिपत्र, १५२, मँडेट पद्धति तथा न्यास पद्धति में कुछ मौलिक भेद पृ० १५३।

तृतीय अध्याय—राज्यों की मान्यता (Recognition of States) १५५-१७२

मान्यता का लक्षण पृ० १५५ मान्यताविषयक सिद्धान्त पृ० १५६, मान्यता की विधियाँ, पृ १५८, स्पष्ट और ध्वनित मान्यता, पृ० १५६, एककी तथा सामूहिक मान्यता, पृ० १६०, अनिश्चित मान्यता, पृ० १६०, वास्तविक तथा कानूनी मान्यता, पृ० १६०, राजनीतिक परिस्थितियों का मान्यता पर प्रभाव, पृ० १६४, सरकारों की मान्यता, पृ० १६६, निर्वासित सरकारों की मान्यता, पृ० १७०, स्टिमसन का मान्यताविषयक सिद्धान्त, पृ० १७१, एस्ट्रेडा सिद्धान्त, पृ० १७१, अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा मान्यता, पृ० १७२, सामूहिक मान्यता, पृ० १७३, मान्यताविषयक स० रा० अमरीका

की नीति, पृ० १७४, भारत की मान्यताविषयक नीति, पृ० १७६, (क) साम्यवादी चीन सवन्धो नीति, पृ० १७७, (ख) इजराइल-विषयक नीति, पृ० १७७, (ग) स्पेन विषयक नीति, पृ० १७८, युद्धावस्था की मान्यता, पृ० १८०, सह-युद्धावस्था, पृ० १८२, अभिद्रोह की मान्यता, पृ० १८२; मान्यता देने के आधार, पृ० १८२, मान्यता के परिणाम, पृ० १८३

5वाँ अध्याय—राज्य-उत्तराधिकार (State Succession) १८५-२

राज्य-उत्तराधिकार का स्वरूप, पृ० १८५, उत्तराधिकार के दो प्रकार . (१) सार्वभौम उत्तराधिकार, पृ० १८६, (२) आसिक्त उत्तराधिकार, पृ० १८७, राज्य-उत्तराधिकार के परिणाम, पृ० १८७ (अ) सन्धि-विषयक अधिकार और दायित्व, पृ० १८७, (आ) साम्प्रतिक अधिकार, पृ० १८८, (इ) सविदात्मक दायित्व, पृ० १८९, (ई) सार्वजनिक ऋण, पृ० १९१, (उ) जिह्वा, पृ० १९२, (ऊ) सदस्यता, पृ० १९२, अन्तर्राष्ट्रीय सभ्यता का उत्तराधिकार, पृ० १९३, संयुक्त अरब गणराज्य के निर्माण के कानूनी पहलू, पृ० १९३, राज्य-उत्तराधिकार के सम्बन्ध में भारतीय परिपाटी और व्यवहार, पृ० १९५, पहली समस्या—भारत की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति, पृ० १९५, दूसरी समस्या—निजी व्यक्तियों के कानूनी हित, पृ० १९६, तीसरी समस्या—अनुदन्धीय उत्तरदायित्व, पृ० १९८, चौथी समस्या—तन्धिर्षा, पृ० २००, पाँचवीं समस्या—पुराने कानूनों तथा कानूनी पद्धति की मान्यता, पृ० २०१, छठी समस्या—सिविल सविस तथा अन्य सार्वजनिक सेवाएँ, पृ० २०१

6वाँ अध्याय—राज्य का प्रदेश (Territory of the State) २०३-२

प्रादेशिक प्रमुसत्ता, पृ० २०३, राज्य की सीमा, पृ० २०३ (क) प्राकृतिक सीमाएँ, पृ० २०३, (ख) कृत्रिम सीमाएँ, पृ० २०४, नदियाँ, पृ० २०५, (क) राष्ट्रीय नदियाँ, पृ० २०५, (ख) अन्तर्राष्ट्रीय नदियाँ, पृ० २०५, सिन्धु-जलसन्धि, पृ० २०८, प्रादेशिक समुद्र पृ० २१०, १९५८ का समुद्री कानून सम्मेलन—प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई पर विवाद पृ० २११ दूसरा समुद्री सम्मेलन, पृ० २१३, प्रादेशिक समुद्र का समझौता पृ० २१३, (क) प्रादेशिक समुद्र का स्वरूप और लक्षण पृ० २१३ (ख) निर्दोष गमन का अधिकार, पृ० २१३, (ग) सस्यर्षी क्षेत्र, पृ० २१४, अन्तिम प्राविधान, पृ० २१४ सस्यर्षी क्षेत्र, पृ० २१५, एन्तो-नाबैजियन महासागर मामला, पृ० २१५ अलडमरुमध्य पृ० २१७ खाडियों और आवात, पृ० २१८, महाद्वीपीय समुद्रतल पृ० २१८ महाद्वीपीय समुद्रतल का १९५८ का अभिमत, पृ० २२०, ब्राजील-फ्रांस भीयामछनी विवाद, पृ० २२३, महाद्वीपीय समुद्रतल के विषय में भारत की नीति पृ० २२४, महाद्वीपीय समुद्रतल पर अधिकार के आधार, पृ० २२५, गहरे समुद्रतल पर प्रभुत्व की नवीन समस्या, पृ० २२७, नहरें, पृ० २२८, पानामा नहर, पृ० २२८,

कील नहर, पृ० २२६, स्वेज नहर, पृ० २२६, आकाश पर प्रादेशिक प्रभुता, पृ० २३०, बाह्य अन्तरिक्ष को प्रभुता की नवीन समस्या, पृ० २३३, स० रा० सभ तथा बाह्य अन्तरिक्ष, पृ० २३४, बाह्य अन्तरिक्ष सन्धि, पृ० २३५, परबत्ता, पृ० २३७ ।

वाँ अध्याय—प्रदेश प्राप्त करने और खोने के प्रकार (Modes of Acquiring and Losing Territories) २४०-२

आवेशन, पृ० २४०, अस्थामित्व, पृ० २४३, प्रभुता स्थापित करने की इच्छा और इरादा, पृ० २४३, सातत्य का सिद्धान्त, पृ० २४४, मस्पानिना का सिद्धान्त, पृ० २४४, जाँद पर अधिकार पृ० २४५, चिरव्यवस्था भूक्ति, पृ० २४६, उपचय या अभिद्विद्धि, पृ० २४७, हरमान्तर, पृ० २४७ विजय, पृ० २४८, सम्मेलन का निर्णय, पृ० २५१, पट्टा, पृ० २५१ प्रदेश खोने के प्रकार, पृ० २५१ ।

द्वितीय अध्याय—हस्तक्षेप (Intervention) २५३-२

हस्तक्षेप के प्रकार (१) कूटनीतिक या राजनयिक हस्तक्षेप, पृ० २५३, (२) आन्तरिक हस्तक्षेप, पृ० २५३ (३) बाह्य हस्तक्षेप, पृ० २५३, (४) दण्डात्मक हस्तक्षेप, पृ० २५३, हस्तक्षेप करने के कारण, पृ० २५४, (१) आत्मरक्षा, पृ० २५४, (२) मन्थि के अधिकारों को लागू करना, पृ० २५७, (३) मानवीयता, पृ० २५७ (४) शक्ति-अनुलन, पृ० २५७, (५) वित्तीय कारणों से हस्तक्षेप, पृ० २५८ (६) गृहयुद्धों में हस्तक्षेप पृ० २५८, गुरारो सिद्धान्त, पृ० २५६, डैगो तथा नेहम सिद्धान्त पृ० २६०, हंगरी में रूस का हस्तक्षेप, पृ० २६१, तिब्बत में चीन का हस्तक्षेप, पृ० २६३ ।

तृतीय अध्याय—क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) २६६-२

प्रादेशिक समुद्र में क्षेत्राधिकार, पृ० २६७ तैरने टापू का सिद्धान्त, पृ० २६८, बन्दरगाहों में क्षेत्राधिकार, पृ० २६८, प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का विस्तार, पृ० २६८, (१) कर्तृगत प्रादेशिक सिद्धान्त पृ० २६८, (२) कर्मगत प्रादेशिक सिद्धान्त, पृ० २७०, विदेशियों का क्षेत्राधिकार, पृ० २७१, प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में उन्मुक्तियाँ पृ० २७२, (क) विदेशी राज्य और उसके अध्यक्ष, पृ० २७२, (ख) विदेशों के राजनयिक प्रतिनिधि पृ० २७३ (ग) नार्वेजिक जहाज, पृ० २७६, (घ) विदेशी सेनाओं पर क्षेत्राधिकार, पृ० २७७, (ङ) अन्तर्राष्ट्रीय संगठना की क्षेत्राधिकार में मुक्ति पृ० २७७, महामुद्रों में क्षेत्राधिकार, पृ० २७८, महामुद्रा की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध, पृ० २८०, महामुद्रों के नवीव साधना के संरक्षण तथा मद्धनी पकटने का सम्भौना, पृ० २८१ महामुद्रों का अभिसमय, पृ० २८३, महामुद्र में तीव्र अनुमरण, पृ० २८६, १९५८ के महामुद्रा के अभिसमय में तीव्र अनुमरण विपरीत व्यवस्था, पृ० २८६, महामुद्रों में समुद्री डकैती

~~नरहर्षा अध्याय—राष्ट्रीयता (Nationality)~~ १५३

२८६-३०३

राष्ट्रीयता का स्वरूप तथा लक्षण, पृ० २८६, राष्ट्रीयता का अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व, पृ० २९०, राष्ट्रीयता की प्राप्ति के प्रकार, पृ० २९०, (क) जन्म, पृ० २९०, (ख) देशीकरण, पृ० २९१, (ग) पुन प्राप्ति, पृ० २९२; (घ) बर्तीकरण, पृ० २९३, (ङ) प्रदेश का हस्तांतर, पृ० २९३, राष्ट्रीयता की हानि के पाँच प्रकार, पृ० २९३, (क) मुक्ति, पृ० २९३; (ख) वचन, पृ० २९३, (ग) दीर्घकालीन विदेश निवास, पृ० २९४, (घ) जन्ममूलक या भूमि नियम, पृ० २९४, (ङ) प्रत्यास्थापन, पृ० २९४, बोहरो राष्ट्रीयता, पृ० २९४, राज्यहीनता, पृ० २९६, भारत में राष्ट्रीयताविषयक कानूनों का विकास, पृ० २९७, राष्ट्रीयताविषयक भारतीय मामलों, पृ० ३०० ।

~~नरहर्षा अध्याय—प्रत्यर्पण (Extradition)~~ १५४

३०४-३०८

प्रत्यर्पण का स्वरूप, पृ० ३०४, प्रत्यर्पण का विकास, पृ० ३०५, प्रत्यर्पण लीय व्यक्ति, पृ० ३०६, प्रत्यर्पण के अपराध, पृ० ३०७, प्रत्यर्पण के कुछ मामलों—(१) आइजलर का मामला, पृ० ३०७, (२) ब्लैकमर का मामला, पृ० ३०८, राजनीतिक अपराध तथा प्रत्यर्पण, पृ० ३०९, एटैण्टे घारा, पृ० ३१२, बोहरी अपराधिता का नियम, पृ० ३१२, अपराध भेद का निदान, पृ० ३१२, अपहरण द्वारा प्रत्यर्पण—आइकमान का मामला, पृ० ३१३, आर्टिथोपिक का मामला, पृ० ३१५, भारतीय प्रत्यर्पण कानून, पृ० ३१६, तारासोद का मामला, पृ० ३१८, आश्रय का अधिकार, पृ० ३२१, (क) प्रादेशिक आश्रय, पृ० ३२२, (ख) प्रदेशवाह्य आश्रय पृ० ३२२, क्षेत्रीय अधिकारविषयक नवीन दृष्टिकोण, पृ० ३२३, राजनयिक आश्रय, पृ० ३२५, कोलम्बियन पेरुवियन आश्रय मामला, पृ० ३२७ ।

~~नरहर्षा अध्याय—अन्तर्राष्ट्रीय कानून और व्यक्ति (International Law and the Individual)~~

३३०-३३६

अन्तर्राष्ट्रीय कानून में व्यक्ति की स्थिति—तीन पक्ष पृ० ३३०, पहला पक्ष—परम्परागत दृष्टिकोण, पृ० ३३० दूसरा पक्ष—अनिवादी दृष्टिकोण, पृ० ३३१, तीसरा पक्ष—महजरी दृष्टिकोण पृ० ३३२, व्यक्ति की स्थिति को प्रभावित करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएँ, पृ० ३३४, न्यूरेमर्ग के अभियोग पृ० ३३४ जालियथ सम्झौता, पृ० ३३५, मानवीय अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, पृ० ३३५, मानवीय अधिकारों की रक्षा का योरोपियन अभिगम्य पृ० ३३६ ।

सौलहवा अध्याय—राजनयिक प्रतिनिधि—राजदूत और वाणिज्यदूत

1 (Diplomatic Agents and Consuls)

३३८-३६५

प्राचीन एव मध्यकाल में दूत प्रथा, पृ० ३३८, राजनयिक सम्बन्धों का विधान अभिसमय, पृ० ३३९, दूतों की श्रेणियाँ और प्रकार, पृ० ३३९, (क) राजदूत, पृ० ३४०, (ख) पूर्णाधिकार मन्त्री तथा अमाधारण दूत, पृ० ३४०, (ग) निवासी मन्त्री, पृ० ३४१, (घ) कार्यदूत, पृ० ३४१, दूतों की नियुक्ति, पृ० ३४२, स्वीकरणीय व्यक्ति, पृ० ३४४ दूतों के कार्य, पृ० ३४५, दूतों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ, पृ० ३४६, वैयक्तिक सुरक्षा तथा अव्ययता, पृ० ३४६, राज्यसैन्यब्राह्मणता, पृ० ३५१, फौजदारी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से मुक्ति, पृ० ३५२, दीवानी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से मुक्ति, पृ० ३५३, गवाही देने के कार्य से मुक्ति, पृ० ३५५, करों से मुक्ति पृ० ३५५, उपासना का अधिकार, पृ० ३५६, पत्र-व्यवहार की स्वतन्त्रता, पृ० ३५६, सीमित क्षेत्राधिकार, पृ० ३५६, दूत के अनुयायी वर्ग के विशेषाधिकार पृ० ३५६, उन्मुक्तियों का आरम्भ और समाप्ति, पृ० ३५७, दीवानी कार्य की समाप्ति के कारण, पृ० ३५८, वाणिज्यदूत, पृ० ३६२, वाणिज्यदूत विषयक सम्बन्धों का १९६३ का विधान अभिसमय, पृ० ३६४।

वाणिज्य दूतों का विधान

सौलहवा अध्याय—सन्धियाँ (Treaties)

३६६-

सन्धियों का स्वरूप, पृ० ३६६, सन्धि और सन्धिदा पृ० ३६६, सन्धिवाची कुछ शब्द, पृ० ३६७, (१) अभिसमय, पृ० ३६७, (२) प्रोटोकॉल, पृ० ३६७, (३) समझौता, पृ० ३६७, (४) व्यवस्था पृ० ३६८ (५) प्रामाणिक विवरण, पृ० ३६८, (६) परिनिधम पृ० ३६८ (७) घोषणा, पृ० ३६८, (८) घम्यायी प्रणाली, पृ० ३६८ (९) मपत्रों का दिनमग, पृ० ३६८, (१०) चरम कानून, पृ० ३६८ (११) सामान्य कानून, पृ० ३६८, सन्धि सम्पादन के घाट आवश्यक मग पृ० ३६९, सन्धि-मिलन और अभिसमयता, पृ० ३७० सन्धि का जन्म होता, पृ० ३७०, पञ्जीकरण और प्रकाशन, पृ० ३७० सन्धियों का नियामक पृ० ३७१, सन्धि की वनावट, पृ० ३७१ सन्धियों का वर्गीकरण पृ० ३७१, (क) राजनीतिक सन्धियाँ, पृ० ३७२, (ख) व्यापारिक सन्धियाँ, पृ० ३७२ (ग) सामाजिक सन्धियाँ, पृ० ३७२, (घ) दीवानी न्यायसम्बन्धी सन्धियाँ, पृ० ३७२, (ङ) फौजदारी न्यायविषयक सन्धियाँ पृ० ३७३ अर्थ सन्धियाँ, पृ० ३७३, सन्धिपालन का उपाय पृ० ३७४, सन्धि-विषयक दो सिद्धान्त (क) सन्धियों की पवित्रता, पृ० ३७५, (ख) सन्धि-नीति अपरि-वर्तनीयता, पृ० ३७५, सन्धियों की समाप्ति, पृ० ३७६, सन्धियों पर युद्ध छिड़ने का प्रभाव, पृ० ३८०, सन्धियों की व्याख्या के सामान्य सिद्धान्त,

पृ० ३८०, (१) व्याकरणगीय व्याख्या और दोनो पक्षों का इरादा, पृ० ३८१, (२) सन्धि का उद्देश्य और प्रकरण, पृ० ३८१, (३) तर्कानुकूलता तथा सबद्धता, पृ० ३८१, (४) प्रभावशालिता का सिद्धान्त, पृ० ३८२, (५) बाह्य मामलों की सहायता, पृ० ३८२, उदार व्याख्या, पृ० ३८३।

प्रकारहवाँ अध्याय—संयुक्त राष्ट्र संधि (United Nations Organization)

३८१-३९८

संधि के विचार का उद्भव और विकास, पृ० ३८५, संयुक्त राष्ट्र संधि के उद्देश्य और प्रयोजन, पृ० ३८६, मौलिक सिद्धान्त, पृ० ३८६, सदस्यता, पृ० ३८७, संयुक्त राष्ट्र संधि के अंग, पृ० ३८७, सामान्य असेम्बली, पृ० ३८७, छोटी असेम्बली, पृ० ३८९, शान्ति के लिये एकता प्रस्ताव, पृ० ३८९, सुरक्षा परिषद्, पृ० ३९१, वीटो, पृ० ३९२, आर्थिक और सामाजिक परिषद्, पृ० ३९४, न्याय के विचार का विकास तथा न्याय परिषद्, पृ० ३९६, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, पृ० ३९७, सचिवालय, पृ० ३९८।

उन्नीसवाँ अध्याय—अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Tribunals)

३९९-४१६

पक्षनिर्णय का स्थायी न्यायालय, पृ० ३९९, अन्तर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय, पृ० ४००, न्याय का अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, पृ० ४०१; क्षेत्राधिकार—(१) ऐच्छिक, पृ० ४०२ (२) आवश्यक, पृ० ४०२; (३) परामर्शात्मक, पृ० ४०३, कोरफू चीनल मामला, पृ० ४०३, मोरक्को में अमरीकी राष्ट्रजनों के उत्तराधिकार, पृ० ४०३, एगो-नार्वेजियन मछली-गाह मामला, पृ० ४०४, स० रा० संधि की सदस्यता के सम्बन्ध में जनरल असेम्बली का अधिकार, पृ० ४०४, २० प० अफ्रीका का अन्तर्राष्ट्रीय मामला, पृ० ४०४, ह्या डी ला टारें का मामला, पृ० ४०५, पुर्तगाल का भारतीय प्रदेश में से होकर गुजरने का अधिकार, पृ० ४०५, प्रीट विहीर का मामला, पृ० ४०७, मध्यपूर्व तथा कागो में स० रा० संधि की कार्यवाही पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में परामर्श मक सम्मति, पृ० ४१०, दक्षिण अफ्रीका के मामले, पृ० ४११, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का मूल्यांकन, पृ० ४१६।

दसवाँ अध्याय—अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का निवटारा (Settlement of International Disputes)

४१७-४२३

मंत्रीपूर्ण संधि पृ० ४१७, (१) वार्ता, पृ० ४१७, (२) सन्धेवा और मध्यस्थता, पृ० ४१८ (३) सरावन, पृ० ४१९, (४) अन्तर्राष्ट्रीय जांच आयोग, पृ० ४२०, (५) पक्षनिर्णय, पृ० ४२१, (६) अर्धनिर्णय, पृ० ४२३, (७) राष्ट्र संधि और स० रा० संधि द्वारा विवादों का निवटारा,

पृ० ४२४; वाध्यकारी साधन, पृ० ४२५, (क) प्रतिकर्म पृ० ४२६, (ख) प्रत्यपहार, पृ० ४२६. (ग) अधिरोध, पृ० ४३०, (घ) शान्तिमय आवेष्टन, पृ० ४३०, (ङ) हस्तक्षेप, पृ० ४३० ।

तीसरा भाग युद्ध के नियम

—इक्कीसवाँ अध्याय—युद्ध और इसके प्रभाव (War and its Effects) ४३५—४५५

युद्ध का स्वरूप, पृ० ४३५, युद्ध की वैधता के विचार की मर्यादा, पृ० ४३६; युद्धों के प्रकार, पृ० ४३६, समय युद्ध, पृ० ४३८, युद्धेतर शत्रुता, पृ० ४३९, युद्ध का आरम्भ तथा युद्ध-घोषणा, पृ० ४४०, युद्ध के तात्कालिक प्रभाव, पृ० ४४२, (१) राजनयिक सम्बन्धों का भंग, पृ० ४४२, (२) शत्रुदेश के व्यक्ति, पृ० ४४३, (३) व्यापारिक सम्पर्क की समाप्ति, पृ० ४४५, (४) सविधानों पर प्रभाव, पृ० ४४६, (५) शत्रुदेश में युद्धकारियों की सम्पत्ति, पृ० ४४६, शत्रु की सम्पत्ति—(क) स्वदेश में शत्रु की मार्वैजिक सम्पत्ति, पृ० ४४७, (ख) स्वदेश में शत्रु की वैयक्तिक सम्पत्ति, पृ० ४४७, (ग) तटस्थ देश में युद्धकारी देशों की सम्पत्ति पृ० ४४८, (६) सन्धियों पर प्रभाव, पृ० ४४८ शत्रुरूपता या अरिप्रकृति, पृ० ४४९ (क) व्यक्तियों की शत्रुरूपता, पृ० ४५०, (ख) निगमों की शत्रुरूपता, पृ० ४५१, (ग) जहाजों की शत्रुरूपता, पृ० ४५२ (घ) नीपण्य की शत्रु रूपता, पृ० ४५४, व्यापारिक अधिवास, पृ० ४५५, राष्ट्रीयता, पृ० ४५५ ।

—अठ्ठाईसवाँ अध्याय—स्थल युद्ध के नियम (Laws of Land Warfare) ४५६—४७२

युद्ध के नियमों का विकास, पृ० ४५६, नियमों का पालन, पृ० ४५८, युद्ध-के नियमों की अनुज्ञप्तिर्या, पृ० ४५९, स्थल युद्ध के उद्देश्य और साधन, पृ० ४६०, स्थल युद्ध के नियम—शत्रु के विरुद्ध हिंसा के प्रयोग की मर्यादा, पृ० ४६०, अमैतिक जनता पर हवाई तमबर्षा, पृ० ४६३, अग्रायुक्तों के प्रयोग का अश्लेष्य, पृ० ४६४, छायागो तथा मृत व्यक्तियों के साथ व्यवहार, पृ० ४६५, युद्धबन्दी, पृ० ४६७, युद्धबन्दी के बन्धन की समाप्ति व प्रकार—(१) युद्ध के समय में सीवा स्वदेश प्रत्यावर्तन पृ० ४७० (२) युद्ध के समय के लिए तटस्थ देशों में भेजना, पृ० ४७१, (३) पलायन पृ० ४७१, (४) मृत्यु, पृ० ४७१, (५) युद्ध की समाप्ति पर बन्धियों की मुक्ति तथा स्वदेश प्रत्यावर्तन, पृ० ४७१ ।

—तीसरा अध्याय—समुद्री युद्ध के नियम (Law of Wartime Warfare)

४७३—४८०

समुद्री युद्ध के उद्देश्य, पृ० ४७३, समुद्री युद्ध के नियमों का विकास, पृ० ४७३,

रात्रु के जलपोतो पर आनमण और उनका अभिग्रहण, पृ० ४७४, निक्किमालय पोत पृ० ४७५, धार्मिक, वैज्ञानिक या परोपकारी कार्यों में सलग्न पोत पृ० ४७६ युद्धबन्धियों के त्रिनिमय के कार्य में लगे पोत, पृ० ४७६ रात्रु की सेवा में लगे तटस्थ जलपोत, पृ० ४७७, सांस्कृतिक सम्पत्ति को लूटन न किया जाना पृ० ४७७ तटीय नगरों की दमनवर्षा, पृ० ४७७; सुरंगें, पृ० ४७८ पनडुब्बियाँ पृ० ४७९।

द्वितीया अध्याय अधिग्रहण न्यायालय (Prize Courts) ४८१-४८०

अधिग्रहण न्यायालयों का अर्थ पृ० ८८१ अधिग्रहण न्यायालयों का विकास ४८० अधिग्रहण न्यायालयों के कार्य पृ० ४८२, अधिग्रहण न्यायालयों के कर्तव्य पृ० ४८३ अधिग्रहण न्यायालयों का दर्जा, पृ० ४८४, अधिग्रहण न्यायालयों द्वारा लागू किया जाने वाला कानून, पृ० ४८४, पाकिस्तान द्वारा स्थापित अधिग्रहण न्यायालय की वैधता, पृ० ४८६, अन्तर्राष्ट्रीय अधिग्रहण न्यायालय की आवश्यकता, पृ० ४८६।

तृतीया अध्याय हवाई युद्ध के नियम (Laws of Air Warfare) ४८८-४९५

हवाई युद्ध के नियमों के मौलिक सिद्धान्त पृ० ४८८, १८७४ का ब्रुसेल्स सम्मेलन पृ० ४८८ हग सम्मेलन पृ० ४८८, प्रथम विस्वयुद्ध, पृ० ४८९, वाशिगटन सम्मेलन, पृ० ४९०, द्वितीय विस्वयुद्ध, पृ० ४९१, अणुबम का प्रयोग पृ० ४९०, पाकिस्तान द्वारा हवाई युद्ध के नियमों की अवहेलना, पृ० ४९४।

चौथी अध्याय युद्धापराध (War Crime) ४९६-५०५

युद्धापराध का स्वरूप पृ० ४९६, न्यूरेंबर्ग अभियोगों के प्रावुर्भाव का इतिहास पृ० ४९८, न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार, पृ० ४९९, न्यूरेंबर्ग अभियोगों का महत्त्व तथा आलोचना पृ० ५०२, टाकियो अभियोग, पृ० ५०४।

पाँचवीं अध्याय युद्ध की समाप्ति तथा पूर्ववस्था (The Termination of War and Postliminium) ५०६-५११

युद्धावसान की रीतियाँ, पृ० ५०६, (क) शत्रुतापूर्ण कार्यों का बन्द होना, पृ० ५०६, (ख) कमीकरण, पृ० ५०७, (ग) शान्ति संधि, पृ० ५०८, शान्ति संधि के प्रभाव और परिणाम पहला सामान्य प्रभाव-सैन्य सम्बन्ध की स्थापना पृ० ५१० दूसरा प्रभाव-जिवभाषाधिकार, पृ० ५१०, तीसरा प्रभाव-सामान्य समाधान पृ० ५११ चौथा प्रभाव-सुक्ति, पृ० ५११, पाँचवाँ प्रभाव-युद्धावस्था की समाप्ति पृ० ५१२, पूर्ववस्था का अभिप्राय, पृ० ५१३, पूर्ववस्था का प्रभाव (क) वस्तुओं की पूर्ववस्था प्राप्त होना, पृ० ५१४, (ख) वैध कार्यों की वैधता, पृ० ५१४, (ग) अवैध कार्यों की अवैधता, पृ० ५१४ इन नियमों की सर्वादायें पृ० ५१५, हेम कंसल का

मामता, पृ० ५१५ ।

मददाइसवी अध्याय—तटस्थता (Neutrality)

५१७-५४८

लक्षण, पृ० ५१७; तटस्थता की विनोपताएँ, पृ० ५१९, तटस्थता के विचार का विकास, पृ० ५१९, सशस्त्र तटस्थता, पृ० ५२१, हेग अभिममय पृ० ५२३; नन्दन की घोषणा, पृ० ५२४, प्रथम विश्वयुद्ध में तटस्थता, पृ० ५२३, राष्ट्र सभ और तटस्थता, पृ० ५२५, द्वितीय विश्वयुद्ध में तटस्थता के नियम से सम्बद्ध दो महत्वपूर्ण घटनाएँ, पृ० ५२९, स० रा० सभ का चार्टर और तटस्थता, पृ० ५३०, तटस्थता के औचित्य का आधार, पृ० ५३१, तटस्थता के प्रकार - पहला प्रकार स्वायी या मनानन तटस्थता, पृ० ५३३, दूसरा प्रकार सामान्य और आशिक तटस्थता, पृ० ५३३, तीसरा प्रकार ऐच्छिक तथा अभिममयात्मक तटस्थता, पृ० ५३३, चौथा प्रकार मशस्त्र तटस्थता, पृ० ५३४, पाँचवाँ प्रकार परोपकारी तटस्थता, पृ० ५३४, छठा प्रकार पूर्ण अथवा निरौष तथा अपूर्ण, सापेक्ष या विभिष्ट तटस्थता, पृ० ५३४, सातवाँ प्रकार ताटरभ्य तुल्यता, पृ० ५३५, तटस्थ तथा युध्यमान देशों के अधिकार और कर्तव्य, पृ० ५३६, तटस्थ देशों के कर्तव्य (१) परिवर्जन के कर्तव्य, पृ० ५३६, (२) निवारण के कर्तव्य, पृ० ५३७, (३) भूकसहमति के कर्तव्य, पृ० ५३९, तटस्थ राज्यों के अधिकार, पृ० ५३९, पलोरिटा, पृ० ५४०, युद्धकारी राष्ट्रों के अधिकार, पृ० ५४२, अगरी, पृ० ५४२, अगरी का आधुनिक स्वरूप, पृ० ५४३, अतटस्थ सेवा, पृ० ५४४, अतटस्थ सेवा के परिणाम, पृ० ५४६, अतटस्थ सेवा के मामले, पृ० ५४६ ।

अतिसवी अध्याय—परिवेष्टन (Blockade)

५४९-५५९

परिवेष्टन का स्वरूप, पृ० ५४९, पेरिस तथा नन्दन की घोषणाएँ, पृ० ५५०, परिवेष्टन के विभिन्न रूप, पृ० ५५१, परिवेष्टन योग्य स्थान, पृ० ५५२, वास्तविक परिवेष्टन की आवश्यक शर्तें, पृ० ५५३, परिवेष्टन की समाप्ति, पृ० ५५४, परिवेष्टन का भंग, पृ० ५५४, परिवेष्टन भंग करने के परिणाम, पृ० ५५५, परिवेष्टन के मामले, पृ० ५५५, विश्वयुद्ध में परिवेष्टन के नियम - लम्बी दूरी का आवेष्टन, पृ० ५५६, परिवेष्टन का अविष्य, पृ० ५५९ ।

तीसवीं अध्याय—विनिषिद्ध के नियम (Contraband)

५६०-६००

विनिषिद्ध का स्वरूप और लक्षण, पृ० ५६०, वस्तुओं का वर्गीकरण, पृ० ५६१, पूर्ण तथा सापेक्ष विनिषिद्ध, पृ० ५६३, पूर्ण निषिद्ध, पृ० ५६४, सापेक्ष या अवस्थानुसार विनिषिद्ध, पृ० ५६४, वाच पदार्थ, पृ० ५६५, भारवाही पशु, पृ० ५६७, ज्ञायता, पृ० ५६७, वनराशि, पृ० ५६७, रुई, पृ० ५६८, विरोधी गन्धस्थान, पृ० ५६८, विनिषिद्ध की दण्ड व्यवस्था, पृ० ५६९, परिवेष्टन और विनिषिद्ध, पृ० ५७०, अविच्छिन्न समुद्री यात्रा

का सिद्धान्त, पृ० ५७१, १७५६ के युद्धवा नियम, पृ० ५७५; निरीक्षण और तलाशी का अधिकार, पृ० ५७६, निरीक्षण की प्रक्रिया, पृ० ५७७; तलाशी, पृ० ५७७, तलाशी के लिए जहाजों को बन्दरगाहों में लाना, पृ० ५७८; नौ-प्रमाण पत्र, पृ० ५७८, निरीक्षण व तलाशी के मामले, पृ० ५७९ ।

प्रथम परिशिष्ट— अन्तर्राष्ट्रीय कानून के महत्त्वपूर्ण मामले

५८१-६२३

(क) विदेशी न्यायालयों के मामले

(१) चूंग ची चेउग विरुद्ध राजा	५८१
(२) वैस्ट रैण्ड सोल्ड माइनिंग कम्पनी विरुद्ध राजा	५८३
(३) दी गवनेट हवाना और लोला	५८५
(४) चरकियह	५८६
(५) हेलसिलानी विरुद्ध केवल एण्ड वायरलेस लिमिटेड	५८६
(६) स्टीमशिप अरन्तजाजू मेन्दी विरुद्ध स्पेन की गणराज्य सरकार	५८८
(७) मिगेल बनाम जोहोर का सुल्तान	५८९
(८) स्टीमशिप लोटस	५९०
(९) दी वजिनियस	५९४
(१०) क्रिस्टाना	५९६
(११) दी स्कूलर एक्सचेज वि० मैकफैड्डन	५९७
(१२) कोफू चैतल का मामला	५९८
(१३) श्री सावरकर का मामला	६००
(१४) सैम्बाटिनो का मामला	६०२
(१५) ट्रेण्ट वाण्ड	६०३
(१६) जमोरा	६०३
(१७) एणाम	६०६
(१८) आल्टमार्क	६०७
(१९) प्रसगा मारु	६०९
(२०) अलबामा क्षतिपूर्ति दावा	६०९
(२१) फ्रासिस्का	६११

(ख) भारतीय न्यायालयों के मामले

(२२) डालमिया दादरी सीमेण्ट कम्पनी वि० कमिश्नर आफ इकमटेक्स	६१२
(२३) भारत सरकार वि० राजस्थान सरकार	६१३
(२४) राव जी अमरमिह वि० राजस्थान की सरकार	६१४
(२५) यूनियन आफ इण्डिया वि० चमनलाल लूना	६१५
(२६) पेमादिबर उर्फ प्रेमाभाई छोयाभाई लगल वि० यूनियन आफ इण्डिया एण्ड अदर्स	६१५

(२७) रायल नैपाल एयरलाइन्स विरुद्ध मनोरमा मेहरसिंह लेगर	६१७
(२८) कगिशनर आफ इन्कमटैक्स ग्रान्ध प्रदेस विरुद्ध एच० ई० एफ० मीर उल्मान अली बहादुर	६१६
(२९) सैण्ट्रल बैंक आफ इडिया लिमिटेड वि० रामनारायण	६२१
तीय परिशिष्ट — प्राचीन भारत के कुछ अन्तर्राष्ट्रीय नियम	६२३-६३३
तीय परिशिष्ट — अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन में उपयोगी ग्रन्थ-सूची	६३४-६४०
सूचिका	६४१-६५६

प्रथम खण्ड
विषय प्रवेश

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का ऐतिहासिक विकास

(Historical Development of International Law)

विषय का महत्व—वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन कई दृष्टियों से असाधारण महत्व रखता है। इस समय वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा यातायात एवं संचार के साधनों में अभूतपूर्व उन्नति हुई है, इनसे तथा अन्तरिक्षगामी राकेटों, स्पूतनिकों और चन्द्रगामी लूनिकों द्वारा देश और काल की दूरी पर विनोदपूर्ण विजय पायी जा रही है। इनके कारण तथा आधुनिक जीवन की अन्य परिस्थितियों में सब देशों के सम्बन्ध एक दूसरे के साथ बढ़ रहे हैं, एक दूसरे पर निर्भरता में निरन्तर वृद्धि हो रही है। आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, प्राविधिक, शैक्षणिक, राजनीतिक आवश्यकताओं के कारण विभिन्न देशों के पारस्परिक सम्बन्ध इतने प्रगाढ़ हो रहे हैं कि इस समय कोई भी सभ्य राष्ट्र दूसरे राज्यों से सर्वथा पृथक् रह कर न तो अपना जीवनयापन कर सकता है और न ही किसी प्रकार की कोई उन्नति कर सकता है। पिछले दो विश्वयुद्धों ने यह भली-भाँति स्पष्ट कर दिया है कि इस समय अन्तर्राष्ट्रीय कानून का पालन तथा अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं का निर्माण असाधारण महत्व रखते हैं। अब यह समझा जाने लगा है कि जिस प्रकार विभिन्न राज्यों में मनुष्यों ने अनेक नियमों तथा कानूनों का निर्माण करके समाज में शान्ति स्थापित की है, अराजकता का अन्त किया है, माल्म्य न्याय की समाप्ति की है, इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बलवान् राष्ट्रों द्वारा निर्बल राष्ट्रों को हड़पे जाने से रोकने के लिये और विश्व-शान्ति बनाये रखने के लिये कुछ नियमों, परम्पराओं और प्रथाओं का पालन आवश्यक है जिस प्रकार एक राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के आपसी सम्बन्ध और व्यवहार उस राज्य के देनीय या राष्ट्रीय कानून (Municipal Law) में नियन्त्रित होते हैं, वैसे ही विभिन्न राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा संचालित होने चाहिये।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उद्गम—वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय कानून या विधि (International Law) की परिभाषा के १७८० ई० में सर्वप्रथम प्रयोग का श्रेय सुप्रसिद्ध ब्रिटिश विधिशास्त्री जेरेमी बेंथम (१७४८-१८३२) को दिया जाता है। उससे पहले राष्ट्रों के अन्योन्य सम्बन्ध और पारस्परिक सम्पर्क को नियन्त्रित करने वाले नियमों को लैटिन में राष्ट्रों का कानून (Droit des gens) कहा जाता था। बेंथम ने इसके स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून (Droit entere les gens) की परिभाषा का प्रयोग करने को कहा और इसका कारण बताते हुए कहा कि यह पहली परिभाषा की अपेक्षा अधिक सुस्पष्ट और सुबोध है।

किन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि इस शास्त्र का उद्गम भी वैश्व के साथ हुआ। ऐसे विद्वानोंकी कभी नहीं है, जो दमे सर्वथा प्राच्यकाल में विकसित हुआ शास्त्र मानते हैं। श्री लारेन्स ने तो यहाँ तक लिखा है कि प्राचीन काल के योरोपियन राज्यों के पास तटस्थता (Neutrality) का अभिप्राय प्रकट करने के लिये कोई शब्द तक नहीं था। श्री अल्फ्रेड जिमर्न का मत है कि "१६१४ से पहले विभिन्न राज्य तटस्थता स्वीकार करने में बड़ी भयंकरता के साथ परिभ्रमण करने वाले ऐसे नक्षत्र थे कि उनके भ्रमणमार्ग या कक्षाये कभी कभी आपस में टकराती थी और इनके परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय कानून के कुछ धाँडे से ही नियम बने थे"।^१

इसमें सन्देह नहीं कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का अधिकतम विकास प्राच्यक युग में हुआ है, किन्तु प्राचीनकाल में इसके बीज अवश्य पाये जाते हैं। मानव समाज के आविर्भाव के समय से ही इसमें एकीकरण और पृथक्करण की प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। एक ओर मनुष्य ने आत्मरक्षा और विकास के लिये नियमों और कानून के शेष को विस्तीर्ण करते हुए धर्म धर्म परिवार, जनजाति (Tribe), नगर-राज्य (City-State), राज्य और साम्राज्य का संगठन किया, दूसरी ओर ये परिवार, जनजातियाँ और राज्य एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। इनसे विविध जातियों तथा राज्यों का उत्थान और पतन होता रहा। उपर्युक्त प्रवृत्तियों के संघर्ष से अन्तर्राष्ट्रीय कानून के मौलिक विचारों का उदय मानव समाज के उपाकाल में ही हो गया। कार्टे ने लिखा है— "पुरातत्व और मानवविज्ञान ने हमें यह बताया है कि मनुष्य कई हजार वर्ष पहले ही समूह बना कर रहने लगा था, ये समूह अपनी विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था रखते थे और अन्य समूहों के साथ अपना सम्पर्क रखते हुए कुछ निश्चित नियमों का पालन करते थे। यूनान के नगर राज्यों द्वारा अपने संघ (Leagues) तथा मंत्रीसन्धियाँ करने तथा मध्यस्थों को अपने विवाद मँपाने से बहुत पहले, राजा अपने कूटनीतिक प्रतिनिधि मण्डलों द्वारा राजनैतिक चर्चा करने लगे थे, सन्धियों का निर्माण करते थे, युद्धों की घोषणा करते थे तथा कुछ निश्चित नियमों के अनुसार लड़ाई किया करते थे"।^२ हालैण्ड ने यह ठीक ही लिखा है कि प्राचीनकाल के राष्ट्र स्वतन्त्र राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों के विषय में प्रधान रूप में तीन प्रकार के नियम स्वीकार करते थे—(१) राजदूतों के विशेषाधिकार, (२) सन्धियाँ, (३) युद्ध की घोषणा तथा उसके संचालन के नियम।^३ अतः यह स्पष्ट है कि मानव समाज में अन्तर्राष्ट्रीय कानून अत्यन्त प्राचीनकाल से चला आ रहा है, विभिन्न देशों के व्यापारिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक सम्पर्क ने तथा युद्धों ने इसके विनाश में बड़ा महत्वपूर्ण भाग दिया है।

विकास के तीन युग—अन्तर्राष्ट्रीय कानून के ऐतिहासिक विकास को श्री लारेन्स ने तीन युगों में बाँटा है—

(१) प्रथम युग—मानव इतिहास के उपा-काल से रोमन साम्राज्य की स्थापना

१. अल्फ्रेड जिमर्न—दी लीग ऑफ नेशन्स एण्ड दी रूल ऑफ ला, पृ० ४८
२. पी० ई० कार्टे-ला एण्ड सोसाइटी इन दी रिलेशन्स ऑफ स्टेट्स, पृ० ४
३. हालैण्ड-शरनेरानल ला, अथम सरकार, पृ० १०

तक—इस युग की यह विशेषता थी कि उस समय सब राज्यों में यह विश्वास प्रचलित था कि जाति या नस्ल (Race) की दृष्टि से समान होने पर ही राज्यों का एक दूसरे के प्रति कोई कर्तव्य है, अन्यथा कोई कर्तव्य नहीं है। उदाहरणार्थ, यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने यूनानी राज्यों में परस्पर युद्ध होने की दशा में इसके संचालन के सम्बन्ध में कुछ नियम बनाये, किन्तु यूनानियों से भिन्न बर्बर जातियों के साथ लड़ाई में इन नियमों का पालन करना आवश्यक नहीं समझा।

(२) दूसरा युग-रोमन साम्राज्य से योरोप की १६वीं शताब्दी की धार्मिक सुधारणा (Reformation) तक—इस काल की यह विशेषता है कि इस समय यह माना जाता था कि राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों का नियमन एक सामान्य उच्च शक्ति (Common Superior) द्वारा होना चाहिये। मध्यकाल में योरोप में दो ऐसी शक्तियाँ थी—पवित्र रोमन सम्राट तथा पापे। धार्मिक सुधारणा के माय पाप की धार्मिक प्रभुता क्षीण हो गई और उपर्युक्त विद्वान सिधिल हो गया।

(३) तीसरा युग धार्मिक सुधारणा से वर्तमानकाल तक। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस समय इस सिद्धान्त का प्राधान्य है कि विभिन्न राष्ट्र एक विशाल राष्ट्र-समुदाय (Community of Nations) के सदस्य हैं, इन सब के एक दूसरे के प्रति कुछ अधिकार और उत्तरदायित्व है। यहाँ इन तीनों युगों का सक्षिप्त परिचय दिया जा रहा।

प्रथम युग (क) भारत—यहाँ प्राचीनकाल में विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का विकास हुआ। रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, कौटिलीय अर्थशास्त्र, कामन्दकीय नीतिसार, नीतिवाक्यामृत तथा अथर्व प्राचीन ग्रन्थों में इस प्रकार के अनेक नियमों का वर्णन मिलता है। इनमें दूतों की अवस्था, युद्ध के नियम और वैदिक नीति के सम्बन्ध में मण्डल सिद्धान्त उल्लेखनीय है। आगे यथास्थान इनका विस्तृत वर्णन होगा, यहाँ संक्षेप में इतना ही कहना पर्याप्त है कि वर्तमानकाल की भाँति उस समय भी दूत अवश्य सम्भाला जाता था। महाभारत में यह कहा गया है कि इनको मारने वाला राजा अपने गन्धियों सहित नरकगामी होता है। युद्ध छिड़ जाने पर भी दूत को तथा उसके साथियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जा सकती थी (नीति प्रवाण ७।६४)। आजकल की भाँति उस समय दूतों के कई वर्ग और श्रेणियाँ होती थी। कौटिलीय अर्थशास्त्र (१।१६) में दूतों के तीन भेदों का वर्णन किया है—(१) निवृष्टार्थ—इसे दूसरे राजा को देश तथा काल के अनुसार उचित समझी जाने वाली सभी बातें कहने की पूरी स्वतन्त्रता और अधिकार होता था। पाण्डवों द्वारा दुर्योधन के पास सन्धि की पेशी के लिये भेजे गये श्रीकृष्ण इसी प्रकार के दूत थे। यह वर्ग आजकल के राजदूत (Ambassador) के समान होता था। (२) परिमितार्थ—निश्चय उद्देश्य के माय भेजा हुआ दूत (Envoy)।

४. महाभारत १०।२।२६, दूतत्व इत्यादि नियमोंके सम्बन्ध में। दूत सम्बन्धी नियमों के लिये देखिये—वाल्मीकि रामायण सुन्दरकाण्ड ५०।१५, २१, बुद्धकाण्ड २५।२१; महाभारत शान्तिपर्व रात्रपर्व १००।२७—२८, तथा ७।१।२३—२७ कौटिलीय अर्थशास्त्र २।१६।

(३) शासनहर—यह केवल राजाशास्रो अथवा सन्देशो का वाहक होता था ।^१

युद्ध के नियमों के बारे में प्राचीन भारतीय साहित्य में अनेक वर्णन उपलब्ध होते हैं। कौरव पांडवों की लड़ाई शुरू होने से पहले दोनों पक्षों ने इन नियमों के सम्बन्ध में एक समझौता किया था (देखिये द्वितीय परिशिष्ट तथा भीष्म पर्व १।२६—३२)। आगस्तम्ब धर्मसूत्र (२।५।१०।१२), बौधायन धर्मसूत्र (१।१०।१०—१२), शौतम धर्मसूत्र (१०।१७—१८), मनुस्मृति (७।६०—६३), याज्ञवल्क्य (१।३२६), महाभारत (शान्ति पर्व २५।७—१४, ६६।३, ६८।४८—४९, २६७।४, द्रोणपर्व १४३।८, कर्णपर्व ६०।१११—११३, मौक्तिकपर्व ५।११—१२, ६।२१—२३), शुक्रनीति (४।७।३५४—६२), रामायण (युद्ध काण्ड १८।२७।२८) में युद्ध विषयक बड़े उदात्त और मानवीय नियमों का प्रतिपादन है। वर्तमान समय में १६०७ के हेग के चतुर्थ सम्मेलन में तय किये गये नियमों से इनकी तुलना हो सकती है। जिस प्रकार हेग सम्मेलन की धारा २३ के अनुसार विपैती गैसों तथा शस्त्रों के प्रयोग का, धोखे से मारने या घायल करने का और हथियार डाल देने वाले व्यक्ति को मारने का निषेध किया गया था, इसी प्रकार मनु ने कहा है—युद्ध में शत्रुओं को धोखा देने वाले ब्रूट हथियारों (ऊपर से लकड़ी के खोल वाले किन्तु दगके अन्दर गुप्त रूप से लोहे के तेज हथियार रखने वाले) से लड़ाई न करे, यह लड़ाई लोहे की नोक वाले (कर्णों), विष से बुझे हुए तथा जलती हुई आग वाले बरणों द्वारा नहीं होनी चाहिए। रथ से उतर कर जमीन पर आये, नपुंसक (प्राणदान के लिए), हाथ जोड़ने वाले, (प्राण बचाकर भागने में) खुले बालों वाले तथा 'मैं तेरा हूँ' ऐसा कहने वाले को, सोये हुए, कवच खोले हुए, नग्न, निःशस्त्र, न लड़ने वाले तथा लड़ाई देखने के लिए आये दर्शक, टूटे हथियार वाले, पुत्रादि के शोक से पीड़ित, बहुत अधिक घायल, डरे हुए तथा युद्ध से विमुक्त होकर भागने वाले को नहीं मारना चाहिए।^२ महाभारत (शान्तिपर्व) में युद्ध में बूढ़े, बच्चे, स्त्री तथा अरतमसमर्पण करने वालों को मारने का निषेध किया है और यह कहा गया है कि शत्रु सैनिक के घायल होने पर उसको चिकित्सा करनी चाहिए तथा अग्र्या होने पर उसे मुक्त कर देना चाहिए।^३ एक आधुनिक विधिशास्त्री आर्थर नसबौम (Arthur Nusbaum) ने यह लिखा है कि मनु के ये नियम युद्ध सम्बन्धी विषयों में अत्यधिक मानवीयता को प्रदर्शित

५. अर्थशास्त्र १।१६५ याज्ञवल्क्य स्मृति १।३२८ की टीका करते हुए विद्वानेवर ने इनके सम्बन्ध में लिखा है—तत्र नियुध्वाथी राजकार्याणि देशकालोचितानि स्वयमेव कथयितुं क्षमा । उग्रहस्ताश्च परस्मै निवेदयन्ति ते सदृष्टार्थाः । शासनहरास्तु राजलेखद्वारिणः ।

६. मनुस्मृति ७।६०—६३ न कुरैरातुपैर्द्वैन्वातुभ्यमानो रथे विपू । न कथिभिर्नापि द्विरवैनाग्निज्वलितप्रेजैः ॥ न च द्वन्वात्प्रयत्नारूढं न क्त्वीव न कृताञ्जलिम् । न मुक्तपैरा नात् न न त्वास्मीलि वादिनम् । न मुप्य न विसृजाद् न नग्न न निरायुधम् । न्ययुध्यमानं पश्यन्त न परेथ समागतम् ॥ न्वातुध्वंसनप्राप्तं नात्तं नालिपरिद्धनम् । न भीत न परावृत्तं सर्तं धर्ममनुसरन् ।

७. शान्तिपर्व २८।४८—४९ वृषवालो न इन्तव्यो न स्त्री न चैव पुष्ट । एतवर्षा-मुखरवैव त्वारस्मीति च यो वदेत् ॥

करते हैं।^{१८} इस में कोई सन्देह नहीं कि इन नियमों का प्राचीन भारत में सदा पालन नहीं होता था। महाभारत में इनके उल्लंघन के अनेक उदाहरण हैं, एकाकी वीर अभिमन्यु को अनेक महारथियों ने मिलकर मारा था। भीम ने गदायुद्ध के नियम को तोड़ा था। फिर भी सामान्य रूप से इन नियमों का पालन होता था। युद्धों के समय नैतिक मध्य युग की भाँति असीनिक जनता का क्रूरतापूर्वक सहार नहीं करते थे। चन्द्रगुप्त मौर्य के समय भारत आये यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने उसकी पुष्टि करते हुए लिखा था—
“निकटवर्ती प्रदेश में लड़ाई होने पर भी भूमि पर सेती करने वाले कृपक किसी प्रकार के भय से आतंकित नहीं होते क्योंकि युद्ध करने वाले कृपि में लगे हुए व्यक्तियों के धर्म में कोई बाधा नहीं डालते।”^{१९}

प्राचीनकाल में युद्धों के दो भेद किये जाते थे—धर्मयुद्ध और क्रूरयुद्ध। धर्मयुद्ध में उपर्युक्त नियमों का पूरा पालन किया जाता था, क्रूरयुद्ध में सब प्रकार की धोखेबाजी और छल के प्रयोग की अनुमति थी, उपर्युक्त नियमों का पालन आवश्यक नहीं था। कौटिल्य ने कहा कि शक्तिशाली होने पर धर्मयुद्ध ही करना चाहिए। (अधिकरण १०, अध्याय ३)। भीष्म (महाभारत शान्तिपर्व) और युक्त का यह मत है कि धर्म एवं क्रूर दोनों प्रकार के युद्धों से शत्रु का सहार करना चाहिए। श्री राम और लक्ष्मण ने छल से ही बालि तथा मारीच को मारा था^{२०}। भारत में क्रूरयुद्धों की प्रथा प्रचलित होने पर भी सुदूर पूर्व के अन्य देशों के समान यहाँ अमानवीय और नृशंसापूर्ण कार्य नहीं होते थे। यहाँ किसी राजा ने थूतमोज तृतीय (Thutmoses III) अथवा असुरनजरपान की भाँति मानवीय खोपड़ियों से दीवारें बनाने की ङीठ नहीं हाकी थी अथवा नगर के द्वारों और दुर्ग की दीवारों को पराजित शत्रुओं की खातों से अलंकृत नहीं किया था।^{२१} यहाँ इस बात पर बहुत बल दिया गया कि राजा को अपमर्ग द्वारा राज्य जीतने की इच्छा

८. आर्थर नसबौम—ए कन्स्टांटिन डिस्ट्री आफ दी ला आफ नेरान्स, पृ० ३

९. मेन्टिएडल—एरोशट इण्डिया एंड रिकार्डिड वाइ मेगस्थनीज फौगेण्ट १, पृ० ३०।

नसबौम ने यह लिखा है कि यह विश्वास करना कठिन है कि सामाजिक युद्धों में उपर्युक्त नियमों का कोई बचा महत्व था, क्योंकि इन नियमों को सुदृढ बनाने के लिए कोई कानूनी अनुज्ञप्ति (Legal Sanctions) नहीं थी। इस विषय में यह ध्यान रखना चाहिए कि उस समय कानूनी दण्डों की अपेक्षा धार्मिक दण्डों का अधिक महत्व था। परलोक विगडने और नरकगामी होने की नैतिक अनुज्ञप्ति (Moral sanction) कानूनी अनुज्ञप्तियों से अधिक प्रबल थी। इसने भय से लोग उपर्युक्त नियमों का पालन करने के लिए बाधित होते थे। मनु ने नैतिक अनुज्ञप्ति का दखन करते हुए कहा है कि जो सैनिक सघाम में भयभीत और पण्डुमुख व्यक्ति को मारता है, उसे अपने स्वामी का सारा पाप लगता है (७।६४)।

१०. शुकनीति १।३५०, धर्मयुद्ध-कृत्युद्धैर्हन्वासेव रिपु सत्रा। १।३५६ रामकृष्णेश्वर-दिदेवैः कृतमेवाहन पुरा। कृष्टेन निहतो धालिर्भवनो ननुचिरतथा।

१०. अल्नेकर—स्टेट प्रिज्ड गवर्नमेण्ट इन एरोशट इण्डिया, पृ० २०१

	उदारगीन					
अरिभिन्न मित्र	मित्रमित्र	अरिभिन्न	मित्र	अरि	विजिगीषु	पापिण्यग्रह
				मध्यम	आनन्द	पापिण्यग्रहकार
						आनन्दासार

मण्डल सिद्धान्त का मूल तत्व यह है कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि किसी राजा के पड़ोसी राजा उसके शत्रुओं और इन पड़ोसी राजाओं के भगने पड़ोसी इनके वैरो होने में पहले राजा के मित्र हो, वे उसके साथ मिलकर मध्यवर्ती राजाओं को चक्की के दो पाटा में गेहू की तरह पीस सकते हैं। अतः पहले राजा की इनके साथ मैत्री होना स्वाभाविक है। मण्डल सिद्धान्त में इसी के आधार पर राज्य की बौद्धिक नीति संचालित करने तथा दूसरे देशों को अपना मित्र बनाने पर बल दिया गया है।

वोटिल्व ने सामुद्रिक युद्ध के कुछ नियमों का उल्लेख किया है। उसने नावा-व्यक्ष के कार्यों का वर्णन करते हुए कहा है कि वह चोर डाकुओं की नौकाओं को नष्ट कर दे, इसी प्रकार शत्रु के देश को जाने वाली वाजार के तथा बन्दरगाह के नियमों को उल्लंघन करने वाली नौकाओं का विध्वंस कर देना चाहिए। "भारत का मध्यकाल में यूरोपियन राज्यों तथा से उनकी विचारधारा से कोई सम्बन्ध नहीं था, अतः वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास पर भारत का प्रभाव नगण्य गा ही है।

(ख) प्राचीन मध्यपूर्व के राज्य—चौथी सहास्राब्दी ई० पू० से मध्यपूर्व के राज्यों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार और कानून के कुछ प्रमाण मिलने लगते हैं। ३१०० ई० पू० में लगश तथा उम्मा के मेसोपोटामियन नगर राज्यों में सीमा के सम्बन्ध में हुई एक संधि का वर्णन करने वाला एक प्रस्तर अभिलेख मिला है। इसमें पराजित उम्मा जाति ने पाँच नक्षत्रशास्त्री मुमेरियन देवी देवताओं की शपथ लेते हुए शत्रुओं की सीमान्तों खार्ड और पत्थर को न साधने की प्रतिज्ञा की है। कुछ विद्वानों के मतानुसार दरागे पंच निर्णय (arbitration) का भी वर्णन है, क्योंकि लगश तथा उम्मा के बीच सीमासूचक पत्थर की स्थापना इनके मनीषवर्ती किश राज्य के राजा मेसिजिम ने की थी। दूसरी सहस्राब्दी ई० पूर्व से मिट्टी की मुहरों पर तथा पत्थर पर खूबी हुई अनेक संधियाँ उपलब्ध हुई हैं। ये मिथ्री तथा हिट्टाइट शासकों के मध्य में हुई हैं और इनका प्रधान विषय सीमा विवाद का निर्णय, शान्ति स्थापन और मैत्री स्थापित करना है। इनमें सबसे प्रसिद्ध संधि १२७९

ई० पू० में मिथ के राजा रेमसीड (Ramses II) और हिट्टाइट राजा हतुसिली के मध्य हुई थी, इसमें यह व्यवस्था की गई है कि एक राज्य में अपराध करने के बाद जो अपराधी दूसरे राज्य में भाग जायें, उन्हें पकड़कर पहले राज्य को लौटा दिया जाय। सम्भवतः प्रत्यर्पण (Extradition) का यह प्राचीनतम उल्लेख है। इसमें दोनों राजाओं ने एक दूसरे के आन्तरिक मनुष्यों के विरुद्ध सहायता देने की प्रतिज्ञा की है और इसके लिए अनेक मिथी और हिट्टाइट देवताओं को साक्षी बनाया है।¹⁴

यहूदियों के साहित्य में भी अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का कुछ वर्णन है। पुराने अह्व-नामे (Old Testament) की एक पुस्तक डिडानमी में युद्ध में स्त्रियों तथा बच्चों को मारने का निषेध है। इनमें धर्म की रक्षा के लिए पवित्र युद्ध करने का विधान है। विषम परिस्थितियों में भी शत्रु को दिये गये वचन के प्रतिपालन पर बल दिया गया है (इमीहा ८।६)।

(ग) यूनान—प्रथम सहस्राब्दी ई० पू० में यूनानियों ने उत्कृष्ट कोटि की सभ्यता का विकास किया। वर्तमान टर्की और यूनान के प्रदेश में इनके अनेक लघु नगर राज्य थे। इन सबकी नस्ल, भाषा, धर्म और रीति रिवाज एक जैसे थे। इनमें वाणिज्य का विकास होने से सामुद्रिक व्यापार के नियम बने, रोडस टापू इसका बड़ा केन्द्र था, अतः ये नियम रोडियन कानून (Rhodian Laws) के नाम से प्रसिद्ध हैं। लारेन्स के मतानुसार इन नियमों का प्रभाव रोमन सम्राटों के सामुद्रिक तथा व्यापारिक नियमों पर पड़ा। यूनान के विभिन्न राज्यों में अनेक राजनीतिक संधियाँ होती थीं। इनमें १६वीं सताब्दी जैसी जटिल संधियाँ और संध पाये जाते हैं। उस समय विदेशियों (Aliens) की शान्त कानूनी शीर्ष से स्वीकार की जाती थी। इसी प्रकार का एक वर्ग मीटोकोई (Metoikoi) था। ये प्रायः व्यापार और वाणिज्य में लगे हुए विदेशी व्यक्ति होते थे, इन्हें कानूनी रक्षा के अधिकार अन्य नागरिकों के समान प्राप्त थे, किन्तु राजनीतिक अधिकार नहीं होते थे और ये अचल सम्पत्ति (Real Estate) रख सकते थे। इनमें वर्तमान व्यापार प्रतिनिधि (Consul) से समानता रखने वाले प्रोक्सीनोस (Proxenos) होते थे। यह प्रायः एक ऐसा प्रतिष्ठित नागरिक होता था, जिसे कोई विदेशी राज्य सरकारी तौर से अपने नागरिकों की सुरक्षा तथा अपने राज्य के अन्य राजनयिक (Diplomatic) कार्य सौंपता था।

धर्म ने यूनान की राजनीति पर बड़ा प्रभाव डाला था। कई बार किसी विशेष पवित्र धर्मस्थान की रक्षा के लिए कुछ यूनानी नगर-राज्य आपस में समझौता करके एक संध का निर्माण करते थे। इस प्रकार के संध एम्फिकटियनी (Amphictyony) कहलाते थे। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण यूनान के पवित्रतम मन्दिर डेलफी (Delphi) की रक्षा के लिए बनाया गया संध था। ये धार्मिक संध बाद में राजनीतिक बन जाते थे। यहाँ धर्मस्थानों में मारण लेने वाले अपराधी सुरक्षित समझे जाते थे, उन्हें नहीं पकड़ा जा सकता था, आश्रयाधिकार (Right of Asylum) व्यापक रूप से स्वीकार किया

जाता था। सीमाग्रो, नदियों तथा स्रोतों के सम्बन्ध में होने वाले विवाद पत्र निर्णय (Arbitration) द्वारा तय किये जाते थे।

युद्धों के सम्बन्ध में यूनानियों का दृष्टिकोण प्लेटो द्वारा मुकरात के मुँह में कहा-लायी हुई कुछ सूक्तियों से स्पष्ट होता है। इनके अनुसार उमका यह विचार था कि युद्ध शब्द वा प्रयोग यूनानियों द्वारा अपने से भिन्न जातियों के साथ किये जाने वाले सघर्षों तक सीमित करना चाहिए। यूनानी लोगों में होने वाले सघर्ष युद्ध नहीं, किन्तु बीमारी और फूट हैं। इनमें बचने का प्रयत्न करना चाहिए। किन्तु यदि यह अनिवार्य हो जाय तो इसकी उपरता को कम करने का प्रयास होना चाहिए। इसके लिए उस समय अनेक नियम प्रचलित थे। पहला नियम एम्फिकटियनिक संधियों द्वारा घर्मस्थानों की सुरक्षा थी, इन्हे युद्ध में किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जा सकती थी, लड़ाई से भागकर इनमें शरण ग्रहण करने वाले व्यक्ति अवध्य समझे जाते थे। दूसरा नियम यह था कि पुरोहित अवध्य माने जाते थे। तीसरा नियम यह था कि दोनों पक्षा को रणक्षेत्र में निहत् होने वाले सैनिकों को विधिपूर्वक दफनाने की अनुमति थी। चौथा उल्लेखनीय नियम यह था कि रणक्षेत्र में विजय की स्मृति को सुरक्षित बनाने के लिए पत्थर या कासे के स्थायी स्मारक न बनाये जायें। केवल लकड़ी के स्मारक खड़े किये जा सकते थे। यह नियम इसलिए था कि शत्रुता की कोई स्थायी स्मृति नहीं होनी चाहिए। इन नियमों के होते हुए भी नमबौन ने यह स्वीकार किया है कि यूनान में मनुस्मृति के नियमों (देखिये ऊपर पृ० २०) जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी।^{१६}

यूनानियों ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं डाला। नमबौन के मतानुसार यूनानियों के उपर्युक्त अधिकार नियम धार्मिक थे, नगर-राज्यों की स्वतन्त्र सत्ता होते हुए भी ये नियम अन्तर्राष्ट्रीय (International) न होकर अन्त-दशीय (Intermunicipal) थे। यूनानियों को राष्ट्रों के परिवार (Family of nations) का कोई ज्ञान न था। कुछ यूनानी नियम वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में समानता रखते हैं, किन्तु यह सर्वथा आकस्मिक और काकतालीय हैं। यूनानियों में कानूनी विचारों के विकास की प्रतिभा नहीं थी, फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून के रोमन विचारक यूनानी दर्शन से प्रभावित हुए। इस प्रकार परोक्ष रीति से यूनानी विचारधारा ने अन्तर्राष्ट्रीय के कानून के विकास पर प्रभाव डाला।^{१७}

दूसरा युग—रोम—पश्चिमी जगत् में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास में यूनान की अपेक्षा रोम का अधिक असर पड़ा। प्राचीनकाल में रोमन लोगों ने कानून के विकास में विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया था। इस विषय में उनका सर्वोत्तम स्मारक डाइ-जेण्टाइन मन्नाट जस्टीनियन (५२७-५६५ ई०) द्वारा तैयार करवाया हुआ दीवानी नियमों का संग्रह (Corpus juris civilis) है। रोमन लोगों में मद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का कोई बड़ा महत्व नहीं था, फिर भी मध्यकाल में इसकी कानूनी पद्धति

१६. नमबौन—पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० ६

१७. नमबौन—पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० ६

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विचारको का प्रधान प्रेरणा स्रोत और आधारशिला थी ।

गुनानियो की भांति रोमन लोगों में भी सन्धि विग्रह धार्मिक कार्य समझे जाते थे । ५६० ई० पू० में समाप्त होने वाले राजाघो के आरम्भित युग से लड़ाई छेड़ने, सन्धि करने, फूटनीतिक पार्या चतारगे, दून भेजने, प्रत्यपण आदि के अन्तर्राष्ट्रीय तथा वैदेशिक कार्य फीशल (Fetial) नामक धीम पुरोहितों का विशेष रूप से संगठित समुदाय (Collegium Fetialium) किया करता था । युद्ध छेड़ने के सम्बन्ध में इनका कार्य बड़ा महत्वपूर्ण होता था । युद्ध दो प्रकार के माने जाते थे—न्याय्य (Just) और अन्याय्य (Un-Just) । न्यायपूर्ण युद्धों के चार कारण थे—(१) रोमन प्रदेश का अति-भ्रमण, (२) दुर्तों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन, (३) सन्धियों का भंग करना, (४) अथ तब मित्र बने किसी राज्य द्वारा युद्ध में शत्रु को सहायता देना । न्यायपूर्ण युद्ध उप-युक्त कारण उपस्थित होने पर तभी किये जा सकते थे, जब जटिल धार्मिक विधान के बाद फीशल पुरोहित देवताओं को साक्षी बनाकर युद्ध के कारणों की सत्यता की घोषणा करे और चार फीशल सन्धि भंग करने वाले राज्य से इस विषय में कोई सन्तोषजनक उत्तर न प्राप्त कर सकें । यदि दूसरा देश विचार के लिए समय चाहता था तो उसे तीस या तेतीस दिन की अवधि दी जाती थी । यदि इसमें कोई समाधान नहीं हो पाता था तो फीशल यह प्रमाणित करते थे कि युद्ध के लिए न्यायोचित कारण है । सीनेट द्वारा युद्ध का निश्चय हो जाने पर एक फीशल रोमन भीमान्त से एक भाला दूसरे देश की ओर फेंकता था, इसे लड़ाई की विधिपूर्वक घोषणा समझा जाता था । ऐसा युद्ध न केवल न्यायपूर्ण अपितु पवित्र (Belum Justum et pium) समझा जाता था । रोमन लोगों को इस धार्मिक विधि द्वारा यह विश्वास होना था कि देवता युद्ध में उनका साथ देंगे, इससे उनका उल्लास और साहस (Morale) बना रहता था । यद्यपि सैद्धान्तिक रूप में फीशल विषयक कानून (Jus fetiale) विमुद्ध रूप से रोम का देशीय (Municipal) कानून था, फिर भी इसमें अन्तर्राष्ट्रीय विचारों के कुछ बीज अवश्य थे । फीशल विधि विधान तो रोम के गणतन्त्रीय युग में लुप्त होने लगे किन्तु न्याय-पूर्ण युद्ध के विचार को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बड़ी महत्ता दी जाने लगी । नसबोम ने इसे अन्तर्राष्ट्रीय कानून के इतिहास में रोम का सबसे बड़ा अशदान (Contribution) बताया है ।¹⁴

रोमन युद्ध की समाप्ति तीन प्रकार से करते थे—(क) शान्ति-सन्धि द्वारा, (ख) शत्रु के समर्पण (Deditio) में, (ग) शत्रु के देश पर अधिभार या आधिपत्य (Occupation) द्वारा । उस समय सन्धिया तीन वर्गों में बाटी जाती थी—(अ) सौहार्द सन्धि (Treaty of Friendship or Amicitia), (आ) मैत्री सन्धि (Treaty of Alliance or foedus), (इ) आतिथ्य सन्धि (Treaty of Hospitality or Hospitium) । सन्धियाँ धार्मिक विधिया द्वारा सम्पन्न की जाती थी । इनमें देवताओं का आह्वान और अनेक प्रकार के यज्ञ होते थे, अतः इन्हे बड़ा पवित्र समझा जाता

था। रोमन लोगों को किसी अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि या समझौते को करने तथा सीनेट द्वारा उसकी औपचारिक स्वीकृति या अनुसमर्थन (Ratification) में सूक्ष्म अन्तर का पूरा ज्ञान था। यदि कभी रोम की ओर से सन्धि जारी करने वाला प्रतिनिधि किसी दूसरे पक्ष के साथ शपथग्रहण करके कोई समझौता करता था और बाद में यह समझौता सीनेट द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता था तो ऐसे व्यक्ति को निर्वासित करके दूसरे पक्ष के पास भेज दिया जाता था। इसका उद्देश्य सन्धिकर्ता की दैवीय प्रकोप में रक्षा करना था। उसने रोमन पक्ष की ओर से जिन देवताओं की शपथ लेकर सन्धि की थी, वे रोम द्वारा इस सन्धि के सीनेट द्वारा अस्वीकृत होने पर, स्वभावतः इसका उल्लंघन करने वालों को दण्ड देने का अधिकार रखते थे। किन्तु उरा व्यक्ति के दूसरे पक्ष में चले जाने से वह व्यक्ति इस विषय में देवता उसके प्रकोप से मुक्त समझा जाता था। दूतों की अव्ययता प्राचीन रोम में स्वीकार की जाती थी।

रोम को अपने गणराज्यीय (Republican) तथा साम्राज्यीय (Imperial) युगों में अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों की बहुत कम आवश्यकता पड़ी, अतः उनमें प्रत्यक्ष रूप से इसके विकास की सम्भावना बहुत कम थी। किन्तु रोमन कानून ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून पर परोक्ष रीति से बड़ा प्रभाव डाला है। १६वीं १७वीं शताब्दियों में जब अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन और अनुसन्धान की ओर विद्वानों का ध्यान आक्रामक हुआ, उन समय पश्चिमी जगत् में रोमन कानून सर्वमान्य था। किन्तु यह कानून प्रधान रूप से वैयक्तिक (Private) था। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय कानून में सम्बन्ध रखने वाली कोई बात नहीं थी। फिर भी विद्वानों ने वैयक्तिक रोमन कानून के सिद्धान्तों के साथ सादृश्य रखने वाली अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में इन्हें लागू करना शुरू किया, उदाहरणार्थ वैयक्तिक स्वामित्व (Private ownership or Dominium) के नियम राज्यों की प्रादेशिक प्रभुसत्ता (Territorial Sovereignty) के बारे में लागू किये गये। वैयक्तिक ठेकों या सविदाओं (Contracts) के नियम सन्धियों के बारे में सत्य समझे जाने लगे। रोम के वैयक्तिक कानून की अनेक परिभाषाओं को अन्तर्राष्ट्रीय कानून में ग्रहण कर लिया गया। इसके कुछ रोचक उदाहरण निम्नलिखित हैं। स्वामीहीन किसी चल या अचल सम्पत्ति पर स्वामित्व स्थापित करने को प्राचीन रोमन विधिशास्त्री Occupatio कहते थे, इसी से अन्तर्राष्ट्रीय कानून का Occupatio (आपेशान या चब्जा) शब्द बना है और यह लड़ाई में सेना द्वारा अधिकृत प्रदेश की ऐसी स्थिति सूचित करता है, जो किसी प्रभुसत्तासम्पन्न शासक (Sovereign) के अधीन नहीं है। परबत्ता को सूचित करने वाला शब्द Servitude भी दाम्पत्य दायक रोमन शब्द Servitas से निकला है। इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय कानून के उपचय (Accretion), निरन्तरिक भोग (Prescription) आदि अनेक शब्दों का मूल रोमन है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द इन शास्त्र को अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन में क्रमशः Law of nations, Droit des gens तथा Volkerrecht का नाम देने वाला है, यह रोम के Jus gentium का शाब्दिक अनुवाद है। इस शब्द से अनेक प्रकार के भ्रम उत्पन्न हुए हैं, अतः इनके विकास का सक्षिप्त परिचय आवश्यक है।

जस जेन्शियम—रोम का परम्परागत प्राचीन कानून केवल रोमन नागरिकों पर लागू होता था। यह अत्यधिक कठोर, अदिम और सखीय था। इसे दीवानी कानून (Jus civile) कहा जाता था। रोम नगर के महत्वपूर्ण व्यापारिक और राजनीतिक केन्द्र बन जाने पर यहाँ विदेशी व्यक्ति बहुत बड़ी सख्या में आने लगे, ये रोमन कानून की परिधि से बाहर समझे जाते थे, २४२ ई० पू० में इनकी सहाय स्वीकार करते हुए इनके आपसी विवादों के तथा रोमन लोगों के विदेशियों के साथ विवादों के निर्णय के लिये विशेष न्यायाधीश (Praetor peregrinus) नियत किये गये। ये विदेशियों के मामलों में रोमन कानून लागू नहीं कर सकते थे, अतः इन्होंने विदेशी एवं रोमन कानूनों के उदार एवं न्यायपूर्ण तत्वा को ग्रहण करके इनके सम्मिश्रण से एक नये प्रकार के कानून का निर्माण आरम्भ किया। इसमें जस सिविली (Jus civile) की अपेक्षा बहुत कम बन्धन, औपचारिकता और प्रतिबन्ध थे। उदाहरणार्थ, इसमें बिक्री की कानूनी कार्यवाही के लिये पात्र साक्षियों की उपस्थिति तथा अनेक लेखबद्ध जटिल विधियों का पालन आवश्यक था, किन्तु नये कानून में मौखिक रूप से की गई बिक्री के कार्य को स्वीकार कर लिया जाता था। शनै-शनै ये उदार नियम रोमन नागरिकों के मुकद्दमों में भी लागू किये जाने लगे और प्राचीन Jus civile से इनका भेद स्पष्ट करते के लिए नये नियमों को जस जेन्शियम (Jus gentium) कहा जाने लगा। किन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि इसका "राष्ट्रीय के आधुनिक कानून" या "अन्तर्राष्ट्रीय विधि" से कोई सम्बन्ध न था, क्योंकि यह विभिन्न प्रमुखता-सम्पन्न, स्वतन्त्र राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों का नियमन करता है और जस जेन्शियम रोम का राष्ट्रीय (Municipal) कानून था क्योंकि यह रोमन साम्राज्य में रहने वाले विदेशियों और रोमन नागरिकों के पारस्परिक सम्बन्धों का नियमन करता था।

रोमन साम्राज्य में रहने वाले विदेशियों के कानून के अतिरिक्त, जस जेन्शियम शब्द का प्रयोग प्राचीन रोम में एक दूसरे अर्थ में भी होता था। इस अर्थ में यह सब देशों में पाये जाने वाले सार्वभौम नियम का वाचक है। अस्टीनियन द्वारा बनवाये गये रोमन कानून संग्रह (corpus juris) के आरम्भ में ही दूसरी शताब्दी ई० के एक विधिशास्त्री गैरस (Gaius) की यह उक्ति उद्धृत की गई है कि जस सिविली तो प्रत्येक जनता (Populus) द्वारा बनाया गया कानून है और जस जेन्शियम वह कानून है जो प्राकृतिक तर्क (Natural reason) द्वारा सब मनुष्यों (Homines) के लिए बनाया गया है और जिसका पालन सब राष्ट्र (Gentes) करते हैं। यह इसका दार्शनिक अर्थ है। हमके ऐतिहासिक अर्थ में तो रोमन साम्राज्य में विदेशियों के साथ बरता जाने वाला कानून अलग है, किन्तु दार्शनिक अर्थ में सब जगह पाये जाने वाले विवाह, सम्पत्ति की सुरक्षा आदि के अनेक कानून आ जाते हैं, इनमें अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र से सम्बन्ध रखने वाले द्वुतों की अव्यवस्था, युद्ध की जूट के बँटवारे आदि के नियम भी सम्मिलित किये जाते हैं। किन्तु इनसे यह नहीं समझना चाहिये कि जस जेन्शियम अन्तर्राष्ट्रीय कानून है क्योंकि दार्शनिक अर्थ में भी इसका अधिकांश भाग किसी भी राष्ट्र में पाये जाने वाले कानूनों से सम्बन्ध रखता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अर्थ में जस जेन्शियम का प्रयोग १७वीं

शताब्दी से ही होने लगा है ।

प्राकृतिक नियम—रोम के प्राकृतिक नियम (Natural law, jus naturale) के सिद्धान्त ने भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून के परवर्ती विकास पर काफी प्रभाव डाला । तीसरी श० ई० पू० के यूनानी स्टोइक (Stoic) दर्शन के इस सिद्धान्त को रोम में पहली श० के सुप्रसिद्ध विधिशास्त्री सिसरो ने बड़ा लोकप्रिय बनाया । इसका तात्पर्य यह है कि यथार्थ तर्कबुद्धि (Right reason) द्वारा ऐसे नियम बनाये जा सकते हैं, जो सर्वत्र समान रूप से लागू किये जा सकें । इस सिद्धान्त ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून को दो प्रकार से प्रभावित किया (१) प्राकृतिक नियम प्रायः जस जेन्शियम के दार्शनिक अर्थ से अमिद समझा जाता था, किसी नियम की सार्वभौमता उसके स्वाभाविक होने का परिणाम समझी जाती थी । उदाहरणार्थ जस जेन्शियम के नियमों के अनुसार दूत को अवश्य सम्मान जाता था, यह नियम सभी देशों में पाया-जाता है, अतः इसे प्राकृतिक नियम भी माना जाता था । किन्तु कई बार जस जेन्शियम और प्राकृतिक विधि (Jus naturale) में विरोध भी होता था, जैसे दासता की प्रथा सर्वत्र प्रचलित होने में जस जेन्शियम का अग्र समझी जाती थी । किन्तु यह प्राकृतिक विधि का अग्र नहीं मानी जाती थी, क्योंकि सब मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वतन्त्र होते हैं । (२) प्राकृतिक नियम के सिद्धान्त का अन्तर्राष्ट्रीय कानून पर दूसरा प्रभाव यह पड़ा कि इस सिद्धान्त की अत्यधिक अस्पष्टता, प्राचीनता तथा सर्वमान्यता ने मध्यकाल में विद्वान ताकिको (Scholastics) को एक ऐसी जादू की छड़ी प्रदान की, जिसकी सहायता से वे अपने नवीन अन्तर्राष्ट्रीय विचारों और सिद्धान्तों को प्राकृतिक नियम की दुहाई देकर प्राचीन एवं सुप्रतिष्ठित सिद्ध कर सकते थे ।"

मध्यकाल में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास में सहायक तत्व—४वीं शताब्दी के अन्त में बर्बर जातियों ने रोमन साम्राज्य पर आक्रमण करके उसके पश्चिमी प्रान्तों को जीत लिया, इसके बाद ५वीं से ११वीं शती तक योरोप में अन्ध युग (Dark Age) तथा ११वीं से १५वीं शती तक मध्य युग (Middle Age) रहा । १४६२ ई० में अमरीका के महाद्वीप की खोज के साथ आधुनिक युग का श्रोगणोत्सव हुआ १६वीं शताब्दी के धार्मिक सुधार आन्दोलन ने वर्तमान युग की प्रवृत्तियों को सुदृढ़ करने में बड़ा भाग लिया । आधुनिक युग ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास को बहुत प्रोत्साहित किया । किन्तु इसे देखने से पहले मध्यकाल में इसके सहायक तत्वों का ज्ञान आवश्यक है । आपेनहाइम ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाले निम्न तत्व माने हैं—

(१) चर्च के धार्मिक कानून (canon law) की तथा दीवानी कानून (civil law) की विवेचना करनेवाले व्यक्तियों ने युद्ध सम्बन्धी भावी अन्तर्राष्ट्रीय कानून के कुछ प्रश्नों की मीमांसा की । (२) इस समय समुद्री कानूनों के अनेक संग्रह और रक्कन किये गये । (३) व्यापार करनेवाले नगरों के अनेक मगठनों ने पारम्परिक विवादा को

१६. नलबौम—पूर्वोक्त पुस्तक, पृष्ठ १६

२०. आ नडाइम—इण्टरनेशनल ला खण्ड १, अष्टम उत्तरार्ध, पृ० ७६ न२

सुलभाने के लिये पचनिरांग (Arbitration) करने के नियम बनाये । (४) १५वीं शताब्दी के अन्त में राज्यों द्वारा दूसरे देशों को स्थायी दूत भेजने की प्रणाली वा शीगर्स हुआ । (५) बड़े राज्यों द्वारा स्थायी सेनाएँ रखे जाने में युद्ध के सम्बन्ध में सार्वभौम नियम और रीति रिवाज बनने लगे । (६) १४वीं शती में स्थायी शान्ति स्थापित करने की कुछ आदर्श योजनाएँ बनने लगी । (७) १५वीं शती में विज्ञान और कला की पुनर्जागृति (Renaissance) के तथा १६वीं शती के धर्म-सुधार (Reformation) के आन्दोलनों ने योरोपियन जगत् में पोप की एकच्छत्र आधिपत्यिक प्रभुता वा अन्त करके अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास में बड़ा सहयोग दिया । यहाँ उपर्युक्त तत्वों के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्या का संक्षिप्त उल्लेख किया जायगा ।

(१) चर्च—रोमन साम्राज्य का पतन हो जाने के बाद ग्रन्थ युग में चर्च ने एक विशाल कानूनी पद्धति का विकास किया, मध्यकाल में धार्मिक कानून निकाय (corpus juris canonice) के नाम से इसके अनेक संग्रह और संकलन किये गये । यह कानून न तो राष्ट्रीय था और न अन्तर्राष्ट्रीय, किन्तु अधिराष्ट्रीय (Supranational) था, अर्थात् यह सब राष्ट्रों के कानूनों के ऊपर था और इसका पालन धार्मिक दृष्टि से आवश्यक था । धार्मिक कानून ने वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में जो नियम बनाये, उनका उस समय आजकल की अपेक्षा अधिक पालन होता था । इसका मुख्य कारण धार्मिक दृष्टि से इनके अनुकूल आचरण को आवश्यक माना जाना तथा इनका उल्लंघन करने वालों के लिये इस लोक में बहिष्कार (Excommunication) के धार्मिक दण्ड का भय और परलोक में नरकगामी होने की आशंका थी ।

इस क्षेत्र में चर्च का सबसे बड़ा कार्य युद्ध और शान्ति के नियमों वा निर्धारण करना था । उस समय विभिन्न मनुष्यों में होने वाले, उत्तरहित भीषण वैयक्तिक युद्धों (Private wars) की क्रमशः अपन चरम शिखर पर पहुँच गई थीं । चर्च के लिए इनका सर्वथा बन्द कर देना सम्भव नहीं था । किन्तु इस शुरार्थ को कम करने के लिये चर्च ने भगवान के रणविरामों (Truces of God) को घोषणा की । ये ऐसे दिन या अवधि थी, जिनमें युद्ध करना बर्जित था । १०४१ ई० में फ्रेंच धर्माधिकारियों (Prelates) ने इनकी अवधि को बढ़ाकर इसे प्रत्येक सप्ताह में बुधवार के सूर्योस्त से सोमवार के सूर्योदय तक कर दिया । इसके अनुसार वैयक्तिक युद्ध सप्ताह में केवल तीन दिन ही हो सकते थे । लेटरन के गिरजाघर में हुई रोमन कैथोलिकों की दूसरी परिषद् (Second Lateran Council) ने ११३६ में युद्ध में एक विशेष प्रकार के धनुष (Cross bow) का प्रयोग वर्जित ठहराया क्योंकि यह बहुत "घातक और भगवान को अप्रिय" था । तीसरी लेटरन परिषद् (११७६) ने युद्ध में पकड़े ईसाईयों को दास बनाने की प्रथा को निषिद्ध ठहराया । लेखनकला का व्यापक प्रसार होने से पहले संधियों की पुष्टि हस्ताक्षरों द्वारा न होकर चर्च की धार्मिक विधियों से हुआ करती थी, इनमें बाइबिल या पवित्र धार्मिक अवशेषों (Relics) पर हाथ रख कर शपथ ग्रहण करना होता था । ऐसी विधियों के बाद सन्धि का पालन दोनों पक्षों के लिये अनिवार्य समझा जाता था । पोप को ईश्वरीय प्रतिनिधि होने के नाते विभिन्न विवादों में मध्यस्थ या पंच बताया जाता था, इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण

पोप एलेक्जेंडर पठ द्वारा १४६३ ई० में कोलम्बस द्वारा खोजी गई नई दुनिया का स्पेन और पुर्तगाल में बँटवारा करना था। जेरसलेम तथा वेलेन्टाइन की पवित्र धर्मभूमि को विधर्मी मुसलमानों के प्रभुत्व से मुक्त करने के लिये लड़े जाने वाले क्रूजडो या धर्म-युद्धों के समय पोप ने तथा नर्च की विभिन्न परिपदों में अनेक आदेशों द्वारा ईसाइयों के लिये मुसलमानों के साथ व्यापार करना, उन्हें युद्ध के लिये उपयोगी सामग्री या हथियार, तथा जहाज बनाने के लिये लकड़ी बेचना निषिद्ध ठहराया, ऐसा व्यापार करने वाला के लिये बहिष्कार के अतिरिक्त भारी जुर्मानों की व्यवस्था की। मुसलमानों के साथ व्यापार रोकने वाले इन कानूनों का उल्लंघन घोषणा विरुद्ध (Contra Bannum) कहा जाता था और यह कुछ विद्वानों द्वारा विनिषिद्ध (Contraband) का मूलरूप समझा जाता है।

चर्च के विद्वानों ने न्याय्य युद्ध (Just war) सम्बन्धी सिद्धान्त की भीमानी करके अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विचार की भांगे बढ़ाया। टर्टिलियन (१६०-२३० ई०) आदि ईसाइयत के आरम्भिक विचारक यह मानते थे कि ईसाइयों को युद्ध में भाग नहीं लेना चाहिये और सेना में सेवा नहीं करनी चाहिये। किन्तु सैण्ट आगस्टाइन (३५४-४३० ई०) ने इसमें परिवर्तन करते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि ईसाइयों को केवल उन्हीं युद्धों में भाग लेना चाहिये जो न्यायोचित (Just) एवं धर्मानुसूल हों। उसकी दृष्टि में केवल वही युद्ध न्याय्य है, जो किसी अन्याय के प्रतिशोध के लिये लड़ा जाय। यदि कोई राष्ट्र अन्यायपूर्ण की गई दूसरे राष्ट्र की वस्तुओं को वापिस करने को तैयार नहीं है अथवा दूसरे राष्ट्र का हानि पहुँचाने वाले अपने नागरिकों के बुरे कार्यों को दण्डित करने के लिये उद्यत नहीं है तो उसके साथ युद्ध करना धर्मानुसूल है। किन्तु शक्ति बढ़ाने या धर्म निर्वाणन के लिये कभी युद्ध नहीं करना चाहिये। आर्कबिशप सेबिल के इसिडोर (५६०-६३६) ने इसरो के सिद्धान्तों का अनुसरण करते हुए न्याय्य युद्धों का विवेचन किया। किन्तु इस विषय में सबसे महत्वपूर्ण विचार थामस एक्विनास (१२२५-१२७४) का था। उसने अपने ग्रन्थ Summa Theologia के दूसरे भाग में इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या लड़ाई करना सदैव पाप है। उसके मतानुसार निम्न अवस्थानों में यह पाप नहीं है — (१) राजा ने लड़ाई करने की आज्ञा दी हो (२) लड़ाई का कोई न्याय्य कारण (Justa causa) हो। (३) लड़ने वाले का सकारण शुभ (Recta intentio) हो अर्थात् वह भलाई की वृद्धि और घुलाई को रोकना चाहता हो। थामस एक्विनास ने युद्ध में भूख डोलने तथा प्रतिज्ञा भंग करने का निषेध किया, लड़ाई में स्त्रियों और बच्चों का बध वर्जित ठहराया गया क्योंकि इनके विरुद्ध लड़ाई करना सर्वथा अन्यायपूर्ण था।

इसके अतिरिक्त चर्च के विचारकों ने प्राकृतिक नियम के रोमन सिद्धान्त पर भी विचार करके उसे तथा रूप प्रदान किया। वे प्रकृति को ईश्वर का एक व्यक्त रूप मानते थे, अतः प्राकृतिक नियम (Natural law) को उन्होंने मानवीय नियम (Human law) से ऊँची स्थिति रखने वाला ईश्वरीय नियम (Divine law) समझा। थामस एक्विनास ने इसकी व्याख्या करते हुए यह कहा कि यह शाश्वत नियम (Eternal law) से भिन्न

है, शास्वत नियम तो इस संसार को शासित करने वाली भगवान की बुद्धि की सनातन बने रहने वाली योजना है, यह मानवीय बुद्धि की समझ से बाहर है। किन्तु प्राकृतिक नियम ईश्वरीय इच्छा से मानवीय बुद्धि द्वारा भगवान की योजना पूरा करने में लिया जाने वाला अधूरा हिस्सा है। प्राकृतिक नियम का सबसे बड़ा सिद्धान्त भलाई को बढ़ाना तथा बुराई को हटाना है।

(२) व्यापारिक तथा समुद्री कानूनों का विकास—मध्य युग में अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सबसे अधिक विकास इसी क्षेत्र में दृष्टिगोचर होता है। व्यापारिक कानूनों के विकास के इस समय दो बड़े प्रेरक हेतु थे पहला दूसरे देशों की वस्तुओं के साथ अपने देश के व्यापारिक पण्य का विनिमय करके अन्य देशों से आवश्यक वस्तुओं का प्राप्त करना। दूसरा हेतु राजाओं की यह इच्छा थी कि वे विदेशों से आने वाले माल पर चुगी लगाकर तथा विदेशी व्यापारियों से लिये जाने वाले अन्व करो द्वारा अपनी राजनीय आय में वृद्धि कर सकें। यह तभी सम्भव था जब विदेशी व्यापारियों को उनके देश में व्यवसाय करना अधिक लाभदायक और आकर्षक प्रतीत हो। इस दृष्टि से सबसे आवश्यक बात यह थी कि विदेशी व्यापारियों को उनके जग और माल की सुरक्षा का आश्वासन दिया जाय। पारस्परिक हित और सहिष्णुता के सिद्धान्त पर आधारित प्राचीन रीति-रिवाजों द्वारा व्यापारियों को यह सुरक्षा प्रदान की जाने लगी। सम्राट शार्लमेगन ने ७६६ ई० में मशिया (सैक्सन इगलैंड) के राजा ओफा को एक पत्र में लिखा था कि 'व्यापार के प्राचीन रिवाज' के अनुसार मशिया के व्यापारियों को सुरक्षण प्रदान किया जायगा। इसके बाद राजाओं ने विभिन्न व्यापारियों को इस प्रकार के विशेषाधिकार और सुविधायें लिखित आज्ञाओं (Franchises) के रूप में देनी शुरू की। अन्त में इस विषय में विदेशी व्यापारियों को लाभ पहुँचाने वाले सामान्य कानूनों का विक्रम होने लगा।

इसका पहला उदाहरण विसिगाथो द्वारा ६५४ ई० में बसाये गये नियमों से मिलता है, इनके अनुसार इनके राज्य में विद्यमान विदेशी व्यापारी आपसी झगड़ों को निपटाने के लिये अपने मजिस्ट्रेट बना सकते थे और वे अपने देश के कानून के अनुसार फैसला करते थे। १२१५ के सुप्रसिद्ध ब्रिटिश बृहत् अधिकार-पत्र (Magna Carta) की धारा ३० के अनुसार इगलैंड में विदेशी व्यापारियों को सुरक्षित रूप से निवास और व्यापार की अनुमति दी गई और पारस्पर्य (Reciprocity) की शर्तों के आधार पर उन्हें मुक्त होने पर भी किसी प्रकार से परेशान न करने की बात कही गई है। इगलैंड विदेशी व्यापारियों को ये सुविधायें निरन्तर प्रदान करता रहा और वहाँ इनसे सम्बन्ध रखने वाली एक विशेष व्यापारिक कानूनी पद्धति (Law merchant) का विकास हुआ। १२२० ई० में सम्राट फ्रेडरिक द्वितीय ने अपनी एक सुप्रसिद्ध आज्ञा (Authentica Omnes peregrini) द्वारा सब विदेशियों को रजिद्वी और वसीयत द्वारा अपनी सम्पत्ति के मधुच्छ विधिप्रयोग की पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान की। इसमें पहले किसी विदेशी के मरने पर उसकी सम्पत्ति पर उस देश के राजा का स्वामित्व माना जाता था।

रेतों के आगमन से पहले समुद्री व्यापार का बड़ा महत्व था। इस समय स्थानीय

रीति-रिवाजों और न्यायालयों के निर्णयों द्वारा इस सम्बन्ध में बनने वाले कानूनों का संग्रह होने लगा। १२वीं शती में बिस्के की खाड़ी के एक छोटे टापू ओलेरोन (Oleron) के व्यापारिक न्यायालय के निर्णयों का संग्रह Rolls of Oleron के नाम से हुआ और यह अटलान्टिक और बाल्टिक समुद्रों के तटवर्ती प्रदेश में मान्य समझा जाने लगा। १५वीं शताब्दी में इंग्लैंड की 'ब्लैकबुक ऑफ़ अडमिराल्टी' (Black Book of Admiralty) में इसके नियमों को सम्मिलित किया गया। सामुद्रिक कानूनों का इससे अधिक महत्वपूर्ण संग्रह १४वीं शताब्दी में वार्सीलोना में संकलित किया गया। इसका नाम Consolato del mare है। कान्सोलेटो में यद्यपि जहाज के निर्माण, बिक्री, इसके कप्तान के अधिकारों, कर्तव्यों आदि वैयक्तिक कानून (Private) से सम्बन्ध रखने वाले विषयों का अधिक वर्णन है, फिर भी इसमें सामुद्रिक युद्ध के एक महत्वपूर्ण विषय, युद्ध में शत्रु द्वारा पकड़े गये जहाजों के कानून (Prize Law) का वर्णन है और यह इसकी प्रसिद्धि का एक बड़ा कारण है। कान्सोलेटो का उद्देश्य तटस्थ देशों की सम्पत्ति की रक्षा था, इसका मूल सिद्धान्त यह था कि युद्ध सतत देशों (Belligerents) में से किसी शत्रुदेश के जहाजों पर तब ही तटस्थ देशों के सामान को तथा शत्रु के सामान को डोने वाले तटस्थ देशों के जहाजों को नहीं पकड़ा जाना चाहिये। इसके साथ ही युद्ध-सलग्न देशों को यह अधिकार दिया गया कि वे जहाज के कामजों की जांच पड़ताल कर सकते हैं। बाद में यही निरीक्षण और तलाशी (Visit and search) के रूप में युद्ध-कारी देशों का एक विशेषाधिकार समझा जाने लगा। तटस्थ देशों की सम्पत्ति की रक्षा के कान्सोलेटो के मौलिक विचार को मध्यकाल से अन्तर्राष्ट्रीय कानून में बढ़ा महत्व दिया जा रहा है।

समुद्री व्यापार की एक बड़ी बाधा समुद्री डकैती (Piracy) थी। तीसरी लेटरन परिपद (११७९) ने ईसाई जहाजों के चूटने चारों ओर लिये बहिष्कार (Excommunication) का दण्ड निश्चित किया। १४वीं शताब्दी के बाद से इटली के तथा योरोप के अनेक राज्यों ने इसके दमन के लिये राजाज्ञाय जारी की। प्राचीनकाल में किसी जहाज के डूबने या नष्ट होने पर स्थानीय जनता द्वारा उस का माल लूट लेने की प्रथा थी। पोलनम के इस कानून (Law of shipwrecks) का उन्मूलन करने के लिये मध्यकालीन सम्राटों और राजाओं ने अनेक आज्ञायें जारी कीं। हेसियाटिक लीग (Hanseatic League) ने अपनी व्यापारिक प्रवृत्तियाँ द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास में सहयोग दिया। जर्मन भाषा में हेस (Hanse) व्यापारियों के समुदाय या श्रेणी (Guild) को कहते हैं। उत्तरी जर्मनी के कुछ स्वतन्त्र नगरों के व्यापारी समुदायों ने अपनी आर्थिक उन्नति और सुरक्षा के लिये एक संधि बनाया था। यही हेसियाटिक लीग कहलाता है। १४-१५वीं शतियों में इसका चरम उत्कर्ष हुआ। इसमें ७० जर्मन शहर तथा जर्मन साम्राज्य से बाहर के रीगा आदि अनेक नगर सम्मिलित थे। इनका नेता ल्यूबेक का शहर था। इस लीग के सदस्यों ने इंग्लैंड, स्वीडन, नार्वे, फ्लैंडर्स (बेल्जियम) के राज्यों के साथ अनेक संधियाँ करके विशेष मुविधायें प्राप्त कीं तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास में भाग लिया।

मध्य युग के नगर-राज्यों ने परतमान अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति (Diplomacy) की अनेक पद्धतियों का शीघ्रगणन किया। दूसरे देशों में स्थायी रूप से राजदूत भेजने की परम्परा का आरम्भ उसी समय से हुआ। इससे पहले विशिष्ट कार्यों के लिये ही दूत भेजे जाते थे। वेनिस के समृद्ध नगर-राज्य ने १३वीं शती ई० में राजदूतों के एक व्यावसायिक वर्ग (Professional class) को जन्म दिया और इसके सम्बन्ध में अनेक नियम बनाये। इनके अनुसार राजदूत विदेश में अपनी पत्नी को साथ नहीं ले जा सकता था क्योंकि उससे राजकीय रहस्यों के उद्घाटित हो जाने की आशंका थी। उसे विदेश में अपना रमोडिया अवश्य ले जाना पड़ता था ताकि कोई उसे विप न दे सके। ये कोटि-लीय अर्थशास्त्र (१११६) के नियमों से मिनते हैं।

रोमन कानून के अध्ययन ने भी इस समय अन्तर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र को विशद बनाया। सम्राट् जस्टीनियन (५२७-५६५) द्वारा दीवानी कानून के सकलन (corpus juris civilis) के बाद से इसे प्रसाधारण गौरव और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। जिस प्रकार पुराने रोमन विधानशास्त्री रोमन साम्राज्य में रहने वाले विभिन्न राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों के विषय में जस जैन्शियम के सिद्धान्तों को लागू करते थे, इसी प्रकार पिछली ज्ञानाब्दिया में यह भर्था स्वाभाविक था कि पवित्र रोमन साम्राज्य* (Holy Roman Empire) में रहने वाले व्यक्तियों और राज्यों के आपसी सघर्षों का निर्णय जस्टीनियन की विधि संहिता (Code) द्वारा किया जाये। १२-१३वीं शताब्दी से इटली के बोलोग्ना तथा अन्य विश्वविद्यालयों में रोमन कानून का व्यवस्थित अध्ययन आरम्भ हुआ। कार्पस ज्यूरिस पर अनेक टीकाय लिखी जाने लगी। इसमें बार्तोलस (Bartolus १३१४-५७) तथा बाल्डस (१३२७-१४१०) के नाम उल्लेखनीय हैं। बार्तोलस ने प्रत्यपहार (Reprisals) के बारे में एक पुस्तक लिखी, युद्ध की लूट के सम्बन्ध में यह सुन्दर नियम निश्चिन किया कि इसे प्राप्त करने वाला नैतिक बँटवारे के लिये अपने राजा को दे। इन टीकाकारों को इस बात का श्रेय है कि इन्होंने वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून (Private International Law) का विकास किया।

मध्य युग में स्थायी शान्ति स्थापित करने की अनेक योजनाय बनी। पियरे डुबो-इस (Pierre Dubois 1250-1312) नामक फ्रेंच विधिवेत्ता ने १३०६ ई० में प्रकाशित अपनी एक पुस्तिका में नया क्रूमेड करने की आवश्यकता दर्त यह बताया कि ईसाई

२१. यह मध्य योरोप में प्रधानरूप से जर्मनभाषाभाषी जलता का साम्राज्य था। इसकी स्थापना का समय ८०० ई० में पोप द्वारा शार्पमेगन के अधिका ८६२ ई० में छोले के राज्याभिषेक की धार्मिक विधि सम्पन्न कराने से माना जाता है। १००६ ई० में नैपोलियन द्वारा परास्त होने पर धार्मिकता के पवित्र रोमन सम्राट् फ्रांसिस द्वितीय ने अपने इन पद का त्याग कर दिया और इस साम्राज्य का अन्त हो गया। मध्यकाल में यह पुराने रोमन साम्राज्य का धेला नवीन रूप समझा जाता था, जिसमें पोप को पूरी धार्मिक प्रभुता प्राप्त थी, अनपन इसके आगे पवित्र शब्द का विशेषण लगाया जाता था। वस्तुतः यह नाम बहुत भ्रामक था, क्योंकि मारस के शब्दों में न तो यह पवित्र था, न ही रोमन था और न ही अन्य साम्राज्यों की भाँति कोई सुलगणित शासन था।

जगत् में सार्वभौम शान्ति स्थापित होनी चाहिये। इसके लिये पोप की अध्यक्षता में सब ईसाई राजाओं तथा चर्च के उच्चाधिकारियों (Prelates) की एक सामान्य परिषद् (General council) बनायी जानी चाहिये, इसके सदस्य युद्ध को अवैध समझ, आपसी झगडों का निराय दोनो पक्षा द्वारा चुने गये तीन ईसाई राजाओं की तथा चर्च के तीन उच्चाधिकारियों की पचायत द्वारा हो, इसके निराय के विरुद्ध पोप के पास अपील की जाय। इस प्रकार स्थापित होने वाली शान्ति का उल्लंघन करने वाले राजा का दमन परिषद् के अन्य राजाओं की मयुक्त मनाय कर। ऐसे राजा की मारी सम्पत्ति छीन कर उसे पेलेस्टाइन में निर्वासित कर दिया जाय ताकि वह वहा अपनी सैनिक शक्ति का प्रयोग काफ़िरो के उन्मूलन में करे। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के इतिहास की दृष्टि से डबोइस का यह महत्त्व है कि उसने सर्वप्रथम सम्य जगत् के राजनैतिक संगठन पर आचारित अनिवार्य पचायती निराय (Compulsory arbitration) का विचार दिया। आजकल इस योजना के कारण उसे बहुत महत्त्व दिया जाता है, किन्तु मध्य युग में उसकी इस योजना ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सैद्धान्तिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं डाला।

आधुनिक युग— १४६२ ई० में कोलम्बरा द्वारा अमरीका की खोज के साथ आधुनिक युग का श्रीगणेश समझा जाता है। इसके बाद धार्मिक सुधार (Reformation) आन्दोलन से वर्तमान युग की प्रवृत्तियाँ को बड़ा बल मिला। इस समय अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विकास करने में सहायक अनेक तत्व उत्पन्न हो गये, इनसे इसे प्रबल प्रोत्साहन मिला।

इनमें अधिक महत्वपूर्ण कारण पोप की सार्वभौम धार्मिक प्रभुता की समाप्ति, अमरीका की खोज, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस आदि नवीन राष्ट्रीय राज्यों (National States) का अस्तित्व था। धार्मिक सुधार आन्दोलन से पहले योरोप के समूचे ईसाई जगत् में पोप का एकद्वय धार्मिक साम्राज्य था, उसकी स्थिति विभिन्न पाथिव राजाओं से ऊपर की थी और वह इनके सम्बन्धों का नियन्त्रण कर सकता था। मार्टिन लूथर द्वारा प्रवर्तित आन्दोलन से उसकी सर्वोच्च सत्ता को तथा योरोप की धार्मिक एकता को गहरा धक्का पहुँचा, प्रोटेस्टेण्ट तथा कैथोलिक मत वाले राज्यों के मध्य उग्र सघष आरम्भ हुआ, इसने योरोप के रक्तस्त्रित तीसवर्षीय युद्ध^१ को जन्म दिया तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अभाव तथा इसकी आवश्यकता को तीव्रता से अनुभव कराया, इसके विकास में बड़ा सहयोग दिया। दूसरा कारण अमरीका की खोज था, इससे नये प्रदेशों के स्वामित्व के सम्बन्ध में जटिल अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न उत्पन्न हुए, १४६३ ई० में यद्यपि पोप ने अपने

२२. यह १४६२-४८ तक जर्मनी के कैथोलिक और प्रोटेस्टेण्ट राज्यों में चलता रहा। इसका आरम्भ बोहेमिया के रैग्विन मत्तानुयायी जर्मनों के विद्रोह से हुआ। इसमें पहले ये लोग पवित्र रोमन सम्राट द्वारा दया देने गये, इस पर इनकी सहायता के लिए लूथर ने अनुयायी उत्तरी जर्मनी के राज्य इसमें जुड़े। बाद में डेन्मार्क, स्वीडन, फ्रांस तथा डचैण्ड ने भी इसमें भाग लिया। इसकी समाप्ति १६४८ की वैस्ट फालिया की संधि से हुई। यह इतिहास का बड़ा परिवर्तनपूर्ण युद्ध समझा जाता है।

आदेश द्वारा केग बर्से टापू के पश्चिम में १०० लीग की दूरी पर से गुजरने वाली रेखा के पश्चिम के सब प्रदेश स्पेन को तथा पूर्व के सब प्रदेश पुर्तगाल को वाट दिये तो भी दोनो देश इससे सन्तुष्ट नहीं थे और अन्य देश पोप के इस निर्णय को मानने के लिये उद्यत नहीं थे। इसमें अनेक अन्तर्राष्ट्रीय विवाद उत्पन्न हुए। तीसरा महत्वपूर्ण तत्त्व राष्ट्रीय राज्यों (National States) का उत्थान था। १५वीं शताब्दी के अन्त में स्पेन और पुर्तगाल ने अपने देश को विषमो मूरों (उत्तर-पश्चिमी अफ्रीका के मुस्लिम शरर्यों) की दासता के पजे से मुक्त किया, इस समय इनमें धार्मिक उत्साह के अतिरिक्त राष्ट्रीयता की भावना का प्रबल प्रसार हुआ। १४९२ में फर्डिनेण्ड और इसाबेला ने ग्रेनाडा से मुस्लिम शासन का अन्त किया, स्पेन का एकीकरण किया। अमरीका की खोज से इसके साम्राज्य का विस्तार हुआ, योरोप में फिलिप द्वितीय (१५५६-१५९८) के शासनकाल में स्पेन के शासन का अधिकतम विस्तार हुआ, सार्डीनिया, नेपल्स, सिसली और १५८० के बाद पुर्तगाल इनके अधीन हुए। राजनीतिक दृष्टि से यह काल स्पेन का स्वर्णयुग था। स्पेन के साथ ही पुर्तगाल का भी उत्कर्ष हुआ। १७वीं शताब्दी में हालैंड ने स्पेन के साथ उद्य राष्ट्रीय सघर्ष करके १५७९ में यूट्रेक्ट की संधि द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त की। १६४८ में वैस्ट फालिया की संधि में पवित्र रोमन साम्राज्य के विभिन्न प्रदेशों की पृथक् सत्ता मान ली गई। फ्रांस और इंग्लैंड में भी राष्ट्रीयता की भावना प्रबल और पुष्ट हो रही थी। इन राष्ट्रों के अस्त्युत्थान के साथ अन्तर्राष्ट्रीय कानून की अनेक समस्याएँ उठ खड़ी हुईं और अनेक विद्वानों ने इन पर विचार करना आरम्भ किया। इनमें प्रमुख विचारकों का यहाँ उल्लेख होगा।

फ्रांसिस्को विटोरिया (Francisco Vitoria 1480-1546)—यह स्पेन के डोमिनिकन सम्प्रदाय का परित्राजक तथा सालामाका विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र का प्राध्यापक था। इसने अमरीका की खोज होने पर वहाँ के आदिवासियों के साथ स्पेनिश लोगों के सम्बन्धों पर तथा इनके साथ युद्धों पर अपने विचार प्रकट किये हैं। नई दुनिया की खोज होते ही यहाँ डोमिनिकन सम्प्रदाय के ईसाई साधु धर्मप्रचार के लिये गए, इन्होंने यह देखा कि स्पेनिश विजेता अमरीकी रेड इंडियनों पर घोर अत्याचार और अमानुषिक क्रूरताय कर रहे हैं। विटोरिया ने इस प्रश्न पर विचार करते हुए रेड इंडियनों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता के सिद्धान्तों को तापू किया। इससे पहले स्पेन में यह समझा जाता था कि जो देश या राजा ईसाई नहीं है, उसके नास्तिक (Heathen) होने के कारण ईसाई राजाओं को उन पर चढ़ाई करने तथा उन्हें नष्ट करने का पूरा अधिकार है। विटोरिया पहला व्यक्ति था जिसने इन बात पर बल दिया कि गैर-ईसाई नास्तिक जातियों के राजा और राज्य उसी प्रकार वैध होते हैं जैसे ईसाइयों के राजा। उनके विरुद्ध युद्ध तभी छेड़ा जा सकता है, जबकि इसके लिए कोई न्यायपूर्ण (Just) कारण हो। उसने यह भी मत प्रकट किया कि यदि रेड इंडियन स्पेनिश लोगों को भगाने या मारने का प्रयत्न करें तो भी उन्हें केवल आत्मरक्षा करनी चाहिए, अत्रमरणार्थक युद्ध नहीं करना चाहिये, क्योंकि वे शक्तिशाली हथियार रखने वाले नये अपरिचित व्यक्तियों के दशनमात्र से भयभीत हो जाते हैं। गैर ईसाई राजाओं का

दर्जा ईसाई राजाओं के समान मानने के अतिरिक्त विटोरिया ने स्पेनिश लोगों के अन्त-रोका में व्यापार करने की स्वतन्त्रता का समर्थन किया। उसने यह सिद्धान्त भी सुस्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया कि विश्व के राष्ट्रों का एक समुदाय (community) है।

फ्रांसिस्को सुआरेज (१५४८-१६१७) — स्पेन के एक उच्चकुल में उत्पन्न यह जेसुइट परिव्राजक विटोरिया की भांति धर्मशास्त्र का प्राध्यापक था। मध्यकालीन धर्म और परम्परा का अगाध पंडित होने के कारण इसे उस समय का सबसे बड़ा तात्त्विक (Scholastic), स्पेनिश रास्क्रुति का सर्वोत्तम प्रतिनिधि और जेसुइट गम्प्रदाय का सबसे अधिक यशस्वी व्यक्ति कहा जाता था। इसने अपने दो ग्रंथों *On Laws of God as Legislator* (1612) तथा मृत्यु के बाद छपे *On the Threefold Theological Virtue* में अन्तर्राष्ट्रीय विषयों का वर्णन किया है। इसने 'जस जेन्शियम' तथा प्राकृतिक नियम की विशद मीमांसा की तथा जस जेन्शियम के कई अर्थों में से एक अर्थ को स्पष्ट रूप से अन्तर्राष्ट्रीय कानून के माथ सम्बद्ध किया। ग्रोशियस आदि परवर्ती लेखक उसके विचारों में बहुत प्रभावित हुए। उसने युद्धों की न्याय्यता पर विस्तृत विचार किया, उसके मतानुसार अन्यायपूर्ण युद्ध छेड़ने वाले राजा के सैनिक पकड़े जाने पर मारे जा सकते हैं, किन्तु इस विषय में अनेक शर्तें लगाकर वह इन्हें बचाने की व्यवस्था भी करता है। उसका मत है कि इस प्रकार के वेतनभोगी सैनिकों को उस दया में नहीं मारा जाना चाहिए, जबकि उन्हें विरोधी पक्ष के युद्ध को न्याय्य बनाने के कारणों का ज्ञान न हो। प्रायः ऐसा ज्ञान नहीं होता, अतः अधिकांश सैनिक अवध्य हैं। सुआरेज का न्याय्य युद्ध से सम्बन्ध रखने वाला न्यायिक सिद्धान्त (Judicial theory) सबसे अधिक आपत्तिजनक है। इसके अनुसार न्याय्य युद्ध छेड़ने वाले राजा को उसने प्रति-शोधपूर्ण न्याय (Vindictive Justice) प्राप्त करने के सब अधिकार दे दिये हैं। उसके युद्ध को अदालत की डिगरी जैसा ठहराया गया है, इस प्रकार उसे वादी और न्यायाधीश दोनों बना दिया है। उसने पञ्चनिर्णय (Arbitration) उन्नीसवीं शताब्दी में स्वीकार करने को कहा है, जबकि अन्याय की कोई आशंका न हो, क्योंकि उसके मतानुसार प्रत्येक राजा विदेशी न्यायाधीशों के सद्भाव में सन्देश रसता है। अतः उसने राजा को वृद्धिमान् और गुणवत्त व्यक्तियों से युद्ध के औचित्य के सम्बन्ध में परामर्श लेने को कहा है। परवर्ती लेखकों ने उसके इन मन्तव्यों का तण्डन किया। उसकी बड़ी विशेषता यह है कि उसने इस बात पर बहुत बल दिया कि अपने राष्ट्रीय जीवन में स्वतन्त्र होते हुए भी विश्व के विभिन्न राज्य मानव जाति का अंग हैं, अतएव वे पारस्परिक व्यवहार के लिए आचरण के एक कानून (Law of conduct) के बन्धवर्ती हैं, यह कानून मुख्य रूप से प्राकृतिक तर्कों पर तथा कुछ अंशों पर मानवीय रीति-रिवाजों पर आधारित है।

पेरिनो बेल्लो (Pierino Belli १५०२-१५७५) — वेन्नी इटली में उत्पन्न हुआ था, किन्तु उसने स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय की सेना में दीर्घकाल तक सेवा की। उसकी पुस्तक *On Military Matters and War* में प्रधान रूप से सैनिक विषयों की चर्चा है, फिर भी इसमें अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनेक विषयों की चर्चा है। इसमें युद्ध की घोषणा करने तथा उसके कारणों के सम्बन्ध में विचार है। वह अपनी पुस्तक में प्रायः

रोमन कानून के मूलस्रोतों तथा इसके टीकाकारों के उद्धरण देना है। फिलिप के सैन्याधिकारी के रूप में प्रकट किये गए अपने विचारों और सम्मतियों को उद्धृत करता है। इसमें उसके ग्रन्थ को बड़ा ठोस, त्रिधात्मक और व्यावहारिक आधार मिल गया है, वह तार्किकों (Scholastics) के ग्रन्थों जैसा दार्शनिक और विचारारत्मक नहीं रहा। कई प्रसंगों में वह अपने पूर्ववर्तियों लेखकों में आगे बढ़ा हुआ है, उमने युद्धबन्धियों के साथ अविश्वसनीय ऋण व्यवहार का विरोध किया है, शत्रु द्वारा अधिभूत प्रदेश के निवासियों के साथ अश्रद्धा थावि करने पर पल दिया है। उसका यह भी मत है कि यदि कोई शासक अपने विवाद का पचायत द्वारा निर्णय कराने को तैयार हो तो उसके विरुद्ध युद्ध की कार्यवाही बन्द कर देनी चाहिये।

बल्थसर अयाला (Balthasar Ayala)— स्पेन के एक सम्मानित कुल में एण्टो-वर्प में जन्म ग्रहण करने वाला अयाला हालैंड के विरुद्ध भेजी स्पेनिश सेना में एडवोकेट जनरल था। उसकी १५८२ में प्रकाशित पुस्तक On the Law and Duties and Military Discipline ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून को धार्मिक क्षेत्र में सामरिक क्षेत्र में लाने का सपना प्रयास किया। उसका मुख्य उद्देश्य यद्यपि हालैंड में स्पेन की सेना द्वारा किये गये अत्याचारपूर्ण कार्यों को न्याय्य सिद्ध करना था किन्तु फिर भी उमने कुछ नये सिद्धान्त प्रतिपादित किये। युद्ध के नियमों में उसने इस पर बल दिया कि शत्रु के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिये, किन्तु विद्रोहियों के साथ तथा अन्यायपूर्ण युद्ध करने वालों के साथ इस नियम का पालन आवश्यक नहीं था।

एल्बेरिको जैण्टिली (१५५२-१६०८)—उत्तरी इटली के राजनिसियों नगर में जन्म लेने वाले तथा २० वर्ष की अवस्था में डाक्टरेट प्राप्त करने वाले जैण्टिली को प्रोटेस्टेंट होने के कारण इन्निजिसान (धार्मिक न्यायालय) के दण्ड से बचाने के लिये १५७६ में मातृभूमि से भाग कर इंगलैंड में शरण लेनी पड़ी। यहाँ वे आक्रमणों विश्व-विद्यालय में रोमन कानून के व्याख्याता नियत हुए। इनके अध्यापन और विद्वत्ता की कीर्ति इतनी बड़ी कि १५८४ में ब्रिटिश सरकार ने स्पेन के राजदूत मेदोजा के मामले में उनसे परामर्श लिया। इस राजदूत ने कैथोलिक रानी स्टाटलैंड की मेरी को बन्धन-मुक्त कराने के लिये रानी एलिजाबेथ को सिद्दासनन्वित करने तथा गारने के उद्देश्य से रचे गये एक पड़्यन्त्र में भाग लिया था। ब्रिटिश सरकार ने रोमन कानून के ग्रन्थ विद्वानों के साथ जैण्टिली से इन विषयों में परामर्श लिया कि क्या मेदोजा को ब्रिटिश न्यायालय द्वारा दण्डित किया जा सकता है? जैण्टिली की यह सम्मति थी कि राजदूत होने के कारण यह अवध्य है, किसी इंग्लिश न्यायालय में उस पर मामला नहीं चलाया जा सकता। सरकार ने इस परामर्श का आदर करते हुए उस पर मुकदमा न चला कर उसे अपने देश से बाहर निकाल दिया। इस मामले से जैण्टिली का ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय कानून की ओर आकृष्ट हुआ। १५८५ में उसने On Embassies नामक एक निबन्ध प्रकाशित किया। १५८८ में इंगलैंड पर स्पेन के विशाल बड़े (Armada) का आक्रमण होने पर जैण्टिली ने अपने वार्षिक व्याख्यान के लिये युद्ध के नियम का विषय चुना। इसी का विस्तृत रूप १५९८ में उनके सुप्रसिद्ध ग्रन्थ On the Law of War के रूप में

प्रकाशित हुआ। मृत्यु के बाद उनका एक अन्य ग्रन्थ *Pleas of a Spanish Advocate* भी छपा।

जैण्टिली की प्रधान विशेषता यह है कि उसके ग्रन्थों में पहली बार अन्तर्राष्ट्रीय कानून के तत्कालीन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का विवेचन हुआ। उन दिनों उपर्युक्त पड़्यन्त्र के कारण राजदूतों के अधिकारों का प्रश्न सार्वजनिक विवाद का विषय बना हुआ था। अनेक विचारक दूतों को गुप्तचर समझते थे, उसने इस भ्रान्त धारणा का सफ़टन करते हुए उनकी अव्ययता और देशीय कानून (Municipal law) के क्षेत्राधिकार में उनकी उन्मुक्ति स्वीकार की। किन्तु ऐसा करते हुए भी उसने इस उन्मुक्ति को बड़ी सखीर्ण सीमा में बाध दिया। उसका यह मत था कि नियामक रूप में परिणत न होने वाले पड़्यन्त्र के सम्बन्ध में राजदूत पर उस देश में कोई सुवदमा नहीं चलाया जा सकता, जहाँ वह राजदूत बनकर जाता है। दोनानी मामलों में उसका यह मत था कि उसे राजदूत मानने वाले देश के अधिकारी उनके घर में प्रविष्ट नहीं हो सकते, उसकी वता सम्पत्ति को छान नहीं कर सकते। उसका राजदूत विषयक यह अध्ययन इस विषय का पहला व्यवस्थित विवेचन था। उसके युद्ध के नियम वाले ग्रन्थ के तीन भागों में युद्ध के कारणों, युद्ध के स्वरूप और शान्ति सन्धियों का वर्णन है। इसका तीसरा भाग विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले विचारकों ने अब तक इसकी उपेक्षा की थी। उस समय सन्धिया बंबल उनपर हस्ताक्षर करने वाले राजाओं के जीवनकाल तक ही पालन योग्य मानी जाती थी। किन्तु उसने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि उनके उत्तराधिकारियों को भी इनका पालन करना चाहिए। उसने यह भी कहा कि कोई हारा हुआ राजा इस आधार पर किसी शान्ति सन्धि को रद्द नहीं कर सकता कि उसे भय या दबाव (Duress) के कारण सन्धि स्वीकार करनी पड़ी थी। जैण्टिली ने सन्धियों का सामान्य वैयक्तिक सन्धिद्वारा (Contracts) में निम्न स्थिति प्रदान की और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सभी परवर्ती शर्तोंका ने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया। सन्धियों के बारे में उसका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धान्त यह था कि प्रत्येक सन्धि में सर्वैय यह शर्त अन्तर्हित होती है कि उसका पालन उसी समय तब आवश्यक है, जब तक उस सन्धि की परिस्थितिया अपरिवर्तित रहती है। यही नियम *Clausula rebus sic stantibus* कहलाता है। यह मूलतः चर्च के कानून का एक नियम था, एक मध्यकालीन दोनानी विधिशास्त्री एल्लियाटम (१४६०-१५५०) ने इसे रोमन वैयक्तिक कानून की कठोरता बम करने के लिये चर्च से ग्रहण किया था। जैण्टिली की यह विशेषता है कि उसने इसे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में लागू किया।

जैण्टिली की एक अन्य विशेषता अन्तर्राष्ट्रीय कानून को चर्च के प्रधान से मुक्त करना है। युद्ध के न्यायपूर्ण कारणों की गणना करते हुए पुराने लेनक इनमें ईसाइयत के प्रचार में बाधा डालने को तथा ईसाइयत स्वीकार करने के विरोध को गन्मिलित करते थे। जैण्टिली ने इनका कोई उल्लेख नहीं किया। लडाई में मुसलमानों ने विरुद्ध अधिक भूरता को उसने न्यायोचित नहीं बताया। उसने अपनी रचनाओं में चर्च और पान को विशेष महत्त्व नहीं दिया। उसके ग्रन्थों में दिये गये अधिकार प्रमाण व उद्धरण कानूनी,

ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रन्थों से लिये गये हैं। उसने अन्तर्राष्ट्रीय कानून को धर्म-निरपेक्ष बनाने का प्रयत्न किया। नसबौम के शब्दों में वह अन्तर्राष्ट्रीय कानून की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का प्रथम प्रवर्तक है।^{३३} उसके मरखोत्तर ग्रन्थ *Pleas of a Spanish Advocate* में विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर उसकी सम्मतिया हैं। इनमें सामुद्रिक कानून का विशेष रूप में वर्णन है। उस समय अमरीका की खोज तथा नौपालन कला में उन्नति होने से इस विषय को विशेष महत्त्व मिला रहा था। उसने समुद्रों की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त का प्रतिपादन अनेक प्रतिबन्धों के साथ किया है। उसके मतानुसार प्रादेशिक समुद्र की सीमा १०० मील तक है जब कि परवर्ती लेखकों ने इसे उस समय की तौण के गोलों की मार के क्षेत्र—तीन मील तक ही माना है। उसने समुद्रों डाकुओं की बड़े शब्दों में निन्दा की है। उसके मत में जो उनसे माल खरीदते हैं, उनका उस पर कोई स्वत्व नहीं होता। एक मामले में कुछ अंग्रेजों ने ट्यूनिश में समुद्री डाकुओं से माल खरीदा था, उसने वह माल उन स्पेनिश लोगों को वापिस करने को कहा, जिनसे डाकुओं ने यह माल चुराया।

जैण्टिली के ग्रन्थों का एक बड़ा दोग उसकी प्रतिशय वादविवादप्रियता है। धर्मनिरपेक्षता का पुजारी होने पर भी उसके ग्रन्थों में अन्तर्राष्ट्रीय कानून को सशक्त बनाने वाली नैतिकता पर आवश्यक बल नहीं दिया गया। उसके विचारों का कोई सुनिश्चित सिद्धान्तिक आधार नहीं है, उसके 'जस जैण्टियम' आदि के विचार सुस्पष्ट नहीं हैं। अब बहुत समय तक उसके ग्रन्थों को विशेष मान्यता तथा लोकप्रियता नहीं मिली। १८७४ में आक्सफोर्ड के दीवानी कानून के प्राध्यापक श्री टी० ई० हाल्लैंड ने अपने एक व्याख्यान में जब जैण्टिली के कार्य का प्रतिपादन किया तो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में उसका योगदान महत्त्व समझा जाने लगा।

~~गो गो~~ गो गोशियस (१५८३-१६४५)—वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय कानून के जन्म-दाता माने जाने वाले गोशियस का मूल नाम हुगो वान ग्रूट (Hugo Van Groot) था। १५८३ में हाल्लैंड के एक सुप्रसिद्ध और सुसंस्कृत कुल में जन्म लेने वाले इस असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में यह कहा जाता है कि वह दीशबहीन था। सात वर्ष की आयु में उसने लैटिन में कवितायें बना कर चाचा की मृत्यु में मत्तप्य अपने पिता को मान्यता प्रदान की। ११ वर्ष की आयु में वह लीडन विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुआ, तीन वर्ष बाद उसने अपनी शिक्षा पूरी करके गणित, दर्शन और कानून पर शोध निबन्ध (Theses) लिखे, ग्रीक तथा लैटिन में अनेक कवितायें रची और ग्रन्थ लिखे। १५ वर्ष की आयु में उसे "हाल्लैंड के नमस्कार" के रूप में एक डच दूत मण्डल ने फ्रांस के राजा हेनरी-चतुर्थ के समक्ष उपस्थित किया, आर्लियन्स (Orleans) के विश्व विद्यालय में उसे कानून के डाक्टर की उपाधि दी। १६ वर्ष की अवस्था में उसे वकालत करने की आज्ञा मिली। १६०३ ई० में अन्य सुप्रसिद्ध विद्वानों के होते हुए भी, वह हाल्लैंड का इतिहास लेखक नियत किया गया। १६१३ में उसे हाल्लैंड के दूसरे बड़े शहर राटरडम

का एक उच्चाधिकारी बनाया गया। उन दिनों यहाँ कुछ धार्मिक विवाद चल रहे थे, प्रोशियस ने इनमें महत्त्वपूर्ण भाग लिया। शीघ्र ही इन विवादों ने राजनीतिक रूप धारण किया। परिणामस्वरूप प्रोशियस को बन्दी बना लिया गया। मई १६१६ में एक विशेष न्यायालय ने राजनीतिक कारणों के आधार पर प्रोशियस को आजीवन कारावास का दण्ड दिया। कारागार में प्रोशियस को ग्रन्थ मगाने, पढ़ने और लिखने की सुविधा दी गई और जेल में उसने 'डच विधिशास्त्र की प्रवेशिका' तथा 'ईसाई धर्म की सत्यता' पर अत्युत्कृष्ट ग्रन्थ लिखी। मार्च १६२१ में अपनी बुद्धिमती पत्नी की सहायता से प्रोशियस पुस्तकों के एक बड़े बक्से में बन्द होकर जेल से भाग निकले और फ्रांस पहुँचे।

यहाँ कई वर्षों तक अध्ययन के बाद उन्होंने १६२५ में अपना सुप्रसिद्ध ग्रन्थ युद्ध और शांति का कानून (De Jure belli ac pacis) प्रकाशित किया। इससे उन्हें बड़ी स्यासति मिली, किन्तु हार्लैण्ड की सरकार द्वारा स्वदेश प्रत्यावर्तन की अनुमति न मिलने से बड़ी निराशा हुई। स्वीडन के राजा गुस्टावस एडोल्फस को प्रोशियस की यह पुस्तक बहुत पसन्द थी। उसके प्रधानमन्त्री ने राजा की इच्छा का आदर करते हुए १६३४ में प्रोशियस को फ्रांस में स्वीडन का राजदूत नियत किया। अगले दस वर्षों तक प्रोशियस इस पद पर बने रहे, किन्तु उनका सारा समय अध्ययन और लेखन में व्यतीत होता था। गम्भीर विद्वान् होने पर भी वे राजदूत के रूप में सफल नहीं हुए क्योंकि उनमें दूतोंचित्त गुराणों का अभाव था। वे अपने अध्ययन तथा धार्मिक विवादों में इतने तल्लीन रहते थे कि उनका दौलत कार्य प्रायः उपेक्षित होता रहता था। कहा जाता है कि एक बार जब फ्रांस के राजा के यहाँ राजदूतों का कोई स्वागत समारोह था, उस समय वहाँ प्रोशियस एक खिडकी की आड़ में खड़े होकर वाइवत के न्यू टेम्पलमेंट का एक नया रोश्नक संस्करण पढ़ रहे थे। फ्रेंच राजा के अनुकूल हाते हुए भी फ्रेंच सरकार से प्रोशियस के सम्बन्ध ठीक नहीं रह सके और १६४४ में स्वीडन ने उन्हें वापिस बुला लिया। स्काटहोल्म पहुँचने पर उनका भय स्वागत हुआ, किन्तु कोई नया पद नहीं दिया गया। इस पर वे स्वीडन में जहाज द्वारा जर्मनी के लिए रवाना हुए किन्तु मार्ग में ही पोट गग हो जाने पर वे ल्यूबेक जाने के लिए एक गाड़ी में सवार हुए। वहाँ पहुँचने से पहले मार्ग में ही २६ अगस्त १६४५ को अपूर्व प्रतिभा सम्पन्न यह महानुभाव दिवंगत हो गये।

प्रोशियस के ग्रन्थ—अन्तर्राष्ट्रीय कानून की ओर प्रोशियस का ध्यान सर्वप्रथम १६०१ में एक कानूनी मामले द्वारा आकृष्ट हुआ। इस समय हार्लैण्ड और स्पेन का युद्ध चल रहा था, इसमें डच ईस्ट इण्डिया कम्पनी के वेडे ने मलाक्का के समीप पुर्तगाल का एक जहाज पकड़ लिया। पुर्तगाल उस समय स्पेन के अधीन था और इस जहाज पर बहुमूल्य माल लदा हुआ था। इस जहाज को हार्लैण्ड ले जाकर इसका माल बेच दिया गया। किन्तु कम्पनी के हिस्सेदारों ने इस कार्य पर इस कारण आपत्ति की कि ईसाइयों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। कम्पनी ने इस विषय में प्रोशियस से सम्मति मांगी। उसने इसके सभी पहलुओं का गम्भीर अध्ययन और मौलिक चिन्तन करके लूट

क माल का कानून (On the Law of Spoils) नामक पुस्तक तैयार की। इसका एक अध्याय स्वतन्त्र समुद्र (Mare liberum) के नाम से १६०६ में प्रकाशित किया। इसके बाद इस विषय का अध्ययन और मनन जारी रहा और १६२५ में युद्ध और शान्ति पर उसका उपर्युक्त महान् ग्रन्थ प्रकाशित हुआ। इसका नामकरण सिसरो के एक लैटिन वाक्यांश De Jure belli ac pacis पर किया गया था। इसमें धर्मशास्त्र, दर्शनशास्त्र और विधिशास्त्र की विवेकी का अपूर्व संगम था। रोशियस से पहले अनेक विद्वानों ने इनमस्यथा पर विचार किया था। किन्तु कोई भी अध्ययन इतना व्यापक, गम्भीर, कमबद्ध, व्यवस्थित, प्रौढ और प्रगतिशील नहीं था।

रोशियस के सिद्धांत—जब रोशियस ने अपना ग्रन्थ लिखा, उस समय योरोप में तीसवर्षीय युद्ध (१६१८-१६४८) चल रहा था (देखिए ऊपर पृ० ३५)। इस समय ईसाई जगत में युद्ध करने में जितनी स्वच्छन्दता और उच्छृंखलता प्रदर्शित हो रही थी, वह जगली जातियाँ भी माल देने वाली थी। अत्यन्त तुच्छ कारणों से अथवा अकारण ही युद्ध छेड़ दिये जाने में और एक बार युद्ध छिड़ जाने पर सभी ईश्वरीय और मानवीय नियम भुला दिये जाते थे, बिना किसी प्रतिबन्ध के सब प्रकार के अत्याचार और क्रूरतापूर्ण कार्य करने की दोनों पक्षों को सुली छुट मिल जाती थी। रोशियस ने इस अराजक और भयावह स्थिति का नियन्त्रण करने के लिए विभिन्न राज्यों के पारस्परिक सन्धियों के विषय में कुछ अन्तर्राष्ट्रीय नियम निश्चित किए। उसका यह मत था कि मानवीय मर्यादा द्वारा कोई निश्चित कानून (Positive law) न बनाये जाने पर भी सामाजिक दशा में रहने वाले मनुष्यों के लिये इन नियमों का पालन करना आवश्यक है। इस अवस्था को उसने प्राकृतिक दशा (State of nature) का नाम दिया और विभिन्न समुदायों के पारस्परिक व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियमों को प्राकृतिक कानून (Natural law) कहा। इसका लक्ष्य करते हुए उसने कहा, "प्राकृतिक कारणों से बुद्धि द्वारा किया गया आदेश (Dictate of right reason) है, यह इस बात को सूचित करता है कि कोई विशेष कार्य मनुष्य की बौद्धिक प्रकृति (Rational nature) के अनुकूल या प्रतिकूल होने के कारण नैतिक दृष्टि में या तो अमूल्य है या आवश्यक है, अनर्थक यह कार्य प्रकृति के सृष्टा भगवान् द्वारा या तो निषिद्ध ठहराया गया है या विहित बनाया गया है।" सभी राष्ट्र समान प्रकृति रखने वाले नागरिकों से मिलकर बने होते हैं, अतः वे सब प्राकृतिक नियमों के आदेशों का पालन करते हैं।

इन आदेशों की जानने के दो प्रकार के साधन हैं। पहला साधन बुद्धि द्वारा ज्ञान किये जाने वाले नियम्य (a priori) तर्कों का है, इसमें किसी विशेष कार्य के सम्बन्ध में यह विचार किया जाता है कि क्या यह मानवीय समाज की सत्ता के लिए अनिवार्य समझे जाने वाले मूलभूत नैतिक सिद्धान्तों के अनुकूल है या प्रतिकूल। दूसरा साधन अनुभवगम्य (a posteriori) तर्कों का है, इसके अनुसार यह माना जाता है कि विभिन्न कालों और देशों में सभी अथवा अधिकांश सभ्य जातियों द्वारा सत्य स्वीकार किए जाने वाले आचरण के नियमों का प्रादुर्भाव प्राकृतिक कानून से हुआ होगा। रोशियस ने प्राकृतिक कानून के अनिश्चित राष्ट्रों के ऐच्छिक कानून (voluntary

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का ऐतिहासिक विकास

law of nations) को भी स्वीकार किया। इसका आधार विभिन्न राष्ट्रों द्वारा पारस्परिक संधियों और समझौतों के पालन के लिए स्पष्ट रूप से दी गई महमति अथवा रीति-रिवाजों (Usages) और देगाचारों (Customs) के रूप में अस्पष्ट रूप में दी गई स्वतन्त्र सहमति होती है। उम कानून को उसने 'जस जैन्वियम' का नाम दिया। यह जहाँ तक मद्बुद्धि के आदेशों के अनुकूल होता है, वहाँ तक प्राकृतिक कानून का ही अंग है। यदि इन दोनों में विरोध होता तो प्राकृतिक कानून को ही मौलिक और प्रबल समझना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रों के रीति-रिवाज प्राकृतिक कानून की प्रामाणिकता को खण्डित नहीं कर सकते।

Contributions द्वारा

प्राकृतिक कानून का आधार एक मौलिक कसौटी बनाकर प्रोशियस ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्राचीन समय से चले आने वाले सभी विवादास्पद प्रश्नों को इस पर कसा। क्या युद्ध न्यायपूर्ण हो सकता है? न्याय्य युद्ध के क्या आधार हैं? युद्ध में दोनों पक्षों को कैसा आचरण रखना चाहिए? संधियों के क्या नियम होने चाहिए? इन सब प्रश्नों के सूक्ष्म कानूनी विवेचन को उसने उस समय तक के सभी पश्चिमी विद्वानों, दार्शनिकों, कवियों, ऐतिहासिकों और राजनीतिज्ञों के ग्रंथों के उदाहरणों तथा प्रवृत्तियों से पुष्ट, सजीव एवं प्रामाणिक बनाया। यही उसकी विशेषता है। यदि वह १९वीं शताब्दी के लेखकों की भाँति अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों का सकलन मात्र करता तो उसने ग्रन्थ का कोई विशेष महत्त्व न होता। उन समय की अराजकता से व्यथित होकर प्रोशियस ने राष्ट्रों के रीति-रिवाजों में प्रकट होने वाले स्वच्छन्द आचरण की अपेक्षा प्राकृतिक कानून को अधिक ऊँचा माना और उसने अपनी विलक्षण प्रतिभा और प्रगाथ विद्वत्ता से युद्ध के न्याय्य, अन्याय्य कार्यों का प्रामाणिक वर्णन किया। उस समय युद्धकाल में की जाने वाली अमानुषिक बर्बरताओं से ऊबे हुए राजनीतिज्ञों को इसकी बड़ी आवश्यकता थी। प्रोशियस का ग्रन्थ इस सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के अर्थ में बड़ा लोकप्रिय हुआ।

3) युद्ध के सम्बन्ध में विचार करते हुए उसने उसकी बर्बरता और नूरता को निर्दिष्ट करने का प्रयत्न किया। युद्ध की बंधता के सम्बन्ध में सहाय होने पर उसने उसे टालने पर तथा सधि-चर्चा द्वारा विवादास्पद समस्याओं के समाधान पर बल दिया। मानवीयता, दूरदर्शिता और धर्म के नाम पर बड़े प्रभावशाली शब्दों में उसने युद्ध में निर्दयतापूर्ण कार्यों का निषेध किया, उसकी दृष्टि में पराजित और बन्दी बनाये शत्रु का बंध केवल उसी दशा में उचित है, जब विजेता के प्राण संकट में हों या पराजित व्यक्ति ने कुछ भीषण अपराध किये हों। सैनिक आवश्यकता होने पर शत्रु की सम्पत्ति का विध्वंस करना चाहिये। यदि शरीरबन्धना (Hostages) ने कोई बुरा काम न किया हो तो उनका बंध नहीं किया जाना चाहिये। विजित प्रदेशों के व्यक्तियों को कुछ शिष्यों में दिनेपत धर्म के क्षेत्र में कुछ स्वतन्त्रता दी जानी चाहिये। उस समय तक मुसलमानों के साथ तथा अन्य गैर-ईसाईयों के साथ युद्ध और शान्ति के व्यवहार में भेदभाव बरता जाता था। मुसलमानों को सधि करने योग्य नहीं समझा जाता था, इनके साथ युद्ध में कभी प्रकार का व्यवहार उचित बताया

प्रोशियस ने मुसलमानों के साथ संधि करने में कोई आपत्ति नहीं समझी। वह अपराधों के नियन्त्रण करने के लिये अपराधियों के प्रत्यर्पण (Extradition) के पक्ष में था। महासमुद्रों की स्वतन्त्रता का उसने प्रबल समर्थन किया। राजदूत को उमने कानून की दृष्टि में उस देश के प्रदेश से बाहर माना, इसके लिये उमने Quasi extra territorium शब्द का प्रयोग किया, यही वर्तमान समय में प्रदेशबाह्यता (Exterritoriality) के विचार के रूप में विकसित हुआ। वह राजदूत को राज्य के फौजदारी कानून के क्षेत्राधिकार से विलुक्त बाहर समझता था, उसने मत में गम्भीर अपराध का दोषी होने पर दण्डित करने के लिये राजदूत को स्वदेश में वापिस लौटा देना चाहिये। संधियों को उसने सविदाओ से भिन्न समझा। तटस्थता के सम्बन्ध में कानूनी दृष्टि में विस्तृत विचार करने वाला वह पहला लेखक था। उसका यह मत था कि तटस्थ राज्य को अन्यायपूर्ण प्रयोजन (Wicked purpose) के समर्थन के लिये कुछ नहीं करना चाहिये और इस प्रकार न्याय्य पक्ष की सहायता करनी चाहिये।

दोष प्रोशियस के ग्रन्थ में कई बड़े दोष हैं। नमबीम के मतानुसार हममें पाण्डित्य का प्रदर्शन अपर्याप्तता से बहुत अधिक है, इसकी तर्क प्रणाली अतिभारपूर्ण (Ponderous) है। सारा ग्रन्थ बड़ा असन्तुलित है, हममें वैयक्तिक कानून के विषयों का अधिक विस्तार से वर्णन है। धार्मिक विवादों से बहुत अधिक बनने का प्रयत्न करते हुए प्रायः सभी उदाहरण प्राचीन साहित्य और इतिहास से लिये गये हैं। हममें अनेक दकियानूसी तथा प्रतिगामी सिद्धान्त हैं, प्रोशियस ने अनेक प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि जनता को अत्याचारी राजा का प्रतिरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे राजा के विरुद्ध जनता का युद्ध करना अन्यायपूर्ण (Unjust) है।

किन्तु इन दोषों के होते हुए भी प्रोशियस अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सस्थापक समझा जाता है। इसका कारण स्पष्ट करते हुए प्राण्यापक लौडरपास्ट ने यह ठीक ही लिखा है—“अन्तर्राष्ट्रीय कानून के वर्तमान क्षेत्र को देखते हुए प्रोशियस का ‘युद्ध और शान्ति’ भले ही अधूरा हो, किन्तु इस विषय पर यह पहला विस्तृत और व्यवस्थित ग्रन्थ था। प्रोशियस इस विषय का पहला लेखक नहीं था। युद्ध के नियम पर १५४३ में बेल्जीने, १५६१ में ग्रयात्त ने तथा १५६५ में ड्रेण्टली ने बड़ी विद्वत्तापूर्ण रीति में लिखा था। १५३२ के लगभग विटोरिया ने और १६१२ में सुप्रारेज ने अन्तर्राष्ट्रीय समाज की समस्या को समग्र रूप से विधिशास्त्रीय दृष्टि से अध्ययन करने की आधारशिलाएँ स्थापित की थीं। किन्तु प्रोशियस से पहले किसी व्यक्ति ने इस विषय का सर्वांगीण प्रतिपादन करने का प्रयत्न नहीं किया। इस ग्रन्थ में बहुत से विषय ऐसे हैं, जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत कभी नहीं माने जाते रहे, किन्तु १६२५ में अन्तर्राष्ट्रीय कानून समझे जाने वाले सभी विषयों का सम्मिश्रण हममें है।”

इस ग्रन्थ को मिली अभूतापूर्ण सफलता और प्रोशियस की लोकप्रियता इन तथ्यों ने स्पष्ट हो जायेगी, अब तक लैटिन में मात्र ग्रन्थ के ५० संस्करण हो चुके हैं, इन्हें

इंग्लिश, फ्रेच, जर्मन, स्वीडिश, स्पेनिश, चीनी और जापानी में इसके अनेक अनुवाद छप चुके हैं। १९१५ में इंग्लैंड में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन के लिये वनी सस्था का नाम थ्रोशियस सोसायटी रखा गया। १९२० में मिचुराष्ट्रो ने जर्मन सम्राट् कैसर के हार्लैंड भाग जाने पर जब उच्च सरकार से उसके प्रत्यर्पण की मांग की तो उसे पुष्ट करने के लिये थ्रोशियस के ग्रन्थ के प्रमाण दिये। १९२५ में थ्रोशियस के 'युद्ध और शान्ति' ग्रन्थ के प्रकाशन के ३०० वर्ष पूरे होने पर इसकी त्रिसताब्दी बड़ी धूमधाम से मनायी गई और इन समय इस पर अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हुए। द्वितीय विश्वयुद्ध में सम्मिलित होने से पूर्व समुक्त राज्य अमरीका के महाध्यायवादी (Attorney General) श्री जेक्सन ने हिटलर के जर्मनी के प्रति अपनायी हुई भेदभावपूर्ण तटस्थता की नीति का समर्थन थ्रोशियस के आधार पर किया। द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त होने पर युद्धपरिधिओं पर अभियोग चलाने समय थ्रोशियस के ग्रन्थों के प्रमाण दिये गये। अन्तर्राष्ट्रीय विवादों में थ्रोशियस की सार्धा बड़ी महत्वपूर्ण समझी जाती है। आशंकल यद्यपि उसके ग्रन्थ का विस्तृत अध्ययन पिछली शताब्दियों की भांति नहीं होता किन्तु उसके विचार अन्तर्राष्ट्रीय कानून का आधार बने हुए हैं।

लेसले स्टार्क के शब्दों में "अन्तर्राष्ट्रीय कानून के इतिहास पर थ्रोशियस का स्थायी प्रभाव पड़ा है। न्यायालयों के निर्णयों में तथा मुपसिद्ध लेखकों के ग्रन्थों में थ्रोशियस का ग्रन्थ प्रामाणिक रूप में उद्धृत किया जाता है। उसके कुछ सिद्धान्तों ने वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय कानून को बहुत प्रभावित किया है जैसे सब अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का कानून के नियम द्वारा अनुशासित होने का सिद्धान्त, न्याय्य तथा अन्याय्य युद्धों का अन्तर, व्यक्ति के मौखिक अधिकार और स्वतन्त्रताओं की मान्यता, शान्ति का विचार, विशेष प्रकार की तटस्थता (Qualified neutrality) का सिद्धान्त। इसमें कोई अशुक्ति नहीं है कि थ्रोशियस की पुस्तक के परिणामस्वरूप ही अन्तर्राष्ट्रीय कानून को सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप प्राप्त हुआ।" (१९७६)

थ्रोशियस का ग्रन्थ प्रकाशित होते ही उसे असाधारण लोकप्रियता और महत्व मिला। इसका कारण इस पुस्तक के आन्तरिक गुणों के अतिरिक्त इसके प्रकाशन का समय और विशेष परिस्थितियाँ भी थीं। प्रियर्सन ने इनका विश्लेषण करते हुए लिखा है कि इस पुस्तक के छपने के समय तक थ्रोशियस इतना विख्यात हो चुका था कि उसकी लेखनी से प्रसून कोई भी रचना विद्वत्समाज में समाहित होने के योग्य थी। दूसरा कारण थ्रोशियस का ऐग देन का नागरिक होना था, जो १६वीं शती में स्पेन के विरुद्ध स्वातन्त्र्य संग्राम में प्रसिद्ध हो चुका था और १७वीं शती में अनेक दृष्टियों में योरोप का एक प्रमुख राज्य और यारोपियन सम्यता का नेता था। धार्मिक सहिष्णुता और लोकतन्त्रात्मक स्वतन्त्र सस्थाओं के विकास में उसने महत्वपूर्ण भाग लिया था। जब इंग्लैंड में निरंकुश राजसत्ता और लोकतन्त्र का संघर्ष चल रहा था, प्रच राज्ज-शान्ति से पूर्व सारे योरोप में स्वेच्छाचारी शासन का बोलबाला था, उस समय हार्लैंड ने

निरकुटा राजसत्ता का अन्त कर अपने देश में स्वतन्त्रता की ध्वजा का उत्तोलन किया था। तीसरा कारण इस ग्रन्थ का असाधारण पाण्डित्य और ग्रीक तथा रोमन ग्रन्थों के प्रमाणों और उद्धरणों की बहुलता थी। पुनर्जागृति के आन्दोलन से प्रभावित, रोमन कानून में अगाध श्रद्धा रखने वाले योरोपियन विद्वत्समुदाय में इस ग्रन्थ का मान्य होना संवन्धा स्वाभाविक था। चौथा कारण प्राकृतिक कानून की सदाचरण की कसौटी बनाना था। यह शब्द सबसे लिये बड़ा आकर्षक था। पाचवा कारण उस समय युद्धों में बरती जाने वाली भीषण उच्छ्वलता से लोगों का ऊब जाना था। इसे बन्द करने की तीव्र आवश्यकता सभी राजनीतिज्ञ अनुभव कर रहे थे। ग्रीशियस का ग्रन्थ इस विषय में उनका पथ-प्रदर्शन करने में बड़ा लोकप्रिय हुआ।

संक्षेप अन्तर्राष्ट्रीय कानून के तीन सम्प्रदाय (Three Schools of International Law)—ग्रीशियस के ग्रन्थ ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सम्बन्ध में विचार एवं चिन्तन को प्रबल प्रेरणा प्रदान की। इस समय राष्ट्रा के पारम्परिक सम्पर्क बढ़ने, नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों, राष्ट्रीय राज्यों के विनास और योरोपियन साम्राज्यों के विस्तार ने इस विषय के अध्ययन को बड़ा महत्त्वपूर्ण बनाया। इन कारणों से इस विषय के सम्बन्ध में गम्भीर अध्ययन और अन्वेषण होने लगा। इसके परिणामस्वरूप तीन प्रकार की विचारधाराएँ या सम्प्रदाय उत्पन्न हुए। पहले सम्प्रदाय के लेखक इस कानून के सैद्धान्तिक पक्ष पर बहुत बल देते थे, प्राकृतिक कानून (Natural law) को प्रधानता देने के कारण ये प्रकृतिवादी (Naturalists) कहलाते थे। दूसरा सम्प्रदाय राष्ट्रा के वास्तविक आचरण को अधिक महत्त्व देता था। इसके मतानुसार विभिन्न राष्ट्रा के आपसी व्यवहार में पालन किये जाने वाले रीति-रिवाजों के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय कानून की वास्तविक सत्ता थी। राष्ट्रा के ऐसे निश्चित कानून (Positive law of nations) की सत्ता के अस्तित्व में विश्वास रखने के कारण यह अस्तित्व (Positivist) सम्प्रदाय कहलाना था। तीसरा सम्प्रदाय ग्रीशियस का अनुयायी होने के कारण ग्रीशियन (Grotian) कहलाता था। यह पहले दो सम्प्रदायों के मध्यवर्ती था और राष्ट्रा के कानून के दो आधार प्राकृतिक कानून तथा रीति रिवाजों और संधियों को मानता था। किन्तु ग्रीशियस की भाँति यह इन दोनों में प्राकृतिक कानून को अधिक प्रबल नहीं मानता था। इन तीनों सम्प्रदायों के प्रमुख मन्तव्य और विचारक निम्नलिखित हैं :—

✓ (१) प्रकृतिवादी (Naturalists)—ये रीति रिवाजों या संधियों पर आधारित राष्ट्रा के किसी वास्तविक कानून (Positive law) की सत्ता नहीं स्वीकार करते थे। इनका मत था कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून प्रकृति के कानून (Law of nature) का अंग है। सुप्रसिद्ध ब्रिटिश विचारक हान्ट ने निरकुटा सत्ता का समर्थन करने के लिये १६५१ में प्रकाशित अपने ग्रन्थ The Leviathan में प्रकृति के कानून का विशद प्रतिपादन किया था। उसके मतानुसार मनुष्य स्वभावतः पशुतुल्य, समाज विरोधी और दूसरों के साथ लड़ने वाला है, यह उसका प्राकृतिक दशा है। किन्तु आत्मसंरक्षण के विचार से वह अन्य व्यक्तियों के साथ समझौता करके लड़ाई आदि के अपने प्राकृतिक अधिकार

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का ऐतिहासिक विकास

लेविथान (Lewathan) को मॉप देता है, वाइडल के मतानुसार यह समुद्री महाराक्षम है, किन्तु हाव्स के मत में यह उपर्युक्त समझौता करने वाले व्यक्तियों की इच्छाओं का मूर्त रूप है और सर्वोच्च शासन के रूप में व्यक्तियों का निवन्त्रण करता है। राज्यों में जब तक इस प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ, तब तक वे एक-दूसरे के प्रति प्राकृतिक दशा (State of nature) में हैं अर्थात् एक-दूसरे के विरुद्ध युद्ध की स्थिति में हैं।

मध्यकालीन धर्मशास्त्री प्रकृति के कानून को ईश्वरीय कानून समझते थे क्योंकि उनके मतानुसार ईश्वर प्रकृति या स्रष्टा माना जाता था। किन्तु इस नये सिद्धान्त में इसे धर्मशास्त्र से बिच्छिन्न कर दिया गया। इसके राज्य अपनी प्रभुसत्ता (Sovereignty) पर अधिक बल देने लगे, वे और किसी उच्च कानून की सत्ता न मानते हुए अपने आचरण के लिए स्वतन्त्रतापूर्वक किये अपने समझौते को ही प्रमाण मानने लगे।

हाइडलबर्ग विश्वविद्यालय के प्राध्यापक सेमुअल प्युफनडोर्फ (Samuel Pufendorf) ने प्राकृतिक नियम के सिद्धान्त को अन्तर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में लागू किया। १६७२ में प्रकाशित उनकी रचना De jure natural et gentium में उमने ऐसी प्राकृतिक दशा की कल्पना की जिसका मूलसिद्धान्त प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह अपने गार्थिया के साथ सामाजिक सम्बन्ध बनाये। जहाँ कोई कुरिय ऐसे परिणाम उत्पन्न करे, उन्हें प्राकृतिक नियम समझा जाना चाहिये। अन्तर्राष्ट्रीय आचरण के मानदण्ड का निर्धारण किसी रिवाज या संधि द्वारा नहीं होता किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के मामले में वृद्धि के प्रयोग द्वारा होता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियम केवल प्राकृतिक नियम में निकसित होते हैं। इस सिद्धान्त के अन्य अनुयायी Christian Thomasius (1655-1726), Jean Barbayrac (1674-1744) तथा Jean Jacques Burlanauqui (1694-1748) हैं।

(२) अस्तित्वादी सम्प्रदाय (Positivist School) — यह सम्प्रदाय प्रकृतिवादियों का सर्वथा विलोम है। प्रकृतिवादी अन्तर्राष्ट्रीय कानून की कोई पृथक् भावात्मक (Positive) सत्ता या अस्तित्व नहीं मानते, वे प्राकृतिक कानून की ही वास्तविक सत्ता मानते हैं। किन्तु इसके विपरीत अस्तित्वादी सम्प्रदाय राष्ट्रों द्वारा आपसी व्यवहार में पालन किये जाने वाले रीति-रिवाजों और संधियों के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय कानून की वास्तविक और भावात्मक (Positive) सत्ता में विश्वास रखता है और इसे प्राकृतिक कानून से अधिक महत्वपूर्ण मानता है। इस सम्प्रदाय का प्रवर्तन १६७७ ई० में आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सिविल लॉ के प्रोफेसर रिचर्ड जौचे (Richard Zouche) के ग्रन्थ के प्रकाशन के बाद हुआ। इसमें उसने इस बात पर बल दिया था कि संधि या प्रथा को अन्तर्राष्ट्रीय कानून का महत्वपूर्ण संगत समझना चाहिए। किन्तु राष्ट्रों का रिवाज होना ही कानून का पर्याप्त आधार नहीं है। यदि किन्हीं राष्ट्रों में सन्धु की नाक काटने की प्रथा हो तो इससे यह अन्तर्राष्ट्रीय कानून नहीं बन सकता। अतः जौचे ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून का लक्षण करते हुए कहा कि यह अधिकांश सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत ऐसी प्रथा है जो वृद्धि के अनुकूल है।

१६वीं शताब्दी में इसी सम्प्रदाय का प्राधान्य रहा। एक इन न्यायाधीश विन्कर-

शोइक (Bynkershoek) ने १७०२ से १७३७ के बीच अनेक ग्रन्थ लिखकर इस सम्प्रदाय को पुष्ट किया। उसने प्रकृति के कानून का स्थान बुद्धि और तर्क को प्रदान किया। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के दो मुख्य स्रोत बुद्धि और प्रथा (Usage) माने। उसके मत में स्थायी रूप से चली आने वाली प्रथा अनेक पीढ़ियों की तथा विभिन्न राष्ट्रों की सम्मिलित बुद्धि और तर्क का परिणाम होती है। अतः इस प्रकार की प्रथा पारस्परिक सहमति पर आधारित प्रथा की भाँति विभिन्न पक्षों द्वारा पालन योग्य समझी जाती है। उसने एक बार यहाँ तक कहा कि विभिन्न राष्ट्रों में स्वेच्छापूर्वक (Tacit) समझौते द्वारा स्वीकार की गई प्रथाओं के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय कानून की कोई पृथक् सत्ता नहीं। एक जर्मन विद्वान् जान जेकब मोजर (John Jacob Moser) ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून सम्बन्धी सन्धियों तथा प्रथाओं का विशाल संग्रह करके पूर्वोदाहरणों (Precedents) के रूप में इस कानून को भावात्मक (Positive) स्वरूप प्रदान करने में बड़ा सहयोग प्रदान किया। ऐसा ही कार्य गार्डिजन के प्रोफेसर जार्ज फ्रीडरिक डीमार्टेन्स (George Friedrich de Martens) ने १७८८ में अपने एक ग्रन्थ के ५५ पन्नों द्वारा किया।

(३) ग्रोशियन सम्प्रदाय (Grotian School) — यह पहले दोनो सम्प्रदायों

मध्यवर्ती था, राष्ट्र का दो प्रकार का कानून मानता था—प्राकृतिक कानून तथा

प्रथाओं और सन्धियों के रूप में स्वीकार किया हुआ कानून। १७वीं और

१८वीं शताब्दी में इसके दो प्रबल पोषक त्रिचिचयन बुल्फ (१६७९-१७५४) तथा वैंटल

(१७१४-१७६७) थे। जर्मन दार्शनिक बुल्फ ने सब राष्ट्रों के एक ऐसे महान् गण-

राज्य (Civitas gentium maxima) की कल्पना की, जो अपने अग्रभूत सभी सदस्य-

राज्यों पर अनुशासन रखने वाला विश्व राज्य हो। वैंटल सैक्सनी राज्य के कूटनीतिक

विभाग में काम करने वाला स्विस विधिशास्त्री था। १७१८ में उसकी प्रतिष्ठित पुस्तक

Le Droit des gens प्रकाशित हुई। यह कहा जाता है कि वह मौलिक विचारक होने

की अपेक्षा दूसरों के विचारों का अधिक प्रचारक था। फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून

पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने प्राकृतिक दशा (State of nature) के सिद्धान्त

को स्वीकार किया। राष्ट्रों का निर्माण सम्य सम्राज की स्थापना से पूर्व स्वाभाविक

रूप में स्वतन्त्र रहने वाले मनुष्यों में मिलकर होता है, अतः इन राष्ट्रों को प्राकृतिक

दशा में स्वतन्त्रतापूर्वक रहने वाले नागरिकों की भाँति समझना चाहिए। जिस प्रकार

प्राकृतिक रूप में सब मनुष्य समान होते हैं, इसी प्रकार सब राज्य भी समान हैं। राज्यों

में शक्तिमत्ता या निर्वलता के आधार पर बड़े-छोटे का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए।

एक चीना और एक बहुत ऊँचे कद वाला दोनों ब्याक्त जैसे मनुष्य होते हैं, इसी तरह एक

छोटा गणराज्य भी वैसे ही प्रमुखता सन्तान राज्य है, जैसा सबसे शक्तिशाली राज्य।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धान्त के क्षेत्र में राज्यों की समानता (Equality of States)

का विचार वैंटल की एक बहुत बड़ी देन है।

वैंटल ने प्रकृति के कानून को राष्ट्रों पर लागू करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय कानून के

वैदिक भेद किये। पहला भेद राष्ट्रों का आवश्यक या प्राकृतिक कानून (Necessary or

Natural law of Nations) था। ये ऐसे नियम थे, जिनके सत्-असत् होने में किसी प्रकार सन्देह ही नहीं हो सकता था। इन नियमों का पालन राज्यों के लिए आवश्यक था। इनका उल्लंघन होने पर राज्यों को आत्म-रक्षा के उपाय करने का पूरा अधिकार था। दूसरा भेद राष्ट्रीय कानून (Voluntary law of Nations) का है। कई बार कुछ मामलों में प्राकृतिक कानून को लागू करने में बड़ा सन्देह होता है, इनमें प्रत्येक राज्य इसकी व्याख्या अपनी इच्छानुसार करता है। कई राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों को वास्तविक हानि पहुँचाये बिना ऐसे कानूनों का पालन नहीं करते। इनमें कानूनों का पालन उनकी इच्छा पर होता है। यत यह ऐच्छिक कानून है। वैटल के मतानुसार अन्तर्राष्ट्रीय कानून का तीसरा भेद सन्धियों के रूप में पारस्परिक अभिसमया (Conventions) द्वारा तय होने वाला अभिसमयात्मक कानून (Conventional law) है। चौथा भेद विभिन्न राष्ट्रों द्वारा पालन किये जाने वाली प्रथाओं और रीतियों का कानून (Customary law) है।

4073 B J 13

वैटल की विचार पद्धति बड़ी जटिल थी, किन्तु उसका अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने इस पद्धति से जो उदार और मानवीय परिणाम निकाले, वे बड़े लोकप्रिय हुए। उसने न्याय्य तथा अन्याय्य युद्ध के विचार को समाप्त कर दिया। उसके ऐच्छिक कानून में प्रत्येक राज्य को अपने मामला में कार्य की स्वाधीनता मिली, प्रभुसत्ता (Sovereignty) के सिद्धान्त को पोषण मिला। उसने कुछ अवस्थाओं में राज्य के एक अंश को मूल राज्य में पृथक् होने का अधिकार माना। वैटल का यह उदार दृष्टिकोण भी उसे लोकप्रिय बनाने में सहायक हुआ। थोथियम ने निरंकुश सत्ता का समर्थन करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय कानून लिखा था, वैटल ने राजनीतिक स्वतन्त्रता का पोषण करते हुए अपने ग्रन्थ का प्रणयन किया।

१६वीं तथा २०वीं शतियाँ—इनमें कई कारणों से अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विकास बड़ी तेजी से हुआ। पहला कारण योरोप में नये शक्तिशाली राज्यों का अन्वयुदय, योरोपियन देशों द्वारा विशाल साम्राज्यों का निर्माण, यातायात के साधनों में उन्नति, नवीन आविष्कार और अधिक विध्वंसक शक्ति रखने वाले शस्त्रास्त्रों का निर्माण था। दूसरा कारण ब्रिटिश और अमरीकन न्यायालयों द्वारा युद्ध में पकड़े गये जहाजों और माल के सम्बन्ध में किये गये अनेक निर्णय और कई विधिशास्त्रियों द्वारा इस विषय पर सुप्रसिद्ध ग्रन्थों का प्रकाशन था। ग्रेट ब्रिटेन में विलियम स्काट ने तथा स. १७०० अमरीका में प्रधान न्यायाधीश मार्शल ने अधिकृत कानून (Prize law) के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय दिये; क्रिस्चियन जेम्स, क्रिस्चियन, ट्राण्ड, क्लूड, लारिन्स, वेस्टलेक, आपेनहाइम के नाम उल्लेखनीय हैं। स. १७०० अमरीका में इस विषय पर लिखने वाले प्रमुख व्यक्ति हेनरी ह्यूटन, थियोडोर वूल्जी, फ्रांसिस तोवर, रिचर्ड डाना, मूर, हाइड, स्टोवेल और हेक्वर्थ हैं। योरोप में इसके प्रधान विचारक क्लेवर हेफर, ब्लसजी, जेलिनेक, इह्रिंग और कौफमेने हुए। तीसरा कारण अन्तर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण करने वाली अनेक सभियों का तथा अनेक सम्मेलनों का सम्पन्न होना था। नैपोलियन के पतन के बाद योरोप के राजनीतिक पुनर्निर्माण के लिये १८१५

मे हुई वियना की महासभा योरोपियन राजनीतिज्ञों का ऐसा पहला अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, जिस ने डे-वूव जैसी कई देशों में से होकर गुजरने वाली नदियों में नौचालन के अन्तर्राष्ट्रीय नियम बनाये, विभिन्न प्रकार के राजदूतों के पदों की प्रतिष्ठा के पौर्वापर्य का क्रम निश्चित किया। इसी समय रूस के चार एलेग्जेंडर प्रथम की प्रेरणा से अन्तर्राष्ट्रीय विषयों में ईसाइयत के सिद्धान्त को लागू करने के लिये पवित्र सघ (Holy Alliance) बनाया गया, किन्तु इसने कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। ग्रेट ब्रिटेन, रूस, आस्ट्रिया और प्रशिया ने १८१५ में एक चतुर्मुख मंत्री सघ (Quadruple Alliance) बनाया, इसका उद्देश्य जनता की शान्ति और कल्याण के कार्यों पर तथा महत्वपूर्ण सामान्य हितों के प्रश्नों पर विचार करने के लिये समय समय पर सम्मेलन बुलाना था। इसके चार सम्मेलन १८१८, १८२०, १८२१ तथा १८२२ में हुए। १८२० के ट्रोणो के सम्मेलन में यह महत्वपूर्ण निश्चय किया गया कि यदि किसी राज्य के आन्तरिक विद्रोह से दूसरे राज्यों की सुरक्षा या सत्ता संकटग्रस्त हो तो वे इसके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। १८२२ के बाद इस सघ का कोई अधिवेशन नहीं हुआ।

1856

✓ पेरिस की घोषणा (Declaration of Paris)—क्रोमिया के युद्ध के बाद पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, आस्ट्रिया, रूस, प्रशिया और सार्डीनिया ने समुद्री युद्ध के सम्बन्ध में चार नियमों की घोषणा की। यह पेरिस की घोषणा (Declaration of Paris) कहलाती है। ये चार नियम निम्नलिखित थे—

✓ (क) युद्ध मलग्न देशों द्वारा वैयक्तिक सशस्त्र जहाजों की सहायता से शत्रु पर आक्रमण करने की प्रथा (Privateering) का अन्त किया जाता है।

✓ (ख) तटस्थ देशों के जहाजों में युद्ध में विनिषिद्ध वस्तुओं (Contraband) के अतिरिक्त शत्रु का माल जा सकता है।

✓ (ग) शत्रु देश के जहाजों में यदि युद्ध में विनिषिद्ध वस्तुओं के अतिरिक्त तटस्थ देशों का अन्य कोई माल लदा हो तो इसे पकड़ा नहीं जा सकता है।

✓ (घ) परिवेष्टन या तटरोध (Blockade) के प्रभावशाली होने के लिये यह आवश्यक है कि उसके लिये शत्रु देश के तट पर पहुँचने के लिये इतने अधिक जहाज रखे जाएँ कि वह दुष्प्रवेश्य हो। १८६८ में स्वेज नहर में सब देशों के निर्वाह नौचालन के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौता हुआ।

✓ हेग सम्मेलन—विद्युत् शताब्दी के अन्तिम वर्षों में रूस के चार की प्रेरणा पर हेग में २६ राष्ट्रों के सम्मेलन ने अन्तर्राष्ट्रीय तनाव और सभ्यता को कम करने के लिये कई महत्वपूर्ण निश्चय किये। मशरि १८६६ का पहला हेग सम्मेलन शस्त्रास्त्र निर्माण की सीमा निर्धारित करने के अपने प्रयत्नों के उद्देश्य में सफल नहीं हो सका, फिर भी इसने स्थल युद्ध में सब राष्ट्रों द्वारा पालन किये जाने वाले आचरण के कुछ नियम निश्चित किये। इसमें यह सिद्धान्त भी स्वीकार किया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के निर्णय का सबसे अधिक प्रभावशाली और न्यायपूर्ण साधन पचायती निर्णय (Arbitration) है। पचायती निर्णय का स्थायी न्यायालय (Permanent court

of Arbitration) स्थापित किया गया। यद्यपि यह सम्मेलन सब राष्ट्रों को अनिवार्य रूप से पचायती निर्णय का साधन स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं कर सका, युद्ध छेड़ने के प्रत्येक राष्ट्र के सर्वोच्च अधिकार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा सका, किन्तु फिर भी इसने पहली बार विभिन्न राष्ट्रों द्वारा स्थल युद्ध में पालन किये जाने वाले नियमों का निर्माण किया, यह प्रदर्शित किया कि पारस्परिक सहमति से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कानूनों का निर्माण हो सकता है।

१५ जून १९०७ से आरम्भ होने वाले दूसरे हेग सम्मेलन में भाग लेने वाले ४४ राष्ट्रों ने १३ अभिसमयों (Conventions) पर हस्ताक्षर किये। ये समझौते प्रधान रूप से अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के निम्न विषयों के सम्बन्ध में थे—शान्तिपूर्ण निपटारा, युद्ध आरम्भ करने के नियम, स्थल युद्ध के नियम, तटस्थ राज्यों के अधिकार और कर्तव्य, युद्ध छेड़ने पर सब के व्यापारिक जहाजों की स्थिति, व्यापारिक जहाजों को समुद्र जहाजों में परिणत करना, समुद्र के अन्दर मुरग विध्वाना, युद्ध के समय जहाजों द्वारा गोलाबारी के नियम, समुद्री युद्ध के नियम, अन्तर्राष्ट्रीय अधिग्रहण न्यायालय (International Prize Court), समुद्री युद्ध में तटस्थ शक्तियों के अधिकार और कर्तव्य।

दूसरे हेग सम्मेलन के बाद यह स्पष्ट हो गया कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सबसे बड़ा दोष ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय सगठनों का अभाव है, जो "अन्तर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या कर सकें और इनका पालन करवा सकें"। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद इस अभाव की पूर्ति के लिये राष्ट्रसंघ (League of Nations) और अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय की स्थापना की गई। अगले अध्यायों में इनके कार्यों का विस्तार से वर्णन किया जायगा। १९२५ में फ्रान्स, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और बेल्जियम के मध्य सम्पन्न हुई लोकार्नों संधि द्वारा यह निश्चय किया गया कि जर्मनी और बेल्जियम तथा जर्मनी और फ्रांस की सीमाओं के सब भूगडों शान्तिपूर्वक निपटाये जायेंगे। १९२८ के केल्लोग-ब्रिअंड पैक्ट (Kellogg-Briand Pact) के अनुसार सत्तार के अधिकांश देशों ने यह घोषणा की कि वे अपने विवादों का निर्णय शान्तिपूर्ण उपायों से ही करेंगे। पहली जुलाई १९२९ को ४७ राज्यों के प्रतिनिधियों ने जेनेवा में एकत्र होकर रणक्षेत्र में आहत और बीमार व्यक्तियों के साथ तथा युद्ध-बन्धियों के व्यवहार के सम्बन्ध में दो अभिसमय किये, युद्ध-बन्धियों के साथ प्रतिशोधपूर्ण तथा क्रूर व्यवहार को वर्जित ठहराया गया। रणक्षेत्र में आहतों और बीमारों की सुधूपा में सलग्न तथा चिकित्सा करने वाले व्यक्तियों को विशेष सुविधायें प्रदान की गईं। राष्ट्रसंघ ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून को संहिताबद्ध करने (Codification) के भी कुछ प्रयत्न किये।

जर्मनी में हिटलर के उत्कर्ष के बाद अन्तर्राष्ट्रीय कानून को खुली चुनौती दी गई। १९३९ में आरम्भ होने वाले द्वितीय विश्वयुद्ध में अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का बहुधा भंग किया गया। किन्तु इस युद्ध ने शान्ति बनाये रखने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सगठनों

की आवश्यकता को बड़ी तीव्रता से अनुभव कराया। परिणामस्वरूप २४ अक्टूबर १९४५ को ग० रा० सच की स्थापना हुई। १९४६ में अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के निर्णय के लिये न्याय का अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) बनाया गया। १९४८ में मानवीय अधिकारों का सार्वभौम घोषणापत्र तैयार किया गया। जानिवध (Genocide), शरणार्थियों आदि के सम्बन्ध में अनेक समझौते किये गये। अगले अध्यायों में स० रा० सच के अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग (International Law Commission) के कार्यों का वर्णन किया जायगा।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस समय अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास में अनेक प्रबल बाधाएँ हैं। किन्तु धरुणवर्मा की विभीषिका ने इनके निराकरण की अनिवार्य आवश्यकता सब विचारकों के चित्त पर भली भाँति अंकित कर दी है। वे यह अच्छी तरह समझ गये हैं कि मानव जाति के परिव्राण का एकमात्र उपाय भावी युद्धों की सम्भावना को समाप्त करने वाले, अन्तर्राष्ट्रीय कानून का तथा इसे पालन कराने वाले समुचित संगठन का विकास करना है। इसके अतिरिक्त मानव समाज की सत्ता के सातत्य को बनाये रखने का कोई दूसरा उपाय नहीं है, नान्य, पन्याः विद्यते अयनाय। इस बात की पूरी सम्भावना है कि भविष्य में इसका विकास तीव्र गति से होगा। पिछला इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून में पर्याप्त प्रगति हुई है। १९३४ में प्रिंसी कौंसिल ने हाल (Hall) की सुप्रसिद्ध पुस्तक की भूमिका से एक अवतरण उद्धृत करते हुए अपने निर्णय में लिखा था—“पिछली दो शताब्दियों पर दृष्टिपात करने पर हम यह देखते हैं कि प्रत्येक पचास वर्ष की अवधि की समाप्ति पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून इस अवधि के प्रारम्भिक काल की अपेक्षा अधिक सुसंगठित दशा में है। शनैः-शनैः इसकी जड़ सुदृढ़ होती गई है और कार्य का क्षेत्र भी बढ़ता चला गया है। यही बात इनके भविष्य में भी कही जा सकती है”।

द्वितीय अध्याय

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का स्वरूप

(Nature of International Law)

समाज में सुव्यवस्था और शान्ति बनाये रखने के लिए व्यक्तियों के एक-दूसरे के साथ व्यवहार करने के लिए कुछ नियम आवश्यक होते हैं। यदि ऐसा न हो तो समाज में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाय। जब मनुष्य किसी समाज या राष्ट्रीय राज्य (National State) के रूप में संगठित होते हैं तो वे आपसी व्यवहार के लिए कुछ नियमों की सत्तास्वीकार करते हैं। मनुस्मृति (७।३), महाभारत और कौटिलीय अर्थशास्त्र आदि भारतीय ग्रन्थों में एक ऐसे आदिम समाज की कल्पना की गई, जिस में न राजा था और न राज्य। जंगल के कानून या मात्स्य न्याय का प्रचलन था, बड़ी बड़ली छोटी मछली को खाती थी, प्रबल गिर्बल के अधिकारों का अपहरण करता था। इस शोचनीय स्थिति का अन्त करने के लिए व्यक्तियों ने आपस में मिलकर राजा की और राज्य की समस्या का निर्माण किया और उसमें पालन किये जाने वाले नियमों को निश्चित किया। राज्यों के निर्माण तथा समाजों के संगठन के बाद इनके आपसी सम्बन्ध बढ़ने लगे और इनके पारस्परिक व्यवहार के लिए नियमों की आवश्यकता हुई। रीति-रिवाज और रूढ़ि (Custom) द्वारा ये नियम बनने लगे। अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के इन नियमों को अन्तर्राष्ट्रीय कानून कहा जाने लगा।

नियम और कानून (Rule and Law)—इन नियमों के लिए कानून (Law) शब्द के प्रयोग ने अनेक जटिल नाद विवाद उत्पन्न किये हैं, अतः इन दोनों का भेद जान लेना आवश्यक है। निधम समाज में व्यक्तियों के आचरण को नियन्त्रित करने के लिए बनाये जाते हैं। ये अनेक प्रकार के होते हैं और कई बार इनका पालन कानूनी नियमों की अपेक्षा अधिक दृढ़ता के साथ होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि इन नियमों को पालन कराने के लिए बाध्य कराने वाली शक्ति या अनुज्ञप्ति (Sanction) अधिक प्रबल होती है। उदाहरणार्थ, चोरी करना धार्मिक और नैतिक दृष्टि से पाप समझा जाता है। धर्म और नीति मनुष्य के अन्तःकरण पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जिस व्यक्ति के मन पर चोरी करने पर पापी होने या धर्मविच्छेद कार्य करने के कारण रोख नरकगामी होने का भय अन्तर्द्वी तरह अंकित हो गया है, वह चोरी कभी नहीं करेगा। इसी प्रकार जिस नियम के विषय में प्रबल लोकमत और रूढ़ि बन जाती है, उस नियम

का भी उल्लेखन बहुत कम किया जाता है। इसी लिए हमारे यहाँ यह कहा जाता है—
शास्त्राद्वैतः बलीयसी।

किन्तु कानून (Law) राजकीय आदेश के कारण बाधित रूप से पालन किये जाने वाले नियमों को कहते हैं। राज्य इनका उल्लेखन करने वालों के लिए दण्ड को व्यवस्था करता है। इस दण्ड के भय से लोग इसका पालन करते हैं। प्रायः राज्य के उन्हीं कानूनों का अधिक पालन होता है, जिनको राज्यदण्ड के भय के अतिरिक्त मनुष्यों के अन्तःकरण तथा प्रबल लोकमत की अनुज्ञप्ति या सम्मोदन (Sanction) का बल प्राप्त हो। यदि धोरी के सम्बन्ध में पाप का विचार बिल्कुल उठ जाय, समाज में चोर को निन्दा और घृणा की दृष्टि से न देखा जाय तो केवल राजदण्ड के भय से चोरी के कानून का बहुत अधिक पालन नहीं हो सकता।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी शासन और व्यवस्था की वैसे ही प्रबल आवश्यकता है, जैसी राष्ट्रीय क्षेत्र में। किन्तु इसे बनाये रखने में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि जैसे राष्ट्रीय क्षेत्र में उसी सब व्यवस्थाओं को बलपूर्वक पालन करवाने के लिए राज्यों की शक्ति का विकास हुआ है, वैसे ही अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विभिन्न राज्यों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून को पालन करा सकने में पूर्ण रूप से समर्थ किसी शक्ति का अभी तक प्राविर्भान नहीं हुआ है, अतः अन्तर्राष्ट्रीय कानून के पीछे राष्ट्रीय कानून जैसी बाध्यकर्त्री शक्ति (Sanction) नहीं है। इस अवस्था में यह प्रश्न होता है कि इस अन्तर्राष्ट्रीय कानून कहना कहीं तक उचित है। इसी कारण अन्तर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा के सम्बन्ध में बड़ा मतभेद है। यहाँ विभिन्न विधिशास्त्रियों द्वारा की गयी इसकी कुछ मुख्य परिभाषाओं का वर्णन किया जायगा।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा (Definition of International Law)—
अन्तर्राष्ट्रीय कानून के लक्षण करते हुए पुराने लेखकों और विद्वानों ने इस कानून के आधारभूत तत्वों—तर्क बुद्धि तथा न्याय के तत्वों पर बल दिया है और नवीन लेखकों ने अन्तर्राष्ट्रीय जीवन के वर्तमान तत्वों पर। इसकी कुछ प्रसिद्ध परिभाषायें निम्नलिखित हैं— (१) अंगरीकन विधिशास्त्री व्हीटन (Wheaton) ने लिखा है—“सम्यक् राष्ट्रों में माने जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय कानून का यह लक्षण किया जा सकता है कि यह स्वतन्त्र राष्ट्रों में विद्यमान समाज वास्तव्य देखकर तर्कबुद्धि द्वारा निश्चित किये गये न्यायानुसूल आचरण के नियमों से निर्मित होता है। इसमें विभिन्न देशों की सामान्य सहमति से इन नियमों में किये गये संशोधन भी सम्मिलित होते हैं।”

(२) ब्रिटिश विधिवेत्ता सर हेनरी मेन (Sir Henry Maine) ने अपने लक्षण में इसके विभिन्न तत्वों पर बल देते हुए लिखा है—“राष्ट्रों का कानून एक अद्वि

२ व्हीटन—एलीमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल ला, अनुच्छेद १४.

International law as understood among civilized nations, may be defined as consisting of those rules of conduct which reason deduces, as consonant to justice from the nature of the society as existing independent nations, with such definitions and modifications as may be established by general consent.

पद्धति है, यह अनेक तत्वों से मिलकर बना है। इसमें इन तत्वों का समावेश है—अधिकार एवं न्याय के वे सामान्य सिद्धान्त जो प्राकृतिक समन्याय (Equity) की दशा में रहने वाले व्यक्तियों के आचरण के लिए तथा राष्ट्रों के सम्बन्धों और आचरण के लिए समान रूप से उपयुक्त हों, प्रथाओं (Usages), हटियों या आचरणों (Customs) का, तथा विधान शास्त्रियों की सम्मतियों का समग्र, सम्यक्ता तथा व्यापार का विकास, निश्चित कानून (Positive) की सहिता।^३

(३) ब्रिटिश अधिशास्त्री हाल (Hall) ने इस परिभाषा को सरल बनाते हुए यह कहा है—अन्तर्राष्ट्रीय कानून आचरण के एम नियम है जिन्हें वर्तमान सम्य राज्य एक-दूसरे के साथ व्यवहार में ऐसी शक्ति के साथ बाधित रूप से पालन करने योग्य (Binding) समझते हैं, जिस शक्ति के साथ सदमद्वेषकी (Conscientious) वृत्तव्यपरायण व्यक्ति अपने देश के कानूनों का पालन करते हैं और यह समझते हैं कि इनका उल्लंघन होने की दशा में उपर्युक्त साधनों द्वारा इन्हें नाश किया जा सकता है।^४

(४) उपर्युक्त सभी लक्षण पिछली शताब्दी में अन्तर्राष्ट्रीय सन्ध्याओं के वर्तमान विकास से पहले किये गये थे। आधुनिक परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए स्टार्क (Starke) ने यह नई परिभाषा की है—“अन्तर्राष्ट्रीय कानून का यह लक्षण किया जा सकता है कि यह ऐसा कानून समूह है जिसके अधिकांश भाग का निर्माण उन सिद्धान्तों तथा आचरण के नियमों से हुआ है, जिनके सम्बन्ध में राज्य यह अनुभव करते हैं कि वे इनका पालन करने के लिये बाध्य हैं। अतएव वे सामान्य रूप से अपने पारस्परिक सम्बन्धों में इनका पालन करते हैं। इसमें निम्न प्रकार के नियम भी सम्मिलित हैं

(क) अन्तर्राष्ट्रीय सन्ध्याओं तथा सगठनों की कार्यप्रणाली से सम्बन्ध रखने वाले तथा इन सन्ध्याओं के राज्यों तथा व्यक्तियों से सम्बन्ध रखने वाले कानून के नियम। (ख) व्यक्तियों से तथा राज्येतर सन्ध्याओं (Nonstate entities) से सम्बन्ध रखने वाले कानून के नियम उस अंश तक इसमें अन्तर्गत हैं, जिस अंश तक ऐसी व्यक्ति और राज्येतर सन्ध्याएँ अन्तर्राष्ट्रीय समाज के अध्ययन या चिन्तन का विषय हैं।”^५ इस लक्षण में स्टार्क

३. मेन—इयटर्नेशनल ला, १८८३, पृ ३३

The law of nations is a complex system, composed of various ingredients. It consists of general principles of right and justice, equally suited to the conduct of individuals in a state of natural equity and to the relations and conduct of nations, of a collection of usages, customs and opinions, the growth of civilization and commerce and a code of positive law

४. हाल—इयटर्नेशनल ला, पृ १

International law consists in certain rules of conduct which modern civilized states regard as being binding on them in their relations with one other with a force comparable in nature and degree to that binding the conscientious person to obey the laws of his country, and which they also regard as being enforceable by appropriate means in case of infringement

५. स्टार्क—एन इट्रोडक्शन टू इयटर्नेशनल ला, न्यूयॉर्क सस्कराय, पृ १

ने व्यक्ति के मानवीय अधिकारों तथा मौलिक स्वतन्त्रताओं को भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में लाने का प्रयत्न किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह लक्षण बहुत व्यापक है, किन्तु जटिल भी है।

(५) कुछ आधुनिक लेखकों ने इसके बड़े सरल और सक्षिप्त लक्षण किये हैं। प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्री ओपेनहाइम (Oppenheim) के मतानुसार “राष्ट्रों का कानून या अन्तर्राष्ट्रीय कानून उन प्रथागत (Customary) तथा आपसी समझौतों से बने अभिसमयात्मक (Conventional) नियमों का समग्र है, जिन्हें सम्य राज्य एक-दूसरे के साथ सम्बन्ध में अवश्य पालन करने योग्य समझते हैं।”

(६) ब्रिअरली (Brierly) के मतानुसार “राष्ट्रों के कानून या अन्तर्राष्ट्रीय कानून का यह लक्षण किया जा सकता है कि यह कार्य करने के ऐसे नियमों और सिद्धांतों के समूह है, जो सम्य राज्या द्वारा एक-दूसरे के साथ सम्बन्ध में बाधित रूप से पालन किये जाने वाले होते हैं।”

(७) अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय ने एल० एल० लोट्ट के मामले (देखिये प्रथम परिशिष्ट) के निर्णय में लिखा था—“अन्तर्राष्ट्रीय कानून का अभिप्राय उन सिद्धान्तों से है जो सब स्वतन्त्र राज्या के मध्य (व्यवहार में) लागू होते हैं।”

(८) प्रिन्सिपल ने बैस्टरेड गोल्ड मार्टिन कम्पनी लिमिटेड (देखिये प्रथम परिशिष्ट) के मामले में इसकी व्याख्या करते हुए लिखा था—“ये ऐसे नियम हैं, जिन्हें सम्य राज्य एक-दूसरे ने प्रति तथा एक-दूसरे के नागरिकों के प्रति अपना व्यवहार निर्दिष्ट करने वाला समझते हैं।”

(९) लारेन्स ने इसकी बड़ी सुन्दर और लघु परिभाषा करते हुए लिखा है—“ये ऐसे नियम हैं जो सम्य राज्यों के सामान्य समूह के पारस्परिक व्यवहारों का निर्धारण करते हैं।” इस परिभाषा में सब विवादास्पद शब्दों में वचन का प्रयत्न किया गया है। इसमें कानून (Law) के स्थान पर नियम (Rule) शब्द का प्रयोग किया गया है। ‘सब राज्यों’ के स्थान पर ‘सम्य राज्यों के सामान्य समूह’ का व्यवहार किया गया है। यह सम्भव है कि कुछ राज्य विशेष परिस्थितियों में स्वयं-वश इन नियमों का उल्लंघन करें,

६. ओपेनहाइम—इंटरनेशनल ला, एरड १

International law is the name for the body of customary and conventional rules which are considered legally binding by civilized states in their intercourse with each other

७. ब्रिअरली—दी ला ऑफ नेशन्स

The law of Nations or international law may be defined as the body of rules and principles of action which are binding upon civilized states in their relations with each other

१. “The principles which are in force between all independent nations”

२. “The form of the rules accepted by civilized states as determining their conduct towards each other and towards each other’s subjects”

३. “The rules which determine the general body of civilized states in their mutual dealings”

किन्तु सभ्य राज्यों का सामान्य समूह इनका उल्लंघन नहीं करता। लारेंस ने यह भी लिखा है कि सभ्य राज्यों का अधिभाग ईसाई राज्य नहीं है, किन्तु इसमें टर्की, जापान, चीन जैसे गैर ईसाई राज्य भी सम्मिलित हैं। इस परिभाषा का व्यवहार (Dealings) शब्द बहुत व्यापक है, इसमें शान्तिपूर्ण और अनुशासित दोनो प्रकार का व्यवहार सम्मिलित है, अतः यह परिभाषा अन्य लक्षणों की अपेक्षा सुस्पष्ट, सुनिश्चित और सुन्दर है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के आवश्यक तत्व (Essentials of International Law)—उपर्युक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से यह प्रतीत होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं—

(१) यह एक कानूनी पद्धति है। इसका निर्माण निम्नलिखित तत्वों से होता है—(क) विभिन्न राष्ट्रों के मध्य में पाये जाने वाले पारम्परिक व्यवहार या आचरण के नियम (Rules of Conduct), (ख) रिवाज या परम्पराय (Usages), (ग) विभिन्न राष्ट्रों में किये जाने वाले समझौते या अभिसमय (Conventions)।

(२) अन्तर्राष्ट्रीय कानून की मूल प्रतिपाद्य वस्तु (Contents) ऐसे नियम हैं जो सभी स्वतन्त्र तथा सभ्य राज्यों ने स्वीकार कर लिये हैं। अतः वे इनके पालन के लिये बाध्य हैं।

(३) अन्तर्राष्ट्रीय कानून को बाध्य रूप से पालन कराने वाली शक्ति (Sanction) हान्य के मतानुसार मनुष्यों को सत् असत् विवेक करने वाली वह बुद्धि है, जो उन्हें अपने देश के कानूनों का पालन करने के लिये बाध्य करती है। स० रा० मध (U N O) के चार्टर में दिये गये कुछ अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का भंग होने पर ये सत्य द्वारा अथवा न्याय के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) के द्वारा लागू किये जाते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का चापू प्रकार का वर्गीकरण (Classification of International Law) — (क) सार्वजनिक तथा वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून (Public and private International Law) — इसका वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है। पहला प्रकार इसे सार्वजनिक (Public) और वैयक्तिक (Private) अन्तर्राष्ट्रीय कानून नामक दो बड़े वर्गों में विभक्त करता है। सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून का स्वरूप ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है। वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सम्बन्ध ऐसे विषयों से होता है, जो दो या अधिक राज्यों के क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) में आते हैं। अनेक राज्यों में राष्ट्रों के क्षेत्राधिकार में अपने के कारण यह अन्तर्राष्ट्रीय कहला जाता है। किन्तु इनका सम्बन्ध व्यक्तिगत नहीं होता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई ब्रिटिश नागरिक इंग्लैंड में विवाह करने के बाद भारत में आ जाता है और कुछ समय बाद इस विवाह के विषय में या इसके तलाक के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो भारत के न्यायालयों के सामने यह प्रश्न उपस्थित होगा कि इस मामले में इंग्लैंड का कानून लागू किया जाय या भारत का। इस प्रकार हममें दो कानूनों का टकराव पैदा होने से इसे डायसी (Dicey) के शब्दों में 'कानूनों का संघर्ष' (Conflict of

laws) भी कहते हैं। पिट कान्डेट के अनुसार "वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून ऐसे निगमों का समूह है जो दीवानी मामलों में किसी देश के एक न्यायालय के सामने आये ऐसे प्रश्नों और क्षेत्राधिकार का निश्चय करता है, जिनमें एक विदेशी तत्व होता है। इनका सम्बन्ध विदेशी व्यक्तियों से, विदेशी वस्तुओं में तथा विदेशों में आर्थिक अथवा सम्पूर्ण रूप से किए गए व्यापारों (Transactions) से होता है, अथवा किसी विदेशी कानूनो पद्धति से होना है।"

वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून के उद्देश्य अथवा लक्ष्य निम्नलिखित हैं—

(१) न्यायालय के अभियोग या दाद (Suit) सुनने का अधिकार रखने की योग्यता (Competency) का निर्णय करना वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून उन सतों का प्रतिपादन तथा निर्धारण करता है, जिनके अनुसार किसी मामले में 'कानूनों का सवर्ष' उत्पन्न होने पर यह निर्णय किया जाता है कि प्रस्तुत मामले पर विचार करने का अधिकार किस देश के न्यायालय को है। कुछ वर्ष पहले ममाचारपत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि श्री रिजवी नामक एक भारतीय नागरिक ने स्विट्जरलैंड की महिला से स० रा० अमरीका में विवाह किया, बाद में रिजवी ने उसे तलाक दिया और दत्त विवाह से उत्पन्न सन्तान—एक लड़की को लेकर भारत चला आया। मातृस्नेह से विह्वल माँ अपनी लड़की को लेने के लिये भारत आई, उसने दिल्ली के एक न्यायालय में पुनी की प्राप्ति के लिए आवेदनपत्र दिया। इस मामले में यह विवाद उत्पन्न हुआ कि इसे सुनने का अधिकार अमरीकन न्यायालय को है, स्विट्जरलैंड की अदालत को है या भारतीय न्यायालय को। (२) इसका दूसरा उद्देश्य इस बात का निर्णय करना है कि किसी ऐसे मामले में किस देश का कानून लागू किया जा सकता है। उपर्युक्त उदाहरण में यह प्रश्न है कि इस मामले में कौनसा कानून प्रामाणिक समझकर लागू किया जाय— स० रा० अमरीका का कानून, स्विट्जरलैंड का अथवा भारत का कानून। (३) इसका तीसरा उद्देश्य इन मामलों में विदेशी न्यायालयों के निर्णयों की वैधता का निर्णय करना है। उदाहरणार्थ, रिजवी के मामले में यदि स० रा० अमरीका अथवा स्विट्जरलैंड के न्यायालयों ने कोई निर्णय किये हो तो भारतीय न्यायालयों को यह निर्णय करने का पूरा अधिकार है कि वे कहा तक वैध माने जा सकते हैं और लागू किये जा सकते हैं।

इन दोनों प्रकार के कानूनों का एक बड़ा भेद स्पष्ट करते हुए सर राबर्ट फिलिमोर (Robert Philimore) ने लिखा है कि सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून संप्राप्त होने वाले अधिकार पूर्ण एवं निरपेक्ष (Absolute) होते हैं यदि इनका मग हो तो यह युद्ध का कारण (Casus belli) बन सकता है, इन्हे प्राप्त करने के लिए नवाई छेड़ना उचित समझा जा सकता है। किन्तु वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियम विभिन्न राज्यों में सम्पर्क बढ़ाने के लिए तथा उन्हें सुविधा देने के लिए होते हैं, अतः ये पूर्ण और निरपेक्ष नहीं होते। दोनों कानूनों का एक दूसरा भेद यह है कि सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून विभिन्न राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों के विषय में होता है, अतः उसमें दोनों पक्ष दो राज्य होते हैं। वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून में ऐसी स्थिति नहीं है। इसमें एक ही देश के न्यायालय विदेशियों में सम्बन्ध रखने वाले कुछ मामलों में लागू किये जाने

वाले सिद्धान्तों और नियमों का निश्चय करते हैं। इस दृष्टि से इस कानून के साथ अन्तर्राष्ट्रीय विशेषण का प्रयोग आमक है।

(ख) वास्तविक और प्रक्रियात्मक अन्तर्राष्ट्रीय कानून (Substantive and Procedural International Law) — वर्गीकरण का दूसरा प्रकार वास्तविक (Substantive) तथा प्रक्रियात्मक (Procedural) अन्तर्राष्ट्रीय कानून है। देश की स्वतन्त्रता से तथा किसी प्रदेश पर स्वामित्व में सम्बन्ध रखने वाले विषयों का कानून वास्तविक (Substantive) कहताता है, क्योंकि इसका सम्बन्ध वास्तविक (Substantive) अधिकारों से होता है। इन अधिकारों की रक्षा करने की विधियाँ तथा अधिकारों का ह्रास होने पर प्रतिकार के उपाय प्रक्रियात्मक अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत समझे जाते हैं।

(ग) तीसरा प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों को युद्ध और शान्ति के दो बड़े भागों में विभक्त करता है। पिछले अध्याय में यह बताया जा चुका है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के जन्मदाता माने जाने वाले ग्रोशियस (Grotius) की पुस्तक का नाम ही 'युद्ध और शान्ति पर' (De Jure Belli ac Pacis) है। उसने अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का वर्णन इन दो वर्गों में वाट कर किया है। पहले युद्ध के नियमों पर बहुत बल दिया जाता था, आजकल शान्ति के नियमों का विकास महत्वपूर्ण माना जाता है।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय कानून के वर्गीकरण के चौथे प्रकार का आधार यह है कि कोई एक कानून या नियम कितने राज्यों पर लागू होता है। इस दृष्टि से इसे विशेष (Particular), सामान्य (General) और सार्वभौम (Universal) नामक तीन वर्गों में बाटा जाता है। १८१७ में रश-बागोट (Rush-Bagot) समझौता हुआ, इसके अनुसार दोनो देशों ने यह निश्चय किया कि वे महाभौमो (Great Lakes) के प्रदेश में कोई सेना नहीं रखेंगे। यह विशेष अन्तर्राष्ट्रीय कानून हुआ। दो देशों में होने वाली संधियाँ इसी वर्ग में आती हैं। सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून का आशय ऐसी संधियों, समझौतों और नियमों में है जिन्हें विश्व की प्रमुख शक्तियाँ तथा अधिकांश देश स्वीकार करते हैं। युद्ध का परित्याग करने वाले १६२८ के केलाग-झीन्ना पैंक्ट को ६३ राज्यों ने स्वीकार किया था, १०१० संध के चार्टर को उसके १२३ सदस्यों ने माना है। अतः ये सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत समझे जाते हैं। तीसरा वर्ग सार्वभौम अन्तर्राष्ट्रीय कानून का है, इसमें ऐसे नियम आते हैं, जो सभी राज्यों द्वारा स्वीकार किये जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनेक परम्परागत (Customary) नियम इसी प्रकार के हैं, जैसे राजद्रोहों के विशेषाधिकार, तीन मील तक के समुद्र को तटवर्ती राज्य की सीमा में मानना, महासमुद्रों की स्वतन्त्रता (Freedom of the High Seas)।

(ङ) लन्दन विश्वविद्यालय के जार्ज श्वार्त्सिनबर्जन ने चौथे प्रकार का एक अभिन्न वर्गीकरण किया है। वह अन्तर्राष्ट्रीय कानून को शक्ति (Power), सहयोग (Coordination) तथा पारस्परिकता (Reciprocity) के तीन वर्गों में बाटता है। स्वामी और दाग के सम्बन्ध पहले वर्ग में आते हैं, प्रबल और निर्बल राष्ट्रों में इस प्रकार के

सम्बन्ध होते हैं। सहयोग के कानून के उदाहरण स्त्रियों के व्यापार का निरोध, अफीम के व्यापार का निरोध, शरणाधियों के साथ व्यवहार के नियम हैं। इन नियमों के पालन कराने में सभी राष्ट्र एक-दूसरे को सहयोग देने हैं। तीसरा वर्ग पारस्परिकता के नियमों का है। इनमें राजदूतों के विशेषाधिकार, अपराधियों के प्रत्यर्पण (Extradition) आदि के नियम आते हैं। प्रत्येक देश दूसरे देश के राजदूतों को कुछ मुविधायें देता है और ऐसी ही मुविधायें उसके राजदूत अन्य देशों में प्राप्त करते हैं। यदि एक देश किसी दूसरे देश के राजदूतों की मुविधायें छीनता है, तो दूसरा देश पहले देश के राजदूतों की मुविधायें समाप्त कर देता है। यही पारस्परिकता का व्यवहार है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रतिपाद्य विषय (Subjectmatter of International Law) — प्रोफेसर के मतानुसार इस के मुख्य अंग युद्ध और शान्ति के कानून हैं। विख्यात विधिवेत्ता आपेनहाइम ने इस विषय पर अपना सुप्रसिद्ध पुस्तक को दो खण्डों में विभक्त करते हुए एक में शान्ति के तथा दूसरे में युद्ध के नियमों का वर्णन किया है। वस्तुतः इसमें शान्ति के नियमों की ही प्रधानता है। डा० जेन्स (Jeynks) ने वर्तमान शान्ति के कानून को निम्न आठ अंगों में बाँटा है— (१) अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के स्वरूप का तथा कानून निर्माण की प्रक्रियाओं का नियन्त्रण करने वाला कानून। (२) राज्यों के मध्य विभिन्न सम्बन्धों को अनुशासित करने वाला कानून—इसमें प्रदेश विपयक तथा महामुद्रों की स्वतन्त्रता के, आकाश की प्रसूता के क्षेत्राधिकार के, राज्यों के उत्तरदायित्व के और राज्यों के पारस्परिक सम्पर्क के नियम आते हैं। (३) अन्तर्राष्ट्रीय गारण्टियों द्वारा सुरक्षित किये जाने वाले मानवीय अधिकार—इनमें राजनैतिक, सामाजिक, प्राथिक और नागरिक (Civil) सभी प्रकार के अधिकार आते हैं। (४) अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप रखने वाली सम्पत्ति के तथा काफीराइट, पेटेण्ट आदि के अधिकार। (५) अन्तर्राष्ट्रीय मध्याओं द्वारा बनाये गये हवाई, समुद्री यातायात के नियम, विभिन्न प्राथिक और प्राविधिक समझौते। (६) वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून से सम्बन्ध रखने वाले नियम। (७) सभियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के सम्पन्न करने, रद्द बनाने, इनके संशोधन, व्याख्या और समाप्ति करने के नियम। (८) अन्तर्राष्ट्रीय पञ्चनिर्णय (Arbitration) के नियम।

स० रा० सघ के महामन्त्री द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग (International Law Commission) को विचारणीय विषयों के सम्बन्ध में दिए गए एक आवेदनपत्र में इसके २५ अंग बनाये गए हैं। ये इस प्रकार हैं—अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विषय (Subjects) अर्थात् राज्य, अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत, राज्यों के कानून के प्रति अन्तर्राष्ट्रीय कानून के दायित्व, राज्यों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य, राज्या और सरकारों की मान्यता, राज्यों और सरकारों का उत्तराधिकार (Succession), घरेलू क्षेत्राधिकार (Domestic jurisdiction), विदेशी राज्यों की मान्यता, विदेशी राज्यों पर क्षेत्राधिकार, प्रादेशिक क्षेत्राधिकार (Territorial jurisdiction) के दायित्व, राष्ट्रीय

प्रदेश से बाहर किये गये अपराधों का क्षेत्राधिकार, राज्य का प्रादेशिक क्षेत्र (Domain), महामुद्रो तथा प्रादेशिक सन्धि पर प्रभुता, अन्तर्राष्ट्रीय भगडों का शान्तिपूर्ण निपटारा, राष्ट्रीयता और राज्यहीनता (Statelessness), कूटनीतिक सम्पर्क (Diplomatic intercourse) और विशेषाधिकार, व्यापारिक प्रतिनियमों का संपर्क और विदेशियों (Alien) के साथ व्यवहार, प्रत्यर्पण (Extradition) आश्रयदान (Asylum) का अधिकार, संधियों का कानून और राज्य का उत्तरदायित्व, मध्यस्थ निर्णय की प्रक्रिया, युद्ध के कानून। इस सूची में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के लगभग सभी प्रतिपाद्य विषयों का वर्णन आ जाता है। *q. ues +*

अन्तर्राष्ट्रीय कानून क्या वास्तव में कानून है? (Whether International Law is true law?) — (क) पूर्वपक्ष — इस प्रश्न पर विधिशास्त्रियों में तीव्र मतभेद है। आस्टिन (Austin), हालैंड (Holland) आदि पुराने कानूनवेत्ताओं का यह मत था कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून को कोई सत्ता नहीं है। किन्तु अधिकांश अन्तर्राष्ट्रीय विचारक और विधिशास्त्री इसे कानून मानते हैं। गहाँ दोनों पक्षों के मतों का संक्षिप्त प्रतिपादन किया जायगा। अन्तर्राष्ट्रीय कानून को वास्तविक कानून न माननेवाले प्रमुख विचारक निम्नलिखित हैं—

(अ) प्रिंसी कोन्सिल के लांड चीफ जस्टिस कोलरिज ने फ्रैकोनिया (Franconia) के मामले में अपना निर्णय देने समय पहले पक्ष का प्रबल पोषण करते हुए कहा था—“सच्ची बात तो यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून एक अशुद्ध शब्द (Inexact expression) है। यदि इसकी अशुद्धता को मन में रखा जाय तो इसमें भ्रम उत्पन्न हो सकता है। कानून से यह सूचित होता है कि कोई कानून को बनाने वाला है तथा इसे लागू करने वाला तथा इसका उल्लंघन करने वाला को दण्ड देने वाला कोई न्यायालय है। किन्तु सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न (Sovereign) राज्यों के लिये कोई विधान निर्माता नहीं है और न ही किसी न्यायालय को यह अधिकार है कि वह उन्हें अपने आदेशों द्वारा इसके पालन के लिये बाधित कर सके और यदि राज्य इस कानून को अवहेलना करे तो उन्हें दण्ड दे सके। राष्ट्रों का कानून प्रथाओं का ऐसा समूह है, जिसके सम्बन्ध में सम्मत् राज्यों ने यह स्वीकार कर लिया है कि एक-दूसरे के साथ व्यवहार में इन प्रथाओं का पालन करेंगे। संधियाँ केवल राष्ट्रों के समझौतों का परिणाम हैं और कम-से-कम इंग्लैंड में ये संधियाँ न्यायालयों को बाधित नहीं कर सकती। न ही विधिशास्त्रियों का किसी विषय में ऐकमत्त न्यायालय को बाधित कर सकता है। यह केवल अन्तर्राष्ट्रीय विषयों में राष्ट्रों के समझौते का सूचक है और ऐसे विषयों पर ब्रिटिश न्यायालय जब कोई निर्णय देते तो वे उसे इंग्लिश कानून का अंग मानकर ही देते।” सर जेम्स स्टीफन ने भी यही मत प्रकट किया था।

(धा) उपर्युक्त निर्णय का प्रधान आधार ब्रिटिश विधिशास्त्री जान आस्टिन (१७६०-१८५६) का कानून सम्बन्धी सिद्धान्त था। इसके अनुसार “कानून” शब्द का प्रयोग केवल ऐसे नियमों के लिये किया जाना चाहिये जो विधान निर्माण करने का अधिकार रखनेवाली किसी निम्न नक्ति द्वारा बनाये गये हों और जिनको किसी भी शक्ति

के बल या दबाव से लागू किया जाता हो। वाप्य रूप से इनका पालन कराने वाली शक्ति को उसने अनुज्ञप्ति या सम्मोदन (Sanction) कहा है।^{१३} उसके मतानुसार "कानून" सदैव एक आज्ञा होती है, यह राजनैतिक दृष्टि से प्रभुसत्ता (Sovereignty) रखने वाले की ओर से अपने वशवतियों को दी जाती है। "यदि कानून की इस कसौटी पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून को कसा जाय तो वह खरा नहीं उतरता। क्योंकि राष्ट्रों का कानून भावात्मक कानून (Positive law) नहीं है। ऐसा कानून सदैव किसी प्रभुसत्ता सम्पन्न व्यक्ति द्वारा अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को दिया जाने वाला आदेश होता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सम्बन्ध में ऐसी बात नहीं है। क्योंकि उसकी स्थापना एक सामान्य सम्मति (General opinion) से होती है। उसके पालन की बाध्यकर्त्री शक्ति (Sanction) नैतिक ही है, क्योंकि सामान्य रूप से स्वीकृत और सम्मानित अन्तर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ते हुए राज्यों को यह डर होता है कि इससे दूसरे देशों में उनके प्रति शत्रुता का भाव उत्पन्न होगा, उन्हें इससे बड़ी क्षति उठानी पड़ेगी।"^{१४} अतएव आस्टिन ने यह मत व्यक्त किया है कि सादृश्य (Analogy) के आधार पर भले ही अन्तर्राष्ट्रीय नियमों को कानून बह लिया जाय, किन्तु कानून की गौतिक विशेषतायें इनमें नहीं हैं, अतः इन्हें कानून नहीं कहा जा सकता। यह केवल भावात्मक अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता (Positive International morality) है।

(३) एक अन्य ब्रिटिश विधिशास्त्री डा० हाल्लण्ड (Holland) ने भी उपर्युक्त कारणों से आस्टिन के पक्ष का समर्थन किया है। उन्होंने अपने एक प्रसिद्ध तथा बहुधा उद्धृत पात्र में कहा है कि "अन्तर्राष्ट्रीय कानून विधिशास्त्र का तिरोधान बिन्दु (Vanishing Point of Jurisprudence) है। इसका यह अन्निर्णय है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र तक पहुँचने से पहले ही विधिशास्त्र की सीमा लुप्त और घुबली होने लगती है, अतः उसे विधिशास्त्र का अंग नहीं मानना चाहिये। इसे सौजन्यवश (By Courtesy) ही कानून कहा जाता है। यह वस्तुतः नैतिक नियमों का समूह मात्र है। हाल्लण्ड ने इसके दो हेतु दिये हैं। पहला हेतु तो यह है कि इसमें दोनों पक्षों के ऊपर, राज्यों के पारस्परिक विवाद का निर्णय करने वाली कोई शक्ति नहीं है। दूसरा हेतु यह है कि जहाँ जहाँ राज्यों के एक बड़े अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में समझित होने से अन्तर्राष्ट्रीय नियम कानूनो जैसा रूप धारण करने लगते हैं, त्यों-त्यों इसका यह स्वरूप

१३. इस शब्द का इतिहास बड़ा मनोरंजक है। अंग्रेजी का Sanction लैटिन के Sanctio से निकला है। इसका मूल अर्थ धर्मार्पण (Consecration) था। इसके बाद इसका प्रयोग धार्मिक दायित्व के रूप में होने लगा। रोमन लेखकों ने इसका व्यवहार किसी नियम के आवश्यक रूप से पालन के लिए किया। बेन्थम ने आधुनिक कानून में इसका वर्णना अर्थ में प्रयोग आरम्भ किया। हिन्दी में Sanction का अमली मूल अर्थ देने वाला शब्द धर्म है, किन्तु इसका उपर्युक्त अर्थ में प्रयोग सम्भव नहीं है। अतः यहाँ इसके लिये अनुज्ञप्ति या सम्मोदन का प्रयोग किया गया है।

१४. आग्निन—प्रोबिन्स ऑफ़ जूरिसप्रुडेन्स डिस्टिन्क्शंड, द्वितीय संस्करण, १८६१, पृ० १२७ तथा १७७।

सुप्त हो जाता है और यह सघीय (Federal) सरकार के सार्वजनिक कानून के रूप में परिणत हो जाता है।" *McLachlin, 1912 की ओर*

इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय नियमों को कानून न मानने वाले पहले पक्ष की मुख्य मुक्तियाँ निम्नलिखित हैं—(१) कानून एक सर्वोच्च प्रभुशक्ति सम्पन्न राजनैतिक सत्ता द्वारा बनाये जाते हैं और उस सत्ता की भौतिक शक्ति तथा राजदण्ड के भय द्वारा लोगों को कानून का पालन करने के लिये बाधित किया जाता है। प्रत्येक कानून के पीछे उसका पालन बाध्य रूप से कराने वाली शक्ति या अनुज्ञप्ति (Sanction) अवश्य होनी चाहिये। नैतिक (Moral) नियमों और कानून में यही बड़ा अन्तर है कि पहले में ऐसी शक्ति का सर्वथा अभाव होता है। अन्तर्राष्ट्रीय नियमों को बाधित रूप से पालन कराने वाली शक्ति (Sanction) का तथा सत्ता (Authority) का अभाव है, अतः इन्हें कानून नहीं कहा जा सकता।

(२) कानून प्रभुशक्त (Sovereign body) द्वारा बनाये जाते हैं। विभिन्न राज्यों के सम्बन्ध में यह स्थिति है कि उन पर प्रभुसत्ता रखने वाली और उनके लिए कानून बनाने वाली कोई सत्ता नहीं है।

(३) जिस प्रकार किसी राज्य में व्यक्तियों में विवाद या झगडा उत्पन्न होने पर उसके निर्णय के लिये न्यायालय बने हुए हैं, वे कानून की व्याख्या करते हैं और उसे लागू करते हैं, इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय नियमों की व्याख्या करने तथा उसके विवादों के निर्णय के लिये कोई न्यायालय नहीं है।

किन्तु आस्टिन (Austin) द्वारा उपर्युक्त मत स्थापित किये हुए एक गताब्दी बीत चुकी है। इस बीच में कानून के स्वरूप के सम्बन्ध में हुए नवीन अनुसन्धानों और चिन्तन ने उसकी उपर्युक्त धारणा को मिथ्या सिद्ध कर दिया है, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हुई तीव्र प्रगति के कारण उसका मत सर्वथा अमान्य हो गया है। सर हेनरी मेन, लार्ड रसेल आदि विद्वानों ने आस्टिन के मत का प्रबल तर्कों के आधार पर खण्डन किया है। यहाँ इनका संक्षेप से उल्लेख किया जायेगा।

(ख) उत्तर पक्ष, अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के कानून होने का समर्थन—इसके प्रमुख समर्थक (ग्र) सर हेनरी मेन (Sir Henry Maine) ने यह प्रदर्शित किया है कि किसी नियम के कानून होने के लिए यह आवश्यक नहीं कि उसके पीछे उसके पालन को बाध्य बनाने वाली शक्ति या अनुज्ञप्ति (Sanction) हो। उसके शब्दों में— "आस्टिन ने भाषा की काफी खींच-तान करके प्रदर्शित किया है कि भावात्मक (Positive) कानून में चाहे यह दीवानी हो या फौजदारी सर्वत्र अनुज्ञप्ति अवश्य पायी जाती है। वस्तुतः उसने यह बहुत बड़ा कार्य (Feat) किया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उसके कुछ सिद्ध भाषा से यह परिणाम निकालते हैं कि मनुष्य सर्वत्र दण्ड के भय से नियमों का पालन करते हैं। वस्तुतः यह बिल्कुल असत्य है। मनुष्य अधिकतम नियमों का पालन मन के स्वभाव मात्र में अचेतन रूप में (Unconsciously) करते हैं। मनुष्य कई बार नियमों का उल्लंघन करने पर मिलने वाले दण्डों के भय से भी इनका पालन करते हैं, किन्तु प्रत्येक समुदाय में अचेतन रूप से नियमों का पालन

करने वाले अधिकांश व्यक्तियों की तुलना में ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत कम होती है। यह वस्तुतः अपराध करने वाले वर्गों तक सीमित होती है। यदि एक व्यक्ति दण्ड के भय से चोरी या हत्या नहीं करता तो साक्षी व्यक्ति ऐसे है जो किसी प्रकार का विचार किए बिना स्वाभाविक रूप से ऐसे कार्य नहीं करते।”^{१४}

विभिन्न देशों की प्राचीन तथा अर्वाचीन कानून पद्धतियों के गम्भीर अध्ययन से यह सिद्ध हो गया है कि आस्टिन का यह सिद्धान्त सदैव सत्य नहीं होता कि कानून एक सर्वोच्च सत्ता रखने वाले प्रभु का आदेश होता है। प्रायः सभी समाजों में कानून का आदिम रूप विरकाल से चले आने वाले रीति रिवाज, प्रथाय और रुढ़ियाँ होती हैं। ये किसी सर्वोच्च सत्ता के आदेश नहीं होने, ये किसी कानून बनाने वाली संस्था द्वारा नहीं बनाये जाते किन्तु फिर भी कानून समझे जाते हैं और इनका पालन कानून की भाँति होता है। इंग्लैण्ड का सारा कॉमन ला (Common Law) और व्यापारिक कानून (Merchant Law) इसी प्रकार विकसित हुआ है, इसे किसी प्रभु के आदेश से नहीं बनाया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट को कानून बनाने का पूरा अधिकार है, किन्तु यह दो किराी सर्वोच्च सत्ता की आज्ञा से नहीं मिला।

(भा) क्लोडन के लाई रसेल ने इस विषय का विवेचन करते हुए साराटोगा (न्यूयॉर्क) में दिये गए अपने प्रसिद्ध भाषण में कहा था “यदि ऐतिहासिक रूप से कानून के विकास पर विचार किया जाय तो यह ज्ञान होगा कि कानून से पहले समाज की आरम्भिक दशाओं में प्रथागत (Customary) कानून था। जिन समाजों में आस्टिन के मतानुसार कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, वहाँ भी ऐसी प्रथाओं और नियमों का विकास होता है, जो वस्तुतः कानून हैं। इसका उदाहरण व्यापारिक कानून (Merchant Law) है। निरक्षर शक्ति के परवर्ती विकास में कानूनों को आस्टिन के अर्थों में एक ऊँची सत्ता की ऐसी आज्ञा समझा जाता है जिसे बाबित रूप से पालन कराने की शक्ति उसके पास है। किन्तु इसके बाद की अवस्थाओं में जब सरकार स्पष्ट रूप से अधिक लोकतन्त्रीय बनती है, वह सार्वजनिक इच्छा पर आधारित होती है, तब कानून का, बाधित करने वाली शक्ति द्वारा धोपी जाने वाली आज्ञाओं का स्वरूप कम होता जाता है और उन्हें सहमति (Consent) पर आधारित परम्परागत कानून का स्वरूप अधिकाधिक मात्रा में प्राप्त होने लगता है। मेरा यह वाक्य है कि राष्ट्रों ने एक-दूसरे के प्रति व्यवहार में जिस नियम समूह के अनुकूल आचरण करने का निश्चय कर लिया है, उसे यथार्थ रूप से अन्तर्राष्ट्रीय कानून का नाम दिया जाना चाहिए।”^{१५}

(उ) ब्रिअर्ली (Brierly) ने आस्टिन के “माजा सिद्धान्त” (Common Theory) की आलोचना करते हुए यह सत्य ही लिखा है—“आधुनिक राज्य के कानून का आस्टिन द्वारा किया गया निरूपण भ्रामक और अपूर्ण है। यदि इसे सत्य माना जाय तो जब तक हम लक्षण में ठीक विधानों के लिए तथ्यों की तौड़ मरोड़ नहीं करते, तब

१४. मेन—इण्टरनेशनल ला, पृ० ५०

१५. ला ब्रिअर्ली रि-व्यू, १८६६, पृ० ३१२

तक हम इंग्लैंड के कॉमन ला का अस्तित्व नहीं मान सकते । राज्यों के कानून को अन्तर्राष्ट्रीय कानून से पृथक् करने वाली तथा इसके कानूनी स्वरूप में सन्देह उत्पन्न करने वाली अधिकांश विशेषताएँ ऐसी हैं जो विभिन्न कानूनी पद्धतियों के आरम्भिक रूपों में पायी जाती हैं । ये विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—प्रथा पर आधारित होना, दोनों पक्षों को अपने मामले में न्यायालय का क्षेत्राधिकार मानने में या उसे मामला सौंपने में स्वतन्त्र होना, कानून को बनाने और इसे लागू करने की नियमित प्रक्रियाओं का अभाव । ' सर फ्रेडरिक पोलक (Sir Fredrick Pollock) का मत है कि "कानून की सत्ता के लिए आवश्यक शर्तें केवल यही हैं कि यह एक राजनैतिक मनुदाय की सत्ता हो तथा इसके सदस्य यह समझते हों कि उन्हें कुछ निश्चित नियमों का आवश्यक रूप में पालन करना होगा" ।^{१५} सामान्य रूप से अन्तर्राष्ट्रीय कानून इन दोनों शर्तों को पूरा करता है ।

(इ) स्टार्क (Starke) ने निर्गलितकारणों के आधार पर आस्टिन के मन का खटन किया है—(क) वर्तमान ऐतिहासिक विधिशास्त्र (Historical Jurisprudence) ने आस्टिन के कानून विषयक सामान्य सिद्धान्त का परित्याग कर दिया है । यह भली भाँति सिद्ध किया जा चुका है कि अनेक समाजों में औपचारिक रूप से कानून बनाने की कोई सस्था नहीं थी, फिर भी उनमें कानून की एक पद्धति प्रचलित थी और इसका पालन होना था । (ख) आस्टिन के विचार उसके समय में भले ही सत्य हों, किन्तु वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय कानून के लिए सत्य नहीं हैं । पिछले आधी शताब्दी में सन्धियों और समझौतों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून का बहुत बड़ी मात्रा में निर्माण हुआ है ।^{१६}

अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के कानून होने का समर्थन—ओपेनहाइम द्वारा आस्टिन के मत का खण्डन—प्रसिद्ध विधिशास्त्री ओपेनहाइम (Oppenheim) ने उपर्युक्त मत की आलोचना करते हुए कहा है कि हमें कानून का सही अर्थ समझने के लिये कानून (law) और नैतिकता (morality) की तुलना करनी चाहिये, क्योंकि ये दोनों मनुष्यों के पारस्परिक व्यवहार तथा आचरण के नियमों का निर्धारण करती हैं । नैतिकता के नियमों की यह विशेषता है कि वे केवल अन्तःकरण (conscience) पर ही प्रभाव डालते हैं, इनके पालन कराने का साधन अन्तःकरण ही है, मनुष्य के भीतर का अन्तरात्मा ही इन नियमों का उत्सर्जन रोक सकता है । यदि कोई व्यक्ति सत्य बोझें, चोरी या हिंसा न करने के नैतिक नियमों को तोड़ना चाहता है तो उसे रोकने का सामर्थ्य केवल अन्तरात्मा में है, किन्तु बाह्य शक्ति में नहीं । उसने सप्रेम विपरीत कानून का पालन बाह्य शक्ति द्वारा बलपूर्वक कराया जाता है । यदि कोई व्यक्ति सरकार द्वारा बनाये किसी कानून का भंग करना है तो वह राज्य द्वारा पकड़ा जाता है और न्यायालय द्वारा दण्डित होता है । कानून का पालन राज्य की शक्ति तथा दण्ड के भय द्वारा किया जाता

१६. द्वितीय—टी ला आफ नेशनल्स, पंचम संस्करण, पृ० ७०-७१

१७. पोलक—आल्फ्रेड टैल्बर्ट (१८३०), पृ० २८

१८. स्टार्क—एन इंट्रोडक्शन टू इन्टरनेशनल ला, नूतन संस्करण, पृ० १८

है। अतः आपेनहाइम के शब्दों में कोई नियम तब नैतिकता का नियम कहलाता है, जब किसी समुदाय की सामान्य सहमति से यह नियम केवल अन्तःकरण पर लागू होने वाला समझा जाता है। दूसरी ओर कोई नियम तब बाह्य शक्ति द्वारा लागू किया जाता है, जब किसी समुदाय की सामान्य सहमति में यह अन्ततोगत्वा बाह्य शक्ति द्वारा लागू किया जाता है।

कानून की सत्ता के लिये यह आवश्यक नहीं है कि इसे बनाने वाली कोई राज-शक्ति हो तथा इसका मग करने वाला को दण्ड देने के लिए कोई न्यायालय हो। किसी आदिम समाज (Primitive Community) में जब कानून का कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो इसका निर्णय कोई न्यायालय नहीं, किन्तु समूचा समाज करता है। सभ्यता के विकास के साथ नवीन परिस्थितियों में पूरे समाज के लिये यह कार्य करना सम्भव न रहा। अतः समाज में कानून बनाने वाली विधानसभाओं का तथा कानून को लागू करने वाले पाल न्यायालयों का आविर्भाव तथा विकास हुआ।

(ई) उपयुक्त तथ्यों के आधार पर आस्टिन द्वारा की गई कानून की परिभाषा को अपूर्ण समझते हुए डा० आपेनहाइम ने इसकी एक व्यापक परिभाषा की है—
‘कानून एक समुदाय में मानवीय व्यवहार के ऐसे नियमों का समूह है, जो इस समुदाय की सामान्य सहमति द्वारा बाह्य शक्ति द्वारा लागू किया जाता है।’ यदि इस लक्षण को मान दिया जाय तो कानून की सत्ता के लिए तीन शर्तें (Conditions) आवश्यक हैं—

(१) समुदाय (Community), (२) इस समुदाय में मानवीय व्यवहार के लिये माने जाने वाले नियमों का समूह, (३) बाह्य शक्ति द्वारा इन कानूनों का पालन कराया जाना। आपेनहाइम ने यह सिद्ध किया है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून में ये तीनों शर्तें पाई जाती हैं।

पहली शर्त समुदाय की है। इसमें कोई गन्देह नहीं कि इस समय सब राज्य सर्वोच्च प्रभुसत्ता रखते हैं एक-दूसरे से स्वतन्त्र हैं इन राज्यों के ऊपर कोई अन्तर्राष्ट्रीय सरकार नहीं है। फिर भी इन राज्यों के आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और मानवीय हित बहुत कुछ मिलते हैं। इन सामान्य हितों ने इनमें एकता की भावना उत्पन्न करके अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय (International Community) का निर्माण किया है। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अनेक प्रकार की सन्धाय बनाई गई हैं। राष्ट्रसंघ और मयुक्त राष्ट्र संघ तथा इनसे सम्बद्ध विभिन्न सन्धाय और अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की अथवा राष्ट्रों के एक कुटुम्ब (Family of Nations) की सत्ता प्रमाणित करते हैं।

दूसरी शर्त इस समुदाय के व्यवहार के लिये नियमों की सत्ता है। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा पालन किये जाने वाले नियमों का एक विशाल सङ्ग्रह अतः नर, नन, कुन्द,

१६. आपेनहाइम—इंटरनेशनल ला, खंड १, अष्टम संस्करण, पृ० १०

“A body of rules for human conduct within a community which by the common consent of the community shall be enforced by an external power”

है। ये नियम दो प्रकार के हैं . (क) परम्परागत, रिवाजी (Customary) या अलिखित, जैसे राजदूतों के लिये विशेषाधिकार, (ख) अन्तर्राष्ट्रीय सम्झौते तथा संधियाँ जैसे १८५६ का पेरिस का घोषणा-पत्र, म्यलबुर्क के सम्बन्ध में १८६६ तथा १९०७ में ह्यूग के अभिसमया (Conventions) द्वारा तय किये नियम, १९२८ का पेरिस का कैलाग-त्रीआ पेंट, १९४५ का संयुक्त राष्ट्र का चार्टर ।

मौसरी सत्तें इन कानूनों का पालन कराने वाली सत्ता या शक्ति है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून में इसका अभाव नहीं है। सबसे बड़ी बाध्य करने वाली शक्ति या अनुज्ञप्ति (Sanction) तो विश्व का प्रबल लोकमत है। इसके सम्मुख बड़े शक्तिशाली राज्यों को नतमस्तक होना पड़ता है। इसका एक सुन्दर उदाहरण अक्टूबर १९५६ में इंग्लैंड और फ्रांस द्वारा मिश्र पर किया गया आक्रमण है। इस समय विश्व के लोकमत ने इंग्लैंड और फ्रांस के इस कार्य का इतना प्रबल विरोध किया कि इन्हे मिश्र से अपनी सेनायें वापिस बुलाने के लिये विवश होना पड़ा। समाचारपत्र, पुस्तक, राजनीतिज्ञों के वैयक्तिक पत्र-व्यवहार इग लोकमत के निर्माण में बड़ा भाग लेते हैं। श्रीरामचन्द्र ने कहा था—लोकप्रवाहो बलवान्मतो मे। वर्तमान राज्य भी इसे इतना ही शक्तिशाली सम्झते हैं। इनका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि वे भले ही किसी अन्तर्राष्ट्रीय नियम का उल्लंघन करें, किन्तु अपने कार्य को सर्वत्र अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुकूल सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। अतएव राज्य को अपने देश के तथा दूसरे देशों के लोकमत का आदर करना पड़ता है। यदि वह अपने देश के लोकमत की उपेक्षा करे तो वर्तमान लोकमतों में ऐसे भक्तिमण्डलों या अपने पक्षों पर बना रहना असम्भव हो जाता है। अक्टूबर १९५६ में ब्रिटिश सरकार ने मिश्र पर हमला किया, किन्तु ब्रिटिश लोकमत ने इसका विरोध किया, इसके परिणामस्वरूप तत्कालीन ब्रिटिश प्रधान मंत्री ईडन को अपना पद छोड़ने के लिये विवश होना पड़ा। इसी प्रकार प्रत्येक देश को दूसरे देशों के लोकमत का भी सम्मान करना पड़ता है। वर्तमान समय में आर्थिक दृष्टि में सब देशों की एक-दूसरे पर निर्भरता इतनी अधिक बढ़ गयी है कि कोई देश पूर्ण रूप से स्वावलम्बी नहीं है, उसे अपनी सैकड़ों आवश्यकतायें दूसरे देशों से पूरी करनी पड़ती हैं। अपने विकास के लिये बाह्य रूपों के ऋण, सैनिक सामग्रियों, कारखानों के लिये कच्चा माल अन्य देशों से लेना पड़ता है। यदि वह दूसरे देशों के लोकमत का आदर नहीं करता तो अन्य देशों के आर्थिक दृष्टिकार द्वारा उसे इसके लिये विवश किया जा सकता है। अमरीकन राष्ट्रपति क्लिन्टन ने इसी दृष्टि में राष्ट्रमध्य के सविधान में आर्थिक प्रतिबन्धों या दण्डों (Economic Sanctions) की व्यवस्था करायी थी। इटली द्वारा एथी-सोनिया पर आक्रमण करने के समय इनका प्रयोग हुआ था। आर्थिक आवश्यकता दूसरे देशों के लोकमत को मानने के लिये किस प्रकार बाधित करती है, इसका सुन्दर उदाहरण ऊपर बताया गया मिश्र पर ब्रिटिश आक्रमण है। कहा जाता है कि अमरीकन सरकार ब्रिटिश सरकार के इस कार्य को बुरा समझती थी, इसी समय ब्रिटिश सरकार को वाशिंगटन से अपनी आर्थिक आवश्यकता के लिये भारी कर्ज लेना था। इसे देने के लिये अमरीकन सरकार ने यह सत्तें लगाई कि ब्रिटिश सरकार मिश्र से अपनी फौजें वापिस

बुला ले, इंग्लैण्ड को दूसरे देश के लोकमत का सम्मान करने को बाधित होना पडा ।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून को तत्पूर्वक लागू कराने वाली दूसरी बड़ी शक्ति राष्ट्र-सभ और स० रा० सभ की है । अगले अध्यायी में इनके इस कार्य का विशेष रूप से वर्णन किया जायगा । यहाँ इतना ही उल्लेख पर्याप्त है कि सभ की सुरक्षा परिषद् को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखने के लिये प्रभावशाली सैनिक कार्यवाही करने का पूरा अधिकार है और उसने दो बार इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया है । दक्षिण कोरिया पर उत्तर कोरिया का आक्रमण होने पर सुरक्षा परिषद् के २७ जनतथा ७ जुलाई १९५० के प्रस्तावों के अनुसार पहली बार दक्षिण कोरिया की रक्षा के लिये १६ देशों के सहयोग से स० राष्ट्र सभ ने सेनाय मजी और सैनिक कार्यवाही की । दूसरी बार सुरक्षा परिषद् ने अक्टूबर १९५६ में मिथ पर इजराइल, फ्रान और इंग्लैण्ड का समुक्त आक्रमण रोकने के लिये बड़ी प्रभावशाली सैनिक कार्यवाही की तथा इन देशों को अपनी सेनाय वापिस बुलानी पडी । इसके अनिश्चिन्त स० रा० सभ की जनरल असेम्बली ने १२ दिसम्बर १९५० को पास किये गये एक प्रस्ताव के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का उन्मथन करने वाले व्यक्तियों को दण्डित करने के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय स्थापित करने का निश्चय किया है । हेग का अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय विभिन्न राष्ट्रों के कानूनी विवादों के निर्णय करने का कार्य कर रहा है । आपेनहाइम के मतानुसार कानून की तीनों शर्तें पूरी करने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय नियमों को कानून मानना सर्वथा उचित है ।

आपेनहाइम ने कहा है कि इसमें कोई सदेह नहीं है कि राज्यों के कानून (Municipal Law) जिस बाध्यता और शक्ति के साथ लागू किये जा सकते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय कानून उस बाध्यता के साथ लागू नहीं किया जा सकते । ये राज्यों के कानून से कम स्पष्ट (Explicit) और निश्चित है । किन्तु फिर भी यह कानून है क्योंकि इसे दो कारणों से लागू (Enforce) किया जाता है । पहला कारण तो यह दृढ विश्वास है कि यह उत्तम है और दूसरा कारण वे सूक्ष्म प्रभाव (subtle influences) हैं, जिनके कारण मनुष्यों अथवा समूहों के लिये अपने साथ रहने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं के विचारों के प्रतिकूल आचरण करना कठिन हो जाता है । जिस प्रकार एक राज्य के व्यक्ति वहाँ के सामान्य कानून का पालन राजदण्ड के भय से करते हैं, उन्हीं प्रकार राष्ट्र भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून का पालन तांकापवाद के भय में करते हैं और सामान्यतः इसका उल्लंघन इसलिये नहीं करते कि उन्हें इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा । सामान्य कानून की भाँति अन्तर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना होती है, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि इस कानून की सत्ता ही नहीं है ।

(उ) सुप्रसिद्ध ब्रिटिश विधिशास्त्री हाल (Hall) ने इस विषय का विवेचन करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय नियमों को कानून मानने के विषय में निम्न तर्क दिये हैं—

(१) विभिन्न राज्य और विधिशास्त्री इसे कानून समझते रहे हैं और इसी रूप में

वरान करते रहे हैं ।

(२) कानूनी तर्क प्रणाली द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धान्तों का विकास होता रहा है ।

(३) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों में पूर्वोदाहरण (Precedents) का कानूनी तौर पर प्रयोग होता रहा है ।

(४) जिस प्रकार राज्यों के देशीय कानूनों में प्रामाणिक कानून विचारदो की सम्मति या उद्धृत की जाती है, वैसे ही अन्तर्राष्ट्रीय कानून में इनका अवलम्बन किया जाता है ।

(५) विभिन्न राज्यों के आचरण की आलोचना या समर्पण अन्तर्राष्ट्रीय कानून में प्रायः कानूनी दृष्टि में की जाती है ।

(६) यदि देशीय कानून (Municipal Law) राज्य की शक्ति द्वारा लागू किया जाता है तो अन्तर्राष्ट्रीय कानून को लोकमत द्वारा लागू किया जाता है । देशीय कानून की प्रारम्भिक अवस्था में ऐसा ही होता था उदाहरणार्थ आरम्भिक न्यूतानिक (जर्मन) समाज में यह कानून था कि यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी निश्चित प्रकार की कानूनी क्षति पहुँचाता था तो पहले व्यक्ति को यह अधिकार था कि जब तक उसकी क्षति पूर्ति न हो जाय तब तक वह दूसरे व्यक्ति के पशुओं को पकड़कर अपने पास रखे ।^{२१} राष्ट्रीय कानूनों में दण्ड देने वाली निश्चित राजनीतिक मता का विकास बहुत देर में हुआ है । अन्तर्राष्ट्रीय कानून अभी आरम्भिक दशा में है । अतः उसमें दण्ड देने वाली तथा कानून को बलपूर्वक लागू करने वाली मता का पूरी तरह विकास नहीं हुआ । किन्तु इसका पूर्ण विकास न होने के कारण उसे कानून न मानना ठीक नहीं है ।

(७) अन्तर्राष्ट्रीय कानून नैतिकता (morality) से सर्वथा भिन्न है । कानून में, इसे उल्लंघन करने वाला निश्चित राजदण्ड का भागी होता है, नैतिकता में इसके किसी नियम को तोड़ने वाला इस प्रकार के दण्ड का भागी नहीं होता । अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नैतिकता और कानून दो सर्वथा भिन्न वस्तुएँ हैं । सर फ्रेडरिक पोलक (Sir Fredrick Pollock) ने इनका अन्तर स्पष्ट करते हुए कहा है—यदि अन्तर्राष्ट्रीय कानून केवल नैतिकता का ही एक प्रकार होना तो विदेश नीति सम्बन्धी राजकीय पत्रों को तैयार करने वाले अपने पक्ष को पुष्ट करने वाली नैतिक युक्ति पर ही अपना सारा बल लगाते । किन्तु वस्तुतः वे ऐसा नहीं करते । वे नैतिक सचाई की भावना की अपील नहीं करते, किन्तु उदाहरणों, सन्धियों और विशेषज्ञों की सम्मति या प्रमाण रूप में उपस्थित करते हैं । वे यह बात स्वयनिष्ट मानकर चलते हैं कि राष्ट्रों के मामले में नैतिक बाध्यताओं के अतिरिक्त अनेक ऐसी कानूनी बाध्यताएँ भी हैं, जिन्हें राजनीतिक और विधिशास्त्र के लेखक स्वीकार करते हैं ।^{२२}

अन्तर्राष्ट्रीय कानून पर सबसे बड़ी आपत्ति यह की जाती है कि इसका उल्लंघन

२१. मदी, पृ० १५

२२. पोलक—आक्सफोर्ड लेक्चर्स, १८६०, पृ० १८

अधिक और पालन कम होता है। कानून की बड़ी विशेषता तो उमका पालन है, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमें बड़ी अराजकता दृष्टिगोचर होती है। अविनाशी राजा अपनी इच्छानुसार इन नियमों को तोड़ते रहते हैं। वर्तमान काल में मधियों का तोड़ना एक सामान्य घटना हो गई है। उदाहरणार्थ, १८५६ में रूस ने एक सन्धि में यह स्वीकार किया कि कृष्णसागर में रूस का जमी जहाजों का वेडा नहीं रखा जायगा, १८७० में फ्रेंको-जर्मन युद्ध छिड़ने पर उसने इसका उल्लंघन करते हुए कृष्णसागर में अपना वेडा भेज दिया। १८७८ की बर्लिन कांग्रेस ने बोस्निया हर्जोगोविना नामक दो प्रान्तों पर तुर्क आधिपत्य स्वीकार करने हुए, इन्हे शासन की दृष्टि में आन्ट्रिया के अधीन रखने का निश्चय किया। १९०८ में आन्ट्रिया ने इस समझौते की अवहेलना करते हुए इन दोनों प्रान्तों को अपने साम्राज्य का अंग बना लिया। हिटलर ने बर्साय की सन्धि की अनेक व्यवस्थाओं का उल्लंघन किया। मुमोलिनी ने निर्दोष एथीओनिया पर चढाई करके उसे अपना दास बनाया। पिछले दोनों महायुद्धों में अन्तर्राष्ट्रीय नियमों की खुलम-खुला अवहेलना हुई। श्री जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में युद्ध छिड़ने पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून केवल विधिवेत्ताओं के दिमाग में ही रह जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पूरी अराजकता और मात्स्य न्याय है, किन्ती प्रकार का कोई नियम नहीं है। इसमें कानून की सत्ता मानना कानून शब्द का गारी उपहास और बड़ी विडम्बना है।

किन्तु यह युक्ति कई प्रकार से दोषपूर्ण है। इसमें पहला दोष तो यह है कि नियमों के उल्लंघन मात्र में उनके अभाव की कल्पना नहीं की जा सकती। सभी सभ्य देशों में चोरी, डकैती, जालसाजी आदि को रोकने के लिये अनेक कानून बने हुए हैं, फिर भी ये भवैध कार्य होते रहते हैं। कानूनों का बहुत अधिक भंग होता है। किन्तु इसके पाषाण पर यह नहीं कहा जाता कि इन कानूनों की सत्ता नहीं है। यह सत्य है कि अनेक बार अन्तर्राष्ट्रीय विवादों में कानूनों की घोर अवहेलना और उपेक्षा होती है, किन्तु इसमें इनके अस्तित्व का अभाव किसी प्रकार सिद्ध नहीं किया जा सकता। प्रत्युत यह इनके अस्तित्व का प्रमाण है क्योंकि प्रायः ऐसे अवसरों पर राज्य यह बात सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के किसी नियम का भंग नहीं किया। श्री ओपेनहाइम (Oppenheim) ने इस विषय में यह सत्य ही लिखा है—
 व्यवहार में अन्तर्राष्ट्रीय कानून को कानून माना जाता है। युद्ध के समय विशेष रूप से इसके अतिक्रमण (Violations) अधिक सत्या में होते हैं। किन्तु इसे भंग करने वाले सदैव यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि उनके कार्यों में ऐसा अतिक्रमण नहीं हुआ। उन्हें राष्ट्रों के कानून के अनुसार कार्य करने का अविचार है तथा कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून उनके कार्यों का विरोध नहीं करता। तथ्य यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ते हुए भी वे कभी इसकी सत्ता से इकार नहीं करते। उनका प्रबल मत यह होता है कि वे इस कानून से अपने पाचरण का औचित्य सिद्ध करें, इस प्रकार वे इसका अस्तित्व स्वीकार करते हैं।”

उपरोक्त युक्ति में दूसरा दोष यह है कि इसमें पापान की अपेक्षा उत्पन्न की घटनाओं को अधिक महत्व दिया गया है। चार्ल्स श्लीघर ने यह ठीक ही लिखा है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून की समस्याओं द्वारा हजारों विवाद निपटाय गये हैं और इनके निर्णयों की अवहेलना सम्भवतः एक दर्जन से भी कम बार की गई है। किन्तु समाचार-पत्र इस प्रकार की अवहेलना, भग और युद्ध के समाचारों को बड़े मोटे शीर्षक देकर छापते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि में स्वाभाविक घटनायें नहीं, किन्तु अस्वाभाविक घटनायें ही समाचार होती हैं। कुत्ते द्वारा मनुष्य को काटना नहीं, किन्तु मनुष्य द्वारा कुत्ते को काटना समाचार होता है। अतएव सन्धि-भंग आदि की अस्वाभाविक घटनाओं को अधिक प्रकाशन प्राप्त होने से यह भ्रान्त धारणा उत्पन्न हो गई है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून की अधिक अवहेलना होती है। वस्तुतः इसका पालन अधिक और उल्लंघन कम होता है। येल् विश्वविद्यालय के अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन समूह के सचिवक श्री बोडी ने लिखा है— “जो सन्धियों का उल्लंघन करते हैं वे इस तथ्य की अपेक्षा कर देते हैं कि अधिकांश सन्धियों का निरन्तर, पूरी ईमानदारी और नियमित रूप से प्रतिबन्धन परिस्थानों में भी पालन होना है। सन्धि करने वाले दोनों पक्ष बड़ी अमुविधा उठाकर भी इनका पालन करते हैं।” जब कोई अन्तर्राष्ट्रीय विवाद उत्पन्न होता है तो दोनों पक्ष अपना दावा न्यायपूर्ण सिद्ध करने के लिये कानूनी युक्तियों का सहारा लेते हैं। यही इस बात का सूचक है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय कानून का अस्तित्व स्वीकार करते हैं।”

क्या अन्तर्राष्ट्रीय कानून कपोल कल्पना है? (Is International Law a myth?)—अनेक लेखकों तथा विचारकों की दृष्टि में अन्तर्राष्ट्रीय कानून प्रथम विश्वयुद्ध के बाद इतना अधिक भंग किया जाता रहा है कि इसे कानून मानना सर्वथा भिन्न प्रतीत होता है। प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति पर अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने के लिये तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की वृद्धि के लिये राष्ट्रसंघ (League of Nations) तथा अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय (Permanent Court of International Justice) की स्थापना की गयी थी। ऐसा प्रतीत होता था कि अब राष्ट्रसंघ द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सहयोग के क्षेत्र में एक नवयुग का श्रीगणेश हो रहा है।

किन्तु राष्ट्रसंघ की विफलता एवं हिटलर द्वारा वर्साय की संधि के बारम्बार उल्लंघन में अन्तर्राष्ट्रीय कानून की सत्ता में सन्देह होने लगा। द्वितीय विश्वयुद्ध (१९३९-४५) में इसे इतना अधिक भंग किया गया कि इसकी सत्ता में सन्देह होने लगा। इसमें युद्धसम्बन्धी किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया। हवाई युद्ध के सभी नियमों को नितान्त निरस्त करने हुए १९३९ में बारमा तथा पोलैण्ड के अन्य नगरों पर अन्धाधुन्ध बम बरसाये गये, सैनिक-असैनिक स्थानों में कोई भेद नहीं रखा गया। १९४० में हालैंड में राटरडम के तटस्थ (Neutral) नगर पर बमबारी की गयी। जर्मन वायुयानों ने

२४. बोडी—दी एथमोलॉजिकल वैपन, एथिमिक पावर एण्डवर्न्ट स्टार्टर, पृ० ८

२५. जैक्सन-ए माडेन ला ऑफ नेरान्स, पृ० ७

लन्दन पर तथा ब्रिटेन के अन्य नगरों पर प्रबल बम वर्षा की। इसके प्रत्युत्तर में ग्रेट ब्रिटेन तथा अमरीका ने जर्मन नगरों को हवाई हमलों द्वारा विध्वस्त करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। दोनों पक्षों की ओर से युद्ध में कोई भाग न लेने वाली असैनिक जनता (Non-combatants) का क्रूरतापूर्ण संहार हुआ। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सर्वथा पतिकूल मानवजनिक पूजा के स्थानों—चर्चों पर, कला सग्रहालयों, चिकित्सालयों तथा ऐतिहासिक स्मारकों पर बमबारी की गयी। अगस्त १९४५ में जापान के दो नगरों—हिरोशिमा तथा नागासाकी पर स० रा० अमरीका ने अणुबम गिराकर असैनिक जनता का प्रलयकर विध्वंस किया। इस युद्ध में तटस्थता (Neutrality) विषयक सभी कानून तोड़े गये। स० रा० अमरीका ने जर्मनी द्वारा आक्रमण किये गये तटस्थ देशों की सम्पत्ति जध्न कर ली। उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून की कोई मत्ता नहीं है, जगल के कानून तथा मात्स्य न्याय का साम्राज्य है।

किन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद स० रा० सघ (U N O) का जन्म हुआ। अणुबम की विभीषिका से सत्रस्त तथा प्रलय के कगार पर खड़े विश्व की इस सघ ने तथा इमने विभिन्न श्रमों ने अब तक शान्ति एवं सुरक्षा प्रदान की है। इसने बर्लिन के पतन, तेहरान की समस्या, यूनान, जेरुसलेम काश्मीर, कोरिया और कांगो की जटिल समस्याओं का शान्तिपूर्ण हल किया है। यूनान, काश्मीर पेंलेस्टाइन और इण्डोनीशिया में युद्धों की ज्वाला को प्रज्वलित होने से रोक है। कोरिया, मिश्र और कांगो में शान्ति स्थापित की है और अन्तर्राष्ट्रीय कानून की प्रतिष्ठा बढ़ायी है।

अतः यह कहना मत्त नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून कपोल कल्पना है। द्वितीय विश्वयुद्ध में अन्तर्राष्ट्रीय नियमों की घोर अवहेलना तथा प्रचण्ड उल्लंघन हुए किन्तु स० रा० सघ ने इसे पुनः असाधारण गौरव और प्रतिष्ठा प्रदान की है अब कोई भी राष्ट्र इस कानून की अवहेलना करने पर स० रा० सघ की जनरल असेम्बली की घोर निन्दा का पात्र होता है विश्व के लोकमन का कोपभाजन होता है। ग्रेट ब्रिटेन तथा फ्रांस जैसे प्रबल राष्ट्रों ने जब मिश्र पर आक्रमण किया तो स० रा० सघ के हस्तक्षेप के कारण उन्हें वहाँ से अपनी फौज बुलाने को बाधित होना पड़ा। अतः इस समय प्रबल राष्ट्र भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना करने में समर्थ नहीं हैं और इसे कपोल कल्पना (Myth) माननेवाले स्वयमेव कल्पना जगत् में रहते हैं।

क्या अन्तर्राष्ट्रीय कानून वस्तुतः समझौते से बने कानून का श्रम है ? (Is the Law of Nations essentially a species of conventional law ?)—अन्तर्राष्ट्रीय कानून की सामान्य परिभाषा यह है कि ये ऐसे नियम हैं, जिन्हें प्रभुता सम्पन्न राज्यों ने एक दूसरे के साथ व्यवहार करने के लिये स्वीकार कर लिया है। सार्ड एशर (Escher) के मतानुसार किसी नियम को अन्तर्राष्ट्रीय कानून का श्रम बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उस विषय में सब राष्ट्रों की सहमति हो। राष्ट्रों की सहमति वाले समझौते (Conventions) या अभिसरमयों से इसका निर्माण होने के कारण इसे Conventional law का एक भेद समझा जाता है।

सामण्ड (Salmond) के विधिशास्त्र (Jurisprudence) के ११वें संस्करण में कानून के चार भेद माने गये हैं— स्वाभाविक कानून (Natural law), रिवाजी कानून (Customary law), आज्ञात्मक कानून (Imperative law) तथा अभिसमयात्मक कानून (Conventional law)। अन्तर्राष्ट्रीय कानून का कुछ सम्बन्ध इन चारों प्रकारों से है। यह प्राकृतिक कानून है क्योंकि राज्यों के पारस्परिक व्यवहार में प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) के सिद्धान्त लागू होते हैं। यह रिवाजी कानून है, क्योंकि इसमें राज्यों के आपसी व्यवहार के लिये रिवाज के रूप में जो आनेवाले अनेक नियमों को स्वीकार किया जाता है। यह आज्ञात्मक कानून है क्योंकि इसमें ऐसे नियम हैं, जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्मति (International opinion), युद्ध की घमकी अथवा आक्रांता से राज्यों पर दलपूर्वक लागू किये जाते हैं। यह समझौते का कानून है, क्योंकि इसके अनेक नियम विभिन्न राष्ट्रों द्वारा पारस्परिक समझौते करके बनाये जाते हैं। इन चारों प्रकारों में अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सबसे पतित सम्बन्ध चौथे प्रकार से है, किन्तु इसमें भी एक बड़ी आपत्ति यह की जाती है कि जब कोई नया राज्य बनता है (जैसे १९४७ में पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के नवीन राज्य बने) तथा इसे अन्य देशों द्वारा मान्यता दी जाती है तो इन पर पुराने राज्यों के समझौतों द्वारा निश्चित किये गये अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सब नियम लागू कर दिये जाते हैं, भले ही उन राज्यों ने इन समझौतों को अपनी स्वीकृति न दी हो।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के दोष तथा इन्हें दूर करने के उपाय (Shortcomings of International Law and steps to improve it)—किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय कानून का अस्तित्व होते हुए भी वह अपनी आरम्भिक दशा में है। उसके विकास, व्याख्या, निर्णय और पालन कराने के लिये उपयुक्त सभ्यता का विकास नहीं हुआ। यहाँ इसके दोषों का तथा इन्हें दूर करने के उपायों का वर्णन होगा। उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं—

(१) कानून बनाने वाले का अभाव (No Lawgiver)—राष्ट्रीय कानून (Municipal law) की भाँति इसका निर्माण करने वाली विधानसभा या सदन जैसी सभ्यता तथा इसके अतिनियमन को दण्डित करने वाले न्यायालय नहीं है। यह अन्तर्राष्ट्रीय कानून की निर्वलता का एक प्रधान कारण है कि इसका निर्माण करने वाली तथा इसे लागू करने वाली शक्तिशाली सभ्यताओं का अभी तक विकास नहीं हो पाया।

(२) उग्र राष्ट्रीयता—अन्तर्राष्ट्रीय कानून की निर्वलता का एक अन्य कारण विभिन्न राज्यों का उग्र राष्ट्रवाद (Excessive nationalism) है। कोई भी राज्य अन्तर्राष्ट्रीय हित की दृष्टि से अपनी प्रादेशिक प्रभुसत्ता (Territorial sovereignty) में रचमान न्यूनता नहीं माने देना चाहता।

(३) अस्पष्टता (Obscurity)—अन्तर्राष्ट्रीय कानून का स्वरूप और अधिकार नियम अभी तक अस्पष्ट रूप से सुनिश्चित नहीं हो सके। ये अनेक सन्धियों, रीति-रिवाजों विदेश मन्त्रालयों के पत्रव्यवहार तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा किये गये समझौतों में बिखरे हुए हैं। इसीलिये लार्ड कोलरिज ने फ्रेंकोनिया के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय कानून

को केवल ऐसे रिवाजों का सम्मेलन कहा था, जिन पर अधिकांश राज्य सहमति रखते हैं।

(४) किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को यह कानून लागू करने के लिए राज्यों के आन्तरिक मामलों (Domestic affairs) में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के उपर्युक्त दोषों को अनेक विधिशास्त्रियों ने मुक्तकंठ से स्वीकार किया है। स्टार्क के मत में 'अन्तर्राष्ट्रीय कानून कमजोर कानून (Weak law) है। यह मुख्य-रूप से रिवाजी या प्रथामूलक (Customary) है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून बनानेवाली वर्तमान सस्था (Machinery) की क्षमता की तुलना राज्यों के कानून बनाने वाली मरथा से नहीं हो सकती। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अधिकांश नियमों का निर्माण बड़ी पृष्ठिनाई से होता है और ये बड़े अनिश्चित होते हैं।' श्री पेटन (Paton) ने इस विषय में यह लिखा है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून सस्थाओं की दृष्टि से बड़ा कमजोर है, इसके नियमों का निर्माण करने वाली कोई व्यवस्थापिका परिपक्व नहीं है। यद्यपि एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय है, किन्तु यह दोनों दलों की सहमति में ही कार्य कर सकता है, इसके पास अपने निर्णयों को लागू करने के लिए कोई वास्तविक शक्ति नहीं है।

सुप्रसिद्ध विधिशास्त्री ब्रिजली ने लिखा है कि "वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय पद्धति की दो बड़ी कमियाँ ये हैं कि इस कानून को बनाने और लागू करने वाली मरथाएँ बड़ी आरम्भिक (Rudimentary) दशा में हैं और इसका क्षेत्र बहुत सञ्चित है। इस कानून का निर्माण करनेवाली कोई ऐसी सस्था नहीं है जो इस कानून को अन्तर्राष्ट्रीय समाज की नई आवश्यकताओं के अनुरूप बना सके। इसमें कोई ऐसी शासक (Executive) शक्ति नहीं है जो इस कानून को लागू कर सके।"

इन दोषों को दूर करने के तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून को शक्तिशाली बनाने के मुख्य उपाय ये हैं—(१) अन्तर्राष्ट्रीय कानून को सुस्पष्ट एवं सुनिश्चित बनाने के लिए इसका संहिताकरण (Codification) किया जाय। पाँचवें अध्याय में इस दिशा में अब तक किये गये प्रमुख प्रयत्नों का उल्लेख होगा।

(२) उच्च राष्ट्रीयता की भावना के स्थान पर विश्ववन्द्यत्व की भावना का विकास आवश्यक है, जब तक प्रत्येक देश अपनी राष्ट्रीयता के उन्माद में अपनी प्रभुसत्ता के अग्रगण्य क्षेत्राधिकार (Exclusive jurisdiction) पर बल देता रहेगा, तब तक अन्तर्राष्ट्रीय कानून का पालन राष्ट्रीय हितों के साथ संघर्ष में आने पर उपेक्षित ही रहेगा।

(३) अन्तर्राष्ट्रीय कानून को क्रियान्वित करने की विधियों और साधनों को प्रभावशाली बनाया जाना आवश्यक है। चार्ल्स फिलिप जेम्स ने यह सुझाव दिया है कि जिस प्रकार राष्ट्रीय कानून में चोरी, डकैती, हत्या आदि के अपराध सार्वजनिक विन्ता का विषय बनने जाते हैं, राज्य इस प्रकार के अपराधियों को दण्ड देने का जिम्मेवारी स्वयं लेता है, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय समाज में इस सिद्धान्त को लागू किया जाना चाहिए। सब राज्यों को अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। इसमें अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं। इन्हें दूर करने के लिए स० रा० सघ को कानून पालन कराने का सामान्य अधिकार दिया जाना चाहिए। इस

समय वह केवल शान्ति-भंग होने की दशा में कोई कार्यवाही कर सकता है। स० रा० सघ को यह अधिकार तभी मिल सकता है, जब तक राज्य अपने अधिकारों का स्वेच्छापूर्वक त्याग करके एक सहयोगी अन्तर्राष्ट्रीय समाज का निर्माण करने हुए विश्वराज्य (World State) की कल्पना को मूर्त रूप प्रदान करें। वर्तमान परिस्थितियों में भले ही विश्वराज्य की स्थापना की दिल्ली दूर है किन्तु मानवीय मस्तिष्क ने इसकी अनिवार्यता को भली भाँति अनुभव कर लिया है। अब इस दिशा में उत्तरी प्रगति अवश्यम्भावी है।

✓(४) अन्तर्राष्ट्रीय कानून के पालन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को अनिवार्य बनाना (Compulsory jurisdiction of International Courts) अत्यन्त आवश्यक है। अब तक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयों के सामने राज्य अपने जो मामले स्वेच्छापूर्वक लाते रहे हैं, इनमें न्यायालयों को बड़ी सफलता मिली है, उन्होंने अपने निर्णय बड़ी निष्पक्षता और योग्य रीति से किये हैं और सबको निर्गुण्यता से दर्जन से भी कम ऐसे निर्णय होंगे, जिनका राज्यों में पालन नहीं किया। अन्य सभी निर्णय राज्यों द्वारा माने जाते रहे हैं। किन्तु यदि राज्यों द्वारा अपने विवाद अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को आवश्यक रूप में देने का नियम बन जाय तो नव जटिल विवादों का निर्णय न्यायालयों द्वारा शान्तिपूर्ण रीति से सम्भव है।

(५) अन्तर्राष्ट्रीय कानून की संपत्तता के लिए उसके क्षेत्र का विस्तार आवश्यक होना चाहिए। यह दो प्रकार से हो सकता है—(क) इसे व्यक्तियों पर लागू किया जाय, (ख) इसे घरेलू मामलों में भी लागू किया जाय। अब तक यह कानून केवल राज्यों पर लगाया जाता है, व्यक्ति हमेशा विषय (Subject) नहीं माने जाते। आगे इस प्रश्न पर निस्तृत रूप से विचार होगा। यहाँ इतना कहना पर्याप्त है कि वर्तमान व्याप्त में किसी अन्य राज्य के कानूनों से यदि किसी व्यक्ति को हानि पहुँचती है तो वह उस राज्य पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में शिकायत करने का अधिकार नहीं रखता, किन्तु उसके राज्य को ही ऐसा अधिकार है। १९५१ में ईरान द्वारा एंग्लो-ईरानियन तेल कम्पनी के राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप कम्पनी के आर्थिक हितों को गहरी क्षति पहुँची, किन्तु इस मामले को उमकी ओर से ग्रेट ब्रिटेन ने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में उठाया। यह स्थिति बड़ी अवाञ्छनीय है, इससे अन्तर्राष्ट्रीय कानून में व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता। न्यूस्मर्थ और टोविचो में युद्धापरवाहों के विषे घुरी-राष्ट्रों के प्रमुख अधिकारियों पर चलाये गये अभियोगों में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन से वैयक्तिक जिम्मेदारों को मुक्त छोड़ दिया गया है, किन्तु अभी इसे अन्तर्राष्ट्रीय कानून का ऐसा सार्वभौम तथा सर्वसम्मत नियम बनाने की आवश्यकता है, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय कानून का प्रतिवर्ण करनेवाले राज्यों तथा व्यक्तियों को समान रूप में दण्डित किया जा सके।¹¹

(ग) विधियों में अन्तर्राष्ट्रीय कानून की वर्तमान मर्यादाओं (Limitations)

को दूर करते हुए इसका क्षेत्र विस्तृत करने पर बल दिया है। इस समय 'घरेलू क्षेत्राधिकार' (Domestic jurisdiction) के अनेक ऐसे मामले हैं, जो दूसरे देशों पर गहरा प्रभाव डालते हैं, किन्तु घरेलू विषय समझे जाने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय कानून की परिधि में नहीं आते। उदाहरणार्थ, राज्यों द्वारा विदेशों से आकर अपने देश में बसने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध का कानून (Immigration law), राष्ट्रीयता और देशीकरण (Naturalization) के नियम, आर्थिक क्षेत्र में विदेशी माल पर शुगी लगाने, कच्चे माल की प्राप्ति, मंडियों आदि के विषय विगूढ़ रूप से घरेलू समझे जाते हैं। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव, राषर्ष और तनातनी उत्पन्न करने के कारण इन्हे अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय समझा जाना चाहिए। त्रियर्ली के शब्दों में—“अन्तर्राष्ट्रीय मामले में कानून तब तक वास्तविक रूप से प्रभावशाली भाग नहीं ले सकता, जब तक कि यह अपने क्षेत्र में ऐसे विषयों का समावेश नहीं कर लेता, जो इस समय अनेक राज्यों के 'घरेलू मामलों' के अन्तर्गत समझे जाते हैं। जब तक यह स्थिति है कि एक राज्य ने युक्तियुक्त हितों को दूसरे राज्य के अप्रयुक्त युक्त कार्य से हानि पहुँचती है और उसके पास ऐसी शिकायत करने का कोई कानूनी आधार नहीं है तो सम्भव है कि हानि उठाने वाला राज्य शक्तिशाली होने पर, कानून द्वारा हानि के लिए उपयुक्त प्रतिकार न मिलने पर, अन्य उपायों से इसका प्रतिरोध करे। वर्तमान स्थिति सर्वोत्तम रूप में शक्तिशाली राज्यों को कानून से बाहर की नीतियाँ अपनाते को विवश करती है, ये नीतियाँ अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिये स्वीकार की जाती हैं और इनमें दूसरे राज्यों के हितों का केवल उस हद तक ही विचार रखा जाता है, जहाँ तक दूरदर्शिता की दृष्टि से ऐसा आवश्यक समझा जाय। वर्तमान समय में ऐसी नीतियों की निन्दा पूर्णरूप से नहीं की जा सकती, क्योंकि वे ऐसे युक्तियुक्त (Reasonable) हितों की रक्षा करती हैं, जिन्हे कानून की वास्तविक रूप से पूर्ण पद्धति स्वीकार करेगी और जिन्हे वह संरक्षण प्रदान करेगी। दुर्भाग्यवश इस समय इन बातों की कोई गारण्टी नहीं है कि ये नीतियाँ सम्बद्ध राज्यों के युक्तियुक्त हितों के संरक्षण तक ही सीमित रखी जाय।”

उदाहरणार्थ, दक्षिण अफ्रीका के यूनियन की पार्थक्य (Apartheid) की नीति को ही लीजिये, काले गोरों के जातीय भेदभाव के आधार पर इन्हे पृथक् रखने तथा अश्वेत जातियों के साथ भेदभावपूर्ण तथा अन्यायमूलक नीति का अनुसरण करने से यहाँ भारत तथा दूसरे देशों से आकर बसे व्यक्तियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। अफ्रीका के अन्य राज्य इस नीति के घोर विरोधी हैं, मार्च १९६० में शार्पविल्डे आदि स्थानों में पास कानूनों (Pass laws) के विरुद्ध जबरदस्त प्रदर्शन और हत्याकाण्ड हुए, सारे अफ्रीका में इससे रोष की प्रबल लहर फैली, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को मकट में डालने वाले इस विषय को जब सुरक्षा परिषद् में उठाया गया तो दक्षिण अफ्रीका के यूनियन ने दत्त मामले के 'घरेलू विषय' होने के कारण इसे सुरक्षा परिषद् के क्षेत्राधिकार से बाहर का बताते हुए इस पर होने वाले विचार को रोकना चाहा। अन्तर्राष्ट्रीय कानून को यफल

बनाने के लिए उसका विस्तार द्वारा राज्यों को प्रभावित करने वाले घरेलू मामलों में भी होना चाहिए।

(६) त्रियर्ली ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून की निर्बलता दूर करने का एक यह भी उपाय बताया है कि युद्ध के सम्बन्ध में राज्यों के वर्तमान दृष्टिकोण में मौलिक अन्तर आना चाहिए। आजकल अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में शक्ति का प्रयोग एक साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है, इससे एक राज्य को अपनी इच्छानुसार दूसरे राज्य से युद्ध छेड़ने का अधिकार है। इसने अन्तर्राष्ट्रीय कानून में अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर दी है। पिछले अध्याय में यह बताया जा चुका है कि मध्यकाल में लेखकों ने अन्यायपूर्ण युद्धों (Bellum injustum) तथा न्यायपूर्ण युद्धों (Bellum justum) में सूक्ष्म अन्तर करते हुए युद्धों पर प्रभावशाली नियन्त्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया था। किन्तु वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्रियों ने इसे सर्वथा अव्यावहारिक बताया है। हाल (Hall) के मतानुसार "अन्तर्राष्ट्रीय कानून के पास युद्ध को स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है, भले ही इस युद्ध का उद्गम अन्यायपूर्ण हो।"^{२६} यह सर्वथा यथार्थवादी दृष्टिकोण है। किन्तु जैसे राष्ट्रीय कानून में शक्ति का प्रयोग वैध और अवैध दो प्रकार का होता है, अवैध शक्ति का प्रयोग वर्जित है, इसी तरह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अवैध युद्ध के प्रयोग पर पाबन्दी लगना आवश्यक है। त्रियर्ली ने यह सत्य ही लिखा है कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय कानून को स्थिर अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का स्तम्भ बनाना है तो राज्यों को इसके पीछे ऐसी शक्ति की स्थापना करनी होगी जो मौलिक शक्ति के वैध तथा अवैध प्रयोग में सूक्ष्म अन्तर कर सके और उसे बनाये रख सके।^{२७}

(७) श्वार्ट्ज़ेनबर्ग (Schwätzenberger) ने चार प्रकार में अन्तर्राष्ट्रीय कानून को सुधारने का सुझाव दिया है। पहला प्रकार इस कानून का सुधार है, यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप होना चाहिए। इसमें कोरे सुधार से काम नहीं चल सकता। उदाहरणार्थ, ३० रा० मघ ने अधिकारों का अन्तर्राष्ट्रीय बिल तैयार कर दिया है। किन्तु जब तक इसे लागू करने की व्यवस्था न की जाय तो इन नियमों का बनाना बिल्कुल निरर्थक है। दूसरा प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय कानून का संहिताकरण (Codification) है। तीसरा प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सार्वभौम अधिष्ठा प्रादेशिक आधार पर पुनर्निर्माण और नशोद्यन है। १८६६ और १९०७ के हेग के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा किया गया अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का सञ्चालन सब देशों के लिए होने के कारण सार्वभौम कहना जाता है। अमरीकी राज्यों द्वारा अमरीकी सोलाइड के लिए तय किए गये अन्तर्राष्ट्रीय नियम प्रादेशिक कहलाने हैं। चौथा प्रकार इस अन्तर्राष्ट्रीय कानून के बनाने और क्रियान्वित करने के लिये अतिशक्तिशाली केन्द्रीय प्रसत्ता का निर्माण है।

किन्तु जब तक इसका निर्माण नहीं हो जाता तब तक अन्तर्राष्ट्रीय कानून के

२८. हाल—इंटरनेशनल ला, पृ० ३९

२९. नियर्ली—दो ला आर नेरान्, पृ० ७७

उपर्युक्त दोषों के होते हुए भी इसे सर्वथा निष्फल और निरर्थक समझना ठीक नहीं है। किसी सस्था की सफलता या विफलता का मूल्यांकन उसके उद्देश्यों की दृष्टि से किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून का मुख्य उद्देश्य राज्यों के पारस्परिक व्यवहार को चलाना है। इसमें यह कानून पूरी तरह से सफल हुआ है, क्योंकि राज्यों का सारा व्यवहार इन्हीं नियमों के आधार पर चल रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का आधार - (क) मौलिक अधिकारों का सिद्धान्त (The basis of International Law—(A) Theory of Fundamental Rights)— अन्तर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना राज्य अपने लिए कौन आवश्यक समझते हैं? इस विषय में विधिशास्त्रियों में दो प्रकार के सिद्धान्त प्रचलित हैं। पहला मौलिक अधिकारों का सिद्धान्त (Theory of Fundamental Rights) है। इसके अनुसार राज्यों के कुछ मौलिक अधिकार हैं। राज्यों के मौलिक अधिकारों का सिद्धान्त 'प्राकृतिक दशा' (State of nature) के सिद्धान्त से निकला है। इसके अनुसार यह समझा जाता है कि मनुष्य राजनीतिक संगठन बनाने से पहले 'प्राकृतिक दशा' में रहा करते थे। राज्यों ने अभी तक इन से ऊपर एक अधिराज्य (Super State) का संगठन नहीं बनाया, अतः वे इस समय तक प्राकृतिक दशा में हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धान्तों का निर्माण उनके इस स्वरूप के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक राज्य के कुछ नैसर्गिक या स्वाभाविक अधिकार हैं। ये पाँच अधिकार आत्मरक्षण (Self preservation), स्वतन्त्रता (Independence), समानता (Equality), एक-दूसरे के प्रति सम्मान (Respect) और पारस्परिक सम्पर्क (Intercourse) हैं। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धान्त ने इतिहास के निर्माण में बड़ा महत्वपूर्ण भाग लिया है। ताक (Locke) ने इसके आधार पर १६८८ की इंग्लिश क्रान्ति का समर्थन किया था। ताक से यह सिद्धान्त अमरीकी नान्तकारियों ने ग्रहण किया और यह उनकी स्वतन्त्रता की घोषणा का तथा फ्रेंच राज्यनान्ति का दार्शनिक आधार बना।

किन्तु आजकल इसे कोई सत्य नहीं मगता। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में इसे सत्य न मानने के तीन कारण विद्यार्थी के शब्दों में इस प्रकार हैं—(१) इसमें यह मान लिया गया है कि मनुष्य तथा राज्य अपने प्राकृतिक अधिकार लेकर उत्पन्न होते हैं, उन्हें ये अधिकार राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय समाज का सदस्य होने के नाते नहीं प्राप्त होते। ये उनके अस्तित्व में पहले से विद्यमान होते हैं और इनमें कानूनी पद्धति का निर्माण होता है। किन्तु सच्चाई यह है कि कोई भी कानूनी अधिकार उस समय तक निरर्थक शब्द मात्र है जब तक कि इसे वैधता प्रदान करने वाली कानूनी पद्धति नहीं है। कानूनी पद्धति के निर्माण से पहले वैध अधिकारों की कोई सत्ता नहीं होती, किन्तु उपर्युक्त सिद्धान्त में किसी कानूनी पद्धति से पहले ही राज्यों के कुछ नैसर्गिक अधिकार मान लिए गये हैं। ऐसा कभी सम्भव नहीं है।

कानूनी अधिकार कानूनी पद्धति से प्रादुर्भूत-से होते हैं, न कि कानूनी पद्धति

कानूनी अधिकारों से जन्म ग्रहण करती है।

(२) उपर्युक्त सिद्धान्त का दूसरा दोष यह है कि यह व्यक्तियों और राज्यों के सामाजिक सम्बन्ध को गौण समझता है और उनके व्यक्तित्व (Individuality) को अधिक महत्व देता है। इसलिये इसमें समाज के सामूहिक रूप के स्थान पर वैयक्तिक रूप की प्रधानता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से यह स्थिति वास्तविक नहीं है, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय समाज में राज्यों के वैयक्तिक अधिकार बढ़ाने की इतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी विभिन्न राज्यों के पारस्परिक सामाजिक सम्बन्धों को मुटुट बनाने की है। इनके अधिकारों पर इतना ध्यान दिया जाता आवश्यक नहीं है, जितना उनका एक-दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों की भावना समझने का है।

(३) इस सिद्धान्त का तीसरा बड़ा दोष यह है कि इससे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का विकास बरबद हो जायगा। यह स्वतन्त्रता और समानता को राज्यों का नैसर्गिक अधिकार मानता है किन्तु ऐसा मानते हुए यह भुला दिया जाता है कि ये अधिकार ऐतिहासिक विकास का परिणाम हैं और राज्यों को आपूर्णिक युग में ही प्राप्त हुए हैं। ऐसे अल्पकालोद्भव अधिकारों को भविष्य में मरने के लिए मरने मानना मान लेना एक अस्वाभाविक बस्तु को न्यायी स्वीकार कर लेना तथा भावी विकास के मार्ग को बन्द कर देना है। वर्तमान परिस्थितियों में यह असम्भव प्रतीत नहीं होता और यह वास्तविक भी है कि राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों में घनिष्ठता को बढ़ाया जाय। उपर्युक्त सिद्धान्त इस वर्तमान आवश्यकता पर कुठाराघात करता हुआ सब राज्यों को एक दूसरे से पृथक् रखना चाहता है। यह स्थिति देर तक नहीं बनी रह सकती, इसे ऐसा बनाय रखने वाला सिद्धान्त सत्य नहीं हो सकता।

(ख) सहमति का सिद्धान्त (Consent Theory)—राज्यों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून को बाधित रूप से पालन करने के मूल कारण के सम्बन्ध में दूसरा सिद्धान्त सहमति का है। इसके मुख्य समर्थक अतिवादियों (Positivists, देखिए ऊपर पृष्ठ १) हैं। इनके मतानुसार अन्तर्राष्ट्रीय कानून एम नियमों का समूह है, जिसके बाधित रूप से पालन का सहमति राज्यों ने प्रदान की है। यह सहमति दो प्रकार से दी जाती है, सन्धिओं द्वारा राज्य स्पष्ट रूप से कुछ नियमों का पालन करना स्वीकार करते हैं। यह स्पष्ट सहमति (Express consent) है। इसके अतिरिक्त दूतों के विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में परम्परागत नियमों (customary rules) का राज्य स्वीकार करते हैं, यह अस्पष्ट या अज्ञात सहमति (Tacit or implied consent) है। आपेनहाइम के शब्दों में राज्यों की सामान्य सहमति से अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विकास हुआ है। अस्तित्ववादियों ने इतनी दार्शनिक मीमांसा में हेगल का अनुसरण करते हुए कहा है कि आध्यात्मिक सत्ता (Metaphysical reality) रखने वाले राज्य की एक अपनी इच्छा (Will) होती है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विषय में जिन्हें विभिन्न राज्यों ने इच्छाओं द्वारा (State Wills) अपने पर स्वयंसेवक ऐच्छिक प्रतिबन्ध लगाकर स्वीकार किया है। यही उनका आत्मनियमन (Autolimitation) है। इस प्रकार का सहमति के बिना अन्तर्राष्ट्रीय कानून राज्यों पर बाधित रूप से लागू नहीं हो

सकता। उदाहरणार्थ, दूतों की अव्ययता का नियम लीजिये। प्रत्येक राज्य यद्यपि अपने प्रदेश में आये अन्य देशों के दूतों को मारने का अधिकार रखता है, फिर भी उसने अपना आत्मनियमन करके इस विषय में स्वयं अपनी इच्छा से यह प्रतिबन्ध लगाया है कि वह अपने देश में आये दूतों का बध नहीं करेगा। वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय के जज इटालियन विधिशास्त्री आञ्जिलोत्ती (Anzilotti) ने इसका प्रबल समर्थन करते हुए यह कहा है कि सब अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का पालन बाधित रूप में होने का मौलिक कारण pacata sunt servanda का सिद्धान्त है, इसका अर्थ है कि राज्यों के मध्य तय हुए समझौतों का सम्मान किया जाना चाहिये। सब राज्य इस सिद्धान्त को मानते हैं, अतः वे राज्यों के मध्य किये गये सभी समझौतों का बाधित रूप से पालन करते हैं। इन सिद्धान्त पर सहमति देने के कारण वे राज्यों के सभी अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के पालन के लिये अपनी सहमति प्रदान करते हैं, इसीलिये इन नियमों का पालन होता है।

यह सिद्धान्त कई दृष्टियों में दोषपूर्ण है। फेनविक (Fenwick), कैलसन (Keilson), स्टार्क (Starke) तथा ब्रियर्ली (Brierly) ने इसकी कड़ी आलोचना निम्नलिखित कारणों के आधार पर की है—

(१) रटार्न के कथनानुसार यह सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय कानून के वास्तविक तथ्यों में मेल नहीं खाता।^{११} रिवाजी नियमों (Customary rules) के सम्बन्ध में अनेक उदाहरणों में यह प्रदर्शित करना असम्भव है कि राज्यों ने इनके बाधित रूप से पालन की सहमति ली है। नये राज्यों के विषय में तो यह सिद्धान्त सर्वथा खण्डित हो जाता है। उदाहरणार्थ, १९६० में अफ्रीका में कांगो, मालीसघ आदि नये राज्यों का जन्म हुआ, ये अपने जन्मकाल से ही अन्तर्राष्ट्रीय कानून से बंधे हुए समझे जाते हैं। किन्तु ये स्पष्ट रूप से अन्तर्राष्ट्रीय कानून को बाध्य रूप में पालन करने की कोई घोषणा या अन्य कार्य नहीं करते। इनकी इसके लिये कोई ध्वनित (Implied) या अभ्यक्त (Tacit) सहमति भी नहीं होनी। फिर भी बलुस्थिति यह है कि ग्रेट ब्रिटेन, स० रा० अमरीका आदि पुराने राष्ट्र नये राज्यों से यह आशा रखते हैं कि वे अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सभी नियमों का पालन करेंगे। प्रो० एच० ए० स्मिथ ने इन विषय में ब्रिटिश दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हुए कहा है—“इस बात पर स्पष्ट रूप से बल दिया जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून अपने समग्र रूप में सभी सम्य राज्यों पर बाध्य रूप से लागू होता है। भन्ने ही उन्होंने नैतिक रूप से इसके लिये सहमति न प्रदान की हो। कोई भी राज्य इसके सामान्य कानून की अथवा किसी मुप्रतिष्ठित नियम की बाध्यता से अपने को स्वयमेव मुक्त नहीं कर सकता।”^{१२}

(२) अब कोई राज्य बिना दूसरे राज्य के विरुद्ध किसी अन्तर्राष्ट्रीय नियम को लागू करना चाहता है तो उसके लिये यह प्रदर्शित करना आवश्यक नहीं होता कि

११. स्टार्क—पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० २३-२४

१२. रिगध—ग्रेट ब्रिटेन एण्ड दी ला ऑफ नेशन्स, खण्ड १, पृ० ११-१३

जैसी एक राज्य में रहने वाले व्यक्तियों में पैदा होती है। राज्यों के सामान्य स्वार्थ राज्यों के समुदाय को जन्म देते हैं और कानून के नियम (Rule of Law) का पालन आवश्यक बनाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कानून इसी आवश्यकता पर आधारित है।^{१४} ब्रिजर्ली ने इस तथ्य का दूसरे शब्दों में प्रतिपादन करते हुए लिखा है—“सब कानूनों के आवश्यक रूप में पालन की शक्ति की चरम व्याख्या यह है कि मनुष्य चाहे एकाकी व्यक्ति हो या अन्य व्यक्तियों के साथ राज्य में सम्मिलित हो, बुद्धिमान् प्राणी होने के नाते वह यह विश्वास करने के लिये बाध्य है कि उसने जिस विश्व में रहना है, उसका नियामक सिद्धांत व्यवस्था है, अराजकता नहीं।”^{१५}

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के निर्माण में नई प्रवृत्ति (New trend in the creation of International Law)—अन्तर्राष्ट्रीय कानून के निर्माण के सम्बन्ध में पुराना मत यह था कि यह मुख्य रूप से राज्यों द्वारा बनाया जाता है। शर्न-शर्न राज्य जब रिवाजों के रूप में अथवा पारम्परिक समझौतों (Conventions) और सन्धियों द्वारा कुछ नियम स्वीकार कर लेते हैं तो अन्तर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण होने लगता है। विधिशास्त्री (Jurists) भी इन नियमों के विकास में सहयोग देते हैं।

बीसवीं शताब्दी में पुरानी परिस्थितियों में बड़ी द्रुतगति से परिवर्तन आ रहा है। वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण राज्यों की एक दूसरे पर निर्भरता पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गई है, सामाजिक क्रान्तियों से जनता में नवीन भावनाओं और आकांक्षाओं का आविर्भाव हो रहा है, इनको निष्पादित करने के लिए नवीन अन्तर्राष्ट्रीय मस्यौदों और सगठनों का जन्म हो रहा है। इनमें अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नये नियमों का विकास होने लगा है। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश श्री अल्वारेज (M Alvarez) ने Competence of the General Assembly for the Admission of a State to the United Nations के मामले के निर्णय में इस विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा था—“पहले (अन्तर्राष्ट्रीय) कानून के नियमों का विकास बड़ी मन्दगति से सुप्रतिष्ठित अभिसमयों (well established conventions) तथा रिवाजों (customs) के अनुसार होता था अथवा विधिशास्त्रियों द्वारा ये नियम विकसित किये जाते थे, यह प्रक्रिया भी बड़ी मन्द थी। आजकल अभी हाल में होने वाली सामाजिक क्रान्ति के कारण, जनता के जीवन में आने वाली विलक्षण गतिशीलता के परिणामस्वरूप, नये अन्तर्राष्ट्रीय सगठन एवं इससे बनाई गई विभिन्न संस्थाओं के कारण तथा जनता की आकांक्षाओं तथा आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं के फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों का निर्माण बड़ी तेजी से हो रहा है। कई बार इसका विकास एकदम हो जाता है। अथवा इसके विकास के साधन पुराने जमाने के साधनों में भिन्न हैं और इस नियम निर्माण की प्रक्रिया में ऊपर बताये गये तत्त्व अपना प्रभाव डाल रहे हैं। अतः आजकल यह सामान्य धारणा वैध या सत्य नहीं प्रतीत होती कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण केवल राज्यों द्वारा किया जाता है। भविष्य में हम

१४. वैजदिक—इन्टरनेशनल ला, पृ० ३१

१५. ब्रिजर्ली—दो लॉ ऑफ नेशनस, पृ० ५६

नये अन्तर्राष्ट्रीय कानून के निर्माण के लिये किसी अन्य स्रोत की अपेक्षा सयुक्त राष्ट्र सच की जनरल असेम्बली की ओर, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की ओर तथा विधिसास्त्रियों की ओर अधिक देखा करेंगे।”

शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धान्त (Principle of peaceful co-existence)

— पिछली दशब्दी में हमी विचारको में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में इसका एक महत्वपूर्ण आधार शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धान्त माना है। इसका यह अभिप्राय है कि सिद्धान्तिक दृष्टि से कट्टर मतभेद और विरोध रखने वाली समाजवाद एवं साम्यवाद तथा पूँजीवाद की विचारधाराओं वाले देशों को एक-दूसरे का विध्वंस तथा उन्मूलन का प्रयत्न न करते हुए शान्तिपूर्ण सहयोग और स्पर्धा की नीति अपनानी चाहिए। एक रूसी लेखक कोरोविन (Korovin) ने यह बताया है कि लेनिन यह समझता था कि समाजवाद आरम्भ में कुछ देशों में सफल होगा और काफी समय तक समाजवाद और पूँजीवाद की पद्धति साथ-साथ चलती रहेगी, अतः ऐतिहासिक दृष्टि से यह अनिवार्य है कि ये दोनों शान्तिपूर्ण रीति में बनी रहे तथा इन विरोधी विचारधाराओं को अपनाने वाले देश एक-दूसरे को सहयोग देते रहे”।

यदि विभिन्न राष्ट्र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति को न मानकर एक दूसरे को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग न प्रदान करे तो किसी प्रकार का अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार और सम्बन्ध रखना सम्भव न होगा और अन्तर्राष्ट्रीय नियमों तथा कानूनों का पालन नहीं हो सकेगा। इनका पालन तभी हो सकता है, जब सब राष्ट्र अपने में विरोधी विचारधाराओं वाले राष्ट्रों का अस्तित्व स्वीकार करें, उनके प्रदेशों की अखण्डता बनाये रखने की बात मान लें, उनकी प्रमुखता मान, उनके उन्नति के कार्यों में कोई हस्तक्षेप न करें, सब राज्यों की समानता का सिद्धान्त मानते हुए एक-दूसरे के अधिकारों का पूरा ध्यान रखें तथा सम्मान करें। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रधान नियम और सिद्धान्त इसलिये स्वीकार एवं पालन किये जाते हैं कि ‘ये अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध रखने के लिये आवश्यक हैं’। ये सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के आधार पर ही हो सकते हैं। यह सहयोग तभी सम्भव है कि जब शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति को कट्टर सिद्धान्तिक मतभेद रखने वाले राष्ट्र स्वीकार कर लें। अतः अधिकांश देशों द्वारा स्वीकार किये जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों तथा नियमों की मूल आधार-शिला शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना तथा प्रवृत्ति है।

इससे १० रा० सच के चार्टर की प्रस्तावना में स्वीकार करते हुए यह कहा गया है कि १० रा० सच के सदस्य इस बात का वचन देते हैं कि “वे एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता की नीति बरतेंगे तथा एक-दूसरे के साथ उत्तम पड़ोसी के रूप में रहेंगे” और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखने में अपनी सम्मिलित शक्ति का प्रयोग करेंगे। चार्टर की पहली धारा में सच का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और

३६. I C J Reports, 1950, pp. 4-34

३७. इंटरनेशनल ला (फारेन रिलेशंस पब्लिशिंग हाउस, मारको), पृ० १५-१६

सुरक्षा बनाये रखना बताया गया है। यह तभी सम्भव है, जब विभिन्न विरोधी विचारधाराओं वाले देश पारस्परिक सघर्ष और तनाव कम करने के लिए 'जिंको तथा जीने दो' (Live and let live) की नीति को अपनाये, एच-दूसरे के समूलोन्मूलन का प्रयत्न न करते हुए शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति को व्यवहार में लायें। सशक्त राष्ट्र सघ के चार्टर की विभिन्न धाराओं में दिये गये शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के प्रधान सिद्धान्तों—सब राज्यों की प्रभुसत्ता और समानता [धारा २ (१)] को, अहस्तक्षेप की नीति को [धारा २ (७)], जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार [धारा १ (२)] तथा प्रादेशिक अखण्डता [धारा २ (४)] आदि को स्वीकार करे। इससे यह स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून में शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धान्त असाधारण महत्व रखता है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्वरूप में स० रा० सघ की स्थापना से तथा अन्य कारणों से होने वाले परिवर्तन—पिछले पचास वर्षों में, विशेषतः द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद उत्पन्न होने वाली नवीन परिस्थितियों से अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्वरूप और धारणा में कई कारणों से बड़ा त्राणिकारी एवं मौलिक परिवर्तन हो रहे है। पहला कारण स० रा० सघ की स्थापना है। उसने अन्तर्राष्ट्रीय कानून को कई प्रकार से प्रभावित किया है। पहला प्रकार राज्यों के अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में विलक्षण वृद्धि और इसके स्वरूप का बदल जाना है। स० रा० सघ की स्थापना के समय इसके सदस्यों की संख्या पचास थी, १९६६ के आरम्भ में यह १२३ हो गई। नये सदस्यों में इस भू-मण्डल के प्रत्येक भाग—एशिया, अफ्रीका, निकटपूर्व और सुदूरपूर्व के लगभग सभी देश सम्मिलित हैं। इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में योरोपीय राज्यों की पुरानी प्रभुता को तीव्र आघात पहुँचा है। पहले अन्तर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में पश्चिमी देशों—ग्रेट ब्रिटेन, स० रा० अमरीका, फ्रांस आदि का प्राधान्य था, वे जिन व्यवस्थाओं को ठीक समझते थे, वे अन्तर्राष्ट्रीय कानून समझी जाती थी। अब एशिया और अफ्रीका में स्वाधीनता पाने वाले नये देशों ने इस क्षेत्र में कुछ नवीन सिद्धान्तों का भी प्रतिपादन किया है। उन्हें पराधीनता के पाश में जकड़ने वाली तथा उनकी अर्थव्यवस्था को हानि पहुँचाने वाली सधियों को इन देशों ने स्वीकार करने से इन्कार किया है। वे सन्धियों की पवित्रताविषयक तथा अन्य ऐसी बातों को मानने को तैयार नहीं हैं जो उन्हें पराधीन अवस्था आदिक दृष्टि से परावलम्बी बनाने वाली हैं। इससे जहाँ एक ओर अन्तर्राष्ट्रीय कानून को चुनौती मिली है, वहाँ दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय कानून का क्षेत्र विस्तीर्ण हुआ है। जो देश पहले पश्चिमी देशों के साम्राज्यवाद का शिकार बने हुए थे और इनके आदेशों का पालन करते थे, उन्होंने अब स्वतन्त्र होकर स० रा० सघ के चार्टर पर हस्ताक्षर कर उसके उच्च आदेशों को स्वयमेव स्वीकार किया है। ये अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों के पालन पर अधिक दब देने लगे हैं। पहले अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय और कानून योरोप के मुट्ठी भर देशों तक सीमित था, अब-उसका क्षेत्र विस्तीर्ण हो जाने से उसने वस्तुतः अन्तर्राष्ट्रीय रूप धारण किया है और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास के मार्ग को प्रशस्त किया है।

दूसरा प्रकार स० रा० सघ के चाट्टर पर हस्ताक्षर करने वाले देशों द्वारा शान्ति की स्थापना तथा विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान के उद्देश्यों को स्वीकार कर लेना है। इससे अन्तर्राष्ट्रीय कानून की धारणा में बड़ा परिवर्तन आ गया है। पुराने अन्तर्राष्ट्रीय कानून का एक बड़ा भाग युद्ध एवं तटस्थता के नियमों का प्रतिपादन करता था। अब ये नियम बेकार हो गये हैं क्योंकि मय राज्यों ने यह स्वीकार कर लिया है कि वे अपने झगड़ों का हल शान्तिपूर्ण उपायों से करेंगे। स० रा० सघ का चाट्टर युद्धों को अवैध बनाता है, अतः १९०७ तथा १९०९ में युद्ध के समय तटस्थ रहने वाले राज्यों के नियम बेकार हो गये हैं, क्योंकि जब युद्ध अवैध है तो उसमें तटस्थ रहने वाले देशों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियम बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। यही हाल १९०७ में हेग में युद्ध के तथा युद्धबन्धियों के सम्बन्ध में बनाये गये नियमों का है फिनलैंड ने लिखा है कि युद्ध स० रा० सघ के चाट्टर द्वारा अपना कानूनी स्वरूप खो चुका है, अतः इन नियमों का कोई अन्तर्राष्ट्रीय महत्व नहीं है।^{१६} इसका यह अभिप्राय नहीं है कि अब युद्ध बन्द हो गये हैं। अक्टूबर १९६२ में चीन ने तथा सितम्बर १९६५ में पाकिस्तान ने भारत पर आतंकण किया, जून १९६६ में इजरायल और अरब राज्यों का भीषण संघर्ष हुआ, पिछले कई वर्षों में विनमनाम में लड़ाई चल रही है। किन्तु ये सभी अघोषित युद्ध थे, इन्हें दोना पक्ष अपनी आत्मरक्षा के लिये किये जाने वाले प्रयास कहते हैं, क्योंकि कोई भी देश युद्ध की घोषणा करके आत्राला होने का तथा युद्ध छेड़ने के कलह को टाँका अपने माथे पर नहीं लगवाना चाहता है। युद्ध के पुराने नियम सैनिक और असाैनिक (Civil) जनता में भेद करते थे, सैनिक अट्टों का विध्वंस करना वैध मानते थे, असाैनिक जनता और स्थानों पर आक्रमण अवैध माना जाता था। अणुबमों की विभीषिका ने इन नियमों को बेकार बना दिया है क्योंकि अणुबम अपने विध्वंस में सैनिक और असाैनिक स्थानों में कोई भेदभाव नहीं करता है, वह कई मीलो तक विस्तीर्ण सम्पूर्ण प्रदेश को विध्वस्त कर देता है। अणुबमों की विभीषिका भी राज्यों को युद्ध का मार्ग छोड़ने की प्रेरणा कर रही है। इन्होंने युद्धों का स्वरूप इतना विकराल और भीषण बना दिया है कि सब देशों की अधिकांश जनता युद्धों से घृणा करने लगी है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में युद्ध के नियमों की महत्ता कम होने लगी है।

तीसरे प्रकार स० रा० सघ की विभिन्न सस्थाओं द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के माधनों में निरन्तर वृद्धि होना है। प्रथम विश्वयुद्ध का एक बड़ा कारण विभिन्न पश्चिमी राष्ट्रों की आर्थिक होड़ या प्रतिद्वन्द्विता थी। प्रत्येक देश अपने उद्योगों के विकास के लिये ऐसे प्रदेश अपने राजनीतिक प्रभुत्व में लाना चाहता था, जहाँ में उस मुरझित एवं निर्वाध रूप में वृद्धि मान मिलती रहे तथा जिन देशों की मण्डियों में उसके कारखानों से तैयार माल की खपत होती रहे। उस समय देशों को अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिये यत्नशीलता जल एवं स्थल सेनायें रखनी पड़ती थी और युद्ध छेड़ने पड़ते थे।

इस प्रकार उस समय आर्थिक और राजनीतिक साम्राज्यवाद (Economic and Political Imperialism) एक-दूसरे से मिले हुए थे। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद स० १० अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने सब देशों को व्यापार की समान स्वाधीनता देने के सिद्धान्त के आधार पर आर्थिक होड़ को समाप्त करने का निष्फल प्रयास किया था। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय तक इसके दुष्परिणाम अधिक तीव्रता से दृष्टिगोचर होने लगे तथा स० १० सभ की स्थापना के साथ आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न देशों का सहयोग पाने तथा बढ़ाने के लिये स० १० मध्य की आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (Economic and Social Council of United Nations) तथा इसकी अध्यक्षता में विश्व बैंक आदि विभिन्न विनिष्ट संस्थाओं (Specialised agencies) की स्थापना की गई, प्रागे इनका विस्तृत बर्णन किया जायगा। ये विभिन्न राज्यों में आर्थिक सहयोग बढ़ाने की दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण नियम बनाती हैं, इनके प्रतिरिक्त विभिन्न प्रकार के मानवीय हितों के संवर्धन की दृष्टि से अनेक गैर-सरकारी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन हैं। ये सब अपने अपने क्षेत्रों के लिये सब देशों में समान रूप से लागू होने वाले नियम बनाते हैं। इन सब सम्पत्तियों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के विभिन्न सामान्य हितों की सुरक्षा के लिये प्रचुर मात्रा में नियम बनाये जा रहे हैं। ये अन्तर्राष्ट्रीय कानून का महत्वपूर्ण भाग बन रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भले ही विभिन्न राष्ट्रों में प्रबल पविडगिता हो रही हो, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में ये सहयोग को बढ़ा रहे हैं। यह सम्भव है कि इन क्षेत्रों में शान्ति-शान्ति महयोग से इतने मुह्य अन्तर्राष्ट्रीय बन्धन स्थापित हो जाय कि वे राजनीतिक क्षेत्र में भी एकता और सहयोग के वातावरण को तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून को स्वीकार करने की अधिक अनुकूल परिस्थितियों को उत्पन्न करें।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला दूसरा कारण विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली विलक्षण प्रगति है। अब मनुष्य ने केवल धातु तक अपितु १९८० तक शुक्र ग्रह तक भी पहुँचने की कल्पना करने लगा है, अन्तरिक्ष में यात्रा करने वाले कृत्रिम उपग्रहों तथा यानों का विकास हो रहा है। इस और अमेरिका इस विषय में अग्रणी है। उन्होंने इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तथा सहयोग कम करने के लिये बाह्य अन्तरिक्ष सन्धि (Outer space Treaty) १९ दिसम्बर १९६६ को की है। अमेरिकी प्रतिनिधि गार्डबर्ग ने सन् ७० में यह सन्धि शान्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम को तथा ऐतिहासिक प्रगति को सूचित करती है। इनमें एक नये क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास का श्रीगणेश किया है।

तृतीय अध्याय

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत (Sources of International Law)

स्रोत का अर्थ (Meaning of Source)—स्रोत का शब्दार्थ उद्गम म्यान है। कोई नदी जिस स्थान से प्रादुर्भूत होती है, वह उसका स्रोत कहलाता है, जैसे गंगा का मूल स्रोत गंगोत्री है। इसी प्रकार कानून का स्रोत किसी समाज के ऐतिहासिक विकास के वे मूल तथ्य हैं, जिनसे इसका प्रादुर्भाव होता है और इसे शाश्वती शक्ति प्राप्त होती है।^१ रास (Ross) ने लिखा है कि कानून के स्रोत विमुक्त रूप से उन स्रोतों को चोखित करते हैं, जिनसे निकली हुई व्यवस्थाय कानून की भांति वैध समझी जाती है।^२ उदाहरणार्थ, इंग्लैंड में न्यायाधीश पार्लियामेंट द्वारा पाम किये कानूनों को वैध समझते हैं और उनके पालन के लिये बाध्य हैं क्योंकि उसका मूल स्रोत वहाँ विधान निर्माण करने वाली सर्वोच्च मस्था है। इसी तरह इन्हें वैध बनाने के अन्य अनेक तत्व हो सकते हैं, न्यायाधीश अपना निर्णय देते समय इन सबका पूरा ध्यान रखते हैं। यही तत्व कानून का स्रोत (Source) कहलते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्रोतों के सम्बन्ध में श्री लारेन्स (Lawrence) का मत है कि यदि हम कानून के स्रोत का अर्थ यह समझते हैं कि यह इसे बाध्य बनाने की शक्ति (binding force) प्रदान करने वाली सत्ता के साथ जुड़ा हुआ इसका मूल रूप है तो अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में कानून का केवल एक ही स्रोत हो सकता है और वह राष्ट्रों की सहमति (Consent of nations) है।^३ यह सहमति अथवा (Tacit) और व्यक्त (Express) दोनों प्रकार की हो सकती है। रिवाज (Custom) पहले प्रकार का उदाहरण है, राज्य अपने पारस्परिक व्यवहार के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट समझौता किये बिना प्राचीनकाल से चले आने वाले आचरण सम्बन्धी कुछ नियमों का रिवाज के तौर पर स्वाभाविक रूप से पालन करते हैं। व्यक्त सहमति (Express Consent) के उदाहरण सन्धियाँ या अन्य अन्तर्राष्ट्रीय समझौते हैं, इनमें दोनों पक्ष अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में कुछ नियमों का पालन करने के लिये स्पष्ट रूप से कुछ सन्धियाँ करते हैं। आपेनहाइम ने भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्रोतों के इस द्विविध विभाग को स्वीकार किया है।

१. आपेनहाइम—इंटरनेशनल ला, ख० १, अर्थ संस्करण, पृ० २५

२. रास—ए टैबल बुक आफ इंटरनेशनल ला, पृ० ७६-८१

३. लारेन्स—दी प्रिन्सिपल्स आफ इंटरनेशनल ला, ५४ संस्करण, पृ० ६५

स्रोतों के प्रकार (Classification of Sources)—स्रोत दो प्रकार के होते हैं (क) स्विकृत (Formal), (ख) वस्तुविषयक (Material)। अभी तक स्रोत के पचास प्रकार का वर्णन किया गया है, इनमें स्रोत का आगम उस मूल तत्व से होता है, जो उस वैधाना प्रदान करके उसका पालन करना आवश्यक बनाता है, जैसे राष्ट्र की महति। दूसरे वस्तुविषयक प्रकार का अभिप्राय ऐसे स्रोत से है, जहाँ से इसे अपनी विषयवस्तु (Content of matter) मिलती है।

स्टारके (Starke) ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्रोतों को निम्नलिखित चार वर्गों में बाँटा है—

रिवाज (Customs)

सन्धि (Treaties)

(३) विचलितगण्य अथवा न्यायालयों के निर्णय (Decisions of arbitral or Judicial tribunals)

विद्वान्निबन्धों के ग्रन्थ (Jurist's Works)

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विभिन्न प्रकार के स्रोतों का परिगणन म० रा० मध के चार्टर द्वारा समाप्त किये गये। ये अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के परिचय या सन्धि (Statute) की धारा ३८ (१) में दिया गया है। इसमें इसके निम्नलिखित चार स्रोत बताये गये हैं—

(१) सामान्य या विशेष अन्तर्राष्ट्रीय अभिसन्धियाँ (International Conventions) जिनमें ऐसे नियमों की स्थापना होती हो, जिन्हें विवाद करने वाले राष्ट्र निश्चित रूप में मान चुके हो।

(२) अन्तर्राष्ट्रीय रीति-रिवाज (International Custom) जो इस बात का प्रमाण है कि निम्नी सामान्य व्यवहार (Practice) को कानूनी मान्यता मिल गई है।

(३) कानून के ऐसे सामान्य सिद्धान्त (General principles of law) जिनको सभी राष्ट्रों ने स्वीकार कर लिया हो।

(४) धारा ५६ की व्यवस्थाओं के अनुसार किये गये न्यायिक निर्णय (Judicial decisions) और विभिन्न देशों में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विद्वानों के कथन; ये कानून के नियमों के निर्धारण में गौण (subsidiary) साधन हैं।

इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्य स्रोत निम्नलिखित हैं—अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य (International Comity), सन्धियों के अनिर्दिष्ट राजकीय पत्र (State papers), राज्या द्वारा अपने अधिकारियों के पत्रप्रदान के लिए जारी किये गये विद्वान्, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के प्रस्ताव, विभिन्न देशों की पार्लियामेंटों के तथा विधानसभाओं व कानून, न्यायालयों के निर्णय, अन्तर्राष्ट्रीय विधिबेलाओं की तथा इस विषय पर अन्य लेखकों की सम्मति। उपर्युक्त विभिन्न स्रोतों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है—

(१) सन्धियाँ (Treaties)—ये अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। राज्या की विधान सभाओं की भाँति अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ऐसे कानूनों का निर्माण

करने वाली कोई मन्था नहीं है, जिनका पालन सब राज्यों के लिए आवश्यक और अनिवार्य हो। निम्नु विभिन्न राजन एक मन्धि पर हस्ताक्षर करके उस प्रकार के कानून और प्रस्ताव बनाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय मण्डल का निर्माण कर सकत हैं। कुछ सभों में १० रा० सभ इस प्रकार का मण्डल है। इनके अतिरिक्त (बादर) पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्र इसके द्वारा बनाई जानेवाली व्यवस्थाओं का पालन करना स्वीकार करत हैं। सन्धियों के तीन मुख्य भेद निम्नलिखित हैं—

(क) विधि-सूचक या प्रज्ञापक संधियाँ (Treaties declaratory of law)—

अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि में सन्धिया का पहला प्रकार विधि प्रज्ञापक (Declaratory of law) सन्धिया का है। हाल के मतानुसार इन सन्धिया का उद्देश्य कुछ ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय संधिया तथा नियमों का स्वीकरण होना है, जो अभी तक अस्पष्ट और अविनिश्चित थे। उदाहरणार्थ, १९०१ के लन्दन सम्मेलन में रूस, आस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, इटली और टर्की के प्रतिनिधियों ने एक प्रोटोकॉल (Protocol) पर हस्ताक्षर किए, इसमें उन्होंने यह घोषणा की कि वे इसे राष्ट्रों के कानून का एक आवश्यक सिद्धान्त समझते हैं कि कोई भी सन्धि किसी सन्धि का करने वाले सब पक्षों की सौत्रीपूर्ण सहमति के बिना, इस सन्धि की शर्तों में अवन को मुक्त नहीं कर सकती और न ही इनकी शर्तों में स्वयंसेव कोई मजाबत कर सकती है। यह स्पष्ट है कि उस सन्धि ने कोई नया नियम नहीं बनाया, किन्तु पहले से सब आन वाले नियमों का स्पष्ट कर दिया। उस प्रकार की सन्धियों का एक अन्य उदाहरण स्वीट्ज़र और डेनमार्क की १७१४ की सन्धि है, इसमें मर्याद तटस्थता (Armed Neutrality) के नियमों का पहली बार स्पष्ट प्रतिपादन किया गया था।

(ख) विधायक सन्धि (Lawmaking treaty)—दूसरे प्रकार की सन्धि

विधायक सन्धि (Lawmaking treaty) कहलाती है। ब्रिक्स (Brieks) ने उनका लक्षण इस प्रकार किया है—“य एनी सन्धिया है जिन्हें राज्यों की एक वी सभ्या ने निम्नलिखित प्रयोजनों की पूर्ति के लिए किया है—द्वितीय विशेष विषय के सम्बन्ध में अर्थात् सन्धि प्रकट करना, भविष्य में व्यवहार के लिए एक नया सामान्य नियम का निर्धारण करना या किसी अन्तर्राष्ट्रीय सभ्या का निर्माण।” यह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कुछ नियमों का निर्माण करती है, इन नियमों की पहल संधिपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले स्वीकार करते हैं, बाद में अन्य देश भी इनका पालन करने लगत हैं। कुछ समय बाद ये व्यवस्थाएँ सर्वमान्य होने लगती हैं। १८५६ का पेरिस का घोषणापत्र (Declaration of Paris 1856) इसका एक सुन्दर उदाहरण है। उन समय तक समुद्रों के सम्बन्ध में कुछ निश्चित नियम नहीं थे, युद्ध के समय युद्ध मलान देशों (Belligerents) के तथा तटस्थ देशों के समुद्र में पारस्परिक सम्बन्धों को निश्चित करने वाली व्यवस्थाओं का अभाव था। पेरिस में इन व्यवस्थाओं को एक सन्धि में लिखा गया, इस पर पहले ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जर्मनी, आस्ट्रिया, सार्डीनिया और तुर्की के हस्ताक्षर

हुए, बाद में चासीन अन्य राज्यों ने भी हस्ताक्षर कर दिये। यद्यपि स० रा० अमरीका ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किये, किन्तु जब कभी आवश्यकता पड़ी तो उसने अपना व्यवहार इस घोषणा के अनुसार ही रखा है। इससे यह स्पष्ट है कि पेरिस के घोषणापत्र द्वारा बनाये नियम उसे भी रबीकार है।

वर्तमान समय में विधायक सन्धियों का महत्व बढ रहा है। हडसन के कथनानुसार १८६४ से १९१४ तक इस प्रकार की सन्धियों की कुल संख्या २५७ थी, किन्तु १९१७ से १९२९ के बारह वर्षों में इस प्रकार की २२९ सन्धियाँ हुईं। आधुनिक युग में ऐसी सन्धियों के महत्वपूर्ण उदाहरण निम्नलिखित हैं—वैस्टफेलिया की सन्धि (१६४९), पेरिस की सन्धि (१८१५), १८९९ तथा १९०७ के हेग अभिसमय (Hague Conventions), वर्साय की सन्धि (१९१९), पेरिस वा घोषणापत्र (१८५६), जेनेवा के अभिसमय (Conventions) (१८६४, १९०६, १९२९, १९४९), केलाग-श्रीश्री समझौता (१९२८), १९२९ का जेनेवा अभिसमय, टर्की के जलशमकमध्यों के सम्बन्ध में मोन्त्र समझौता (१९३६), स्वेड नहर समझौता (१८८८), राष्ट्र सघ का विधानपत्र (१९१९), स० रा० सघ का चार्टर (१९४५)।

उपर्युक्त सन्धियों की शर्तों का यदि निरीक्षण किया जाय तो यह बात होगा कि इनमें निम्न विषयों के बारे में अनेक नियम बनाये गये हैं—रेड क्रॉस का कार्य, स्थल और जलयुद्धों के नियम, औद्योगिक सम्पत्ति की रक्षा, समुद्रवर्ती सदेशवाहक तारों का संरक्षण, दास व्यापार और अफीम के व्यापार का निरोध, अन्तर्राष्ट्रीय जलमार्ग, अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को शान्तिपूर्ण रीति से हल करने के उपाय।

कुछ सन्धियाँ नये नियम न बनाने पर भी अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में बहुरा प्रभाव डालती हैं, जैसे १८७८ की नलिन कायेंस के नियंत्रण, प्रथम विश्वयुद्ध के बाद जर्मनी, आस्ट्रिया, हंगरी, टर्की के साथ होने वाली सन्धियाँ। इन्हें भी प्रायः विधायक सन्धियों में सम्मिलित किया जाता है।

विधायक सन्धियाँ दो विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं (पहला कार्य नियमों का निर्माण है तथा दूसरा सन्धिकर्ता राज्यों द्वारा इनके पालन की जिम्मेवारी लेना)। अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि में दूसरा कार्य गौण है।

(ग) संधिदा सन्धियाँ (Contract treaties)—सन्धियों का तीसरा प्रकार संधिदा सन्धियाँ (Contract treaties) है। ये भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास में सहायक होती हैं। विभिन्न राज्यों द्वारा एक ही विषय के सम्बन्ध में की गई सन्धियाँ इसे अन्तर्राष्ट्रीय रिवाजी कानून का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त बना देती हैं। उदाहरणार्थ, १९वीं शती में अनेक देशों ने दूसरे देश के अपराधियों के प्रत्यर्पण (Extradition) के सम्बन्ध में कई द्विपक्षीय (Bilateral) सन्धियाँ कीं। इनमें प्रत्यर्पण के नियम का विकास हुआ। कानून बनानेवाली विधायक तथा संधिदा सन्धियों की प्रामाणिकता अन्तर्राष्ट्रीय रिवाजी कानून (Customary law) से अधिक प्रबल होती है। दोनों में विरोध होने

पर सधियों को प्रामाणिक समझा जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय ने स्टीमशिप विम्बलडन (S S Wimbeldon) के मामले में स्पष्ट रूप से यह निर्णय दिया था कि सधियों के कानून को रिवाजी कानून की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली मानना चाहिये। इस मामले में जर्मनी ने फ्रेंच सरकार द्वारा भाड़े पर लिए गये एक ब्रिटिश जहाज विम्बलडन को कोल नहर में दग प्राधार पर नहीं गुजरने दिया कि यह उसका प्रान्तरिक राष्ट्रीय जलमार्ग है, पुराने रिवाज के आधार पर तटस्थ होने के कारण वह इस नहर में से रूस के साथ तड़ाई करने वाले देग पोलेण्ड के लिये रणसामग्री ले जाने वाले इस जहाज को गुजरने की अनुमति नहीं दे सकता था। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय ने १९१६ की वर्माय की सधि की धारा ३६० में इस नहर को सब देशों के साथ व्यापार और युद्ध के लिये खुला रखने की शर्त को अग्नि प्रामाणिक समझते हुए जर्मनी का दावा नहीं स्वीकार किया।

(२) रिवाज या आचार (Custom) — (आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून के वर्तमान स्वरूप का विकास करने में इनका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यह इसका प्राचीनतम स्रोत है। २०वीं शती के आरम्भ तक अन्य सगरी सानो से अधिक महत्ता रखता था। राजकूल विधायक (Law making) सधियों की मन्था अधिक बढ़ जाने में इसका महत्व पहले की अपेक्षा कुछ कम हो गया है। फिर भी राज्य के प्रदेश, क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) और उत्तरदायित्व, दूतों के विशेषाधिकार तथा प्रदेश बाह्य (Extra-territorial) अधिकार रिवाज के आधार पर विवमिन होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सुन्दर उदाहरण है।

रिवाज या आचार का अभिप्राय ऐसे नियमों से है, जो एक लम्बी ऐतिहासिक प्रक्रिया के बाद विवसित होते हैं और अन्ततोगत्वा विभिन्न राज्यों के अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा स्वीकृत होते हैं। जब इन नियमों का पालन करना राज्य अपने लिए अनिवार्य (Obligatory) समझने लगते हैं तो ये रिवाज (Custom) का रूप धारण करते हैं। अतः जान वेस्ट्लेक (John Westlake) ने इसका लक्षण करते हुए कहा है— "रिवाज या आचार अनारण्य की वह पद्धति है, जिसका अनिवार्य रूप में पालन करना समाज द्वारा स्वीकार किया जाता है।" उदाहरणार्थ, जब दूतों के विशेषाधिकारों को विभिन्न सम्य राज्यों ने स्वीकार कर लिया तो इसे अन्तर्राष्ट्रीय रिवाज के रूप में मान लिया गया।

पिट कोबेट (Pit Cobbet) ने रिवाज के विकास की तीन अवस्थाएँ बनायी हैं। पहले अवस्था में कुछ राज्य सामान्य सुविधा या सुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर किसी व्यवहार (Practice) या प्रणाली को अपनाना शुरू करते हैं, किन्तु इस समय इसका पालन करना पूर्णरूप से अपनी इच्छा (Discretion) पर होता है। उदाहरणार्थ, दूतों की अवध्यता को लीजिए। इस परिपाटी का श्रीगणेश सामान्य सुविधा और सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए हुआ, यदि एक राज्य अपने यहाँ आये दूसरे राज्य के दूत को मारता है या विशेष सुविधायें नहीं प्रदान करता तो दूसरा राज्य भी उसके दूत के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है। दोनों की सुविधा और हित इसी में था कि वे एक दूसरे के दूतों को

अपने यहाँ विद्यमान सुविधाएँ प्रदान करें। किन्तु इस अवस्था में राज्य अपनी इच्छानुसार इनकी व्यवहारात्मकता कर सकते हैं और इस सम्बन्ध में सब राज्यों में एक जैसी परिपाटी न होकर, अनेक प्रकार के व्यवहार और प्रणालियाँ प्रचलित होनी हैं। बुमरी अवस्था में इन विभिन्न प्रणालियों में सम्यक्ता की आवश्यकता के अनुसार अपने अर्द्ध और उपयोगी प्रणाली अन्य प्रणालियों की अपेक्षा अधिक स्वीकरणीय और आदरणीय समझी जाने लगती है। उदाहरणार्थ, योरोप में १५-१६वीं शताब्दी तक राजदूतों के विनोदधिकारों के बारे में अनेक प्रकार की परिपाटियाँ प्रचलित थीं, यदि ये राजदूत दूसरे देश में फौजदारी या दीवानी अपराध करें तो इन्हें पकड़ने या इनकी सम्पत्ति जब्त करने के बारे में सब देशों में एक जैसे नियम नहीं थे। पहले यह बताया जा चुका है कि १७वीं शताब्दी के आरम्भ में अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ताओं ने फौजदारी अपराधों में राजदूतों को स्वदेश वापिस भेजने और सामान्य रूप से इनको उस देश की कानूनी प्रक्रियाओं में मुक्त होने के प्रदेश-वाह्यता (Exteriority) के सिद्धान्त का समर्थन किया। तीसरी अवस्था में जब कृत्नी व्यवहार (Practice) को सामान्य रूप में स्वीकार किया जाने लगता है तो यह रिवाज का रूप धारण करना है, इस समय सब सम्यक् राज्य इसका पालन करना अपना अनिवार्य कर्तव्य समझने लगते हैं। आजकल सभी देश राजदूतों के विशेषाधिकार (Privileges) स्वीकार करते हैं, अतः यह अन्तर्राष्ट्रीय आचार या रिवाज (Custom) बन गया है।

आचार या रिवाज (Custom) तथा प्रथा (Usage) का भेद—इनका प्रयोग प्रायः पर्याप्ततानी के रूप में किया जाता है, किन्तु इन दोनों में स्पष्ट शास्त्रीय भेद है। प्रथा रिवाज का पूर्व रूप है। प्रत्येक रिवाज प्रथा के रूप में प्रारम्भ होता है, अतएव प्रथा को रिवाज की आरम्भिक अवस्था या उपाकाशील पक्षा भी कहा जाता है। किन्तु जब यह प्रथा सर्वमान्य एवं अनिवार्य रूप में पालन की जाने वाली रूढ़ि बनती है तो रिवाज का रूप ग्रहण करती है। ओपेनहाइम (Oppenheim) ने इन दोनों का अन्तर स्पष्ट करते हुए लिखा है—“अन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्री उस समय रिवाज या आचार (Custom) का प्रयोग करते हैं, जब किन्हीं निश्चित कार्यों को सुस्पष्ट एवं निरन्तर रूप में करने की आदत का विकास इस विश्वास के साथ हुआ हो कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से इन कार्यों को किया जाना अनिवार्य अथवा ठीक है। अन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्री प्रथा (Usage) का प्रयोग तब करते हैं जब कुछ निश्चित कार्य करने की आदत बिना इस विश्वास के साथ विकसित हो कि ऐसे कार्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से अनिवार्य या ठीक हैं। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्र में भी प्रथा में रिवाज प्रथा की अपेक्षा सङ्कुचित अर्थ घोषित करता है, आचारात् की कोई पद्धति प्रथा के रूप में सामान्य होने पर भी रिवाजी या आचारिक (Customary) नहीं हो सकती।”

इसमें यह स्पष्ट है कि कोई प्रथा तभी रिवाज बनती है जब उसे विभिन्न राज्यों द्वारा पूरी कानूनी मान्यता मिल जाय। अस्तु रिवाज ऐसी प्रथा है, जिसका पालन

कानून की भांति अनिवार्य समझा जाने लगता है। स्टार्क ने किसी प्रथा के रिवाज रूप में माने जाने की दो कसौटियाँ बताई हैं।^१ पहली भौतिक कसौटी (Material Test) उस प्रथा या कार्य की बारम्बार नियमित रूप में पुनरावृत्ति होना है। दूसरी मनोवैज्ञानिक कसौटी (Psychological Test) विभिन्न राज्यों का यह विश्वास है कि इसका पालन आवश्यक होने के कारण ही इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। किसी प्रथा की पुनरावृत्ति से यह आशा बंध जाती है कि भविष्य में ऐसी सट्टक परिस्थितियों में इस प्रथा का पुनः पालन किया जायगा। जब किसी प्रथा के सम्बन्ध में ऐसी आशा अधिकांश राज्यों द्वारा स्वीकार कर ली जाती है तो यह प्रथा से कानूनी रिवाज के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यह स्थिति सैन-सैन अगजाने रूप में स्वयमेव आ जाती है। प्रायः यह नहीं पता लगता कि कोई प्रथा कब रिवाज या कानून बनी और कानून के रूप में उसका पालन होने लगा। अतएव मर जान फिशर विलियम ने कहा है—“रिवाज को कानून में पृथक् करने वाली भेदक रेखा (Rubicon) को मौन तथा अचेतन रूप में, बिना किसी घोषणा के पार किया जाता है।”

कोई प्रथा निम्न विशेषतायें होने पर ही रिवाज या आचार का रूप धारण करती है—(क) प्राचीन (ancient) होना, (ख) तर्कसंगत होना (reasonableness), (ग) निरन्तर पालन किया जाना (continuity), (घ) एकसूत्रता (uniformity), (ङ) सुनिश्चितता (certainty), (च) अनिवार्यता (compulsion), (छ) अनैतिक (immoral) न होना।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून में रिवाज के महत्त्व का मुख्य कारण यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय समाज सुसंगठित नहीं है, इसमें राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों का नियन्त्रण करनेवाली सुदृढ केन्द्रीय शासन की मज्जा का अभाव है और राज्यों की मसद् एव विधान सभाओं जैसी अन्तर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण करने वाली कोई संस्था नहीं है। इस कानून के अभाव की पूर्ति रिवाज से होती है, जहाँ-जहाँ राज्य आपसी सुविधा के लिये जिन परिपाटियों और नियमों का पालन अनिवार्य समझने लगते हैं, वे रिवाज बनने लगते हैं। ये राज्यों द्वारा मूकभाव से स्वीकृत किये हुए नियम होते हैं। (अतएव श्वार्जन्तवर्गर ने इन्हें पिछले युगों की अन्तर्राष्ट्रीय संधि भी कहा है।^२)

राष्ट्रीय एव अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयों के विभिन्न मामलों में रिवाज की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में पर्याप्त विचार हुआ है। उसके अनुसार किसी कार्यप्रणाली को रिवाज सिद्ध करने के लिये यह आवश्यक है कि इस बात की साक्षी उपस्थित की जाय कि ऐसा कार्य बार-बार और नियमित रूप में होता रहा है। ल्यूबेक बनाम मॅक्लेनबर्ग (Lubeck Vs. Macklanburg schwerin) के मामले में एक जर्मन न्यायालय ने यह कहा था कि

१. स्टार्क—एन इयटोडोरान टू इयटोरेशनल ला, चतुर्थ संस्करण, पृ० ३३

२. स्वीडन रोम के पान एक नदी का नाम है, रोमन गणराज्य के समन कोई सेनापति इस नदी को पार करके अपनी सेनाएँ रोम में नहीं ला सकता था।

३. श्वार्जन्तवर्गर—ए नैनुअल भाग इयटोरेशनल ला, पृ० १३

‘किमी राज्य या शासनसत्ता द्वारा एक बार किया गया कार्य इसे रिवाज नहीं बनाता, ऐसे आचरण को रिवाजी कानून बनाने के लिए उसका नियमित रूप से बार-बार होना चाहिए।’ किमी कार्य को तभी रिवाज माना जाता है, जब उसे ऐसा सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण हो। ये प्रमाण मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं—अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ताओं (Publicists) के ग्रन्थ, राज्यों के आचरण को प्रदर्शित करने वाले कूटनीतिक पत्र या नोट (Diplomatic notes) तथा अन्य राजकीय पत्र (State papers), राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयों के निर्णय।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने १९२० में Colambian Peruvian Asylum Case में रिवाज के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा था कि “कोलम्बिया की सरकार को यह सिद्ध करना चाहिए कि वह जिस नियम को प्रमाण रूप में पेश कर रही है, वह राज्यों द्वारा निरन्तर तथा एक ही रूप में व्यवहार में लाया जाने वाला नियम है, यह प्रथा आश्रय प्रदान करने वाले राज्य का अधिकार है और प्रादेशिक राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इसका पालन करे।” इसमें यह स्पष्ट है कि ऐसी बात ही रिवाज मानी जा सकती है, जिसका पालन सब राज्य अनिवार्य कर्तव्य समझते हों।

क्रॉकोनिया या Re. v Keyn के मामले में रिवाज के स्वरूप पर विचार करते हुए कहा गया था कि किमी रिवाज पर राज्यों की सहमति या असहमति के प्रश्न का निर्णय प्रमाणों के आधार पर करना चाहिए। अधियाँ तथा राज्य के कार्य इसकी साक्षी हो सकते हैं, किन्तु ऐसा होने मात्र से वे इस देश में न्यायालयों को बाधित नहीं कर सकते। इसी प्रकार विधिशास्त्रियों की सहमति (consensus of jurists) को भी न्यायालय मानने के लिए बाध्य नहीं है। किन्तु यह राष्ट्रों की सहमति का प्रमाण हो सकता है।

न्यायालयों द्वारा आचार या रिवाज को अन्तर्राष्ट्रीय कानून मानने के दो प्रसिद्ध उदाहरण दो पाकेट हबाना (The Paquete Habana) तथा लोटस (Lotus) के मामले हैं (देखिए प्रथम परिशिष्ट)। पहले मामले में स० रा० सघ के सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के कानून और व्यवहार, सन्धियों, विधिवेत्ताओं के लेखों तथा न्यायालयों के निर्णयों के निरीक्षण के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि इनमें इस अन्तर्राष्ट्रीय नियम या रिवाज को पुष्ट करने की पर्याप्त साक्षी है कि युद्ध के समय युध्यमान राष्ट्रों द्वारा मछली पकड़ने वाले छोटे जहाजों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जाए। लोटस के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय ने उपर्युक्त पद्धति से यह निश्चय किया था कि ‘महासमुद्रों में दो जहाजों में टकराव हो जाने पर कोई ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय रिवाज नहीं है, जिसके आधार पर टकराव के मामले पर विचार करने का अधिकार एकमात्र उस देश का हो जिसका झण्डा उस जहाज पर फहरा रहा हो।’

किमी रिवाज का अनिवार्य रूप से पालन करने के लिए किमी राज्य के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसने इसके विक्रम में भाग लिया हो और इस प्रकार वह इसके पालन के लिए बाधित हों। जब कोई देश राज्यों के अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का

सदस्य बनता है तो राष्ट्रों के रिवाजी कानून स्वतः उस पर लागू हो जाते हैं। किन्तु किसी रिवाज के बनने के समय यदि एक राज्य ने उसके पालन न करने का सकल्प प्रकट किया हो तो अन्य राज्य उसे उसके पालन के लिए बाधित नहीं कर सकते। उदाहरणार्थ, राज्यों की समुद्री सीमा को तट से समुद्र के भीतर तीन मील तक मानने का अन्तर्राष्ट्रीय रिवाज है। कुछ राज्यों ने इस रिवाज के बनने के समय चिरकाल तक इसका प्रतिवाद करते हुए अपनी समुद्री सीमा के लिए तीन मील से अधिक दूरी स्वीकार करने पर बत दिया। अब मर्यापि अन्तर्राष्ट्रीय रिवाज में प्रादेशिक समुद्र की सीमा तीन मील तक मानने का रिवाज प्रचलित हो गया है किन्तु इसका पालन उन राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं है, जिन्होंने इसका प्रतिवाद किया था।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के उपर्युक्त दो स्रोतों के अतिरिक्त अन्य स्रोत निम्न लिखित हैं —

(३) कानून के सामान्य सिद्धान्त (General Principles of Law) —

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की सविधि (Statute) की धारा ३८ में (द्वितीय उमर ५०-६६) इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और रिवाज के बाद तीसरा स्थान दिया गया है। यह बड़ा व्यापक स्रोत है, इसमें विभिन्न देशों में विकसित वैयक्तिक कानून के उन सिद्धान्तों का भी समावेश होगा है, जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के विषय में लागू किए जा सकते हैं। यह सर्वथा स्वाभाविक है। वैयक्तिक (Private) कानून अन्तर्राष्ट्रीय कानून की अपेक्षा अधिक विकसित है और जहाँ कहीं हमारे कानून के निरिचित और मुस्पष्ट नियम नहीं हैं, वहाँ पहले कानून के सामान्य सिद्धान्तों का अवलम्बन किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास की आरम्भिक दशा में रोमन कानून के सिद्धान्त ग्रहण किए गए थे, यह प्रक्रिया आज तक जारी है। इसके कुछ उदाहरण न्याय और निष्पक्षपात (Justice and Equity), चिरकालिक भोग (Prescription), अध्येसन (Occupation) तथा मुक्त बन्धन (Estoppel) के सिद्धान्त हैं।—इन्हे अन्तर्राष्ट्रीय कानून में वैयक्तिक कानून से लिया गया है। सर राबर्ट फ्रिन्मोर ने *Re v Keyn* के मामले में निर्णय देते हुए लिखा था 'राष्ट्रों का कानून न्याय, निष्पक्षपात, सुविधा और बुद्धि पर आधारित है।' जर्मनी और पुर्तगाल के विवाद में *Mazina* तथा *Naulila* के मामलों में विशेष पञ्चायती अदालत ने कानून के सामान्य सिद्धान्तों को लागू किया था। इसके निर्णय में कहा गया था कि 'किसी विवादामुद्र प्रश्न के विषय में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियम न होने की दशा में न्यायाधीशों का यह कर्तव्य है कि वे इस अभाव को निष्पक्षपात (Equity) के सिद्धम सहाकर पूरा करें और ऐसा करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी भावना का ध्यान रखें।'

U S, *The Schooner la Jeune Uagenie* के मामले में न्यायाधीश स्टोरो (Story) ने यह लिखा था कि राष्ट्रों के कानून के (नियमों को) तर्कप्रसंग सत्य और न्याय (Right and Justice) के सामान्य सिद्धान्तों में विकसित करने चाहिये।

त्रियर्ली ने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की सविधि (Statute) में न्याय के सामान्य सिद्धान्तों को अन्तर्राष्ट्रीय कानून का स्रोत माने जाने के लिये इस दृष्टि से महत्व दिया है

कि यह उस अस्तित्ववादी (Positivist) सिद्धान्त का प्रत्याख्यान है जो केवल राज्यों द्वारा सहमति-प्राप्त नियमों को ही अन्तर्राष्ट्रीय कानून मानता है। यह दस बात को प्रामाणिक रूप में स्वीकार करता है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून में प्रगतिशील (Dynamic) तत्व हैं तथा इसे लागू करने वाले न्यायालय इन सिद्धान्तों के आधार पर इसका नूतन निर्माण भी करते हैं।

(४) न्यायालय के निर्णय (Judicial Decisions) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय (International Court of Justice) — अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की मविधि में इन्हें कानून के नियमों को निर्धारित करने का गौण साधन" बनाया गया है। ये निर्णय प्रायः विवादास्पद प्रश्नों के निवारण के समय दोनों पक्षा द्वारा पूर्वोद्घाहरण या नज़ीरों के रूप में उपस्थित किए जाते हैं, इस प्रकार ये अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास में महत्वपूर्ण यत्न हैं। किन्तु ये अन्तर्राष्ट्रीय कानून में बाधित रूप से लागू किए जाने वाले नियम नहीं हैं, न्यायालय स्वयंसेवक रूप से पुराने निर्णयों को मानने के लिए बाधित नहीं है। इसका सुन्दर उदाहरण १९५१ का एंग्लो-नार्वेजियन मछली-गाहो (Anglo-Norwegian Fisheries Case) का मामला है। फिर भी १९०१ में तथा १९५२ में स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयों के निर्णय अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रश्न पर तत्काल प्रामाणिक सम्मति मानी जाती है। इनमें निर्णयों से पहले दोना पक्षों के विद्वान् वकील मनी दृष्टियों से विवादप्रश्न प्रश्न की मीमांसा करते हैं इन्हें सुनने वाले न्यायाधीन विभिन्न देशों के विद्वान् तथा अनुभवी विधिज्ञानी होते हैं। इनमें सम्मति निवारण के बाद दिए गए निर्णय बाध्य रूप से पालनीय न होने पर भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून में असाधारण महत्व रखते हैं। स्टार्क के मतानुसार अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयों के तथा विभिन्न पक्ष-न्यायाधिकरणों (Arbitration tribunals) द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून की निम्नलिखित शाखाओं के नियमों का विकास और स्पष्टीकरण हुआ है— प्रादेशिक प्रभुता, तटस्थता, राज्य का क्षेत्राधिकार, राज्य की परवत्ताय (State servitudes), राज्य का उत्तरदायित्व। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के इतिहास में निम्नलिखित पंचनिर्णयों के मामले विशेष रूप में उल्लेखनीय हैं— १८७२ का सत्वामा दावा पंच-निर्णय, १८६३ का बेहॉरिंग समुद्र मछलीगाह पंचनिर्णय, १९०२ का पावतफण्ड मामला, १९१० का नार्वे अटलाण्टिक मछलीगाह मामला।

(ख) राष्ट्रीय न्यायालयों के निर्णय (Decisions of Municipal Courts) — ये अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयों के निर्णयों की भांति अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सुप्रतिष्ठित स्रोत नहीं है। इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय कानून में पूरी तरह लागू करने में अनेक बन्धन और बाधाएँ हैं। पहला बन्धन तो यह है कि ये अपने देश के सविधान का विरोधी कोई अन्तर्राष्ट्रीय कानून नहीं लागू कर सकते। दूसरा कारण अनेक देशों में राज्य द्वारा न्यायालयों की स्वतन्त्रता पर लगाए हुए कई प्रकार के प्रतिबन्ध हैं। तीसरा कारण युद्ध तथा घातक म और विभिन्न देशों की मान्यता (Recognition) के सम्बन्ध

में न्यायालयों द्वारा अपने राज्य की सरकार द्वारा निर्दिष्ट की गई व्यवस्थाओं को पूरी तरह स्वीकार करना है, इस विषय में वे किसी प्रकार का स्वतन्त्र विचार नहीं कर सकते, अतएव इवाजेंनवर्गने इनके नियमों को अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण का ही प्रमाण माना है। फिर भी स० रा० अमरीका के प्रधान न्यायाधीश मार्शल की *Thyry Hogshead v Boyle* के मामले में कही गई इस उक्ति में अधिक सत्य है — “प्रत्येक देश में सामान्य रूप से पाए जाने वाले कानून पर आधारित विभिन्न देशों की अदालतों के निर्णय यद्यपि प्रमाण के रूप में नहीं ग्रहण किये जाते, किन्तु उनका आदर किया जाता है।”

(ग) अधिग्रहण न्यायालयों के निर्णय (Decisions of Prize Courts) —

ये न्यायालय युद्धसमय देशों द्वारा उस उद्देश्य में स्थापित किए जाते हैं कि वे अपने युद्धपोतों द्वारा निगूहीत माल और जहाजों के स्वत्व के बारे में वैधता का निर्णय करें। ये न्यायालय अन्तर्राष्ट्रीय कानून को लागू करते हैं और उसे त्रियात्मक रूप देते हैं। इस कानून का निर्माण किसी एक देश द्वारा नहीं किया जाता। इसका निर्धारण अन्य राष्ट्रों द्वारा एक-दूसरे के साथ वातहार में निरन्तर से पालन की जाने वाली प्रथाओं और रिवाजों द्वारा तथा स्पष्ट अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा होता है। यद्यपि ये अधिग्रहण न्यायालय अपने देश की ससद् द्वारा बनाए गए कानूनों से बंधे होते हैं, फिर भी उनका काम अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार निर्णय देना है। *मोरिया (Moria)* के प्रसिद्ध मामले के निर्णय में सर विलियम स्कॉट ने लिखा था — ब्रिटिश अधिग्रहण न्यायालय का यह कर्तव्य नहीं है कि वह राष्ट्रीय हितों के वर्तमान प्रयोजनों को पूरा करने वाली परिवर्तनशील सम्मतियाँ प्रदान करे, किन्तु उसका कर्तव्य बिना किसी भेदभाव के राष्ट्रों के कानून की उस न्यायपद्धति को लागू करना है, जो तटस्थ और उद्घममान (Belligerents) सभी स्वतन्त्र राज्यों के लिए समान रूप से लागू होती है। रिकवरी (Recovery) के मामले में यह बात और भी अधिक स्पष्ट रूप से कही गई थी ‘यह स्मरण रखना चाहिए कि भले ही इस न्यायालय की बैठक ग्रेट ब्रिटेन के राजा की सामन सला में होती है, किन्तु यह राष्ट्रों के कानून का न्यायालय है। इसका सम्बन्ध जितना हमसे है, उतना ही दूसरे देशों से भी है। विदेशियों को उससे यह माग करने का अधिकार है कि यह राष्ट्रों के कानून को लागू करे।”

अधिग्रहण न्यायालयों के निर्णयों का सम्मान प्रायः इन्हें प्रदान करने वाले न्यायाधीशों की योग्यता, विद्वत्ता और निष्पक्षता की स्थािति पर निर्भर होता है। अमरीका के स्टोरी, ग्रेट ब्रिटेन के स्टोबेल और फ्रांस के पोर्तोलिस जैसे सुप्रसिद्ध न्यायाधीशों के निर्णय बड़ा महत्त्व रखते हैं। लारेन्स ने यह लिखा है कि राज्यों द्वारा इनके निर्णयों में बहुत कम हस्तक्षेप होता है। फिर भी इन न्यायाधीशों पर अपने देश की परिस्थितियों का प्रभाव अवश्य पड़ता है और इनके फैसलों में इनकी हल्की छाप अपश्य होती है। यह बात फ्रान्स, हार्लैंड और इंग्लैंड के और गृहयुद्ध के समय अमरीका के न्यायालयों द्वारा किए गए निर्णयों के तुलनात्मक अध्ययन में भलीभाँति स्पष्ट हो जाती है।¹³

५) अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ताओं के ग्रन्थ (Works of Publicists) — अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के विधान की धारा ३८ में यह कहा गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों के निर्धारण में विभिन्न देशों के उच्चतम योग्यता रखने वाले अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ताओं के विचारों का उपयोग गौरवपूर्ण रूप में किया जाना चाहिये। विधिवेत्ता अपने ग्रन्थों में अन्तर्राष्ट्रीय नियमों की सूक्ष्म मीमांसा करते हैं, यह जितनी विवाद, स्पष्ट, सुन्दर और प्रामाणिक होगी, अन्तर्राष्ट्रीय कानून पर उतना अधिक प्रभाव डालेगी। त्रियर्ली के मतानुसार ये ग्रन्थ राज्यों के आचरण को प्रभावित करने वाले जन्मत के निर्माण द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून को सशोधित करते हैं। अयाला जैण्टिलिम, वेटल, क्रोशियम आदि के ग्रन्थों ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के निर्माण में बड़ा भाग लिया है। इन ग्रन्थों का प्रभाव आपेगहाइम के मतानुसार इस पर निर्भर होता है कि इनमें वैज्ञानिक और निष्पक्ष दृष्टिकोण कहीं तक अपनाया गया है और राज्यों के आचरण को कानूनों सिद्धान्तों की कसौटी पर किम हद तक आलोचनात्मक रीति से परखा गया है। जिस ग्रन्थ में ये विशेषताये जितनी अधिक मात्रा में होंगी, वह उतना ही अधिक प्रामाणिक माना जायेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के लिए इन ग्रन्थों की प्रामाणिकता के विषय में ग्रेट ब्रिटेन तथा अमरीका के न्यायाधीशों ने विभिन्न मत प्रकट किये हैं। इगलैंड में बहुमत रखने वाला एक पक्ष इन्हें कानून का निर्माण करने वाला नहीं मानता। लार्ड चीफ जस्टिस काकबर्न ने फ्लोकोनिया के मामले में निर्णय देते हुए लिखा था—“अन्तर्राष्ट्रीय कानून के लेखक भले ही इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हों कि वे कानून के नियमों का स्पष्टीकरण और निर्धारण करते हैं, किन्तु वे कानून का निर्माण नहीं करते, क्योंकि किसी भी कानून के बाधित रूप से पालन किए जाने के लिए यह आवश्यक है कि इसे पालन करने वाले देश इसके लिए अपनी सहमति प्रदान करें।” लेखकों के ग्रन्थों को राज्य द्वारा इस प्रकार की कोई सहमति नहीं होती, अतः वे लेखकों के विचार मात्र हैं, इनके पीछे इन्हें बाध्य रूप से पालन कराने वाली शक्ति (Sanction) का अभाव है, अतः इन्हें कानून नहीं माना जा सकता। विन्तु सर हेनरी मेन आदि विधिशास्त्रियों ने इससे प्रतिकूल मत स्थापित किया है। उनका यह विचार है कि लेखकों के पास यद्यपि अपने विचारों को पालन कराने की शक्ति (Sanction) का अभाव है, किन्तु फिर भी वे कानून के पालन के लिये उपयुक्त वातावरण तैयार करते हैं। वे राजाओं में तथा विभिन्न समुदायों के शिक्षित वर्गों में ऐसे भावों का प्रसार करते हैं, जिनके कारण उनमें राज्यों के सम्बन्ध को नियन्त्रित करने वाले कुछ निश्चित नियमों की उपक्षा या भंग करने के विरुद्ध प्रबल भावना उत्पन्न हो जाती है।” आजकल इगलैंड में यही दृष्टिकोण सत्य माना जाता है।

स० रा० अमरीका में इसका सर्वोत्तम प्रतिपादन न्यायाधीश ग्रे (Gray) ने पाक्वेट हवाना (The Pacquete Habana) के मामले (देखिये प्रथम परिशिष्ट) में

निर्यात देते हुए किया था—“जहाँ कोई सन्धि न हो, नियन्त्रण करने वाली शासनसत्ता का आदेश, किसी विधानमभा का कानून या न्यायिक निर्णय न हो वहाँ सम्य राष्ट्रों के रिवाजों और प्रथाओं का अवलम्बन लेना चाहिये, इनके प्रमाण के रूप में उन विधि-शास्त्रियों और भाष्यकारों के ग्रन्थों का सहारा लिया जा सकता है, जिन्होंने वर्षों के परिश्रम, अनुसंधान और अनुभव द्वारा अपने को उन विषयों में निपुण बना लिया है, जिनका वे प्रतिपादन करते हैं। न्यायाधिकरण (Judicial Tribunals) इन ग्रन्थों का अवलम्बन इसलिये नहीं लेते कि इनमें लेखकों ने यह विचार किया है कि कानून कौसा होना चाहिये, किन्तु वे इनका सहारा इसलिये लेते हैं कि ये ग्रन्थ वास्तविक कानून का स्वरूप प्रतिपादित करनेवाली विश्वसनीय साक्षी हैं।”

(६) अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य (International Comity)—राज्य एक-दूसरे के साथ पारस्परिक व्यवहार में न केवल कानूनी दृष्टि से अवश्य पालन करने योग्य कानूनों का तथ्य प्रयाग्रा का अनुमरण करते हैं, किन्तु सौजन्य सुविधा और मद्भावना प्रदर्शित करने वाले कुछ नियमों का भी पालन करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय आचरण के ये नियम कानून नहीं, किन्तु सौजन्य के होते हैं। उदाहरणार्थ, मौज्यवग मव देश अपने यहाँ आने वाले विदेशी राजदूतों को चुगी के नियमों से मुक्त कर देते हैं। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून का स्रोत नहीं है, फिर भी आपेनहाइम के मतानुसार यह इसके विकास पर प्रभाव डालता है और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के कई नतमान नियम पहले अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य के नियम थे।” इस सौजन्य का आधार ‘आत्मन प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत्’ का नियम है।

(७) तर्कशक्ति (Reason)—ब्रिगलिन ने दंग बहुत महत्व दिया है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून में प्रायः ऐसी नवीन परिस्थितियाँ उत्पन्न होती रहती हैं, जिन पर उम समय तक प्रतिपादित कानून का कोई सिद्धान्त लागू नहीं होता। इन दशाग्रा में तर्कशक्ति या बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है। तर्क का अभिप्राय यहाँ मानवीय बुद्धि द्वारा सोची जाने वाली सब प्रकार की बात नहीं, किन्तु न्यायिक तर्क (Judicial reasoning) है। इसका अभिप्राय यह है कि नवीन परिस्थिति के लिए कोई नियम न होने पर इनकी सौज विधिबेत्ताओं द्वारा सर्वत्र वैध रक्षोकार की जाने वाली तर्क-प्रणाली द्वारा होनी चाहिए। १९१० म म० रा० अमरीका तथा ग्रेट ब्रिटेन के एक विवाद का निर्णय देते हुए एक न्यायालय ने लिखा था—‘यदि यह मान लिया जाय कि इन मामलों में कोई सन्धि या अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विनियम नहीं लागू होता, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय कानून का कोई नियम नहीं है। यह सम्भव है कि अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय कानून में विशिष्ट मामलों का निरण करने वाले स्पष्ट नियम न हों, किन्तु विधिशास्त्र का यह कार्य है कि वह कानून की विशिष्ट व्यवस्थाय न होने पर भी परस्पर विरोधी अवधारणाओं और द्विनों के सघर्ष के समाधान के लिए सामान्य सिद्धान्तों की तर्कशक्ति को लागू करे और समस्या का हल करे। विधिशास्त्र

की यही पद्धति है।”

(८) अन्तर्राष्ट्रीय राजपत्र (International State Papers)—वर्तमान समय में विभिन्न राज्य दूसरे देशों के साथ सम्बन्ध रखने वाले सरकारी पत्रव्यवहार और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को “श्वेत”, “नील”, “रक्त” आदि रंगों के आवरण रखने वाली पुस्तकों के रूप में प्रकाशित करते हैं। उदाहरणार्थ, भारत चीन सीमाविवाद पर दोनों देशों के बीच हुए पत्रव्यवहार को भारत सरकार ने श्वेत पत्र के रूप में प्रकाशित किया है। संयुक्त राज्य अमरीका में ऐसे पत्रव्यवहार, आज्ञाओं और विभिन्न विभागों को दिये गए निर्देशों को ‘स० रा० अमरीका के वैदेशिक विषयों से सम्बन्ध रखने वाले पत्र’ (Papers relating to the Foreign Relations of the United States) के नाम से छपा जाता है। १६०६ में प्रकाशित मूर के ‘अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सारांश’ (Digest of International Law) में अमरीका के विदेश विभाग के बहुमूल्य पत्रों का संग्रह हुआ है। इसी प्रकार एक आधुनिक संग्रह हेंकवर्थ का Digest of International Law है। इनमें संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा माने जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय कानून के मौलिक सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण हुआ है। सरकारी कागजों में प्रायः सरकारी विधिशास्त्रियों द्वारा बड़ी विद्वत्ता और योग्यता के साथ अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विवादास्पद जटिल प्रश्नों पर विचार होता है। लारेन्स ने यह ठीक ही लिखा है कि “कई बार इन विवादों में बहुत से ऐसे सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण और प्रतिपादन होता है, जिन पर अब तक बहुत कम ध्यान दिया गया था।” अन्तर्राष्ट्रीय कानून के जटिल, गूढ़ और गम्भीर प्रश्नों पर प्रकाश डालने के कारण ये राजपत्र अन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्र की समस्याओं के समझने में बहुत सहायक होते हैं।

इसी प्रकार विभिन्न राज्यों के राजनीतिज्ञों द्वारा की गई घोषणाओं से, अपने कानूनी परामर्शदाताओं द्वारा राज्यों को दी गई सलाहों से, राज्यों द्वारा विदेशों में अपने प्रतिनिधियों को दिये गए निर्देशों से अन्तर्राष्ट्रीय रिवाजों और नियमों पर बहुत प्रकाश पड़ता है।

विभिन्न स्रोतों की प्रामाणिकता का क्रम—ऊपर बताये गये अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विभिन्न प्रकार के स्रोतों के सम्बन्ध में यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इनमें प्रामाणिकता का क्रम क्या हो अर्थात् किन स्रोतों को सबसे अधिक प्रामाणिक समझा जाय और किन्हे कम प्रामाणिक माना जाय। इस विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की सर्वाधिक प्रदक्षित निम्नलिखित प्रमाण-क्रम ही उचित एवं माननीय प्रतीत होता है। यह इस प्रकार है—(१) संधियाँ तथा अभिसमय (Conventions), (२) रिवाज या आचार, (३) सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत कानून के सामान्य सिद्धान्त, (४) न्यायिक निर्णय तथा विधिशास्त्रियों के ग्रन्थों और लेखों में प्रदर्शित की गई सम्मति। राज्यों के व्यवहार में इसी पद्धति का अनुसरण किया जाता है। संधियों के नियम और व्यवस्थाएँ सबसे अधिक प्रामाणिक हैं, किन्तु इनके अभाव में रिवाज को प्रामाणिकता दी जाती है। रिवाज के बाद कानून के सामान्य सिद्धान्त महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। इनके अभाव में न्यायालयों के निर्णय प्रामाणिक माने जाते हैं और इनके बाद विधिशास्त्रियों के ग्रन्थों और

सम्मतियों को प्रामाणिक समझा जाता है।

पई वार न्यायालयों के सम्मुख ऐसे प्रश्न आते हैं, जिनके सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सधियों वाले या परम्परागत आचार के नियमों (Customary rules) का नितान्त अभाव होता है। इस प्रवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्रियों की सम्मतिगा और ग्रन्थों का महत्व बहुत बढ जाता है।^{१५} प्रिची कौन्सिल द्वारा समुद्री डकैती से सम्बन्ध रखने वाले एक मामले *Re Piracy Jure Gentium* में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, इसमें यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार समुद्री डकैती (Piracy) के अपराध में चोरी (Robbery) इसका आवश्यक तत्व है या नहीं। इस सम्बन्ध में कोई सधि या रिवाज न होने की दशा में प्रिची कौन्सिल को विधिशास्त्रियों की सम्मतियों के आधार पर निर्णय करना पडा। इसमें प्रिची कौन्सिल ने यह लिखा कि इस विषय में विधिशास्त्रियों की सम्मतियों की सहमति (Consensus) ही देना इसके लिये आवश्यक नहीं है, किन्तु यह इन सम्मतियों में अधिक अच्छा दृष्टिकोण भी स्वीकार कर सकती है। इस आधार पर अन्त में उसने यह फैसला दिया कि चोरी समुद्री डकैती का आवश्यक तत्व नहीं है, चोरी करने का विफल प्रयत्न (Frustrated attempt to piratical robbery) भी समुद्री डकैती है।

चौथा अध्याय

अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून का सम्बन्ध (Relation between International Law and Municipal Law)

अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय कानून— विभिन्न सम्य राज्य पारस्परिक व्यवहार में कुछ नियमों का वाच्य रूप से पालन करना आवश्यक समझते हैं, यही अन्तर्राष्ट्रीय कानून है। राष्ट्रीय (National) कानून का अभिप्राय किसी राष्ट्र द्वारा अपने देश के हित के लिये बनाये गये कानूनों से होता है। इन्हे राज्य का कानून (State law) या देशीय कानून (Municipal law) भी कहते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कानून का मुख्य विषय राज्यों का पारस्परिक व्यवहार या सम्बन्ध होता है, राष्ट्रीय कानून एक देश के व्यक्तियों के व्यवहार में सम्बन्ध होता है। हेग्न केल्सन के शब्दों में “अन्तर्राष्ट्रीय कानून राज्य के बाह्य या वैदेशिक सम्बन्धों का नियमन करता है, राष्ट्रीय कानून राज्य के आन्तरिक या घरेलू सम्बन्धों का नियन्त्रण करने वाला है।” राष्ट्रीय कानून अपने राज्य में सर्वोच्च शक्ति रखता है, नागरिक तथा राज्य के विभिन्न अंग—न्यायालय, कार्यपालिका इसका पालन करने के लिए बाध्य है। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय कानून का मुख्य विषय (subject) राज्य है, अतः यह नागरिकों या राज्य के विभिन्न अंगों को इसके पालन के लिए बाधित नहीं कर सकता। प्रत्येक नागरिक अपने देश के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है, यदि देशीय और अन्तर्राष्ट्रीय कानून में विरोध होगा तो वह अपने देश के नियम का पालन करेगा। ऐसी अवस्था भी उत्पन्न हो सकती है, जब राज्य का कानून अन्तर्राष्ट्रीय कानून की उपेक्षा या विरोध करे, राज्य पर कुछ अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व हों, फिर भी वह इनकी अवहेलना करके बाला कानून बनाये। इसका एक सुन्दर उदाहरण यह है कि कोई राज्य अपने देश में विदेशियों की सम्पत्ति सुरक्षित रखने के लिए अन्य देशों के साथ सन्धि द्वारा आबद्ध हो सकता है, किन्तु इस देश की सरकार भूमिसम्बन्धी मुद्दों की दृष्टि में अथवा औद्योगिक क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से इस सम्पत्ति को जप्त कराने का कानून देश की समझ में पालन करा सकती है। इस कानून से कार्यपालिका को एवं सरकारी अधिकारियों को विदेशियों की सम्पत्ति जप्त करने का अधिकार मिल जाता है। यहाँ अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून में स्पष्ट संघर्ष है। इसमें उभे देश के वर्गचारियों और न्यायालयों के सामने यह प्रश्न होगा कि यह सन्धि पाले अन्तर्राष्ट्रीय कानून का पालन करे या अपने देश की समझ के कानून को लागू करे। इसमें कोई मन्वेह नहीं कि वे दूसरे मार्ग का अवलम्बन धेयरकर समझें। इससे यह स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय कानून की तुलना में बहुत निर्बल

है और उसको लागू करने में अनेक कठिनाइयाँ हैं।

ये कठिनाइयाँ दोग कारणों से और भी अधिक बढ़ जाती हैं कि जिस प्रकार राज्य के कानून को पालन कराने के लिये उसके विभिन्न अंग—न्यायालय और कार्यपालिका—सरकारी अधिकारी, पुलिस, जेल आदि की व्यवस्था है और कानून बनाने के लिये ससब या विधान सभायें हैं, उसतरह अन्तर्राष्ट्रीय कानून के निर्माण करने और उन्हें लागू करने के लिये उपयुक्त गस्थायें नहीं हैं। अतः अन्तर्राष्ट्रीय कानून की सब व्यवस्थायें राज्यों पर उनके न्यायालयों और शासन द्वारा ही लागू की जा सकती हैं। इस दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून के सम्बन्ध का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून अपने पालन के लिये राज्यों पर निर्भर है। इससे कई जटिल प्रश्न उत्पन्न होते हैं—राष्ट्र के न्यायालय अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन कहाँ तक करा सकते हैं? दोनों कानूनों में संघर्ष होने की स्थिति में उनका क्या कर्तव्य है? अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों द्वारा उत्पन्न दायित्वों का पालन करने में न्यायालय कहाँ तक सहायक हो सकते हैं? किसी राष्ट्र के अधिकारी राष्ट्रीय कानून के प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रीय कानून की व्यवस्थाओं का पालन कहाँ तक करा सकते हैं? राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के संघर्ष का समाधान किम प्रकार हो सकता है?

इन जटिल प्रश्नों का उत्तर दो प्रकार में दिया जाता है (क) अन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्रियों ने विभिन्न प्रकार के सिद्धान्तों द्वारा इन दोनों कानूनों के सम्बन्ध का प्रश्न हल करना चाहा है और (ख) राज्यों ने अपने क्रियात्मक व्यवहार द्वारा इसका समाधान दिया है। यहाँ पहले सिद्धान्तिक पक्ष का तथा बाद में व्यापहारिक पक्ष का प्रतिपादन किया जायगा।

अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूनों के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में चार विभिन्न प्रकार के सिद्धान्त निम्नलिखित हैं —

(१) द्वैतवादी सिद्धान्त (Dualistic Theory) — द्वैतवादी विचारधारा के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून की दो सर्वथा पृथक् और स्वतन्त्र पद्धतियाँ हैं, ये विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होती हैं, इनके विषय सर्वथा भिन्न हैं और इनके लागू होने के क्षेत्र भी अलग अलग हैं। (अ) स्रोतों की विभिन्नता—इसके सम्बन्ध में आपेनहाइम ने लिखा है कि राष्ट्रीय कानून के मूल स्रोत दो प्रकार के हैं (क) राष्ट्र की सीमाओं के भीतर विकसित हुई प्रथायें, (ख) राष्ट्र की ससब द्वारा बनाये गये कानून। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के दो सर्वथा भिन्न स्रोत—राष्ट्रों के परिवार में विकसित हुई प्रथायें तथा विभिन्न राज्यों द्वारा एक-दूसरे के साथ की गयी सन्धियाँ हैं। (आ) सम्बन्धों की विभिन्नता—राष्ट्रीय कानून अपने राज्य में रहने वाले नागरिकों के पारस्परिक सम्बन्धों का तथा राज्य और नागरिकों के सम्बन्धों का नियन्त्रण करता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों का नियामक है। (इ) दोनों कानूनों की प्रकृति में बड़ा अन्तर है। राष्ट्रीय कानून देश के नागरिकों पर सर्वोच्च सत्ता रखता है, यह प्रमुखतामयन राजा या पार्लियामेंट द्वारा बनाया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण विभिन्न राज्यों के पारस्परिक समझौतों में होता है।

द्वैतवादी सिद्धान्त के प्रमुख समर्थक जर्मन विधिवेत्ता ट्रीपेल (Triepel) तथा इटालियन विधिशास्त्री तथा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज आजिलोत्ती (Anzilotti) हैं। ट्रीपेल ने दोनो पद्धतियों में दो मौलिक भेद माने हैं— (क) राष्ट्रीय कानून का विषय व्यक्ति तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय केवल मात्र राज्य है। (ख) राज्य के कानून का आधार राज्य की इच्छा तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून का आधार राज्यों की सामान्य इच्छा (Gemeinwille) है। आजिलोत्ती ने दोनो पद्धतियों को संबंधा पृथक् मानते हुए इस बात पर बल दिया है कि राष्ट्रीय कानून का मौलिक सिद्धान्त इसका आवश्यक रूप से पालन किया जाना है अन्तर्राष्ट्रीय कानून का आधार यह सिद्धान्त है कि राज्यों के आपसी समझौते का सम्मान किया जाना चाहिये, यही Pacta sunt servanda का नियम कहलाता है। इस मौलिक अन्तर के कारण दोनो में सघर्ष की सम्भावना नहीं है।

किन्तु ट्रीपेल और आजिलोत्ती के कथन सर्वथा सत्य नहीं प्रतीत होते। ट्रीपेल का यह कहना ठीक नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय (subject) केवल राज्य हैं। अब व्यक्तियों को भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय सम्भल जाता है। द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद मित्त्रराष्ट्रो ने धुरी राष्ट्रों के मन्त्रियों उच्च सैनिक तथा प्रशासनिक अधिकारियों पर न्युरेम्बर्ग और टोकियो में गुद्दापराधों के लिये अभियोग चलाकर निर्विवाद रूप से यह सिद्ध कर दिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का केवल विषय राज्य ही नहीं, अपितु व्यक्ति भी है। राज्यों की सामान्य इच्छा (Gemeinwille) को अन्तर्राष्ट्रीय कानून का आधार मानने वाली ट्रीपेल की दूसरी स्थापना भी दोषपूर्ण है। यह निश्चय करना बहुत कठिन है कि किन परिस्थितियों में यह इच्छा कानून बनती है। पहले (पृ० ८८) यह बताया जा चुका है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनेक आधार सन्धियाँ, प्रथाएँ, कानून के सामान्य सिद्धान्त, न्यायाधीशों के निर्णय, विधिशास्त्रियों के ग्रन्थ, अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य (comity) तथा विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले एड और घोषणाएँ हैं। आजिलोत्ती का मत भी इसी कारण यथार्थ नहीं प्रतीत होता, राज्यों के समझौते को सम्मानित करने (Pacta sunt servanda) की भावना अन्तर्राष्ट्रीय कानून का मौलिक सिद्धान्त नहीं है। इसके अनिश्चित द्वैतवादी सिद्धान्त में एकत्ववादी (monistic) सिद्धान्त मानने वाले केलसन (Kelsen) आदि विधिशास्त्रियों ने कुछ अन्य दोष भी दिखाये हैं।

इनके मतानुसार विधिशास्त्र में एक अलण्डता है अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून एक ही बरत के दो पहलू हैं। दोनो का उद्देश्य दो रीतियों से व्यक्तियों के आचरण को नियन्त्रित करना है, दोनो एक दूसरे के पूरक हैं। दोनो एक-दूसरे से पृथक् और स्वतन्त्र नहीं हैं। राष्ट्रीय कानून राज्य में व्यक्तियों के आचरण को नियन्त्रित करता है। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय राज्य हैं, किन्तु राज्य व्यक्तियों से मितकर बने होते हैं, अतः अन्तर्गतत्वा यह कानून भी व्यक्तियों के आचरण का नियन्त्रण करता है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सघर्ष दोनो की पृथक् सत्ता का साधक प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे सघर्ष राष्ट्रीय कानून में भी देखे जाते हैं, अनेक

कानूनों की अवैधानिकता (unconstitutionality) इसका सुन्दर उदाहरण है। न्यायालय राष्ट्रीय मसद द्वारा पास किये गये अनेक कानूनों को या इनके कुछ अंशों को राष्ट्र के मौलिक कानून-संविधान के प्रतिकूल होने से अवैधानिक घोषित करते हैं। इस समर्पण से जब राष्ट्रीय कानून में द्वित्व की कल्पना नहीं की जाती तो अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून को मधर्षण के आधार पर पृथक् और स्वतन्त्र मानना ठीक नहीं है, अतः इन दोनों का द्वित्ववादी सिद्धान्त यथार्थ नहीं प्रतीत होता।

१ (२) एकत्ववादी सिद्धान्त (Monistic Theory) — इस सिद्धान्त के अनुसार कानून एक अखण्ड सत्ता है वह चाह व्यक्तियों को बाधित करने वाला हो या राष्ट्रीय को नियन्त्रित करने वाला हो। विधिशास्त्र (Jurisprudence) ज्ञान का अखण्ड क्षेत्र है, जब अन्तर्राष्ट्रीय कानून को एक कानूनी पद्धति मान लिया जाय तो उसे विधिशास्त्र से पृथक् नहीं किया जा सकता। दोनों कानून एक ही विशाल कानूनी पद्धति के दो अंग हैं। यदि दोनों को पृथक् माना जाय तो इसका अर्थ यह होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून कानूनी पद्धति का अंग नहीं है। इस सिद्धान्त के अनुसार कानून वस्तुतः एक ऐसी शक्ति है जिसका पालन इनका विषय बने हुए व्यक्तियों (subjects) को अपनी इच्छा के विरुद्ध करना पड़ता है। उदाहरणार्थ राज्य द्वारा बनाये कानूनों का पालन उसके नागरिकों को बाधित होकर करना पड़ता है। कानून का यह स्वरूप दोनों प्रकार के कानूनों में समान रूप से पाया जाता है, अन्तर्राष्ट्रीय कानून का पालन राज्यों के लिये तथा राष्ट्रीय कानून का पालन इसके नागरिकों के लिये आवश्यक है। इस प्रकार कानून के स्वरूप की दृष्टि में दोनों में किसी प्रकार का द्वित्व या भेद नहीं है। दोनों की पृथक् और स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। ये वस्तुतः एक ही कानूनी पद्धति के परस्परसम्बद्ध दो पार्श्व हैं। दोनों का प्रादुर्भाव एक ही उच्चतर कानून (Higher law) में होता है यह मनु और असनु के सिद्धान्तों पर आधारित होता है। इस प्रकार उच्चतर कानून के एक ही उद्गम से प्रादुर्भूत होने के कारण इनमें कोई भिन्नता नहीं हो सकती। इस सिद्धान्त का विकास प्रथम विरिचमुद्ध के बाद हुआ। इसके मुख्य समर्थक केल्सन (Kelsen) दुगुवित (Duguit) डुरखीम (Durkheim), क्राबे (Krabbe) कुन्ज (Kunz) वेरद्रास (Verdross) तथा राइट (Wright) हैं।

(३) रूपान्तरवाद (Transformation Theory) — यह सिद्धान्त दोनों कानूनों के पारस्परिक सम्बन्ध के बारे में यह मानता है कि सन्धियों के अन्तर्राष्ट्रीय कानून व्यक्तियों पर रूपान्तर के माध्यम से लागू किये जाते हैं। सन्धि के नियमों को जब किसी देश की समद या विधानसभा द्वारा अपने देश के कानून के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है तभी इनका पालन होता है। यदि ऐसा रूपान्तर न किया जाय तो अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का पालन नहीं हो सकता। किसी सन्धि को राष्ट्रीय कानून के रूप में बदलना केवल औपचारिक (formal) कार्य नहीं है, विन्तु वास्तविक (substantive) आवश्यकता है। यह रूपान्तर ही अन्तर्राष्ट्रीय कानून को बंध बनाता है और व्यक्तियों को इसके पालन के लिये बाधित करता है। इसी सिद्धान्त

का दूसरा नाम विशेष अंगीकार (Specific adoption) है, क्योंकि किसी संधि को राज्य का विशेष कानून बनाकर ही अंगीकार या स्वीकार किया जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों के मान्य होने के लिए यह आवश्यक है कि इन्हें राष्ट्रीय कानून का अंग बनाया जाय।

इस सिद्धान्त को पुष्ट करने के लिये ग्रेट ब्रिटेन की प्रत्यर्पण संधियों (Extradition Treaties) का उदाहरण दिया जाता है। पहले ब्रिटिश कानून में अन्य देशों में अपराध करके इंग्लैंड में भाग कर आये व्यक्तियों को उन देशों को लौटाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से भगोड़े अपराधियों का प्रत्यर्पण आवश्यक समझा जाता है। ग्रेट ब्रिटेन ने इस विषय में दूसरे देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियाँ कीं। किन्तु इन्हें तब तक लागू नहीं किया जा सकता, जब तक कि उनके लिये आवश्यक कानून नहीं बनता या सरकारी प्रादेश नहीं निकाले जाते। इसके लिये वहाँ ग्रांडर इन-क्विन्सिल प्रकाशित किये गये और आवश्यक कानून बनाये गये। इस प्रकार प्रत्यर्पण संधियाँ इन कानूनों द्वारा रूपान्तरित होने के बाद ग्रेट ब्रिटेन के राष्ट्रीय कानून का अंग बनकर क्रियान्वित होती हैं।

इस सिद्धान्त के आलोचक इसमें निम्नलिखित दोष बताते हैं—(१) यह इस धारणा सिद्धान्त पर आधारित है कि अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूनों की दो धृत्य और स्वतन्त्र पद्धतियाँ हैं। पहले इस स्थापना का खंडन किया जा चुका है। (२) इस सिद्धान्त के अनुसार सभी संधियों को क्रियान्वित होने के लिये उनका राष्ट्रीय कानून में परिणत होना आवश्यक है। किन्तु ऐसा नहीं होता, जब देशों में इस विषय में एक जैसी प्रथा का पालन नहीं होता। अधिकांश संधियाँ स्वयं लागू होने वाली (self operating) होती हैं। इनके लिये कोई राष्ट्रीय कानून नहीं बनाया जाता। (३) जिन संधियों के बारे में कानून बनाया जाता है उनमें संधि की व्यवस्थाओं को ज्यों वा त्यों रखा जाता है इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। रूपान्तर का अर्थ तो स्वरूप का बदलना है इन कानूनों में इनके स्वरूप में कोई अन्तर नहीं आता, अतः इस रूपान्तरवाद कहना सर्वथा अशुद्ध है। वस्तुतः यह तो इसको लागू करने की उपयुक्त प्रक्रिया है, इसे क्रियान्वय (Implementation) कहना ही ठीक है। इसलिये उपर्युक्त कारणों से यह सिद्धान्त समीचीन नहीं प्रतीत होता।

(४) समबंधवाद (Delegation Theory)—इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक राज्य को यह अधिकार सौंपा जाता है कि वह स्वयंमेव यह निर्णय करे कि किसी संधि को कब से लागू किया जायगा और इसकी व्यवस्थाओं का किस प्रकार राष्ट्रीय कानून के अंग बनाना होगा। उपर्युक्त सिद्धान्त के अनुसार किये जाने वाली प्रक्रिया और विधियाँ वस्तुतः उन्हीं समय में प्रारम्भ हो जाती हैं, जब कोई राज्य संधि पर हस्ताक्षर करता है। अतः संधियों को राज्य द्वारा लागू करने में कोई रूपान्तर नहीं होता।

इस सिद्धान्त पर भी रूपान्तरवाद वाली वही धारणा की जाती है। यह

सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूनों के पारस्परिक सम्बन्ध को भती भाँति स्पष्ट करने में असमर्थ है। वस्तुतः इस सम्बन्ध को राष्ट्रों के इस विषय में व्यवहार (Practice) से ही समझा जा सकता है। अतः विभिन्न देशों में इनके पारस्परिक सम्बन्ध का संक्षिप्त वर्णन किया जायगा।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून को राष्ट्रीय क्षेत्र में लागू करने के सम्बन्ध में विभिन्न देशों का व्यवहार (Practice of States with regard to application of International Law in Municipal Sphere)—(१) ग्रेट ब्रिटेन—यहाँ अन्तर्राष्ट्रीय कानून को राष्ट्रीय क्षेत्र में लागू करने की दृष्टि से दो भागों में बाँटा जाता है—(क) अन्तर्राष्ट्रीय कानून के परम्परागत नियम (Customary rules), (ख) सन्धियों द्वारा निर्धारित नियम। पहले के सम्बन्ध में यह माना जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून की सर्वत्र स्वीकार की जाने वाली प्रथाएँ तथा नियम इंग्लैंड के कानून का अंग हैं। इन प्रकार का कानून ब्रिटिश न्यायालय के लिये विदेशी कानून नहीं है, वह ब्रिटिश कानून में सम्मिलित समझा जाने के कारण उमका अंग है। यहाँ सम्मिश्रणवाद (Incorporation theory) का प्रसिद्ध सिद्धान्त है इसके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय कानून ब्रिटिश कानून में मिला हुआ या मिश्रित है। — अन्तर्राष्ट्रीय कानून का अंग (Part of the Law)

इस सिद्धान्त को सर्वप्रथम लार्ड फॉक्सवॉल टैलबोट (Talbot) ने १७३१ में Barbeut's case में प्रतिपादित करते हुए लिखा था—'राष्ट्राधीन कानून अपने पूर्णतम विस्तार में इंग्लैंड के कानून का अंग है।' शिब्ली ने यह बताया है कि इस विचार के उद्गम का यह कारण था कि उन दिनों राज्यों के पारस्परिक व्यवहार के नियमों के सम्बन्ध में प्रकृति के कानून (Law of nature) के सिद्धान्त का पचन था, ये बुद्धि एवं तर्क द्वारा निश्चित किये जाते थे, कामन ला (Common Law) के नियम भी इसी प्रकार के थे। इस प्रकार दोनों में सादृश्य होने से अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का, कामन ला की भाँति इंग्लैंड के कानून का अंग माना जाता स्वाभाविक था। सुप्रसिद्ध विधिवेत्ता ब्लैकस्टोन (Blackstone) ने इसका प्रतिपादन करने हुए लिखा था—'राष्ट्राधीन कानून के सम्बन्ध में जब कोई अंग इनके क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में उत्पन्न होता है तो यह कामन ला के अन्तर्गत समझा जाता है और यह माना जाता है कि यह इस देश के कानून का हिस्सा है।' १८वीं शती में इस सिद्धान्त का समर्थन लार्ड मैन्फील्ड तथा अन्य जजों ने किया। १९वीं शती में Dolder v Huntingfield (1805), Wolff v Oscholm (1817), Novello v Toogood (1823), Emperor of Austria v Day (1861) के मामलों में उक्त सिद्धान्त का पोषण किया गया था।

किन्तु इस परम्परागत दृष्टिकोण को न्यायाधीश काजबर्न ने १८७६ में फ्रॉन्कोनिया (Franconia) के मामले में अस्वीकार करते हुए कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून को दृष्टि से इंग्लैंड तट से तीन मील की दूरी तक स्वीकार किये जाने वाले प्रादेशिक समुद्र में विदेशियों द्वारा किये जाने वाले अपराधों के मामले सुनने का अधिकार ब्रिटिश न्यायालयों को नहीं है। इस निर्णय के प्रभाव को रद्द

तथा ब्रिटिश न्यायालयों को यह क्षेत्राधिकार देने के लिये १८७८ में पार्लियामेंट ने *Territorial Waters Jurisdiction Act* पास किया। किंतु इस निर्णय से इंग्लैण्ड में अन्तर्राष्ट्रीय नियमों को ब्रिटिश कानून का अंग मानने वाले सम्मिश्रणवाद की सत्यता में मन्देह उत्पन्न हो गया।

इसका निराकरण करते हुए अनेक परवर्ती निर्णयों में कुछ शर्तों के साथ उपर्युक्त सिद्धान्त को पुष्टि की गई। लाड एटकिन ने *Chung Chu Cheng v R* के मामले में निर्णय देते हुए लिखा था—‘(ब्रिटिश) न्यायालय ऐसे नियमों के समूह को सत्ता स्वीकार करते हैं, जिसे राष्ट्रों ने आपसी व्यवहार में माना हुआ है। किसी कानूनी प्रश्न पर वे यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि इस विषय के सम्बन्ध में क्या नियम है और इसे जान लेने के बाद वे इसे उम हद तक घरेलू कानून में सम्मिलित (incorporated) हुआ समझते हैं, जहां तक यह पार्लियामेंट द्वारा पास किये गये अथवा न्यायालयों द्वारा अन्तिम रूप से घोषित किये नियमों से असंगत न हो।’ लार्ड एल्बरस्टोन ने *West Rand Central Goldmining Company Ltd v The King* के मामले में लिखा था—‘जिन पर हमारे देश की सामान्य सहमति है और सामान्य रूप से जिन पर अन्य देशों के साथ हमारे देश ने भी सहमति दी है उन्हें उचित रूप से अन्तर्राष्ट्रीय कानून कहा जा सकता है और जब हमारे राष्ट्रीय न्यायालयों के सम्मुख अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रश्न आये तो वे इस कानून को स्वीकार एवं लागू करेंगे।’

अधिग्रहण न्यायालयों (Prize Courts) की स्थिति कुछ भिन्न है। ये अन्तर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने के लिये ही बनाये गये हैं। लार्ड पार्कर ने *Zamora* (Zamora) के मामले में लिखा था—‘एक ब्रिटिश अधिग्रहण न्यायालय निश्चित रूप से पार्लियामेंट के कानून द्वारा बंधा होता है। तथापि यह सत्य है कि यदि यह ऐसा कानून पास करे, जिसकी व्यवस्थाय राष्ट्रों के कानून के अनुकूल न हो तो इसे नियमित करते हुए अधिग्रहण न्यायालय अन्तर्राष्ट्रीय कानून को लागू नहीं करेगा।’ इंग्लैण्ड के ये न्यायालय अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रतिफल किसी ग्रांडर-इन-कौंसिल का पालन करने को बाध्य नहीं हैं किन्तु इन्हें पार्लियामेंट के द्वारा पास किये कानून का पालन करना पड़ता है।

सधियों के सम्बन्ध में ब्रिटिश पद्धति यह है कि निम्नलिखित प्रकार की सधियों के बारे में पार्लियामेंट की स्वीकृति या कानून अथवा पास होना चाहिये—
 (क) ब्रिटिश प्रजाजनों के वैयक्तिक अधिकारों को सम्भावित करने वाली सधियाँ।
 (ख) कामन ला या पार्लियामेंट के कानून को प्रभावित करने वाली सधियाँ। (ग) ब्रिटिश राज (Crown) को अनिश्चित अधिकार देने वाली सधियाँ। (घ) ग्रेट ब्रिटेन की सरकार पर अनिश्चित वित्तीय दायित्व (financial obligations) डालने वाली सधियाँ। (ङ) जो सधियाँ स्पष्ट रूप से इस शर्त के साथ की जाती हैं कि इन पर पार्लियामेंट की स्वीकृति ली जावेगी। (च) ब्रिटिश प्रदेश देने (cession) के सम्बन्ध में की जाने वाली सधियाँ।

निम्नलिखित प्रकार की सधियों के लिये पार्लियामेंट की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती—(क) समुद्री युद्ध में ब्रिटिश ताज के युध्यमान (Belligerent) अधिकारों में परिवर्तन करने वाली सधियाँ । (ख) मामूली प्रशासनिक समझौते, बशर्ते कि इनमें राष्ट्रीय कानून में कोई परिवर्तन न आता हो और इन पर पार्लियामेंट के अनुसमर्थन (Ratification) की आवश्यकता न हो ।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि कोई अन्तर्राष्ट्रीय नियम या सधि निम्नलिखित अवस्थाओं में ही ब्रिटेन के राष्ट्रीय कानून का अंग बनती है— (१) यह नियम विभिन्न राष्ट्रों के अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा सामान्य रूप से मान्यता प्राप्त होना चाहिये । *Compania Naviera VascoGando v. Christina* के मामले में लार्ड मैकमिलन ने यह लिखा था—“सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून के किसी सिद्धान्त को हमारे राष्ट्रीय कानून में अंगीकार करने की गंभंसम्मत पहली शर्त यह है कि इस सम्म्य राष्ट्रों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सचरण के रूप में सामान्य स्वीकृति दी जा चुकी हो तथा यह स्वीकृति अन्तर्राष्ट्रीय सधियों, समझौतों, प्रारम्भिक प्रामाणिक पाठ्यग्रन्थों, व्यवहार तथा न्यायालयों के निर्णयों से पुष्ट होती हो ।” (२) ये नियम पार्लियामेंट द्वारा पास किये कानूनों और न्यायालयों के निर्णय में प्रसंगत नहीं होने चाहिये । (३) कार्यपालिका (Executive) द्वारा किये गये अनेक कार्यों—जैसे युद्ध-घोषणा तथा नये प्रदेशों को अपने राज्य का अंग बनाने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय न्यायालयों को कोई अधिकार नहीं है, भले ही इनसे अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होता हो । (४) कुछ विषयों में ब्रिटिश न्यायालयों को कार्यपालिका के प्रमाण-पत्र अथवा प्रामाणिक कथन पर विश्वास करना पड़ता है, जैसे राज्यों की विध्यनुसार (de jure) तथा तथ्यानुसार (de facto) मान्यता, राज्यों की प्रभुसत्ता, राजनीतिक विशेषाधिकारों की मांग करनेवाले व्यक्तियों का दर्जा । (५) राष्ट्रीय न्यायालय अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों को अपनी व्याख्या के अनुसार लागू करता है । (६) सधियाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा आवश्यक कानून बन जाने पर ही न्यायालयों द्वारा नियमित की जाती हैं ।

(२) सयुक्त राष्ट्र अमरीका—यहां घेंट ब्रिटेन की भांति अन्तर्राष्ट्रीय कानून को राष्ट्रीय कानून का अंग माना जाता है । न्यायाधीश ग्रे ने *Paquete Habana and Lola* के मामले में लिखा था—“अन्तर्राष्ट्रीय कानून हमारे कानून का हिस्सा है और जब इस प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो तो उपयुक्त अधिकार क्षेत्र रखने वाले हमारे न्यायालयों द्वारा इस कानून का निर्धारण और प्रशासन होना चाहिये ।” सुप्रीम कोर्ट ने *Hilton v. Guyot* के मामले में कहा था—“अन्तर्राष्ट्रीय कानून अपने अविच्छिन्न और व्यापकतम अर्थ में हमारे कानून का भाग है ।”

स० रा० अमरीका द्वारा सपुष्ट किये गये सभी समझौतों को अमरीकन न्यायालय स्वीकार करने के लिये बाधित हैं, भले ही वे अमरीकी कांग्रेस द्वारा पास किये गये कानूनों के प्रतिकूल हों । अन्तर्राष्ट्रीय कानून का निर्धारण करते हुए इनके विविध स्रोतों—सधियाँ, न्यायालयों के निर्णयों, विधिशास्त्रियों के पाठ्यग्रन्थों और सम्म्य राष्ट्रों में प्रचलित प्रथाओं को देखा जाना है, और इसे अपने देश की रीति-

अनुसार ग्रहण किया जाता है। *Over the Top* (१९२५) के मामले में कहा गया था—'अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार उसी हद तक कानून है, जहाँ तक हम इसे ग्रहण करते हैं।'

संधियों को स० रा० अमरीका के संविधान में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। संविधान की धारा ६ में कहा गया है—'स० रा० अमरीका द्वारा की गई सब संधियाँ देश का सर्वोच्च कानून होगी।' अतः वहाँ राष्ट्रपति जब किसी संधि को सीनेट द्वारा पाम होने के बाद संपुष्ट करता है तो यह अमरीकन कानून का रूप धारण कर लेती है।

ग्रट ब्रिटेन और स० रा० अमरीका के इस सम्मिश्रणवाद के सिद्धान्त (Incorporation doctrine) को फ्रांस, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड के न्यायालयों ने भी स्वीकार किया है।

(३) फ्रांस—यहाँ अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियम उस समय तक राष्ट्रीय कानून (Municipal Law) का अंग समझे जाते हैं, जब तक कि उनका व्यवस्थापिका परिषद् द्वारा बनाये गये संविधान के नियमों से विरोध न हो। संधियों के विषय में फ्रेंच न्यायालयों ने परस्पर विरोधी निर्णय किये हैं।^१ २. अतः वहाँ न्यायालयों ने संधियों को व्यवस्थापिका परिषदों द्वारा पास किये कानून (Statute Law) से प्रबल माना है, किन्तु कई बार इसके विरोधी दृष्टिकोण को अपनाया है। कुछ संधियों के लिये यह आवश्यक माना गया है कि कानूनों की भाँति उनकी उद्घोषणा (Proclamation) होनी चाहिए। अन्य संधियों का प्रकाशन ही पर्याप्त समझा जाता है।

(४) स्पेन के १९३१ के संविधान की धारा ६ के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय कानून देश के कानून का भाग है।

(५) नाथे—अन्तर्राष्ट्रीय कानून के परम्परागत नियम (Customary rules) इस देश के कानून का अंग समझे जाते हैं, किन्तु संधियों के देशीय नियम से प्रबल होने के लिये इनका व्यवस्थापिका परिषद् से अनुमोदन (Ratification) होना आवश्यक है।

(६) जर्मनी—प्रथम विश्वयुद्ध के बाद बने यहाँ के वाइमार (Weimar) संविधान की धारा ४ में यह व्यवस्था की गयी थी कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सार्वभौम रूप में स्वीकार किये जानेवाले नियम बंध हैं तथा वे जर्मनी के संधीय कानून का अंग हैं। किन्तु १९२८ में जर्मनी के न्यायालय (Reidsgencht) ने एक मामले Reparations Levy Case में यह निर्णय दिया कि वह पिछले नियम को पहले नियम से प्रबल मानने के सिद्धान्त (posterior derogat priori परिचय पूर्ववाचक) को स्वीकार करने को बाधित है और इसने धर्मार्थ की संधि (Versailles Treaty) के बारे में बाद में बने एक कानून को लागू किया। १९३३ में जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि घातक प्रमत्ता होने के कारण जर्मनी को यह अधिकार है कि वह यह निर्णय करे कि धारा ४ के अनुसार कौन-सी बातें अन्तर्राष्ट्रीय नियम समझी जायेंगी, उसे यह आवश्यक है कि वह किसी संधि की व्यवस्थाओं का विरोध करनेवाला कानून प्रचलित

करे।

(७) सोवियत रूस—रूसी न्यायाधीश क्रिलोव (Krylov) का यह मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के तथा अन्तरिक कानून के सामान्य नियम (Norms) पर स्पष्ट समुक्त न होते हुए सहअस्तित्व (Cocistence) रखते हैं। राज्य की सामान्य उन्ध्या अन्तरिक कानूनों में तथा सामान्य सधियों में प्रकट होनी है। रिवाजी कानून के सम्बन्ध में इसकी सहमति मूकभाव (Tacit) में दी जाती है, अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में आने से इसे मूर्तरूप मिलता है।

(८) प्रथम एव द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद दोनों विश्व न्यायालयों (World Courts) ने यह स्वीकार किया है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय कानून का माना हुआ सिद्धान्त है कि सधि करने वाले देश सधि द्वारा जो व्यवस्थाये निश्चिन करते हैं, उनका विरोध या लण्डन इनमें से किसी देश की व्यवस्थापिका परिषद् द्वारा पास किये गये कानून द्वारा सम्भव नहीं है। सधियाँ राष्ट्रीय कानून की अपेक्षा प्रबल एव शक्तिशाली हानी है।

भारत में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सम्बन्ध—भारतीय सविधान में अन्तर्राष्ट्रीय कानून को बहुत महत्त्व दिया गया है। इसका उल्लेख राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों (Directive Principles of State) में है। सविधान के पनुर्य अध्याय की धारा ५१ में अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्राविधान (Provisions) हैं—

राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि—

- (i) अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़े।
- (ii) राष्ट्रों के मध्य में न्यायोचित एव सम्मानपूर्ण सम्बन्ध बने रहे।
- (iii) राष्ट्रों के पारस्परिक व्यवहार में अन्तर्राष्ट्रीय कानून एव सधियों से उत्पन्न दायित्वों के प्रति सम्मान में वृद्धि हो।
- (iv) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के पचनिर्णय द्वारा समाधान को प्रोत्साहित किया जाय।

राज्य की नीति के निर्देशक उपर्युक्त तत्वों को लागू करने के सम्बन्ध में धारा ३६ में यह कहा गया है कि इन सिद्धान्तों को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। किन्तु फिर भी यहाँ प्रतिपादित सिद्धान्त राज्य के शासन-संचालन में मौलिक समझे जायेंगे और राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह कानून बनाने समय इन सिद्धान्तों को श्रियात्मक रूप दे।

भारतीय सविधान की उपर्युक्त धारा ३६ तथा ५१ से यह स्पष्ट है कि यहाँ शासन-प्रवन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय कानून एव नैतिकता को सम्मानास्पद स्थान प्राप्त है। यह बात भारतीय न्यायालयों के अनेक निर्णयों से सपुष्ट होनी है।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने Indian and General Investment Trust Ltd. v Ramchandra Madaraja Deo (A 1 R 1952 Cal 508) के मामले में यह निर्णय किया था कि अब तक भारतीय न्यायालय इंग्लैण्ड के वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों का सदैव अनुसरण करते रहे हैं। किन्तु अब परिस्थितियाँ बदल गई

है, इस समय उनके लिये इंग्लैण्ड के नियमों का अनुसरण करना आवश्यक नहीं रहा। सम्पूर्ण प्रमुक्तसाम्राज्य स्वतन्त्र स्थिति प्राप्त कर लेने के बाद भारतीय न्यायालय वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून के बारे में किसी एक सम्प्रदाय (school) द्वारा प्रतिपादित नियमों को मानने के लिए बाधित नहीं है। भारत अब अपने ऐसे सिद्धान्तों का विकास करने में स्वतन्त्र है, जो उसके न्याय, निष्पक्षपात तथा उत्तम अन्तःकरण (Justice, Equity and Good Conscience) के अपने विचारों के अनुकूल हों।”

कनकना हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले *Shri Krishna Sharma v State of West Bengal* के निर्णय में लिखा था कि “राष्ट्रीय कानून की व्याख्या करते हुए तथा इसे लागू करते हुए न्यायालय ऐसी व्याख्या (Interpretation) स्वीकार करने का प्रयत्न करेगा जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों से निकाले जानेवाले अधिकारों और दायित्वों के साथ विरोध न रखती हो।”

भारत के दीवानी और फौजदारी प्रक्रिया विधिसंग्रहों (Civil Procedure and Criminal Procedure Codes) में अन्तर्राष्ट्रीय कानून का अनुसरण करते हुए विदेशी राजाओं तथा दूतों को दीवानी और फौजदारी कार्यवाहियों से उन्मुक्ति (Immunity) प्रदान की गई है। अतः यह स्पष्ट है कि भारत में अन्तर्राष्ट्रीय कानून को बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त है और भारतीय कानून के साथ अनुकूलता रखने वाले इसके नियमों का सदैव पालन किया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का संहिताकरण

(Codification of International Law)

संहिताकरण का अर्थ (The Meaning of Codification)—इसका

सामान्य अन्वय किसी जटिल विषय के नियमों को सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध और सुस्पष्ट रूप से गृहीत करना है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून एक बड़ा जटिल जगत है, वह अनेक स्रोतों में प्रादुर्भूत होने के कारण बड़ा अस्पष्ट और अनिश्चित है। इसके सुधार के लिए इससे संहिताबद्ध करना आवश्यक समझा जाना है। विद्यार्थी के शब्दों में एक ऐसी संहिता के चार लाभ होंगे, — (क) कानून का विषयानुसार क्रमबद्ध प्रतिपादन होगा। (ख) इसकी व्यवस्थाएँ अधिक स्पष्टता तथा सरलता से निश्चित हो सकेंगी। (ग) सबेहों का निराकरण होगा। (घ) जिन विषयों में अभी तक नियमों का अभाव है, उसकी पूर्ति होगी। किन्तु किसी भी संहिता से इन चारों उद्देश्यों का पूरा होना संभव नहीं है, क्योंकि जब कोई संहिता बनाई जाती है, तो उस समय उन सारी परिस्थितियों को दूर दृष्टि में देखना संभव नहीं होता, जो भविष्य में इसे लागू करते हुए उत्पन्न होंगी और यह बाह्य भी नहीं प्रतीत होता कि किसी विषय के इतने विस्तृत और सुनिश्चित नियम बना लिये जाय कि भविष्य में नवीन परिस्थितियों में न्यायाधीशों की व्याख्या द्वारा इनका उचित विकास न हो सके।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में संहिताकरण के मुख्य रूप फैनविक के मतानुसार तीन प्रकार के हैं—(१) राज्यों के मध्य में वास्तव में लागू हो रहे नियमों का क्रमबद्ध रूप में प्रतिपादन, (२) वर्तमान नियमों का ऐसे तसोधनों के साथ संग्रह, जिन से वे आधुनिक युग की आवश्यकताओं को तथा न्यायोचित मानकीय आचरण के लिये निर्धारित मानदण्डों को पूरा कर सकें, (३) वर्तमान कानून की समूची पद्धति का पूर्णरूप से ऐसा पुनर्निर्माण जो नवीन सिद्धान्तों पर आधारित हो। आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून अनेक स्रोतों में इतना अधिक दोषपूर्ण है कि इस की संहिता बनाने वाला पहले प्रकार को निरर्थक समझता हुआ उसमें अपने सुभाव और सुधार अवश्य देना चाहता है। इसलिये प्रायः इसके ऐसे आदर्शवादी सग्रह और संहिताएँ बनती हैं, जिनका वास्तविक परिस्थितियों से कम सम्बन्ध होता है। इन संहिताओं के निर्माताओं को अनेक विरोधी दृष्टिकोणों का सामंजस्य तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सघर्ष का समन्वय करना पड़ता है। यह संहिताकरण इससे होने वाले लाभों को दृष्टि में रखकर किया

जाता है। इसके मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं।

संहिताकरण के लाभ (Advantages of Codification)—इसका पहला बड़ा लाभ अन्तर्राष्ट्रीय कानून को स्पष्ट, सरल और सुनिश्चित बनाना तथा मदेहों का निराकरण करना है। इससे अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों का कार्य सुगम हो जायगा। दूसरा लाभ विरोधों का परिहार और एकरूपता की वृद्धि है। इस समय अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सम्बन्ध में विभिन्न देशों में विविध प्रकार के नियम प्रचलित हैं, इनमें तथा अनेक देशों के राष्ट्रीय कानूनों में अनेक प्रकार की असंगतियाँ और विरोध हैं। नियमों के एक संहिता (code) में संगृहीत होने से ये दोष दूर हो जायेंगे। तीसरा लाभ इसकी अपूर्णताओं के दूर होने का है, इसकी संहिता बनाते हुए इनका ज्ञान होना स्वाभाविक है, इन न्यूनताओं को दूर करने में इसकी समुचित वृद्धि और विकास होगा। चौथा लाभ इसके विकास और प्रगति में तीव्रता लाने का है, प्रयासों द्वारा इसका विकास बड़ी मददगति से हुआ है, यह आधुनिक गतिशील युग के सर्वथा अनुपयुक्त है। इससे इसका विकास अधिक हो रहा है, संहिताकरण से इस दोष को दूर किया जा सकता है। पाचवां लाभ यह है कि यदि यह कानून अधिक स्पष्ट हो जाता है तो यह सम्भावना की जा सकती है कि इसका पालन करने वाले देशों की संख्या अधिक होगी। इस समय इसकी अस्पष्टता के कारण अधिकांश देश इसे अपने देश में लागू करना वाछनीय नहीं समझते। सुस्पष्टता बढ़ने पर अनेक देशों द्वारा इसका अंगीकार होने में अन्तर्राष्ट्रीय कानून की प्रतिष्ठा और मर्यादा बढ़ेगी। अतः इसका संहिताकरण आवश्यक प्रतीत होता है।

किन्तु उपर्युक्त लाभों के साथ संहिताकरण के कुछ दोष और कठिनाइयाँ भी हैं, इनके कारण अभी तक इसका सन्तोषजनक संहिताकरण नहीं हो सका।

संहिताकरण के दोष (Demerits of Codification)—इसका पहला बड़ा दोष इसके स्वाभाविक विकास को अवरोध करना है। संहिता के सुनिश्चित नियमों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून पथरा कर अड़ हो जायगा। यह वस्तुतः जीवित, वर्धमान और विकासशील प्राणी के तुल्य है, लिखित नियमों की शृंखला अपने भारी बोझ से इसका गला घांट डालेगी। कार्डोशो के मतानुसार "रात भर के लिये यात्रा को शरण देने वाली सराय उमकी यात्रा का अन्तिम लक्ष्य नहीं होती। यात्री की भाँति कानून को भी बल की यात्रा के लिये तैयार रहना चाहिये। इसमें विकास का सिद्धान्त बना रहना चाहिये।" संहिताकरण इस विकास पर पुठारपात करता है। इसमें ऐसा लचकीलापन आवश्यक है, जिससे यह समाज की परिवर्तनशील तथा प्रगतिशील परिस्थितियों में भी उपयोगी और लाभदायक बना रह सके। अतएव समय समय पर इसका सशोधन होने रहना चाहिये, संहिताकरण इसे सुनिश्चित नियमों का रूप प्रदान करने इसको समयानुबूल बनाने की आवश्यकता कम कर देता है। इसका दूसरा दुष्परिणाम यह है कि संहिताकरण के समय इसके निर्माण विभिन्न नियमों की ऐसी बाल की खाल निकालते हैं कि यह अन्तर्राष्ट्रीय नियमों की मौलिक भावना के प्रतिकूल होनी है। तीसरा दुष्परिणाम इसमें कानूनी विधान की वृद्धि तथा सम्भोतों का न होना है। १९३० में

राष्ट्रसभ के कुछ विषयों पर सर्वसम्मत नियम बनाने वाणी संहिताओं के निर्माण का प्रयत्न किया था, किन्तु यह सर्वथा विफल रहा। मार्च १९६० में स० रा० सभ के तत्वावधान में प्रादेशिक समुद्रों की सीमा के विषय में अन्तर्राष्ट्रीय नियम बनाने वाला सम्मेलन किसी सर्वसम्मत निर्णय पर पहुँचे बिना भंग हो गया। चौथी हानि यह है कि अधिकांश राज्य केवल सन्धियों में ही विश्वास रखते हैं, उन्हें संहिताकरण में आस्था नहीं, वे इसके नियमों से इसलिये भी नहीं बंधना चाहते हैं कि भविष्य में नई परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर भी उन्हें इन नियमों का अनुसरण करना पड़ेगा, संहिता के नियमों को स्वीकार करना भविष्य में सदा के लिये अपने हाथ पैर बाँध लेना होगा, अतः अपनी स्वतन्त्रता बनाये रखने के लिये वे इन संहिताओं को प्रायः स्वीकार नहीं करते। इस दशा में इनके निर्माण का मौलिक उद्देश्य विफल हो जाता है और यह सारा प्रयास निरर्थक प्रतीत होता है। इन दोषों के अनिश्चित इस काय में अनेक बड़ी कठिनाइयाँ भी हैं।

संहिताकरण की कठिनाइयाँ (Difficulties of Codification)—अन्तर्राष्ट्रीय कानून के कुछ विषय इतने विवादग्रस्त हैं कि इनमें सब प्रकार के विरोधी विचारों का सम्बन्ध करते हुए सर्वसम्मत व्यवस्था का नियम बनाना बड़ा दुस्साध्य कार्य है। सब राज्यों की समानता और प्रभुसत्ता (sovereignty) इनके निर्णय में दूसरी बड़ी बाधा है। इससे विरोधी दृष्टिकोणों का सामंजस्य नहीं हो सकता प्रत्येक राज्य अपने स्वार्थ की दृष्टि से अपने दृष्टिकोण को सत्य समझता हुआ उसे छोड़ने के लिए उद्यत नहीं होता। अब तक इसीलिये संहिताकरण के अधिकांश प्रयत्न विफल हुए हैं। तीसरी बड़ी बाधा इसके निर्माण सम्बन्धी प्रश्न है। यदि इसका निर्माण करने वाले राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं तो वे अपनी सरकारों के वर्तमान हितों का दृष्टिकोण अपनाये जाने पर बल देते हैं। किन्तु इनके राजनीतिक स्वार्थ इतने विविध प्रकार के तथा परस्पर विरोधी होते हैं कि इनमें समझौता होना असम्भव हो जाता है। यदि इन कठिनाई को दूर करने के लिए संहिताकरण के लिये राज्यों के प्रतिनिधियों के स्थान पर सुविज्ञ और विख्यात विधिशास्त्रियों (Jurists) का सम्मेलन बुलाया जाय तो इसके निर्णयों को स्वीकार या अस्वीकार करना राज्यों की इच्छा पर निर्भर होगा, वे अपने हितों में विरोध रखने वाले निर्णयों को स्वीकार नहीं करेंगे।

उपरोक्त दुष्परिणामों तथा दुस्तर बाधाओं के होते हुए भी यह समझा जाता है कि इसके लाभों का पलड़ा हानियों वाले पलड़े से अधिक भारी है। संहिताकरण में अन्तर्राष्ट्रीय कानून में सरलता, सुगमता, समरूपता, सुवोधता, क्रमबद्धता और सुव्यवस्था आयेगी। अतः विफलताओं के होते हुए भी इसके लिए अनेक प्रयत्न व्यक्तियों एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा मण्डलों की ओर से किये जाते रहे हैं। यहाँ इनका संक्षिप्त उल्लेख किया जायगा।

संहिताकरण का संक्षिप्त इतिहास (History of Codification)—(१) **प्रारम्भिक प्रयत्न (Early Efforts)**—ब्रिटिश विधिशास्त्री बेन्थम ने पिछली शताब्दी में सर्वप्रथम इसके संहिताकरण का प्रयत्न किया और सब सम्य राज्यों में शान्ति बनाये

रखने के लिए एक आदर्श अन्तर्राष्ट्रीय कानून तैयार किया। फ्रेंच राज्यक्रान्ति होने पर १७९२ में राष्ट्रीय सम्मेलन (National Convention) ने राज्यों के अधिकारों का घोषणापत्र बनाने का निश्चय किया। यह कार्य एब्बे ग्रेगोयर (Abbe Gregoire) को सौंपा गया। उसने १७९५ में इसका २१ धाराओं वाला एक प्रारूप (Draft) तैयार किया, किन्तु इसे राष्ट्रीय सम्मेलन ने स्वीकार नहीं किया। १८५६ में पेरिस की घोषणा (Declaration of Paris) में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के चार सिद्धान्तों को घोषित किया गया

(क) युद्ध करने वाले राष्ट्रों द्वारा वैयक्तिक स्वामित्व रखने वाले निजी युद्धपोतों द्वारा शत्रु पर आक्रमण करने की प्रथा (Privateering) का अन्त कर दिया जाय।

(ख) सटस्य देशों के जहाज शत्रु के लिए विनिषिद्ध (Contraband) रणसामग्री के अनिश्चित अन्य पदार्थों का वहन कर सकते हैं।

(ग) शत्रु का भण्डा फहराने वाले जहाज पर लदे हुए तटस्थ देशों के माल में से केवल विनिषिद्ध रणसामग्री को ही जप्त किया जा सकता है।

(घ) घेराबन्दी या परिवेष्टन (Blockade) के वास्तविक होने के लिए उसका प्रभावशाली होना आवश्यक है।

१९वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में अन्तर्राष्ट्रीय कानून में सहिताकरण के अनेक प्रयत्न हुए। इनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय है—१८६१ में आस्ट्रियन विधिशास्त्री Alfons Von Domin Petruschewicz का Code Precise d'un code de droit international, १८६२ में न्यूयार्क के प्रोफेसर फ्रांसिस लीबर का युद्ध के नियम (Laws of War), १८६८ में स्विट्जरलैण्ड के विधिशास्त्री ब्लुन्सली (Bluntschli) की अनेक भाषाओं में अनूदित होने वाली ८६२ धाराओं की विस्तृत सहिता (Code), १८६२ में डेविड डडली का १००८ धाराओं वाला Draft Outlines of International Code नामक ग्रन्थ, १८७४ में ब्रुसेल्स में रूस के जार अलेक्जेंडर द्वितीय की प्रेरणा से बुलाये सम्मेलन ने ६० धाराओं की एक सहिता तैयार की, यह ब्रुसेल्स घोषणा कहलाती है। १८८० में ७ वर्ष पहले घेष्ट (बेल्जियम) में स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय कानून की संस्था ने अपना प्रथम प्रकाशित किया। १८९० में इटालियन विधिशास्त्री Pasquale Fiori के तथा १९१० में ब्राजीलियन विधिशास्त्री Epitacio Pessoa के अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सहिता सम्बन्धी ग्रन्थों के प्रकाशन हुए। इसी समय इस प्रकार के अन्य ग्रन्थलेखक आपेनहाइम, हाल, रिचमोर तथा हाइडे थे।

(२) हेग सम्मेलन (Hague Conferences 1899 and 1907)—१८९९ में रूस के सम्राट निकोलस द्वितीय की प्रेरणा से हेग का पहला सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रश्नों पर विचार के लिये बुलाया गया। इसमें २६ राष्ट्रों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इसने सहिता के रूप में दो महत्वपूर्ण विषयों पर अभिसमय (Conventions) तैयार किये—(१) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान के लिये अभिसमय। (२) स्थल युद्ध के कानूनों और रिवाजों का अभिसमय। पहले अभिसमय

के परिणामस्वरूप हेग में पचनिर्णय के स्थायी न्यायालय (Permanent Court of Arbitration) की स्थापना हुई। यह सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रीय कानून के संहिताकरण के इतिहास में बड़ा महत्व रखता है। इसमें इस प्रवृत्ति को बड़ा बल और प्रोत्साहन मिला।

दूसरा हेग सम्मेलन १९०७ में हुआ। इसने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के १२ महत्वपूर्ण विषयों पर अभिसंग्रहों द्वारा नियम बनाये। ये विषय इस प्रकार हैं—युद्ध छेड़ना, युद्ध छिड़ने के समय व्यापारी जहाजों का रक्षणपोतों में परिवर्तन, स्थानीय एवं समुद्री युद्ध और तटस्थता के नियम, युद्ध छिड़ने के समय शत्रु के व्यापारी जहाजों का दर्जा, नौसेनाओं की गोलाबारी, पतजुब्बियों के सर्पों में आने से स्पष्ट विस्फोट करने वाली सुरंगें। इसमें कुछ अभिनव विचारों के अतिरिक्त ४४ राज्यों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था।

१९०६ में लन्दन में समुद्री युद्ध के नियम बनाने के सम्बन्ध में महाशक्तियों का एक सम्मेलन हुआ, इनमें विनाशपूर्ण वस्तुओं (Contraband) की सूची तैयार करने का प्रयास किया गया। इसके निर्णय लन्दन की घोषणा में प्रकाशित किये गये।

(३) राष्ट्रसंघ के प्रयत्न (Efforts of League of Nations)—१९२४ में राष्ट्रसंघ की कौन्सिल ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के संहिता बनाने योग्य विषय चुनने के लिये विदेशों की एक समिति बनायी। इस समिति ने १९२७ में अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सात विषय इन्हें लिये सर्वथा उपयुक्त और परिपक्व (Ripe) माने—(१) राष्ट्रीयता, (२) प्रादेशिक समुद्र (३) अपने प्रदेश में हुई विदेशियों की शारीरिक क्षति व सम्पत्ति की हानि के लिये राज्य की जिम्मेवारी, (४) हानों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों (Immunities), (५) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा मन्त्रियों करने और इनका प्रारम्भ तैयार करने की विधियाँ (६) समुद्री उर्वेत्ता (Piracy), (७) समुद्र की वस्तुओं का उगमोप (Exploitation of the products of sea)। राष्ट्रसंघ ने इनमें से पहले तीन विषयों के संहिताकरण के लिए हेग में सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया। यह १३ मार्च से १२ अप्रैल १९३० तक हेग में हुआ। इसने तीन विषयों पर विचार के लिये तीन समितियाँ बनायीं और पहली समिति द्वारा तैयार किये निम्नलिखित समझौते इस सम्मेलन ने स्वीकार किये—(क) राष्ट्रीयता कानूनों के संघर्ष के कुछ प्रश्नों के सम्बन्ध में समझौता। (ख) दोहरी राष्ट्रीयता (Double Nationality) होने पर सैनिक दायित्वा के सम्बन्ध में समझौता। (ग) राज्यहीनता (Statelessness) के बारे में समझौता। इन समझौतों को कुछ राज्यों ने अनुमोदन (Ratification) द्वारा स्वीकृति प्रदान की। अन्य दो विषयों - प्रादेशिक समुद्रों (Territorial Waters) तथा विदेशियों की शारीरिक तथा साम्प्रतिक क्षति के सम्बन्ध में राज्य के उत्तरदायित्व के प्रश्न पर सम्मेलन में इतना अधिक मतभेद था कि इन पर कोई समझौता न हो सका।

१९३० के हेग सम्मेलन से बड़ी आशाएँ की गयी थी, किन्तु इसमें राज्यों के विभिन्न विषयों पर मतभेद इतने उग्र रूप में प्रकट हुए कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के

सहिताकरण का भविष्य विचारको को बहुत उज्ज्वल नहीं प्रतीत हुआ। आपेनहाइम ने इसकी आलोचना करते हुए यह लिखा कि इस सम्मेलन ने यह प्रदर्शित किया है कि नीतिविषयक मतभेद रखने वाले विषयों पर विधिशास्त्रियों में कभी सहमति या समझौता नहीं हो सकता। इन अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सर्वसम्मति का नियम अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास में प्रगति नहीं, किन्तु मन्दता लाने वाला है। सहिताकरण का एक दुष्परिणाम यह है कि अतिक्रम-विमर्श और मीमांसा से ऐसे विषयों में भी मतभेद उत्पन्न हो जाता है जिन्हें अब तक सर्वसम्मति समझा जाता था। सहिताकरण का उद्देश्य कानून में एकरूप (uniform) व्यवस्था लाना है, किन्तु विभिन्न राज्यों के विभिन्न स्वार्थ विभिन्न परिस्थितियों और विभिन्न कानूनी पद्धतियों इस उद्देश्य की पूर्ति में बहुत बाधक है। मतभेद रहित विषयों के सहिताकरण के लिये भी दीर्घकालीन तैयारी और विचार विमर्श की आवश्यकता है।

इसी समय अन्तर्राष्ट्रीय कानून के कुछ महत्वपूर्ण नियमों का निर्माण हुआ। १९१६ की बर्माय सन्धि की धारा १७१ के अनुसार विपैली, दम घोटने वाली गैसों के प्रयोग पर पाबन्दी लगायी गयी थी। १९२१-२२ के सम्मेलन में वाशिंगटन में दस्तावेजों को मर्यादित करने के विषय में एक समझौता किया गया, पनडुब्बियों की लड़ाई के तथा विपैली गैसों के प्रयोग को वर्जित करने के नियम बनाये गये। १९२३ में विधिशास्त्रियों के एक आयोग ने हार्ड हार्ड के नियम बनाये। १९२५ में राष्ट्रसंघ द्वारा बुलाये एक सम्मेलन में विपैली गैसों के प्रयोग पर पाबन्दी लगायी गयी, १९२६ में रणक्षेत्र में घातकों और रोगियों के विषय में तथा युद्धबन्धियों के सम्बन्ध में किये गये पिछले समझौतों में समयानुसूल सशोधन किये गये। १९२४ में अन्तर्राष्ट्रीय कानून की अमरीकी मसूदा ने अनेक विषयों पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सहिताकरण का कार्य एक अमरीकी सम्मेलन को सौंपा। १९२८ तक इसने निम्न विषयों पर अग्रिम समय स्वीकार किये — विदेशियों का दर्जा, गृहयुद्ध के समय तटस्थ देशों के कर्तव्य, दूत कार्य करने वाले अधिकारी, वाणिज्यदूत, समुद्री तटस्थता, शरण (Asylum) देने के नियम। १९३६ में अन्तर्राष्ट्रीय तटस्थता समिति को तटस्थता के नियमों की व्यापक और विस्तृत सहिता बनाने का कार्य सौंपा गया।

(४) संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सहिताकरण का कार्य (United Nations Organisation and Codification) सं० रा० संघ के चार्टर की धारा १३ में यह कहा गया है — 'जनरल असेम्बली नीचे लिखी बातों के अध्ययन की व्यवस्था करेगी और उनपर अपनी सिफारिशें देगी राजनीतिक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रगतिशील विकास तथा उसके सहिताकरण का प्रोत्साहन देना।' इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए १९४७ में जनरल असेम्बली ने एक प्रस्ताव द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग (International Law Commission) की स्थापना की। इसके २१ सदस्य होने हैं। यह अन्तर्राष्ट्रीय स्थितिप्राप्त तथा राष्ट्रों के कानून का अग्रगण्य

ज्ञान वाले विद्वेत्ता होने हैं। एक राज्य का उगमे एक से अधिक सदन नहीं हो सकता। ये म० रा० सभ के सदस्य-राज्यों द्वारा दिये प्रतिनिधियों की सूची में से जनरल असेम्बली द्वारा तीन वर्षों के लिये चुने जाते हैं। जब इन आयोग की सम्मति में किसी विषय का संहिताकरण आवश्यक होता है तो यह इस विषय में अपनी सिफारिश जनरल असेम्बली को धाराओं के या अनुच्छेदों के रूप में भेजता है तथा उसके साथ टोका के रूप में इनकी पुष्ट करने वाले पूर्वोदाहरणों, मन्त्रियों, न्यायाधीशों के निर्णयों का तथा इन विषय में विद्यमान सभी मतभेदों और विभिन्नताओं का उल्लेख करना है। धारा २४ के अनुसार इस आयोग का एक कार्य यह भी है कि वह आचारिक (Customary) अन्तर्राष्ट्रीय कानून का प्रतिपादन करने वाली सामग्री का गठन और प्रकाशन करे।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग के उद्देश्यों को प्रतिपादित करने वाले १९४८ के इस विशेष विधान (Special Statute) में आयोग के कार्यों को दो भागों में बाटा गया है—(१) अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विकास (Development of International Law) — इसका अभिप्राय यह है कि 'अन्तर्राष्ट्रीय कानून के उन विषयों पर नियमों की प्रारम्भिक रूपरेखा और अभिसमय (Draft Conventions) तैयार किये जाय, जिन विषयों का नियमन तथा नियन्त्रण अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा नहीं होगा या जिनके सम्बन्ध में अभी तक विभिन्न राज्यों के व्यवहार में आने वाला कानून अच्छी तरह विकसित नहीं हुआ।' (२) अन्तर्राष्ट्रीय कानून का संहिताकरण (Codification)—इसका तात्पर्य 'ऐसे क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों का अधिक पुष्टता के साथ निर्माण करना तथा व्यवस्थित करना (the more precise formulation and systematisation) है, जिन क्षेत्रों में राज्यों का विस्तृत व्यवहार (Extensive State practice), पूर्वोदाहरण (Precedent) और सिद्धान्त पहले गंभीर विद्यमान हैं।' विधि आयोग का कार्य इन दोनों उद्देश्यों को पूरा करना है। इसका विधान बनाने वालों का यह विचार था कि दोनों उद्देश्यों को पृथक् करनेवाली कोई स्पष्ट भेद रेखा नहीं है और संहिताकरण के कार्यों में इन दोनों को पूर्ण आवश्यक है।

जब विधि आयोग अन्तर्राष्ट्रीय कानून की किसी शाखा का प्रगतिशील विकास (Progressive development) का कार्य करता है तो इसका कार्य उन्नी दशा में कानूनी गृह्यत्व रख सकता है, जब यह विषय में किसी प्रकार का अन्तर्राष्ट्रीय समझौता हो। इसके लिए विधि आयोग के विधान (Statute) में यह व्यवस्था की गयी है कि यह आयोग इस विषय में एक प्रारम्भ अभिसमय (Draft Convention) तैयार करेगा तथा जनरल असेम्बली यह तय करेगी कि इस कानूनी रूप देने के लिए तथा इसके विषय में अन्तर्राष्ट्रीय समझौता करने के लिए क्या उपाय किये जाय। किन्तु अब विधि आयोग किसी विषय का संहिताकरण करता है तो इसके विधान में इसके सम्बन्ध में दो व्यवस्थाएँ हैं—(क) इसकी रिपोर्ट का प्रकाशन मात्र करता, (ख) जनरल असेम्बली के एक प्रस्ताव द्वारा इस सारी रिपोर्ट को या इसके कुछ हिस्सों का स्वीकार करेगा। इन विषयों में यह विधान में सिड हर्स्ट (Cecil Hurst) चादि निदानों द्वारा प्रतिपादित इन

मत का समर्थन करता है कि विभिन्न सरकारों द्वारा स्वीकृत किये जाने वाले समझौतों के मूलरूपों को धारण करने की अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास में प्रगति के लिये यह अधिक अच्छा है कि इस कानून के सम्बन्ध में सुप्रसिद्ध और स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्रियों द्वारा तैयार किये गये नियमों के वैज्ञानिक विवरण (Scientific Statements) प्रकाशित किये जाय। ऐसे विवरण यद्यपि सौद्वान्तिक रूप से कोई प्रामाणिकता नहीं रखते, किन्तु इस बात की संभावना है कि ये अपने आन्तरिक गुणों के कारण इस विषय के अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों के रूप में स्वीकार किये जाय और राज्य अपने व्यवहार में इनका पालन करने लगे तथा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयों के विधिशास्त्र में उन्हें मान लिया जाय। यह स्पष्ट है कि यदि ऐसे विवरणों को जनरल असेम्बली एक प्रस्ताव द्वारा संपुष्ट करती है तो इसका प्रभाव बहुत अधिक होगा, भले ही इसे किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन की महमति में कानूनी प्रामाणिकता न प्राप्त हुई हो।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग का कार्य (Work of International Law Commission)—अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग को कार्य करते हुए १९६ वर्ष हो गये हैं। १९४६ में इमने निम्नलिखित चौदह विषयों को सहितकरण के लिये उपयोगी समझा था—(१) राज्यों की मान्यता (Recognition of States), (२) राज्यों तथा सरकार का उत्तराधिकार (Succession of States and Government), (३) राज्यों की तथा इनकी सम्पत्ति की क्षेत्राधिकार विषयक उन्मुक्तियाँ (Jurisdictional Immunities of States and their property), (४) राष्ट्रीय प्रदेश से बाहर किये गये अपराधों का क्षेत्राधिकार, (५) महासमुद्रों का प्रदेश (Regime of High Seas), (६) प्रादेशिक समुद्रों का क्षेत्र (Regime of Territorial Waters), (७) राष्ट्रियता (Nationality), (८) विदेशियों (aliens) में व्यवहार, (९) आश्रय का अधिकार (Right of Asylum), (१०) संधियों का कानून (Law of Treaties), (११) राजनयिक सम्बन्ध तथा उन्मुक्तियाँ (Diplomatic Intercourse and Immunities), (१२) राज्य का उत्तरदायित्व (State responsibility), (१४) पंच निर्णय की प्रक्रिया (Arbitral Procedure)। विधि आयोग ने उपर्युक्त १४ विषयों में से संधियों के कानून, पंच निर्णय की प्रक्रिया, महासमुद्रों के क्षेत्रों को प्रादेशिकता देने और परन्तु इनके विषय में नियम बनाने का निश्चय किया। जनरल असेम्बली ने प्रादेशिकता देने वाले विषयों की सूची में प्रादेशिक समुद्रों के क्षेत्र तथा राजनयिक सम्बन्ध पर उन्मुक्तियों को भी सम्मिलित करने की कहा। इसके अनिरीक्त जनरल असेम्बली ने इसे आश्रय के अधिकार के कानून एवं ऐतिहासिक समुद्रों (Historic Waters) पर भी यथासंभव शीघ्र ही नियम बनाने की कहा है। अब तक यह उपर्युक्त चौदह विषयों में से नौ विषयों के नियम तैयार कर चुका है।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग के कार्य की गति आरम्भिक वर्षों में बहुत मन्द रही। इसके कई कारण हैं। पहला कारण इसके सदस्यों का वर्ष में केवल थोड़े समय

(Part time) के लिये काम करना था। दूसरा कारण यह था कि इसे एक ही समय में बहुत अधिक विषयों पर विचार करना पड़ा। किन्तु बाद में इसके कार्य की गति तीव्र हो गई और इस समय तक यह जनरल असेम्बली को कई विषयों के समझौतों के प्रारम्भिक रूप या प्रारूप अभिसमय (Draft Codes) तथा सहितायें (Codes) तैयार करके दे चुका है। इसकी पंच निर्णय की प्रक्रियाविधि (Arbitral Procedure) इतनी अधिक प्रगतिशील थी कि वह जनरल असेम्बली को रूचिकर न प्रतीत हुई। इसके स्वीकार न होने पर भी यह इन विषयों की आदर्श सहिता (Model Code) है। शीत-युद्ध के कारण होनेवाले राजनीतिक विवादों से विधि आयोग का 'शान्ति के विरुद्ध कार्यों तथा अन्तर्राष्ट्रीय अपराध कानून (International Criminal Law) का काम अचूक पड़ा है। किन्तु विधि आयोग ने कई विषयों में अपना कार्य पूरा कर लिया है। महासागुद्रों (High Seas) तथा प्रादेशिक समुद्रों (Territorial Waters) के विषय में तथा इनमें सम्बन्ध रखने वाले महाद्वीपीय समुद्रतल (Continental Shelf), मत्स्यार्थी क्षेत्र (Contiguous Zones), मछलीगाहों (Fisheries) तथा समुद्र के सजीव स्रोतों के संरक्षण (Conservation of the Living Sources of Sea) विषयक समझौतों (Conventions) को १९५८ तथा १९६० के जेनेवा सम्मेलनों (Geneva Conferences) द्वारा तय कराने का मुख्य श्रेय अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग को है। इस विषय में अन्तर्राष्ट्रीय कानून को सहिताबद्ध करना इस आयोग की महत्वपूर्ण वेंत है। १९६१ के वियना सम्मेलन (Vienna Conference) ने राजनयिक सम्बन्ध तथा उन्मुक्तियों (Diplomatic Intercourse and Immunities) पर एक समझौते का प्रारम्भिक रूप (Draft Convention) स्वीकार किया है।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग के १९४९ में अब तक किये कार्य में कई परिणाम निकलते हैं। पहला तो यह है कि 'सहिताकरण' (Codification) तथा प्रगतिशील विकास (Progressive development) में कोई भ्रूषम अन्तर करना भयम नहीं है। यद्यपि इन दोनों में यह महत्वपूर्ण भेद अब तक माना जाता है कि प्रगतिशील विकास की कोई योजना जनरल असेम्बली के प्रस्ताव पर ही आरम्भ की जा सकती है और सहिताकरण का कार्य विधि आयोग स्वयंसेव आरम्भ कर सकता है तथापि विधि आयोग किसी विषय का प्रतिपादन करते हुए इन दोनों प्रक्रियाओं में कोई भेद नहीं करता। दूसरा परिणाम यह है कि जब अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सुप्रतिष्ठित और पुराने नियमों के सहिताकरण का प्रश्न उठता है तो शीतयुद्ध (Cold War) के राजनीतिक कटु विवाद का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के पुराने नियमों को चुनौती दी जाने लगती है। इस समय उत्पन्न होने वाले तीव्र मनभेदों को देखते हुए कई बार सहिताकरण के प्रयत्न की सफलता में बड़ा संदेह उत्पन्न होने लगता है। इस समय प्रायः यह होता है कि योरोपियन राज्यों तथा सं० रा० अमेरिका द्वारा विकसित अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों का घोर विरोध रूस तथा साम्यवादी गुट के देशों द्वारा तथा पश्चिमी साम्राज्यवाद ने चगुल में देर तक फंसे रहने के बाद हाल में स्वतन्त्र हुए एशिया तथा अफ्रीका के राज्यों द्वारा बड़ी उद्यता के साथ किया जाता है। उदाहरणार्थ,

प्रादेशिक समुद्र की सीमा (Limit of Territorial Waters) १९५८ तथा १९६० के जेनेवा सम्मेलनों में नहीं रखी गयी थी, क्योंकि इंग्लैंड तथा उसके साथी अनेक पश्चिमी देश इसे तीन मील रखना चाहते थे, किन्तु सोवियत रूस ने इसे बारह मील बनाये रखने पर बल दिया। दोनों पक्षा में इस प्रश्न पर भौतिक एवं गहुरा मतभेद होने के कारण इस विषय में कोई समझौता नहीं हो सका।

इस प्रकार का घटनायें तथा परिस्थितियाँ यह सूचित करती हैं कि संहिताकरण का कार्य जल्दी पूर्ण होने की संभावना नहीं है। किन्तु इसमें विधि आयोग के कार्यों को अमाधारण महत्ता मिल जाती है और यह अधिक आवश्यक प्रतीत होने लगता है कि इस आयोग को ऐसे तीव्र मतभेदों को दूर करने के लिए सर्वसम्मत अन्तर्राष्ट्रीय नियमों की संहिता के निवृत्त का प्रयास करना चाहिये। त्रिपल्ली के मजानुसार अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग के कार्यों की भले ही कितनी आलोचना की जाय, किन्तु इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम इस आयोग में ही यह आशा रख सकते हैं कि यह अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विरोधी नियमों को समाप्त स्थापित करेगा और अब तक विकसित हो रहे नवीन अन्तर्राष्ट्रीय समाज के लिये आवश्यक कानून की मुद्दों को तैयार करने का प्रयत्न करेगा।^४

इस आयोग द्वारा किये गये कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है —

(अ) राज्यों के अधिकारों तथा कर्तव्यों की प्रारूप घोषणा (Draft Declaration on Rights and Duties of States) — इसमें राज्यों के चार अधिनार माने गये हैं — (१) स्वतन्त्रता, (२) राज्य के प्रदेश पर क्षेत्राधिकार, (३) समानता का अधिकार, (४) सशस्त्र आक्रमण के प्रतिरोध के लिये वैयक्तिक या सामूहिक आत्मरक्षा का अधिकार। राज्यों के कर्तव्य निम्नलिखित हैं (१) महसूखे। (२) दूसरे राज्य में गृहयुद्ध को प्रोत्साहित न करना। (३) अपने राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और व्यवस्था को खतरा पहुँचाने वाली परिस्थितियों को न उत्पन्न होने देना। (४) युद्ध के मार्ग का अवलम्बन न करना। (५) किसी दूसरे राज्य की प्रादेशिक अव्यवस्था या राजनैतिक स्वतन्त्रता को खतरा न डालना। (६) अन्तर्राष्ट्रीय कानून के परम्परागत नियमों का पालन। (७) विवादों का शान्तिपूर्ण उपायों से समाधान। (८) अपने क्षेत्राधिकार में विद्यमान सभी व्यक्तियों के साथ मानवीय अधिकार और भौतिक स्वतन्त्रता प्रदान करने वाला व्यवहार। समय जाति, धर्म, भाषा आदि का कोई भेदभाव न रखते हुए सबके साथ समान बर्ताव होना चाहिये।

(आ) न्यूरेंबर्ग सिद्धांतों का निर्माण (Formulation of Nuremberg Principles) — द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद मित्रराष्ट्रों ने द्वितीय विश्वयुद्ध छेड़ने तथा इसमें अनेक प्रकार के युद्धात्मक करने वाले कार्यों के प्रचालन के लिये तथा प्रमुख अधिकारियों पर न्यूरेंबर्ग में मुकद्दमे चलाये थे। छह बीसवें अध्याय में इनका वर्णन होगा। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के इतिहास में यह सर्वथा नवीन पद्धति थी। अन्तर्राष्ट्रीय

विधि आयोग ने जुलाई १९५० में न्यूरेम्बर्ग में चलाये अभियोगों में तथा चार्टर में स्वीकार किये युद्धापराधों के ७ सिद्धान्त निश्चित किये । ये इस प्रकार हैं— (१) अन्तर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति इसके लिये उत्तरदायी और दण्डभागी होता है । (२) ऐसे व्यक्ति की रक्षा राष्ट्रीय कानून (Municipal law) द्वारा नहीं हो सकती । यदि राष्ट्रीय कानून किसी अन्तर्राष्ट्रीय अपराध के लिये दण्ड-व्यवस्था नहीं करता तो अन्तर्राष्ट्रीय अपराध करने वाला व्यक्ति इस आधार पर अपनी रक्षा नहीं कर सकता कि उस व्यक्ति का राष्ट्रीय कानून उसे इस रिषय में निर्दोष समझता है । (३) राज्यों के तथा सरकारों के प्रत्यक्ष प्रायः सरकारी कार्यों का जिम्मेवारी से मुक्त होते हैं, वे न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से मुक्त होते हैं । किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से अपराध करने वाले व्यक्ति को, उनका राज्य या शासन का अव्यय्य होना न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र से तथा अपराध की जिम्मेवारी से मुक्त नहीं करा सकता । (४) अन्तर्राष्ट्रीय कानून का अपराध करने वाला कोई व्यक्ति इस आधार पर अपने को निर्दोष नहीं सिद्ध कर सकता कि उसने यह कार्य अपनी सरकार के आदेश पर किया है । (५) अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से जिस व्यक्ति पर कोई अपराध या आरोप लगाया गया है, उस पर वह अधिकार है कि वह कानून एवं तथ्या के आधार पर अपनी रक्षा कर सके । (६) अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से दण्डनीय अपराध निम्नलिखित हैं— (क) शान्ति के विरुद्ध किये गये अपराध, (ख) युद्धापराध, (ग) मानवता के विरुद्ध अपराध । (७) उपर्युक्त अपराधों में सहयोग देना भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से अपराध है ।

(इ) मानव जाति की शान्ति और सुरक्षा के विरुद्ध अपराधों की प्रारूप संहिता (Draft Code of Offences against the Peace and Security of mankind)—अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने अपनी तीसरी बैठक में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को सकट में डालने वाले अपराधों का स्वरूप निर्धारण करने वाली संहिता (code) का प्रारम्भिक रूप बनाया है । इसमें निम्नलिखित अपराधों का समावेश किया गया है— (१) अग्रानुमण (Aggression) का कोई कार्य । अग्रानुमण की परिभाषा यह है कि राष्ट्रीय अथवा सामूहिक आत्मरक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त या न० रा० सभ के किसी अंग के आदेश के पालन के अभाव में दूसरे राज्य के विरुद्ध मनाआ का प्रयोग । (२) अग्रानुमण की घमकी देना । (३) किसी दूसरे राज्य के विरुद्ध आत्मरक्षा के अलावा न० रा० सभ के आदेश के पालन के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों से अपनी सशस्त्र सेनाओं को भेजने की तैयारी । (४) किसी अन्य राज्य में गृहयुद्ध को प्रोत्साहित करना । (५) जातिवध (Genocide) । (६) अवैध उपायों द्वारा दूसरे राज्य के प्रदेश को अपने राज्य का अंग बनाना ।

(ई) अन्तर्राष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय (International Criminal Court)—१९५० में अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने अन्तर्राष्ट्रीय फौजदारी अपराधों के विचार के लिये एक न्यायालय की स्थापना पर विचार किया । इसने इसे वादनीय बताते हुए इसको अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में स्वतन्त्र रखने के लिये कहा । १९५१ में

जनरल असेम्बली द्वारा इसकी स्थापना के लिये बनाई गई कमेटी ने इसके सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशों की—(१) इसे जनरल असेम्बली के प्रस्ताव द्वारा नहीं, किन्तु समझौते द्वारा बनाया जाय। (२) यह किसी विशेष उद्देश्य के लिये (Ad hoc) न होकर स्थायी रूप में बनाया जाय। (३) फौजदारी अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञ नौ व्यक्ति जनरल असेम्बली द्वारा नौ वर्षों के लिए इसके न्यायाधीश चुने जाय। १९५३ के सशोधित नियमों के अनुसार यह न्यायालय अन्तर्राष्ट्रीय फौजदारी अपराध करने वाले व्यक्तियों का मुकद्दमा सुनने का अधिकार रखता है, भले ही नैधानिक दृष्टि से ऐसे "व्यक्ति उत्तरदायी शासक, सार्वजनिक अधिकारी या निजी वैयक्तिक हैसियत रखने वाले हों।" यह न्यायालय राज्यों द्वारा इस व्यवस्था की सपुष्टि के बाद ही स्थापित होगा।

(उ) अन्य कार्य—अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने कई अन्य अन्तर्राष्ट्रीय विषयों में भी नियम बनाये हैं। सन्धियों के कानून पर इसने बहुत विचार किया है, सन्धियों की तैयारी, स्वीकृति, सपुष्टि आदि के अनेक नियम बनाये हैं—जहाजों की राष्ट्रीयता, समुद्र में जीवन की सुरक्षा, रणपोतों के तथा समुद्री डकैतों या दास व्यापार करने वाले जहाजों को पकड़ने के अधिकार। समुद्र के गर्भ में बिछाई जाने वाली तारों के विषय में इसने अपने नियम बनाकर राज्यों को विचार के लिये भेजे हैं।

इन नियमों पर राज्यों की सम्मतियाँ आने पर अ० विधि आयोग ने अपनी पाचवी बैठक में महाद्वीपीय समुद्रतल (Continental Shelf), महासमुद्रों में मछली पकड़ने एवं इनके संरक्षण, मरुपट्टी क्षेत्रों (Contiguous Zones) पर नियमों का अन्तिम प्रारूप (Final draft) तैयार किया। जनरल असेम्बली ने इसे महासमुद्रों (High Seas) तथा प्रादेशिक समुद्रों (Territorial Waters) तथा इनमें सम्बद्ध सभी विषयों पर नियम बनाने का कार्य १९५६ तक पूरा करने को कहा। १९५८ तथा १९६० में जेनेवा सम्मेलनों द्वारा इन विषयों पर विधि आयोग द्वारा तैयार किये गये नियमों पर विचार हुआ तथा इस विषय के अन्तर्राष्ट्रीय समझौते (Conventions) किये गये। १९६१ में वियना सम्मेलन ने विधि आयोग द्वारा तैयार किये राजनयिक सम्बन्ध तथा उन्मुक्तियों के समझौते को स्वीकार किया। इस आयोग ने स० रा० सघ द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के उपयोगी ग्रन्थों, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयों की रिपोर्टों, स० रा० सघ की सन्धियों, अन्तर्राष्ट्रीय कानून के वार्षिक विवरणों के प्रकाशन पर बहुत बल दिया है।

विधि आयोग के अतिरिक्त सगुक्त राष्ट्र सघ ने भी कुछ विषयों में नियम और समझौते बनाये हैं। १९४८ में सघ ने मानवीय अधिकारों का सार्वभौम घोषणापत्र (Universal Declaration of Human Rights) प्रकाशित किया था। ६ अप्रैल १९५२ को अन्तर्राष्ट्रीय अन्त्यर्धव्यक्त आयोग के उच्च शिक्षण को स्वीकार किया कि प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित होने चाहियें तथा इनका समावेश एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौते में होना चाहिए। स० रा० सघ ने जातिवध (Genocide) पर भी एक अभियमप (Convention) किया है। इसके अनुसार जातिवध अर्थात्

किमी राष्ट्रीय, जातीय या नस्ली समूह का समूलोन्मूलन दण्डनीय अपराध है, भले ही इसे करने वाले राज्यों के शासक या सार्वजनिक अधिकारी हों। जानबूझ के समझौते को अनेक राज्यों ने सफुट किया है। उसी प्रकार शरणार्थियों के सम्बन्ध में एक व्यापक समझौता किया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग के अनिरीक्त, विधिशास्त्रियों की अन्त अमेरिकन परिषद् (Inter-American Council of Jurists) ने भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून के संहिताकरण का सराहनीय कार्य किया है। यह परिषद् वास्तविक सरकारों को मान्यता देने (Recognition of de facto Governments) के तथा राज्य के उत्तरदायित्व (Responsibility) के कानूनों का संहिताकरण करने में तो सफल नहीं हुई, किन्तु इसने क्षेत्रीय शरण (Territorial asylum), तथा राजनयिक (Diplomatic) शरण के कानूनों के बारे में समझौते (Conventions) तैयार किये हैं तथा प्रत्यर्पण और वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के बारे में रिपोर्टें तैयार की हैं।

संहिताकरण का भविष्य (Future of Codification)— उपर्युक्त विवरण में यह स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का संहिताकरण और भावी विकास इस बात पर निर्भर है कि अन्तर्राष्ट्रीय समाज का निर्माण करने वाले राष्ट्र एक-दूसरे पर कितना विश्वास रखते हैं। यह विश्वास राजनीतिक क्षेत्र से भिन्न आर्थिक तथा सामाजिक विषयों के क्षेत्र में अधिक पाया जाता है, महा विवादग्रस्त विषयों की कमी है, अतः इन क्षेत्रों में संहिताकरण के अधिक सफल होने की आशा है, किन्तु राजनीतिक विषयों से सम्बन्ध रखने वाले अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के क्षेत्र में राज्य अपनी प्रभुसत्ता को विशेष महत्व देते हैं, वे किसी भी ऐसी सन्धि के बन्धन में नहीं बबना चाहते, जिससे भविष्य में उनकी कार्य करने की स्वतन्त्रता मर्यादित एवं सीमित हो जाय, अतः राजनीतिक क्षेत्र में संहिताकरण की प्रवृत्ति आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत मन्द रहेगी।

दूसरा भाग
शान्ति के कानून
(LAWS OF PEACE)

छठा अध्याय

राज्यों का स्वरूप और प्रकार

(The Nature and Classification of State)

राज्य का लक्षण (The Definition of a State)—अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उद्देश्य विभिन्न राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों का नियन्त्रण करना है, अतः इसका प्रधान विषय राज्य ही समझे जाते हैं। इसके यथार्थ ज्ञान के लिए राज्य के स्वरूप को जान लेना आवश्यक है। राज्य की परिभाषा विभिन्न विधिवेत्ताओं ने विविध प्रकार से की है। ब्रिटिश विधिशास्त्री हाल्लैण्ड (Holland) के मतानुसार “राज्य मनुष्यों के उस समुदाय को कहते हैं, जो साधारणतया किसी निश्चित प्रदेश पर बसा हुआ हो और जिसमें किसी एक वर्ग की या उल्लेखनीय बहुमर्यादक दल की इच्छा इसका विरोध करने वालों के ऊपर चलती हो”। हाल्ल (Hall) ने अन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्र की दृष्टि से इसकी परिभाषा करते हुए कहा है—“स्वतन्त्र राज्य का लक्षण यह है कि उसका निर्माण करने वाला समाज स्थायी रूप से राजनीतिक ध्येय की प्राप्ति के लिए संगठित है। उसका एक निश्चित प्रदेश होता है और वह बाहरी नियन्त्रण से मुक्त होता है।” श्री विल्सन (Wilson) के मत में “एक निश्चित प्रदेश के भीतर कानून के लिए संगठित जनता का नाम राज्य है।” श्री गार्नेर (Garner) की परिभाषा के अनुसार “राज्य बहुसंख्यक व्यक्तियों का एक ऐसा समुदाय है, जो किसी प्रदेश के निश्चित भाग में स्थायी रूप से रहता हो, बाहरी शक्ति के नियन्त्रण से पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वतन्त्र हो और जिसमें ऐसी सरकार विद्यमान हो, जिसके आदेश का पालन नागरिकों के विशाल समुदाय द्वारा स्वभावतः किया जाता हो।”

ओपेनहाइम (Oppenheim) के मतानुसार ‘एक राज्य की सत्ता तब शान्ति जाती है, जब जनता अपना सम्पूर्ण प्रभुसत्ता सम्पन्न (Sovereign) सरकार की अधीनता में किसी देश में बसी होती है। राज्य की सत्ता के लिए चार आवश्यक शर्तें हैं—पर्व-प्रथम इस में जनता होनी चाहिए। जनता का अभिप्राय समुदाय के रूप में एक साथ जीवन बिताते वाले नर-नारियों के समूह से है, अर्थात् ये विभिन्न नस्लों, धर्मों या रंगों वाले हों। दूसरी शर्त—एक प्रदेश का होना आवश्यक है। खानाबदोश जाति राज्य नहीं कहला सकती। तीसरी शर्त—सरकार का होना है, अर्थात् इसमें जनता के प्रतिनिधियों के रूप में एक या अनेक व्यक्ति कानून के अनुसार देश का शासन करते हों। चौथी और अन्तिम शर्त यह है कि यह नरनगर प्रभुसत्ता सम्पन्न (Sovereign) होनी

चाहिए, प्रभुसत्ता का अभिप्राय सर्वोच्च सत्ता से है, यह अन्य सभी सासारिक सत्ताओं से स्वतन्त्र होती है।^१

अन्तर्राष्ट्रीय कानून को महत्व देते हुए फिलिमोर (Philimore) ने राज्य का यह तथ्य कहा है— 'राज्य ऐसी जनता है, जो एक निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से निवास करती हो, जो एक-से कानून, आदतों तथा रिवाजों द्वारा बंधी हुई हो, जो एक संगठित सरकार के माध्यम के द्वारा अपनी सीमा के अन्तर्गत सब व्यक्तियों तथा वस्तुओं पर स्वतन्त्र प्रभुसत्ता का प्रयोग एवं नियन्त्रण करती हो तथा जिसे भूमण्डल के राष्ट्रों के साथ युद्ध एवं संधि करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हो।'^२

१९३३ में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका के राज्यों के बीच में हुए मांटेविडियो (Montevideo) के सम्झौते की पहली धारा में राज्य की चार विशेषताएँ बताई गयी हैं— (१) स्थायी आबादी, (२) सुनिश्चित प्रदेश, (३) सरकार, (४) अन्य राज्यों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की क्षमता। यह क्षमता किसी मध्य राज्य (Federation) के सदस्य को नहीं होनी, संरक्षित राज्य (Protectorate) भी वैदेशिक विषयों में स्वतन्त्र नहीं होते, अतः उन्हें राज्य नहीं माना जाता। उदाहरणार्थ, भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों—उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, बंगाल, मद्रास आदि को यह अधिकार नहीं है, अतः 'राज्य' कहलाने पर भी अन्तर्राष्ट्रीय परिभाषा की दृष्टि से उन्हें राज्य नहीं माना जा सकता।

अन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्री हाल (Hall) ने राज्य होने के लिए एक आवश्यक शर्तें "यूरोपियन सम्मता का अनुयायी होना बताया है।"^३ उसका यह मत है कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय कानून आधुनिक यूरोपियन सम्मता की उपज है, इससे विभिन्न प्रकार की सम्मता रखने वाले देश अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों और नियमों को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय कानून से नियन्त्रित होने वाला राज्य नहीं माना जा सकता। वे सभी राज्य बन सकते हैं, जबकि वे विधिवत् किसी संधि द्वारा इस कानून को स्वीकार करें। टर्की को यूरोप के अन्य राज्यों में १८३६ की पेरिस की संधि द्वारा स्वीकार किया गया था। जापान १८८६ में जेनेवा सम्झौता स्वीकार करने पर अन्य राज्य माना गया। आजकल एशिया, अफ्रीका के सभी राज्यों ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांत स्वीकार कर लिए हैं, अतः अब हाल की इस शर्त का कोई महत्व नहीं रहा। अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य होने की एक अन्य आवश्यक शर्त इसे अन्य राज्यों द्वारा दी जाने वाली मान्यता (Recognition) है, जब तक इसे यह मान्यता नहीं मिलती, यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति (International person) का रूप नहीं धारण कर सकता।

राज्य के उपर्युक्त लक्षणों से यह स्पष्ट है कि इससे मुख्य आवश्यक हज़क जनता

२. आगनहाइम—इण्टरनेशनल ला, २० १, अष्टम संस्करण, १० ११६

३. फिलिमोर—इण्टरनेशनल ला, २० १, १० ८१

४. हाल—इण्टरनेशनल ला, १० ४७-४६

(Population), प्रदेश (Territory), राजनैतिक संगठन या सरकार (Government), प्रभुत्व शक्ति (Sovereignty), तथा अन्य राज्यों द्वारा इसे प्रदान की गई मान्यता (Recognition) है। राज्य के ये तत्व अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से अनेक विशेषताओं में प्रकट होते हैं। इस दृष्टि से किसी भी राज्य में निम्न पाँच गुण अग्रस्य होने चाहिए—(१) किसी प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों को शासित करने का और उन पर कर लगाने का पूरा अधिकार, स्वतन्त्रता (Independence) और प्रभुसत्ता (Sovereignty)। (२) अपनी स्थल, जल और वायुमैनाओं का रक्षना। (३) अपना पृथक् ऋण्डा रक्षना और राजदूत भेजने का अधिकार। (४) युद्ध छेड़ने और शान्ति सन्धि करने का अधिकार। (५) अन्य राज्यों द्वारा इसकी सत्ता का स्वीकार किया जाना।

राज्यों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य (Fundamental Rights and Duties of States)—जिस प्रकार एक राज्य में सवनागरिकों के कुछ मौलिक अधिकार और कर्तव्य माने जाते हैं, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कागनी व्यक्तित्व (Juristic personality) रखने वाले राज्यों के कुछ मूलभूत अधिकार स्वीकार किए जाते हैं। स० रा० सघ द्वारा स्थापित किये गये अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग (International Law Commission) ने राज्यों के अधिकारों और कर्तव्यों का एक प्रारम्भिक रूप (Draft) तयार किया है। इसमें निम्न बोध अधिकारों तथा कर्तव्यों का परिगणन है—(१) स्वतन्त्रता का अधिकार। (२) अपने प्रदेश में सभी व्यक्तियों और वस्तुओं पर क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) के प्रयोग का अधिकार। (३) अन्य किसी राज्य के आन्तरिक और बाह्य मामलों में हस्तक्षेप न करने का कर्तव्य। (४) किसी अन्य राज्य के प्रदेश में गृहयुद्ध की शक्ति न भङ्काने का कर्तव्य। राज्य का यह भी फर्ज है कि वह अपने प्रदेश में विद्यमान किसी संगठन को दूसरे राज्य के गृहयुद्ध में सहायता न करने दे। (५) प्रत्येक राज्य का अन्य राज्यों के साथ समानता का अधिकार। (६) प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि वह नस्ल, लिंग, भाषा, धर्म के किसी भी भेद भाव के बिना मानवीय अधिकारों तथा मौलिक स्वतन्त्रताओं के सम्बन्ध में सबके साथ समान रूप से व्यवहार करे। (७) प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने देश में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा व्यवस्था को सकट में डालने वाली परिस्थितियाँ न उत्पन्न होने दे। (८) प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह दूसरे देशों के साथ अपने विवादों का निर्णय शान्तिपूर्ण ढंग से करे। (९) प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में युद्ध का परित्याग करे, दूसरे राज्यों की प्रादेशिक अखण्डता तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता को शक्ति के प्रयोग से या इसकी धमकी द्वारा खतरे में न डाले। (१०) प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि स० रा० सघ के अधिकार पत्र की नवीं धारा का उल्लंघन करने वाले को या जिसके विरुद्ध स० रा० सघ निरोधात्मक कार्यवाही कर रहा है, उसको कोई सहायता न दे। (११) प्रत्येक राज्य को यह चाहिये कि वह नवीं धारा का उल्लंघन करके प्राप्त किये गये किसी प्रदेश में ऐसा करने वाले राज्य को मान्यता प्रदान न करे। (१२) प्रत्येक राज्य को यह अधिकार है कि वह संगठन हमले से वैयक्तिक अथवा सामूहिक रूप से आत्मरक्षा करे। (१३) प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह

संधियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्य स्रोतों से उत्पन्न होने वाले दायित्वों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करे। (१४) प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि अन्य राज्यों के साथ उसका आचरण अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार हो तथा इस सिद्धान्त के अनुकूल हो कि प्रत्येक राज्य की प्रभुसत्ता अन्तर्राष्ट्रीय कानून को सर्वोच्च सत्ता का अनुसरण करने वाली हो। राज्य के उपर्युक्त अधिकारों में स्वतन्त्रता और समानता के अधिकार विशेष महत्व रखते हैं।

राज्यों का स्वतन्त्रता का अधिकार, इसका स्वरूप तथा इसकी मर्यादा (The Right of Independence)—प्रत्येक राज्य को स्वतन्त्रता (Independence) का पूरा अधिकार है, अपने क्षेत्र में उसे पूरी प्रभुसत्ता (Sovereignty) प्राप्त है। हालाँकि इनका स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह दो प्रकार की होती है (१) बाह्य प्रभुसत्ता (External sovereignty) इसका अभिप्राय दूसरे देशों के बाहरी नियन्त्रण के आधीन न होना है (२) आन्तरिक प्रभुसत्ता (Internal sovereignty) इसका अर्थ अपने क्षेत्र में सब कार्यों पर पूरा अधिकार रखना है। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य को अपने देश का सविधान बनाने की तथा किन्हीं आवश्यक कानूनों का निर्माण करने की पूरी स्वतन्त्रता है, वह अपने देश का शासन प्रबन्ध करने में सर्वथा स्वाधीन है, उसे अपने देश की विदेश नीति निर्धारित करने की पूरी आजादी है। वह चाहे तो भारत की भाँति विभिन्न शक्तिशाली गुटों से पृथक् रहने (Non alignment) की नीति अपना सकता है या पाकिस्तान की भाँति दूसरे देशों के साथ सैनिक संधियों की नीति वाञ्छनीय समझते हुए उसे ग्रहण कर सकता है। उसे दूसरे देशों के साथ युद्ध छेड़ने और सधि करने में पूरे अधिकार हैं। वह अपने देश के नागरिकों तथा अपने क्षेत्र में स्थित विदेशियों के साथ मनचाहा व्यवहार कर सकता है, उसे अपने नागरिकों तथा विदेशियों की सम्पत्ति पर पूरा अधिकार है। उसे अपने नागरिकों पर अपने क्षेत्र में तथा विदेशों में भी पूरा अधिकार है, वह अपने नागरिकों का दूसरे देशों से बुला सकता है और उन पर मुकदमा चला सकता है।

राज्य द्वारा अपने प्रदेश में असीम अधिकार और शक्ति रखने के कारण ऑस्टिन (Austin) ने प्रभुसत्ता को अपरिमेय (Illimitable) कहा है। उसका यह मत है कि राज्य की स्वतन्त्रता और प्रभुसत्ता को किसी प्रकार भी मर्यादित, सीमित और परिच्छिन्न नहीं किया जा सकता।

किन्तु ऑस्टिन का यह मत सर्वथा सत्य नहीं है। राज्य की स्वतन्त्रता और प्रभुसत्ता पूर्ण रूप से अमर्यादित और असीम हो, ऐसी बात नहीं है। इस पर अनेक पाबन्धियाँ और मर्यादाएँ होती हैं। पहली मर्यादा एक राज्य द्वारा दूसरे देशों के साथ की गई द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय संधियों (Multilateral treaties) होती हैं, इनसे राज्य अपने पर कई पाबन्धियाँ लागू करने हैं। दूसरी मर्यादा अन्तर्राष्ट्रीय कानून और नियमों की है। कोई भी सम्यक् राज्य सामान्य रूप से इन नियमों का उल्लंघन नहीं करता। प्रत्येक राज्य अपने नागरिकों या विदेशियों से मनमाना व्यवहार करने की स्वतन्त्रता होते हुए भी इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि उसका व्यवहार दूसरे देशों

में क्षीम यह असम्वन्धीय उत्पन्न करने वाला न हो। इसीलिए अपने राज्य में आने वाले विदेशी राजाओं, शासनाध्यक्षों तथा राजनीतिक प्रतिनिधियों को विशेष अधिकार तथा राज्य के कानूनी बन्धनों से अनेक प्रकार की उन्मुक्तियाँ (Immunities) प्रदान की जाती हैं। प्रत्येक राज्य से यह आशा की जाती है कि वह अपने प्रादेशिक समुद्र (Territorial sea) की सीमा में विदेशी के व्यापारी जहाजों को सुरक्षित रूप से गुजरने का अधिकार देगा। प्रत्येक देश यद्यपि दूसरे राज्य के प्रदेश की सीमा का अतिक्रमण करने की स्वतन्त्रता रखता है, किन्तु वह सर्वैव ऐसा न करने का पुरा प्रयत्न करता है। समुक्त राष्ट्र सभ के अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों ने अन्य राज्यों के साथ शान्तिपूर्ण नीति के व्यवहार की प्रतिज्ञा करते हुए दूसरे देशों के साथ युद्ध भेड़ने के अपने अधिकार पर बहुत बड़ी पाबन्दी लगा ली है।

आपेनहाइम ने यह सत्य ही लिखा है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून को और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को बनाए रखने की आवश्यकता के कारण वर्तमान काल के स्वतन्त्र राष्ट्रीय राज्यों को कुछ मर्यादों में अपनी प्रभुसत्ता का परिहाण करना पड़ा है। स्टार्क ने इस स्थिति का विश्लेषण करते हुए यह लिखा है—“वर्तमान समय में वायव ही कोई ऐसा राष्ट्र हो, जिसने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के हितों की दृष्टि से अपनी स्वतन्त्रता पर कुछ पाबन्धियाँ लगाना स्वीकार न किया हो। अधिकांश राज्य समुक्त रा० स० तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सदस्य हैं, इससे इन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय नीति के इन मामलों में अपने स्वतन्त्र विवेक पर अनेक प्रकार के बन्धन लगाना स्वीकार कर लिया है। अतः सम्भवतः आजकल यह कहना अधिक सत्य है कि राज्य की प्रभुसत्ता (Sovereignty) का अभिप्राय शक्ति के उस अवशिष्ट अंश (Residium of Power) से है, जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा निर्धारित बन्धनों का पालन करने के बाद उसके पास शेष बचा रहता है”^५। वस्तुतः वर्तमान युग में राज्यों की प्रभुसत्ता विश्व की महाशक्तियों के दो जटिलवादी गुटों में बंट जाने के कारण बहुत क्षीण हो गई है। रूस तथा अमरीका के साथ बारसा, सीटो, नाटो तथा सैंटो सन्धि संगठनों में सम्मिलित होने वाले देश इनके साथ सैनिक और आर्थिक समझौते करके अपनी प्रभुसत्ता और स्वतन्त्रता को काफी अंश में तिलाजलि दे चुके हैं।

स्वतन्त्रता सम्बन्धी अधिकार और कर्तव्य (Rights and Duties of States due to Independence)—स्टार्क के मतानुसार राज्यों की स्वतन्त्रता के कारण उन्हें निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं—

(क) अपने घरेलू मामलों को नियन्त्रित करने का अग्न्य (Exclusive) अधिकार।

(ख) विदेशियों को अपने देश में प्रवेश की अनुमति देने का तथा इन्हें निवासने का अनिवार।

५. आपेनहाइम—इण्टरनेशनल ला, ख० १, अष्टम संस्करण ५०, १०३

६. स्टार्क—एन इण्ट्रोडक्शन टू इण्टरनेशनल ला, चतुर्थ सं०, १० पृ०

(ग) अन्य देशों में इसके दूतों के विशेषाधिकार ।

(घ) इसके प्रदेश में हुए अपराधों पर इसका एकमात्र क्षेत्राधिकार ।

इन अधिकारों के साथ राज्य के निम्नलिखित तीन कर्तव्य भी हैं—

(अ) दूसरे राज्यों के प्रदेश पर प्रभुसत्ता के कार्य न करने वा कर्तव्य ।

(आ) दूसरे राज्य की स्वतन्त्रता तथा सर्वोच्च सत्ता को भंग करने वाले कार्यों को स्वयं न करने वा कर्तव्य तथा प्रपने नागरिकों को ऐसे कार्य करने से रोकने का कर्तव्य ।

(इ) दूसरे राज्य के कार्यों में बाधा न डालने वा कर्तव्य ।*

(ए) पहला कर्तव्य—दूसरे राज्य के प्रदेश में प्रभुसत्ता के कार्य न करना—

यदि कोई राज्य दूसरे राज्य में अपने कार्यकर्ता इस उद्देश्य से भेजता है कि वे उस राज्य के कानून के विरुद्ध कार्यों को करने वाले व्यक्तियों को पकड़ कर ले आयें तो वह अपने ऊपर बताये गये कर्तव्य का तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है । १९२५ में एक जर्मन शरणाधीन पत्रकार बर्थोल्ड जेकब (Berthold Jacob) श्विट्जरलैण्ड में निवास कर रहा था, उसे जर्मनी की नात्सी पार्टी के व्यक्ति यहाँ से अपहरण करके जर्मनी ले गये, वहाँ उसको जेल में डाल दिया गया । स्विस सरकार ने इस आधार पर जर्मनी से जेकब को वापिस करने की माग की कि यह श्विट्जरलैण्ड की स्वतन्त्रता का घोर अतिक्रमण (Viola ion) था । स्विस सरकार के कड़े रख के कारण जर्मन सरकार को जेकब श्विट्जरलैण्ड को लौटाना पड़ा । जून १९६० में नात्सी जर्मनी में ६० लाख यहूदियों के वध के लिये उत्तरदायी समझे जाने वाले भूतपूर्व गेस्टापो अधिकारी कर्नल आइकमान (Eichmann) को कुछ इजरायली अर्जेंटायना से भगाकर इजराइल ले आये, वहाँ की सरकार ने इजरायलियों के इस कार्य को अपनी प्रभुसत्ता का हनन और घोर अतिक्रमण समझा । उसने इजराइल से इसे लौटाने को कहा और इजराइल द्वारा आइकमान न लौटाये जाने पर उसने पर यह प्रश्न सुरक्षा परिषद् में उठाया । सुरक्षा परिषद् ने २४ जून १९६० को इस विषय में अर्जेंटायना का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि इजराइल नात्सी नेता आइकमान के अपहरण के लिए उने पर्याप्त क्षतिपूर्ति (Adequate reparations) प्रदान करे, जो स० रा० सभ के तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के मानदण्डों के अनुरूप हो । इसके साथ ही इस प्रस्ताव पर यह अमरीकन सलाह भी स्वीकार कर लिया गया कि एक सदस्य राज्य की प्रभुसत्ता को हानि पहुँचाने वाले ऐसे कार्यों की पुनरावृत्ति अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सन्तरे में डाल सकती है । प्रत्येक राज्य द्वारा दूसरे राज्य की प्रादेशिक प्रभुसत्ता के आदर करने वा सिद्धान्त कॉर्फू चैनल केस (Corfu Channel Case: 1949) में स्वीकार किया गया था । (देखिए प्रथम परिशिष्ट) । इस मामले में न्यायालय की सम्मति थी कि इस जलप्रणाली में ब्रिटिश विध्वंसकों को हानि पहुँचाने व तीन सप्ताह बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा अल्बानिया के प्रादेशिक

समुद्र में नवम्बर १९४६ में सुरगे साफ करने का कार्य अल्बानिया की प्रभुसत्ता का प्रतिक्रमण था ।

राज्य का ऊपर बताया हुआ (आ) वर्तव्य यह भी है कि वह अपनी सीमाओं में पड़ोसी राज्यों के विरुद्ध राजनीतिक आतङ्कवादी (Terrorist) कार्य करने वाले व्यक्तियों को ऐसे कार्यों से रोके । १९३४ में मासेन्ज के बन्दरगाह में यूगोस्लाव राजा एलेक्जेंडर की मेसीडोनियन आतङ्कवादियों द्वारा हत्या पर यह प्रश्न उभर रूप में उठा । यूगोस्लाविया ने राष्ट्रसंघ में हंगरी की सरकार पर यह आरोप लगाया कि उसके राज्य में हत्या की तय्यारिया की गयी, किन्तु उसने इनकी जानबूझ कर उपेक्षा की । राष्ट्रसंघ ने इस प्रश्न का निर्णय करते हुए कहा कि इस विषय में प्रत्येक राज्य के दो कर्तव्य हैं—(१) इसे अपने प्रदेश में राजनीतिक उद्देश्य से किसी आतङ्कवादी कार्य को न तो प्रोत्साहित करना चाहिए और न बर्दाश्त करना चाहिए । (२) राजनीतिक ढंग के स्वहण वाले आतङ्कवादी कार्यों के दमन का पूरा प्रयत्न करना चाहिए और विदेशी सरकार की प्रार्थना पर उसे इस विषय में पूरी सहायता देनी चाहिए । चीन की साम्यवादी सरकार ने अपने १० जुलाई १९५८ के नोट में भारत सरकार से यह कहा था कि भारत में कलिम्पोंग चीनविरोधी प्रचार, पडयन्त्र और बिघटनकारी कार्यवाहियों का अड्डा बना हुआ है, इससे चीन की "प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखण्डता को बड़ा खतरा है" । भारत सरकार को ऐसी विध्वंसकारक कार्यवाहियों का दमन करना चाहिए । भारत सरकार ने अपने २ अगस्त १९५८ के पत्र में चीन द्वारा दिए गए प्रमाणों का खण्डन करते हुए यह आश्वासन दिया था कि "भारत सरकार अपने प्रदेश में चीन की गणराज्य सरकार के विरुद्ध कोई कार्य नहीं होने देगी" । चीनी प्रधान मंत्री चो एन-लाई ने नेपाल सरकार को जुलाई १९६० के आरम्भ में लिखे अपने पत्र में यह कहा था कि वह अपने देश में तिब्बत के विद्रोहियों को अपनी चीन विरोधी कार्यवाहियों का अड्डा न बनने दे, विद्रोहियों को दिया गया कोई प्रोत्साहन चीन द्वारा अनुत्पास्य कार्य समझा जायगा ।

दूसरे राज्य के मामलों में हस्तक्षेप न करना प्रत्येक राज्य का तीसरा (३) महत्वपूर्ण कर्तव्य है । अन्तर्राष्ट्रीय कानून में हस्तक्षेप (Intervention) की एक विशेष परिभाषा है । इसका लक्षण करते हुए आगेनहाइम ने लिखा है—“यह एक राज्य द्वारा वास्तविक स्थिति को बनाये रखने या बदलने के उद्देश्य से दूसरे राज्य के कार्यों में तानाशाही ढंग से बाधा डालना (Dictatorial interference) है ।”

८ अंग्रेजी के Intervention तथा Interference के लिए हिन्दी में पाय वरतक्षेप शब्द का प्रयोग होता है । वस्तुतः दोनों शब्दों में सूक्ष्म अन्तर है । Interference देहा हस्तक्षेप है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसी कार्य को रोकना या अट्ठा डालना है, किन्तु Intervention ऐसा वरतक्षेप है, जिसका उद्देश्य मतभेद दूर करना या परिस्थिति में सुशोधन और सुधार करना है । यहाँ पहले के लिये दखल या क्लिन्न डालना और दूसरे के लिये वरतक्षेप या अन्तःप्रयत्न शब्द का प्रयोग किया गया है ।

जैकसन के शब्दों में 'हस्तक्षेप एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य की स्वतन्त्रता का तानाशाही ढंग से अतिक्रमण करना (dictatorial or imperative violation) है। उपर्युक्त दोनों लक्षणों से स्पष्ट है कि हस्तक्षेप दूसरे राज्य द्वारा पहले राज्य की इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक उसके कार्यों में बाधा डालना तथा उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध चलने के लिए विवश करना है। इसमें सदैव हस्तक्षेप करने वाले राज्य की यह धमकी छिपी रहती है कि उसकी इच्छा पूरी न होने पर इसका दूसरे राज्य की राजनैतिक स्वतन्त्रता पर पभाव पड़ सकता है। हाइड ने इस विशेषता पर बहुत बल दिया है और स्टार्क ने लिखा है कि इससे कम उग्रता वाला कार्य हस्तक्षेप नहीं कहला सकता और अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से वह निषिद्ध नहीं है। ऐसे तानाशाही हस्तक्षेप का सुन्दर ऐतिहासिक उदाहरण १८६५ में रूस, फ्रांस और जर्मनी द्वारा संयुक्त रूप से चीन को दी गयी वह धमकी थी कि वह जापान को सिमोनोसेवी की सन्धि द्वारा दिए गए लिग्नायोटुंग के प्रायद्वीप को उससे वापिस ले ले। जापान को अपनी इच्छा के विरुद्ध बाधित होकर यह प्रदेश चीन को वापिस करना पड़ा था। हस्तक्षेप के विभिन्न प्रकारों का भागे निस्तृत वर्णन किया जायगा।

राज्यों की समानता का अधिकार (Right to Equality)—यद्यपि क्षेत्रफल, जनसंख्या, शक्ति, समृद्धि तथा सभ्यता की दशा को देखते हुए विश्व के राज्यों में बहुत अधिक विभिन्नता और वैषम्य पाया जाता है, किन्तु फिर भी इन सब में इस दृष्टि से साम्य है कि ये अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि में समान समझे जाते हैं। राज्यों की समानता का यह अन्निर्णय है कि सब राज्यों के अधिकार और कर्तव्य तुल्य हैं। फेनविक (Fenwick) ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है—'प्रत्येक राज्य को अपनी राष्ट्र की सुरक्षा करने का वैसा ही अधिकार है तथा दूसरे की सुरक्षा (security) को बनाये रखने का वैसा ही कर्तव्य है, जैसा अन्य राज्यों को अपनी सुरक्षा करने और दूसरे की सुरक्षा बनाये रखने का है। प्रत्येक राज्य को स्वतन्त्रता का समान अधिकार है, इसके अनुसार वह बिना किसी हस्तक्षेप के अपनी धरतु तथा वैदेशिक नीति का इच्छानुसार निर्धारण कर सकता है। अपनी सीमाओं में उसे पूरा क्षेत्राधिकार प्राप्त है किन्तु इसके साथ ही उसका यह कर्तव्य है कि वह दूसरे देश के आन्तरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप न करे। प्रत्येक राज्य को अपने प्रदेश के त्रय विक्रय करने का, महामुद्रों को स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग करने का, राजदूतों के आदान प्रदान का और मधिया तथा समझौते करने का समान अधिकार है।' स० रा० सघ के अधिकार पत्र में यह कहा गया है कि इसके सगठन का आधार सत्र सदस्य राज्यों की सर्वोच्च समानता (sovereign equality) का सिद्धांत है।

घापेनहाइम के मतानुसार राज्यों की कानूनी समानता का सिद्धान्त मानने के चार परिणाम हैं—(१) अन्तर्राष्ट्रीय सगठनों और विवादों में सब राज्यों के समान होने के कारण एक राज्य को एक ही वोट देने का अधिकार होता है। स० रा० सघ में स० रा० अमरीका और रूस जैसे महाशक्तिशाली और निम्नलिखित राज्यों को पाना या दूनिसिया के राज्य की भांति एक ही वोट प्राप्त है। (२) कानूनी तौर से छोटे और

निर्बल राज्यों का तथा बड़े और प्रबल राज्यों का बौट समान महत्व रखता है। (३) कोई राज्य किसी दूसरे राज्य पर अधिकार-क्षेत्र का दावा नहीं कर सकता। अतः किसी राज्य के राजा पर दूसरा राज्य अपने न्यायालय में अभियोग नहीं चला सकता। किसी पूर्ण प्रभुता सम्पन्न राज्य के रणपोतों पर तथा अन्य पोतों पर किसी दूसरे राज्य में मामला नहीं चल सकता। (देखिये प्रथम परिशिष्ट में मिगेल बनाम जोहोर के मुल्तान का मामला)। (४) एक राज्य के न्यायालय मामान्य रूप में दूसरे राज्य के सरकारी कार्यों की वैधता के बारे में कोई सदेह नहीं प्रकट करते।

यद्यपि कानूनी तौर से राज्यों के अधिकारों की समानता का सिद्धान्त स्वीकार किया जाता है, किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। बड़े राज्यों को छोटे राज्यों की अपेक्षा अनेक विशेष अधिकार प्राप्त हैं। स० रा० सभ की सुरक्षा परिषद् में पाच बड़े राज्यों—स० रा० अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चांगकाई शेक के राष्ट्रवादी चीन की स्थायी रूप से पाच सीटें मिली हुई हैं, जबकि अन्य राज्यों को इनमें चुनाव द्वारा स्थान प्राप्त होता है। इसमें सब राज्यों को जनरल असम्बन्धी जैसा समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। इसके साथ ही इन पाच महाशक्तियों को वीटो (Veto) या निवेधाधिकार मिला हुआ है, अन्य राज्यों को ऐसा अधिकार नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन और स० रा० अमरीका जैसे महादेशों के राजनीतिक प्रतिनिधियों को राजदूत (Ambassador) कहा जाता है, जबकि स्विट्जरलैंड जैसे छोटे राज्यों के प्रतिनिधि केवल मन्त्री (Minister) कहलाते हैं। अतएव सेमिल हर्स्ट (Cecil Hurst) ने यह ठीक ही लिखा है कि 'सब राज्यों की समानता का विचार सर्वथा असत्य है। उनके आकार-प्रकार, जनगणना, प्रदेश, भौतिक साधनों और समृद्धि में महान् वैषम्य होने के कारण वे बराबर नहीं हैं। वे केवल एक दृष्टि से बराबर हैं कि उन सबको अपने घरेलू मामलों में इच्छानुसार व्यवस्था करने का पूरा अधिकार है।' ब्रियर्ली (Brierly) ने इस सिद्धान्त की निरर्थकता प्रतिपादन करते हुए लिखा है—“यह कहना सत्य नहीं है कि सब राज्यों के अधिकार समान होते हैं। राजनीतिक रूप से महाशक्तियों की चिरकाल से राज्यों में प्रधानता मिली हुई है, राष्ट्र सभ तथा स० रा० सभ के विधानों में इन कानूनी प्रधानता में परिणत किया गया है। कुछ राज्य महाशक्तियों के संरक्षित (Protectorate) राज्य हैं, कुछ राज्यों का अधिकार क्षेत्र समर्पण (Capitulations) की पद्धति के कारण सीमित हो गया है। कुछ राज्यों को अपनी प्रजा के अल्पसङ्ख्यक वर्गों के प्रति ऐसी अनेक कानूनी बाध्यताओं का पालन करना पड़ता है, जिनमें अन्य राज्य मुक्त हैं।”^{१०} केनविक के मतानुसार १९१४ में ही यथार्थवादियों (Realists) ने कानूनी सिद्धान्तों और कठोर तथ्यों में इतना विरोध पाया कि वे समानता के सिद्धान्त को कानूनी विरोधाभास (Paradox) समझने लगे।

राज्यों का वर्गीकरण (Classification of States) : (क) स्वतन्त्र राज्य (Independent States)—अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार की दृष्टि से राज्यों को कई वर्गों

में बांटा जाता है। पहला वर्ग स्वतन्त्र (Independent) राज्यों का है। ये सम्पूर्ण प्रभुतासम्पन्न (sovereign) होने से अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उपयुक्त विषय हैं। वेस्टलेक (Westlake) के मतानुसार राज्यों की स्वतन्त्रता का अर्थ नियन्त्रण से मुक्ति या स्वाधीनता है। स० रा० अमरीका या फ्रांस स्वतन्त्र है, क्योंकि अपने आन्तरिक शासन में या वैदेशिक सम्बन्धों में वह सब प्रकार के नियन्त्रण से सर्वथा मुक्त है। स्वतन्त्र राज्य न केवल अपने देश के आन्तरिक शासन प्रबन्ध में इच्छानुसार व्यवस्था करने में स्वतन्त्र होता है, किन्तु उसे दूसरे देशों के साथ सधि, विग्रह करने तथा वैदेशिक सम्बन्ध बनाने रखने की पूरी स्वाधीनता होती है, इसमें यह किसी विदेशी शक्ति या बाह्य सत्ता से नियन्त्रित नहीं होता।

(ख) परतन्त्र या पराधीन राज्य (Dependent States)—ग्रापेनहाइम ने सम्पूर्ण प्रभुता सम्पन्न राज्यों को ही अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय माना है। किन्तु लार्ड बर्कनहेड (Birkenhead), वेस्टलेक प्रभृति अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ताओं का मत इनके प्रतिकूल है। वेस्टलेक के मतानुसार किसी राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय बनने के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह स्वतन्त्र हो। यदि किसी राज्य की आन्तरिक और वैदेशिक मामलों में कार्य करने की स्वतन्त्रता अन्य किसी राज्य द्वारा मर्यादित या सीमित कर दी जाती है तो यह परतन्त्र या पराधीन राज्य होता है। इसे नियन्त्रित करने वाले राज्य के साथ इसका वक्ष्यता (subordination) का सम्बन्ध होता है, जैसे ब्रिटिश युग में १४ अगस्त १६४७ तक भारत ग्रेट ब्रिटेन का वक्ष्यती था।

(ग) संयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति (Composite International Person)—प्रायः राज्य एक सरल अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति माना जाता है, इसमें एक ही राजनैतिक सत्ता और सरकार होती है। किन्तु कई बार दो या अधिक प्रभुतासम्पन्न राज्य इस प्रकार संयुक्त होने हैं कि वे एक ही राज्य प्रतीत होते हैं। कई राज्यों से मिलकर बनने के कारण ऐसा राज्य सरल नहीं, किन्तु संयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति होता है। ऐसा राज्य मुख्य रूप से नार प्रवार का होता है—

(अ) वास्तविक सगम (Real Union)—जब दो सम्पूर्ण प्रभुतासम्पन्न (sovereign) राज्य एक सधि द्वारा एक सामान्य राजा के अधीन संयुक्त होते हैं और अन्य देशों के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति का रूप धारण कर लेते हैं तो यह संयुक्त राज्य वास्तविक सगम कहलाता है। ये राज्य घरेलू विषयों में अपनी विभिन्नता और स्वाधीनता बनाये रखते हैं, किन्तु वैदेशिक सम्बन्धों की दृष्टि से एक राज्य के समान कार्य करते हैं। इन्हें एक बनाने वाली सन्धि में यह व्यवस्था की जाती है कि वे एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध नहीं छेड़ सकते और न ही पृथक् रूप से किसी विदेशी शक्ति से सहाई कर सकते हैं, परतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से वे एक होते हैं। किन्तु उन्हें पृथक् रूप से दूसरे देशों के साथ सधि करने का अधिकार रहता है। वर्तमान समय में इस प्रकार का कोई सगम नहीं है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण घास्ट्रिया और हंगरी का १८६७ के समझौते द्वारा एकीकरण था। इनके अनुसार घास्ट्रिया ने हंगरी को अपना पृथक् राज्य और सरकार बनाने की अनुमति दी, किन्तु हंगरी का राजा तथा घास्ट्रिया का सम्राट एक ही व्यक्ति प्राप्ति

जोसेफ माना गया। यह दोनों का समुक्त शासक था। दोनों देशों के वैदेशिक मामलों का युद्ध तथा आर्थिक नीति का सञ्चालन दोनों के समुक्त मन्त्री करते थे और वे समुक्त सत्सद् (Joint Parliament) के प्रति उत्तरदायी होते थे। यह सद्यः प्रथम विररयुद्ध की समाप्ति तक चलता रहा। इसका दूसरा उदाहरण नार्वे और स्वीडन के राज्यों का १८१४ से १९०५ तक एक राजा के नीचे एकीकरण था। डेन्मार्क और आइसलैंड का इस प्रकार का एकीकरण १९४४ में समाप्त हुआ।

(घ) व्यक्तिगत सगम (Personal Union)—जब दो सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न राज्य तथा पृथक् अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व रखने वाले राज्य केवल इस आन्तरिक घटना के कारण समुक्त हो जाते हैं कि एक ही व्यक्ति दोनों का राजा है तो यह व्यक्तिगत सगम होता है। ऐसे राज्य वैदेशिक मामलों की दृष्टि से अपना पृथक् अस्तित्व बनाये रखते हैं। यह इनका वाम्बन्धक सगम से बड़ा महत्त्वपूर्ण भेद है। ग्रेटब्रिटेन और हनोवर में इस प्रकार का व्यक्तिगत सगम १८१४ से १८३७ तक रहा, नीदरलैंड्स और लक्जमबर्ग में १८१५ से १८६० तक और बेल्जियम तथा बागो प्री स्टेट में १८८५ से १९०६ तक।

(ङ) प्रसधान (Confederation)—कुछ पूर्ण प्रभुत्व रखने वाले राज्य किसी सन्धि द्वारा किसी विशेष प्रयोजन के लिए आपस में इस प्रकार समुक्त होते हैं कि उनकी प्रभुत्वता पूरे तौर से बनी रहती है, वे केवल कुछ कार्यों के लिए ही अपना विशिष्ट केन्द्रीय सगठन बनाने हैं, किन्तु इसके अधिकार विशेष प्रयोजनों तक ही सीमित होते हैं। राज्यों या ऐसा समुदाय प्रसधान बहलाता है, इसमें केन्द्रीय समुक्त सरकार की शासन-सत्ता राज्यों पर निर्भर होती है, उन राज्यों में रहने वाले नागरिकों पर इन्हें कोई अधिकार नहीं होता। कुछ उदाहरणों से यह बात भलीभाँति स्पष्ट हो जायगी। उत्तरी अमरीका के १३ राज्यों ने १७७६ में इंग्लैण्ड की प्रभुता के विरुद्ध विद्रोह किया तथा इससे सफलतापूर्वक सघर्ष करने और रवतन्त्र होने के लिए एक प्रसधान (Confederation) बनाया। इंग्लैण्ड के विरुद्ध युद्ध में सफलता पाने के बाद इसे भंग किया जा सकता था, किन्तु बाद में इसमें सघराज्य (Federation) का रूप धारण कर लिया। १८१५ में वियना कांग्रेस ने ३८ पूर्णप्रभुतासम्पन्न जर्मन राज्यों का जर्मन प्रसधान (German Federation) बनाया। इसका मुख्य सग डायट (Diet) नामक एक सभा थी, इसमें सब राज्य अपने प्रतिनिधि या दूत भेजते थे। डायट का अधिकार अन्तर्राष्ट्रीय विषयों तक सीमित था, और यह केवल इतना ही था कि डायट की आशाओं को न मानने वाले सदस्य राज्य के विरुद्ध अन्य राज्य युद्ध छेड़ सकते थे, अन्य सन्धियों में सदस्य-राज्यों का परस्पर युद्ध करना सर्वथा वजित था। डायट (Diet) को अपने सदस्यों के आन्तरिक शासन प्रवन्ध में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार न था। इसमें सदस्य राज्यों को कुछ वैदेशिक विषयों में निदेशी राज्यों से सौधा सम्बन्ध करन का भी अधिकार था। प्रसधान राज्यों के मुख्य उदाहरण हालैण्ड (१५८०-१७९५), जर्मनी (१८१५-२६), स्विट्जरलैण्ड (१२९१-१७९८, १८१५-१८६८) राइन (१८०६-१८१३) हैं। इसमें केन्द्रीय सरकार बड़ी निर्बल होती है, बहुत कम अधिकार रखती

है, उनके प्रयोजन अत्यन्त सीमित होते हैं, इनकी पूर्ति के बाद प्रसन्धानित राज्य (Confederated State) प्रायः पृथक् होने की प्रवृत्ति रखते हैं। अतएव यह व्यवस्था भव्य लुप्त हो गई है, इस समय विश्व में एक भी प्रसन्धान नहीं है।

(ई) संघ (Federation)—संघ अथवा सघीय राज्य (Federation state) कई पूर्ण प्रभुतासम्पन्न राज्यों के स्थायी सम्मिलन से बनता है, इसे न केवल सदस्य-राज्यों पर अपितु राज्यों के नागरिकों पर भी पूरा अधिकार होता है। इसका निर्माण प्रायः राज्यों की अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि द्वारा तथा इनकी विधान निर्मात्री परिषद् (Constituent Assembly) द्वारा बनाये गए सविधान द्वारा होता है। उदाहरणार्थ, १७८७ ई० में ब्रिटिश प्रभुता से स्वतन्त्र हुए अमरीका के राज्यों ने अपना सविधान बना कर संयुक्त राज्य अमरीका का संघ राज्य बनाया। अन्य संघ राज्यों के उदाहरण स्विट्जरलैंड (१८४८ में), मैक्सिको (१८५७ से), अर्जेंटाइना (१८६० से), कनाडा (१८६७ से), जर्मनी (१८७१-१८१८), ब्राजील (१८८१ से) तथा मोन्ट्रियल संघ (१८१८ से) हैं। संघ अपने सदस्य-राज्यों के साथ एक नवीन राज्य का रूप धारण करता है, इसे सदस्य राज्यों पर तथा उनके नागरिकों पर पूरा अधिकार होता है। इसमें प्रभुता संघ एव सदस्य राज्यों में बँटी होती है, सदस्य-राज्य अपने आन्तरिक विषयों में पूर्ण रूप से स्वाधीन होते हुए भी सघीय राज्य के नियन्त्रण में रहते हैं।

प्रसन्धान (Confederation) और संघ (Federation)—दोनों के पूर्ण प्रभुता-सम्पन्न राज्यों का सम्मिलन होते हुए भी अनेक महत्वपूर्ण भेद हैं। पहला भेद तो यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से प्रसन्धान कोई राज्य नहीं है, क्योंकि इसमें प्रभुसत्ता सदस्य राज्यों में निहित होती है और वे अपनी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बनाये रखते हैं। सघीय राज्य में प्रभुसत्ता केन्द्र तथा राज्यों में बँटी होती है, किन्तु वैदेशिक नीति का निर्धारण और संचालन सघीय सरकार द्वारा होता है, जब अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से इसका ही विशेष महत्व होता है, न कि इसके सदस्य राज्यों का। प्रायः संघ के सदस्य-राज्य कोई अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार नहीं रखते। इसका एक महत्वपूर्ण अर्थ यह है कि पहले का सघीय जर्मन राज्य था, क्योंकि इसके सदस्य राज्यों को सन्धियाँ करने तथा राजदूत आदान प्रदान करने का अधिकार था। इन दोनों का दूसरा भेद यह है कि प्रसन्धान में केन्द्रीय सरकार का अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) राज्यों तक सीमित होता है, किन्तु सघीय सरकार राज्यों तथा इनके नागरिकों पर अपना अधिकार रखती है। तीसरा भेद यह है कि प्रसन्धान राज्यों का एक स्थित सम्मिलन होता है, किन्तु संघ इनका सुदृढ़ संगठन होता है। चौथा भेद यह है कि प्रसन्धान विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अल्पकालिक और अस्थायी संगठन होता है, किन्तु संघ स्थायी सम्मिलन होता है, इसमें सम्मिलित होने के बाद इससे पृथक् होना असम्भव है। पाँचवाँ भेद यह है कि प्रसन्धान में प्रभुसत्ता केवल राज्यों में निहित होती है, संघ में यह सत्ता केन्द्रीय, सघीय सरकार और राज्यों में बँटी होती है। छठा भेद यह है कि प्रसन्धान में केन्द्रीय सरकार सदस्य राज्यों या नागरिकों के साथ सम्पर्क में नहीं आती, ये केवल अपने राज्य के ही नागरिक रहते हैं। किन्तु संघ में सघीय सरकार को विभिन्न राज्यों में रहने वाली

जनता के साथ सीधा सम्पर्क करने का अधिकार होता है। सातवाँ भेद यह है कि प्रसधान में इनके सदस्य-राज्यों की स्वतन्त्रता और प्रभुसत्ता अपने क्षेत्र में बनी रहती है, किन्तु सध में सदस्य-राज्यों की प्रभुसत्ता का अन्त होकर एक नए राज्य का निर्माण होता है। आठवाँ भेद यह है कि प्रसधान में एक नागरिक केवल अपने राज्य की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, किन्तु सध में वह इसकी तथा राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है।

(घ) वशवर्ती राज्य (Vassal States)—स्टार्क के शब्दों में "जब कोई राज्य किसी अधीश्वर या अधिपति (suzerain) के पूर्ण नियन्त्रण में हो तो उसकी वशवर्तीता में रहने के कारण यह वशवर्ती राज्य कहलाता है। इनकी स्वतन्त्रता मर्यादित होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि में इसकी सत्ता बिल्कुल नगण्य है। फिर भी कुछ वशवर्ती राज्य विनिष्ट परिस्थितियों के कारण अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध बनाये रखते हैं। मिथ ने टर्की का वशवर्ती राज्य होने हुए भी उसकी सहमति लिये बिना विदेशी राज्यों के साथ व्यापारिक और डाकव्ययक संधियों की थी।" मिथ की यह स्थिति १६१४ तक बनी रही। वल्गारिया की टर्की के साथ गद्दी मिथि १८७८ में १६०८ ई० तक रही। १८७८ तक सर्बिया और रूमानिया भी टर्की के वशवर्ती राज्य थे। सामान्य रूप से वशवर्ती राज्य का विदेशी राज्यों से कोई सम्बन्ध नहीं होता क्योंकि इसका अधिपति इसकी स्वाधीनता की पूरी तरह से हृदय लेता है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से वहाँ इसका प्रतिनिधित्व करता है। आन्तरिक मामलों में स्वाधीन होने के कारण इसमें प्रभुसत्ता आंशिक (Partial sovereignty) होती है, किन्तु वैदेशिक मामलों में पराधीन होने के कारण इसे 'राज्यों के परिचार' का सदस्य नहीं माना जाता। ब्रिटिश काल में हैदराबाद, काश्मीर आदि को भारतीय रियासतें ग्रेट ब्रिटेन के अधीन होने के कारण स्वतन्त्र वैदेशिक और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध नहीं रख सकती थी। भारत के मुग़ल कोर्ट ने इस विषय का विवेकन फ़ैमिनर ऑफ़ इन्कमटैक्स आन्ध्र प्रदेश बतान एच ई. एच. मोर उस्मान अली बहादुर के मामले में किया (देखिये प्रथम परिशिष्ट)

(ङ) सरक्षित राज्य (Protectorate)—जब कोई निर्बल राज्य किसी शक्तिशाली राज्य के साथ सधि करके अपने आपको उसके सरक्षण में ले आता है तो वह सरक्षित राज्य कहलाता है। इसके परिणामस्वरूप इस राज्य की नीति का निर्धारण तथा महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय एवं वैदेशिक सम्बन्धों का सन्तानन इसका सरक्षण करने वाले राज्य के हाथ में आ जाता है। सरक्षित राज्य में तथा वैयक्तिक कानून की अभिभावकता (Guardianship) की तन्त्रा में काफी सादृश्य है।

सरक्षित राज्य अनेक प्रकार के होते हैं। इनका स्वरूप निर्बल और प्रबल राष्ट्र के बीच की गई सन्धि की शर्तों पर निर्भर होता है। किन्तु सरक्षित राज्य होने के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि इन दो राज्यों के अतिरिक्त कोई तीसरा राज्य या महाशक्ति उसे मान्यता प्रदान करे। ऐसा होने पर ही सरक्षक राज्य सरक्षित राज्य का अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से प्रतिनिधित्व कर सकता है। किसी अधिपति के आधिपत्य में रहने वाले वशवर्ती राज्य की अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में कोई पृथक् स्थिति नहीं होती, किन्तु सरक्षित राज्य निर्बल और पराधीन होने पर भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय बनता

है और अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व (International personality) और स्थिति रखता है। यह संरक्षक राज्य का पुच्छला मात्र नहीं होता। संरक्षक राज्य द्वारा किसी अन्य देश से युद्धरत होने पर यह आवश्यक नहीं कि संरक्षित राज्य भी उस देश से स्वयमेव लड़ाई छेड़ दे, संरक्षक राज्य द्वारा की गई सन्धियाँ संरक्षित राज्य पर बाधित रूप से लागू नहीं होनी। आयोनियन जहाजों (Ionian Ships) के मामले से यह बात स्पष्ट हो जायगी।

१८१५ की पेरिस की सन्धि के अनुसार आयोनियन द्वीपों को इंग्लैंड के एकमात्र संरक्षण में स्वतन्त्र एवं स्वाधीन घोषित किया गया था। १८५४ में ग्रेट ब्रिटेन और रूस में क्रीमियाका युद्ध छिड़ गया, इसमें कृष्ण सागर में कुछ आयोनियन जहाजों को ब्रिटिश नौकरी ने इस आधार पर पकड़ लिया कि आयोनियन ब्रिटिश संरक्षण में होने के कारण ब्रिटिश प्रजाजन हैं, उसके शत्रु के साथ उनका व्यापार करना अवैध है। किन्तु इस युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन ने आयोनियन द्वीपों की ओर से रूस के विरुद्ध युद्ध की कोई घोषणा नहीं की थी, अतः यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि संरक्षित राज्य होते हुए भी आयोनियन द्वीपों की स्वतन्त्र सत्ता कहीं तक है और क्या वे अपने संरक्षक राज्य के शत्रु के साथ व्यापार कर सकते हैं। इस विषय में यह निरुपेक्ष किया गया कि इंग्लैंड और रूस का युद्ध छिड़ जाने मात्र से ही आयोनियन द्वीप इसमें सम्मिलित नहीं हो जाते, अतः रूस के साथ उनका व्यापार अवैध नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि संरक्षित राज्य अपने आन्तरिक अथवा बाह्य मामलों में पूर्ण स्वतन्त्रता न रखते हुए भी एक पृथक् राजनीतिक सत्ता रखता है। अतः वह अपने युद्ध आदि की घोषणा अपने संरक्षक राष्ट्र से पृथक् और स्वतन्त्र रूप में करता है। यही कारण है कि जब १९४० में इटली ने जर्मनी की ओर से मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की तो उसके संरक्षित राष्ट्र सैन मेरिनी (San Marino) ने पृथक् रूप से युद्ध घोषणा की।

संरक्षित राज्यों का विकास पिछली दो शताब्दियों में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस आदि पश्चिमी देशों के साम्राज्यवाद के विकास के कारण हुआ। अब इसकी क्षीणता के साथ इनका ह्रास हो रहा है। जिन राज्यों या प्रदेशों को सीधे रूप में अपना वशवर्ती बनाने में दूसरे देशों का प्रयत्न विरोध होता या अन्तर्राष्ट्रीय सघर्ष उत्पन्न होता, उनको किसी राज्य के संरक्षण में मान लिया जाता था। एशिया तथा अफ्रीका में इस प्रकार के बहुत से संरक्षित राज्य थे। इन महाद्वीपों में भवजागरण से तथा पश्चिमी साम्राज्यवाद का अन्त होने से अब ऐसे देशों की संख्या बहुत कम रह गई है। उदाहरणार्थ, पहले फ्रांस का अफ्रीका में ट्यूनिश और मोरक्को पर, हिन्द चीन में टोन्कि तथा कम्बोडिया पर, स्पेन का मोरक्को पर, अंग्रेजों का १९१४ से १९२२ तक मिश्र पर तथा मलाया प्रायद्वीप के राज्यों पर संरक्षण था। किन्तु १९५७ में ट्यूनिश पर १८८१ से चला आने वाला फ्रांस का संरक्षण यहाँ स्वतन्त्र गणराज्य की स्थापना के साथ समाप्त हो गया, इसी प्रकार फ्रांस और स्पेन दोनों ने १९५६ में मोरक्को को सम्पूर्णप्रभुतासम्पन्न स्वतन्त्र राज्य मान लिया। कम्बोडिया ने २५ सित० १९५५ को अपनी स्वाधीनता की घोषणा की। मलाया के नौ राज्यों का सघ ३१ अगस्त १९५७ को ब्रिटिश संरक्षण से मुक्त हो गया। मोर्रोको में इस समय दो छोटे देश संरक्षित राज्य हैं। पहला फ्रांस

और स्पेन की सीमा पर पिरेनीज पर्वतमाता का छोटा सा राज्य एण्डोरा (Andorra, क्षेत्रफल १७५ वर्ग मी०, जनसंख्या ५,२००) फ्रांस और स्पेन के संयुक्त संरक्षण और आधिपत्य में है तथा दूमरा सैन मारिनो (San Marino, क्षेत्रफल ३८ वर्ग मी०, जनसंख्या १४०००) इटली के संरक्षण में है। १८६० में ग्रेट ब्रिटेन तथा चीन के साथ हुई संधि के अनुसार मिन्किम पर ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार किया गया था, भारत ने स्वतन्त्र होने के बाद सिन्किम के साथ एक सन्धि द्वारा उस पर अपना संरक्षण स्थापित किया है, इसके अनुसार उसे आन्तरिक विषयों में पूरी स्वतन्त्रता है किन्तु उसकी रक्षा, वैदेशिक नीति तथा संचार साधनों का उत्तरदायित्व भारत सरकार पर है।

(ब) सहराज्य (Condominium)—जब किसी विशेष प्रदेश या क्षेत्र पर दो या दो से अधिक बाह्य शक्तियों का संयुक्त नियंत्रण होता है तो इसे सहराज्य कहा जाता है। १८६८ में ब्रिटिश फौजों द्वारा सूडान की विजय के बाद इस पर एक सन्धि द्वारा मिश्र और ग्रेट ब्रिटेन का संयुक्त आधिपत्य स्थापित किया गया। १९३६ में पुनः एक सन्धि द्वारा इसकी पुष्टि की गयी। किन्तु १९५३ में एक सम्झौते द्वारा इस सहराज्य की समाप्ति की व्यवस्था करते हुए यह निश्चय किया गया कि सूडानी स्वयमेव जनमत द्वारा इसका निर्णय करे कि वे मिश्र के साथ मिले रहना चाहते हैं या पूर्ण स्वतन्त्रता के पक्षपाती हैं। १६ दिसम्बर १९५५ को इस प्रश्न पर हुई मतगणना में बाब १ जनवरी १९५६ से सूडान पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हो गया है। सहराज्य का दूसरा उदाहरण प्रधानतः महासागरवर्ती यू. हेथीडीज का टापू है, इस पर ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस का संयुक्त शासन है। सहराज्य में जनता पर यद्यपि दोनों देशों की संयुक्त प्रभुसत्ता (Joint sovereignty) होती है, किन्तु शासन करने वाले राज्यों के अधिकार क्षेत्र पृथक् होते हैं और इनमें निवास करने वालों पर ही उनकी प्रभुसत्ता होती है।

(घ) राष्ट्रमण्डल (Commonwealth of Nations)—यह ब्रिटिश साम्राज्य या एक सुदीर्घकालीन विकास है। ब्रिटिश साम्राज्य में से सर्वप्रथम शनि शनि ब्रिटिश जनसंख्या रखने वाले प्रदेशों में कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, दक्षिण अफ्रीका ने पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करके स्वाधीन उपनिवेश या डोमिनियन (Dominion) का दर्जा प्राप्त किया। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य अंग भी स्वतन्त्र होकर डोमिनियन बनने लगे, १९४७ में भारत और पाकिस्तान स्वाधीन होने के बाद इनका अंग बने, ग्रेट ब्रिटेन द्वारा एशिया और अफ्रीका के अधीनस्थ दूसरे राज्यों को स्वतन्त्रता देने की नीति से इसके सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी। १९४८ से इसके सदस्यों के लिए डोमिनियन शब्द का प्रयोग कम होने लगा और इसमें अर्थ जातियों की संख्या बढ़ने से राष्ट्रमण्डल के साथ ब्रिटिश शब्द के विशेषण का भी परित्याग कर दिया गया। इस समय राष्ट्रमण्डल के सदस्य प्रत्येक प्रकार से सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न राष्ट्र हैं। वे किसी देश के साथ संधि कर सकते हैं, उन्हें आन्तरिक मामलों में पूरी स्वाधीनता है। वे अपनी इच्छानुसार कोई भी कानून बना सकते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा बनाया कोई भी कानून उन पर लागू नहीं होता। वे स्वतन्त्र रूप में संयुक्त राष्ट्र संधि के सदस्य हैं। ग्रेट ब्रिटेन द्वारा छेड़े गये किसी युद्ध में सम्मिलित होना या

न होना पूर्ण रूप से उनकी इच्छा पर निर्भर है। इसके सदस्य एक दूसरे के साथ युद्ध भी कर सकते हैं और तटस्थ भी रह सकते हैं। वैदेशिक और बाह्य विषयों में उनकी स्वतन्त्रता पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। उन्हें दूसरे देशों के साथ दूतों के आदान-प्रदान का पूरा अधिकार है, वे अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का विषय बनते हैं। भारत और पाकिस्तान राष्ट्रमंडल के सदस्य भी हैं, फिर भी पाकिस्तान ने काश्मीर पर अधिकार करने के लिए भारत पर आक्रमण किया और दोनों के इस विवाद का अब तक कोई अन्तिम हल नहीं हुआ है। ये राष्ट्रमंडल के सदस्य एक दूसरे के साथ स्वतन्त्र देशों की भाँति सन्धि बना सकते हैं, १९४४ में आस्ट्रेलिया तथा न्यूज़ीलैंड ने अणुबन्ध (Auzac) सम्झौता किया था। स्टार्क के कथनानुसार पिछले सात वर्षों में इससे सदस्य-राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों में राष्ट्रमंडलीय नियमों के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों का प्रयोग बढ़ते लगा है। मंडल के विभिन्न देशों में हाई कमिश्नरों की स्थिति १९५२ के British Diplomatic Immunities Act द्वारा राजनीतिक प्रतिनिधियों और राजदूतों के समकक्ष हो गयी है।^{११}

किन्तु पूर्ण रूप से स्वतन्त्र होते हुए भी मण्डल के सदस्य अपना यह कर्तव्य समझते हैं कि वे सब देशों की सामान्य समस्याओं पर एक दूसरे से विचार-विमर्श करते रहे और परस्पर सम्बन्ध बनाये रखें। भारत ने यद्यपि अपने को सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न गणराज्य घोषित किया है, किन्तु फिर भी वह इंग्लैंड के राजा को राष्ट्रमण्डल का अध्यक्ष तथा इसके स्वामीन राष्ट्रों के 'स्वतन्त्रतापूर्वक सम्मेलन का प्रतीक' मानता है। पाकिस्तान की भी यही स्थिति है।

राष्ट्रमण्डल की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बिल्कुल निराली है। यह सघीय राज्य नहीं है क्योंकि इसका कोई ऐसा सगठन या अंग नहीं है, जिसे सदस्य-राज्यों तथा उनके नागरिकों पर कोई अधिकार हो। यह प्रसंगान (Confederation) भी नहीं है, क्योंकि इसके सदस्य राज्यों को संयुक्त बनाने वाली कोई सन्धि नहीं है और न ही इन पर अधिकार रखने वाली कोई केन्द्रीय सत्ता या शक्ति है। यह वास्तविक सगम (Real union) भी नहीं है, क्योंकि इन राज्यों को संयुक्त करने वाली कोई सन्धि नहीं है। स्टार्क के शब्दों में "राष्ट्रमण्डल न तो कोई अधिराज्य (Super state) है और न ही सघ। यह स्वतन्त्र और समान राज्यों का समूह है।"^{१२} इसके सब कार्य राज्यों के माध्यम से होते हैं। यद्यपि लन्दन में राष्ट्रमण्डल के प्रधान मन्त्रियों के सम्मेलन होते हैं, इनका उद्देश्य सामान्य नीति का निर्धारण होता है, फिर भी इसके सदस्यों में तीव्र मतभेद होते हैं, १९५६ में स्वीज नहर के क्षेत्र में ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा हस्तक्षेप पर इसके सदस्यों में उग्र विवाद था, १९६० में दक्षिण अफ्रीका की जातिभेद (Apartheid) की नीति पर भी ऐसा ही विवाद था। श्री जवाहरलाल नेहरू ने इस पर प्रकाश डालते हुए यह ठीक ही कहा था—“सदस्यों में मतभेद होते हुए भी राष्ट्रमण्डल का विकास हुआ है। कई बार सदस्यों के परस्पर विरोधी स्वार्थ होते हैं, वे प्रतिकूल

११ स्टार्क—पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० ६४

१२ स्टार्क—पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० ६५

विशायों में इसे ले जाने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी वे आपस में मित्र की भाँति मिलते हैं, एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करते हैं और जहाँ तक हो सके कार्य करने के एक सामान्य मार्ग को ढूँढ़ने का प्रयत्न करते हैं।”

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि राष्ट्रमंडल के सदस्य आन्तरिक एवं वैदेशिक मामलों में पूरी स्वतन्त्रता और प्रभुसत्ता रखते हैं। उनकी प्रभुसत्ता केवल इसी बात से भयावित होती है कि १९३० की शान्ति परिषद् में उन्होंने शान्ति और युद्ध के महत्त्वपूर्ण मामलों में पारस्परिक विचार-विमर्श करने का निश्चय किया था। विन्तु इससे अन्तर्राष्ट्रीय विषयों में स्वतन्त्रतापूर्वक काम करने के बारे में उन पर कोई प्रतिबन्ध लागू नहीं होता। वे पूरी प्रभुसत्ता वाले राज्य होने के कारण अपना पृथक् अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व रखते हैं।

(ज) तटस्थीकृत राज्य (Neutralised States)—स्टार्क ने इसकी परिभाषा करते हुए कहा है कि “तटस्थीकृत राज्य उसे कहते हैं जिसकी स्वतन्त्रता तथा राजनौतिक और प्रादेशिक अखण्डता को स्थायी रूप से बनाये रखने की गारण्टी महाशक्तियाँ एक सामूहिक समझौते द्वारा प्रदान करती हैं और इस प्रकार गारण्टी पाने वाला देश यह शर्त स्वीकार करता है कि वह आत्मरक्षा के अतिरिक्त दूसरे राज्य पर आक्रमण नहीं करेगा और न ही ऐसी मंत्रीसन्धियों में सम्मिलित होगा, जिनमें उसकी निष्पक्षता को बाध आये तथा उसे युद्ध करने के लिए बाध्यित होना पड़े।”

शान्ति बनाये रखने के लिए तटस्थीकरण दो उद्देश्यों से किया जाता है (क) लघु राज्यों की शक्तिशाली पड़ोसी राज्यों से रक्षा की जाय ताकि वही ऐसा न हो कि शक्तिशाली राज्य छोटे राज्यों को हृष्य कर अधिक शक्तिशाली हो जाय और इस प्रकार विभिन्न बड़े राज्यों का शक्ति सन्तुलन (Balance of Power) बिगड़ जाय, एक राज्य अन्य सभी राज्यों से अधिक शक्तिशाली हो जाय। (ख) महाशक्तियों के राज्यों की सीमाओं के बीच में वर्तमान अन्तस्थ राज्यों (Buffer States) की स्वतन्त्रता की रक्षा की जाय। ये दोनों उद्देश्य आगे दिये जाने वाले बेल्जियम और स्विट्जरलैंड के उदाहरणों से स्पष्ट हो जायेंगे।

तटस्थीकरण के लिये यह अनिवार्य है कि यह सामूहिक सन्धि (Collective contract) द्वारा सन्पन्न हो। जिस देश का तटस्थीकरण करना हो, उससे सम्बन्ध रखने वाली महाशक्तियाँ मिलकर एक सन्धि द्वारा उसे स्थायी रूप से यह दर्जा प्रदान करें, जैसे १५ नवम्बर १८३१ की सन्धि द्वारा ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, यास्ट्रिया, बेल्जियम, प्रशिया और रूस ने बेल्जियम की स्थायी तटस्थता स्वीकार की। कोई राज्य एकपक्षीय रूप से (Unilaterally) स्वयं अपने तटस्थीकरण की घोषणा नहीं कर सकता। अतएव जब १९३८ में स्विट्जरलैंड ने अपनी स्वतन्त्रता और तटस्थता की घोषणा स्वयं करने के बाद इसे राष्ट्रसंघ से स्वीकार कराना चाहा तो रूसी प्रतिनिधि श्री लिटविनोव ने इस पर यह आपत्ति उठायी कि वह सभी सम्बद्ध राज्यों से समझौता

किये बिना ऐसा नहीं कर सकता ।

तटस्थीकृत (Neutralised) राज्य पर सधि द्वारा यह प्रतिबन्ध लगाया जाता है कि वह आत्मरक्षा के अतिरिक्त दूसरे देश के साथ युद्ध नहीं छेड़ सकता तथा वह उस राज्य को लड़ाई में पसीटने वाली सैनिक सधिया और समझौते नहीं करेगा । इन प्रतिबन्धों में उसकी प्रभुमत्ता कुछ अंशों में मर्यादित हो जाती है, किन्तु इस कारण उसकी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और व्यक्तित्व में कोई अन्तर नहीं आता ।

तटस्थीकृत राज्यों के निम्न चार कर्तव्य ममके जाते हैं—(१) आत्मरक्षा के अतिरिक्त युद्ध में सम्मिलित न होना । (२) दूसरे देशों के साथ सैनिक सधिया और समझौते में न शामिल होना । (३) आक्रमण होने की दशा में पूरी शक्ति के साथ अपनी रक्षा करना तथा तटस्थीकरण की गारण्टी देने वाले देशों से इसके लिये सहायता मागना । (४) अन्य राज्यों के बीच युद्ध छिड़ने की दशा में तटस्थता के नियमों का पालन करना । तटस्थीकरण की गारण्टी करने वाली महाशक्तियों के निम्न कर्तव्य हैं—(१) तटस्थीकृत प्रदेश पर न तो किसी प्रकार का आक्रमण करना और न इसे करने की धमकी देना । (२) जब तटस्थीकृत राज्य पर दूसरा देश आक्रमण करे तो महाशक्तियाँ सेना द्वारा उसकी सहायता करें और अपनी गारण्टी की रक्षा करें ।

तटस्थीकरण (Neutralisation) और तटस्थता (Neutrality) में बड़ा मौलिक अन्तर है । तटस्थीकरण स्थायी होता है, उसका अनुकरण युद्धकाल में तथा सन्तिक के समय समान रूप से किया जाता है । किन्तु तटस्थता का पालन अन्य राज्यों द्वारा युद्ध छेड़ दिये जाने पर किया जाता है, यह स्थायी नहीं होती, युद्ध छिड़ने के बाद कोई राष्ट्र जब तक चाहे तटस्थ रह सकता है और जब चाहे इसका परित्याग करके युद्ध में सम्मिलित हो सकता है । किन्तु तटस्थीकृत राज्य ऐसा नहीं कर सकता, उसे अन्तर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा सदैव युद्ध से पृथक् रहने का दर्जा प्रदान किया गया है । केवल आक्रमण होने की दशा में ही वह युद्ध में सम्मिलित होता है । तटस्थीकरण अदासीन्य (Neutrality) से भिन्न है, क्योंकि इसका अर्थ रक्षापरक नैतिक सन्धियों से पृथक् या उदासीन रहना है ।

तटस्थीकृत राज्यों के महत्वपूर्ण उदाहरण स्विट्जरलैण्ड, बेल्जियम, सन्जमबर्ग और आस्ट्रिया हैं । वियना कांग्रेस में २० मार्च १८१५ को ग्रेट ब्रिटेन, आस्ट्रिया, फ्रांस, पुर्तगाल, प्रुशिया, स्पेन, स्वीडन और रूस ने स्विट्जरलैण्ड को तटस्थ बनाने के एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किये और स्विट्जरलैण्ड ने २७ मई १८१५ को इसे स्वीकार किया । उस समय से उसने अपनी तटस्थता की पूरी रक्षा की है, वह समुक्त राष्ट्र संधि का सदस्य भी इसलिये नहीं बना कि इसके चार्टर के अनुसार उसे संधि द्वारा किसी राज्य के विरुद्ध की जाने वाली सैनिक कार्रवाहों में सहयोग देने के लिये बाध्य होना पड़ता । बेल्जियम का राज्य १८३१ में बना, इंग्लिश चैनल पर ब्रिटिश प्रदेश के बिल्कुल सामने अवस्थित होने के कारण इंग्लैंड इसे किना बिदेसी शक्ति के हाथ में नहीं पड़ने

देना चाहता था, अतः इसके जन्म के साथ ही १५ नवम्बर १८३१ को इसे स्थायी रूप से तटस्थ बनाने की एक सन्धि पर ग्रेट ब्रिटेन, आस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, प्रशिया और रूस ने हस्ताक्षर किये। इसकी पुष्टि १९ अप्रैल १८३९ की लन्दन की संधि द्वारा की गयी। किन्तु १९१४ में जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण के लिये इसकी तटस्थता भंग की, इस पर ग्रेट ब्रिटेन इसकी रक्षा के लिये प्रथम विश्वयुद्ध में सम्मिलित हुआ। युद्ध के बाद बेल्जियम के राजा ने एक घोषणा द्वारा बेल्जियम की तटस्थता के समाप्त होने की घोषणा की और वर्साय की सन्धि (धारा ३१) में मित्र राष्ट्रों ने इसे स्वीकार कर लिया। टिटलर के उत्तारुद्ध होने पर जब उद्योग लोकार्थों सम्झौते को भंग किया, राइन प्रदेश में अपनी सेनाओं भेजी तो बेल्जियम ने पुनः तटस्थता की घोषणा की। २४ अप्रैल १९३७ को ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने तथा २३ अक्टूबर १९३७ को जर्मनी ने इसकी तटस्थता को सुरक्षित रखने का वचन दिया। किन्तु टिटलर की सेनाओं ने इस वचन को भंग करते हुए १० मई १९४० को बेल्जियम पर आक्रमण किया। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद बेल्जियम आत्मरक्षा के लिये नाटो (Nato) सन्धि संगठन में सम्मिलित हो गया (अप्रैल १९४९), अतः अब वह तटस्थीकृत राज्य नहीं रहा। लखनभर्ग १८१५-१८८० तक हार्लेण्ड के साथ व्यक्तिगत संघम (Personal Union) में रहा। हार्लेण्ड का राजा ही इसका गैड्ड ह्यूक था। किन्तु यह जर्मन प्रसधान (Confederation) का सदस्य था। प्रशिया को १८५५ के बाद इसमें सन्धि रखने का अधिकार मिला। १८५६ में प्रशिया द्वारा आस्ट्रिया को परास्त करने के बाद जर्मन प्रसधान समाप्त हो गया तथा नैपोलियन तृतीय ने इसे हार्लेण्ड के राजा में खरोदने का प्रयत्न किया, प्रशिया को इस पर आपत्ति थी। दोनों का सघर्ष दूर करने के लिये १८६७ में लन्दन की सन्धि द्वारा इसे तटस्थ राज्य माना गया, किन्तु १९१४ में जर्मनी ने इसकी तटस्थता का अतिक्रमण किया। १५ मई १९५५ की सन्धि के अनुसार आस्ट्रिया न्यायो रूप से तटस्थ राज्य घोषित किया गया है।

(घ) होली सी तथा वैटिकन नगर (Holy See and Vatican City)—
रोम के पोप की स्थिति, पद और सत्ता के लिये होली सी (Holy See) शब्द का प्रयोग होता है, रोम के निकट ही एकड़ में फैला हुआ पोप का निवास स्थान वैटिकन नगर कहलाता है। गण्य युग में पोप इटली में विद्यालय भूप्रदेश का शासक था। १९वीं शती के मध्य में जब इटली के देशभक्तों ने अनेक राज्यों में विभक्त अपनी मातृभूमि को एक राजनीतिक सत्ता के नीचे खाने का निश्चय किया तो पोप ने इसका घोर विरोध किया। इसकी परवाह न करते हुए १८७० तक इटली के देशभक्तों ने न केवल विभिन्न छोटे राज्यों का एकीकरण पीडमाण्ड के राजा के नेतृत्व में किया, अपितु पोप के प्रदेशों को भी खीन लिया और उसकी राजधानी रोम पर अधिकार कर लिया। इस पर पोप अपने निवास स्थान वैटिकन में चला गया और उसने यह घोषणा की कि वह वैटिकन का बन्दो है। फिर भी इटली की सरकार ने पोप के पद और प्रतिष्ठा को देखते हुए 'गारण्टियों के कानून' (Law of Guarantees) द्वारा पोप को सम्पूर्ण प्रभुतासम्पन्न राज्यों के शासनाध्यक्षों की भांति कुछ विशेषाधिकार प्रदान किये। किन्तु पोप ने इन्हें

लेना स्वीकार नहीं किया क्योंकि इटली ससद् द्वारा पास किया गया यह कानून भविष्य में किसी भी अगली ससद् द्वारा बदला जा सकता था। पोप का यह कहना था कि यह कानून अन्य राज्यों द्वारा भी पास होना चाहिये ताकि इसमें कोई परिवर्तन न हो सके तथा उसकी स्थिति सुरक्षित रह सके। पोप और इटालियन सरकार में इस प्रश्न पर बहुत समय तक बड़ा कटु विवाद चलता रहा।

मुगोलिनी के सत्ताह्व होने के बाद १९२६ में पोप तथा इटालियन सरकार में हुई एक सन्धि (Lateran Treaty) द्वारा इस समस्या का समाधान किया गया। इसमें इटली ने रोम के पोप (होली सी) को अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में पूर्ण सत्तासम्पन्न प्रभु (Sovereign) स्वीकार कर लिया। अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से वैटिकन नगर को सीमाओं में उसे पूर्ण राजसत्ता दे दी गयी। इसके निवासियों को पृथक् नागरिकता के अधिकार दिये गये। पोप को अन्य देशों के साथ अपने दूतों तथा राजनीतिक प्रतिनिधियों के आदान-प्रदान का अधिकार मिला।

इस समय वैटिकन की स्थिति स्थायी रूप से तटस्थीकृत प्रदेश की है, कोई भी दूसरा राज्य इसकी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता। द्वितीय विश्वयुद्ध में सभी योद्धा राज्यों ने इसकी तटस्थता को बनाये रखा। वैटिकन नगर एक सर्वोच्च प्रभुसत्तासम्पन्न राज्य है और पोप को उसका अध्यक्ष होने के नाते राजाओं के सब अधिकार प्राप्त हैं। वैटिकन यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व रखता है, किन्तु उसका प्रदेश और जनसंख्या बहुत कम होने से उसका अधिकार क्षेत्र बहुत ही सीमित है। उपर्युक्त सन्धि में पोप ने "सांसारिक प्रतिद्वन्द्विताओं से तथा इनसे सम्बन्ध रखने वाले अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों" में पृथक् रहने की इच्छा व्यक्त की थी। अतः पोप का राज्य अन्य सांसारिक राज्यों से सर्वथा भिन्न है, उसकी इन राज्यों में गणना नहीं हो सकती। वैटिकन स० रा० सघ का सदस्य नहीं है।

(ज) मँडेट पद्धति (Mandate System)—प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति पर मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी और टर्की से जीते हुए प्रदेशों की व्यवस्था के लिये राष्ट्रसंघ के विधान की धारा २२ में हम पद्धति का प्रतिपादन किया गया था। विजित प्रदेशों को विजेताओं के साम्राज्य का अंग बनाने के स्थान पर सघ की सरक्षकता में इन्हें लिखित समझौतों की कुछ शर्तों के साथ इनके शासन प्रबन्ध का पारिस्व सौंपा गया। ये समझौते या सघ द्वारा शासन के लिए दी गई आज्ञायें शासनादेश (Mandate) कहलाते हैं। ये जिन महाशक्तियों को प्रदान किये गये, वे आदेश प्राप्त या आदेश प्रापक (Mandatory) कहलाते हैं। जिन भूभागों के लिये ये आदेश दिये गये थे, उन्हें आदिष्ट (Mandated) कहा जाता है। आदिष्ट प्रदेश सभ्यता की दृष्टि से पिछड़े हुए थे, इनका उत्थान सभ्य राज्यों का पवित्र कर्त्तव्य और अमानत समझा गया। मँडेट वाले प्रदेशों को विजेता राष्ट्रसंघ की अनुमति के बिना अपने साम्राज्य में नहीं मिला सकते थे।

ये कई दृष्टियों से राज्य में मिलाये, अंगीकृत या अनुबद्ध (Annexed) किये जाने वाले प्रदेशों से भ्रोक भेद रखने थे—(१) अनुबद्ध प्रदेश पर इसे अपने राज्य में मिलाने

वाला मनमाना शासन कर सकता है, आदिष्ट (Mandate) प्रदेश पर यह शासन सभ के निरीक्षण और तत्वावधान में होता था। (२) अनुबद्ध प्रदेश पर विजेता का पूरा स्वामित्व होता है, आदिष्ट प्रदेश पर आदेशप्रापक का कोई ऐसा स्वत्व नहीं था, वह उसको पवित्र धरोहर के रूप में दिया गया था। (३) अनुबद्ध प्रदेश के सम्बन्ध में विजेता उसे अपने राज्य में मिलाने, किसी दूसरे को देने आदि का पूरा अधिकार रखता है, किन्तु आदेशप्रापक राज्य सभ की स्वीकृति के बिना ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते थे। (४) विजेता को अपने अनुबद्ध प्रदेश के नागरिकों को सेना में भर्ती करने तथा प्रशिक्षित करने का पूरा अधिकार होता है, किन्तु 'बी' तथा 'सी' वर्ग (दखिय नीचे) के मैसेट प्राप्त करने वाली शक्तियाँ अपने आदिष्ट प्रदेश में केवल आन्तरिक पुलिस या स्थानीय प्रतिरक्षा के लिये ही नागरिकों को फौज में भर्ती कर सकती थी। (५) आदिष्ट प्रदेश (Mandated territory) के निवासी स्वयमेव आदेशप्राप्त राज्य की राष्ट्रियता नहीं प्राप्त कर सकते थे। (६) अनुबद्ध प्रदेश में विजेता अपनी मनचाही आर्थिक व्यवस्था लागू कर सकता है, वह इस प्रदेश में विदेशी शक्तियों को व्यापार करने से रोक सकता है। किन्तु 'ए' तथा 'बी' वर्ग के आदिष्ट प्रदेशों के लिए आदेशप्रापक (Mandatory) राज्यों पर यह दायित्व डाला गया था कि वे इनके सम्बन्ध में मुक्त द्वार (Open door) की नीति का अनुसरण करेंगे तथा किसी देश को इनके साथ व्यापार करने से नहीं रोकेंगे। (७) अनुबद्ध प्रदेश में विजेता इच्छानुसार शासन कर सकता है। किन्तु आदिष्ट प्रदेश के शासन के लिये मैसेट प्राप्त करने वाली शक्ति के लिये यह आवश्यक था कि वह इन वर्ग में शासन करे कि इस प्रदेश का राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक विकास हो। इसे प्रतिवर्ष मैसेट के शासन पर राष्ट्रमन्त्र को एक रिपोर्ट देनी पड़ती थी। राष्ट्रमन्त्र इन प्रदेशों की प्रगति देखने के लिए अपने प्रतिनिधि भेज सकता था। सभ द्वारा मैसेटों के निरीक्षण के लिए दस सदस्यों का स्थायी शासनादेश आयोग (Permanent Mandate Commission) था। इसके अधिकार सदस्य शासनादेशप्रापक देशों से भिन्न देशों के होते थे। यह आयोग आदिष्ट प्रदेश के प्रतिनिधि की उपस्थिति में इसके शासन के बारे में सभ को भेजी गई रिपोर्ट पर विचार करता था। आदिष्ट प्रदेश का कोई भी निवासी सभ को इसके शासन के सम्बन्ध में अपनी शिकायतों का आवेदनपत्र भेज सकता था। इन सब प्रतिबन्धों के कारण आदिष्ट प्रदेश अनुबद्ध प्रदेशों (Annexed territories) से सर्वथा भिन्न थे।

राष्ट्रमन्त्र के प्रतिज्ञापत्र की धारा २२ के अनुसार मैसेट तीन वर्गों में बाँटे गये थे। प्रथम श्रेणी (Class A) में तुर्क साम्राज्य के वे प्रदेश थे "जिनका विकास इस अवस्था तक हो चुका था कि वे अस्थायी रूप से स्वतन्त्र राष्ट्र माने जा सकते हैं पर वे जब तक अपने पात्रों पर खड़े नहीं हो जाते तब तक उन्हें मैसेट प्राप्त कराने वाले राज्यों का प्रशासनसम्बन्धी परामर्श और सहायता मिलती रहनी चाहिये।" इस श्रेणी में इराक और पेलेस्टाइन का मैसेट ग्रेट ब्रिटेन को तथा सीरिया और लेबनान का शासनादेश फ्रांस को प्रदान किया गया।

२ द्वितीय श्रेणी (Class B) में मध्य अफ्रीका के वे जर्मन उपनिवेश थे,

“जिनके शासन-प्रबन्ध के लिये मँडेट पाने वाले देश पूरा उत्तरदायित्व रखते थे और उन्होंने इस दृष्टि से शासन करना था कि निवासियों को अन्तःकरण और घर्षों की स्वतन्त्रता हो, दासप्रथा, शस्त्र और शराब के व्यापार जैसी कुप्रथाओं का निरोध हो, इनमें सैनिक और नौमैनिक ब्रिड्डे न बनाये जाय, पुलिस के प्रयोजन के अतिरिक्त निवासियों को सैनिक शिक्षा न दी जाय।” ‘वी’ श्रेणी के मँडेटों में ब्रिटिश कॅमरून, ब्रिटिश टोगोलैण्ड तथा टागानिक्वा घेत ब्रिटेन को,, फ्रेंच कॅमरून तथा फ्रेंच टोगोलैण्ड फ्रांस को, तथा हम्बडा उरुण्डी बेल्जियम को प्राप्त हुए।

तृतीय श्रेणी (Class C) में ऐसे मँडेट थे, जो अत्यन्त मल्पाकार, बहुत कम आबादी वाले, सभ्यता के कन्द्रों से दूर और मँडेट प्राप्त करने वाले राज्यों के प्रदेश के साथ भौगोलिक सान्निध्य रखते थे, इन कारणों से इनका सर्वोत्तम प्रशासन इन्हें मँडेट पाने वाले देशों का मग बनाकर ही किया जा सकता था। किन्तु इनके प्रशासन में स्थानीय जनता के हितों का पूरा ध्यान रखा जाना आवश्यक था। इस प्रकार के मँडेटों में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका के सघ को, समोथा न्यूजीलैण्ड को, नील् ग्रेटब्रिटेन को, प्रशान्त महासागर में भूमध्यरेखा से उत्तर के जर्मन टापू जापान को, तथा इसके दक्षिण के टापू आस्ट्रेलिया को दिये गये। मँडेट व्यवस्था १९१९ से १९४६ तक चलती रही, इसके बाद इसका स्थान न्यास पद्धति में ले लिया है।

(ट) न्यास पद्धति (Trusteeship System) — स० रा० सघ के चार्टर की धारा ७५ में वह व्यवस्था की गयी है कि वह न्यास प्रदेशों के प्रशासन और देखभाल के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यास पद्धति की स्थापना करेगा। यह पद्धति इन तीन प्रकार के प्रदेशों पर लागू होती है (धारा ७७) — (क) राष्ट्रमघ के प्रतिज्ञापत्र की धारा २२ के अनुसार आदिष्ट अथवा मँडेट वाले प्रदेश, (ख) द्वितीय विश्वयुद्ध में पराजित राज्यों से छीने गये प्रदेश (ग) राज्यों द्वारा स्वेच्छापूर्वक न्यास पद्धति के लिये स० रा० सघ का प्रदान किये गये प्रदेश। मँडेट प्राप्त करने वाले अधिकांश राज्यों ने स्वेच्छापूर्वक अपने प्रदेशों को न्यास पद्धति में रखना स्वीकार कर लिया है। इसका एकमात्र अपवाद दक्षिण अफ्रीका का यूनियन है, उसने दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका के मँडेट को न्यास प्रदेश नहीं होने दिया तथा स० रा० सघ द्वारा इसके निरीक्षण के अधिकार को स्वीकार नहीं किया। इस विषय में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्शात्मक सम्मति मांगी गयी थी। ११ जुलाई, १९५० को न्यायालय ने बहुमत से यह निर्णय किया कि “दक्षिण अफ्रीका इस प्रदेश को न्यास पद्धति में देने के लिए बाध्य नहीं है, फिर भी राष्ट्रसंघ का उत्तराधिकारी होने के नाते स० रा० सघ का राष्ट्रसंघ के स्थान पर इसके निरीक्षण का पूरा अधिकार है। दक्षिण अफ्रीका के यूनियन को इसके शासन-प्रबन्ध की वार्षिक रिपोर्टें जनरल असेम्बली को देनी चाहियें।” किन्तु दक्षिण अफ्रीका ने अभी तक इस पर सघ के निरीक्षण का अधिकार स्वीकार नहीं किया। द्वितीय विश्वयुद्ध में पराजित राज्यों से छीने गये प्रदेशों में इटली का सुमालीलैण्ड तथा जापान के प्रशान्त महासागर के टापू उरलेखनीय है। सुमालीलैण्ड १३ अप्रैल

१९५० को न्यास प्रदेश के रूप में इटली को १० वर्ष के लिये सौंपा गया था, २ दिसम्बर, १९६० को यह प्रदेश स्वतन्त्र राज्य बन गया। जापान को मैण्डेट के रूप में मिले हुए टापू सामरिक क्षेत्र (Strategic area) वाले न्यास प्रदेश के रूप में स० रा० अमरीका ने प्राप्त किये हैं। चार्टर में इनकी व्यवस्था जानबूझकर इसलिये की गयी थी कि स० रा० अमरीका इन टापुओं को अपनी सुरक्षा के लिये आवश्यक समझता है और अन्तर्राष्ट्रिक चार्टर की घोषणा के कारण वह इन्हे सीधे रूप से अपने राज्य का अंग नहीं बना सकता था।" अभी तक किसी राज्य ने न्यास पद्धति के तहत स्वेच्छापूर्वक कोई प्रदेश नहीं प्रदान किये।

न्यास पद्धति के मौलिक उद्देश्य (Objects of Trusteeship System)—
चार्टर की धारा ७६ के अनुसार ये निम्नलिखित हैं—(१) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बढ़ाना, (२) न्यास प्रदेशों के निवासियों की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षामन्वन्धी उन्नति, प्रत्येक प्रदेश को उसकी अवस्थाओं के अनुसार, उसकी जनता द्वारा स्वतन्त्रतापूर्वक व्यक्त की गयी इच्छा के अनुसार पूर्ण स्वतन्त्रता के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील विकास करना (३) जाति, लिंग, भाषा, धर्म के भेदभाव के बिना मानवीय अधिकारों तथा मौलिक स्वतन्त्रताओं के प्रति प्रतिष्ठा को बढ़ाना, (४) सभ्यता की जातियों में एक दूसरे पर निर्भर रहने की भावना को उन्नत करना, (५) सयुक्त राष्ट्र सभ के सभी सदस्यों के लिये सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक मामलों में समान व्यवहार को प्राप्त करना, (६) स० रा० सभ के सभी सदस्य-राज्यों के नागरिकों के लिये न्यास के प्रशासन में समता का व्यवहार।

उपर्युक्त उद्देश्य बहुत उदार, व्यापक और विराल हैं। इनमें से कुछ तो त्रियर्षी के शाब्दों में उदात्त सकल्प-मान हैं।" फिर भी इनमें पहले दो उद्देश्य विशेष महत्व रखते हैं। पहला अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की दृष्टि है, इसे न्यास प्रदेशों की स्वतन्त्रता की अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया है। इसका कारण स्पष्ट है। कुछ न्यास प्रदेशों की व्यवस्था के सम्बन्ध में महाशक्तियों में प्रबल मतभेद था, यदि इन्हे सयुक्त राष्ट्र सभ की अध्यक्षता में न्यास न बनाया जाता तो तीव्र अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में विश्वशान्ति सकट में पड़ जाती। मत डकन हाव ने यह लिखा है कि न्यास प्रदेश "अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ प्रतिस्पर्धी महाशक्तियों के राजनैतिक और आर्थिक प्रभाव की तथा उनकी प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं की सीमाओं के अन्तर्गत एक दूसरे में टकरानी हैं।" इस सभ्यता को बचाना न्यास पद्धति का प्रथम उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य न्यास प्रदेशों को शान्त-आनन्द स्वाधीन बनाना है। इसमें सभ्यता की बड़ी सफलता मिली है। इस समय अधिकांश न्यास प्रदेश स्वाधीनता के पथ पर अग्रसर हो चुके हैं और अनेक उन्ने प्राप्त भी कर चुके हैं।

१४. त्रियर्षी—री लॉ ऑफ नेशनल्स, पृ० १५३—६४

१५. त्रियर्षी—पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० १६०

१६. डकन हॉल—ब्रिटिश थीयर बुक ऑफ इण्टरनेशनल लॉ, १९५७, पृ० ५०

संयुक्त राष्ट्रमन्त्र की ओर से जिस देश को न्यास प्रदेश का शासन सौंपा जाता है उसे प्रशासक सत्ता (Administering authority) कहा जाता है। यह सत्ता एक या अनेक राज्य हो सकते हैं। प्रशासक सत्ता सभ के साथ एक समझौते द्वारा इस प्रदेश को कुछ शर्तों पर शासन के लिये प्राप्त करती है। यह इस प्रदेश में शांति, सुशासन और सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होती है; सुरक्षा की दृष्टि से यह अपने प्रदेश में सैनिक, हवाई तथा नौसैनिक बड़े स्थापित कर सकती है, किलेबंदियाँ बना सकती है, प्रदेश में अपनी सेनाएँ रख सकती है और निवासियों को सैनिक प्रशिक्षण दे सकती है। प्रशासक सत्ता का मुख्य दायित्व इस प्रदेश को 'स्वशासन या स्वतन्त्रता' के लक्ष्य की ओर प्रयत्न करना है। वह इसमें संयुक्त राष्ट्रमन्त्र के सब सदस्य राज्यों के नागरिकों के साथ समान व्यवहार करने को बाध्य है, किंतु यह समान व्यवहार वह अन्य देशों के नागरिकों को तभी प्रदान करेगी, जबकि वे अपने देश में इस प्रदेश के निवासियों के साथ उत्तम व्यवहार करेंगे। इस प्रकार न्यास पद्धति में मॉण्डेट पद्धति की इन प्रदेशों के लिये हानिप्रद मुक्त द्वार (Open door) नीति का परित्याग कर दिया गया है।

न्यास प्रदेश की प्रशासक सत्ता का दर्जा ब्रियर्ली के शब्दों में 'उत्तरदायी सरक्षित राज्य' (Responsible protectorate) के सरक्षक राज्य जैसा है। इसके कुछ दायित्व और कर्तव्य इस प्रदेश के नागरिकों के प्रति होते हैं और कुछ संयुक्त राष्ट्र सभ के प्रति।

सामान्य रूप से संयुक्त राष्ट्र मन्त्र की जनरल असेम्बली न्यास प्रदेश सम्बन्धी सब कार्य करती है। किन्तु न्यास प्रदेश के प्रशासन के लिये किये जाने वाले समझौते में इसके किसी भाग को 'सामरिक क्षेत्र' माना जा सकता है। ऐसे प्रदेशों के सम्बन्ध में मारे कार्य सुरक्षा परिषद् करती है। अन्य प्रदेशों के शासन की देखभाल करना जनरल असेम्बली का कार्य है और वह न्यास परिषद् की सहायता में यह कार्य करती है।

न्यास परिषद् (Trusteeship council) सभ का महत्वपूर्ण अंग है। जनरल असेम्बली की प्रत्यक्षता में उसके निम्नलिखित कार्य हैं—(१) प्रशासक सत्ता द्वारा भेजी गयी रिपोर्टों पर विचार, (२) जनरल असेम्बली के परामर्श से न्यास प्रदेशों के निवासियों के प्रार्थनापत्रों को लेना तथा इन पर विचार करना, (३) प्रशासक सत्ता की सहमति से न्यास प्रदेशों के निरीक्षण के लिये प्रतिनिधिमण्डल भेजना, (४) न्यास-प्रदेशवासियों की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक प्रगति के सम्बन्ध में प्रश्नावलियाँ तैयार करना, (५) न्यास समझौतों के अनुसार अन्य आवश्यक कार्य करना। न्यास परिषद् का संगठन सभ के तीन प्रकार के सदस्य राज्यों से होता है—(क) न्यास प्रदेश का प्रशासन करने वाले राज्य, (ख) सुरक्षा परिषद् के ऐसे स्थायी सदस्य, जो न्यास प्रदेशों के प्रशासक न हों, (ग) तीन वर्ष के लिये जनरल असेम्बली द्वारा निर्वाचित राज्य। इनकी संख्या इतनी हानी चाहिये कि न्यास परिषद् में न्यास का प्रशासन करने तथा न करने वाले राज्यों के सदस्य समान संख्या में हों।

न्यास प्रदेशों के प्रशासन का निरीक्षण-कार्य करते हुए न्यास परिषद् के पास

अपने निर्णयों को लागू कराने की शक्ति नहीं है। यह केवल प्रशासक सत्ताओं द्वारा भेजी वार्षिक रिपोर्टों का विचार और मूल्यांकन कर सकती है, न्यास प्रदेशों के निवासियों की शिकायतों और प्रार्थनापत्र सुन सकती है, इनमें अपने मिशन या निरीक्षक-मण्डल भेज सकती है। किन्तु ये सब कार्य विचारात्मक हैं, वह इन प्रदेशों के सम्बन्ध में सिफारिशें ही कर सकती है, उसके पास इन्हें ब्रियान्त्व कराने के लिए आवश्यक प्रशासकीय सत्ता नहीं है।

मैण्डेट पद्धति तथा न्यास पद्धति में कुछ मौलिक भेद हैं—(क) न्यास पद्धति के उद्देश्य मैण्डेट पद्धति की अपेक्षा अधिक विस्तार, उदार तथा व्यापक हैं। इसमें मानवीय अधिकारों और मौलिक स्वतन्त्रताओं पर बहुत बल दिया गया है। (ख) न्यास पद्धति के उद्देश्यों में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को प्रथम स्थान दिया गया है, मैण्डेट पद्धति में ऐसा नहीं था। अतः उसमें मैण्डेट पाने वाले राष्ट्रों पर यह पावबी लगाई गई थी कि वे अपने प्रदेश में कोई नैतिक अड्डे नहीं स्थापित करेंगे, निवासियों को पुलिस के अनिरीक्षित नैतिक प्रशिक्षण नहीं देंगे। किन्तु न्यास पद्धति में ये प्रतिबन्ध समाप्त हो गये हैं। आपेनहाइम के मतानुसार म० रा० सभ के उपर्युक्त उद्देश्य इस आशय के होते हैं कि राष्ट्रसभ के प्रतिज्ञापत्र ने मैण्डेट पाने वाले राष्ट्रों पर इन प्रदेशों में फौजी भर्ती और किलेबन्दी करने के जो प्रबल प्रतिबन्ध लगाये थे, उनका परित्याग कर दिया गया है। (ग) न्यास पद्धति में मैण्डेट पद्धति की 'मुक्त द्वार' (Open door) नीति का परित्याग किया गया है। (घ) न्यास परिषद् का मगठन स्थायी मैण्डेट कमीशन से सर्वथा भिन्न है। मैण्डेट कमीशन के सदस्य वैयक्तिक योग्यता के आधार पर चुने जाते थे। किन्तु न्यास परिषद् में सदस्यों का चुनाव राज्यों के आधार पर होता है, इसके सदस्य व्यक्ति नहीं, राज्य होते हैं। यद्यपि राज्यों के लिये यह आवश्यक है कि वे अपने प्रतिनिधित्व के लिये विशेष रूप से योग्य व्यक्ति चुनें। इसका परिणाम यह है कि न्यास परिषद् की कार्यक्षमता घट गई है। ब्रिक्सों के मतानुसार मैण्डेट कमीशन अधिक क्षमता से कार्य करने वाला था, वह धीमे-निवेशित प्रशासकों की कठिनाइयों और दायित्वों को सही भाँति समझता था। "यह सम्भव नहीं प्रतीत होता कि न्यास परिषद् अपना कार्य इतनी अच्छी तरह करने में समर्थ होनी। मैण्डेट कमीशन की दूसरी विशेषता यह थी कि इसके सदस्यों को बहुसंख्या मैण्डेट न रखने वाले राज्यों की होती थी। किन्तु न्यास परिषद् में न्यास प्रदेशों के प्रशासन से सम्बन्ध न रखने वाले सदस्यों की संख्या पचास प्रतिशत रह गई है।" (ङ) न्यास पद्धति के कार्य मैण्डेट पद्धति की अपेक्षा अधिक विस्तृत और विस्तार हैं।

पहले अन्तर्राष्ट्रीय विविशास्त्रियों में मैण्डेटों की प्रभुसत्ता के सम्बन्ध में उग्र विवाद था। किन्तु न्यास प्रदेशों के सम्बन्ध में ऐसा कोई विवाद नहीं है। न्यास प्रदेशों पर प्रशासन करने वाले राज्य इनके प्रभु (Sovereign) नहीं हैं, क्योंकि वे सयुक्त राष्ट्र सभ के निरीक्षक में न्यास के रूप में कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिये इनका प्रशासन कर रहे हैं। ब्रिक्सों के मतानुसार "जैसे वैयक्तिक कानून में सम्पत्ति

रखने के दो प्रकार हैं—वैयक्तिक स्वामित्व और न्यास (Trust), उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय कानून में सरकार या शासन के दो ढंग हैं—(१) प्रभुसत्ता और (२) मँडेट या न्यास ।" जिस प्रकार किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को विधेय उद्देश्य के लिये दो गई अमानत या धरं हर उसकी सम्पत्ति नहीं बन सकती और वह उसका मनमाना उपयोग नहीं कर सकता इसी प्रकार प्रजासक-राज्य को न्यास प्रदेश पर कोई स्वामित्व या प्रभुसत्ता नहीं होती ।* किन्तु इसके न होने पर भी उसे न्यास प्रदेश के सम्बन्ध में बहुत व्यापक अधिकार होते हैं । वह उन प्रदेशों में हवाई, सैनिक तथा नौसैनिक ब्रह्मे स्थापित कर सकता है, इन प्रदेशों को अन्य प्रदेशों के साथ मिलाकर चुगी और प्रशासन की दृष्टि से सघों का निर्माण कर सकता है ।^६

राज्यों की मान्यता

(Recognition of States) १३

मान्यता का लक्षण (Definition of Recognition)—अन्तर्राष्ट्रीय कानून और व्यवहार की दृष्टि में मान्यता (Recognition) प्रसाधारण महत्त्व रखती है। अन्य राज्यों द्वारा किसी नए राज्य की मान्यता ही उसे राष्ट्रीय के परिवार का सदस्य बनानी है, जब तक उसे यह स्वीकृति नहीं मिलनी, तब तक सन्निधाली राज्य होते हुए भी अन्तर्राष्ट्रीय जगत के कानून और व्यवहार में उसे कोई स्थान नहीं प्राप्त होता। नई राजनीतिक तन्त्राये मान्यता द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व (International Personality) धारण करती हैं। अतः फेनविक (Fenwick) ने मान्यता का लक्षण करते हुए लिखा है कि "यह अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के एक वर्तमान सदस्य द्वारा ऐसे राज्य या राजनीतिक दल के अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को विधिपूर्वक स्वीकार करता है, जिसके साथ अब तक इस के सरकारी सम्बन्ध नहीं थे।" जेसप (Jessup) के मतानुसार "किसी राज्य की मान्यता द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि उसे मान्यता देने वाले राज्य की दृष्टि में मान्यता दी जान वाली मता राज्य की सब विशेषताओं में सम्मिलित है।" वह अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार और कर्तव्य रखती है। मान्यता द्वारा राजनीतिक दृष्टि से सपठित और एक निश्चित प्रदेश पर बसे मानव-समाज को अन्तर्राष्ट्रीय समाज का अंग मान लिया जाता है। ओपेनहाइम (Oppenheim) के मतानुसार "केवल मान्यता द्वारा ही कोई राज्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय बनता है।" *English edition*

प्रत्येक राज्य को अन्य राज्यों द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है तो उसे पहले उसके पास निश्चित भूप्रदेश, स्थायी जनसंख्या, सरकार और अन्य राज्यों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की क्षमता होनी चाहिए। किन्तु राजनीतिक विवादों और कूटनीतिक स्वार्थों के कारण विभिन्न राष्ट्र मान्यता प्रदान करने में किन्हीं सर्वमान्य सिद्धान्तों का अनुसरण नहीं करते। प्रथम विश्वयुद्ध में मित्रराष्ट्रों ने पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया को इन राज्यों के निर्माण से बहुत पहले ही मान्यता प्रदान की थी। किन्तु दुर्भाग्यवश राष्ट्रों ने बाल्बोवीक वान्ति के बाद १९१६ में स्थापित इस का साम्यवादी सरकार को कई वर्षों तक मान्यता नहीं प्रदान की। स० रा० अमरीका ने इजराइल राज्य की स्थापना के कुछ घंटों के भीतर ही उस मान्यता दी, किन्तु चीन की

साम्यवादी सरकार को उसका शासन स्थापित होने के २० वर्ष बाद भी उसने अब तक स्वीकार नहीं किया। राजनीतिक उलझनों के कारण तथा मान्यताओं के विविध प्रकार होने से स्टार्क ने इसे अन्तर्राष्ट्रीय कानून का एक बड़ा जटिल और विलम्ब भय बताया है।

Superiority question
मान्यता विषयक सिद्धान्त (Theories of Recognition)—मान्यता के सम्बन्ध में दो मुख्य सिद्धांत हैं। पहला निर्माणात्मक (Constitutive) और दूसरा घोषणात्मक (Declaratory) या प्रमाणात्मक (Evidentiary) सिद्धान्त कहलाता है। पहले सिद्धांत के अनुसार मान्यता द्वारा ही राज्य का निर्माण होता है, यही इसे जन्म देती है। जब तक किसी राज्य को मान्यता नहीं दी जाती, तब तक उसकी कोई अन्तर्राष्ट्रीय सत्ता नहीं होती। इस मत के जन्मदाता हेगल (Hegel) तथा मुख्य समर्थक ओपेनहाइम (Oppenheim), जेलिनेक (Jellinek) और हालण्ड (Holland) हैं। ओपेनहाइम के मतानुसार केवल मान्यता द्वारा ही राज्य को अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व मिलता है। हालण्ड के शब्दों में राज्य उस समय तक परिपक्वत्व (Maturity) को नहीं प्राप्त करता, जब तक वह मान्यता की मुहर से अंकित न हो, ऐसा होने पर ही वह अपने सब अधिकारों का पूर्ण उपभोग कर सकता है।

दूसरे सिद्धान्त के मुख्य समर्थक पिट कॉबेट (Pitt Cobbett), हाल (Hall) वेगनर, फिशर और ब्रियर्ली (Brierly) हैं। इनके मतानुसार राज्य का निर्माण और जन्म मान्यता देने से बहुत पहले ही चुका होता है। पहले से विद्यमान राज्य का मान्यता प्रदान करना केवल उसके राज्य होने की घोषणा (Declaration) मात्र करना है अथवा यह उस राज्य की सत्ता का प्रमाण या साक्षी होता है, अतः इसे घोषणात्मक या प्रमाणात्मक सिद्धान्त कहते हैं। मान्यता किसी राज्य को जन्म नहीं देती, किन्तु पहले से विद्यमान राज्य को स्वीकृति प्रदान करती है। यह एक राजनीतिक कार्य है, इसका उद्देश्य नए राज्य के साथ दौलत सम्बन्ध स्थापित करना होता है। राज्य के अस्तित्व या सत्ता का मान्यता से कोई सम्बन्ध नहीं है, यह मान्यता से पहले ही विद्यमान होती है।

ये दोनों सिद्धान्त सर्वथा विरोधी हैं। स्टार्क (Starke) का यह मत है कि सच्चाई सम्भवतः इन दोनों के बीच में है। कुछ परिस्थितियों में पहला सिद्धान्त सत्य होता है और इनसे विभिन्न परिस्थितियों में दूसरा सिद्धान्त सच्चा जान पड़ता है। मान्यता प्रायः राजनीतिक कारणों से दी जाती है, अतः इसे राज्य का निर्माण करने वाला कहा जा सकता है। इस स्थिति में पहला सिद्धान्त ठीक होगा। किन्तु कई बार मान्यता देने में कानूनी कारणों के आधार पर पर्याप्त विलम्ब किया जाता है। उदाहरणार्थ, १९१७ में स्थापित एस की साम्यवादी सरकार को ग्रेट ब्रिटेन, स० रा० अमेरिका, फ्रांस आदि ने काफी समय तक इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि उसने जारशाही के शासनकाल में लिए गये इन देशों के ऋणों को अदा करने में इन्कार किया था। इस परिस्थिति में राज्य प्रायः तभी मान्यता प्रदान करते हैं, जब उन्हें

इसके बदले में नई सरकार से कुछ लाभ प्राप्त हों। उनका मान्यता में विलम्ब करना ही यह सूचित करता है कि उसमें राज्य की विशेषतामें विद्यमान हैं, किन्तु किन्हीं राजनीतिक कारणों से वे उसे मान्यता नहीं दे रहे हैं। यदि कई राज्य किसी नए राज्य को मान्यता देने हैं तो किसी एक राज्य द्वारा इसे मान्यता न देना इस पर कोई प्रभाव नहीं डालता। मान्यता का अभाव किसी राज्य या सरकार की सत्ता के अभाव को नहीं प्रकट करता। उदाहरणार्थ, साम्यवादी चीन को यद्यपि स० रा० अमरीका ने मान्यता नहीं प्रदान की, किन्तु इसके न होने से यह नहीं कहा जा सकता कि साम्यवादी चीन की सत्ता नहीं है। अतः इस दृष्टि से दूसरा धोषणात्मक सिद्धान्त ही मत्त प्रतीत होता है।

इस सिद्धान्त के अधिक अर्थ होने के कुछ अर्थ भी प्रमाण हैं। (१) यदि नवीन राज्य के न्यायालयों में यह प्रश्न उत्पन्न हो कि इस राज्य का जन्म कब हुआ था तो इसका निर्णय अन्य राज्यों के साथ इसकी मन्धिया करने के समय में आरम्भ नहीं किया जाता, अपितु इसका जन्मकाल वह समझा जाता है, जबकि इसने राज्य होने की सब आवश्यकताओं को पूरा किया था। (२) नये राज्य की स्वीकृति भूतप्रभावी (Retroactive) होती है अर्थात् न्यायालय नई सरकार को मान्यता देने के बाद किए गए इसके कार्यों को ही वैध नहीं मानते, अपितु मान्यता दिए जाने से पूर्व भूतकाल में उस समय से उनके कार्यों को वैध मानते हैं, जब से नई सरकार ने कार्य करना आरम्भ किया था। इससे यह स्पष्ट है कि मान्यता से पहले भी नई सरकार की सत्ता थी। उपर्युक्त दोनों प्रमाणों में दिए गए नियम मुख्य रूप से इस सिद्धान्त पर आधारित हैं कि कोई ऐसा काल नहीं होना चाहिये कि जब किसी प्रदेश में किसी राज्य या सरकार का अभाव हो। राज्य की प्रभुसत्ता तथा शासन-सत्ता के लिए सातत्य (Continuity) का होना आवश्यक है। यदि ऐसा न हो तो मध्यवर्ती अराजककाल में नागरिकों द्वारा किए गए व्यवहार तथा सविधायी अवैध हो जायेंगी क्योंकि उस समय कोई मान्यता-प्राप्त सरकार नहीं थी। अतएव दूसरे सिद्धान्त में ही अधिक सचाई जान पड़ती है।

प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्री लौटरपैच्ट (Lauterpacht) ने मान्यता पर लिखे अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ में निर्माणात्मक सिद्धान्त को इसलिए अधिक ठीक बताया है कि यह राज्यों के आचरण तथा मुनिद्वित कानूनी सिद्धान्तों के अनुरूप है। उसका यह मत है कि जब कोई नया राज्य या सरकार, राज्य होने की आवश्यक शर्तों को पूरा कर लेता है तो प्रत्येक राज्य वा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति यह कर्तव्य है कि वह नये राज्य को मान्यता प्रदान करे। १९४८ में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भी इसी प्रकार की सम्मति प्रकट की थी कि सयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्यों को इसके नये सदस्य बनाते हुए चार्टर की धारा ४ में उम्मीदवारों के लिए दी गयी शर्तों पर विचार करना चाहिये, राजनीतिक स्वार्थों की दृष्टि से इस प्रश्न पर मोचना उचित नहीं है।

किन्तु स्टार्क ने लौटरपैच्ट के उपर्युक्त मत को सही नहीं माना। यदि

वास्तव में राज्य कानूनी दृष्टि से विचार करने के बाद मान्यता प्रदान करते तो यह प्रश्न इतना जटिल नहीं होता। वस्तुतः राज्य इस पर राजनीतिक स्वार्थों की दृष्टि से विचार करते हैं। स० रा० अमरीका ने १९४८ में इजराइल की सरकार की स्वीकार करने में इतनी जल्दी की कि स० रा० सभ में अमरीका के प्रतिनिधिमंडल को इसका ज्ञान समाचारपत्रों से हुआ किन्तु, चीन की साम्यवादी सरकार को यह उसका शासन स्थापित होने के बीस वर्षों बाद भी मान्यता नहीं दे रही। लौटरपैस्ट के मतानुसार राज्य को आवश्यक शर्तें पूरी करने वाली सरकार को मान्यता दिया जाना कानूनी कर्तव्य है। किन्तु यदि कोई राज्य यह कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा तो उससे यह कर्तव्य कैसे पूरा कराया जाय ? यदि स० रा० अमरीका साम्यवादी चीन को स्वीकार नहीं करता तो उसे इसके लिए कैसे बाध्यित किया जा सकता है ? फिर प्रत्येक कर्तव्य के साथ अधिकार होता है। मान्यता देना यदि कर्तव्य है तो अधिकार भी है। यह अधिकार मान्यता चाहने वाले राज्य का समझा जाय या अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का। इसका निश्चय राज्यों के व्यवहार से ही सकता है, किन्तु वे ऐसा कोई अधिकार नहीं स्वीकार करते। अतः लौटरपैस्ट का मत ठीक नहीं प्रतीत होता।

वस्तुतः मान्यता देने या न देने के सम्बन्ध में राज्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों का अनुसरण नहीं करते, इसका निर्धारण राजनीतिक हितों की दृष्टि से किया जाता है और मान्यता न होने पर भी राज्यों की सत्ता स्वीकार की जाती है। स० रा० अमरीका के अपील न्यायालय ने १९२३ में Walfsohn V. Russian Socialist Federated Soviet Republic के मामले में यह निर्णय दिया था कि यद्यपि सोवियत सरकार को स० रा० अमरीका ने अभी तक मान्यता प्रदान नहीं की, फिर भी वह तथ्यानुसार (De facto) सरकार है और इसलिए अमरीकन न्यायालयों में उस पर कोई मामला नहीं चल सकता। इससे यह स्पष्ट है कि मान्यता का दूसरा धोषणात्मक सिद्धान्त ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार की दृष्टि से अधिक सत्य है।

मान्यता देने की विधियाँ (Modes of According Recognition)—किसी नये राज्य को प्रायः निम्नलिखित विधियों से मान्यता प्रदान की जाती है—

(क) संधि करना—मान्यता देने वाला राज्य नये राज्य के साथ सन्धि (Treaty) करके उसे मान्यता प्रदान करता है। ये सन्धियाँ दो प्रकार की होती हैं, कुछ सन्धियों में मान्यता का स्पष्ट उल्लेख नहीं होता, जैसे स० रा० अमरीका ने स्वतन्त्र होने के बाद फ्रांस से संधि की थी। इस सन्धि में यद्यपि स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया था कि फ्रांस स० रा० अमरीका को स्वीकार करता है, किन्तु इसकी शर्तें ऐसी थी, जो केवल स्वतन्त्र राज्यों के बीच ही सकती थी। दूसरे प्रकार की सन्धियों में राज्यों की स्वीकृति का स्पष्ट उल्लेख होता है जैसे जर्मनी ने १८८४ में कागो फ्री स्टेट के साथ सन्धि करके उसे स्वीकार किया।

(ख) स० रा० सभ की सदस्यता—राष्ट्र सभ या संयुक्त राष्ट्र सभ में प्रवेश नये राज्यों को मान्यता प्रदान करता है। कनाडा जैसे ब्रिटिश डोमिनियनों को राष्ट्र सभ की सदस्यता से मान्यता प्राप्त हुई। स० रा० सभ ने लिबिया आदि अनेक नये राज्यों

को मान्यता प्रदान करी है। किसी राष्ट्र के स० रा० सब का सदस्य बन जाने पर उसे सब राज्यों से एक साथ सामूहिक मान्यता (Collective recognition) मिल जाती है। उस विभिन्न राज्यों में पृथक्-पृथक् मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती (देखिए पूर्वोक्त (क) विधि)।

(ग) राजनीतिक प्रतिनिधियों तथा दूता के आदान प्रदान (Exchange of Diplomatic Envoys) से।

(घ) मान्यता देने वाले राज्य की एकपक्षीय घोषणा (Unilateral Declaration) द्वारा, इजरायल राज्य की स्थापना के दम भिन्न के भीतर स० रा० अमरीका की सरकार ने एक घोषणा द्वारा उसे स्वीकार कर लिया।

(ङ) मान्यता देने वाले कई राज्यों के सामूहिक नोट या घोषणा (Collective Declarations) द्वारा। ग्रेट ब्रिटेन, आस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, उत्तरी जर्मनी, रूस तथा टर्की के प्रतिनिधियों ने एक प्रोत्सोकाल पर २४ जनवरी, १८७१ को हस्ताक्षर करके जर्मन साम्राज्य को मान्यता प्रदान की थी।

(च) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रवेश द्वारा भी मान्यता प्राप्त होती है। १८३१ में वेरिजियम की स्थापना के बाद उसे महासम्मेलन का लन्दन सम्मेलन में सम्मिलित होने से मान्यता मिली। पार्लमण्ट और चैकोस्लावाकिया पेरिस सम्मेलन में भाग लेने तथा बर्सीय की संधि पर हस्ताक्षर करने से राज्य माने गये।

स्पष्ट और ध्वनि मान्यता (Express and Implied Recognition)— जब कोई राज्य किसी नई राजनीतिक सत्ता को किसी घोषणा या सन्धिपत्र द्वारा मान्यता प्रदान करता है तो यह स्पष्ट (Express) होती है अतः इसे स्पष्ट मान्यता कहते हैं। किन्तु कई बार अनेक राजनैतिक कारणों से कुछ राज्य नई सत्ता को स्पष्ट मान्यता तो नहीं प्रदान करते किन्तु उसके साथ इस प्रकार के कई व्यवहार करते हैं, जिनसे यह ध्वनि या परिणाम निकाला जा सकता है कि वे उस सत्ता को मान्य समझते हैं। इसे ध्वनित (Implied) मान्यता कहते हैं। किसी राज्य के निम्नलिखित व्यवहारों से यह ध्वनि निकाली जा सकती है कि उसने नई राजनैतिक सत्ता को स्वीकार कर लिया है।

(१) द्विपक्षीय सन्धि (Bilateral Treaty)—यदि मान्यता देने वाला राज्य नई राजनीतिक सत्ता के साथ कोई सन्धि करता है तो इससे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि उसने उसे स्वीकार कर लिया है। इसका प्रसिद्ध उदाहरण १९२२ में स० रा० अमरीका की भागवाई शोक के राष्ट्रवादी चीन के साथ की गयी व्यापारिक सन्धि है। आज स० रा० अमरीका चीन की जिस सरकार को साम्यवादी सरकार की चुनना में वास्तविक समझना है उसे उगने १९५५ में इस प्रकार अस्पष्ट रूप से मान्यता दी थी।

(२) दौत्य सम्बन्धों की स्थापना—जब मान्यता देने वाला राष्ट्र किसी नई राजनीतिक सत्ता के साथ अनेक दूतों का आदान प्रदान करता है तो उससे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि उसने उसे स्वीकार कर लिया है, क्योंकि दौत्य सम्बन्ध राज्यों

में ही स्थापित होते हैं।

(३) किसी नये राज्य में अन्य राज्य द्वारा वाणिज्य दूत (Consul) को नियुक्ति करने वाले अधिकार पत्र (Exequatur) से भी यही परिणाम निकाला जाता है। नये राज्यों का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेना, मान्यताप्राप्त राज्यों के साथ सन्धि-वार्ता करना तथा बहुपक्षीय सन्धियों में हस्ताक्षर करना भी उनकी ध्वनित मान्यता का सूचक होता है। किन्तु कई बार बहुपक्षीय सन्धियों (Multilateral treaties) में कुछ राज्य स्पष्ट रूप से यह उल्लेख कर देते हैं कि इस पर हस्ताक्षर करने का यह अर्थ नहीं समझा जाना चाहिये कि वे हस्ताक्षर करने वाले सभी राज्यों को मान्य समझते हैं। १६ अक्टूबर १९५३ को सम्पन्न हुए एक अन्तर्राष्ट्रीय खाड सम्मेलन पर हस्ताक्षर करते हुए ग्रेट ब्रिटेन ने यह घोषणा की कि वह इस पर चीन की ओर से चीन की राष्ट्रवादी (Nationalist) सरकार के हस्ताक्षर वैध नहीं मानता।

एकाकी तथा सामूहिक मान्यता (Single and Collective Recognition) —

प्रायः नये राज्य को अन्य राज्य वैयक्तिक एवं पृथक् रूप से मान्यता देते हैं। एक राज्य द्वारा दी जाने वाली यह मान्यता एकाकी (Single) कहलाती है। किन्तु कई बार अनेक राज्य मिलकर किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन या सम्मेलन द्वारा नये राज्यों को सामूहिक (Collective) मान्यता प्रदान करते हैं। १९७७ में बर्लिन कांग्रेस ने रुमानिया बल्गारिया, सर्बिया, मोण्टेनीग्रो को मान्यता दी थी, १९२१ में मित्रराष्ट्रों ने इस्टोनिया तथा अल्बानिया को स्वीकार किया था। सामूहिक मान्यता वैयक्तिक मान्यता की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक होती है।

प्रतिक्षिप्त (Precipitate) मान्यता—किसी राज्य में क्रांति होने पर जब इसका कोई अंश पृथक् होकर अपनी स्वतंत्र सरकार स्थापित करने की घोषणा करता है तो दूसरे देशों के सम्मुख इसे मान्यता देने का जटिल प्रश्न उपस्थित होता है। उस समय अन्य राज्य यह देखते हैं कि ऐसी घोषणा करने वाली नई सरकार की सत्ता अपने प्रदेश में मुद्दक रूप में सुप्रतिष्ठित हो गई है या नहीं। यदि इस समय जल्दबाजी में मान्यता दी जाय तो यह प्रतिक्षिप्त मान्यता होती है। कई बार ऐसी मान्यता क्रांति वाले देश में पहले से ही विद्यमान सरकार के साथ अन्यायपूर्ण, उसकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाने वाली तथा उसके घरेलू मामलों में अनुचित हस्तक्षेप करने वाली होती है।

वास्तविक तथा कानूनी मान्यता (De facto and De jure Recognition) — स्टार्क के शब्दों में “विधित (De jure) या कानूनी मान्यता का अर्थ यह है कि मान्यता देने वाले राज्य के मतानुसार विधिपूर्वक स्वीकार किया जाने वाला राज्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करता है तथा अन्तर्राष्ट्रीय समाज में प्रभावशाली भाग ग्रहण करने की क्षमता रखता है। वास्तविक (De facto) मान्यता का यह प्राण्य है कि मान्यता देने वाले राज्य की दृष्टि में मान्यता दिया जाने वाला राज्य अस्थायी रूप से अन्तर्राष्ट्रीय कानून को उपर्युक्त आवश्यकताओं को पूरा करता है।” प्रायः यह मान्यता किसी देश में क्रांति, विद्रोह या राज्य-परिवर्तन होने के बाद ४. De facto का शब्दार्थ है तथ्य की दृष्टिसे और De jure का अर्थ कानूनी दृष्टि से।

11

जिनसे यह प्रकट हो कि सरकार को जनता का सामान्य समर्थन प्राप्त है। तीसरी बात इस बात पर बन देना है कि नए राज्य में अपने अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूर्ण करने की सामर्थ्य तथा इच्छा है।" इससे यह स्पष्ट है कि विध्यनुसार मान्यता पाने के लिए तीन आवश्यक तत्व हैं— (१) नए राज्य तथा शासन की सुदृढता तथा स्थायित्व, (२) जनता का समर्थन, (३) अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व पूरा करने की इच्छा और सामर्थ्य।

दोनों प्रकार की मान्यताओं के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। ग्रेट ब्रिटेन ने सोवियत सरकार को तथ्यानुसार (de facto) मान्यता १६ मार्च, १९२१ को प्रदान की और १ फरवरी १९२४ को विध्यनुसार (de jure) मान्यता। १९३६ में इटली द्वारा एबीसीनिया की विजय को ब्रिटिश सरकार ने तथ्यानुसार तथा १९३८ में विध्यनुसार मान्यता दी। स्पेन के गृहयुद्ध (१९३६-३८) में इसने पहले जनरल फ्रांको की सरकार द्वारा जीते गये प्रदेशों में उसे तथ्यानुसार तथा बाद में समूचा स्पेन जीतने पर उसे विध्यनुसार मान्यता दी। इजरायल की सरकार को सं० रा० अमरीका तथा ग्रेट ब्रिटेन ने तथ्यानुसार तथा विध्यनुसार मान्यता क्रमशः १५ मई, १९४८ तथा जनवरी, १९४९ को एवं २९ जनवरी, १९४९ और २७ अप्रैल, १९५० को दी। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि तथ्यानुसार मान्यता विध्यनुसार मान्यता का पूर्वरूप और इसे देने की भूमिका-मात्र होती है। इसे अर्थात्वा या रद्द किया जाने योग्य समझना ठीक नहीं है।

मान्यता के कानूनी पहलुओं की दृष्टि में ब्रिटिश कानून के अनुसार दोनों में कोई बड़ा अन्तर नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन द्वारा तथ्यानुसार (de facto) स्वीकार की गई सरकार विध्यनुसार (de jure) मान्यताप्राप्त सरकार की भांति सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न सरकार होती है। दोनों सरकारों की मान्यता भूतप्रभावी (Retroactive) होती है, अर्थात् यह मान्यता भवे ही किसी समय की आय, किन्तु इसका प्रभाव भूतकाल में उस समय से सम्भा जाता है जब इस सरकार की स्थापना हुई थी। किन्तु दोनों में एक महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि दोत्य सम्बन्ध केवल विध्यनुसार मान्यताप्राप्त सरकार के साथ ही स्थापित किए जाते हैं।

तथ्यानुसार (de facto) तथा विध्यनुसार (de jure) सरकारों के अधिकारों में संपर्प होना स्वाभाविक है। इस अवस्था में ब्रिटिश न्यायालयों के निर्णयानुसार तथ्यानुसार सरकार के अधिकारों को न्यायोचित समझा जाता है। यह इस विषय के दो प्रसिद्ध मामले Bank of Ethiopia v The National Bank of Egypt and Liguori (1957, ch 513) तथा S S Arantzazu Mendia v The Government of Republican Spain (1939), A C 266 से स्पष्ट है। इनका विस्तृत विवरण प्रथम परिशिष्ट में दिया गया है, यहाँ संक्षिप्त उल्लेख ही पर्याप्त होगा। पहले मामले में १९३६ में एबीसीनिया जीतने के बाद तथा इंग्लैण्ड से तथ्यानुसार मान्यता पाने के बाद इटली की सरकार ने कुछ नियम बनाये, वे एबीसीनिया से भागे हुए तथा उसके विध्यनुसार शासक माने जाने वाले सम्राट हेलेमिलामी द्वारा बनाये गये नियमों से विरोध रखते थे। जब यह मामला ब्रिटिश न्यायालय में लाया

गया तो न्यायाधीश क्लॉसोन (Clouston) ने यह निर्णय दिया कि विध्यनुसार शासक का अधिकार और सत्ता सैद्धान्तिक है, वह अपने नियमों को लागू करने की शक्ति नहीं रखता। किन्तु इटली की सरकार का एबीमीनिया के प्रदेश पर पूरा प्रभुत्व है, वह तथ्यानुसार सरकार है, अतः उसके बनाये हुए नियम विध्यनुसार शासक की सरकार द्वारा बनाये गये नियमों से प्रबल है।

दूसरे मामले में स्पेन के गृहयुद्ध (१९३६-३९) के समय वैध (Legitimate) एव अभिद्रोही (Insurgent) सरकार के अधिकारों में संशय था। ग्रेट ब्रिटेन स्पेन की गणराज्यवादी सरकार को विध्यनुसार (de jure) मानता था, किन्तु इसके साथ ही वह जनरल फ्रांको की अभिद्रोही सरकार को उस प्रदेश में तथ्यानुसार या वास्तविक मानता था, जिसे इमने जोतकर अपने नियन्त्रण में कर लिया था। ब्रिटिश नौसैनिक न्यायालय में स्पेन की विध्यनुसार सरकार ने फ्रांको की सरकार द्वारा पकड़े गये एक जहाज को श्राप्य करने के लिये 'तथ्यानुसार सरकार' पर दावा किया था। इस जहाज की रजिस्ट्री बिल्बार्नो बन्दरगाह में हुई थी। इन पर फ्रांको की सरकार का अधिकार हो गया, अतः फ्रांको सरकार की प्राप्ति पर उक्त जहाज ग्रेट ब्रिटेन ने उसे दे दिया। इसकी पुनः प्राप्ति के लिये स्पेन की विध्यनुसार सरकार ने फ्रांको की सरकार पर ब्रिटिश न्यायालय में इस आधार पर मुकदमा चलाया कि यह विद्रोही सरकार है, स्पेन के समूचे प्रदेश पर इसका आधिपत्य नहीं अतः यह पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न राज्य नहीं है, उसे यह जहाज नहीं मिलना चाहिये। इसके विरुद्ध फ्रांको की अभिद्रोही सरकार का यह कहना था कि तथ्यानुसार मान्यता प्राप्त होने के कारण वह सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न सरकार है, अतः वह दूसरे देश के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उन्मुक्त (Immune) है। ब्रिटिश न्यायालय को उसके विरुद्ध अनियोग मुनने का कोई अधिकार नहीं है। लार्ड सभा के प्रधान न्यायाधीश लॉर्ड एटकिन ने इस मामले में जनरल फ्रांको के पक्ष में निर्णय दिया।

तथ्यानुसार तथा विध्यनुसार सरकारों में उपर्युक्त निर्णयों के अनुसार जहाँ तक देशीय कानून (Municipal law) का सम्बन्ध है, तथ्यानुसार तथा विध्यनुसार सरकारों में कोई बड़ा अन्तर नहीं रहा। फिर भी न्यायाधीश लॉर्ड पैन्ड ने इनका एक बड़ा कानूनी अन्तर यह बनाया है कि तथ्यानुसार सरकार की मान्यता द्वारा उसे मान्यता देने वाली सरकार इसकी राजनीतिक शक्ति के बाह्य रूप को स्वीकार करते हुए इसके प्रदेश में अपने व्यापार की एव अन्य स्वार्थों की सुरक्षा कर लेती है, किन्तु इस सरकार द्वारा किये जाने वाले सबंध कार्यों के दोषमाजन (Condoning) की जिम्मेदारी से बच जाती है। इसके अनिश्चित इन देशों में निम्नलिखित तीन सूक्ष्म अन्तर हैं—
 (१) विध्यनुसार (de jure) मान्यताप्राप्त सरकार ही मान्यता देने वाले राज्य के प्रदेश में विद्यमान अपनी संपत्ति को प्राप्त करने का दावा कर सकती है। (२) विध्यनुसार (de jure) सरकार ही राज्य के उत्तराधिकारियों के मामले में पुराने राज्य का प्रतिनिधित्व कर सकती है। (३) तथ्यानुसार (de facto) स्वीकार की गई सरकार को दूसरों के आदान प्रदान का तथा इन्हें दिने जाने वाले विदेशी अधिकारों

अधिकार नहीं होता।

राजनीतिक परिस्थितियों का मान्यता पर प्रभाव (The Effect of Political Conditions on Recognition)—अन्तर्राष्ट्रीय कानून की परम्परागत पुरानी विचार-धारा के अनुसार राज्य मान्यता के विषय में पूरी स्वतन्त्रता रखते हैं। यह उनकी इच्छा है कि वे किसी नये राज्य को स्वीकृति प्रदान करें या न करें, इस विषय में उन पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। मान्यता का प्रश्न कानूनी नहीं है, किन्तु राजनीतिक महत्व रखता है। राजनीतिक परिस्थितियों का मान्यता पर महत्वा प्रभाव पड़ता है।

राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर राज्य बहुधा नये राज्यों को कई बार बहुत जल्दी और कई बार बहुत देर में मान्यता प्रदान करते हैं। उदाहरणार्थ, प्रथम विद्वयुद्ध के समय ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और स० रा० अमरीका ने पोलैण्ड तथा चेकोस्लोवाकिया (Czechoslovakia) को इनके निर्माण से बहुत पहले ही मान्यता प्रदान की थी क्योंकि ये जर्मनी तथा आस्ट्रिया हंगरी के विरुद्ध युद्ध में उसके साथ थे। दूसरी ओर बोल्शेविक क्रान्ति के बाद १९१७ में रूस में स्थापित साम्यवादी सरकार को ग्रेट ब्रिटेन और स० रा० अमरीका ने बहुत बर्षों बाद मान्यता प्रदान की क्योंकि वे राजनीतिक दृष्टि से रूस में स्थापित कम्युनिस्ट सरकार को बड़ी शका और भय की दृष्टि से देखते थे। साम्यवादी रूस ने जारशाही की पुरानी सरकार द्वारा स्वीकार की गयी सधियों तथा लिये गये कजों की घदागगी के दायित्वों को स्वीकार नहीं किया था। इस विषय में अमरीकी परराष्ट्र मन्त्री ह्यूजेस ने कहा था—“रूस के मामले में इस विषय में बड़ी धासान नगोटी है और यह बड़ा भौतिक महत्व रखती है। यह कसौटी अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों को सद्भावना (Good faith) के साथ पूरा करने की है। मैं सद्भावना को अत्यधिक महत्वपूर्ण इसलिये मानता हूँ कि शब्दों का खेलना बड़ा आसान है किन्तु ऐसे आश्वासनों का क्या लाभ जब कि विधिसम्मत दायित्वों (Valid obligations) तथा अधिकारों को खण्डित किया जाय और सम्पत्ति जब्त कर ली जाय।” रूस ने ब्रिटिश तथा अमरीकन सरकारों के कजें देने में मना किया था, इन देशों की कम्पनियों की रूस में स्थित सम्पत्ति राष्ट्रीय करण कानून द्वारा जब्त कर ली थी, अतः इन दोनों देशों ने इसे क्रमशः १९२१ तथा १९३३ तक कोई मान्यता प्रदान नहीं की थी।

फ्रांस सन्तवर्षीय युद्ध (१७५६-१७६३) में ग्रेट ब्रिटेन से पराजित होने के कारण उसका पौर शत्रु था। अतः जब अमरीका ने अपनी स्वतन्त्रता की तथा इंग्लैण्ड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का तो फ्रांस ने न केवल उस नये राज्य को १७७८ में स्वीकार किया, अपितु उसे युद्ध में सहायता दी। पानामा नहर की भौगोलिक स्थिति के कारण स० रा० अमरीका पानामा राज्य में अपने अनुकूल सरकार रखना चाहता था। जब यहाँ १९०३ में कोलोम्बिया (Columbia) में प्रयुक्त होकर ऐसी सरकार की स्थापना क्रान्ति द्वारा हुई तो स० रा० अमरीका ने क्रान्ति के तीन दिन बाद ही नई सरकार को मान्यता प्रदान की।

राजनीतिक परिस्थितियों के कारण मान्यता देने या न देने के दो सन्दर उदाहरण इराकल और साम्यवादी चीन हैं। १४ मई, १९४८ को मध्यरात्रि को फेलेस्टाइन

पर ग्रेट ब्रिटेन का मण्डेट या शासनादेश (Mandate) समाप्त होना था। इससे पहले ही यहूदियों के संगठन (Zionist organisation) ने इजराइल के यहूदी राज्य की स्थापना करने का तथा इसकी अस्थायी सरकार बनाने का निश्चय किया और वार्सिंगटन में राष्ट्रपति को १४ मई को इस बात की सूचना दी गई कि वार्सिंगटन के समय के अनुसार १४ मई १९४८ की शाम को छः बजे (इजराइल की राजधानी तेल अवीव के अनुमार १२ बजे मध्यरात्रि) के एक मिनट बाद इजराइल के स्वतन्त्र गणराज्य की स्थापना होगी। राष्ट्रपति ट्रूमैन ने ग्राम को ६ बजकर ११ मिनट पर यहूदी राज्य की अस्थायी सरकार को इजराइल के नये राज्य की तथ्यानुसार सत्ता (De facto authority) मानने की स्वीकृति प्रदान की।^१ इसने स्पष्ट है कि अमरीकी सरकार इजराइल को मान्यता प्रदान करने का निश्चय पहले ही कर चुकी थी और उसने राज्य की स्थापना के १० मिनट के भीतर ही इसे मान्यता प्रदान कर दी।

दूसरी ओर भारत सरकार ने इस राज्य को इसके स्थापित होने के सवा दो वर्ष बाद १७ सितम्बर १९५० को मान्यता प्रदान की और मान्यता देने के बाद अब तक इसके साथ दौलत सम्बन्ध (Diplomatic relations) स्थापित नहीं किये। इसके दो मुख्य कारण थे।^२ पहला तो यह कि इजराइल का राज्य अरब मुसलमानों का कट्टर विरोधी था, भारत के मुसलमान इस विषय में अरब के मुसलमानों में सहानुभूति रखते थे। १५ अगस्त १९४७ को घर्म के आधार पर भारत का बँटवारा होकर हिन्दुस्थान और पाकिस्तान बने थे, पाकिस्तान बन जाने पर भी भारत में मुसलमान पर्याप्त संख्या में थे, ये केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में एवं अनेक उच्च राजकीय पदों पर आसीन थे। इस विषय में उनकी भावना बिल्कुल स्पष्ट थी, उसकी अपेक्षा करके सत्ता मान्यता प्रदान करने के कुछ अनिष्ट परिणाम हो सकते थे। अतः भारत सरकार ने इस प्रश्न पर तुरन्त कोई निर्णय नहीं किया। दूसरा कारण यह था कि मित्र, सीरिया आदि अरब राज्य भारत के मित्र थे, वे निरन्तर इस बात का प्रयत्न कर रहे थे कि भारत उनके कट्टर शत्रु इजराइल को किसी प्रकार की मान्यता न प्रदान करे। अतः भारत सरकार ने भारतीय मुसलमानों और मित्र अरब राज्यों को स्पष्ट न करने के उद्देश्य में इस प्रश्न को उस समय टाल दिया और दो वर्ष बाद इजराइल राज्य के मुटुड होने तथा उनका विरोध कम होने पर इसे मान्यता प्रदान की।

साम्यवादी चीन की मान्यता के सम्बन्ध में भी इस समय राजनीतिक कारणों से दो विरोधी दृष्टिकोण हैं। ३१ अक्टूबर १९४९ को पेरिंग में चीनी जनता के गणराज्य की स्थापना की घोषणा की गयी थी। यह साम्यवादी सरकार व्यांग कार्ड गैर की राष्ट्रीय सरकार को हटाकर, उससे समूचा चीनी महाद्वीप जीतकर स्थापित हुई थी और इसी व्यांग कार्ड गैर को फारमोसाटापू में भागने के लिये बाध्य कर दिया। साम्यवादी सरकार को स्थापित हुए दो वर्ष बीन चुके हैं, किन्तु ४० लाख अमरीका ने इसे

१. अमेरिकन वनेब आफ इण्डिपेंडन्स लॉ, खण्ड ५५, १९६१, पृ० ७१०

२. वही, पृ० ४०६

10.2.21.2021-87 22.2.2021

अभी तक मान्यता नहीं प्रदान की। इस विषय में अपनी नीति स्पष्ट करते हुए 1950 में चीनी विदेश मंत्री श्री डलेस ने 26 जून 1950 के भाषण में कहा था—“चीनी साम्यवादी दल ने हिंसा द्वारा सत्ता प्राप्त की है। वह हिंसा द्वारा ही जीवित है।……उसे चीनी जनता की इच्छा से नहीं, किन्तु व्यापक और भीषण दमन से ही सत्ता हस्तगत हुई है। उसने कौरिया में 80 लाख गधों में युद्ध किया है, हिन्दचीन के युद्ध में कम्युनिस्टों की सहायता की है, तिब्बत को बलपूर्वक हस्तगत किया है।……मान्यता एक विशेष अधिकार है, वह उत्तम व्यवहार के अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों से ही उपार्जित की जानी चाहिये।……बोल्शेविकों ने केरेन्सकी में 1917 में सत्ता छीनी थी, फिर भी हम 16 वर्षों तक इस सरकार के समक्ष बाहर रहने वाले प्रतिनिधियों को वैध सरकार मानते रहे। 1932 तक यह प्रतीत हुआ कि इस के कम्युनिस्ट शासन को समाज का शान्तिप्रिय सदस्य माना जा सकता है। उसने पिछले दस वर्षों में सदान्त्र आक्रमण का कोई कार्य नहीं किया। 80 लाख अमरीका में तोड़-फोड़ की कार्यवाहियाँ बन्द करने का वचन दिया। यदि हमें 1932 में पता होता कि हम अपने वचन को भंग करेगा, हम उसे मान्यता न देते। साम्यवादी चीन का पिछला इतिहास भगवान् आक्रमण का इतिहास है। हम उसे मान्यता नहीं दे सकते।” डलेस के इस कथन की पुष्टि 20 अक्टूबर 1962 को चीन द्वारा भारत पर विशाल पैमाने पर किये गये बर्बर एवं विद्रोहवादी आक्रमण ने हुई है।

किन्तु मोवियन रुम तथा उसके मायो देशों ने साम्यवादी चीन को मान्यता प्रदान की। साम्यवादी गुट से बाहर के देशों में बर्मा के बाद इसे मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश भारत था। इसने इसके स्थापित होने के 3 महीने बाद इसे 30 दिसम्बर 1948 को मान्यता प्रदान की। इसे मान्यता देने के कारणों पर प्रकाश डालते हुए 17 मार्च 1950 को श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था—“जब यह स्पष्ट हो गया कि नई चीनी सरकार का चीन की लगभग समूची मुख्य भूमि पर अधिकार है, जब यह बिल्कुल स्पष्ट था कि यह सरकार सुदृढ़ है और कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इसका स्थान ले सके या इसे हटा सके तो हमने नई सरकार को मान्यता दी और यह मुझसे दिया कि हम दूनमण्डलों का आदान प्रदान कर सकते हैं।” भारत द्वारा चीन को मान्यता देने के एक सप्ताह बाद अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सुप्रसिद्ध विद्वान् प्रो० हर्श लौटरपाख्त (Hersch Lauterpacht) ने लगभग इन्हीं आधारों पर साम्यवादी चीन को मान्यता देने का समर्थन किया और ब्रिटिश सरकार ने इसे मान्यता प्रदान की।

सरकारों की मान्यता (Recognition of Governments)—जब किसी राज्य में शान्ति, विद्रोह या पड़ोस द्वारा सरकार में परिवर्तन होता है तो इसकी मान्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है। इस समय मान्यता देने के लिए दो कसौटियों का प्रयोग किया जाता है। पहली वस्तुगत कसौटी (Objective Test) है। इसके अनुसार यह देखा जाता है कि क्या नई सरकार का राज्य के अधिवास प्रदेश पर प्रभावशाली नियन्त्रण (Effective Control) है, दूसरी आत्मगत कसौटी (Subjective Test) है।

इसका यह अभिप्राय है कि क्या नई सरकार अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा स० रा० सघ के चार्टर द्वारा प्रतिपादित किये जाने वाले दायित्वों को स्वीकार करती है और उनका पालन करती है। ऊपर चीन की साम्यवादी मान्यता के मन्वन्ध में जो दो विरोधी दृष्टिकोण दिये गये हैं, वे इन दो कमीटियों को पृथक्-पृथक् रूप में लगाने का परिणाम हैं। साम्यवादी चीन को मान्यता देने वाले हन, भारत, इंग्लैण्ड आदि देश वस्तुगत कसौटी (Objective Test) का प्रयोग करते हुए यह कहते हैं कि चीन को इसलिये मान्यता देनी चाहिए कि उसका चीन की मुख्यभूमि पर अधिकार है तथा उसे वहाँ की जनता का पूरा समर्थन प्राप्त है। भारत सरकार ने साम्यवादी सरकार को उस समय तक मान्यता नहीं प्रदान की, जब तक कि घ्याग कार्ड रोड की सरकार चीन की मुख्य भूमि की राजधानी चुंगकिंग से भागकर पहले जापान के अधिकार वाले फारमोसा टापू में नहीं चली गई। दूसरी ओर इनेम के उपर्युक्त कथन में स्पष्ट है कि अमरीका इस विषय में आत्मगत कसौटी (Subjective Test) को महत्वपूर्ण समझता है, उसे जब तक यह विश्वास नहीं हो जायगा कि साम्यवादी चीन अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करेगा, तब तक वह उसे मान्यता नहीं प्रदान करेगा। मोंदियत रूस को उसने इसी अधिकार पर उसकी स्थापना के १६ वर्ष बाद मान्यता दी थी।

किन्तु यदि कोई सरकार अन्य राज्यों द्वारा मान्यता नहीं प्राप्त करती तो इसका यह आशय नहीं है कि उसकी सत्ता ही नहीं है। मान्यता न होने पर भी उसकी सत्ता स्वीकार की जाती है और ऐसी सरकार के कार्य इसलिये अवैध नहीं होते कि उसे मान्यता नहीं मिली हुई। टिनोको के मामले (Tinoco Case) में इसका नलीमति स्पष्ट किया गया था। यह मामला टग प्रकार था। जनवरी १९१७ में कोस्टा रिका (Costa Rica) की सरकार को टिनोको नामक व्यक्ति ने बदन दिया और अगले दो वर्ष तक कोस्टा रिका में इसी का शासन बना रहा। इस समय नया सविधान लागू किया गया। अगस्त १९१९ में महा पुन कानून हुई और टिनोको को पदच्युत करके पुराना शासन विधान लागू कर दिया गया। १९२२ में एक कानून Law of Nullities द्वारा कोस्टा रिका की सरकार ने टिनोको के शासनकाल में सम्पन्न किये गये सभी ठेके (Contracts) को अवैध घोषित कर दिया। टिनोको सरकार ने अपने शासनकाल में एच ब्रिटिश कम्पनी का कुछ रियायतें प्रदान की थी और वह सरकार रायल बैंक आफ कनादा नामक ब्रिटिश कम्पनी की बहुत ऋणी हो गई थी। १९२२ के उपर्युक्त कानून में ब्रिटिश कम्पनी की रियायतें तथा ऋण रद्द हो गये। इस पर ब्रिटिश सरकार ने यह दावा किया कि १९२२ का कानून इन रियायतों और ऋणों पर लागू नहीं होता। इस विवाद का निर्णय करने के लिए स० रा० अमरीका के सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश श्री टाफ्ट पत्र बनाए गये।

इस मामले में ब्रिटिश सरकार का यह कहना था कि दो वर्षों में मरने तक टिनोको सरकार कोस्टा रिका की तथ्यानुसार (De facto) तथा विध्यनुसार (de jure) सरकार थी, वह समूचे प्रदेश पर जनता की इच्छा से शासन कर रही थी। बाद में आने वाली सरकारें अपने किसी कानून से पहली सरकार द्वारा किये गये ऐसे नापों

के दायित्व से मुक्त नहीं हो सकती, जो दायित्व ब्रिटिश प्रजाजनो पर प्रभाव डालते हैं, वह किसी कानून ने उनकी सम्पत्ति नहीं दबाने कर सकती। ऐसा करना अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। टिनोको सरकार द्वारा बनाए गये कानून के अनुसार दिये गये ठेकों को वर्तमान सरकार को पूरा करना चाहिये।

इसके विरुद्ध कोस्टा रिका की सरकार का यह कहना था कि टिनोको की सरकार विध्यनुसार या तथ्यानुसार सरकार नहीं थी, उसके साथ किये गये ब्रिटिश कम्पनियों के ठेके वैध नहीं हैं क्योंकि इस सरकार के कार्य १८७१ के पुराने सविधान के प्रतिकूल थे। ग्रेट ब्रिटेन ने इस सरकार को मान्यता नहीं प्रदान की थी, अतः उमकी दृष्टि से यह सरकार ही नहीं, ऐसी सरकार के साथ ब्रिटिश प्रजाजनो के ठेको को किसी प्रकार वैध नहीं माना जा सकता।

किन्तु पच ने कोस्टा रिका का यह तर्क नहीं स्वीकार किया कि ग्रेट ब्रिटेन द्वारा मान्यता न दिये जाने के कारण टिनोको सरकार की सत्ता नहीं थी। इस विषय में न्यायाधीश ने डा० जान बसेट मूर (John Basset Moore) के निम्न वचन को प्रामाणिक माना—'सरकार में अथवा राज्य की आन्तरिक नीति में होने वाले परिवर्तन अन्तर्राष्ट्रीय कानून में इसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं डालते। एक राजतन्त्र गणराज्य में और गणराज्य राजतन्त्र में परिवर्तित हो जाता है, निरंकुश शासन का स्थान वैधानिक शासन लेता है और इससे विपरीत परिवर्तन भी हो सकता है, यद्यपि सरकार बदलती है तथापि इमका राष्ट्र के अधिकारो तथा कर्तव्यो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राज्य अपनी पहली सभी सरकारो के उत्तरदायित्वो का पालन करने के लिए बंधा हुआ है।' अतः पच ने इस मामले में कोस्टा रिका का तर्क नहीं स्वीकार किया।

यद्यपि उपर्युक्त मामले में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा टिनोको सरकार की मान्यता को महत्त्व नहीं दिया गया तथापि कई अपस्थात्रो में किसी सरकार को मान्यता न देने के कुछ प्रभावशाली परिणाम होने हैं। विदेशी राज्य या सरकार के प्रतिनिधि तथा इनकी सम्पत्ति प्रत्येक देश में वहाँ की कानूनी प्रक्रिया से मुक्त होती है। दूसरे देश ने इस बारे में जो कानून या नियम बनाये हैं, उमने बारे में अपने देश में न्यायालय कोई सदेह या विवाद नहीं कर सकते। किन्तु ये न्यायालय विदेशी सरकार की मान्यता के सबन्ध में अपने देश की सरकार का निर्णय अन्तिम समझते हैं, यदि विदेशी सरकार को मान्यता नहीं दी गई तो उमकी सम्पत्ति को कानूनी प्रक्रिया से मुक्ति नहीं मिल सकती। यह *Luther v Sagor* के मामले से स्पष्ट हो जायगा।

इसमें १९१७ की जॉन्स में पहले, रुस में इमारती लकड़ी का काम करने वाली बादी (Plaintiff) ब्रिटिश कम्पनी का माल सोवियत सरकार के आदेश से जब्त कर लिया गया, इस माल को रुसी सरकार ने प्रतिनादी ब्रिटिश कम्पनी को बेच दिया। इस पर बादी ने इस मान्यता पर दावा करते हुए इसकी वसूली के लिए ब्रिटिश न्यायालय में उम पर मुकद्दमा चलाया। उस समय तक ब्रिटिश सरकार ने रुस की सरकार को मान्यता नहीं प्रदान की थी, अतः निचले न्यायालय ने रुसी सरकार की सत्ता स्वीकार

न करते हुए उस माल पर वादी का अधिकार सम्भक्त और उसके पक्ष में फैसला किया।

किन्तु इस मामले की अनील उपरली अदालत में जाने के समय तक ब्रिटिश सरकार इस की सौविद्यत सरकार को मान्यता प्रदान कर चुकी थी। उत्तर स्थिति ब्रिजकुल बदल गई। मान्यता प्राप्त होने के बाद इस माल पर हसी सरकार का अधिकार माना गया। अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य (Comity of Nations) के नियमों के अनुसार विदेशी सरकार की सम्पत्ति के विषय में कोई मामला नहीं चल सकता, उसे इसमें उन्मुक्ति (Immunity) प्राप्त होती है, अतः उपरली अदालत ने इस माल पर हसी सरकार का स्वत्व मानने के कारण इस नियम में वादी की प्रार्थना स्वीकार करते हुए निचले न्यायालय के निर्णय को पलट दिया। यह सौविद्यत सरकार को मान्यता मिलने के कारण हुआ। इस विषय में न्यायाधीश स्कूटन (Scrutton) ने लिखा था "हसी सरकार में माल खरीदने वाले का उस पर पूरा स्वत्व है, इसमें कोई सन्देह नहीं किया जा सकता। उसे यह उन्मुक्ति इसनिष्ठ प्राप्त है कि उसे सम्पूर्ण प्रभुत्व (Sovereign) राज्य मान लिया गया है। यदि कोई सरकार जनता की सम्पत्ति बिना मूझा-बझा दिये छीनती है तो उसके प्रतिकार का उपाय यह है कि उसे सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न राज्य (Sovereign State) स्वीकार ही न किया जाय।"

कई बार वार्तन्तियों और सन्धि-या द्वारा किसी राज्य या सरकार के प्रदेश को सीमाओं में परिवर्तन हो जाते हैं। इसका मान्यता पर प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः इस विषय में यही स्थिति है कि नये राज्य और सरकार को पुराने राज्य का उत्तराधिकारी मानते हुए उसे पूर्ववत् मान्यता दी जाय। किन्तु कई बार इस विषय में जटिल प्रश्न उत्पन्न होने के कारण मान्यता का निर्णय करना सुपम नहीं होता। जब दो राज्य मिलकर एक होते हैं तो यह निर्णय करना कठिन होता है कि नया एक ने दूसरे को अपना अंग (Annex) बना लिया है या दोनों ने अपना पुराना पृथक व्यक्तित्व त्याग कर एक नये राज्य का निर्माण किया है। उदाहरणार्थ, पिछली शताब्दी में जब इटली प्रायद्वीप के विभिन्न स्वतन्त्र राज्यों का एकीकरण (unification) हुआ तो इसके परिणामस्वरूप इटली को नया राज्य संगभक्ता सर्वथा स्वाभाविक था। किन्तु वस्तुतः इटली अपने को पीडमाष्ट के पुराने राज्य में अन्य राज्यों के मिलने से बना बृहत् रूप सम्भक्ता था। यूगोस्लाविया पहले सर्बिया का छोटा सा राज्य था, पश्चिम विश्वयुद्ध के बाद पुराने आस्ट्रियन साम्राज्य के विभिन्न दक्षिणी स्लावो स्लोट स्लोवीन आदि जातियों वाले प्रदेशों को सर्बिया में जोड़कर यूगोस्लाविया का राज्य बनाया। इसे जर्मन यूगोस्लाव सम्मिश्रित पंच अधिकरण (German-Yugoslav Mixed Arbitral Tribunal) ने सर्बिया का पुराना राज्य माना, नया राज्य नहीं स्वीकार किया। किन्तु कॅनिफोनिया के एक न्यायालय ने Artukovic v Boyle के मामले में यह निर्णय किया कि यूगोस्लाविया पुराने सर्बिया का बृहत् रूप नहीं है, किन्तु प्रथम विश्वयुद्ध की

समाप्ति पर जन्म लेने वाला नया राज्य है।

१६५८ में मित्र और सीरिया ने मिलकर जब समुक्त अरब गणराज्य का रूप धारण किया तो इसे दोनों राज्यों से मिलकर बनने वाली ऐसी इकाई समझा गया जो दोनों का प्रतिनिधित्व करने वाली थी। जब कोई राज्य कई टुकड़ों में विभक्त होता है तो यह कहना कठिन होता है कि क्या पुराना राज्य समाप्त हो गया है तथा इसका स्थान दो-तीन नये राज्यों ने ले लिया है अथवा पुराना राज्य अपना प्रदेश कम होने पर भी पुरानी मना बनाये रखता है। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद पुराने आस्ट्रिया-हंगरी के साम्राज्य में बहुत अधिक प्रदेश छीन लिया गया, वहाँ राजतन्त्र के स्थान पर गणराज्य की स्थापना की गयी। इससे नवीन आस्ट्रिया के राज्य में इतने मौलिक परिवर्तन हुए कि इसे पुराने राज्य के लघुका के स्थान पर नया राज्य माना गया। किन्तु टर्की के गणराज्य के विषय में इसमें विपरीत स्थिति स्वीकार की गयी। १९वीं शताब्दी में टर्की एशिया तथा दक्षिण पूर्वी योरोप में फैला हुआ विशाल उस्मानिया (Ottoman) साम्राज्य था, बाद में इसमें रहने वाली विभिन्न जातियों के द्वारा इसके अनेक प्रदेशों में स्वतन्त्र राज्य बना लेने से इस साम्राज्य में क्षीणता आने लगी और प्रथम विश्वयुद्ध के बाद यह बहुत क्षीण और छोटा रह गया, कमाल पाशा ने कई शताब्दियों से चले आने वाले मलीकाओं के निरंकुश शासन को समाप्त करके यहाँ गणराज्य की स्थापना की। किन्तु याकार एव शासन पद्धति में इतने मौलिक परिवर्तन आने पर भी Ottoman Debt Arbitration के मामले में पंच यूजीन बोरेल (Eugene Borel) ने इसे नया राज्य न मानकर उस्मानिया राज्य का वर्तमान रूप माना। अतः इस विषय में गूल्ड (Gould) का यह कथन सत्य है कि सामान्य रूप से किसी राज्य में प्रादेशिक परिवर्तन और शासन पद्धति के परिवर्तन आने पर भी यह वही पुराना राज्य माना जाता है, किन्तु जब ये परिवर्तन बहुत मौलिक हों, इसकी जनसंख्या और बनावट में ऐसे परिवर्तन आ जाय कि नया राज्य पुराने राज्य से विल्कुल न मिलता हो तो इसे नया राज्य समझना चाहिये।

निर्वासित सरकारों की मान्यता (Recognition of Governments in Exile) — निर्वासित सरकार ऐसे देश की सरकार होती है, जिसके प्रदेश पर दूसरे राज्य ने आक्रमण करके अधिकार कर लिया हो और वहाँ की सरकार दूसरे देश में चली गई हो। द्वितीय विश्वयुद्ध में जब हिटलर ने पोलैण्ड, नार्वे, स्वीडन, डेन्मार्क, हालैण्ड, फ्रान आदि देशों पर आक्रमण कर सेनाओं द्वारा अधिकार कर लिया तो इन देशों की सरकारें लन्दन चली गईं और वहाँ से अपनी मातृभूमि को शत्रु के पजे से मुक्त कराने का प्रयत्न करती रहीं। उस समय, इन सरकारों से मात्रा प्रदेश छिन चुका था, किन्तु मित्र राष्ट्र इन्हीं सरकारों को मान्यता प्रदान करते रहे क्योंकि ये स्वदेश को स्वतन्त्र कराने के प्रयास में मलग्न थीं। यदि युद्ध समाप्त होने तथा सन्धि सन्धि होने के बाद ऐसी निर्वासित सरकार स्वदेश की भूमि पर पुनः नियन्त्रण न प्राप्त कर सकें तो उनकी मान्यता समाप्त हो जाती है।

स्टिमसन का मान्यता-विषयक सिद्धान्त (Stimson's Doctrine of non-

recognition)—जून १९३२ में जब जापान ने मचूरिया के चीनी प्रान्त पर आक्रमण किया तो स० रा० अमरीका के विदेशमन्त्री श्री स्टिमसन ने यह महत्वपूर्ण घोषणा की कि स० रा० अमरीका १९२८ की पेरिस की संधि (Pact of Paris) को तोड़कर किये जाने वाले किसी समझौते, संधि या स्थिति को मान्यता नहीं प्रदान करेगा क्योंकि पेरिस की संधि पर स० रा० अमरीका, जापान और चीन के हस्ताक्षर हैं। उमना यह कहना था कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून को तोड़कर उत्पन्न की गई परिस्थिति को मान्यता द्वारा वैधता प्रदान करना ठीक नहीं है। यदि जापान बलपूर्वक चीन के मचूरिया प्रदेश को हड़प लेता है तो दूसरे देशों को मचूरिया पर जापान के अधिकार को मान्यता नहीं देनी चाहिये। राष्ट्र संधि ने ११ मार्च १९३२ को पाम किये एव पस्ताव में स्टिमसन के उपर्युक्त सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए यह उद्घाटित किया कि संधि के सदस्यों का यह कर्तव्य है कि वे किसी ऐसी स्थिति, संधि या समझौते को स्वीकार न करें जो राष्ट्र संधि के विधान के अथवा पेरिस की संधि के प्रतिकूल हो। किन्तु राष्ट्र संधि ने १९३६ में एंजीमीनिया पर इटली ने अधिकार को स्वीकार करके स्वयं इस व्यवस्था का उल्लंघन किया। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद महासक्तिवा ने पुनः इस सिद्धान्त को स्वीकार किया कि स० रा० संधि के भाटों को भंग करने वाली किसी व्यवस्था को मान्यता नहीं दी जानी चाहिये।

एस्ट्रेडा सिद्धान्त (The Estrada Doctrine)—इस सिद्धान्त का आचार यह है कि राज्यों को मान्यता देने की प्रथा बिलकुल समाप्त कर दी जाय। यह सिद्धान्त मेक्सिको के विदेशमन्त्री जेनारो एस्ट्रेडा (Genaro Estrada) ने १९३० में अपने विदेशी राजदूतों के निर्देशों में प्रतिपादित किया था, अतः यह उनके नाम से प्रसिद्ध है। इन निर्देशों (Instructions) में यह कहा गया था कि मेक्सिको भविष्य में पड़ोसियों या शक्तियों द्वारा किसी देश की सरकार में परिवर्तन आने पर उस विषय में कोई मान्यता प्रदान नहीं करेगा। इस समय यद्यपि मान्यता देने का सिद्धान्त प्रचलित है, किन्तु यह बहुत कुम्हारपूर्ण (Presumptuous) है क्योंकि इनमें यह अधिकार मान लिया जाता है कि किसी विदेशी राज्य की कानूनी स्थिति का निर्णय दूसरा राज्य करे। इस प्रकार का निर्णय राज्यों की स्वतन्त्रता (State independence) और प्रभुसत्ता (sovereignty) के अधिकारों पर कुठाराघात करता है और दूसरे राज्यों के आन्तरिक मामलों में अनुचित रूप से हस्तक्षेप करता है। आ मेक्सिको की सरकार किसी विदेशी राज्य की सरकार में परिवर्तन होने पर उसके साथ अपने दूता का सम्बन्ध बनाये रखेगी, किन्तु नई सरकार की मान्यता के विषय में कोई सम्मति प्रकट नहीं करेगी। मान्यता देने का सिद्धान्त दूसरे देशों की प्रभुसत्ता में हस्तक्षेप करने का कारण बड़ा अपमानजनक (Insulting) प्रतीत होता है।

स्वतन्त्रता (Svarlien) के मतानुसार एस्ट्रेडा सिद्धान्त में यह स्पष्ट रूप से मान लिया गया है कि राजदूत राज्यों को भेजे जाते हैं, सरकारों को नहीं, राज्यों की सत्ता निरन्तर बनी रहती है, सरकारों की सत्ता इस प्रकार निरन्तर नहीं बनी रहती।

अन्तर्राष्ट्रीय सगठनो द्वारा मान्यता (Recognition by International Organizations) — पहले (पृ० १५८) यह बताया जा चुका है कि कई बार नये राज्यों को अन्तर्राष्ट्रीय सगठन का सदस्य बनने से मान्यता प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रसंघ (League of Nations) की स्थापना के बाद राज्यों की मान्यता के विषय में दो प्रश्न उत्पन्न हुए— (१) क्या किसी राज्य को राष्ट्रसंघ का सदस्य बनने से पहले अन्य राज्यों से मान्यता पाना आवश्यक है? (२) क्या राष्ट्रसंघ में प्रवेश से किसी राज्य को अन्य राज्यों से मान्यता प्राप्त हो जाती है? यह स्मरण रखना चाहिये कि संघ में प्रवेश द्वारा किसी राज्य को जो सामूहिक (Collective) मान्यता प्राप्त होनी है, वह विभिन्न राज्यों द्वारा दी जाने वाली वैयक्तिक (Individual) मान्यता से भिन्न है। कई बार किसी राज्य को मान्यता देने का प्रश्न संघ में उपस्थित होने पर कुछ सदस्य इसे मान्यता देने के पक्ष में वोट देते थे और कुछ विरोध में। यदि बहुमत से इसे मान्यता देने का प्रस्ताव पार हो जाता है तो विरोध में वोट देने वाले राज्यों को क्या इसे मान्यता देनी आवश्यक है? इस जटिल एवं विवादास्पद प्रश्न का विवेचन सोवियत यूनियन बनाम लक्जमबर्ग एण्ड सार कम्पनी (Soviet Union v Luxembourg and Saar Co) के मामले में निर्णय करते हुए कहा गया था—“एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य की मान्यता के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह स्पष्ट (Express) रूप में की जाय। १८ सितम्बर १९३४ को सोवियत यूनियन को राष्ट्रसंघ में प्रवेश की अनुमति दी गयी। लक्जमबर्ग भी इस संघ का सदस्य है। यह सत्य है कि लक्जमबर्ग के प्रतिनिधि ने संघ की असेम्बली में सोवियत यूनियन के राष्ट्र में प्रवेश से प्रश्न पर वोट नहीं दिया, किन्तु संघ के संविधान की धारा १, पैरा २ के अनुसार कोई भी राज्य असेम्बली के दो तिहाई मतों से संघ का सदस्य बन सकता है। यह स्पष्ट है कि बहुमत का निर्णय उन राज्यों पर भी लागू होता है, जो इसे सदस्य बनाने के पक्ष में न हो अथवा जिन्होंने इसके विरुद्ध वोट दिया हो। संघ के संविधान की धारा (Article) १० के अनुसार संघ के सदस्यों का यह कर्त्तव्य है कि वे एक-दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता और राजनीतिक स्वतन्त्रता की रक्षा करें। इस कर्त्तव्य का पालन नहीं हो सकता है, जब राज्य एक-दूसरे को मान्यता प्रदान करे। अतः हमसे यह परिणाम निकलता है कि राष्ट्रसंघ में सोवियत यूनियन का प्रवेश इस बात का सूचक है कि लक्जमबर्ग ने भी सोवियत सरकार को मान्यता प्रदान कर दी है।” किन्तु अजेण्टापना, बेल्जियम तथा स्विट्जरलैंड ने राष्ट्रसंघ का सदस्य होने हुए भी सोवियत संघ को संघ का सदस्य बन जाने के बाद भी मान्यता नहीं प्रदान की।” हमसे यह स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय सगठन का सदस्य हो जाने के बाद भी नये राज्य के लिये अन्य राज्यों से पृथक् एवं स्वतन्त्र रूप से मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है।

स० रा० संघ के चार्टर की धारा ४ के अनुसार चार्टर के दायित्वों (Obligations) को स्वीकार करने वाले शान्तिप्रेमी राज्य इसके सदस्य हो सकते हैं। संघ में प्रवेश का निर्णय सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर जनरल असेम्बली करती है। इस

विषय में यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या ऐसा राज्य सध का सदस्य बन सकता है जिसे अभी तक अन्य राज्यों में मान्यता न मिली हो। इसका स्पष्ट और सरल उत्तर यह है कि जो राज्य सध का सदस्य बनता है, उसे अन्य राज्यों द्वारा स्वतः अस्पष्ट रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है। जनरल असेम्बली का निर्णय इस विषय में राज्यों की इच्छा का सूचक है और जब वह किसी राज्य को सदस्य बनाता है तो अस्पष्ट रूप में अन्य राज्य उसे मान्यता प्रदान करते हैं। यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इस विषय में अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग (International Law Commission) को एक स्पष्ट व्यवस्था बना देनी चाहिए ताकि भविष्य में इस विषय में कोई संदेह न रहे।

सामूहिक मान्यता (Collective Recognition)—उपर्युक्त संदेह को दूर करने के लिए अनेक विधिशास्त्रियों ने सामूहिक मान्यता की पद्धति का समर्थन किया है। ८ मार्च, १९५० को स० रा० सध के महामन्त्री के निर्देश से तैयार किये गये एक स्मरणपत्र (Memorandum) में अनेक कानूनवेत्ताओं की सम्मति के आधार पर इस पर बल दिया गया था कि विभिन्न राज्यों द्वारा अपनी स्वतन्त्र इच्छा से किसी राज्य को मान्यता देने की प्रचलित पद्धति के स्थान पर स० रा० सध द्वारा सब राज्यों की ओर से सामूहिक मान्यता देने की प्रणाली शुरू की जानी चाहिए। इसके प्रमुख समर्थक लौटर्पाख्ट (Lauterpacht) ने कहा है कि यह पद्धति इस समय भी प्रचलित है और इसके कई उदाहरण दिये जा सकते हैं। १८३० में लन्दन की सन्धि (Treaty of London) द्वारा ग्रीस को तथा १८३१ की सन्धि द्वारा बेल्जियम को मान्यता दी गयी थी। १८७८ की बर्लिन की सन्धि करने वाले राज्यों ने बाल्कन प्रायद्वीप में कुछ राज्यों को स्वीकार किया था, १९१३ के लन्दन सम्मेलन द्वारा अल्बानिया के नये राज्य को मान्यता दी गयी थी। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद विभिन्न सन्धियाँ द्वारा पोर्लण्ड, चेको-स्लोवाकिया आदि नये राज्यों को मान्यता मिली थी।¹¹

किन्तु सामूहिक मान्यता के विरुद्ध दो प्रकार की दृष्टियाँ दी जाती हैं। पहली तो यह कि लौटर्पाख्ट द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त उदाहरण ठीक नहीं हैं, ये सामूहिक मान्यता (Collective Recognition) के नहीं, किन्तु समकालीन मान्यता (Simultaneous Recognition) के उदाहरण हैं। किसी सधि के माध्यम से मान्यता देना राज्यों के समूह द्वारा मान्यता देना नहीं है, किन्तु समूह के विभिन्न राज्यों द्वारा पृथक्-पृथक् रूप से एक साथ और एक ही समय में मान्यता देना है। दूसरी युक्ति यह है कि ऐसी व्यवस्था में राज्यों को स्वतन्त्रता का क्षेत्र संकुचित हो जायगा, अतः इस समय इस व्यवस्था को कोई भी राज्य मानने को तैयार नहीं है। यह सम्भव है कि प्राविधि (Technology) तथा व्यापार की जो शक्तियाँ अब तक राज्यों की स्वतन्त्रता के क्षेत्र को मर्यादित करती रही हैं, वे भविष्य में इतनी प्रबल हो जायँ कि उस समय सामूहिक मान्यता न केवल वाद्यनीय अपितु आवश्यक समझी जाय, स० रा० सध ऐसी सामूहिक मान्यता प्रदान करने लगे।

मान्यता-विषयक सं० रा० अमरीका की नीति (The Recognition Policy of U. S. A.)— सं० रा० अमरीका की परम्परागत पुरानी नीति यह है कि मान्यता किसी भी तथ्यानुसार (de facto) सरकार या शासन को देनी चाहिये, भले ही वह क्रान्तिकारी शासन हो, पिछली सरकार को बलपूर्वक हटाकर स्थापित हुई हो, वह वैध (Legitimate) शासक न हो, किन्तु यदि वह सरकार देश पर सुदृढ शासन करने का सामर्थ्य रखती है तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिये। फ्रेंच राज्य-क्रान्ति के समय १७९२ में विदेशमंत्री थॉमस जेफरसन (Thomas Jefferson) ने इसका प्रतिपादन करते हुए कहा था—“यह हमारे इन सिद्धान्तों के अनुकूल है कि हम किसी भी ऐसी सरकार को ठीक (Rightful) समझ जो जनता की ठोस रूप से (Substantially) उद्घोषित इच्छा से बना दी गई हो।” “हम किसी भी राज्य को वह अधिकार देने का निषेध नहीं कर सकते, जिस पर हमारी अपनी सरकार की स्थापना हुई है, इस अधिकार के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र अपनी इच्छानुसार किसी भी पद्धति से शासन कर सकता है, इसे अपनी इच्छा से बदल सकता है, यह विदेशी राज्यों के साथ अपना कार्य अपनी इच्छानुसार उचित समझे जाने वाले किसी भी माध्यम से कर सकता है। यह माध्यम राजा, सम्मेलन (Convention), असेम्बली, कमेटी, राष्ट्रपति या इस सरकार में चुना जाने वाला कोई भी रूप हो सकता है।”

१८४८ में यूरोप के विभिन्न देशों में क्रान्तियों की बाढ़ आने पर सं० रा० अमरीका के विदेशमंत्री बुकानन (Buchanan) ने जेफरसन के उपर्युक्त सिद्धान्त की पुष्टि की। १८५१ में एक पड़ोस द्वारा जब नैपोलियन तृतीय फ्रांस का सम्राट बना तो अमरीकी विदेशमंत्री वैनस्टर ने फ्रांस में अपने राजदूत को लिखा—“राष्ट्रपति वाशिंगटन के समय से अब तक हम सिद्धान्त को सं० रा० ने सदैव स्वीकार किया है कि प्रत्येक राज्य को अपनी इच्छा के अनुसार अपना शासन करने का अधिकार है, यह अपने विवेक से अपनी शासन सस्थाओं को बदल सकता है और अपना वैदेशिक कार्य जिन अभिकर्ताओं (Agents) से चलाना उचित समझे, उन एजेंटों का प्रयोग कर सकता है।”

१९वीं शताब्दी में अमरीका की मान्यता-विषयक नीति इसी सिद्धान्त पर आधारित थी। किन्तु १९१४ से इसमें मौनिक परिवर्तन आने लगे। उस वर्ष राष्ट्रपति विल्सन (Wilson) ने मेक्सिको के हुएर्टा (Huerta) शासन को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि यह केवल सैनिक तानाशाही (Military despotism) है क्योंकि “कानून पर आधारित सरकार के साथ ही सहयोग संभव है, न कि स्वेच्छाचारी शक्ति पर आश्रित सरकार के साथ।” इसी समय से मान्यता के लिये एक दूसरी शर्त भी आवश्यक स्वीकार की जाने लगी, यह ‘अमरीकन हितों’ को सुरक्षित रखने की इच्छा तथा सामर्थ्य थी। राष्ट्रपति हार्डिंग ने इसी आधार पर १ जनवरी १९२० से ३१ अगस्त १९२३ तक मेक्सिको में शासन करने वाले ओब्रेगोन (Obregon) की सरकार को मान्यता नहीं प्रदान की।

१९१७ की रूसी क्रान्ति द्वारा स्थापित सोवियत सरकार को चौदह वर्ष तक

मान्यता देने से स० रा० अमरीका की मान्यता गवानी नीति में मौलिक परिवर्तन आया। २१ मार्च १९२३ को इस नई नीति का समर्थन करते हुए विदेशमंत्री ह्यूजेस ने कहा कि "किसी सरकार की मान्यता के विषय में मौलिक प्रश्न यह है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों (International obligations) के पालन करने की योग्यता तथा इच्छा कहाँ तक रखती है। इनमें कोई मद्देह नहीं कि शासन की स्थिरता (Stability) महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। कुछ ऐसा बहते हैं कि मान्यता के लिये केवल यही आवश्यक है। किन्तु ऐसी स्थिरता का क्या लाभ गिनका उपयोग (अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व के) परित्याग (Repudiation) और उचली (Confiscation) की नीति का अनुमरण करने में किया जाये। उसके मामले में हमारे पास मौलिक महत्व रखने वाली एक बनीटी अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने की सम्भावना की है।" पहले (पृ० १६५-६) यह बताया जा चुका है कि इसी आधार पर स० रा० अमरीका ने बीस वर्षों बीत जाने पर अब तक मान्यकारी चीन को मान्यता नहीं प्रदान की।

किन्तु चीन के अपवाद के अतिरिक्त स० रा० अमरीका ने एशिया तथा अफ्रीका के योरोपियन साम्राज्यवाद से मुक्त होने वाले सभी देशों को मान्यता प्रदान की है। यद्यपि मान्यता के लिये यह आवश्यक समझा जाता है कि वह देश स्वतन्त्र हो, किन्तु स० रा० अमरीका ने कुछ देशों में राजदूत भेजकर उनको स्वतन्त्र होने से पहले ही मान्यता प्रदान की थी। भारतवर्ष यद्यपि १५ अगस्त, १९४७ को स्वतन्त्र हुआ, किन्तु अमरीकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने द्वितीय विश्वयुद्ध में भारत का अनाधारण महत्व अनुभव करते हुए उसकी स्वतन्त्रता का कार्य अग्रसर करने के उद्देश्य से १८ दिसम्बर, १९४२ को भारत में राजदूत के पद वाले व्यक्ति को नियत कर भारत को मान्यता प्रदान की।^{१२} इसी प्रकार साइप्रस यद्यपि १६ अगस्त, १९६० को स्वतन्त्र हुआ, किन्तु स० रा० अमरीका ने १ अगस्त को ही उसे मान्यता दे दी।

इस समय स० रा० अमरीका की यह नीति है कि ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम आदि की विदेशी प्रमुखा से अथवा न्यास प्रदेश (Trust Territories) वाले देशों के स्वतन्त्र होते ही, अथवा उनके स० रा० सघ का सदस्य बनने पर उन्हें मान्यता प्रदान की जाय। स० रा० अमरीका ने निम्नलिखित राज्यों को उनके स्वतन्त्र होने के साथ ही मान्यता प्रदान की है। उन राज्यों के नामों के साथ कोष्ठक में उनकी स्वतन्त्रता तथा स० रा० अमरीका द्वारा मान्यता की तिथि दी गयी है—इजराइल (१५ मई, १९४८), बेल्जियम कांगो (३० जून, १९६०), फ्रांस कांगो (१५ अगस्त, १९६०), केन्द्रीय अफ्रीका (१३ अगस्त, १९६०), घाना (६ मार्च, १९५७), आइवरी कोस्ट (७ अगस्त, १९६०), मलगासी गणराज्य (२६ जून, १९६०), मलाया सघ (३१ अगस्त, १९५७), मारीतानिया इस्लामी गणराज्य (२८ नवम्बर, १९६०),

१२. अमेरिकन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, २, एड ५५, १९६१, पृ० ७१२

१३. दैक्लिपे अप्सुंक्ल जर्नल, पृ० ७०३७-२०

पाकिस्तान (१५ अगस्त, १९४७), फ़िलिपाइन (४ जुलाई, १९४६), सेनेगाल (२० जून, १९६०), सियरा लियोन (२८ अप्रैल, १९६१), सोमालिया (१ जुलाई, १९६०), टोगो गणराज्य (२० अप्रैल, १९६०), अपर वोल्टा (५ अगस्त, १९६०)। इन सब राज्यों को स० रा० सघ की सदस्यता बाद में प्राप्त हुई। इसके साथ ही स० रा० अमरीका ने स० रा० सघ की सदस्यता पाने वाले प्रायः सभी राज्यों को मान्यता प्रदान की है। नये राज्य विदेशी प्रमुखा से स्वतन्त्र होते ही सघ के सदस्य बनते हैं, सघ की सदस्यता के बाद उन्हें स० रा० अमरीका से मान्यता मिलती है।

भारत की मान्यता-विषयक नीति (India's Policy of Recognition of States and Governments) — स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद पहले बीस वर्षों में भारत ने सामान्यतः अन्य देशों की भाँति सभी नये राज्यों को मान्यता प्रदान की है। ऐसी मान्यता देने में भारत ने सदैव इस बात का ध्यान रखा है कि ज्यों ही किसी नये राज्य में राज्य की सब मौलिक विशेषताय (Conditions of Statehood) — स्वतन्त्रता, अपने प्रदेश पर पूरा नियन्त्रण आदि पूरा हो जाए तो इसे मान्यता प्रदान कर दी जाय। भारत ने इसके लिये अपने प्रवेश पर सरकार के नियन्त्रण की प्रभावशालिता (Effectiveness) को एक महत्वपूर्ण कसौटी माना है और वैधता (Legitimacy) के सिद्धान्त को कोई महत्व नहीं दिया। भारत ने क्रान्ति के बाद स्थापित होने वाली, सभी सरकारों को माना है, भले ही वे कम्युनिस्ट हो या सैनिक। इस विषय में फ्रांको का स्पेन ही एकमात्र अपवाद है। साम्यवाद के आतंक के कारण स० रा० अमरीका की, राष्ट्रपति वाशिंगटन के समय में चली आने वाली मान्यता-विषयक नीति में मौलिक परिवर्तन हुआ है और पश्चिमी देश साम्यवादी देशों को मान्यता देने में सकाँच करते रहे हैं, किन्तु भारत ने कभी ऐसा नहीं किया। स० रा० अमरीका ने इस विषय में अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों के पालन की कसौटी को अधिक महत्व दिया है, किन्तु भारत ने इसे महत्व न देते हुए प्रादेशिक नियन्त्रण की प्रभावशालिता (Effectiveness) को अधिक महत्व दिया है। उसके मत में मान्यता न तो दण्ड है और न पुरस्कार, न यह आपको पसन्द आने वाली बात है और न ही नापसन्द आने वाली।¹ आप किसी सरकार को चाहे या न चाहे, किन्तु यदि उसका अपने प्रदेश पर मूढ शासन है तो आपको उसे मान्यता देनी ही चाहिये।

किन्तु इस विषय में एक महत्वपूर्ण अपवाद है। अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करते समय भारत को विभाजन के कारण भीषण दुष्परिणाम भोगने पड़े हैं, अतः वह ऐसे विभाजन का धोरे विरोधी है। इसके साथ ही उसकी वैदेशिक नीति शीतयुद्ध (Cold War) से तथा दोनों गुटों से अलग रहने (Non-alignment) की है, अतः उसने द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद दोनों गुटों के द्वारा विभक्त देशों की सरकारों को मान्यता नहीं प्रदान की, यद्यपि इनका अपने प्रदेश पर प्रभावशाली नियन्त्रण है। इसके प्रमुख उदाहरण उत्तरी वियतनाम (Vietnam) तथा दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी

कोरिया और दक्षिणी कोरिया तथा पूर्वी जर्मनी के राज्य हैं।

भारत सरकार मान्यता देने का कार्य प्रत्यक्ष रूप से प्रायः स्पष्ट घोषणा द्वारा नहीं करती, किन्तु राजनयिक सम्बन्ध (Diplomatic relations) स्थापित करके अप्रत्यक्ष रूप से करती है। श्री नेहरू ऐसी मान्यता को कागजी मान्यता (Paper recognition) समझते हैं, जिसमें दौलत सम्बन्ध न स्थापित करके केवल मान्यता की घोषणा की जाती है। भारत में श्री नेहरू तथा अन्य नेता मान्यता को राजनयिक मान्यता (Diplomatic recognition) कहते हैं। केवल इजराइल इसका महत्वपूर्ण अपवाद है। यहाँ कुछ उदाहरणों से भारत की मान्यता-विषयक नीति को स्पष्ट किया जायेगा।¹⁵

(क) साम्यवादी चीन संबंधी नीति — चीन में १ अक्टूबर, १९४९ को साम्यवादी सरकार स्थापित होते ही उसने अन्य सरकारों से अपनी मान्यता की प्रार्थना की। उस समय चीन में भारत के राजदूत श्री पण्डित ने लिखा है कि साम्यवाद से कोई सहायुभूति न होने पर भी भारतीय नेता साम्यवादी चीन को मान्यता देने के पक्ष में थे, तत्कालीन गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी तथा सरदार वल्लभभाई पटेल इस विषय में मन्दागामी नीति का अनुसरण करना चाहते थे।¹⁶ श्री पण्डित का यह विचार था कि साम्यवादी चीन को उस समय स्वीकार किया जाय, जब राष्ट्रवादी चीन को चुगकिंग के प्रदेश से हटा दिया जाय और चीन की मुक्तभूमि में उसके पास किमी प्रदेश पर अधिकार न रहे। यह सम्मति मानी गई प्रतीत होती है। जय ही व्याय काई सेक की सरकार ने चुगकिंग छोड़कर फारमोसा में शरण ग्रहण की तो सारे एशियाई चीन पर साम्यवादियों का निष्कण्टक एव प्रभावशाली प्रभुत्व स्थापित हो गया। इस पर ३० दिसम्बर, १९४९ को भारत सरकार के विदेश विभाग की एक प्रेस विज्ञप्ति में यह कहा गया है कि भारत ने चीन की नई सरकार के साथ दूत-सम्बन्ध स्थापित करने का निश्चय किया है।

साम्यवादी चीन को मान्यता मुख्य रूप से, श्री नेहरू के कथनानुसार, इस आधार पर दी गई थी कि "उसका चीन की समूची भूमि पर प्रभावशाली नियन्त्रण है, यह मुद्द बसासन है और इसके किसी अन्य शक्ति द्वारा हटाये जाने की संभावना नहीं है"। मापेन-हाइम ने लिखा है कि किसी देश में जो सरकार अधिकांश जनता में स्वाभाविक रूप से अपनी आज्ञाओं का पालन (Habitual obedience) करती हो, इसके स्थिर बने रहने की संभावना हो, इसी सरकार को इस राज्य का प्रतिनिधि समझना चाहिये, इसी कारण इसे मान्यता प्राप्त करने का अधिकार है।¹⁷ सरकारों की मान्यता के सम्बन्ध में अधिकांश राज्यों का व्यवहार प्रभावशालिता (Effectiveness) के इस सिद्धान्त पर आधारित है। स० रा० सभ में भारत के प्रतिनिधि सर बी० एन० राव ने कहा

१५. अमेरिकन जनेल आर इण्टरनेशनल लॉ, खण्ड ५५, १९६१, (पृ० ३६० से ४२४)

में श्री क० पी० मिश्र ने इसका विस्तृत विवेचन किया है।

१६. पण्डित — इन टू चायना, पृ० ३७

१७. आ नहारम — इण्टरनेशनल लॉ, ख० १, पृ० १२७

था कि भारत ने आपेनहाइम द्वारा प्रतिपादित इसी सिद्धान्त के आधार पर साम्यवादी चीन को मान्यता प्रदान की थी ।

इस समय यद्यपि चीन ने भारत पर बर्बर आक्रमण करके उनका कई हजार वर्गमील का प्रदेश दबा रखा है, तथापि भारत उपर्युक्त सिद्धान्त के आधार पर चीन को मान्यता देने तथा उसे १० लाख सघ का सदस्य बनाने का प्रबल समर्थक है । १० लाख की जनरल असेम्बली के १८वें अधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की नेता श्रीमती बिजयलक्ष्मी पंडित ने १४ सितम्बर, १९६३ में न्यूयार्क में एक प्रेम सम्मेलन में कहा था कि भारत अब भी यह विश्वास रखता है कि साम्यवादी चीन को १० लाख का सदस्य बनाया जाना चाहिये ।

(ख) इजराइल-विषयक नीति—पहले (पृ० १६५) यह बतलाया जा चुका है कि १५ मई, १९४८ को इजराइल राष्ट्र का जन्म होने ही १० लाख अमरीका ने इसे मान्यता प्रदान की, १७ मई को सोवियत रूस ने इसे स्वीकार किया, किन्तु भारत ने इसे १७ दिसम्बर, १९५० को मान्यता दी । इससे पहले इस विषय में भारतीय पार्लियामेंट में निरन्तर प्रश्न उठाये जाते रहे, इजराइल की सरकार इस विषय में निरन्तर आप्रह कर्त्ती रही, फिर भी इसे मान्यता देने में विलम्ब हुआ । इसके दो कारण थे—भारतीय मुसलमानों की भावना का इस विषय में आदर करना तथा अरब राज्यों द्वारा इजराइल की मान्यता का विरोध । पहले (पृ० १६५) इन्हे स्पष्ट किया जा चुका है ।

किन्तु इसके साथ ही विलम्ब का एक कारण यह भी था कि इस समय भारत सरकार इजराइल तथा अरब राज्यों में समझौता कराने का प्रयत्न कर रही थी ।^{१६} भारत सरकार ने दिसम्बर, १९४९ में साम्यवादी चीन की सरकार की स्थापना के कुछ महीने बाद ही इसे मान्यता प्रदान की थी, इजराइल का प्रश्न अनिश्चित काल के लिये टाला नहीं जा सकता था, पर १७ सितम्बर, १९५० को इसे भी मान्यता दी गई ।

इसे मान्यता देने के कारण स्पष्ट करते हुए विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि इजराइल की सरकार दो वर्ष से स्थापित है और इसमें कोई संदेह नहीं कि यह स्थिर बनी रहेगी । इसका तीसरा कारण यह बताया गया कि इजराइल १० लाख सघ में तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारत का तथा अन्य देशों का सहयोग कर रहा है । चौथा कारण यह था कि इजराइल को अधिक देर तक मान्यता न देने से इसमें विलम्ब का मूल उद्देश्य—इजराइल तथा अरब राज्यों में समझौता कराने का प्रयास व्यर्थ हो जाता ।^{१७}

(ग) स्पेन-विषयक नीति—स्पेन में जनरल फ्रांको की सेनाओं ने २८ मार्च, १९३९ को राजधानी मैड्रिड पर अधिकार कर लिया था और ग्रेट ब्रिटेन तथा फ्रांस ने इससे पहले २ फरवरी, १९३९ को फ्रांको की सरकार को मान्यता प्रदान की थी । फ्रांको हिटलर और मुसोलिनी की सहायता में प्रबल हिंसा, हत्या और विनाश के बाद लोकतन्त्र

१६- अमेरिकन जर्नल ऑफ इन्टरनेशनल ला, १९४९, पृ० ४०७

१७- वही, पृ० ४०८

के समर्थक स्पेनिश मान्यवादियों को तुरतापूर्वक कुचलकर अपना निरकुश शासन स्थापित कर सका था। घुरीराष्ट्रो का साथी होने से मित्रराष्ट्र स्पेन के विरोधी थे। भारत भी स्पेन के लोभतन्त्र का कट्टर विरोधी तथा निरकुश शासन का समर्थक होने से उसका आलोचक था। १२ दिसम्बर, १६४६ को जनरल असेम्बली ने इन्ही कारणों से स्पेन को स० रा० संधि का सदस्य बनने से रोकने का प्रस्ताव पाम किया तथा संधि के सदस्यों को स्पेन से राजद्रुत वापिस बुलाने तथा राजनयिक संबंध तोड़ने का निर्देश दिया।

किन्तु बाद में इस नीति में परिवर्तन आने लगा। ४ नवम्बर, १६५० को जनरल असेम्बली में स्पेन-विषयक उपर्युक्त प्रस्ताव को रद्द करने का प्रस्ताव आया, इस पर भारत, इंग्लैंड और फ्रांस तटस्थ रहे। इसके बाद स्पेन के प्रति भारत की नीति में निरन्तर परिवर्तन आने लगा। अक्टूबर, १६५० में स्पेन से व्यापारिक सम्बन्धों की वार्ता आरम्भ हुई, १६५२ में भारत सरकार ने वासीलोगा में एक भारतीय वाणिज्य दूतावास (Consulate) खोलने की चर्चा स्पेन में शुरू की। १६५५ में जब स्पेन स० रा० संधि का सदस्य बना तो भारत ने उसने पक्ष में वोट दिए और इस पर प्रगतिता प्रकट की। इसके बाद यह स्वाभाविक था कि भारत स्पेन को मान्यता प्रदान करे। २५ मई, १६५६ को विदेश मंत्रालय द्वारा यह घोषणा की गयी कि यह निश्चय किया गया है कि भारत सरकार और स्पेन की सरकार के मध्य में राजनयिक संबंध स्थापित किये जाय और राजदूतों का आदान-प्रदान हो। इस प्रकार फ्रांस की सरकार की स्थापना के १५ वर्ष बाद तथा अपनी स्वतन्त्रता के ६ वर्ष बाद भारत ने इस मान्यता प्रदान की।

स्पेन को मान्यता देने के कई कारण थे। पहला और सबसे बड़ा कारण इसका राष्ट्रसंधि का सदस्य बनना था। श्री नेहरू ने लोकसभा में इस सम्बन्ध में यह कहा था कि हमारी यह नीति है कि हृष किंसा भी ऐसे राज्य को मान्यता प्रदान करे, जो स्वतन्त्र रूप से कार्य करने वाला तथा स० रा० संधि का सदस्य हो। स्पेन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उसके साथ नीति के प्रदानों पर हमारा मतभेद है फिर भी हमने उसे मान्यता दी है। स्पेन को मान्यता देने में विलम्ब का कारण भारत का उसमें उग्र सैद्धान्तिक मतभेद था, उसे स्पेन की तानाजाही, उसका रक्तपात और हत्याकाण्ड का दण्ड पमन्द नहीं था, इसलिये उसे स्पेन से घोर घृणा थी। किन्तु समय ने इसकी तीव्रता को मन्द बनाया और राजनीति की परिवर्तित परिस्थितियों में भारत ने स्पेन को स्वीकार किया और इस दृष्टिकोण को पुष्ट किया कि प्रबल सैद्धान्तिक मतभेद होने हुए भी विरोधी सिद्धान्त रखनेवाले राज्यों की सहायता को स्वीकार करने का अधिकार किसी राज्य को नहीं है।

२०. भारत सरकार मान्यता और राजदूतों के आदान-प्रदान को एक ही सम्झौती है और जब वह किसी देश के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करनी है तो इसका यह अर्थ है कि वह उसे मान्यता प्रदान कर रही है। इसमें एकमात्र अपवाद इंग्लैंड है। किन्तु अन्य कुछ देश मान्यता तथा दूतों के आदान-प्रदान को अलग अलग, किन्तु नर्थाय अलग अलग करते हैं। २१ मार्च १६५२ को आंग्ल और फ्रान्सीसी में बिच परराष्ट्रनी ने घोषणा की थी कि "किसी राज्य

स्पेन को मान्यता देने के कुछ अन्य कारण भी बताये जाते हैं।^{११} पहला कारण पुर्तगाल द्वारा गोआ, दमन, दीव को स्वतन्त्र न करने तथा इन प्रदेशों में भारतीयों का उग्र दमन करने के कारण पुर्तगाल के साथ भारत के सम्बन्धों का बिगड़ना था। इसके परिणामस्वरूप अगस्त, १६५५ में दोनों देशों के राजनयिक सम्बन्ध पूर्णरूप से नग्न हो गये। इस पर पुर्तगाल ने यह प्रचार किया कि भारत की नीति ईसाइयत का तथा रोमन कैथोलिकों का विरोध करने वाली है। स्पेन के साथ दीर्घ सम्बन्ध स्थापित होने से दो बड़े लाभ कहे जाते थे। पहला तो यह कि स्पेन का भारतीय दूतावास पुर्तगाल-विषयक सब समाचार भारत को पहुँचाने में सहायक होगा। दूसरा लाभ यह था कि इससे यह भ्रांति दूर होगी कि भारत सरकार ईसाइयत तथा रोमन कैथोलिकों की विरोधी है। इस कल्पना में कुछ सत्यता सम्भव है।

युद्धावस्था की मान्यता (Recognition of Belligerency)—सामान्यतः किसी राज्य में विद्रोह होना उसकी अपनी घरेलू घटना है, अन्य राज्य इस विषय में सर्वथा उदासीन रहते हैं, किन्तु कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वे उदासीन नहीं रह सकते। उन्हें इस विषय में कार्यवाही करने के लिये बाधित होना पड़ता है और दोनों पक्षों को युद्धावस्था या युद्धमान्यता (Belligerency) की मान्यता देनी पड़ती है। ब्रिग्ली के मतानुसार ऐसी मान्यता देने से पहले दो बातों का होना आवश्यक है—(१) विद्रोह का स्वरूप इतना विशाल और व्यापक बन गया हो कि इसमें वास्तविक युद्ध का रूप धारण कर लिया हो। विद्रोहियों ने एक संगठित सरकार बना कर निरिक्त प्रदेश पर अपना नियन्त्रण स्थापित कर लिया हो, इनकी सरकार युद्ध के नियमों के पालन पर ध्यान दे रही हो और युद्धकालीन स्वतन्त्र शासक की भाँति कार्य कर रही हो। (२) अन्य राज्यों का इस लड़ाई से पृथक् रहना सम्भव न हो। पड़ोसी राज्यों के प्रदेश में से सैन्यें गुजरने से अथवा समुद्र में दोनों पक्षों द्वारा युद्ध छेड़ देने पर अन्य राज्य तटस्थ नहीं रह सकते। उन्हें यह निश्चय करना होगा कि जिस समुद्री प्रदेश में संघर्ष हो रहा है, वहाँ क्या उनके जहाजों की वास्तुविनिषिद्ध (Contraband) वस्तुओं को ले जाने के लिए तलाशी ली जाय, उनके जहाज नाकाबन्दी भंग करने के लिये पकड़े जाए या नहीं। दूसरा राज्य यदि इन कार्यों का विरोध करता है तो उसे जबरदस्ती लड़ाई में कूदने के लिये बाधित होना पड़ेगा। इससे बचने का यही मार्ग है कि दोनों पक्षों को युद्धावस्था की मान्यता देकर उन्हें युद्धमान अथवा लड़ाई करने वाला (Belligerent) मान लिया जाय। इस मान्यता के बाद ही दूसरा राज्य अपने को तटस्थ रखता हुआ उनके सब लाभ प्राप्त कर सकता है।

या सरकार की मान्यता के प्रश्न को उसके साथ दूत-सम्बन्ध स्थापित करने के प्रश्न से बिल्कुल पृथक् रखना चाहिये, यह पूर्ण रूप से राज्य की इच्छा पर निर्भर है।^{१२} इसका यह आशय है कि यदि हम किसी नई सरकार या राज्य को उसके राजनीतिक सिद्धान्तों के कारण पसन्द नहीं करते तो भी हमें उसे मान्यता देनी पड़ेगी, किन्तु उसने साथ दूत-सम्बन्ध रखना आवश्यक नहीं है।

११. अमेरिकन जर्नल ऑफ इण्टरनेशनल ला, १९६१, पृ० ४०८

१२. ब्रिग्ली—दी ला ऑफ नेशनल, पृ० १३३

गुद्दावस्था की मान्यता देने वाला राष्ट्र यह मान लेता है कि दोनों पक्षों में युद्ध की स्थिति है। यह दोनों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। ऐसी मान्यता देने वाला राज्य इससे तटस्थ रहने वाले देश के सब अधिकार और सुविधाय प्राप्त कर लेता है तथा ऐसी मान्यता दिये जाने वाले राज्य को यह लाभ होना है कि वह अपने विद्रोहियों द्वारा अन्य राज्यों को हानि पहुँचाने वाले कार्यों के उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है। सर एन्थनी डैटन ने १९३७ में दम विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा था—
 “गुद्दावस्था की मान्यता इससे सर्वथा भिन्न है कि आप एक प्रदेश में दो परस्पर विरोधी सरकारों में से किसे बंध मानते हैं। इसमें इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इस विचार का केवल इतना ही तात्पर्य है कि यह गुद्दावस्था के अधिकार प्रदान करती है, य अधिकार मान्यता प्रदान करने वाले तथा इसे प्राप्त करने वाले दोनों राज्यों के लिये सुविधाजनक होते हैं।”

गुद्दावस्था की मान्यता से लड़ने वाले दोनों पक्षों को तथ्यानुसार (de facto) अन्तर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त होता है, वे अन्य देशों में भ्रमण ले सकते हैं विनिपिद्ध सामग्री के लिये जहाजों की तलाशी ले सकते हैं ऐसी सामग्री जब्त कर सकते हैं उनमें जहाज मान्यता देने वाले देश के वन्दरगाहों में जा सकते हैं। मान्यता देने वाले देशों को तटस्थता के नियमों का पालन करना पड़ता है।

गुद्दावस्था की मान्यता ने विद्रोहियों को बड़ा लाभ पहुँचाना है और सुविधायें मिलनी हैं, अतः कोई भी राज्य अपने विद्रोहियों को ऐसा लाभ पहुँचाने वाली मान्यता देने के कार्य को अग्राह्य नहीं समझता। अतः इस प्रकार की मान्यता देना बड़ा जटिल कार्य होता है। इस मान्यता को विद्रोह के दवाने में तनी हुई सरकार असात्मिक, अनभिन्न और अनुनापूर्ण समझती है। १८६१ म म० रा० अमरीका में गृहयुद्ध छिटकने पर ब्रिटिश सरकार द्वारा दोनों पक्षों को गुद्दावस्था की मान्यता प्रदान किये जाने पर वाशिगटन ने इसका विरोध किया था। उसका कहना था कि दक्षिणी राज्यों के विद्रोह ने युद्ध का रूप नहीं धारण किया, यदि यह वास्तव में युद्ध था तो ब्रिटिश सरकार को ऐसी मान्यता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी; दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार का यह कहना था कि ऐसी मान्यता न दिये जाने से उन्हें जहाजों को बड़ी क्षति पहुँच रही है। इसी प्रकार १९वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में स्पेन की प्रभुता के विरुद्ध विद्रोह करने वाले दक्षिण अमरीका के राज्यों को म० रा० अमरीका द्वारा गुद्दावस्था की मान्यता प्रदान करना स्पेन के लिए बड़े सहाय का विषय था, वह इसे असात्मिक समझता था। १९३६-३९ के स्पेन के गृहयुद्ध में ग्रेट ब्रिटेन एवं फ्रांस ने सहानुभूति स्पेन के गणराज्य के साथ थी, किन्तु फ्रांस के विद्रोही पक्ष को नाराज करने में कई सतरे थे। अतः इस समय इन देशों ने दोनों पक्षों को गुद्दावस्था की मान्यता नहीं दी, किन्तु अहस्तक्षेप (Non-intervention) की नई नीति की एक समझौते द्वारा अपनाया। इसके अनुसार समझौता करने वाले देशों ने यह निर्णय किया कि वे अपने देशवासियों द्वारा किसी पक्ष को हथियार नहीं भेजने देंगे। यह व्यवस्था स्पष्ट रूप में गणराज्यवादी बंधन सरकार के लिये अन्यायपूर्ण थी क्योंकि उनमें विरोधी जनरल फ्रांसो के पक्ष की टटली और जर्मनी ने

पर्याप्त सहायता मिल रही थी।

सह-युद्धावस्था (Co-belligerency)—प्रथम विश्वयुद्ध में मित्रराष्ट्रो ने पोलिश राष्ट्रीय समिति की अध्यक्षता में इनकी ओर से लड़ने वाली सेना को सह-युद्धावस्था की मान्यता दी थी। इसी प्रकार दूसरे विश्वयुद्ध में मित्रराष्ट्रो ने घुरी राष्ट्रों के विरुद्ध सघर्ष करने वाली इटालियन सेनाओं को तथा जनरल डिगाल की अध्यक्षता में लड़ने वाली फ्रेंच सेनाओं को ऐसी मान्यता दी थी। इस मान्यता के परिणामस्वरूप इन्हे एक मान्यता प्राप्त राज्य की संशुद्ध सेनाओं के अधिकार प्राप्त हो गये। आगे क्या-स्थान इन अधिकारों का विस्तृत वर्णन होगा।

अभिद्रोह की मान्यता (Recognition of Insurgency)—युद्धावस्था की मान्यता यह सूचित करती है कि किसी राज्य में विद्रोह या गृहयुद्ध की अवस्था में विद्रोहियों के पास एक बड़े निश्चिन्त प्रदेश पर नियन्त्रण और अपनी संगठित सरकार है, किन्तु उनकी स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि उन्हें नये राज्य की मान्यता दी जा सके। किन्तु यदि नातिकारी अपने देश के बड़े भाग पर अपना सुदृढ नियन्त्रण रखते हुए भी मातृभूमि की सरकार के प्रति शक्तिशाली विरोध और सघर्ष जारी रख सकें तो इनकी स्थिति क्या होगी? यह अवस्था दक्षिणी अमरीका के राज्यों में प्रायः उत्पन्न होती रहती थी, अतः वहाँ इसका समाधान करने के लिये अभिद्रोह की स्थिति (Status of Insurgency) की मान्यता का विकास किया गया। यह इमलिये करना पड़ा कि स.रा. अमरीका के अनेक नागरिक इन विद्रोहों में भाग लेते थे और सहायता पहुँचाते थे। यदि उन्हें केवल विद्रोही समझा जाय तो उन्हें सामान्य विद्रोहियों की भाँति फाँसी की सजा दी जा सकती थी। किन्तु उन्हें अनिद्रोही मान लेने वाले राज्य यह समझते थे कि इस प्रकार इनमें भाग लेने वाले व्यक्तियों का दण्ड पाने से बच जायेंगे तथा वे तटस्थ देशों में मातृ-देशों को पहुँचाई जाने वाली शस्त्रास्त्र सामग्री की सहायता को रोक सकेंगे। स.रा. अमरीका की सरकार यह नहीं चाहती थी कि उसके नागरिक विद्रोहियों को सहायता पहुँचायें तथा उसकी तटस्थता के नियमों का उल्लंघन करें।¹¹ यह इसी प्रकार हो सकता था कि विद्रोहियों द्वारा मातृभूमि के साथ सघर्ष को युद्ध की मान्यता दे दी जाय। आपेन-हाइम के मतानुसार प्रायः ऐसा होता है कि गृहयुद्ध को 'युद्धावस्था' की मान्यता नहीं दी जा सकती, ऐसा होने की अपेक्षाएँ निम्नलिखित हैं—विद्रोहियों का एक संगठित सत्ता के नेतृत्व में कार्य न करना, विस्तृत प्रदेश पर नियन्त्रण न होना, विद्रोहियों द्वारा युद्ध के नियमों के पालन की अनमर्त्यता। इस दशा में इन्हें अभिद्रोही का दर्जा देकर इनको तथ्यानुसार (de facto) शासन सत्ता मान लिये जाना है, परिणामस्वरूप इन्हीं प्रदेशों में अन्य राज्य अपने नागरिकों की तथा व्यापार की सुरक्षा करने में समर्थ हो जाते हैं।

मान्यता देने के आधार (Bases of Recognition)—निसी नये राज्य को मान्यता प्रधान रूप में राजनीतिक कारणों से दी जाती है, फिर भी कुछ ऐसी अवस्थायें हैं जिनके पूरा होने पर ही मान्यता दी जाती है। प्रायः राज्यों के विशेष विभाग

मान्यता देने के लिए निम्नलिखित शर्तों का होना आवश्यक समझते हैं — (१) नये राज्य का बाह्य दक्षिण के नियन्त्रण में न होना, इसका स्वतन्त्र तथा सम्पूर्ण प्रभुसत्ता सम्पन्न (Sovereign) होना । (२) इस राज्य की सरकार की मुहूर्तता और स्थायित्व । (३) अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के दायित्वों को पालन कर सकने की इच्छा तथा सामर्थ्य । इन आवश्यक शर्तों के पूरा होने पर ही मान्यता दी जा सकती है ।

किन्तु अधिकांश राज्य मान्यता पर राजनीतिक दृष्टि से विचार करते हैं । इसी कारण साम्यवादी चीन की सरकार को इसके स्थापित होने के बीस वर्ष बाद, अब तक स० रा० अमरीका से मान्यता नहीं मिली और वह स० रा० सच का सदस्य नहीं बन सका । स० रा० अमरीका अभी तक चीन की पुरानी राष्ट्रीय सरकार को ही चीन की कानूनी सरकार मानता है । इस समय सारे चीनी महाद्वीप में साम्यवादी शासन है, राष्ट्रादादी सरकार का चीन की भूमि से भागकर फारमोसा टापू में शरण लेनी पड़ी है । यहाँ चांग काई शेक की गत्ता अमरीकी सहायता के आभार पर ही है । चीन की जनता का अधिकांश भाग साम्यवादी सरकार का पक्षक है । ग्रेट ब्रिटेन ने चीन में अपने व्यापारिक रूढ़ियों के कारण साम्यवादी सरकार को स्वीकार कर लिया है । भारत, सोवियत रूस तथा अन्य अनेक देश इसे मान्यता प्रदान कर चुके हैं । भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि चीन की साम्यवादी सरकार को भारत ने अनेक कारणों से स्वीकार किया है मगरे चीनी महाद्वीप में साम्यवादी शासन बनने की श्रद्धा से गुप्तनिष्ठान हा चुका है कि इसे वहाँ से हटाया नहीं जा सकता राज्या की मान्यता देने में वैयक्तिक रुचि या इच्छा का प्रश्न नहीं होता चाहिए । दूसरी ओर स० रा० अमरीका का यह कहना है कि चीन अपने अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्यों में पारान की इच्छा नहीं रखता, वह पड़ोसी देशों पर आक्रमण करके इनकी संहारना करता है, अतः उसे मान्यता नहीं दी जानी चाहिए और स० राष्ट्र सच का सदस्य नहीं बनना चाहिए ।

मान्यता के परिणाम (Consequences of Recognition)—नये राज्य की मान्यता प्रदान करने के कई कानूनी परिणाम होते हैं, इसे अन्तर्राष्ट्रीय तथा देशीय कानून (Municipal Law) की दृष्टि में कई अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त हानी है । जब तक किसी राज्य की मान्यता नहीं मिलती तब तक उसे निम्नलिखित हानियाँ (Disabilities of Unrecognised State) सहन करनी पड़ती हैं—(क) ऐसा राज्य इसे स्वीकारन करने वाले राज्यों की अदालतों में अभियोग नहीं चला सकता । Russian Socialist Federated Soviet Republic v Cibrano के मामले में निर्णय में इसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा गया था—“एक विदेशी शक्ति हमारे न्यायालयों में अपना मामला अपने किसी अधिकार के कारण नहीं लाती किन्तु इसका यह अधिकार अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य (Comity) में उल्लंघन होता है । जब तक स० रा० अमरीका किसी राज्य का मान्यता नहीं देता, तब तक उसके साथ उस सौजन्य का अभाव होता है ।”

(ख) उपरोक्त सिद्धान्त ने अनुमान किसी मान्यता रहित सरकार व कार्यों

को क्रियान्वित करने का कार्य इसे स्वीकार न करने वाले राज्यों के न्यायालय कभी नहीं करेंगे ।

(ग) अमान्य सरकार के प्रतिनिधि दूतों को दिये जाने वाले विशेषाधिकारों की तथा उन्मुक्तियों की माँग नहीं कर सकते ।

(घ) जिस राज्य की सरकार को मान्यता नहीं प्राप्त हुई, उसे मिलने वाली सम्पत्ति उस सरकार के प्रतिनिधि प्राप्त कर लेते हैं, जो नई सरकार द्वारा हटा दी जाने पर भी दूसरे देशों की दृष्टि में कानूनी सरकार है ।

नये राज्य के मान्यता प्राप्त कर लेने पर उसकी उपर्युक्त अयोग्यताएँ और हानियाँ दूर हो जाती हैं । उसे निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं—

(१) मान्यता देने वाले राज्य के न्यायालयों में मान्यताप्राप्त राज्य मुकद्दमा चला सकता है ।

(२) इसके कानूनों और कार्यों को अन्य राज्य स्वीकार करते हैं और क्रियान्वित करते हैं ।

(३) अपनी सम्पत्ति तथा राजदूतों के सम्बन्ध में दूसरे देशों के न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र से इसे उन्मुक्ति (Immunity) मिल जाती है ।

(४) मान्यता देने वाले राज्य के अधिकार-क्षेत्र में विद्यमान सम्पत्ति का दावा करने और प्राप्त करने का अधिकार मान्यता पाने वाले राज्य को मिल जाता है ।

(५) इसे अन्य राज्यों के साथ दौलत सम्बन्ध स्थापित करने का और संधियाँ करने का अधिकार मिल जाता है ।

(६) मान्यता भूतप्रभावी (Retroactive) होती है । यद्यपि मान्यता कानून या विद्रोह से उत्पन्न होने वाली नई सरकार के स्थापित होने के काफी समय बाद दी जाती है, किन्तु एक बार दिये जाने के बाद इसका प्रभाव भूतकाल में इस सरकार की स्थापना के समय में होता है । इस समय में दृष्टा सम्पत्ति का विनिमय तथा अन्य बहुत से कानूनी व्यवहार मान्यता न होने पर अवैध समझे जाते, किन्तु मान्यता इन सब कार्यों को वैध बना देती है । मान्यता प्रदान करने वाले राज्य के न्यायालय इनकी वैधता में किसी प्रकार का सन्देह नहीं कर सकते ।

आठवाँ अध्याय राज्य-उत्तराधिकार (State Succession)

राज्य-उत्तराधिकार का स्वभाव (Nature of State Succession)—जब किसी राज्य का कोई प्रदेश उसकी प्रभुसत्ता और आधिपत्य से निकल कर दूसरे राज्य को प्राप्त होना है तब पहले राज्य को पूर्वाधिकारी (Predecessor) तथा दूसरे को उत्तराधिकारी (Successor) राज्य कहा जाता है तथा इस प्रक्रिया को उत्तराधिकार (Succession) कहते हैं। आर्पेनहाइम ने इसकी परिभाषा करते हुए लिखा है—“अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तियों (राज्या) का उत्तराधिकार उस समय होता है, जबकि एक या अनेक अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति किसी दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति की स्थिति में कुछ परिवर्तन आने के कारण उसका स्थान ले लेते हैं।” उदाहरणार्थ, १९४७ में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किये गए एक कानून द्वारा ब्रिटिश सत्ता में रहने वाला प्रदेश भारत और पाकिस्तान नामक दो पृथक् डोमिनियन राज्या में विभक्त हो गया। ब्रिटिश भारत के पूर्वाधिकारी राज्य के स्थान पर भारत और पाकिस्तान के दो उत्तराधिकारी राज्य बन गये, एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति का स्थान दो नये अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तियों ने ले लिया।

कुछ विधिशास्त्रियों (Jurists) ने उत्तराधिकार शब्द के प्रयोग पर आपत्ति की है। वे वैयक्तिक कानून (Private Law) की शब्दावली से लिए गए इन शब्द का प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्रों में बाधनीय नहीं समझते। स्टार्क का यह मत है कि जिस प्रकार वैयक्तिक कानून में एक व्यक्ति के मृत होने पर उत्तराधिकारी उसका स्थान पूर्ण रूप में ग्रहण कर लेता है, ऐसा राज्यों में नहीं होता। ट्रिप्ले के शब्दों में “उत्तराधिकार प्रधान रूप में वैयक्तिक कानून का मिश्रण है। इसमें यह सूचित होता है कि कुछ अंशों में राज्य की समाप्ति की तुलना व्यक्ति की मृत्यु से की जा सकती है। किन्तु शाब्दिक अर्थ की दृष्टि में राज्यों की कभी मृत्यु नहीं होती, उनकी जनसंख्या और प्रदेश लुप्त नहीं होने, इनका केवल राजनीतिक परिवर्तन होता है।” यहाँ मुख्य रूप से किसी प्रदेश की प्रभुसत्ता में परिवर्तन होता है, उसमें पूर्वाधिकारी के अधिकार और दायित्व नवीन राज्य को मिल जाते हैं। आर्पेनहाइम ने लिखा

१. आर्पेनहाइम—इयटनेशनल ला, २० १, २वां संस्करण, पृ० १५७
२. स्टार्क—एन इण्ट्रोडक्शन टू इयटनेशनल ला, ४वां संस्करण, पृ० २५६
३. ट्रिप्ले—टी एन माफ नेशनस, पृ० १५३

है "राज्यों का व्यवहार यह प्रदर्शित करता है कि राष्ट्रों के वानून के अनुसार सामान्य उत्तराधिकार नहीं होता। एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति को समाप्ति के साथ व्यक्ति के रूप में इसके सब अधिकार और कर्तव्य समाप्त हो जाते हैं।" फिर भी यह मानना ही पड़ेगा कि उत्तराधिकारी राज्य को पूर्वाधिकारी राज्य में कुछ अधिकार और दायित्व प्राप्त होते हैं।

वैयक्तिक उत्तराधिकार जिस प्रकार मृत्यु और दिवालियापन आदि अनेक कारणों से होता है, उन्हीं प्रकार राज्य का उत्तराधिकार किसी राज्य के युद्ध में पराजय, विजय, विघटन आदि कई कारणों में उत्पन्न होता है। उदाहरणार्थ, प्रथम विश्वयुद्ध में आस्ट्रिया-हंगरी के पराजय होने पर उसका विनाश साम्राज्य पोर्लाण्ड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी रूमानिया व यूगोस्लाविया में बँट गया। जर्मनी द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद से पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के दो राज्यों में विभक्त है। विजय के अन्य उदाहरण जापान द्वारा १९१० में कोरिया पर तथा १९३६ में इटली द्वारा एबीसीनिया पर प्रभुत्व प्राप्त करना था।

राज्यों के उत्तराधिकार में इनके व्यक्तित्व का प्रश्न बड़ा जटिल और मनोरंजक है। नया किसी राज्य के दूसरे प्रदेशों के साथ मिलने पर उनका व्यक्तित्व पुराना ही बना रहता है या उसे नया व्यक्ति समझना चाहिए? कुछ उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जायगा कि इस विषय में कोई एक नियम नहीं है। १८७० में इटली के निम्न स्वतन्त्र राज्यों के एकीकरण से प्रादुर्भूत राज्य को नया राज्य समझना सर्वथा स्वाभाविक है, किन्तु वह स्वयं अपने को अन्य राज्यों के सम्मिलन से वृद्धि को प्राप्त हुआ पीठमाथे का पुराना राज्य समझता था। किन्तु इसके विपरीत कैलिफोर्निया के एक न्यायालय ने *Artukovic v. Bayle* के मामले में यह निर्णय दिया था कि यूगोस्लाविया पुराने सर्बिया के राज्य का बृहत् रूप नहीं, किन्तु प्रथम विश्वयुद्ध के बाद बना नया राज्य है। इसी प्रकार जब एक राज्य का विघटन होकर उसके दो या अधिक राज्य बनते हैं तो यह कहना कठिन है कि क्या पुराना राज्य समाप्त हो गया है प्रथम वह अभी तक विद्यमान है और केवल उसका प्रदेश नये राज्यों के बन जाने से गट गया है। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद बनने वाला आस्ट्रिया का गणराज्य संभवतः एक नया राज्य था, न कि आस्ट्रिया-हंगरी के पुराने साम्राज्य की परम्परा अविच्छिन्न रगने वाला संकुचित प्रदेश और नई शासन-प्रणाली वाला राज्य। इसके विपरीत टर्की के गणराज्य को खलीफा के तुर्क साम्राज्य का ही उत्तराधिकारी समझा जाता था, यद्यपि उसके भूतपूर्व प्रदेशों से अनेक राज्यों का निर्माण हो चुका था।

उत्तराधिकार के दो प्रकार (Two kinds of Succession) — (१) सार्वभौम उत्तराधिकार (Universal Succession) — जब एक राज्य का समूचा प्रदेश दूसरे राज्य द्वारा पूर्ण रूप से अपने में मिला लिया जाता है तो पहले राज्य की सारी भूमि पर उत्तराधिकारी राज्य का प्रभुत्व हो जाने के कारण यह सार्वभौम उत्तराधिकार कहलाता है। यह प्रधानतः निम्न रूपा द्वारा सम्पन्न होता है—(क) विजय द्वारा—

विजेता राज्य विजित राज्य का सारा प्रदेश जीतकर उसे अपने राज्य में मिला लेता है, जैसा १६०१ में ग्रेट ब्रिटेन ने दक्षिण अफ्रीका के गणराज्य को जीतकर उसे अपने साम्राज्य में मिलाया। एबीमानिया और बोरिया के उदाहरणों का ऊपर उल्लेख हो चुका है। (२) कई राज्यों द्वारा मिलकर एक मध्य या मघीय राज्य बनाना १८७१ में अनेक जर्मन राज्यों ने मिलकर जर्मन साम्राज्य का निर्माण किया। १ फरवरी १९५८ को मित्र और मोरिया ने मिलकर संयुक्त अरब गणराज्य को जन्म दिया। (३) विभाजन—जब एक राज्य या अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति के स्थान पर उसकी प्रभुता दो राज्यों या अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तियों को मिलती है, जैसे १९४७ में ब्रिटिश भारत में भारत और पाकिस्तान के दो नये राज्यों का प्रादुर्भाव हुआ।

(ख) आंशिक उत्तराधिकार (Partial Succession)—जब उत्तराधिकारी राज्य पूर्वाधिकारी राज्य के समूचे प्रदेश या भूमि की प्रभुसत्ता न ग्रहण करके उसके कुछ अथवा हिस्से का स्वामी बनता है तो इसे आंशिक उत्तराधिकार कहते हैं। यह तीन प्रकार का होता है—(१) जब एक राज्य का कुछ प्रदेश मातृभूमि से विद्रोह करके स्वतन्त्र राज्य बनता है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रेट ब्रिटेन से स्वतन्त्रता की घोषणा करके तथा युद्ध करके १७७६ में स्वतन्त्र राज्य बना। (२) जब कोई राज्य किसी दूसरे राज्य के कुछ हिस्से को विजय द्वारा या हस्तान्तर (Cession) द्वारा प्राप्त करता है, जैसे स० रा० अमेरिका को १८४७ में कैलिफोर्निया का प्रदेश प्राप्त हुआ। (३) विघटन द्वारा—जब एक पूर्ण प्रभुता सम्पन्न (Sovereign) राज्य अपनी स्वतन्त्रता खोकर किसी दूसरे राज्य के आधिपत्य या संरक्षण में चला जाता है, १९३६ में म्यूनिख में चेकोस्लोवाकिया का इसी प्रकार का विघटन हुआ था।

राज्य-उत्तराधिकार के परिणाम (Consequences of Succession)—जब उत्तराधिकार द्वारा एक राज्य या अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति का स्थान दूसरा राज्य या अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति ग्रहण करता है तो प्रभुसत्ता के परिवर्तन के साथ दोनों के अधिकारों और दायित्वों में बड़ा परिवर्तन आ जाता है। कई बार इन सन्धियों द्वारा नियन्त्रित किया जाता है। किन्तु इस विषय में कोई सर्वसम्मत नियम या व्यवस्था नहीं है, प्रायः अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों के हितों की दृष्टि से उचित एक न्यायपूर्ण व्यवहारका प्रयत्न किया जाता है। इसमें अर्थाधिक वित्तिय और जटिलताएँ पायी जाती हैं। यहाँ उत्तराधिकार द्वारा प्रभावित होने वाले कुछ प्रमुख अधिकारों और दायित्वों का वर्णन किया जायगा।

(अ) सन्धि-विषयक अधिकार और दायित्व (Treaty rights and Obligations)—इस विषय में उत्तराधिकारी राज्य के अधिकार इस बात पर निर्भर है कि उसका उत्तराधिकार किस प्रकार का है। यदि यह सार्वभौम है, स्वेच्छापूर्वक अथवा विजय द्वारा पूर्वाधिकारी राज्य उत्तराधिकारी में पूर्णरूप से स्थान ले चुका है तो उसका सब सन्धियाँ समाप्त हो जाती हैं। राजनीतिक अथवा दूसरे देश के साथ मैत्री के लिए की गई सन्धियों के विषय में यह बात पूर्ण रूप से लागू होती है और व्यापारिक सन्धियों के सम्बन्ध में भी यही स्थिति है। उदाहरणार्थ, १८६६ में जब फ्रांस ने मैदा-

गास्कर टापू को अपने साम्राज्य में मिलाया तो उसने ग्रेट ब्रिटेन और सं० रा० समर्रीवा द्वारा गैडागास्कर की रानी के साथ की गई व्यापारिक संधियों की कोई परवाह न करते हुए वहाँ फ्रेंच सरकार के नियम लागू कर दिये। जापान ने कोरिया में ऐसा किया था। अतः कौच ने यह सत्य ही लिखा है कि—विजेता-राज्य उदारधिकार में कोई संधियाँ नहीं प्राप्त करते। इसे कोरी स्लेट का सिद्धान्त (Clean Slate Theory) भी कहते हैं, क्योंकि नया राज्य पिछली सब संधियों को धो-पोछ कर कोरी स्लेट पर सर्वेथा नई संधियाँ लिखता है। मैकनेयर (McNair) के शब्दों में "पूर्वाधिकारी राज्य से अविच्छिन्न सम्बन्ध न रखने वाले राज्य संधियों के दायित्वों को कोरी स्लेट से शुरू करते हैं।" ब्रिटिश विधिशास्त्रियों में हाल, हालेण्ड और आपेनहाइम 'कोरी स्लेट का सिद्धान्त' के अनुयायी हैं, किन्तु वेस्टलेक इसे नहीं मानता। अमरीकी विधिवेत्ताओं में ह्वीटन, हर्गोबी तथा पेनत्रिक इसके पक्षपाती और कैण्ट, फील्ड तथा वुन्जी इसके विरोधी हैं। व्यापार और प्रत्यपण (Extradition) की संधियाँ भी पुराने राज्य के साथ समाप्त हो जाती हैं।

किन्तु पुराने राज्य द्वारा की गई निम्नलिखित प्रकार की संधियाँ नये राज्यों को स्वीकार करने पड़ती हैं— (क) सामान्य उपयोगिता की संधियाँ तथा समझौते— डाक, तार, टेलीफोन, दास-व्यापार निषेध, स्वास्थ्य, मादक द्रव्य निषेध आदि के समझौते इसी प्रकार के हैं। १९४७ में पाकिस्तान भारत से पृथक् हो गया किन्तु १९२१ में भारत ने मंत्रियों के अनैतिक व्यापार की रोकथाम के लिए जिस अन्तर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किये, वह पाकिस्तान पर भी लागू समझा गया। इसी प्रकार भारत द्वारा स्वीकार किये गए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम समझौते भी पाकिस्तान के लिए मान्य समझे गये। (ख) स्थानीय अधिकारों तथा प्रादेशिक अधिकारों की संधियाँ— कई बार समाप्त होने वाले राज्य की संधियाँ तथा परम्परायें उसकी भूमि, नदियाँ, सड़कें, रेलों, सीमान्त रेखाओं, नदियों के नौचालन, अपने प्रदेश में होकर रास्ते या अधिकार तथा अन्य सुविधाओं (Easements) के बारे में होती हैं। नये राज्य को इनका पालन करना पड़ता है।

'त्रियर्ली' के मतानुसार कुछ संधियाँ प्रदेश-व्यवस्थापक (Dispositive) होती हैं, ये किसी प्रदेश को कुछ ऐसी विशेषताएँ प्रदान करती हैं जो वैयक्तिक कानून की परवत्ता (Servitudes) तथा सुविधाओं (Easements) से सादृश्य रखती हैं "जब कोई राज्य इस प्रकार की संधि से प्रभावित प्रदेश को ग्रहण करता है तो यह केवल इस प्रदेश को ही नहीं लेता, किन्तु इसमें सम्बद्ध संधियों और दायित्वों को भी ग्रहण करता है। तटस्थीकरण की अथवा सीमावर्ती नदी के प्रयोग को नियन्त्रित करने वाली संधियाँ ऐसी संधियों के उदाहरण हैं।"

किन्तु जब एक राज्य का थोड़ा-सा ही प्रदेश दूसरे राज्य को मिलता है तो इसके सधि-विषयक अधिकारों तथा दायित्वों में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसी प्रकार

जब किसी राज्य का कोई अंश पृथक् होकर नया राज्य बनता है तो पुराने राज्य को अब अधिकारों का पालन करना पड़ता है।

(अ) साम्पत्तिक अधिकार (Public Property Rights) — राज्य की प्रभुसत्ता में परिवर्तन के समय इन प्रदेश में विद्यमान पूर्वाधिकारी राज्य की मय सार्वजनिक सम्पत्ति (Public property), बैंक, सरकारी इमारत, सरकारों के रजिस्टर, सरकारी रेलें उत्तराधिकारी राज्य को मिलती हैं। उत्तराधिकारी राज्य विदेशों में हमकी चल, अचल सम्पत्ति का अधिकारी होता है। इसे पिछली सरकार को सड़को, नदियों, रेलों आदि के तथा अन्य प्रकार के टैक्स वसूल करने का अधिकार होता है।

स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने Polish Upper Silesia (merits) के मामले में यह कहा था कि सधि न होने पर भी यह अन्तर्राष्ट्रीय कानून का परम्परागत (Customary) नियम है कि राज्य-उत्तराधिकार के परिणामस्वरूप मिलाये जाने वाले प्रदेश की सम्पत्ति नये राज्य को प्राप्त होती है। वसति सधि की धारा २० २५६ इस धारणा को पुष्ट करती है। ब्रिटिश न्यायालयों ने *Hall Selasie v Cable S. Wireless Co Ltd* के मामले में इस नियम का समर्थन किया था (देखिये परिशिष्ट प्रथम)। इसमें कम्पनी द्वारा ईथियोपिया की सरकार को दी जाने वाली राशि के सम्बन्ध में चासरी डिबीजन के न्यायालय ने यह निर्णय किया था कि यह हेलसिलासी को दी जानी चाहिये। उस समय ब्रिटिश सरकार उसे ईथियोपिया का विध्यनुसार (De jure) मानती थी। किन्तु जब इस मामले की अपील ऊपर के न्यायालय में ले जायी गई, तब तक ब्रिटिश सरकार इटली के राजा को ईथियोपिया का विध्यनुसार सम्राट् स्वीकार कर चुकी थी, अतः निचले न्यायालय का निर्णय बदलने हुए उपर्युक्त धनराशि पर इटली के राजा का अधिकार माना गया क्योंकि उत्तराधिकार द्वारा वह हेलसिलासी का स्थान ग्रहण कर चुका था। स० रा० अमरीका के गृहयुद्ध में इंग्लैंड में विद्यमान दक्षिणी राज्यों की सरकार (Confederate government) की सम्पत्ति के सम्बन्ध में यही सिद्धान्त लागू पड़ते हुए ब्रिटिश सरकार ने तिवरपूत में शरण ग्रहण करने वाले दक्षिणी राज्यों का एक युद्धपोत Shenandoah स० रा० अमरीका की सरकार को प्रदान किया था।

किसी प्रदेश में विजय द्वारा प्रभुसत्ता का परिवर्तन होने पर भी वैयक्तिक सम्पत्ति (Private property) के अधिकारों में कोई अन्तर नहीं आता, ये यथापूर्व बने रहते हैं। *United States v Sercheman* के मामले में प्रधान न्यायाधीश मार्शल ने लिखा था—“अन्तराष्ट्रीय अधिकारों में परिवर्तन होता है, पुरानी प्रभुसत्ता (Sovereignty) से उनका सम्बन्ध विच्छिन्न होता, किन्तु एक दूसरे के साथ सम्बन्ध और साम्पत्तिक अधिकार अपरिवर्तित ही बने रहते हैं।”

(इ) सविशालक दायित्व (Contractual Liability) — नया पूर्वाधिकारी पुराने राज्य द्वारा किये गये ठेकों व सविदाओं द्वारा उत्पन्न जिम्मेदारी और दायित्वों का पालन करना उत्तराधिकारी राज्य के लिये आवश्यक है? आपेनहाइम की इस

विषय में यह सम्मति है कि—“राज्यों के आधुनिक व्यवहार की प्रवृत्ति अन्तर्राष्ट्रीय कानून के ऐसे नियम स्थापित करने की ओर है जिनके अनुसार उत्तराधिकारी राज्यों का यह नर्तव्य है कि उसे यह उत्तराधिकार भले ही किसी रीति हस्तान्तर (Cession), अंगीकरण (Annexation) या विघटन (Dismemberment) से मिला हो, किन्तु वह निजी व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त साम्प्रतिक, साविधिक (Contractual) तथा शिष्यागत प्रदान करने वाले (Concessionary) अधिकारों का सम्मान करेगा।” इस विषय में निम्न मामलों में दिया गया निर्णय आर्पेनहाइम के उपर्युक्त मत का विरोधी है।

पहले मामले West Rand Central Gold Mining Co. v The King में ब्रिटिश न्यायालय ने यह घोषणा की थी कि ‘विजय करने वाली प्रभुसत्ता सम्पन्न शक्ति विजित प्रदेश के आर्थिक दायित्वों के सम्बन्ध में कोई भी ऐसी शर्तें बना सकती है, जिन्हें वह ठीक समझती है। इन्हें स्वीकार करना पूर्ण रूप से उसकी इच्छा पर है।’ इससे यह स्पष्ट है कि उत्तराधिकारी राज्य पूर्वाधिकारी के आर्थिक दायित्वों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, वह इच्छानुसार इन दायित्वों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। त्रियर्ली ने इस पर टिप्पणी करते हुए यह सत्य ही लिखा है कि आर्पेनहाइम का मत इस विषय में अन्तर्राष्ट्रीय कानून की यथार्थ स्थिति में आगे की अवस्था को सूचित करता है और ब्रिटिश न्यायालय का निर्णय इस स्थिति से विच्छेद हुआ है।

स्थायी न्यायालय ने इस विषय का कई बार सकेत करते हुए भी इस सम्बन्ध में कोई नियम नहीं बनाया। किन्तु वैयक्तिक अधिकारों के सम्बन्ध में उसने German settlers in Poland के मामले में यह निर्णय दिया था ‘विद्यमान कानून के अनुसार प्राप्त वैयक्तिक अधिकार की समाप्ति प्रभुसत्ता के परिवर्तन के साथ नहीं होती।’ प्रथम विश्वयुद्ध से पहले प्रशिया के राज्य ने एक विशेष प्रकार की सविदा के माध्यम से कुछ जर्मन व्यक्तियों को नई भूमियों पर बसाया था, इसके अनुसार कुछ शर्तें पूरी हो जाने पर भूमि पर बसने वालों को इसका पूरा स्वामित्व मिल जाता था। युद्ध के बाद यह प्रदेश पोलैंड को दे दिया गया। पोलिश सरकार ने जर्मनों को इन जमीनों से वेदखल करना चाहा, उसका यह कहना था कि प्रशिया ने इन प्रदेश में जर्मन जनसङ्ख्या बढ़ाने के लिये ही इस प्रकार की सुविधायें प्रदान करने वाली सविदाएँ की थीं। अतः वह इन्हें मानने के लिये बाध्य नहीं की जा सकती। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस उद्देश्य को सत्य स्वीकार करते हुए भी पोलिश सरकार के दावे को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि उक्त सविदाओं द्वारा प्राप्त हुए वैयक्तिक अधिकार उत्तराधिकारी राज्य में यथापूर्व बने रहते हैं और वह इन्हें दान से इनकार नहीं कर सकता। उत्तराधिकारी राज्य द्वारा पूर्वाधिकारी राज्य के उन्हीं दायित्वों को अस्वीकार करना न्यायपूर्ण ठहराया जा

सकता है, जो उनके विरुद्ध युद्ध करने के उद्देश्य में उठाये गये हों।

रियायती (Concessionary) अधिकारों के सम्बन्ध में यह न्यति है कि किसी राज्य द्वारा अपनी समाप्ति से पूर्व व्यक्तियों या कम्पनियों को प्रदान किए गए रियायती अधिकार उत्तराधिकारी राज्य को स्वीकार करते पड़ते हैं। Mavrommatis Palestine Concessions वाले मामले में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह न्यति स्वीकार करते हुए कहा था कि टर्की राज्य का उत्तराधिकारी पलेस्टाइन प्रशासन इन बातों के लिए बाध्य है कि टर्की द्वारा जेरुसलेम में युद्ध बाम करने के लिए एक यूनानी प्रजाजन को दी गयी रियायती को स्वीकार करे और त्रिशतक रूप दे। Sopra v Koszeg Local Railway Co — Arbitral Award के मामले में यह निर्णय दिया गया था कि रियायती के कानूनी अधिकारपत्र (Deed) द्वारा जो सुविधाएँ किसी वैयक्तिक कम्पनी को प्राप्त होती हैं, राष्ट्रीय भत्ता के परिवर्तन के साथ उनका अन्त नहीं किया जा सकता।

(ई) सार्वजनिक ऋण (Public Debts) — इन विषय में राज्यों के व्यवहार और आचरण में पर्याप्त विभिन्नता पायी जाती है। फिर भी सामान्य रूप में यह कहा जा सकता है कि उत्तराधिकारी राज्य अपने पूर्वविकारी राज्य द्वारा लिए गए सार्वजनिक ऋणों के लिए उत्तरदायी होगा है, बशर्ते कि ये ऋण पूर्वविकारी राज्य में उत्तराधिकारी राज्य के निवासियों की हानि पहुँचाने के या उनके विरुद्ध युद्ध चलाने आदि के उद्देश्य में न लिए हों। उदाहरण के लिये प्रदेस को अपना भग बनाने वाले राज्य उत्तरे सार्वजनिक ऋण चुकाने की कानूनी जिम्मेवारी स्वच्छ रूप में स्वीकार करते हैं। १८६० में इटली ने आस्ट्रिया में बोम्बार्डीना का प्रदेश लेने हुए उसके स्थानीय ऋण का उत्तरदायित्व लिया था। कई बार किसी राज्य का अन्त प्रदेश लेने हुए उनके सामान्य ऋण के कुछ भग भरा करने की जिम्मेवारी ना जाती है, जैसी १८६६ में प्रशिया ने डेन्मार्क में स्लेग्विग-होल्स्टाइन का प्रदेश ग्रहण करते हुए ली थी। कई बार आन्तक उत्तरदायित्व कानूनी जिम्मेवारी स्वीकार किए बिना ही ले लिया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन ने दक्षिण अफ्रीका के सम्बन्ध में ऐसा ही किया था। बहुधा सार्वजनिक ऋणों के सम्बन्ध में संधियों में भी व्यवस्था की जाती है। वनाय की संधि के अनुसार जिन राज्यों को जर्मन प्रदेश दिया गया, उन्हें १ अगस्त १९१४ तक के जर्मन राष्ट्रीय ऋण के कुछ भग उतारने के लिए जिम्मेवार बनाया गया। उनी प्रकार १० मिनम्बर १९११ को आस्ट्रिया के साथ हुई सा जर्मनी की संधि की धारा २०३ के अनुसार आस्ट्रिया को आस्ट्रिया हंगरी के पुराने साम्राज्य के राष्ट्रीय ऋण के बचल उतारे भरा के लिए उत्तरदायी बनाया गया, जो २८ जुलाई १९१४ तक उसकी रेलों, खानों आदि की मर्यादा की जमानत पर लिया गया था। इनी प्रकार इस साम्राज्य के विघटन में बचने वाले राज्यों को उनके राष्ट्रीय ऋण का कुछ भग उतारने की जिम्मेवारी दी गयी थी।

१९४३ में भारत का विभाजन होने के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों अविभक्त भारत के उत्तराधिकारी राज्य थे। इन दोनों में अविभक्त भारत की

केन्द्रीय सरकार की जमापूंजी और देनदारियों का बँटवारा किया गया। विशेषज्ञों की विभागीय उपसमितियों ने रेल, डाक तार, डाकखाने, टकसाल आदि की सम्पत्ति का विभाजन किया। इंग्लैण्ड से अविभक्त भारत को पौण्ड पावने (Sterling balances) का जो ऋण लेना था, वह समानुपात से दोनों में बाँटा गया। किन्तु शरणार्थियों द्वारा दोनों देशों में छोड़ी गई निष्कान्त सम्पत्ति (Evacuee Property) के बारे में दोनों राज्यों में कोई सतोपजनक समझौता अब तक नहीं हो सका।

६. (उ) जिह्वा (Tort)—पूर्वाधिकारी राज्य के गलत कार्य से किसी व्यक्ति को पहुँची हुई हानि या जिह्वा (tort) के लिये नया राज्य बिल्कुल उत्तरदायी नहीं समझा जाता। १९१० में एक समझौते द्वारा एक ऐंग्लो-अमेरिकन आर्थिक दावा न्यायाधिकरण (Anglo-American Pecuniary Claims Tribunal) ने इस विषय में अपना स्पष्ट निर्णय दिया था। यह मामला इस प्रकार था—दक्षिण अफ्रीका के गणराज्य को ग्रेट ब्रिटेन द्वारा जीता जाने से पहले इसके राष्ट्रपति ब्रूगर तथा न्यायालयों में एक सघर्ष छिड़ गया, इसमें ब्रूगर ने प्रधान न्यायाधीश को पदच्युत कर दिया, न्यायालयों को कार्यपालिका का बशवर्ती बना दिया। न्यायाधिकरण की सम्मति में इस स्थिति में उत्पन्न 'कानूनी अराजकता' में एक अमरीकी नागरिक राबर्ट ई. ब्राउन को अपने सोने की खानों के कुछ दावों के सम्बन्ध में न्यायालयों में न्याय नहीं प्राप्त हो सका, इससे उसको बड़ी हानि उठानी पड़ी। स. रा. अमरीका ने दक्षिण अफ्रीका के गणराज्य का उत्तराधिकारी होने से ग्रेट ब्रिटेन द्वारा ब्राउन को हुई हानि के लिये उनके हर्जाने के दावे का समर्थन किया। इस मामले की बहस में अमरीकी प्रतिनिधि को यह स्वीकार करना पड़ा कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून में नष्ट हुए (defunct) राज्य के गलत कार्यों से हुई हानि के उत्तरदायित्व को सामान्य रूप से स्वीकार नहीं किया जाता। न्यायाधिकरण ने इस मामले को खारिज करने हुए यह कहा कि विजय द्वारा प्रदेश प्राप्त करने वाले राज्य पर ऐसा कोई दायित्व नहीं है, जिससे वह अपने पूर्वाधिकारी राज्य द्वारा किये गये गलत कार्य को ठीक करने के कोई निश्चित उपाय करे। सर सेसिल हर्स्ट ने इस स्थिति का कारण स्पष्ट करते हुए लिखा है—“विजेता जिसे अपने राज्य में मिलाता है, वह पूर्वाधिकारी राज्य का प्रदेश है। वह न तो उस राज्य का और न ही उसकी सरकार का अपने राज्य में समावेश करता है। जब एक बार यह सिद्धान्त मान लिया जाय तो यह ज्ञात होगा कि सही सिद्धान्त के आधार पर विजेता को पहली सरकार के जिह्वा कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराना असम्भव है, क्योंकि ये जिह्वा तो सरकार के थे, प्रदेश के साथ इनका कोई सम्बन्ध नहीं है।”

(ऊ) सदस्यता (Membership)—अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता के सम्बन्ध में यह निश्चित हो चुका है कि यह उत्तराधिकारी राज्य को नहीं प्राप्त होती। आयरिश फ्री स्टेट ग्रेट ब्रिटेन से पृथक् होकर स्वतन्त्र राज्य बनने पर, राष्ट्रसंघ में नये सदस्य के रूप में प्रविष्ट हुई थी। डेन्मार्क से पृथक् होने वाले आइसलैण्ड ने १९४४ में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सदस्यता स्वतन्त्र रूप में प्राप्त की थी।

१९४७ में भारत का विभाजन होने पर इसी नियम के अनुसार भारत स० रा० सघ का सदस्य बना रहा, किन्तु पाकिस्तान को ३० सित० १९४७ को इसका नया सदस्य बनना पड़ा। उस समय स० रा० सघ के सहायक मन्त्री ने इस विषय में अपनी सम्मति देते हुए कहा था—'एसी अवस्थाओं में पृथक् हान वाला हिस्सा नया राज्य समझा जाता है, जेप बचा हुआ यद्यत् सब अधिकारों और कर्तव्यों के साथ वर्तमान राज्य के रूप में बना रहता है।'

अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का उत्तराधिकार (Succession in International Organization)—जब एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का समाप्त करके उनी उद्देश्य तथा प्रयोजन के लिये नया संगठन स्थापित किया जाता है तो इनके उत्तराधिकार का प्रश्न उत्पन्न होता है। इस प्रकार के पदन द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति पर उठे, क्योंकि इस समय पुराने राष्ट्रमध्य, अन्तर्राष्ट्रीय न्याय क म्यार्सी न्यायालय, हवाई यातायात, अन्तर्राष्ट्रीय आयोग तथा अन्तर्राष्ट्रीय सैनिकी ब्यूरो के स्थान पर क्रमशः स० रा० सघ न्याय का अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय अन्तर्राष्ट्रीय प्रसैनिक हवाई संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन बनाये गये। आपनहाइम के मतानुसार "अंतर्राष्ट्रीय जीवन के सातत्य को बनाये रखने के लिये 'यह आवश्यक है कि उन सब अवस्थाओं में उत्तराधिकार को स्वीकार किया जाय, जहाँ दोनो संगठनों के उद्देश्यों में एकता हो।'

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने International Status of South Africa के मामले में अपनी परामर्शात्मक सम्मति देते हुए उपयुक्त मत का समर्थन किया था। इसके कथनानुसार स० रा० सघ की जनरल असेम्बली को इस प्रदेश की देखभाल के कार्य करने की यही कानूनी मत्ता प्राप्त थी जो दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के मॅण्डेट प्राप्त प्रदेश के प्रशासन के सम्बन्ध में राष्ट्र सघ को प्राप्त थी, दक्षिण अफ्रीका का यूनिवर्सल इस बात के लिये बाध्य है कि वह इस पर जनरल असेम्बली का निरीक्षण और नियन्त्रण स्वीकार करे और इसे प्रशासन के सम्बन्ध में वार्षिक रिपोर्ट दे। न्यायालय की सम्मति में दक्षिण अफ्रीका अब तब विनम्बर १९२० के मॅण्डेट वाला प्रदेश है। किन्तु जनरल असेम्बली द्वारा किया जाय वाला निरीक्षण मॅण्डेट पद्धति के निरीक्षण काम से अधिक नहीं होना चाहिए।

संयुक्त अरब गणराज्य के निर्माण के कानूनी पहलू (Legal Aspects of the formation of U A R)—राज्य उत्तराधिकार के प्रमग में स० अरब गणराज्य के निर्माण और विघटन से उत्पन्न कानूनी परिणामों का निर्देश उचित प्रीतन होता है। ईजिप्ट और सीरिया के राज्यों ने सर्वसम्मत् मतदान द्वारा २२ फरवरी १९५८ को दोनो देशों को मिलाकर स० अरब गणराज्य (United Arab Republic) नामक राज्य बनाया। २ मार्च को इसमें यमन का राज्य भी सम्मिलित हुआ तथा तीनों राज्य मिलकर United Arab States बने। १ फरवरी १९५८ को भी गई एक घोषणा के अनुसार ईजिप्ट तथा सीरिया के राज्यों की एक विधानसभा, एक अदालत तथा

एक सेना बनाने का निश्चय हुआ। स० अरब गणराज्य न तो वैयक्तिक सगम (Personal Union) या और न ही प्रसधान (Confederation), क्योंकि इसमें ईजिप्ट और सीरिया न तो राज्य थे और न अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति (International Person)। यह वास्तविक सगम (Real Union) भी नहीं था क्योंकि ऐसा सगम नये राज्य का निर्माण नहीं करता। यह एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य का अन्तर्लय (absorption) नहीं था क्योंकि इसमें ईजिप्ट और सीरिया दोनों का पृथक् व्यक्तित्व समाप्त हो गया था। यूजीन कोटरेन (Eugen Cotran) ने इसे सर्वथा नये प्रकार का विलय (merger) बताया है, यह सगम (Union) न होकर एकता (Unity) थी।

किन्तु इन दोनों के साथ मिलने वाले यमन राज्य के मेल से बने स० अरब राज्यों (United Arab States) की स्थिति सर्वथा भिन्न थी। स० अरब गणराज्य और यमन दोनों की प्रभुसत्ता (Sovereignty) तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व (International personality) थे, अतः यह दो पूरक रूप से प्रभुसत्ता सम्पन्न (Sovereign) राज्यों का प्रसधान (Confederation) था।

स० रा० अरब गणराज्य के अस्थायी सविधान की धारा ६ के अनुसार इन दोनों राज्यों के साथ जो संधियाँ पहले की गई थीं वे अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों का अनुसरण करते हुए "अपने उन पुराने क्षेत्रों के लिये वैध बनी रहेंगी, जिनके लिये ये की गई थीं।" धारा ५६ के अनुसार भविष्य में सब संधियाँ स० अरब गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा की जाएँगी। स० अरब राज्यों में संयुक्त अरब गणराज्य (United Arab Republic) तथा यमन राज्य—दोनों को पृथक् संधियाँ करने का अधिकार था।

स० रा० संध (U N O) में पहले ईजिप्ट और सीरिया पृथक् रूप से सदस्य थे और इनके दो प्रतिनिधि हुआ करते थे। स० अरब गणराज्य बन जाने पर इसने १ मार्च १९५८ को स० रा० संध के महामन्त्री को सूचित किया कि अब स० रा० संध में इसका एक ही प्रतिनिधि होगा और स० रा० संध में सम्बद्ध सभी सगठनों में यही स्थिति होगी। इस राज्य के निर्माण के समय अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग (International Law Commission) में ईजिप्ट और सीरिया के दो प्रतिनिधि थे। किन्तु इसमें सविधान की धारा २ के पैरा २ के अनुसार इसमें एक समय में एक देश के दो सदस्य नहीं हो सकते, अतः विधि आयोग ने इन दोनों सदस्यों में से एक का त्याग पत्र स्वीकार किया। ईजिप्ट और सीरिया दोनों पहले स० रा० संध के सदस्य थे, अतः इनके संयुक्त होने पर नये स० अरब गणराज्य को भी संध का सदस्य मान लिया गया और इसमें सदस्यता के लिए पृथक् रूप में आवेदन पत्र नहीं देना पड़ा। विपत्ती ने लिखा है कि यदि इन दोनों में से कोई पहले संध का सदस्य न होता तो उस समय क्या स्थिति होती? यह अन्तर्राष्ट्रीय कानून का बड़ा

७ यूजीन कोटरेन—सम लीगल एस्पैक्ट्स आफ् दी फारमेशन आफ् दी यूनाइटेड अरब रिपब्लिक एण्ड युनाइटेड अरब स्टेट्स, इण्टरनेशनल एण्ड कम्पैरेटिव ला, क्वार्टरली, पृ० ६४६, पृ० ३४६

रोचक प्रश्न है।^८

किन्तु यह स० अरब गणराज्य देर तक नहीं चला। सितम्बर १९६१ में सीरिया में एक राजनीतिक पड़वन्न के बाद यह घोषणा की गई कि सीरिया इस गणराज्य में पृथक् हो गया है, सीरिया के बाद २६ दिसम्बर १९६१ को यमन भी स० अरब गणराज्यों से पृथक् हो गया। सीरिया स० रा० मध का आरम्भिक सदस्य था, स० अरब गणराज्य में पृथक् होने के बाद उसने पुनः इसकी सदस्यता के लिये आवेदन पत्र दिया और वह इसका सदस्य बना लिया गया।

राज्य उत्तराधिकार के सम्बन्ध में भारतीय परिपाटी और व्यवहार (Indian Practice with reference to State Succession)—१९४७ के भारतीय स्वतन्त्रता कानून (Indian Independence Act) के अनुसार विभाजन के बाद हमारे देश में राज्य उत्तराधिकार के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से कई जटिल समस्याएँ उत्पन्न हुईं और भारतीय न्यायालयों के सामने इस विषय के अनेक विवाद उपस्थित हुए। यहाँ हम सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं और मामलों का निर्देश दिया जायगा।

पहली समस्या भारत की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की थी—विभाजन से भारत और पाकिस्तान के दो राष्ट्र उत्पन्न हुए थे। नया इन दोनों को अपनी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की मान्यता दूसरे देशों से नये सिरे से प्राप्त करनी थी? इस विषय में हाल द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धान्त (Personality Theory) का माना गया कि 'जसके मतानुसार 'राज्य-उत्तराधिकार की समस्या की कुंजी व्यक्तित्व है'। जिस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति अपना अगम्य होने के बाद जीवित रहने पर अपना पुराना व्यक्तित्व बनाये रखता है, उसी प्रकार विभाजन के बाद भी यदि पुराना राज्य जीवित रहता है तो उसे पहले राज्य के सब पुराने अधिकार और दायित्व प्राप्त रहते हैं तथा विभाजन के परिणामस्वरूप बनने वाले अन्य राज्यों को नवीन कानूनी सत्ताएँ (Legal Entities) समझा जाता है। ब्रिटिश भारत ने १९१९ की वसाई की सन्धि (Treaty of Versailles) पर हस्ताक्षर किये थे, इस प्रकार उसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्राप्त हुआ था, वह राष्ट्रमध्य तथा स० रा० मध का सदस्य था। १९४७ में इसका विभाजन होने पर यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या भारत के साथ पाकिस्तान भी स्वतः इस कारण के अन्तर्गत पर स० रा० मध का सदस्य बन गया है कि दोनों विभाजन के बाद ब्रिटिश भारत के उत्तराधिकारी थे। इस विषय में भारतीय सरकार का यह दृष्टिकोण था कि व्यावहारिक और वास्तवीक दृष्टि से पुराने भारत की सत्ता बनी हुई है, केवल इसमें से कुछ प्रान्त अलग हुए हैं, अतः उसकी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में कोई अन्तर नहीं आया है। स० रा० मध के सचिवालय (Secretariat of U.N.O.) ने इस प्रश्न पर विचार करके भारत के दृष्टिकोण से यहमति प्रकट करने

८. जियर्ली—वी ला प्राए नेशनस, छठा संस्करण, पृ० १५६

९. हाल—इण्टरनेशनल लॉ (अष्टम संस्करण, १९२६) पृ० ११६

हुए लिखा था—“अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से यह ऐसी स्थिति है, जिसमें एक विद्यमान राज्य का एक भाग इससे पृथक् होकर एक नया राज्य बन जाता है। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि भारत की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यह अपने सभी सन्धि-अधिकारों एवं दायित्वों के साथ बना हुआ है। अतः इसे स० रा० सभ की सदस्यता के सभी अधिकार और दायित्व प्राप्त हैं। इससे पृथक् होकर बनने वाला पाकिस्तान नवीन राज्य है। इसे पुराने राज्य की सधियों से प्राप्त होने वाले अधिकार तथा दायित्व नहीं मिलेंगे, अतः यह स० रा० सभ का सदस्य नहीं रहेगा। इससे यह स्पष्ट था कि भारत का विभाजन आंशिक उत्तराधिकार (Partial Succession) का उदाहरण था। इसमें भारत को पुराने सभी अधिकार प्राप्त रहे, उसका अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व और सयुक्त राष्ट्र सभ की सदस्यता पूर्ववत् बनी रही, किन्तु पाकिस्तान को नवीन राज्य होने के कारण इसे नये सिरे से प्राप्त करना पडा।

भारत और पाकिस्तान का विभाजन यद्यपि आंशिक उत्तराधिकार का उदाहरण था, किन्तु भारत में मिलने वाली देशी राज्यों का इसमें मिलना पूर्ण उत्तराधिकार (Total Succession) का उदाहरण है क्योंकि इन्हें भारत में विलीन होने के बाद कोई स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति नहीं प्राप्त हुई।

दूसरी समस्या निजी व्यक्तियों के कानूनी हितों (Legal Interests of Private Individuals) की थी। इस विषय में पहला प्रश्न प्राप्त अधिकारों के तथा राज्य-कृत्य के सिद्धान्तों (Doctrine of Acquired Rights and Act of State) का था। कोई नया राज्य स्थापित होने पर विभिन्न व्यक्तियों के सम्पत्ति विषयक प्रथम अन्य अधिकारों में राजा या शासन बदलने से कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें इस क्षेत्र में वही अधिकार प्राप्त होते हैं, जो उन्हें पिछले राज्य में प्राप्त थे। इसी को प्राप्ति अधिकारों का सिद्धान्त कहा जाता है। उदाहरणार्थ, १९४७ में भारत और पाकिस्तान के नये राज्य बने, किन्तु इन दोनों देशों में रहने वाले व्यक्तियों को अपनी जमीन जायदाद पर, एक दूसरे के साथ व्यवहार में, अनुबंध (Contracts) आदि में जो अधिकार प्राप्त थे, वे नया राज्य बनने पर भी प्राप्त रहे। यदि ऐसा न हो तो समाज में बड़ी अव्यवस्था, अपाधापी और कुहराम मच जाय”। अन्तर्राष्ट्रीय कानून में इसका सुस्पष्ट प्रतिपादन स० रा० अमेरिका के प्रधान न्यायाधीश मार्शल ने U. S. V. Percheman के मामले में करते हुए कहा था—“इस विषय में यह टिप्पणी करना उचित है कि विजय द्वारा किसी प्रदेश को जीतने के बाद विजेता के लिये प्रायः इससे अधिक कुछ करना अस्वाभाविक होता है कि वह पिछले राजा को हटा दे तथा देश का शासन अपने हाथ में ले ले। यदि (प्रत्येक विजय के बाद) सामान्य रूप से सम्पत्ति को जब्त कर लिया जाय, वैयक्तिक अधिकारों को समाप्त कर दिया जाय तो कानून का रूप धारण करने वाली राष्ट्रों की आधुनिक परिपाटी (usage) का अतिक्रमण होगा, कानून तथा अधिकार की उस भावना का हनन

होगा जिसे समूचा सम्पत् जगत् स्वीकार करता है। किसी प्रदेश की विजय होने पर वहाँ की जनता राजा के प्रति अपनी निष्ठा बदलती है, पुराने राजा में उनका सम्बन्ध समाप्त हो जाता है, किन्तु उनके एक दूसरे के साथ सम्बन्ध तथा उनके सम्पत्ति विषयक अधिकार पूर्ववत् बने रहते हैं^{११}। मापेनहाइम ने इस मत का समर्थन करते हुए कहा है कि राज्यों के आधुनिक व्यवहार ने इस बात को अन्तर्राष्ट्रीय कानून का नियम बना दिया है कि उत्तराधिकारी राज्य का यह कर्तव्य है कि वह निजी व्यक्तियों के सम्पत्तिविषयक, अनुबन्धात्मक (Contractual), रियायती सम्बन्धी (Concessionary) सभी प्रकार के प्राप्त कानूनी अधिकारों का सम्मान करे, भले ही यह नया राज्य किसी दूसरे राज्य द्वारा प्रदेश दिये जाने से (Cession), नया प्रदेश अपने राज्य में मिलाने से या किसी प्रदेश के विघटन से उत्पन्न हुआ हो^{१२}।

किन्तु इन 'प्राप्त अधिकारों (Acquired Rights) को नये राज्य में पाने में कई बार बड़ी कठिनाई होती है और इनका विरोध राज्य-कृत्य (Doctrine of Act of State) के सिद्धान्तों के प्राधार पर किया जाता है। राज्य-कृत्य का अभिप्राय किसी प्रदेश पर विजय सन्धि आदि किसी भी प्रकार से प्रभुसत्ता (Sovereignty) पाना है, प्रभुसत्ता राज्य का विशेष गुण है, अतः इसे ग्रहण करने को राज्य का विशेष कार्य या राज्य-कृत्य (Act of State) कहते हैं। इस प्रकार राज्य-कृत्य से उत्पन्न होने वाले विवादों पर किसी भी देश के न्यायालय में विचार नहीं किया जा सकता। इसका सुस्पष्ट प्रतिपादन करते हुए प्रिवीकौन्सिल ने अपने एक निर्णय में कहा था^{१३}—
“प्रभुसत्तासम्पन्न राज्य जब पहली बार किसी प्रदेश को प्राप्त करता है तो इसे राज्य-कृत्य कहा जाता है। इसमें इस बात का महत्व नहीं है कि उसे यह प्रभुसत्ता किस प्रकार प्राप्त हुई है। सब दशाओं में एक ही परिणाम उत्पन्न होता है। इस प्रदेश का कोई भी निवासी नवीन शासक द्वारा स्थापित यहाँ के न्यायालय में अपने ऐसे अधिकारों को ही प्राप्त कर सकता है, जिनको नये शासक ने अपने अफसरों के माध्यम से स्वीकार किया है। उसके ऐसे अधिकार उसे कोई लाभ नहीं पहुँचा सकते, जो अधिकार उसे पहले के शासकों के समय में प्राप्त थे। इसमें भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि किसी प्रदेश को प्रदान करने वाली सन्धि (Treaty of Cession) में यह शर्त लिपी गयी है कि वहाँ के कुछ निवासी कुछ विशेष अधिकारों का उपयोग करते रहेगे तो इससे भी उन्हें यह अधिकार नहीं प्राप्त होता है कि वे इन अधिकारों को राष्ट्रीय न्यायालयों (Municipal Courts) द्वारा लागू (Enforce) करना सकें। इन्हें लागू करवाने का अधिकार केवल सन्धि करने वाले पक्षों (High Contracting Parties) को ही होता है”।

ग्रेट ब्रिटेन की प्रिवी कौन्सिल द्वारा प्रतिपादित 'राज्य-कृत्य' का यह सिद्धान्त पहले बताने वाले मॉन्टगोमरी द्वारा प्रतिपादित 'प्राप्त अधिकारों के सिद्धान्त' के सर्वथा प्रतिकूल

११. यू० ए० सुप्रीम कोर्ट ७ पी०सं ५१, पृ० ८६-७

१२. सेनेरी आफ् स्टेट वि० सरदार कलम था प आई आर (१९४१) पी० सी० ६४

है। अमेरिकन सिद्धान्त को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने १९२३ में German Settlers Case में स्वीकार करते हुए जर्मन प्रदेग के पोलैण्ड में चले जाने पर, वहाँ के व्यक्तियों के पोल नागरिक बन जाने पर भी उनके पुराने जर्मन अधिकारों को उन्हें प्रदान किया था। किन्तु भारत में विभाजन के बाद भारतीय न्यायालयों ने प्रिवी कौन्सिल के उप-युक्त निर्णयों का अनुसरण करते हुए यह माना है कि देशी राज्यों के साथ हुए समझौते राज्य कृत्य है और इनके सबन्ध में उत्पन्न होने वाले विवाद भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सुप्रीमकोर्ट ने १९५१ में State of Sraikella V Union of India (A I R, 1951 58 253) में इसी दृष्टिकोण को स्वीकार किया था। किन्तु अन्य मामलों में यह स्थिति स्वीकार की थी कि यदि नया राजा इन अधिकारों को देता या स्वीकार करता है तो इन्हें लागू (Enforce) किया जा सकता है। निम्न उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जायगी।

सरदार मिहन्सिंह ब० एस० टी० द्रो० (नहर)¹ के मामले में नाभा राज्य ने प्रार्थी के पिता को बिना कोई कर दिये, सदा के लिये एक निश्चित मात्रा में सिंचाई के लिये पानी लेने का अधिकार दिया था। १९४८ में नाभा पेप्सू (PEPSU—Patiala East Panjab States Union) ने राज्य में मिला गया। १९५२ में प्रार्थी ने सिंचाई या सिंचाई कर (Waterfrates) मांगा गया, किन्तु पहले चार वर्ष तक उससे कोई कर नहीं मांगा गया था। चूंकि पेप्सू के प्रशासन की सामान्य व्यवस्थाओं के अध्यादेश [General Provisions (Administration) ordinance 2000 5—B K] ने उपर्युक्त वैयक्तिक कानून (रोजनामचा आदेश) को रद्द नहीं किया था, अतः पेप्सू हाईकोर्ट ने यह परिणाम निकाला कि प्रार्थी के अधिकार को नये शासन ने स्वीकार कर लिया है। न्यायालय की दृष्टि में ऐसी स्वीकृति कानून द्वारा स्पष्ट अथवा ध्वनित (Implied) समझौते से दी जा सकती है। D D Cement Company V I T Commissioner के मामले में भी सुप्रीमकोर्ट ने इस प्रश्न पर विचार किया था। इसमें जी० के राजा ने अप्रैल १९३८ को एक व्यक्ति के साथ अपने राज्य में सीमेण्ट का कारखाना बनाने के लिये एक समझौता किया, इसमें उसे कुछ रियायतें तथा आयकर में छूट प्रदान की। २७ मई १९३८ को इस समझौते के अनुसार एक कम्पनी बनी तथा उसे सब रियायतें दी गईं। ५ मई १९४८ को जी० के पेप्सू ने राज्य में सम्मिलित हुआ। २४ नव० १९४९ को पेप्सू के राजप्रमुख ने भारत के गवर्नर को स्वीकार करने की घोषणा की, १३ अप्रैल १९५० को पेप्सू ने भारत की केन्द्रीय सरकार के साथ वित्तीय एकता की योजना स्वीकार की तथा यहाँ भारत सरकार के कर के नियम लागू हुए। इस मामले में यह विचारणीय प्रश्न था कि प्राथियों पर १९४९-५० के वर्ष का आयकर पटियाला के कानून के अनुसार लगाया जाय अथवा १९३८ में जी० के राजा द्वारा किये गये समझौते की शर्तों के अनुसार लगाया जाय। प्राथियों की यह मुक्ति थी कि १९३८ का समझौता एक विशेष समझौता था, जी० के पेप्सू में सम्मिलित होने पर उसे पेप्सू ने भी स्वीकार कर लिया, अतः पेप्सू का राजप्रमुख इसे रद्द करने वाला कोई आदेश नहीं निकाल सकता था। किन्तु

सुप्रीमकोर्ट के न्यायाधीश का यह कहना था कि यह समझौता राज्य-कृत्य (Covenant of State) है, यह स्वतन्त्र राज्यों के राजाओं द्वारा की गई एक ऐसी सन्धि थी, जिसके अनुसार उन्होंने अपने प्रदेशों की प्रभुसत्ता एक नवीन राज्य के राजा को प्रदान की थी। "यह स्वतन्त्र राजाओं के बीच में तय होने वाला मामला था, इस विषय में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद भारत के राष्ट्रीय (municipal) न्यायालयों द्वारा नहीं, अपितु राजनयिक कार्यवाही (Diplomatic action) द्वारा तय होना चाहिये, इससे यदि तय न हो तो इसका समाधान शक्ति द्वारा किया जाना चाहिये।

१९६३ में सुप्रीमकोर्ट ने Promod Chandra Dev V The State of Orissa में इस विषय में पिछले तर्कों मामलों के निर्णयों पर विचार करते हुए निम्न-लिखित परिणाम निकाले—

(१) राज्य कृत्य (Act of State) का अर्थप्राम यह है कि एक ऐसे प्रदेश पर प्रभुसत्ता के अधिकार ग्रहण किये जाएं, जो अब तक इसका अंग नहीं था। ये अधिकार विजय, सन्धि अथवा किसी अन्य प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं। यह कार्य किसी विशेष स्थिति को सार्वजनिक घोषणा द्वारा किया जाता है। (२) प्रभुसत्ता के पूर्ण अधिकार ग्रहण करने की ऐतिहासिक प्रक्रिया में कई वर्षों का भी समय लग सकता है। (३) राज्य कृत्य के अधिकार का मूल कोई राष्ट्रीय कानून (Municipal Law) नहीं होता, अपितु यह कानून से ऊपर उठे हुए साधनों (Ultra legal and supra-legal means) से सम्पन्न किया जाता है, जब राष्ट्रीय न्यायालयों को इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि वे राज्य कृत्य के क्षेत्र में घाने वाले किसी कार्य की वैधता या अधिव्यति की जांच करें। यह बात निजी (Private) अधिकारों तथा सार्वजनिक अधिकारों (Public rights) के दोनों क्षेत्रों में लागू होती है, इन में राष्ट्रीय न्यायालयों को जांच करने, इन पर निर्णय देने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार नहीं है। (४) नई प्रभुसत्ता द्वारा स्वीकार किये जाने वाले राष्ट्रीय न्यायालयों को केवल ऐसे अधिकारों के बारे में जांच निर्णय करने का अधिकार है, जिन्हें नई प्रभुसत्ता ने कानून द्वारा, समझौते द्वारा अथवा किसी अन्य विधि से स्वीकार करना मान लिया हो। (५) नई प्रभुसत्ता ने किसी अधिकार को स्वीकार किया है या नहीं, इसे सिद्ध करने का दायित्व उस व्यक्ति पर है, जो इस अधिकार की मांग कर रहा है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रिवो कौन्सिल ने तथा भारत के सुप्रीमकोर्ट ने राज्य उत्तराधिकार के बाद निजी व्यक्तियों के अधिकारों के स्वतः बने रहने (automatic continuance) के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया, वे उन्हीं अधिकारों को स्वीकार करते हैं जिन्हें स्पष्ट या अस्पष्ट (Implied) रूप से नये शासक ने स्वीकार किया है। इसे सिद्ध करने का दायित्व भी इस अधिकार की मांग करनेवाले व्यक्ति पर है।

तीसरी समस्या भारत के विभाजन तथा रियासतों के भारत में विलय होने पर अनुबन्धी उत्तरदायित्व (Contractual liability) की थी। इसके भी कई रोचक

मामले भारतीय न्यायालयों के सामने आये हैं¹³ उनमें एक मामला Gwalior R. S W. Co V Union of India का था। ग्वालियर के महाराजा ने १९४७ में ग्वालियर राज्य में बिड़ला बन्धुओं द्वारा स्थापित किये जाने वाले कुछ कारखानों तथा उद्योगों के लिये १२ वर्ष तक आयकर से छूट दी थी। १९४८ में ग्वालियर का मध्यभारत में विलय हुआ। १९५०-५१ में पहले मध्यभारत की तथा बाद में केन्द्र की सरकार द्वारा बिड़ला कम्पनी से आयकर की माँग की गई। कम्पनी ने महाराजा के १९४६ के आदेश के आधार पर इन कर से मुक्ति की माँग की। हाईकोर्ट का यह कहना था कि धारा २६५ (i) (b) के अनुसार मध्यभारत के सब दायित्व केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुए, भारतीय आयकर कानून ने प्रार्थी को महाराजा द्वारा दी गई विशेष रियायतों को किसी कानून से रद्द नहीं किया, अतः कम्पनी को कर से छूट पाने का दावा ठीक और सुप्रतिष्ठित है।

चौथी समस्या मघियों की है। भारत का विभाजन होने पर स० रा० गप के सचिवालय ने भारत को पुराने ब्रिटिश भारत का उत्तराधिकारी माना था। अतः यह ब्रिटिश भारत की और ब्रिटिश सम्राट (Crown) द्वारा विदेशी राज्यों के साथ की गई मघियों से बँधा हुआ था। पाकिस्तान नया राज्य होने से कानूनी दृष्टि में इन मघियों के पालन के दायित्व से बच सकता था। किन्तु इसका प्रतिकार १९४८ में भारतीय स्वतन्त्रता कानून (अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था) आदेश (Indian Independence [International Agreements] Order) द्वारा किया गया। इससे मघियों के अधिकारों तथा दायित्वों के बारे में समुचित व्यवस्था की गई। इस विषय में न्यायालयों के सामने कोई मामला नहीं आया। देगी राजदरारों के साथ की गई तथा ब्रिटेन द्वारा की गई मघियों के बारे में भारतीय स्वतन्त्रता कानून में यह कहा गया था कि इस कानून के लागू होते ही वे समाप्त हो जायेंगे। ब्रिटिश भारत तथा देगी राज्यों के मध्य अपराधियों को सौंपने के लिये की गई प्रत्यर्पण मघियाँ (Extradition Treaties) भी इन राज्यों के भारतीय गप में तथा प्राप्त पास के राज्यों में विलय होते ही समाप्त हो गईं। इस विषय में सुप्रीम कोर्ट ने Ram Babu Saxena V State के मामले में विस्तृत विचार किया था (देखिये, परिशिष्ट)। इसमें समुक्त प्रान्त में गिरफ्तार होने वाले एक व्यक्ति राम बाबू ने १८५६ में राजस्थान की टोंक रियासत द्वारा तत्कालीन भारत सरकार के साथ की गई संधि (Anglo Tonk Extradition Treaty) के आधार पर अपनी उन्मुक्ति (Immunity) का दावा करते हुए यह कहा था कि यह संधि भारत द्वारा देगी राज्यों के साथ किये गये यथापूर्व समझौतों (Standstill Agreements) के कारण अभी तक जीवित है। किन्तु सुप्रीमकोर्ट के न्यायाधीश श्री मार के मुफर्जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि जब कोई राज्य दूसरे राज्य का गग बनकर या उसमें निश्चिन होकर अपना जीवन समाप्त कर देता

¹³ Union of India V Champa Lal Looma & Co, AIR (1957) S C 652, Panna Lal Mukerji V Union of India AIR (1957) Col 156

है तो विलीन होने वाले राज्य के सम्बन्धी गई सब सधिया समाप्त हो जाती हैं, जैसे हनोवर के प्रथिया राज्य में नलपूर्वक मिलाये जाने के बाद उसके साथ की गई सब सधियों का अन्त हा गया, टैक्सस के स० २० अमेरिका में सम्मिलित होने पर उसकी पिछली सधिया समाप्त हो गई। टाक के राजस्थान में मिलने की परिस्थितियों में कुछ भेद होते हुए भी १८६६ की प्रत्यर्पण नवि परिवर्तित परिस्थितियों में विलीन लागू नही जा सकती है।

पाँचवाँ समस्या पुराने कानूनो तथा कानूनी पद्धति की मान्यता थी। इस विषय में भारतीय विधान परिषदो और न्यायालयों ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के इम सुप्रसिद्ध नियम का पालन किया है कि पुराने राज्य के कानून नये उत्तराधिकारी राज्य में उस समय तक चलते रहते हैं, जब तक इनमें कोई परिवर्तन न किया जाय। जब कई राज्य आपस में मिलकर एक संघ बनते हैं, उस समय भी नये राज्य के विभिन्न प्रदेशों में इनके पुराने राज्यों के कानून नया परिवर्तन किये जाने तक पूर्ववत् चलते रहते हैं।^{१८}

छठी समस्या— सिविल सविस तथा अन्य सार्वजनिक सेवाओं (Public Services) की थी। भारतीय सिविल सविस ब्रिटिश शासन में एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था और इनकी विशेषता यह थी कि यह ग्रेट ब्रिटेन के मन्त्रिमण्डल के एक सदस्य भारतमन्त्री के सीधे सरक्षण में था। इस विषय में सुप्रीम कोर्ट ने State of Madras V Rajgopalan के मामले में यह निर्णय दिया था कि भारतीय स्वतन्त्रता कानून द्वारा एक पूर्ण रूप से स्वाधीन और प्रभुमत्तासम्पन्न राज्य का जन्म हुआ है, इस विषय के अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सुप्रसिद्ध सिद्धान्तों के आधार पर इस नये राज्य के उत्पन्न होने में पिछली सरकार के तथा इसके सेवकों के बीच में हुए सेवासम्बन्धी अनुबन्ध स्वतः समाप्त हो गये हैं। इस मामले में मद्रास सरकार ने इंडियन सिविल सविस के एक पुराने कर्मचारी राजगोपालन को १५ अगस्त १९४७ के बाद अपनी सेवा में रखने से इन्कार किया था (देखिये परिशिष्ट)। किन्तु भारतीय स्वतन्त्रता कानून (१९४७) में यह व्यवस्था की गई थी कि यदि नई सरकार भारतमन्त्री द्वारा नियुक्त किये गये सिविल सविस के कर्मचारियों को अपनी सेवा में रखती है तो वे अपनी सेवा की पुरानी शर्तों तथा सुविधाओं का उपभोग करेये। एन बक्षी व. ए. जी. बिहार (N. Bakshi V A. G Bihar) के मामले में इस नियम का पालन किया गया। श्री बक्षी सिविल सविस के पुराने कर्मचारी थे, नई सरकार में उन्हें कार्य करने की अनुमति दी गई। सिविल सविस के कर्मचारियों के बीच-बीचों को १९२४ के पुराने नियमों के अनुसार इगलैण्ड जाने का मार्गव्यय और भत्ता मिलता था। १९४७ के बाद जब बक्षी ने इसकी माँग की तो बिहार सरकार के महालेखा परीक्षक (Accountant General) ने पुराने नियमों के आधार पर मार्ग व्यय को देने से इन्कार किया। पटना हाईकोर्ट ने इस पर विचार करते हुए

१८. इस विषय के भारतीय मामलों के लिये देखिये एम्. के. अय्यल—इंटरनेशनल लॉ, पृ० ७३-८५।

यह निर्णय दिया कि भारतीय स्वतन्त्रता कानून में इस विषय में पुराने नियमों और भत्तों को सुरक्षित बनाये रखने की गारण्टी दी गई है, अतः प्रार्थी अपनी पत्नी और बच्चों के इंग्लैण्ड ले जाने का मार्गव्यय पाने का अधिकारी है। इसी प्रकार आसाम हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले में (Hiranmaya V. State of Assam A. I. R. 1954 Assam 224) यह निर्णय दिया था कि सेवानो के बारे में दी गई गारण्टी किसी विशेष स्थान के बारे में नहीं, अपितु पद के विषय में लागू होती है। इस मामले में विभाजन से पहले हिरण्मय नामक व्यक्ति आसाम की शिक्षा सेवा (Assam Education Service) में सिलहट में एक कालिज में लेक्चरर के पद पर कार्य कर रहा था। विभाजन के बाद सिलहट पाकिस्तान में चला गया और आसाम सरकार ने भारत में सेवा करने के बारे में उसकी सहमति प्राप्त करने के बाद भी उसे सेनामुक्त कर दिया। हिरण्मय ने India (Provisional Constitution) Order 1947 के आधार पर घदालत से इस विषय में अपनी नौकरी को बनाये रखने के अधिकार की माँग की। आसाम सरकार का यह कहना था कि सिलहट के पाकिस्तान में चले जाने के कारण सरकार के पास वादी की नौकरी पर रखने का कोई पद नहीं रहा है। आसाम हाईकोर्ट ने इस प्रार्थना को अस्वीकार करते हुए कहा कि वादी की नियुक्ति सिलहट स्थान पर नहीं, किन्तु आसाम की शिक्षा-सेवा में लेक्चरर के पद पर हुई थी। यह पद उसे आसाम के वर्तमान प्रदेश के किसी कालिज में दिया जाना चाहिये, सिलहट के आसाम में चले जाने से वहाँ कार्य करने वाले व्यक्ति को आसाम सरकार अपने पद से वंचित नहीं कर सकती है। आसाम हाई कोर्ट ने प्रार्थी के इस दावे को स्वीकार किया।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून नये शासक को इस बात के लिये बाधित नहीं करता है कि नया शासक सेवा करने वाले पुराने व्यक्तियों को सेवा की पुरानी शर्तों और अधिकार प्रदान करे। नया शासक जिन पुराने सेवकों की सेवायें समाप्त कर देता है, उनको मुआवजा देने की कोई व्यवस्था नहीं है। सुप्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता लौटरपाख्ट (Lauterpacht) का यह मत है कि यद्यपि नये राज्य को पुराने सेवकों की सेवायें समाप्त करने का अधिकार है, फिर भी प्राप्त अधिकारों के सिद्धान्त (Doctrine of acquired rights) के आधार पर ऐसे व्यक्तियों को मुआवजा पाने का अधिकार है। भारत, बर्मा और सीलोन में राज्य परिवर्तन होने पर पदच्युत किये जाने वाले राजकीय सेवकों को मुआवजा दिया गया था। राजगोपालन वाले उपर्युक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नियमों (Statutes) की दृष्टि से ही विचार किया था, अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से नहीं। इस विषय में लौटरपाख्ट का उपर्युक्त मत सही प्रतीत होता है। किन्तु भारतीय न्यायालयों ने इस विषय में सुनिश्चित सम्मति नहीं दी थी।

नवाँ अध्याय

राज्य का प्रदेश

(Territory of the State)

प्रादेशिक प्रभुसत्ता (Territorial Sovereignty)—राज्य की एक मुख्य विशेषता उसके पास प्रदेश का होना है, इसमें उसका कानून लागू होगा है तथा उसे सर्वोच्च सत्ता प्राप्त होती है। यही प्रादेशिक प्रभुसत्ता है। इसका यह अर्थ है कि राज्य के प्रदेश में विद्यमान व्यक्तियों पर तथा सम्पत्ति पर केवल मात्र उसी राज्य की प्रभुसत्ता है, किसी अन्य राज्य को इस प्रदेश में कोई अधिकार नहीं है। यह विचार दोबारा कानून के वैयक्तिक सम्पत्ति पर स्वामित्व की कल्पना में ग्रहण किया गया है। मैक्स ह्यूबर ने *Island of Palmas Arbitration* के मामले में प्रादेशिक प्रभुसत्ता का लक्षण करने हुए कहा था—“राज्यों के सम्बन्ध में प्रभुसत्ता का अर्थ स्वतन्त्रता है। भूमण्डल के एक भाग में स्वतन्त्रता का अन्वय यह है कि यहाँ केवल मात्र एक राज्य को राज्य सम्बन्धी कार्य करने का अधिकार है।” ‘एक जगल में एक शेर’ की लोकोक्ति के अनुसार ‘एक प्रदेश में एक राज्य की प्रभुसत्ता’ होती है।

ध्यान: यह कहा जाता है कि प्रादेशिक प्रभुसत्ता अविभाज्य (Indivisible) होती है, किन्तु यह सत्य नहीं प्रतीत होता। सहराज्यो (Condominium) में यह सत्ता दो राज्यों में बँटी होती है। पट्टे पर दिये प्रदेशों के सम्बन्ध में भी यही स्थिति है। चीन ने रूस, फ्रांस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन को अपने कई प्रदेश पिछली शताब्दी के अन्त में पट्टे पर दिये थे। १९४० में पचास पुराने विध्वंसक पोनों के बदले ग्रेट ब्रिटेन ने १० रा० अमरीका को अपने अनेक सैनिक और नौसैनिक अड्डे ९९ वर्षों के पट्टे पर प्रदान किये थे। ऐसे प्रदेशों में दोनों राज्यों की प्रभुसत्ता होती है। कई बार यह सत्ता अनेक राष्ट्रों से बने नगटन के पास न्याय (Trust) या अमानत के रूप में होती है, जैसे १९३४ तक सार्व का प्रशासन राष्ट्रमन्त्र के पास था। फिर भी स्थूल रूप में सब राज्यों की अपने प्रदेशों में पूर्ण प्रभुसत्ता होती है।

राज्य की सीमा (Boundaries of a State)—राज्य द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रादेशिक प्रभुसत्ता राज्य की सीमाओं से निर्दिष्ट होती है, राज्य जहाँ के भीतर अपनी प्रभुसत्ता का प्रयोग कर सकता है। राज्य की ये सीमाएँ दो प्रकार की होती हैं—

(क) प्राकृतिक सीमाएँ (Natural Boundaries)—इनका निर्माण नदियों, पर्वतों, नौलो, मरुस्थलों, समुद्रतटों से होता है। भारत तथा पाकिस्तान की पंजाब की

सीमा का कुछ भाग रावी नदी है, भारत और चीन की सीमा हिमालय की उच्च पर्वत-माला है। प्राकृतिक सीमा का एक दूसरा अर्थ यह भी किया जाता है कि यह प्रकृति द्वारा निर्धारित वह सीमा है, जहाँ तक राज्य सुरक्षा की दृष्टि से अपने प्रदेश का विस्तार करना आवश्यक नमभता हो। मार्शल फोश का कहना था कि भास का प्राकृतिक सीमान्त राइन नदी है, उसकी सीमा इस नदी तक होनी चाहिये। श्री विन्सेण्ट स्मिथ ने हिन्दूकुश पर्वत का भारत का उत्तर-पश्चिमी वैज्ञानिक सीमान्त कहा है।

(ख) कृत्रिम (Artificial) सीमाये दो देशों को विभक्त करने वाली काल्पनिक रेखायें होती हैं। प्रायः दीवारों, स्तम्भों, डण्डों आदि से इनका सीमापन (Demarcation) किया जाता है, कई बार अक्षांश रेखाओं (Latitudes) से इनका निर्धारण होता है, जैसे उत्तरी और दक्षिणी कोरिया की सीमा ३८वीं उत्तरी अक्षांश रेखा है। संयुक्त राज्य अमरीका और कनाडा की सीमा १६वीं उत्तरी अक्षांश रेखा है।

देशों की सीमा निर्धारण का प्रश्न बड़ा जटिल है। इससे प्रायः अनेक विवाद उत्पन्न होते हैं। संयुक्त राज्य अमरीका तथा ग्रेट ब्रिटेन में अलास्का की सीमा के सम्बन्ध में १९०३ में विवाद हुआ था। अगस्त, १९५६ से भारत-चीन सीमा-विवाद ने गम्भीर रूप धारण किया, २० अक्टूबर, १९६२ को इसी कारण चीन ने भारत पर आक्रमण किया। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद सीमा-विवाद का निर्णय करने के लिये अनेक सीमा आयोग बनाये गये। भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण यद्यपि १९४७ में रेडक्लिफ निर्णय द्वारा किया गया, फिर भी १२ वर्ष तक कुछ प्रदेशों के सम्बन्ध में विवाद चलते रहे और इनका निर्णय अक्टूबर, १९५६ में हुआ।

इन विवादों का एक बड़ा कारण प्राकृतिक सीमाओं के निर्धारण में उत्पन्न होने वाली अनेक कठिनाइयाँ हैं। जलीय सीमाओं में नदियों का सीमा-निर्धारण बड़ा पेचीदा प्रश्न है। सीमावर्ती नदियों के सम्बन्ध में यह समझा है कि इनमें किस रेखा को सीमा माना जाय और इसका मुस्पष्ट प्रतिपादन किस प्रकार किया जाय। नौचालन की योग्यता न रखने वाली नदियों के सम्बन्ध में विशेष संधियों के अभाव में सामान्य सिद्धान्त यह है कि सीमान्त रेखा नदी की मुख्य धारा के बीच में से होकर गुजरती है, नदी के दोनों किनारों के राव मोड़ों और घुमावों के साथ यह घूमती जाती है। यह मध्यरेखा (Median line) कहलाती है और इसे १९१६-२० की शान्ति-संधियों द्वारा स्वीकार किया गया था। नौचालन योग्य (Navigable) नदियों के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त है कि इनमें सीमान्त रेखा सबसे गहरी नौचालन योग्य प्रणाली (Channel) की मध्यरेखा (Median line) में से होकर गुजरती है, इसे Thalweg कहा जाता है। १९१६-२० की शान्ति-संधियों में इसे स्वीकार किया गया था। कई बार संधियों द्वारा नदी के किनारे को ही सीमान्त बना दिया जाता है। इसमें नदी की समूची धारा (Bed) दूसरे राज्य का भाग माना जाता है।

पर्वतों के सम्बन्ध में प्रायः जलविभाजक पहाड़ों की शिखर-श्रेणी को सीमान्त रेखा माना जाता है। १९१४ के शिमला सम्मेलन में भारत और तिब्बत की सीमा

निर्धारित करते हुए मैकमेहोन रेखा (McMahon Line) में इसी सिद्धान्त का अनुसरण किया गया था। भूगोल तथा देश की भूमि से बिदे समुद्रों की सीमान्त रेखा का निर्धारण करते हुए इनकी गहराई, नौचालन के लिए उपयोग, इसकी बनावट और वरूपण (Configuration) का ध्यान रखा जाता है। सामान्यतः यहाँ भी सीमांत रेखा मध्यरेखा (Median line) का अनुसरण करती है। सीमा सम्बन्धी इन सामान्य सिद्धान्तों के सक्षिप्त परिचय के बाद अब अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से सम्बन्ध रखने वाले विविध प्रकार के प्रदेशों पर विचार किया जाएगा।

नदियाँ (Rivers)—अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि में इनके दो भेद किये जाते हैं। (क) राष्ट्रीय नदियाँ (National rivers)—ये अपने मूल उद्गमस्रोत से मुहाने तक एक ही राष्ट्र के प्रदेश में से होकर गुजरती हैं। हिमालय में गंगोत्री से निकल कर कलकत्ता के पास समुद्र में गिरने वाली गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। राष्ट्रीय नदियों पर उस राष्ट्र की पूरी प्रादेशिक प्रभुसत्ता होती है, जिस प्रदेश में से होकर ये नदियाँ गुजरती हैं। इन नदियों में किसी अन्य राज्य को नौचालन आदि के कोई अधिकार नहीं प्राप्त होते।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय नदियाँ (International Rivers)—जब कोई नदी कई राज्यों के प्रदेश में से होकर गुजरती है तो यह अन्तर्राष्ट्रीय नदी कहलाती है। पंजाब की सतलुज, व्यास, रावी, चनाब, जेहलम इस प्रकार की नदियाँ हैं। इनका उद्गम हिमालय की पर्वतमाला में है। ये कुछ दूर तक भारतीय प्रदेश में बहने के बाद पाकिस्तान में चली जाती हैं। इनसे निकली नहरों के पानी के सम्बन्ध में दोनों देशों के गिमाण के बाद से १९६० तक निरन्तर विवाद चलता रहा। योरोप में कई राज्यों में से होकर गुजरने वाली राइन, डैन्यूब आदि अनेक अन्तर्राष्ट्रीय नदियाँ हैं।

प्रत्येक राष्ट्र अपने प्रदेश में से होकर गुजरने वाले भाग पर पूरा अधिकार रखता है, किन्तु उनमें अन्य राज्यों द्वारा नौचालन (Navigation) के अधिकार के सम्बन्ध में बड़ा विवाद रहता है। क्या यह सब राज्यों को समान रूप में है या केवल नदीतटवर्ती (Riparian) राज्यों को है? ओशियस का यह मत था कि अन्तर्राष्ट्रीय नदियों में गुजरने का अधिकार (Right of passage) सब राज्यों को है। किन्तु यह विचार व्यवहार में सामान्य रूप से स्वीकार नहीं किया गया और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के परम्परागत (Customary) सिद्धान्त के रूप में भी मान्य नहीं हुआ। नौचालन की स्वतन्त्रता स्वीकार करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्री इस अधिकार की व्याख्या कई प्रकार से करते हैं। इनमें तीन पक्ष हैं—(क) कुछ लेखक नदी में गुजरने का अधिकार केवल शान्तिकाल में ही मानते हैं। (ख) अन्य लेखकों का यह मत है कि यह अधिकार केवल उन्हीं राज्यों को है, जिन राज्यों के प्रदेश में होकर नदी गुजरती है। (ग) तीसरे पक्ष का यह मत है कि गुजरने के अधिकार पर किसी प्रकार की पाबन्दी नहीं होनी चाहिये, किन्तु प्रत्येक राज्य को अपनी भीमाओं में नदी के उपयोग के सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार है। स्टाक के मतानुसार इनमें दूसरा पक्ष अधिक युक्ति-युक्त प्रतीत होता है क्योंकि नदी के उपरले भाग वाले राज्यों को समुद्र तक पहुँचने की

सुविधा दिया जाना सर्वथा उचित प्रतीत होता है।^१

यूरोप में अन्तर्राष्ट्रीय नदियों में नीचालन की स्वतन्त्रता अनेक संधियों का परिणाम है। इनका आरम्भ १८१४ की पेरिस की संधि से तथा १८१५ की वियना कांग्रेस से हुआ। १९१९-२० की संधियों में तथा राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में किये गये समझौतों में इन्हे संपुष्ट किया गया। इनके अनुसार द्वितीय विश्व विश्वयुद्ध छिड़ने से पहले तक यूरोप की बड़ी नदी-पद्धतियों के सम्बन्धों में कुछ प्रतिबन्धों के साथ नीचालन की स्वतन्त्रता सब राज्यों को प्राप्त हो गई थी। अन्य महाद्वीपों की बड़ी नदियों में नीचालन के बारे में इसी प्रकार के प्रादेशिक समझौते हुए।

अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण में किसी बड़ी नदी में नीचालन के अधिकार का एक सुन्दर उदाहरण डैन्यूब नदी है। १७२५ मील लम्बी यह नदी जर्मनी से निकलकर आस्ट्रिया, हंगरी होते हुए यूगोस्लाविया में प्रवेश से पहले रुमानिया-बल्गारिया की सीमा बनाती है और फिर रुमानिया होते हुए कृष्णसागर में प्रवेश करती है। १८५६ में पेरिस की घोषणा द्वारा इसमें सब देशों के लिये स्वतन्त्र नीचालन (Free Navigation) का सिद्धान्त स्वीकार किया गया और इसे एक यूरॉपियन कमीशन के निरीक्षण में रखा गया। इस कमीशन के सदस्य दोनो प्रकार के राज्य थे—नदीतटवर्ती (Riparian) तथा नदीतट से न लगने वाले राज्य (Non-Riparian)। इस कमीशन को डैन्यूब के निचले हिस्से में नीचालन-प्रशासन के व्यापक अधिकार थे। १९१९ की वर्साइ संधि ने इस नदी का अन्तर्राष्ट्रीयकरण किया। १९२१ के एक डैन्यूब समझौते द्वारा उपर्युक्त कमीशन के अधिकारों को संपुष्ट किया गया तथा डैन्यूब के उपरले और निचले भागों में नीचालन की व्यवस्था के लिये दो कमीशन बनाये गए। यह स्थिति द्वितीय विश्वयुद्ध के आरम्भ तक बनी रही। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद १९४७ में पेरिस की शान्ति परिषद् में बल्गारिया, हंगरी और रुमानिया के साथ की गई संधियों में एक धारा यह भी जोड़ी गई कि डैन्यूब नदी पर सब देशों को समान रूप से नीचालन की स्वतन्त्रता होगी। १९४८ में इस विषय में एक नया समझौता तैयार करने के लिये बेलग्रेड में एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन ने फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और स० रा० अमरीका के प्रतिनिधियों की इच्छा के विरुद्ध बहुमत में यह निर्णय किया कि डैन्यूब नदी के कमीशन के सदस्य केवल इसके नदीतट से सम्बन्ध रखने वाले राज्य हों। उपर्युक्त तीनों देशों ने इसे इस आधार पर अर्थात् कहा कि इससे अनदीतटवर्ती राज्यों (Non-Riparian States) के पहली संधियों से प्राप्त अधिकार उनसे छिन जाते हैं। इस सम्मेलन द्वारा तय किये गये समझौते की पहली धारा के अनुसार डैन्यूब नदी में नीचालन की स्वतन्त्रता की व्यवस्था की गई है, किन्तु इसमें १९२१ के समझौते की पहली धारा का यह अंश निकाल दिया गया कि नदीतटवर्ती तथा अनदीतटवर्ती राज्यों के साथ व्यवहार में कोई अन्तर न हो।^२

१. स्टार्क—एन इन्ट्रोडक्शन टू इण्टरनेशनल लॉ, चतुर्थ संस्करण, पृ० १७४

२. ब्रिटिश वायर पुक ऑफ इण्टरनेशनल लॉ, १४८, पृ० ३६८-४०४। १५ मई,

१९१६-२० की शान्ति-संधियों में योरोप की अन्य नदियों का भी अन्तर्राष्ट्रीय-करण किया गया, राष्ट्रसंघ के पारगमन तथा संचार संगठन (Transit and Communications Organisation) ने सब नदियों में नौचालन की स्वतन्त्रता के संबंध में अभिसमय (Conventions) कराने का प्रयत्न किया। इस प्रकार के दो समझौते १९२१ में बार्सिलोना में स्वीकार किये गये। इनमें अन्तर्राष्ट्रीय नदियों में नौचालन की स्वतन्त्रता का सिद्धान्त स्वीकार किया गया और विभिन्न राज्यों में से होकर भाल की दुलाई की स्वतन्त्रता प्रदान करने के सम्बन्ध में नियम बनाये गये। १९२० में राष्ट्र-संघ ने इस विषय में हुए समझौते के आधार पर नदियों के कानून के एकीकरण का प्रयास किया। २२ जुलाई, १९५६ को एशियाई नदियों के नौचालन में सुविधाये प्रदान करने वाले बैकाक अभिसमय को स्वीकार किया गया है।

किन्तु इन सब संधियों और समझौतों के होने हुए भी स्टार्क की सम्मति में अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय नदियों में गुजरने के सामान्य अधिकार का नियम स्थापित नहीं हुआ, यह अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय कानून के लिये कल्पनालोक का आदर्श (Too Utopian an ideal for international law) बना हुआ है।^१ फिर भी इस बात की आवश्यकता अनुभव की जा रही है कि नदीतटवर्ती राज्यों को नौचालन के संबंध में मनमाने और अत्यधिक चुगो लगाने वाले कानून नहीं बनाने चाहिये, अन्दीतटवर्ती राज्यों के साथ भेदभाव का वर्तन नहीं होना चाहिये।

नदी-जल के स्वतन्त्र प्रवाह में रुकावट डालने और इसके हानिप्रद उपयोग के संबंध में अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय कानून में कोई निश्चित नियम नहीं पड़े। इस विषय में सामान्य सिद्धान्त के रूप में यही कहा जा सकता है कि किसी नदीतटवर्ती राज्य को नदी के पानी का ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिये, जिससे अन्य राज्यों के नौचालन को बाध या कोई अन्य हानि पहुँचे। इस विषय में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने १९३७ में Diver-sion of Water from the Meuse case में 'समान बटवारे' (Equitable apportionment) का सिद्धान्त लागू किया था। पुनर्निर्माण और विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (International Bank for Reconstruction and Development) ने भारत और पाकिस्तान के १९४८ में बने जाने वाले नहरी पानी विवाद में इसी सिद्धान्त को १९५२ तथा १९५४ में लागू करके इस समस्या का समाधान करने का प्रयत्न किया। पाकिस्तान का यह कहना है कि सिन्ध तथा पंजाब की पाचो नदियों के ऊपरी हिस्से भारत में हैं, वह अपने हिस्से में सतलुज पर भाखड़ा-नागल जैसे बांध बनाकर पाकिस्तान की बाढ़-निवहनण की, मिर्चाई तथा पनबिजली के विकास की योजनाओं में बड़ी बाधा डाल रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का इस विषय में यह सुझाव है कि दोनों देशों में नदियों का बँटवारा कर दिया जाय, पश्चिम की तीन नदियों—सिन्ध, जेहलम और चनाब का १९५७ की शारिफा पर मुद्रकालीन सैनिक अधिकार समाप्त करने के लिये ग्रैंड मिटिंग, २० रा० अमरीका, फ्रान्स, रूस तथा आस्ट्रिया में जो संधि हुई है, उसकी धारा ३२ में टैम्बुस में नौचालन की स्वतन्त्रता का सिद्धान्त स्वीकार किया गया है।

पूरा पानी पाकिस्तान से तथा पूर्व की तीन नदियों— रावी, व्यास और सतलुज का पानी भारत को मिले। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये पाकिस्तान को नई योजक नहरें (Link Canals) बनानी पड़ेगी, वह इस ध्येय की बहुत बड़ी राशि भारत से लेना चाहता है। इस प्रश्न का समाधान सिन्धु जल-सन्धि (Indus Waters Treaty) द्वारा किया गया है। इस पर १९ सितम्बर, १९६० को हस्ताक्षर हुए तथा १२ जनवरी, १९६१ को दोनों देशों ने इसका अनुसमर्थन (Ratification) किया। इसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है।*

सिन्धु-जलसन्धि (Indus Waters Treaty)—सिन्धु नदी पंजाब की पाँच सहायक नदियों—जेहलम, चनाब, रावी, व्यास, सतलुज के साथ मिलकर ससार की एक महान् नदी-पद्धति का तथा सिन्धु के मैदान का निर्माण करती है। इनमें प्रतिवर्ष नील नदी से दुगुना, वजला और फरात के सम्मिलित जल से तीन गुना पानी बहता है। ये सभी नदियाँ हिमालय की उच्च पर्वतमालाओं से निकलती हैं और इन नदियों में निकाली गई नहरों से ३ करोड़ वर्गमील भूमि की सिंचाई होती है। यह विश्व में सिंचाई की सबसे बड़ी व्यवस्था है। १९४७ से पहले ब्रिटिश युग में इन नदियों के पानी के बँटवारे के प्रश्न पर सिन्धु और पंजाब के प्रान्तों में काफी विवाद था। १९४७ में भारत का विभाजन होने पर सिन्धु का मैदान तथा यह नहर पद्धति दो हिस्सों में बँट गई और इन नदियों के पानी के बारे में दोनों देशों में जटिल एव उग्र विवाद उत्पन्न हो गये। पाकिस्तान इन नदियों के निचले हिस्से में था और भारत उपरले हिस्से में। पाकिस्तान के प्रदेश की सिंचाई करने वाली नहरों के उद्गम-स्थान (Headworks) भारत में थे। इन नदियों के पानी के बँटवारे ने उग्र अन्तर्राष्ट्रीय विवाद का रूप धारण कर लिया।

१९५१ में निर्माण और विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (International Bank for Reconstruction and Development) के अध्यक्ष यूजीन ब्लैक ने पाकिस्तान और भारत को इस समस्या के समाधान में बैंक की सहायता का सुभाव दिया। जब दोनों ने इसे स्वीकार कर लिया तो बैंक की ओर से जनरल व्हीलर को इस विवाद के मुख्य प्रश्न नदियों के पानी के बँटवारे का प्रश्न सौंपा गया। व्हीलर ने इस विषय में निम्न प्रस्ताव रखे—(१) तीन पूर्वी नदियों—रावी, व्यास और सतलुज का पानी भारत के उपयोग के लिये रहना चाहिये। (२) सिन्धु, जेहलम, चनाब का पानी पाकिस्तान के उपयोग में आना चाहिये। (३) एक ऐसा मक्रमण-काल (Transition period) होना चाहिये, जिसमें पाकिस्तान पूर्वी नदियों से लिये जाने वाले पानी से होने वाली सिंचाई के बदले पश्चिमी नदियों से नई योजक नहरें (Link Canals) बनाये। (४) भारत इन नई योजक नहरों के निर्माण का व्यय पाकिस्तान को दे। पाकिस्तान इन प्रस्तावों को मानने को तैयार नहीं था, भारत नई योजक नहरों के निर्माण का पूरा

*. इस सन्धि के मूल रूप के लिए देखिये अमेरिकन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, खंड ५५, १९६१, पृ० ७६७-७७२, कीमिशन ऑफ़ इन्वेंशन १९६०, पृ० १७३५५.

व्यय देने का सामर्थ्य नहीं रखता था। चार वर्ष तक दोनों देशों में विश्वबैंक समझौता कराने का प्रयत्न करता रहा और आस्ट्रेलिया, कनाडा, पश्चिमी जर्मनी, न्यूजीलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, स० रा० अमरीका तथा विश्वबैंक इस कार्य में अधिक सह्यपता एवं सहयोग देने को तैयार हो गये। इसके लिये Indus Basin Development Fund Agreement किया गया। अगस्त, १९५६ तक सिन्धु-जलराशि की सब शर्तों पर दोनों पक्षों की सहमति हो गई। ये शर्तें निम्नलिखित थी—

(१) पूर्वी नदियों—रावी, व्यास और सतलुज का पानी कुछ अनुपातों के साथ भारत को मिले। सबसे बड़ा अपवाद यह है कि सक्रमण-काल में जब तक पाकिस्तान पश्चिमी नदियों से पानी लेने के लिये अपनी नई योजना नहरें नहीं बना लेता तब तक भारत उसे इस के एक परिशिष्ट में निर्धारित की गई मात्रा में पानी देता रहेगा। सक्रमण-काल (Transition period) इस वर्ष का होगा, किन्तु इसे अधिक-से-अधिक तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

(२) (क) तीन पश्चिमी नदियों—सिन्ध, जेहलम तथा चनाब के पानी का उपयोग पाकिस्तान करेगा। भारत इन नदियों के जल के पाकिस्तान द्वारा उपयोग में बाधा नहीं डालेगा। किन्तु इस सन्धि की शर्तों के अनुसार उसे पाकिस्तान की सीमा से ऊपर नदियों के पानी से बिजली बनाने तथा सिंचाई करने का पूरा अधिकार होगा। वह इन नदियों से जम्मू, काश्मीर, पंजाब, हिमाचलप्रदेश में बाढ़-नियन्त्रण के ऐसे उपाय कर सकेगा, जिनका पाकिस्तान पर बुरा प्रभाव न पड़े। (ख) इन नदियों के जल का उपयोग सिन्धु के उत्पादन-कार्य में कर सकेगा। (ग) २८,५०,००० एकड़ फुट का पानी का समग्र विभिन्न कार्यों के लिये कर सकेगा।

(३) पाकिस्तान दस वर्षों के भीतर पश्चिमी नदियों से पानी लेने वाली नई योजना नहरों का निर्माण करेगा, ताकि उसे पूर्वी नदियों से पानी लेने की आवश्यकता न रहे और भारत इसका पूरा प्रयोग करे। इसके लिये पाकिस्तान को ४०० मील रावी नहरें तथा दो बड़े बाँव बनवाने पड़ेंगे। भारत इसके लिये दस सन्तों में ६ करोड़ २० लाख पौण्ड (१७ करोड़ ४० लाख डालर) देगा। यदि पाकिस्तान यह कार्य दस वर्षों में पूरा न कर सकता तो ११वें वर्ष उसकी निस्त में ५ प्रतिशत की, १२वें वर्ष १० प्रतिशत की तथा १३वें वर्ष १६ प्रतिशत की कमी हो जायेगी।


(४) सिंचाई की नई नहरों के तथा अन्य आवश्यक कार्यों के निर्माण के लिये ६० करोड़ डालर की सिन्धु घाटी विकास निधि (Indus Basin Development Fund) होगी। इसमें (क) ६८ करोड़ डालर स० रा० अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, कनाडा, पश्चिमी जर्मनी और न्यूजीलैंड देंगे। (ख) भारत १७ करोड़ ४० लाख डालर देगा। (ग) ८ करोड़ पाकिस्तान विश्वबैंक से ऋण लेकर देगा।

(५) इस सन्धि की व्यवस्थामें दो क्रियाविध करने के लिये दोनों सरकारों द्वारा नियुक्त किये गये दो सदस्यों का आयोग होगा।

(६) इस सन्धि के विषय में उत्पन्न विवाद यदि आयोग के सदस्यों द्वारा हल न हो सके तो इसके लिये एक सतस्थ विशेषज्ञ (Neutral Expert) नियुक्त करने

तथा पंच न्यायालय (Court of Arbitration) नियत करने का भी इसमें निर्देश है।

इस सन्धि पर हस्ताक्षर करते समय श्री नेहरू ने कराची में कहा था कि "यह दो पड़ोसी देशों के बीच में एकता और सहयोग का प्रतीक है।" अन्तर्राष्ट्रीय नदियों के पानी के बँटवारे के विवाद के बारे में यह बड़ी महत्वपूर्ण सन्धि है।

 **प्रादेशिक समुद्र (Territorial Sea)**—समुद्री सीमा वाले राज्यों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय कानून का यह नियम है कि समुद्र में कुछ मील की दूरी तक का प्रदेश राज्य की सीमा में माना जाय। यहाँ उस राज्य की प्रादेशिक प्रभुसत्ता (Territorial sovereignty) होती है। यही प्रदेश प्रादेशिक समुद्र (Territorial Sea) या समुद्री मेखला (Marine belt) कहलाता है।

अनेक ऐतिहासिक तथा युक्तियुक्त विचारों के आधार पर समुद्री मेखला पर राज्य का प्रभुत्व माना जाता है। पहले अनेक समुद्री राज्यों ने यह दावा किया था कि उनके स्थानीय प्रदेश के साथ लगने वाले समूचे महासमुद्र (High sea) पर उनका अधिकार है, किन्तु इस विशाल सागर पर प्रभुता स्थापित करना उनके लिए सम्भव नहीं था। शान-शान यह अनुभव किया जाने लगा कि समुद्र पर उतनी ही दूर तक तटवर्ती राज्य की प्रभुता मानी जाय जहाँ तक उस राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक समझा जाय अथवा जितनी दूर तक के प्रदेश में यह राज्य अपना अधिकार पूर्ण रूप से जमाने का सामर्थ्य रखता हो। समुद्री की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त के साथ इस विचार का विकास हुआ और १८वीं शताब्दी तक यह सिद्धान्त सर्वमान्य हो चुका था। बिनकरशोक (Bynkershock) ने सर्वप्रथम इसका सुस्पष्ट प्रतिपादन करते हुए 'समुद्र पर प्रभुसत्ता के निबन्ध' (De dominio maris dissertatio) में यह नियम बनाया कि तटवर्ती राज्य की सत्ता समुद्र में उतनी चौड़ाई तक विस्तीर्ण होनी चाहिए जहाँ तक उसकी तटवर्ती तोपों के गोले मार कर सकें। यही उसका मुपसिद्ध सिद्धान्त है—*Terrae potestas finitur ubi finitur armorum vis* (प्रादेशिक प्रभुता का विस्तार शस्त्रों की शक्ति के क्षेत्र तक होता है)।

प्रादेशिक समुद्र के सम्बन्ध में दो प्रश्न विशेष रूप से विचारणीय हैं—(१) समुद्री तट के किस हिस्से से प्रादेशिक समुद्र की नाप आरम्भ की जाय। (२) प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई कितने मील मानी जाय। पहले प्रश्न के सम्बन्ध में सामान्य सिद्धान्त

५. चिली और बोलिविया के मध्य लौका (Louca) नदी के पानी के सम्बन्ध में विवाद के लिये देखिये—दी इगिडियन जर्नल आफ इन्टरनेशनल लॉ, अप्रैल, १९६३ के अंक में लेकारोस का लेख—इन्टरनेशनल रिव्यू—दी लौका बेस, पृ० १३३-१५०। ६६ राज्यों ने अन्तर्राष्ट्रीय नदियों के सम्बन्ध में विभिन्न समझौते किये हैं। इनके सखिल परिचय के लिये देखिये थमरीकन जर्नल आफ इन्टरनेशनल लॉ, एप्रैल ५५ (१९६१), पृ० ६५५-६६६ में क्लैगट (Clagett) का लेख।

६ इनके लिये अंग्रेजी में Territorial Waters शब्द का प्रयोग होता है, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने इस स्थान पर 'प्रादेशिक समुद्र' का ही प्रयोग वाज्जनीय समझा है। इनके लिये Marine belt (समुद्री मेखला) तथा Marginal Sea (सीमावर्ती समुद्र) शब्द का भी प्रयोग होता है।

यह है कि इस गाँव की आधार रेखा (Base line) समुद्र के भाटे में पानी हटने की सबसे पिछली रेखा होनी चाहिए, इसे निम्न जलचिह्न (Low watermark) कहा जाता है। प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई के सम्बन्ध में पहले सामान्य सिद्धान्त तीन मील का था, किन्तु अब इसमें बहुत संशोधन प्रस्तावित किये जा रहे हैं।

ब्रिन्करशोपेक ने उपर्युक्त सिद्धान्त के विषय में तोप के गोले की मार की दूरी के नियम पर बल दिया था। वास्तव में यह उनमें पहले ऐसे तटस्थ (Neutral) समुद्री प्रदेश की सीमा थी, जिसके भीतर नौयुद्ध नहीं हो सकते थे। तोप के गोले की मार को निश्चित मीलो में निर्धारित करने का श्रेय किम दिया जाय, यह अभी तक अनिश्चित है। ब्रियर्ली का मत है कि उन दिनों तोप के गोले की मार तीन मील नहीं थी, अतः इस नियम का विकास स्वतन्त्र रूप से हुआ है। कुछ स्कण्डेनेवियन देशों में तटस्थ समुद्र की सीमा समुद्री मीलो में निश्चित की जाती थी। फ्रांस १८ वीं शताब्दी की कुछ सन्धि-वर्षाओं में तीन मील की सीमा का गृहण किया। कानूनी साहित्य में १८वीं शताब्दी के अन्त में इसका सर्वप्रथम उल्लेख करने वाले डॉ. ग्लोसियर गेलियानी (G. J. G. G. G.) तथा आजुनी (Azuni) थे। १९वीं शताब्दी में विभिन्न राष्ट्रों तथा व्यापारियों ने तीन मील की सीमा को व्यापक रूप में स्वीकार किया। एन्ना (Anna) के मामले में १८०५ में नार्ड स्टोवेल ने इसका समर्थन किया। १८१८ की एंग्लो अमेरिकन सम्झौता में तीन मील के नियम को अन्तर्राष्ट्रीय रिवाज के रूप में स्वीकार किया गया और इसी समय से ग्रेट ब्रिटेन इसका प्रबल समर्थक है और इस सीमा को बढ़ाने का विरोध करता रहा है। सं. रा. अमरीका तथा ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के अन्य देश इसी सीमा के पक्ष में हैं।

दूसरी ओर नार्वे, स्वीडन, स्पेन, पुर्तगाल प्रादेशिक समुद्र की सीमा को बढ़ाने के पक्ष में हैं। कुछ राज्य यह दावा करते हैं कि मछली पकड़ने आदि विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रादेशिक समुद्र की विभिन्न सीमाएँ होनी चाहिये। सीमा के मीलों में विभिन्नता का एक कारण यह भी है कि समुद्री प्रलेश (Marine League) की नाप सब देशों में एक जैसी नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन में यह तीन मील है, अतः वहाँ प्रादेशिक समुद्र की सीमा ३ मील है। स्कण्डेनेवियन देशों में यह चार मील है, इसलिये वहाँ की समुद्री मछली ४ मील होती है। इस विषय में स्टार्क का कथन सर्वथा सत्य है कि "तीन मील की सीमा को अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सामान्य नियम नहीं कहा जा सकता।" इस विषय में केवल इतना ही कहना सम्भव है कि प्रादेशिक समुद्र की अधिकतम सीमा तीन मील है, अधिकतम सीमा के बारे में कुछ सत्य नहीं माना जा सकता। १९३० में हेग के संहिताकरण सम्मेलन (Codification Conference) में इस समुद्री मछली की चौड़ाई के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं हो सका, क्योंकि नार्वे, स्वीडन आदि देशों ने तीन मील की सीमा का विरोध किया। १९५८ तथा १९६० का समुद्री कानून सम्मेलन भी इस प्रश्न को हल नहीं कर सका।

१९५८ का समुद्री कानून सम्मेलन—प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई पर विवाद

(Conference on the Law of Sea—Dispute over limit of Territorial Waters)—२४ फरवरी से २८ अप्रैल, १९५८ तक जेनेवा में समुक्त राष्ट्रसंघ का ८७ राज्यों का सम्मेलन समुद्री कानून से सम्बद्ध विभिन्न विषयों पर विचार करने के लिये बुलाया गया था। इसमें मुख्य रूप से प्रादेशिक समुद्र की सीमा एवं चौड़ाई के सम्बन्ध में विस्तृत विचार हुआ, किन्तु इस विषय में विभिन्न देशों के दृष्टिकोण में इतना प्रबल तथा गम्भीर मतभेद था कि इस प्रश्न पर कोई निर्णय या समझौता नहीं हो सका। अन्तर्राष्ट्रीय कानून आयोग (International Law Commission) ने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट में दस प्रादेशिक समुद्र की किसी मर्यादा या सीमा का निर्देश न करते हुए केवल इतना ही कहा था कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून इसकी सीमा आधाररेखाओं से १२ मील से आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं देता। कुछ देशों ने इससे यह परिणाम निकाला कि आयोग ने १२ मील की मर्यादा सीमा स्वीकार कर ली है, किन्तु अन्य देशों ने इसे पुरानी परम्परा के आधार पर तीन मील तक ही रखने पर बल दिया। इस सम्मेलन में विभिन्न देशों ने प्रादेशिक समुद्र की निम्नलिखित सीमायें निश्चित करने पर बल दिया—

- (१) तीन मील की सीमा—इसके मुख्य समर्थक ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अधिकांश देश, फ्रांस, ग्रीस, जापान, हालैंड तथा २०० अमरीका थे।
- (२) चार मील की सीमा का समर्थन डेन्मार्क, नार्वे तथा स्वीडन ने किया।
- (३) छ मील की सीमा का प्रतिपादन भारत, इटली तथा स्याम ने किया।
- (४) बारह मील की सीमा के समर्थक घाना, खाटीमाला, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, वेनेजुएला तथा सोवियत रूस थे। सोवियत रूस के प्रतिनिधि प्रोफेसर लुनकिन का यह मत था कि प्रत्येक देश को स्थानीय परिस्थितियों की तथा 'बैध राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा की दृष्टि से १२ मील तक के क्षेत्र में अपने प्रादेशिक समुद्र की सीमा निर्धारित करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये। भारतीय प्रतिनिधि श्री अशोककुमार सेन ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि भारत ने पहले ही अपने प्रादेशिक समुद्र के लिये छ मील की सीमा निश्चित की है^१। पेरू के प्रतिनिधि ने कहा कि दक्षिण अमरीका के प्रशान्त महासागर तीरवर्ती राज्यों ने १९५४ के सेंटियागो सम्मेलन में समुद्र के २०० मील तक के प्रदेश पर अपनी प्रमुखता की घोषणा की है। विभिन्न देशों ने प्रादेशिक समुद्र की सीमा के सम्बन्ध में अपने पक्ष का समर्थन विभिन्न मुक्तियों के आधार पर किया।^२ किन्तु इस सम्मेलन में इस प्रश्न पर सर्वसम्मति निर्णय नहीं हो सका।

१. इस प्रकार में मील का अभिप्राय समुद्री मील (Nautical mile) से है। यह ६,०७६ फुट होता है, जबकि सामान्य मील ५,२८० फुट होता है। तीन समुद्री मील स्थल के ३ $\frac{१}{२}$ मील के बराबर होता है।

२. भारत ने १९५७ में अपने प्रादेशिक समुद्र की सीमा १२ मील तक बढ़ाने की घोषणा की, पाकिस्तान १९६५ में की इस प्रकार अपनी समुद्री सीमा का विस्तार कर चुका है।

३०. कीमिस्त वायट्टेम्पेरी आर्कोरन्ड, २७ नवम्बर से ४ दिसम्बर, १९५८, पृ० १६४-१२-४१३।

दूसरा समुद्री सम्मेलन—समुद्र के कानून पर विचार करने के लिये बुलाये गये दूसरे जेनेवा सम्मेलन (Second U. N. Conference on the Law of Sea) ने १७ मार्च मे २६ अप्रैल, १९६० तक प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई तथा ऐसे सत्पर्ती क्षेत्र की चौड़ाई पर पुन विचार किया, जिसमे तटवर्ती राज्यों को मझली पकड़ने के अनन्य अधिकार हो। इन दोनों प्रश्नों पर १९५८ के सम्मेलन मे कोई सहमति नहीं हो सकी थी। किन्तु यह सम्मेलन भी इस समस्या का समाधान नहीं कर सका।

प्रादेशिक समुद्र का समझौता (Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone)—१९५८ का समुद्री कानून सम्मेलन यद्यपि प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई के बारे मे कोई निर्णय नहीं कर सका, किन्तु उसने इसके अन्य प्रश्नों पर एक समझौता स्वीकार किया है।^१ इसकी प्रमुख व्यवस्थायें इस प्रकार हैं—

(क) प्रादेशिक समुद्र का स्वरूप और लक्षण—इस समझौते की धारा १ व २ के अनुसार एक राज्य की प्रभुमत्ता उसके स्थलीय प्रदेश से परे उसके समुद्रतट के साथ लगी हुई समुद्र भेखला (या प्रादेशिक समुद्र), प्रादेशिक समुद्र के ऊपर के आकाश पर तथा इसके तल पर तथा अधोभूमि पर भी विस्तीर्ण होती है। प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई समुद्रतट के साथ निम्नतम जलरेखा से नापी जाती है (धारा ३)। बहुत बड़े पटे तटों के सम्बन्ध में सीधी आधारेखाओं का सिद्धान्त स्वीकार किया गया है। इसकी धारा ७ में खाडियों के सम्बन्ध में यह नियम बनाया गया है कि वही खाडियाँ किसी देश का आन्तरिक समुद्र (Internal waters) समझी जायगी, जिनका मुहाना २४ मील से अधिक चौड़ा न हो। इसके अधिक चौड़े मुँह वाली खाडियों में राज्य वा अधिकार केवल २४ मील की चौड़ाई तक माना जायगा।

(ख) निर्दोष गमन का अधिकार (Right of innocent passage)—इस समझौते की धारा १४ में सभी राज्यों को प्रादेशिक समुद्र में गुजरने का निर्दोष अधिकार दिया गया है। वे सामान्य रूप से यात्रा करते हुए इसमें रुक सकते हैं, उभर डाल सकते हैं। यात्रा नहीं तक निर्दोष (Innocent) रहती है, जब तक यह तटवर्ती राज्य की “शान्ति, सुव्यवस्था और सुरक्षा को हानि नहीं पहुँचाती।” किन्तु विदेशी जहाजों की यात्रा उन समय ‘निर्दोष’ नहीं समझी जा सकती, जब वे तटवर्ती राज्य द्वारा बनाये गये नियमों का पालन न करें। इस प्रदेश में पनडुब्बियों का पानी के ऊपर, अपने देश का झण्डा प्रदर्शित करने हुए यात्रा करनी चाहिये।

तटवर्ती राज्य को विदेशी जहाजों की निर्दोष यात्रा में कोई बाधा नहीं डालनी चाहिये। वह अपनी सुरक्षा की दृष्टि से उनकी यात्रा अन्यायी रूप से बन्द कर सकता है किन्तु ऐसा करते हुए उसे सभी विदेशी जहाजों के लिये एक जैसी व्यवस्था करनी चाहिये, अन्यथा कोई भेदभाव या पक्षपात नहीं करना चाहिये (धारा १५)। महासमुद्रों के विभिन्न भागों को जोड़ने वाले तथा अन्तर्राष्ट्रीय गौचालन (Navigation) के लिये प्रयोग में आने वाले जलमार्गों का मार्ग कोई देश अस्थायी रूप से बन्द नहीं कर

सक्ता (घारा १६)। मऊदी अरब ने यह व्यवस्था म्बीकार नही की। प्रादेशिक समुद्र मे निर्दोष यात्रा करने वाले जहाजो को तटवर्ती राज्य द्वारा बनाये सभी कानूनी और नियमो का पालन करना चाहिये (घारा १७)।

इस अभिसमय की घारा १८ मे २३ द्वारा यह व्यवस्था की गयी है—(१) तटवर्ती राज्य विदेशी जहाजो के अपने प्रादेशिक समुद्र मे से गुजरने पर कोई विशेष चुगी या कर तब तक नही लमा सकते जब तक कि वे इसके बदले मे कोई विशेष सुविधा या लाभ न पढुचाए। ऐसी चुगी सब विदेशी जहाजो पर सामान्य रूप से लगनी चाहिये, इसमे कोई भेदभाव या पक्षपान उचित नही है। (२) प्रादेशिक समुद्र मे विदेशी जहाजो मे किये गये अपराधो के बारे मे तटवर्ती राज्य का क्षेत्राधिकार नही है। (३) तटवर्ती राज्यों को यह अधिकार नही कि वे विदेशी जहाज पर तयार किगी व्यक्ति के सम्बन्ध मे दीवानो कार्यवाही करने व तिये जहाज को रोके या किसी दीवानो कार्यवाही के लिये किसी जहाज को बन्दी बनाये। वे तभी ऐसा कर सकते है, जब विदेशी जहाज ने उनके प्रादेशिक समुद्र मे कोई दीवानो कार्यवाही के तिये उपमुक्त अपराध किया हो। (४) ये नियम उन सब विदेशी जहाजो पर लागू होते हैं, जो किसी विदेशी सरकार की सम्पत्ति हैं और जिनका उपयोग ध्यापारिक कार्यों के लिये हो रहा है।

(ग) मसपर्शी क्षेत्र (Contiguous Zones)—इस समझौते की घारा २४ मे तटवर्ती राज्य के प्रादेशिक समुद्र (Territorial Sea) के साथ लगे हुए महासमुद्री के संस्पर्शी क्षेत्र के स्वरूप और नियमो का बर्णन है। इसमे ससपर्शी क्षेत्र की सीमा तट की आपाररेखा से १२ मील तक निश्चित की गयी है। इन क्षेत्र मे तटवर्ती राज्य को यह अधिकार है कि वह अपने प्रदेश तथा प्रादेशिक समुद्र मे होने वाले चुगी, वित्त, आत्रजन (Immigration) एव स्वास्थ्य-निषयक (Sanitary) नियमो के उल्लघनो को रोक सके तथा ऐसा उल्लघन करने वालो को दण्ड दे सके।

अन्तिम प्राविधान (Concluding Provision)—इस अभिसमय की अन्तिम घाराओ (२५-३२) मे ये व्यवस्थाये हैं—(१) इससे पहले किये गये इस विषय के अन्तर्राष्ट्रीय समझौते तथा अभिसमयों पर उनका कोई प्रभाव नही पडेगा। (२) इन अभिसमय पर स० रा० सघ वे सदस्य-राज्यो द्वारा हस्ताक्षर करने की अवधि ३१ अक्टूबर, १९५८ तक है। (३) इस पर हस्ताक्षर करने वाले देशो को अपने राज्यों की विधान-सभाओ से इसका अनुसमर्थन (Ratification) कराना पडेगा। इसकी कोई अवधि नही है। (४) काईस राज्यो द्वारा उनका अनुसमर्थन हो जाने के ३० दिन बाद यह अभिसमय लागू समझा जायगा। (५) इसके लागू होने के पाँच वर्ष तक इस पर हस्ताक्षर करने वाला काई देश इसको किसी व्यवस्था के मसोधन की मांग कर सकता है। इस पर कोई कार्यवाही करने या निर्णय करने का अधिकार स० रा० सघ की असेम्बली को होगा।

प्रादेशिक समुद्र मे तटवर्ती राज्य की पूर्ण प्रभुसत्ता होते हुए भी परम्परागत (Customary) अन्तर्राष्ट्रीय कानून का यह सिद्धान्त है कि सान्तिवास मे व्यापारी

जहाजों को हमने निर्दोष (Innocent) अथवा अनाक्रमणात्मक (Inoffensive) रूप से गुजरने का अधिकार है। किन्तु ऐसे जहाज प्रादेशिक समुद्र में से गुजरने का अधिकार नहीं रखते, जिनमें तटवर्ती राज्य की सुरक्षा, सुव्यवस्था, सामदनी तथा अन्य हितों को हानि पहुँचाने वाली वस्तुयें या व्यक्ति लदे हों। इस समुद्र में जाने वाले जहाजों के लिए स्थानीय नियमों का पालन आवश्यक है। किन्तु विदेशी राज्यों के रणपोतों को, सामान्य नियम के रूप में प्रादेशिक समुद्र में होकर गुजरने का अधिकार नहीं है। यद्यपि शान्ति-काल में प्रथा के अनुसार इन्हें अपने समुद्री प्रदेश में से गुजरने की अनुमति दे दी जाती है।^१ Corfu Channel Case (दक्षिण प्रथम परिशिष्ट) में यह निर्णय दिया गया था कि शान्तिकाल में विदेशी रणपोतों को अन्तर्राष्ट्रीय महामार्ग (Highway) समझे जाने वाले प्रादेशिक समुद्र में 'निर्दोष प्रयाण' (Inoffensive passage) का पूरा अधिकार है और इन्हें इस अधिकार के प्रयोग से रोका नहीं जा सकता।

सम्पर्शी क्षेत्र (Contiguous Zones)—बुद्ध राज्य सम्पर्शी क्षेत्रों (Contiguous Zones) के सिद्धान्त का अनुसरण करते हैं। इसका आशय यह है—(क) सब प्रयोजनों के लिए प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई एक जैसी नहीं हो सकती। (ख) समुद्र-तट से विभिन्न प्रकार की दूरियाँ रखने वाले अनेक क्षेत्र होंगे हैं, प्रादेशिक प्रभुता के पूर्ण अधिकारों से सर्वथा भिन्नता रखने वाले अनेक प्रकार के विशेषाधिकार और शोषाधिकार यहाँ तटवर्ती राज्यों का प्राप्त होते हैं। उदाहरणार्थ, प्रायः इस प्रकार के कई क्षेत्र स्वीकार करता है—तट से तीन मील तक का मत्स्यक्षेत्र केवल फ्रेंच प्रजातंत्रों के लिए सुरक्षित समझा जाता है। तटस्थता (Neutrality) का क्षेत्र छ मील तक माना जाता है। इसमें विदेशी रणपोत तयार नहीं डाल सकते। इस सिद्धांत को अन्तर्राष्ट्रीय विधि सम्प्रदाय ने भी स्वीकार किया है।

प्रादेशिक समुद्र में तटवर्ती राज्य की पूर्ण प्रभुता स्वीकार करने से इन राज्यों को दो महत्वपूर्ण अधिकार मिलते हैं—(१) इस क्षेत्र में मछली पकड़ने का अधिकार में अपने प्रजातंत्रों के लिए सुरक्षित रखते हैं। विदेशी राज्य तटवर्ती राज्य के साथ सन्धि द्वारा ही यहाँ मत्स्यग्रहण का अधिकार रखते हैं। (२) अनुतटयात्रा (Cabotage) का अधिकार तटवर्ती राज्य केवल अपने प्रजातंत्रों और जहाजों के लिए सुरक्षित रख सकता है। इसका अभिप्राय एक ही देश के दो बन्दरगाहों के बीच समुद्री यात्रा की व्यवस्था है। अपने देश के बन्दरगाहों में व्यापारिक दुलाई तथा सवारियों के ले जाने के सम्बन्ध में कोई भी तटवर्ती राज्य विदेशी जहाजों पर आवश्यक प्रतिबन्ध लगा सकता है। इसमें जेनेवा के समुद्री कानून सम्मेलन के नियम ऊपर दिये जा चुके हैं।

एंग्लो-नार्वेजियन मछलीग्राह मामला—प्रादेशिक समुद्र के कानून पर अभी हाल में दो घटनाओं का प्रभाव पड़ा है। पहली घटना Anglo-Norwegian Fisheries Case में १९५१ में किया गया अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय है और दूसरी

घटना इस विषय में अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग का कार्य है। मत्स्यक्षेत्र वाले मामले में न्यायालय के सम्मुख विचारणीय प्रश्न यह था कि नावों की सरकार द्वारा १९३५ में प्रकाशित एक सरकारी आदेश द्वारा बनाये गए मत्स्यग्रहण क्षेत्र (Fisheries) ठीक हैं या नहीं। ग्रेट ब्रिटेन का यह कहना था कि यह आज्ञा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रतिकूल है। इस आज्ञा में नावों के तट पर मुख्य भूमि की तथा इससे दूरवर्ती ४० विन्डुमो की आधाररेखाओं से ४ मील तक के समुद्री प्रदेश की सीमाओं निश्चिन करके एक क्षेत्र बनाया गया था। इसमें नाववासियों का मछली पकड़ने का एक मात्र अधिकार माना गया था। नावों का तट बहुत कटा-फटा है, इसमें निम्न जलचिह्न (Low water mark) को आधाररेखा न स्वीकार कर, इसे समुद्र में काफी आगे से शुरू किया गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि इसमें समुद्र के काफी बड़े भाग प्रादेशिक समुद्र में आ गये और अन्य देश इसमें मछली पकड़ने के अधिकार से वंचित हो गये। न्यायालय ने बहुमत से यह निर्णय दिया कि नावों सरकार को इस आज्ञा से अन्तर्राष्ट्रीय कानून के किसी नियम का खण्डन नहीं होता। ये समुद्र सदियों से केवल नावजिपन मछियारों का मत्स्यक्षेत्र रहे हैं। नाव का तट विशेष रूप से कटा-फटा होने से उसके लिए ऐसी आधाररेखा बड़े युक्तियुक्त ढंग से निश्चित की गई है। यह आवश्यक नहीं कि आधाररेखा (Base line) निम्न जलचिह्न का अनुसरण करे, इतना ही पर्याप्त है कि यह 'तट की सामान्य दिशा' का अनुगमन करे और नावों ने ऐसा ही किया है।¹

ब्रिटीशों ने इस निर्णय को अन्तर्राष्ट्रीय कानून में नवीन तत्व समाविष्ट करने वाला माना है। इसमें अब तक आधाररेखा (Base line) के लिए माना जाने वाला निम्न जलचिह्न (Low water mark) का नियम छोड़ते हुए केवल यही कहा गया है कि आधाररेखा "एक युक्तियुक्त ढंग से" खींची जानी चाहिए। स्टार्क ने इस निर्णय से तीन परिणाम निकाले हैं—(१) यदि कोई तटवर्ती राज्य अपने प्रादेशिक समुद्र को निर्धारित करने वाली आधाररेखाओं की तर्कानुकूलता के सम्बन्ध में किसी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को सन्तोष करा सकता है और इसे यह विश्वास दिला सकता है कि ये रेखाएँ मनमाने ढंग से नहीं खींची गईं तो वह इस रीति का अनुसरण कर सकता है। (२) ऐसी आधाररेखाओं के लिए यह आवश्यक नहीं कि वे तट पर निम्न जलचिह्न के समानान्तर खींची जाय। इनके लिए समुद्रतट की सामान्य दिशा का अनुसरण आवश्यक है। (३) खाडियों का जल भी कुछ अवस्थाओं में प्रादेशिक समुद्र का अंग समझा जा सकता है, भले ही इनका मुँह इतने बड़े स्थानीय सिरों से नापे जाने पर १० मील से अधिक हो—सामान्यतः खाडियों के सम्बन्ध में यह नियम है कि इनकी १० मील तक की चौड़ाई देग की आन्तरिक सीमा में समझी जाती है, इसके बाद ३ मील का प्रादेशिक समुद्र माना जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने १९५६ में अपनी आठवीं बैठक में इस विषय में

१३. ब्रिटीशों—दी ला ऑफ नेशनल, पृ० १७८

१४. स्टार्क—पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० १६२

निम्नलिखित मुद्दाव दिए हैं—(क) राज्यों के व्यवहार की देखते हुए सस्पर्शी क्षेत्रों (Contiguous Zones) के सिद्धान्तों को कुछ बातों के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए। सस्पर्शी क्षेत्रों की दूरी १२ मील से अधिक नहीं होनी चाहिए, इनमें राज्यों को प्रभुसत्ता के नहीं, किन्तु गिरिशक्ति और नियन्त्रण के सामान्य अधिकार होने चाहियें। ताकि इनमें चुंगी, वित्त और स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों का पालन हो सके। इन क्षेत्रों की सुरक्षा की दृष्टि में मान्यता नहीं देनी चाहिए। (ख) प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई किसी भी देश में १२ मील से अधिक नहीं होनी चाहिए। एंग्लो-नार्वेजियन फिशरिज केस के अनुसार प्रादेशिक समुद्र को नापने की सीधी आघाररेखाओं को मान्यता दी जानी चाहिए, बशर्त कि इस देश का तट बहुत कटा पटा हो और इसमें छोटे टापुओं की बड़ी मत्प्राप्ति हो, फिर भी इस आघाररेखा को तट की सामान्य दिशा का अनुसरण करना चाहिए।

प्रादेशिक समुद्र के सम्बन्ध में दक्षिण अमरीका के चिली, इक्वेडोर और पेरू राज्यों ने १९५२ में मैण्टियागो में तथा १९५४ में लीमा में प्रादेशिक समझौते किए। इनके अनुसार सस्पर्शी समुद्र की चौड़ाई २०० मील मानी गई है। किन्तु इस क्षेत्र को इतना विस्तार बनाने वाले समझौते अभी तक के वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुकूल नहीं हैं।

जलडमरूमध्य (Straits)—छ मील से कम चौड़े जलडमरूमध्य प्रादेशिक समुद्र का अंग होते हैं। इससे अधिक चौड़ाई के जलडमरूमध्यों के सम्बन्ध में विधिसाम्प्रियों में मतभेद है। कुछ इसे खाड़ी मानकर प्रादेशिक समुद्र का भाग बना देते हैं। १८७३ में ग्रेट ब्रिटेन और २० रा० अमरीका ने जुझान डि फ्रूका के १० से २० मील तक चौड़े जलडमरूमध्य को ऐसा मानकर उसके मध्यभाग को दोनों देशों की सीमान्त रखा तय किया था। जो जलडमरूमध्य अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री महामार्ग बनाते हैं, उनके प्रादेशिक समुद्र में से होकर गुजरने का अधिकार विदेशों के व्यापारी और लडाकू—दांनों प्रकार के जहाजों को होता है। Corfu Channel Case में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अन्तर्राष्ट्रीय महामार्ग (Highway) का लक्षण करते हुए लिखा है कि इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि यह दो खुले समुद्रों को मिलाने वाला मार्ग हो तथा अन्तर्राष्ट्रीय नौचालन के लिए इसका प्रयोग होता हो। खुले समुद्र का एक प्रादेशिक खाड़ी या भूमि से घिरे समुद्र में मिलाने वाले जलडमरूमध्य अन्तर्राष्ट्रीय महामार्ग नहीं हैं जैसे उपर्युक्त जुझान डि फ्रूका का जलडमरूमध्य प्रान्त महामार्ग का प्लूजेट खाड़ी के साथ मिलाने के कारण यह स्थिति नहीं रखता।

कुछ जलडमरूमध्यों के सम्बन्ध में विशेष नियम और संधियाँ होती हैं। भूमध्यसागर को कृष्णसागर के साथ जोड़ने वाले बास्कारम और डार्डेनेल्स जलडमरूमध्य इसी प्रकार के हैं। य पहले टर्की के पूर्ण अधिकार में थे। १८४१ के एक समझौते के द्वारा यह तय किया गया कि विदेशी रणपोत इसमें नहीं आ सकेंगे। इनका यह तटस्थीकरण १९१४ तक बना रहा। इसके बाद मित्रराज्यों ने इसे जीत लिया। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद इनका विसैन्यीकरण (Demilitarisation) करके इन्हें सब देशों

के जहाजों के लिए खोल दिया गया तथा एक अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन को इसका प्रबन्ध सौंप दिया गया। कमालपाशा की विजय के बाद लौजान की सधि द्वारा १९२३ में इसे शान्तिकाल एवं युद्धकाल में व्यापारी और लडाकू जहाजों के लिए समान रूप से खुला रखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण को घटा दिया गया, इस पर टर्की की प्रभुसत्ता मानी गई। १९३६ के मोंट्रू अभिसमय (Montreux Convention) के अनुसार टर्की को इसमें पुनः किलेबन्दी करने तथा इसे सैनिक दृष्टि से सन्नद्ध करने का अधिकार दिया गया। इसके नियन्त्रण का अन्तर्राष्ट्रीय आयोग हटाकर इस पर टर्की को पूरी सर्वोच्च सत्ता कुछ शर्तों के साथ प्रदान की गई।

खाडियाँ और आखान (Bays and gulfs)—इनके सम्बन्ध में एंग्लो-नार्वेजियन फिशरीज वाले मामले ने बड़ा प्रभाव डाला है (पृ० २१५)। इससे पहले ब्रेट ब्रिटेन में यह परिपाटी थी कि छ मील की चौड़ाई तक खाडियों की आन्तरिक जल समझा जाता था, प्रादेशिक समुद्र की आधाररेखा छ मील चौड़ाई को दोनों स्थलीय सिरो से मिलाने वाली रेखा मानी जाती थी, इसमें आगे तीन मील तक का समुद्र प्रादेशिक समझा जाता था। अन्य देशों में छ मील की चौड़ाई के स्थान पर १० मील की चौड़ाई तक की खाडी आन्तरिक जल का भाग मानी जाती थी। अब अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय से इस विषय में ये नियम बन गये हैं—

(१) जब कुछ खाडियों या आखानों के जल को चिरपाल से तटवर्ती राज्य अपना आन्तरिक जल समझता है, तथा अन्य राज्य भी उससे इस व्यवहार का लम्बी और युक्तियुक्त प्रथा द्वारा पूर्ण समर्थन करते रहें, तो यह व्यवहार अन्य राज्यों द्वारा मान्य स्वीकार किया जाना चाहिये। (२) यदि ऐसा व्यवहार या प्रथा न हो, तो भी तटवर्ती राज्य को यह अधिकार है कि वह आधिक आवश्यकता अथवा खाडी के साथ प्राचीन सम्बन्ध के आधार पर खाडी के जलों को प्रादेशिक समुद्र में सम्मिलित करने की घोषणा करे। (३) तट की बनावट और कटाव को देखते हुए प्रादेशिक समुद्र को निर्धारित करने वाली आधाररेखाएँ तट की सामान्य दिशा का अनुसरण करते हुए खींची जानी चाहियें। अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने यह मुझाव दिया है कि खाडी के उतने भाग का ही पानी आन्तरिक या प्रादेशिक समझा जाना चाहिये, जिसका मुहाना १५ मील से अधिक चौड़ा न हो। १९५० के समुद्री कानून सम्मेलन ने यह सीमा २४ मील बढ़ा दी है।

महाद्वीपीय समुद्रतल (Continental Shelf)—यह एक भूगर्भशास्त्रीय परिभाषा है। महाद्वीपों के साथ लगा हुआ समुद्रतट इस प्रकार बना हुआ है कि वह महाद्वीपों के स्थलीय अंश का ही अंग है, वह काफी दूर तक शनै शनै गहरा होते हुए अन्त में सहसा २०० मीटर (६०० फुट) या इससे अधिक गहरा हो जाता है। समुद्र के निम्नतम तल पर खड़े व्यक्ति को यह एक ऊँचा ताल (Shelf) जैसा दिखाई देता है। ६०० फुट तक में कम गहरा डामू प्रदेश महाद्वीपीय समुद्रतल कहलाता है। पहले उस प्रदेश का कोई महत्व नहीं था, किन्तु अब वैज्ञानिकसाधनों की उन्नति से अन्न लगाकर इस प्रदेश की खुदाई द्वारा यहाँ से अनेक प्रकार के खनिज

—कोयला, तेल तथा अन्य सामग्री प्राप्त की जाने लगी है।

२८ सितम्बर, १९४५ को अमरीकन राष्ट्रपति ट्रूमैन ने यह घोषणा की कि ८० रा० अमरीका के महाद्वीप के साथ लगे हुए महाद्वीपीय तल का सम्बन्ध ८० रा० अमरीका से है और वह इसकी प्राकृतिक सामग्री पर क्षेत्राधिकार और नियन्त्रण (Jurisdiction and control) का दावा रखता है। इस घोषणा से घाठ हजार वर्ग मील का समुद्रतल उसके अधिकार में आ गया, यह जगके १३ मूल राज्यों के क्षेत्रफल से दुगुना है। अलास्का में यह रेखा नहीं सो मील तक चली गयी है। पूर्वी तट पर इस तल की चौड़ाई २० से २५० मील तक तथा पश्चिमी तट पर १ से ५० मील तक है। ८० रा० अमरीका के बाद मैक्सिको (अक्टूबर, १९४५), अज़रबैजान (११ जनवरी १९४६), चिली (जून, १९४७), पेरू (अगस्त, १९४७), तथा कोस्टा रिका (नवम्बर, १९४९) ने अपने देशों के साथ लगे समुद्री तल के सम्बन्ध में सर्वोच्च प्रभुत्वता के इस प्रकार के दावे किये।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के लिये यह सर्वथा नवीन समस्या है। इसमें जहाँ एक ओर तटपट्टी राज्यों को उनके प्रदेश के साथ लगे समुद्रों में विद्यमान प्राकृतिक साधनों के उपयोग का अधिकार देना, उनकी सुरक्षा और साधनों की वृद्धि की दृष्टि

१५. अमरीका की घोषणा में यह भी कहा गया था कि महाद्वीपीय समुद्रतल का ऊपर का महासमुद्रों पर तथा इनमें स्वतन्त्र तथा निबाध नौकागमन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें यह स्पष्ट है कि यह महासमुद्रों की स्वतन्त्रता (Freedom of High Seas) में बाध बाधा नहीं आयेगा। क्लार्क तथा रैन्ड आदि विचारकों ने ट्रूमैन के इस विज्ञान एवं ज्ञान की कालजन्म की अमरीका की सोच में तुलना की है और यह कहा है कि यह इन्वैजाम की वही महत्त्वपूर्ण घटना है (इतिहस जर्नल ऑफ इंटरनेशनल ला, अप्रैल, १९६३, पृ० १६२-६३)।

परन्तु इस विषय में सबसे पहले नियम बनाने वाला पु-गाव था। उसने १९१० में १०० फीट (३०० मीटर) गहराई वाले अपने समुद्रतल में विदेशी जहाजों को जाल डालकर मछलियाँ पकड़ने Trawling में रोक दिया। १९१६ में हम ने दुनिया के दूसरे देशों को यह सूचित किया कि वह अपने तट से कुछ दूरी पर विद्यमान वह जगहों को इस आधार पर अपना समझता है कि वे माग्नेरिया महाद्वीप का ही भाग हैं। -६ फरवरी, १९४२ का यह ब्रिटिश तथा बेनेनुएला ने पेरिया की खाड़ी (Gulf of Paria) का समुद्रतल जगहों का वार में सधि की। यह इतालिय महत्त्वपूर्ण थी कि बेनेनुएला को ब्रिटिश द्वितीयक मच्छक करने वाला २५ मील चौड़ा समुद्र तल उपलब्ध है और इन समुद्रतल के नीचे पेट्रोल मिलने की सम्भावना थी, अब इस सधि द्वारा एक प्रतिभर देशों द्वारा दोनो देशों का अधिकार क्षेत्र की सीमा निश्चिन्त की गयी।

दक्षिणी अमरीका का कुछ देशों— चिली और पेरू ने अपने समुद्रतल के साथ २०० मील तक की दूरी व समुद्र को अपना प्रदेश घोषित किया। अर्जन्टिना (El Salvador) राज्य व १९५० का संविधान में कहा गया है कि इस राज्य के प्रदेश में निम्न जलपिछ से २०० समुद्री मील तक के समुद्रतल समुद्र इनके ऊपर का आकार, भूमि के नीचे का भाग तथा महाद्वीपीय समुद्रतल सम्पत्ति है। कोस्टा रिका ने यह साथ ही लिखा है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से ये दावे निराधार हैं (आपेनहाइम १९६२) और ८० रा० अमरीका तथा ग्रेट ब्रिटेन ने इनके विरुद्ध प्रतिवाद किया है।

से वाछनीय प्रतीत होता है, वहाँ दूसरी ओर इससे महासमुद्रों में नौचालन की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप होने तथा जटिल और कटु अन्तर्राष्ट्रीय विवादा में उत्पन्न होने की आशंका है। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश लौटरपैच्ट (Lauterpacht) का मत है कि महाद्वीपीय समुद्रतल के सम्बन्ध में किये जाने वाले दावे युक्तियुक्त हैं, इन्हें तल तक सीमित न करके सभी भ्रम समुद्रीय (Submarine) क्षेत्रों में लागू करना चाहिये। महाद्वीपीय समुद्रतल पर तटवर्ती राज्य के कानूनी अधिकार का आधार मस्यसिता (Contiguity) का सिद्धान्त तथा अन्य राज्यों द्वारा तटवर्ती राज्य के दावों का स्वीकार किया जाना है।

ब्रियर्ली (Brierly) ने महाद्वीपीय तल पर तटवर्ती राज्य के अधिकार को स्वीकार करने का कारण स्पष्ट करते हुए कहा है कि यदि ऐसा न करके समुद्रतल को अस्पष्ट (Res nullius) घोषित किया जाय तो कोई भी विदेशी राज्य यहाँ समुद्र के गर्भ की प्राकृतिक सम्पत्ति निकालने के लिये आवेशन (Occupation) द्वारा इस पर अधिकार कर सकता है और इससे तटवर्ती राज्य के लिये खतरा उत्पन्न हो सकता है। अतः महाद्वीपीय तल की प्राकृतिक सम्पदा निकालने का एकमात्र अधिकार कानून द्वारा (Ipso jure) तटवर्ती राज्य को मिलना चाहिये, आवेशन अथवा अन्तर्ग्रहण (Annexation) द्वारा इसकी पुष्ट करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। ये अधिकार समुद्रतल की अधोभूमि तक ही सीमित रहने चाहियें, इसके ऊपर के महासमुद्रों में होने वाले नौचालन या मछली पकड़ने पर इसका कोई प्रभाव नहीं पटना चाहिये।¹¹

१९५६ में अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने महाद्वीपीय समुद्रतल के बारे में अपने नियमों का जो प्रारम्भिक रूप तैयार किया, उसमें निम्न बातों पर बल दिया गया है — (१) तटवर्ती राज्यों को महाद्वीपीय समुद्रतल के प्राकृतिक साधनों को प्राप्त करने के पूरे 'प्रयुक्ततासम्पन्न' अधिकार होने चाहियें; (२) किन्तु इस तल के उपरिगत (Superjacent) जलो और महासमुद्रों और आकाश पर इनको कोई अधिकार नहीं होगा; (३) इनके कार्यों से समुद्र के अन्दर डाली गई तारों की व्यवस्था को कोई हानि नहीं पहुँचनी चाहिये; (४) नौचालन में और मछलीपकड़ने में इन कार्यों से कोई बाधा या हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये; (५) समुद्र के तल में से प्राकृतिक पदार्थ निकालने के लिए लगाये जाने वाले यन्त्रों तथा अन्य साधनों के निर्माण की सूचना अन्य राज्यों को दी जानी चाहिये; (६) जब एक ही महाद्वीपीय समुद्रतल के साथ दो राज्य स्पर्श करते हों तो दोनों में कोई समझौता या सन्धि न होने की दशा में इनकी सीमान्त रेखा इनके प्रादेशिक समुद्र की आधाररेखाओं से समदूरी (Equidistance) के सिद्धान्त पर निर्धारित की जानी चाहिये।

महाद्वीपीय समुद्रतल का १९५८ का अभिसमय (Convention of 1958 on Continental Shelf) — स० रा० सघ की अध्यक्षता में २४ फरवरी से २८ अप्रैल,

१९५८ तक जेनेवा में होने वाले ८७ राष्ट्रों के समुद्र के कानून (Law of Sea) पर विचार के लिए बुलाए गये सम्मेलन ने इस जटिल प्रश्न पर विचार करके एक अभिसमय या समझौता किया। इसके पक्ष में ५७ मत तथा विपक्ष में ३ मत थे। आठ देश मतदान में तटस्थ रहे। इस समझौते की महत्वपूर्ण व्यवस्थाएँ निम्नलिखित हैं।

इसकी पहली धारा (Article 1) में महाद्वीपीय समुद्रतल का लक्षण किया गया है। यह विचार अन्तर्राष्ट्रीय कानून में बिहसुल गया है और इससे पहले इस विषय में विभिन्न राष्ट्रों की कोई सधि नहीं हुई। इसमें महाद्वीपीय समुद्रतल की परिभाषा में दो बातें कही गई हैं—(१) यह समुद्रतट का समीपवर्ती (adjacent) वह समुद्रतल (Seabed) तथा अध समुद्री (Submarine) प्रदेशों का वह निम्न धरातल (Subsoil) है, जो प्रादेशिक समुद्र की सीमा से बाहर उस स्थान तक है, जहाँ तक समुद्र २०० मीटर गहरा हो। यह उससे भी आगे तक भी हो सकता है, बशर्ते कि इस गहराई में समुद्रतल के प्राकृतिक साधनों का दोहन (Exploitation) हो सके।

(२) द्वीपों के समीपवर्ती समुद्रतटों के अध समुद्री प्रदेशों के सम्बन्धमें महाद्वीपीय की उपर्युक्त व्यवस्था लागू करना चाहिये। इससे यह स्पष्ट है कि महाद्वीपीय प्रादेशिक समुद्र (Territorial Sea) से २०० मीटर की गहराई तक का समुद्र महाद्वीपीय समुद्रतल है।

इसके समुद्रतल में प्राकृतिक साधनों के दोहन (Exploitation of Natural Resources) का एकमात्र अधिकार इस अभिसमय की धारा २ के अनुसार तटवर्ती राज्य को दिया गया है। वह यहाँ के खनिज तथा अन्य जीवन न रखने वाले (Non-living) एवं जीवित (Living) प्राणियों में अचल, गतिहीन या स्थावर जीव-जन्तुओं (Sedentary species) का दोहन या उपयोग कर सकता है। निश्चल जीव-जन्तुओं का स्वरूप स्पष्ट करते हुए यह कहकर गया है कि "ये सीप (Oyster) जैसे प्राणी हैं, जो इनकी फसल के समय या तो समुद्रतल में निश्चल (Immobile) पड़े रहते हैं अथवा तब तक गतिशील नहीं हो सकते, जब तक कि वे समुद्रतल के निरन्तर भौतिक सम्पर्क में न आये।" इससे यह स्पष्ट है कि (१) तटवर्ती राज्य को समुद्री

१७ कीलिंस्त आर्कोरन्ज १९५८, पृ० १६४-१५६

२८. Organisms (such as oysters) which at the harvestable stage are either immobile under the seabed or cannot move except in constant physical contact with the seabed or the subsoil.

अचल मछलीगाहों (Sedentary fisheries) के सम्बन्ध में यह लक्षण क्या महत्वपूर्ण है तथा लगभग दस वर्ष के विचार-विमर्श के बाद स्वीकार किया गया है। वस्तुतः समुद्र में अल और अचल प्राणियों के सम्बन्ध में विशुद्ध वर्गीकरण क्या जटिल प्रश्न है। इसके मुख्य वर्ग ये हैं—(१) कुछ समुद्री जन्तु विलुप्त निश्चल (Immobile) होते हैं, (२) कुछ अचल कुछ कुछ तक गति करते हैं और (३) कुछ प्राणी काफी दूर तक गति करने और तैरने का सामर्थ्य रखते हैं। अचल (Sedentary) वर्ग में प्रायः समुद्रतल में भौतिक रूप में सबद्ध स्पंज, मूगा (Coral edible mussels) को सम्मिलित किया जाता है। कुछ प्राणी अस्थिर जीवन में तैरने वाले तथा बाद में निश्चल हो जाते हैं, कुछ शुरू में निश्चल तथा बाद में गतिशील होते हैं। अल

तल में पाई जाने वाली केवल उन्हीं वस्तुओं के उपयोग का अधिकार है, जो इसमें निश्चल एवं गतिविध रूप से स्थिर पड़ी रहती हैं। अतः यह व्यवस्था समुद्र के गतिशील प्राणियों पर नहीं लागू होती। (२) समुद्री तल की वस्तुओं के उपयोग का अधिकार होने पर भी इससे ऊपर के महासमुद्री (High Seas) पर इसके ऊपर के आकाश (Air-space) पर तटवर्ती राज्य को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता (पारा ३)।

तटवर्ती राज्य को यद्यपि महाद्वीपीय समुद्री तट के प्राकृतिक साधनों के उपयोग तथा दोहन के लिए आवश्यक सभी तर्कसंगत उपायों (Reasonable measures) के प्रयोग का अधिकार है, किन्तु ऐसा करते हुए तटवर्ती राज्य को समुद्री तल में बिछाई गई तारों, पाइप लाइनों को बनाये रखने या नई तारों के डालने में कोई बाधा नहीं डालनी चाहिये। समुद्री तल का उपयोग करते हुए तटवर्ती राज्यों को निम्नलिखित कार्यों में कोई अनुचित बाधा (Unjustifiable interference) नहीं डालनी चाहिये— (क) जहाजों का आना जाना (Navigation), मछली पकड़ना, समुद्र में रहने वाले जीवित प्राणियों का संरक्षण (Conservation), (ख) समुद्र विषयक (Oceanographic) प्रकाशित होने वाली खोजें। इन विषयों का पालन करते हुए तटवर्ती राज्य अपने समुद्री तट के प्राकृतिक साधनों को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक यन्त्र गगाने (Installations) का अधिकार रखता है। इस कार्य के लिए उपयुक्त सूचना देने के बाद उसे इन क्षेत्रों में ५०० मीटर चौड़ाई के सुरक्षित क्षेत्र (Safety Zone) स्थापित करने चाहिये। इनकी सीमा को प्रदर्शित करने के लिए प्रकाश ली बतियाँ तथा पंराक पीपे (Buoys) लगाने चाहिये किन्तु ऐसे क्षेत्रों को द्वीप का दर्जा नहीं मिलेगा। वे तटवर्ती राज्य की भूमि नहीं समझे जायेंगे, इससे तटवर्ती राज्य के प्रादेशिक समुद्र की सीमा में कोई अन्तर नहीं आयगा। तटवर्ती राज्य इस बात का पूरा प्रयत्न करेगा कि समुद्र में रहने वाले जीव-जन्तुओं को उसके कार्यों से किसी प्रकार की हानि न पहुँचे। महाद्वीपीय समुद्रतल की वैज्ञानिक खोज के लिए तटवर्ती राज्य की अनुमति आवश्यक होगी, किन्तु यदि इसकी प्रार्थना दस कार्य की योग्यता रखने वाली संस्थाओं (Qualified institutions) द्वारा की जायगी तो तटवर्ती राज्य सामान्य रूप से इस प्रार्थना को अस्वीकार नहीं करेगा। यह विरुद्ध रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान होगा तथा तटवर्ती राज्य को इसमें भाग लेने तथा इसके परिणामों को प्रकाशित करने का अधिकार होगा।

यदि कोई समुद्री तल जो या अधिक राज्यों के निकट पड़ता है तो इसमें प्रत्येक

उपर्युक्त समझौते में दिये गये लक्षण में यह स्पष्ट किया गया है कि वे पकड़ के समय (Harvestable Stage) निश्चल होने चाहियें। इससे साथ ही ये 'समुद्रतल पर या उसके नीचे निश्चल रहने वाले' हैं। यद्यपि इन लक्षण से कठिन आवरण वाले (Crustaceans) केंकड़े, लॉगनमछली (Lobster) के सम्बन्ध में स्थिति अनिश्चित है, फिर भी उपर्युक्त लक्षण ने अचल मछलीगाहों के स्वरूप को पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट और सुनिश्चित कर दिया है। इस विषय के विवेचन के लिये देखिये—अमेरिकन जर्नल ऑफ इण्टरनेशनल लॉ, स्ट ५५, १९६१, पृ० ३५६—३७३।

राज्य की सीमा आपसी समझौते से तय होगी। ऐसा समझौता न होने तथा भीमा निर्धारित करने की अन्य विशेष परिस्थितियाँ न होने की दशा में यह ऐसी मध्यरेखा (Median line) होगी, जिसका प्रत्येक बिंदु उन आधाररेखाओं (Base lines) से समान दूरी पर होगा, जिसके प्रत्येक वेस के प्रादेशिक समुद्र की कीटाई नापी जाती है।

ब्राजील-फ्रांस झींगामछली विवाद (Brazil France Lobster Dispute)—

इस प्रसंग में ब्राजील और फ्रांस के झींगामछली विवाद (The Lobster Dispute) का उल्लेख आवश्यक प्रतीत होता है। इस विवाद ने ३० जनवरी, १९६३ को बड़ा उग्र रूप धारण कर लिया, जब ब्राजील के उत्तर पूर्वी समुद्रतट से ६७ मील की दूरी पर झींगामछलियों को पकड़ने वाली फाग की तीन नौकाओं को यह कहा गया कि यहाँ फ्रांस को मछली पकड़ने का कोई अधिकार नहीं है। ब्राजील के जमी जहाज अर्धचन्द्र रूप से मछलियाँ पकड़ने के अपराध ग टन फ्रेंच नौकाओं को पकटकर नैटान (Natal) के बन्दरगाह में ले गए। इस पर दोनों देशों में बड़ी उत्तेजना और तनाव बढ़ा तथा सघर्ष की स्थिति बलवन्त हुई। दोनों देशों के राष्ट्रगतियों ने पारम्परिक सम्पर्क स्थापित करके इस समस्या को हल करने का प्रयत्न किया और इसके परिणामस्वरूप तीनों फ्रेंच नौकाओं को झींगामछली पकड़ने की अनुमति दे दी गई, किन्तु १६ फरवरी, १९६३ को इस अनुमति को रद्द करने हुए ब्राजील की सरकार ने फ्रेंच नौकाओं को इस क्षेत्र में पुनः हट जाने का कहा।

इस विवाद का मूल कारण यह है कि दक्षिण अमरीका के अन्य राज्यों की भाँति ब्राजील ६० मील तक के महाद्वीपीय समुद्रतल (Continental Shelf) को अपना राष्ट्रीय प्रदेश मानता है और यह कहता है कि झींगामछलियाँ इस समुद्री तल पर चलकर आने वाले प्राणी हैं, वे मछलियों (Fish) से भिन्न हैं, अतः इन पर उसका स्वामित्व है, फ्रांस इनको यहाँ से नहीं पकड़ सकता। दूसरी ओर फ्रांस का यह कहना है कि ब्राजील को समुद्री तल के साथ सलग्न सभी वस्तुओं—घोषे (Oysters), स्पंज, भूषे (Corals) आदि निश्चल वस्तुओं पर पूर्ण अधिकार है, किन्तु झींगामछलियाँ गतिशील प्राणी हैं, वे समुद्र में स्वतन्त्रतापूर्वक विपरण करती हैं, उन्हें मछली समझना चाहिए। उनको समुद्री तल से संबद्ध नहीं समझना चाहिए, अतः मछलियों की भाँति इनने तिकार का पूरा अधिकार फ्रांस को है। ब्राजील तट के पास झींगामछलियाँ फ्रांस के लिए विशेष महत्व रखती हैं क्योंकि फ्रांस के पास इसकी प्राप्ति के पुराने प्रथम स्रोत—मॉरीतानिया के निकट मॉरीतानिया (Mauritania) के समुद्रतट पर ये मछलियाँ लगभग समाप्त प्राय हैं। अतः फ्रांस ने १६ फरवरी को ब्राजील की माँग का प्रतिरोध करने के लिए अपने एक रणपोत Tartar को विवादास्पद समुद्री प्रदेश में जाने का आदेश दिया (२२ फरवरी)। इस पर ब्राजील ने उसी दिन अपने दो विध्वंसकपोते (Destroyers) को यहाँ जाने का आदेश भेजा। ब्राजील की नौसेना को युद्ध के लिए सावधान कर दिया गया। इस सघर्ष की स्थिति में विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए दोनों देशों में वार्ता आरम्भ हुई और अन्त में फ्रांस ने २ अप्रैल, १९६३ का यह घोषणा की कि वह ब्राजील के साथ हो रहे इस विवाद को निर्णय के लिए हेग के पंचनिर्णय के स्थायी

पर स्वत्व है। आपेनहाइम^{२०} के मतानुसार निम्नलिखित कारणों के आचार पर तटवर्ती राज्य को अपने महाद्वीपीय समुद्रतल के साधनों और स्रोतों के एवमान उपयोग और उपयोग का अधिकार होना चाहिये—तटवर्ती राज्य का इस समुद्रतल के साथ प्रत्यक्ष लगा होना (Direct proximity), महाद्वीपीय समुद्रतल का समीपवर्ती भूप्रदेश का स्वाभाविक बड़ा हुआ भाग (Natural prolongation) होना, महाद्वीपीय समुद्रतल तथा इसके पास की मुख्यभूमि के सनिज पदार्थों का मिलकर एक सव्ह (Common pool) बनाना, महाद्वीपीय समुद्रतल के साधनों के उपयोग में तटवर्ती राज्य के विशेष हित होना, भौगोलिक दृष्टि से तटवर्ती राज्य का इन साधनों के उपयोग करने में सर्वोत्तम स्थिति में होना, तटवर्ती राज्य द्वारा अपने साथ लगे समुद्री तल के प्राकृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए अन्य राज्यों को अनुमति देने की विधिवन्मत अनिच्छा। ये सब कारण महाद्वीपीय समुद्रतल पर तटवर्ती राज्य की प्रभुमत्ता के दावे को न्यायोचित एवं तर्कसंगत ठहराते हैं।^{२१}

अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने भी दूसरे दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहा है कि समुद्रतल और इसके नीचे की भूमि अस्वामिक नहीं समझी जा सकती, यह इस पर सर्वप्रथम आवेशन करने वाले की नहीं मानी जा सकती। "यह समभव नहीं है कि इस विषय में भौगोलिक तत्व की उपेक्षा की जाय, भले ही इस तत्व को तथा समुद्रतल तथा उसके पास के भू-प्रदेश का सम्बन्ध प्रकट करने के लिये हम सामीप्य (Proximity), सस्पशिता (Contiguity), भौगोलिक अविच्छिन्नता (Geographical Continuity), परिशिष्ट या तादात्म्य (Appurtenance or identity) आदि शब्दों का प्रयोग करें। समुद्री कानून के सम्मेलन (Conference on the Law of Sea) में भारतीय प्रतिनिधि ने इसी मत का समर्थन किया था और कहा था कि यदि आवेशन (Occupation) द्वारा समुद्री तल पर अधिकार का सिद्धान्त मान लिया गया तो यह राज्यों के शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व को गम्भीर क्षति पहुँचावेगा।^{२२}

महाद्वीपीय समुद्रतल के विचार का विकास यह सूचित करता है कि अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के कारण किम प्रकार इस विषय में नियमों का विकास हो रहा है। प्रारम्भ में इसका इस दृष्टि से बहुत विरोध किया गया था कि यह महासमुद्रों की स्वतन्त्रता (Freedom of High Seas) के सर्वमान्य अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त में बाधा डालने वाला है। किन्तु बाद में यह अनुभव किया गया कि विभिन्न राज्यों की भोजन-सामग्री तथा अन्य साधनों की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए उन्हें समुद्रतलवर्ती प्राकृतिक सम्पदा के उपयोग का अधिकार इन रीति से देना चाहिए कि इसमें महासमुद्रों की स्वतन्त्रता पर कोई बाधा न आये। इसी दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने लिखा है

२०. आपेनहाइम—इंटरनेशनल लॉ,—प्रथम खण्ड, (अष्टम संस्करण), पृ० ६३४। इस विषय में ३१ जून, १९६० को सं० २।० अमरीका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण नियम के लिये देखिये कीसिंग आर्काइव्स, १९६०, पृ० १७४-८८

२१. आपेनहाइम—इंटरनेशनल लॉ, खण्ड १, पृ० ६६२-३३

२२. इयिचयन जर्नल आफ इंटरनेशनल लॉ, १९६३, पृ० १६४

कि यह (महासमुद्रों की स्वतन्त्रता) एक ऐसे विकास को नहीं रोक सकती, जो आयोग की सम्मति में भारी मानव जाति को लाभ पहुँचा सकता है। किन्तु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसका महासमुद्रों की स्वतन्त्रता पर कोई प्रभाव न पड़े।^१

गहरे समुद्रतल (Deep seabed) पर प्रभूत्व की नवीन समस्या—इस समय जहाँ मनुष्य एक और अन्तरिक्ष में चन्द्र, शुक्र, मंगल आदि ग्रह-उपग्रहों तक पहुँचने का प्रयत्न कर रहा है, वहाँ दूसरी ओर वैज्ञानिक ज्ञान से उसने न केवल महाद्वीपीय समुद्रतल (Continental shelf) में विद्यमान प्राकृतिक सम्पत्ति—पेट्रोल, लोहा, कोयला प्राप्त करना शुरू कर दिया है, अपितु महाद्वीपीय समुद्रतल से आगेके अत्यन्त गहरे समुद्रतलों से भी प्राकृतिक सम्पत्ति निकालने के साधनों का आविष्कार करने में बड़ी भफलता प्राप्त की है। समुद्र के गर्भ में विद्यमान अनन्त सम्पत्ति का अनुमान इन बड़े से तथ्यों से भली भाँति किया जा सकता है।^२ केवल प्रशान्त महासागर में एल्यूमीनियम की इतनी मात्रा है कि १६६० में सतार में इसकी खपत के हिसाब से यह बीस हजार वर्ष तक चल सकती है, जब कि पृथ्वी पर विद्यमान खानों का एल्यूमीनियम केवल १०० वर्ष तक ही काम दे सकता है, इसी प्रकार मैंगनीज तथा लाम्बे के समुद्री भंडार क्रमशः ४ लाख और ६००० वर्ष तक चल सकते हैं, जब कि पृथ्वी के भण्डार क्रमशः १०० वर्ष तथा ४० वर्ष के लिये ही हैं। समुद्र के सतह जल को भीटा बनाने के तथा उस में खेती करने के परीक्षण इतनी तेजी से हो रहे हैं कि १९५० तक समुद्रों में अनाज की पैदावार बड़े पैमाने पर होने लगेगी, भूमि पर खेती समुद्री खेती की तुलना में नगण्य रह जायगी। एक वर्गमील समुद्री जल से लाखों टन नमक तथा अन्य खनिजों के अतिरिक्त ६५ टन (१ टन = २७ मन) चाँदी तथा २५ टन सोना पाने की संभावना की जा रही है। इस विषय में कितनी तेजी से प्रगति हो रही है, यह दससे स्पष्ट है कि धार्डलैण्ड, इण्डोनेशिया और मलायेशिया इस समय समुद्र से रागा (Lha), दक्षिण अफ्रीका हीरे, फिनलैण्ड तथा न्यूजीलैण्ड लोहा तथा इंग्लैण्ड और कनाडा कोयला प्राप्त कर रहे हैं। सबसे अधिक विलक्षण प्रगति पेट्रोल, गन्धक और गैस के क्षेत्र में हुई है। १९४७ में मं० रा० अमेरिका के महाद्वीपीय समुद्रतल में विद्यमान तेल भंडार का अनुमान ३३ अरब (Billion) पीपेथा (१ पीपा = ३१ $\frac{३}{४}$ गैलन) तथा २ $\frac{३}{४}$ करोड़ पीपेतेल समुद्र से निकाला जाता था। १९६५ में समुद्री तेल भण्डार का अनुमान बढ़ कर १०० अरब हो गया है और समुद्र से पहले की अपेक्षा लगभग दस गुना या २४ करोड़ पीपे तेल निकाला जा रहा है। समुद्र के इस अनन्त वैभव का महत्व उस समय और भी अधिक बढ़ जाता है, जब हम यह देखते हैं कि भूमण्डल का तीन-चौथाई भाग समुद्रों से घिरा हुआ है। इस अनन्त प्राकृतिक सम्पत्ति के अतिरिक्त समुद्रतल का दूसरा नवीनतम उपयोग प्रतिरक्षात्मक कार्यों के लिए है। समुद्र की गहराइयों में सानु-देशों की हानि पहुँचाने के लिये फेंके जाने वाले प्रक्षेपणास्त्रों के झूड़े स्थापित किये जा सकते हैं, इन

१३. बर्डी, पृ० १६७

१४. टाइम्स आफ इंडिया, दिल्ली, २ दिसम्बर १९६७, पृ० ६

का बड़ा लाभ यह है कि समुद्र के भीतर छिपे होने के कारण पृथ्वी की परिभ्रमा करने वाले अन्तरिक्षयान इनका पता नहीं लगा सकते हैं।

उपर्युक्त दोनों कारणों ने गहरे समुद्रों का महत्व भविष्य में बढ़ने की तथा इसके प्रभुत्व के सबन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय विवाद उत्पन्न होने की आशंका है। इस समय सब देशों ने सागर के महाद्वीपीय समुद्रतल (Continental shelf) पर निकटवर्ती देशों का स्वामित्व माना है। अब इससे प्रागे के बहुत गहरे समुद्रों के तल पर स्वामित्व की जटिल समस्या उत्पन्न होगी। इसका कारण इन समुद्रों के तल पर पाई जाने वाली अमूल्य प्राकृतिक सम्पत्ति और इनका सामयिक दृष्टि से उपयोग करना है। जिस प्रकार भूमण्डल पर उपनिवेश और सैनिक अड्डे पाने के लिये विभिन्न राष्ट्रों ने होड़ हुआ करती थी, वैसे ही होड़ भविष्य में समुद्रतल के अड्डों तथा सम्पत्ति के लिये होने की सम्भावना है। १९६७ में मास्टा ने इस महत्वपूर्ण नवीन समस्या की ओर स० रा० मध का ध्यान खींचा है।

नहरें (Canals)—किसी एक राज्य के प्रदेशों में से होकर गुजरनेवाली नहरों पर उस राज्य की प्रादेशिक प्रभुता होती है। इनका कोई अन्तर्राष्ट्रीय महत्व नहीं है। किन्तु अनेक राष्ट्रों के यातायात के लिए महत्व रखने वाली नहरें किसी एक राज्य के प्रदेश में से गुजरने पर भी अन्तर्राष्ट्रीय समझी जाती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सम्बन्ध विभिन्न महासमुद्रों को जोड़ने वाली ऐसी नहरों से है, जिनका लाभ अनेक राज्य उठाते हैं। इस प्रकार की तीन नहरें हैं—पानामा, कील और स्वेज।

(क) पानामा नहर (Panama Canal)—यह मध्य अमरीका के पानामा राज्य में से होते हुए अन्ध महासागर को प्रशान्त महासागर से जोड़ती है। इस नहर के यातायात के नियमों की व्यवस्था १९०१ की ग्रेट ब्रिटेन तथा स० रा० अमरीका की हे-पौन्सेफोटे (Hay-Pauncefote) सन्धि तथा १९०३ और १९०६ के सम्झौतों के अनुसार होती है। १९०१ की सन्धि की एक धारा में यह व्यवस्था है कि “यह नहर निश्चित नियमों का पाता करने वाले सब राष्ट्रों के व्यापारिक और सामरिक जहाजों के लिये समानता की शर्तों पर खुली रहेगी।” इस सन्धि में यह भी कहा गया था कि इसका परिवेष्टन (Blockade) कभी नहीं किया जायगा और इसमें शत्रुता का कोई कार्य नहीं होगा। प्रथम विश्वयुद्ध में स० रा० अमरीका ने सब राष्ट्रों के व्यापारिक जहाजों को इसमें से गुजरने दिया, किन्तु युद्धकारी देशों के रणपोतों के गुजरने पर पावन्दी लगाई। जब स० रा० अमरीका स्वयं युद्ध में सम्मिलित हुआ तो उसने नहर में शत्रु के सभी जहाजों का गुजरना बन्द कर दिया। इस सन्धि द्वारा इस प्रदेश के तटस्थीकरण की व्यवस्था होने पर भी स० रा० अमरीका पानामा नहर की सुरक्षा के लिये आवश्यक रक्षात्मक कार्यवाही कर सकता है। उसे पानामा नहर के क्षेत्र में स्थायी रूप में नियन्त्रण का तथा सेना रखने का अधिकार है। पानामा गणराज्य की इस प्रदेश में प्रभुसत्ता केवल कानूनी और नाममात्र की है, वास्तविक तथ्यानुसार (De facto) सत्ता वार्शिंगटन के पास है। २५ जनवरी, १९५५ को स० रा० अमरीका-पानामा की पारस्परिक सहयोग की सन्धि से भी यही ध्वनि निकलती है।

कील नहर (Kiel Canal)—यह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। यह पूर्णरूप से जर्मन प्रदेश में है और प्रथम विश्वयुद्ध से पूर्व इस पर जर्मनी की पूरी सर्वोच्च सत्ता और पूर्ण अधिकार था। १९१६ की वर्साय की सन्धि में यह व्यवस्था की गई कि जर्मनी के साथ लड़ाई न करने वाले सभी राज्यों के व्यापारिक और रणपोतों के लिये यह समानता के आधार पर खुली रहेगी। १९२३ में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने Wimbledon के मामले में इस नहर की स्थिति पर प्रकान डाला। विम्बलडन एक ब्रिटिश जहाज था। एक फ्रेंच कम्पनी ने इसे किराने पर लिया था। २१ मार्च, १९२१ को जर्मन अधिकारियों ने इस जहाज को कील नहर से इस आचार पर नहीं गुजरने दिया कि यह रूस के साथ युद्ध करने वाले पोर्नोड के लिये रण-गामघों ले जा रहा है। न्यायालय ने अपना निर्णय देते हुए कहा कि जर्मन सरकार का यह कर्तव्य था कि वह इस जहाज को नहर में से गुजरने देती क्योंकि वर्साय की सन्धि द्वारा कील नहर ऐसे सब राष्ट्रों के जहाजों के लिये खुली रखी गई है, जो जर्मनी के साथ शान्तिपूर्वक रहते हों, वे आपस में किसी दूसरे युद्ध में सलग्न हो सके हैं, किन्तु इसमें तटस्थ रहने वाला जर्मनी इन राज्यों को जाने वाले जहाज नहीं रोक सकता। ४ नवम्बर, १९२६ को जर्मनी ने कील नहर सम्बन्धी वर्साय सन्धि की धारा अन्वीकार करने की घोषणा की तथा १६ जनवरी, १९३७ को जर्मन नौसेना की उच्च सत्ता द्वारा प्रकाशित एक आदेश से प्रत्येक राष्ट्र के जहाजों के लिये नहर में प्रवेश करने से पूर्व अनुमति लेने का नियम बना दिया गया।

स्वेज नहर (Suez Canal)—यह रक्तसागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इसे एक फ्रेंच कम्पनी ने बनाया था। बाद में ग्रेट ब्रिटेन ने इसके बाकी बड़े हिस्से खरीद लिये। इस नहर के सम्बन्ध में २६ अक्टूबर, १८८८ को कुस्तुनतुमिया का सम्झौता हुआ। इसमें ग्रेट ब्रिटेन, आस्ट्रिया, स्पेन, इटली, फ्रान्स, जर्मनी, हॉलैण्ड, इटली, टर्की ने भाग लिया। इस सन्धि की महत्वपूर्ण व्यवस्थायें इस प्रकार थी—(१) यह युद्ध एवं शान्तिकाल में खुली रहेगी, इसका परिवेष्टन (Blockade) कभी नहीं होगा। (२) नहर के दोनों में सशस्त्रता का कोई कार्य नहीं होगा। प्रत्येक जमी जहाज को प्रदेश के २४ घण्टे के भीतर नहर छोड़ देनी होगी। नहर में या इसके बन्दरगाहों में युद्ध-नामों को नहीं लाया जा सकता। (३) सन्धि पर हस्ताक्षरकर्ताओं में प्रत्येक राज्य नहर में अपने दो जमी जहाज रख सकता है, किन्तु युद्धकारी देशों को इसमें अपने रणपोत रखने का अधिकार नहीं है। स्वेज नहर मित्र के प्रदेश में होकर गुजरती थी। १९१४ तक यह टर्की के अधीन था। प्रथम विश्वयुद्ध में टर्की के सम्मिलित होने पर ग्रेट ब्रिटेन ने इन अपने सरक्षण में ले लिया। १९२२ में इसमें मित्र की स्वतन्त्रता स्वीकार करने हुए भी स्वेज नहर के सुरक्षा विषयक अधिकार अपने पास सुरक्षित रखे। २६ मगस्त, १९३६ को मित्र तथा ग्रेट ब्रिटेन में हुई एक सन्धि के अनुसार स्वेज नहर को मित्र का प्रतिभान्तर अंग माना गया, किन्तु ब्रिटिश साम्राज्य के विविध भागों में गन्धक का महत्वपूर्ण माचन होने में ब्रिटेन को इस बात की अनुमति दी गई कि वह इस प्रदेश में उस समय तक नहर की रक्षा के लिये अपनी सेनाएँ रख सकता है, जब तक मित्री

सेना इसकी रक्षा करने में समर्थ न हो। द्वितीय विश्वयुद्ध में इस सन्धि का पूरा पालन हुआ, किन्तु युद्ध समाप्त होते ही मिश्र ने ब्रिटिश फौजों के हटाने की माग की। लम्बी सन्धि चर्चा के बाद २७ जुलाई, १९५४ को दोनों देशों के बीच काहिरा में हुए सम्झौते के अनुसार ग्रेट ब्रिटेन ने २० महीने में अपनी सेनायें हटाना स्वीकार कर लिया तथा साथ ही नहर के सम्बन्ध में १८८८ के सम्झौते का पालन करते हुए इस अन्तर्राष्ट्रीय महत्व रखने वाली नहर में नौचालन की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त पर बल दिया गया। इस समय मिश्र को आस्वान बांध के निर्माण के लिये बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता थी, जब स० रा० अमरीका, इंग्लैण्ड और अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने मिश्र के राष्ट्रपति वर्नेन नासिर को इस कार्य के लिये धन देना स्वीकार किया तो उसने जुलाई, १९५६ में स्वयं नहर के राष्ट्रीयकरण की विश्व को स्तब्ध करने वाली घोषणा की। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने पहले तो मिश्र के इस कार्य की घोर निन्दा की तथा बाद में इजराइल के साथ मिलकर उस पर आक्रमण कर दिया (अक्टूबर, १९५६)। बाद में इन्हें वहाँ से अपनी फौजे वापिस बुलानी पड़ी। २५ अप्रैल, १९५७ को मिश्री सरकार ने यह घोषणा की कि वह १८८८ के सम्झौते के सभी दायित्वों का पालन करेगी और नहर के प्रसारण के सम्बन्ध में होने वाली शिकायतों को निर्णय के लिये पचासवीं कमेटी को देना तथा उसका निर्णय मानना दोनों पक्षों के लिये आवश्यक होगा। १८८८ की सन्धि करने वाले राज्यों में इस सन्धि की धाराओं की व्याख्या के सम्बन्ध में कानूनी प्रश्नों पर मतभेद होने पर मिश्र ने इनमें अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का अनिवार्य क्षेत्राधिकार स्वीकार कर लिया। मिश्र इस नहर को सब देशों के लिये खुला रखते हुए भी पेलेस्टाइन के प्रश्न पर शत्रुता रखने वाले इजराइल के लिये माल ले जाने वाले जहाजों को इस नहर में से नहीं गुजरने देता। डेन्मार्क का इजराइल माल ले जाने वाला एक जहाज इंग टाफ्ट (Inge Toft) ८ महीने तक मिश्री अधिकारियों ने पोर्ट सईद में रोके रखा। अन्त में ५ फरवरी, १९६० को सारा माल बन्दरगाह में उतार देने पर ही मिश्र ने इस जहाज को मुक्त किया।

आकाश पर प्रादेशिक प्रभुता (Sovereignty over Air)—वायुयानों के आविष्कार और विकास से पहले किसी राज्य के प्रदेश के ऊपर विद्यमान आकाश की कोई महत्ता नहीं थी, किन्तु वर्तमान समय में हवाई यातायात के विकास में आश्चर्यजनक उन्नति से तथा यू-२ जैसे ७० हजार फुट की ऊँचाई पर उड़ने वाले वायुयानों, रपूननिको तथा राकेटों के आविष्कार से इसे असाधारण महत्व प्राप्त हो गया है। गान्धे के मतानुसार किसी प्रदेश के आकाश को तीन भागों में बाँटा जा सकता है—(१) उच्चतम भाग—यह वायु की कमी और तापमान की अधिकता के कारण मनुष्य के आवास के लिये सर्वथा अनुपयुक्त है। आजकल विभिन्न स्पूतनिको और राकेटों द्वारा इस प्रदेश के अन्वेषण हो रहे हैं और जब मनुष्य यहाँ की प्राकृतिक परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करके यहाँ अपने अन्तरिक्ष यान (Space ships) ले जाने लगेगा तो इस प्रदेश की महत्ता बढ़ जायेगी। (२) निम्नतम भाग भूमि से ऊपर वा ३३० मीटर तक का प्रदेश—इसमें ऊँचे मचान, डाक तार, रेडियो विभाग की तारें, ऊँचे खम्भे आदि होते हैं।

(३) मध्यवर्ती भाग—यह हवाई यातायात और रेडियो के सदेश-प्रेषण के लिये उपयोगी होता है।

प्रथम विश्वयुद्ध से पहले आकाश की प्रभुता के सम्बन्ध में प्रमुख सिद्धान्त स्टार्क के मतानुसार निम्नलिखित थे—(१) खुले समुद्रों तथा अनधिकृत प्रदेश (Unoccupied territory) के ऊपर का आकाश सबके लिये पूर्ण रूप से खुला हुआ है। (२) राज्य का प्रादेशिक प्रभुता में विद्यमान भूमि और समुद्र के ऊपर वाले आकाश के बारे में ये मत प्रचलित थे—(क) राज्य को अपने प्रदेश के ऊपर के आकाश पर अंतिम ऊँचाई तक पूर्ण प्रभुसत्ता प्राप्त है, उसे विदेशी वायुयानों को अपने प्रदेशों में आने में रोकने का अधिकार है। (ख) आकाश का उच्चतम उपरिसायी (Superjacent) भाग महा-समुद्रों की भाँति सब देशों के लिये समान रूप से खुला हुआ है। (ग) समुद्री भेजता (Maritime belt) और खुले समुद्र की भाँति राज्य की आकाश में प्रादेशिक प्रभुता कुछ निश्चित ऊँचाई तक होती है, उसके ऊपर का अनरिक्त स्वामोहीन और सबके लिये समान रूप से खुला होता है। (घ) एक अन्य सिद्धान्त के अनुसार यद्यपि आकाश के उच्च भाग में किसी राज्य का स्वामित्व नहीं होता, फिर भी वह इनमें विदेशी वायुयानों के यातायात को नियन्त्रित कर सकता है। (ङ) यद्यपि राज्य को अपने प्रदेश के उपरिसायी आकाश पर पूरी प्रादेशिक प्रभुता होती है, फिर भी उसे इसमें विदेशों के अर्सेनिक विमानों को यातायात के लिये मार्ग देना पड़ता है, विदेशों के सैनिक वायुयानों को इस आकाश में आने में रोकने का उसे पूरा अधिकार है।

प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ने पर यह अनुभव किया गया कि इस विषय में राज्यों द्वारा वियाना में एक ही सिद्धान्त माना जा सकता है कि उन्हें अपने आकाश पर असीम ऊँचाई तक (Usque ad Caelum) पूरी प्रादेशिक प्रभुसत्ता है। १९१९ में वेरिन में हवाई यातायात के नियन्त्रण की समस्याओं पर विचार करने के लिये विभिन्न राज्यों का एक सम्मेलन बुलाया गया। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से शान्तिकाल में हवाई यातायात के उपयुक्त नियम बनाये गये। इसकी मुख्य व्यवस्थाने निम्नलिखित थी—(क) प्रथम धारा में राज्यों को अपने प्रदेश के आकाश में पूरी प्रभुसत्ता स्वीकार करते हुए कहा गया था—“इस समझौते को करने वाले राज्य यह स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक राज्य को अपने प्रदेश और प्रादेशिक समुद्र के ऊपर वाले आकाश पर पूर्ण तथा अनन्य (Complete and exclusive) प्रभुसत्ता प्राप्त है। (ख) शान्तिकाल में इस समझौते में सम्मिलित देशों के विमानों को अन्य राज्यों के आकाश में निर्धारित नियमों का पालन करते हुए निर्दोष उड़ान (Innocent passage) की पूरी स्वतन्त्रता होगी। निम्न अन्तर्राष्ट्रीय हवाई कम्पनियों को ऐसी उड़ानों के लिये सबद राज्यों से अनुमति प्राप्त करनी होगी। (ग) किसी देश में एक विमान की रजिस्ट्री तभी होगी, जबकि उस पर पूरा स्वामित्व उस देश के नागरिकों का हो। एक वायुयान की रजिस्ट्री एक से अधिक देशों में नहीं हो सकती। (घ) वायुयान पर अन्तर्राष्ट्रीय यातायात के समय समयकी

राष्ट्रीयता और रजिस्ट्री के बिना अंकित होने चाहिये। (ड) निजी वायुयानों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा करते समय इनकी रजिस्ट्री का प्रमाणपत्र, जहाज के यात्रा योग्य होने का प्रमाणपत्र, चालकों के पाम चालन-योग्यता के प्रमाणपत्र, सवारियों की सूची आदि निर्धारित सामग्री होनी चाहिये। (च) किसी राज्य के अधिकारियों को अपनी सीमा में आनेवाले वायुयान के आवश्यक वागजात जांचने का अधिकार होगा। (छ) राज्यों के सैनिक वायुयान दूसरे राज्यों के आकाश पर विरोध आज्ञा के बिना नहीं उड़ सकते, पुलिस, चुगी आदि से सम्बन्ध रखने वाले वायुयान पारस्परिक समझौते से दूसरे राज्य में जा सकते हैं। (ज) हवाई यातायात के लिये राष्ट्रसंघ की अध्यक्षता में एक अन्तर्राष्ट्रीय आयोग (International Commission for Air Navigation) बनाया गया। इसका कार्य सम्मेलन द्वारा निश्चित किये गये कर्तव्यों का पालन, हवाई यातायात की आवश्यक सूचनाओं का संग्रह तथा हवाई नशों का प्रकाशन था।

पेरिस सम्मेलन में २० राष्ट्रों अमरीका तथा कई अन्य अमरीकन राज्य सम्मिलित नहीं हुए थे। इनका सम्मेलन १९२८ में हवाना में हुआ। इसने पेरिस सम्मेलन जैसी व्यवस्थाएँ की। अन्तर केवल दूतता ही था कि हवाना में मुख्य रूप से व्यापारिक समझौता हुआ और इसने कोई अन्तर्राष्ट्रीय संगठन नहीं स्थापित किया।

१२ अक्टूबर, १९२६ के वारसा समझौते (Warsaw Convention) में विमानों द्वारा की जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय दुलाई, यात्रियों और माल-विषयक नियम, विमानवाहक की जिम्मेदारी आदि के अनेक नियम बनाये गये। द्वितीय विश्वयुद्ध से पहले इस प्रकार के कई अन्य समझौते भी हुए, किन्तु इन सबसे दो बातें उल्लेखनीय थीं—(क) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई कम्पनियों को इन समझौतों द्वारा निर्दोष यात्रा की अधिकार सुविधाएँ नहीं दी गयी थी। (ख) विदेशी वायुयानों के भूमि पर उतरने के अधिकार सब देशों की इच्छा पर निर्भर थे।

द्वितीय विश्वयुद्ध में वायुयानों की विलक्षण उत्पत्ति से समुद्रों और महाद्वीपों के आरपार हजारों मील लम्बी वैमानिक उड़ानें आरम्भ हुईं। इनमें अन्तर्राष्ट्रीय हवाई कम्पनियों के विभिन्न राज्यों में वैमानिक यातायात की और इनके लिये उपयुक्त अड्डों की प्राप्ति की नई समस्याएँ उत्पन्न हुईं। इन पर विचार करने के लिए नवम्बर, १९४४ में शिकागो सम्मेलन (Chicago Convention) बुलाना गया। इसमें ४५ राज्यों ने अन्तर्राष्ट्रीय वैमानिक यातायात के प्रश्नों पर विचार किया। इस सम्मेलन का मुख्य विचारणीय विषय प्रत्येक राज्य की हवाई कम्पनियों को प्रदान की जाने वाली 'आकाश की पाँच स्वतन्त्रताएँ' (Five Freedoms of the Air) थीं—(क) बिना भूमि पर उतरे विदेशी राज्य में उड़ान करने की स्वतन्त्रता, (ख) दूसरे राज्यों में यातायात से भिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि पर उतरने की स्वतन्त्रता, (ग) वायुयानों से सम्बन्ध रखने वाले देश का माल दूसरे देशों में उतारने की स्वतन्त्रता, (घ) वायुयान द्वारा स्वदेश छोड़ते हुए मार्ग में स्वदेश के लिये यात्री तथा माल लादने की स्वतन्त्रता, (ङ) दो विदेशी राज्यों में माल की दुलाई की स्वतन्त्रता। इन पाँच स्वतन्त्रताओं को सम्मेलन में २० राष्ट्रों अमरीका ने बड़ी प्रबलता के साथ रखा, किन्तु अन्य देशों ने इनके समर्थन में विशेष

उत्साह प्रदर्शित नहीं किया। केवल पहली दो स्वतन्त्रताओं के पक्ष में ही बहुमत प्राप्त हो सका। अतः इस सम्मेलन को बाधित होकर दो प्रकार के समझौते करने पड़े— (क) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई सेवा पारगमन समझौता (The International Air Services Transit Agreement)—दसमें पहली दो स्वतन्त्रताएँ स्वीकार की गयी थी। (ख) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन समझौता (International Air Transport Agreement)—इसमें पाँचों स्वतन्त्रताएँ स्वीकार की गयी थी और यह समझौता करने वाले राज्य अन्य राज्यों के विमानों को अपने राज्य के अन्तरिक्ष यात्रायात के लिए रोक सकते थे। अधिकांश राज्यों ने पहले समझौते पर हस्ताक्षर किये, दूसरे पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों की संख्या सम्मेलन में सम्मिलित राज्यों के आधे से भी कम थी। इन दो समझौतों के अतिरिक्त इस सम्मेलन ने अन्तर्राष्ट्रीय सैनिक उड़ान पर एक समझौता (Convention on International Civil Aviation) किया। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सामान्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन था, विमानों के संचालन, इनके चालकों तथा यात्रियों की सुरक्षा, रक्षाध्य, चुर्गों आदि के नियमों का उल्लेख था। इसने एक अन्तर्राष्ट्रीय सैनिक हवाई यात्रा संघटन (International Civil Aviation Organization) की स्थापना की। इस संघटन ने १९४७ के बाद अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रायात के सम्बन्ध में अनेक उपयोगी समझौते सम्पन्न कराये हैं। जैसे १९४८ का Convention of the International Recognition of Rights in Aircraft, १९५२ का Convention on damage caused by third Foreign Aircraft to third Parties on the Surface

बाह्य अन्तरिक्ष की प्रभुता की नवीन समस्या—द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से आकाश के ऊँचे हिस्सों तथा बाह्य अन्तरिक्ष (Outer Space) में प्रादेशिक प्रभुता का प्रश्न था—२ तथा अन्तः महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्रों के प्राविष्कार ने और पृथिवी के चारों ओर घूमनेवाले कृत्रिम उपग्रहों तथा स्तूतनिकों के कारण बहुत जटिल हो गया है। स्टारक ने यह ठीक ही लिखा है कि इस क्षेत्र में हुए वैज्ञानिक विकास के कारण आकाश की प्रभुता के सिद्धान्तों का पुनर्निर्माण आवश्यक होगा।" १ मई, १९६० को अमरीका के एक यू-२ विमान ने स्वर्गी आकाश पर उड़ान करके उसकी प्रादेशिक प्रभुता का अतिव्यमल करते हुए इस प्रश्न को बड़े उग्र रूप में उपस्थित किया है। स० रा० अमरीका के राष्ट्रपति आइजनहावर ने नई परिस्थितियों में सब देशों के लिए 'खुले आकाश' (Open Skies) का प्रस्ताव रखा है, किन्तु रुस के तीव्र विरोध के कारण इसके अन्तर्राष्ट्रीय कानून के रूप में स्वीकृत होने की कोई आशा नहीं है। रुस ने १ मई, १९६० को अमरीका के यू-२ विमान को तथा १ जुलाई, १९६० को आर० बी०-५७ नामक निरीक्षण-विमान को अपने प्रदेश में मार गिराया है।

उपरोक्त घटनाओं के कारण यह तो निश्चित है कि अपने राज्य के प्रदेश पर विद्यमान आकाश में असीम ऊँचाई तक (Usque ad Caelum) पूर्ण प्रभुता का

पुराना अन्तर्राष्ट्रीय नियम खण्डित हो गया है। ५० से २३० मील तक ऊँचे तापक्षेत्र (Thermosphere) वाले आकाश में विभिन्न राज्यों ने वी-२ प्रक्षेपणास्त्र तथा रेडियो लहर भेजकर अन्य राज्यों की पूर्ण प्रभुता की सीमाओं का अतिक्रमण किया है। इससे ऊपर के आकाश में विभिन्न देशों के कृत्रिम उपग्रहों के भ्रमण के सम्बन्ध में १९५७-५८ में महाशक्तियों द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठायी गई। रूस के स्पूतनिक इस समय अमरीका के प्रादेशिक आकाश में घूम रहे हैं और अमरीका के उपग्रह रूसी आकाश का परिभ्रमण कर रहे हैं। १९५७ की निरासनीकरण याता में महाशक्तियों ने यह स्वीकार किया था कि बाह्य अन्तरिक्ष में उपग्रह छोड़ने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, वशतः कि उनके छोड़ने का उद्देश्य शान्तिपूर्ण और वैज्ञानिक अनुसंधान हो। किन्तु उपग्रहों का दुरुपयोग भी गंभव है, इनसे शान्ति भंग की संभावना हो सकती है। उस समय इनके सम्बन्ध में बनाये जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय नियम अधिकारों के दुरुपयोग के बारे में बनाये जाने वाले दीवानी सिद्धान्तों के आधार पर होंगे।

आजकल अन्तरिक्ष में मनुष्य-संचालित राकेट और विमान भेजने के तथा चाँद आदि तक पहुँचने के प्रयत्न हो रहे हैं। पहले सोवियत रूस ने राकेट में लाइका कुतिया तथा १० रा० अमरीका ने बन्दर भेजे, इनके बाद पुरुष और स्त्रियाँ भेजी जा रही हैं। क्या ये राकेट दूसरे देश के आकाश पर विद्यमान अन्तरिक्ष का आवेशन (Occupation) कर सकते हैं? अन्तरिक्षगामी राकेटों के मार्गों का नियन्त्रण क्या हवाई मार्गों के नियन्त्रण की भाँति सम्भव है?

स० रा० सघ तथा बाह्य अन्तरिक्ष (U. N. O. and Outer Space)—
१९५७ में बाह्य अन्तरिक्ष की समस्याओं पर स० रा० सघ तथा इसकी विभिन्न कमेटियाँ विचार कर रही हैं। इस विचार विमर्श में बाह्य अन्तरिक्ष के कानूनी दर्जे (Legal status) के सम्बन्ध में चार प्रकार के दृष्टिकोण रखे गये हैं—(१) पहले दृष्टिकोण के अनुसार बाह्य अन्तरिक्ष, चन्द्र तथा अन्य ग्रह अस्वामिक (Res nullius) प्रदेश हैं, राज्य इन पर आवेशन (Occupation) आदि उन्हीं साधनों से अधिकार कर सकते हैं, जिनमें वे भूमण्डल पर बिना स्वामी के प्रदेशों पर अधिकार करते हैं।^{३०} (२) दूसरा दृष्टिकोण यह है कि अन्तरिक्ष पर तथा आकाश के ग्रह-नक्षत्रों पर अधिकार करना असम्भन तथा अनुचित है। (३) तीसरा दृष्टिकोण यह है कि बाह्य अन्तरिक्ष तथा ग्रह नक्षत्र सब व्यक्तियों के शाश्वत उपयोग के लिये खुले रहने चाहियें। (४) चौथा दृष्टिकोण यह है कि बाह्य अन्तरिक्ष तथा आकाशीय पिण्डों पर कोई राज्य अपना वैयक्तिक स्वामित्व या नियन्त्रण नहीं स्थापित कर सकता। यह हवा और पानी की तरह सबके सामान्य उपयोग की वस्तु (Res omnium communis or res extra commercium) है। इस पर ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण स्थापित किया जाना चाहिये कि इन क्षेत्रों का दुरुपयोग न हो तथा इससे अन्य राज्यों को खतरा या

२७ इस सम्बन्ध में विस्तृत बर्णन के लिये देखिए—इंडियन जनरल आफ इन्टरनेशनल लॉ, जनवरी, १९६३, पृ० १ से ५१ तथा इसमें निर्दिष्ट साहित्य।

नुकरान न पहुँच सके। मार्च, १९५८ में स० रा० सभ की जनरल असेम्बली की पहली कमेटी में इस विषय पर विचार करते समय पेस् के प्रतिनिधि ने कहा था कि इसे सार्वजनिक उपयोग की वस्तु समझते हुए भी इस पर कृत्रिम प्रतिबन्ध लगाने चाहिये और इस विषय में सबसे बड़ा प्रतिबन्ध सैंटिन की इस कड़ावाय में है कि दूसरों के अधिकारों को हानि न पहुँचाओ (alterum non ledere)। इस वर्षों के सतत प्रयत्न से मध्य बाह्य अन्तरिक्ष के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण संधि हो गई है।

बाह्य अन्तरिक्ष संधि (Outer Space Treaty)—स० रा० सभ की जनरल असेम्बली ने १९ दिसम्बर १९६६ को बाह्य अन्तरिक्ष में चन्द्र एवं अन्य खगोलीय पिण्डों में अनुसंधान के सम्बन्ध में विभिन्न कार्य करने के सिद्धान्तों के द्वारे में एक संधि (Treaty on the Principles governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space including the moon and other celestial bodies) का प्रस्ताव पास किया। २७ जनवरी, १९६७ का सोवियत सभ, स० रा० अमरीका तथा इंग्लैण्ड ने तथा ३ मार्च, १९६७ को भारत ने हस्ताक्षर किये। राष्ट्रपति जानसन ने इसे १९६३ की अग्नि परीक्षण प्रतिबन्ध संधि के बाद सन्त्रों के नियन्त्रण के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण संधि कहा है। यह संधि ब्रिटिश विदेशमंत्री फ्राउन के शब्दों में कानून के शासन (Rule of law) के क्षेत्र को विस्तीर्ण करती है। स० रा० सभ में स० रा० अमरीका के प्रतिनिधि श्री गोलडबर्ग ने इस संधि पर हस्ताक्षर करते समय कहा था "कि इस पर मध्य सदस्य-राज्य गर्व कर सकते हैं। यह शान्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण पग है। यह संधि एक महान् ऐतिहासिक प्रगति को सूचित करती है, १९५९ में दक्षिण द्रुमिधियक संधि (Antarctic Treaty) हुई, १९६३ में अग्निपरीक्षण प्रतिबन्ध संधि (Test Ban Treaty) हुई और अब यह संधि हो रही है। हमें आशा है कि शान्ति का निर्माण करने वाले ऐसे सप्तकोटि बढ़ते चले जायेंगे।" यह संधि पिछले दस वर्षों में स० रा० सभ में बाह्य अन्तरिक्ष के शान्तिपूर्ण उपयोग के सम्बन्ध में पास किये गये अनेक प्रस्तावों तथा प्रयत्नों का परिणाम थी। इसकी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएँ निर्मातावित है^{१८}—

इसकी पहली व्यवस्था यह है कि चन्द्रमा तथा अन्य ग्रहों एवं उपग्रहों सहित बाह्य अन्तरिक्ष में खोज करने का तथा इनके उपयोग करने का अधिकार मध्य देशों को समान रूप से प्राप्त होगा। इसमें विभिन्न राष्ट्रों में कोई भेदभाव नहीं दिया जायगा। बाह्य अन्तरिक्ष में वैज्ञानिक अनुसंधान की स्वतन्त्रता सभी देशों को होनी चाहिये तथा मध्य राज्यों द्वारा ऐसे अनुसंधान में अन्तर्राष्ट्रीय महायाग की पूर्णता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये (बारा १)। दूसरी व्यवस्था यह है कि कोई भी देश बाह्य अन्तरिक्ष के किसी स्थान पर चन्द्रमा पर अथवा किसी अन्य यह पर अपने राष्ट्र के स्वामित्व अथवा प्रभुत्व का दावा इसके उपयोग करने के या इन पर

१८. इण्डियन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, पृ० ६१ तथा संधि के लिये देखिये पृ०

अधिकार (Occupation) करने के कारण के आधार पर नहीं कर सकता है (धारा २)। इसका यह अभिप्राय है कि यदि स० रा० अमरीका या रूस में से कोई देश चाँद या शुक्र ग्रह पर पहले पहुँच कर उस पर अपना झंडा गाड़ता है, उस पर अपना अधिकार स्थापित करता है और उसका उपयोग करता है, तो भी इसमें उसे यह अधिकार न होगा कि वह इसे अमरीका या रूस के राज्य का अंग बना सके, चाँद आदि पर कोई भी देश अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सकता, ये देश सभी देशों को अनुमन्धान और उपयोग के लिए समान रूप से मुक्त और उपलब्ध रहेंगे। तीसरी व्यवस्था यह है कि सभी देश बाह्य अन्तरिक्ष में अपने अनुसन्धान कार्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों के अनुसार—विशेषतः स० रा० संधि के चार्टर के अनुसार करेंगे तथा इन कार्यों का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखना तथा अन्तर्राष्ट्रीय सौहार्द और सहयोग को बढ़ाना होगा (धारा ३)। इसका यह अभिप्राय है कि अन्तरिक्ष में अनुसन्धान का उद्देश्य सैनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये, युद्ध एवं आक्रमण के लिये नहीं होना चाहिये। इसकी चौथी व्यवस्था बाह्य अन्तरिक्ष तथा ग्रहों का उपयोग शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये ही करना है। इसकी चौथी धारा में कहा गया है कि इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देश यह वचन देते हैं कि वे पृथिवी के चारों ओर की कक्षा (Orbit) में कोई ऐसा पदार्थ नहीं स्थापित करेंगे, जिसमें आणविक आयुध अथवा बहुत बड़ी जनता का विध्वंस करने वाले कोई हथियार लदे हुए हो, तथा वे चन्द्रमा या अन्य ग्रहों पर भी ऐसे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रखेंगे। सभी देश चन्द्रमा का तथा अन्य ग्रहों का उपयोग केवल शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिये ही करेंगे। वे इन पर कोई सैनिक अड्डे या किलेबन्दियाँ नहीं स्थापित करेंगे, इन पर अस्त्रों के बारे में कोई परीक्षण नहीं करेंगे तथा किसी प्रकार की सैनिक गतिविधियाँ या कार्य नहीं करेंगे (धारा ४)। पाँचवीं व्यवस्था यह है कि बाह्य अन्तरिक्ष में किसी देश के किसी कार्य से यदि किसी दूसरे देश को कोई हानि पहुँचेगी तो क्षति पहुँचाने वाला देश इस क्षति को पूरा करने के बारे में अपने अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व को पूर्ण करेगा। (धारा ७)। अन्तरिक्ष में अनुसन्धान के लिये अपने राकेट या यान भेजते समय सब देश इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि इन से दूसरे देशों को कोई हानि न पहुँचे, बाह्य अन्तरिक्ष का वातावरण विपाक्त या दूषित न हो। छठी व्यवस्था यह है कि बाह्य अन्तरिक्ष के अनुसन्धान में सब देश एक-दूसरे को समान रूप से सहायता देंगे, एक-दूसरे के हितों का स्थान रखेंगे। वे अपने अनुसन्धान के परिणामों की स० रा० संधि के महासचिव को सब नूचनाय देते रहेंगे और वे इनका प्रकाशन तत्काल एवं प्रभावशाली ढंग से करेंगे (धारा ११)।

अनेक आलोचकों ने इस संधि के कई बड़े दोषों का निर्देश किया है। पहला दोष यह है कि इसमें बाह्य अन्तरिक्षविषयक अनुसन्धानों के शान्तिपूर्ण उपयोग पर यत देते हुए भी इसकी चौथी धारा में जिन स्थानों पर सैनिक अड्डे स्थापित करने का निषेध किया गया है, वहाँ केवल 'चन्द्रमा तथा अन्य खगोलीय पिण्डों' (Moon and celestial bodies) का उल्लेख किया गया है। इसमें बाह्य अन्तरिक्ष (Outer

Space) को जानबूझ कर छोड़ दिया गया। इससे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि यहाँ ऐसे झड़्डे स्थापित किये जा सकते हैं। दूसरा दोष यह है कि इसमें कोई धारा ऐसी नहीं है, जो स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था करती हो कि बाह्य अन्तरिक्ष में सभी कार्य शान्तिपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किये जायेंगे, ऐसी व्यवस्था के अभाव में अन्तरिक्ष में विचरण करने वाले रोबोटों द्वारा जासूसी के तथा सैनिक गतिविधियों के कार्य किये जा सकते हैं। भारत एवं अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने इस संधि में ऐसी धारा जोड़ने पर बहुत बल दिया था। किन्तु सोवियत सभ और स० रा० अमरीका का यह कहना था कि बाह्य अन्तरिक्ष में सैनिक कार्यों को रोकने की इस संधि में व्यवस्था की जाए तो अन्तरिक्ष में विचरण करने वाले यानों के निरीक्षण और नियन्त्रण का प्रश्न उत्पन्न होगा, इसकी व्यवस्था किये बिना यह धारा बेकार होगी। इस समस्या पर १८ राष्ट्रों का निःशस्त्रीकरण सम्मेलन विचार कर रहा है। भारतीय प्रतिनिधि श्री कृष्णराव ने उस सभा में यह भी कहा था कि जब इस संधि में निरीक्षण की कोई व्यवस्था किये बिना बाह्य अन्तरिक्ष में भ्रमने वाले यानों पर आणविक अस्त्र रखने की पाबन्दी लगाई गई है तो उपर्युक्त धारा को भी निरीक्षण की व्यवस्था के बिना जोड़ा जा सकता है।" तीसरा दोष यह है कि इसमें कोई ऐसी धारा नहीं रखी गई जिससे यह व्यवस्था की जाती कि बाह्य अन्तरिक्ष में कोई ऐसा पंचार नहीं किया जाना चाहिये, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को एवं राज्यों के उत्तम पड़ोसी बने रहने के प्रीतिपूर्ण सम्बन्धों को कोई खतरा उत्पन्न हो। भविष्य में कृत्रिम उपग्रहों द्वारा टेलीविजन का कार्यक्रम प्रसारित होने के कारण इस प्रकार की सम्भावनाएँ बढ़ रही हैं। स० रा० सभ के महामन्त्री यू थापट ने इस संधि के दोषों को स्वीकार करते हुए कहा था—“मुझे यह देखकर खेद होता है कि अभी तक बाह्य अन्तरिक्ष में सैनिक कार्यवाहियों करने का द्वार बन्द नहीं हुआ है।” किन्तु उन दोषों के होते हुए भी यह संधि बाह्य अन्तरिक्ष में अन्तर्राष्ट्रीय कानून की प्रभुता का क्षेत्र विस्तार करके एक नवयुग का श्रीगणेश करने वाली तथा निःशस्त्रीकरण को बिना में एक महत्वपूर्ण पग उठानेवाली है।

परवत्ता (Servitudes) - जब किसी राज्य को अपने प्रदेश में पूर्ण प्रभुसत्ता रखते हुए भी इस प्रदेश में किसी अन्य राज्य के कुछ अधिकार स्वीकार करने पड़ते हैं तो इसे परवत्ता (Servitude) कहते हैं। आपेनहाइम ने इसका लक्षण करते हुए लिखा है—“राज्य की परवत्ता (State servitude) किसी राज्य की सर्वोच्च सत्ता पर सन्धि द्वारा कराये गये के अपवादपरम्परा (Exceptional) प्रतिबन्ध है, जिससे एक राज्य के समूचे या आंशिक प्रदेश को किसी दूसरे राज्य के विशेष उद्देश्य या स्वार्थ की पूर्ति या सेवा करने के लिये बाधित होना पड़ता है।” स्टार्क के मतानुसार ये सन्धि द्वारा

२६. इन्डियन नर्नल ऑफ़ इण्टरनेशनल ला, ९०

३०. आपेनहाइम—इण्टरनेशनल ला, खण्ड १, पृ० ५३६

राज्य की प्रादेशिक प्रभुसत्ता पर लगाए ऐसे असाधारण प्रतिबन्ध हैं, जिनसे इस राज्य के प्रदेश पर ऐसी शर्तें या पाबन्दियाँ लगाई जाती हैं, जो दूसरे राज्यों के हितों को पूरा करें।^१ इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण आल्सेस का हुनिञ्जगन (Huningen) नगर है, १८१५ की शान्ति की सन्धि द्वारा इस पर यह प्रतिबन्ध लगाया गया था कि समीपवर्ती स्विस कॅण्टन बेसल (Basle) के हितों को दृष्टि में रखते हुए इस नगर की कभी किलेबन्दी न की जाय। १८७१ में यह नगर जर्मनी के तथा १९१९ में पुनः फ्रांस के अधिकार में आया, किन्तु इसकी यह परवत्ता बनी रही। इसी प्रकार कोई राज्य अपने प्रदेश में दूसरे राज्य की सेनायें रखने के लिए बाधित हो सकता है।

परवत्ता का विषय (Object) सदैव किसी राज्य के प्रदेश का अंश, भूमि या प्रादेशिक समूह होता है। राज्य किसी प्रदेश के सम्बन्ध में परवत्ता द्वारा इस प्रकार बंध जाता है कि वह किसी अन्य राज्य को उस प्रदेश में किन्हीं कार्यों के करने—जैसे मछली पकड़ने, रेल बनाने, समुद्री तार बिछाने से रोक नहीं सकता। ये अधिकार वस्तुगत (In rem) होते हैं, चाहे किसी देश में कोई राज्य-परिवर्तन हो, वह किसी दूसरे देश का अंग बने, तो भी परवत्ता प्रदेश के साथ सम्बद्ध होने के कारण यथापूर्व बनी रहती है, जैसे उपर्युक्त उदाहरण में हुनिञ्जगन नगर की किलेबन्दी उठाने की परवत्ता जर्मन एव फ्रेंच दोनों शासनो में समान रूप से बनी रही।

परवत्ता के चार प्रकार हैं—(१) निश्चयात्मक (Affirmative)—जब किसी राज्य को दूसरे राज्य के प्रदेश में सन्धि द्वारा बहुत कार्य करने जैसे रेल बनाने, चुगीघर स्थापित करने, सेनायें गुजारने, कुछ किलो में फौजे रखने, बन्दरगाह का उपयोग करने के अधिकार मिलते हैं तो यह निश्चयात्मक परवत्ता होती है। (२) निषेधात्मक (Negative)—जब कोई राज्य किसी दूसरे राज्य को सन्धि द्वारा अपने प्रदेश में किलेबन्दी न करने, सेना न रखने आदि के निषेधात्मक कार्यों के लिये बाधित करता है तो यह निषेधात्मक परवत्ता होती है। (३) सैनिक (Military)—परवत्ता में एक राज्य दूसरे राज्य पर उसके प्रदेश में सेनायें रखने या न रखने, किलेबन्दी करने आदि पर सैनिक प्रतिबन्ध लगाता है। (४) आर्थिक (Economic)—परवत्ता का उद्देश्य एक राज्य के प्रदेश में दूसरे राज्य को व्यापारिक तथा अन्य इसी प्रकार के लाभ पहुँचाने के लिए दी गई सुविधायें हैं, जैसे विदेशी समुद्री में मछली पकड़ने का, नदियों में स्वतन्त्र नौचालन का, रेल बनाने का या टेलीग्राफ या समुद्री तार बिछाने का अधिकार। परवत्ता दो देशों के समझौते से उत्पन्न होती है और इसी प्रकार समझौते द्वारा इसका अन्त भी किया जा सकता है।

दीनानी कानून की परवत्ता के सिद्धान्त का अन्तर्राष्ट्रीय कानून में प्रवेश अत्यन्त आधुनिक है। इसे अब तक केवल दो मामलों में प्रमाणरूप में उपस्थित किया गया है—North Atlantic Coast Fisheries Arbitration (1910) तथा The Wimbledon (1924)। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयों ने इन दोनों मामलों में इस सिद्धान्त को

स्वीकार नहीं किया। पहले मागले में स० रा० अमरीका तथा ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी अटलांटिक सागर के कुछ प्रदेशों में मछली पकड़ने के अधिकार के सम्बन्ध में विवाद था। दोनों पक्षों की सहमति से यह मागला २७ जनवरी, १९०६ को हेग के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के पक्षों को सीपा गया। स० रा० अमरीका का यह दावा था कि न्यूफाउण्डलैण्ड के कुछ भागों में उसे मछली पकड़ने का अधिकार है, इस मछलीगाह के सब नियम उसकी, कनाडा की तथा ग्रेट ब्रिटेन की सहमति से बनने चाहिये, न कि केवल पिछले दोनों देशों की सहमति से। उसने अपने दावे का समर्थन परवत्ता के आधार पर किया। पक्षों का निर्णय था कि १८१८ तक ब्रिटिश अथवा अमरीकी राजनीतिज्ञों को परवत्ता के सिद्धान्त का कोई ज्ञान नहीं था, इसके आधार पर स० रा० अमरीका को मछली पकड़ने के अधिकारों की स्वतन्त्रता नहीं दी जा सकती थी। दूसरे मामलों की घटनाओं का कील नहर के प्रकरण में पहले (पृ० २२६) उल्लेख किया जा चुका है। इसमें भी परवत्ता के आधार पर कील नहर में विन्बलटन के प्रवेश को बंध सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया, किन्तु न्यायाधीश शूकिंग (Schucking) के अनिर्दिष्ट अन्य जजों ने इसे स्वीकार नहीं किया।

न्यायाधीश लोटररौस्ट ने लिखा है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून में परवत्ता के सिद्धान्त के प्रवेश से बड़ी आतियाँ उत्पन्न हुई हैं। स्टार्क ने इन्से अन्तर्राष्ट्रीय कानून के लिए निरर्थक समझा है—“इस प्रकार का सुभाव देने के अनेक कारण हैं कि यह सिद्धान्त वस्तुतः अतर्क्य नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून से इन्से अन्धी तरह निकाला जा सकता है। इस दृष्टिकोण की पुष्टि इस बात से होती है कि उपर्युक्त दोनों मामलों में परवत्ता के आधार पर किये गये दावों को (न्यायालयों द्वारा) अस्वीकार किया गया है।”^{१३}

दसवाँ अध्याय

प्रदेश प्राप्त करने और खोने के प्रकार (Modes of Acquiring and Losing Territories)

किमी राज्य द्वारा नया प्रदेश प्राप्त करने और उस पर प्रभुसत्ता स्थापित करने के पाँच प्रकार हैं—(१) आधिपत्य (Occupation), (२) विरकालिक भुक्ति या भोग (Prescription), (३) उपचय (Accretion), (४) हस्तान्तर (Cession), (५) विजय (Conquest)। ये वैयक्तिक सम्पत्ति प्राप्त करने के प्रकारों से गहरा सादृश्य रखते हैं। इसके अतिरिक्त एक छठा प्रकार पचनिसंय (Arbitration) और सानवाँ प्रकार महाशक्तिगो के शक्ति-सम्मेलन भी है। यहाँ क्रमशः इन सब का सक्षिप्त परिचय दिया जायगा।

(१) आधिपत्य (Occupation)—जब कोई राज्य किसी स्वामीहीन प्रदेश में आकर तथा प्रवेश करके उसपर अपना स्वामित्व स्थापित करता है तो इसे आधिपत्य कहा जाता है। त्रिपली के शब्दों में इसका अभिप्राय ऐसा प्रदेश प्राप्त करना है, जो किमी अन्य राज्य का भाग न हो।^१ यह प्रदेश पाने का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के जनक ग्रोशियस के शब्दों में यह प्रदेश प्राप्त करने का “एकमात्र स्वाभाविक और मौलिक प्रकार है।” इसका लक्षण स्टार्क के शब्दों में ऐसे प्रदेश पर प्रभुसत्ता (Sovereignty) स्थापित करना है, जिस पर किमी अन्य राज्य का अधिकार न हो, चाहे ऐसे प्रदेश का नतीन अन्वेषण हो या इस पर किसी राज्य ने अपना अधिकार छोड़ दिया हो।^२ इस समय अत्यन्त शीतल ध्रुवीय प्रदेशों को छोड़कर भूमण्डल के शेष सभी भूभागों और द्वीपों पर किसी न किसी राज्य की सत्ता स्थापित हो चुकी है, अतः भविष्य में आधिपत्य का कोई महत्त्व नहीं होगा। किन्तु १५वीं-१६वीं शताब्दियों में योरोपीयन जातियों द्वारा भूमण्डल के नये प्रदेशों के अन्वेषण के समय तथा १९वीं शताब्दी में अफ्रीका के बटवारे के समय इसका बहुत महत्त्व रहा है, और अब भी विभिन्न राज्यों में किसी प्रदेश के सम्बन्ध में विवाद होने पर अपने दावे के समर्थन में इस प्रकार को मुख्य आधार बनाया जाता है। इसकी बहुत-सी कानूनी बातें अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने Legal Status of Eastern Greenland के मामले में तय की थीं—

१. त्रिपली—दी लॉ आफ नेशन्स, पृ० १५१

२. स्टार्क—इण्टरनेशनल लू इट्रोडक्शन ऑफ, चतुर्थ संस्करण, पृ० १३५

इस विवाद का आरम्भ १६३१ में नार्वे द्वारा पूर्वी ग्रीनलैण्ड के कुछ हिस्सों में अपने आवेशन की घोषणा में हुआ। इस घोषणा के बाद डेन्मार्क ने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में यह प्रार्थना की कि नार्वे की इस घोषणा को अर्थात् घोषित किया जाय क्योंकि इस प्रदेश पर तथा इस सारे टापू पर डेन्मार्क की प्रभुसत्ता है। न्यायालय ने अपने निर्णय में यह बताया कि आवेशन द्वारा अधिकार पाने के दो प्रधान तत्व हैं—

(१) सर्वोच्च प्रभु के रूप में इस प्रदेश में शासन कार्य करने का इरादा या इच्छा, (२) सत्ता का वास्तविक प्रयोग। दूसरे शब्दों में किसी प्रदेश पर अपनी प्रभुसत्ता का अधिकार स्थापित करने के लिये यह आवश्यक है कि उसका आवेशन प्रभावशाली (Effective) हो। यह बस्ती बसाने में और किला बनाने में हो सकता है। इनसे यह ज्ञात होता है कि वह इस प्रदेश पर न केवल अधिकार जमाने की इच्छा रखता है अपितु वह इसका नियन्त्रण भी कर सकता है। न्यायालय उसके सम्मुख उपस्थित किये गये प्रमाणों से इस निश्चय पर पहुँचा कि १७२१ के बाद से डेन्मार्क के कार्यों से यह स्पष्ट था कि वह सारे ग्रीनलैण्ड को अपने अधिकार में रखना चाहता है। किन्तु नार्वे ने इस टापू के जिन हिस्सों पर दावा किया, वहाँ डेन्मार्क की बस्तियाँ नहीं थीं। अतः डेन्मार्क को आवेदन के दूसरे महत्वपूर्ण तत्व—सत्ता के वास्तविक प्रयोग के प्रमाण देने पड़े। उसका एक महत्वपूर्ण प्रमाण यह था कि १६३१ तक किसी अन्य राज्य ने उस प्रदेश पर प्रभुत्व का दावा नहीं किया था। इसके साथ ही उत्तरध्रुवीय और अत्यन्त दुर्गम प्रदेश होने से यहाँ निरन्तर सत्ता-प्रयोग के उदाहरण दिखाना सम्भव नहीं था। फिर भी डेन्मार्क ने समूचे ग्रीनलैण्ड पर लागू होने वाले अनेक कानूनों और प्रशासनात्मक कार्यों के उदाहरण दिये, अन्य देशों के साथ उसकी सन्धियों में ग्रीनलैण्ड का उल्लेख तथा प्राधुनिक काल में अनेक राज्यों द्वारा इस टापू पर उसके अधिकार की स्पष्ट मान्यता उसके प्रबल प्रमाण थे, अतः न्यायालय ने उसके पक्ष में निर्णय देते हुए कहा कि जब नार्वे ने इस प्रदेश पर अपना दावा किया तब यह स्वामीहीन भूमि (Terra nullius) नहीं था, अतः इस पर आवेशन द्वारा उसका स्वत्व स्थापित नहीं हो सकता।

आवेशन के प्रभावशाली होने की शर्त से यह स्पष्ट है कि किसी नये शासकहीन प्रदेश के अन्वेषण-साथ से किसी देश को उस पर प्रभुत्व नहीं मिल जाता। १५वीं-१६वीं शताब्दियों में इस सिद्धान्त का बोलबाला था। स्पेन वाले यह दावा करते थे कि १५१५ में एक स्पेनवादी अमेरिगो वेस्पुच्ची (Amerigo Vespucci) उत्तरी अमरीका के तट पर सबसे पहले उतरा था, अतः सारा उत्तरी अमरीका उनका है। इंग्लैण्ड वालों का दावा यह था कि एन ब्रिटिश नाविक जान कैबट १५५४ में वहाँ पहुँचा था, अतः यह प्रदेश उनका है। पुर्तगाल, फ्रांस तथा अन्य योरोपियन देश भी अन्वेषण के आधार पर भूमण्डल के विभिन्न भागों और द्वीपों पर अपना अधिकार करने की घोषणा करते थे। अब अन्तर्राष्ट्रीय कानून में किसी देश द्वारा किसी नये प्रदेश की खोज से उस पर उनका केवल असम्पूर्ण आगम या अधिकार (Inchoate Title) समझा जाता है, इसकी पूर्णता प्रभावशाली आवेशन (Effective occupation) से होती है। असम्पूर्ण

अधिकार का आन्वय यह है कि उमे इस प्रदेश से अन्य राज्यों को हटाने का अस्थायी अधिकार मिल जाता है। यह अधिकार उतने तर्कसंगत समय के लिये होता है, जो इस स्थान के आवेशन के लिये उपयुक्त हो। इस अवधि में वह अपनी इच्छानुसार उसका आवेशन कर सकता है, अन्य राज्य इस बीच में वहाँ उसके अधिकार का सम्मान करेंगे, किन्तु यदि वह इस अवधि में प्रभावशाली आवेशन नहीं करता तो उसका यह असम्पूर्ण अधिकार समाप्त हो जाता है। १६०६ ई० में Island of Palmas के मामले में हेग के पचायती न्यायालय के पंच मो० ह्यूबेर (Huber) ने इस प्रश्न की विस्तृत मीमांसा की थी।

पालमास का टापू फिलिप्पाइन द्वीपसमूह तथा पूर्वी द्वीपसमूह के मध्य में अवस्थित है। उस समय पूर्वी द्वीपसमूह पर डचों का अधिकार था। वे इस टापू पर भी अपना स्वत्व संग्रहने थे। दूसरी ओर स० रा० अमरीका ने फिलिप्पाइन द्वीपसमूह को स्पेन से १८९८ की सन्धि द्वारा प्राप्त किया था। यह टापू स्पेन द्वारा खोजा गया था। स्पेन का उत्तराधिकारी होने के नाते इस पर स० रा० अमरीका अपना अधिकार मानता था। मो० ह्यूबेर ने इस विषय में अपना निर्णय देते हुए कहा कि स्पेन ने इस टापू का पता लगाया है, किन्तु स्पेनवासी यहाँ आकर नहीं बसे, उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों के साथ कोई सम्पर्क नहीं स्थापित किये और टापू पर उन्होंने अपना प्रभुत्व नहीं जमाया। यदि यह मान लिया जाय कि १६वीं शताब्दी के अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी प्रदेश की खोज से उस पर स्वामित्व मिल जाता था तो यह असम्पूर्ण अधिकार (Inchoate Title) था, इस अधिकार को स्पेन ने तर्कसंगत (Reasonable) अवधि के भीतर इस टापू पर वास्तविक स्वामित्व स्थापित करके सम्पूर्ण या सुनिश्चित अधिकार (Definitive Title) नहीं बनाया। अतः स्पेन का इस पर कोई अधिकार नहीं है और स० रा० अमरीका द्वारा स्पेन का उत्तराधिकारी होने के नाते इस टापू पर निया गया दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। १६७७ से इस टापू में हालैण्ड ने "निरन्तर और शान्तिपूर्ण रीति से अपनी सत्ता का प्रदर्शन" (Continuous and peaceful display of authority) किया है, अतः इस पर डच प्रभुत्व स्वीकार किया जाना चाहिये।

१९५३ में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इंगलिश चैनल के कुछ बहुत छोटे टापुओं के स्वामित्व के सम्बन्ध में ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के विवाद का निर्णय करते हुए Minquiers and Ecrehos के मामले में उपर्युक्त सिद्धान्त का समर्थन किया तथा राजकीय कार्यों के वास्तविक प्रयोग (Actual exercise of State functions) पर बल दिया था। इन कार्यों का अभिप्राय स्थानीय-प्रशासन, स्थानीय क्षेत्राधिकार, इस पर लागू होने वाले कानूनों और नियमों का निर्माण है। किसी राज्य के द्वारा एक प्रदेश में इन कार्यों का निरन्तर किया जाना वहाँ उस राज्य की प्रभुसत्ता का प्रबल प्रमाण है। इस आधार पर इन टापुओं में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा उपर्युक्त राजकीय कार्यों के निरन्तर किये जाने से न्यायालय ने इन पर ग्रेट ब्रिटेन का दावा स्वीकार किया।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि किसी प्रदेश पर आवेशन द्वारा अधिकार स्थापित करने के लिये निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है —

(१) **अप्रवासित्व (Res nullius)** — यह प्रदेश अधिभार किये जाने के समय किसी अन्य राज्य के स्वामित्व में नहीं होना चाहिये, वस्तुतः इस सिद्धान्त का विकास ही बीवागी कानून के ताबारिसी माल पर अधिकार के विचार में हुआ है। पहले यह बताया जा चुका है कि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ग्रीनलैण्ड पर नार्वे के अधिकार के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि इस पर डेन्मार्क की प्रभुता पहले से ही विद्यमान है। आवेशन (Occupation) हड़पने या अनधिकृतपण (Usurpation) से भिन्न है। हड़पने में ऐसा कार्य करने वाला किसी प्रदेश में पहले से विद्यमान राजसत्ता को बल के प्रयोग द्वारा हटाकर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है, किन्तु आवेशन के लिये उस प्रदेश में राजसत्ता का सर्वथा अभाव आवश्यक है। अतः आवेशन केवल ऐसे प्रदेश का हो सकता है, जिसकी खाज अभी हुई हो या जहाँ किसी राजसत्ता या शासन का अभाव हो।

(२) **प्रभुता स्थापित करने की इच्छा और इरादा** — किसी प्रदेश के आवेशन के लिये यह आवश्यक है कि उस पर अधिकार करने की इच्छा और इरादा भी हो। यह यहाँ निरन्तर शान्तिपूर्ण रीति में वास्तविक सत्ता के प्रदर्शन द्वारा व्यक्त होता है। इसकी ऊपर पालमास तथा ग्रीनलैण्ड वाले मामलों में ध्यास्था की जा चुकी है। कई बार सत्ता का प्रदर्शन प्रदेश की परिस्थितियाँ को देखते हुए नहीं हो सकता। इस दशा में इस पर स्वामित्व का इरादा व्यक्त करना ही पर्याप्त समझा जाता है। फ्रांस और मैक्सिको के Chipperton Island विवाद में पच ने १९३१ में फँसवा देते हुए यही सिद्धान्त स्वीकार किया था। यह मैक्सिको के पश्चिमी तट में ९७० मील दूर एक उजाड़ टापू है। १८५८ में फ्रांस ने इसको अपने राज्य का अंग बनाते हुए हवाई द्वीप की सरकार को इसकी सूचना दी। उसने यह एक स्थानीय पत्र में प्रकाशित की। फ्रांस ने इस पर आधिपत्य स्थापित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया, इस बीच में मैक्सिको ने इसका प्रभावशाली आवेशन (Effective occupation) किया, किन्तु १९३१ में इसे पच ने इस आधार पर नहीं स्वीकार किया कि फ्रांस ने जब इस पर अधिकार किया था, उस समय यह अस्वामिक भूमि (Territorium nullius) थी, उसके बाद फ्रांस निरन्तर इस पर अपने स्वत्व की घोषणा करता रहा और इसे अपने अधिकार में करने का इरादा प्रकट करता रहा। (३) किसी नये प्रदेश का केवल अन्वेषण या रोज़ ऐसा करने वाले देश को इस पर अस्पष्ट अधिकार (Inchoate Title) ही प्रदान करता है। इसे पूर्ण बनाने के लिये इस पर सत्ता स्थापित करने के कार्य किये जाने चाहियें। भण्डा गाड़कर अपनी प्रभुसत्ता की घोषणा करना, बस्ती बसाना और प्रशासन के प्रबन्ध की व्यवस्था करना इस प्रकार के कार्य हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्रियों में इस प्रश्न पर कुछ मतभेद है कि किसी प्रदेश के आवेशन को वैध बनाने के लिये इसे आवेशित करने वाले राज्य द्वारा अन्य राज्यों को इसकी सूचना देना आवश्यक है या नहीं। हार्लैण्ड और पिट वाइलेट इसे आवश्यक

समझते हैं, किन्तु आपेनहाइम के मतानुसार यह अन्तर्राष्ट्रीय कानून का आवश्यक नियम नहीं है।

आवेशन के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इससे कितना बड़ा भूभाग इसे आवेक्षित करने वाले राज्य के प्रभुत्व में आता है। इस सम्बन्ध में दो प्रमुख सिद्धान्त हैं—(१) **सतित्व (Continuity)** का सिद्धान्त—इसके अनुसार किसी प्रदेश को आवेक्षित करने वाला राज्य अपनी प्रभुता का विस्तार इस प्रदेश के साथ लगे हुए भूभाग में उतने बड़े क्षेत्र तक करता है, जहाँ तक का प्रदेश उसकी सुरक्षा तथा निवास की भूमि के स्वाभाविक विकास के लिये आवश्यक हो। (२) **सम्पर्कितता (Contiguity)** का सिद्धान्त इसके अनुसार आवेक्षन करने वाला राज्य अपनी प्रभुता का विस्तार इस प्रदेश के साथ भौगोलिक दृष्टि से सम्पर्क करने वाले पड़ोसी प्रदेशों पर भी करता है। ये दोनों सिद्धान्त बड़े अस्पष्ट और व्यापक हैं, अभी तक इस विषय में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विशिष्ट नियम निर्धारित नहीं हुए।

किन्तु इन दोनों सिद्धान्तों ने उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों के जनशून्य हिमाच्छादित प्रदेशों के सम्बन्ध में खण्ड सिद्धान्त (Sector Principle) का महान् विवाद उत्पन्न किया है। हर्बर्ट यातायात, अणु-शक्ति द्वारा संचालित समुद्र के गर्म में बर्फ को काटते हुए ध्रुवीय प्रदेश के आर पार जाने वाली नाटिलस जैसी पनडुब्बियों तथा अत-महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्रों के कारण इन प्रदेशों की सामरिक महत्ता बढ़ गयी है और अनेक देश ध्रुवीय प्रदेशों के विभिन्न चशों पर खण्ड सिद्धान्त द्वारा अपनी प्रभुता का दावा कर रहे हैं। इसके अनुसार ध्रुवीय प्रदेशों के सीमावर्ती राज्य अपने देश की स्थानीय सीमा और तटीय रेखाओं से भूमण्डल पर उत्तरी या दक्षिणी ध्रुवों तक सीधी गई रेखाओं के भीतर आने वाले खण्डों पर चाहे वह समुद्र हो या भूमि, अपनी प्रभुता का दावा करने लगे हैं। सोवियत यूनियन, नार्वे, डेन्मार्क, कनाडा और स० रा० अमरीका ने उत्तरी ध्रुव के विभिन्न खण्डों पर अपने अधिकार का दावा किया है और दक्षिणी ध्रुव में ऐसा दावा करने वाले चिली, अर्जेंटीना और ग्रेट ब्रिटेन हैं। इन प्रदेशों की दुर्गमता और आवासशून्यता के कारण यहाँ आवेक्षन की उपर्युक्त शर्तें—बस्ती बसाना तथा प्रशासन की व्यवस्था करना पूरी नहीं हो सकतीं अतः अपने दावों का औचित्य सिद्ध करने के लिये इस सिद्धान्त का आविष्कार किया गया है। वस्तुतः ये दावे इन खण्डों में भविष्य में पूर्ण नियन्त्रण स्थापित करने के इरादों की सूचनाएँ मात्र हैं। यदि यहाँ खोज का सिद्धान्त माना जाता तो दक्षिणी ध्रुव पर पहले पहुँचने तथा अपना झण्डा गाड़ने वाले एमण्डसेन के देश नार्वे का प्रभुत्व मानना चाहिये था। नार्वे ने १९२४ में ऐसा दावा भी किया था, किन्तु स० रा० अमरीका ने इसे स्वीकार नहीं किया। खण्ड सिद्धान्त को अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय कानून में कोई मान्यता नहीं प्राप्त हुई।

दक्षिणी ध्रुव प्रदेश (Antarctica) के सम्बन्ध में १ दिसम्बर, १९५६ को बारह राज्यों—अर्जेंटीना, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैण्ड, नार्वे, दक्षिण अफ्रीका के साथ, सोवियत संघ, ग्रेट ब्रिटेन तथा स० रा० अमरीका ने ३० वर्ष तक चलने वाली सन्धि (Antarctica Treaty) पर हस्ताक्षर किये थे। इसके

अनुसार इन देशों ने यह निश्चय किया है कि (१) सब देशों को शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिये दक्षिणी ध्रुव के महाद्वीप का उपयोग करने का अधिकार होगा। (२) इस प्रदेश में सब देश अपने प्रादेशिक दावों और भूगडों को स्थगित (Freeze) कर देंगे। (३) दक्षिणी ध्रुव के प्रदेश में सब सैनिक कार्यवाहियाँ निषिद्ध होंगी। (४) ऐसी कार्यवाहियाँ रोकने के लिए एक पारस्परिक निरीक्षण पद्धति (Mutual Inspection System) को स्थापित किया जायगा। ५० लाख वर्गमील में न्यू होने वाली यह पहली अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण पद्धति है। इसमें कोई संदेह नहीं कि दक्षिणी ध्रुव की यह संधि (Antarctic Treaty) अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रभावधारण महत्त्व रखती है और इसने इस क्षेत्र में विभिन्न राज्यों के दावों को तथा भूगडों को कुछ समय के लिये शान्त कर दिया है।

चाँद पर अधिकार (Occupation of Moon)—क्या कोई राष्ट्र चाँद पर, मंगल पर तथा अन्य ग्रहों पर अपना अधिकार स्थापित कर सकता है? १९६१ में राकेटों द्वारा मनुष्य को बाह्य अन्तरिक्ष में भेजे जाने के सफल प्रयत्नों से हम अज्ञ की प्रभावधारण महत्त्व प्राप्त हो गया है। राकेटों की वर्तमान वैज्ञानिक उन्नति को देखते हुए यह असम्भव नहीं प्रतीत होता कि अगले कुछ वर्षों में रूस या अमरीका का कोई अन्तरिक्ष-यात्री चाँद पर पहुँचकर वहाँ अपना झण्डा गाड़ दे। क्या इससे आवेशन द्वारा रूस या अमरीका का स्वामित्व चाँद पर स्थापित हो जायगा।

पहले यह बताया जा चुका है कि आवेशन (Occupation) द्वारा किसी प्रदेश पर अधिपत्य के लिये दो शर्तें आवश्यक हैं। पहली शर्त इसका अस्वामिक (Res nullius) अथवा कोई मालिक न होना है, तथा दूसरी शर्त इस पर किसी प्रकार का वास्तविक शासन स्थापित करना है। आपेनहाइम के शब्दों में प्रभावशाली आवेशन (Effective Occupation) के लिये स्वामित्व (Possession) और प्रशासन (Administration) आवश्यक है। स्वामित्व का यह अर्थ है कि किसी राज्य द्वारा अब किसी के स्वामित्व में न विद्यमान प्रदेश पर प्रभुसत्ता पाने के उद्देश्य से इसे अपने अधिकार में लाना। प्रशासन का तात्पर्य वहाँ अपना किसी प्रकार का शासन-प्रबन्ध स्थापित करना है। आवेशन के लिये दोनों शर्तों का पूरा होना आवश्यक है।

चाँद के आवेशन के सम्बन्ध में पहली शर्त कुछ अंशों में पूरी हो सकती है।

३. अन्तरिक्ष में राकेट द्वारा मनुष्यों को भेजकर वहाँ के सम्बन्ध में वैज्ञानिक तथ्य और सूचनाएँ एकत्र करने में इस समय रूस और अमरीका में हो रही है। रूस को इन बातों का श्रेय है कि उसने बाह्य अन्तरिक्ष में पहला पुरुष और पहली स्त्री भेजी है। उसके अन्तरिक्ष-यात्री कार्यक्रम से ये हैं—मेजर गागारिन (१२ अप्रैल, १९६१), मेजर तीतोव (७ अगस्त, १९६१), मेजर निकोलेयेव (११ अगस्त, १९६२), श्री पोपोविच (१२ अगस्त, १९६२), वेलारी वायकोवस्की तथा वेलोन्नीना तेरिश्कोवा (१४ जून तथा १६ जून, १९६३), रूस के पाँचवे-छठे युगल अन्तरिक्ष-यात्री थे। वायकोवस्की ने २२ बार तथा २६ वर्षीय युवती तेरिश्कोवा ने ४६ बार पृथ्वी की परिभ्रमा की। सं० १० अमरीका के पहले चार अन्तरिक्ष-यात्री थे—श्री शेपर्ड (५ मई, १९६१), मैटैन मिन्गेम (२१ जुलाई, १९६१), श्री स्मैल (२ फरवरी, १९६०), मेजर डूपर (१५ तथा १६ मई, १९६२)।

रूस या अमरीका का कोई अन्तरिक्ष-यात्री यहाँ सर्वप्रथम पहले पहुँचकर अपना झण्डा गाड़ सकता है। किन्तु पहले पालमास टापू के मामले में यह बताया जा चुका है कि किसी प्रदेश की खोज मात्र से उसपर केवल असम्पूर्ण अधिकार (Inchoate Title) मिलता है। यह वास्तविक नियन्त्रण या शासन स्थापित करने की दूसरी शर्त पूरी होने पर ही पूर्ण स्वामित्व तथा सुनिश्चित अधिकार (Definitive Title) बन सकता है। पृथ्वी से चन्द्रमा की दूरी तथा वर्तमान वैज्ञानिक उन्नति को देखते हुए यह समभव नहीं प्रतीत होता कि निकट भविष्य में चाँद पर पृथ्वी ने वास्तविक प्रशासन और नियन्त्रण स्थापित किया जा सकेगा। इसके अभाव में चाँद पर किसी राज्य का अधिकार माना जाना समभव नहीं है।

(२) चिरकालिक भुक्ति (Prescription)—जब कोई राज्य चिरकाल तक ऐसे प्रदेश में अपनी वास्तविक प्रभुसत्ता बनाये रखता है, जहाँ वस्तुतः कानूनी तौर से किसी दूसरे राज्य की प्रभुसत्ता है, तो यहाँ पहले राज्य की सत्ता मानी जाने लगती है। यही चिरकालिक भुक्ति है। आपनहाइम ने इसका लक्षण इस प्रकार किया है—“यह किसी प्रदेश पर इतने अधिक समय तक निरन्तर तथा अनिर्विघ्न (Undisturbed) रूप में प्रभुसत्ता के प्रयोग द्वारा उस प्रदेश पर प्रभुसत्ता पाया है, जो इस ऐतिहासिक विकास के परिणामस्वरूप यह विश्वास उत्पन्न कर सके कि वर्तमान स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुकूल है।” स्टार्क ने इसकी बहुत सरल परिभाषा करते हुए लिखा है—“चिरकालिक भुक्ति से उत्पन्न होने वाला अधिकार किसी अन्य राज्य की प्रभुसत्ता वाले प्रदेश पर बहुत लम्बे समय तक तथानुसार (De facto) प्रभुता बनाये रखने का परिणाम होता है।” इसका आवेशन से महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि वह अस्वामिक प्रदेश (Res nullius) पर होता है और सत्ति वाले प्रदेश पर दूसरे का स्वामित्व होता है।

यह वस्तुतः दीवानी कानून की विपरीत भुक्ति (Adverse possession) का अन्तर्राष्ट्रीय रूपान्तर है और बहुत लम्बे समय के भोग के बाद प्राप्त होता है। दीवानी कानून में इस काल की अवधि निश्चित है, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय कानून में इसे सुस्पष्ट रूप में निर्धारित नहीं किया गया। ग्रोशियस (Grotius) ने मतानुसार ऐसा अनिर्विघ्न अधिकार स्मरणशीलकाल से होता चाहिये। वेटल ने इसे ‘बर्षों की काफी बड़ी संख्या’ (Considerable number of years) बताया था। १६७१ की वाशिगटन की संधि में यह अवधि २० वर्ष तय की गई थी। ब्रिटिश गायना के पञ्चविंशत्य (१८६६) में यह अवधि २० वर्ष मानी गई थी।

पुराने अन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्री ग्रोशियस और वेटल इसे बहुत अधिक महत्त्व देते थे, किन्तु रिवियर (River) तथा डामोटेन्स (Dampotens) जैसे विधिवेत्ता अन्तर्राष्ट्रीय कानून में इसकी कोई सत्ता स्वीकार नहीं करते। त्रियर्ती ने इस परस्पर-विरोधी परिस्थिति का विश्लेषण करते हुए कहा है—“एक ग्रंथ में अन्तर्राष्ट्रीय कानून

४. आपनहाइम—इटरनेशनल लॉ, खंड १, पृ० ५७३

५. स्टार्क—एन इन्वैज्शन टू इटरनेशनल लॉ, चतुर्थ संस्करण, पृ० १४०

चिरकालिक भुक्ति को स्वीकार नहीं करता, यह भुक्ति के पीछे विद्यमान सिद्धान्त को तो मानता है किन्तु इस सिद्धान्त के अभी वैसे विशद नियम नहीं बने, जैसे अन्य कानूनी पद्धतियों में पाये जाते हैं। इस दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय कानून में इसकी महत्ता नगण्य-सी प्रतीत होती है।

(३) उपनय या अभिवृद्धि (Accretion)—स्टार्क के शब्दों में उपचय का अधिकार तब उत्पन्न होता है, जब किसी राज्य की प्रभुमत्ता में विद्यमान प्रदेश में प्राकृतिक कारणों से नये प्रदेश की वृद्धि होनी है और वह नया प्रदेश इसमें सम्मिलित होता है। इसमें किसी औपचारिक (Formal) कार्यवाही या घोषणा की आवश्यकता नहीं होती। वह वृद्धि शनै-शनै अथवा सहसा दोनों प्रकार से होसकती है। योजियम ने इस विषय में नदियों की भूमिपतित वाले रोमन कानून के सिद्धान्त ही लागू किये थे। इसका मुख्य सिद्धान्त है—*accessio cedat principali* अर्थात् बड़ी हुई वस्तु प्रधान वस्तु का अनुसरण करती है।

यह वृद्धि निम्न रूपों में होनी है—नदियों द्वारा लाई मिट्टी में शनै शनै बनी हुई भूमि या आवृद्धि (Alluvion), समुद्र द्वारा इन प्रकार बढ़ाई हुई भूमि, डेल्टा, नदी के मध्य में बनने वाले टापू। इन सब अवस्थाओं में वृद्धि मुख्य भूमि के स्वामी की समझी जाती है। यदि किसी राज्य के प्रादेशिक समुद्र में नये टापू बन जाये तो इसका परिणाम यह होता है कि प्रादेशिक समुद्र की सीमा को इन टापुओं के अन्तिम छोर से नापा जाता है राज्य का समुद्री क्षेत्राधिकार पहले की अपेक्षा अधिक विस्तृत हो जाता है। *Anno* नामक स्पेनिश जहाज के मामले में ब्रिटिश नौसैनिक न्यायालय ने इसी सिद्धान्त को लागू किया था। १८०५ में ग्रेट ब्रिटेन और स्पेन के युद्ध में एक ब्रिटिश जहाज ने उक्त स्पेनिश जहाज को मिरागिपी नदी के मुहाने के पास पकड़ा। इगमें यह प्रश्न उठाया गया कि यह कार्य स० रा० अमरीका के प्रादेशिक समुद्र में हुआ था या नहीं। यदि समुद्र के तट पर बने बालिसे (Balise) के किले में नापा जाता तो यह घटना तीन मील के प्रादेशिक समुद्र की सीमा के भीतर हुई थी, किन्तु यदि "मुख्य भूमि की द्योढी का काम देने वाले, मिट्टी के बने टापुओं से नापा जाता तो यह घटना तीन मील की प्रादेशिक सीमा से बाहर हुई थी।" न्यायालय ने उपचय में बने इन टापुओं को मुख्य भूमि का भाग मानने हुए इन कार्य को स० रा० अमरीका की प्रादेशिक सीमा से बाहर माना।

(४) हस्तान्तर (Cession)—त्रियताँ के शब्दों में यह एक राज्य द्वारा किसी प्रदेश पर विद्यमान अपना अधिकार दूसरे राज्य को प्रदान करना है।^१ इससे प्रादेशिक प्रभुता एक राज्य के हाथ से निकलकर दूसरे राज्य के हाथ में चली जाती है। यह इस सिद्धान्त पर आधारित है कि किसी राज्य की प्रभुमत्ता की यह मौलिक विशेषता है कि राज्य को अपने प्रदेश के हस्तान्तर का पूरा अधिकार है।

किसी प्रदेश का हस्तान्तर ऐच्छिक (Voluntary) और अनैच्छिक दोनों प्रकार

का हो सकता है। ऐच्छिक हस्तान्तर विनी, विनिमय और दान द्वारा होता है। इसके उदाहरण १८६७ में रूस द्वारा अनास्का का प्रदेश स० रा० अमरीका को बेचना था, १८६० में ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी द्वारा हेलिगोलैंड और जन्जीबार का विनिमय हुआ था। विषय द्वारा स० रा० अमरीकाने १८०० में लुइसियाना, १८१६ में फ्लोरिडा और १८५३ में गैडमडन प्राप्त किए। १६१६ में डेन्मार्क ने अमरीका को डेनिश वेस्टइंडीज बेचा था। विनिमय का एक प्रसिद्ध उदाहरण १८७८ में रूमानिया द्वारा डेन्यूब के उत्तर में बेसारबिया का प्रदेश रूस को दे कर इसके बदले में रूस से डेन्यूब के दक्षिण में डोब्रुजा का प्रदेश लेना था। एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य को स्वतन्त्र उपहार के रूप में प्रदेश भेंट करने के भी कुछ उदाहरण हैं। १८५० में ग्रेट ब्रिटेन ने ईरी (Eric) भील की हार्म शो रीफ (Horse shoe Reef) को इसलिये स० रा० अमरीका को भेंट किया कि वह इस पर दोनों देशों के नौसंचालन को सुविधाजनक बनाने के लिये प्रकाश-स्तम्भ का निर्माण करे। आस्ट्रिया ने १८५६ में लम्बार्डी का तथा १८६६ में वेनिस का प्रदेश फ्रांस को इसलिये दे दिया कि उसे यह मारडीनिया को न देना पड़े। १८७८ की बर्लिन की सन्धि द्वारा बोस्निया तथा हर्जोगोविना प्रशासन के लिये आस्ट्रिया को प्रदान किये गये थे। अनैच्छिक (Involuntary) हस्तान्तर युद्ध में हारने वाले राज्य को विजेता के प्रति करता पड़ता है। १८७० के फ्रांस-जर्मन युद्ध में फ्रांस को हारने पर अपने आल्प्स-लोरेन के प्रदेश जर्मनी को देने पड़े थे।

हस्तान्तर में यह आवश्यक है कि हस्तान्तरित प्रदेश पर पूर्ण स्वामित्व स्थापित किया जाय। किन्तु वास्तविक स्वामित्व की स्थापना से पहले हस्तान्तर की सन्धि द्वारा इसकी संपुष्टि अवश्य होनी चाहिये। आपेनहाइम के मतानुसार इस सन्धि के बाद ही वास्तविक हस्तान्तर होना चाहिये। किन्तु युद्ध द्वारा जीते प्रदेशों के हस्तान्तर के सम्बन्ध में यह बात लागू नहीं हो सकती, वे पहले ही विजेता राष्ट्र के अधिकार में होते हैं।

प्रदेशों के हस्तान्तर से कई बार इनमें रहने वालों की नये राज्य की प्रभुता में जाना बड़ा कष्टदायक प्रतीत होता है, अतः १९वीं शती की अनेक हस्तान्तर सन्धियों में व्यक्तियों को अपनी पुरानी नागरिकता बनाये रखने की स्वतन्त्रता प्रदान की जाती थी। १० मई, १८७१ की फ्रेंचपोर्ट की सन्धि में फ्रांस के आल्प्स-लोरेन प्रदेश जर्मनी को देते हुए यह शर्त रखी गई थी कि उन प्रदेशों में रहने वाले जो व्यक्ति अपनी फ्रेंच नागरिकता बनाये रखना चाहते हों, वे १ अक्टूबर, १८७२ तक फ्रांस में जाकर बस सकते हैं, और इस बीच में उन्हें इन प्रदेशों में विद्यमान अपनी स्वातंत्र संपत्ति बेच देनी चाहिये। ४ अगस्त, १६१६ को डेनिश वेस्टइंडीज की हस्तान्तर की सन्धि में इस प्रदेश के निवासियों के लिये डेन्मार्क की नागरिकता बनाये रखने के सम्बन्ध में बड़ी उदार व्यवस्थाएँ की गई थी।

कई बार हस्तान्तर के समय निवासियों का जनमत सग्रह (Plebiscite) भी किया जाता है। १९वीं शती में यह विधि बड़ी लोकप्रिय थी। १८५८ में मारडीनिया ने लम्बार्डी, वेनेशिया तथा इटालियन डचियों को अपने राज्य में मिलाने से पूर्व इनमें

जनमन-संग्रह लिये थे। १८६० में फ्रांस ने मेवाय और नीस को अपने राज्य में सम्मिलित करने से पूर्व जनमत लिया था। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद अपर गाइनीशिया में भीमा सम्बन्धी विवाद का समाधान जनमन-संग्रह द्वारा किया गया, मार का प्रदेश भी जर्मनी को इसी आधार पर लीग में १९३५ में प्राप्त हुआ था। भारत न पहले काश्मीर के लिये जनमन-संग्रह का प्रस्ताव रखा था, किन्तु बाद में परिस्थितियों के बदल जाने के कारण यह अब इसे मान्य नहीं समझता, यद्यपि पाकिस्तान अब भी जनमन-संग्रह द्वारा ही काश्मीर का भाग्य-निर्णय करना चाहता है।

(६) विजय (Conquest)—युद्ध में सैनिक शक्ति द्वारा शत्रु को पराजित कर उसका प्रदेश अपनी प्रभुता में ले लेना विजय कहलाता है। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पूर्वी घीनलैण्ड के मामले में इसके सम्बन्ध में कहा था—“विजय तभी प्रभुसत्ता की हानि का कारण बनती है, जब दो राज्यों में युद्ध हो और इनमें से एक के पराजित होने पर उसके पास विद्यमान प्रदेश की प्रभुसत्ता विजेता राज्य को प्राप्त हो जाय।” आपेन-हाइम के मतानुसार विजय द्वारा किसी प्रदेश पर अधिकार करने के लिये उसके स्वामी को सैनिक दृष्टि में हराना ही पर्याप्त नहीं है, हराने के बाद विजेता द्वारा इस प्रदेश को अपने राज्य का अंग बनाने अथवा अंगीकरण (Annexation) की घोषणा होनी चाहिये। प्रायः सम्बद्ध राज्यों को एक नोट भेजकर अंगीकरण की इच्छा या इरादा अभिव्यक्त किया जाता है। यदि ऐसा इरादा न व्यक्त किया जाय तो विजेता को विजित प्रदेश पर प्रभुता प्राप्त नहीं होती। प्रदेश के अंगीकरण के बाद शत्रु-राज्य का अन्त और युद्ध की समाप्ति हो जाती है। इस प्रकार में होने वाली युद्ध की समाप्ति वशीकरण (Subjugation) कहलाता है। अतः विजय द्वारा नहीं, किन्तु वशीकरण द्वारा शत्रु का प्रदेश विजेता को प्राप्त होना है। शत्रु के जीते हुए प्रदेश पर भले ही विजेता की वास्तविक मना हो, किन्तु इसके अंगीकरण से पहले तक इस पर शत्रु की प्रभुसत्ता (Sovereignty) बनी रहती है, अंगीकरण के बाद विजेता को यह प्रभुता मिलती है। इस प्रकार अंगीकरण (Annexation) विजय को वशीकरण (Subjugation) में परिवर्तित करता है।

स्टार्क ने अंगीकरण (Annexation) के दो प्रकार बताये हैं—(क) युद्ध में शत्रु को पराभूत करके उसका प्रदेश अपने राज्य में मिलाना, जैसे १९३६ में इटली ने एथीसीनिया को जीतकर उसे अपने राज्य का अंग बनाया। (ख) कई बार यह अंगीकरण ऐसे देशों का भी होता है, जो अंगीकृत (Annexed) किये जाने के समय अंगीकर्ता (Annexing) राज्य की पूरी अधीनता (Subordination) में थे। उदाहरणार्थ, जापान ने १९१० में कोरिया का अंगीकरण किया, किन्तु यह इससे पहले ही इसकी अधीनता में था।

यदि विजेता राज्य शत्रु के विजित प्रदेश को अपने राज्य में न मिलाने की इच्छा की घोषणा करे तो विजेता को विजित पर कोई प्रभुसत्ता नहीं मिलती। द्वितीय विश्व-युद्ध में जर्मनी यद्यपि मित्रराष्ट्रों द्वारा पूरी तरह जीत लिया गया था, किन्तु फिर भी इस पर उनकी प्रभुता स्थापित नहीं हुई क्योंकि वे यह घोषणा कर चुके थे कि जर्मन

सरकार द्वारा बिना शर्त आत्मसमर्पण करने पर वे उसका कोई प्रदेश अपने राज्यो मे सम्मिलित नही करेंगे ।

विजय और हस्तान्तर (Cession) मे मूकम अन्तर है । जब किसी शत्रु-राज्य को जीतकर उसका प्रदेश अग्रीकरण (Annexation) द्वारा प्राप्त किया जाता है तो यह विजय होनी है । हस्तान्तर मे शत्रु को परास्ता करने के बाद शान्ति संधि द्वारा उसका प्रदेश हस्तगत किया जाता है । विजय आवेशन (Occupation) से इस अंश मे भिन्न है कि आवेशन मे अस्वामिक (Res nullius) प्रदेश पर प्रभुता स्थापित की जाती है और विजय मे एक प्रदेश पर शत्रु की विद्यमान प्रभुता को सैनिक बल द्वारा हटाकर अपनी प्रभुता स्थापित की जाती है ।

विजय द्वारा प्रदेशप्राप्ति की वैधता के सम्बन्ध मे अन्तर्राष्ट्रीय कानून के कुछ विशेषज्ञो ने इस दृष्टिकोण का भी पतिपादन किया है कि राष्ट्रसंध के निर्माण ने १६२८ के केलाग-श्रीया पैक्ट मे स० रा० मघ के चार्टर ने युद्ध को अवैध घोषित किया है, इनके समझौते तथा चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले देशो ने यह घोषणा की है कि वे युद्ध एवं बलप्रयोग के उपाय को निन्दनीय समझते है । ऐसी घोषणा करने के बाद इन राज्यो को यह अधिकार नही रह जाता है कि वे विजय को प्रदेशप्राप्ति का वैध उपाय मानें । लौटरेपैक्ट (Lauterpacht) ने इस विषय मे सत्य ही लिखा है—
 "उपर्युक्त समझौते जिस हद तक युद्ध का निर्षेध करने वाले है, उम हद तक वे उस राज्य की विजय को अवैध बना देते है, जिस राज्य ने स्वयमेव स्वीकार किये गये अपने दायित्वा के सर्वेगा प्रतिनूल युद्ध का सहारा लिया है । कोई भी अवैध कार्य सामान्यत कानून तोटने वाले राज्य के लिये हितकर परिणाम नही उत्पन्न कर सकता है ।" इस विषय मे न्यायशास्त्र के एक सुप्रसिद्ध नियम Ex injuria jus non oritur को लागू किया जाता है, इसका यह अभिप्राय है कि कोई अवैध कार्य ऐसा करने वाले व्यक्ति के किसी कानूनी अधिकार का स्रोत या मूल नही बन सकता है । युद्ध यदि अवैध कार्य है तो वह किसी राज्य को इस मायने के द्वारा किसी प्रदेश पर अपना कानूनी अधिकार स्थापित करने मे सहायक नही हो सकता है । जेन्निंग्स (Jennings) ने इसका समर्थन करते हुए लिखा है कि इस विषय मे यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि क्या (युद्ध के) एक महत्व अन्तर्राष्ट्रीय अपराध को किसी प्रदेश पर अधिकार प्राप्त करने के लिये इस कारण के आधार पर न्यायोचित समझा जा सकता है कि इस अपराध को करने मे सफलता मिली है ।^७ यदि युद्ध एवं विजय को प्रदेशप्राप्ति का न्यायोचित आधार माना जाय तो मुगोलिनो द्वारा एबीसीनिया की विजय को न्यायपूर्ण मानना पडेगा । किन्तु इस विषय मे केलसन (Kelsen) ने परम्परागत पुराने पक्ष का समर्थन करते हुए कहा है^८ एक राज्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना करने वाले व्यवहार द्वारा न केवल किसी

७. आर्पेनहाइम—इण्टरनेशनल लॉ प्रथम खण्ड, पन्ड संस्करण, पृ० ५१५

८. जेनिंग्स—दी एक्टिविजेशन आफ टेरिटरी इन इण्टरनेशनल लॉ, १९६३, पृ० ५५

९. केलसन—प्रिन्सिपल्स आफ इण्टरनेशनल लॉ, १९५६, पृ० २१५

प्रदेश को प्राप्त कर सकता है अपितु इसे अपने अधिकार में बनाये रख सकता है। ऐसा प्रदेश कानूनी तौर से उसी राज्य का समझा जाता है जो अर्द्ध कार्य में भी इस पर प्रभावशाली स्वामित्व स्थापित करना है। यह वस्तुतः प्रभावशालिता (Effectiveness) के सिद्धान्त का प्रयोग कर के ही किया जाता है।

(६) सम्मेलन का निर्णय (Award)—स्टार्क उपर्युक्त पाँच प्रकारों के अतिरिक्त एक नया प्रकार विभिन्न राज्यों के सम्मेलन का निर्णय भी बताता है। प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद वेरसिस में सिव्रगाट्टो का शान्ति-सम्मेलन हुआ था, इसमें वर्साय की संधि (Treaty of Versailles), गार्मनी की संधि (Treaty of St Germain) तथा नयी की संधि (Treaty of Neuilly) द्वारा विभिन्न प्रदेशों की प्रमुखता अन्य देशों को प्रदान की थी।*

(७) पट्टा (Lease)—यह भी प्रदेश पाने का एक प्रकार है। चीन ने १८६८ में कियाओ ची जर्गनी को, वेई-हार्ड-बेई ग्रेट ब्रिटेन को, क्वांग चीनान फ्रांस को तथा २५ वर्ष के लिये पोर्ट आर्थर रूस को पट्टे पर प्रदान किया। १९०३ में पानामा के गणराज्य ने पानामा नहर-क्षेत्र स० रा० अगरीका को स्थायी पट्टे पर दिया। द्वितीय विश्वयुद्ध में २७ मार्च, १९४१ को ग्रेट ब्रिटेन ने ९९ वर्ष के पट्टे पर कैरिबियन समुद्र के तथा समीपवर्ती अन्य समुद्रों के अनेक नौसैनिक धोर हवाई अड्डे स० रा० अमरीका को प्रदान किये।

प्रदेश खोने के प्रकार (Modes of losing territory)—ये प्रदेश प्राप्त करने की विधियों से सादृश्य रखते हैं। इनके मुख्य प्रकार त्याग (Dereliction), चिरकालिक मुक्ति (Prescription), प्राकृतिक कार्य (Operations of Nature) हस्तांतर, विजय और विद्रोह (Revolt) हैं। त्याग भावेदान में तथा प्राकृतिक कार्य उपचय से मिलते हैं। त्याग का अभिप्राय यह है कि किसी प्रदेश के स्वामी ने उसमें अपनी प्रभुता या सत्ता का प्रयोग करना छोड़ दिया है। यदि पुराना राज्य इसमें धामन करने की इच्छा रखता है तो यह त्याग (Dereliction) नहीं समझा जायगा। अतः इसके लिए प्रदेश खो देने के साथ इस पर प्रभुता रखने की इच्छा छोड़ना भी आवश्यक है। सेंट लूसिया टापू तथा डेलागोस्रा खाड़ी इसके उदाहरण हैं।

प्राकृतिक कार्य (Operations of Nature) का अभिप्राय ज्वालामुखी पर्वतों के उत्क्षेप से प्रदेश की ह्रासि, समुद्र में टापुओं का नष्ट होना सीमावर्ती नदी की धारा में सहसा परिवर्तन होना है। यदि समुद्री तट के टापू लुप्त हो जाते हैं तो टापुओं के सिरे से नापी जाने वाली प्रादेशिक समुद्र की सीमा समुद्री तट में नापी जाती है और इस प्रकार उसमें ह्रास आ जाता है। गीमावर्ती नदी के बहाव में परिवर्तन आने से किसी राज्य का बहुत-सा प्रदेश कटाव के कारण घट जाता है। मातृभूमि के विरुद्ध सफल विद्रोह (Revolt) द्वारा कोई प्रदेश खतन्व हो सकता है और इस प्रकार मातृभूमि

*१०. इनके विस्तृत विवरण के लिये देखिये—इरिच वेदाहकार द्वारा लिखित 'अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध', पहला अध्याय।

का प्रदेग घट जाता है। इस प्रकार के विद्रोहों के कुल उदाहरण ये हैं—१६वीं शताब्दी में १५७६ ई० में हालैंड द्वारा स्पेन के विरुद्ध तथा १८वीं शताब्दी में १७७५ ई० में अमरीका के १३ उपनिवेशों का इंग्लैंड के विरुद्ध विद्रोह; १९वीं शताब्दी में १८२२ में ब्राजील ने पुर्तगाल के विरुद्ध, १८३० में बेल्जियम ने हालैंड के विरुद्ध तथा यूनान, रूमानिया और बल्गारिया ने टर्की के खलीफा के विरुद्ध कामयाब विद्रोह की। २०वीं शती में इसका प्रसिद्ध उदाहरण चीन में कम्युनिस्टों द्वारा च्यांग-काई शेर की राष्ट्रवादी सरकार के विरुद्ध किया गया सफल विद्रोह है। इसमें चीन की मुख्य भूमि में राष्ट्रवादी सरकार की प्रभुसत्ता पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है।

ग्यारहवाँ अध्याय

हस्तक्षेप

(Intervention)

प्रत्येक राज्य का अधिकार है कि वह अपनी इच्छानुसार अपने राज्य का प्रबन्ध करे, सविधान का निर्माण करे तथा दूसरे देशों के साथ संधियाँ करे। किन्तु कई बार ऐसा होता है कि कोई अन्य राज्य या अनेक राज्य इसके मामलों में दखल देते हैं, इसे कोई ऐसा काम करने के लिए बाधित करते हैं, जो इसकी इच्छा के विरुद्ध होता है। तारेन्स ने इस प्रकार के दखल को हस्तक्षेप (Intervention) कहा है।^१ बियर्ली ने इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा है—“यह दूसरे राज्य के घरेलू या वैदेशिक मामलों में दखल देने के ऐसे कार्यों तक सीमित है, जिनसे राज्य की स्वतन्त्रता का भंग होती है। एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य को उससे स्वयं किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में केवल परामर्श देना इस अर्थ में हस्तक्षेप नहीं कहना सकता, हस्तक्षेप का स्वरूप आज्ञात्मक (Imperative) होना चाहिए। यह या तो शक्ति के प्रयोग द्वारा बलपूर्वक किया गया होना चाहिए या इसके पीछे बल-प्रयोग की धमकी होनी चाहिए। इसके तानाशाही और आदेशात्मक (Dictatorial) स्वरूप को पहले स्पष्ट किया जा चुका है।”

हस्तक्षेप के प्रकार (Kinds of Intervention)—स्टार्क ने हस्तक्षेप के चार प्रकार बताये हैं—(१) कूटनीतिक या राजनयिक (Diplomatic) हस्तक्षेप—१८६५ में रूस, फ्रांस और जर्मनी ने जापान पर अपना कूटनीतिक दबाव डालकर उसे इम बात के लिये विवश किया कि वह शिमोनोसेकी की संधि द्वारा दिया गया लिआओटुंग का प्रायद्वीप चीन को वापिस कर दे। (२) आन्तरिक (Internal) हस्तक्षेप—यह एक राज्य द्वारा किसी दूसरे राज्य में संधर्ष, विद्रोह या शृङ्खलित करने वाले दो पक्षों में से किसी एक को सहायता प्रदान करना है, जैसे कोरिया में चीनी गणराज्य वालों ने दक्षिण कोरिया के शासन के साथ संधर्ष करने वाले उत्तरी कोरिया को सहायता प्रदान की थी। (३) बाह्य (External) हस्तक्षेप—जब कोई राज्य दूसरे राज्य के साथ लड़ने वाले देश के विरुद्ध युद्ध में कूदता है तो यह बाह्य हस्तक्षेप होता है, जैसे द्वितीय विश्वयुद्ध में ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी की लड़ाई में ११ जून, १९४० को इटली ने जर्मनी को और से इम युद्ध में हस्तक्षेप किया। (४) दण्डात्मक (Punitive) हस्तक्षेप—

१. तारेन्स—भित्तिपित्त आन इन्टरनेशनल लॉ, पृ० ११६

२. बियर्ली—दी लॉ आफ़ नेशन्स, पृ० ३०८

३. स्टार्क—एन इन्ट्रोडक्शन टू इन्टरनेशनल लॉ, पृ ८१

इसमें एक राज्य किसी अन्य राज्य द्वारा हानि पहुँचाये जाने या सधिभंग का बदला लेने के लिए इसके विरुद्ध युद्ध के अतिरिक्त अन्य दण्डात्मक कार्यवाही करना है, जैसे कोई राज्य किसी अन्य राज्य को सधिपालन के लिये बाध्य करने के लिए उसका शांतिपूर्ण परिलेष्टन (Peaceful Blockade) करता है, उस देश का अन्य देशों के साथ समुद्री सम्बन्ध विलकुल विच्छिन्न कर देता है (देखिये वीसवाँ अध्याय) ।

हस्तक्षेप करने के कारण (Grounds of Intervention)—हस्तक्षेप करने

के उचित कारणों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्रियों में पर्याप्त मतभेद है। स्टार्क ने निम्न पाँच अवस्थाओं में अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से हस्तक्षेप का वैध माना है—(क) समुक्त राष्ट्र सभ के चार्टर की व्यवस्था के अनुसार कई राज्यों द्वारा सामूहिक (Collective) हस्तक्षेप, जैसे १९५० में कोरिया के मामले में हस्तक्षेप । (ख) विदेश-स्थित अपने नागरिकों के अधिकारों की तथा संपत्ति की सुरक्षा की दृष्टि से किया गया हस्तक्षेप । (ग) आत्मरक्षा के लिये तथा सशस्त्र आक्रमण के प्रतिरोध के लिये किया गया हस्तक्षेप । (घ) अपने सरक्षित राज्य के मामलों में हस्तक्षेप । (ङ) यदि कोई राज्य सर्वसम्मत अन्तर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन करता है तो अन्य राज्यों को इस मामले में हस्तक्षेप का अधिकार है । आपेनहाइम ने इसके अतिरिक्त हस्तक्षेप के दो अन्य कारण भी माने हैं (च) यदि किसी राज्य पर अन्तर्राष्ट्रीय सधि द्वारा कुछ पाबन्धियाँ लगाई जायें और वह इनका पालन नहीं करे तो सधि में सम्बद्ध अन्य राज्यों को इसमें हस्तक्षेप का अधिकार होता है । जैसे १९१४ में बेल्जियम की तटस्थता की सधि का भंग होने पर ग्रेट ब्रिटेन ने इसमें हस्तक्षेप किया । (छ) जब किसी सधि द्वारा कोई राज्य किसी अन्य राज्य में एक निश्चित राजवश का शासन या शासन-पद्धति निश्चित कर देता है तो इसमें परिवर्तन होने की दशा में दूसरे राज्य को हस्तक्षेप का अधिकार होता है । ब्रियर्नी ने हस्तक्षेप को कानूनी तौर से केवल तीन अवस्थाओं में उचित माना है—आत्मरक्षा, प्रत्युत्तर, (Reprisals), सधि द्वारा प्राप्त अधिकार का प्रयोग ।^१ वस्तुतः राज्य अनेक कारणों से दूसरे राज्यों में हस्तक्षेप करते रहे हैं । यहाँ हस्तक्षेप के कुछ प्रमुख कारणों पर सक्षिप्त विचार किया जायगा ।

(१) आत्मरक्षा (Self-defence)—व्यक्ति की भाँति एक राज्य को वास्त-

विक अथवा सम्भावित आक्रमण से रक्षा करने का पूरा अधिकार है । समुक्त राष्ट्र सभ के चार्टर की धारा ५१ में “सुरक्षा परिषद् द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के उपायों को अवलम्बन करने से पहले तक” दूसरे राज्य के सशस्त्र आक्रमण से रक्षा करने का अधिकार राज्यों को दिया गया है ।^१ आत्मरक्षा के लिए दूसरे राज्य में हस्तक्षेप का

४. स्टार्क—री इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, पृ० ८७

५. ब्रियर्नी—दी लॉ ऑफ नेशन, पृ० ३१२

६. इसकी विरुद्ध व्याख्या के लिए देखिये—जिस्टिस बोधर जूड ऑफ इंटरनेशनल ला, १९३१, माउनली—दी यूज ऑफ फोर्स इन सैल्फ-डिफेन्स, पृ० १८३ से २६८

सुन्दर उदाहरण १८३७ में केरोलाइन (Caroline) स्टीमर की घटना है। इस समय कनाडा में विद्रोह हुआ। इसमें केरोलाइन नामक अमरीकन जहाज नियाग्रा नदी में से होकर अमरीकन प्रदेश में विद्रोहियों के लिये सैनिक तथा रणसामग्री को लाकर उतरी सहायता करता था। अमरीकन सरकार अपने प्रदेश में होने वाले इस अवैध कार्य को या तो बन्द नहीं करना चाहती थी या बन्द कर सकने में असमर्थ थी। इस पर कनाडियन सैनिकों ने नियाग्रा नदी की सीमा पार की, अमरीकन नागरिकों में सघर्ष किया और विद्रोहियों को मदद पहुँचाने वाले केरोलाइन जहाज को नियाग्रा के जलप्रपात में बहाकर नष्ट कर दिया। इसके बाद दोनों राज्यों में हुए वाद-विवाद में मनुक्त राज्य अमरीका ने इस बात से इन्कार नहीं किया कि उपर्युक्त परिस्थितियों में यह हस्तक्षेप उचित था। ग्रेट ब्रिटेन का कहना था कि अत्यावश्यक गम्भीर परिस्थितियों के कारण उनका कार्य समुचित था। दोनों में मतभेद केवल इस घटना के तथ्यों के बारे में था। इस विषय में अमरीकन विधिसभा स्नी हाइड (Hyde) ने ठीक ही लिखा है—' ब्रिटिश सेना ने वही कार्य किया, जो समुक्त राज्य स्वयं करता, बसतँ कि इसके पास अपना कर्तव्य पूरा करने के साधन और इच्छा होती।'।

इस मामले में आत्मरक्षा के सिद्धान्त का निर्धारण करते हुए अमरीकन विदेश-मन्त्री डेनियल वेबस्टर (Daniel Webster) ने कहा था, "आत्मरक्षा की आवश्यकता के लिए यह सिद्ध करना अनिवार्य है कि यह 'तात्कालिक और अचुर' (Instant and overwhelming) है तथा किसी अन्य साधन का विलय छोड़ने वाली या विचार के लिए सम्यक देने वाली नहीं है। दूसरी शर्त यह है कि इसमें की गई कार्यवाही बहुत अधिक या अत्युक्तिपूर्ण नहीं होनी चाहिये। आत्मरक्षा की आवश्यकता द्वारा उचित ठहराया गया कार्य इस आवश्यकता के अनुरूप सीमित होना चाहिये।" उदाहरणार्थ, उपर्युक्त घटना में ब्रिटिश सेनायें केरोलाइन का नष्ट करके अपनी सीमा में लौट आईं, उनका यह कार्य सर्वथा समुचित था, किन्तु यदि वे इसमें आगे बढ़कर अमरीकन प्रदेश पर अधिकार करने का कार्य करती तो यह हस्तक्षेप अनुचित होता। प्रायः आत्मरक्षा में सफलता पाने के बाद मनु के प्रदेश को अधिकधिक हथियाने की इच्छा स्वाभाविक होती है। अतः इस विषय में इस प्रतिबन्ध का बहुत महत्त्व है। १९३१ में जापान द्वारा मंचूरिया में हस्तक्षेप करने का पहला अवसर भते ही आत्मरक्षा की दृष्टि में समुचित ही, किन्तु इसके बाद चीन में उनके अपने साम्राज्य के विस्तार के कार्य आत्मरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं माने जा सकते।

अनेक अन्तर्राष्ट्रीय विधिसभास्त्री हस्तक्षेप के लिये आवश्यक आत्मरक्षा (Self-defence) को उपर्युक्त अर्थ में सीमित नहीं समझते, वे इस आत्मरक्षण (Self-preservation) के रूप में विशद करना चाहते हैं। उनके मतानुसार आत्मरक्षण प्रत्येक राज्य का मौलिक अधिकार है। हाल के शब्दा में "सुव्यवस्थित समाजों में रहने वाले व्यक्तियों तक को आत्मरक्षण का पूर्ण अधिकार होगा है। स्वतन्त्र राज्यों के साथ भी ऐसा ही है, उन्हें सब प्रवस्थाओं में अपनी रक्षा का अधिकार है। अन्तर्नीयत्व"

राज्यों के सब कर्तव्य आत्मसंरक्षण में समा जाते हैं।^१

ब्रियर्ली ने हस्तक्षेप के लिए आत्मसंरक्षण की उपर्युक्त व्यापक परिभाषा की आलोचना करते हुए यह सत्य ही लिखा है कि यदि इस प्रकार की व्याख्या सही मानी जाय तो अन्तर्राष्ट्रीय अराजकता के प्रत्येक कार्य को न्यायोचित सिद्ध किया जा सकता है। २ अगस्त १९१४ को जर्मनी ने बेल्जियम की तटस्थता का भंग करते हुए उस पर आक्रमण का जघन्य कार्य किया, किन्तु आत्मसंरक्षण की उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार इसे कानूनी दृष्टि में उचित सिद्ध किया जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून ऐसे अनैतिक सिद्धान्त को स्वीकार नहीं कर सकता। इस विषय में हाल द्वारा प्रतिपादित व्यक्तियों के आत्मसंरक्षण के अधिकार को राष्ट्रीय कानून का उदाहरण बनाना ठीक नहीं है, क्योंकि व्यक्तियों को भी इस अधिकार के कारण दूसरे व्यक्तियों की हत्या करने का अधिकार नहीं। ब्रियर्ली द्वारा दिए गए कुछ उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जायगी। लांड वेकन ने एक बार ऐसे उदाहरण की कल्पना की थी कि समुद्र में एक जहाज का पिछवस हो जाने पर उसके दो यात्री एक नब्बे को पकड़ लेते हैं। किन्तु वह तस्ला दो व्यक्तियों का बोझ नहीं उठा सकता, अतः एक व्यक्ति दूसरे को उससे हटाकर समुद्र में ढकेल देता है, इंग्लिस कानून की दृष्टि से उसका यह कार्य हत्या समझा जायगा, आत्मसंरक्षण की युक्ति के आधार पर इसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। एक अन्य मामले R. v. Dudley and Stephens 1884 में समुद्र में मूफान से बही जाने वाली किन्ती में दो व्यक्ति तथा एक लडका मवार थे, कई दिन बाद जब उनकी भोजन सामग्री और जन समाप्त हो गया तो उन दोनों व्यक्तियों ने बच्चे को मारकर खा लिया। बाद में इन्हें हत्या का दण्ड दिया गया, यद्यपि जूरी ने यह स्वीकार किया कि यदि यह बच्चा न खाया जाता तो तीनों व्यक्ति मर जाते। 'विनियम ब्राउन' (William Brown) जहाज में भी इसमें सादृश्य रखने वाली घटना हुई। इस जहाज के घाइमबर्ग से टकराने पर इसकी सवारियाँ किस्तियों में उतारी गईं, एक किन्ती चू रही थी, उसमें ज्यादा सवारियाँ लद गईं, इन सब के डूबने का डर था, एक व्यक्ति ने किन्ती का बोझ हलका करने के लिए कुछ यात्रियों को समुद्र में ढकेल दिया, इस व्यक्ति को न्यायालय ने हत्या का अपराधी माना। उपर्युक्त दोनों उदाहरण आत्मसंरक्षण के हैं, यदि राष्ट्रीय कानून में वास्तव में कोई ऐसा अधिकार होता तो उपर्युक्त व्यक्ति हत्या के दोषी न ठहराये जाते। उपर्युक्त दोनों अवस्थाओं में ये कार्य रक्षामक (Defensive) नहीं थे क्योंकि वे ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध किए गए थे, जिनमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं था। अतः राष्ट्रीय कानून प्रत्येक दशा में व्यक्ति को आत्मसंरक्षण का अधिकार नहीं देता, बल्कि यह कुछ अवस्थाओं में मर जाना उसका कानूनी कर्तव्य समझता है। इन अवस्था में हाल द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रीय कानून के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून में आत्मसंरक्षण के सिद्धान्त को मानना भ्रान्तिपूर्ण है।^२

७. हाल—इटरनेशनल ला, अफ्थम संस्करण, पृ० ६५ तथा ३२०

८. ब्रियर्ली—पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० ३१७-८

यह सत्य है कि १९३९ में जापान ने आत्मसंरक्षण के नाम पर चीन पर आक्रमण किया था, रूस ने १९३९ में फिनलैंड पर हमला किया, १९५० में चीन ने इसी आधार पर कोरिया और तिब्बत के मामलों में हस्तक्षेप किया और १९५६ में रूस ने हंगरी के मामलों में दखल बिया। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय नानून की दृष्टि से इन कार्यों को न्याय्य नहीं ठहराया जा सकता। अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से आत्मरक्षा के लिए हस्तक्षेप तभी न्यायोचित है, जब खतरा बिल्कुल सामने तथा तात्कालिक हो, इसे हटाने का अन्य कोई उपाय न हो, तथा स० रा० सघ ने इस विषय में कोई कार्यवाही न की हो।

→ (२) सन्धि के अधिकारों को लागू करना (Enforcement of Treaty Rights) — ब्रिटीशों ने इसका उदाहरण १९०३ की हवाना की सन्धि दी है। इसके अनुसार क्यूबा ने यह स्वीकार किया था कि स० रा० अमरीका उसकी स्वतन्त्रता के संरक्षण के लिए तथा कुछ अन्य अवस्थाओं में हस्तक्षेप करने का अधिकार रखता है। स० रा० अमरीका ने कई बार इस अधिकार का प्रयोग किया, किन्तु १९३४ की सन्धि द्वारा उपर्युक्त सन्धि को रद्द कर दिया गया। १८६३ की सन्धि के अनुसार फ्रांस, रूस और ग्रेट ब्रिटेन ने यूनान की स्वतन्त्रता की गारण्टी दी थी, १९१६ में उन्होंने यहाँ वैधानिक सरकार पुनः स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप किया।

(३) मानवीयता (Humanity) — लारेंस ने मानवीयता को हस्तक्षेप का न्यायोचित कारण माना है। इसके कुछ प्रसिद्ध उदाहरण निम्नलिखित हैं— १८७८ ई० में रूस ने टर्की के खलीफा की सरकार द्वारा बल्गारिया में ईसाइयों पर होने वाले भीषण अत्याचारों के प्रतिरोध के लिए उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ा था। हिटलर द्वारा यहूदियों पर किये गए अत्याचारों के कारण अन्य देशों ने जर्मनी की बहुत भर्त्सना की थी और न्यूरम्बर्ग में अनेक युद्धापराधियों पर यहूदियों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया गया था। दक्षिणी अफ्रीका की जातीय भेदभाव (Appartheid) की नीति के विषय में स० रा० सघ ने १९५२ में तीन व्यक्तियों का आयोग बनाया था, २१ मार्च १९६० को शार्षविल्ड में रंगभेद के पास कानूनों (Pass Laws) के विरुद्ध प्रदर्शनकारियों के अफ्रीकी सरकार द्वारा उग्र दमन पर समूचे सभ्य जगत् ने भीषण रोष प्रकट किया और सुरक्षा परिषद् ने इस विषय में दक्षिण अफ्रीका की निन्दा का प्रस्ताव पास किया। स० रा० सघ द्वारा जातिवध और शरणार्थियों के दर्जों के सम्बन्ध में किये गए समझौते इस दृष्टि से किये गए हैं कि बिना किसी जातीय भेदभाव के सब मनुष्यों को समान अधिकार प्राप्त हों।

(४) शक्ति-संतुलन (Balance of Power) — १६४८ में वेस्टफालिया की सन्धि के बाद से यूरोप की राजनीति का यह मुख्य सिद्धान्त रहा है कि कोई भी राज्य अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत अधिक शक्ति-सम्पन्न न हो, सब राज्यों में शक्ति-संतुलन बना रहे। १६४८ की यूट्रेख्ट की सन्धि के, १८१६ की वियना कांग्रेस के, १८५६ की पैरिस कांग्रेस के, १८७८ की बर्लिन कांग्रेस के अधिकांश निर्णय इसी सिद्धान्त के आधार पर किये गए। १८५६ का रोमिया युद्ध ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा टर्की के साम्राज्य को सुगन्धित रखने की दृष्टि से किया गया था, ताकि इसे दबाकर रूस दक्षिण-पूर्वी

यूरोप में अधिक शक्तिशाली न हो जाय। बाल्कन प्रदेश में प्रमुता के लिए १९वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आस्ट्रिया तथा रूस में प्रबल होठ थी, इस प्रदेश के राज्यों में अधिकांश हस्तक्षेप इन दोनों के तथा ग्रेट ब्रिटेन के शक्तिसतुलन को बनाये रखने के लिए किये गए। १८८६ में तथा १८९७ में ग्रीस और टर्की के मामलों में महाशक्तियों ने इस उद्देश्य से हस्तक्षेप किया। १९१३ में अल्बानिया का स्वतन्त्र राज्य बनाने के लिए टर्की में दखल दिया गया। इन सभी हस्तक्षेपों में यूरोपियन राज्यों के उद्देश्य बड़े स्वार्थपूर्ण थे और उन्होंने छोटे राज्यों के हितों को अपने हितों की पूर्ति के लिए बलिदान करने में सक्चन नहीं किया। अतः यह ठीक ही कहा गया है कि "छोटे राज्य यदि लूट के बँटवारे पर पहले ही सहमत हो जाय तथा इन मामलों में कम दिलचस्पी लेने वाले पड़ोसी राज्यों को चुप करा सके तो उनकी लूट का शिकार बनने वाले देश अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे।"

(५) वित्तीय कारणों से हस्तक्षेप (Intervention due to financial reasons)—कई बार किसी देश के दिवालिया होने या उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने पर उसे कर्ज देने वाले देश उसके मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। पिछली शताब्दी में यह योरोपियन शक्तियाँ द्वारा अफ्रीका तथा एशिया में साम्राज्य विस्तार करने का एक प्रभावशाली उपाय था। मिश्र इसी कारण पराधीनता के पास में जकड़ा गया, वह डेन्मार्क और फ्रांस का कर्जदार था, इन दोनों देशों ने कर्ज की अदायगी के लिए इस पर दूध (Dual) नियन्त्रण स्थापित किया। १८८२ में फ्रांस इस मामले में पीछे हट गया और डेन्मार्क ने मिश्र पर अपनी प्रभुता स्थापित कर ली।

(६) गृहयुद्धों में हस्तक्षेप (Intervention in Civil Wars)—किसी राज्य में विद्रोह होने की वशा में पड़ोसी राज्यों पर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। क्या इस अवस्था में पड़ोसी राज्यों को दूसरे राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना उचित है? १८१५ की वियना कांग्रेस में यूरोप में फ्रेंच ताति की विरोधी भावनाओं को पुष्ट करने वाले, लोकतन्त्र और राष्ट्रीयता की अवहेलना करने वाले राज्यों की स्थापना की थी, इन भावनाओं के दमन के लिए आस्ट्रिया, रूस और प्रशिया के राजाओं ने पवित्र संध (Holy Alliance) बनाया। आस्ट्रिया का प्रधानमंत्री मेटर्निख लोकतन्त्र और राष्ट्रीयता के प्रसार को दूत की बीमारी की तरह यूरोप के राज्यों में फैलने से रोकना चाहता था। उसके नेतृत्व में १८२० में ट्रोप्पा के प्रोटोकॉल (Protocol of Troppau) में किसी देश में ताति होने पर इसमें दूसरे राज्यों द्वारा हस्तक्षेप का अधिकार माना गया। इसके अनुसार १८२१ में नेपल्स और सार्डिनिया के राज्यों में ताति होने पर आस्ट्रिया ने, तथा स्पेन में ताति होने पर फ्रांस ने अपनी सेनाएं भेज कर तातिकारियों का दमन किया और निरबुद्ध स्वेच्छाचारी शासकों का समर्थन किया। १८२७ में ग्रेट ब्रिटेन, रूस और फ्रांस ने यूनान को स्वतंत्र कराने के लिए हस्तक्षेप किया। १८४९ में रूस ने आस्ट्रिया को हंगरी का विद्रोह दवाने में सैनिक सहायता प्रदान की। १९३४-३६ के स्पेन के गृहयुद्ध में जर्मनी तथा इटली की सरकारों ने स्पेन की गणराज्यवादी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनरल फ्रांको को

बहुमूल्य मदद पहुँचाई। द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति पर ग्रेट ब्रिटेन, यूगोस्लाविया, अल्बानिया और बल्गारिया ने पुनान के गृहयुद्ध में निम्नलिखित पक्षों की सहायता दी।

— यद्यपि ऐतिहासिक दृष्टि में महाशक्तियों उपर्युक्त सभी कारणों से दूसरे राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करती रही हैं, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि में केवल ब्रियर्नी और स्टार्क द्वारा बताई गई उपर्युक्त परिस्थितियों में ही हस्तक्षेप किया जा सकता है।

मनरो सिद्धान्त (Monroe Doctrine) — कुछ राज्य हस्तक्षेप सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कानून को अपर्याप्त समझते हुए अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से किसी विशेष क्षेत्र में अन्य राज्यों को हस्तक्षेप न करने की घोषणा और नेतावनी देते हैं। इस प्रकार की सबसे प्रसिद्ध घोषणा स० रा० अमरीका के राष्ट्रपति मनरो ने १८२३ में कांग्रेस को भेजे अपने संदेश में की थी। उस समय अमरीका को दो ओर से योरोपियन राज्यों द्वारा नई दुनिया के मामलों में हस्तक्षेप का खतरा था। अलास्का रूस के अधिकार में था और वह अमरीका के उत्तर पश्चिमी तट में अपने अतिरिक्त अन्य सभी देशों के जहाजों को हटाने का प्रयत्न कर रहा था। दूसरा कारण योरोप में रूस, प्रशिया और आस्ट्रिया के सम्राटों द्वारा लड़ा, लोकतंत्रीय तथा राष्ट्रीयता के विचारों वाली क्रांतियों का विविध राज्यों में दमन करने के लिये 'पवित्र संध' (Holy Alliance) का संगठन था। यह फ्रांस द्वारा स्पेन में क्रांति की श्राय बुझा चुका था, अब दक्षिण अमरीका के स्पेनिस प्रदेशों में स्पेन की प्रभुता के विरुद्ध क्रांति की चिंगारियाँ भड़कने लगी थीं। 'पवित्र संध' के राज्य इनका भी दमन करना चाहते थे। इन्हें इस कार्य से पृथक् रहने पर बल देते हुए राष्ट्रपति मनरो के उपर्युक्त संदेश में यह कहा गया था — (१) अमरीकन महाद्वीप के प्रदेश स्वतन्त्र और स्वाधीन स्थिति प्राप्त कर चुके हैं। अब भविष्य में ये प्रदेश किसी योरोपियन शक्ति द्वारा भावी उपनिवेशन का विषय नहीं बनाये जायेंगे। (२) हमने योरोपियन शक्तियों की लडाइयों में तथा उनसे सम्बन्ध रखने वाले विषयों में कभी कोई भाग नहीं लिया और न ही ऐसा भाग लेने की हमारी इच्छा है। (३) स० राज्य अमरीका ने, योरोप के युद्धों में कभी हस्तक्षेप नहीं किया और न ही कभी वह ऐसा हस्तक्षेप करेगा। किन्तु वह अपनी शान्ति और सुख के हितों की दृष्टि में योरोपियन शक्तियों को इस वान की अनुमति नहीं दे सकता कि "वे अमरीका के किसी भाग में अपनी राजनीतिक पद्धति का विस्तार करें तथा दक्षिण अमरीकी गणराज्यों की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करें। यदि वे इस गोलार्द्ध के किसी हिस्से में अपनी राजनीतिक पद्धति के प्रसार का कोई प्रयास करेंगे तो हम इसे अपनी शान्ति और सुरक्षा के लिए खतरनाक समझेंगे।" इससे से पहली बात रूस के अलास्का में श्राय बढ़ने के विरुद्ध नेतावनी थी और ताराती बात का उद्देश्य 'पवित्र संध' के राज्यों को यह बताना था कि वे स्पेन की प्रभुता में गुप्त हुए दक्षिण अमरीकी राज्यों को दुबारा स्पेन का गुलाम बनाने की कोई चेष्टा न करें। राष्ट्रपति मनरो द्वारा इन नीति की घोषणा होने के कारण यह 'मनरो सिद्धान्त' कहलाता है।

मनरो सिद्धान्त अमरीकन विदेश नीति का प्रमुख आधार रहा है और

आवश्यकता पडने पर इससे अनेक नये अनुमान और परिणाम निकाले गये है। १८४८ में राष्ट्रपति पोक (Polk) ने इसकी यह व्याख्या की थी कि यह एक गैर-अमरीकन राज्य को अमरीकन भूमि के स्वच्छापूर्वक हस्तान्तर करने से रोकता है। १८६५ में राष्ट्रपति व्हील्वैल्ड ने यह घोषणा की कि इस सिद्धान्त के अनुसार उसे ब्रिटिश गायना तथा वेनेजुएला के मध्य वास्तविक सीमान्त रेखा निर्धारित करने का अधिकार है। इस अवसर पर अमरीकी विदेशमन्त्री श्री ओलनी (Olney) ने यहाँ तक घोषणा की कि इस गोलाह्वं में स० रा० अमरीका लगभग 'प्रभु' (Sovereign) है और उसका 'आदेश ही कानून' है। १९०४ में राष्ट्रपति थियोडोर रूजवैल्ट ने यह दावा किया कि इस सिद्धान्त से स० रा० अमरीका को 'अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस की शक्ति' के अधिकार मिले है। त्रियर्ली ने लिखा है कि कुछ समय तक ऐसा प्रतीत होने लगा कि जो सिद्धान्त दक्षिण अमरीका के राज्या में योरोपियन हस्तक्षेप को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया था, अब उसका एकमात्र प्रयोजन इन देशों में हस्तक्षेप का अनन्य अधिकार स० राज्य को प्रदान करना है। कई बार स० राज्य अमरीका ने इसके अधिक पहलू पर बहुत बल दिया है और इस गोलाह्वं में अन्य शक्तियों के आर्थिक प्रभाव की वृद्धि पर रोप प्रकट किया है। किन्तु प्रथम विश्वयुद्ध के बाद से उत्तम पड़ोसी की नीति (Good Neighbour Policy) अंगीकार करने पर स० रा० अमरीका ने इस सिद्धान्त को अपने मूल रूप में लागू करने का यत्न किया है।^१

मनरो सिद्धान्त का अनुसरण स० रा० अमरीका ने अपने हितों की पूर्ति के उद्देश्य से किया है। त्रियर्ली के शब्दों में "यह अपने आप में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रतिकूल नहीं है, किन्तु यह निश्चित रूप से अन्तर्राष्ट्रीय कानून का नियम नहीं है।" स० रा० सभ के चार्टर में प्रादेशिक समझौता के रूप में इस सिद्धान्त को कुछ अंशों में स्वीकार किया गया है।

जापान ने अपने प्रभाव-क्षेत्रों में मनरो सिद्धान्त जैसी नीति अपनाई थी। १९३४ से १९४१ तक जापान चीन में तथा सुदूर-पूर्व में अपने लिये वंसी विधि स्थिति का दावा करता था, जैसा मनरो सिद्धान्त में स० राज्य अमरीका के लिए किया गया था।

ड्रेगो तथा नेहरू सिद्धान्त (Drago and Nehru Doctrines)—१९०२ में अर्जेंटीना का विदेशमन्त्री श्री सुइस ड्रेगो था। उस समय ग्रेट ब्रिटेन तथा जर्मनी ने अपने नागरिकों के ऋणों को वेनेजुएला से वसूल करने के लिए उसका सातिपूर्वक परिवेष्टन (Blockade) किया हुआ था। यह उस राज्य के मामलों में प्रबल हस्तक्षेप था। ड्रेगो ने इसका प्रतिवाद करते हुए यह घोषणा की कि किसी राज्य को अपने नागरिकों का ऋण दूसरे राज्य से वसूल करने के लिए सैनिक शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिये, यदि कोई राज्य किसी अन्य राज्य के सार्वजनिक ऋण अदा नहीं करता तो यह उसे उस राज्य में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं प्रदान करता। उसके मतानुसार ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्वीकार करने का परिणाम सत्ताशाली राज्यों

द्वारा निर्बल राष्ट्रों का विनाश होगा। डूंगो केवल सार्वजनिक ऋण वसूल करने के लिये सैनिक शक्ति के प्रयोग का घोर विरोधी था। यह सिद्धान्त उमी के नाम पर डूंगो सिद्धान्त कहलाता है। १९०७ के हेग सम्मेलन में इसे स्वीकार कर लिया गया किन्तु इसमें यह सशोधन किया गया कि सशस्त्र हस्तक्षेप तभी किया जा सकता है जब कर्जदार या अभ्यर्ण देश इस मामले में मध्यस्थ या पक्ष का प्रस्ताव तथा निर्णय मानना अस्वीकार कर दे।

नेहरू सिद्धान्त मनरो सिद्धान्त की भाँति भारत की पुर्तगाली दस्तियों में लिम्बन का शासन बनाये रखने वाली शक्तियों को यह चेतावनी थी कि इस विषय में उनका कोई भी हस्तक्षेप भारत को सहन न होगा। २६ जुलाई १९५५ को श्री नेहरू ने भारतीय मसद् में यह घोषणा की—“पुर्तगालियों द्वारा गोव्या को अपनी प्रमुखा में बनाये रखना भारतीय मामलों में निरन्तर दखल देना है। मैं एक कदम आगे बढ़कर कहता हूँ कि किसी अन्य शक्ति द्वारा इस प्रकार का हस्तक्षेप भारत की राजनीतिक पद्धति में हस्तक्षेप करना होगा।”

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में पिछली दशक में हंगरी में रुम के तथा निम्बन में चीन के हस्तक्षेप ने कई अटल प्रश्न उत्पन्न किये हैं। अतः यहाँ सक्षेप में इन दोनों की चर्चा की जायगी।

हंगरी में रुस का हस्तक्षेप (Russian Intervention in Hungary)— १९५६ में सोवियत रुस ने हंगरी में हस्तक्षेप किया। इसके सम्बन्ध की प्रमुख घटनाएँ इस प्रकार हैं १९४९ में हंगरी में जनता का गणराज्य (Peoples' Republic) स्थापित हुआ तथा इसका नया संविधान बना। इस समय की सरकार के शासन को अत्याचारपूर्ण समझते हुए तथा इसके कुशासन से असन्तुष्ट होकर जनता ने अक्टूबर १९५६ में विद्रोह किया एवं गृहयुद्ध छिड़ गया। विद्रोहियों की माँग थी कि इमरे नेगी (Imre Nagy) को प्रधानमंत्री बनाया जाय। यह प्रधानमंत्री बना, इसने जनता की माँग पूरी करते हुए शासन में अनेक सुधार किये तथा स्वतन्त्र चुनाव (Free elections) कराने की आज्ञा दी। सोवियत यूनियन को यह सहन न हुआ तथा शून्य के शब्दों में रुस ने इसमें हस्तक्षेप किया—“४ नवम्बर १९५६ को रविवार को उपाकाल में हजारों सोवियत टैंक बुडापैस्ट (हंगरी की राजधानी) में तथा अन्य बड़े नगरों में आ गये। सारे विरोध का क्रूरतापूर्वक दमन किया गया।” इमरे नेगी के मन्त्रिमण्डल को कुचला गया। प्रधानमंत्री को जान बचाने के लिये यूगोस्लाव दूतावास में शरण लेनी पड़ी। कादार (Kadar) के प्रधानमन्त्रित्व में सोवियत रुस की सहायता से जातिकारी मजदूरों तथा किसानों की नई सरकार बनी। इस समय के भीषण सरकारी दमन से बचने के लिये १,७५,००० हंगेरियन आस्ट्रिया तथा अन्य देशों में भाग गये और वहाँ शरणार्थी बने।

अमरीकी सरकार ने रुस के हंगरी में हस्तक्षेप का प्रश्न म० रा० सच की सुरक्षा परिषद् में पेश किया, किन्तु यहाँ रुस ने वीटो का प्रयोग करते हुए इस मामले में आगे अमरीकी प्रस्ताव को रद्द कर दिया। इस पर ९ नवम्बर १९५६ को इस विषय पर विचार करने के लिये अमरीका ने जनरल असेम्बली का विशेष अधिवेशन बुलावाया।

इसमें यह प्रस्ताव रखा गया कि रूस हंगरी से अपनी सेनायें हटा ले, ताकि उहा सं० रा० संध की अध्यक्षता में स्वतन्त्र चुनाव हो सकें। सोवियत रूस के प्रबल विरोध के बावजूद यह प्रस्ताव दो तिहाई बहुमत से पास हो गया। १९ नवम्बर १९५६ को रूस के विदेश-मंत्री ने यह आश्वासन दिया कि हंगरी में स्थिति सामान्य होते ही सभी फौजें वापिस बुला ली जाएंगी। १२ दिसम्बर १९५६ को एक प्रस्ताव में जनरल असेम्बली ने रूस की निन्दा इसलिये की कि उसने 'हंगरी की स्वतन्त्रता और स्वाधीनता का अपहरण करके, हुंगेरियन जनता के मौलिक अधिकारों में बाधा डालकर चार्टर का उल्लंघन किया है।' १० जून १९५६ को असेम्बली ने हंगरी की स्थिति में अन्वेषण के लिये पांच सब्स्यो की विशेष समिति बनाई। इस समिति ने हंगरी से भाग कर आये सौ व्यक्तियों से मेंट की और अपनी जांच के आधार पर सोवियत रूस को हंगरी में हस्तक्षेप का दोषी ठहराया (२० जून १९५७)।

इस विषय में यह विचारणीय है कि इस मामले में सोवियत रूस का हस्तक्षेप क्या बंध एव न्यायोचित था। सोवियत रूस के प्रतिनिधि गोपिनोव ने १९ नवम्बर १९५६ को अपनी सरकार का दृष्टिकोण रखते हुए कहा था—“हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हंगरी की सीमा सोवियत यूनियन के साथ लगी हुई है, हंगरी ने रूस के साथ पारस्परिक सहायता और सहयोग की पारसा संधि (Warsaw Pact) की हुई है। हंगरी में यदि प्रतिगामी शक्तियों की विजय होती है तो वे इन्हीं केवल सोवियत यूनियन के विरुद्ध अपितु पूर्वी योरोप के अन्य देशों के विरुद्ध भी हमला करने का श्रद्धा बना लेंगे।” सोवियत रूस की ओर से इस हस्तक्षेप को न्यायोचित सिद्ध करने के लिये कई युक्तियाँ दी जाती हैं। पहली युक्ति यह है कि सोवियत यूनियन ने हंगरी के प्रधानमंत्री इमरे नेगी तथा कांडार द्वारा सहायता की पार्थना करने पर ही अपनी फौजी मदद भेजी है। दूसरी युक्ति यह है कि वाग्सा संधि के कारण सोवियत रूस किसी भी आक्रमण के विरुद्ध हंगरी की सहायता करने के लिये दबनबद्ध है। इस संधि का पालन करने के लिये वहाँ सेना भेजना आवश्यक था। तीसरी युक्ति आत्मरक्षा की है। यह कहा जाता है कि हंगरी में गृहयुद्ध से सोवियत संध की सुरक्षा को भारी खतरा पैदा हो गया था, यदि यहाँ प्रतिगामी शक्तियों की विजय हो तो इसे रूस पर आक्रमण का अह्रा बनाया जा सकता था। चौथी युक्ति यह है कि हंगरी का गृहयुद्ध हंगरी की न्याय-पूर्ण, बंध सरकार के विरुद्ध सशस्त्र आक्रमण (Armed attack) था। इसमें सं० रा० संध के चार्टर की धारा ५१ में वर्णित अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया था। इसे दूर करने के लिये किया गया रूसी हस्तक्षेप चार्टर के सिद्धान्तों के सर्वथा अनुकूल है।

किन्तु इसके विपरीत कही हस्तक्षेप को अवैध मानने वालों की युक्तियाँ इस प्रकार हैं— (१) सं० राष्ट्रसंध के चार्टर की धारा ५१ में वर्णित सशस्त्र आक्रमण एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर होना चाहिए। हंगरी में ऐसी स्थिति नहीं थी। यह उस राज्य के दो दलों में भगडा था, अतः यहाँ किसी विदेशी शक्ति द्वारा ऐसा कोई आक्रमण या हस्तक्षेप नहीं था, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को खतरा हो और जिसे रोकने के

निये रूस द्वारा फौजें भेजना जरूरी हो। (२) हंगरी के गृहयुद्ध से रूस की शान्ति और सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था। (३) सोवियत सभ ने नारसा सधि की शर्तों के सर्वथा प्रतिकूल हंगरी में हस्तक्षेप किया क्योंकि इस सधि में कहा गया था कि इस पर हस्ताक्षर करने वाले सब देश एक-दूसरे की प्रभुसत्ता और स्वतन्त्रता का आदर करेंगे, एक-दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। (४) सोवियत सभ का हस्तक्षेप अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों के प्रतिकूल है। यह कानून आत्मरक्षा के लिये ऐसे हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देता। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सुप्रसिद्ध विद्वान् हाइट ने लिखा है कि दूसरे राज्य में कोई हस्तक्षेप इसलिये नैष नहीं हो सकता कि यह किसी सधि की शर्त को पूरा करने के लिये अथवा संधि करने वाले किसी दल को प्रार्थना पर किया गया है। ऐसा हस्तक्षेप नर्तन नैष रहता है। अतः इन कारणों से सोवियत सभ का हंगरी में हस्तक्षेप अनापेक्षित और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों के प्रतिकूल था।

तिब्बत में चीन का हस्तक्षेप—पहले तिब्बत चीन में सर्वथा स्वतन्त्र राज्य था। १७२० ई० में छठे दलाई लामा के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में मंगोलों और तिब्बतियों में भगडा होने पर चीन के माचू सम्राट् बाग ह्सी (Kang Hsi) ने तिब्बत में सेना भेजकर इसकी राजधानी ल्हासा पर अधिकार कर लिया तथा तिब्बत पर चीन का आधिपत्य (Suzerainty) माना जाने लगा। किन्तु माचू वंश निर्मूल होने पर यह आधिपत्य नाममात्र का ही रह गया। अक्टूबर १९०४ में भारत की ब्रिटिश सरकार तथा तिब्बत में एक सधि हुई। इससे तिब्बत ने ब्रिटिश सरकार को तिब्बत में प्रभुसत्ता के कुछ अधिकार दिये। इसकी धारा ६ के अनुसार तिब्बत ग्रेट ब्रिटेन की अनुमति के बिना अपना प्रदेश किसी दूसरी शक्ति को नहीं दे सकता था, विदेशी शक्तियाँ इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी, वह विदेशी राज्यों अथवा उनके प्रजाजनों को अपने देश में प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकता था, उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक सुविधायें भी नहीं दे सकता था। इस सधि में चीन का कोई उल्लेख नहीं था। किन्तु १९०६ में तिब्बत को चीन तथा ग्रेट ब्रिटेन के आधिपत्य में माना गया। १९११ में चीन ने तिब्बत पर हमला किया और दलाई लामा ने भारत में शरण ली। १९१२ में तिब्बत ने अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा की। परन्तु ३ जुलाई १९१४ को ग्रेट ब्रिटेन, चीन तथा तिब्बत की सधि की धारा २ के अनुसार यह स्वीकार किया गया कि तिब्बत चीन के आधिपत्य में है। १९२६ में भारत ने तिब्बत से सीधा सम्बन्ध स्थापित किया तथा इस पर चीनी आधिपत्य नाममात्र ही रह गया। उन्होंने खम प्रान्त से चीनिया का खदेड़ दिया।

द्वितीय विश्वयुद्ध में तिब्बत के राज्यों के सम्बन्ध में महाशक्तियों में दरारें उत्पन्न हुई थी। ग्रेट ब्रिटेन का यह दावा था कि तिब्बत स्वतन्त्र एवं प्रभुसत्तासम्पन्न राज्य है, उन्होंने युद्ध करके चीन से स्वाधीनता प्राप्त की है। अमरीकी सरकार का मत था कि तिब्बत चीनी साम्राज्य का भाग है, ग्रेट ब्रिटेन तथा रूस दोनों इन पर चीन का आधिपत्य स्वीकार कर चुके हैं। इस युद्ध में चीन को महायुद्ध पट्टीचाने का महत्वपूर्ण मार्ग तिब्बत में से होकर था। तिब्बत नहीं चाहता था कि चीन को उम प्रदेश में से

रुनरने वाले मार्ग से सहृदयता मिले। किन्तु ग्रेट ब्रिटेन के दबाव के कारण उसने ऐसा स्वीकार कर लिया, पर यह घोषणा की कि वह स्वतन्त्र प्रभुसत्तामय राज्‍य है। १९४६ में चीन के सविधान में तिब्बत को भी प्रतिनिधित्व दिया गया, किन्तु तिब्बत अपने को स्वतन्त्र समझता था, अतः उसका कोई प्रतिनिधि चीन की राष्ट्रीय परिषद् में नहीं बैठा।

१९४९ में चीन में साम्यवादी शासन स्थापित होने पर पुनः तिब्बत-चीन सभ्य आरम्भ हो गया। चीन ने इसे व्यवस्थित बनाने के लिये १९५० में तिब्बत पर आक्रमण किया। चीन का यह दावा था कि उसने यह आक्रमण "३० लाख तिब्बतियों को साम्राज्यवादी शक्तियों के मुक्त करने तथा चीन के पश्चिमी सीमान्त को सुदृढ़ करने के लिये किया है।" तिब्बत की सरकार ने इस प्रश्न को स० रा० सभ में उठाया और यह कहा कि 'तिब्बती जाति संस्कृति और भूगोल की दृष्टि में चीनियों से भिन्न है।' स० रा० सभ ने इस प्रश्न पर विचार उस समय तक स्थगित रखा, जब तक दोनों देशों के मध्य चर्चा नहीं सार्थ वार्ता का परिणाम न निकले। २५ मई १९५१ को चीन और तिब्बत में हुए सम्झौते के अनुसार चीन को तिब्बत के वैदेशिक मामलों के लिये उत्तरदायी माना गया तथा तिब्बत पर चीन का आधिपत्य मान लिया गया। १९५४ में दलाई लामा तथा पचन लामा ने पेरिस में चीन की राज्य परिषद् के बैठक में भाग लिया और यह तप हुआ कि तिब्बत के स्वायत्त प्रदेश (Autonomous Region) के लिये एक कमेटी स्थापित की जाय और दलाई लामा को सभापति हो। किन्तु कमेटी के हाथ में कोई अधिकार न था, सभी निर्णय चीनियों द्वारा किये जाते थे। इससे तिब्बत में असन्तोष बढ़ा कई स्थानों पर चीन के विरुद्ध विद्रोह होने लगे। १९५९ में ये विद्रोह बहुत बढ़ गए। इस समय चीनियों ने दलाई लामा को बिना मंत्रियों तथा अगुयों के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का निमन्त्रण दिया। इस पर तिब्बत की जनता ने दलाई लामा का महल घेर लिया और यह माँग की कि वह चीनियों का निमन्त्रण अस्वीकार कर दे और तिब्बत की स्वतन्त्रता की घोषणा करे। इस पर चीनी सेनाओं द्वारा गे प्रविष्ट होकर गोली चलाने लगी। दलाई लामा ने तिब्बत से भाग कर भारत में शरण ली (३१ मार्च १९५९)। २० जून को मसूरी से एक बक्तव्य देने हुए दलाई लामा ने बताया कि १९५६ से चीनियों ने तिब्बत में ६५,००० असैनिक तिब्बतियों की हत्या की है एक बड़ी संख्या में इन्हें चीन में निर्वासित किया है, १००० मठ नष्ट किये हैं, बौद्धधर्म के उन्मूलन का पूरा प्रयास किया है और ५ लाख चीनी तिब्बत में बसाये हैं। ९ सितम्बर १९५९ को एक तार द्वारा दलाई लामा ने स० रा० सभ के महासत्री को सभ की बैठक में तिब्बत पर चीन के आक्रमण के १९५० में स्थगित विषय पर पुनर्विचार करने को कहा। २५ सितम्बर को मलाया तथा आयरलैंड ने इस विषय में एक प्रस्ताव उपस्थित किया, इसमें यह कहा गया था कि तिब्बत में चर्चा की जनता ने मौलिक मानवीय अधिकारों तथा स्वतन्त्रताओं का हनन हो रहा है, यह स० रा० के चार्टर तथा १० सितम्बर १९५६ को घोषित द्वारा प्राप्त किये मानवीय अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के पतिकूल है।

तिब्बतियों के "भौतिक मानवीय अधिकारों का, विशिष्ट सांस्कृतिक तथा धार्मिक जीवन चिंताने के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिये।" इस प्रस्ताव में असेम्बली से यह कहा गया था कि यह अपनी समूची नैतिक शक्ति से तिब्बत में शान्ति स्थापित करे और तिब्बती जनता को उनके भौतिक अधिकार प्राप्त कराये। सोवियत संघ के प्रबल विरोध के बावजूद दो दिन की बहस के बाद २१ अक्टूबर को यह प्रस्ताव पास हो गया।

२३ अक्टूबर को पेरिंग रेडियो में इस प्रस्ताव को 'अर्बेध, गैरकानूनी तथा चीन को बदनाम करने वाला तथा उसके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाला' बताया गया था। किन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि चीन का कार्य तिब्बत में सर्वथा न्यायोचित नहीं था। उसने १९५१ की संधि का पूरा पालन नहीं किया, इसके बाद तिब्बत का गला घोटने का प्रयत्न किया। तिब्बतियों ने जब हताश और निराश होकर स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये विद्रोह किया तो उनका भीषण दमन किया गया और उन्हें मानवीय अधिकारों से वंचित कर दिया गया।

वारहवाँ अध्याय क्षेत्राधिकार' (Jurisdiction)

सामान्य रूप से प्रत्येक राज्य को अपने प्रदेश में निवास करने वाले व्यक्तियों और विद्यमान सम्पत्ति के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले सभी कानूनी विवादों को सुनने और निर्णय करने का अधिकार होता है। इस प्रदेश के समूचे क्षेत्र में उसकी प्रभुसत्ता विस्तीर्ण होने से उसे स्वत्व प्राप्त होता स्वाभाविक है। अपने प्रादेशिक क्षेत्र में इस अधिकार के होने के कारण इसे क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) कहा जाता है। लार्ड मैकमिलन ने इसकी व्याख्या करते हुए इंग्लैंड के सम्बन्ध में यह लिखा है—“अन्य सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न राज्या की भाँति इस राज्य की प्रभुसत्ता की यह एक वास्तविक विशेषता है कि इसे अपनी प्रादेशिक सीमाओं के भीतर विद्यमान सभी व्यक्तियों और वस्तुओं पर क्षेत्राधिकार हो तथा इन सीमाओं में उत्पन्न होने वाले सभी दीवानी और फौजदारी मामलों पर विचार करने का अधिकार हो।” इंग्लैंड और अमरीका में किसी व्यक्ति या वस्तु के इनके प्रदेश में विद्यमान होने से ही उन्हें इन पर यह क्षेत्राधिकार प्राप्त हो जाता है। स्टार्क के मतानुसार इन दोनों देशों के चारों ओर समुद्र से घिरे रहने के कारण इस सिद्धान्त का विकास हुआ है। दूसरी ओर योरोपियन महाद्वीप में राज्यों की स्थलीय या नदियों की सीमाएँ होने के कारण विभिन्न राज्यों में अधिक आवागमन और यातायात सम्बन्ध है, अतः वहाँ राज्य के अनन्य क्षेत्राधिकार (Exclusive Jurisdiction) के सिद्धान्त में कुछ उदारता पायी जाती है।

राज्यों द्वारा अपने प्रदेश में उपभोग किये जाने वाले क्षेत्राधिकार पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून कुछ प्रतिबन्ध लगाता है। उदाहरणार्थ, ग्रेट ब्रिटेन में निवास करने वाले दूसरे देशों के राजदूत और उसके प्रादेशिक समुद्र (Territorial sea) में स्थित वाले विदेशी जहाज यद्यपि पूर्णरूप से उसकी प्रादेशिक प्रभुसत्ता के क्षेत्र में हैं तथापि वे उस देश के अन्य व्यक्तियों या जहाजों की भाँति पूर्ण रूप से उसके क्षेत्राधिकार में नहीं हैं, कुछ अंशों में उसके क्षेत्राधिकार की सीमा से बाहर समझे जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के

१. यह अध्याय के Jurisdiction शब्द का भारतीय सविधान में स्वीकृत किया गया है।
रूपान्तर है। अध्याय में इस शब्द के दो प्रधान अर्थ होते हैं—(क) किसी विशेष मामले को सुनने और उस पर विचार करने का कानूनी अधिकार का अर्थ। इसे विचारधिकार कह सकते हैं। (ख) वह क्षेत्र जहाँ तक किसी राज्य या न्यायलय का अधिकार माना जाता है। इसके लिये हिन्दी में पुराना शब्द अधिकारक्षेत्र है।

क्षेत्राधिकार की कुछ मर्यादायें और सीमायें मानता है। इनको न समझने में अनेक जटिल अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न और विवाद उत्पन्न होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में राज्य के क्षेत्राधिकार की सीमाओं का सक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है।

प्रादेशिक समुद्र में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction in Territorial Waters)— पहले (पृ० २१०) यह बताया जा चुका है कि राज्य की भूमि के साथ लगा तीन मील तक की चौड़ाई का समुद्र उसके प्रदेश का अंग समझा जाता है। यहाँ तटवर्ती राज्य की पूरी प्रभुसत्ता प्राप्त है, इस पर केवल एक ही मर्यादा या प्रतिबन्ध है, यह इस प्रादेशिक समुद्र में से दूसरे देशों के जहाजों के निर्दोष गमन का अधिकार (Right of Innocent Passage) है। सब देश शान्तिकाल में अपने प्रादेशिक समुद्र में दूसरे देशों के व्यापारिक तथा सामरिक पोतों को गुजरने देते हैं। कोरफू चैनल (Corfu Channel) वाले भागमें अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह फैसला किया था कि शान्तिकाल में दो महामुद्रों को जोड़ने वाले अन्तर्राष्ट्रीय महामार्ग बने हुए जलडमरूमध्य के प्रादेशिक समुद्र में रणपोतों को गुजरने का अधिकार है (देखिये ऊपर पृ० २१७)।

‘निर्दोष गमन’ का शब्द अपने अधिकारों तथा मर्यादाओं को भलीभाँति सूचित करता है। पहली बात यह है कि यह ‘गमन’ या गुजरने का अधिकार है, प्रादेशिक समुद्र का प्रयोग दूसरे देशों के जहाज मार्ग के रूप में कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यह गमन निर्दोष होना चाहिये, इसका यह अभिप्राय है कि इस तरह गुजरने वाला जहाज नौचालन और बन्दरगाह की व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में बनाय गये स्थानीय नियमों का पालन करेगा और ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे तटवर्ती राज्य में शांति-मग का भय हो। इसमें यह स्पष्ट है कि तटवर्ती राज्यों को इन जहाजों पर कुछ क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं, किन्तु इसकी मात्रा स्पष्ट और निश्चिन् नहीं है, इस जहाज पर तबार व्यक्तियों पर तटवर्ती राज्य द्वारा अपने दीनानी और फौजदारी कानून लगाने के बारे में कुछ संदेह है। इस विषय के कुछ मामलों से यह बात स्पष्ट हो जायेगी।

१८७६ में एक ब्रिटिश न्यायालय के सम्मुख फ्राकोनिया जहाज का R v Keyn का मामला आया। यह एक जर्मन जहाज था, अपनी उपेक्षा में यह एक ब्रिटिश जहाज से टकराया, परिणामस्वरूप ब्रिटिश जहाज डोवर से दो मील की दूरी पर समुद्र में डूब गया, इसमें प्राण हानि भी हुई। फ्राकोनिया के कप्तान पर मानवव्यवस्था के लिये मुकदमा चलाया गया। उस समय तक मद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि में प्रादेशिक समुद्र की सीमा तीन मील की चौड़ाई तक मानी जाती थी, किन्तु पार्लियामेंट ने इस प्रदेश में विदेशियों द्वारा फौजदारी अपराध करने पर ब्रिटिश न्यायालयों द्वारा उनके मुँह जाने का कोई कानून नहीं बनाया था। इसके अभाव में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि विदेशी जहाज पर एक विदेशी व्यक्ति द्वारा प्रादेशिक समुद्र में किये गये फौजदारी अपराध मुँहने का क्षेत्राधिकार ब्रिटिश न्यायालयों को नहीं है। इस निर्णय से अनेक ब्रिटिश विधिशास्त्री रतन्व रह गये, इसके दुष्परिणामों को दूर करने के लिये १८७८ का प्रादेशिक समुद्र क्षेत्राधिकार कानून (Territorial Waters Jurisdiction Act) बनाया गया, इसके अनुसार ब्रिटिश न्यायालयों को तीन मील की समुद्री सीमा के भीतर

हुए अपराधों को सुनने का क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया। यदि ये अपराध विदेशी नागरिक द्वारा किये गये हों तो विदेशमन्त्री की अनुमति से ही उसके विरुद्ध मामला चलाया जा सकता है।

पीवामी मामलों के सम्बन्ध में विदेशी जहाजों की तटवर्ती राज्य के क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति का सिद्धान्त Chief capitano के मामले में स्वीकार किया गया था। यह एक ब्रिटिश जहाज था। जब यह स० रा० अमरीका के प्रादेशिक समुद्र में से गुजर रहा था तो एक अमरीकन कारपोरेशन ने इसके मालिकों से कुछ राशि वसूल करने के लिए इसे पकड़वा दिया। अमेरिकन न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि इन जहाजों को श्रृंखलित रूप से पकड़ा गया है।

१९३० में हैग के संहिताकरण सम्मेलन (Hague Codification Conference) ने इन विषय में निम्नलिखित नियम बनाये थे — (१) तटवर्ती राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्र में से गुजरने वाले किसी जहाज पर घटित हुए अपराध के विषय में उस समय तक कोई गिरफ्तारी या जांच नहीं करनी चाहिये, जब तक कि इन अपराध के प्रभाव जहाज की सीमा से बाहर न पड़े या अपराध से तटवर्ती देश की शान्ति के भंग का भय या प्रादेशिक समुद्र की मुख्यस्थिति की हानि न हो या जब तक जहाज के कप्तान द्वारा न्यायीय अधिकारों की सहायता लेने की प्रार्थना न की गई हो (धारा ८)। (२) धारा ६ के अनुसार कोई तटवर्ती राज्य अपने प्रादेशिक समुद्र में से गुजरने वाले जहाज की गिरफ्तारी या मार्ग परिवर्तन इसलिए नहीं कर सकता कि उस पर सवार किसी व्यक्ति के विरुद्ध दीवानी कार्यवाही की जा सके। (३) तटवर्ती राज्य किन्ही दीवानी कार्यवाहियों को पूरा करने के उद्देश्य से जहाज को उम्र समय तक नहीं पकड़ सकता, जब तक कि ये कार्यवाहियाँ ऐसे वास्तविकों के सम्बन्ध में हों, जिन्हें जहाज ने इस राज्य के प्रादेशिक समुद्र की पाना में या इस यात्रा के उद्देश्य में ग्रहण किया हो।

“तैरते टापू” का सिद्धान्त (The Principle of Floating Island)—कुछ विधिशास्त्रियों का यह मत है कि किसी राष्ट्र की ध्वजा फहराने वाला जहाज क्षेत्राधिकार की दृष्टि से उस राष्ट्र के प्रदेश का भग समझा जाता चाहिए। यह जहाज चाहे महासमुद्र में हो या प्रादेशिक समुद्र में, इसे ध्वजा वाले देश का तैरता हुआ टापू समझना चाहिए और इसमें ध्वजा वाले देश का कानून लागू होता है और इस पर होने वाले अपराधों की सुनवाई का अधिकार उसी देश को है।

किन्तु इस सिद्धान्त को न्यायालयों तथा प्रमुख विधिशास्त्रियों ने स्वीकार नहीं किया। १९४१ में R v Gordon-Finlayson के मामले में ब्रिटिश न्यायालय ने इसकी आलोचना करते हुए लिखा था—“जहाज अपनी ध्वजा वाले राज्य का भग नहीं हो सकता, यद्यपि इस जहाज पर उस राज्य का क्षेत्राधिकार अपने प्रदेश की भाँति होता है।” रिप्ली ने इस पर यह आक्षेप किया है कि इसे मान लेने के बड़े बड़े परिणाम होंगे। यदि यह जहाज अपने ध्वजराज्य का प्रदेश है तो इस जहाज के चारों

और तीन मील तक का सागर क्या प्रादेशिक समुद्र माना जायगा ? यह प्रदेश जहाज की यात्रा के साथ बदलता रहेगा, दो विभिन्न देशों के जहाजों की टक्कर होने पर बड़ी कठिनाई उत्पन्न होगी ।" हाल ने भी इस सिद्धान्त की कड़ी आलोचना की है ।^१ अतः इस सिद्धान्त को सत्य नहीं माना जाता ।

बन्दरगाहों में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction in Ports)—बन्दरगाह राज्य के प्रदेश का अंग है, यहाँ राज्य की प्रादेशिक प्रभुता होने हुए भी, इसमें प्रविष्ट होने वाले विदेशी जहाजों के बारे में विशेष नियम हैं ।^२ व्यापारी जहाजों पर बन्दरगाह में प्रवेश करते ही स्थानीय कानून लागू हो जाते हैं । किन्तु यदि कोई जहाज समुद्री तूफान से प्रताड़ित होकर विवशता की दशा में बन्दरगाह में शरण लेता है तो उसे स्थानीय क्षेत्राधिकार से मुक्त समझा जाता है, किन्तु इसे किसी स्थानीय नियम या कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए । ग्रेट ब्रिटेन की परम्परा के अनुसार ब्रिटिश बन्दरगाहों में आने वाले व्यापारी जहाजों पर उसका पूरा क्षेत्राधिकार माना जाता है । फौजदारी मामलों में ब्रिटिश अधिकारी सामान्य रूप से तब तक हस्तक्षेप नहीं करते, जब तक उनसे सम्बद्ध देशों के वाणिज्य दूत (Consuls) या अन्य प्रतिनिधि इसके लिए प्रार्थना नहीं करते । स० १८०० अमेरिका में जहाज सम्बन्धी विषयों को दो भागों में बाँटा जाता है (क) जहाज की आन्तरिक व्यवस्था और अनुशासन, (ख) बन्दरगाह में शांति और सुव्यवस्था का बना रहना । पहले प्रकार के मामलों में तटवर्ती राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करता । किन्तु दूसरी दशा में Wildenhus के मामले में स० १८०० अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि यदि अपराध भयकर हो, तटवर्ती जनता में इससे क्षोभ हो तो प्रादेशिक राज्य को इस मामले पर विचार का अधिकार होता है । इस कारण एक अमेरिकन बन्दरगाह में आये हुए बेल्जियन जहाज पर एक बेल्जियन द्वारा दूसरे बेल्जियन की हत्या करने पर यह मामला तटवर्ती राज्य का विषय माना गया । फ्रांस की व्यवस्था भी स० १८०० अमेरिका में मानी जाने वाली स्थिति से मिलती है ।

प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का विस्तार (Extension of Territorial Jurisdiction) वर्तमान समय में यातायात के साधनों की उन्नति के कारण यह सम्भव हो गया है कि एक देश में अपराध की तय्यारी की आय, आवश्यक सामग्री एकत्र की जाय तथा दूसरे देश में अपराध किया जाय । अतः प्रादेशिक क्षेत्राधिकार को विस्तृत करने की आवश्यकता अनुभूत की गई है ।^३ यह विस्तार दो प्रकार के सिद्धान्तों के आधार पर है—
(१) कर्तृगत प्रादेशिक सिद्धान्त (Subjective territorial principle)—इसके अनुसार किसी राज्य को ऐसे अपराधियों को दण्ड देने का अधिकार है, जिन्होंने अपने अपराधा का कार्यान्वयन तो उस राज्य में किया है किन्तु उसकी पूर्ति दूसरे राज्य में की ।

३. हाल—स्टेनेशल लॉ, ८वां संस्करण, १० ३०१ ४

४. इस विषय में १८५८ क जेनेवा के समुद्री कानून सम्मेलन द्वारा बनाये गये नियमों (पार १६ तथा २०) की आलोचना के लिये देखिये दी अमेरिकन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, २० ५५, १८५१, पृ० ७७—६६ ।

५. स्टार्ब—पूब्लिक पुब्लिक, पृ० १८३

उदाहरणार्थ, भारत के जाली सिक्के पाकिस्तान में बनाकर यहाँ उनका प्रसार किया जा सकता है, इसमें कार्यारम्भ पाकिस्तान में तथा उसकी परिणति भारत में हुई है। पाकिस्तान को ऐसे व्यक्तियों को दण्ड देने का अधिकार है। मादक द्रव्यों के व्यापार में भी ऐसा होता है। १९२० के British Dangerous Drugs Act के अनुसार दूसरे देश के कानून द्वारा किसी दवाई सम्बन्धी अपराध में ग्रेट ब्रिटेन में अपराध में सहायता देने वाले व्यक्ति को दण्ड देने की व्यवस्था की गई है।

१९२६ तथा १९२६ के जेनेवा के Convention for the Suppression of Counterfeiting Currency तथा Convention for the Suppression of the Illicit Drug Traffic में यह सिद्धान्त स्वीकार किया गया है।

(२) कर्मगत प्रादेशिक सिद्धान्त (Subjective territorial principle) — जब कोई अपराध करने वाला (कर्त्ता) एक राज्य में हो और उससे प्रभावित होने वाला कर्म (object) दूसरे राज्य में और यह दूसरे राज्य की सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव डालता हो तो दूसरे राज्य को पहले राज्य के अपराध करने वाले व्यक्ति को दण्डित करने का अधिकार है। स्टार्क द्वारा दिये गये दो उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाएगी दो राज्यों के सीमान्त प्रदेश में एक व्यक्ति एक राज्य की सीमा के भीतर से उस सीमा के दूसरी ओर खड़े व्यक्ति को अपनी गोली का निशाना बनाता है। इसी प्रकार ग्रेट ब्रिटेन का एक व्यक्ति मूठ बहानों और वायदों से जर्मन के एक व्यक्ति से रुपया मागता है। इन दोनों में अपराध करने वालों के अपराध का फल दूसरे देश में रहने वालों को भोगना पड़ता है। इन मामलों में दण्ड देने के लिये प्रादेशिक सिद्धान्त का विस्तार कर दिया गया है। इसके अनुसार अपराधी अपराध करने के समय भले ही उस राज्य की सीमा से बाहर हो, जहां इस अपराध का प्रभाव पड़ा है, तो भी उस इसका दण्ड भोगना पड़ता है और अपराध से प्रभावित राज्य को ऐसे मामले में विदेशियों को दण्डित करने का अधिकार है।

इसका सबसे सुन्दर उदाहरण लोटस जहाज (S S Lotus) का मामला है। (देखिये प्रथम परिशिष्ट)। इसमें फ्रेंच जहाज लोटस की गलती से उसकी टक्कर टर्की के जहाज बोजकोर्ट से हुई। इस टक्कर से तुर्क जहाज को क्षति पहुँची और आठ तुर्क कालकबलित हुए। यह घटना महासमुद्र में हुई। जब लोटस कुस्तुनुनिया के बन्दरगाह में पहुँचा तो उस पर तुर्की की सरकार ने मुकद्दमा चलाया। फ्रेंच जहाज के कप्तान ने विदेशी होने तथा टक्कर के महासमुद्र में घटित होने के कारण इस विषय में तुर्क न्यायालय का क्षेत्राधिकार न होने का तर्क उपस्थित किया। किन्तु १९२७ में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इसे अस्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया कि (१) अन्तर्राष्ट्रीय कानून का कोई ऐसा नियम नहीं है, जो एक विदेशी राज्य द्वारा उसकी सीमाओं से बाहर किये गये अपराध के विषय में क्षेत्राधिकार में उस राज्य को बचित करता हो। (२) "अनेक देशों के न्यायालय, यहाँ तक कि फौजदारी कानून को विशद प्रादेशिक स्वरूप देने वाले न्यायालय—फौजदारी कानून की यह व्याख्या करते हैं कि अपराध किये जाने के समय अपराधी भले ही दूसरे राज्य के प्रदेश में हो, किन्तु वे

अपराध उसी राज्य में किये समझे जायेंगे, बशर्ते कि अपराध का एक तत्व—विशेष रूप से इसके प्रभाव उस राज्य में पड़े हो।”

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के इस निर्णय ने राज्यों को विदेशी जहाजों पर फौजदारी मामले चलाने का अधिकार प्राप्त हो गया। योराप के समुद्री व्यापारियों को इससे बड़ी चिन्ता हुई। विदेशों के फौजदारी कानून की अज्ञानता के कारण विदेशी न्यायालयों में अपनी सफाई की समुचित कार्यवाही में उन्हें बड़ी कठिनाई होने की सम्भावना थी और इस निर्णय के कारण उन पर अपने राज्य में तथा घटना से प्रभावित राज्य में दोहरा मुकद्दमा चलाया जा सकता था। विदेशी न्यायालयों में कार्यवाही करके जहाजों को रोका जा सकता था। अतः अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक सामुद्रिक परामर्शदाता एसोसियेशन की ओर से राष्ट्रसच की इस विषय से सम्बन्ध रखने वाली समिति Advisory and Technical Committee for Communications and Transport को दिये एक आवेदनपत्र में इस स्थिति पर चिन्ता प्रकट करते हुए इसे सुधारने की प्रार्थना की गई। मई १९५२ में अन्तर्राष्ट्रीय थम सगठन (I. L. O.) तथा अन्तर्राष्ट्रीय सामुद्रिक समिति की समुक्त सामुद्रिक समिति ने इस विषय पर विचार किया और ब्रुसेल्स के Penal Jurisdiction in Matters of Collisions or Accidents of Navigation में लोटस के मामले में दिये गये उपर्युक्त निर्णय से प्रतिकूल नियम स्वीकार किया गया। १९५८ के Geneva Convention on the Regime of High Seas में भी यही सिद्धान्त माना गया है।

विदेशियों पर क्षेत्राधिकार (Jurisdiction over Aliens)—सामान्य रूप से किसी राज्य को अपने राज्य में रहने वालों पर वसा ही क्षेत्राधिकार है, जैसा अपने नागरिकों पर। कोई भी विदेशी जिस देश में रहता है, वह वहाँ के राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। विदेशियों द्वारा दूसरे देशों में किये हुए अपराधों के सम्बन्ध में दो पक्ष हैं—पहला पक्ष ऐसे अपराधों पर राज्य का क्षेत्राधिकार मानता है और दूसरा इसे अस्वीकार करता है। कटिंग (Cutting) के उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायगी। एक अमरीकन नागरिक कटिंग को १८८६ में मेक्सिको जाने पर वहाँ की सरकार ने इसलिए गिरफ्तार कर लिया कि उसने एक मेक्सिकन नागरिक मेडीना की मानहानि करते हुए स० रा० अमरीका के टेक्सास राज्य के एक समाचारपत्र में लेख लिखा था। मेक्सिकन सरकार उपर्युक्त दूसरे पक्ष के अनुसार यह मानती थी कि उसे कटिंग को दण्ड देने का अधिकार है, क्योंकि मेक्सिको के कानून के अनुसार विदेशियों को विदेशों में किये गये अपराधों के लिये मेक्सिको में दण्ड दिया जा सकता है। किन्तु अमरीकन सरकार पहले पक्ष के अनुसार यह कहती थी कि किसी राज्य को उसकी सीमा से बाहर किये गये अपराध पर विदेशी व्यक्ति को दण्ड देने का अधिकार नहीं है। वार्सागटन ने कटिंग की रिहाई की मांग करते हुए कहा कि कटिंग ने मेक्सिको में कोई अपराध नहीं किया क्योंकि मानहानि वाले लेख का प्रसार मेक्सिको में नहीं किया गया अतः मेक्सिको की सरकार को इस विषय में कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। मेक्सिको की सरकार ने स० रा० अमरीका का कथन स्वीकार नहीं किया, यद्यपि अचल होने

पर वादी द्वारा अपना केस वापिस ले लेने पर कर्टिग रवयमेव मुक्त हो गया। १८८६ में मेक्सिको ने स० रा० अमरीका के पक्ष को युक्तियुक्त समझते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं के रोकने के लिए सधि कर ली।

प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से उन्मुक्तियाँ (Immunities from Territorial Jurisdiction)— सामान्य रूप से राज्य के प्रदेश में रहने वाले सभी व्यक्तियों पर राज्य का क्षेत्राधिकार होता है, किन्तु इस सामान्य नियम के निम्नलिखित अपवाद हैं—(क) विदेशी राज्य और उनके अध्यक्ष, (ख) विदेशों के राजनयिक प्रतिनिधि, (ग) विदेशों के सार्वजनिक जहाज, (घ) विदेशों की सेनाएं, (ङ) अन्तर्राष्ट्रीय सत्यायें।

(क) विदेशी राज्य और उनके अध्यक्ष (Foreign States and Heads of States)—इन पर न्यायालयों में कोई मुकद्दमा उस समय तक नहीं चलाया जा सकता, जब तक कि ये स्वयंसेव इन न्यायालयों का क्षेत्राधिकार स्वेच्छापूर्वक न स्वीकार कर लें। इनको राज्य के क्षेत्राधिकार से मुक्त करने के मूल कारण के सम्बन्ध में स्टार्क ने अनेक सिद्धान्तों का उल्लेख किया है—

पहला सिद्धान्त *Par in parem non habet imperium* का है। इसका अर्थ यह है कि एक प्रमुत्तता का क्षेत्राधिकार केवल अपने पक्षवर्ती अधीनस्थ व्यक्तियों पर हो सकता है, दूसरी प्रमुत्तता पर कभी नहीं हो सकता। दूसरा सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय शील या सीजन्य (Comity) का है, इसके कारण सब राज्य एक-दूसरे के शासनाध्यक्षों को अपने प्रदेश में क्षेत्राधिकार से मुक्ति प्रदान करते हैं। तीसरा सिद्धान्त यह वास्तविक तथ्य है कि किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध दिया गया राष्ट्रीय न्यायालय का कोई निर्णय क्रियाविन्त नहीं किया जा सकता। इसे लागू करने का प्रयत्न दानुतापूर्वक कार्य समझा जायगा। चौथा सिद्धान्त यह है कि किसी राज्य द्वारा विदेशी राजा या उसके प्रतिनिधि को अपनी भूमि में आने देना ही यह सूचित करता है कि वह दूसरे राज्य को कुछ मुक्तियाँ या छूटें प्रदान करता है।

विदेशी राज्यों तथा राजाओं को ब्रिटिश कानून की दृष्टि से दो प्रकार की मुक्तियाँ मिली हुई हैं—(१) किसी विदेशी राजा पर कानूनी कार्यवाही द्वारा कोई मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकता। (२) विदेशी राजा के स्वामित्व में या नियन्त्रण में विद्यमान सम्पत्ति को किसी कानूनी प्रक्रिया द्वारा जब्त नहीं किया जा सकता। १६३६ में हाऊस आफ लार्ड्स ने क्रिस्टिना (Cristina) के मामले में इन नियमों को बड़ी स्पष्टता से प्रतिपादित किया। यह एक स्पेनिश जहाज था, स्पेनिश गृहयुद्ध के दिनों में यह कार्डिफ के ब्रिटिश बन्दरगाह में आ गया। स्पेन की मरुतराज्य की सरकार की ओर से स्पेन के वाणिज्य दूत ने इस पर स्वाधित्त पालिया। इस जहाज के मालिकों ने उसके स्वामित्व का दावा किया, किन्तु स्पेनिश सरकार की प्रार्थना पर उसकी सम्पत्ति होने से यह दावा खारिज कर दिया गया। अरन्तजाजू मेन्दी (Aranjazu

Mendi) के मामले में फ्रांको की सरकार को तथ्यानुसार मान्यता प्रदान करने के कारण इस जहाज पर उसका स्वत्व माना गया और विदेशी सरकार होने के नाते उन न्यायालय को प्रक्रिया से मुक्त समझा गया (देखिये प्रथम परिशिष्ट तथा ऊपर पृ० १६२-३) ।

इस विषय में भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय किया गया एक नेपाली हवाई कम्पनी का मामला (Royal Nepal Airlines v Manorama Mcharsing Legar) उल्लेखनीय है (देखिये प्रथम परिशिष्ट) । इस में सुप्रीम कोर्ट ने नेपाली राजदूत की यह प्रार्थना स्वीकार की थी कि राजकीय हवाई कम्पनी नेपाल राज्य का एक अंग है, इस कारण इस पर भारतीय न्यायालय में कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता, यह उनके क्षेत्राधिकार से उन्मुक्त है ।

विदेशी राज्य न केवल अन्य राज्या के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में तथा कानूनी कार्यवाही से मुक्त है, अपितु उन्हें यह विशेषाधिकार भी प्राप्त है कि वे अन्य राज्या के न्यायालयों में अपने कुछ अधिकारों की प्राप्ति के लिये कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं । ऐसा मामला चलाने पर वे इस विषय में दूसरे पक्ष द्वारा किये जाने वाले दावों पर विचार के लिये स्थानीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार मौन रूप से स्वीकार कर लेते हैं । किन्तु इस विशेषाधिकार का प्रयोग करने हुए विदेशी राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वे दूसरे देशों में अपना दण्डविधान या करविषयक कानून (Revenue Laws) अनियोग चलाकर लागू करवा सकें । इस विषय का सुप्रसिद्ध मामला Queen of Holland (Married Woman) v Drukker है । इस में १६२६ में हॉलैंड की रानी ने एक ब्रिटिश न्यायालय (Court of Chancery) में एक उच्च प्रजाजन ड्रकर के विरुद्ध इंग्लैण्ड में उसकी जायदाद को पाने के लिये मामला चलाया था । रानी के दावे का आधार उच्च कानून के अनुसार उच्च प्रजाजनों की जागीरों पर लगाया जाने वाला एक उत्तराधिकार कर (Succession Tax) था । रानी ड्रकर की मृत्यु होने पर इंग्लैण्ड में विद्यमान उनकी जागीर पर उच्च कानून के अनुसार लगाने जाने वाले कर को प्राप्त करना चाहती थी । इस मामले में ब्रिटिश न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा था— 'इस विषय में यह नियम अच्छी तरह से निश्चित हो चुका है और लगभग पिछले २०० वर्ष में लागू भी किया जा रहा है कि ब्रिटिश अदालतें विदेशी राजाओं को लाभ पहुँचाने के लिये विदेशी राज्यों के करा की वसूली का कार्य नहीं करेंगी, इस विषय में किये गये वे किमी भी दावे पर विचार नहीं करेंगी । अतः इस दावे की तथा मामले को खारिज किया जाता है । धूकि एक प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य ने इस न्यायालय में आकर इसका क्षेत्राधिकार स्वीकार कर लिया है, अतः मैं यह आदेश देने की रियासत में हूँ कि प्रभुसत्तासम्पन्न राज्य इस मामले में हुए व्यय को प्रदान करे ।'^{१०}

(ख) विदेशी के राजनयिक प्रतिनिधि (Diplomatic Representatives of

Foreign States) — विदेशी राजदूत राज्य के क्षेत्राधिकार से फौजदारी मामलों में पूर्ण रूप से तथा दीवानी मामलों में प्राथमिक रूप से उन्मुक्त होते हैं। कई देशों में इस सम्बन्ध में कानून बने हुए हैं। उदाहरणार्थ, ग्रेट ब्रिटेन में राजदूतों को इस प्रकार के विशेषाधिकार तथा मुक्तियाँ प्रदान करने वाले निम्न कानून हैं—१७०८ का Diplomatic Privileges Act, १६५० का International Organizations (Immunities and Privileges Act) तथा १६५२ का Diplomatic Immunities (Commonwealth Countries and Republic of Ireland Act)। राजदूतों के मुख्य विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ निम्नलिखित हैं.—

(क) जिस देश में किसी व्यक्ति को राजदूत बनाकर भेजा जाता है वहाँ की फौजदारी कार्यवाहियों में तथा पुलिस के क्षेत्राधिकार से उसे पूरी स्वतन्त्रता होती है। इसका यह अर्थ नहीं कि उस देश के फौजदारी कानून का अथवा पुलिस के नियमों का पालन करना उसका कर्तव्य नहीं है। किन्तु यदि वह इनका पालन नहीं करता तो उसके विरुद्ध राज्य केवल यही कार्यवाही कर सकता है कि उसकी सरकार को इसकी राजनयिक रूप में शिकायत की जाय और यदि स्थिति बहुत गम्भीर हो जाय तो वह उसे अपने देश से निकाल दे।

(ख) वह राज्य की दीवानी कार्यवाहियों से भी मुक्त होता है, उसे अदालत में गवाही देने के लिए भी नहीं बुलाया जा सकता। एक पक्ष के अनुसार उसकी कानूनी प्रक्रिया से छूट वही तक होनी है, जहाँ तक वह उसके सरकारी कर्तव्य पूरा करने में बाधा न डाले। किन्तु यदि राजदूत कोई वैयक्तिक व्यापार करता है, तो इस विषय में वह देश के दीवानी कानून की प्रक्रिया से मुक्त नहीं है।

किन्तु त्रिवर्ती की सम्मति में आजकल राज्यों का सामान्य व्यवहार इस छूट का पूर्ण रूप से लागू करता है। ग्रेट ब्रिटेन के १७०८ के कानून के शब्द इसका बड़े प्रबल शब्दों में प्रतिपादन करते हैं। इनके अनुसार राजदूत को गिरफ्तार करने वाले, उनकी सम्पत्ति को जब्त करने वाले सब आदेश निरर्थक एवं शून्य (Null and void) हैं। ऐसे आदेशों को जारी करने वाले तथा इन्हें क्रियान्वित करने वाले 'राष्ट्रों के कानून के उल्लंघनकर्ता' समझे जाते हैं। किन्तु यदि कोई राजदूत स्वेच्छापूर्वक देश के दीवानी कानून का क्षेत्राधिकार स्वीकार कर ले तो यह उस पर लागू होगा।

(ग) राजनयिक व्यक्ति कुछ अर्थों में राज्य के करो से भी मुक्त होते हैं। इस विषय में विभिन्न देशों में अलग-अलग नियम हैं। उदाहरणार्थ, ग्रेट ब्रिटेन में किसी ब्रिटिश कम्पनी में लगाई हुई पूँजी के राजदूत को प्राप्त होने वाले लाभ में से कर काट लिया जाता है। किन्तु राजदूत के वेतन पर राज्य आयकर नहीं लगा सकता। उनके वैयक्तिक उपयोग के लिये मँगाये गये पदार्थों पर प्रायः तटकर नहीं लगाया जाता। राजनयिक व्यक्ति से राज्य कर की वसूली नहीं कर सकता।

(घ) राजदूत का निवासस्थान अनतिरूप्य (Inviolable) समझा जाता

है, राज्याधिकारी उसकी सीमा में राजदूत की अनुमति के बिना नहीं प्रविष्ट हो सकते। यदि दूतावास में किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना हो, जिसे क्षेत्राधिकार से इस प्रकार की उन्मुक्ति या छूट प्राप्त नहीं है तो उसके लिए उचित मार्ग यह है कि राजदूत में यह प्रार्थना की जाय कि वह उसका समर्पण कर दे। इस प्रार्थना को स्वीकार या अस्वीकार करना दूत का कार्य है। किन्तु राजदूत अपने दूतावास को स्थायीय न्याय की प्रक्रिया में बचकर भागने वाले व्यक्तियों का शरण-स्थल नहीं बना सकता और न ही इसमें अपना क्षेत्राधिकार बनाने का कोई अधिकार रखता है। १८६६ में प्रसिद्ध चीनी क्रान्तिकारी नेता सनयातसेन चीन से राजनीतिक कारणों से भाग कर लन्दन आये, उन्हें फुरलाकर चीनी दूतावास में लाया गया और यहाँ चीन भेजने के लिए उन्हें कैद कर लिया गया। इस पर ब्रिटिश सरकार ने लन्दन के चीनी दूतावास को चीनी प्रदेश बनाने का प्रतिवाद किया और अन्त में बाधित होकर चीनी दूतावास को सनयातसेन को मुक्त करना पड़ा।

(ड) राजनयिक प्रतिनिधि की उन्मुक्तियाँ (Immunities) और छूटे उतके परिवार तथा अनुचर वर्ग पर भी लागू होती हैं, प्रायः राजदूत अपने दूतावास के जिन व्यक्तियों के लिये ये उन्मुक्तियाँ चाहते हैं, उनकी एक सूची विदेश मंत्रालय को दे देते हैं। राजदूत के सरकारी स्टाफ के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य नौकरों के लिये इन विशेषाधिकारों की स्वीकार करने के विषय में सब देशों में एक जैसी व्यवस्था नहीं है। इंग्लैंड में १७०८ के कानून के अनुसार राजदूतों के घरेलू नौकरों को दीवानी कार्यवाहियों से उस अवस्था में मुक्त किया गया है, जबकि वे किसी व्यापार-कार्य में न लगे हों। ये नौकर सम्भवतः फौजदारी कानून के क्षेत्राधिकार से मुक्त नहीं हैं।

राजदूतों के उपर्युक्त विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ उनके कार्यकाल का अन्त होते ही समाप्त नहीं हो जाती। वे उस समय तक दी जाती हैं, जब तक कि वे अपना कार्य समेट कर सम्मान सहित देश से लौटकर नहीं चले जाते। किन्तु यह सुविधा राजदूत-पद से हटाये व्यक्तियों को नहीं मिलती और न ही दूतावास के ऐसे व्यक्तियों को, जिनको राजदूत ने इनमें बचिक्त कर दिया है। यदि कोई राजदूत राज्य के विरुद्ध जासूसी का काम करता है तो प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से मुक्ति का उसका विशेषाधिकार समाप्त हो जाता है।

राजदूतों को उपर्युक्त विशेषाधिकार हम सिद्धान्त के आधार पर दिये गये हैं कि उन्हें अपने देश का सरकारी कार्य करने की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिये, इसमें किसी प्रकार की बाधा या हस्तक्षेप डालना उचित नहीं है। राजदूतों के उपर्युक्त अधिकार और उन्मुक्तियाँ उनके सरकारी और निजी (Private) — दोनों प्रकार के कार्यों के लिये हैं। ग्रेट ब्रिटेन ने १९५५ में इन अधिकारों के सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय कानून Diplomatic Immunities Restrictions Act बनाया है। इसके अनुसार जो देश अपने यहाँ ब्रिटिश राजदूतों को वैयक्तिक कार्यों के लिये अपने क्षेत्राधिकार से

उन्मुक्तियाँ नहीं प्रदान करते, ग्रेट ब्रिटेन में उन देशों के राजदूतों से यह सुविधा ग्रांडर-इन-कौन्सिलो द्वारा छीनी जा सकती है।

वाणिज्य-दूतों (Consuls) को राजनयिक प्रतिनिधि नहीं समझा जाता, वे अपने वैयक्तिक कार्यों के लिए प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से मुक्त नहीं होते, किन्तु सरकारी कार्यों के लिए उन्हें यह उन्मुक्ति प्राप्त है।

—(ग) सार्वजनिक जहाज (Public Ships of Foreign States)—सार्वजनिक जहाज एक बड़ी व्यापक परिभाषा है, इसमें सरकारी तथा सरकार द्वारा काम में लाये जाने वाले जलपोत, रणपोत, सामान लादने वाले तथा सवारियों का परिवहन करने वाले विभिन्न प्रकार के जलपोत सम्मिलित हैं। विदेशी बन्दरगाहों में ऐसे जहाज प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से मुक्त समझे जाते हैं। इसके तीन सुप्रसिद्ध वे उदाहरण हैं—स्कूनर एक्सचेंज (Schooner Exchange) एक अमरीकन जलपोत था। इसे १८१० में नेपोलियन ने पकड़ लिया और फ्रांस का सरकारी जहाज बना लिया। जब यह पोत अमरीका पहुँचा तो इसके पुराने मालिक ने इसे पुनः प्राप्त करने के लिये कानूनी कार्यवाही की। १८१२ में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जॉन मार्शल ने Schooner Exchange v McFaddon के मामले में यह निर्णय किया कि यह पोत सार्वजनिक है, अतः यह अमरीकन न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से मुक्त है। दूसरा मामला पार्लेमेंट बेल्जे (Parlement Belge) का है, यह बेल्जियम का डाक ले जाने वाला सरकारी जहाज था। डोवर के बन्दरगाह में यह एक इंगलिश जहाज से टकरा गया। ब्रिटिश जलपोत के मालिकों ने इस टक्कर से हुई क्षतिपूर्ति के लिये इस पर १८८० में ब्रिटिश न्यायालय में दावा किया, किन्तु न्यायालय ने इस जहाज को बेल्जियम के राजा की सम्पत्ति होने के कारण सार्वजनिक माना और इसलिए अपने क्षेत्राधिकार से मुक्त स्वीकार किया।

तीसरा उदाहरण पेसरो (Pesaro) नामक इटालियन जहाज का Derizzi Brothers Co v Steamship Pesaro नामक मामला है। अमरीका के सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इटली की सरकार के स्वामित्व में विद्यमान तथा इसके द्वारा सामान्य व्यापारिक कार्यों में प्रयुक्त किये जाने वाले पेसरो नामक जहाज के विरुद्ध लाये गये मामले पर विचार करने में इन्कार करते हुए कहा था—“जब कोई राज्य अपने देश की जनता का व्यापार बढ़ाने के लिये अथवा राज्यकोश की आय में वृद्धि करने के लिये किसी जलयान पर स्वामित्व स्थापित करता है, उसका उपयोग माल की ढुलाई के लिये करता है तो यह उसी अर्थ में सार्वजनिक जहाज (Public Ship) हो जाता है, जिस अर्थ में युद्धपोत (Ships of War) सार्वजनिक जहाज है, क्योंकि हमें किसी ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय परिपाटी (Usage) का पता नहीं है, जिस के अनुसार शान्तिकाल में अपने देश की जनता का अधिक कल्याण नौसेना रखे जाने की अपेक्षा किसी भी प्रकार से कम महत्व रखने वाला सार्वजनिक प्रयोजन समझा जाता हो।” अतः राज्य के व्यापारिक जहाज उसके जमी जहाजों की भाँति विदेशी राज्यों के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में आते हैं।

पार्लमेंट वेल्जे के उदाहरण से स्पष्ट है कि सार्वजनिक जहाज के विदेशी बन्दरगाह में प्रविष्ट होने पर इसके साथ टक्कर होने पर भी हर्जाना वसूल करने की कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि सार्वजनिक जहाजों को मनचाहा कार्य करने की स्वतन्त्रता है। उन्हें स्थानीय राज्य के स्वाम्भ्य तथा पवारण्टीन (quaranteen) सम्बन्धी नियमों का पालन करना पड़ता है और यह राज्य के अपराधियों तथा तटकर कानून तोड़ने वाले व्यक्तियों को कोई सहायता नहीं दे सकता। यदि इसके कर्मचारी तट पर जाकर राज्य को कोई कानून तोड़ते हैं तो वे इसके कानूनी परिणामों में नहीं बच सकते। यद्यपि ऐसे अवसरों पर बन्दरगाहों के अधिकारी ऐसे अपराधियों को पकड़कर जहाज के अधिकारियों को सौंप देते हैं, राज्य के प्रादेशिक समुद्र में होने पर भी इस पर किये गये किसी अपराध के सम्बन्ध में स्थानीय सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। फेनविक आदि कुछ विधिशास्त्रियों का यह मत है कि यदि कोई व्यक्ति तट पर अपराध करने के बाद भागकर ऐसे जहाज पर शरण लेता है तो तटवर्ती राज्य उसके समर्पण की माँग नहीं कर सकता, उसे इसके लिये द्यूटनीतिक कार्यवाही करनी चाहिये। किन्तु इसके विपरीत बियर्ली आदि कुछ अन्य लेखकों का यह मत है कि ऐसे अपराधी स्थानीय पुलिस को सौंप दिये जाने चाहिये। अपराधियों को ऐसे जहाजों पर असाधारण अवस्था में मानवीय कारणों के आधार पर ही शरण दी जानी चाहिये।

(घ) विदेशी सेनाओं पर क्षेत्राधिकार (Jurisdiction over Foreign Armed Forces)—यदि एक देश की सेनाएँ दूसरे देश में जाती हैं तो उन्हें प्रादेशिक क्षेत्राधिकार (Territorial Jurisdiction) से कुछ अंशों में ही उन्मुक्ति मिलनी है। इनका स्वरूप और मात्रा परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। सेनापति को तथा सैनिक न्यायालयों को सैनिकों द्वारा किये गये अपराधों पर विचार का अनन्य अधिकार होता है। ये अपना कार्य क्षमतापूर्वक करते रहें, इस दृष्टि से स्थानीय न्यायालयों को इनके क्षेत्राधिकार में वचित समझा जाता है। यदि स्थानीय न्यायालय सैनिकों के मामले में दखल देने लगे तो सैनिक अनुशासन को बड़ा धक्का पहुँचेगा। इस विषय में अग्ररीजन्त दृष्टिकोण यह है कि किसी देश में आने वाली सेनाओं को स्थानीय क्षेत्राधिकार में पूर्ण रूप से उन्मुक्ति मिलनी चाहिये, किन्तु आस्ट्रेलिया और ग्रेट ब्रिटेन इसे स्वीकार नहीं करते। Wright v Cantrell के मामले में आस्ट्रेलिया के न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि यदि स्थानीय नागरिक को हानि पहुँचाने वाले किसी विदेशी सैनिक का स्थानीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में लाया जाय तो इससे सेना की कार्यक्षमता को कोई खतरा नहीं पहुँचेगा।

(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की क्षेत्राधिकार में मुक्ति (Immunity of International Institutions from Jurisdiction)—सं० रा० सघ और अन्तर्राष्ट्रीय श्रमसंगठन (I L O) जैसी संस्थाओं को अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों तथा राष्ट्रीय कानूनों के द्वारा स्थानीय क्षेत्राधिकार से मुक्ति प्रदान की गई है। इस विषय में सं० रा० सघ की जनरल असेम्बली ने १९४६ तथा १९४७ में Conventions on the

Privileges and Immunities of the United Nations and of the Specialised Agencies स्वीकार किया था। ग्रेट ब्रिटेन ने १९५० में British International Organisations Immunities and Privileges Act तथा सं. रा. अमरीका ने १९५४ में United States Federal International Organisations Immunities Act पास किया था।

महासमुद्रों में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction on High Seas)—एंग्लो-नार्वेजियन मछलीगाह मामले (देखिये ऊपर पृ० २१५) के निर्णय के अनुसार महासमुद्र (High Sea) या खुला समुद्र (Open Sea) समुद्र के उन भागों को कहते हैं—(१) जो प्रादेशिक समुद्र (Territorial Waters) न हों, (२) जो आन्तरिक समुद्र (Inland Waters) न हों अर्थात् प्रादेशिक समुद्र की आन्तरिकताओं के भीतर न आते हों। मोटे तौर से खुले समुद्र की परिभाषा यह है कि यह नीचे मील की चौड़ाई वाले प्रादेशिक समुद्र से आगे की विस्तीर्ण जलरश्मि होती है। वर्तमान समय में इस पर किसी देश का स्वामित्व या प्रादेशिक प्रभुता नहीं मानी जाती। यह सब देशों के लिये समान रूप से खुली हुई है इसमें सब देशों के जहाज स्वतन्त्रतापूर्वक नौसंचालन कर सकते हैं और यहाँ की समुद्रतलवर्ती प्राकृतिक सम्पत्ति का दोहन कर सकते हैं। 'महासमुद्रों की स्वतन्त्रता' (Freedom of High Seas) के सिद्धान्त का यही अर्थ है कि ये समुद्र किसी विशेष देश की प्रभुता में नहीं माने जाते, किन्तु सब राज्यों के उपयोग के लिए समान रूप से खुले हुए हैं।

ऐतिहासिक दृष्टि से इस सिद्धान्त का विकास शान्तिपूर्ण हुआ है। १५वीं १६वीं शताब्दी में योरोपियन जातियों ने भूमण्डल के विभिन्न महाद्वीपों—अमरीका आदि की खोज के लिये समुद्रमगन आरम्भ किया। इससे पहले तक समुद्रों पर प्रभुता स्थापित करने का कोई प्रयत्न ही नहीं था। इस समय विभिन्न शक्तियाँ ने अनेक महासमुद्रों पर प्रभुता का दावा किया। वेनिस ने एड्रियाटिक सागर पर, इंग्लैंड ने उत्तरी समुद्र तथा इंग्लिश चैनल पर तथा अटलांटिक सागर के बड़े भाग पर तथा डेन्मार्क और स्वीडन ने बाल्टिक सागर पर इस प्रकार के दावे किये। उस समय इन दावों के सम्बन्ध में अवश्य मतभेद था किन्तु इस सिद्धान्त पर कोई मतभेद नहीं था कि राज्यों को समुद्र पर इस प्रकार की प्रभुता स्थापित करने का पूर्ण अधिकार है। प्रायः राज्य जिन महासमुद्रों पर अपनी प्रभुता का दावा करते थे, उनमें पुलिस की भाँति पूरी देखभाल और समुद्री डाकूओं का निराकरण किया करते थे तथा इस सेवा के बदले वे इस पर साम्प्रतिक अधिकार का दावा करते थे। उनके अनुसार इस प्रदेश की मछली ग्राहों को ठेके पर उठाने यहाँ से गुजरने वाले जहाजों से कर वसूल करने तथा अपने देश के झण्डे की सन्तामी लेने का वे अपना विशेष अधिकार समझते थे। कई बार ये समुद्र दूसरे देशों के जहाजों के लिये विलकुल बन्द कर दिये जाते थे।

१६वीं शताब्दी में स्पेन और पुर्तगाल द्वारा अपने समुद्रों में उपयोग के कारण समुद्र की प्रादेशिक प्रभुता के सिद्धान्त के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया हुई। इसके परिणामस्वरूप महासमुद्रों की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त का जन्म हुआ। पोप

अलेक्जेंडर षष्ठ (Alexander VI) ने १४९३ की अपनी एक आज्ञा द्वारा गई दुनिया को स्पेन और पुर्तगाल में बाँट दिया। इसके अनुसार स्पेन समूचे प्रसन्न महासागर तथा मेक्सिको की खाड़ी पर अपनी प्रभुता का दावा करने लगा, पुर्तगाल ने हिन्द महासागर और अरबमहासागर के बड़े हिस्सों पर अपने स्वामित्व की घोषणा की। दोनों देश अन्य युरोपियन राज्यों को इन विनाश क्षेत्रों से निकालने का प्रयत्न करने लगे।

१६०६ में पुर्तगाल के इन दावों का खण्डन करने के लिये घोशियस ने स्वतन्त्र समुद्र (Mare Liberum) नामक निबन्ध लिखा, इसमें सर्वप्रथम मुस्पट्ट रीति में समुद्रों की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया था। उसने इन पर प्रादेशिक प्रभुता का खण्डन दो प्रकार के तर्कों से किया था—

(१) महासमुद्र किसी की वैयक्तिक सम्पत्ति इमलिये नहीं माना जा सकता कि कोई देश प्रभावशाली रूप में इसका आवेदन (occupation) नहीं कर सकता तथा इस पर अपना स्वामित्व नहीं रख सकता।

(२) सब व्यक्तियों द्वारा उपभोग में आने वाली तथा कभी समाप्त न हो सकने वाली वस्तुओं पर स्वामित्व स्थापित करने का अधिकार प्रकृति किसी को प्रदान नहीं करती। जिस तरह खुली हवा पर कोई मिलकियत नहीं जमा सकता, वही स्थिति खुले समुद्र की है। यह सब राष्ट्रों की सम्पत्ति (Res gentium) है।

आरम्भ में घोशियस ने समुद्रों स्वतन्त्रता के सिद्धान्त का बड़ा विरोध हुआ। इंग्लैंड में जॉन रोलडन ने १६३५ में 'बन्द समुद्र' (Mare clausum) नामक ग्रन्थ में घोशियस के तर्कों का खण्डन किया। किन्तु शान-शान सब राज्यों को यह अनुभव हुआ कि यह सिद्धान्त उनके रवार्थों की दृष्टि से बड़ा लाभप्रद है। हॉल ने इसका कारण स्पष्ट करते हुए बताया है कि कई बार एक ही समुद्र के सम्बन्ध में अनेक राष्ट्रों द्वारा प्रादेशिक प्रभुता का दावा किये जाने पर सब राज्यों का बड़ी असुविधा उठानी पड़ती थी। इन राज्यों को शीघ्र ही यह ज्ञान हुआ कि समुद्रों पर प्रादेशिक प्रभुता के स्थापित करने का कोई व्यावहारिक लाभ नहीं है, इसकी उपयोगिता केवल युद्ध में है, उन समय शक्तिशाली नौसेना के अभाव में इन प्रदेशों पर दावा करना निरर्थक है। समुद्रों की स्वतन्त्रता का सिद्धान्त सब राष्ट्रों में सम्पर्क की स्वाधीनता बनाये रखने की दृष्टि से लाभप्रद था, अतः १६वीं शताब्दी तक यह अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सर्वमान्य सिद्धान्त हो गया।

इसके कथनानुसार 'खुले समुद्र की स्वतन्त्रता' में निम्नलिखित तर्कों का समावेश होता है— (१) महासमुद्रों पर कभी किसी विशेष महाशक्ति को प्रभुता स्थापित नहीं हो सकती। (२) महासमुद्रों में सब देशों के व्यापारिक जहाजों एवं युद्धपोतों को नौनालन की पूर्ण स्वतन्त्रता है। (३) सामान्य रूप से किसी राज्य को उसमें अपने राष्ट्र का भण्डा पहचाने वाले जहाजों के अनिश्चित अन्य देशों के जहाजों पर अपना क्षेत्राधिकार प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। (४) सामान्यत एक राज्य

१०. हॉल—इण्डरनेराल लॉ, पृ० १५६

११. म्यार्क—पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० २०८-९

इसका भण्डा फहराने वाले जहाज पर ही अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग का अधिकार रखता है। (५) प्रत्येक राज्य और उसके नागरिकों को इस बात का अधिकार है कि वे महासमुद्रों में अब समुद्रीय तारों तथा तेल के गाइप विद्या सके, मछलीगाहों का उपयोग कर सकें और वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए समुद्र का उपयोग कर सकें। (६) महासमुद्रों के ऊपर के आकाश में सब देशों के हवाई जहाजों को उड़ान करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है।

महासमुद्रों की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध (Limits on the Freedom of High Seas)—महासमुद्रों की स्वतन्त्रता उच्छृङ्खलता तथा अराजकता में न परिणत हो जाय, इसलिये इसमें चलने वाले जहाजों के सम्बन्ध में निम्नालिखित मर्यादायें और प्रतिबन्ध लगाये गये हैं—

(१) महासमुद्रों में यात्रा करने वाले सार्वजनिक और वैयक्तिक जलपोत उस देश के क्षेत्राधिकार में मगभे जाते हैं जिस देश की ध्वजा उन पर फहरा रही हो। उदाहरणार्थ, ग्रेट ब्रिटेन की ध्वजा पहराने वाले जहाज पर महासमुद्र में किये गये अपराधों पर विचार का अधिकार ब्रिटिश न्यायालयों को होगा।

(२) कोई भी जलपोत किमी देश की ध्वजा उसमें पूरा अधिकार और स्वीकृति पाने के बाद ही अपने पोत पर लगा सकता है। उसे जिस राज्य द्वारा ध्वजा (Flag) लगाने का अधिकार दिया गया हो, उसके अतिरिक्त अन्य किसी देश की ध्वजा वह अपने जहाज पर नहीं लगा सकता।

(३) प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि वह किसी को अपने देश की ध्वजा का दुरुपयोग न करने दे। यदि कोई जहाज इस प्रकार का दुरुपयोग करता है तो वह राज्य उस जहाज को पकड़ कर जप्त कर सकता है।

(४) किमी भी राज्य के युद्धपोत सवेहाम्पद पोतों को उनका भण्डा दिखाने के लिए कह सकते हैं। जो जहाज किसी सामुद्रिक राज्य का समुचित भण्डा नहीं दिखा सकता, उसे रक्षा पाने का कोई अधिकार नहीं, उतकी जग्गी की जा सकती है।

(५) महासमुद्रों में यात्रा करने वाले जहाजों के निरीक्षण और तलाशी का अधिकार (Right of Visit and Search) होता है।

(६) महासमुद्रों में दो पोतों की टक्कर होने पर लोटस के मामले में दिये गए निर्णय के अनुसार इस टक्कर में प्रभावित जहाज जिस देश का होता है, उसके न्यायालयों को विदेशी जहाजों के विरुद्ध मामले सुनने का अधिकार होता है। किन्तु १९५२ के ब्रुसेल्स सम्मेलन ने तथा १९५६ में अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने अपनी आठवीं बैठक में टक्कर की दगा में टकराने वाले जहाजों पर उनके भण्डे वाले देश का क्षेत्राधिकार स्वीकार किया है।

(७) युद्ध के समय महासमुद्रों पर युद्धकारी सामुद्रिक वेगों के अधिकारों में बहुत वृद्धि हो जाती है। युद्धकारी देश तटस्थ देशों के जहाजों का निरीक्षण और तलाशी इस दृष्टि में ले सकते हैं कि वे कहीं विनिषिद्ध (Contraband) युद्ध-सामग्री का वहन तो नहीं कर रहे। किसी देश के गृहयुद्ध में दोनों पक्ष युद्धावस्था की मान्यता (Recognition of Belligerency) पा लेने पर (देखिये पृ० १८०) महासमुद्रों में इस प्रकार

विदेशी जहाजों की तलाशी का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं।

(८) अन्तर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा विभिन्न राज्य एक-दूसरे को महामुद्रों के कुछ भागों पर शान्तिकाल में विशेष जद्दोज्बूदों की पूर्ति की दृष्टि से विदेशी जहाजों की निरीक्षण और तलाशी का अधिकार प्रदान करते हैं। उनका स्वरूप ऐसे समझौतों नामों से ही स्पष्ट है—जैसे Convention for the Protection of Submarine Cables, 1884 Convention for regulating the Police of the North Sea Fisheries, 1882. The Convention respecting the Liquor Traffic in the North Sea, 1887 The General Act of Brussels of 1890, for the Repression of the African Slave Trade Interim Convention of February 1957, for the conservation of North Pacific Fur Seal Herds

(९) महासमुद्रों में अणु बम सम्बन्धी परीक्षण करते हुए इनके कुछ विदेशी प्रदेशों को नीचालन के लिये बन्द करने के अधिकार पर आजकल अन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्रियों में पर्याप्त मतभेद है। इन परीक्षणों में उत्पन्न रेडियोधर्मी धूलि विकिरण (Radio-active fall out) से समुद्र में चलने वाले जहाजों पर मवार व्यक्तियों में स्थायी रूप से हानि पहुँच सकती है। घन अमरीका आदि कुछ देश ऐसे परीक्षण करने पहले इस परीक्षण में पभावित होने वाले महामुद्र में सब देशों को अपने जहाजों में भेजने की चेतावनी और सूचना देते हैं। क्या उनका इस प्रकार का कार्य इस प्रदेश को नीचालन के लिए बन्द करके महामुद्रों की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त को हानि नहीं पहुँचाता? कुछ देश बस्तुन ऐसा समझते हैं। किन्तु ऐसे परीक्षण करने वाले देशों को तर्क यह है कि इस प्रकार समुद्र बन्द करना सर्वथा युक्तियुक्त है, इसमें महामुद्रों की स्वतन्त्रता को कोई बड़ी आच नहीं आती, क्योंकि यह कार्य अल्पकालिक और अस्थायी होता है, आत्मरक्षा के लिये यह उसी प्रकार बंध है, जैसे महामुद्रों में युद्धपोतों द्वारा नवनी लडाई और तोपखानों के परीक्षण जायज होते हैं।

(१०) तटवर्ती राज्य को विदेशी जहाजों से अपनी सुरक्षा तथा प्रभुसत्ता के सम्बन्ध में भीषण सकट उत्पन्न होने की दशा में यह अधिकार है कि वह अपने प्रादेशिक समुद्र की सीमा से बाहर महामुद्र में भी आत्मरक्षा के आधार पर ऐसे विदेशी जहाजों के विरुद्ध कार्यवाही करे।

(११) तटवर्ती राज्यों को महामुद्रों में सज्जों से पीछा करने (Hot pursuit) का अधिकार प्राप्त होता है।

(१२) महामुद्रों में प्रत्येक देश को समुद्री डाकूओं (pirates) को नष्ट करने का अधिकार है।

महासमुद्रों के सजीव साधनों के संरक्षण तथा मछली पकड़ने का समझौता (Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas, 1960)—महासमुद्रों की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त ने सब देशों को यह अधिकार प्रदान किया है कि वे इन समुद्रों में पाये जाने वाले प्राकृतिक साधनों को प्राप्त करने तथा मछलियाँ आदि पकड़ने का पूरा अधिकार रखते हैं और ऐसा कार्य

करने वाले जहाजों को महामुद्रो में पूरी स्वतन्त्रता है, कोई देश किसी दूसरे को ऐसे कार्य से नहीं रोक सकता। किन्तु कई बार कुछ देश यह कार्य ऐसे ढंग से कर सकते हैं कि इस में प्राकृतिक सम्पत्ति और प्राणियों के विनाश की संभावना उत्पन्न हो सकती है। इसका एकमात्र उपाय यह है कि विभिन्न देश महामुद्रो में प्राकृतिक सम्पत्ति के दोहन के सम्बन्ध में ऐसी संधियाँ और समझौते करें जिनमें इस सम्पत्ति की सुरक्षा और संरक्षण (Preservation) हो सके और सब देश इसमें देर तक लाभ उठाते रहें। यह १८६२ तथा १९०२ के Behring Sea Fur Seal Arbitrations के उदाहरणों से स्पष्ट हो जायगा।

वेर्हायर समुद्र साइबेरिया और अलास्का के मध्य में प्रशान्त एवं उत्तरी ध्रुवीय (Arctic Sea) सागरों को मिलाने वाला है। यहाँ बड़े मुलायम बालों की खाल या समूर (Fur) वाली मील (Fur Seal) मछलियाँ बड़ी संख्या में मिलती हैं। समूर के लिये इनका शिकार किया जाता है। पहले मामले में १०० रा० अमरीका ने सील मछलियों के कुछ कनाडा बारी शिकारी पकड़ लिये, इसका यह कारण था कि ये महामुद्रो में सीलों का अन्धाधुन्ध शिकार करते हुए गर्भवती सील मछलियों को भी पकड़ रहे थे, इससे यह आशंका थी कि १०० रा० अमरीका के अधीन अलास्का में सील मछलियों का वंश खत्म हो जायगा। दूसरे मामले में हमने १०० रा० अमरीका के इस प्रकार सील का शिकार करने वाले व्यक्तियों को पकड़ा। इनके शिकार में रूसी सील मछलियों का वंश लुप्त होने की संभावना थी। इन दोनों मामलों में न्यायाधिकरण (Tribunal) ने यह मुक्ति नहीं स्वीकार की कि तटवर्ती राज्य को यह अधिकार है कि वह अपने तट के निकटवर्ती महामुद्रो में बहुमूल्य प्राकृतिक साधनों के संरक्षण के लिये विदेशी जहाजों पर कोई पाबन्दी या रोक लगा सकता है। न्यायालय का मत था कि संधि न होने की दशा में तटवर्ती राज्य संरक्षण सम्बन्धी नियम केवल अपने जहाजों पर ही लागू कर सकता है। इस निर्णय के बाद समुद्र में हल्ले तथा सील मछलियों के अन्धाधुन्ध एवं विनाशकारी रूप से पकड़ने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये अनेक देशों में संधियाँ की गयीं हैं। किन्तु ये संधियाँ केवल संधि करने वाले राज्यों पर ही लागू होती हैं, अन्य राज्यों को महामुद्रो में ऐसा विध्वंसपूर्ण शिकार करने में नहीं रोक जा सकता।

इस विषय का महत्व अनुभव करते हुए १९५८ के समुद्री कानून के जेनेवा सम्मेलन (२४ फरवरी से २८ अप्रैल) ने इस विषय में अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग द्वारा बनाया हुआ एक समझौता Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of High Seas स्वीकार किया है।^{१२} इसकी धारा १ में ३ तक सामान्य अधिकारों तथा कर्तव्यों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि सब राज्यों को अपने नागरिकों के लिये यह अधिकार प्राप्त है कि वे महामुद्रो में मछलियों पकड़ सकते हैं, बशर्ते कि वे निम्नलिखित शर्तों का पालन करें (१)—संधियों में उत्पन्न होने वाले दायित्व, (२) तटवर्ती राज्यों के हित एवं अधिकार, (३) इस समझौते में आगे दी

जाने वाली व्यवस्थाएँ। सब राज्यों का यह कर्त्तव्य है कि वे भोजन प्राप्ति की मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये महासमुद्रों में जीवित प्राणियों के संरक्षण के लिये किये जाने वाले उपायों में एक-दूसरे का सहयोग करें। यदि महासमुद्रों के किसी भाग में दो या अधिक राज्यों के नागरिक शिकार करते हैं तो प्रत्येक राज्य को अन्य राज्यों के साथ यहाँ प्राकृतिक सम्पत्ति के संरक्षण का समझौता कर लेना चाहिये। यदि यह समझौता न हो सके तो इस कार्य के लिये पाँच सदस्यों का एक आयोग बनाना चाहिये।

तटवर्ती राज्यों को यह अधिकार है कि वे अपने प्रादेशिक समुद्र के साथ लगे हुए महासमुद्रों में जीवित प्राणियों के संरक्षण के लिये किये जाने वाले उपायों में भाग ले, भले ही उसके नागरिक यहाँ मछलियाँ न पकड़ते हों। यहाँ शिकार करने वाले अन्य देना को तटवर्ती राज्यों के साथ इस विषय में समझौता कर लेना चाहिये ताकि प्राकृतिक संपत्तियों का संरक्षण भली भाँति हो सके। दूसरे राज्यों को यहाँ ऐसे उपायों का प्रयोग नहीं करना चाहिये, जो तटवर्ती राज्य द्वारा ग्रहण किये गये उपायों के प्रतिकूल हों। यदि इन उपायों के बारे में तटवर्ती राज्यों से छद्म महीने तक समझौता नहीं हो पाता तो तटवर्ती राज्य एक-पक्षीय (Unilaterally) रूप में संरक्षण के उपायों को ग्रहण कर सकता है, किन्तु ये अन्य राज्यों पर निम्न दशाओं में लागू हो सकते हैं—(१) मछलीगोहों की वर्तमान स्थिति के ज्ञान की दृष्टि में आवश्यक रूप से बरते जान वाले उपाय। (२) ये उपाय उपयुक्त वैज्ञानिक अन्वेषणों के आधार पर हाने चाहिये। (३) व विदेशी मछली पकड़ने वालों पर भेदभावपूर्ण (Discriminatory) नियम लागू करने वाले नहीं होने चाहिये। इस विषय में हाने वाले सभी विवादों का पथनिर्णय पाँच सदस्यों के पहले बनाये गये आयोग द्वारा किया जायगा।

महासमुद्रों का अभिसमय (Convention on High Seas) — १९५८
 के जेनेवा के समुद्री सम्मेलन ने महासमुद्रों के विषय में भी एक महत्वपूर्ण समझौता स्वीकार किया है। इसकी धारा १-२ में महासमुद्र का यह लक्षण दिया गया है कि ये "समुद्र के वे सब भाग हैं, जो राज्य के प्रादेशिक समुद्र तथा आन्तरिक जलो (Inland Waters) में नहीं आते। ये सब देना के लिए समान रूप में खुले हुए हैं, इनके किसी भाग पर कोई देश वैध रूप से अपनी प्रभुसत्ता नहीं स्थापित कर सकता"। महासमुद्रों की स्वतन्त्रता पर इस समझौते में तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा अनेक प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। महासमुद्रों की स्वतन्त्रता में निम्न बातों का समावेश है—तौचालन की स्वतन्त्रता, मछली पकड़ने की स्वतन्त्रता, समुद्र की अन्वेषण में तार तथा पाइप लाइनों बिछाने की स्वतन्त्रता, महासमुद्रों पर उड़ने की स्वतन्त्रता। किन्तु इन सब स्वतन्त्रताओं का उपयोग तथा राज्यों द्वारा इन अधिकारों का जमा-जमा-चाहिये, किन्तु दूसरे राज्यों द्वारा समुद्र की स्वतन्त्रता का प्रयोग करते हुए उनके हितों को कोई हानि न पहुँचे। इसमें यह स्पष्ट है कि महासमुद्रों का प्रयोग करते हुए यदि दूसरे राज्यों के हितों का ध्यान नहीं रखा जायगा तो यह अधिकारों का दुरुपयोग समझा जायगा।

इसकी धारा ३ में चारों ओर स्थल में घिरे हुए (Landlocked Countries)

राज्यों के बारे में यह कहा गया है कि जिन राज्यों का कोई समुद्र तट नहीं होगा उनके लिए समुद्र तक पहुँचने का मार्ग खुला (free access) होना चाहिये। स्पष्ट से घिरे राज्यों को समुद्रतट रखने वाले उनका पड़ोसी देशों द्वारा पारस्परिक समझौते से यह अधिकार दिया जाना चाहिये। यह व्यवस्था इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें पहली बार यह सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय कानून में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है। यद्यपि इसमें बहुत कुछ पारस्परिक समझौते पर छोड़ा गया है, फिर भी इसकी यह व्यवस्था बड़ा महत्व रखती है।

जहाजों की राष्ट्रीयता (Nationality of Ships) के बारे में धारा ५ में विस्तृत नियम दिये गये हैं। प्रत्येक राज्य को यह अधिकार है कि उसके झण्डे को फहराते हुए जहाज समुद्र में यात्रा करे और वह जहाजों को अपनी राष्ट्रीयता देने की शर्तों का तथा जहाजों की अपने प्रदेश में रजिस्ट्री करने तथा अपना झण्डा फहराने की शर्तों का निश्चय करे। जहाजों पर जिस देश की ध्वजा फहरा रही होगी, वह जहाज उस देश का समझा जायगा, किन्तु राज्य में तथा जहाज में वास्तविक सम्बन्ध (Genuine Link) होना चाहिये और राज्य का "अपने झण्डे वाले जहाज के शासन प्रबन्ध, प्राविधिक (Technical) तथा सामाजिक विषयों में प्रभावशाली क्षेत्राधिकार और नियन्त्रण होना" चाहिये। यह व्यवस्था इस उद्देश्य से की गयी है कि जहाजों पर 'सुविधा के झण्डे' (Flags of Convenience) लगाने की दूषित प्रथा समाप्त की जा सके। 'सुविधा के झण्डे' का अभिप्राय यह है कि जहाजों पर पानामा, होण्डुरस, लाइबेरिया आदि ऐसे देशों के झण्डे लगाये जायें और इन्हें उन देशों का जहाज माना जाय, जो अपना झण्डा लपाने के लिये कम से कम शर्तों तथा कम से कम नियन्त्रण की माँग करते हैं। जहाजों को एक देश का ही झण्डा लगाकर यात्रा करनी चाहिये, अपनी एक यात्रा में या किसी बन्दरगाह पर राष्ट्र के झण्डे को तब तक नहीं बदलना चाहिये, जब तक कि जहाज के स्वामिन्व में या रजिस्ट्री में वास्तविक परिवर्तन न हो। यदि कोई जहाज दो या अधिक राज्यों का झण्डा लगाता है, इतका प्रयोग अपनी सुविधा के अनुसार करता है तो इसे किसी देश का भी जहाज नहीं समझा जायगा, यह राष्ट्रीयताहीन (without nationality) माना जायगा।

महासमुद्रों में जहाजों पर क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) के विषय में यह मौलिक सिद्धान्त माना गया है कि सधि का अथवा असाधारण दत्ता को छोड़कर सामान्य रूप से महासमुद्रों में जहाजों पर केवल उसी राज्य का क्षेत्राधिकार होगा, जिसका झण्डा उस पर फहरा रहा होगा। महासमुद्रों में होने वाली जहाजों की टक्करो के सम्बन्ध में लोटस (Lotus) के मामले में दिये गये निर्णय से प्रतिकूल नियम बनाते हुए इसमें स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया गया है कि महासमुद्रों में दुर्घटना के सम्बन्ध में कोई दण्डात्मक या अनुशासनात्मक कार्यवाही केवल दो-राज्यों के उपयुक्त अधिकारियों द्वारा की जा सकती है—(क) उस जहाज पर लगे झण्डे वाला देश या ध्वजराज्य (Flag State), (ख) वह राज्य जिसके नागरिक ने दुर्घटना आदि का अपराध किया है (धारा ११)। ध्वजराज्य को महासमुद्रों में अपने जहाज पर पूर्ण

तथा अनन्य क्षेत्राधिकार (Exclusive Jurisdiction) है, हमारे राज्य केवल तीन दशाओं में इस पर क्षेत्राधिकार रखते हैं—(क) समुद्री डकैती (Piracy), (ख) दास-व्यापार, (ग) नींव अनुसरण (Hot pursuit)। आगे यथा स्थान इनका वर्णन किया जायगा।

कारखानों, यन्त्रों आदि की मलिनताओं तथा गन्दे तेल को समुद्र में डालकर उसके पानी को गदला बनाने से रोकने के लिये इसमें कलुषीकरण विरोधी उपायों (Anti-pollution measures) का निर्देश करते हुए इसमें कहा गया है कि सब देश अन्तर्राष्ट्रीय मगठनों को ऐसे उपाय अपनाने में सहयोग देंगे, जो समुद्र को तथा उसके ऊपर के आकाश को रेडियो एक्टिव तत्वों से या अन्य साधनों से कलुषित एवं मलिन होने से बचाने के उद्देश्य से किये गये हों (धारा २४-२५)।

इस मामले पर विचार करने वाली कमेटी ने आणविक आयुधों और इनके परीक्षणों से समुद्रजल के गन्दा होने के प्रश्न पर विशेष रूप से विचार किया। जापान के प्रतिनिधि आकिरा ओहा (Akira Oha) ने ११ मार्च १९५८ को इस दान पर बल दिया कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग द्वारा तय्यार किये गये प्रारूप में कहा गया है कि "राज्यों का यह आवश्यक कर्तव्य है कि वे ऐसे सभी कार्य न करें, जिनमें अन्य राज्यों के नागरिकों द्वारा महामुद्रों के जल का प्रयोग अहितकर (Adverse) हो जाता हो।" जापानी प्रतिनिधि की दृष्टि में इसका यह अभिप्राय था कि महामुद्रों के जलों को आणविक परीक्षणों द्वारा दूषित नहीं किया जाना चाहिये। अतः इस विषय में स्पष्ट रूप से नियम बनाने चाहिये। किन्तु ब्रिटिश और अमरीकन प्रतिनिधियों का यह मत था कि यह प्रश्न निःशस्त्रीकरण पर तथा आणविक आयुधों के परीक्षणों तथा उपयोग पर प्रति-बन्ध लगाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय संधिवाता से सम्बद्ध है अतः इस पर यहाँ प्रत्यक्ष रूप से विचार सम्भव नहीं है।

इस प्रश्न पर विचार के समय तीन प्रस्ताव रखे गये। पहला प्रस्ताव सोवियत संघ, चैकोस्लोवाकिया, पोलैण्ड और यूगोस्लाविया की ओर से संप्रुक्त रूप में पेश किया गया, इसमें महासमुद्रों की स्वतन्त्रता बानी धारा में यह वाक्य जोड़ने को कहा गया था कि "राज्य इस बात के लिये बाध्य है कि वे महासमुद्रों में आणविक आयुधों के परीक्षण न करें।" ग्रेट ब्रिटेन, सं० रा० अमरीका, पाकिस्तान तथा टर्की ने उपर्युक्त कारणों के आधार पर इसका विरोध किया। दूसरा प्रस्ताव ग्रेट ब्रिटेन ने आणविक आयुधों के प्रश्न को जनरल असेम्बली को भेजने का किया। इसका विरोध अल्बानिया, चैकोस्लोवाकिया, भारत, जापान, रूमानिया, सोवियत संघ, सं० अरब गणराज्य तथा यूगोस्लाविया ने इस आधार पर किया कि इससे आणविक आयुधों के परीक्षणों से उत्पन्न होने वाली प्रबल आगका और भीति पूरे रूप में प्रगट नहीं होगी। यह प्रस्ताव भी पास नहीं हो सका। अन्त में भारत द्वारा समझौते के रूप में उपस्थित किया गया तीसरा प्रस्ताव पास हो गया। इसमें अनेक राज्यों की यह "गम्भीर तथा वास्तविक आसक्ति व्यक्त की गयी थी कि आणविक विस्फोट महासमुद्रों की स्वतन्त्रता का उल्लंघन है तथा यह सिफारिश की जाती है कि यह मामला इस दान को ध्यान में रखते हुए जनरल असेम्बली

को मौज जाय कि धारणिक परीक्षणों का प्रश्न अभी अमेम्बली में विचारणीय है।" इस प्रकार इस प्रस्ताव में पहले दो प्रस्तावों का समन्वय था, अतः यह ५० वोटों के बहुमत में पास हो गया, दूसरे के विरोध में जापान, चिली, इक्वेडोर और पीरू के चार वोट थे, सोवियत संघ और उसके समर्थकों तथा यूगोस्लाविया ने इस प्रस्ताव पर वोट नहीं दिया।

Hot Notice
महासमुद्र में तीव्र अनुसरण (Hot pursuit in High Seas)—तटवर्ती राज्य के हितों की सुरक्षा की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा उसे यह अधिकार प्रदान किया गया है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई तटवर्ती राज्य किसी प्रमाण के आधार पर यह समझता है कि किसी विदेशी जहाज ने उसके कानूनों और नियमों का उल्लंघन प्रादेशिक समुद्र की सीमा के भीतर उल्लंघन किया है तो महासमुद्रों में इन जहाज का पीछा करके उसे पकड़ा जा सकता है। तेजी से पीछा करने या तीव्र अनुसरण की शक्त निम्नलिखित है—

(क) यह अनुसरण तत्काल उसी समय से शुरू हो जाना चाहिये जब विदेशी पोत तटवर्ती राज्य के प्रादेशिक समुद्र में हो। अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने इसके ससर्ती क्षेत्र (Contiguous Zone—देखिये ऊपर, पृ० २१५) में होने पर इसका अनुसरण वैध माना है।

(ख) अनुसरण निरन्तर तथा निरवधि (Continuous and uninterrupted) होना चाहिये।

(ग) इस अनुसरण से पहले किसी दृश्य या श्रव्य सकेत द्वारा उसे रकने के लिये चेतावनी इतनी दूरी से दी गयी हो कि वह उसे दिखाई या सुनाई दे।

(घ) पीछा करने वाले जहाज युद्धपोत धार्मिक विमान हो सकते हैं, अधिकार-सम्पन्न गर्ती जहाज हो सकते हैं। तीव्र अनुसरण का सिद्धान्त मुख्य रूप से तटकर के तथा मध्यबीगाहों के नियम तोड़ने वालों पर लागू किया जाता है। यह अनुसरण राज्य के हितों को मामिक हानि पहुँचाने वाले मामलों में ही किया जाता है, कानूनों के क्षुद्र उल्लंघनों पर ऐसा अनुसरण वैध नहीं समझा जाता।"

१९५८ के महासमुद्रों के अभिसमय में तीव्र अनुसरण-विषयक व्यवस्था—
१९५८ में ८७ राज्यों के समुद्री कानून सम्मेलन ने महासमुद्रों के अभिसमय (Convention on High Seas) में तीव्र अनुसरण (Hot pursuit) के मन्वन्ध में धारा २३ में निम्न व्यवस्था की है जब तटवर्ती राज्य के पास यह विश्वास करने का उत्तम प्रमाण हो कि किसी जलपोत ने उक्त राज्य के कानूनों और नियमों का उल्लंघन किया है तो उस विदेशी पोत का तीव्र अनुसरण किया जा सकता है। यह अनुसरण तटवर्ती राज्य के आन्तरिक समुद्र (Internal Waters) अथवा प्रादेशिक समुद्र (Territorial Sea) में आरम्भ होना चाहिये। यदि विदेशी जहाज ससर्ती क्षेत्र (Contiguous Zone)

१३. सीसिंग्स आर्काइव्स, २७ सितम्बर से ४ अक्टूबर, १९५८, पृ० १६४१५

१४. इस सिद्धान्त के विवाद विवेचन के लिये देखिये—मिडिया सीअर बुक ऑफ

इण्टरनेशनल लॉ, १९३६, पृ० ८३।

में हो तो इसका अनुसरण तभी किया जा सकता है, जब इसने ऐसे नियमों का उल्लंघन किया हो, जिनके पालन के लिये यह क्षेत्र स्थापित किया गया था। तीव्र अनुसरण का अधिकार पीछा किये जाने वाले विदेशी जहाज के देश के अथवा किसी अन्य देश के प्रादेशिक समुद्र की सीमा के भीतर पहुँचते ही समाप्त हो जाता है। तीव्र अनुसरण का अधिकार केवल इन्हीं जहाजों को है—(क) युद्धपोत, (ख) सैनिक विमान, (ग) राज्य की ओर से विशेष रूप से अधिकार दिये गये जलीय अथवा हवाई जहाज। यदि यह तीव्र अनुसरण किसी विमान द्वारा किया जाय तो इसे उस समय तक पीछा करना चाहिये जब तक तटवर्ती देश का कोई अन्य जहाज उसका पीछा न करने लगे अथवा विमान स्वयमेव नियम उल्लंघन करने वाले जहाज को बन्दी न बना ले। महासमुद्रों में किसी जहाज को बन्दी बनाने के लिये यह पर्याप्त नहीं है कि तटवर्ती राज्य के विमान ने नियम उल्लंघन करने वाले जहाज को वेवरा देख लिया है, इसके लिये यह आवश्यक है कि इसका पीछा निरन्तर तथा निर्विघ्न (Uninterrupted) रूप से किया गया हो। यदि किसी जहाज को महासमुद्रों में ऐसी परिस्थितियों में रोका जाय, जिनमें तीव्र अनुसरण न्यायोचित न हो, तो इस प्रकार जहाज को ठहराने या रोकने से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति की जानी चाहिये। •

महासमुद्रों में समुद्रों डकैतों का दमन (Piracy in High Seas)—सब राज्यों को यह अधिकार है कि वे खुले समुद्र में समुद्री डाकूओं (Pirates) या जलदस्तुओं का दमन करें। सब देशों के हित की दृष्टि से इनका दमन वाञ्छनीय है अतः यह अधिकार सार्वभौमिक रूप से सब राज्यों को प्रदान किया गया है कि जलदस्तु जिसे किसी राज्य की पकड़ में आये, वह उसे दण्ड दे। इस प्रकार का नियम बनाने का मूल यह विचार है कि समुद्री डाकू मानव जाति का शत्रु (Hostis humani generis—सर्वेषां मानवानां शत्रु) है। अपने जघन्य आचरण के कारण समुद्री डाकू अपनी मातृभूमि से नागरिकता के आधार पर मिलने वाले मरक्षणा से वंचित ममका जाता है।

पहले समुद्री डकैतों का लक्षण यह किया जाता था कि यह कानून की रक्षा से विवंचित या आततायी (Outlaw) व्यक्तियों द्वारा महासमुद्रों में की जाने वाली हत्या या डकैती है। आपेनहाइम के मतानुसार 'यह व्यक्तियाँ सम्पत्ति के सम्बन्ध में हिंस्र का प्रत्येक ऐसा अतिशयित कार्य हैं, जो खुले समुद्र में एक निजी जहाज द्वारा दूसरे जहाज के विरुद्ध किया जाता है, या एक जहाज के विद्रोही नाविक या सवारियों इस जहाज के विरुद्ध करती हैं' मूर (Moore) का लक्षण बड़ा स्पष्ट है— "समुद्री डाकू वह व्यक्ति है जो किसी राज्य से कानूनी अधिकार पाये बिना एक जहाज पर इस इरादे में हमला करता है कि वह इसकी सम्पत्ति लूट लगे।" किन्तु अब इनकी परिभाषा काफी व्यापक कर दी गयी है। १९५६ में अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने इसका लक्षण करते हुए कहा था कि यह व्यक्तिगत स्वार्थ की दृष्टि से किया गया हिंसा, निरोध या लूटपाट का कोई भी अर्थ कार्य है, इसे किसी वैयक्तिक जलपात या विमान पर सवार व्यक्तियों

द्वारा महासमुद्रों पर या स्वामीहीन समुद्रों या प्रदेश पर किसी दूसरे जलपोत, व्यक्तिओं या जलपोत की सम्पत्ति के विरुद्ध किया जाता है।

उपर्युक्त लक्षणों से यह स्पष्ट है कि समुद्री डकैती के निम्नलिखित प्रमुख तत्व हैं—

(क) यह किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के विरुद्ध अनधिकृत हिंसा (Unauthorised violence) का कार्य होना चाहिये।

(ख) यह कार्य खुले समुद्र में होना चाहिये।

(ग) यह एक वैयक्तिक जहाज द्वारा दूसरे वैयक्तिक जहाज के विरुद्ध अथवा बिन्दोही नाविकों या मवारियो का अपने जहाज के विरुद्ध होना चाहिये।

(घ) इसके लिये लूटपाट में सफल होना आवश्यक नहीं, इसके लिये किया गया विफल प्रयत्न भी समुद्री डकैती है।

(ङ) इसका तथ्य सार्वजनिक नहीं, किन्तु वैयक्तिक है। Ambrosic light के मामले में यह फैसला दिया गया था कि महामुद्र में सन्देहपूर्ण परिस्थितियों में यात्रा करने वाला सशस्त्रपोत जलदस्वु (Pirate) समझा जाना चाहिये। कोई सार्वजनिक पोत जलदस्वु का काम नहीं कर सकता, यह कार्य केवल निजी जहाज द्वारा ही हो सकता है। एक युद्धवागी देश द्वारा किसी सशस्त्र वैयक्तिक जलपोत को यह काम सौंपा जा सकता है कि वह उसके शत्रु के जहाजों को लूटे, इसे निजीपोषक (Privateer) कहते हैं। जब तक यह शत्रु के जहाजों की लूटपाट करता है, तब तक इसका कार्य समुद्री डकैती में नहीं गिना जाता है, किन्तु यदि अन्य राज्यों को लूटने लगे तो यह जलदस्वुता होगी। किसी देश में गृहयुद्ध होने की स्थिति में यदि विद्रोहियों को युद्धावस्था की मान्यता न मिली हो तो उनका निजीपोषक जलदस्वु समझा जायगा।

१६२२ में वाशिंगटन के नौ-सम्मेलन में यह प्रस्ताव रखा गया था कि पनडुब्बियों तथा जलपोतों के जो व्यक्ति समुद्री युद्ध के मानवीय नियमों को तोड़ें, उन्हें भी जलदस्वुता का दण्ड दिया जाय। १६३७ के स्पेन के गृहयुद्ध में भूमध्यसागर में अनेक व्यापारी जहाज पनडुब्बियों द्वारा नष्ट कर दिये गये। यह समझा जाता था कि ये कार्य इटली की सरकार की आज्ञा से किये गये थे। इनसे युद्ध का सकट उत्पन्न हो गया, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन, टर्की, रमानिया, बल्गारिया, ईजिप्ट और यूगोस्लाविया ने यह समझौता किया कि पनडुब्बियों के ऐसे कार्य जलदस्वुता समझे जायें और सब राज्यों की सेनायें इन पनडुब्बियों के नष्ट करने का प्रयत्न करें।

१९५८ के महासमुद्रों के अभिसन्ध (Convention on High Seas) में समुद्री डकैती के दमन पर बल देते हुए कहा गया है कि सब राज्यों को इसमें अधिकतम सहयोग देना चाहिये (धारा १४-१८)। महासमुद्रों में प्रत्येक राज्य समुद्री डाकुओं के अथवा इनसे नियंत्रित जहाज पकड़ सकता है, ऐसा कार्य करने वालों को बन्दी बना सकता है और समुद्री डाकुओं की सम्पत्ति जब्त कर सकता है (धारा १६)। इस प्रकार की जब्ती तथा डकैती के दमन का कार्य केवल सरकार द्वारा अधिकार प्राप्त युद्धपोत (Warships) या सैनिक विमान अथवा अन्य जहाज कर सकते हैं।

तेरहवां अध्याय

राष्ट्रीयता

(Nationality)

राष्ट्रीयता का स्वरूप तथा लक्षण (Nature and definition of Nationality) — राष्ट्रीयता व्यक्ति और राज्य के बीच सम्बन्ध स्थापित करने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है क्योंकि राष्ट्रीयता के माध्यम से ही सामान्य रूप से व्यक्ति राज्य द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के लाभों का उपभोग करते हैं। राष्ट्रियता और नागरिकता से हीन व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय कानून के संरक्षण का कोई उपयोग नहीं उठा सकते। यदि उन्हें किसी राज्य से कोई हानि उठानी पड़ती है तो कोई भी राज्य उनका मामला उठाकर उन्हें न्याय दिलाने की क्षमता नहीं रखता। किन्तु राष्ट्रीयता रखने वाले व्यक्ति के साथ विदेश में ऐसा होने पर उसका राष्ट्र उसे उचित न्याय दिलाने का मूल करता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून में राष्ट्रीयताहीन व्यक्ति की स्थिति अनाथ जैसी है। अतएव राष्ट्रीयता को अन्तर्राष्ट्रीय कानून में असाधारण गरिमा प्राप्त है।

भापेनहाइम ने राष्ट्रीयता को सबसे सुन्दर और सरल लक्षण करते हुए लिखा है—
“एक व्यक्ति को राष्ट्रीयता उसका किसी राज्य की प्रजा होना और इसलिए इसका नागरिक होना है।”
हाइट के मतानुसार “राष्ट्रीयता राज्य और व्यक्ति का एक ऐसा सम्बन्ध है, जिसके कारण राज्य उस व्यक्ति को अपने प्रतिनिध्या (Allegiance) रखने वाला समझता है।”
फेनाविश के शब्दों में राष्ट्रीयता “एसा बन्धन है जो एक व्यक्ति को एक राज्य के साथ संयुक्त करता है, उसे एक विशेष राज्य का सदस्य बनाता है, इससे उसे राज्य से संरक्षण पाने का अधिकार मिलता है तथा उसका मूल कर्तव्य होता है कि वह उस राज्य के बनाये गये कानूनों का पालन करे।” स० रा० अमरीका मेक्सिको सामान्य दावा आयोग (U.S Mexico General Claims Commission) ने Re Lynch Claim के मामले में इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा था—
“एक मनुष्य की राष्ट्रीयता का मौलिक आधार उसका एक स्वतन्त्र राजनीतिक समुदाय का सदस्य होना है। इस कानूनी सम्बन्ध से नागरिक और राज्य दोनों के कुछ अधिकार और कर्तव्य उत्पन्न होते हैं।”

राष्ट्रीयता का धारण केवल किसी देश की प्रजा होना नहीं किन्तु इसके साथ कुछ अधिकार और कर्तव्यों का भी उपभोग करता है। हिटलर के समय में १९३५ के जर्मन कानून में प्रजा (Subject) और नागरिक (Citizen) में अन्तर किया गया था। जर्मन प्रजा तभी जर्मन नागरिक बन सकती थी, जबकि उसमें द्यूदात्मिक रक्त हो और

वह जर्मन राष्ट्र की सेवा के लिये उद्यत हो। यहूदियों में यह रक्त नहीं था, अतः उन्हें जर्मन नागरिकता और राष्ट्रीयता के अधिकार नहीं प्राप्त थे। रुमानिया में यहूदियों को नागरिक मानते हुए भी अनेक अधिकारों में वंचित किया गया था। राष्ट्रीयता को नस्ल का पर्याय समझना भी भ्रान्ति है, भारत के राष्ट्रजना (Nationals) के लिये यहाँ की किसी नस्ल का होना आवश्यक नहीं, कोई अश्रेष्ठ या किसी जाति का व्यक्ति यहाँ आकर नागरिकता के लिये निर्धारित शर्तों पूरी करने के बाद भारत की राष्ट्रीयता प्राप्त कर सकता है। इसका एक सुन्दर उदाहरण विश्वविख्यात वैज्ञानिक श्री जे० वी० हाल्डेन द्वारा भारत की राष्ट्रीयता प्राप्त करना है।

राष्ट्रीयता का अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व (International Importance of Nationality)—स्टार्क ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से राष्ट्रीयता के निम्नलिखित परिणाम बताये हैं—

- (क) इसमें विदेशों में व्यक्ति को राजनयिक साधनों द्वारा रक्षा पाने (Diplomatic protection) का अधिकार प्राप्त हो जाता है।
- (ख) यदि कोई राज्य किसी व्यक्ति के गलत कार्यों से हानि उठाता है, तो उस व्यक्ति का राष्ट्र इस राज्य के प्रति इस हानि के लिये उत्तरदायी होता है।
- (ग) राज्य का यह कर्तव्य है कि वह दूसरे देशों से अपने नागरिकों के वापिस किये जाने पर उन्हें ग्रहण करे।
- (घ) राष्ट्रीयता के कारण नागरिकों को अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा और श्रद्धा रखनी पड़ती है और इस कारण उन्हें अपने राष्ट्र में सैनिक सेवा करनी पड़ती है।
- (ङ) एक राज्य को यह सामान्य अधिकार प्राप्त है कि वह दूसरे राज्यों द्वारा प्रार्थना किये जाने पर भी अपने नागरिकों का प्रत्यर्पण (Extradition) न करे।
- (च) युद्ध के समय किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता द्वारा ही उसकी सन्तुष्ट या निष्पत्ति का निश्चय होता है।

(७) (छ) राज्य राष्ट्रीयता के आधार पर अपने क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) का प्रयोग कर सकता है। उदाहरणार्थ वैयक्तिक क्षेत्राधिकार (Personal Jurisdiction) के मामले में कोई राज्य विदेश में अपराध कर आने पर भी अपने नागरिक को उस देश को सोपने से इन्कार कर सकता है। इसी प्रकार कोई देश किसी अन्य देश के नागरिक द्वारा विदेश में इस राज्य के किसी नागरिक के पिछड़े किये अपराध के सम्बन्ध में उसके अपने देश में आने पर उस पर मुकद्दमा चला सकता है। इस विषय में कर्टिग के सुप्रसिद्ध उदाहरण का पहले उल्लेख किया जा चुका है (देखिये ऊपर, पृ० २७१)।

राष्ट्रीयता की प्राप्ति के प्रकार (Modes of Acquisition of Nationality) किसी देश की राष्ट्रीयता पाने के पाँच मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं—

(क) जन्म (Birth)—यह राष्ट्रीयता की प्राप्ति का सबसे स्वाभाविक और

महत्वपूर्ण प्रकार है। सब देशों में अधिकांश व्यक्ति इसी प्रकार नागरिक बनते हैं, किन्तु सर्वत्र इसके नियम एक जैसे नहीं हैं, इनमें बड़ी विभिन्नता है।

(अ) जर्मनी जैसे कुछ देशों में यह केवल रक्त नियम (Jus sanguinis) के आधार पर होती है। इसके अनुसार सन्तान उसी राष्ट्र का नागरिक समझी जाती है, जिसका नागरिक उसके माता-पिता होते हैं। इसमें माता-पिता के रक्त की राष्ट्रीयता के आधार पर सन्तान की राष्ट्रीयता निर्धारित होती है। इसे पितृमूलक या वंशमूलक राष्ट्रीयता कह सकते हैं। उदाहरणार्थ, भारत या ग्रेट ब्रिटेन में उत्पन्न होने पर भी जर्मन माँ-बाप की सन्तान जर्मन होगी, न कि भारतीय या ब्रिटिश।

(आ) भूमि का नियम (Jus soli) — इसके अनुसार राष्ट्रीयता माता-पिता के रक्त सम्बन्ध पर नहीं, किन्तु केवल मात्र उस भूमि या प्रदेश पर निर्भर होती है, जहाँ कोई बच्चा जन्म लेता है। अर्जण्टायना में ऐसा ही नियम है। अतः उस देश की भूमि में जन्म लेने वाला शिशु भारतीय या ब्रिटिश माँ-बाप की सन्तान होने पर भी अर्जण्टायना का नागरिक माना जायगा। यह जन्ममूलक नागरिकता है।

(इ) स० रा० अमरीका तथा ग्रेट ब्रिटेन में नागरिकता के उपर्युक्त दोनों नियम समान रूप से स्वीकार किये जाते हैं। वे अपने देश में उत्पन्न सभी व्यक्तियों की सन्तान को अपने देश की नागरिकता प्रदान करते हैं, भले ही उनके माता-पिता अन्य देशों के नागरिक हों। इसके साथ ही, वे अपने नागरिकता की अन्य देशों में उत्पन्न हुई सन्तान को भी अपनी राष्ट्रीयता प्रदान करते हैं। १९४८ के ब्रिटिश राष्ट्रीयता कानून (British Nationalities Act) तथा १९५२ के United States Nationality Act में इसी व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। प्रायः बायुयान और जलयान में जन्म लेने वाले बच्चे जहाँ पर भंडा फहराने वाले देश के नागरिक माने जाते हैं। किन्तु स० रा० अमरीका के कानून के अनुसार उसके जहाँ में जन्म लेने वाले बच्चे यदि विदेशी माता-पिता की सन्तान हैं तो उन्हें अमरीकी राष्ट्रीयता नहीं प्राप्त होती है।

१९५५ के भारतीय नागरिकता कानून (Indian Citizenship Act) में उपर्युक्त दोनों नियम माने गये हैं। भूमि नियम के अनुसार इसके संवधान ३ में यह व्यवस्था की गयी है कि २६ जनवरी १९५० के बाद भारतभूमि में जन्म लेने वाला ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारतीय नागरिक है, जिसके माता-पिता विदेशी राजदूतों की उन्मुक्तियाँ (Immunities) न रखते हों। ऐसे व्यक्तियों की सन्तान भारत में पैदा होने पर भी भारत का नागरिक नहीं बनेगी। संवधान ४ में पितृमूलक सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए यह कहा गया है कि २६ जनवरी १९५० के बाद विदेशों में उत्पन्न हुए ऐसे सभी बच्चे भारतीय नागरिक समझे जायेंगे, जिनके पिता सन्तान के जन्म के समय भारतीय नागरिक हों।

३

(ए) राष्ट्रीयता प्राप्त करने का दूसरा प्रकार—देशीकरण (Naturalisation) है। जब कोई विदेशी व्यक्ति विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा किसी देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो इसे देशीकरण कहा जाता है। ये प्रक्रियाएँ विवाह में पत्नी द्वारा पति की राष्ट्रीयता पाना, अथवा सन्तान का वैधता से पिता की नागरिकता

पाना (Legitimation), दो नागरिकताओं में विकल्प द्वारा एक का चुनाव करना, किसी देश में अधिवास ग्रहण करने से इसे पाना (Acquisition by domicile), सरकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति तथा आवेदनपत्र द्वारा पाना है। प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्री केलसन ने लिखा है "देशीयकरण में राजन अपनी प्रशासनात्मक कार्यवाही द्वारा किसी विदेशी व्यक्ति को अपनी नागरिकता प्रदान करता है, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय कानून का एक सामान्य नियम विदेशों को उसकी सहमति के बिना अपनी नागरिकता प्राप्त करने का निषेध करता है। मत देशीयकरण केवल उसी दशा में सम्भव है, जब विदेशी नागरिकता पाने के लिये प्रार्थनापत्र देता है।" यह विगुद्ध रूप से सरकार की इच्छा पर निर्भर है कि वह किसी विदेशी का प्रार्थनापत्र बिना कोई कारण बताये अस्वीकार कर दे।

पावस्थिता

देशीयकरण से प्राप्त होने वाली नागरिकता पर कई पावस्थियाँ लगाई जा सकती हैं और इसमें प्राप्त होने वाले अधिकार स्वाभाविक नागरिकता के अधिकारों से कम होते हैं। उदाहरणार्थ, स० रा० अमेरिका में कोई देशीयकृत (Naturalised) नागरिक राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो सकता। १९४८ के ब्रिटिश राष्ट्रियता कानून के अनुसार देशीयकरण के लिये कुछ शर्तों का पूरा करना आवश्यक है, इसका आवेदनपत्र देने की तिथि से पहले १२ मास तक उस व्यक्ति का निरन्तर ग्रेट ब्रिटेन में आवास अथवा राजकीय सेवा करना आवश्यक है, इससे पहले ७ वर्षों में कम से कम चार वर्ष के लिये उसका ग्रेट ब्रिटेन या इसके उपनिवेशों, सुरक्षित अथवा न्याय प्रदेशों में रहना, उच्चम चरित्र तथा अंग्रेजी भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना और भविष्य में इंग्लैंड में ही रहने का इरादा होना जरूरी है। देशीयकरण का प्रमाण-पत्र गृहमंत्री द्वारा निम्नलिखित कारणों के आधार पर भी रद्द किया जा सकता है—प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के लिये धोखे का प्रयोग, महारानी के प्रति राजभक्ति का अभाव, युद्ध में शत्रुओं के साथ सम्पर्क, ७ वर्ष तक निरन्तर विदेशों में निवास। भारत में १९५५ के राष्ट्रियता कानून के अनुसार देशीयकरण का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति में निम्न विशेषताएँ होनी चाहियें—वह ऐसे देश का नागरिक न हो, जहाँ भारतीयों को नागरिकता प्राप्त करने में कानूनी बाधा है, दूसरे देश की नागरिकता का परित्याग कर देना, प्रार्थनापत्र देने में पहले १२ महीने तक भारत में निवास या भारत सरकार की नौकरी, उत्तम चरित्र, भारतीय भाषा का पर्याप्त ज्ञान, भविष्य में भारत में रहने या नौकरी करने का इरादा। केन्द्रीय सरकार विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्वज्ञानि अथवा मानवीय उन्नति के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य और सेवाएँ करने वाले व्यक्ति को उपयुक्त विशेषताएँ न होने पर भी भारतीय नागरिक बना सकती है, ऐसे व्यक्ति को भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ग्रहण करनी पड़ती है। १९५६ में स्वैज नहर पर ब्रिटिश आक्रमण के बाद ब्रिटिश नागरिकता का परित्याग कर भारत आने वाले सुप्रसिद्ध ब्रिटिश वैज्ञानिक हाल्डेन को इसी प्रकार भारतीय नागरिक बनाया गया है।

③ (ग) पुनःप्राप्ति (Resumption)—यह तब होता है जब कोई व्यक्ति देशीयकरण तथा विदेशों में निवास से अपनी स्वाभाविक राष्ट्रियता को एक बार खोने के

बाद उसे पुन प्राप्त करता है।

(५) (घ) वशीकरण (Subjugation)—विजय के बाद किसी प्रदेश के शत्रु द्वारा अपने राज्य में मिलाये जाने पर उस प्रदेश के नागरिक विजेता देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, जैसे गाल्लिस-नारैन के फ्रेंच प्रदेश के १८७० में जर्मन साम्राज्य का अंग बनने पर उसके निवासियों ने फ्रेंच नागरिकता के स्थान पर जर्मन राष्ट्रीयता प्राप्त की।

(६) (ङ) प्रदेश के हस्तान्तर (Cession)—देखिये ऊपर पृ० २४७ के समय हस्तान्तरित किये जाने वाले प्रदेश के नागरिक उस देश की राष्ट्रीयता प्राप्त करते हैं, जिसे यह प्रदेश हस्तान्तरित किया जाता है।

राष्ट्रीयता की हानि के पाँच प्रकार (Loss of Nationality, Five Modes)—आपेनहाइम के मतानुसार कोई नागरिक निम्नलिखित ढंगों में अपने देश की राष्ट्रीयता में वंचित भी हो सकता है—

(१) (क) मुक्ति (Release or Renunciation)—जर्मनी जैसे कुछ राज्य अपने नागरिकों को यह अधिकार प्रदान करते हैं कि वे अपने राज्य से नागरिकता के बन्धन से मुक्त होने की प्रार्थना कर सकते हैं। यह नागरिकों द्वारा अपनी राष्ट्रीयता का स्वेच्छापूर्वक किया गया परित्याग है।

(२) (ख) वचन (Deprivation)—कुछ राज्य अपने राष्ट्रीयता कानूनों में स्पष्ट रूप में उन अन्यायों का उल्लेख करते हैं, जिनमें किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता छीनी जाती है। उदाहरणार्थ, १९५५ के भारतीय नागरिकता कानून के दसवें संशोधन में उनका विस्तृत विवरण है। इनमें मुख्य दशायें इस प्रकार हैं—देशीकरण का प्रमाणपत्र धोखे में प्राप्त करना, किसी नागरिक द्वारा भारतीय सचिवालय के प्रति निष्ठा के प्रतिभूल किया गया कोई अपने कार्य छिपाना, किसी देश के साथ भारत का युद्ध होने की दशा में शत्रु को सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से उसके साथ व्यापार करना, देशीकरण प्राप्त करने के पाँच वर्ष के अन्दर किसी न्यायालय द्वारा कम से कम ३ वर्ष के लिए वधिष्ठ होना, छान वर्ष तक निरन्तर देश से बाहर रहना—विद्याध्ययन या भारत मरवार की या अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की नौकरी के कारण विदेश में रहने वाले पर यह जर्त लागू नहीं होती। केन्द्रीय सरकार किसी व्यक्ति को राष्ट्रीयता से वंचित करने में पूर्व उस इसके कारणों की सूचना देती है, इस विषय में विशेष मामलों का विचार सरकार द्वारा नियुक्त जांच समिति भी कर सकती है। ग्रेट ब्रिटेन के कानून के अनुसार वहाँ की नागरिकता से वंचित किये जाने के कारणों का पहले उल्लेख ही चुका है।

स० रा० अमरीका के १९५२ के कानून के अनुसार दूसरे देश की सशस्त्र सेनाओं में सेवा करने वाला, विदेश के चुनाव में वोट देने तथा भाग लेने वाला व्यक्ति अपनी नागरिकता को खो बैठता है। इसी प्रकार युद्ध में स० रा० अमरीका की सेना की नौकरी छोड़ने वाला, देशद्रोह करने वाला तथा युद्ध के समय सैनिक सेवा में बचने के दरादे से स० रा० अमरीका के क्षेत्राधिकार से बाहर रहने वाला व्यक्ति भी राष्ट्रीयता से वंचित कर दिया जाता है।

(३) दीर्घकालीन विदेश निवास (Long residence abroad) — अनेक देशों के राष्ट्रीय कानूनों में कुछ निश्चित अवधि तक निरन्तर विदेश में रहने के कारण व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाती है। स० रा० अमरीका में यह अवधि सामान्य रूप से ५ वर्ष है, ग्रेट ब्रिटेन और भारत में सात वर्ष है। सरकारी सेवा या अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की नौकरी में बाहर रहने की दशा में यह नियम लागू नहीं होगा।

(४) (घ) कुछ देशों में बालिग होने पर मन्तान को यह अधिकार दिया जाता है कि वह अपनी राष्ट्रीयता का चुनाव कर सके। जिन देशों में माता-पिता के विदेशी होने पर भी जन्ममूलक या भूमि नियम (Jus soli) की नागरिकता का नियम प्रचलित है, वहाँ यह उचित समझा जाता है कि बच्चे को बड़ा होने पर अपनी जन्म-भूमि या पिता के देश में से किसी एक की नागरिकता ध्वन्य करने की स्वतन्त्रता प्रदान की जाय। भारतीय पिता-माता की स० रा० अमरीका में पैदा होने वाली मन्तान को बालिग होने की अवस्था में यह निर्णय करना होगा कि वह स० रा० अमरीका की या भारत की नागरिकता में से किसे ग्रहण करे और किसका परित्याग करे। १९४८ के ब्रिटिश राष्ट्रीयता कानून के अनुसार इस प्रकार की मन्तान की किसी एक राष्ट्रीयता के परित्याग की विधिवत् घोषणा करनी पड़ती है।

(५) (ङ) प्रत्यास्थापन (Substitution) — कुछ राज्यों के कानून के अनुसार दूसरे देश में देशीकरण (Naturalisation) द्वारा नागरिकता प्राप्त करने पर यह पहले देश की नागरिकता के स्थान पर स्थापित हो जाती है, यह प्रत्यास्थापन है। इससे पहले देश की राष्ट्रीयता समाप्त हो जाती है। १९४८ के ब्रिटिश राष्ट्रीयता कानून के अनुसार दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने से ब्रिटिश राष्ट्रीयता स्वयमेव समाप्त नहीं हो जाती, किन्तु स० रा० अमरीका के कानून में इस अवस्था में पहली नागरिकता के स्वयमेव समाप्त होने की व्यवस्था है।

किसी प्रदेश या राज्य के अन्य राज्य में विलय या हस्तान्तर के बाद पहले देश की नागरिकता स्वयमेव समाप्त हो जाती है, जैसे आत्सेस-तोरेन के पूर्वोक्त उदाहरण (पृ० २६३) में फ्रेंच नागरिकता की समाप्ति।

दोहरी राष्ट्रीयता (Double Nationality) — विभिन्न देशों के राष्ट्रीयता कानूनों की तथा नागरिकता प्राप्ति की विविध व्यवस्थाओं के कारण कई बार एक व्यक्ति एक राज्य का नागरिक रहते हुए भी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार उसे दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है, यह ज्ञानवश और अज्ञानवश, जानबूझ कर या बगैर किसी इरादे के दोनों प्रकार में प्राप्त होती है। ग्रेट ब्रिटेन में जर्मन माँ बाप की मन्तान वहाँ के कानून के अनुसार जन्ममूलक तथा जर्मनी में जर्मन कानून के अनुसार पितृमूलक दोहरी राष्ट्रीयता पा लेती है। पूर्ववत् मन्तान की वैधता (Legitimation) की अवस्था में भी ऐसा होता है। इंग्लैण्ड में एक जर्मन पिता तथा इंग्लिश माता की अवधि मन्तान ब्रिटिश है, किन्तु यदि मन्तान के बाद दोनों के विवाह द्वारा बच्चा वैध हो जाता है तो इसे जर्मन कानून के अनुसार जर्मन नागरिकता भी मिल जायगी। देशीकरण (Naturalisation) से भी पहली नागरिकता समाप्त

न होने पर दोहरी नागरिकता उत्पन्न होती है। इस प्रकार की दोहरी नागरिकता वाले व्यक्तियों को कूटनीतिक भाषा में Subjects mixtes या मिश्रित प्रजाजन कहा जाता है।

दोहरी राष्ट्रीयता वाले व्यक्तियों को युद्ध के समय बड़ी मुसीबत उठानी पड़ती है। दोनों देश उसे अपना नागरिक समझते हुए उससे उनके प्रति गिरावट रखने की आशा रखते हैं, ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी के युद्ध छिड़ने की वसा में दोनों की नागरिकता रखने वाले व्यक्ति को दोनों देश सैनिक सेवा के लिये बाध्य कर सकते हैं, ब्रिटिश सरकार उसे जर्मनी नागरिक समझते हुए बन्दी बना सकती है। १९१९-२० की शान्ति सन्धि में दोहरी राष्ट्रीयता की समस्याओं को बड़ा जटिल बना दिया था। १९३० में हेग के संहिताकरण सम्मेलन (Codification Conference) ने दोहरी राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में यह तय किया था कि दोनों राज्य इसे अपना प्रजाजन समझ सकते हैं, किन्तु ऐसे व्यक्ति को एक राज्य की नागरिकता उस राज्य की अनुमति से छोड़ देनी चाहिए। तीसरा राज्य इन दोनों में से उसकी प्रभावशाली राष्ट्रीयता (Effective Nationality) को ही स्वीकार करेगा। प्रभावशाली राष्ट्रीयता का अर्थ उस राज्य की नागरिकता है, जिसमें वह स्वाभाविक और मुख्य रूप से रहता है और जिसके साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध है।

दोहरी राष्ट्रीयता का स्पष्टीकरण केनेवारो मामले (Canevaro Case) से हो जायगा। केनेवारो के पाम इटली और पेरू दोनों देशों की दोहरी राष्ट्रीयता थी। वह पेरू राज्य की भूमि में जन्मग्रहण करने के कारण पेरू का राष्ट्रजन (Peruvian) था और इटालियन पिता की सन्तान होने के कारण इटली के कानून के अनुसार इटली का नागरिक था। पञ्चनिर्णय (Arbitration) के स्थायी न्यायालय ने इस मामले में निर्णय देते हुए कहा कि उसे पेरू का राष्ट्रजन समझना चाहिये क्योंकि उसने कई अवसरों पर पेरू के नागरिक जैसा व्यवहार किया है। वह कई बार पेरू की सीनेट की सदस्यता के लिये उम्मीदवार खड़ा हुआ, इसके लिये पेरू के नागरिकों के प्रतिरिक्त कोई खटा नहीं हो सकता। उसने हार्नेन्ड के महावाणिज्य-दूत (Consul General) का पद पेरू की सरकार और कांग्रेस में स्वीकृति पाने के बाद ग्रहण किया। "इन अवस्थाओं में पेरू की सरकार का उसे अपना नागरिक समझने तथा इटालियन नागरिक न मानने का पूरा अधिकार है।"

भारत में दोहरी राष्ट्रीयता सम्भव नहीं है। एक भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश का नागरिक नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने १९६३ में State Trading Corporation of India Ltd v Commercial Tax Officer (A I R, 1963, Sc 1811) में तथा Mohammad Raza Debstani v State of Bombay (A I R, 1966, Sc. 1430) में इस विषय में बड़ा स्पष्ट निर्णय दिया है। दूसरे मामले में अपील करने वाला मुहम्मद रजा देवन्तानी एक ईरानी नागरिक था, वह १९३८ में नावालिग दशा में भारत चला आया था और यहाँ रहने लग गया था, १९४५ में वह ईरानी पासपोर्ट के आधार पर इराक गया, १९४६ में वहाँ वापिस लौटने पर १९३९

के Registration of Foreigners Rules के अनुसार ईरान के नागरिक के रूप में उसको रजिस्ट्री हुई। इसके बाद वह भारत में निवास की अनुमति (Residential Permit) लेकर यहाँ रहता रहा। १९५७ में इस अनुमति की अवधि समाप्त होने पर उसे भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। इस पर उसने बम्बई के मिजिल कोर्ट में यह आवेदनपत्र दिया कि वह भारतीय नागरिक होने से विदेशी नहीं है, अतः बम्बई सरकार को उसे इस आधार पर उसे यहाँ से निकालने की कार्यवाही करने से रोका जाय कि वह विदेशी है। सिविल कोर्ट तथा बम्बई हाईकोर्ट ने उसकी यह प्रार्थना रद्द कर दी। इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हुए उसने यह कहा कि वह भारतीय संविधान की धारा ५ के अनुसार भारत का नागरिक है क्योंकि संविधान लागू होने से पहले पांच वर्षों से वह भारत में निवास (Domicile) कर रहा था। किन्तु सुप्रीम कोर्ट ने इस युक्ति को स्वीकार न करते हुए कहा कि प्रार्थी जब १९३६ में भारत आया था, उस समय वह नाबालिग था, उस समय अपने पिता के कारण उसका निवास स्थान ईरान था। उसका यह दावा है कि २१ नवम्बर १९४६ से पहले ईरानी निवास स्थान को छोड़कर भारतीय निवास स्थान ग्रहण कर चुका था। निवास स्थान के इस परिवर्तन को सिद्ध करने का उत्तरदायित्व (Onus of proof) उस पर है। ऐसा परिवर्तन नहीं सिद्ध हो सकता है, जब उसने भारत को अपना घर बनाने का अथवा यहाँ स्थायी रूप से रहने का निश्चय कर लिया हो। उसने यह सिद्ध किया है कि १९३८ से एक वर्ष के अग्रवाद को छोड़ कर वह भारत में निवास करता रहा है। किन्तु उसके इस निवाम के प्रमाण के अतिरिक्त उसे इस बात का भी प्रमाण देना चाहिये था कि उसने भारत में ही रहने का इरादा किया था। इस विषय में कोई साक्षी न होने से वह ईरान का ही नागरिक है, भारत का नागरिक नहीं है। अपीलकर्ता ने निवास के लिए अनुमति माँगने वाले अपने पत्रों में अपने को ईरानी नागरिक कहा है, अतः वह भारतीय नागरिक नहीं हो सकता है।

राज्यहीनता (Statelessness) — इसका अर्थ किसी राज्य का नागरिक न होने की दशा है। यह विभिन्न देशों के राष्ट्रीयता कानूनों के परस्पर सघर्षों का परिणाम है। आपेनहाइम ने अनेक अवस्थाओं में इस दशा की उत्पत्ति बतायी है। 'पहली अवस्था में जन्म से मृत्यु को कोई नागरिकता प्राप्त नहीं होती, जैसे जर्मनी में ब्रिटिश माना की अवधि मरना, क्योंकि ब्रिटिश तथा जर्मन कानून एसी सन्तान को कोई राष्ट्रीयता नहीं प्रदान करते। इस प्रकार नागरिकताहीन व्यक्तियों की अगली सब सन्तानें राष्ट्रीयता से वंचित होगी। दूसरी अवस्था में ऊपर बताये गये कारणों से एक नागरिकता खोने के बाद दूसरी नागरिकता को न पाना है। जर्मनियों में नई सरकारों के बनने पर अग्रयः ऐसा होता है। रूसी जर्मनियों के बाद हम में दूसरे देशों में गये हुए रूसी स्वदेश वापिस लौटने के अनिच्छुक थे, इनको रूसी नागरिकता नहीं सरकार द्वारा समाप्त कर दिये जाने पर ये राज्यहीन हो गये। भारत में इस समय कई हजार राज्यहीन चीनी हैं, ये

क्याग काई शेक की राष्ट्रवादी सरकार की राष्ट्रीयता रखते थे, उसके पारपत्रों पर यहाँ आये थे—अब इसका स्थान साम्यवादी सरकार ने ले लिया है, इस सरकार से नई नागरिकता प्राप्त न करने के कारण भारत के ऐसे सभी चीनी राज्यहीन हो गये हैं। शीलका में इस समय दस लाख भारत से गये ऐसे व्यक्ति हैं, जो भारत की नागरिकता खो चुके हैं और लका की सरकार ने उन्हें नागरिकता प्रदान नहीं की।

राज्यहीन व्यक्ति की दशा अनाथ जैसी बयनीय होती है। कोई राज्य कभी भी उसके अधिकारों की रक्षा नहीं करता। यह वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय कानून की जटिल और ज्वलन्त समस्या है। इसको उन्नता और तीव्रता के कारण दिसम्बर १९४८ के मानवीय अधिकारों के सार्वभौम घोषणापत्र के १५वें अनुच्छेद में यह कहा गया है कि "प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार है।" इस समस्या को हल करने के लिये १९३० के हेग संहिताकरण सम्मेलन ने यह व्यवस्था की थी कि जिन बच्चों के माता-पिता अज्ञात हो या जिनकी राष्ट्रीयता अज्ञात हो या न हो तो ऐसे बच्चों को उनके जन्म वाले देश की राष्ट्रीयता प्रदान करनी चाहिये।

आपेनहाइम ने राज्यहीनता की दशा दूर करने के लिये दो सुझाव दिये हैं—

(क) प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जन्मभूमि के देश की राष्ट्रीयता पाने का अधिकार हो, बशर्त कि बालिग होने पर वह घोषणा द्वारा अपने माता-पिता की राष्ट्रीयता न ग्रहण करे। (ख) किसी व्यक्ति को दण्डस्वरूप राष्ट्रीयता से वंचित नहीं करना चाहिये और विवाह द्वारा किसी स्त्री या पुरुष की राष्ट्रीयता की समाप्ति तब तक नहीं होनी चाहिये, जब तक कि वे नई राष्ट्रीयता न ग्रहण कर लें।

स्टार्क ने इस परिस्थिति में सुधार के लिये निम्न सुझाव दिये हैं— (क) राज्य किसी व्यक्ति का विराष्ट्रीयकरण (Denationalisation) तब तक न करे जब तक कि इसके लिये न्यायोचित कारण न हो। (ख) उदार प्रकृति वाले राज्या को राज्यहीन पुरुषों को अपनी नागरिकता प्रदान करनी चाहिये। (ग) अन्तर्राष्ट्रीय सम्झौतों द्वारा इस अरक्षित स्थिति के दुपरिणामों को दूर किया जाना चाहिये। इस प्रकार का एक सम्झौता दरणाथियों के सम्बन्ध में २५ जुलाई १९५१ को सम्पन्न हुआ है। २८ सितम्बर १९५४ के न्यूयार्क में सम्पन्न "राज्यहीन व्यक्तियों की स्थिति सम्बन्धी अभिसमय" (Convention Relating to the Status of Stateless Persons) ने राज्यहीन व्यक्तियों को अनेक लाभ और सुविधायें प्रदान की हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने १९५३ में इन स्थिति का अध्ययन करके इसे दूर करने के सम्बन्ध में दो अभिसमयों के प्रारूप (Draft Conventions) स्वीकार किये हैं।

भारत में राष्ट्रीयताविषयक कानूनों का विकास हमारे देश में १९४७ में विभाजन के बाद राष्ट्रीयता के अनेक जटिल मामलों के भारतीय न्यायालयों के सम्मुख आये हैं तथा इन विषय में कुछ नियम तथा कानून बने हैं। १९४७ से पहले भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अंग था, अतः अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के सुप्रसिद्ध नियम के

अनुसार सभी भारतीय ब्रिटिश प्रजाजन (British Nationals) समझे जाते थे क्योंकि जीते गये प्रदेश के सब निवासी विजय के बाद स्वतंत्र विजेता देश की राष्ट्रियता प्राप्त कर लेते हैं। १९१४ के The British Nationality and Status of Aliens Act ने इस उपर्युक्त व्यवस्था को कानूनी रूप प्रदान किया। इस कानून में देशीकरण (Naturalisation) द्वारा राष्ट्रियता प्राप्त करने के निये एक आवश्यक शर्त इंग्लिश भाषा का अध्यापन (कनाडा आदि में) इसके समान दर्जा रखने वाली (फ्रेंच आदि) किसी भाषा का ज्ञान आवश्यक था। भारत में अंग्रेजी के समान दर्जा रखने वाली कोई स्थानीय लोकभाषा नहीं थी, अतः हमारे देश के लिए ब्रिटिश कानून में कुछ संशोधन आवश्यक था। १९२६ में Indian Naturalisation Act द्वारा यह व्यवस्था को गई कि जिन्हें अंग्रेजी का ज्ञान न हो उन्हें उस प्रदेश में प्रचलित प्रमुख लोकभाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिये। यह स्मरण रखना चाहिये कि १९१४ के कानून के अनुसार भारतीय भारत में ही ब्रिटिश प्रजाजन थे, अतः ब्रिटेन में तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य भागों में विदेशी (Alien) समझे जाते थे, बवल आवश्यकता पडने पर सौजन्यवश उन्हें ब्रिटिश राजदूतों और वाणिज्यदूतों द्वारा समुचित संरक्षण प्रदान किया जाता था।

१९४७ के भारतीय स्वतंत्रता कानून में नागरिकता के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। अतः १५ अगस्त १९४७ से २६ नवम्बर १९४९ को भारतीय सविधान के लागू होने तक इस विषय में कानूनी शून्यता (Legal vacuum) की स्थिति बनी रही। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद भारतवासियों को 'स्वतंत्र भारत के नागरिकों' का दर्जा अवश्य प्राप्त हुआ, किन्तु वे अभी तक ब्रिटिश प्रजाजन बने हुए थे। भारत की नागरिकता की शर्तें बिल्कुल अस्पष्ट थीं। इन्हे नवीन भारतीय सविधान में स्पष्ट करने हुए तीन प्रकार के व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना गया (भाग २, धारा ५)। पहले प्रकार में इस सर्दिघोन के लागू होने के समय भारत में निवास स्थान रखने या अधिवास (Domicile) रखने वाले ऐसे सभी व्यक्ति भारत के नागरिक माने गये, (क) जिनका जन्म भारत में हुआ था। (ख) जिसके माता-पिता में से कोई एक भारत की सीमाओं में उत्पन्न हुआ ही। (ग) जो सविधान लागू होने से कम से कम पाँच वर्ष पहले से भारत में सामान्य रूप से निवास करता है। दूसरे प्रकार में पाकिस्तान से भारत आने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों को भारतीय नागरिक माना गया, जो व्यक्ति अथवा उनके माता या पिता १९३५ के भारत सरकार कानून द्वारा निर्धारित भारतवर्ष की सीमाओं में रहते थे तथा १९ जुलाई १९४८ से पहले पाकिस्तान से भारत आये थे अथवा इसके बाद आवेदनपत्र देकर रजिस्ट्री द्वारा भारतीय नागरिक बने थे। तीसरे प्रकार के भारतीय नागरिक विदेशों में रहने वाले भारतीय थे। सविधान में भारतीय नागरिकता के सम्बन्ध इसमें धनिक कोई व्यवस्था नहीं की गई थी।

१९५५ में इस विषय में विस्तृत व्यवस्थाएँ करनेवाला भारतीय नागरिकता कानून (The Indian Citizenship Act) बनाया गया। इनके अनुसार भारतीय नागरिकता की प्राप्ति पाँच प्रकार से हो सकती है—(क) जन्म से, (ख) दशपरम्परा से, (ग) रजिस्ट्री द्वारा, (घ) देनीयकरण से, (ङ) किसी नये प्रदेश के भारत में सम्मिलित होने से, (च) पुन प्राप्ति (Resumption) से। इसका यह अभिप्राय है कि यदि किसी नाबालिग लड़के का पिता भारत की नागरिकता का परित्याग करता है तो इसमें लड़का भी भारतीय नागरिकता खो देता है, किन्तु बालिग होने पर लड़का यदि अपने भारतीय नागरिक होने की घोषणामात्र करता है तो इसमें उसे भारतीय नागरिकता पुन प्राप्त हो जाती है। ऐसी घोषणा करते समय इस कानून के अनुसार उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह भारत की नागरिकता ग्रहण करने में पहले अपनी दूसरी नागरिकता का परित्याग करे। इस विषय में इस कानून की एक कमी यह है कि अपने पति द्वारा भारतीय नागरिकता का परित्याग करने में अपनी भारतीय नागरिकता स्वतः खोने वाली स्त्री को विधवा होने की या पति का तलाक देने की दशा में घोषणा द्वारा भारतीय नागरिकता को पुन पाने का अधिकार होना चाहिये था। भारतीय नागरिकता को तीन प्रकार में खोना जा सकता है—(क) परित्याग (Renunciation), (ख) समाप्ति (Termination), (ग) वंचित किया जाना (Deprivation)। परित्याग उस देश में होता है जब कि दोहरी नागरिकता रखने वाला कोई बालिग व्यक्ति अपनी उन्नीस म एच घोषणा के द्वारा अपनी भारतीय नागरिकता को छोड़ देता है, किन्तु ऐसा व्यक्ति उस प्रकार से भारतीय नागरिकता का परित्याग करने पर भी भारत के प्रति अपने नैतिक कर्तव्य और दायित्वों से मुक्त नहीं हो सकता है। यदि युद्ध के बीच में कोई भारतीय नागरिक ऐसी घोषणा करता है तो उसे इनके लिये केंद्रीय सरकार की पूर्वसूचीकृत सेवा आवश्यक है। दूसरी विधि नागरिकता की समाप्ति या अन्तगमन (Termination) है। जब कोई भारतीय नागरिक से चापसूचक किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है या उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः स्वयमन समाप्त हो जाती है। इस व्यवस्था का यह प्रयोजन है कि व्यक्ति को दोहरी नागरिकता तथा दो देशों में विभक्त निष्ठाओं (divided loyalties) के दुपरिणामों से बचना जाय। विवाहित स्त्री की बालिग मानने हुए इस विषय में छूट दी गई है कि दोहरी नागरिकता की दशा में पति द्वारा भारतीय नागरिकता की समाप्ति हो जाने की दशा में वह दूसरी नागरिकता को छोड़कर भारतीय नागरिकता को दत्तगत्त्व रख सकती है। तीसरी विधि भारतीय नागरिकता से वंचित किया जाना (Deprivation) है। केंद्रीय सरकार निम्नलिखित दशाओं में उन्मत्त होने पर किसी को भारतीय नागरिकता के अधिकार से वंचित कर सकती है—(क) यदि किसी व्यक्ति ने भारतीय नागरिकता के लिए अपनी रजिस्ट्री या देनीयकरण घोषणापत्रों में झूठे ध्यान में या तथ्यों को दिया कर प्राप्ति की हो। (ख) वह सचिवालय के प्रति अन्यायित्वपूर्ण या अननुष्ठित रहा हो। (ग)

उसने शत्रु के साथ व्यापार करने का अपराध किया हो। (घ) भारतीय नागरिकता पाने के पाँच वर्ष के भीतर यदि उसे किसी दूसरे देश में दो वर्ष के कारावास का दण्ड मिला हो। (ङ) यदि वह सामान्य रूप से सात वर्ष तक देश से बाहर रहा हो तथा उस का यह विदेश निवास विद्यार्थी सरकारी कर्मचारी, अन्तर्राष्ट्रीय सेना के करने वाले व्यक्ति (Civil Servant) के रूप में हो।

१९५५ के कानून की एक विशेषता यह है कि इसमें राष्ट्रमंडल की नागरिकता (Commonwealth Citizenship) की व्यवस्था भी की गई है। यह १९४७ में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के देशों के एक सम्मेलन में किये गये समझौते को क्रियान्वित रूप देने के लिए की गई है। इसके अनुसार राष्ट्रमंडल के किसी अन्य देश के नागरिक को केन्द्रीय सरकार गजट या राजपत्र में सूचना प्रकाशित करके भारतीय नागरिक के अधिकार पारस्परिकता (Reciprocity) के आधार पर प्रदान कर सकती है। इस व्यवस्था को बनाने समय इसके पक्ष में तीन युक्तिवादी दी गई थी—(क) राष्ट्रमंडल की नागरिकता विश्व की नागरिकता (World Citizenship) के तदनुसार तक पहुँचने में एक महत्वपूर्ण पग है। (ख) लाखों भारतीय ब्रिटिश उपनिवेशों में रहते हैं। यदि इस नागरिकता की व्यवस्था की जाय तो वे या तो अपने निवास वाले देश में परायण हो जायेंगे अथवा भारत से उनका सम्बन्ध विच्छिन्न हो जायगा। (ग) राष्ट्रमंडल के एक देश का नागरिक इसके दूसरे देश में इससे परदेसी नहीं रहता है।

किन्तु राष्ट्रमंडल की नागरिकता का यह समर्थन उपर्युक्त कारणों के आधार पर समीचीन नहीं प्रतीत होता है क्योंकि यह विश्व की नागरिकता के विचार को प्रोत्साहित करने वाला नहीं है यह उद्देश्य अभी पूरा हो सकता था। जब सब देशों के लिए पारस्परिकता के आधार पर भारतीय नागरिकता के द्वार खुले रखे जाते। इसमें केवल ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के देशों के लिए ही ऐसा किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि में इस व्यवस्था का विशेष महत्व नहीं है। इस व्यवस्था की क्रियात्मक उपयोगिता कुछ भी नहीं प्रतीत होती है। केन्द्रीय सरकार ने अभी तक राष्ट्रमंडलीय देशों के किसी व्यक्ति को राष्ट्रमंडल की नागरिकता प्रदान करने की घोषणा नहीं की है।

राष्ट्रीयताविषयक भारतीय मामले (Indian cases on Nationality)

१५ अगस्त १९४७ को देश का विभाजन होने पर लाखों आदिमियों के पाकिस्तान में हिन्दुस्तान तथा हिन्दुस्तान में पाकिस्तान जाने पर राष्ट्रीयताविषयक अनेक जटिल मामले भारतीय न्यायालयों के सम्मुख आये हैं। भारतीय संविधान की धारा ५ के अनुसार संविधान लागू होने के समय अधिकांश भारतीयों को भारत में निवासस्थान या अधिवास (Domicile) होने से भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई थी। किन्तु संविधान में इस शब्द की कहीं स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई थी। अतः इसके लक्षण और स्वरूप के बारे में बहुत विवाद रहा है।

वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून (Private International Law) के अनेक लेखकों ने यह स्वीकार किया है कि अधिवास (Domicile) का लक्षण करना बड़ा

कठिन है।^१ ब्रिटिश न्यायाधीश घिही ने इसका लक्षण करते हुए Craignish v. Hewitt में लिखा था कि किसी व्यक्ति का अधिवास उस स्थान को कहना चाहिये, जहाँ उसका निवास स्थान निश्चित हो तथा फिलहाल उसका कोई इरादा इस स्थान को छोड़ने का न हो। एक अन्य ब्रिटिश न्यायाधीश किडरस्ली ने इसकी अधिक विस्तृत व्याख्या करते हुए एक मामले Lord v. Calvin में लिखा था—“किसी व्यक्ति का अधिवास समुचित रीति से वह स्थान है जहाँ उसने स्वेच्छापूर्वक अपने लिये तथा अपने परिवार के निवास के लिये स्थान निश्चित किया है, यह निवास स्थान किसी अस्थायी अथवा विशेष प्रयोजन की पूर्ति के लिये नहीं है, अपितु उसका वर्तमान इरादा इस स्थान को उस समय तक अपना स्थायी घर बनाने का है, जब तक कोई अप्रत्याशित घटना उसे किसी अन्य स्थान पर अपना स्थायी निवास बनाने के लिये विवश न करे।” इस प्रकार अधिवास के लिये दो शर्तों का होना आवश्यक है—पहली शर्त किमी स्थान में एक विशेष प्रकार के निवास की घटना या तथ्य (Factum) है तथा दूसरी शर्त वहाँ रहने का इरादा (Animus) है। इन दोनों के होने पर ही किमी व्यक्ति का अधिवास निश्चित होता है। Rosetta Evelyn v. Justin Ataulah के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने अधिवास की उपर्युक्त व्याख्या का समर्थन करते हुए लिखा था—यदि किसी स्थान में स्थायी रूप से रहने का इरादा पाया जाता है और इस इरादे के अनुसार इस प्रकार किसी स्थान में निवास किया जाता है तो यह निवास अल्पकालीन होने पर भी अधिवास को निश्चित करने के लिए पर्याप्त है।

सुप्रीम कोर्ट ने Central Bank of India Ltd v. Ram Narain के मामले में इस विषय में यह सिद्धान्त माना था कि निवास के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह निरन्तर बना रहे। रामनारायण नामक व्यक्ति (देखिए परिशिष्ट) पाकिस्तान में चले जाने वाले मुल्तान नामक नगर में सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया की शाखा में एक कर्मचारी था, वह अपने बाप-दादो के समय से वहाँ रह रहा था, उसका कुछ कारोबार भारत में होडल नामक स्थान में था, किन्तु इस बात का कोई प्रमाण नहीं था कि भारत में उसका कोई घर या निवास स्थान था। पाकिस्तान बनने के बाद भी वह भारत नहीं आया और मुल्तान में ही रहा। यहाँ बैंक में तीन लाख का गोलमाल करके वह भारत आ गया, भारत में उस पर भारत का नागरिक होने के आधार पर इस गबन के लिए मुकद्दमा चलाया गया। किन्तु सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रामनारायण का पाकिस्तान जा जाने के बाद भी मुल्तान में स्थायी रूप से वसपरम्परा से रहने के कारण उसे पाकिस्तान का निवासी माना, भले ही वह भारत चला आया था, किन्तु उसका निवास स्थान निश्चित रूप से पाकिस्तान में था।

अधिवास के लिये इरादे (Intention) के तत्व को महत्वपूर्ण मानते हुए अनेक मामलों का निर्णय किया गया है। Nisar Ahmed v. Union of India (A I R, 1958, Raj 65) के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने यह माना था कि कट्टर मुस्लिम

लीगी व्यक्तियों (मुस्लिम लीग के स्थानीय सभासदियों) के सम्बन्ध में यह परिणाम भली भाँति निकाला जा सकता है कि उनका इरादा भारत से पाकिस्तान जाने का है, क्योंकि वे उसे अपना राष्ट्रीय गृह मानते हैं। पंजाब हाई कोर्ट ने *Mangal Sain v Shannodevi* (A I R., 1959, Punjab 175) के मामले में इरादे के आधार पर राष्ट्रीयता निश्चित की थी। इस मामले में भगलसैन नामक व्यक्ति १९२७ में वाद में पाकिस्तान चले जाने वाले प्रदेश में उत्पन्न हुआ, उसके माता-पिता दो वर्ष की आयु में उसे बर्मा ले गये, १९४७ में समूचा परिवार भारत में लौट आया, कुछ समय जालन्धर रहने के बाद भगलसैन २½ वर्ष तक पाकिस्तान में चले जाने वाले अपने पैतृक स्थान पर रहा। दिसम्बर १९४४ से अगस्त १९४६ तक उसने जालन्धर में नौकरी की, यहाँ वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक सभ में सम्मिलित होकर उगाका सक्रिय कार्यकर्ता बना और इसकी शाखाओं का दूर्धिभ्रम जिलों में संगठन करता रहा। जनवरी १९५० में वह पुनः अपने भाइया के पास बर्मा चला गया। किन्तु उसे यहाँ स्थायी रूप से रहने की अनुमति नहीं मिली और वह भारत लौट आया। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर हाई कोर्ट ने यह परिणाम निकाला कि भगलसैन ने पाकिस्तान में अपने पैतृक गृह को छोड़कर जालन्धर में अपना निवास स्थान बना लिया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक सभ का सदस्य होने से भगलसैन का भारत का नागरिक होना भली भाँति प्रमाणित होता है।

भारतीय संविधान की धारा ६-७ में पाकिस्तान से भारत आने वाले भारतीय को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। इस विषय में यहाँ प्रव्रजन (Migration) शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द की व्याख्या पर पूर्वोक्त मतभेद रहा है और भारतीय न्यायालयों में इस विषय में कई मामले आये हैं। *Badruzzaman v. State* (A I R., 1951, All 16) में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह लिखा था कि प्रव्रजन में दो विचार हैं—(१) एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, (२) जाने वाले स्थान को भविष्य में अपना निवास स्थान बनाने का इरादा। संविधान में इसका अभिप्राय अपनी राष्ट्रभक्ति और निष्ठा (Allegiance) को जाने वाले देश से हटाकर निवास के लिये ग्रहण करने वाले नये देश को प्रदान करना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज श्री खान ने *Abida Khatoon v State of U P* (A. I. R., 1963, Allahabad 260) के मामले में लिखा था कि जब एक भारतीय नागरिक पाकिस्तान में प्रव्रजन करता है तो उसका इरादा अपने मूल निवास स्थान वाले देश को छोड़ने का होता है।

विधवा को अपने पति की नागरिकता प्राप्त होती है। किन्तु इस विषय में कई बार बड़ी अटिल समस्या उत्पन्न हो जाती है। *Karimun Nisa v State of M. P.* (A. I. R., 1955 Nagpur 6) के मामले में ऐसी ही समस्या पैदा हुई थी। इसमें करीमुन्निसा नामक मुस्लिम प्रार्थी नागपुर में पैदा हुई, यही उसका पालन-पोषण हुआ, विवाह होने के बाद वह अपने पति के साथ १९४७ में पाकिस्तान चली गई। वहाँ अपने पति की मृत्यु होने पर अनाथित और असहाय होने के कारण पाकिस्तान के पासपोर्ट पर १९५२ में वह भारत लौट आई। उसका यह कहना था कि उसका इरादा भारत को स्थायी रूप से छोड़ने का नहीं था, उसने भारत की नागरिकता को

कमी नहीं खोया है, यदि खोया भी है तो वह उसे भारत लौटने पर पुनः प्राप्त हो गई है। इस विषय में नागपुर हाई कोर्ट ने ब्रिटिश विधानशास्त्री डायसी के इस सिद्धान्त का अनुसरण किया कि विधवा का अधिवास (Domicile) उस समय तक उसके मृत पति वाला ही होता है, जब तक वह इसे स्वयंसेवक बदल नहीं लेती है। प्रार्थी जब अपने पति के साथ पाकिस्तान गई तो उसने भारत की नागरिकता खो दी। पति की मृत्यु पर वह अपनी नागरिकता बदल सकती थी, किन्तु उसने इसे बदला नहीं था। जब यह मामला १९५५ में नागपुर हाई कोर्ट में आया, उस समय तक भारतीय नागरिकता के विषय में भारतीय मविधान की धाराएँ ही लागू होती थी। किन्तु इसमें से किसी भी धारा के अनुसार वह भारतीय नागरिक नहीं थी, उम पर धारा ५ लागू नहीं होती थी क्योंकि मविधान लागू होने के समय (२६ नवम्बर १९४९) उसका निवास स्थान भारत में नहीं था, धारा ६ के अनुसार भी वह भारतीय नागरिक नहीं हो सकती थी क्योंकि उसने भारत में अपनी नागरिकता की रजिस्ट्री नहीं कराई थी, धारा ७ भी उस पर लागू नहीं होती थी क्योंकि भारत में पुनः बसने के अनुमति-पत्र के आधार पर वह भारत में नहीं आई थी। हाई कोर्ट यह समझना था कि इस मामले में असहाय युवती अपने पति के कार्य का फल भोग रही है, वह अपने छोटे बच्चों का भरणपोषण भारत में रहने वाले अपने माता पिता की सहायता के बिना नहीं कर सकती है। फिर भी न्यायालय ने प्रार्थी को भारत का नागरिक नहीं माना तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के इस नियम का अनुसरण किया कि 'पति की मृत्यु पर पत्नी का अधिवास (Domicile) उसके पति का ही निवास स्थान समझा जाता है।'

प्रत्यपण (Extradition)

प्रत्यपण का स्वरूप (The Nature of Extradition)—जब कोई व्यक्ति एक देश में भीषण अपराध करने के बाद उसके दण्ड से बचने के लिए दूसरे देश में भाग जाता है तो पहले देश की प्रार्थना पर दूसरे देश द्वारा उस अपराधी को सौंपना प्रत्यपण (Extradition) कहलाता है। निरॉरेन्स ने इसकी परिभाषा करते हुए लिखा है—“यह एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य को ऐसे व्यक्ति का अर्पण करना है, जो पहले राज्य के प्रदेश में विद्यमान है किन्तु जिस पर यह आरोप है कि उसने दूसरे राज्य के प्रदेश में अपराध किया है या दूसरे राज्य के प्रदेश से बाहर अपराध करने पर भी वह इसका प्रजाजन होने के नाते डम देश के अनुसार इस राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है।” स्टार्क ने इसे “ऐसी प्रक्रिया (Process) बताया है, जिससे एक राज्य दूसरे राज्य की प्रार्थना पर उसे ऐसा व्यक्ति सौंपता है, जो इसकी प्रार्थना करने वाले राज्य के प्रदेश में इसके कानून के विरुद्ध किए गए अपराध में अभियुक्त (accused) है या उसे दण्डित (convicted) अथवा अपराधी ठहराया जा चुका है, तथा प्रार्थना करने वाले राज्य को तथाकथित अपराधी पर विचार करने का अधिकार है।” इस प्रकार की प्रार्थनायें प्रायः राजनयिक रूप में की जाती हैं। *Oppen heim* कानून में प्रत्यपण कई कारणों से आवश्यक समझा जाता है। सब राज्यों में यह इच्छा सामान्य रूप में पायी जाती है कि प्रत्येक भीषण अपराध करने वाला व्यक्ति अवश्य दण्डित होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करके दूसरे देश में भाग जाता है तो उसे पुनः उस देश में लाकर अभियोग चलाने की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा कारण यह है कि ऐसे व्यक्ति पर नहीं राज्य अच्युती तरह विचार कर सकता है, जिसमें उसने अपराध किया है, क्योंकि वहाँ अपराधी के विरुद्ध आवश्यक साक्षी सुगमतापूर्वक एकत्र हो सकती है, वहाँ मामले की सत्यता निश्चित करने की सुविधाये अधिक हैं और उस राज्य को अपने अपराधियों का दमन करने में अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक दित्त्वन्वी और हित है। यदि अपराधी पर दूसरे राज्य में अभियोग चलाया जाय तो

१. स्टार्क—एन इन्ट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ, ४थ एडिशन, पृ० २६०

२. मद्रास सुच्चासिंह के उदाहरण से स्पष्ट हो जायगी। यह पञ्जब के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री प्रतापसिंह कैरो की हत्या करके जनवरी १९६५ में नेपाल भाग गया। भारतीय पुलिस

सब साक्षियों का वहाँ मुकद्दमे की समाप्ति तक रहना बड़ा कठिन, अनुविद्याजनक तथा व्ययसाध्य होगा। अतएव उम अवस्था में अपराधी का प्रत्यर्पण ही श्रेयस्कर उपाय है।

प्रत्यर्पण का विकास (Development of the Law of Extradition)—
 प्रत्यर्पण के कानून का विकास १९वीं तथा २०वीं सती में हुआ है। १८वीं सती से पहले प्रत्यर्पण बहुत कम होता था। ग्रीसियम, बैटल और वॉण्ट न समाज की सामान्य शांति और सुरक्षा बनाये रखने के लिए भगोड़े अपराधियों के समर्पण का प्रबल समर्थन किया था। प्यूपेनडोर्फ ने अन्तर्राष्ट्रीय मौजन्ध (Comity) के कारण प्रत्यर्पण को आवश्यक बताया था। १८वीं सताब्दी में योरोपियन राज्य इस प्रथा को अपनाते लगे। बैटल के कथनानुसार १७५८ में हत्यारो तथा चोरों का प्रत्यर्पण जाना था, किन्तु उम समय तक विभिन्न देशों में इसके लिए कोई सन्धियाँ नहीं थी। उम समय इनकी आवश्यकता भी नहीं थी। किन्तु उन्नीसवीं सती में यातायात के नयीन साधनों—रेलो तथा जहाजों—के अद्भुत विकास के कारण अपराधियों के लिए अपने राज्य से दूरवर्ती देशों में भागना बहुत सुगम हो गया। अतः इनको पकड़ने तथा दण्डित करने के लिये विभिन्न राज्य एक-दूसरे के साथ प्रत्यर्पण सन्धियाँ (Extradition Treaties) करने लगे। १८७० में ग्रेट ब्रिटेन में इसके लिए कानून बनाया गया। इसका संशोधन १८७३, १८९५, १९०६ और १९३२ में हुआ। ब्रिटिश भारत में अपराध करने वाले व्यक्ति देशी रियासतों में भाग जाया करते थे। अतः भारत में १८७०, १८८१ तथा १९०३ में इसके लिए आवश्यक कानून बनाय गये। १९०३ के भारतीय कानून के अनुसार भारत सरकार द्वारा अपराधी के प्रत्यर्पण से पहले मजिस्ट्रेट द्वारा एक प्रारम्भिक जाँच में यह निश्चित किया जाता है कि अपराधी के विरुद्ध उपरिदरती (Prima facie) साक्षी है या नहीं। व्यावहारिक दृष्टि से प्रत्यर्पण की माँग गम्भीर एवं सार्वजनिक महत्व के अपराधों के होने पर ही की जाती है। यह तडी मन्द और व्ययसाध्य प्रक्रिया है। अतः लघु अपराधों के लिए इस प्रक्रिया का अवलम्बन ठीक नहीं समझा जाता। एडविन डिकिन्सन ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून में प्रत्यर्पण के विकास का वर्णन करते हुए लिखा है—
 “वर्तमान राज्य पद्धति के अभ्युदय तथा यात्रा के साधनों के विकास के साथ अपराधों के निरोध में सब राज्यों का सहयोग अन्तर्राष्ट्रीय चिन्ता का विषय बन गया। यह स्पष्ट हो गया कि राज्यों को या तो दूसरे राज्यों के दण्डविधानों का लागू करने के डग कूटने चाहिए या फौजदारी कानून की सर्वदेसव्यापी पद्धति बनानी चाहिए अथवा भगोड़े अपराधियों के समर्पण करने की व्यवस्था करनी चाहिए। पहले मिनल्प में गम्भीरतम राजनीतिक कठिनाइयाँ थीं। दूसरा किन्तु कालान्तरिक भा, अतः तीसरे विवरण का विकास विभिन्न राज्यों की द्विपक्षीय सन्धियों द्वारा हुआ। १९वीं सती के प्रारम्भ में सन्धि के अभाव में प्रत्यर्पण की आवश्यकता का समर्थन प्रसिद्ध निविदास्त्रियों की

अधिकारियों ने इसे नेपाल में घुसकर पकड़ लिया और नेपाल सरकार से इसे भारत लौटाने की प्रार्थना की ताकि वहाँ वहाँ के अपराध के कानूनों पर सन्तुष्टि बिचार हो सके। नेपाल राज्य के न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार करके मुन्वालिह भारत को सौंप दिया।

सम्मति से हीने लगा, किन्तु यह अन्तर्राष्ट्रीय कानून में प्रतिष्ठित नहीं हुआ।" हीटन के मतानुसार अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सार्वभौम रूप से माना जाने वाला कोई सिद्धान्त ऐसा नहीं है जिसके अनुसार किसी राज्य के लिए प्रत्यर्पण की सन्धि करना आवश्यक हो। कोई राज्य दूसरे राज्य से प्रत्यर्पण की माँग अधिकार के रूप में नहीं कर सकता। वह अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य (Comity) अथवा पारस्परिक सन्धि के आधार पर अपराधी को लौटाने का दावा कर सकता है।

प्रत्यर्पणीय व्यक्ति (Extraditable Persons)—प्रत्यर्पण की माँग में दो बातें देखनी पड़ती हैं—(१) व्यक्ति प्रत्यर्पण योग्य होना चाहिए। (२) प्रत्यर्पण का अपराध गम्भीर एवं अराजनीतिक होना चाहिये। फ्रांस और जर्मनी जैसे कुछ राज्य विदेशों में अपराध करने वाले अपने देश के नागरिकों या राष्ट्रिकों (National) को प्रत्यर्पण योग्य नहीं समझते, वे उन्हें स्वयं दण्ड देते हैं। किन्तु ग्रेट ब्रिटेन तथा ८० रा० अमरीका अपने राष्ट्रिकों का भी प्रत्यर्पण करते हैं बशर्ते कि यह प्रत्यर्पण सन्धि की व्यवस्थाओं के प्रतिफल न हो। १८७६ में ग्रेट ब्रिटेन ने एक ब्रिटिश नागरिक टोरविल्ला का आस्ट्रिया को प्रत्यर्पण किया क्योंकि यह आस्ट्रिया के टिरोल प्रदेश में अपनी पत्नी की हत्या करके इंग्लैण्ड भाग आया था। १८८४ में इसी प्रकार ग्रेट ब्रिटेन ने अपने एक प्रजाजन निर्लिस को जर्मनी में धोला देने के अपराधों के सम्बन्ध में जर्मनी की सरकार को सौंपा था। १९१० में संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने इटली में हत्या करने वाले एक अमरीकी नागरिक पोर्टर चार्लटन को इटालियन सरकार को सौंपा था किन्तु १८७७ में जूरिक में चोरी करने वाले आल्फ्रेड थामस वितसन को इंग्लैण्ड ने स्विट्जरलैण्ड द्वारा प्रत्यर्पण की माँग करने पर भी नहीं सौंपा, क्योंकि १८७४ की एंग्लो-स्विस सन्धि के अनुसार दोनों देश अपने नागरिकों का प्रत्यर्पण नहीं कर सकते थे। १९०६ में इसी प्रकार फ्रांस को एक ब्रिटिश प्रजाजन का प्रत्यर्पण १८७६ के एंग्लो फ्रच प्रत्यर्पण सन्धि का विरोधी होने के कारण नहीं किया गया, १९०८ के समझौते द्वारा अपने देश के नागरिकों का प्रत्यर्पण ऐच्छिक बना दिया गया है।

त्रियर्नी ने अपने नागरिकों को राज्यों द्वारा प्रत्यर्पण न करने के सिद्धान्त की बड़ी आलोचना करते हुए यह कहा है कि 'इसे दो कारणों से न्यायोचित नहीं माना जा सकता।' पहला कारण यह है कि कुछ अवस्थाओं में दूसरे देश में किये गए अपराध के सम्बन्ध में उपयुक्त साक्षी के अभाव में अपराधी के विरुद्ध अभियोग चलाना कठिन होता है, अतः उसके अपराधों की सही जाँच के लिए नागरिक होने पर भी उसका प्रत्यर्पण होना चाहिए। दूसरा कारण यह है कि दूसरे देश में अपराध के बाद न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर भी व्यक्ति भाग सकता है, इस दशा में स्वदेश में उस पर मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के आधार पर एक ही अपराध के लिए एक व्यक्ति पर दो बार अभियोग नहीं चलाया जा सकता। अतः अपने देश के अपराधी नागरिकों को प्रत्यर्पण की माँग होने पर दूसरे देशों को न्याय की दृष्टि

से इनका रौपना उचित है। किन्तु अधिकांश देशों की वर्तमान परिपाटी यही है कि वे अपने नागरिक को दूसरे देशों को नहीं सौंपते।

प्रत्यर्पण के अपराध (Extradition Crimes)—सामान्यतः अपराधियों के प्रत्यर्पण की माँग सभी की जाती है, जब उन्हें कोई बहुत गम्भीर अपराध किए हो। विभिन्न देशों के प्रत्यर्पण कानूनों (Extradition Acts) में ऐसे अपराधों का उल्लेख होता है। ग्रेट ब्रिटेन के कानून में प्रत्यर्पण-निषेधक गिनाये अपराधों में मुख्य ये हैं— बध (Murder), मनुष्यमारण, नबर्ला सिक्के बनाना, डालराजो, गबन, चौराका (Larceny), भूँडे बहानों से रुपया या द्रव्य प्राप्त करना, हिताबाला लुटन (Robbery with violence), सध लगाना, गृहदाह (Arson), अपहरण, बलात्कार, बन्ने को घुराना, रुपया ऐंठने की घमकी देना, समुद्री डकैती, खतरनाक दवाइयों के कानून तोडना, धूसलतोरी, भूठी गवाही देना या दूट साक्ष्य (Perjury), महाममुद्रों में जहाज पर कप्तान के विरुद्ध पड्यन्त्र या विद्राह, ममुद्र में दूसरे जहाजों पर हत्या के उद्देश्य से किये जाने वाले अपराध, समुद्र में किसी जहाज का डुबाना या नष्ट करना। फ्रांस के प्रत्यर्पण कानूनों में अपराधों का नामना उल्लेख न करते हुए यह कहा गया है कि वहाँ के दण्ड विधान के अनुसार जिन अपराधों में न्यूनतम दण्ड नियत किया गया है, वे सब प्रत्यर्पण सम्बन्धी अपराध हैं।

आजकल सामान्य रूप में विभिन्न देशों में प्रत्यर्पण सधियाँ (Extradition treaties) दो प्रकार की हाती है— (१) पुराने ढग की (Older or classical type) सधियाँ— इनमें प्रत्यर्पण किये जाने योग्य अपराधों की पूरी सूची दी जाती है जैसे ग्रेट ब्रिटेन के उपर्युक्त कानून में अधवा १९६२ के भारतीय प्रत्यर्पण कानून में। (२) आधुनिक (Modern) सधियाँ— इनमें प्रत्यर्पण योग्य अपराधों की कोई सूची नहीं होती, किन्तु सामान्य रूप में यह व्यवस्था हाती है कि उन सभी अपराधों के मामलों में प्रत्यर्पण किया जाएगा, जो अपराध सधि करने वाले दोनों देशों में समान रूप में दण्डनीय समझे जाते हैं। उदाहरणार्थ, १९३३ के प्रत्यर्पण के माण्टेविडियो अभिसंगय (Montevideo Convention on Extradition of 1933) के प्रथम अनुच्छेद (Article 1) के अनुसार यह व्यवस्था की गयी है कि किसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण की माँग सभी की जा सकती है जब उसका कार्य अपराध हो तथा प्रत्यर्पण की माँग करने वाले तथा उस व्यक्ति को सौंपने वाले दोनों देशों में यह ऐसा अपराध हो, जिसका न्यूनतम दण्ड एक वर्ष की सजा हो। यह समझौता दक्षिण अमरीका में उरुगुए राज्य की राजधानी माण्टेविडियो में हुआ था और इसमें अमरीका के अनेक राज्यों के साथ ७० रा० अमरीका भी-सम्मिलित हुआ था।

प्रत्यर्पण के कुछ प्रसिद्ध मामले (Case Law on Extradition)—

(१) आइडलर का मामला (The Eisler Extradition Case)—गैरहार्ट आइडलर (Gerhart Eisler) मडुक्न राज्य अमरीका का एक विदेशी बन्धुनिस्ट था। इसे वहाँ कुछ अपराधों के लिये दण्ड दिया गया। इमने अपनी सजा को कम कराने के लिये उच्च न्यायालय में अपील की। अपील के समय यह जमानत पर रिहा किया गया। इस

अवस्था में १२ गर्द, १९४६ को यह न्यूयार्क के बन्दरगाह में रवाना होने वाले पोलैण्ड के एक जहाज बेटरी (S. S. Batory) पर चोरी में सवार होकर स० रा० अमरीका से भाग निवृत्ता। इस जहाज ने इंग्लैण्ड के बन्दरगाह सौथम्पटन पर सबसे पहले रुकना था। अमरीकी सरकार ने ब्रिटिश सरकार से प्रार्थना की कि जहाज यहाँ पहुँचते ही ब्राइजलर को बन्दी बना लिया जाय तथा उसे स० रा० अमरीका को दण्ड देने के लिए सौंप दिया जाय। इस प्रार्थना के अनुसार उसे बन्दी बनाकर लंदन में बो स्ट्रीट (Bow Street) के मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। स० रा० अमरीका में ब्राइजलर को दो अपराधों पर दण्डित किया गया था। पहला अपराध अमरीकी कांग्रेस की अवज्ञा (Contempt of Congress) था क्योंकि उसने प्रतिनिधि सदन (House of Representatives) की एक कमेटी के सम्मुख गवाही देने से इन्कार किया था। उसका दूसरा अपराध यह था कि उसने स० रा० अमरीका से बाहर जाने की अनुमति माँगने के आवेदनपत्र में कुछ झूठी बातें लिखी थी। किन्तु ये दोनों अपराध इंग्लैण्ड तथा स० रा० अमरीका के मध्य में २२ दिसम्बर १९३१ को की गई प्रत्यर्पण मधि में गिनाये गये अपराधों की सूची में नहीं थे। स० रा० अमरीका की ओर से ब्रिटिश न्यायालय में दक्ष बात पर बन दिया गया कि ब्राइजलर का प्रत्यर्पण इसलिये किया जाना चाहिये कि उसने अमरीका से बाहर जाने के आवेदनपत्र में झूठी बातें कही हैं और अमरीकी न्यायालय ने उसे झूठी साक्षी (Perjury) के लिये दण्डित किया है। झूठी गवाही देना दोनों देशों में दण्डनीय अपराध है। अतः ब्राइजलर का प्रत्यर्पण होना चाहिये।

किन्तु ब्रिटिश कानून के अनुसार झूठी साक्षी (Perjury) का अपराध केवल किसी मुकद्दमे या अदालती कार्यवाही में ही किया जा सकता है, जब न्यायालय में सच बोलने की शपथ खाकर झूठी गवाही या बयान दिया गया हो। स० रा० अमरीका में झूठी साक्षी (Perjury) का अर्थ वहाँ के कानून द्वारा बहुत व्यापक बना दिया गया है, इसके अनुसार अदालती कार्यवाही से सम्बन्ध रखने वाले प्रशासन सम्बन्धी विभिन्न मामलों में दिये जाने वाले हलफनामों (Affidavits) में दिया गया कोई भी झूठा बयान झूठी साक्षी (Perjury) समझा जाता है। ब्रिटिश न्यायाधीश ने इंग्लिश कानून का अनुसरण करते हुए ब्राइजलर द्वारा स० रा० अमरीका छोड़ने के आवेदनपत्र में कही गई झूठी बात को अदालत में दी गई झूठी गवाही (Perjury) के अपराध से संबंधा भिन्न माना। ऐसे झूठा बयान देना इंग्लैण्ड के कानून के अनुसार अपराध नहीं था, अतः स० रा० अमरीका को ब्राइजलर को उसे सौंपने की प्रार्थना अस्वीकार कर दी गयी और ब्राइजलर को बन्धनमुक्त कर दिया गया।

इसी प्रकार का एक दूसरा उदाहरण ब्लैकमर (Case of Blackmer) का है। इसमें ब्लैकमर नामक व्यक्ति ने अपनी आभदनी के बारे में झूठा विवरण दिया था। इसके बाद वह फास भाग गया। स० रा० अमरीका की सरकार ने फेंच सरकार से ब्लैकमर को सौंपने की प्रार्थना की क्योंकि उसने अपनी श्राय के सम्बन्ध में झूठा बयान देकर Perjury का अपराध किया था। फेंच न्यायालय की व्याख्या के अनुसार श्रायकर के सम्बन्ध में झूठा बयान देना Perjury के अपराध में सम्मिलित नहीं है। अतः उसने

अमरीकी सरकार की प्रत्यर्पण की मांग को स्वीकार नहीं किया।

राजनीतिक अपराध तथा प्रत्यर्पण (Extradition and Political Crimes)—स्टार्क के मतानुसार तीन प्रकार के अपराधों में सामान्य रूप से प्रत्यर्पण नहीं किया जाता—(क) धार्मिक अपराध, (ख) सैनिक अपराध—जैसे सैनिक सेवा को छोड़कर भाग जाना, (ग) राजनीतिक अपराध। राजनीतिक अपराधों में प्रत्यर्पण न करने की पद्धति १७८६ की फ्रेंच राज्यकान्ति के बाद शुरू हुई। इससे पहले ऐसा कोई सिद्धान्त नहीं था। १६वीं-१७वीं शताब्दियों के लेखक राजनीतिक अपराधियों के प्रत्यर्पण के पक्षपाती थे। उस समय विभिन्न देशों की मधियों में ऐसे अपराधी सौंपने की व्यवस्था की जाती थी। किन्तु १७६३ के फ्रेंच संधिधान के अनुच्छेद १२० में फ्रांस में उन व्यक्तियों को शरण देने की व्यवस्था की गई, जो अपने देश से 'स्वतन्त्रता के पक्ष में' भाग लेने के कारण निकाले गए हों। फिर भी १८३० तक ऐसे अपराधियों का प्रत्यर्पण होता रहा। उस समय ग्रेट ब्रिटेन, हालैंड, स्विट्जरलैंड जैसे स्वतन्त्रताप्रेमी देशों में यह विचारधारा प्रबल होने लगी कि निरंकुश राजसत्ता वाले देशों में राजनीतिक स्वाधीनता का शर्प करने वालों को इन देशों से अपने यहाँ भाग आने तथा शरण लेने पर निरंकुश राजाओं की सरकारों को नहीं सौंपना चाहिये। १८१५ में जिन्नाल्टर के गवर्नर ने स्पेन में आये हुए कुछ राजनीतिक अपराधी मँड्रिड को सौंपे थे, इस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में बड़ा रोष प्रकट किया गया। सर जेम्स मैकिन्तोप ने यह घोषणा की कि प्रत्येक देश के राजनीतिक भयोंओं को आश्रय देना चाहिये। १८१६ में लार्ड कैसलर (Castlereagh) ने यह कहा कि केवल राजनीतिक अपराध करने वालों को कोई दण्ड नहीं मिलना चाहिये। १८२३ में स्विट्जरलैंड की महाशक्तियों के दबाव के कारण नैपल्स और पीडमाण्ट के विद्रोहों में भाग लेने वाले कुछ अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए विवश होना पड़ा। १८२६ में एक डच विधिसास्त्री ने ऐसे अपराधियों के प्रत्यर्पण करने का सिद्धान्त पुष्ट करते हुए एक विद्वत्तापूर्ण बानूनी ग्रन्थ लिखा। १८३३ में आस्ट्रिया, प्रशिया और रूस ने राजनीतिक अपराधियों के प्रत्यर्पण की संधियाँ कीं, किन्तु इसी समय बेल्जियम ने अपने प्रत्यर्पण कानून में राजनीतिक अपराधियों के प्रत्यर्पण पर विशेष प्रतिबन्ध लगा दिया। १८३४ में उसने फ्रांस के साथ ऐसी व्यवस्था करने वाली प्रत्यर्पण संधि भी की। फ्रांस ने अन्य देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियों में राजनीतिक अपराधियों के प्रत्यर्पण पर पाबन्दी लगाई। अन्य राज्यों ने भी इसका अनुसरण किया और १८६७ के बाद हुई सभी प्रत्यर्पण संधियों में इस सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है। यह ग्रेट ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और म० रा० अमरीका द्वारा राजनीतिक बन्धियों के विषय में प्रत्यर्पण-विरोधी कड़ा रुख अपनाने के कारण हुआ।

किन्तु अभी तक 'राजनीतिक अपराध' के ठीक अर्थ के सम्बन्ध में विद्वानों में पूरी सहमति नहीं हो सकी। आपेनहाइम के शब्दों में "कुछ लेखक राजनीतिक इरादे (Motiv) में किये गए अपराध को राजनीतिक मानते हैं, अन्य लेखक राजनीतिक

आतंकवादी (Terrorist) तथा अराजकवादी कार्य राजनीतिक अपराधों की श्रेणी में नहीं आ सकते। १८६१ के रे कैस्टियोनी (Re Cationi) के मामले में रे कैस्टियोनी ने स्विट्जरलैंड के राजनीतिक उपद्रव में भाग लिया, इसमें उसने अपना राजनीतिक पक्ष पुष्ट करने के इरादे से मोन्टी चलाई, अचानक वह गोली रोस्मी नामक निर्दोष व्यक्ति को लगी और वह मर गया। उस पर हत्या का आरोप लगाया गया, वह इससे बचने के लिए इंग्लैंड भाग आया। स्विस सरकार ने ब्रिटिश सरकार से नरहत्या के लिए इसके प्रत्यर्पण की माँग की, किन्तु ब्रिटिश न्यायालय ने इस आधार पर यह प्रार्थना अस्वीकार की कि कैस्टियोनी का गोली चलाने का उद्देश्य राजनीतिक था, अतः उसका अपराध राजनीतिक है। किन्तु ग्रेट ब्रिटेन ने मेउनियर (Meunier) को अपराध के राजनीतिक न होने में उसका प्रत्यर्पण किया। मेउनियर फ्रेंच अराजकवादी था, उसने पेरिस के होटल में बमबिस्फोट किया और इसके बाद वह इंग्लैंड भाग आया। उसके अपराध में कोई राजनीतिक उद्देश्य न होने के कारण ब्रिटिश सरकार ने उसका प्रत्यर्पण फ्रेंच सरकार को किया।

१९५५ में कोल्कजिन्स्की के मामले (Kolczynski and others) में ब्रिटिश न्यायालय ने राजनीतिक अपराध की बड़ी व्यापक व्याख्या की। इसमें एक मछली पकड़ने वाले पोलिश जहाज पर सवार सात नाविकों ने समुद्र में यात्रा करते हुए यह अनुभव किया कि उन पर कठोर राजनीतिक देखरेख हो रही है, यदि वे स्वदेश वापिस लौटेंगे तो उन्हें अपने राजनीतिक विचारों के लिये कठोर राजदण्ड भोगना पड़ेगा। अपनी सुरक्षा की दृष्टि में उन्होंने जहाज के कप्तान के विरुद्ध विद्रोह करके उसे पकड़ लिया और जहाज को निकटतम ब्रिटिश बन्दरगाह में ले गये। गहाँ उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों ने २२ मितम्बर १९५४ को नजरबन्द कर दिया। पोलैंड की कम्युनिस्ट सरकार ने इनके प्रत्यर्पण की माँग की, न्यायालय में यह कहा गया कि १८७० के ब्रिटिश प्रत्यर्पण कानून में इसके लिये आवश्यक अपराधों की सूची में एक अपराध महान्मुद्रों में जहाज पर विद्रोह करना है, १९३२ की एंग्लो-पोलिश प्रत्यर्पण संधि में भी इसका उल्लेख है, उपर्युक्त पोलिश व्यक्तियों ने यह अपराध किया है, अतः इनका प्रत्यर्पण होना चाहिये।

न्यायालय ने इस मामले में निर्णय देते हुए कहा— (क) १८७० के प्रत्यर्पण कानून का उद्देश्य राजनीतिक स्वरूप रखने वाले अपराधों के विषय में प्रत्यर्पण को रोकना है। मैजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य है कि वह सारी साक्षी देखकर यह निष्पन्न करे कि यह अपराध प्रत्यर्पणयोग्य (Extraditable) है या राजनीतिक स्वरूप रखता है। (ख) अपराध का राजनीतिक स्वरूप प्रत्यर्पण की प्रार्थना के समर्थन में दी गई साक्षी से तथा इसके उत्तर में दी साक्षी से प्रकट होता है। कैस्टियोनी के मामले में 'राजनीतिक स्वरूप' के सम्बन्ध में दी गई परिभाषा बहुत व्यापक नहीं है। न्यायाधीश फँसटज के मत में इस परिभाषा में सबैब उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए विचार करना चाहिये। नर्तमान समय १८६० के उस समय से भिन्न है, जब कैस्टियोनी ने मामले का निर्णय किया गया था। उस समय किसी नागरिक के लिये अपना देश छोड़कर दूसरे देश में नया जीवन शुरू करना देशद्रोह नहीं था। उस समय युद्ध न होने पर देश एक-दूसरे के सन्तु

नहीं समझे जाते थे। वर्तमान मामले में प्रायियों के पास केवल विद्रोह का एकमात्र मार्ग खुला हुआ था। उन्होंने एक राजनीतिक स्वरूप रखनेवाला अपराध किया है और यदि उन्हें पोलिश सरकार को सौंपा जायगा तो वे राजनीतिक अपराध के लिए दण्डित किये जायेंगे। अतएव न्यायालय ने १८७० के प्रत्यर्पण कानून के अनुभाग ३(१) के अनुसार पोलिश नाविकों को पोलिश सरकार को सौंपने का निषेध किया।

एट्टेंडेंट धारा (Attendant Clause)—कई बार कुछ राजनीतिक अपराधों का उद्देश्य राज्य अथवा धामन के अध्यक्ष को मारना होता है। ऐसे अपराधों के राजनीतिक होने हुए भी इनमें प्रत्यर्पण होता है। इसका बड़ा मनोरञ्जक इतिहास है। १८६४ में फ्रांस के सम्राट् नेपोलियन तृतीय के वध के उद्देश्य से बेल्जियम में बने दो फ्रेंच व्यक्तियों ने केले तथा लील के बीच की रेलवे लाइन पर बमविस्फोट किया। फ्रांस ने बेल्जियम से इनके प्रत्यर्पण की प्रार्थना की; बेल्जियम के न्यायालय ने इन अपराध के राजनीतिक होने के कारण यह प्रार्थना अस्वीकार कर दी। बाद में बेल्जियम ने अपने १८६६ के प्रत्यर्पण कानून का संशोधन करते हुए उसमें Attendant Clause जोड़ी इसके अनुसार सरकार के अध्यक्ष का या उसके परिवार के किसी सदस्य का वध राजनीतिक अपराध नहीं समझा जाना चाहिये। कुछ समय बीतने पर यह व्यवस्था अन्य योरोपियन राज्यों ने भी अपने प्रत्यर्पण कानूनों में सम्मिलित की।

दोहरी अपराधिता (Double Criminality) का नियम—प्रधिकाश राज्य प्रत्यर्पण के लिये यह आवश्यक समझते हैं कि अपराधी का कार्य प्रत्यर्पण करने तथा इसकी मांग करने वाले दोनों राज्यों में अपराध समझा जाता हो, इस प्रकार यह कार्य दोहरे रूप में अपराध होना चाहिए। यदि यह केवल एक ही राज्य में अपराध है तो प्रत्यर्पण नहीं किया जायगा। दिसम्बर, १९३२ में इलिनॉयस से भागे हुए अपराधी व्यापारी सेन्युअल इन्सल को ग्रीक न्यायालय ने इस आधार पर अमरीका को नहीं सौंपा कि उस पर जो दोष लगाया गया है, वह यूनानी कानून में अपराध नहीं है। इस विषय का इनका प्रसिद्ध मामला आइसलर (Eisler) का है।

इसका पहले (पृ० ३०७) उल्लेख किया जा चुका है।

अपराध भेद का सिद्धान्त (The Principle of Speciality)—इसके अनुसार प्रत्यर्पण की मांग करने वाला राज्य अपराधी को केवल उन्हीं अपराध के लिये दण्डित कर सकता है, जिसके आधार पर उसका प्रत्यर्पण किया गया है। यदि प्रत्यर्पण की मांग वाले तथा उस पर मामला चलाये जाने वाले अपराध में भेद है तो न्यायालय इस दशा में उसे मुक्त कर देते हैं। स० रा० बनाम रौश्चर (United States v Rouscher 1886) के मामले में ऐसा ही हुआ। रौश्चर एक नाविक था, इसे वध के अपराध के कारण ग्रेट ब्रिटेन ने स० रा० अमरीका को सौंपा। किन्तु यहाँ उस पर क्रूर तथा घसाघारण दण्ड देने का अपराध लगाकर दण्डित किया गया। इस मामले की अपील होने पर सुप्रीम कोर्ट ने इसका दण्ड रद्द करते हुए इसे इस आधार पर मुक्त कर दिया कि इसे केवल प्रत्यर्पण वाले अपराध के लिए ही दण्डित किया जा सकता है। एक

इटालियन न्यायालय ने *In re Arrieto* के मामले में यह निर्णय किया था कि अभियुक्त की महमति में तथा प्रत्यर्पण संधि में इस प्रकार की व्यवस्था होने पर प्रत्यर्पण वाले अपराध में भिन्न अपराध के लिए भी उस पर अभियोग चलाया जा सकता है।

• प्रत्यर्पण के सम्बन्ध में प्रसिद्ध क्रांतिकारी सावरकर के मामले का प्रथम परिशिष्ट में विस्तार में उल्लेख किया गया है।

प्रत्यर्पण के उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि इसके तय निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं—(क) राजनीतिक, सैनिक और धार्मिक अपराधों के लिये प्रत्यर्पण नहीं हो सकता। (ख) प्रत्यर्पित (Extradited) व्यक्ति पर केवल उन्हीं अपराधों के लिये अभियोग चलाया जा सकता है, जिनके आधार पर उसके प्रत्यर्पण की प्रार्थना की गई थी। (ग) प्रत्यर्पण की माँग करने वाला राज्य केवल उसी अपराध के लिये अभियोग चला सकता है, जो दोनों देशों में अपराध समझा जाता हो।

अपहरण द्वारा प्रत्यर्पण—आइकमान का मामला (Extradition by Abduction—Eichmann Case)—यदि किसी अपराधी व्यक्ति को सामान्य रूप में दूसरी सरकार से प्राप्त न किया जा सकता हो तो क्या ऐसी दशा में उमका बल तथा छल में अपहरण करना उचित है? इस विषय में आइकमान का मामला बड़ा रोचक है। कार्ल एडोल्फ आइकमान को हिटलर ने १९३८ में 'यहूदी प्रवास विभाग' (Bureau of Jewish Emigration) का अध्यक्ष बनाकर उसे यहूदियों को जर्मनी में निकालने तथा इस समस्या के समाधान का कार्य सौंपा। १९३९ में चैकोस्लोवाकिया पर जर्मन अधिकार होने पर उसे वहाँ बसे ३५,००० यहूदियों को बाहर निकालने का कार्य सौंपित करने भेजा गया। १९४१ में इसे सुरक्षा एवं यहूदियों के निष्कासन दोनों विभाग सौंप दिये गये, इसे आइकमान विभाग (Dienststelle Eichmann) का नया नाम दिया गया। इस विभाग का कार्य जर्मनी में तथा जर्मन सेनाओं द्वारा अधिभूत प्रदेश में लाखों यहूदियों का निर्वासन तथा सफाया करना था। (१९४३ में आइकमान ने यहूदियों को मरवाने के लिये विशेष दस्ते (Einsatzgruppen Special Squads) बनाये। उस समय इन्हे गोली से उड़ाने तथा इनके शवों को गाड़ने की प्रक्रियाएँ बड़ी मन्द, खर्चीली और भ्रष्ट वाली प्रतीत हुईं, इन आइकमान ने कम खर्च में बड़े पैमाने पर तथा बड़ी जल्दी (यहूदियों का सामूहिक नरमहार करने तथा इनके शवों को भस्म करने के लिये एक गैस Zyklon B का प्रयोग करने की आज्ञा दी। इसमें यहूदियों को बहुत बड़ी सख्या में कमरों में धन्द करके उसमें विपैली गैस भर दी जाती थी, इन गैसगृहों (Gas chambers) से उनका सामूहिक संहार हो जाता था और बिजली की भड़िया से उनके शव जला दिये जाते थे। १९४४ में आइकमान ने स्वयं वैयक्तिक रूप से हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में १ लाख ८० हजार से २ लाख तक हंगेरियन यहूदियों को आसविट्ज के बन्दीगृह (Auschwitz concentration Camp) में निर्वासित कराया तथा गैसगृहों में इन्हे मरवाया। आइकमान का यह दावा था कि उसने हिटलर के 'यहूदी प्रश्न के अन्तिम समाधान' के लिये

५ लाख यहूदियों के वध का आयोजन कराया है।^६

द्वितीय विश्वयुद्ध में ८ मई १९४५ को आइकमान अमरीकी फौजों द्वारा बन्दी बना लिया गया। उस समय इसने अपना नाम और वेप बदल लिया। कुछ समय बन्दी रहने के बाद यह अमरीकन कैम्प से भाग निकला और भूटे नाम से दक्षिण अमरीका के अर्जेंटायना राज्य में चला गया और वहाँ एक कारखाने में काम करने लगा। किन्तु कुछ यहूदी अपनी जाति के विध्वंसक आइकमान का पता लगाने पर तुले हुए थे। वे पन्द्रह वर्ष तक इसकी खोज में लगे रहे। इस बीच में यहूदियों का राज्य इजराइल भी बन गया था। ११ मई १९६० को यहूदी स्वयंसेवकों ने इसे अर्जेंटायना में पकड़ा, एक विमान पर बिठा कर इजराइल ले आये और उन्होंने यहाँ पहुँचकर इसे इजराइल की सरकार को सौंप दिया।

आइकमान ने इस प्रकार गुप्तरीति में अर्जेंटायना में अपहरण पर वहाँ की सरकार का विक्षुब्ध होना स्वाभाविक था। उसने इजराइल के इस कार्य का प्रबल विरोध करते हुए ८ जून १९६० के पत्र में यह कहा कि उसने एक मित्र देश की प्रभुसत्ता का उल्लंघन किया है, आइकमान ने यद्यपि ताखी यहूदियों का नरसंहार किया है, वह अर्जेंटायना में भूटे नाम से रह रहा था, अतः उसे वहाँ सरल ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं था, किन्तु भी इजराइल अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने दूसरे देश में अपने प्रतिनिधि भेज कर अपहरण का ऐसा कार्य नहीं कर सकता। उसे आइकमान को वापिस लौटा देना चाहिये और इसके बाद उसके प्रत्यर्पण की माँग करनी चाहिये। यदि आइकमान को जातिवध (Genocide) के अपराध के आघार पर लौटाना जाय तो उस पर यह अभियोग था तो जर्मनी में चलाया जाना चाहिये, जहाँ ये अपराध किये गये थे अथवा स० रा० राघ के जातिवध अभिसमय (Genocide Convention) के अनुसार यह मामला एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष लाया जाना चाहिये। यदि इजराइल ने उसकी यह प्रार्थना नहीं मानी तो वह यह मामला सुरक्षा परिषद में ले जायगा।

इसके उत्तर में इजराइल की सरकार का यह कहना था कि यह कार्य स्वयंसेवकों ने किया है, आइकमान ने अपना समर्पण स्वेच्छापूर्वक अपनी मानसिक धान्ति पाने के लिये किया है, वह आइकमान पर अभियोग इजराइल में ही चलाना चाहती है, उसे लौटाने के लिये तैयार नहीं है, किन्तु इस काण्ड में अर्जेंटायना की सरकार की प्रभुसत्ता का जो उल्लंघन हुआ है, उसके लिये वह उससे क्षमा माँगती है।

आइकमान को न लौटाने पर अर्जेंटायना ने सुरक्षा परिषद में इस प्रश्न को उठाया। सुरक्षा परिषद ने २२, २३ जून १९६० को इस प्रश्न पर विचार करके यह

६. कीसिंग्स आर्काइव्स, १५ जून—२१ जुलाई, १९६०, पृ० १७५८६। यहूदियों के रोमाचक नरसंहार के लिये देखिये कीसिंग्स आर्काइव्स, १९६२, पृ० १८८२६

निर्याय दिया कि ऐसे कार्यों से राज्य की प्रभुसत्ता का उल्लंघन होता है, अन्तर्राष्ट्रीय मघर्ष उत्पन्न होता है तथा यदि ऐसे कार्य बार-बार किये जायें तब अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को खतरा पैदा होने की सम्भावना है, इजराइल को यह चाहिए कि वह अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा मघ के चार्टर के अनुसार इस मामले में अज्ञेयता को समुचित मुआवजा दे और परिपक्व को यह आशा है कि दोनों देशों के सम्बन्ध में त्रिपूरण बने रहेंगे।

इजराइल में आइकमान पर ११ अप्रैल १९६१ में मुकद्दमा चलाया गया तथा ३१ मई १९६२ को आइकमान को न्यायालय के निर्याय के अनुसार प्राणदण्ड दे दिया गया।

आइकमान के मामले में यह प्रश्न उठाया गया था कि इजराइल इस मामले को चलाने का अधिकार नहीं रखता था क्योंकि जिस समय ये अपराध किये गये थे, उस समय इजराइल राज्य का निर्माण ही नहीं हुआ था तथा ये अपराध इजराइल राज्य की सीमा से बाहर किये गये थे। दूसरा प्रश्न यह था कि क्या इजराइल द्वारा आइकमान का अज्ञेयता से इस तरह अपहरण करना न्यायोचित था। इस विषय में इजराइल का यह कहना था कि यदि सामान्य रूप में आइकमान के प्रत्यर्पण की मांग अज्ञेयता से की जाती तो वह अवश्य फरार हो जाता। अन लाखों निर्दोह निरपराध पट्टियों के हत्यारे को पकड़ने के लिए यदि अपहरण करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय नियम की कुछ अपहेलना हुई है तो आइकमान के अपराध की मुहता को देखते हुए नैतिक दृष्टि से उसे इस प्रकार पकड़ने में कोई दोष नहीं प्रतीत होता।*

आर्टुकोविक का मामला (Artukovic Case)—इसी प्रकार का एक अन्य मामला यूगोस्लाविया के आन्निद्रज्य आर्टुकोविक का है। १९३४ में फाम के बन्दरगाह मार्सेलीज में यूगोस्लाव राजा एलेक्जेंडर की हत्या हुई, इसके पश्चात् में सर्वप्रथम

७. इस मामले के विस्तृत विवेचन के लिये देखिये अमेरिकन जर्नल आफ इन्टरनेशनल लॉ, १९६१, पृ० १२७—१३५ तथा पृ० ३०७—३५८।

अपहरण द्वारा प्रत्यर्पणविषयक एक अन्य मामला कागो (किन्दास्ता) का भूतपूर्व प्रधानमन्त्री शोम्बे का है। क्रोमिन्स आकार्टन, १९६७, पृ० १, अफ्रीकन रिवायर १९६७, पृ० १७०५) कागो की वर्तमान सरकार इसे देशद्रोही, साम्राज्यवादियों का साथ देने वाला, कागो के प्रथम प्रधानमन्त्री पुसुन्का की हत्या कराने वाला समझती थी। यह कागो से भाग कर विदेश चला गया था, किन्तु इसकी अनुपस्थिति में भी कागो के एक न्यायालय में इस पर मामला चला कर मार्च १९६७ में इसे प्राणदण्ड दिया गया था। कागो सरकार किन्ती प्रसार इसे दण्ड देने के लिये विदेश में स्वदेश लाने के लिये प्रयत्नशील थी। १ जुलाई १९६७ को जब शोम्बे एक एक ब्रिटिश विमान द्वारा रोम में रफ्ताने जा रहा था तो जहाज पर सवार कुछ व्यक्तियों ने बालक को इस विमान को लक्ष्मण अल्जीरिया ले जाने के लिये बाधित किया। इन विमान के अल्जीरिया पहुँचते ही वहाँ की सरकार ने शोम्बे को बन्दी बना लिया तथा २ जुलाई १९६७ को कागो की सरकार ने अल्जीरिया की सरकार से शोम्बे के प्रत्यर्पण की मांग की।

आर्टुकोविक का नाम लिया गया। १९४१ में जर्मन सेनाओं ने यूगोस्लाविया पर अधिकार कर लिया। उस समय कोट लोगों ने अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा करते हुए एक पृथक् गणराज्य की स्थापना की। आर्टुकोविक क्रमशः इस राज्य में गृहमन्त्री, न्यायमन्त्री तथा राज्य परिषद् का अध्यक्ष बना। वर्तमान यूगोस्लाविया की सरकार का यह दावा है कि इसने अपने शासनकाल में हजारों निर्दोष यूगोस्लावों का वध बड़ी क्रूरता से कराया।

१९४५ में जर्मनी की हार होने पर आर्टुकोविक ने स्वदेश से भागकर आस्ट्रिया, स्विट्जरलैण्ड और घायनैड में शरण ली। १९४८ में वह स० राज्य अमरीका में कैलिफोर्निया में रहने वाले अपने भाई के पास कुछ दिन रहने के लिये भूठे नाम से चला गया। अमरीका में अपने निवास के प्रथम वर्ष में ही उसने आप्रवास (Immigration) के अधिकारियों को अपना अमयी नाम बता दिया। १९४५-५० में उसने स० रा० अमरीका में स्थायी रूप से निवास के लिए १९४८ के Displaced Persons Act के अनुसार प्रार्थना की। उसके प्रार्थनापत्र को अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि उसने अमरीका में प्रवेश भूठे नाम से किया था।

१९५१ में यूगोस्लाव सरकार ने उसके प्रत्यर्पण की माँग की। इसपर उसे बन्दी बना लिया गया। अब उसने बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) के अन्तर्गत न्यायालय में अपनी मुक्ति के लिये आवेदनपत्र दिया। इस मामले में न्यायाधीश हाल का यह मत था कि १९०२ में स० रा० अमरीका ने अपराधियों के प्रत्यर्पण की जो सधि सविद्या राज्य से की थी वह यूगोस्लाविया का सर्वथा नया राज्य बन जाने के कारण उसके साथ की गई नहीं माँगी जा सकती, अतः सधि के अनुसार उसका प्रत्यर्पण नहीं हो सकता। आर्टुकोविक का यह कहना था कि उसके विरुद्ध जो अपराध लगाये जा रहे हैं, उनका स्वरूप राजनीतिक है। अतः इनके आधार पर उसके प्रत्यर्पण की माँग नहीं की जा सकती। न्यायाधीश ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए उसे मुक्त कर दिया।

भारतीय प्रत्यर्पण कानून १९६२ (Indian Extradition Act, 1962) — इस प्रसंग में १६ सितम्बर १९६२ को राष्ट्रपति की स्वीकृति पाने वाले भारतीय प्रत्यर्पण कानून का उल्लेख आवश्यक प्रतीत होता है। यह १८८१ के भगोडे अपराधी अधिनियम (Fugitive Offenders' Act) १८७० तथा १९३२ के प्रत्यर्पण कानून (Extradition Acts) तथा १९०३ के भारतीय प्रत्यर्पण कानून का स्थान लेने तथा इनमें समयानुकूल संशोधन करने के लिये बनाया गया है। नये कानून में एक विदेशी राज्य में तथा राष्ट्र-मण्डल (Commonwealth) के देश में भेद किया गया है। इसकी अनुसूची (Schedule) में गिनाये हुए राष्ट्रमण्डल के देश ये हैं — आस्ट्रेलिया, कनाडा, संलान, साइप्रस, मलाया, घाना, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सियरालियोन, सिंगापुर, टागानिक्या और ग्रेट ब्रिटेन। यह कानून आयरलैंड पर राष्ट्रमण्डल के देशों के समान लागू होगा।

इसके अनुभाग (Section) २ में इस कानून में प्रयुक्त विभिन्न पारिभाषिक शब्दों के लक्षण तथा आगम्य स्पष्ट किए गए हैं। प्रत्यर्पण के अपराध (Extradition

offence) को, ऐसा अपराध बताया गया है, जिसके सम्बन्ध में व्यवस्था विदेशी राज्य के साथ की गई प्रत्यर्पण मन्त्रि में दी गई हो। जिन राज्या के साथ ऐसी मन्त्रि नहीं है, उनके सम्बन्ध में ये अपराध इस कानून की दूसरी अनुसूची में वर्णित किये गए अपराध होंगे। इस अनुसूची के अपराध ये हैं—

अशोध हत्या (Culpable murder), हत्या का प्रयत्न, गर्भपात (Miscarriage) कराना, बच्चे का परित्याग (Abandonment), भगाना (Kidnapping), अपहरण (Abduction), दासता (Slavery), जयदंस्त्री श्रम कराना, बलात्कार तथा अप्राकृतिक अपराध (Unnatural offences) अपकर्मण (Extortion), चोरी और डकैती (Robbery and Dacoity), गबन (Criminal misappropriation), सापराध न्यास भंग (Criminal breach of trust), ठगना, रिप्टि (Mischief), जालसाजी वाले दस्तावेजों का प्रयोग, मुद्रासम्बन्धी अपराध, जहाजों को समुद्र में डुबाना या नष्ट करना अथवा इसका प्रयत्न या पड्यन्त्र करना, इसी प्रकार विमानों का विध्वंस करना या इसका प्रयत्न अथवा पड्यन्त्र करना, महासमुद्रों में किनी जहाज पर या विमान पर इतने नष्ट करने के इरादे से आक्रमण करना, महासमुद्र में जहाज के स्वामी के विरुद्ध विद्रोह करना, सोने को, हीरो को तथा अन्य बहुमूल्य मणियों को तथा मादक पदार्थों को चोरी में लाना, रिन्गों तथा लठकियों का अनैतिक व्यापार या अन्य कोई ऐसा अपराध जो भारतीय दण्ड विधान के अनुसार अथवा भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की गई विज्ञप्तियों के अनुसार दण्डनीय अपराध हो। भगोडा अपराधी (Fugitive Criminal) वह व्यक्ति है जिस पर विदेशी राज्य की मीमा में उपर्युक्त प्रत्यर्पण अपराध करने का आरोप है या जिसे ऐसे अपराध के लिए दण्ड मिल चुका है और उसके भारत में भागकर आने का संदेह है।

इस कानून के अनुभाग (Section) ३१ में राजनीतिक अपराधों (Political Crimes) की व्यवस्था करते हुए कहा गया है कि ऐसे भगोडे अपराधियों को पकड़कर किसी विदेशी राज्य को नहीं सौंपा जायगा, जिनका अपराध राजनीतिक है या भगोडा व्यक्ति उनके मामले पर विचार करने वाले मजिस्ट्रेटों के अथवा केन्द्रीय सरकार के मन्त्र मन्तोषजनक रीति में यह प्रमाणित कर सके कि उनके प्रत्यर्पण की मांग इसलिए की जा रही है कि उसे राजनीतिक स्वरूप रखने वाले किसी अपराध के लिये दण्डित किया जा सके। इस कानून के अनुभाग २२ के अनुसार भगोडे अपराधी ने यह अपराध इस कानून के बनने से पहले किया हो तो भी उसे पकड़कर विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है। अनुभाग २३ में यह व्यवस्था है कि किसी राज्य की प्रभुता में न आने वाले महासमुद्रों में अथवा बामुमडल में अपराध करने वाले व्यक्तियों का भी दूसरे राज्य को सौंपा जा सकता है। अनुभाग २६ में यह कहा गया है कि यदि केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि प्रत्यर्पण की मांग बड़े क्षुद्र कारणों से तथा अछे इरादों में नहीं की जा रही, भगोडे अपराधी को लौटाना अन्यायपूर्ण होगा तो वह अदालत में उसके विरुद्ध चल रही कार्यवाही को किसी भी समय रोक सकती है, इस व्यक्ति को बन्दी बनाने वाले धारण को रद्द करके उसे मुक्त करने का अधिनार रखती है। अनुभाग ३० में यह कहा गया

है कि यदि भगोडे अपराधी के प्रत्यर्पण की मांग कई राज्य करें तो केन्द्रीय सरकार जित्त राज्य को उचित समझे उसे भगोडे का प्रत्यर्पण कर सकती है।

इस कानून के दूरे तथा तीसरे अध्याय में भगोडे अपराधियों के प्रत्यर्पण की मांग के सम्बन्ध में आवश्यक नियमों का निर्देश है। अध्याय ३ के अनुभाग ४ से ११ के अनुसार विदेशी राज्य के भगोडे अपराधी के प्रत्यर्पण की प्रार्थना उस राज्य के दिल्ली स्थित राजदूत द्वारा या विदेशी सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को की जानी चाहिए। इस प्रार्थना के आने पर केन्द्रीय सरकार इस मामले की जाँच करने के लिए एक न्यायाधीश को आदेश देगी। न्यायाधीश ऐसा आदेश पाने पर भगोडे अपराधी को बन्दी बनाने के वारण्ट निकालेगा और यदि इस मामले की जाँच करने के बाद वह इस परिणाम पर पहुँचता है कि उसके विरुद्ध प्रथम दृष्टि में (prima facie) मामला सिद्ध हो गया है तो वह भगोडे अपराधी को जेल भेज सकता है तथा इस विषय में अपनी जाँच की रिपोर्ट तथा अभियुक्त का वक्तव्य केन्द्रीय सरकार को भेज देगा। इस रिपोर्ट और वक्तव्य को प्राप्त करने के बाद यदि केन्द्रीय सरकार इसे विदेशी सरकार को सौंपना उचित समझेगी तो इस विषय में आवश्यक कार्रवाई करेगी।

तारासोव का मामला (Tarasov Case)—उपर्युक्त कानून बनने के बाद इस विषय का सबसे प्रसिद्ध मामला रूसी नाविक तारासोव का है। इसके प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं २४ वर्षीय वी० एस० तारासोव (Vladislav Stepanovich Tarasov) एक रूसी तेलवाहक (Tanker) जहाज तेहेरनोव्स्की (Tchernovci) पर नाविक था। उस पर यह आरोप था कि उसने इस जहाज में, जब यह महासमुद्र (High Seas) में था तो ७०० रु० की चोरी की और जब यह पोत कलकत्ता के बन्दरगाह में आया तो २५ नवम्बर १९६२ को तारासोव उस जहाज से कूद पड़ा तथा उसने वही पास सडे हुए स० रा० अमरीका के जहाज Steel Surveyor पर शरण ग्रहण की। इस पर सोवियत दूतावास ने भारत सरकार से प्रार्थना की कि रूस तारासोव पर रूसी अदालत में उसकी चोरी के अपराध के लिए मुकदमा चलाना चाहता है, अतः तारासोव उसे सौंप दिया जाय। इस पर भारत सरकार ने यह आदेश दिया कि इस मामले में प्रत्यर्पण का निर्णय करने से पहले इस बात की न्यायिक जाँच (Judicial survey) हो कि सोवियत दूतावास द्वारा तारासोव के विरुद्ध लगाये गए चोरी के आरोप में प्रथम दृष्टि में (prima facie) मामला बनता भी है या नहीं। इस मामले की जाँच पहले कलकत्ता में तथा बाद में दिल्ली में शब्द ब्रिवांजनल मजिस्ट्रेट थी एन० एल० कक्कड ने की। २६ मार्च १९६३ को इस मामले में यह निर्णय दिया गया कि तारासोव के विरुद्ध प्रथम दृष्टि में (prima facie) मामला नहीं सिद्ध हो पाया, उस पर चोरी का अपराध मनगडन्त है।

इस मामले में वादी की ओर से कहा गया था कि तारासोव ने रूसी जहाज पर रफया रखने वाले (Purser) तृतीय साथी (Third Mate) ने कमरे से १७ नवम्बर को महासमुद्र में चोरी की। जहाज के कप्तान ब्राउन (M. A. Brown) ने इस मामले की जाँच की, किन्तु उसे २४ नवम्बर की शाम तक किसी व्यक्ति पर शक नहीं हुआ।

२४ को जब उसे तारासोव पर शन हुआ तो वह ड्यूटी पर था, अतः वह उससे कुछ पूछ नहीं सका। तारासोव अगले दिन सबेरे रूसी जहाज से समुद्र में कूदा। रा० रा० अमरीका के स्टीव सरवेयर जहाज पर चढ़कर उसने स० रा० अमरीका से धरण मांगी। इस पर सोवियत उप-बाणिज्य दूत लोद्रेव (Londrev) ने कलकत्ता के दक्षिणी बन्दरगाह के थाने में उसके जहाज में गायब होने की तथा उसे ढूँढकर सोवियत बाणिज्य दूतावास में लौटाने की रिपोर्ट दर्ज करायी। इस रिपोर्ट में चोरी का उल्लेख नहीं था। २५ नवम्बर को वह पकड़ा गया। प्रेजीडेन्सी मजिस्ट्रेट ने उसके अभियोग पर विचार किया और उसे बोधी सिद्ध करने के प्रमाणों के अभाव में उसे मुक्त कर दिया। इसी बीच सोवियत दूतावास ने उसके प्रत्यर्पण की प्रार्थना की और वह ६ जनवरी को दिल्ली के उपर्युक्त मजिस्ट्रेट के वारण्ट पर पुनः गिरफ्तार कर लिया गया, ११ जनवरी १९६३ को दिल्ली लाकर उसके प्रत्यर्पण की जाँच (Extradition Enquiry) शुरू की गई।

दृग विषय में तारासोव का कहना था कि वह सर्वथा निर्दोष है। उसने कोई चोरी नहीं की। वह अपने देश से इस घाटा से भागना चाहता था कि उसे स्वतन्त्रता का जीवन बिताने का अवसर मिले, वह अत्याचार के भय से आशंकित न रहे, रूस में व्यक्ति कुछ नहीं है, वहाँ विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता नहीं है। सोवियत सरकार उसके प्रत्यर्पण की माँग बढ़ाने की भावना से कर रही है, रूस में उस पर चोरी के लिये मुकद्दमा नहीं चलेगा, किन्तु यूनेस्कोन दण्ड-विधान की धारा ५६ के अनुसार मुकद्दमा चलेगा। इसमें स्वदेश लौटने से मना करने वाले भगोशे को १० से १५ वर्ष की कैद की अथवा गोली से मारने की व्यवस्था है, भले ही उन्होंने कोई अपराध न किया हो। जब कोई रूसी सोवियत शासन से असंतुष्ट होकर देश से बाहर जाता है तो इसे इसी प्रकार चोरी के अपराध में फँसाया जाता है, उसपर भी इसीलिये झूठमूठ मनगडन्त यह अपराध लगाया जा रहा है।

माननीय ग्यायाधीश ने इस मामले में तारासोव के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा कि चोरी के मामले में दो बातें विचारणीय हैं—(१) चोरी २५ नवम्बर को हुई या १७ नवम्बर को, (२) क्या २५ नवम्बर से पहले तैयार किये गये कागज वास्तविक हैं। उपस्थित की गई साक्षी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यदि कोई चोरी हुई है तो राम के १२ नजे से सबेरे ४ बजे तक २५ नवम्बर को हुई है, जब रूसी जहाज कलकत्ता के किंग जार्ज गोदी (Dock) में था। १७ नवम्बर को कोई चोरी नहीं हुई क्योंकि २५, २६ नवम्बर को दक्षिणी बन्दरगाह (South Port) के थाने में इस विषय में जो रिपोर्ट दर्ज करायी गई हैं, उनमें सोवियत दूतावास ने चोरी का कोई उल्लेख नहीं करायी। चोरी के विषय में फोटो आदि के जो प्रमाण २५ ता० से पहले तैयार किये बताये जाते हैं, वे भी पुष्टि को नहीं दिखाये गये। जब की सम्मति में "सोवियत सच कलकत्ता में इस मामले को चलाने के बारे में बहुत उत्सुक (serious) नहीं था, उसने केन्द्रीय सरकार को प्रत्यर्पण की कार्यवाही आरम्भ करने की प्रार्थना की थी।"

सोवियत दूतावास द्वारा उपस्थित की गयी साक्षियों की कड़ी आलोचना करते हुए ग्यायाधीश ने कहा कि विदेशी राज्य ने ऐसी साक्षी नहीं पेश की जो यह प्रदर्शित करे

कि चोरी हुई थी। वाडी के १२ गवाहों में से केवल एक ही गवाह कप्तान ब्रोन पेश किया गया और उसकी साक्षी विश्वसनीय नहीं है। किसी व्यक्ति को दण्डित करने से पहले उसके विरुद्ध ऐसा प्रबल केस होना चाहिये, यदि ऐसा नहीं हो तो तारासोब को छोड़ दिया जाना चाहिये। अन्यथा इसकी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रत्यर्पण कानून के अनु-भाग ७ (४) के अनुसार आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने के लिये देनी चाहिये। ऐसे मामले में केन्द्रीय सरकार यह निर्णय करेगी कि उसका प्रत्यर्पण किया जाय या न किया जाय।^८

प्रत्यर्पण कानून की व्याख्या करते हुए इस निर्णय में कहा गया था कि प्रत्येक देश इस बात का दावा करता है कि इसे अपने नागरिकों की तथा इसकी शरण में आये प्रत्येक विदेशी की रक्षा करने का सर्वोच्च अधिकार (Sovereign right) प्राप्त है। "राज्य ऐसे किसी व्यक्ति को अन्य किसी राज्य को अर्पण करने से इन्कार कर देता है, जिसके बारे में प्रबल केस न हों कि उसने वास्तव में अपराध किया है।" प्रत्यर्पण के मामले के प्रमाण सामान्य मामलों की अपेक्षा अधिक पुष्ट और प्रबल होने चाहिये। न्यायाधीश ने सोवियत सभ की इस युक्ति को स्वीकार नहीं किया कि विदेशी राज्य द्वारा उपस्थित किये गये प्रमाणों को कानूनी साक्षी के लिये पर्याप्त समझना चाहिये और इसमें कोई मद्देह नहीं करना चाहिये। इसके अतिरिक्त निर्णय में यह भी कहा गया था कि भारत और सोवियत सभ के मध्य कोई प्रत्यर्पण संधि (Extradition Treaty) न होने के कारण भगोड़े व्यक्ति को विदेशी राज्य को नहीं सौंपा जा सकता।

प्रत्यर्पण के विषय में स्वर्लियन (Svarhen) ने यह सर्वथा सत्य ही लिखा है कि "इसमें कोई सदेह नहीं कि इस युग में यातायात के शीघ्रगामी साधनों के विकास के कारण एक अपराधी के लिये अपने अपराध के स्थल से बच कर भाग निकलना अधिक सरल हो गया है। अतः इस समय पहले की अपेक्षा यह अधिक आवश्यक हो गया है कि अपराधी को दण्ड देने तथा न्याय व्यवस्था के लिये सब देशों में पारस्परिक सहयोग हो। यह मानव समाज के संरक्षण के लिये नितान्त आवश्यक है ताकि इसके कानूनों का उद्वलघन करने वाले दण्ड से बच न सके। किन्तु दूसरी ओर यह भी आवश्यक नहीं है कि समाज के दूर तथा अन्यायपूर्ण व्यवहार में व्यक्ति की रक्षा की जाय।" समाज के ऐंसे दूरतापूर्ण शासन से व्यक्ति को मुक्ति प्रदान

८. दिन्डुस्तान टाइम्स, ३० मार्च १९६३, पृ० १ तथा ७

९. स्वर्लियन—इंडोडक्शन टू दी लॉ ऑफ नेरान्स, १९४४, पृ० ४३३

यह श्री एवं श्रीमती धर्मेजा के उदाहरण से स्पष्ट है। भारत सरकार जयन्ती शिपिंग कंपनी के लार्जे लफे के चोलमाल और राज्य चोटले के लिये दूक दोने पर भारत में मागला चलाना चाहती है। किन्तु ये भागकर सं० २१० अमेरिका चले गये। वॉशिंगटन की सरकार से जब भारत सरकार ने इनका प्रत्यर्पण करना चाहा तो तेजा दण्डी हवाई जहाज से बर्बा से भागकर दक्षिण अमेरिका के कोस्टारिका Costa Rica नामक राज्य में पहुँच गये और इसने राष्ट्रपति के पास उन्हीं शरण ली। कोस्टारिका के साथ भारत की कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं

करने के लिये आश्रय के अधिकार की व्यवस्था की गयी है।

आश्रय का अधिकार (Right of Asylum) — प्रत्यर्पण और आश्रय के अधिकार एक-दूसरे के विलोम हैं। स्टार्क के शब्दों में प्रत्यर्पण के आरम्भ के साथ आश्रय की समाप्ति हो जाती है। प्रायः राजनीतिक अपराधी दूसरे देशों में आश्रय या शरण ग्रहण करते हैं। जब किसी व्यक्ति को किन्हीं कारणों से अपने देश में प्राण सन्कट में पड़ने की आशंका होती है तो वह दूसरे देश में आश्रय ग्रहण करता है। मार्च १९५६ में जब दलाई लामा का निवृत्त म निवास करना सुरक्षित नहीं रहा तो उन्होंने लामा से भागकर भारत में आश्रय ग्रहण किया।

स्टार्क (पृ० २७६) ने अन्तर्राष्ट्रीय वानून में आश्रय के दो मुख्य तत्व बताये हैं— (१) स्थायी रूप से शरण देना। (२) आश्रय देने वाले राज्य के प्रदेश के अधिकारियों द्वारा पूरा संरक्षण। आश्रय दो प्रकार का होता है— (क) प्रादेशिक आश्रय (Territorial Asylum) किसी राज्य द्वारा अपने प्रदेश में किसी व्यक्ति को दिया गया आश्रय, जैसे दलाई लामा को भारत सरकार द्वारा भारत में दिया गया आश्रय।

स्टालिन की पुत्री स्वेतलाना द्वारा स्विट्जरलैण्ड तथा स० रा० अमेरिका में शरण लेने की घटना इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण है। वह दिसम्बर १९६६ में अपने दिवंगत पति (रूस की सरकार ने स्वेतलाना को इस विवाह की स्वीकृति नहीं दी थी) ब्रजेसविच के अपरोप लेकर अपने भारतीय पति के घर बाल्गानगर (उत्तर प्रदेश) कुट्ट निश्चित अवधि के लिये आई थी। इस अवधि के समाप्त होने पर निम्नी कारणों से उसने रूस जाना उचित नहीं समझा और नई दिल्ली में स० रा० अमेरिका के दूतावास में शरण ग्रहण की और यहाँ के अधिकारियों की सहायता से वह अस्थायी शरण (Temporary asylum) लेने के लिए स्विट्जरलैण्ड पहुँची (११ मार्च १९६७)। यहाँ कुछ समय रहने के बाद वह २१ अप्रैल १९६७ को न्यूयार्क पहुँची और उगने यह कहा कि वह रूस लौटने के स्थान पर महासंलय आई है कि 'वह आत्मनिव्यक्ति की उस स्वतन्त्रता को चाहती है, जो उसे रूस में प्राप्त नहीं थी।' स० रा० अमेरिका के सरकारी प्रवक्ता की ओर से कहा गया कि वह यहाँ तीन से छ महीने के अनुमति-पत्र (Visitor's Visa) पर आयी है और जब तक चाहे यहाँ रह सकती है।

है, अतः भारत उससे वेजादम्पति के प्रत्यर्पण की माँग नहीं कर सकता। स० रा० अमेरिका की कोस्टा रिका से प्रत्यर्पण सधि है, किन्तु वह उससे वेजा दम्पति की माँग इस लिये नहीं कर सकता कि स० रा० अमेरिका में वेजा दम्पति का यही अपराध है कि वे जनान (Bail) देकर भी वहाँ से भाग निकलें हैं और यह अपराध प्रत्यर्पण के लिये पर्याप्त कारण नहीं है। इस समय भारत सरकार इस बात का प्रयत्न कर रही है कि श्री तथा श्रीमती धर्मवेजा को ग्नोवा अपराधी (Criminal Fugitives) मानकर कोस्टा रिका की सरकार उन्हें भारत सरकार को सौंप दे ताकि उनके विरुद्ध लार्डो रथों के गवर्न और मोलमाता की जांच हो सके, किन्तु वेजा दम्पति यह प्रयत्न कर रहे हैं कि कोस्टा रिका उन्हें राजनीतिक शरण (Political Asylum) प्रदान करे। (गण-ज भक्त इंडिया, दिल्ली, २२ नवम्बर १९६७, पृ० १)

(ख) प्रदेशबाह्य आश्रय (Extraterritorial Asylum)—यह किसी राज्य द्वारा अपने प्रदेश से बाहर विदेशों में स्थित अपने दूतावासों, युद्धपोतों, व्यापारिक जहाजों में किसी व्यक्ति को शरण देना है। दोनों प्रकार के आश्रयों में मौलिक अन्तर है। पहले प्रकार का आश्रय प्रादेशिक प्रभुता का परिणाम होता है और दूसरा इस प्रभुता को कम करने वाला होता है। प्रत्येक राज्य को पहले प्रकार का आश्रय देने का पूर्ण अधिकार है, बशर्ते कि उसने किसी संधि द्वारा इस पर कुछ प्रतिबन्ध लगाना स्वीकार न कर लिया हो। दूसरे प्रकार का आश्रय केवल विशेष अवस्थाओं में किसी व्यक्ति को उत्तेजित भीड़ के आक्रमण से बचाने आदि की असाधारण अवस्थाओं में मानवीय-कारणों से दिया जाता है।

राज्य का अधिकार है व्यक्ति को

(क) प्रादेशिक आश्रय (Territorial Asylum) प्रदान करने की परंपाटी बहुत प्राचीन है। यह राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक मतभेदों के कारण अपने देश से भागने वाले व्यक्तियों को दिया जाता रहा है। इटली, फ्रांस, जर्मनी, मोनियत यूनिन के संविधानों में राजनीतिक कारणों से पीड़ित होने वाले व्यक्तियों को आश्रय देने के अधिकार की घोषणा की गयी है। किसी व्यक्ति को आश्रय देने का कोई अधिकार नहीं है, आश्रयदाता देश किसी व्यक्ति को आश्रय देने या न देने के मामले में बिल्कुल स्वतन्त्र है। १९४८ के मानवीय अधिकारों के घोषणापत्र में कहा गया है कि "प्रत्येक व्यक्ति को अत्याचार से रक्षा पाने के लिए दूसरे देशों में शरण ग्रहण करने का अधिकार है।" किन्तु यह केवल कोरी घोषणा मात्र है। स्टार्क का मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून व्यक्ति का कोई ऐसा अधिकार नहीं स्वीकार करता। इस विषय की यथार्थ स्थिति का चित्रण करते हुए आपेनहाइम ने स्पष्ट शब्दों में लिखा—“वर्तमान समय में तथाकथित आश्रय का अधिकार केवल इतना ही है कि प्रत्येक राज्य को यह अधिकार है कि यह किसी पीड़ित विदेशी को अपनी भूमि में प्रवेश करने की तथा उसके प्रदेश में उसके सरक्षण में रहने और इस प्रकार आश्रय लेने की अनुमति दे। इस प्रकार का विदेशी भगोड़ा अपने आश्रयदाता राज्य के अतिथि का उपभोग करता है, किन्तु राज्य के हित की दृष्टि से उसे निरोक्षण में रखना या किसी स्थान पर नजरबन्द करना भी आवश्यक हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों को ऐसा कोई कार्य न करने दे जिससे किसी दूसरे राज्य की सुरक्षा संकट में पड़े।” भारत ने दलाई लामा को यहाँ आश्रय देने समय यह स्पष्ट कर दिया था कि वे यहाँ किसी प्रकार से चीन विरोधी राजनीतिक प्रचार और संगठन नहीं करेंगे, इस दृष्टि से उन पर कभी देखरेख रखी गई कि वे ऐसा कोई कार्य न करें।

प्रादेशिक आश्रय

(ख) प्रदेशबाह्य आश्रय (Extraterritorial Asylum)—यह पाँच प्रकार का होता है—(१) दूतावास में ली जाने वाली शरण या आश्रय (Asylum in Legations), (२) वार्तालय दूतावासों (Consulates) में लिया जाने वाला आश्रय,

(३) अन्तर्राष्ट्रीय सगठनों के भवनों में लिया जाने वाला आश्रय, (४) युद्धपोतों का आश्रय (Asylum in Warships), (५) व्यापारिक जहाजों का आश्रय। इन्में सबसे अधिक महत्वपूर्ण दूतावासों में लिया जानेवाला प्राश्रय है। इसे राजनयिक आश्रय (Diplomatic Asylum) भी कहते हैं। आगे इसी की चर्चा विशेष रूप से की जायगी।

क्षेत्रीय अधिकारविषयक नवीन दृष्टिकोण—वर्तमान शताब्दी में लाखों मनुष्यों को विभिन्न कारणों से प्रेरित होकर जिन बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में शरण ग्रहण करनी पड़ी है, ऐसे पैमाने पर आबादियों के परिवर्तन की घटनाये इतिहास में पहले कभी नहीं हुई है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पूर्वी योरोप के प्रदेशों से हजारों जर्मन शरणार्थी पश्चिमी देशों में गये, १९४७ में भारत के विभाजन से लाखों आदमी पाकिस्तान से भारत तथा भारत से पाकिस्तान गये, पश्चिमी एशिया में इजराइल राज्य की स्थापना से तथा अरब-इजराइल संघर्ष से लाखों अरबों को बेघरवार होकर शरणार्थी बनना पड़ा, साम्यवादी चीन द्वारा तिब्बत पर अधिकार करने के बाद भगोड़े तिब्बतियों का जनप्रवाह नेपाल और भारत को बढ रहा है, क्यूबा में साम्यवादी शासन स्थापित होने के बाद वहाँ से भागकर ज्यूरिख स० राज्य में शरण लेने लगे हैं। अफ्रीका के देशों में राजनीतिक उथल-पुथल से जनसमुदायों के परिवर्तन बहुत बड़ी मात्रा में हो रहे हैं। इन सब परिवर्तनों से लाखों आदमी बेघरवार और अनाश्रित हो गये हैं। एत एल्फान रीस (Elfan Rees) ने इस शताब्दी को 'बेघरवार मनुष्य की शताब्दी' (Century of the Homeless man) कहा है।^१ इस समय प्रादेशिक शरण ग्रहण (Territorial asylum) की समस्या बड़ी निकट एवं जटिल हो गयी है और इसके सम्बन्ध में नवीन दृष्टिकोण में चिन्तन आरम्भ हुआ है।

इसके परिणामस्वरूप अब इसके मानवीय पहलू पर अधिक बल दिया जाने लगा है। पहले क्षेत्रीय शरण देना प्रभुसत्तासम्पन्न राज्यों का एक महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता था, राज्य इसका प्रयोग करते हुए अपने प्रदेशों में दूसरे राज्यों के नागरिकों को शरण देते थे। किन्तु अब इसे अत्याचार और उत्पीडन से बचने के लिए व्यक्तियों का बहुमूल्य अधिकार स्वीकार किया जाता है। इसके अन्तर्राष्ट्रीय महत्व को स्वोच्चर करते हुए १ जनवरी १९५१ को 'शरणार्थियों के लिए सच के उच्च आयुक्त' का पद (Office of U N High Commissioner for Refugees) स्थापित किया गया। इससे शरणार्थियों को अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षण पहुँचाने का कार्य सौंपा गया। १९६० में स० रा० सच के मानवीय अधिकार आयोग (U N Human Rights Commission) द्वारा शरणार्थियों को घोषणा का एक प्रारूप (Draft Declaration on Asylum) तैयार करते हुए इसमें यह कहा गया है कि यह राज्य का अधिकार ही नहीं, अपितु कर्तव्य है कि वह अत्याचार से भाग पाने वाले की इच्छा रखने वालों को अपने प्रदेश में आश्रय प्रदान करे। इस घोषणापत्र पर अपनी सम्मति प्रकट करते हुए भारत, बेल्जियम, इंग्लैण्ड, फेरू तथा पैरौह्लोनामिया ने इसी प्रकार की सम्मति

प्रकट की थी। किन्तु स्पेन, स्वीडन, हॉलैण्ड, यूगोस्लाविया ने इसे व्यक्ति का अधिकार मानने पर बल दिया है। १९४८ में हुए अमेरिकन राज्यों के नवम अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने मनुष्य के अधिकारों तथा कर्तव्यों के अमेरिकन घोषणापत्र में यह कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपराध करने की दशा में, अन्य देशों में उन देशों के कानूनों के अनुसार शरण ग्रहण करने का अधिकार है। १९६४ में हुए अन्तर्राष्ट्रीय विधि सभ (International Law Association) के ५१वें सम्मेलन में आश्रय के अधिकार पर पास किये गये एक प्रस्ताव में यह कहा गया था कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से व्यक्ति को दूसरे देश में शरण पाने का अधिकार है।

इस विषय में दूसरा विचार अप्रत्यावर्तन के सिद्धान्त (Principle of non-refoulement) का स्वीकार किया जाना है। इस सिद्धान्त का यह अर्थ है कि किसी व्यक्ति को उस देश में उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती वापिस भेजने या प्रत्यावर्तन की कार्यवाही न की जाय, जिस देश से वह भागकर आया है। वह जिस देश में शरण ग्रहण कर रहा है, यदि वह देश उसे उसके मूल देश (Country of origin) को लौटा देता है तो वह पुनः वहाँ वापिस जाने पर उन्हीं प्रत्याचारी और उत्पीडनों का शिकार होगा, जिससे बचने या परित्राण पाने के लिए उसने दूसरे देश में शरण ली थी। शरणार्थी को उसके मूल देश में लौटाने या प्रत्यावर्तन करने से शरण ग्रहण का मूल उद्देश्य और प्रमुख प्रयोजन सर्वथा निफल हो जाता है, अतः इस विषय में अप्रत्यावर्तन के सिद्धान्त का पालन किया जाना चाहिये। इसे १९५१ के शरणार्थी सम्मेलन (Refugee Convention) की धारा ३१, ३२ तथा ३३ में मानवीय अधिकारों के आयोग द्वारा १९६० में प्रस्तुत किये गये शरण के अधिकार के घोषणापत्र के प्राप्ति की धारा ३ में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। कई देशों में वहाँ की सरकारों ने इस विषय में बड़ी स्पष्ट घोषणायें की हैं। ऐसे देशों में आस्ट्रिया, स्विट्जरलैण्ड और डनलैण्ड के नाम उल्लेखनीय हैं।^{१२} ८ मार्च १९५७ को ब्रिटेन के उपगृहसचिव ने लोकसभा में यह घोषणा की थी—“यदि युक्तियुक्त रूप से इस बात की कल्पना की जा सकती है कि किसी विदेशी का अपने देश में प्रवेश रोकने का यह परिणाम होगा कि उसे ऐसे देश में लौटकर जाना पड़ेगा, जहाँ उसके प्राण सफट में पड़ जायेंगे, अथवा उस पर इन प्रकार का अत्याचार होगा कि वह जीवन बिताने योग्य नहीं रह सकेगा तो उसे सामान्य रूप से इस देश में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी, बशर्त कि उसे अवाछनीय व्यक्ति सम्मेलन के कोई ठोस कारण न हो।” इस प्रकार की सरकारी घोषणाओं से अप्रत्यावर्तन का सिद्धान्त कई देशों का हिस्सा बन चुका है।

किन्तु भी इस सिद्धान्त को क्रियात्मक रूप देने में कई कठिनाइयाँ हैं। किसी देश में शरणार्थियों के अबाध रीति से बड़ी संख्या में आने के कारण कई प्रकार की आर्थिक समस्याएँ हो सकती हैं। इनके आघार पर कोई देश शरणार्थियों को अपने देश में आने से रोक सकता है। किन्तु इस समय सामान्य प्रवृत्ति व्यक्ति को शरण

की आवश्यकता होने पर मानवीयता के आधार पर उसे शरण देने की ओर अधिक पायी जाती है। राज्य आजकल यदि किसी व्यक्ति को शरण देने से इन्कार करते हैं तो उसकी अस्वीकृति अपनी प्रभुसत्ता के आधार पर नहीं, अपितु इस आधार पर होती है कि शरण माँगने वाले व्यक्ति किन्हीं कारणों से शरण पाने योग्य नहीं है। आजकल जब कोई देश किसी व्यक्ति को शरण देने से इन्कार करता है तो उसकी बड़ी आलोचना होगी और यह इस बात को सूचित करती है कि लोकमत सामान्यतः कष्टपीडित व्यक्तियों को शरण देने के सिद्धान्त का प्रबल समर्थन करता है। यह इंग्लैण्ड में शरण माँगने वाले दो उदाहरणों से स्पष्ट हो जायगा पहला उदाहरण एक स्पेनिस नाविक पेरेज सेलेस का मामला (Perez Selles Case) है। इसमें स्पेनिस नागरिक सेलेस को राजनीतिक कारणों के आधार पर अपने देश में सैनिक सेवा करने पर आपत्ति थी, इससे बचने के लिये वह इंग्लैण्ड भाग आया। ब्रिटेन के गृहसचिव (Home Secretary) ने उसे स्पेन वापिस लौटाने का निश्चय किया क्योंकि उसकी सम्मति में उसे इंग्लैण्ड में राजनीतिक शरण देना न्यायोचित नहीं था। उस पर इंग्लैण्ड में प्रबल आन्दोलन हुआ, ६ मार्च १९५८ को लोकसभा में बहुत बहस हुई, इसके परिणामस्वरूप गृहसचिव को इस विषय में उसके देश-निष्कासन के आदेश (Deportation order) को वापिस लेना पड़ा, उसे यह सुविधा दी गई कि वह स्पेन के अतिरिक्त किसी अन्य देश में जा सकता है।^{१३} दूसरा उदाहरण नाइजीरिया के एनाहोरा (Enahoro) का था। यह १९६३ में उस समय की नाइजीरियन सरकार के विद्रोह करने वाले एक दल (Action Group of Nigeria) का उपसभापति था, स्वदेश से भागकर ब्रिटेन में आ गया था। नाइजीरिया की सरकार इस पर सशुभ सरकार को उलटने तथा राजद्रोह आदि कई अपराधों के लिये भुक्ताना चाहती थी। उसने भगोडा अपराधी कानून (Fugitive Offenders Act) के आधार पर ब्रिटिश सरकार से अपराधी को लौटाने की प्रार्थना की। गृहमंत्री ने इसे नाइजीरिया को सीपने का निश्चय किया, किन्तु जनता द्वारा इस का प्रबल विरोध किया गया। इन सब बातों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस समय राज्यों में विदेशी नागरिकों को मानवीयता के आधार पर अपने प्रदेश में शरण देने की तथा सामान्य रूप में अपने शरणार्थियों को पुराने देश को न लौटाने की प्रवृत्ति प्रबल हो रही है।

राजनयिक आश्रय (Diplomatic Asylum)— आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार राजदूत के निवासस्थान उस राज्य के क्षेत्राधिकार से मुक्त माने जाते हैं, जिसमें वे स्थित होते हैं। उदाहरणार्थ, नई दिल्ली की चाणक्यपुरी के न० रा० अमरीका के दूतावास रुजवैट भवन में भारतीय पुलिस अमरीकी राजदूत की अनुमति के बिना प्रवेश, तलाशी या किसी को पकड़ने का अधिकार नहीं रखती। इसका स्वाभाविक परिणाम यह है कि यदि यहाँ कोई व्यक्ति आश्रय ले ले तो वह पुलिस की पकड़ में नही

हो जाता है। किन्तु राजदूतों को अपने दूतावासों में विदेशियों को इस प्रकार शरण देने का अधिकार कहीं तक है, यह प्रश्न बड़ा विवादास्पद है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के जन्मदाता ग्रोशियस के समय से इस विषय में विवाद चला आ रहा है। १७वीं, १८वीं शताब्दी में इस अधिकार को स्वीकार नहीं किया गया।^{१४} स्टाक ने लिखा है कि आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून किसी दूत को यह सामान्य अधिकार नहीं प्रदान करता कि वह अपने दूतावास में किसी विदेशी को शरण दे सके।^{१५}

अपवाद रूप में दूतावास में निम्नलिखित अवस्थाओं में शरण दी जा सकती है—(क) अस्थायी आश्रय (Temporary Asylum) उन व्यक्तियों को दिया जा सकता है, जिनके प्राण उत्तेजित भीड़ से या अव्यवस्था के कारण सकट में पड़े हुए हैं या स्थानीय राजनीतिक भ्रष्टाचार की उग्रता के कारण कोई व्यक्ति दूतावास में भागकर शरण लेने को विवश हो। इस अवस्था में आश्रय देना इसलिए न्यायोचित समझा जाता है कि इससे शरण लेने वाले के प्राणों की या शरीर की भौतिक क्षति से रक्षा अस्थायी रूप से हो जाती है। मानवीयता के आधार पर ऐसी शरण दी जानी चाहिये।

(ख) जहाँ ऐसा आश्रय देने का बाध्यकारी स्थानीय रिवाज (Binding local custom) हो वहाँ यह शरण दी जानी चाहिये।

(ग) जहाँ विशेष शक्ति द्वारा दूतावास वाले राज्य तथा प्रादेशिक राज्य में राजनीतिक अपराधियों को ऐसा आश्रय देने के अधिकार की व्यवस्था की गई हो, वहाँ यह शरण दी जा सकती है।

भाजकल यह माना जाता है कि दूतावास किसी व्यक्ति को अस्थायी रूप से ही ऐसा आश्रय दे सकता है, यदि इस प्रकार शरण लेने वाले व्यक्ति की माँग स्थानीय पुलिस द्वारा की जाय तो उसे यह व्यक्ति सीप दिया जाना चाहिये। इस विषय में स० रा० अमरीका ने १ दिसम्बर १९३२ के अपने एक आदेश में यह घोषणा की थी "एक राजनीतिक दूतमंडल के प्रयोजनों में यह सम्मिलित नहीं है कि वह आश्रय प्रदान करे। यह केवल कुछ ऐसे सीमित राज्यों में अनुमति देने वाली (Permissive) स्थानीय परिपाटी के रूप में प्रचलित है, जहाँ राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों में बार-बार अस्थिरता आती रहती है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून में इस प्रकार के आश्रय देने का कोई सामान्य नियम नहीं है।"^{१६}

दूतावास में स्थायी रूप से शरण देने की परिपाटी केवल दक्षिण अमरीकी राज्यों में पायी जाती है। १९२८ में इस विषय में २१ अमरीकी राज्यों ने हवाना अभिसमय (Havana Convention) पर हस्ताक्षर किये थे। इस पर हस्ताक्षर करते हुए स० रा० अमरीका ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह इस प्रकार के आश्रय को अन्तर्राष्ट्रीय कानून स्वीकार न करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है। इस सम्झौते

१४ स्वडिपन—इण्ड्रोडवशन टू दी सॉ ऑफ नेरान्त, पृ० २५६

१५ स्टार्क—वही, पृ० २६६-६७

१६ स्वडिपन—वही, पृ० २५०

की नई शर्तों की नई व्याख्या २६ दिसम्बर १९३३ को माण्टीविडियो के नये समझौते में की गई। इसके अनुच्छेद १ में इसका स्पष्ट लक्षण करते हुए कहा गया है "राज्यों के लिये दूतावासों में ऐसे व्यक्तियों को शरण देना बंध नहीं होगा, जिन पर सामान्य अपराधों का आरोप किया गया हो, जिन पर सामान्य न्यायालयों में अभियोग चलाया गया हो जो दण्डित किये जा चुके हों, जो स्थल एवं जल की सेनाओं की सेवा छोड़कर भाग गये हों।" दूतावासों में राजनीतिक शरण (Political Asylum) दी जा सकती है। इसका अभिप्राय यह है कि राजनीतिक मतभेदों के कारण यदि कोई व्यक्ति पीड़ित किया जाता है तो उसे दूतावास में शरण ग्रहण करने का अधिकार है। राजनीतिक अपराध का नियंत्रण करना शरण देने वाले राज्य का कार्य है। कुछ वर्षों पहले राणाओं की विराधी पार्टी से परित्राण पाने के लिये नेपाल के राजा ने वाटमाइ के भारतीय दूतावास में शरण ली थी। इस विषय में सबसे प्रसिद्ध मामला हया डी ला टॉरे (Haya de la Torre) का अथवा कोलम्बियन-पेरुवियन आश्रय का है।

कोलम्बियन-पेरुवियन आश्रय मामला (Colombian Peruvian Asylum Case)—यह भगडा दक्षिण अमरीका के दो राज्यों— कोलम्बिया तथा पेरु में—एक राजनीतिक नेता के विषय में था। इसका नाम Victor Raul Haya de la Torre था, यह पेरु के वामपंथी जाति दल Alianza Popular Revolucionaria Americana का नेता था, उस पर यह आरोप था कि उसने नैतिक विद्रोह को भड़काया है। उसने पेरु की सरकार के चंगुल में बचने के लिये पेरु की राजधानी लीमा में अवस्थित कोलम्बिया राज्य के दूतावास में शरण ग्रहण की (३ जनवरी १९४९)। इसके बाद कोलम्बिया ने पेरु में यह मांग की कि वह उसे पेरु से सुरक्षित रूप से बाहर यात्रा करने (Safe conduct) की अनुमति दे। इसके विपरीत पेरु ने अपराधी होने के कारण हया डी ला टॉरे को उम वापिस लौटाने की मांग की। दोनों देशों के विवाद का हल न होने पर कोलम्बिया इसे अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले गया (१५ अक्टूबर १९४९) और उसने न्यायालय से इस विषय में दो प्रश्नों पर उत्तर चाहा— (१) क्या १८ जुलाई १९११ के ब्रिनिवियन समझौते तथा २० फरवरी १९२८ के हवाना अभिसमय के अनुसार कोलम्बिया शरण देने वाले अपराधों की व्याख्या करने का अधिकार रखता है? (२) क्या पेरु इस प्रकार शरण दिए गए व्यक्ति को सुरक्षित रूप में यात्रा करने का (Safe conduct) अधिकार देने के लिये बाध्य है?

२० नवम्बर १९५० को इस मामले में अपना पहला निर्णय देते हुए अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उपर्युक्त दोनों प्रश्नों का तत्कारत्वक उत्तर दिया और कहा कि कोलम्बिया ने उसे केवल अपनी ओर से या एक पक्ष से (Unilaterally) राजनीतिक अपराधी माना है, पेरु ऐसा मानने के लिए बाध्य नहीं है, किन्तु परु यह भी सिद्ध नहीं कर सका कि यह भगोडा शरणार्थी राजनीतिक अपराधों में कुछ अधिक है। इसमें कुछ अन्य अपराध किये हैं। राजनयिक आश्रय केवल अतिलम्बनीयता (Urgency) की परिस्थितियों में दिया जाना चाहिये, इस मामले में ऐसा नहीं था, यह धाध्य सैनिक विद्रोह के तीन महीने बाद दिया गया। न्यायालय ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि क्या भगोडा

शरणार्थी पेरू को वापिस कर दिया जाना चाहिये, क्योंकि दोनों पक्षों में से किसी ने इस प्रश्न को नहीं उठाया था।

कोलम्बिया ने दूसरी बार यह मामला न्यायालय के सम्मुख लाते हुए यह प्रार्थना की कि टारें को वापिस देने के विषय में न्यायालय अपना निर्णय दे। २७ नवंबर को न्यायालय ने यह प्रार्थना इस आधार पर अस्वीकार की कि दोनों पक्षों ने आरम्भ में यह मामला लाते समय इस मुद्दे (Point) को नहीं उठाया था, अतः न्यायालय इस पर विचार नहीं कर सकता। इसका दूसरा कारण यह भी था कि ऐसा मामला तब तक नहीं उठाया जा सकता जब तक दोनों दलों में निर्णय के सम्बन्ध में विवाद न हो।

इस समय पेरू कोलम्बिया से हया डी ला टारें को वापिस करने की मांग कर रहा था। किन्तु कोलम्बिया ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि न्यायालय का निर्णय ऐसा नहीं है, जिससे वह शरणार्थी को पेरू को माँपने को बाध्य हो। इस पर १३ दिसंबर को यह मामला तीसरी बार अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में लाया गया और पूछा गया कि हया डी ला टारें अभी तक पेरू की राजधानी लीमा के कोलम्बियन दूतावास में छिपा हुआ है, अब उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जाय।

१३ जून १९५१ को अ० न्यायालय ने इस विषय में अपना तीसरा निर्णय दिया तथा एक के विरुद्ध १३ के मतों से कोलम्बिया का यह दावा स्वीकार किया कि आश्रय देने वाला राज्य अपने शरणार्थी को स्थानीय अधिकारियों को माँपने को बाध्य नहीं है। किन्तु १९२८ के हवाना अभिसमय के अनुसार राजनीतिक अपराधियों को राजनयिक आश्रय अस्थायी रूप से ही दिया जा सकता है, इस बीच में उसे अपनी सुरक्षा के कुछ अन्य प्रवन्ध कर लेने चाहिये। यह अभिसमय ऐसे आश्रय के समाप्त करने के एक ही उपाय का प्रतिपादन करता है और वह यह है कि सुरक्षित यात्रा का अभय वचन (Safe conduct) प्राप्त करके शरणार्थी उस देश से बाहर चला जाय। किन्तु न्यायालय ने अपने पहले निर्णय में कहा था कि प्रादेशिक राज्य (Territorial State) से सुरक्षित यात्रा का ऐसा अभय वचन तभी माँगा जा सकता है, जब वह आश्रय "निश्चित रूप से दिया एवं लिया गया हो और यदि प्रादेशिक राज्य यह चाहे कि शरणार्थी को देश से बाहर भेज दिया जाय। इस मामले में शरण अनिश्चित रूप से दे दी गई है, तथा प्रादेशिक राज्य ने शरणार्थी को बाहर भेजने की मांग नहीं की, अतः न्यायालय की सम्मति में उपर्युक्त अभिसमय इस विषय में गौण है कि अब क्या किया जाना चाहिए। इस विषय में अभिसमय की चुप्पी का यह सूचित करना है कि ऐसे मामलों में उपर्युक्त निर्णय राजनीतिक सुविधा को देखते हुए किये जाने चाहिए।" यद्यपि न्यायालय की सम्मति थी कि यह शरण अर्थात् अस्थायी रूप से दी गई है, इसको फौरन समाप्त कर देना चाहिये। फिर भी इसके साथ उसका यह मत था कि आश्रय देने वाला कोलम्बिया का राज्य राजनीतिक अपराधी को समर्पण करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता। इन परस्पर-विरोधी स्थितियों से बचने के लिए न्यायालय के निर्णय में यह कहा गया कि 'आश्रय को समाप्त करने का उपाय केवल समर्पण ही नहीं है' और अन्त में यह आशा प्रकट की गई थी कि कानूनी स्थिति स्पष्ट हो जाने के बाद दोनों देश सौजन्य एवं उत्तम

पडोसी की नीति से इस समस्या का समाधान कर लेगे ।

दूतावास प्राथय (Legation Asylum) के इस सुप्रसिद्ध मामले का अन्तिम समाधान करने के लिये १९५३ में दक्षिण अमरीकी राज्यों ने शरणग्रहण कानून की नई व्याख्या स्वीकार की, अन्तर-अमरीकी न्यायिक समिति (Inter-American Judicial Committee) ने न्यूनोम एगर्स में इस विषय में एक नया अभिसमय (Convention) स्वीकार किया, किन्तु पेरू ने इसके विरुद्ध वोट दिया । अन्त में कोलम्बिया तथा पेरू में इस विषय में एक समझौता हुआ और अप्रैल १९५४ में पाँच वर्ष तक लीमा के कोलम्बियन दूतावास में स्वेच्छापूर्वक बन्दी बने रहने वाले- हमा-डी ला टारों को मेक्सिको नगर तक सुरक्षित यात्रा करने (safe conduct) का अभय वचन दिया गया, इस प्रकार इस मामले का पटाक्षेप हुआ ।

पन्द्रहवाँ अध्याय

अन्तर्राष्ट्रीय कानून और व्यक्ति

(International Law and the Individual)

अन्तर्राष्ट्रीय कानून में व्यक्ति, की, स्थिति —तीन पक्ष (Three Views) — यह बड़ा जटिल प्रश्न है, कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि में व्यक्ति का क्या स्थान है। इस विषय में तीन प्रधान पक्ष हैं। सबसे पुराना और परम्परागत (Traditional) पक्ष यह है कि व्यक्ति का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं है, दूसरा अतिवादी पक्ष इसके सर्वथा प्रतिकूल यह मानता है कि व्यक्ति को ही इस कानून में यह गौरवपूर्ण स्थिति प्राप्त है। तीसरा पक्ष दोनों की यह स्थिति मानता है। कानूनी परिभाषा में यह विषय (Subject) और पात्र (Object) का भ्रमड़ा है। सामान्य विधिशास्त्र (General Jurisprudence) में विषय वे व्यक्ति कहलाते हैं, जिन्हें कानून अधिकार और कर्तव्य प्रदान करता है तथा पात्र (Object) वे वस्तुयुक्त होती हैं, जिनके सम्बन्ध में ये अधिकार दिये जाते हैं और कर्तव्यों को पूरा करने की जिम्मेवारी दी जाती है। कानूनी शब्दों में उपर्युक्त विवाद इस प्रश्न पर है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय और पात्र क्या है? प्राचीन परम्परागत पक्ष यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय (Subject) केवल राज्य है, व्यक्ति इसका विषय कभी नहीं हो सकते। व्यक्ति राष्ट्रीय कानून का विषय होते हैं, क्योंकि इसमें उन्हें कुछ अधिकार और कर्तव्य मिलने हैं, अन्तर्राष्ट्रीय कानून में ये अधिकार और कर्तव्य राज्यों को प्राप्त होते हैं, अतः वही इसका विषय समझे जाने चाहिये। दूसरा पक्ष यह मानता है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून व्यक्तियों को ही कुछ अधिकार प्रदान करता है, अतः वही इसका विषय माना जा सकता है। तीसरा पक्ष राज्य और व्यक्ति दोनों को अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय समझता है। पहले पक्ष के मुख्य समर्थक सर फ्रेडरिक स्मिथ और आपेनहाइम हैं और दूसरे पक्ष के पोपक हेन्स, केलमन, स्टोवेल, हैप्टर तथा ब्राउन आदि विधिवेत्ता हैं। तीसरा पक्ष फेनविक, स्वात्सजुनवर्जर, प्रभृति विधिसाम्प्रियों ने रखा है; यहाँ तमस इन तीनों का सक्षिप्त प्रतिपादन होगा।

पहला पक्ष — परम्परागत दृष्टिकोण (1 Traditional View) — इसके अनुसार केवल राज्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय बन सकते हैं। सर फ्रेडरिक स्मिथ ने लिखा है — "राष्ट्रों के कानून में राज्य और केवल राज्य न्यायालयों में उपस्थित होने तथा अपनी बात सुना सकने का अधिकार (Locus standi) रखते हैं, अतः केवल वही अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व (International personality) को धारण करते हैं।"

आपेनहाइम^१ के मतानुसार क्योंकि राष्ट्रों का कानून मुख्य रूप से राज्यों के बीच का कानून है, अतः सामान्यतः केवल राज्य राष्ट्रों के कानून का विषय होते हैं तथा व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय कानून के चरम पक्ष (Ultimate objects) होते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से इस पक्ष की पुष्टि में अनेक बातें कही जा सकती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अन्तर्राष्ट्रीय ममझौतों और नियमों का निर्माण राज्य करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में वादी-प्रतिवादी के रूप में केवल राज्य ही उपस्थित हो सकते हैं। स. १० रा. ० सघ की सदस्यता केवल राज्यों को प्राप्त है। दूसरे देशों में नागरिकों के हितों की रक्षा भी राज्य इन देशों में भेजे गये अपने दूतों तथा राजनयिक प्रतिनिधियों द्वारा करते हैं। राज्य ही अन्य देशों में सन्धियाँ करके नये अधिकार और अन्तर्राष्ट्रीय नियम बनाते हैं। विदेश में न्याय न प्राप्त होने की दशा में कोई व्यक्ति इसे पाने के लिए अपने राज्य की धरणा में जाता है। युद्ध के कानून के अनुसार जब एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध युद्ध-घोषणा करता है तो इसमें दूसरे राज्य के सब निवासी पहले राज्य के शत्रु समझे जाते हैं, भले ही वैयक्तिक रूप से वे इस युद्ध के समर्थक न हों। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून विदेशों में राजाओं, सामन्ताध्यक्षों तथा राजनयिक प्रतिनिधियों को कुछ विशेषाधिकार प्रदान करता है (देखिए ऊपर, पृ. २७०-१) निम्नु व्यक्तिओं को ये अधिकार अन्तर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर दनाये गए राष्ट्रीय कानून के नियमों से प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों की पृष्ठभूमि में अन्तर्राष्ट्रीय कानून अस्पष्ट होगा है, निम्नु इनका निर्माण राष्ट्रीय कानूनों में ही होगा है। सर्बिया ऋण (Serbian Loans) के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि वह केवल राज्यों के विवाद मुल सकता है। ऐसा कोई मामला दग न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जा सकता, जिसमें एक और राज्य तथा दूसरी और किसी अन्य राज्य के प्रजाजन हों। इन सब तथ्यों से यही सिद्ध होना है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय (Subject) केवल राज्य है।

हमारा पक्ष—अतिवादी दृष्टिकोण (2 Extreme View)—उसका यह मत है कि राज्य अस्तित्व की कोरी कल्पना मात्र है, अविनया से पृथक् उनकी कोई सत्ता नहीं है, राज्य मनुष्य के लिये है, न कि मनुष्य राज्य के लिए। स. १० अमरीका की स्थापना की घोषणा में कहा गया था कि सरकार का निर्माण जनता की सहमति से होता है, अतः राज्य जनता के आदेश से अनुसार जनता कार्य करने वाले हैं, राज्यों की कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं, उनके कोई स्वतन्त्र अधिकार नहीं। इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय कानून न प्राप्त होने वाले अधिकार राज्य के नहीं, निम्नु व्यक्तियों के होने हैं। इसी दृष्टि में वेस्टलेक (Westlake) ने लिखा है—“राज्य के अधिकार और कर्तव्य उनका निर्माण करने वाले व्यक्तियों के अधिकार और कर्तव्य होने हैं।” स्टोवेल (Stowell) के मतानुसार “एक व्यक्ति दो प्रकार में अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय है—मानवीय प्राणी होने के नाते तथा अपने राज्य का अंग होने की दृष्टि से।” हैक्टर के कप्तानानुसार मानवीय प्राणियों में स्वाभाविक रूप से विद्यमान मौलिक

अधिकार उन्हें "अन्तर्राष्ट्रीय कानून का निकटतम (Immediate) विषय बनाते हैं।" ब्राउन का यह कहना है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के मर्मर्थको को सबसे भयकर भूल यह है कि वे तोतारान्त की भाँति बराबर यह कहते हैं कि यह कानून केवल पूर्ण प्रमुता-सम्पन्न राज्यों के बीच में ही लागू होता है। प्रसिद्ध विधिशास्त्री लौटरपैच्ट (Louterpacht) ने आपेनहाइम की पुस्तक का सशोधन करते हुए यह लिखा है— राज्यों के अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय होने का सही अर्थ यह है कि (क) अन्तर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण केवल राज्यों द्वारा हो सकता है। (ख) प्रधान रूप से इसका सम्बन्ध राज्यों के अधिकार तथा कर्तव्यों में है, व्यक्तियों के अधिकारों और कर्तव्यों में नहीं। (ग) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयों के समक्ष राज्य ही उपरिपत हो सकते हैं। इस सिद्धान्त में इससे अधिक कोई बात नहीं है। जब हम यह कह सकते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून केवल राज्यों के आचरण को नियन्त्रित करना है तो हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि इस प्रकार नियन्त्रित किये जाने वाला आचरण राज्यों के अग्ररूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों का आचरण है। हेन्स केनसन ने इस पक्ष को पुष्ट करते हुए कहा है— "अन्य सब कानूनों की भाँति अन्तर्राष्ट्रीय कानून भी मानवीय आचरण के नियन्त्रण के लिए है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धान्त (Norms) व्यक्तियों पर ही लागू होते हैं।"

तीसरा मध्यवर्ती पक्ष (3 Intermediate View) —वर्तमान समय में विधिशास्त्रियों का झुकाव उपर्युक्त दोनों पक्षों के मध्य में वर्तमान तीसरे पक्ष को सही मानने का है। इसके अनुसार राज्यों के अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय होने में कोई सन्देह नहीं है, किन्तु व्यक्तियों को भी इसका विषय माना जाना चाहिए। फेरविन के शब्दों में व्यक्तियों के अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य न होते हुए भी, इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय माना जा सकता है। इन कानून की अनेक शाखाओं का राज्य के साथ नहीं, किन्तु व्यक्तियों के साथ सम्बन्ध है। इसके कुछ उदाहरण ये हैं— अधिवास (Domicile), देश में विदेशियों के अधिकार और कर्तव्य, राष्ट्रीय बन्दरगाहों में विदेशी जहाजों के विशेषाधिकार (देखिये ऊपर, पृ० २७६), महासमुद्रों में नौचालन (पृ० २७८-९)। इन विषयों के कानून यद्यपि राज्यों के मध्य बनाये जाते हैं, किन्तु अपने व्यावहारिक प्रयोग में वे वैयक्तिक अधिकार ही ससम्भे जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय पंच न्याय-अधिकरणों (Arbitration Tribunals) में कई बार व्यक्ति भी वादी-प्रतिवादी के रूप में उपस्थित होते हैं। अधिग्रहण या गौनुठन न्यायालयों (Prize Courts) में एक पुरानी प्रथा के अनुसार जहाजों के वैयक्तिक स्वामी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उपस्थित होते हैं। न्यूरेम्बर्ग में जर्मन युद्धपराधियों पर चलाये गये अभियोगों से यह प्रमाणित होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अग्र के कार्यों के लिए व्यक्तियों को सीधे रूप में उत्तरदायी बनाया जा सकता है। वर्तमान समय में यह अनुभव किया जाने लगा है कि व्यक्ति का कल्याण—भले ही वह किसी देश का हो—बहुत अधिक महत्व रखता है, उसकी दशा सुधारने या उन्नत करने से केवल उसके देश का नहीं, किन्तु समस्त मानव जाति का हित उन्नत होना है। लौटरपैच्ट के शब्दों में समष्टि का कल्याण इसका निर्माण करने वाली व्यक्तियों के कल्याण से निर्धारित होता है। इसमें यह स्पष्ट है कि

राज्य की मामूहिक सत्ता इसका निर्माण करने वाले व्यक्तियों में ऊँचे दर्जे की नहीं है। मात्रकल राष्ट्रीय सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए व्यक्तियों के हितों की परस्पर-निर्भरता (Interdependence) इतनी अधिक बढ़ गई है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय अनन्य रूप से (Exclusively) राज्य को नहीं माना जा सकता, व्यक्तियों को भी इसका विषय मानना पड़ता है।^१

वर्तमान समय की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति भी इस धारणा को पुष्ट करती है। इस समय मानव के मौलिक अधिकारों पर बहुत बल दिया जा रहा है, ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को—भले ही वह किसी राज्य का सदस्य हो या न हो—अवश्य प्राप्त होने चाहिये। १९४१ में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कांग्रेस को दिये अपने सन्देश में 'चार स्वतन्त्रताओं' की घोषणा की थी। स० रा० सभ के चार्टर में मौलिक मानवीय अधिकारों की सुरक्षा का बारम्बार उल्लेख हुआ है, उसकी आर्थिक सामाजिक परिपद् इन अधिकारों की रक्षा के लिए विषय रूप से बनाई गई है। १० दिसम्बर १९४८ को स० रा० सभ की जनरल असेम्बली ने मानवीय अधिकारों की सार्वभौम घोषणा स्वीकार की है, १९५० में कुछ योरोपियन राज्यों ने इसके सम्बन्ध में एक समझौता करके इसे कानूनी मान्यता प्रदान की है। ११ दिसम्बर १९४६ को स० रा० सभ की जनरल असेम्बली ने सर्वसम्मति से जातिवध (Genocide) को अन्तर्राष्ट्रीय कानून का एक अपराध घोषित किया है। इस सम्बन्ध में हुए समझौतों का आगे उल्लेख किया जायगा। अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों तथा समझौतों द्वारा व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के ये सब प्रयत्न इस बात को भलीभाँति प्रदर्शित करते हैं कि व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय हो सकता है।

अतः इस विषय में फेनविक का यह कथन यथार्थ प्रतीत होता है—'उपर्युक्त तथ्यों की उपस्थिति में यह कहना सर्वथा अकारणिक होगा कि व्यक्ति कुछ अपनों में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के, विशेष रूप से वास्तविक कानून (Substantive law) के नियमों का विषय नहीं है। प्रक्रियात्मक कानून (Procedural law) में अपने अधिकारों के लागू करने के लिए व्यक्ति को राज्य का सहारा लेना पड़ता है, इसमें भी प्रथम विश्वयुद्ध के बाद बनाई गई अल्पसंख्यकों के संरक्षण की मन्थियों का उदाहरण है। इनमें व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिये राष्ट्रसभ का आधार अन्तर्राष्ट्रीय शासनयन्त्र बनाया गया था।'^२ थामस ने यह बताया कि धर्म-धर्म अन्तर्राष्ट्रीय कानून का क्षेत्र विशाल होने से राज्यों का क्षेत्र संकुचित हुआ है और इसने व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण का विस्तार करते हुए उन्में अपने कानून का विषय बनाया है। इसके कुछ उदाहरण दासप्रथा निषेध, राज्यहीन व्यक्तियों और शरणार्थियों के संरक्षण के समझौते, अल्पसंख्यकों के प्रति धार्मिक और राजनीतिक सहिष्णुता के व्यवहार पर बल देने वाली सन्धियाँ, युद्ध करने के नियमों का निर्माण

१. लॉटरपैस—इंटरनेशनल लॉ एण्ड डायन गज सु, पृ० ६०

२. फेनविक—इंटरनेशनल लॉ, राष्ट्रीय संरक्षण, पृ० १९४-५

है।^४ ये सब व्यक्ति के अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय होने के प्रबल प्रमाण हैं।

अब यहाँ व्यक्ति की स्थिति पर प्रभाव डालने वाली कुछ अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों, समझौतों का उल्लेख किया जायगा।

व्यक्ति की स्थिति को प्रभावित करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएँ (International provisions affecting the position of Individual)—सन्धियाँ (Treaty stipulations)—कई बार विभिन्न देशों में कुछ सन्धियाँ व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए की जाती हैं। १८७८ की बर्लिन की सन्धि द्वारा टर्की, रूमानिया, सर्बिया, मोण्टेनीग्रो तथा बल्गारिया पर यह बाध्यता डाली गई थी कि वे अपने प्रजाजनों को धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान करें। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद पोलैण्ड, चैकोस्लोवाकिया, रूमानिया, ग्रीस, आस्ट्रिया, बल्गारिया, यूगोस्लाविया और टर्की के साथ की गई सन्धियों में इन राज्यों के जातीय, आर्थिक और भाषा की दृष्टि से अल्पसंख्या रखने वाले समुदायों के साथ समान व्यवहार तथा इनके हितों के संरक्षण की गारण्टी दी गई थी। द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति पर इटली, रूमानिया तथा घुरी देशों के अन्य सहायक राज्यों के साथ की गई पेरिस की सन्धियों में मानवीय अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों ने व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्रदान किये हैं। १९२८ में Jurisdiction of the Court of Danzig के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह निर्णय दिया था ऐसी सन्धियाँ करने वाले पक्षों के इरादों के आधार पर व्यक्तियों को अधिकार और कर्तव्य प्रदान करने वाले कुछ नियम मनने हैं और इन देशों के राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा इनका पालन करवाया जा सकता है।

न्यूरेम्बर्ग के अभियोग (Nuremberg Trials, November 29, 1945—Sep 30, 1946)—द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद घुरी राष्ट्रों के प्रमुख नाज़ी नेताओं, सेनापतियों तथा अधिकारियों पर शांति और मानवता के विरुद्ध तथा युद्ध के अन्तर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ने वाले युद्धापराधों (War crimes) के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सैनिक न्यायालय में मामले चलाये गये। अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग द्वारा इनके सम्बन्ध में तय किये गये वैयक्तिक जिम्मेवारी के सिद्धान्तों का पहले उल्लेख हो चुका है (देखिये, पृ० १२३)। इन मामलों में अभियुक्तों ने अपनी सफाई देते हुए यह कहा था कि (क) अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सम्बन्ध पूर्ण प्रभुतासम्पन्न राज्यों से होता है, इसमें व्यक्तियों के लिए कोई दण्ड-व्यवस्था नहीं है। (ख) राज्य के कार्यों के लिए वैयक्तिक रूप से किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। न्यायालय ने उपर्युक्त दोनों तर्कों को अस्वीकार करते हुए कहा कि “अन्तर्राष्ट्रीय कानून व्यक्तियों एवं राज्यों को कर्तव्य और दायित्व प्रदान करता है।” १९४२ में Exparte Quirin के मामले में स० रा० अमरीका के सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश श्री स्टोन ने कहा था—“व्यक्तियों को अन्तर्राष्ट्रीय कानून के भंग के लिए दण्ड दिया जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के

मानवीय अधिकारों का एक योरोपियन न्यायालय स्थापित करने की व्यवस्था उक्त सम्झौते में है। किन्तु अभी तक पाँच राज्य ही इसके निये तैयार हुए हैं, अतः इसका स्थापना नहीं हो सकी। न्यायालय का आयोग की अपेक्षा अधिक अधिकार है, क्योंकि इसका क्षेत्राधिकार अनिवार्य है। आयोग के अधिकार सीमित हैं, फिर भी यह अब तक वैयक्तिक शिकायतों के २०० आवेदनपत्रों पर विचार कर चुका है।

उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि अब अन्तर्राष्ट्रीय कानून में व्यक्ति का तथा वैयक्तिक अधिकारों का महत्व स्वीकार किया जाने लगा है और उन्ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय मान लिया गया है।

सोलहवाँ अध्याय

राजनयिक प्रतिनिधि-राजदूत और वाणिज्य दूत (Diplomatic Agents and Consuls)

प्राचीन एव मध्यकाल में दूत प्रथा (Diplomatic Agents in Ancient and Medieval Period) — प्रत्येक राज्य अन्य राज्यों के साथ अपना सम्बन्ध बनाये रखने तथा पारस्परिक व्यवहार चलाने के लिये वहाँ अपने दूत और व्यापारिक प्रतिनिधि भेजना है। विभिन्न राज्यों द्वारा एक-दूसरे के पास अपने दूत भेजने की प्रथा इतिहास में अत्यन्त प्राचीनकाल से चली आ रही है। वाल्मीकि रामायण में अगद के रावण ने दरबार में तथा महाभारत में श्रीकृष्ण के कौरवों के दरबार में दूत बनकर जाने का उल्लेख है। प्राचीन भारत के विभिन्न प्रकार के दूतों का पहले वर्णन हो चुका है (देखिये पृ० १६-२०)।

मिकन्दर के आक्रमण के यूनानी विवरणों से ज्ञात होता है कि मालव (Malloi) और क्षुद्रक (Oxydrako) गणराज्यों ने यूनानी राजा से संधि करने के लिये अत्यधिक योग्य तथा बहुत ऊँचा नद रखने वाले व्यक्तियों को पूर्ण अधिकार देकर संधि करने का भेजा था। चन्द्रगुप्त मौर्य के समय तक भारत में विदेशी व्यक्तियों का आगमन इतना अधिक घट गया था कि पाटलिपुत्र की नगर व्यवस्था में एक बोर्ड का कार्य विदेशियों की देखभाल करना था। सेल्यूकस ने चन्द्रगुप्त के दरबार में मेगस्थनीज को अपना राजदूत बनाकर भेजा था, उसके उत्तराधिकारी विन्दुसार के समय डैमैकस (Diemachus) सीरिया के यूनानी राजा का राजदूत बनकर आया। टालमी फिलाडेल्फोस ने मीरों के दरबार में डियोनिस्सिथोस को राजदूत बनाकर भेजा। अशोक के शिलालेखों में पश्चिम के चार यूनानी राज्यों में परमदूत भेजने का वर्णन है। २० ई० पूर्व में एक पाण्ड्य राजा ने रोमन सम्राट् आगस्टस सीजर के दरबार में अपना दूत मण्डल भेजा था।

मध्य युग में योरोप में दूत भेजने की प्रथा प्रचलित थी, किन्तु ये दूत आरम्भ में दूसरे देशों में विशेष कार्य करने के लिये भेजे जाते थे, अपना कार्य पूरा होने के बाद वे स्वदेश लौट आते थे। स्थायी रूप से अन्य राज्यों में दूत भेजने की प्रथा का शीर्गण १४वीं शताब्दी में इटली के गणराज्यों विशेषतः वेनिस (Venice) में हुआ। फ्रांस में सन् ११वाँ (१४६१-१४८३) पहला नरेश था, जिसने दूसरे देशों में स्थायी रूप से निवास के लिये अपने राजदूत भेजे। १५२० ई० में इंग्लैंड और जर्मनी के राजाओं ने दूत भेजने की संधि हुई। १६४८ की वैंस्टफेलिया की संधि ने इस प्रथा को प्रोत्साहित

किया। इसके बाद यातायात तथा संचार के साधनों की उत्तृति से अंतर्राष्ट्रीय सम्पर्क बढ़ने तथा और स्वाधीन दूत भेजने की प्रथा १७वीं शती में लगभग सभी राज्या ने अपना ली। उस समय दूतों का प्रधान कार्य अपने देश के स्वार्थों की रक्षा के लिए दूसरे देशों में जासूसी करना और झूठ बोलना था। १७वीं शती के एक ब्रिटिश कटनातिन सर हेनरी वोटन (Henry Wotton) ने लिखा था राजदूत ऐसा ईमानदार आत्मा है जो अपने देश के हित के लिये विदेश में झूठ बोलने भेजा जाता है।

राजनयिक सम्बन्धों का वियना अभिसमय (Vienna Convention on Diplomatic Relations April 1961)—दूतों के कार्यों के प्रकारों तथा इनके विषय में सभी आवश्यक समन्वयों पर गम्भीर विचार करने के उपरान्त स० रा० सघ की अव्यक्तता में ८१ राज्या के वियना सम्मेलन ने १९६१ में एक समझौता स्वीकार किया है इसकी आरम्भिक रूपरेखा अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने तैयार की थी। यह समझौता २२ राज्यों की सरकारों का अनुमोदन (Ratification) पाने पर ही लागू समझा जायगा। इसका विशेष महत्व इसलिये है कि इसने पहली बार राजदूतों के मनोपा में सभी आवश्यक नियमों का विस्तार से प्रतिपादन किया है। इसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि राजदूतों के विषय में इस प्रकार के नियमों के बारे में समझौता करना उत्तम होगा जो भी परस्पर मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ाने जिनमें इस समय पदान्तरिक एवं सामाजिक पद्धतियों के विषय में उग्र मतभेद हैं। इसमें इस बात पर ध्यान दिया गया है कि राजदूतों को प्रदान किये जाने वाले विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों का उद्देश्य यह है कि विदेशों में भेजे जाने वाले दूतमण्डल अपने कार्य अधिक क्षमता और योग्यता के साथ सम्पन्न कर सकें। इन अधिकारों का प्रयोजन व्यक्ति को नहीं किन्तु राज्य को लाभ पहुँचाना है। जिन विषयों में इस अभिसमय ने नियम नहीं बनाये उन्हें संबंध में अंतर्राष्ट्रीय रिवाजी कानून (Customary International Law) के प्रचलित नियम यथापूर्व बने रहेंगे। यहाँ यदास्थान इस अभिसमय के विभिन्न नियमों का उल्लेख किया जायगा।

दूतों की श्रेणियाँ और प्रकार—मध्ययुग में दूतों के अनेक प्रकार थे और उनके परिचय के कुछ निश्चित नियम नहीं थे। प्रत्येक देश का दूत अपनी तबारी और गाड़ी अन्य देशों के दूतों से आगे रखना चाहता था। १७वीं शती में लंदन के एक शाही जलूस में स्पेनिश राजदूत ने फ्रांस दूत की गाड़ी को आगे बढ़ाने से रोकने का नियम

१. कौटिलीय अथरासत्र (१।१६) में दूतों के जासूसी काम को अवधिक महत्व देते हुए यह कहा गया है कि वह तपस्वी और न्यायारी का वेप धारण करने वाले युवकों द्वारा राज्यों के वाग्य प्रजाजनों को फोड़कर अपनी शौर मिलाये, उसके मन्त्रियों के दास बन लें उससे सामरिक महत्व के स्थानों किलों के रक्षकों रक्षा की व्यवस्था और राज्य की मुद्रियों का पना लगाये—रामायणगी भक्ति रत्न प्रहरीना तापसवैदेहकव्यजनाभ्यामुपलभेत।

अनीकरधानयुद्धप्रतिघातपसारभूमीरक्ष्यन् परस्य चतैवेन। दुगाराभूद्रगाथ सारवृत्तिगुन्निच्छिन्नाणि चोपलभेत।

२. रत्नविम—शुद्धोदरान दृ दी ता भाक नेरान्त

अन्त करने के लिये १८१५ की वियना कांग्रेस ने तथा १८१८ की एक्स-ला चापेल (Aix-La Chapelle) की कांग्रेस ने विभिन्न प्रकार के दूतों की श्रेणियाँ तथा पीर्वापर्य का क्रम निश्चित किया। वियना के नियमों में राजदूतों की तीन ही श्रेणियाँ थी, छोटे राज्यों के दूतों के लिये उसमें कोई स्थान नहीं था। इस अभाव की पूर्ति के लिये एक्स ला चापेल की कांग्रेस ने निवासी मंत्री (Minister Resident) की नई श्रेणी का निर्माण किया। दूतों की इन चारों श्रेणियों का स्वरूप इस प्रकार है—

(क) राजदूत (Ambassador)—ये इन्हें भेजने वाले राज्य के अध्यक्ष के वैयक्तिक प्रतिनिधि मान जाते हैं और इस कारण इन्हें अनेक विशेष सम्मान और अधिकार दिये जाते हैं। इनका सबसे बड़ा अधिकार शासन के अध्यक्ष ने सीधा मिलने और वार्ता करने का है। इस अधिकार का राजतन्त्रों के युग में बड़ा महत्व था, किन्तु आजकल लोकतन्त्रप्रणाली में मंत्रियों का महत्व अधिक बढ़ जाने से इसका भौरव कम हो गया है। राजदूतों का दूसरा अधिकार परम श्रेष्ठ (His Excellency) के रूप में सम्बोधित कराने का है। राजा का वैयक्तिक प्रतिनिधि होने के नाते इनके लिये इस सम्बोधन का प्रयोग सर्वथा समीचीन है। महाशक्तियों या बड़े राज्यों को ही राजदूत भेजने का अधिकार है। छोटे राज्यों के दूतों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। पद, प्रतिष्ठा और पीर्वापर्य के क्रम की दृष्टि से दूतों में राजदूतों का स्थान सर्वोपरि तथा सर्वोच्च है। पाँप द्वारा भेजे गये लीगेट (Legate) तथा नसियो (Nuncio) नामक दूत भी दर्जे की दृष्टि से राजदूतों के समकक्ष समझे जाते हैं।

(ख) पूर्णाधिकार-मंत्री तथा असाधारण दूत (Ministers Plenipotentiary and Envoys Extraordinary)—ये इन्हें भेजने वाले राज्य के शासनाध्यक्ष के वैयक्तिक प्रतिनिधि नहीं समझे जाते। अतः इन्हें राजदूतों को प्रदान किये जाने वाले विशेष सम्मानमूचक अधिकार प्राप्त नहीं होते। ये राज्य के अध्यक्ष के साथ वार्तालाप करने का अधिकार (Right of Audience) नहीं रखते और इन्हें सौजन्यवश ही परम श्रेष्ठ (His Excellency) सम्बोधित किया जाता है। वस्तुतः ऐसा कहलाने का इन्हें कोई अधिकार नहीं है। पाँप के अन्तरनसियो (Internuncio) नामक दूत भी इसी श्रेणी में आते हैं।

इनके साथ जुड़े हुए विशेषणों का मनोरञ्जक इतिहास है। योरोप में पहले अस्थायी कार्यों पर भेजे जाने वाले दूतों के साथ असाधारण (Extraordinary) का विशेषण लगाया जाता था, इसका प्रयोजन अन्य देशों में स्थायी रूप से निवास करने वाले इन राज्यों के मंत्रियों (Ministers Residents) से इनका भेद करना था। बाद में यह विशेषण स्थायी-अस्थायी दोनों प्रकार के दूतों को समान रूप से दिया जाने लगा और अन्त में उनके साथ पूर्णाधिकार (Plenipotentiary) का विशेषण भी जोड़ा गया। इसका शब्दार्थ यह है कि ऐसे दूत को इसे भेजने वाले राजा की ओर से कार्य करने के पूरे अधिकार प्रदान किये गये हैं। इस दृष्टि से कोटिलीय अर्थशास्त्र की (१११६) की प्राचीन भारतीय परिभाषा के अनुसार इसे निम्नार्थ कह

सकते हैं।' आजकल सब राजदूतों के लिए 'असाधारण दूत' शब्द का प्रयोग होता है, किन्तु पहली श्रेणी में इसका बड़ा भेद इनका राजा का वैयक्तिक प्रतिनिधि न माना जाता है और इसलिए इन्हें पद और प्रतिष्ठा की दृष्टि से राजदूतों के बाद हमरा स्थान दिया जाता है।

(ग) निवासी मंत्री (Ministers Resident)—पहले यह बताया जा चुका है कि एकता शापेल के १८१८ के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इस नवीन वर्ग का निर्माण किया था। निवासी मंत्री स्वरूप और कार्य की दृष्टि से उपयुक्त हमारे वर्ग के दूतों से कोई भेद नहीं रखते किन्तु ग्रेट ब्रिटेन आस्ट्रिया, फ्रांस, आदि महाशक्तिवा यह चाहती थी कि उनके तथा लघुशक्तियों के दूतों में अन्तर बना रहे। इस नये वर्ग के बनाने का यही उद्देश्य था कि लघुशक्तियों के दूतों को महाशक्तियों के दूतों से अधिक प्रतिष्ठा न प्राप्त हो। इन्हें मौज्जिमता भी परम श्रेष्ठ (His Excellency) के रूप में सम्बोधित नहीं किया जाता। ये हमारे वर्ग से हीन समझे जाते हैं। आजकल निवासी मंत्री नियत करने की प्रणाली कम हो रही है।

(घ) कार्यदूत (Charge d' Affaires)—इनका पहले तीन वर्गों के दूतों के साथ यह मौज्जिम अन्तर है कि उपयुक्त तीन प्रकार के दूत एक राज्य के अध्यक्ष द्वारा हमारे राज्य के अध्यक्ष (Head of State) को भेजे जाते हैं। किन्तु कार्यदूत एक देश के विदेश मन्त्रालय से हमारे देश के विदेश मन्त्रालय (Foreign Office) को भेजे जाते हैं। इनके परिणामस्वरूप कार्यदूतों को अन्य दूतों के समान विशेष सम्मान नहीं मिलता। पहले तीन वर्ग अपनी नियुक्ति के प्रत्यय पत्र या शासन (Letter of Credence) राज्य के अध्यक्ष को प्रस्तुत करते हैं किन्तु कार्यदूत अपना प्रमाणपत्र विदेश मंत्री के समक्ष उपस्थित करता है। इस समय भारत में ईथियोपिया मेंसिको, मंगोलिया देनेजुगरा के कार्यदूत हैं। -

विषया कायम ने यह नियम बनाया था कि उपयुक्त वर्गों के दूतों का अपने वर्ग में पौर्वापर्य क्रम (Order of precedence) उनके आगमन की सरकारी सूचना की तिथि से निर्दिष्ट होगा। स्टाक (पृ० २७४) ने निम्न है कि-समय आजकल इस नियम का अनुसरण नहीं करते, किन्तु ये राजदूतों की प्रवृत्ति (Seniority) का प्रमाणपत्र उपस्थित करने जाने की तिथि से निर्धारित करते हैं। भारत में इसी परम्परा का पालन किया जाता है। किसी देश में स्थित विदेशों के सभी दूतों को सामूहिक रूप में राजनयिक निकाय (Diplomatic Corps) कहते हैं। इसमें सबसे वरिष्ठ (Senior) दूत का डायन या दूतशिरोमणि (Doyen) कहा जाता है।

३. कौटिल्य ने लिखा है कि यह अनात्यया मंत्री जैम शुणो वाला होता है (अनात्य उपशोभो ने निरूपण)। आजकल स्वयं भारत में राजदूत का दत्ता मन्त्रिमण्डल न निधि पैदा सम्भा जाता है।

४. वैदिकीय अर्थशास्त्र (१।१६) में इसमें लिए शासन राज्य का प्रथम दृष्टा है 'मे शासनमेव नाथ' पर।

ब्रिटिश राष्ट्र मण्डल के सदस्य-राज्य प्राप्त में जिन दूतों का आदान-प्रदान करते हैं, वे हाई कमिश्नर या उच्चायुक्त (High Commissioner) कहलाते हैं।

इस समय भारत में वाणिज्य दूतों के अतिरिक्त राजनयिक दूतों की तीन प्रकार की श्रेणियाँ हैं—(क) राजदूत (Ambassador), (ख) हाई कमिश्नर (High Commissioner), (ग) दूत (Envoys)। इनमें सबसे ऊँचा स्थान राजदूत का है। हमारे यहाँ लगभग ५० देशों के राजदूत हैं, इनमें स० रा० अमरीका और सोवियत रूस जैसे शक्तिशाली राष्ट्रों और ताओस जैसे नगण्य राज्यों के प्रतिनिधि भी हैं। इनका निवास-स्थान राजदूतावास (Embassy) कहलाता है। अधिकांश राजदूतावास इनके लिए विशेष रूप से बसायी गई नई दिल्ली की उपनगरी चण्डिकापुरी में अवस्थित हैं।

(ख) ब्रिटिश राष्ट्र मण्डल के इस देशों—आस्ट्रेलिया, कनाडा, सीलोन, घाना, नाइजीरिया, मलाया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ग्रेट ब्रिटेन और टांगानिक्या के आठ हाई कमिश्नर हैं।

(ग) तीसरी श्रेणी दूतों की है, अल्बानिया और पोप के यहाँ दूत हैं। इनके निवासस्थान दूतावास (Legations) कहलाते हैं।

दूतों की नियुक्ति (Appointment of Envoys)—प्राचीन भारत में दूतों के लिए अनेक गुणों का होना आवश्यक समझा जाता था।^१ किन्तु वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय कानून ने दूतों के लिए कोई आवश्यक योग्यताएँ या शर्तें निर्धारित नहीं कीं। राज्य अपनी इच्छानुसार जिस व्यक्ति को दूसरे देशों में अपने हितों की रक्षा के लिए समर्थ और आवश्यक समझते हैं, उसे अपना दूत बनाकर भेज सकते हैं। इस सम्बन्ध में विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के निगम प्रचलित हैं। भारत में विदेश सेवा विभाग की प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले तथा पासन का पर्याप्त अनुभव रखने वाले व्यक्तियों के अतिरिक्त सार्वजनिक, राजनीतिक और शिक्षा व समाज-सेवा के क्षेत्रों में प्रतिष्ठित पाने वाले डा० राधाकृष्णन्, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, सरदार के० एम० पण्डितकर जैसे व्यक्तियों को भी राजदूत बनाया जाता है। हमारे प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का यह विश्वास है कि मुन्दर एव गुणवती गत्नी राजदूत को नये देश में सामाजिक सबन्ध बनाने और उसके कार्य में बड़ी सहायक सिद्ध होती है, अतः भारत में राजदूतों की नियुक्ति में इसका भी ध्यान रखा जाता है।^२

१. मनु ने दूत के लिए निम्न गुण आवश्यक माने हैं—सब शास्त्रों में कुशल होना, इरादों, धारणा और चेष्टाओं को समझने की क्षमता रखना, रथों पैदों की दृष्टि से ईमानदार होना तथा नियमों के चक्कर में न पड़ना (शुचिः-अर्थदानस्रीज्यमनायभावामक शौनयुक्त-कुल्लूक), चतुराई, कुलीनता, शोकप्रिय (अनुरक्त) होना, राजा के मदेश को न भूलना (स्मृतिमान्), देश काल पदचानना व सुन्दरता, निर्भयता, बानचीन में कुशलता (इ० चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविशारदम्। दमिताकार-लेखक शुचिं दक्ष बुलोद्यमम् ॥) अनुकूलः शुचिर्दक्ष रक्षिमान्-देशकालविन्। वपुष्मान्-वीनशीर्गन्वी दूतो राष्ट्रः प्रशस्तये ॥) अ० महाभारत शान्तिपर्व ८५।२८, रामायण अयोध्या काण्ड १००।३, रामचरित १२, १८, २—१।

पहले स्त्रियो को बहुत कम राजदूत बनाया जाता था, लुई चौदहवें ने मदाम दे गुएन्त्रिआ (Madame de Guebriant) को पोलैण्ड मे प्रथम स्त्री राजदूत बनाया था। पश्चिम मे नारी जागरण तथा स्त्रियो के समानाधिकार आन्दोलन के परिणाम-स्वरूप स्त्रियो को राजदूतों के पदों पर नियुक्त किया जाने लगा। स० १८०० अमरीकी सरकार ने १९३५ मे डेन्मार्क मे तथा इसके बाद इटली और लक्जमबर्ग मे अपने स्त्री राजदूत नियत किये। भारत ने १९४७ मे स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद श्रीमती विजय-लक्ष्मी पंडित को पहले महिला दूत का (१९४६-४९) तथा बाद मे स० १९०० अमरीका (१९४९-५१) का राजदूत नियत किया और १९५४ से १९६२ तक ग्रेट ब्रिटेन मे वे भारत की हाई कमिश्नर थी। बर्मा ने जुलाई १९६० मे श्रीमती आंगसान को भारत मे अपना राजदूत नियत किया था।

राजदूतों के नियुक्ति और आगमन अनेक विधि विधानों और समारोहों के साथ सम्पन्न होते हैं। किसी देश द्वारा दूसरे देश मे अपना दूत नियुक्त करते समय उसे अपने राज्य के अध्यक्ष की ओर से प्रत्यय पत्र (Letter of Credence, Letter de Creance) प्रदान किया जाता है। इसमे उस व्यक्ति के उस देश मे राजदूत बनाने की सूचना होनी है। प्रत्येक दूत अपने देश मे इसे दो रूपों मे लेता है, नियुक्ति का मूल प्रत्यय पत्र मुहरबन्द लिफाफे मे दिया जाता है तथा इसकी एक प्रतिलिपि भी दी जाती है। जिस देश के लिए उसे प्रत्यय पत्र दिया जाता है, उनके लिए उसे प्रत्ययप्राप्त या प्रत्यायित प्रतिनिधि (Accredited Representative) कहा जाता है। यह जब इन दो पत्रों के साथ दूसरे देश मे पहुँचना है तो अपने आगमन की सूचना देने के लिए विदेश मन्त्रालय को प्रत्यय पत्र की प्रतिलिपि भेज देता है। इसके बाद विदेश मन्त्रालय द्वारा निर्दिष्ट की गई तिथि पर यह एक निश्चित विधि के साथ सम्पन्न किये जाने वाले समारोह मे उस देश के शासनाध्यक्ष—राष्ट्रपति या राजा को अपने राजदूत होने का मुहरबन्द प्रत्यय पत्र स्वयमेव देता है। भारत मे आने वाले सभी राजदूत नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन मे राष्ट्रपति के समक्ष अपने प्रत्यय पत्र (Credentials) पेश करते हैं। कार्यदूत (Charge d' Affaires) अपने प्रत्यय पत्र विदेश मंत्री को देने हैं। राजदूतों ने यदि कोई विशेष कार्य करना होता है तो इसके लिए पूरे अधिकार देने के लिए उन्हें अपने राज्य के अध्यक्ष मे हस्ताक्षररहित जो प्रमाणपत्र दिया जाता है, उसे पूर्णाधिकार पत्र (Full Powers) कहते हैं। सामान्य रूप से एक देश मे एक राजदूत नियुक्त किया जाता है, किन्तु कई बार यह एक से अधिक देशों के लिए भी होता है। उदाहरणार्थ, भारत मे स० १९०० अमरीका का राजदूत मैगस से अमरीका के दूत का कार्य करता है। सदन मे भारत का हाई कमिश्नर आयरलैण्ड तथा स्पेन मे भी भारत के दूत का काम करता है। यूरोप-नाटो में भारतीय दूत यूनायन और बल्गारिया का भी दूत माना जाता है। इसी प्रकार रूस का भारतीय दूत इगरी और पोलैण्ड मे, स्वीडन का डेन्मार्क और वितर्लैण्ड मे, मेक्सिको का पानामा मे, स्विट्जर-

मैण्ड का वैटिकन में, इटली का अन्वोनिया में भी भारतीय राजदूत का कार्य करता है।

स्वीकरणीय व्यक्ति (Persona Grata)—कई बार कोई राज्य दूसरे राज्य द्वारा दूत बनाये जाने वाले व्यक्ति को स्वीकार नहीं करता। राजदूतों की नियुक्ति से पहले प्रायः दूसरे देशों में उस व्यक्ति के लिए विधिपूर्वक पूर्ण स्वीकृति ले ली जाती है। इसे *agregation* कहा जाता है। यह स्वीकृति जिसके लिए दी जाती है, उसे स्वीकरणीय व्यक्ति (Persona Grata) कहा जाता है। राज्य निम्नलिखित आधारों पर किन्हीं व्यक्तियों को अपने देश में राजदूत पद के लिए अस्वीकरणीय (Persona non grata) घोषित कर सकते हैं—

(१) राज्य के लिए उस व्यक्ति का वैयक्तिक रूप में आपत्तिजनक होना। फ्रांस ने इंग्लैण्ड के राजा चार्ल्स प्रथम के राजदूत के रूप में ड्यूक आफ बकिंगहम (Duke of Buckingham) को स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसने अपनी पहली यात्रा में फ्रेंच रानी के प्रेमी होने का दावा किया था।

(२) कोई देश किसी व्यक्ति को अपना विरोधी (Hostile) होने पर उसे राजदूत पद के लिए अस्वीकार कर सकता है। इटली ने १८८५ में श्री कीनी (Keiley) को अमरीका का राजदूत मानने से इसलिए इन्कार कर दिया कि उसने १८७१ में इटली द्वारा पोप के प्रदेशों को अपने राज्य का अंग बनाये जाने का विरोध किया था।

(३) यदि कोई व्यक्ति प्रत्यायित (Accredited) देश का प्रजाजन हो और वह भी सरकार उसे कूटनीतिक उन्मुक्तियाँ (Diplomatic Immunities) न देना चाहे तो वह ऐसे व्यक्ति को राजदूत मानने से इन्कार कर सकती है। किन्तु यदि उसे एक बार दूत स्वीकार कर लिया जाय तो इसे दूतों के सभी विशेषाधिकार प्राप्त हो जाते हैं। सर हैलिडे मैकार्टनी (Halliday Macartney) के साथ ऐसा ही हुआ। वह ब्रिटिश प्रजाजन था, फिर भी १८६७ में उसने लन्दन के चीनी दूतावास में सचिव का कार्य किया। उसकी नियुक्ति के समय कोई आपत्ति नहीं की गई, परन्तु जब उससे उसके मकान के टैक्स (Rates) मागे गये तो न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उसके दूत होने के कारण उससे ऐसी माग नहीं की जा सकती।

१९६१ के राजनीतिक सम्बन्धों के विषय में *Vienna Convention on Diplomatic Relations* ने यह व्यवस्था की है कि दूत भेजने वाले मंडल के कर्मचारी उस राज्य के नागरिक होने चाहिए। यदि वे दूत ग्रहण करने वाले राज्य के नागरिकों में से बनाये जाय तो इसके लिए स्वीकृति पहले ही ले लनी चाहिए। इसी प्रकार राजदूत इन्हें भेजने तथा ग्रहण करने वाले दोनों राज्यों से भिन्न तीसरे राज्य (Third States) के नागरिक भी हो सकते हैं, किन्तु इसके लिए भी इस दूत को ग्रहण करने वाले राज्य की स्वीकृति आवश्यक है।

किसी दूत की अस्वीकृति से उत्पन्न होने वाली कटुता तथा अप्रियता से बचने के लिये दूत भेजने वाला देश इसे ग्रहण करने वाले देश से पहले ही स्वीकृति (Agregation) ले लेता है। विन्या अभिसमय के अनुच्छेद ४ के अनुसार दूत ग्रहण करने वाले राज्य के लिये किसी दूत का नाम स्वीकृत करते हुए उसके लिए कारण बताने की आवश्यकता

रती है।

दूतों के कार्य (Functions of Diplomatic Agents)—प्राचीन भारत में कौटिल्य ने इनके कार्यों का वर्णन करने हुए लिखा है कि उनके निम्नलिखित कर्तव्य होते हैं—अपने स्वामी का मन्त्रेण दूसरे राजा के पास पहुँचाना और उसका उत्तर अपने स्वामी को भेजना, मन्त्रियों का पालन करना, अपने राजा की शक्ति या प्रताप प्रदर्शित करना, अपने मित्रों में वृद्धि करना, शत्रुओं में घूट उत्पन्न करना, शत्रु के मित्रों में भेद डालना, शत्रु की सेना और गुणधरो को अपने राज्य में दाहर करना, शत्रु के बन्धु-वाण्डवों तथा रत्नों का अपहरण, गुप्तचरों के सहायों का मग्रह, शत्रु की कमजोरी देखने ही पराजय प्रदर्शित करना, मन्त्रि के अनुसार शत्रुपक्ष के व्यक्तियों (समाधि) को मुक्त करना, योग अर्थात् औपनिपतिक उपायों से मारण आदि के प्रयोग।^१ राजों की दृग् सूची में यह स्पष्ट है कि उन समय दूत का एक प्रधान कार्य दूसरे देश की राजनीतिक परिस्थिति का निरीक्षण (Observation) तथा उसकी पूरी रिपोर्ट अपनी सरकार को भेजने रहना है।

आपेनहाइम (Oppenheim) ने इनो के तीन मुख्य कार्य बताये हैं—

(१) सन्धिवात्ता करना (Negotiation) —वह अपने राज्य के लिए दूसरे राज्य के साथ विभिन्न विषयों में वात्ता चलाने (Negotiation) का माध्यम है।

(२) निरीक्षण (Observation)—इसका एक बड़ा कार्य दूसरे देश की राजनीतिक परिस्थिति का निरीक्षण (Observation) तथा उसकी पूरी रिपोर्ट अपनी सरकार को भेजने रहना है।

(३) संरक्षण (Protection)—नीमरा कार्य उन देश में अपने स्वदेशवासी राष्ट्रिकों (Nationals) की जान और माल की रक्षा करना है। इनके अनधिकृत रूप अपनी सरकार का दृष्टिकोण, राष्ट्रीय नीति और विचारों को दूसरे देश के सम्मुख बड़ी स्पष्टता और प्रबलता के साथ रखना है। यदि उसके देश के प्रति कभी अमान्य प्रदर्शित किया जाता है या उनके वेनवासियों के स्वार्थों को आक्षेप आती है तो वह इनके प्रतिहार के लिए उस देश के विदेशमन्त्रियों से मिलना है। वह उन देश में रहने वाले अपने राष्ट्रवासियों के जन्म, विवाह, मृत्यु का पञ्जीकरण (Registration) करना है। वह विदेश में अपने देश को प्रभावित करने वाली राजनीतिक और सामाजिक दशाओं की विस्तृत जानकारी स्वदेश भेजना रहता है। अपने देश के भगोटे अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए वह विदेश मन्त्रालय से बान करना है, वह स्वदेशवासियों के लिये

७. अर्थशास्त्र १.१.३ प्रेरण मन्त्रिपालय प्रणयो मित्र-द्रवः ।

वाचायः सुदुर्देशो गूढरदाग्निमारणः ॥

बन्धुवन्धुपङ्क्तौ स्वप्राण ५.१.३.३.३ ।

समाधिभेदो दूतस्य कर्म योगस्य पञ्चमः ॥

दूत (७ ६६) ने इनके लिये और दृष्टि के लिये के लिये पर बर दिया है—दूत स्व डि मन्धरे कितनेव च संद्वारः । दूत-रुग्ने कर्म भिदन्ते देन मन्त्राः ।

८. आपेनहाइम—इन्टरनेशनल ला, सं० १-१० १८८५

पारपत्र (Passport) जारी करता है। उसे यह आशा रखी जाती है कि वह जिस देश में राजदूत बनकर गया है, वहाँ की स्थानीय या आन्तरिक राजनीति में कोई भाग नहीं लेगा।

राजनयिक सम्बन्धों के वियना अभिसमय (Vienna Convention on Diplomatic Relations) में दूतों के निम्नलिखित कार्य बताये गये हैं—(१) दूत ग्रहण करने वाले (Receiving) राज्य में इसे भेजने वाले (Sending) राज्य का प्रतिनिधित्व करना। (२) दूत ग्रहण करने वाले राज्य में भेजने वाले राज्य के तथा इनके नागरिकों के हितों की सुरक्षा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों के अनुसार करना। (३) ग्रहण करने वाले राज्य के साथ विभिन्न विषयों में वार्ता करना। (४) ग्रहण करने वाले राज्य की परिस्थितियों की वैध उपायों से पूरी जानकारी करना तथा इसकी सूचना तथा रिपोर्ट अपने देश को भेजना। (५) दूत भेजने तथा ग्रहण करने वाले राज्यों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बढ़ाना, दोनों के आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सम्बन्धों का विकास करना।

दूतों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ (Diplomatic Privileges and Immunities)—दूतों को अपना कार्य भली भाँति करने के लिए सभी राज्य कुछ विशेषाधिकार प्रदान करते हैं। यदि उन्हें स्वदेश को अपनी गुप्त रिपोर्ट, चिट्ठियाँ, तार और मन्देशाहर भेजने की स्वतन्त्रता न हा तो वे अपना कार्य नहीं कर सकते। उन पर किसी प्रकार का दबाव या भय नहीं होना चाहिए, उनके निवास-स्थान स्थानीय पुलिस तथा अन्य अधिकारियों के अधिकारक्षेत्र में बाहर होने चाहिए। पारस्परिकता के आधार पर सभी देश अन्य राज्यों के दूतों को विशेषाधिकार प्रदान करते हैं तथा अपने न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में उन्हें कुछ छूट या उन्मुक्तियाँ प्रदान करते हैं। क्षेत्राधिकार वाले अध्याय में इनका सक्षिप्त उल्लेख हो चुका है (पृ० २७४-५)। इनके प्रमुख विशेषाधिकार निम्नलिखित हैं—

(१) **व्यक्तिगत सुरक्षा तथा अव्यथता (Personal Safety)**—प्राचीनकाल से दूत को किसी प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचाना, उसे पकड़ना, मारना या बन्धन में रखना बड़ा अजग्य कार्य समझा जाता रहा है (देखिये ऊपर पृ० १९)। कौटिल्य ने मतानुसार दूत यदि चाण्डाल हो तो भी अव्यथ है। वर्तमान समय में विभिन्न देशों के

९ अर्धशाह १।१६ वेधामन्त्रावसाविन्दोऽप्यवस्था ।

महाभारत के शान्तिपर्व (६५।२६-२७) में भीष्म ने युधिष्ठिर को दूत की अव्यथता के सिद्धांत का प्रस्तावित करने दुष्ट कदा कि इने मारने वाला नरनगानी और अणुद्वया के पाप का मागी होना है—

न तु हन्या-नृपो जागु दूत कन्याविदापदि ।
 दत्तस्य हन्ना निरयमाविशोत्सचिवे सइ ॥
 यथोक्तनादिन दूत क्षत्रवर्नरतो नृप ।
 यो हन्यात्पितरस्तस्य भूयष्ट्यामवाप्नुयु ॥

कानूनो तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलो के निर्णायो द्वारा यह सिद्धान्त सुप्रतिष्ठित हो चुका है। पहले (पृ० २७४) यह बताया जा चुका है कि १७०८ ई० के ब्रिटिश कानून के अनुसार किसी राजदूत को दण्डी बनाने तथा उसका माल जपन करने की सब आज्ञायें अवैध होती हैं। रिपब्लिका बनाम लाग्चैम्पस (Republica v Longchamps) के मामले में यह कहा गया था कि "राजदूत का शरीर पवित्र और अव्यय (Inviolable) होता है। इसके प्रति की गई किसी प्रकार की हिंसा न केवल उस राजा या प्रभु (Sovereign) का अपमान है जिसका प्रतिनिधित्व वह दूत कर रहा है, अपितु इनसे राष्ट्रों की सामान्य सुरक्षा और बरखा को भी हानि पहुँचती है। इस प्रकार का कार्य करने वाला व्यक्ति सारी दुनिया के विरुद्ध अपराध करता है।" पलेची के मामले (Palache Case) में दिये गये निर्णय के अनुसार "राजदूत को सब प्रकार की क्षतियाँ (Injuries) तथा अपकारों (Wrongs) से सुरक्षित रखना चाहिये। सब देशों और राष्ट्रों के कानून के अनुसार उन्हें प्रत्येक स्थान में सुरक्षित रखना चाहिये। हमारे शत्रु के दूत को भी हानि पहुँचाना बंध नहीं है।" विदेशी राजदूत की अपनी भूमि में सब प्रकार से रक्षा और संरक्षण करना अपने देश में रहने वाले अन्य नागरिकों तथा विदेशियों की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है।"

प्रदान किया जाता था। इंपेचमेंट ने चीनी यात्री जेनत्सांग (जुआनच्यंग) की सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था की थी। जब भारत के धार्मिक विद्वानों के साथ शान्तिपूर्ण करने का बाद चीनी यात्री के प्राण सुरक्षित में पड़ गये तो इन्होंने एक राजकीय घोषणा निकाली कि चीनी यात्री का बाल भी बाका न होना चाहिये, यदि किसी व्यक्ति ने उसके प्राणों को मरु तो डाला तो उसमें पूरा परदा लिया जायगा।

१० नई बार विशेष परिस्थितियों में राजदूतों की अक्षयता तथा दूतगमों की अक्षयत्व (Inviolability of Embassies) के नियम का उल्लंघन भी होता है। १८ फरवरी १९६३ को इंग्लैंड की राजधानी जर्कस में मलायेशिया सभ के निर्माण से छुप एव वोटिंग १० हजार व्यक्तियों की भीड़ ने मिनिश दूतावास के २२ नर-नारियों पर आक्रमण किया, उन पर परवर, बोनने और ईटें फेंकी, ब्रिटिश राजदूत गिल्बर्ट का दो फुट लगे, मिनिश दूतावास में आग लगा दी गयी। पुलिस ने बड़ी कठिनाई में ब्रिटिश दूतावास के कर्मचारियों को अपने कार्यालय में पहुँचाकर रखा की। ऐसा जो पुलिस पर नियंत्रण स्थापित किया गया। (दिन्दुरसन दसम्, १९२० सितम्बर, १९६३)। इंग्लैंड की राष्ट्रपति सुरक्षा के बिना सरकार से इस घटना पर गहरा खेद प्रकट किया।

दिसम्बर १९६४ के भारत-पाकिस्तान संधि के समय पाकिस्तान के साथ सशानुभूत रखने वाले इजरायल इंग्लैंडियों ने प्रदर्शन करके ८ सितम्बर की जर्कस में भारत व दूतावास पर हमला करके इसे भीषण क्षति पहुँचाई, लड़ने हम के सारे फर्नीचर को तोड़-फोड़ दिया दूतावास का कागजों और फर्नीचर को निहानकर उन्हें ज्वाले में रखा और यहाँ उनकी डाली जला। बाद में भारत सरकार द्वारा इस कार्रवाई का उग्र पत्रिका करने पर इंग्लैंडियों के विदेशमन्त्री डॉ० सुप्रीयो ने यह घोषणा की कि उसकी सरकार भारतीय दूतावास को पहुँची क्षति को समुचित पूर्ण करेगी।

साम्यवादी चीन ने राजदूतों की अप्रच्यता के नियम का कई बार भीषण रूप से उल्लंघन किया है। इस विषय में सोवियत मघ, भारत एवं अन्य देशों के राजदूतों के साथ किये गये पेरिंग के व्यवहार के कुछ थोड़े से उदाहरणों का उल्लेख यहाँ किया जाता है। जनवरी १९६७ में विदेशों में अध्ययन करने वाले चीनी विद्यार्थियों को पेरिंग ने साम्कृतिक ज्ञानि में भाग लेने के लिये स्वदेश लौट आने के लिए कहा। फ्रांस और फ़िनलैण्ड से मास्को के मार्ग से चीन लौटने वाले कुछ विद्यार्थियों ने वहाँ के चीनी दूतावास के कर्मचारियों के साथ मिलकर २५ जनवरी १९६७ को लेनिन की समाधि के निकट लाल चौक (Red Square) में बड़ा उत्पात मचाया, जब उन्हें ऐसा कार्य करने से रोका गया तो पेरिंग ने इस बात का झूठा प्रचार किया कि मास्को में चीनी विद्यार्थियों के साथ बड़ा अमानुषिक और बर्बर व्यवहार हुआ है तथा इसका बदला लेने के लिए २६ जनवरी की सध्या से पेरिंग में सोवियत दूतावास की चीनी प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ ने घेर लिया, दूतावास में आने जाने वाले व्यक्तियों पर धुका जाने लगा, उन्हें परेधान किया गया, लाठियों से मारा पीटा गया, उन पर बूडा डाला गया दूतावास में जलती मसाले फेंकी गई। २ फरवरी को सोवियत राजनयिकों की एक गाड़ी वागरेलको ने १६ घण्टे रोके रखी। इस विषय परिस्थिति में जब सोवियत दूतावास के बच्चों तथा स्त्रियों को खतरे में बचाने के लिए इन्हें तीन दलों में ४-६ फरवरी को रूस भेजा गया तो हवाई अड्डे तक जाते हुए लाल रक्षकों ने इन पर धुका और इन्हें पीटा। ६ फरवरी को गोद में बच्चे लेकर स्तनदा लौटती दूतावास की रूसी स्त्रियों को एक चीनी भीड़ ने घेर लिया, उन्हें माझो और स्तानिन के चित्रों के नीचे से रंगकर जाने को विवश किया। जय रूस, ब्रिटेन तथा फ्रांस के राजनयिकों ने इन बच्चों और स्त्रियों को बचाना चाहा तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। दूतावास लौटते हुए स्त्रियों पर हमला किया गया, इनकी एक बस को १२ घण्टे रोककर इन्हें बन्दी बना कर रखा गया। ६ फरवरी की सध्या से सोवियत दूतावास पर घेरा डाल दिया गया, कई दिनों तक यह घेरा पड़ा रहा, यहाँ का कोई कर्मचारी बाहर नहीं निकल सकता था। ३१ जनवरी से ४ फरवरी तक पेरिंग के प्रेक्ष दूतावास पर उग्रप्रदर्शन होते रहे, इसके एक कर्मचारी मो० रावर्ट रिचर्ड को चीनियों ने घेर लिया क्योंकि दूतावास जाते हुए उसकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकरा गई थी। उस मोटर से बाहर धरीटकर ७ घण्टे तक ठड में खड़ा रखा। सोवियत राष के अनिश्चित पूर्वी योरोप के अन्य साम्यवादी देशों के राजदूतों के साथ भी ऐसा ही दुर्व्यवहार किया गया। चेकोस्लोवाक दूतावास के दो कर्मचारियों पर २६ जनवरी को लालरक्षकों ने हमला किया। हंगरी के राजदूत की गाड़ी पर आक्रमण किया गया, पूर्वी जर्मनी के कार्यदूत (Charge 'd and Affaires) को धमकाया गया। मंगोलिया के दूतावास ने यह माँग की कि उनके कर्मचारियों की सुरक्षा की गारण्टी दी जाय तो चीनी विदेशमन्त्रालय ने ६ फरवरी को यह घोषणा की कि राजनयिक उन्मुक्ति (Diplomatic immunity) पूजोवादी सत्थामों की उपज है, नान्ति करने वाले देश बूर्जुआ व्यवस्थाओं (Bourgeoise norms) की

स्वीकार नहीं करते हैं (कीनिंग्स आर्काइव्स, १९६७, पृ० २२०४६-७)।

जून १९६७ में पेकिंग में भारतीय दूतावास के दो कर्मचारियों वृष्णन्, रघुनाथ तथा विजय पर जासूसी का अपराध लगा कर इन्हें देश से बाहर निकलने का आदेश दिया गया, लालरक्षकों ने इन्हें हवाई अड्डे पर पीटा तथा ठोकरें मारी, दूतावास के तृतीय सचिव सी० बी० रघुनाथ को घुटनों के बल चलवाया। १३ जून का लोकसभा में भारत के विदेशमंत्री श्री धगला ने यह घोषणा की कि चीन का कार्य सम्यक् व्यवहार के नियमों तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सभी शांत नियमों का अभूतपूर्व एक भीषण (Flagrant) उल्लंघन है (एशियन रिकार्डर १९६७, पृ० ७५०८-११)।

मई १९६७ में हायकांग में घने होने पर चीन में ब्रिटिश का विरोध चरम सीमा पर पहुँच गया, कॅण्टन, पेकिंग तथा शंघाई में ब्रिटिश दूतावास के कर्मचारियों पर हमले किये गये तथा उनके साथ भीषण दुर्व्यवहार किया गया। दो ब्रिटिश राजनयिकों-ट्रेडिंट तथा ह्विटनी को २४ मई को शंघाई के हवाई अड्डे पर घेर लिया गया, उन्हें धक्के दिये गये, ठोकरें लगाई गईं, बांबारी पर पास्टर चिपकाने वाली तैली उनके मुँह और धरौर पर फाँटी गई। चीनियों ने ट्रेडिंट के चेहरों पर चूका, उसकी जैकेट फाड़ दी, उनके सिर पर मूनियन जैक के झण्डे से मुक्त बेल की बनी टोपी (Dunce's cap) पहनाने का प्रयत्न किया गया (कीनिंग्स आर्काइव्स, जुलाई १५-२०, १९६७, पृ० २२१४१)।

उपर्युक्त घटनाओं में यह स्पष्ट है कि राजदूतों की अनन्यता एवं उन्मुक्तियों के नियम की अवहेलना करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसका प्रतिकार करने के उपाय प्रतिवाद-पत्र भेजना, बदले की कार्यवाही करना तथा दौत्यसम्बन्ध भंग करना है। साम्यवादी चीन जैसे देश के प्रतिवाद-पत्रों की कोई परवाह नहीं करते हैं। कई बार बदले की कार्यवाही प्रभावशाली सिद्ध होती है। उदाहरणार्थ जनवरी १९६७ में चीनियों ने पेकिंग में रूसी दूतावास के कर्मचारियों पर जैसे प्रतिबन्ध लगाये थे वैसे ही प्रतिबन्ध रूस ने मास्को के चीनी दूतावास के कर्मचारियों पर लगा दिये। जून १९६७ में चीन द्वारा पेकिंग के भारतीय दूतावास पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने पर भारत सरकार ने नई दिल्ली के चीनी दूतावास पर वैसे ही नये प्रतिबन्ध लगाये तां चीन ने अपने प्रतिबन्ध हटा लिए। अन्तिम उपाय दौत्यसम्बन्धों का भंग करना है। स० रा० सघ की जनरल असेम्बली की कानूनी समिति ने ८ दिसम्बर १९६७ को भारत द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव पारित करके राजदूतों के विरोधाधिकार तथा उन्मुक्तियों के विषय में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों की अवहेलना करने वाले सभी कार्यों की निन्दा की है। सब देशों को इस विषय में १९६१ के वियना अभिमतय को स्वीकार करने की अपील की गई है (टाइम्स ऑफ इंडिया, दिल्ली ९ दिसम्बर १९६७ पृ० १०)। स० रा० सघ की समिति में यह मांगला इस लिए उठाया गया था कि अगस्त १९६७ में स० रा० सघ की विदेश असेम्बली में भाग ले कर स्वदेश लौटने वाले गिनी के प्रतिनिधियों के विमान को जब हजन में कुछ खराबी घटने के कारण आदवरी कान्ट में उतारना पडा तो वहाँ की सरकार ने गिनी के प्रतिनिधियों को बन्दी लिया था।

दूत की अव्ययता के सिद्धान्त के अनुसार उसे प्राप्त होने वाली पूर्ण सुरक्षा अनतिक्रम्यता (Inviolability) कहलाती है, उसका शरीर इतना अधिक पवित्र समझा जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की क्षति या हिंसा द्वारा इसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। उसके प्रति सक्ति या हिंसा का प्रयोग सर्वथा वर्जित है, उस पर न्यायानयो मे कोई मुकद्दमा चलाकर उसे दण्डित नहीं किया जा सकता। उसकी यह अनतिक्रम्यता केवल उसके शरीर तक ही सीमित नहीं है, किन्तु उसको अपना कार्य चलाने के लिए जिन व्यक्तियों या वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उन सबको यह सुरक्षा प्राप्त है। अतः दूत की स्त्री, परिवार के सदस्य, उसका अनुचरवर्ग, फर्नीचर, घोड़े, मोटरगाडियाँ, कागज-पत्र, तार तथा सदेशहर अनतिक्रम्य माने जाते हैं। किसी दूत का कार्य समाप्त हो जाने पर दूतारा देश इसके कागजात को नहीं छू सकता। उपर्युक्त सब व्यक्तियों पर देश का दण्ड-विधान लागू नहीं होता। इन्हें मन-मानी कार्यवाही करने की स्वतन्त्रता है किन्तु उनसे यह आशा रखी जाती है कि वे स्वयमेव अपने पर ऐसा नियन्त्रण रखेंगे कि उनके किसी काम में देश के कानून का उल्लंघन न हो।

यदि वे अपने पर ऐसा नियन्त्रण नहीं रखते और कोई जघन्य अपराध करते हैं तो वे जिस देश में दूत बनकर गये हैं, वह उनके प्रत्यावर्तन (Recall) की माँग कर सकता है और उन्हें अपने देश से निकाल सकता है। १८१४ में इंग्लैण्ड स्थित स्पेनिश राजदूत मेन्डोसा (Mendoza) ने वहाँ की रानी एलिजाबेथ को गद्दी से हटाने के एक पड्यन्त्र में भाग लिया, इस पर उसे ब्रिटिश भूमि छोड़कर चले जाने की आज्ञा दी गयी। इसी प्रकार १६५४ में जब इंग्लैण्ड के फ्रेंच राजदूत दे बास (De Bass) ने रामपैल को हत्या के पड्यन्त्र में हिस्सा लिया तो उसे २४ घंटे के भीतर ग्रेट ब्रिटेन छोड़ना पडा। यदि ऐसा पड्यन्त्र देश की आन्तरिक सन्ति को सकट में डालने वाला हो तो राजदूत को बन्दी भी बनाया जा सकता है। १७१८ में फ्रांस में स्पेन के राजदूत सेल्लामेयर (Cellamare) को फ्रेंच सरकार के विरुद्ध पड्यन्त्र में भाग लेने के कारण हवालात में डाला गया था। १७१७ में लन्दन में स्वीडन के राजदूत गिल्लेनबर्ग (Gyllenborg) को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने जार्ज प्रथम के विरुद्ध पड्यन्त्र में भाग लिया था।" इस विषय में लार्ड मेहोन (Mahon) ने लिखा था—“यदि कोई व्यक्ति उस देश की सरकार के विरुद्ध पड्यन्त्र करता है, जहाँ उसे दूत बनाकर भेजा गया है तो वह राष्ट्रों के कानून का उल्लंघन करता है। उसको कानून द्वारा दिया गया विशेषाधिकार इस बात पर है कि वह अपने कूटनीतिक कर्तव्यों की सीमा का उल्लंघन नहीं करता। यदि वह ऐसा करता है तो इस बात को अस्वीकार करना असम्भव है कि इस प्रकार हानि उठाने वाली सरकार को अपने सरक्षण की दृष्टि से आवश्यक कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है।”

युद्ध छिड़ जाने पर भी राजदूत की अनतिक्रम्यता और अव्ययता के अधिकार में कोई अन्तर नहीं आता।

(२) राज्यक्षेत्रवाह्यता^{१२} (Exterritoriality)—यह राजदूतों का दूसरा विशेषाधिकार है। इसका आशय त्रियर्ली के शब्दों में यह है कि दूत तथा उनसे सम्बन्ध रखने वाली वस्तुएँ यद्यपि भौतिक रूप से इन्हें दूत मानने वाले राज्य के प्रदेश में अवस्थित होती हैं किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार इन पर उस प्रदेश का क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) नहीं लागू होता। ये उस राज्य के क्षेत्र में रहते हुए भी उसके कानून और न्यायालयों के अधिकारक्षेत्र से बाहर समझे जाते हैं। कुछ विद्वान् इन्हें राज्य में रहते हुए भी इनके निवासस्थान या दूतावासों को उस राज्य से बाहर का प्रदेश समझते हैं, किन्तु वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय कानून इसे इस हद तक नहीं स्वीकार करता। १९३५ में रोम के न्यायालय ने पोप की नगरी वैटिकन में घनी इमारतों के सम्बन्ध में यह कहा था कि १९२९ की लेटरन संधि (देखाएँ पृ० १४८) के अनुसार इन्हें इटली के क्षेत्राधिकार से कुछ उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं, किन्तु इस आधार पर इन इमारतों को इटली के प्रदेश से बाहर नहीं माना जा सकता। १९३४ में एक फ्रेंच न्यायालय (Court of Cassation) ने यह माना था कि फ्रांस के विदेशी दूतावास में फ्रेंच प्रजाजन द्वारा किये गये अपराध के सम्बन्ध में यह नहीं माना जा सकता कि वह फ्रेंच प्रदेश से बाहर किया गया है। १९३४ में एक जर्मन न्यायालय ने बर्लिन के अफगान दूतावास में अफगान राजदूत की हत्या के मामले में बचाव पक्ष के इस दावे को स्वीकार नहीं किया कि अफगान दूतावास में घटित होने के कारण यह घटना जर्मन प्रदेश से बाहर हुई है और जर्मन न्यायालयों को इस पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी आगेनहाइम ने लिखा है—“राज्य-क्षेत्रवाह्यता के शब्द का प्रयोग इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि यह उस तथ्य को सूचित करता है कि दूतों के साथ अधिकारिता मामलों में ऐसा व्यवहार करना चाहिये कि वे इन्हें दूत स्वीकार करने वाले राज्य के प्रदेश के भीतर निवास नहीं करत।”^{१३}

इस विशेष अधिकार के अनुसार विदेशी राजदूतों के सरकारी निवासस्थान और दूतावास उस राज्य के क्षेत्राधिकार से बाहर समझे जाते हैं। इनमें शासन, न्याय या पुलिस विभाग का कोई कर्मचारी प्रवेश करने का अधिकार नहीं रखता। पहले दूतावास के माथ लगा हुआ शहर का बहुत-सा हिस्सा भी राज्यक्षेत्रवाह्य समझा जाता था।

१२. राज्यक्षेत्रवाह्यता (Exterritoriality) तथा बाह्य क्षेत्राधिकार (Extraterritoriality) में कुछ अन्तर है। पहले शब्द का आशय केवल इतना ही है कि किसी व्यक्ति या वस्तु पर उस राज्य का क्षेत्राधिकार नहीं है, जिस राज्य के प्रदेश में वह है। दूसरा शब्द इससे संधा भिन्न यह अर्थ देता है कि किसी राज्य का क्षेत्राधिकार उस राज्य की सीमाओं से बाहर किसी दूसरे राज्य के प्रदेश में है। त्रियर्ली ने पहले शब्द के प्रयोग पर दो आपत्तियाँ की हैं, पहले तो यह कि इसमें यह मान लिया जाना है कि क्षेत्राधिकार और प्रदेश सदैव सदाका होते हैं, यह बात सत्य नहीं है। दूसरी आपत्त यह है कि इसमें यन्त्रि को राज्य में होते हुए भी कल्पना (Fiction) द्वारा उसमें बाहर मान लिया जाता है। इसका अभिप्राय केवल इतना ही है कि कोई स्थान स्थानीय क्षेत्राधिकार से मुक्त है (दी लॉ ऑफ नेरान्स, पृ० १८७)।

१३. आगेनहाइम—इयरेनेरान्स ला, ख० १, पृ० ७६३

किन्तु अब यह दर्जा केवल दूतावास तथा उससे सम्बद्ध घुड़सालों तथा मोटरगाडियो के गैरजो को ही दिया जाता है। यदि दूतावास की सीमा में विशेषाधिकार का उपयोग न करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो इसे राज्याधिकारियों को सौंपना उस दूतावास का कर्तव्य माना जाता है। दूतों से यह आशा रखी जाती है कि वे अपना दूतावास अपराधियों का भ्रष्टा नहीं बनने देंगे।

किन्तु मध्यकाल में मॉड्रिड, वेनिस और रोम में अवस्थित विदेशी दूतावास न केवल इस प्रकार के अड्डे बने हुए थे, अपितु दूत अपने सरक्षित निवासस्थान अपराधियों को ऊँचे किरायों पर नवाकर इनमें नून लाभ कमाने थे। यह बुराई यहाँ तक बढ़ गई कि १६७७ में पोप इन्नोसेंट एकादश को यहाँ तक कहना पड़ा कि जो दूतावास ऐसा करेगा, पोप उनके दूतों को अपने साथ भेंट का अपसर प्रदान नहीं करेगा। शनै-शनै यह बुराई कम हुई तथा अपराध करने वाले व्यक्तियों को दूतावास में पकड़ा जाने लगा। १८२६ में लन्दन में अमरीकन राजदूत गैलेटीन (Gallatin) के कोचवान ने अमरीकी दूतावास के बाहर एक अपराध किया, इसके बाद वह अमरीकी दूतावास की घुड़साल में छिप गया। यहाँ से ब्रिटिश पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। विदेश मन्त्री लार्ड डडली (Dudley) ने इस कार्य का समर्थन करते हुए कहा—“मुझे एक भी ऐसे दृष्टान्त का ज्ञान नहीं है जिसमें राष्ट्रों के कानून द्वारा किसी राजदूत के दूतावास को ऐसा विशेषाधिकार दिया गया हो कि इसमें अपराधियों को न पकड़ा जा सके।” इन्हे पकड़ने के एक अन्य उदाहरण में, १८६६ में पेरिस के रूसी दूतावास में निवृत्त चैनकोफ ने एक रूसी सहचारी (Attache) पर हमला करके उसे घायल कर दिया, पुलिस इस अपराधी को दूतावास से पकड़ कर ले गई और फ्रेंच सरकार ने रूसी राजदूत की इस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया कि अपराधी उसे सौंपा जाय।

राजनीतिक अपराधियों को दूतावास में शरण देने (Diplomatic Asylum) के सम्बन्ध में विभिन्न देशों में एक जैसी व्यवस्था नहीं है। पहले दूतावास इन्हे शरण दिया करते थे। स्पेन और दक्षिण अमरीका के राज्यों में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। आज तक पेरु के अतिरिक्त अन्य सभी दक्षिण अमरीकी राज्य दूतावास में राजनीतिक अपराधियों को शरण देने का अधिकार रखते हैं। अन्यत्र दूतावासों को इस प्रकार अपनी इमारत में अपराधियों को सरक्षण देने का कोई अधिकार नहीं है। इस अवस्था में यदि प्रार्थना करने पर भी राजदूत अपराधी को नहीं देता तो राज्य के सिपाही इसे घेर कर अपराधी को इसमें से बलपूर्वक निकाल सकते हैं। किन्तु यदि कोई व्यक्ति कुछ उच्छ्वसल तथा गैर-कानूनी काम करने वाले व्यक्तियों के आक्रमण के प्रकोप से बचने के लिए दूतावास में शरण लेता है तो उसे मानवीय आधार पर दूतावास को अस्थायी रूप से सरक्षण देने का अधिकार माना जाता है। यह पहले बताया जा चुका है कि दूतावास अपने देश के किसी अपराधी व्यक्ति को अपने यहाँ इस द्वावे से पकड़ कर नहीं रख सकते कि उसे वहाँ से मुक्त चला देने के लिए स्वदेश भेजा जाय।

(३) फौजदारी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से मुक्ति (Immunity from the Jurisdiction of Criminal Courts)—दूत फौजदारी कानून के अपराधों के लिए

स्थानीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से मुक्त समझे जाते हैं, पुलिस इन्हें पकड़कर अदालत में मुकद्दमा नहीं चला सकती। दूता से यह आशा रखी जाती है कि वे ऐसे अपराध नहीं करेंगे। ऐसे अपराध होने की दशा में यह मामला उन्हें दूत बनाकर भेजने वाले देश के मानने रखा जाता है, उनको वापिस बुलाने तथा उनको अपने देश में दण्ड देने की माँग की जाती है।

वियर्ली के शब्दों में "एक दूत जिस देश में भेजा जाता है, वह उस देश की फौजदारी कार्यवाही में तथा पुलिस की कार्यवाही में बिल्कुल मुक्त होता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि उस देश के फौजदारी कानून और पुलिस के नियमों का पालन करना उसका कर्तव्य नहीं है किन्तु यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसके विरुद्ध केवल यही कार्यवाही की जा सकती है कि उसकी सरकार को राजनयिक ढंग से उसकी शिकायत (Diplomatic complaint) की जाय अथवा बड़े गम्भीर अपराध में उसको देश से निकाल दिया जाय।"

पुरानी व्यवस्था ऐसी नहीं थी। १६५३ ई० में लन्दन में स्थित पुर्तगाली राजदूत के भाई डॉन पैण्टेलियोनस का एक ब्रिटिश कनरा से झगडा हो गया, अगले दिन वह अपने पाँच साथियों को लेकर उस कनरा से बुबारा लडने गया, लडाई में एक अंग्रेज मारा गया। इसी बीच ब्रिटिश पुलिसा वहा आ गई, डॉन ने भागकर पुर्तगाली दूतावास में शरण ली, किन्तु उसे बाद में ब्रिटिश सरकार को सौंपा गया। कामबेल ने यह मामला एक विशेष न्यायालय को सौंपा, इमने डान का यह दावा स्वीकार नहीं किया कि राजदूत का भाई हाने से उसे दूतों जैमी स्थानीय फौजदारी अदालत के क्षेत्राधिकार से मुक्ति प्राप्त है। न्यायालय के निर्णयानुसार उसे फामी का दण्ड दिया गया। किन्तु उस समय के प्रसिद्ध विधिशास्त्रियों में लीबनिट्ज (Leibnitz) तथा बिकरशायेक (Bynkershoek) ने इस निर्णय को अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रतिकूल बताया और अधिकांश आधुनिक विधिशास्त्रियों का भी ऐसा ही मत है।

राजा अथवा राज्य के विरुद्ध किए गए पड्यन्नों में से दूतों के सम्मिलित होने पर उन्हें प्रायः स्वदेश लौटने के लिए बाधित किया जाता है। इस विषय में पहले मेन्दोजा और द वास के उदाहरणों का उल्लेख किया जा चुका है (पृ० ३५०)।

(४) दीवानी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से मुक्ति (Immunity from the Jurisdiction of Civil Courts)—दूतों के विरुद्ध स्थानीय न्यायालयों में दीवानी मामलों के सम्बन्ध में कोई अभियोग नहीं लगाया जा सकता। यदि वह स्थानीय व्यक्तियों से कोई ऋण लेता है और इसे नहीं उतारता तो इसके लिए उस पर कोई मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकता, उसे ऋण अदा न करने के लिए बन्दी नहीं बनाया जा सकता, जर्ज की बरसो के लिए उसका फर्नीचर, गाडी, घोडे तथा अन्य सम्पत्ति जब्त नहीं की जा सकती। ग्रीसियस ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ में इसका बड़ा स्पष्ट प्रतिपादन करते हुए लिखा है—“राजदूत को वैयक्तिक सम्पत्ति न तो किसी

न्यायालय के और न ही किसी प्रभुसत्तासम्पन्न राजा के आदेश से ऋणों की अदायगी या मुरक्षा के लिए जब्त की जा सकती है। मेरे विचार के अनुसार यह सबसे ठीक सम्मति है क्योंकि राजदूत द्वारा पूर्ण सुरक्षा के उपभोग के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने शरीर पर तथा उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में सब प्रकार से सुरक्षित और चिन्तामुक्त हो। यदि वह ऋणग्रस्त हो जाय और उसके पास इसे चुकाने के लिए अचल सम्पत्ति न हो तो उससे ऋण अदा करने की प्रार्थना करनी चाहिए। यदि वह इसे स्वीकार नहीं करता तो इसकी शिंकायन उसके स्वामी से करनी चाहिए।" विकरबोगेक ने भी गोशियम के उपर्युक्त मत का समर्थन किया है। वैंटल (Vattel) ने इसको पुष्ट करते हुए कहा है कि यदि दूत व्यापार करता है तो उसके विरुद्ध किसी दावे की वसूली के लिए उसकी वैयक्तिक सम्पत्ति जब्त की जा सकती है। किसी राजदूत का मामान इस आधार पर नहीं रखा जा सकता कि उसने अपना कर्ज अदा नहीं किया। १७७२ में फ्रेंच सरकार ने एक जर्मन राज्य हेस्से केमल (Hesse-Cassel) के राजदूत बैरन डी रैंथ को इस आधार पर पानपोट नहीं दिया था कि उसने अपना कर्ज नहीं अदा किया था। इस पर पेरिस के अन्य सभी राजदूतों ने फ्रेंच सरकार के इस कार्य का तीव्र प्रतिवाद किया। इस विषय में इंगलैंड का १७०८ का कानून इतना कड़ा है कि राजदूत पर कर्ज अदा करने के लिए सम्मन भी तामील नहीं किया जा सकता है।

किन्तु दो अवस्थाओं में दूत की दीवानी मामला में उन्मुक्ति (Immunity) समाप्त हो जाती है। पहली अवस्था उसका स्वयमेव स्थानीय दीवानी अदालत में उपस्थित होकर इसका क्षेत्राधिकार स्वीकार करना है। इस प्रकार वह स्वयमेव अपनी उन्मुक्ति का परित्याग कर देता है। दूसरी अवस्था उसका अदालत में किसी अन्य व्यक्ति पर अभियोग चलाना है, इसमें भी वह अपने पर स्थानीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार स्वीकार कर लेता है। दीवानी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से दूतों की मुक्ति प्रायः कोई जटिल समस्याय नहीं उत्पन्न करती। दूत ऐसी दशा में स्वयमेव स्थानीय न्यायालय वा क्षेत्राधिकार मान लेता है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो स्थानीय अधिकारी विदेश न्यायालय के कूटनीतिक पत्रव्यवहार द्वारा उसके देश से दूत पर कर्ज अदा करने के लिए दबाव डलवाते हैं। प्रायः विदेश मंत्रालय के दबाव से मामला सुलभ जाता है। यदि ऐसा न हो तो दूत के वापिस बुलाने की माँग की जाती है। दूतों को यह उन्मुक्ति केवल इसलिए दी गई है कि वे अपना काम शान्तिपूर्ण ढंग से कर सकें। इसका यह उद्देश्य नहीं कि 'ऋण कृत्वा घृत पिबेत्' की नीति के अनुसार वे खूब ऋण लेते चले जायें और इसे अदा न करे। १० रा० सप्त के विशेषाधिकार उन्मुक्ति सम्प्रभौते में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह उन्मुक्ति देने का उद्देश्य वैयक्तिक स्वार्थ की सिद्धि नहीं, किन्तु १० रा० सप्त के कार्य को आगे बढ़ाना है।

१९६१ के वियना अभिसमय (Vienna Convention) ने राजदूतों के दीवानी क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति के सम्बन्ध में तीन अपवाद माने हैं (१ अनुच्छेद, ३१) —

(१) वैयक्तिक अथवा सम्पत्तिविषयक मामले (Real actions relating to

immovable property), बशर्त कि यह सम्पत्ति दूत भेजने वाले राज्य की ओर से इस दूत-मंडल का कोई प्रयोजन पूरा करने के लिए न रखी गयी हो। यदि यही प्रथम सम्पत्ति दूत-मंडल का कोई प्रयोजन पूरा करने के लिये आवश्यक है तो इसके सम्बन्ध में इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। (२) किसी ऐसी सम्पत्ति के उत्तराधिकार (Succession) के मामले, जिसमें दूत वा सम्बन्ध उसकी वैयक्तिक हैमियत से हो। (३) ऐसे मामले जिनमें राजदूत ने अपने सरकारी कार्यों से प्रतिरिक्त कोई व्यापारिक वा व्यावसायिक (Professional) कार्य किया हो। इन अपवादों की व्यवस्था करते हुए स्पष्ट रूप से यह बात बही गई है कि इन मामलों में यदि कोई पार्टी राजदूत के विरुद्ध कोई आज्ञा प्राप्त कर लेती है तो उसका पालन करते हुए राजदूत के शरीर की तथा उसके निवासस्थान की अनतिरन्ध्रता (Inviolability) को किसी प्रकार नग्न नहीं किया जा सकेगा।

(५) गवाही देने के कार्य से मुक्ति (Exemption from Subpoena as Witness) — किसी स्थानीय शैवानी, फौजदारी या प्रशासनिक न्यायालय में माफी देने के लिए दूत को बाधित नहीं किया जा सकता। यदि कोई स्थानीय अधिकारी किसी विषय में उसकी माफी लेने के लिए घुनावास में जाय तो भी दूत को पूरी स्वतन्त्रता है कि वह साक्षी दे या न दे। किन्तु यदि वह स्वयमेव साक्षी बनना स्वीकार कर लेता है तो उसका लाभ उठाया जा सकता है। १८८१ में अमरीकन राष्ट्रपति गार्फोल्ड की हत्या के समय वेनेजुएला का राजदूत श्री बोमाञ्चो उपस्थित था वह अपना सरकार में आज्ञा लेकर इस मामले में हट्टमाफी बना। १८५६ में वाशिंगटन में हानैण्ड के राजदूत मो० डुवोइस ने नरहत्या (Homicide) का एक मामला देला। इस मामले को अदालत में आगाने के लिए डुवोइस की माफी आवश्यक थी अमरीकन सरकार ने उससे गवाही देने की प्रार्थना की। डुवोइस द्वारा इसे स्वीकार न करने पर वाशिंगटन ने उच्च सरकार से यह निवेदन किया और उसने डुवोइस को अपनी गवाही अदालत के स्थान पर न० रा० अमरीका के विदेशमंत्री को देन को कहा। कानूनी दृष्टिकोण से इसका कोई महत्व न होने के कारण यह साक्षी नहीं ली गयी।

(६) करों से मुक्ति (Exemption from Taxes) — दूत पर स्थानीय सरकार आपकर तथा अन्य पन्थज कर नहीं लगा सकती। उन्ने नगरपालिका के मकान, बिजली, सफाई आदि के टैक्स देने चाहिए, किन्तु प्रत्येक देशों में सौजन्यवश ये कर नहीं लिये जाते। उससे किसी कानूनी प्रविधा द्वारा ये कर वसूल नहीं किये जा सकते। राजदूत के उपयोग में आने वाली बस्तुओं पर चुगी और तटकर नहीं लिया जाता। कई बार राजदूतों में इस मुविधा का दुरुपयोग भी किया है। डेनमार्क में स्थित एक फ्रेंच राजदूत ने कोपनहेगन में पेरिस की बस्तुओं की दुकान खोली, जिससे अन्य दुकानदारों को बड़ा घाटा उठाना पडा। इस के एक फ्रेंच राजदूत ने देश में बेचने का काम शुरू किया था। भारत में उत्तुए के दूतावास के एक कर्मचारी नाडल ने सिगापुर के एक व्यापारी तथा दूतावास की भारतीय लडकी उपा अश्वानी के साथ मिलकर कीमती घड़ियों को चोरी से भारत में लाने का कार्य किया।

वियना अभिसमय (Vienna Convention) के अनुच्छेद ३४ में दूतों का करो से मुक्ति का सिद्धान्त स्वीकार किया गया है और इसके साथ ही ऐसे करो की सूची भी दी गई है जिनपर यह सिद्धान्त लागू नहीं होता। इस प्रकार के अपवाद प्रत्यक्ष करो (Indirect taxes) या बिक्री कर (Purchase tax) के हैं, जो प्राय वस्तुओं के मूल्य में सम्मिलित कर लिये जाते हैं। इनमें ऐसे टैक्स भी हैं, जो विस्तृत रूप से वैयक्तिक अचल सम्पत्ति पर या वैयक्तिक आय पर लगाने जाते हैं। इस अभिसमय में राजदूत के अथवा उसके परिवार के सदस्यों के वैयक्तिक उपयोग के लिये मगाई गई वस्तुओं को सीमाशुल्क या शुुगी (Custom duty) से मुक्त माना है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग का यह विचार था कि यह छूट पहले अन्तर्राष्ट्रीय कानून (Law) द्वारा नहीं, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य (Comity) के कारण दी जाती थी, किन्तु इस समय यह प्रथा इतनी सामान्य हो गई है कि इसे कानून के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिये। वियना सम्मेलन ने इसे कानून के रूप में ही माना है।

(७) उपासना का अधिकार (Right to worship) — प्रत्येक राजदूत को अपने धार्मिक विश्वास के अनुसार पूजा और उपासना करने की स्वतन्त्रता है। यह सम्भव है कि उसका धर्म स्थानीय धर्म से भिन्न और विरोधी हो। वह अपनी उपासना के लिये मन्दिर, मस्जिद या गिरजाघर का अपने दूतावास में निर्माण कर सकता है।

(८) पत्रव्यवहार की स्वतन्त्रता (Freedom of Communication) — दूत को अपना कार्य सुचारु रूप से सम्पन्न करने के लिये अपनी सरकार के साथ पत्र-व्यवहार की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिये, अतः उसके पत्रों, तारों, सदेशों कूटनीतिक थैलों (Diplomatic bags) का स्थानीय सरकार निरीक्षण नहीं कर सकती।

(९) सीमित क्षेत्राधिकार (Limited Jurisdiction) — राजदूत को अपने दूतावास की सीमा में रहने वाले व्यक्तियों पर सीमित क्षेत्राधिकार होता है, उसे अपने अनुचर वर्ग पर नियन्त्रण रखने तथा अपराध करने वाले किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिये स्वदेश भेजने का अधिकार है। किन्तु वह अपने दूतावास में अपराधी व्यक्तियों के धामलो पर विचार करने और उन्हें दण्ड देने का अधिकार नहीं रखता।

दूत के अनुयायीवर्ग के विशेषाधिकार (Privileges of Envoys) — दूतों को प्राप्त होने वाले उपर्युक्त विशेषाधिकार उनके अनुयायीवर्ग को भी बूझ भरी में प्राप्त होते हैं। उनके अनुयायीवर्ग में निम्न प्रकार के व्यक्ति सम्मिलित हैं— (क) दूतावास में काम करने वाले कर्मचारी — परामर्शदाता, सचिव, सहायक (Attache), दुभाषिये, डाक्टर, पुरोहित। (ख) दूत की वैयक्तिक सेवा में लगे व्यक्ति, जैसे उनका निजी सचिव, उसके बच्चों की शिक्षिका। (ग) उसके परिवार के सदस्य पत्नी, बच्चे। (घ) दूत के नौकर और सेवक। पहले तथा दूसरे वर्ग को दूतों की भाँति अनतिक्रम्यता (Inviolability), राज्यक्षेत्रवाह्यता (Exterritoriality), दीवानी तथा फौजदारी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से उन्मुक्त क अधिकार हूँति है। राजदूत दीवानी मामलों में आवश्यकता पडने पर इनको विशेषाधिकार से वंचित कर सकता है। तीसरे वर्ग में

राजनयिक प्रतिनिधि-राजदूत और विशेष्य दूत

इसकी पत्नी ने या पत्नी दूत हो तो उसके पति को सब विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। बल्की और सम्बन्धियों को दीवानी तथा फौजदारी न्यायालयों में मुक्ति प्राप्त होती है। १९०६ में बेल्जियम में चिली के राजदूत के बेटे वीरिगटन ने इसी दूतावास के अधिकारी हत्या कर दी। बेल्जियम की सरकार ने पहले दूत माफने में कोई कार्यवाही नहीं की। चिली के राजदूत ने अपने साथ घेरे का विशेषाधिकार हटा लिया और चिली की सरकार ने इस पर बेल्जियम में गुणहमा चलाना स्वीकार कर लिया। घरेलू नौकरों और मंत्रकों के सम्बन्ध में जर्मनी के १७०८ के कानून में यह व्यवस्था की गई है कि ये लोग व्यापार न करने तो दीवानी कार्यवाही के क्षेत्राधिकार में मुक्त होते हैं, किन्तु फौजदारी क्षेत्राधिकार में मुक्त नहीं होते। दूतों को अपने अनुयायीवर्य की पुरी सूनी सिंघेस मन्त्रालय को देनी पड़ती है और ब्रिटिश न्यायालय किसी व्यक्ति का कृतनयिक विशेषाधिकार तब तक स्वीकार नहीं करेगा, जब तक उन्हें विदेश मन्त्रालय से इसकी सूचना न मिल जाय। राजदूतों के सदेगमहक (Couriers) दीवानी व फौजदारी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में मुक्त होते हैं, उन्हें विशेष पासपोर्ट दिने जाने हैं, उन्हें अन्य राज्यों में निर्दोष यात्रा (Innocent Passage) का अधिकार होता है, उनके कृतनयिक पत्रों वाले मुहरबन्द बेलों की तलाशी नहीं ली जा सकती।

उन्मुक्तियों का आरम्भ और समाप्ति (Commencement and discontinuance of Immunities)—दूतों के ये विशेषाधिकार उस देश में पहुँचने ही शुरू हो जाते हैं, जिसमें उन्हें नियुक्त किया गया है। किन्तु उनकी समाप्ति उनके दौरे की प्रवधि को समाप्ति के साथ नहीं होती। ये विशेषाधिकार उन समय तक बने रहते हैं, जब तक कि वे अपना कार्य न समेट लें और वापिस स्वदेश न छोट जाय। दूतों को नियुक्त होने पर साथ ही अपनी प्रवधि की समाप्ति पर स्वदेश लौटते हुए अन्य देश में निर्दोष यात्रा (Innocent Passage) का अधिकार है। १०२० अध कें चार्टर के अनुच्छेद १०५ के अनुसार सब के सदस्य-राज्यों के प्रतिनिधियों तथा सब के अधिकारियों को अपना काम करने में निरुद्ध दूतों की भांति विशेषाधिकार देने की व्यवस्था की गई है।

द्वितीय विमनयुद्ध में राजदूतों को अपना काम छोड़ने के बाद बड़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी थीं। इस ध्यान में रखते हुए विद्यमान सम्मेलन में यह व्यवस्था स्पष्ट रूप में की है कि दूतों को देश छोड़ने का तथा अपनी उन्मुक्तियों को तब तक उपयोग करने का अधिकार है जब तक उन्हें इसकी अनुमति ही जाय (अनुच्छेद २६)। उनकी ये उन्मुक्तियाँ मगस्य सगों या युद्ध में भी इसी प्रकार बनी रहेंगी (अनुच्छेद ३६ व ४४)। अपनी विशेषाधिकारपूर्ण स्थिति समाप्त हो जाने पर भी दूतों को उन सभी कामों के सम्बन्ध में उन्मुक्ति प्राप्त रहनी है, जो कार्य उन्होंने दूतमण्डल का सदस्य रहते हुए किये थे। किन्तु यदि उस समय में उन्होंने विशुद्ध रूप से वैयक्तिक नामों—पूँजी के विनिमय, विवाह आदि के नियमों का भंग राजदूत रहते हुए किया हो तो उन्हें विशुद्ध इस विषय में कार्यवाही की जा सकती है।

कई बार राजदूतों की अपनी कार्य समाप्त होने पर अन्य समय द्वितीय व

(Third States) में से होते हुए स्वदेश लौटना पड़ता है। तृतीय राज्य प्रायः राजदूतों को अपने देश में से गुजरते हुए सब सुविधायें तथा उन्मुक्तियाँ प्रदान करते हैं। किन्तु सामान्यतः यह माना जाता था कि यह कार्य सौजन्यवत् (Comity) किया जाता है, तृतीय राज्य विदेशी दूतों को अपने प्रदेश में से गुजरते हुए विनोदाधिकार एवं उन्मुक्तियाँ देने के लिए बाधित नहीं किये जा सकते। **वियना अभिसमय (Vienna Convention)** ने यद्यपि यह तो नहीं कहा कि तृतीय राज्य ऐसा करने के लिये बाध्य है, किन्तु इस विषय में यह नया नियम बनाया है कि यदि कोई विदेशी राजदूत अपने पद पर नियुक्ति के बाद या पद से मुक्ति के अनन्तर उसके प्रदेश में से होकर गुजरता है तो तृतीय राज्य को उस तथा उसके परिवार के सदस्यों को सब सुविधायें और उन्मुक्तियाँ देनी चाहिए तथा इनके राजनयिक पत्रध्यवहार तथा राजनयिक सदेश ले जाने वालों को वही स्वतन्त्रता, सुरक्षण तथा प्रतिलिप्यता देनी चाहिये, जो वे अपने देश में अपने दूतों को प्रदान करते हैं। **वैल्डॉक (Waldock)** ने लिखा है कि ये व्यवस्थायें राजनयिक सम्बन्धों के कानून में महत्वपूर्ण नये नियम हैं।"

दौत्यकार्य की समाप्ति के कारण (Grounds for the termination of Diplomatic mission)—किसी दूत के कार्य की समाप्ति अनेक कारणों से हो सकती है। पहला कारण दूतमंडल भेजने का प्रयोजन पूरा हो जाना है। कई बार दूत किसी राजकीय विवाह, राष्ट्रादरोक्षण आदि में सम्मिलित होने के लिये या किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिये भेजे जाते हैं। इनकी समाप्ति पर इनके कार्य का अन्त हो जाता है। दूसरा कारण राजदूत के प्रत्यक्षपत्र (Letter of Credence) में दी गई उसके दौत्य कर्म की प्रवधि का समाप्त होना है। तीसरा कारण राजदूत को भेजने वाले राज्य द्वारा वापिस बुला लेना है। यह उसने त्यागपत्र देने, उसकी पदोन्नति होने में अथवा दूत भेजने और ग्रहण करने वाले देशों में बिगड़ी कारणों से मतभेद,

२५. मियली—वीलॉ ऑफ़ नेशन्स, पृष्ठ २५२, २५४

यह नियम बनाने तथा राजदूतों को तृतीय राज्यों में से निर्दोष गगन (Innocent passage) का अधिकार देने की व्यवस्था इसलिए करनी पड़ी है कि पहले राज्य कई बार युद्ध के समय इनका उन्मूलन किया करते थे। उदाहरणार्थ, ६ नवम्बर १९१६ को आस्ट्रिया-हंगरी ने यह घोषणा की कि चौएट टानोवस्की (Tarnowski) स० ११० अमरीका में राजदूत बनाया गया है, चौएट को अमरीका जाने के लिये रटरडम के डच अन्तरगाह से उद्यान पर बैठना था। किन्तु वहीं तक पहुँचने के लिये उसे सुरक्षित यात्रा (Safe Conduct) का अर्थय उचन देना पड़ित्य एवं फ्रेंच सरकार ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि उनका यह कहना था कि रटरडम देशों में आस्ट्रिया-हंगरी के दूतवाचन अपने राजनयिक कार्यों से अतिरिक्त (जासूसी आदि) के कार्यों में लगे रहते हैं। उस समय स० ११० अमरीका ने इन दोनों रायों के सम कर्ण का प्रबल विरोध करी हुए कहा कि राजदूतों का आदान-प्रदान करना प्रभुसत्तामन्त्र राज्यों का ऐसा अधिकार है, जो उनमें कभी नहीं छीना जा सकता, युद्धकाल में भी इसका अर्थकरण नहीं हो सकता। इस पर फ्रेंच तथा ब्रिटिश सरकारों को आस्ट्रिया-हंगरी को अपने प्रदेशों में से होकर सुरक्षित रूप से जाने का आश्वासन देना पड़ा (रवर्लियन—पृ० २०६)

राजनीतिक प्रतिनिधि-राजदूत और वाणिज्य दूत

संविधानिक और नवान की वृद्धि होने से होता है। उदाहरणार्थ, दक्षिण अफ्रीका के संविधान ने वहाँ बने हुए भारतीयों के साथ जातीय भेदभाव और पक्षपात की नीति के कारण तथा दुर्भावहार किया, भारत सरकार ने इसके विरुद्ध पत्रिवाद प्रकट करने के लिए १९४६ में वहाँ से अपना हाई कमिश्नर वापिस बुला लिया और उगका कार्य एक छोटे पदाधिकारी को सौंपा। किन्तु दक्षिण अफ्रीका की नीति में कोई परिवर्तन न होने तथा इसके अधिक उन्नत होने पर जुलाई १९५४ में भारत सरकार द्वारा वहाँ का हाई कमिश्नर का कार्यालय भी बन्द कर दिया गया। गोत्रा के प्रश्न पर पुतगानी सरकार द्वारा समझौते को बान बनाना बन्द करने पर भारत सरकार ने जुलाई १९५३ में रिविन में अपना राजदूत वापिस बुला लिया। चौथा कारण राजदूत की मृत्यु तथा पंद्रहवाँ कारण दोनो राज्यों में से किसी एक के शासनाध्यक्ष का परिवर्तन है। भाषेनहाइम ने लिखा है कि स० रा० अमरीका में चुनप अपवा मृत्यु द्वारा राष्ट्रपति का परिवर्तन होने पर वहाँ के राजदूतों के पुराने प्रत्यक्षपथ समाप्त हो जाने है और नये प्रत्यक्षपथ जारी किये जाने है। स्विटजरलैंड में बहुसूत्रीय नायपालिका (Plural Executive) की व्यवस्था होने के कारण राज्य के अल्पसंख्यक की मृत्यु हो जाने पर प्रत्यक्षपथ बंद करने की आवश्यकता नहीं होगी। छठा कारण दोनो देशों में युद्ध छिड़ जाना है इस दशा में दोनों देश अपने दून वापिस बुला लेते हैं। सातवाँ कारण किसी राज्य का अन्य राज्य में विलय (Merger) तथा आठवाँ कारण दूत रहना करने वाले राज्य द्वारा सम्भार अपराध की दशा में उसे बर्खास्त करना है जैसे इंग्लैंड ने नेबोटा और दक्षिण को किया था (दर्शिये पृ० ३४०)।

✓ नववाँ कारण दून स्वीकार करने वाले देश (Acceding State) द्वारा किसी विशेष कारण से इन दूत को दस भेजने बान देग से वापिस बुलाने की माँग करना है। यह तभी होता है जब दून के किसी आपत्तिजनक व्यवहार से राज्य उसका अपने दहाँ रहना चाहतेय नववाँ समझता दून दून भेजने वाले राज्य को उसे वापिस बुला लेने के कारणों का स्पष्टीकरण करता है और उसे वापिस बुलाने का अनुरोध करता है। यह सम्भव है कि दून भेजने वाले राज्य को ये कारण उपयुक्त या पर्याप्त न पतीन हों। इस अवस्था में भी उस राज्य को दूत वापिस बुलाना ही पवता है भले ही वह इन विषय पर अपना अवरोध तथा राजदूत निपुण न करके प्रकट करे और दुतावास में विन्म पर रहने वाले अधिकारियों से ही अपना काय चलाये। कुछ उदाहरणों में यह निम्नलिखित साष्ट हो जायगी।

(क) १८०६६० में स० रा० अमरीका में विन्म स्पेनिय राजदूत पर दह आरोप लगाया गया कि दूत को देश के एक विवाद में स्पेन का पक्ष लेने के लिये एक समाचार-पत्र को घूस दे रहा है।

(ख) १८०८ में स० रा० अमरीका ने वाणिज्य मंत्रिण दून वैरान की वाणिजी की माँग की क्योंकि उसने एक भोज में कुछ आपत्तिजनक बार्ने करी थी। इस पर उसे वापिस बुला लिया गया।

(ग) १९५२ में सोवियत रूस ने स० रा० अमरीका में उसके राजदूत जा

केनन (George Kennan) को वापिस बुलाने की मांग की क्योंकि उसने बर्लिन में पत्र-सम्पादकताशास्त्रो को कुछ ऐसे पत्रपत्र दिए थे, जो रूसी सरकार को अपने प्रतिबन्ध प्रतीत हुए। स० रा० अमरीका ने रूस द्वारा अपने दूत की वापिसी के कारणों को पर्याप्त नहीं समझा। अतः यह निश्चय किया गया कि केनन वापिस आ जाये, किन्तु उसके स्थान पर अभी कोई नया दूत न भेजा जाय, बूलावान का परामर्शदाता ही उसका कार्य करता रहे।

(घ) अक्टूबर १९१४ में सोवियत रूस की गुप्तपुलिस ने अमरीकी दूतावास को कुछ सित्रियों को मास्को में गुण्डालों के लिए पकड़ा। जब अमरीका ने इसका प्रबल विरोध किया तो रूस ने यह मांग की कि अमरीकी दूतावास के सहायरी (Attache) पी पत्नी सोमेटे सोमरलेट (Somerville) को वापिस बुला लिया जाय। सोवियत सभ द्वारा किसी पत्नी का वापिस बुलाने की मांग बड़ी अनोखी घटना थी।

(ङ) २७ जून १९६३ को सोवियत रूस ने पेरू की सरकार से मास्को के चीनी दूतावास के तीन कर्मचारियों को वापिस बुलाने की मांग की क्योंकि उन्होंने चीनी साम्प्रदायी दल का सोवियत रूस की मोति की प्रबल आलोचना करने वाला १४ जून का वृ पत्र रूस में वितरित किया था, जिसके प्रकाशन पर रूसी सरकार ने प्रतिबन्ध लगा रखा था। ३० जून १९४६ को ये सब चीनी स्वदेश वापिस लौट गये।¹¹

स० रा० अमरीका के इतिहास में दूतों के वापिस बुलाने (Recall) के कई मनोरञ्जक उदाहरण हैं। उसमें सबसे प्रसिद्ध नागरिक जेने (Citizen Genet) का है। १७६२ ई० में फ्रेंच सरकार ने इसे स० रा० अमरीका में अपना दूत बनाया। अप्रैल १७६३ में यह अमरीका में चार्ल्स टाउन पहुँचा तथा राष्ट्रपति वॉशिंगटन को अपने प्रत्यक्ष देने के लिये फिलाडेल्फिया जाने के स्थान पर दसने ब्रिटिश जहाजों को लूटने के लिए निजी युद्धपोतों (Privateers) को गन्नाड़ करना आरम्भ किया। यह कार्य अमरीका की स्वतन्त्रता के सर्वथा प्रतिकूल था। अतः सतिरिक्त उसने इन निजी युद्धपोतों द्वारा पकड़े गये ब्रिटिश जहाजों का डकैती के लिये फ्रेंच वाणिज्य दूतावास की ओर से अतिग्रहण स्थापनाय स्थापित किये। जब उसे इन सर्वैय कार्यों को बन्द करने के लिये कहा गया तो उसने राष्ट्रपति वॉशिंगटन की सम्मतिथी के प्रति अक्षता पकट करते हुए राष्ट्रपति की सलाह एवं अधिदार में सबेह प्रवृत्त किया। इस पर स० रा० अमरीका ने फ्रांस से इस दूत को वापिस बुलाने की मांग की। इसका उदाहरण १८४६ में पेरू की राजधानी लीमा में अमरीकी चायैदूत (Charge d'Affaires) जेवेट (Jewett) को वापिस बुलाने का है। पेरू के निदेशमन्त्री मोन्टेन ने इसे एन एम्पे सरकारी पत्र (Peruana) के आदेश की प्रतीतिार्थ भेजा, जिसका उद्देश्य पेरू में अंबेसी वाकियों के अपने नागरिकों की ओर से हस्तक्षेप को रोकना था। इस विषय में जब मोन्टेन और जेवेट में पत्रव्यवहार तथा तो इस जेवेट ने इसे 'वास्तुती तथा वैतिक विभुतिया का सम्मिश्रण' कहा। इस पर बात यहाँ तक बढ़ी कि पेरू ने इस कार्यदूत को वापिस बुलाने

की मांग की। तत्कालीन विदेशमन्त्री जेम्स बुकानन ने इसी प्रसंग में दूतों की वापिसी के निदान्त का प्रतिपादन करते हुए कहा कि यदि दूत उसे ग्रहण करने वाले देश में अपने को अस्वीकरणीय बना लेता है तो उसे वापिस बुताने की मांग स्वीकार कर लेनी चाहिये, यदि ऐसा न किया जाय तो विदेश में भेजने का मुख्य प्रयोजन—मिबतापूर्य सबधों की वृद्धि—सर्वथा चिकन हो जायगी।¹⁷

✓दसवाँ कारण जासूसी के कारण वापिसी की मांग (Recall due to espionage) है। कई बार दूतावास के कर्मचारी अपनी स्वतन्त्रता और उन्मुक्तियों का दुरूपयोग करते हुए गुप्तचर का काम करते हैं और गोपनीय सैनिक सूचनायें अपने देश को भेजते हैं। इस दशा में इनको वापिस बुलाने की मांग करना स्वाभाविक है। ३ नितम्बर १९६३ को दिल्ली की पुलिस ने एक होटल में पाकिस्तान हाई कमिशन के तीन व्यक्तियों को एक भारतीय पाइलट आफिसर से गुप्त सूचनायें प्राप्त करते हुए रंग हाथ पकड़ा दसम पाकिस्तान के हवाई परामर्शदाता विंग कमाण्डर अरफाद भी सम्मिलित थे। भारत सरकार ने इन सब व्यक्तियों की वापिसी की मांग की। इस पर इसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने कराची स्थित भारतीय दूतावास के तीन कर्मचारियों पर जासूसी का आरोप लगाया और उन्हें वापिस बुलाने की मांग की।¹⁸ (८ नितम्बर १९६३)।

✓ग्याहवाँ कारण राजनीतिक मतभेदों की उग्रता के कारण दूतमन्त्र का भग होना है। क्यूबा में काम्स्ट्रो (Castro) की साम्यवादी सरकार स्थापित होने पर उसका म० रा० अमरीका से प्रबल विरोध उत्पन्न हुआ। २ जनवरी १९६१ को काम्स्ट्रो ने अपने एक भाषण में कहा "कि क्यूबा की राजधानी हवाना में म० रा० अमरीका का दूतावास ज्ञान्तिविरोधियों के कार्यो का अड्डा बना हुआ है इसके ३०० कर्मचारियों में से ८० प्रतिशत गुप्तचर का काम कर रहे हैं, ये सरकार के विरोधियों की महापता कर रहे हैं अत इतकी सरना घटाकर केवल ११ कर दी जाय शेष कर्मचारी ४८ घंटे में वापिस बुता लिये जाए।" अमरीकी सरकार ने कहा कि इनने कम कर्मचारियों में काम चलना सम्भव नहीं है इस दशा में वहाँ दूतावास रखने में कोई लाभ नहीं है। अत म० रा० अमरीका ने क्यूबा से दूतमन्त्र भग कर दिये। क्यूबा के साम्यवादी होने के कारण दक्षिण अमरीका के अजण्टायना इनवेडोर आदि १५ देशों ने क्यूबा से राजनयिक सम्बन्ध तोड़ लिये।¹⁹ डोमिनिकन गणराज्य ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति की हत्या के प्रयास (२४ जून, १९६०) में सह्यग दिया था, अत अमरीकी राज्या ने मगटन (Organization of American States) की २१ राज्या के विदेशी मंत्रियों की बैठक (१६-२८ अगस्त १९६०) ने यह निद्वय किया कि अमरीका महाद्वीप के राज्य इमगे अपने राजनयिक सम्बन्ध तोड़ दें तथा इसका आर्थिक दृष्टिकार करें। इस पर सभी

१७ र्वनियन—इण्ट्रोडरशन टू डी लॉ ऑफ़ नेशन, पृ० २५४

१८ डिन्डुग्लान टारगन, १० नितम्बर, १९६३

१९ बीनिगम आर्कोरड, १९६१, पृ० १७९-१०

२०. बीडिंग्टन आर्कोरड, १९६१, पृ० १८७-७७

प्रमरीकी राज्यों ने इससे दूतसम्बन्ध भंग कर लिये।^{११} २६ सितम्बर १९६३ को मलायेशिया मघ का निर्माण हुआ। फिलिप्पाइन और इडोनीशिया इसके प्रबल विरोधी थे, उन्होंने इसके स्थापित होते ही इससे अपना दूतसम्बन्ध विच्छिन्न कर लिया, १७ सितम्बर को मलायेशिया ने भी इन देशों से अपने दूत वापिस बुला लिये।

वाणिज्यदूत (Consuls)—दूसरे राज्यों में अपने व्यापार और वाणिज्य के हितों की सुरक्षा के लिये नियत किये गये प्रतिनिधि वाणिज्यदूत कहलाते हैं। इनका प्रादुर्भाव मध्ययुगीन योरोप के स्पेन, फ्रांस और इटली ने व्यापारिक नगरों में हुआ। आरम्भ में विदेश में रहने वाले व्यापारियों द्वारा अपने वाणिज्य सम्बन्धी विवादों के निपटाने के लिए चुने गये पञ्च जज कामुल (Judges Consul) या कानुल व्यापारी (Consul Merchants) कहलाते थे। १५वीं शताब्दी में हालैण्ड और लण्डन में इटालियन कामुल थे तथा इटली, हालैण्ड, डेन्मार्क, नार्वे और स्वीडन में ब्रिटिश कामुल थे। इसके बाद इन प्रथा में ह्रास होने लगा। किन्तु १९वीं शताब्दी में पुनः इसकी महत्ता का अनुभव किया गया और इस समय शायद ही कोई ऐसा देश हो जो अन्य देशों में अपने वाणिज्यदूत न नियत करता हो। भारत के वाणिज्यदूत योरोप अमरीका, अफ्रीका और एशिया के व्यापारिक महत्व रखने वाले सभी राज्यों में हैं।

वाणिज्यदूत विदेश में अपने राज्य के प्रतिनिधि होते हुए भी दूतनीतिक प्रतिनिधि (Diplomatic Agents) नहीं हैं। इनका प्रधान कार्य अपने देश के व्यापारिक हितों का संरक्षण है, किन्तु इसके साथ वे अपने देश के प्रजाजनों के लिये कुछ अन्य कार्य भी करते हैं, ये इनके विविध प्रकार के कानूनी लेखों, साक्षियों और पक्षों को प्रमाणित करने वाले सार्वजनिक लेखप्रमाता (Public Notary) का काम करते हैं, इन्हें पासपोर्ट देते हैं, इनके विवाह सम्पन्न कराते हैं और उस देश के बन्दरगाहों में आने वाले स्वदेशीय जहाजों के नाविक वर्ग पर पूरा अनुसामन, नियन्त्रण और निरीक्षण रखते हैं।

विदेश में कामुल का राजदूत में एक महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि राजदूत केवल एक व्यक्ति होता है, किन्तु कामुल व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार एक में अधिक संख्या में होते हैं। प्रायः सभी महत्वपूर्ण व्यापारिक नगरों और बन्दरगाहों में एक वाणिज्यदूत अवश्य होता है। इसके मुख्य वर्ग ये हैं—महावाणिज्यदूत (Consul General), वाणिज्यदूत (Council), सहायक वाणिज्यदूत (Vice Consul) वाणिज्य प्रतिनिधि (Consular Agent)। उदाहरणार्थ, भारत सरकार ने विदेशों में पाँच प्रकार के वाणिज्यदूत नियत किए हुए हैं—(क) वेल्जियन कांगो कोपनहेगन दार्मस्टाड में महावाणिज्यदूत (Consul General) है, (ख) अदन, पूर्वी अफ्रीका, फिजी आदि में आयुक्त (Commissioner) है। (ग) बमरा, घलिन, कोत्रे में वाणिज्यदूत (Consul) हैं। (घ) एण्टवर्प, जलालाबाद, कम्हार में सहायक वाणिज्यदूत (Vice-Consul) हैं। (ङ) पहले तिब्बत के तीन नगरों ग्यातसे, गरतोक और यानुग में एजेन्सियाँ थीं। किन्तु १९४९ में तिब्बत में चीनी प्रभुत्व सुदृढ होने के बाद इनका महत्व समाप्त हो गया है।

वाणिज्यदूतों की नियुक्ति दूतों की भाँति प्रत्ययपत्र (Letter of Credence) के द्वारा नहीं होती, किन्तु ये अपनी सरकार के आदेन से नियुक्त किये जाते हैं। यह सरकार इनकी नियुक्ति की सूचना उस देश की सरकार को भेजती है, जहाँ इन्हें नियत किया जाता होता है। वहाँ की सरकार में यह प्रार्थना की जाती है कि वह उन्हें अपने देश में वाणिज्यदूत का कर्तव्य पूरा करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक पत्र जारी करे। यह अनुमतिपत्र Exequatur कहलाता है। यदि सरकार को इस नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं होती तो वह यह अनुमतिपत्र प्रकाशित कर देती है। यदि वाणिज्यदूत स्थानीय नियमों का कोई उल्लंघन करता है तो सरकार इस अनुमतिपत्र (Exequatur) को वापिस ले लेती है।

वाणिज्यदूतों को उस देश की सरकार से, जहाँ उनकी नियुक्ति हुई हो, सीधा पत्र व्यवहार करने का अधिकार नहीं होता। राजदूतों के अभाव में ही उन्हें यही अधिकार दिया जाता है। इनके विशेषाधिकार भी दूतों से कम होते हैं, ये स्थानीय सरकार के क्षेत्राधिकार से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं होते। हालैण्ड (Holland) के कथनानुसार इन्हें राज्यक्षेत्रवाह्यता (Exterritoriality) तथा अनतिक्रम्यता (Inviolability) के विशेषाधिकार नहीं हाने।^{११} ओपेनहाइम (Oppenheim) ने लिखा है कि अपना सरकारी कार्य करते हुए ही इन्हें स्थानीय दीवानी तथा फौजदारी अदालतों के क्षेत्राधिकार में उन्मुक्ति प्राप्त होती है।^{१२} मात्रकल विभिन्न राज्य द्विपक्षीय संधियाँ द्वारा वाणिज्यदूतों के विशेषाधिकारों का निर्धारण करने लगे हैं। सामान्य रूप से इन्हें अपना कर्तव्यपालन करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अधिकार ही दिये जाते हैं। उदाहरणार्थ, इनसे जूरी का काम नहीं लिया जाता, इन्हें सुरक्षा यात्रा (Safe Conduct) का अधिकार होता है इनके सरकारी वागजो तथा पत्र-व्यवहार का निरोधण और तन्वाशी नहीं हो सकती, किसी अपराध का आरोप लगाए जाने पर इन्हें उस समय तक जमानत पर छूटने का अधिकार होता है जब तक कि इनका अनुमतिपत्र (Exequatur) वापिस न ले लिया जाय। कुछ राज्यों में वाणिज्यदूतों को बरो तथा सीमा शुल्क (Custom duties) में भी आंशिक मुक्ति प्रदान की जाती है। सामान्यतः वाणिज्यदूतों के विशेषाधिकार दूतों के अधिकारों को अपेक्षा बहुत कम हैं और इनका स्वरूप उनका मुनिश्चित नहीं हुआ है। स्टार्क ने लिखा है कि राज्यों की वर्तमान प्रवृत्ति राजदूतों तथा वाणिज्यदूतों की सेवाएँ सम्मिलित और संयुक्त करने की है। अनेक राज्यों में एक ही व्यक्ति को दोनों कार्य सँपे जाते हैं। यदि यह प्रवृत्ति बड़ी हो दूतों तथा

११ वाणिज्य दूतावास (Consulates) दूतावास (Embassies) की भाँति पुलिस तथा स्थानीय अधिकारियों द्वारा अप्रवेश्य नहीं समझे जाते। १९४८ में कपेनहिना के मामले में २० १० अमरीका में मोबियन वाणिज्य दूतावास की उपरली इजिल की सिद्धी में एक रूसी स्त्री लीचे मत्क पर वृद्धी थी। उस समय २० १० अमरीका ने इस मामले की नीच के लिए अपनी पुलिस वाणिज्य दूतावास में भेजी थी।

वाणिज्यदूतों के विशेषाधिकारों का अन्तर भविष्य में कम हो जायगा।^{१९}

वाणिज्यदूतविषयक सम्बन्धों का १९६३ का वियना अभिसमय (Vienna Convention on Consular Relations, March 1963)—स० रा० सच की जनरल असेम्बली ने १८ दिसम्बर, १९६१ को एक प्रस्ताव (स० १६८५) पास कर वाणिज्यदूतों के सम्बन्धों के विषय में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया था। इसके अनुसार आस्ट्रिया की राजधानी वियना में ४ मार्च से २३ अप्रैल १९६३ तक एक ऐसा सम्मेलन हुआ, इसने अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग द्वारा इस विषय में तैयार किये गये निम्नों पर विचार-विमर्श करके एक समझौता तैयार किया।^{२०} इसे तैयार करने वाली समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष भारत के प्रतिनिधि श्री के० कृष्णराव थे। इस अभिसमय की महत्वपूर्ण व्यवस्थाएँ निम्नलिखित हैं।

इसमें वाणिज्य दूतावासों के षष्यधों की चार श्रेणियाँ मानी गई हैं—(क) महावाणिज्यदूत (Consul General), (ख) वाणिज्यदूत (Consuls), (ग) उप-वाणिज्यदूत (Vice-Consuls), (घ) वाणिज्यिक अभिकर्ता (Consular Agents)। किन्तु राज्यों को यह अधिकार है कि वे इनसे अधिक एवं विभिन्न प्रकारों के वाणिज्य-दूत भी नियुक्त कर सकते हैं (अनुच्छेद ६)। इसके अनुच्छेद (Article) ३१ में वाणिज्य दूतावास की इमारतों की अनतिक्रम्यता (Inviolability of the Consular premises) का, अनुच्छेद ३२ में इनकी करों से मुक्ति का तथा अनुच्छेद ३३, ३४, ३५ में वाणिज्य दूतावास सम्बन्धी अभिलेखों तथा दस्तावेजों की अनतिक्रम्यता (Inviolability of the Consular Archives and Documents), घूमने-फिरने तथा यात्रा की स्वतन्त्रता तथा पत्र-व्यवहार करने की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त स्वीकार किये गये हैं। इस विषय में वियना सम्मेलन ने वाणिज्यदूतों को राजदूतों जैसे विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ प्रदान की हैं। अनुच्छेद ४१ में वाणिज्यदूताधिकारियों की शारीरिक अनतिक्रम्यता (Personal inviolability), अनुच्छेद ४३ में न्यायिक और प्रशासनात्मक क्षेत्राधिकार से मुक्ति स्वीकार की गई है। इसी प्रकार इन्हें सीमा शुल्कों (Custom duties) से तथा करों से मुक्ति प्राप्त है (अनुच्छेद ४८, ४९)। ये सब अधिकार राजदूतों जैसे हैं। किन्तु स्थानीय क्षेत्राधिकार से इनकी मुक्ति राजदूतों की उन्मुक्ति की अपेक्षा अधिक सीमित तथा मर्यादित है। वाणिज्यदूतों की उन्मुक्तियाँ केवल उन्हीं कार्यों तक सीमित हैं, जो उन्होंने वाणिज्यदूत का कर्तव्य पूरा करने के लिए किये हों, फौजदारी मामलों में स्पष्ट रूप में उन्हें उस राज्य का क्षेत्राधिकार स्वीकार करना होगा, जहाँ वे दूत बनाकर भेजे गये हों (अनुच्छेद ४३)। ये गम्भीर अपराध होने की दशा में ही गिरफ्तार किये जा सकते हैं, जेल में तब तक नहीं भेजे जा सकते जब तक कि इनके मामले का अन्तिम निर्णय न हो जाय। अपने कार्यों से सम्बन्ध न

१९. न्याय—एन इण्ट्रोडक्शन टू इण्टरनेशनल लॉ, पृ० २७६

२०. इसके लिए देखिये—दिव्यना जनरल आफ इण्टरनेशनल लॉ, अप्रैल १९६३,

रखने वाले मामलों में वे गवाही दे सकते हैं। इस विषय में उग अभिगमय की नई व्यवस्था यह है कि यदि वे ऐसे मामलों में गवाही देने से इकार करें तो उन्हें इसके लिये धाबिल नहीं किया जा सकता (अनुच्छेद ४४)।

अभी तक वाणिज्यदूतों के सम्बन्ध में यह स्थिति थी कि वे कुछ स्थानीय प्रयोजनों की पूर्ति के लिए नियुक्त किये जाते थे और उन्हें अपना सीधा सम्बन्ध स्थानीय अधिकारियों (Local authorities) के साथ ही रखना पड़ता था। यदि वे अपने देश की सरकार के साथ कोई पत्र-व्यवहार या सम्पर्क स्थापित करना चाहते थे तो वे यह कार्य अपने देश के राजदूत के माध्यम से कर सकते थे। किन्तु त्रियना अभिसमय ने वाणिज्यदूतों को यह अधिकार प्रदान किया है कि वे उन्हें नियुक्त करने वाले राज्य के नागरिकों तथा सरकार के साथ सीधा पत्र-व्यवहार कर सकते हैं (अनुच्छेद ३६)। त्रियली ने लिखा है कि यह अभिसमय अंतर्राष्ट्रीय कानून में प्रगतिशील विचार के नई नये तत्वों का समावेश करने वाला है।^{११}

सत्रहवाँ अध्याय

सन्धियाँ

(Treaties)

सन्धियों का स्वरूप (Nature of Treaties)—सन्धिया अन्तर्राष्ट्रीय कानून का बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है (देखिए तीसरा अध्याय)। अत्यन्त प्राचीनकाल से ये विभिन्न राज्या के पारस्परिक सम्बन्धा वा नियमन और नियन्त्रण करती रही हैं। आपेनहाइम (Oppenheim) ने इसका लक्षण करते हुए लिखा है—“अन्तर्राष्ट्रीय सन्धिया ऐसे समझौते हैं, जो सविदारमक (Contractual) होते हैं, राज्या अथवा राज्यों के सगठनों के मध्य किये जाते हैं और जो कानूनी अधिकार और बर्तव्य उत्पन्न करते हैं।” स्टार्क (Starke) के शब्दों में ‘सन्धि वा यह लक्षण किया जा सकता है कि यह ऐसा समझौता है जिससे दो या अधिक राज्य आपस में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अधीन सम्बन्ध स्थापित करते हैं या करना चाहते हैं।” राष्ट्रीय कानून में एक व्यक्ति के पास कानूनी कार्य करने के अनेक साधन हैं जैसे सविदा (Contract), सन्त्वान्तर (Conveyance), पट्टा (Lease), अनुज्ञा (Licence)। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में राज्यों के पास विविध प्रकार के कानूनी कार्य करने के लिये सन्धि ही एकमात्र साधन है। राज्य इसी से भौतिक सवैधानिक कानून बनाते हैं, जैसे स० रा० सघ का १६४५ में सैन फ्रान्सिस्को में बनाया गया चार्टर, इसीसे अन्तर्राष्ट्रीय सगठनों का निर्माण करते हैं, अपनी भूमितया अड्डे पट्टे पर देते हैं, सैनिक मंत्रिया करते हैं, वेल्जियम जैसे राज्यों को १८३१ की सन्धि द्वारा तटस्थ बनाया जाता है। विधायक (Law making) सन्धियों द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है।

सन्धि और सविदा (Treaty and Contract)—सन्धि वैयक्तिक कानून की सविदा (Contract) से गहरा सादृश्य रखती है। दोनों में उभय पक्ष की सहमति आवश्यक है। किन्तु इसके साथ ही दोनों में एक बड़ा महत्वपूर्ण अन्तर है। यदि कोई सविदा अनुचित दबाव (Duress) डालकर कराया जाय तो इसकी वैधता समाप्त हो जाती है, किन्तु कोई सन्धि दबाव के कारण अवैध नहीं होती। वसाय की सन्धि इसका सुन्दर उदाहरण है, प्रथम विश्वयुद्ध में परास्त होने पर जर्मनी ने मित्रराष्ट्रों के सैनिक

१. आपेनहाइम—इण्टरनेशनल लॉ, स० १, ८वीं संस्करण, पृ० २६१

२. स्टार्क—एन इंट्रोडक्शन टू इण्टरनेशनल लॉ, ८वीं संस्करण, पृ० २८०; कौटिल्य ने सन्धि का लक्षण करते हुए कहा है—पश्यन्थ सन्धि. (७।६), अर्थात् दो राज्यों के बीच आनसमर्पण, प्रदेश देने आदि की शर्तों (पथ) से रचना सन्धि है।

सन्धि सम्पादन के आठ आवश्यक अंग (Eight Steps in Conclusion of Treaties)—सन्धि करने की कोई मुनिदिबन विधिमाँ नहीं है, फिर भी सन्धि के नियमों के बाध्य रूप से पालन के लिये प्रत्येक सन्धि के सम्पादन में उभरा निम्न आठ अंगों का अनिवार्य होना आवश्यक है। पहला अंग सन्धि चर्चा के लिये विभिन्न देशों के मन्त्रानयों द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रतिनिधि नियम करना (Accrediting of Negotiators) है। इन्हें अपने विदेशमन्त्री से उन कार्य का अधिकार प्रदान करने वाला पूर्णाधिकार (Full Powers, Pleins Pouvoirs) नामक प्रमाण-पत्र दिया जाता है। जब इन पर राजा या शासनाव्यय के हस्ताक्षर हो तो इसे 'विशेष पूर्णाधिकार' (Special Full Powers) कहा जाता है। सन्धि सम्पादन का दूसरा अंग सन्धिवार्ता (Negotiations) है। उसे चार मन्त्रियों या मन्त्रियों के चार हो जाने पर तीसरा अंग हस्ताक्षर (Signature) का होता है यह बहुत ही औपचारिक ढंग में और बड़े समारोह के साथ किया जाता है। इसके पिन मन्त्रियों परित्यक्त का अन्तिम अधिवेशन विशेष रूप से बुलाकर उभरे वर्णक्रम में देशों के विभिन्न प्रतिनिधि एक मेज के पास आकर बारी-बारी से हस्ताक्षर करते हैं, जैसे १९१९ में वर्मान को सन्धि पर विभिन्न देशों ने गोशमहल (Hall of Mirrors) में हस्ताक्षर किये थे। ये हस्ताक्षर राज्यों के प्रतिनिधियों के अनिश्चित ऐसी सन्धि परिपत्र में भाग लेने वाले राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्रों भी करते हैं, जैसे १९१९ की वर्मान की सन्धि पर स० रा० अमरीका के राष्ट्रपति विल्सन ने तथा १९३० के म्यूनिक के समझौते पर ब्रिटिश एव फ्रेंच प्रधानमन्त्रियों ने हस्ताक्षर किये। यदि सन्धि का अनुममर्शन (Ratification) न होना हो तो यह हस्ताक्षर होने के बाद ही लागू हो जाती है, जैसे १९०२ की ऐंगलो-जापानीय मैत्री सन्धि। कई बार सन्धियाँ म यद् कहा जाता है कि वे अनुसमर्शन होने से पहले हस्ताक्षर होने के बाद में ही दोनों पक्षों पर अत्यायी रूप से लागू समझी जायेंगी, जैसे ६ जुलाई, १९५७ की जापान तथा फ्राँस्विना की व्यापार सन्धि। यदि सन्धि का अनुममर्शन होना हो तो प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर होने के बाद भी उनकी सरकारें इस सन्धि को अस्वीकार कर सकती हैं, जैसे स० रा० अमरीका की सरकार ने वसर्त की सन्धि पर इसके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर भी इसे अस्वीकार किया था।

सन्धि सम्पादन का चौथा अंग अनुममर्शन (Ratification) है। यह कई कारणों से उचित जानपड़ता है (क) राज्यों को यह अधिकार होना चाहिये कि वे सन्धि की बाध्यताओं और कर्तव्य स्वीकार करने से पहले अपने प्रतिनिधियों द्वारा मानी गई शर्तों पर पूरी तरह पुनर्विचार कर लें। (ख) राज्य की प्रसूचना उभे किमी सन्धिकी अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त करती है। (ग) प्रायः सन्धियों द्वारा राष्ट्रीय कानून में संशोधन करने आवश्यक होते हैं। हस्ताक्षर के बाद अनुममर्शन के समय तक राज्य को इसके लिये ससद् में आवश्यक स्वीकृति लेने का अवसर मिल जाता है। (घ) लोकतन्त्र के सिद्धान्त के अनुसार सरकार का सन्धि की बाध्यता ग्रहण करने से पहले लोकमन का ससद् द्वारा समर्शन प्राप्त करना आवश्यक है। राज्य चार कारणों के आधार पर सन्धि

को सपुष्ट करने में अस्वीकार कर सकता है—(क) उसके प्रतिनिधि ने अपने अधिकार से बाहर की बात स्वीकार की। (ख) उसके प्रतिनिधि को किसी तथ्य के सम्बन्ध में जान-बूझकर धोखे में रखा गया है। (ग) सन्धि का पालन असम्भव है। (घ) प्रतिनिधि सन्धि की किन्हीं शर्तों से सहमति नहीं रखता था।

पहले अनुसमर्थन को बहुत महत्व दिया जाता था। लार्ड स्टॉवेल ने १८१३ में Ehsa Ann के मामले में लिखा था—'अनुसमर्थन एक उपचार (Formality) है, किन्तु यह आवश्यक उपचार है क्योंकि इसके अभाव में सन्धि लेख की कानूनी प्रामाणिकता अधूरी रहनी है।' किन्तु अब अनुसमर्थन सभी सन्धियों के लिए आवश्यक नहीं माना जाता है और प्रतिनिधियों द्वारा स्वीकार की गई सन्धि के अस्वीकार करने में बड़ा दोष नहीं समझा जाता। त्रियर्नी ने लिखा है—'राज्य के लिए कोई ऐसा कानूनी या नैतिक कर्तव्य नहीं है कि वह अपने पूर्णाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर की हुई सन्धि का अनुसमर्थन करे। इस विषय में इतना ही कहा जा सकता है कि यह बहुत गम्भीर कदम है और उसे हल्केपन से नहीं उठाना चाहिये।'^५

(५) सहमित्तन और अभिलग्नता (Accessions and Adhesions)—कई बार राज्य किसी सन्धि के सम्पन्न हो जाने पर बाद में इसमें सम्मिलित होते हैं। यदि वे उस सन्धि की सब शर्तों और व्यवस्थाओं को स्वीकार कर लेते हैं तो यह सहमित्तन (Accession) कहा जाता है किन्तु यदि वे उस सन्धि की कुछ छोड़ी सी शर्तों को ही स्वीकार करते हैं तो यह केवल उन शर्तों के साथ जुड़ना या अभिलग्नता (Adhesion) कहलाता है। ब्रिटिश परम्परा के अनुसार किसी सन्धि में बाद में सम्मिलित होने वाला राज्य सन्धि करने वाले अन्य राज्यों की भांति सविदा करने वाला पक्ष (Contracting Party) गिना जाता है।

(६) सन्धि का लागू होना (Enforcement of a Treaty)—यह सन्धि की शर्तों पर निर्भर होता है। कई बार यह प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर के बाद ही लागू हो जाती है। किन्तु कुछ सन्धियाँ अनुसमर्थन के बाद लागू होती हैं। अनुसमर्थन वाली सन्धियाँ सम्बद्ध राज्यों के अनुसमर्थन तथा इसके विभिन्न राज्यों में आदान प्रदान (Exchange of Ratifications) के बाद लागू होती हैं। कई बार कुछ अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों के लिए इसका अनुसमर्थन करने वाले छ या दस राज्यों की सख्या निर्धारित कर दी जाती है, जैसे १९३० के राष्ट्रीयता कानून में सघर्ष विषयक हेग अभिसमय में। इस अभिसमय का निश्चित सख्या के राज्यों द्वारा अनुसमर्थन होने पर इसे लागू किया जा सकता था। कई बार किसी सन्धि के लागू होने की शर्त का स्पष्ट रूप से उल्लेख रहता है, जैसे १९२५ की लोकार्मो सन्धि में यह शर्त थी कि यह राष्ट्रसंघ में जर्मनी के प्रवेश पाने के बाद ही लागू होगी।

(७) पंजीकरण और प्रकाशन (Registration and Publication)—स० रा० सघ के चार्टर की धारा १०२ के अनुसार इसके सदस्यों द्वारा की गई सब सन्धियों

लेकर (प्रतिग्रह) रखा जाय तो यह स्थावर मन्थि होती है।^१

आधुनिक विधिशास्त्रियों ने सन्धि के स्वरूप, प्रकृति, प्रभाव, उद्देश्य तथा विषयवस्तु की दृष्टि से सन्धियों के विभिन्न वर्गीकरण किये हैं। ओपेनहाइम (Oppenheim) ने विषयवस्तु की दृष्टि से सन्धियों को दो वर्गों में बाँटा है—(क) कानून बनाने वाली सन्धियाँ (Lawmaking Treaties), (ख) कानून बनाने के उद्देश्य से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए की गई सन्धियाँ। कानून बनाने वाली सन्धियों में १८१५ की वियना कांग्रेस के अन्तिम कानून (Final Act) का उल्लेख किया जा सकता है। इसने स्विट्जरलैण्ड के तटस्थीकरण अन्तर्राष्ट्रीय नदियों में स्वतन्त्र नौचालन, नौग्री दाम व्यापार निषेध तथा दूतों की विभिन्न श्रेणियों के निर्माण के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण नियम बनाये। १८५६ की पेरिस की घोषणा (देखिये, पृ० ११६), रणक्षेत्र में घायल सैनिकों के सम्बन्ध में १८६४, १९०६, १९२९, १९३९ के जेनेवा अभिसमय, १९०७ के हेग अभिसमय (देखिये, पृ० ५१), राष्ट्रमण्डल का विघटन, १९२० में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का परिचय, १९४५ का म० रा० सच का चार्टर द्वाारा प्रस्ताव की कानूनी निर्माण करने वाली सन्धियाँ हैं। कैलसन (Kelsen) ने ओपेनहाइम के इस वर्गीकरण की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि प्रत्येक सन्धि का यह आवश्यक कार्य है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के कुछ नियम बनाये। अतः ऐसी कोई सन्धि नहीं हो सकती, जो कानून निर्माण के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य करे। अतएव यह वर्गीकरण सर्वथा भ्रान्ति-मूलक है।^१

कई बार सन्धियों का उनके उद्देश्य की दृष्टि से वर्गीकरण किया जाता है, जैसे शान्ति सन्धि, मित्रता की सन्धि (Treaty of Alliance), तटस्थता आदि की गारंटी देने वाली सन्धि तथा व्यापार की सन्धि। हॉलैण्ड (Holland) ने विषय की दृष्टि से सन्धियों को पाँच वर्गों में विभक्त किया है—

(क) राजनीतिक (Political)—इसमें शान्ति, सीमा, मित्रता, मान्यता, देशीयकरण (Naturalization) और गारंटी की सन्धियाँ आ जाती हैं।

(ख) व्यापारिक (Commercial)—नौचालन, वाणिज्य तथा मछलीगोहो से सम्बन्ध रखने वाली सन्धियाँ।

(ग) सामाजिक (Social)—विभिन्न देशों में पारस्परिक व्यवहार की सुविधायें बढ़ाने वाली सन्धियाँ, जैसे १८७५ का भार और नाव की अन्तर्राष्ट्रीय पद्धतियों का समझौता, १८७४ का डाकघानों का समझौता।

(घ) दीवानी न्याय (Civil Justice) सम्बन्धी सन्धियाँ, जैसे १८६६ की काफ़ी राइट की, १८८० की पेटेंट और ट्रेडमार्क की सन्धियाँ।

१ कौलिव अर्थशास्त्र ७।१७ सत्य रूपको वाचनः सन्धि । प्रतिभू प्रतिग्रहो वा स्थावर । कौलिव ने अन्तर (७।१) में आग्नि, पुरुषान्तर, आत्मरक्षण आदि सन्धियों की चर्चा की है। इसमें कपालसन्धि की व्याख्या कामन्दक से सर्वथा भिन्न है, उसके मतानुसार जिस सन्धि में समस्त धन लाल लूटने की व्यवस्था रहती है, उसे कपालसन्धि कहते हैं।

२ कैलसन—प्रिन्सिपल्स आफ इन्टरनेशनल लॉ, पृ० ३१६-२०

(ड) फौजदारी न्याय (Criminal Justice) विषयक सन्धियाँ, जैसे भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण (Extraditions) की सन्धियाँ ।

मैकनैयर (McNair) ने सन्धियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है—
(क) स्वत्वान्तर (Conveyance) अर्थात् किसी प्रकार के स्वत्व-परिवर्तन का स्वरूप रखने वाली सन्धियाँ, (ख) सविदा का स्वरूप रखने वाली सन्धियाँ, (ग) कानून बनाने वाली सन्धियाँ—ये दो प्रकार की हैं (अ) वैधानिक कानून बनाने वाली, जैसे स० रा० सघ का चार्टर, (आ) विद्युद्ध कानून बनाने वाली, जैसे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सङ्गठन द्वारा स्वीकार किये गये अभिसमय या १९४८ की मानवीय अधिकारों की घोषणा । (इ) सार्वभौम एक सघ (Universal Union) जैसी मन्थाओं को स्थापित करने वाली सन्धियाँ ।

अवैध सन्धियाँ (Invalid Treaties)—सन्धियाँ कई कारणों से अवैध (Invalid) होती हैं । पहला कारण अन्तर्राष्ट्रीय कानून के परम्परागत नियम या रूढ़ि की तोटना है । १९२८ के केलाग-श्रीआ पैक्ट द्वारा सब राज्यों ने राष्ट्रीय नीति के रूप में युद्ध के परित्याग की घोषणा की थी । दूतों की अवैधता, युद्ध में असैनिकों को न मारना आदि सर्वसम्मत अन्तर्राष्ट्रीय नियम हैं । इनका भंग करने वाली कोई भी सन्धि वैध नहीं हो सकती । कोई देश ऐसी सन्धि नहीं कर सकता जो उसकी पहले ग्रहण की हुई बाध्यताओं के अनुकूल न हो । १८७६ में रूस द्वारा टर्की के साथ की गई सैन स्टीफानो (San Stefano) की सन्धि, १८५६ की पेरिस की सन्धिनया १८६१ के लन्दन सम्मेलन की शर्तों के प्रतिरूप थी । अतः ग्रेट ब्रिटेन ने इसका घोर विरोध किया और अन्त में रूसको १८७८ की बर्लिन सन्धि स्वीकार करनी पड़ी । दूसरा कारण अनैतिक उत्तरदायित्व उत्पन्न करना है, ऐसा करने वाली सन्धि स्वयमेव अवैध हो जाती है । यदि कोई सन्धितोषर पक्ष पर आक्रमण करने के लिए है तो यह बंध नहीं माना जायगी । तीसरा कारण सन्धि की शर्तों की पूर्ति की असम्भाव्यता है । चौथा कारण दबाव, डर या घमकी द्वारा बलपूर्वक सन्धि की शर्तों स्वीकार करना है । ऐसी सन्धि का पालन आवश्यक नहीं होता । सविदा कानून में भी ऐसी शर्तें होती हैं । किन्तु दबाव की बात युद्ध में हारने पर लागू नहीं होती । पाँचवाँ कारण सन्धि के अग्रय घोषा या भ्रान्तिपूर्ण व्यवहार है । कई बार सन्धि सम्मेलनों में सदियों या शहरों की गलत स्थिति बनाने वाले नक़्शे उपस्थित करके दूसरे पक्ष को ठग लिया जाता है । १८५६ की पेरिस की सन्धि में रूस और फ्रांस में वोलगाड नामक शहर के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न हुआ । प्रश्न यह था कि यह रूस को दिया जाय या नहीं । सम्मेलन में पेश किये गए नक्शे में यह शहर नहीं था, अतः रूस को यह शहर नहीं दिया गया । सन्धियों की अवैधता का छूटा कारण इसे करने वालों की कानूनी असमर्थता होती है । सन्धि करने का अधिकार संपूर्ण प्रभुतासम्पन्न राज्या को है । यदि कोई पराधीन (Dependent) राज्य या तटस्थीकृत (Neutralized) राज्य सन्धिकर्ता है तो उसे सन्धि करने का अधिकार न होने में यह सन्धि अवैध हो जाती है । किसी सन्धि की अवैधता का सातवाँ कारण इसकी शर्तों का स० रा० सघ (१९३३) राज्यों पर डाले गये शक्तियों के प्रतिरूप होना है । सघ के चार्टर की धारा १०३ में

यह कहा गया है कि यदि संधि के सदस्यों पर चार्टर द्वारा डाले गये दायित्वों तथा अन्य सन्धियों द्वारा उन पर पड़ने वाले दायित्वों में विरोध हो तो चार्टर वाले दायित्व प्रबल एवं गाननीय समझे जायेंगे।

सन्धि पालन का उपाय (Means of securing performance of treaties)
—प्राचीन काल से सन्धियों के पालन पर बहुत दल दिया जाता है और इसके लिए अनेक उपायों का अवलम्बन किया जाता रहा है। पहला उपाय दोनों पक्षों द्वारा इसके पालन की शपथ लेने का है। कौटिल्य (अर्थशास्त्र ७।१७) ने इसका वर्णन करते हुए कहा है—
पूर्वकालीन राजा अग्नि, जल, सीता (हल या फाल), प्रानार (किले) की ईंट, हाथी का कन्धा, घोड़े की पीठ, रथ पर बैठने का आसन, शस्त्र, रत्न, अन्नादिके बीज, चन्दन आदि सुगन्धित द्रव्य, घृतादि रस, सुवर्ण तथा नवद रपयों का स्पर्श करके शपथ लेते थे, ऐसा करते समय वे कहते थे कि जो सन्धि की बातों का निरादर करे उसे वे वस्तुयें सदा के लिए त्याग दे।^१ प्राचीन भारत में ऐसे विचारकों की कमी नहीं थी, जो शपथ वाली सन्धि को विदेश विश्वसनीय न होने के कारण अस्थिर मानते थे, अतएव इन्हें 'चल सन्धि' कहते थे। किन्तु कौटिल्य का यह मत था कि सत्य और शपथ इदल्लोक तथा परलोक दोनों जगह स्थावर होता है अतः यह स्थायी सन्धि होती है, इस सन्धि का भंग करने पर सन्धिकर्ता को इहलोक में कलक का तथा परलोक में नरकगामी होने का भय होता है।

दूसरा उपाय सन्धि पालन के लिये एक पक्ष द्वारा किन्हीं व्यक्तियों को शरीर-बन्धक या श्रोल (Hostage) रखने का है। कौटिल्य ने दो प्रकार के शरीरबन्धक बताये हैं—पहले तो जामिन (प्रतिभू) बनाये जाने वाले गाँवों के प्रधान आदि व्यक्ति और दूसरा हारे हुए राजा के बन्धुओं तथा मुख्य पुरुषों को अपने यहाँ रख लेना (प्रतिग्रह)। कौटिल्य का यह विचार था कि प्रतिग्रह में राजा को सुयोग्य पुत्र या अमात्य नहीं देने चाहियें (अर्थशास्त्र ७।१७)। दसवीं शताब्दी के अन्त में गजनी का शासक सुबुक्तगीन जयपाल ने सन्धि का पालन कराने के लिये शरीरबन्धक ले गया था।

तीसरा उपाय अपनी चलसम्पत्ति को आधि (Pledge) या गिरवी के रूप में रखना है। पोलैण्ड ने अपने शाही ताज के कुछ रत्न प्रसिया को इस प्रकार आधि में रखे थे। यह प्रथा अब विरकूल समाप्त हो गई है।

चौथा उपाय पराजित राज्य की आमदनी को हर्जाना बमूल करते रहने के लिए सुरक्षित रखना है। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद बर्साय की सन्धि में ऐसी व्यवस्था की गई थी।

पाँचवाँ उपाय 'विजेत्रा' द्वारा 'विजित' में सन्धि पालन कराने के लिये उसके कुछ प्रदेश पर आधिकार रखना है। १८७१ में जर्मन सेनाएँ फ्रांस की भूमि पर उस समय तक बनी रहीं, जब तक कि उन्होंने फ्रांस से युद्ध का हर्जाना नहीं बसूल कर लिया। बर्साय

को सधि में मित्रराष्ट्रों द्वारा कुछ जर्मन प्रदेशों पर उस समय तक अधिकार की व्यवस्था की गई थी, जब तक जर्मनी सधि की कुछ शर्तों का पूरा पालन न करे।

छठा उपाय सधि पालन के लिये कुछ राज्यों द्वारा गारण्टी दिया जाना है। १९२५ की लोकार्बो सधि के पालन की गारण्टी ग्रेट ब्रिटेन ने ली थी।

सातवाँ उपाय सधि तोड़ने वाले देश के विरुद्ध अन्य राज्यों द्वारा सम्मिलित रूप से की गई अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही है। यदि कोई राज्य मादक दवाइयों के सम्बन्ध में किसी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते को भंग करता है तो अन्य राज्य उसके विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाकर उसे सधि पालन के लिए विवश कर सकते हैं।

सधि-विषयक दो सिद्धान्त (Two Principles of Treaties) (क) सधियों की पवित्रता-विग्नान्त राज्यों द्वारा सधियों के पालन का मूल सिद्धान्त सधियों को पवित्र समझा जाना है। रोमन कानून का एक प्रसिद्ध सिद्धान्त है—*Pacta sunt servanda* (राज्यसमया सम्माननीया)। इसका आशय यह है कि राज्यों का एक दूसरे के साथ किये समझौते का आदर करना चाहिए। सधि एक प्रकार की सधिदा (Contract) है, इसमें दोनों पक्ष एक दूसरे को दिये हुए वचन का पालन भ्रमना कर्तव्य समझते हैं। जिस प्रकार वैयक्तिक क्षेत्र में 'प्राण जाय अरु धन न जाई' के वैयक्तिक सिद्धान्त का पालन अभीष्ट समझा जाता है, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इस नियम का पालन आवश्यक है। यदि ऐसा न हो, सधियों को पवित्र और पालनीय न माना जाय तो अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शराजकता मच जाय। राज्यों का यह कर्तव्य है कि उन्होंने सधियाँ द्वारा अपने ऊपर जो दायित्व ग्रहण किये हैं उन्हें पूरी ईमानदारी के साथ निवाहने का प्रयत्न करे। यह सद्भावना (Good Faith) ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार का मूल आधार है। फेनविक (Fenwick) के शब्दों में 'सार्थनिको, धर्मशास्त्रियों तथा विधिशास्त्रियों ने सर्वसम्मति से यह सिद्धान्त स्वीकार किया है कि यदि राज्य द्वारा दिये गये वचन पर भरोसा करना सम्भव न हो, तो समूचे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के सम्बन्ध सकट में पड़ जायगे और कानून की सत्ता लुप्त हो जायगी।' इसी कारण सधियों को पवित्र समझने हुए उनका तोड़ना बड़ा जघन्य कार्य समझा जाता है। जर्मनी ने १९१४ में बेल्जियम की तटस्थता के सधिपत्र को नागज का टुकड़ा बनाते हुए जब उसका उल्लंघन किया तो समूचे सभ्य जगत् ने एक स्वर से उसके कार्य की घोर निन्दा की थी।

बिन्तु कई बार सधि सम्बन्धी परिस्थितियों में परिवर्तन आ जाने पर हममें सशोधन, इसकी उपेक्षा या भग कुछ शर्तों के पूरा होने पर अनुत्त नही समझा जाता। इसका समर्थन रोमन कानून के एक दूसरे सिद्धान्त—*स्थितियों की अपरिवर्तनीयता के आधार पर किया जाता है।*

(ख) स्थिति की अपरिवर्तनीयता (Rebus sic stantibus)—सधिदा के सम्बन्ध में रोमन कानून का एक मौलिक सिद्धान्त यह है कि दोनों पक्ष इसकी शर्तों का पालन करने के लिए उसी समय तक बाध्य है, जब तक इस सधिदा के दिये जाने के समय की वस्तुओं की स्थिति अपरिवर्तनीय बनी रहती है, इसमें कोई मौलिक परिवर्तन नहीं आता। यह उसका *Rebus sic stantibus* अर्थात् वस्तुमा की वर्तमान स्थिति बने

रहने का नियम (वस्तुनामावर्तमानस्थिते) है। यदि सविदा करने के बाद स्थितियों में मौलिक परिवर्तन आ जाय तो इसका पालन आवश्यक नहीं होता है। बीजामी कानून के इस सिद्धान्त को अन्तर्राष्ट्रीय कानून में भी अपना लिया गया है। एक उदाहरण में यह बात स्पष्ट हो जायगी। १८५६ में नीमियन युद्ध में परास्त होने के बाद पेरिस की संधि में हस पर यह प्रतिबन्ध लगाया गया कि वह कृष्णसागर में अपना जगो देडा नहीं रख सकता। किन्तु १८७० में हस ने इस संधि की व्यवस्था को इस आधार पर तोड़ा कि १४ वर्ष पहले की पेरिस की संधि के समय की परिस्थितियों में मौलिक परिवर्तन आ चुका है, वातेबिया और मोल्डेविया के सम्मिलन से कृष्णसागर पर रूगानिया के नये राज्य का निर्माण हो चुका है, लोह की चादरो से ढके जान वाले रणपोतों के नवनिर्माण से समुद्री लडाई का स्वरूप बदल गया है। इन परिवर्तित परिस्थितियों में वह पेरिस की संधि के पालन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

प्रत्येक संधि पालन करने के लिए बनाई जाती है उसमें सदैव यह शर्त अस्पष्ट अथवा ध्वनित (Implied) रूप में विद्यमान रहती है कि राज्य इनका तभी तक पालन करेगा, जब तक उसमें इनके पालन की सामर्थ्य होगी वह अपनी सत्ता को मिटाकर या गहरी क्षति पहुँचाकर इस पूरा नहीं कर सकता, उस अवस्था में उसे यह संधि समाप्त करने का अधिकार है। हाल (Hall) ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है, 'संधि उस समय निरर्थक हो जाती है जबकि यह राज्य के जीवन के लिए सकटपूर्ण तथा उसकी स्तनता के प्रतिफल हो, वदार्ते कि संधि करने समय दोनों पक्षों ने इसके हानिप्रद परिणामों को ध्यान में रखा हा।' काश्मीर के उदाहरण में यह बात स्पष्ट हो जायगी। भारत सरकार ने १९४७ में काश्मीर का भारतीय मध में प्रवेश रबीवार करने हुए यह वचन दिया था कि काश्मीर के भविष्य का निर्णय जनमत सग्रह (Plebiscite) से किया जायगा। पाकिस्तान आज तक भारत सरकार से यह माँग करता है कि वह अपने इस वचन को पूरा करे और काश्मीर का निर्णय जनमत सग्रह में कराये। किन्तु भारत सरकार का यह कहना है कि १९४४ में पाकिस्तान के अमरीका के साथ सैनिक संधियों में आवद्ध होने तथा उममें प्रभूत परिमाण में रणसामग्री प्राप्त करने के कारण स्थिति में मौलिक अन्तर आ गया है, इससे भारत की आत्मरक्षा के लिये एक नवीन सकट उत्पन्न हो गया है। १३ अप्रैल १९५६ को धी नेहरू ने अपने एक भाषण में कहा था—“पाकिस्तान को मिलने वाली सैनिक सहायता ने और उसकी सैनिक सम्भौतों की सध्म्यता ने काश्मीर के जनमत-सग्रह के प्रस्ताव के मूलाधार को नष्ट कर दिया है।”

‘परिस्थितियों की परिवर्तनशीलता’ वडा लचकीला शब्द है और प्राय इसकी उदार व्याख्या के आधार पर बहुधा राज्य अपनी संधियों को भग करते रहते हैं। अतः अन्तर्राष्ट्रीय कानून के आदिर्भाव के समय में ही त्रिधिशालिनियों में इस धन के सम्बन्ध में बडा विवाद रहा है। गोटियस (Grotius) ने लिखा था कि परिस्थिति के परिवर्तन का अर्थ सामान्य रूप से इसका बदलना नहीं, किन्तु संधि करने समय जिन परिस्थितियों

पर विचार किया गया था, उनमें परिवर्तन आना है। वॉटल (Vattel) ने कूटनीतिज्ञों द्वारा इस बात के दुरुपयोग को रोकने के लिये कहा था — “यहाँ केवल वही परिस्थितियाँ आवश्यक होती हैं, जिनके कारण संधि की गई थी, केवल इनमें आने वाला परिवर्तन ही वातुनी तौर से संधि में किये गए किसी वचन का पालन रोक सकता है।” १६वीं शताब्दी में उग्र राष्ट्रीयता का विकास होने से जर्मन लेखकों हेफ्टर (Heffter) तथा ब्लुन्शली (Bluntschli) ने इसकी बड़ी उदार व्याख्या करते हुए कहा कि राज्य को अंगता के अधिकारों तथा कल्याण को क्षति पहुँचाने वाली किसी भी संधि व्यवस्था को तोड़ने का अधिकार है। एक अन्य जर्मन लेखक ट्रीट्चके (Tritschke) ने तो यहाँ तक कहा कि किसी भी राज्य को, अपने भविष्य को दूसरे देशों के साथ बाँधने वाली संधियों के साथ बंधा हुआ नहीं अनुभव करना चाहिए, यदि कोई राज्य यह मानता है कि संधियाँ “वास्तविक राजनीतिक परिस्थितियों को अभिव्यक्त” नहीं करती तो वह दूसरे पक्ष से संधि को रद्द करने की प्रार्थना कर सकता है, इसके अस्वीकृत होने पर वह युद्ध छेड़ सकता है। इटालियन विधिशास्त्री फ्लोर (Fiore) ने इसी दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहा — “ने सभी संधियाँ रद्द सम्भ्रंजनी चाहिये, जो किसी भी राष्ट्र की स्वतन्त्र त्रियाशीलता के विकास में बाधक है या इसके प्राकृतिक अधिकारों के प्रयोग को रोकती है।” इसका अभिप्राय राज्यों को स्वच्छन्द रूप से संधि मग करने की खुली छूट प्रदान करना है, किन्तु आजकल अधिकांश विधिशास्त्री और राज्य इससे सहमत नहीं हैं।

१८७० में जब रूस ने १८५६ की पेरिस की संधि की कृपणनागर में जगो देडा न रत्ने की शर्तें तोड़ने की घोषणा की तो ग्रेट ब्रिटेन ने इसका उग्र प्रतिकार किया। इस विषय पर विचार के लिये सम्बद्ध राज्यों का एक सम्मेलन लन्दन में बुलाया गया। १८७१ की लन्दन की संधि ने अनुमार यद्यपि अन्य राज्यों ने रूस को उपयुक्त प्रतिकार से मुक्त कर दिया, किन्तु इसके साथ ही यह घोषणा की — “राष्ट्रों के वातुन का यह आवश्यक सिद्धान्त है कि कोई भी शक्ति तब तक अपने को किसी संधि की बाधनाओं से मुक्त नहीं कर सकती, इसकी शर्तों का संगोचन नहीं कर सकती, जब तक कि वह मैत्रीपूर्ण सम्झौतों द्वारा संधि करने वाले अन्य राज्यों की सहमति इसके लिए प्राप्त नहीं कर लेती।” श्रियनी ने इस विषय में यह सत्य ही लिखा है, “संधियों की पवित्रता को बनाये रखने की योगेपियन राज्यों की घोषणा खोखली थी क्योंकि ऐसा करते हुए भी उन्होंने रूस के संधिभंग को मान्यता प्रदान की, अतएव इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। १६०८ में आस्ट्रिया हंगरी ने १८७८ की बर्लिन की संधि द्वारा उसे प्रयाप्त के लिये दिये गए बोस्निया हर्सेगोविना के तुर्क प्रान्तों को रूस-जापान युद्ध में पराजित रूस की कमजोरी का लाभ उठाते हुए अपने माघाज्य का भग बना लिया। ग्रेट ब्रिटेन ने इस संधिभंग का विरोध करने हुए पुन सम्मेलन बुलाने का रिप्ल प्रयत्न किया। १६१४ में जर्मनी ने १८३१ की वेल्जियम की तटस्थता की संधि को भंग किया, ग्रेट ब्रिटेन वेल्जियम की रक्षा के लिये प्रथम विद्रुद्ध में सम्मिलित हुआ। इसके बाद जर्मनी में हिटलर का प्रभुत्व स्थापित होने पर जर्मन ने वसाथ की संधि की धाराओं का प्रयोग

तोड़ना शुरू किया। अप्रैल १९३५ में राष्ट्रसंघ ने १८७१ की उपर्युक्त घोषणा की पुनः पुष्टि करते हुए जर्मनी द्वारा वर्साय की सन्धि की सैनिक धाराओं के उल्लंघन की निन्दा की।

प्राधुनिक विधिशास्त्रियों में श्री केलसन अन्तर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में 'स्थिति की अपरिवर्तनशीलता' (Rebus sic stantibus) का सिद्धान्त सर्वथा अस्वीकार करते हैं। 'वस्तुतः इसे अस्तिवादी (Positive) अन्तर्राष्ट्रीय कानून का हिराग सिद्ध करना बहुत कठिन है। १८७१ में लंदन की सन्धि द्वारा स्वीकार की गई घोषणा इस सिद्धान्त का खुला खण्डन है। अब तक किसी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस नियम की सत्ता को पुष्ट नहीं किया।' मैकनेयर (McNair) के मतानुसार—'यद्यपि न्यायालय अन्तर्राष्ट्रीय कानून में प्रायः इसका स्थान अस्वीकार नहीं करते, किन्तु मुझे ऐंमें एक भी मामले का ज्ञान नहीं है, जिसमें किसी अन्तर्राष्ट्रीय अभियोग में इसे स्पष्ट रूप में लागू किया गया हो।' डियर्ली ने लिखा है—'इसे अन्तर्राष्ट्रीय कानून में स्वीकार करने के लिये इसका लक्ष्य बहुत सावधानी से करना चाहिये अन्यथा यह किसी राज्य द्वारा असुविधाजनक समझी जाने वाली सन्धियों को तोड़ने का वहाना हो जायगा।' इन सिद्धान्त का क्षेत्र बहुत ही सीमित है।'

स्टार्क ने इसे अन्तर्राष्ट्रीय कानून की पहली बताया है।' उसके मतानुसार इसका क्रियान्वित होना बड़ा अनिश्चित है। इसके स्वरूप के सम्बन्ध में कानूनी सम्मति में अभी एकरूपता नहीं आई। इस समय किसी राज्य को इसे एकपक्षीय रूप से स्वयमेव लागू करने का अधिकार नहीं है। यह १८७१ की लंदन की घोषणा तथा अप्रैल १९३५ के राष्ट्रसंघ के प्रस्ताव से स्पष्ट है। आजकल यह अशुद्धा समझा जाता है कि इस सिद्धान्त का प्रयोग करना चाहने वाला राज्य सन्धि करने वाले अन्य राज्यों से सन्धि रद्द करने की या समाप्त करने की प्रार्थना करे। टर्की ने १९३६ में इसी उपाय का अवलम्बन किया था। १९२३ में लोजान की सन्धि द्वारा वास्फोरस तथा डार्डेनेल्स जलडमरूमध्यों के सम्बन्ध में एक समझौता हुआ था, हिटलर के अभ्युत्थान से योरोप की राजनीतिक रिश्तों में बहुत अन्तर आ गया, अतः टर्की ने अन्य राज्यों से लोजान की सन्धि समाप्त करने की प्रार्थना की। अन्य राज्यों ने इसे स्वीकार करते हुए १९३६ में इन जलडमरूमध्यों के बारे में मोन्त्रो (Montreaux) का नया समझौता किया। सन्धि रद्द करने का दूसरा उपाय यह है कि दोनों पक्ष अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को अपना मामला निर्णय के लिए सौंप दें।

आपेनहाइम ने इस सिद्धान्त का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा है^{१३}—'स्थिति की अपरिवर्तनशीलता (Clasula Rebus sic stantibus) का सिद्धान्त किसी राज्य

४. केलसन—प्रिन्सिपल्स ऑफ इंटरनेशनल ला, पृ० ३५४-३०

१०. डियर्ली—दी लॉ आफ नेशनस, पृ० २४०-६४

११. स्टार्क—एन इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ, पृ० ३११-१८

१२. आपेनहाइम—इंटरनेशनल लॉ, स० १

को यह अधिकार नहीं प्रदान करता कि वह परिस्थितियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन घटित होते ही यह घोषणा करे कि वह सन्धि की बाध्यताओं से मुक्त है। किन्तु परिवर्तन से उसे यह अधिकार मिलता है कि वह सन्धि करने वाले अन्य राज्यों से इसकी बाध्यता से मुक्ति की माँग कर सके। अनएव जब कोई राज्य यह समझता है कि परिस्थितियों के मौलिक परिवर्तन के कारण किसी सन्धि की बाध्यतायें उसके लिए असह्य हो गई हैं तो इसका उचित मार्ग यह है कि वह पहले सन्धि करने वाले दूसरे राज्यों से यह प्रार्थना करे कि वे इस सन्धि को रह करने के लिये तैयार हो जाय। यदि अन्य राज्य इस प्रार्थना को स्वीकार करने तथा विवादग्रस्त प्रश्न को न्यायालय को सौंपने के लिए तैयार नहीं होते तब प्रार्थना करने वाले राज्य के लिये यह घोषणा करना न्यायपूर्ण होगा कि वह अपने अपने को इस सन्धि से बचा हुआ अनुभव नहीं करता। न्यायिक निर्णय के लिये इस विवाद को सौंपने की बात अस्वीकार करना अपने आप में इस बात की उपरिदर्शी (*prima facie*) साक्ष्य है कि स्थिति की अपरिवर्तनीयता के सिद्धान्त की दुहाई जानबूझकर लिये जाने वाले सन्धिभंग को छिपाने का आपराण्य मान है या सन्धि से लाभ उठाने वाला राज्य अपनी सत्ता का कानूनी आधार खो देने वाली सन्धि को बलपूर्वक लागू करने के लिए तुला हुआ है।”

सन्धियों की समाप्ति (Termination of Treaties) — सन्धियों की समाप्ति दो प्रकार से हो सकती है—(क) कानून की प्रक्रिया (Operation) द्वारा, (ख) सन्धिकर्त्ता राज्यों के कार्य द्वारा। पहले प्रकार के पाँच मुख्य रूप ये हैं—(१) द्विपक्षीय सन्धि में एक पक्ष की समाप्ति, म० रा० अमरीका की सरकार ने १८०५ ई० में ट्रिपोली से एक सन्धि की। १६११ में इटली ने ट्रिपोली को अपने राज्य का अंग बना लिया, ट्रिपोली के राज्य की समाप्ति से उसकी अमरीका के साथ की हुई सन्धि का अन्त हो गया। (२) दो देशों में युद्ध छिड़ जाने पर उनकी पारस्परिक सन्धियाँ कुछ अंशों में समाप्त हो जाती हैं। आगे इस पर प्रकाश डाला जायगा। (३) सन्धि करने की स्थिति में परिवर्तन आने पर (*Rebus sic stantibus*) सन्धि समाप्त की जा सकती है, इस का ऊपर बर्णन हो चुका है। (४) पाँच या दस वर्ष की निश्चित अवधि के लिये की गई सन्धियाँ अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाती हैं। (५) यदि किसी सन्धि या समझौते के लागू होने के लिये राज्यों की सख्या नियत हो तथा अनेक राज्यों द्वारा सन्धि के प्रतिपाद के कारण इसे मानने वाले राज्यों की मख्या नियत सख्या में कम हो जाय तो यह सन्धि समाप्त हो जाती है।

राज्यों द्वारा सन्धिभंग के दो ही रूप हैं पहला रूप दोनों पक्षों के पारस्परिक समझौते द्वारा सन्धि का समाप्त करना है। दूसरा रूप एक राज्य द्वारा किसी सन्धि के अवसोयन की घोषणा (Denunciation) है। स्टार्क के शब्दों में अवसोयन का अर्थ एक राज्य द्वारा दूसरे राज्यों को यह सूचना देना है कि वह इस सन्धि की बाध्यताओं (Obligations) से मुक्त होना चाहता है।” कई बार सन्धियों में उक्त अवसोयन

की विधि का वर्णन होता है। ऐसा न होने पर सब सबद्ध दलों की सहमति से अवसायन किया जाता है। किन्तु एकपक्षीय अवसायन (Unilateral denunciation) भी होते हैं। हिटलर ने १६ मई १९३५ की वर्साय संधि की जर्मनी को निरास्त्रीकरण करने वाली धाराओं के अवसायन की घोषणा की थी।

संधियों पर युद्ध छिड़ने का प्रभाव (Effects of War on Treaties)—इस विषय में दो परस्पर विरोधी दृष्टिकोण हैं। पहला दृष्टिकोण स्टार्क जैसे विधिशास्त्रियों का है जो संधियाँ को नद्वर और मगुर समझता है। उसका मत यह है कि युद्ध छिड़ते ही संधियों की सब बाध्यताएँ समाप्त हो जाती हैं। किन्तु वाइल्डमैन (Wildman) के मतानुसार शान्ति संधि की शर्तें स्थायी होती हैं और कभी भंग नहीं होती। वस्तुतः सचार्ड इन दोनों विरोधी दृष्टिकोणों के बीच में है। संधियों पर पड़ने वाला युद्ध का प्रभाव बहुधा संधियों के स्वरूप पर निर्भर होता है। इस दृष्टि में संधियों के दो भेद किये जाते हैं—(क) युध्यमान (Belligerents) तथा अन्य राज्यों के बीच में की गई संधियाँ। (ख) युध्यमान देशों के मध्य की गई संधियाँ।

(क) युध्यमान (युद्धकारी) तथा अन्य देशों में विभिन्न प्रकार की संधियाँ हो सकती हैं। पहला प्रकार कानून निर्माण करने वाली (Law making) संधियों का है (देखिये वृ० अफ्याय)। पेरिस की घोषणा जैसी संधियाँ सब राज्यों के लिए कानून बनाती हैं और इन पर युद्धों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्वास्थ्य, सफाई मादक द्रव्यों आदि के सम्बन्ध में किये गये समझौते युद्धों में भी बने रहते हैं। दूसरा प्रकार युद्ध संचालन के सम्बन्ध में की गई संधियाँ हैं। १८६४ तथा १९०६ के जेनेवा अभिसमयों में बीमारों और घायलों के तथा १८६६ और १९०७ के हेग अभिसमयों (Conventions) में लड़ाई के नियम बनाये गये थे। ये नियम युद्ध के समय में भी लागू रहते हैं। तीसरा प्रकार विभिन्न राज्यों की मंत्रीसंधियाँ (Treaties of Alliance) हैं, ये युद्ध छिड़ने पर समाप्त हो जाती हैं। चौथा प्रकार व्यापारिक संधियों का है, ये युद्धकारी राज्यों के बीच समाप्त हो जाती हैं, किन्तु अन्य राज्यों के बीच यथापूर्व चलती रहती हैं।

केवल युद्धकारी देशों में होने वाली संधियों के भी कई प्रकार हैं। पहला प्रकार स्थानीय मामलों वाली, सीमाओं, देशीयकरण (Naturalization), मान्यता आदि की संधियाँ हैं। ये युद्ध छिड़ने पर भी बनी रहती हैं। दूसरा प्रकार राजनीतिक और मंत्रीसंधियों का है, ये युद्ध आरम्भ होने के साथ समाप्त हो जाती हैं। तीसरा प्रकार प्रत्यर्पण (Extradition) और व्यापारिक संधियों का है युद्ध छिड़ने पर ये स्थगित हो जाती हैं और युद्ध के बाद पुनः चालू हो जाती हैं।

संधियों की व्याख्या के सामान्य सिद्धान्त (General Principles of Interpretation of Treaties)—कई बार दो राज्यों में हुई संधि के शब्दों ने वास्तविक अभिप्राय पर गम्भीर मतभेद उत्पन्न हो जाता है। इसका समाधान करने के कई साधन हैं। पहला प्रधान साधन अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय है। स्टार्क के कथनानुसार इसका अस्ती प्रतिज्ञा कार्य संधियों की व्याख्या करना रहा है। "अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (I L O)

जैसे स० रा० सघ के सगठन भी सगभौतो तथा सन्धियों की व्याख्या करते हैं। दूसरा साधन इस कार्य के लिये विशेष रूप से नियुक्त की हुई विधिशास्त्रियों की समितियाँ होती हैं। तीसरा साधन अभिसमय (Convention) करते हुए इसके साथ इसकी व्याख्या करने वाले प्रोटोकॉल (Protocol) का जोड़ा जाना है। कई बार सन्धियों के अनेक भाषाओं में सम्पन्न किये जाने से भी विवाद उत्पन्न होते हैं। बहुपक्षीय अभिसमय (Multilateral Conventions) प्रायः अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों भाषाओं में किये जाते हैं और इसमें दोनों रूपों को समान प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। १९३७ का गन्दन का खाइ समझौता चार भाषाओं—अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और रशियन में हुआ था। १९४५ का स० रा० सघ का चार्टर पाँच भाषाओं—अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश और चीनी में तैयार किया गया था। सघ के चार्टर की अनुच्छेद मध्या १११ के अनुसार इसके पाँचो रूपांतर समान रूप में प्रामाणिक हैं।

सन्धियों की व्याख्या करते हुए सामान्यतः सविदा (Contract) की व्याख्या वाले नियमों का अनुसरण किया जाता है। प्रोशियस के समय से इन नियमों पर विधिशास्त्री सूक्ष्म विचार कर रहे हैं। प्रोशियस ने इनकी व्याख्या में दोनों पक्षों के सन्धि के समय के इरादों को महत्व दिया था। ग्राजकल स्टार्क और आपेनहाइम^{१५} के मतानुसार सन्धियों की व्याख्या के मुख्य नियम निम्नलिखित हैं :—

(१) व्याकरणोप व्याख्या और दोनों पक्षों का इरादा (Grammatical interpretation and the intention of parties)—सन्धि के शब्दों को भाषा के व्याकरण के नियमों के अनुसार उनके सामान्य और स्वाभाविक अर्थ में लेना चाहिये। किन्तु यदि व्याकरणोप व्याख्या (Grammatical Construction) से अर्थ का अनर्थ होता हो या यह सम्बद्ध पक्षों के इरादों से भिन्न अर्थ देती हो तो इसे अस्वीकार करना चाहिये। व्याख्या की सबसे बड़ी कमीटी सन्धि करते समय दोनों पक्षों का सुस्पष्ट (Ostensible) इरादा है। यदि हम समय किसी पक्ष ने अपने मन में कोई बात रखते हुए सन्धि की है तो बाद में इस मुप्त इरादों के आधार पर सन्धि की व्याख्या नहीं हो सकती।

(२) सन्धि का उद्देश्य और प्रकरण (Object and Context of Treaty)—यदि किसी सन्धि के कुछ शब्दों या वाक्यांशों के अर्थ में मन्देह हो तो इनकी व्याख्या सन्धि के सामान्य उद्देश्य (Object) के अनुसार प्रकरण (Context) को देखते हुए की जायगी।

(३) तर्कानुकूलता तथा सबद्धता (Reasonableness and Consistency)—सन्धियों की व्याख्या में शब्दों तथा वाक्यांशों के अनेक अर्थ होने पर तर्कानुकूल तथा सन्धि की विभिन्न धाराओं में मेल खाने वाले अर्थ को ही ग्रहण किया जाना चाहिये। सबद्धता के सिद्धान्त का अर्थ यह भी है कि शब्दों की व्याख्या वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय

कानून के सिद्धान्तों के अनुकूल होनी चाहिये। उदाहरणार्थ, अन्तर्राष्ट्रीय कानून राज्यो की प्रभुसत्ता (Sovereignty) को बहुत महत्व देता है। सधि करते समय राज्य अपनी प्रभुसत्ता पर न्यूनतम प्रतिबन्ध लगवाना चाहते हैं। यदि किसी सधि के शब्द द्व्यर्थक (ambiguous) हो, इनमें से एक अर्थ उसकी प्रभुसत्ता को अधिक मर्यादित करने वाला हो और दूसरा कम मर्यादित करने वाला हो तो उपर्युक्त सिद्धान्त के अनुसार प्रभुसत्ता पर कम प्रतिबन्ध लगाने वाली व्याख्या स्वीकार की जायेगी। इसी प्रकार यदि सधि की एक व्याख्या किसी पक्ष पर कम उत्तरदायित्व डालती है और दूसरे पर अधिक दायित्व डालती है तो पहली व्याख्या सही मानी जायेगी। यदि सधि में सामान्य और विशेष व्यवस्थाओं में मतभेद हो तो विशेष व्यवस्थाएँ ही सामान्य व्यवस्थाओं को नियन्त्रित करेंगी। यह रोमन कानून के (Lex specialis derogat generali) नियम (विशेष सामान्य बाधते) के अनुरूप है।

(४) प्रभावशालिता का सिद्धान्त (The Principle of Effectiveness)—
स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस पर बल देते हुए कहा है कि प्रत्येक सधि को ऐसी व्याख्या प्रदान की जानी चाहिये, जो समग्ररूप में इस सधि को 'प्रभावशाली और उपयोगी' बनाये। बहुपक्षीय समझौतों में उन्हें कार्यरूप में परिणत करने वाली व्यवस्थाओं के विषय में यह सिद्धान्त विशेष रूप से लागू होता है।

(५) बाह्य सामग्री की सहायता (Recourse to Extrinsic Material) —
सामान्य रूप से न्यायालय किसी सधि की व्याख्या के लिये उसके मूल पाठ (Text) को महत्वपूर्ण मानते हैं, कई बार सधि के शब्दों से स्पष्ट विरोध न होने की दशा में व्याख्या के लिये निम्नलिखित प्रकार की बाह्य सामग्री से सहायता ली जाती है—(क) सधि से सम्बन्ध रखने वाला पुराना इतिहास और ऐतिहासिक प्रमाण। (ख) सधि की तैयारी होने का कार्य (Travaux preparatoires), जैसे सधि का प्रारूप (Draft), सधि सम्मेलन के वाद-विवाद। सधि का मूल पाठ अस्पष्ट होने पर ही इनसे सहायता ली जाती है। गुप्त सधियों, समझौतों या सधि चर्चा में रद्द किये गये प्रस्तावों को इस व्याख्या में कोई महत्व नहीं दिया जाता।

(६) जब सधि के नियम स्पष्ट और निश्चित हो तो इनकी व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती। १९०१ में स० रा० अमरीका तथा ग्रेट ब्रिटेन में हे पॉन्सेफोटे (Hay-Pauncelote) सधि द्वारा पानामा नहर के बारे में व्यवस्था की गई कि यह "इन नियमों का पालन करने वाले सब राष्ट्रों के व्यापारिक और लड़ाकू जहाजों के लिये समानता के आधार पर खुली रहेगी।" स० रा० अमरीका का यह दावा था कि 'सब राष्ट्रों' में वह इस नहर का निर्माता और स्वामी होने के कारण नहीं आता, वह इसमें अपने जहाजों के लिये विशेषाधिकारों का परित्याग नहीं कर सकता। ग्रेट ब्रिटेन का कहना था कि सधि के शब्द स्पष्ट और निश्चित हैं, उनकी व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं है।

(७) सधि के शब्दों और उद्देश्य में विरोध होने पर शाब्दिक व्याख्या को अधिक विस्तृत और व्यापक रूप में ग्रहण किया जाता है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण

यूट्रेक्ट (Utrecht) की संधि की एक व्यवस्था से दिया जा सकता है। इसमें यह ब्रूहा गया था कि इन्चकं के बन्दरगाह और किलेबन्दियों को नष्ट कर दिया जाय तथा दुवारों न बनाया जाय। संधि के शर्तों के अनुसार फ्रांस ने इसे नष्ट कर दिया, किन्तु इसमें तीन मील की दूरी पर मर्यादिक (Mardyck) नामक स्थान पर नया बन्दरगाह और किला बनाना गुरु कर दिया। ग्रेट ब्रिटेन ने इसका उग्र विरोध किया, फ्रांस द्वारा की गयी शान्दिक व्याख्या को सन्धि के उद्देश्य के विरुद्ध बताते हुए उसे उगर्णुक्त शब्दों की बुद्धिप्राह्य (Reasonable) एवं अधिक उदार व्याख्या के अनुसार नय बन्दरगाह के निर्माण का कार्य बन्द करने को कहा। फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन की यह बात माननी पडी।

(द) उदार व्याख्या (Liberal Interpretation) — १९३३ में फेक्टर व० सोबन हाइमर (Factor v Laubenheimer 290 U S 276) के मामले में न्यायालय ने यह सिद्धांत तय किया था — “यदि एक संधि की दो व्याख्यायें उतम रीति में हो सकती हो एक व्याख्या संधि के अधिकारों को सीमित करती हो, दूसरी इन अधिकारों को विस्तृत करती हो तो अधिक उदार व्याख्या को ग्रहण किया जाना चाहिये।” इस मामले में न्यायालय ने इस सिद्धान्त के आधार पर दोनों देशों की प्रत्यर्पण की संधि की अधिक उदार व्याख्या स्वीकार की थी।

(६) नई बार संधियों में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो दोनों देशों के स्थानीय प्रयोग में विभिन्न अर्थ रखते हैं। इन अवस्था में वह संधि जिस देश में लागू होनी होती है, वहाँ के स्थानीय प्रयोग का ही अर्थ व्याख्या में ठीक माना जाता है। हाल में इस विषय में आस्ट्रिया और इटली की १८६६ की संधि का उदाहरण दिया है। इसमें हस्तान्तरित प्रान्तों के निवासियों (inhabitants) को इन प्रदेशों में हटने का अधिकार दिया गया था। निवासी शब्द का आस्ट्रियन तथा इटालियन कानून में विभिन्न अर्थ था, यह व्यवस्था आस्ट्रिया पर लागू होनी थी, अतः इसका आस्ट्रियन अर्थ स्वीकार किया गया।

(१०) संधि की व्याख्या करते हुए उसके समग्ररूप का ध्यान रखना चाहिये। आयोनिपन जहाजों के मामले में डॉ० बार्शिंगटन ने इस पर बहुत बात ब्रूहा था। स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने १९३७ में वेल्जियम और हालैण्ड की १८६३ की संधि पर विचार करते हुए कहा था — “इस संधि द्वारा उत्पन्न किया गया वास्तव इसकी सब व्यवस्थाओं को एक दूसरे के साथ सम्बद्ध करने का परिणाम है। यह एक पूरी समष्टि है, इसकी कुछ व्यवस्थाओं को अलग व्यवस्थाओं से पृथक् करके उन्हें स्वतन्त्र रूप में नहीं सोचा जा सकता।”

(११) संधियों की व्याख्या में जहाँ द्विपक्षीय वा अतिपक्षीय अर्थ उत्पन्न करे, वहाँ इसे स्वीकार नहीं करना चाहिये।

(१२) यदि संधि की किसी धारा का उद्देश्य न्याय (Equity) प्रदान करना हो तो इसकी बहुत सखीएँ व्याख्या नहीं करनी चाहिये।

(१३) संधि की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिये कि वह उसके प्रयोजन और उद्देश्य को प्राप्ति बढाने वाली हो।

(१४) संधियों की व्याख्या छल-कपट से रहित होनी चाहिये ।

स्वार्त्जनबर्जर (Schwartzenberger) ने व्याख्या के उपर्युक्त नियमों को चार वर्गों में बाटा है सर्वप्रथम संधि के मूलपाठ की व्याकरणोय व्याख्या (Grammatical Interpretation) होनी चाहिये । यदि यह सन्तोपजनक न हो, शब्दों का अर्थ सदिग्ध हो तो इसकी क्रमबद्ध व्याख्या (Systematic Interpretation) होनी चाहिये । इसके लिये संधि के विभिन्न अंशों को एक दूसरे के साथ सम्बद्ध करते हुए व्याख्या करनी चाहिये । जब इसमें भी काम न चले तो ऐतिहासिक व्याख्या (Historical Interpretation) का सहारा लेना चाहिये । संधि होने के समय की ऐतिहासिक परिस्थितियों पर विचार करते हुए इसकी व्याख्या करनी चाहिये । चौथा प्रकार कार्यात्मक व्याख्या (Functional Interpretation) का है । इसका यह अभिप्राय है कि संधि की व्याख्या उन प्रयोजनों और कार्यों को देखते हुए की जानी चाहिये, जिनकी पूर्ति के लिये संधि की गई थी ।”

अठारहवाँ अध्याय

संयुक्त राष्ट्र संघ

(United Nations Organization)

संघ के विचार का उद्भव और विकास (*Origin and Development of the Idea*)—द्वितीय विश्वयुद्ध के भीषण नरमेघ और विस्फोट के ताण्डव ने विचारशील व्यक्तियों को मानवजाति की रक्षा के लिए शांति को सुरक्षित बनाये रखने वाले एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण की तीव्र आवश्यकता अनुभव करायी। पश्चिमी योरोप तथा स० अमरीका में इसके लिये विद्यमान राष्ट्र संघ से एक भिन्न संगठन बनाना कई कारणों से आवश्यक ममभा गया। पहला कारण अमरीकी मोनेट द्वारा राष्ट्र संघ की योजना की अस्वीकृति थी। ऐसी संस्था को स० रा० अमरीका द्वारा अपनाना सम्भव नहीं था। दूसरा कारण राष्ट्र संघ की परिषद् द्वारा १९३९ में सोवियत यूनियन का इससे निष्कासन था। भारतको का ऐसी संस्था में सम्मिलित होना असम्भव था, जिसे उसने अपनी मददगारता में पृथक् कर दिया था। तीसरा कारण राष्ट्र संघ के साथ लगी हुई बदनामी और उसके सचिवालय की कुछ भौतिक नृटियाँ थी, इनका निराकरण राष्ट्र संघ में भिन्न एक नई तथा अधिक शक्तिशाली नवीन संस्था से ही हो सकता था।

इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिये १९४४ में वाशिंगटन के निक्ट डम्बर्टन ओक्स में ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत रूस और चीन के प्रतिनिधि एकत्र हुए। इन्होंने इस नई संस्था के विभिन्न अंग, पुरानी लीग के अंगों की भाँति, एक असेम्बली, सुरक्षा परिषद्, सचिवालय और अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय रखे। इसके अनतिरिक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय द्वारा किये जाने वाले कार्यों को अधिक क्षमतापूर्वक करने के लिये एक आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (*Economic and Social Council*) बनाने का तथा शांति स्थापित करने वाली, अन्तर्राष्ट्रीय सहायक सेनाओं की व्यवस्था के लिये सैनिक स्टाफ समिति के निर्माण के सुझाव दिये गये। इस समय पहली बार इस संस्था के सम्बन्ध में पश्चिमी राष्ट्रों और रूस के कुछ मतभेद प्रकट हुए। रूस इस संस्था को महाप्राक्तियों के निर्णयों पर सहमति प्राप्त करने का तथा प्रचार करने का साधन मात्र समझता था, वह इस पूंजीवादी (बुजुर्ग) राष्ट्रों में भरी संस्था में अपना प्रभाव बनाये रखने के लिये बंटों या निर्बंधाधिकार चाहता था। उसका यह कहना था कि केवल इसी प्रकार महाप्राक्तियों में शान्ति को स्थायी बनाये रखने वाली एकता बनी रह सकती है। वाशिंगटन मिडान्त रूप में कीटों से सहमत था, किन्तु इसे मर्यादित करना चाहता था। इस सम्मेलन में इस प्रश्न का कोई अन्तिम फैसला नहीं हो सका। याल्टा सम्मेलन में स्ट्रुचेव और ताराकिन ने

इस पर यह समझौता किया कि सुरक्षा परिषद् प्रक्रिया सम्बन्धी (Procedural) मामलों में ११ सदस्यों में से ७ के बहुमत से तथा अन्य आवश्यक विषयों (Substantive matters) में सात स्वीकारात्मक मतां (Affirmative votes) से कार्य करे। इसमें सुरक्षा परिषद् के पाँचो सदस्यों-न० रा० अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत यूनियन, फ्रांस और चीन की सहमति तथा एकमति (unanimity) होनी चाहिये। संयुक्त राष्ट्र सभ के विधान (चार्टर) को अन्तिम रूप सान फ्रांसिस्को सम्मेलन (२५ अप्रैल-२६ जून १९४५) में दिया गया। यहाँ पर तैयार किया गया चार्टर २४ अक्टूबर १९४५ में लागू हुआ और इसकी पहली बैठक जनवरी १९४६ में लन्दन में हुई। इसी वर्ष दिसम्बर में जॉन डी० राक्फेलर द्वारा मैनहेट्टन (न्यूयार्क) के मध्य में दान दिये गये स्थान में इसका स्थायी मुख्य कार्यालय रखने का निश्चय हुआ।

संयुक्त राष्ट्र सभ के उद्देश्य और प्रयोजन (Object and Purpose of U. N O) — संयुक्त राष्ट्र सभ का चार्टर राष्ट्र सभ के प्रतिज्ञापत्र की अपेक्षा अधिक विस्तृत है, इसमें दस हजार शब्द, १११ धाराएँ तथा १६ अध्याय हैं। इसके आरम्भ में ही इसके उद्देश्यों का वर्णन है। इसका पहला उद्देश्य मानवजाति की भावी सन्ततियों को युद्ध की विभीषिका से मुक्ति प्रदान करना, अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाये रखना है और इस दृष्टि में शांति को सकट में डालने वाले सभी कार्यों के विरोध के लिये प्रभावशाली सामूहिक उपायों का प्रहण करना है तथा शांति को भंग करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों का न्याय तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धान्त के आधार पर शान्तिपूर्ण उपायों से हल करना है। इसका दूसरा उद्देश्य सब राष्ट्रों में मंत्रीपूर्ण सम्बन्धों का बढाना है, इसका आधार सभ लोगों का समानाधिकार तथा आत्मनिर्णय का सिद्धान्त होना चाहिये। तीसरा उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानवतावादी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के हल करने में सब देशों का सहयोग प्राप्त करना, मानवीय अधिकारों के प्रति सम्मान बढाना तथा जाति, लिंग, भाषा या धर्म का भेदभाव किये बिना सब को मौलिक स्वतन्त्रताये प्राप्त कराना है। चौथा उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सभ को ऐसा केन्द्र बनाना है, जो इन सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिये विभिन्न राष्ट्रों द्वारा किये जाने वाले कार्यों में सामञ्जस्य स्थापित कर सके।

मौलिक सिद्धान्त (Basic Principles) — सभ के चार्टर की धारा २ में इसके निम्नलिखित मौलिक सिद्धान्त बताये गये हैं — (१) इसका प्रधान आधार छोटे-बड़े सब देशों की समानता और सर्वोच्च सत्ता का सिद्धान्त है। उदाहरणार्थ, इसमें रूस और संयुक्त राज्य अमरीका जैसे बड़े राज्यों का तथा नौरू जैसे अभी स्वतन्त्र हुए छोटे राज्यों का दर्जा समान माना जाता है, उन्हें बराबर सत्ता में प्रतिनिधि भेजने। इसकी सब कार्यवाहियों में भाग लेने तथा वोट देने के अधिकार एक जैसे हैं। (२) प्रत्येक सदस्य से यह आशा रखी जाती है कि वे चार्टर द्वारा उन पर लागू होने वाले दायित्वों का पालन पूरी ईमानदारी से करें। (३) सभी सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा शान्तिपूर्ण साधनों से करेंगे। (४) सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सभ के उद्देश्यों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेंगे, वे किसी देश की स्वतन्त्रता का हनन करने की या आक्रमण

करने की न तो धमकी देंगे और न ऐसा कार्य करेंगे। (५) कोई भी देश चार्टर के प्रतिज्ञाल काम करने वाले देश की सहायता नहीं करेगा। (६) स० रा० सघ इसका सदस्य न बनने वाले राज्यों से भी अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने वाले सिद्धान्तों का पालन करायेंगा। (७) स० रा० सघ किसी देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

सदस्यता (Membership)—सघ के चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्र इसके आरम्भिक सदस्य थे। नये सदस्य पाँच स्थायी सदस्यों सहित सुरक्षा परिषद् के बहुमत की सिफारिश पर तथा असेम्बली के दो तिहाई बहुमत से बनाये जा सकते हैं। सदस्य बनने के लिये किसी देश का शांतिप्रिय होना, चार्टर की बाध्यताओं को स्वीकार करना तथा इन्हें पूरा करने के लिए समर्थ होना है। पाँच स्थायी सदस्यों में से कोई भी किसी नये सदस्य को अपने वोटों (निर्णयधिकार) से सघ में प्रविष्ट होने से रोक सकता है।

इसके सब सदस्यों के अधिकार समान समझे जाते हैं। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस चार्टर के अनुसार अपने दायित्वों और कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी में करेंगे, इसके सब सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय विवाद का समाधान शांतिपूर्ण रीति से इस प्रकार करेंगे कि इससे अन्तर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और न्याय खतरे में न पड़ें। सब सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में किसी देश की प्रादेशिक अखण्डता भंग करने के लिये न तो शक्ति प्रयोग करने की धमकी देंगे और न शक्ति का प्रयोग करेंगे। वे कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे, जो संयुक्त राष्ट्रों के प्रयोजनों के अनुकूल न हो। सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र सघ को एसी प्रत्येक कार्यवाही में सब प्रकार की सहायता देंगे, जो वर्तमान चार्टर के अनुसार हो तथा संयुक्त राष्ट्र सघ जिस राज्य के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रहा हो, उसे कोई मदद नहीं देंगे। संयुक्त राष्ट्र सघ का किसी राज्य के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। यद्यपि इसका सदस्य न बनने वाले राज्यों पर चार्टर के दायित्व और धन लागू नहीं होते, फिर भी यदि वे शांति का भंग करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र सघ उनके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। सदस्य न बनने वाले राज्यों को भी अपने अन्तर्राष्ट्रीय विवाद सुरक्षा परिषद् के सामने लाने का अधिकार है। वे सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर सामान्य असेम्बली द्वारा निर्दिष्ट की गई शर्तों के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में सम्मिलित होने का भी अधिकार रखते हैं।

संयुक्त राष्ट्र सघ के अंग (Principal Organs of U N O)—सघ के चार्टर की धारा ७ के अनुसार इसके छ अंग हैं—(१) सामान्य असेम्बली (General Assembly), (२) सुरक्षा परिषद् (Security Council), (३) आर्थिक और सामाजिक परिषद् (Economic and Social Council), (४) न्याय परिषद् (Trusteeship Council), (५) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, (६) सचिवालय (Secretariat)।

सामान्य असेम्बली (General Assembly)—इसमें संयुक्त राष्ट्र सघ के सभी सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य-राज्य को इसमें ५ प्रतिनिधि तथा ५ वैकल्पिक

प्रतिनिधि (Alternate delegates) भेजने का अधिकार है, किन्तु वह वोट एक ही दे सकता है। इसका अधिवेशन वर्ष में एक बार सितम्बर महीने के तीसरे बृहस्पतिवार से प्रारम्भ होता है। इसके विशेष अधिवेशन महामन्त्री सुरक्षा परिषद् की अध्यक्षता स० रा० सघ के सदस्यों के बहुमत की प्रार्थना पर बुला सकता है। ऐसे विशेष अधिवेशन पैलेस्टाइन की समस्या पर २८ अप्रैल से १५ मई १९४७ को तथा १६ अप्रैल से १४ मई १९४८ को बुलाये गये, मध्यपूर्व की स्थिति पर १ से १० नवम्बर १९५६ को तथा हंगरी की स्थिति पर ४ से १० नवम्बर १९५६ को किये जा चुके हैं। असेम्बली का कार्य ७ मुख्य समितियों में बँटा हुआ है, प्रत्येक सदस्य इनमें अपना एक प्रतिनिधि भेज सकता है। ये समितियाँ इस प्रकार हैं—(१) राजनीतिक और सुरक्षा समिति, इसके कार्य में शस्त्रास्त्रों का निगन्त्रण भी सम्मिलित है। (२) आर्थिक और वित्तीय समिति, (३) सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक समिति, (४) न्यास समिति (Trusteeship Committee), (५) प्रशासनात्मक तथा बजट समिति, (६) कानूनी समिति (७) विशेष राजनीतिक समिति। इनके अतिरिक्त दो अन्य प्रक्रियात्मक (Procedural) समितियाँ होती हैं—(१) सामान्य समिति—इसका कार्य असेम्बली की तथा इसकी समितियों की कार्यवाहियों में समन्वय स्थापित करना होता है। (२) प्रमाणपत्र समिति, (Credentials Committee)—यह प्रतिनिधियों के प्रमाणपत्रों की जाँच करती है।

असेम्बली प्रत्येक अधिवेशन के लिये अपना सभापति चुनती है। इसके आठवें अधिवेशन के लिये भारत की प्रतिनिधि श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित सभापति चुनी गई थी। इसके महत्वपूर्ण नियुक्त दो तिहाई बहुमत से तथा अन्य नियुक्त सामान्य बहुमत से होते हैं। महत्वपूर्ण विषय निम्नलिखित हैं—शान्ति और सुरक्षा सम्बन्धी सिफारिशों, मदद्यों का प्रवेश या निष्कासन, ट्रस्टीशिप के विषय, सघ के अन्य अगो के सदस्यों का चुनाव।

असेम्बली वर्तमान चार्टर के क्षेत्र के अन्तर्गत विभी भी विषय पर विचार कर सकती है। इसके प्रमुख विचारणीय विषय ये हैं—नि शस्त्रीकरण तथा शस्त्रनियन्त्रण के सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने में सहयोग के सामान्य सिद्धान्त, संपुक्त राष्ट्र सघ के सदस्य अथवा सदस्येतर किसी राज्य द्वारा दएने सगश उपस्थित किये गये शान्ति और सुरक्षा सम्बन्धी प्रदन, सघ के विभिन्न अगो की शक्तियों तथा कार्यों से सम्बन्धित प्रश्न, सुरक्षा परिषद् की वार्षिक तथा विशेष रिपोर्टों पर विचार, बजट पर विचार तथा अनुमोदन, विभिन्न देशों द्वारा सघ के व्यय को वहन करने का अनुपात।

सामान्य असेम्बली निम्नलिखित बातों के अध्ययन की व्यवस्था करती है तथा उस पर अपनी सिफारिश देती है—(क) राजनीतिक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, अन्तर्राष्ट्रीय कानून के क्रमिक विकास और महिनाकरण को प्रोत्साहित करना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, जाति, लिंग, भाषा या धर्म का भेद निये जिना सबको मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रतायें दिलाने में सहायता देना। मूल चार्टर में यह व्यवस्था थी (धारा १२) कि सुरक्षा परिषद् जब किसी झगडे या परिस्थिति पर विचार कर रही हो तो

उसके सम्बन्ध में असेम्बली तब तक कोई सिफारिश नहीं करेगी, जब तक स्वयं सुरक्षा परिषद् उससे ऐसा करने को न बहे। किन्तु जब सुरक्षा परिषद् में महाशक्तियों द्वारा वीटो के प्रयोग से गतिरोध उत्पन्न होने लगा तो असेम्बली ने १९५० में अपने पाँचवें अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास किया कि जब सुरक्षा परिषद्, ऐकमत्व न होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति स्थापित रखने के अपने प्रधान उत्तरदायित्व को पूरा न कर सके और शान्ति भंग के भय या आक्रमण की आशंका हो तो असेम्बली इस विषय पर फौरन विचार करके सदस्यों को शान्ति बनाये रखने के सामूहिक उपायों की सिफारिश करेगी, यदि शान्ति भंग या आक्रमण की आशंका हो तो वह अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखने के लिये सैनिक कार्यवाही के प्रयोग की सिफारिश भी कर सकती है। इस प्रस्ताव में असेम्बली के अधिकार और प्रभाव में बड़ी वृद्धि हुई है।

छोटी असेम्बली (Little Assembly)—१९४७ तक सुरक्षा परिषद् में स्थायी महासमित्तियों के उप विरोध और वीटो के प्रयोग के कारण ऐसा गतिरोध उत्पन्न हो गया कि सुरक्षा परिषद् से युद्ध और आक्रमणों की आशंका से भयभीत विश्व को सुरक्षा पाने या शान्ति बनाये रखने की आशाओं का पूरा होना अशक्य प्रतीत हुआ। अतः सामान्य असेम्बली ने इस नवीन परिस्थिति का हल करने के लिये १३ नवम्बर १९४७ को "अन्तरिम समिति (Interim Committee)" नामक एक नया महायुक्त अंग स्थापित किया, इस सामान्य रूप से छोटी असेम्बली कहा जाता है। यह असेम्बली का सामान्य अधिवेशन न होने की दशा में उसके अधिचार-क्षेत्र में आने वाले प्रश्नों पर विचार करती है, इसके लिये इसे जांच वमीरान नियत कराने, आवन्वयक अन्वेषण कराने और महामंत्री की असेम्बली का विशेष अधिवेशन बुलाने की सिफारिश करने का अधिकार है। इसकी स्थिति सुस्पष्ट करने के लिये सामान्य असेम्बली ने यह भी निश्चय किया कि छोटी असेम्बली चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद् के दायित्वों का भी ध्यान रखेगी। सामान्य असेम्बली ने प्रत्येक सदस्य को इसमें एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। इस प्रकार यह जनरल असेम्बली से बहुत छोटी, उमका पचमास और नदा अधिवेशन में रहने वाली स्थायी सस्था है। प्रारम्भ में यह दो बार एक-एक वर्ष के लिये बनानी गई। नवम्बर १९४९ में इसे अनिश्चित अवधि के लिये पुनः स्थापित किया गया। किन्तु यह तथा उसके समर्थक देश इससे धोर विरोधी थे। १९५२ में वाद इसकी वीटो बैठक नहीं हुई।

शान्ति के लिये एकता (Uniting for Peace) प्रस्ताव (३ नवम्बर १९५०)—सुरक्षा परिषद् में वीटो के प्रयोग में उत्पन्न गतिरोध को दूर करने का दूसरा प्रयत्न यह प्रस्ताव था। यह वस्तुतः सौरवियन रुम द्वारा बार-बार नियुक्त अधिकार के प्रयोग में उत्पन्न परिस्थिति का प्रतिहार करने के लिये और कोरिया युद्ध में चीनी फौजों के हमले की सूचना, कोरिया की सयुक्त वमात में उपदठर होने में दो दिन पूर्व पास किया गया था। जून १९५० में कोरिया के प्रश्न पर सुरक्षा परिषद् ने वीटो तेजी से कार्यवाही की थी। इसका कारण यह था कि उस समय सौरवियन रुम स० राष्ट्र मध के युद्ध अंगों की बैठकों का जानबूझकर बहिष्कार कर रहा था, क्योंकि सभ ने

पेंकिंग की कम्यूनिस्ट सरकार को अपना सहाय बनाना स्वीकार नहीं किया था। अगस्त १९५० में रूस ने इस बहिष्कार की नीति को छोड़कर सुरक्षा परिषद् को बैठको में भाग लेना शुरू किया, इससे यह स्पष्ट था कि कोरिया के मामले में वह किसी भी कार्यवाही में अड़नेबाजी करेगा, इसका हल करने के लिये तथा वीटो के प्रयोग से उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करने के लिए अमरीका की ओर से यह प्रस्ताव रखा गया कि ऐसी स्थिति में जनरल असेम्बली को विचार करने और आवश्यक कार्यवाही करने का अधिकार दिया जाय। जनरल असेम्बली में वीटो न होने के कारण वहाँ इस प्रकार की अड़नेबाजी नहीं हो सकती थी। रूस ने यद्यपि इसका इस आधार पर धार विरोध किया कि इससे सुरक्षा परिषद् की सत्ता क्षीण हो जायेगी, फिर भी यह 'अकेसन योजना' (Acheson Plan) पास हो गई।

इसके अनुसार सुरक्षा परिषद् के वीटो विहीन सात सदस्यों के वोट से या सभ के सदस्यों के बहुमत से, २४ घण्टे का नोटिस देकर जनरल असेम्बली का आवश्यक विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। यदि सुरक्षा परिषद् आपसी मतभेदों के कारण शान्ति भंग की अथवा आक्रमण की आशंका को या आक्रमण को रोकने में अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती, तो असेम्बली उस विषय पर फौरन विचार करके "सामूहिक उपायों" के लिए अपनी सिफारिश दे सकती है और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने के लिए फौजी कार्यवाही का भी निर्देश कर सकती है। इस प्रस्ताव में अन्तर्राष्ट्रीय तनाव वाले क्षेत्र में स्थिति का निरीक्षण करने और रिपोर्ट देने के लिये १४ व्यक्तियों के शान्ति निरीक्षण आयोग (Peace Observation Commission) की व्यवस्था थी और इसके तीसरे (सी) भाग में सदस्यों से यह प्रार्थना की गयी थी कि वे अपनी सेनाओं का कुछ विशेष भाग इस दृष्टि से प्रशिक्षित, संगठित और सुमज्जित करें कि वह सुरक्षा परिषद् या जनरल असेम्बली की सिफारिश पर समुक्त राष्ट्र सभ की सेना के रूप में फौरन सेवा के लिए उपलब्ध हो सकें।

यह प्रस्ताव सभ के विधान में बड़ा शान्तिकारी परिवर्तन लाने वाला है। इसने जनरल असेम्बली को सुरक्षा परिषद् से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। पहले स० रा० सभ का केन्द्र सुरक्षा परिषद् थी, अब इसने यह गौरवास्पद स्थान असेम्बली को प्रदान किया है। इससे वीटो की समाप्ति तो नहीं हुई, किन्तु उससे उत्पन्न गतिरोध को दूर करने का हल निकल आया है। यद्यपि सुरक्षा परिषद् इस विषय में केवल सिफारिश ही करती है और इनका मानना सदस्यों की इच्छा पर है और इन्हें न मानते हुए भी सदस्य चार्टर का उल्लंघन नहीं करते, जैसे भारत और सोवियत गृह ने कोरिया युद्ध में चीनी हस्तक्षेप के सम्बन्ध में असेम्बली की सिफारिश नहीं मानी थी, फिर भी ये सिफारिशें बड़ा महत्व रखती हैं। नवम्बर १९५६ में मिश्र पर इजराइल, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस का आक्रमण होने पर जनरल असेम्बली के विशेष अधिवेशन ने इस प्रस्ताव के अनुसार कार्य करते हुए सफलतापूर्वक शान्ति स्थापित की।

१९४९ से सुरक्षा परिषद् की तुलना में जनरल असेम्बली का महत्व बढ रहा है। इसमें १११ राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के ममानता के आधार पर सम्मिलित होने के

कारण तथा उनके स्वतन्त्र रूप में अपनी विकसित, प्रस्ताव और सुझाव रखने के कारण इसे विश्व का उन्मुक्त अन्तःकरण (Open conscience of the world) कहा जाता है। इसमें "अणुबम से लेकर मानवीय कल्याण, भोजन, कपडों और आवास स्थान" तक की सभी समस्याओं पर विचार होता है। स्टार्क के कथनानुसार यह बात उल्लेखनीय है कि जनरल असेम्बली ने अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा सम्बन्धी प्रश्नों के समाधान में प्रधान भाग लिया है। इसने संयुक्त राष्ट्र सभ के समक्ष तापे कुछ मुख्य प्रश्नों पर विचार करके पेलेस्टाइन, यूनान, स्पेन और कोरिया के सम्बन्ध में कार्यवाही की है। पेलेस्टाइन के त्रिपक्ष में इसने १९४६ में तत्पक्ष अन्वेषण की विशेष समिति नियत की, १९४८ में यहूदियों तथा अरबों के विवाद के निर्णय के लिए पहले मध्यस्थ नियुक्त किया और बाद में समझौता आयोग बनाया।"

सुरक्षा परिषद् (Security Council)—चाट्टर के पाँचवें अध्याय की धारा २३ में ३२ तक सुरक्षा परिषद् के सगठन, कार्यों, अधिकारों तथा मतदान पद्धति का वर्णन है। इस परिषद् के १५ सदस्य होते हैं, इनमें चीन, फ्रांस, सोवियत रूस, ग्रेट ब्रिटेन तथा स० रा० अमरीका स्थायी सदस्य हैं, इस अस्थायी सदस्य दो वर्ष के लिए जनरल असेम्बली के दो-तिहाई बहुमत से चुने जाते हैं, दो वर्ष की अवधि समाप्त होने पर किसी सदस्य को पुनः चुनाव के लिए लड़ा होने का अधिकार नहीं है, प्रत्येक सदस्य का परिषद् में एक प्रतिनिधि होता है। अस्थायी सदस्य प्रायः विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने की दृष्टि से चुने जाते हैं, इनमें प्रायः दो सेंटिन अमरीका राज्यों के प्रतिनिधि, एक ब्रिटिश राष्ट्र मण्डल का प्रतिनिधि और एक कम्युनिस्ट देशों का प्रतिनिधि होता है। स० रा० सभ का कोई भी सदस्य अपने देश से सम्बद्ध विषय उपस्थित होने पर इसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है (धारा ३२), किन्तु उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता। १९५७ ५८ में सुरक्षा परिषद् में काश्मीर का प्रश्न उपस्थित होने पर भारत और पाकिस्तान ने इसकी कार्यवाही में इसी प्रकार भाग लिया था।

सुरक्षा परिषद् का सगठन इस प्रकार का बनाया गया है कि वह लगातार काम करती रहे, अतः सभ के मुख्य कार्यालय में सुरक्षा परिषद् के प्रत्येक सदस्य के एक प्रतिनिधि का बना रहना आवश्यक है (धारा २८)। सुरक्षा परिषद् का मुख्य उत्तरदायित्व "अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखना है" (धारा २४)। इसे अन्तर्राष्ट्रीय संपर्क और विवाद उत्पन्न करने वाली किसी भी परिस्थिति या भगड़े की जांच का पूरा अधिकार दिया गया है। इसमें सामान्य रूप से कानूनी विवाद नहीं आते, क्योंकि इनका निर्णय अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सभ के सब सदस्य इस बात पर सहमत हैं कि वे "वर्तमान चाट्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद् के सब निर्णयों को स्वीकार करेंगे, एवं पालन करेंगे" (धारा २)। सुरक्षा परिषद् द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय भगड़े के शान्तिपूर्ण निपटारे के सम्बन्ध में धारा ३३ में ३८ तक अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को मजबूत

में डालने, इसे भंग करने तथा आक्रमण रोकने की कार्यवाही के सम्बन्ध में धारा ३६ से ५१ तक विस्तृत वर्णन है। यह परिपद अपने निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए सदस्यों को पहने तो ऐसे उपायों को व्यवहार में लाने के लिए कहती है जिनमें सेना के उपयोग की आवश्यकता न हो। यदि ये उपाय अपर्याप्त हो तो परिपद "अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने या फिर से स्थापित करने के लिए" जल, थल, वायु-सेनाओं की सहायता से आवश्यक कार्यवाही कर सकती है (धारा ४२)। समुक्त राष्ट्र सभ के सब सदस्य यह वचन देते हैं कि "अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनाये रखने में सहयोग देने के लिये सुरक्षा परिपद के माँगने पर और विशेष सम्झौतों के अनुसार वे अपनी सशस्त्र सेनाएँ, सहायता तथा अन्य सुविधाएँ प्रस्तुत करेंगे (धारा ४३)। सुरक्षा परिपद "सशस्त्र सेनाओं को उपयोग में लाने की योजनाय" एक सैनिक स्टाफ समिति की सलाह और महायता से बनायेगी (धारा ४४)। यह सैनिक स्टाफ समिति (Military Staff Committee) सुरक्षा परिपद को निम्न विषयों में सहायता और परामर्श देगी— अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखने की सैनिक आवश्यकताएँ, इस समिति के आधीनसेनाओं का प्रयोग और कमान, शस्त्रों का नियन्त्रण, सभावित निःशस्त्रीकरण (धारा ४६)। इस समिति के सदस्य सुरक्षा परिपद के स्थायी सदस्यों के सैनिक स्टाफों के अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि होंगे। सुरक्षा परिपद को उपयोग के लिए दी गई सशस्त्र सेनाओं का सामरिक सञ्चालन, सैनिक स्टाफ समिति के हाथ में होगा और यह परिपद के आधीन होगी (धारा ४७)। सुरक्षा परिपद जो भी कार्यवाही तय करेगी, उसे पूरा करने में सब सदस्य सामूहिक रूप से एक दूसरे को सहयोग देंगे (धारा ५०)।

सुरक्षा परिपद की ये व्यवस्थाएँ राष्ट्रसभ के पुराने प्रतिनापत्र से मौलिक भेद रखती हैं, उसमें आक्रमणों को रोकने के लिए सैनिक स्टाफ समिति जैसा कोई संगठन नहीं था। सुरक्षा परिपद ने कोरिया के युद्ध में इन धाराओं का उपयोग किया था, ७ जुलाई तथा २७ जुलाई १९५० को पास किये प्रस्तावों में उत्तर कोरिया के आक्रमण की निन्दा करते हुए सदस्यों को इसके विरोध के लिए सेनाएँ देने और अन्य सहायता करने को कहा गया था। कई बार समुक्त राष्ट्र सभ द्वारा किन्हीं सदस्यों पर आक्रमण होने की दशा में उसे सहायता पहुँचाने में किन्हीं कारणों से निवृत्त हो सक्ता था, अतः धारा ५१ में उसे उस समय तक आत्मरक्षा (Self-defence) का अधिकार दिया गया है, "जब तक सुरक्षा परिपद स्वयमेव अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के लिए कोई कार्यवाही नहीं करती।" इसके अतिरिक्त चार्टर ने शान्ति बनाये रखने के लिए प्रादेशिक व्यवस्थाओं संगठनों, संधियों, सम्झौतों की भी अनुमति इस शर्त पर दी है कि ये स० रा० सभ के प्रयोजनों और सिद्धान्तों से मेल खाते हों (धारा ५२) और सुरक्षा परिपद के आधीन ही अपनी सारी कार्यवाही करें और इसकी सूचना सुरक्षा परिपद को भेजते रहें (धारा ५३)।

वैटो (Veto)—चार्टर की धारा २७ में सुरक्षा परिपद में मतदान की प्रणाली का वर्णन है। इसके अनुसार प्रक्रिया सम्बन्धी (Procedural) विषयों में परिपद के निर्णय मात्र सदस्यों के स्वीकारात्मक (Affirmative) मत से किये जायेंगे। प्रक्रिया सम्बन्धी विषयों का आक्षेप ऐसे मामलों से है जिनमें सुरक्षा परिपद की बैठक के समय

या स्थान का निर्णय करना, इसके राहायक श्रमों की स्थापना, कार्यवाही चलाने के नियम और सदस्यों को बैठक में सम्मिलित होने के लिए निमन्त्रित करना आदि हो। इसके अतिरिक्त सब विषय सारवाण (Substantive) या महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। ऐसे विषयों के निर्णयों के लिए सात सदस्यों के स्वीकारात्मक सात वोटों के साथ पाँच म्याचों सदस्यों के स्वीकारात्मक वोट भी होने चाहिये। यदि इन पाँच में से किसी का विवादास्पद भाग में सम्बन्ध है तो यह बाँट नहीं देगा। इस व्यवस्था के अनुसार यदि पाँच सदस्यों में से कोई एक भी किसी महत्वपूर्ण निर्णय के विपक्ष में वोट देता है, तो यह विषय अस्वीकृत समझा जायेगा। यही निपेधाधिकार या वीटो की सुपमिद्ध व्यवस्था है। सुरक्षा परिषद में पहले ७ वर्षों में इसका पचास बार प्रयोग हुआ, जिनमें से केवल एक बार फ्रान्स ने किन्तु ४६ बार सोवियत रूस ने इसका प्रयोग किया।^१ इसका प्रयोग प्रायः सघ में नये सदस्यों का प्रवेश रोकने के लिए तथा विवादों के शान्तिपूर्ण निपटारे के विषय में हुआ है। सामान्यतः यह कहा जाता है कि वीटो की व्यवस्था बड़ी दोषपूर्ण है। इसमें कोई एक महाशक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य सभी सदस्यों द्वारा चाही जाने वाली व्यवस्थाओं को ठप्प कर सकती है अतः वीटो की हानिकारक व्यवस्था का उन्मूलन अथवा संशोधन होना चाहिये।

इस प्रश्न की समुचित मीमांसा के लिए वीटो व्यवस्था की पृष्ठभूमि पर विचार करना आवश्यक है। द्वितीय विश्वयुद्ध के अन्तिम समय में नवीन अन्तर्राष्ट्रीय संगठन पर विचार करते हुए राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इस व्यवस्था को इसलिए आवश्यक समझा था कि युद्ध के बाद ऐसे संगठन की तभी सफलता मिल सकती थी, जबकि इसे सब महाशक्तियों का सहयोग प्राप्त हो। राष्ट्रपति की दूरदृष्टि ने यह अनुभव कर लिया था कि सोवियत रूस या स० रा० अमरीका जैसे बड़े देशों के लिए एक ऐसे संगठन में भाग लेना सम्भव नहीं है, जिसमें अन्य राष्ट्र केवल अपने बहुमत के बल पर ही महाशक्तियों को किसी कार्य के लिए बाधित करे। इसे रोकने का एक मात्र उपाय वीटो था। महाशक्तियों के सहयोग के बिना विश्व संगठन की कोई व्यवस्था सफल नहीं हो सकती थी, उन्हें जबर्दस्ती उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता था। इसका परिणाम युद्ध और विश्व संगठन की समाप्ति थी। अतः वाशिंगटन का यह विचार था कि वह वीटो वाला विश्व संगठन ही स्वीकार करेगा और यदि इसमें वीटो की व्यवस्था नहीं होगी तो वह उनके लिये सर्वथा अस्वीकार्य होगा। स० रा० अमरीका का यह विचार था कि सुरक्षा परिषद ऐसे निर्णय कर सकती है, जिनके अनुसार उसे अपनी सेना का उपयोग करना पड़े, किन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि वह युद्ध उपयोग अपनी इच्छा में करे, न कि दूसरे राष्ट्रों द्वारा बाधित होकर। यदि स० रा० अमरीका ऐसे उपयोग में सहमत नहीं है तो इसे अपने निपेधाधिकार द्वारा रद्द करने का पूरा अधिकार होना चाहिये। किन्तु वीटो के अधिकार का प्रबल समर्थक होने हुए भी वाशिंगटन यह चाहता था कि इसके प्रयोग में बड़ी सावधानी बरनी जाए। उसका

उपयोग रिवादों के शान्तिपूर्वक निपटारे को रोकने या नये सदस्यों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए नहीं हो। इसके विपरीत इस निषेधाधिकार के प्रयोग को नियन्त्रित करने के पक्ष में नहीं है, वह २६ जुलाई १९६० तक इसका प्रयोग ८६ बार कर चुका था।

केलसन (Kelsen) का यह मत है कि वीटो राष्ट्र सभ में पाँच स्थायी सदस्यों को विशेषाधिकारप्राप्त शक्तियाँ बनाता है, अन्य सब सदस्यों पर उनकी कानूनी प्रभुता स्थापित करता है, यह उनके निरंकुश और स्वच्छन्द शासन का सूचक है। चार्टर में घोषित विषय सभ सदस्यों की समानता के मूल एवं सर्वप्रथम सिद्धान्त का प्रत्याख्यान है, यह उसकी समूची राजनीतिक विचारधारा का विरोधी है और सभ की व्यवस्था में गतिरोध उत्पन्न करने वाला है, अतः वीटो की समाप्ति होनी चाहिये।^१

किन्तु यह मत ठीक प्रतीत नहीं होता। स० रा० सभ की गुंजारू रूप से चलाने के लिए वीटो का होना आवश्यक है। पहले यह बताया जा चुका है कि सभ की सफलता के लिए महाशक्तियों का सहयोग अपेक्षित है, राष्ट्र सभ की विफलता का एक कारण स० रा० अमरीका और रूस का उनसे पृथक् रहना था। यदि वर्तमान सभ में बहुमत द्वारा किसी महाशक्ति को किसी कार्य के लिये बाधित किया जाय तो उसका परिणाम विश्वयुद्ध और सभ से उस शक्ति का पृथक् हो जाना होगा। अतः वीटो का मूल विचार श्री जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में विश्वयुद्ध की सम्भावना को हटाना तथा विवादों को सम्मेलनों द्वारा सुलझाना है।^२ वीटो पद्धति को इसमें बड़ी सफलता मिली है, अतः उमका बना रहना आवश्यक है।^३ इसके न होने का परिणाम संयुक्त राष्ट्र सभ की क्षीणता और विघटन होगा।

आर्थिक और सामाजिक परिषद् (The Economic and Social Council)

—चार्टर के दसवें अध्याय में धारा ६१ से ६२ तक इस परिषद् के स्वरूप, कार्यों तथा शक्तियों का वर्णन है। इस परिषद् में जनरल असेम्बली द्वारा चुने हुए २७ सदस्य होते हैं, इनमें से ६ सदस्य प्रतिवर्ष तीन साल के लिए निर्वाचित होते हैं। जिन सदस्यों की अवधि समाप्त हो जाय, वे चुनाव के लिये पुनः खड़े हो सकते हैं। यह संस्था सभ के अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य सम्बन्धी तथा अन्य विभिन्न प्रकार के कार्यों को करती है। इन्हें सम्पन्न कराने के लिए यह उपयुक्त विषयों का अध्ययन करती है, इन पर रिपोर्ट देती है, इनके अध्ययन का प्रवन्ध करती है। यह सबके लिए मानव अधिकारों तथा मूल स्वतन्त्रताओं के प्रति आस्था बढ़ाने के लिए या उनका पालन कराने के लिए सिफारिशें कर सकती है, अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले विषयों के सम्बन्ध में असेम्बली में पेश करने के लिए समझौते का मसविदा तैयार कर सकती है तथा इससे सम्बद्ध विषयों पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन कर सकती

१. हेन्स केलसन—दी लॉ ऑफ़ इंटरनैशनल नेरान्स, पृ० २७६-७७

२. १८ फ़रवरी १९५० को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को विषय समिति में दिया गया भाषण।

३. चार्ल्स रबीचर—एन इन्टरनैशनल टू इन्टरनेशनल पालिटिक्स, पृ० ६२५, २६

है। इसे आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए कमीशन बनाने का अधिकार है। इसके सब निर्णय उपस्थित तथा वोट देने वाले सदस्यों के बहुमत से किये जाते हैं। प्रतिवर्ष इसके कम से कम दो अधिवेशन होते हैं। यह केवल सिफारिशें करती है, इसे अपने निर्णय विधानबद्ध कराने का अधिकार नहीं है।

इस परिपद का उद्देश्य विश्व की अभाव से मुक्ति प्रदान कराना है। जिस प्रकार सुरक्षा परिपद विश्व को युद्ध के संकट से बचाती है, इसी प्रकार यह उगकी दरिद्रता और दैन्य के दानवों से रक्षा करती है। चार्टर की १५वीं धारा में यह कहा गया है कि इसका उद्देश्य निम्न बातों को बढ़ावा देना है—(क) रहन-रहन का स्तर ऊँचा करना, सबको काम दिलाना, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करना। (ख) अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और तत्सम्बन्धी समस्याओं को सुलभाना, संस्कृति तथा शिक्षा के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग। (ग) जाति, लिंग, भाषा और धर्म का भेद किये बिना सबके लिए मानव अधिकारों और मौलिक स्वतन्त्रताकी रक्षा, इनके प्रति सर्वत्र सम्मान और उनका पालन। तीसरी ब्यवस्था सर्वथा नवीन है, राष्ट्र सब के सन्निधान में केवल राष्ट्रीय अल्पसंख्याकों के अधिकारों को अल्पसंख्यक सन्धिद्वारा सुरक्षित बनाने की व्यवस्था थी, किन्तु इसमें मानवीय अधिकारों की सुरक्षा पर बल दिया गया है। आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा परिपद उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने का यत्न करती है। आर्थिक उन्नति के लिए यह प्राथमिक गहायता का आयोजन करती है और सामाजिक उन्नति के लिए मानवीय अधिकारों का निर्धारण और पालन। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, आर्थिक उन्नति के बिना मानवीय अधिकार निरर्थक हैं और मानवीय अधिकारों के बिना भर-पेट भोजन करने वाला मनुष्य पशुओं से बेहतर नहीं है।

आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा परिपद अपना कार्य विभिन्न प्रकार के आयागा, स्थायी समितियों, तदर्थ समितियों और विशेष सस्थाओं के माध्यम से करती है। ये इसका रिपोर्ट देते हैं। इसके आयोग दो प्रकार के हैं—कार्यात्मक (Functional) और प्रादेशिक (Regional)। पहले प्रकार के आयोग निम्न विषयों से सम्बद्ध हैं—आर्थिक और रोजगार, यातायात तथा संचार मापन, आकड़ों सम्बन्धी, मानवीय अधिकार, स्त्रियों का सामाजिक दर्जा, नशीली दवाइयाँ, वित्तविषयक तथा जनसंख्या सम्बन्धी। प्रादेशिक आयोग विभिन्न देशों की आर्थिक समस्याओं के समाधान में सहायता पहुँचाते हैं। अब तब ऐसे तीन आयाग स्थापित हुए हैं— पहला १९४७ में योरोप के लिए आर्थिक आयोग (Economic Commission for Europe) था, इसके आधीन विभिन्न समितियाँ लगेवें, दिवली, जवोग, आन्तरिक यातायात, इन्धन, इमारती व्यापार और वृषि की समस्याओं पर विचार करती है। १९४७ में एशिया तथा सुदूरपूर्व के लिए आर्थिक आयोग (Economic Commission for Asia and Far East—ECAFE) तथा १९४८ में दक्षिण अमरीका का आर्थिक आयोग (Economic Commission for Latin America) स्थापित किया गया। इस परिपद की विशेष सस्थाएँ निम्नलिखित हैं— स्थायी केन्द्रीय प्राथम बोर्ड,

अन्तर्राष्ट्रीय बालकल्याण निधि (U. N. International Children Emergency Fund—UNICEF) । अन्तिम सस्था जनरल असेम्बली द्वारा १३ दिसम्बर १९४६ को स्थापित की गई थी । इसका उद्देश्य बालकल्याण के विविध सराहनीय कार्य करना है ।

न्यास के विचार का विकास तथा न्यास परिषद् (Trusteeship Council)—संयुक्त राष्ट्र सभ ने राष्ट्र सभ की मँण्डेट व्यवस्था के स्थान पर न्यास पद्धति (Trusteeship) को ग्रहण किया और इसके संचालन के लिए न्यास समिति का निर्माण हुआ है । मँण्डेट की भाँति न्यास की व्यवस्था भी विभिन्न शक्तियों के समझौते का परिणाम थी । १९४५ में ७० करोड़ व्यक्ति पश्चिमी राष्ट्रों के साम्राज्यों में पराधीन थे, उस प्रकार मानव जाति के प्रति तीन व्यक्तियों में से एक परतन्त्र था, किन्तु अगले दस वर्षों में इस विचार के विकास से प्रति बारह व्यक्तियों में से एक ही पराधीन रह गया है । युद्ध के समय में अनेक सम्मेलनों में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की समस्या पर विचार हुआ था । उस समय राष्ट्रपति रूजवेल्ट पराधीन देशों—भारत आदि को स्वाधीन बनाने की नवीन व्यवस्था (New Deal) के पक्षपाती थे, किन्तु म० रा० अमरीका में उपनिवेशवाद विरोधी भावना होते हुए भी कुछ व्यक्ति प्रगल्भ महामानर में जापान में छीने हुए टापुओं पर सामरिक दृष्टि से अमरीका का प्रभुत्व वाछनीय समझते थे । उच्च, फेंच और दक्षिण अफ्रीका गूनिगन वाले साम्राज्यवाद और मँण्डेट व्यवस्था को बनाये रखना चाहते थे । किन्तु इसके साथ ही द्वितीय महायुद्ध में एशिया में उत्पन्न साम्राज्यवादी विरोधी भावना की उपेक्षा सम्भव नहीं थी । इसके अतिरिक्त राष्ट्र सभ के मँण्डेट वाले प्रदेशों की तथा इटली के साम्राज्य की नई व्यवस्था करनी थी । सान फ्रांसिस्को के सम्मेलन में जब इन समस्याओं पर विचार हुआ तो फ्रांस, हालैण्ड और दक्षिण अफ्रीका तथा म० रा० अमरीका के सैनिक दलों ने पुरानी मँण्डेट व्यवस्था में किसी प्रकार के विस्तार का तथा रूजवेल्ट की तथा फार्डेल हल की न्यास पद्धति के विचारों का विरोध किया । किन्तु न्यूजीलैण्ड, आस्ट्रेलिया, मध्यपूर्व तथा दक्षिण अमरीका के देशों, सोवियत गूनिगन, म० रा० अमरीका तथा चीन ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के उन्मूलन पर बल दिया । इन दोनों दृष्टिकोणों में हुए समझौते का परिणाम म० रा० सभ की न्यास पद्धति है । इसकी विस्तृत व्यवस्था चार्टर के ११, १२ तथा १३ अध्यायों में धारा ७६ से ६१ तक में है ।

न्यास पद्धति का मूल सिद्धान्त यह है कि इस समय कुछ पिछड़े हुए, अल्प विकसित और आदिम दशा वाले प्रदेशों के निवासी इस योग्य नहीं हैं कि वे अपने देश का शासन स्वयमेव कर सकें और अपने भाग्यविधाता बन सकें, इन्हें दूसरे विकसित और उन्नत देशों की सहायता अपेक्षित है, सम्य देशों का यह कर्तव्य है कि वे

इनके विकास में पूरी सहायता दे और जब तक ये अपना शासन करने में समर्थ नहीं हो जाते, तब तक इनकी तथा इनके हितों की देखभाल, इन्हें न्यास या अमानत समझते हुए करें, इनका अपने स्वार्थों के लिए शोषण न करें। इन शक्तियों द्वारा यह कार्य स० रा० सघ के नियन्त्रण में होना चाहिए। राष्ट्र सघ की मँडेट व्यवस्था केवल जर्मनी तथा टर्की के साम्राज्यवाद में पीड़ित हुए प्रदेशों के लिये थी, किन्तु स० रा० सघ की न्याय पद्धति का क्षेत्र उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद द्वारा पराधीन बनाये गये सभी क्षेत्रों के लिये है।

न्यास वाले प्रदेशों के शासन की देखभाल का कार्य न्यास परिषद् करती है। इसके सदस्य न्यास प्रदेशों का शासन करने वाले आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, ग्रेट ब्रिटेन, स० रा० अमरीका तथा सुरक्षा परिषद् के न्यास प्रदेशों का शासन करने वाले देश, चीन और मौखिक रूप तथा इतनी ही सख्या में ३ वर्षों के लिए जनरल असेम्बली द्वारा चुने जाने वाले देश हैं, भारत भी ३१ दिसम्बर १९५९ तक इसका एक चुना हुआ सदस्य था। इसके सघ निर्णय उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों के बहुमत में किये जाते हैं। वर्ष में इसकी बैठकें नियमित रूप से होती हैं, गठानति सदस्यों द्वारा एक वर्ष के लिये चुना जाता है।

न्याय परिषद् न्यास प्रदेशों के प्रशासन की देखभाल तीन प्रकार से करती है—(१) सुरक्षा परिषद् द्वारा तैयार की गई प्रश्नावली के आधार पर प्रशासन करने वाले देशों में न्यास प्रदेशों की विविध प्रकार की प्रगति के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्टें मगाई जाती हैं। (२) इन प्रदेशों के निवासियों के मौखिक अथवा लिखित आवेदन-पत्रों पर परिषद् विचार करती है। १९५१ तक परिषद् ने ऐसे ७०० प्रार्थनापत्रों पर विचार किया था, १९५५ में इनकी सख्या बढ़कर एक ही अधिवेशन में ४०० तक पहुँच गई, १९५७ में यह मख्या १०५७ हो गई। (३) परिषद् प्रतिवर्ष अपने निरीक्षक मण्डल (Visiting Missions) पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, प्रशान्त महासागर, टागानिकशा, गुमालीलैण्ड आदि विभिन्न देशों में इस प्रकार भेजती है कि तीन वर्षों में एक बार प्रत्येक प्रदेश का निरीक्षण हो जाए। ये मण्डल न्यास प्रदेशों की अन्तर्राष्ट्रीय देखभाल के बड़े प्रभावशाली साधन हैं और परिषद् के सदस्यों को इन प्रदेशों का प्रामाणिक ज्ञान कराने तथा इनकी समस्याएँ हल कराने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। ये मिसन न्याय परिषद् के प्रति उत्तरदायी होने के कारण निष्पक्ष और स्वतन्त्र अन्वेषण कर सकते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice)—यह स० रा० सघ के चार्टर (अध्याय १४, धारा ९२-९६) तथा न्यायालय सम्बन्धी परिशिष्ट के आधार पर बनाया गया है। इसके नियम प्रायः राष्ट्र सघ के स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के नियमों जैसे हैं। इसके न्यायाधीश राष्ट्रीयता का विचार किये बिना अपने उच्च नैतिक चरित्र और अग्राह्य अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी ज्ञान के कारण चुने जाते हैं। इस न्यायालय के कुल पन्द्रह न्यायाधीश होते हैं, इनमें से कोई दो एक राष्ट्र के नहीं हो सकते। ये सुरक्षा परिषद् और जनरल असेम्बली द्वारा ९ वर्षों के लिये चुने जाते हैं और

अन्तर्राष्ट्रीय बालकल्याण निधि (U. N. International Children Emergency Fund—UNICEF) । अन्तिम सस्था जनरल असेम्बली द्वारा १३ दिसम्बर १९४६ को स्थापित की गई थी । इसका उद्देश्य बालकल्याण के विविध मराहतीय कार्य करना है ।

न्यास के विचार का विकास तथा न्यास परिषद् (Trusteeship Council)—संयुक्त राष्ट्र सभ ने राष्ट्र सभ की मँडेट व्यवस्था के स्थान पर न्यास पद्धति (Trusteeship) को ग्रहण किया और इसके संचालन के लिए न्यास समिति का निर्माण हुआ है । मँडेट की भाँति न्यास की व्यवस्था भी विभिन्न शक्तियों के समझौते का परिणाम थी । १९४४ में ७० करोड़ व्यक्ति पश्चिमी राष्ट्रों के साम्राज्यों में पराधीन थे, इस प्रकार मानव जाति के प्रति तीन व्यक्तियों में से एक परतन्त्र था, किन्तु अगले दस वर्षों में इस विचार के विकास से प्रति बारह व्यक्तियों में से एक ही पराधीन रह गया है । युद्ध के समय में अनेक सम्मेलनों में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की समस्या पर विचार हुआ था । उस समय राष्ट्रपति रूजवेल्ट पराधीन देशों—भारत आदि को स्वाधीन बनाने की नवीन व्यवस्था (New Deal) के पक्षपाती थे, किन्तु स० रा० अमरीका में उपनिवेशवाद विरोधी भावना होते हुए भी कुछ व्यक्ति प्रमान्त महासागर में जापान से छीने हुए टापुओं पर सामरिक दृष्टि से अमरीका का प्रभुत्व वादनीय समझते थे । इन फ्रेंच और दक्षिण अफ्रीका गुनियन वाले साम्राज्यवाद और मँडेट व्यवस्था को बनाये रखना चाहते थे । किन्तु इसके साथ ही द्वितीय महायुद्ध में एशिया में उत्पन्न साम्राज्यवादी विरोधी भावना की उपेक्षा सम्भव नहीं थी । इसके अतिरिक्त राष्ट्र सभ के मँडेट वाले प्रदेशों की तथा इटली के साम्राज्य की नई व्यवस्था करनी थी । सान फ्रान्सिस्को के सम्मेलन में जब इन समस्याओं पर विचार हुआ तो फ्रांस, हालैंड और दक्षिण अफ्रीका तथा स० रा० अमरीका के सैनिक दलों ने पुरानी मँडेट व्यवस्था में किसी प्रकार के विस्तार का तथा रूजवेल्ट की तथा फार्डल हल की न्यास पद्धति के विचारों का विरोध किया । किन्तु न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया, मध्यपूर्व तथा दक्षिण अमरीका के देशों, मोवियत गुनियन, स० रा० अमरीका तथा चीन ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के उन्मूलन पर बल दिया । इन दोनों दृष्टिकोणों में हुए समझौते का परिणाम स० रा० सभ की न्यास पद्धति है । इसकी विस्तृत व्यवस्था चार्टर के ११, १२ तथा १३ अध्यायों में धारा ७६ से ६१ तक में है ।

न्यास पद्धति का मूल सिद्धान्त यह है कि इस समय कुछ पिछड़े हुए, अल्प विकसित और आदिम दशा वाले प्रदेशों के निवासी इस योग्य नहीं हैं कि वे अपने देश का शासन स्वयमेव कर सकें और अपने भाग्यविधाता बन सकें, इन्हें दूररे विकसित और उन्नत देशों की सहायता अपेक्षित है, सभ्य देशों का यह कर्तव्य है कि वे

इनके विकास में पूरी सहायता दे और जब तक वे अपना शासन करने में समर्थ नहीं हो जाते, तब तक इनकी तथा इनके हितों की देखभाल, इन्हें न्यास या अमानत समझते हुए करें, इनका अपने स्वार्थों के लिए शोषण न करे। इन शक्तियों द्वारा यह कार्य स० रा० सघ के नियन्त्रण में होना चाहिए। राष्ट्र सघ की मँडेट व्यवस्था केवल जर्मनी तथा टर्की के साम्राज्यवाद से पीड़ित हुए प्रदेशों के लिये थी, किन्तु स० रा० सघ की न्यास पद्धति का क्षेत्र उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद द्वारा पराधीन बनाये गये सभी क्षेत्रों के लिये है।

न्यास वाले प्रदेशों के शासन की देखभाल का कार्य न्यास परिषद् करती है। इसके सदस्य न्यास प्रदेशों का शासन करने वाले आस्ट्रेलिया, दैल्जियम, फ्रांस, इटली, ग्रेट ब्रिटेन, स० रा० अमरीका तथा सुरक्षा परिषद् के न्यास प्रदेशों का शासन करने वाले देश, चीन और मोंवियत रूस तथा इतनी ही संख्या में ३ वर्षों के लिए जनरल असेम्बली द्वारा चुने जाने वाले देश हैं, भारत भी ३१ दिसम्बर १९५६ तक इसका एक चुना हुआ सदस्य था। इसके सब निर्णय उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों के बहुमत में किये जाते हैं। वर्ष में इसकी बैठकें नियमित रूप से होती हैं, तथापि सदस्यों द्वारा एक वर्ष के लिये चुना जाता है।

न्यास परिषद् न्यास प्रदेशों के प्रशासन की देखभाल तीन प्रकार से करती है—(१) सुरक्षा परिषद् द्वारा तैयार की गई प्रश्नावली के आधार पर प्रशासन करने वाले देशों से न्यास प्रदेशों की विविध प्रकार की प्रगति के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्टें मगाई जाती हैं। (२) इन प्रदेशों के निवासियों के मौखिक अथवा लिखित आवेदन-पत्रों पर परिषद् विचार करती है। १९५१ तक परिषद् ने ऐसे ७०० प्रार्थनापत्रों पर विचार किया था, १९५५ में इनकी संख्या बढ़कर एक ही अधिवेशन में ४०० तक पहुँच गई, १९५७ में यह संख्या १०५७ हो गई। (३) परिषद् प्रतिवर्ष अपने निरीक्षक मण्डल (Visiting Missions) पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, प्रशान्त महासागर, टागानिकथा, सुमालीलैण्ड आदि विभिन्न देशों में इस प्रकार भेजती है कि तीन वर्षों में एक बार प्रत्येक प्रदेश या निरीक्षण हो जाए। ये मण्डल न्यास प्रदेशों की अन्तर्राष्ट्रीय देखभाल के बड़े प्रभावशाली माधन हैं और परिषद् के सदस्यों को इन प्रदेशों का प्रामाणिक ज्ञान कराने तथा इनकी समस्याएँ हल कराने में बहुत सहायक मिद्ध होते हैं। ये मिसन न्यास परिषद् के प्रति उत्तरदायी होने के कारण निष्पक्ष और स्वतन्त्र अन्वेषण कर सकते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice)—यह स० रा० सघ के चार्टर (अध्याय १४, धारा ६२-६६) तथा न्यायालय सम्बन्धी परिशिष्ट के आधार पर बनाया गया है। इसके नियम प्रायः राष्ट्र सघ के स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के नियमों जैसे हैं। इसके न्यायाधीश राष्ट्रीयता का विचार किये बिना अपने उच्च नैतिक चरित्र और अग्राह्य अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी ज्ञान के कारण चुने जाते हैं। इस न्यायालय के कुल पन्द्रह न्यायाधीश होते हैं, इनमें से कोई दो एक राष्ट्र के नहीं हो सकते। ये सुरक्षा परिषद् और जनरल असेम्बली द्वारा ९ वर्षों के लिये चुने जाते हैं और

अपनी पदावधि समाप्त होने पर चुनाव के लिये पुनः खड़े हो सकते हैं। इराना कोरम नौ जर्जी का होता है। स० रा० सभ के सभी सदस्य इसका लाभ उठान सकते हैं। इसमें से किसी राज्य को जबदस्ती मुकद्दमे में नहीं घसीटा जा सकता। प्रतिवादी राज्य की सहमति पर ही किसी मामले पर न्यायालय विचार करेगा है। इसके कार्य का अगले अध्याय में वर्णन होगा (देखिये नीचे पृ० ४०१)।

सचिवालय (Secretariat) — चार्टर के पन्द्रहवें अध्याय (धारा ६७-१०१) में सभ का कार्य चलाने वाले सचिवालय का वर्णन है। इसमें महामन्त्री और सभ की आवश्यकतानुसार कर्मचारी वर्ग रहता है। महामन्त्री की निपुणित सुरक्षा परिपद की सिफारिश पर जनरल असेम्बली करती है। सचिवालय के सम्बन्ध में राष्ट्र सभ के विधानपत्र में कोई व्यवस्था नहीं, किन्तु चार्टर में इसका विस्तार से वर्णन है। इसके अनुसार यह सभ का कार्यवाहक और प्रशासनात्मक अंग है। महामन्त्री सचिवालय की सहायता से उसके सारे कार्य का संचालन करता है। उसके मुख्य कार्य ये हैं— (१) वह असेम्बली में, आधिक और मामाजिक परिपद में, न्यास परिपद की सभी बैठकों में काम करता है। (२) सभ के विभिन्न अंग उसे जो काम सौंपते हैं, उन्हें पूरा करता है। (३) सभ के कार्यों के सम्बन्ध में जनरल असेम्बली को वार्षिक रिपोर्ट देता है। (४) यदि उसकी सम्मति में किसी मामले में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को खतरा पैदा होता है तो सुरक्षा परिपद का ध्यान उस मामले की ओर खींच सकता है। (५) कर्मचारियों की निपुणित जनरल असेम्बली द्वारा बनाये नियमों के अनुसार करता है। कर्मचारियों के भरती करने और उनकी नौकरियों की शर्तों को निर्धारित करने में सबसे अधिक इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि दक्षता, क्षमता और ईमानदारी का ऊँचे से ऊँचा स्तर कायम रह सके। साथ ही यह भी देखा जाता है कि भरती अधिक से अधिक विस्तृत भौगोलिक आधार पर हो (धारा १०१)। महामन्त्री और कर्मचारी वर्ग के लिये यह आवश्यक है कि वे अपने अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व को पूरी तरह समझे, सभ से बाहर किसी राज्य या अधिकारी से कोई परामर्श न प्राप्त करें। उनकी सम्पूर्ण निष्ठा और उत्तरदायित्व सभ के प्रति होना चाहिये। इसके साथ ही सशुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य के लिये यह प्रतिज्ञा करना आवश्यक है कि वह महामन्त्री और उसके कर्मचारियों के दायित्वों के पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप को मानेगा और उन दायित्वों के पालन में किसी प्रकार का प्रभाव डालने का प्रयत्न नहीं करेगा (धारा १००)। किन्तु कई बार निष्पक्षता और तटस्थता के इस उदात्त आदर्श का पूरा पालन नहीं हुआ। कुछ वर्ष पहले कम्युनिस्ट विरोधी आन्दोलन बहुत उग्र होने पर स० रा० अमरीका ने अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए महामन्त्री की सहायता से सभ में कार्य करने वाले, किन्तु कम्युनिस्ट प्रकृति वाले कुछ अमरीकनों को इसके सचिवालय से निष्कासित किया था।

उन्नीसवाँ अध्याय

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय

(International Tribunals)

वर्तमान समय में विभिन्न राज्यों के कानूनी विवादों को सुलझाने में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने बड़ा महत्वपूर्ण भाग लिया है। इसके स्वरूप का शनैः-शनैः विकास हुआ है। सर्वप्रथम यह हेग में पंचनिर्णय के स्थायी न्यायालय (Permanent Court of Arbitration) के रूप में स्थापित हुआ। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद इसके अनिश्चित अन्तर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय (Permanent Court of International Justice) तथा द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद न्याय का अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) स्थापित हुए। यहाँ इन तीनों के स्वरूप और कार्यों का संक्षिप्त परिचय दिया जायेगा।

पंचनिर्णय का स्थायी न्यायालय (Permanent Court of Arbitration)— १८६९ में पंचनिर्णय (Arbitration) या पंचायत द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने की दृष्टि से इसकी स्थापना का निश्चय किया गया। १६०० में हार्लैण्ड के हेग नगर में इसकी स्थापना की गई। यद्यपि इसका नाम तो स्थायी न्यायालय था किन्तु वास्तव में यह कोई न्यायालय नहीं था। यह केवल जजों के नामों की सूची थी, जिसमें से कुछ नाम विवाद करने वाले राज्य अपनी इच्छा से अपने विवाद के पंचायती निर्णय के लिये चुन लेते थे। न्यायालय न होने पर भी इसका विशेष महत्व इस बात में था कि यह स्थायी स्वरूप रखने वाले अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के विकास में पहला पग था। इससे पहले अन्तर्राष्ट्रीय विवाद उत्पन्न होने पर पंच नये सिरे से निश्चित करने पड़ते थे, किन्तु इसमें निश्चित जजों की सूची में से पंच चुन लिये जाते थे और इनका स्थायी मुख्यालय हार्लैण्ड के हेग नगर में था। न्यायालय की निष्पक्षता बनाये रखने के लिये यह व्यवस्था की गई थी कि इसका कोई भी न्यायाधीश किसी मामले में वकील का काम नहीं कर सकता था। १६०२ से १९१४ तक इतने विभिन्न मामलों में १४ पचाट या निर्णय (Award) दिये और इस प्रकार पंचायती पद्धति द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान करने की भावना का विकास हुआ।

इसके कुछ उल्लेखनीय मामले इस प्रकार थे— १६०२ में कैलिफोर्निया का पायस फण्ड (The Pious Fund of California) का मामला, १६०५ का जापानी गृह-कर का मामला (Japanese House Tax)। १६१० में इस न्यायालय ने उत्तरी प्रतलाटिक तट के मछलीगाह मामले (The North Atlantic Coast Fisheries

Case) का फैसला किया। यह विवाद स० रा० अमरीका का ग्रेट ब्रिटेन और कनाडा के साथ उत्तरी अटलांटिक म मध्यलियाँ पकड़ने के सम्बन्ध में था। इसमें स० रा० अमरीका का यह दावा था कि उसे अपने नागरिकों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों में भी इस क्षेत्र में मछलियाँ पकड़वाने का अधिकार है तथा इस क्षेत्र में मछली पकड़ने के नियम ग्रेट ब्रिटेन और कनाडा को उसके साथ मिलकर बनाने चाहियें। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि नियम बनाने का स्वाभाविक अधिकार ग्रेट ब्रिटेन और कनाडा को है तथा स० रा० अमरीका को अपने मछली पकड़ने वाले जहाजों पर अन्य देशों के नागरिकों का काम पर लगाने का अधिकार है। किन्तु अमरीकी मछलीमार कुछ निश्चित छाड़ियों और बन्दरगाहों में मछली ना शिकार नहीं कर सकते। कोई खाड़ी दस मील तक चौड़ी होने पर तटवर्ती राज्य के प्रदेश में समझी जानी चाहिये, इसके भीतर अमरीकी नागरिक मछलियाँ नहीं पकड़ सकते। सुप्रसिद्ध नान्तिवारी सावरकर के मामले का निर्णय भी इसी न्यायालय ने किया (देखते प्रथम परिशिष्ट)। १९१२ में उसके सम्मुख कार्येज नामक जहाज का मामला आया, यह फ्रेंच स्टीमर था, इसे इटली ने इस आधार पर पकड़ लिया कि वह एक हवाई जहाज को ट्यूनिंस ले जा रहा है। फ्रेंच सरकार का यह कहना था कि ट्यूनिंस तटस्थ देश था तथा हवाई जहाज लडाई की विनिपिड (Contraband) वस्तुओं में पूरी तरह नहीं आता। न्यायालय ने इटली द्वारा इसका पकड़े जाने को अनुचित ठहराते हुए उसे जर्मनी के रूप में फ्रांस को १,६०,००० फ्रांक देने को कहा।

इस न्यायालय की पद्धति में कई दोष थे। यह बड़ी जटिल तथा व्ययसाध्य थी। इसके जज स्थायी नहीं होते थे, किन्तु विशेष मामला के लिये एक निश्चित सूची में से छाटे जाते थे, मामले के निर्णय के बाद इनका कार्य समाप्त हो जाता था। स्थायी न्यायाधीशा के अभाव में विधिशास्त्र के नियमों का भी समुचित विकास नहीं हो पाता था। अतः निश्चित अवधि के लिये जजों की नियुक्ति आवश्यक समझी जाने लगी तथा प्रथम विश्वयुद्ध के बाद उपर्युक्त दोषों को दूर करते हुए एक अन्य स्थायी न्यायालय की स्थापना की गई।

अन्तर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय (Permanent Court of International Justice)—प्रथम विश्वयुद्ध के बाद बनाये गये राष्ट्र सभ के प्रतिज्ञा-पत्र के अनुच्छेद स० १४ में यह कहा गया था कि सभ की कौन्सिल स्थायी न्यायालय की स्थापना की योजना का निर्माण करेगी। इसके अनुसार फरवरी १९२० में इस न्यायालय की योजना तैयार करने के लिये एक परामर्शदात्री समिति बनायी गयी। अगस्तम्बली ने ३ दिसम्बर १९२० को यह योजना स्वीकार की। तदनुसार इसका परिगणन (Statute) बनाया गया और १५ फरवरी १९२२ से इस न्यायालय ने अपना कार्य आरम्भ किया, अक्टूबर १९४५ में इसका अन्तिम अधिवेशन हुआ। अप्रैल १९४६ में इसके रक्षण पर न्याय का अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित हुआ।

इस न्यायालय को उन सभी मामलों पर विचार करने का अधिकार दिया गया जो सवद्ध पक्षों द्वारा निर्णय के लिये इसे सौंपे जायें। इसके अनुच्छेद स० ३७ के अनुसार

इसे ऐसी सन्धियों के सम्बन्ध में होने वाले विवाद सुलने का अधिकार था, जिनमें ऐसे विवादों के निर्णय का अधिकार सब द्वारा स्थापित न्यायालय को दिया गया था। इसके प्रतिरिक्त न्यायालय के परिचय (Statute) में एक वैकल्पिक धारा (Optional clause) थी। इसे मानना या न मानना राज्यों की इच्छा पर था। इसे स्वीकार करने वाले राज्य निम्नलिखित प्रकार के विवादों में न्यायालय का क्षेत्राधिकार स्वीकार करते थे—(क) सन्धि की व्याख्या, (ख) अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रश्न, (ग) अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व का मग करने वाले तथ्य, (घ) किसी अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व का उल्लंघन करने पर उनके लिये दिये जाने वाले हर्जाने का स्वरूप और मात्रा। बीस राज्यों ने इस वैकल्पिक धारा पर हस्ताक्षर किये थे। कई राज्य कुछ शर्तों के साथ इन नियमों में न्यायालय का क्षेत्राधिकार मानते थे।

यह न्यायालय अपने निर्णय देना हुआ अन्तर्राष्ट्रीय कानून के चार प्रकार के स्रोत स्वीकार करता था—(१) अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय (Conventions), (२) अन्तर्राष्ट्रीय रीतियाँ और रूटियाँ (Customs), (३) सम्य राज्या द्वारा स्वीकार किये गये सिद्धान्त, (४) न्यायालयों के निर्णय और विभिन्न देशों के अत्यन्त योग्य विधिशास्त्रियों की सम्मति। राष्ट्र सभ की कौन्सिल और असम्बली को यह अधिकार था कि वे किन्हीं विषयों में न्यायालय को परामर्शोच्च सम्मति प्राप्त कर सकें। इसके पन्द्रह न्यायाधीश कौन्सिल और असम्बली द्वारा ६ वर्ष की अवधि के लिये चुने जाते थे। न्यायालय के कार्य के लिये आवश्यक गणपूर्ति (Quorum) नौ जजों की मानी जाती थी। किसी मामले पर विचार के लिये उमत् सम्बद्ध देशों के जजों को भी न्यायासन पर बैठने का अधिकार होता था।

इस न्यायालय द्वारा निर्णय किये गये मामलों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं—
 १९२३ में पोलैण्ड के जर्मनवासियों (German Settlers in Poland) के मामले में न्यायालय ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था—“अन्तर्राष्ट्रीय कानून में राज्यों के उत्तराधिकार के सामान्य सिद्धान्त की मत्ता अस्वीकार करने वाले भी यह नहीं मानते हैं कि सम्पत्ति के स्वामी के हान में किसी राज्य से प्राप्त किये हुए वैयक्तिक अधिकार उस राज्य की प्रभुमत्ता में परिवर्तन होने पर अवैध हो जाते हैं।” १९२३ में इसने फ्रेंच सरकार द्वारा किराये पर लिये विम्बलडन (Wimbledon) नामक जहाज के जर्मन सरकार द्वारा कील नहर में न गुजरने देने के मामले पर विचार किया (देखिये ऊपर पृ० २२६)। १९२५ में ऊपरी साइलीशिया के मामले (Case of Upper Silesia) में इस न्यायालय ने यह नियम निश्चित किया कि सधि केवल मन्त्र पक्षों के लिये ही कानून बनाती है। मद्यिग अवस्था में सधि से तीसरे पक्ष के लिये किसी प्रकार के अधिकार नहीं निकाले जा सकते। १९२७ में इसने फ्रेंच स्ट्रीमर लोटस (S S Lotus) के मामले का निर्णय किया (देखिये प्रथम परिशिष्ट तथा ऊपर पृ० २७०-७१)।

न्याय का अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice)—
 स० २१० सभ के चार्टर के अनुच्छेद ६२ में इस न्यायालय को सदृक्त राष्ट्र सभ का प्रधान न्यायिक अंग बनाने हुए यह कहा गया है कि यह इसके साथ जोड़े गये परिचय

Statute) के अनुसार काम करेगा, यह परिणियम अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय के परिणियम पर आधारित है और चार्टर का त्रिविभाज्य अंग है। इस न्यायालय के पन्द्रह जज होते हैं, वे जंगल अतोम्बली तथा सुरक्षा परिषद् द्वारा प्रत्येक रूप से चुने जाते हैं। जजों के कार्यकाल की अवधि नौ वर्ष होती है। किन्तु पिछले स्थायी न्यायालय की भाँति सब जजों का चुनाव ६ वर्ष बाद एकसाथ नहीं होता, क्योंकि एक-तिहाई जज प्रति तीसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते रहते हैं। इस व्यवस्था से यह लाभ हुआ है कि सदैव दो-तिहाई जज ऐसे होते हैं, जो न्यायालय की कार्यविधि से और विचाराधीन मामलों में पूरा परिचय रखते हैं। एक राष्ट्र का एक से अधिक न्यायाधीश नहीं हो सकता।

— क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) — इसका क्षेत्राधिकार तीन प्रकार का है : (१) ऐच्छिक (Voluntary), (२) आवश्यक (Compulsory), (३) परामर्शात्मक (Advisory) (अनुच्छेद ३६)।

(१) ऐच्छिक (Voluntary) — इसमें ऐंसें विमों भी मामलों पर विचार करने का अधिकार है, जिसे विवाद से सबद्ध राज्य इसे अपनी इच्छा से सौंपने को तैयार हो।

(२) आवश्यक (Compulsory) — इस परिणियम को स्वीकार करने वाले राज्य किसी समय यह घोषणा कर सकते हैं कि वे चार प्रकार के कानूनी विवादों के लिये अन्य राज्यों द्वारा यह वाच्यता स्वीकार करने पर भी अपने लिये न्यायालय का क्षेत्राधिकार स्वतः आवश्यक (Ipso facto compulsory) मानते हैं। विवाद के चार प्रकार पहले बताये गये (पृ० ४०१) (क) संधि की व्याख्या, (ख) अन्तर्राष्ट्रीय कानून का कोई प्रश्न, (ग) अन्तर्राष्ट्रीय वाच्यता के उल्लंघन का प्रश्न तथा (घ) अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व के उल्लंघन की श्रुतिपूर्ति की मात्रा तथा स्वरूप है। क्षेत्राधिकार मानने की यह घोषणा बिना शर्त के भयवा कुछ शर्तों के साथ ही सकती है। इन घोषणा की प्रतिर्गति १०० रा० संधि के महामन्त्री के पास जमा की जाती है, वह इन प्रतिर्गियों को न्यायालय का परिणियम स्वीकार करने वाले राज्यों को तथा न्यायालय के रजिस्ट्रार को भेजता है। पिछले स्थायी न्यायालय के आवश्यक क्षेत्राधिकार को स्वीकार करने की घोषणा जो राज्य कर चुके हैं, उनकी यह घोषणा वर्तमान न्यायालय के सम्बन्ध में भी लागू होगी जाती है। इसमें राज्यों को न्यायालय का आवश्यक क्षेत्राधिकार स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प (Option) दिया गया है, अतः छत्तीसवीं धारा के दूसरे पैरे को वैकल्पिक धारा (Optional Clause) भी कहते हैं।

म० रा० अमरीका ने न्यायालय के आवश्यक क्षेत्राधिकार को स्वीकार करते हुए अपनी घोषणा में यह कहा है कि यह निम्नलिखित प्रकार के विवादों में लागू नहीं होगी (क) पहले किये गये समझौतों के अनुसार जो विवाद अन्य न्यायाधिकारणों को सौंपे गये हो। (ख) जो विवाद म० रा० अमरीका की दृष्टि में उसके घरेलू क्षेत्राधिकार (Domestic Jurisdiction) में आते हो। यह घोषणा पाँच वर्ष के लिए है। स० रा० अमरीका की घोषणा में स्पष्ट है कि उसने न्यायालय का आवश्यक क्षेत्राधिकार बिल्कुल नग्न बना दिया है। अब तक विश्व के एक-तिहाई राज्यों ने इसी

प्रकार कुछ शर्तों के साथ न्यायालय का क्षेत्राधिकार माना है और इस आधार पर मोरक्को का मामला (Morocco Case) तथा एंग्लो-नार्वेजियन मछलीगाह मामला (Anglo-Norwegian Fisheries Case) न्यायालय के सम्मुख आया है।

केलमन (Kelsen) ने इस व्यवस्था की आलोचना करते हुए लिखा है कि यह वस्तुतः अनिर्णय क्षेत्राधिकार नहीं है, क्योंकि यदि ऐसी घोषणा करने वाला कोई राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध कोई मामला इस न्यायालय के समक्ष लाता है तो दूसरा पक्ष न्यायालय का क्षेत्राधिकार मानने के लिए तभी बाध्य है जबकि उसने भी ऐसी घोषणा की हो। न्यायालय के परिचय की धारा ३६ के पैराग्राफ २ के अनुसार विभिन्न राज्यों द्वारा की गई घोषणाएँ ऐसी शर्तों के माग हैं, जो उन्हें क्रियात्मक दृष्टि से बिल्कुल निरर्थक बना देती हैं।

फिर भी इस व्यवस्था का महत्व है। आपेनहाइम ने लिखा है — “प्रतिबन्धों (Reservations) के द्वारा ही वैकल्पिक धारा अनिर्णय न्यायिक निर्णय की सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण व्यवस्था है। वैकल्पिक धारा के कारण ग्रहण किए गए उत्तरदायित्वों से न्यायालय की क्रियाशीलता में एक महत्वपूर्ण खोप की वृद्धि हुई है।”

(३) परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction) — न्यायालय के परिचय के चौथे अध्याय में इसके परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार का उल्लेख है। स० २० मघ के चार्टर के अनुच्छेद ६६ में यह कहा गया है कि जनरल असेम्बली या सुरक्षा परिषद् किसी जातूनी प्रश्न के सम्बन्ध में न्यायालय से सम्मति माँग सकती है। स० २० मघ के अन्य प्रयोगों तथा विशेष परिस्थितियों को ऐसी परामर्शात्मक सम्मति माँगने का अधिकार है। इस प्रकार की सम्मतियों का सम्बन्ध पक्षों द्वारा गतना आवश्यक नहीं होता। पहले (पृ० १५०) यह बताया आ चुका है कि जनरल असेम्बली ने दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका की स्थिति के विषय में ऐसी सम्मति न्यायालय से माँगी थी। इस समय इन सम्मतियों का महत्व बढ रहा है। आपेनहाइम ने यह लिखा है कि इस न्यायालय द्वारा दिए निर्णयों की महत्ता परामर्शात्मक सम्मतियों के बराबर है।

यह न्यायालय पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा स्वीकार किये जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विविध स्रोतों को स्वीकार करता है। इसके न्यायाधीशों को राजदूतों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इनके वेतन सब प्रकार के करों से मुक्त होते हैं। इस न्यायालय के सम्मुख आये कुछ महत्वपूर्ण मामले निम्नलिखित हैं —

(१) कोरफू चैनल मामला (Corfu Channel Case—1946) (केलिये प्रथम परिशिष्ट)।

(२) मोरक्को में अमरीकी राष्ट्रजनों के उत्तराधिकार (The Rights of Nationals of U S A in Morocco) — ३० दिसम्बर १९४८ को फ्रेंच सरकार ने मोरक्को निवासियों के सम्बन्ध में एक अधिवासी आज्ञा (Residential Decree) निकाली, इसके अनुसार अमरीकी नागरिक वहाँ के पुराने कानून के अनुसार प्राप्त

सुविधाओं और अधिकारों से वंचित हो गये। फ्रेंच सरकार ने २८ अक्टूबर १९५० को न्यायालय से इस प्रकार की घोषणा प्राप्त करानी चाही कि मोरक्को के अमरीकी नागरिकों को किसी प्रकार का विशेष व्यवहार पाने का अधिकार नहीं है और उन पर मोरक्को के सब कानून लागू होते हैं। स० रा० अमरीका का यह दावा था कि उसके नागरिकों पर उपर्युक्त आज्ञा लागू करना अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। न्यायालय ने अमरीका के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा कि उपर्युक्त आज्ञा का स्वरूप भेदभावपूर्ण (Discriminatory) है, क्योंकि इसमें फ्रांस के माल के आयात पर मुद्राविषयक कोई नियन्त्रण नहीं रखा गया और स० रा० अमरीका के माल पर इस प्रकार का नियन्त्रण है। पुराने कानून Act of Algieras के अनुसार अमरीकी नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त थे, वे उनसे नई आज्ञा द्वारा छीने नहीं जा सकते।

(३) एंग्लो-नार्वेजियन मछलीग्राह मामला (Anglo-Norwegian Fisheries Case—19०1) देखिए ऊपर पृ० २१५।

(४) स० रा० संध की सेवा करते हुए प्राप्त होने वाली क्षति का मुआवजा (Reparation for the Injuries suffered in the service of U N O)—१९४८ में पेलेस्टाइन में स० रा० संध के मध्यस्थ (Mediator) कौण्ट बर्नडट मार डाले गये। इस घटना के बाद स० रा० संध ने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में परामर्शात्मक सम्मति इस विषय पर माँगी कि क्या संध को इसकी सेवा करते हुए मारे गए व्यक्ति के लिए इस हत्या की उत्तरदायी सरकार के विरुद्ध हर्जाना वसूल करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दावा करने का अधिकार है। यदि ऐसा है तो जिरा राज्य के व्यक्ति को यह क्षति पहुँची है उस राज्य के अधिकारों के साथ संध के कार्य का समन्वय किस प्रकार किया जा सकता है। इस विषय में न्यायालय की सर्वसम्मति थी कि स० रा० संध अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व रखता है, वह संध को क्षति पहुँचाने वाले किसी भी राज्य के विरुद्ध—भले ही वह संध का सदस्य न हो—मुकद्दमा चलाने और हर्जाना वसूल करने का अधिकार रखता है।

(५) स० रा० संध की सदस्यता के सम्बन्ध में जनरल असेम्बली का अधिकार (Competence of the General Assembly for the Admission of a State to U. N. O.)—१९४६-४७ में अनेक राज्यों ने स० रा० संध की सदस्यता के लिये आवेदन-पत्र दिये, किन्तु सोवियत रूस ने अपने निषेधाधिकार (Veto) का प्रयोग करते हुए सुरक्षा परिषद् में सब के आवेदन-पत्र रद्द कर दिये। इस पर जनरल असेम्बली ने न्यायालय में यह सम्मति माँगी कि क्या जनरल असेम्बली किसी राज्य की सदस्यता का प्रार्थना पत्र सुरक्षा परिषद् द्वारा अस्वीकृत होने पर उसे अपने निर्णय से संध का सदस्य बना सकती है। न्यायालय की सम्मति थी कि सुरक्षा परिषद् की सिफारिश न होने पर जनरल असेम्बली को अपने निर्णय द्वारा किसी देश को संध का सदस्य बनाने का अधिकार नहीं है।

(६) द० प० अफ्रीका का अन्तर्राष्ट्रीय दर्जा (International Status of South West Africa)—दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका के सम्बन्ध में न्यायालय की सम्मति

का पहले उल्लेख किया जा चुका है (देखिये पृ० १५०) ।

(७) हया डी ला टार्रे का मामला (Case of Hays de la Torre, 1951) — टार्रे पेद्रू का राष्ट्रीय एव राजनीतिक नेता था । इस पर यह आरोप था कि इन्होंने अपनी सरकार के विरुद्ध सैनिक विद्रोह भड़काने का प्रयत्न किया है । जब इसे पेद्रू की सरकार ने पकड़ना चाहा तो उसने पेद्रू की राजधानी लीमा में विद्यमान कोलम्बिया राज्य के दूतावास में शरण ले ली । पेद्रू की सरकार ने कोलम्बिया की सरकार से इसे अपराधी को लौटाने की प्रार्थना की । उसके न लौटाने पर यह मामला अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में लाया गया । न्यायालय की सम्मति थी कि गद्यपि अमरीकी राज्यों ने हवाना में किये गये अभिसमय (Havana Convention) में स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की थी कि स्थानीय अधिकारियों को दोनों राज्यों के सामान्य अपराधियों का प्रत्यर्पण किया जायगा, किन्तु इस प्रकार की कोई व्यवस्था राजनीतिक अपराधियों के बारे में नहीं की गई थी । फिर भी न्यायालय की सम्मति में टार्रे को गलत ढंग से आश्रय (Asylum) दिया गया था, पेद्रू इसे समाप्त करने की माँग कर सकता है, किन्तु कोलम्बिया सरकारों को प्रत्यर्पण करने के लिये बाध्य नहीं है ।

↳ (८) पुर्तगाल का भारतीय प्रदेश में से होकर गुजरने का अधिकार (Case concerning Right of Access of Portugal to certain territories of India) — १२ अप्रैल, १९६० का अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भारत और पुर्तगाल के एक महत्वपूर्ण विवाद में अपना निर्णय दिया । यह विवाद १९५४ में उत्पन्न हुआ था । इस वर्ष २१ तथा २२ जुलाई को गुजरात में पुर्तगाल की दो छोटी बस्तियाँ — दादरा तथा नगर हवेली में पुर्तगाली सत्ता के विरुद्ध विद्रोह हुआ । ये दोनों बस्तियाँ चारों ओर से भारतीय प्रदेश से घिरी हुई हैं और समुद्रतट पर स्थित पुर्तगाली बस्ती दमन में इन बस्तियों में आने के लिये भारतीय प्रदेश में से होकर गुजरना पड़ता है । जब इन दोनों बस्तियों में विद्रोह के बाद स्थापित नई व्यवस्था को कुचकन और अपना औपनिवेशिक शासन पुनः स्थापित करने के लिये पुर्तगाल ने अपनी नेताय भेजनी चाही तो भारत सरकार ने इन्हें अपने प्रदेश में से होकर दादरा और नगर हवेली तक जाने की आज्ञा नहीं दी । पुर्तगाल का यह नहना था कि १७७९ की संधि के अनुसार उसे इन बस्तियों पर प्रभुसत्ता प्राप्त है, स्थानीय प्रथा के अनुसार उसे इस प्रदेश में से अपने व्यक्तियों और सशस्त्र सेनाओं को अपनी बस्तियों तक ले जाने का मार्गाधिकार (Right of passage) है । वह इस मामले को १९५५ में विश्व न्यायालय में ले गया और उसने न्यायालय से यह प्रार्थना की थी कि वह उसके मार्गाधिकार को रबीकार करने हुए यह घोषणा करे कि भारत ने पुर्तगाल को सन्तान न देकर अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन किया है ।

न्यायालय में इस मामले पर पन्द्रह में से तैरह न्यायाधीशों ने पाँच वर्ष तक विचार किया । इनका निर्णय देते समय न्यायालय के दो जज मम्मिला नहीं हुए, सर हर्श लौटरेपैस्ट (जेट ब्रिटेन) बीमार थे और नव निर्वाचित जज राबर्टो अल्फारो इस समय तक हेम में नहीं थे । न्यायालय में १३ जजों के प्रतिरिक्त भारत और पुर्तगाल के तदर्थ न्यायाधीश (Ad Hoc Judges) अमरा थी एम० सी० छागन्दा और डॉ०

मैनुअल फनन्डिडस थे।

भारत ने पुर्तगाल द्वारा यह मामला न्यायालय में लाये जाने पर न्यायालय के इस मामले में क्षेत्राधिकार होने के सम्बन्ध में छह आपत्तियाँ की थीं। इनमें से चार आपत्तियाँ तो न्यायालय ने पहले ही रद्द कर दी थीं। पाँचवीं आपत्ति यह थी कि यह विरुद्ध रूप से भारत का घरेलू मामला है और छठी आपत्ति यह थी कि इस विवाद का प्रादुर्भाव १९३० में भारत द्वारा न्यायालय का क्षेत्राधिकार स्वीकार करने से पहले का है, अतः न्यायालय को इस मामले पर विचार करने का अधिकार नहीं है। किन्तु न्यायालय ने अपने निर्णय में ये दोनों आपत्तियाँ भी क्रमशः १३ तथा २ और ११ तथा ४ के बहुमत से स्वीकार नहीं कीं।

१७७६ की सधि के सम्बन्ध में दोनों पक्षों में बड़ा मतभेद था। भारत सरकार का यह कहना था कि इस सधि की धारा १७ के अनुसार (१२०००) ८० का भूमि-कर देने वाले प्रदेश तिस्वन को विधे गये हैं। पुर्तगाल द्वारा उपरिष्ठ की गयी सधि की व्याख्या के अनुसार उसे इस पर पूरी प्रभुसत्ता मिली थी। न्यायालय ने इस विषय में भारत के पक्ष का समर्थन किया, इस सधि की वैधता स्वीकार करते हुए भी इसे केवल १२०००) का भूमि-कर देने वाला बताया, प्रभुसत्ता देने वाला नहीं बताया। छह मतों के विरुद्ध नौ मतों से न्यायालय ने यह फैसला दिया कि भारत ने निजी व्यक्तियों को (Private persons) को मार्ग देने के सम्बन्ध में किसी अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व के प्रतिकूल आचरण नहीं किया।

इस मामले में पुर्तगाल का मुख्य दावा यह था कि उसे पश्चिमी तट पर दमन से दादरा और नगर हवेली की वस्तियों तक अपनी सेनाओं और सरकारों अधिकारियों को भारतीय प्रदेश में से होकर जाने का अधिकार है। इस विषय में न्यायालय ने केवल निजी व्यक्तियों का ही मार्गाधिकार स्वीकार किया, सेनाओं के गुजरने का अधिकार नहीं माना। न्यायालय के मतानुसार सशस्त्र सेनाओं के लिये प्रादेशिक प्रभु (Territorial Sovereign) से अनुमति ली जानी रही थी। इस प्रकार की अनुमति यह सूचित करती है कि पुर्तगाल को ऐसा कोई मार्गाधिकार नहीं था। न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी लिखा कि २१-२२ जुलाई की घटनाओं द्वारा इन वस्तियों में पुर्तगाली शासन का अन्त हो जाने के कारण इनके चारों ओर के भारतीय प्रदेश में बड़ी उत्तेजना थी, इस दशा में भारत को यह पूरा अधिकार था कि वह पुर्तगाली सेनाओं को अपने प्रदेश में से होकर न गुजरने दे। पुर्तगाल को भारत की अनुमति के बिना उसके प्रदेश में से सशस्त्र सेनाएँ, सशस्त्र पुलिस, हथियार और गोला बारूद ले जाने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायालय के बहुमत ने इस निर्णय से कई जजों ने मतभेद भी प्रकट किया। सोनियत जज श्री कोजेवर्निकोव का मत था कि न्यायालय को इस मामले पर विचार करने का कोई अधिकार न था। ग्रीक जज स्पिरोपोलोस (Spiropoulos) का मत था कि पुर्तगाली शासन का अन्त करके जनता ने अपना शासन स्थापित कर लिया है, नये शासन की स्थापना के साथ स्वतः ही पुर्तगाल का मार्गाधिकार भी समाप्त हो गया है। भारतीय जज श्री एम० सी० द्यागना ने यह मत व्यक्त किया कि पुर्तगाल अपने सीमित

मार्गाधिकार को सिद्ध करने के लिये भी आवश्यक प्रमाण उपस्थित नहीं कर सका। पुर्तगाली जज मैनूअल फर्नांडेस ने न्यायालय द्वारा पुर्तगाल के भी भारतीय प्रदेश में सेनायें न भेज सकने के निर्णय से असहपत्ति प्रकट की। स्पेइतिया के जज सर पर्सी स्पेंडर की यह सम्मति थी कि पुर्तगाल को म्यानीय प्रथा द्वारा भारतीय प्रदेशों में से होकर गुजरने का अधिकार है, ताकि वह दावरा और नगर हूत्ली पर अपना प्रभुत्व रख सके, किन्तु भारत को इसे नियन्त्रित करने का अधिकार है।

प्रोह विहीर का मामला (The Preah Vihear Case)—यह कम्बोडिया और थाइलैण्ड (स्याम) के बीच प्रोह विहीर नामक मन्दिर पर स्वामित्व तथा प्रभुसत्ता के बारे में एक झगडा था। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कम्बोडिया द्वारा ६ अक्टूबर १९५६ को दिये आवेदनपत्र के आधार पर इस मामले में अपना निर्णय १५ जून १९६२ को दिया। इसमें विवाद का विषय न्यायालय के अनुसार इस प्रकार है कि—'कम्बोडिया का यह दावा है कि थाइलैण्ड ने प्रोह विहीर मन्दिर के तथा इसके पास के क्षेत्र में कम्बोडिया की प्रादेशिक प्रभुसत्ता (Territorial Sovereignty) का उल्लंघन किया है। दूसरी ओर थाइलैण्ड का यह कहना है कि यह विवादग्रस्त मन्दिर उसके राज्य की सीमा के भीतर है। यह प्रादेशिक प्रभुसत्ता के विषय में विवाद है, न्यायालय को यह विचार करना है कि इस मन्दिर पर किस देश की प्रभुसत्ता है, यह किस देश की सीमा के अन्दर है।'

प्रोह विहीर का मन्दिर बहुत पवित्र है, कम्बोडिया और थाइलैण्ड की सीमा पर अवस्थित है। इस समय यद्यपि यह जीर्ण दशा में है, किन्तु इतिहास और पुरातत्व की दृष्टि में बड़ा महत्वपूर्ण है और तीर्थस्थान है। यह मन्दिर इसी नाम के मैदान में एकदम ऊँची उठी भूमि (Promontory) या चोटी पर बना हुआ है। यह छोटी दागरेक (Dangrek) पर्वतमाला के पूर्वी भाग में है। दागरेक पर्वतमाला सामान्य रूप से इस क्षेत्र में दोनों देशों की सीमा बनानी है। इसके दक्षिण में कम्बोडिया है तथा उत्तर में थाइलैण्ड। १९०४ तथा १९०७ की संधियों के अनुसार उस समय के दोनों देशों स्याम (उस समय थाइलैण्ड का यही नाम था) तथा फ्रांस (उस समय कम्बोडिया पर फ्रांस का अधिकार था) ने सीमा-सम्बन्धी यह समझौता किया था और १९०४ की संधि में यह तय हुआ था कि प्रोह विहीर के क्षेत्र में जलविभाजन (Watershed) को सीमा माना जायगा। उस समय जल विभाजक सीमा (Watershed Boundary) को प्रदर्शित करनेवाले नक्शे भी फ्रांस ने तैयार किये तथा स्याम को दिये। दोनों देशों की सीमा निर्धारित करने के लिये एक फ्रान्को-स्यामी सराधन आयोग (Franco-Siamese Conciliation Commission) भी बनाया गया। इस आयोग में स्याम ने प्रोह विहीर के मन्दिर पर अधिकार के विषय में कोई आपत्ति या प्रश्न नहीं उठाया।

इस आयोग का कार्य समाप्त होने के कुछ समय बाद फरवरी १९६६ में फ्रांस ने थाइलैण्ड की सरकार को यह नोट भेजा कि उस यह सूचना मिली है कि स्याम की सरकार ने प्रोह विहीर के मन्दिर में अपने चार रक्षक भेजे हैं, इस विषय में अपने पूरी सूचना माँगी। स्याम ने इस नोट का कोई उत्तर नहीं दिया और न ही मार्च १९६६

मे भेजे फ्रांस के इस विषय के दूसरे नोट का कोई उत्तर दिया। मई १९४६ में फ्रांस ने इस विषय में अपने तीसरे नोट में शक्रेप से बताया कि वह विन काररणों के आधार पर प्रीह विहीर को कम्बोडिया में समझता है, थाईलैण्ड द्वारा छापे गये एक मानचित्र में यह बात स्वीकार भी की गई है। अतः स्वाम की यहाँ से अपने रक्षक हटा लेने चाहिएँ। इस नोट में इस प्रदेश पर फ्रांस की प्रभुसत्ता का बड़े स्पष्ट तथा अस्पष्ट शब्दों में प्रतिपादन था। स्वाम ने इस नोट का तथा जुलाई १९५० में भेजे गये एक अन्य फ्रेंच पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया।

१९५३ में कम्बोडिया फ्रांस के प्रभुत्व से स्वाधीन हुआ। उसने यह निश्चय किया कि वह इस मन्दिर में अपने रक्षक (Keepers) भेजेगा। इन्हे यहाँ भेजने पर पता लगा कि यहाँ स्वामी रक्षक पहुँचे थे ही विद्यमान हैं। इस पर जनवरी १९५४ में कम्बोडिया ने एक नोट भेजकर थाईलैण्ड से इस बारे में पूरी जानकारी माँगी। स्वाम ने केवल इस नोट की पहुँच की स्वीकृति भेजी, किन्तु इस मन्दिर के विषय में न तो कोई बात लिखी और न ही इस पर प्रयुक्तता का कोई दावा किया। मार्च १९५४ में थाईलैण्ड की सरकार को कम्बोडिया ने यह सूचित किया कि थाईलैण्ड ने उसके पहले नोट का कोई टोम उत्तर नहीं दिया अतः उसका विचार अब यहाँ पहुँचे वापिस बुलाये रक्षकों के स्थान पर कम्बोडिया के सैनिक भेजने का है। इस पत्र में कम्बोडिया ने मई १९४६ के पत्र में दिये गये विवरणों के आधार पर प्रीह विहीर मन्दिर पर अपने अधिकार का प्रबल समर्थन किया। थाईलैण्ड ने कम्बोडिया के इस पत्र का भी कोई उत्तर नहीं दिया। कम्बोडिया ने जून १९५४ में थाईलैण्ड को एक अन्य नोट में यह कहा कि उसे यह सूचना मिली है कि थाई सेना ने प्रीह विहीर पर अधिकार कर लिया है और कम्बोडिया के सैनिकों को यहाँ हमलिया नहीं भेजा जा रहा कि स्थिति विगड़ न आवे। थाईलैण्ड को अपनी सेना यहाँ से वापिस बुला लेनी चाहिये या इन विषय में अपने विचारों की सूचना देनी चाहिये। थाईलैण्ड ने इस पत्र का भी कोई उत्तर नहीं दिया और उसके सैनिक प्रीह विहीर में जमे रहे।

इसके बाद दोनों देशों में इस विषय में कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ। किन्तु अन्त में १९५८ में थाईलैण्ड की राजधानी बंकाक में दोनों देशों का एक सम्मेलन विवादग्रस्त प्रादेशिक मामलों पर विचार करने के लिये हुआ। इसमें प्रीह विहीर का मामला भी था। थाई प्रतिनिधि ने इस पर चान करना स्वीकार न किया और यह सम्मेलन भंग हो गया। इस पर कम्बोडिया यह प्रश्न अक्टूबर १९५९ में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले गया।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस विषय में नीचे के विरुद्ध नौ वोटों के बहुमत से यह निर्णय किया कि प्रीह विहीर का मन्दिर कम्बोडिया राज्य की सीमा के भीतर है, थाईलैण्ड (स्वाम) को यहाँ से अपनी सेना हटा लेनी चाहिये। इसके साथ ही के विरुद्ध सात वोटों से न्यायालय ने यह भी निर्णय किया कि थाईलैण्ड ने १९५४ में मन्दिर

पर अधिकार करने के बाद यहाँ में जो पुरानी मूर्तिर्या हटायी हो, वे कम्बोडिया को वापिस लौटा देनी चाहिये ।

इस मामले में न्यायालय ने कम्बोडिया का यह दावा स्वीकार किया कि १९०६ में दोनो देशों के संयुक्त आयोग (Franco-Siamese Commission) ने दांगरेक पर्वतमाला भूजल विभाजक को सीमा स्वीकार किया था, इसके अनुसार यह मन्दिर कम्बोडिया के और की ढाल पर है, अतः यह उसके प्रदेश में है ।

इस मामले में स्वाम का यह कहना था कि उसने इस सीमा पर तथा १९०८ के नक्शों पर अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं की । अतः यह प्रदेश उसके अधिकार में है । किन्तु न्यायालय ने प्रतिषेध (Preclusion) या निवन्धन (Estoppel) के सिद्धान्त के आधार पर स्वाम का दावा अस्वीकार करते हुए इसका बड़े विस्तार में प्रतिपादन किया । न्यायाधीश अल्फेरो (Alfero) के कथनानुसार इस सिद्धान्त का यह अभिप्राय है कि अन्तर्राष्ट्रीय झगडों में कोई भी देश उस दसा में अपने पहले कार्यों से तथा स्वयं से बाँधा होता है जबकि वह मुकद्दमे में अपने पहले कार्यों से विरोधी स्वयं करता है । इस सिद्धान्त का मूलतत्त्व यह है कि किसी राज्य द्वारा मुकद्दमे के समय अपनाई गई स्थिति तथा किए गए दावों में और उसके इस नियम के पहले के व्यवहार एवं आचरण में कोई विरोध या असंगति (Inconsistency) नहीं होनी चाहिये । ऐसी असंगति को न्यायालय में कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता (allegans Contraria non audiondus est) । किसी राज्य का झगडे से पहले का स्वयं या कार्य उसके लिखित वक्तव्य, घोषणा, व्यवहार या मौन स्वीकृति में सूचित होता है । यदि कोई राज्य विरोधी तथ्यों की उपस्थिति में चुप रहता है, उमका कोई प्रतिवाद या विरोध नहीं करता तो यह समझा जायगा कि उसने इस प्रकार इस विषय में अपनी मौन सहमति (Tacit Consent) दे दी है तथा मुकद्दमे में वह इसके विपरीत स्थिति नहीं ग्रहण कर सकता । यह सिद्धान्त उसे ऐसी स्थिति ग्रहण करने से रोकता (Preclude या Stop) है, अतः इसे Estoppel या Preclusion कहते हैं । वादी या प्रतिवादी का पहला आचरण या व्यवहार उसे ऐसा बाँध देता है कि वह उसके विपरीत कोई विरोधी स्थिति मुकद्दमे में नहीं ग्रहण कर सकता अतः इसे निवन्धन (Estoppel) कहते हैं । यह उसे पहली स्थिति से विरोधी स्थिति लेने का निषेध करता है, अतः इसे प्रतिषेध या प्रतिषारण (Preclusion) का सिद्धान्त भी कहते हैं ।

इस मामले में थाईलैण्ड का यह कहना था कि उसने कम्बोडिया के तत्कालीन फ्रेंच अधिकारियों को उनके सीमा सम्बन्धी नक्शों के बारे में पत्र द्वारा निधिपूर्वक कोई सहमति नहीं भेजी । किन्तु न्यायालय का यह मत था कि थाईलैण्ड ने अपने आचरण (Conduct) से इस विषय में निश्चित रूप से सहमति प्रदान की है । यदि वे इस नक्शों में दी गई सीमा में सहमत नहीं थे तो उन्हें तर्कमगत अवधि (Reasonable Period) के भीतर इसका विरोध प्रकट कर देना चाहिये था । "उन्होंने ऐसा विरोध न तो उस समय प्रकट किया और न ही बहुत वर्षों तक प्रकट किया, अतः यह समझना चाहिये कि उन्होंने इस पर सहमति प्रदान की है ।"

“यदि १९०८ में स्याम द्वारा नक्सों की तथा सीमान्त की स्वीकृति में कोई सदेह हो तो भी न्यायालय वाद की घटानाओं के प्रकाश में यह समझता है कि अब थार्डलैण्ड को अपने आचरण के कारण यह दावा करने का अधिकार नहीं है कि उसने यह सीमा नहीं स्वीकार की। १९०४ की संधि के लाभों का स्याम ने गचास वर्ष तक उपयोग किया है, इसमें उसे म्यार्था सीमा का लाभ प्राप्त हुआ है। फ्रांस ने तथा उसके द्वारा कम्बोडिया ने यह विद्वानस क्रिया है कि थार्डलैण्ड ने नक्शा स्वीकार किया है। अतः अब थार्डलैण्ड के लिये यह मार्ग खुला नहीं है कि वह एक ओर इन संधि के लाभों का उपयोग करे और दूसरी ओर इन बातों को अस्वीकार करे कि उसने इन संधि पर कभी सहमति नहीं प्रदान की।”

३ जुलाई १९६२ को बकाक से की गई एक सरकारी घोषणा के अनुसार थार्डलैण्ड ने विरोध प्रकट करते हुए न्यायालय के इस निर्णय को मान लिया, किन्तु इसके साथ इस मन्दिर के चारों ओर की भूमि में सेनाएँ रखने का अपना अधिकार सुरक्षित रखने का विचार प्रकट किया।^१

यह निर्णय कई दृष्टियों में महत्वपूर्ण है। इसमें न्यायालय ने पहली बार अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं की वैधता पर विस्तार से विचार किया और इसके मौलिक सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण किया। निवन्धन के सिद्धान्त का भी विशद प्रतिपादन किया।^२ भारत चीन-सीमा विवाद के प्रसंग में इस निर्णय का विशेष महत्व है क्योंकि इसमें अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के निर्धारण करने के सिद्धान्त बताये गये हैं।

✓ मध्यपूर्व तथा कांगो में २० रा० संधि की कार्यवाही पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में परामर्शात्मक सम्मति (Advisory opinion on Costs of U N operation in the Middle East and Congo) — अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने २० जुलाई १९६२ को इस विषय में अपनी सम्मति दी कि मध्यपूर्व तथा कांगो में ज्ञान्ति स्थापित

१. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की रिपोर्ट १९६२, पृ० ३१

२. इनके बिल्टन विवरण के लिए देखिये—डा० २० अन्तर्राष्ट्रीय—डी प्रोड विहीर केस एचड दी लासो-दरिडियन नाउगहरी स्टैशन १९६१

३. इस निर्णय को स्वीकार करते हुए भा थार्डलैण्ड ने इस निर्णय में लसडे विरुद्ध मत देने वाले न्यायाधीशों के देशों के विरुद्ध जो क दावा की, वह निगान अरासमीय थी। इस मामले पर विचार करने समय न्यायालय के अध्यक्ष पानेरट व थ, अत २१ जून को थार्डलैण्ड ने एक घोषणा की कि पौरैण्ट के जवान थार्डलैण्ड के ५-दरगाओं में नहीं रुक सकन, वो रैण्ट के न्यायाधिक प्रति-निधियों को देश छोड़कर चले जाने की आशा दा गद। इस मामले में मिगि एच फ्रेंच न्यायाधीशों ने थार्डलैण्ड के विरुद्ध वोट दिया था, क्रॉच बिबेरा मन्त्रालय के दो कानूनी परामर्शदाता स० रा० अमरिका के श्री अचेसन (Acheson) के साथ कम्बोडिया की ओर दस मामले में वकील थे, अत थार्डलैण्ड की सरकार ने इन देशों से विरोध प्रकट करने के लिए १६ जून को यह घोषणा की कि वह लाओम के सम्बन्ध में जेनेवा में होने वाले सम्मेलन में तथा दक्षिणपूर्वी एशिया मन्त्रिमंडल (SEATO) की बैठक में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजेगा, २१ जून को उसने पेरिस में विद्यमान अपने दूत को वहाँ से लौटने के लिये तैयार रहने को कहा (कीमिगुस आर्कोमन्त्र १९६२, पृ० २८६३१)।

करने के लिए सच की ओर से की जाने वाली फौजी कार्यवाहियों पर होने वाले व्यय को देने के सम्बन्ध में सच के सदस्यों की वित्तीय जिम्मेवारी कहां तक है, क्या ऐसा व्यय स० रा० सच का व्यय समझा जाना चाहिये और इसे सच के चार्टर की धारा १७ पैराग्राफ २ के अनुसार सब सदस्य राज्यों में बाँटा जाना चाहिये ।

इस सम्बन्ध में खर्च न देने वाले प्रमुख राज्य मोवियन युनियन तथा साम्यवादी गुट के अन्य देश हैं, इन्होंने इसके लिये एक पाई भी नहीं दी । ऐसे अन्य राष्ट्र, राष्ट्रवादी चीन, फ्रान्स और अरब देश हैं । इनका यह कहना था कि सच के विधान के अनुसार ये विशेष व्यय हैं । 'सच के सचों (Expenses of Organization) में नहीं आते, इन ये इन्हें देने के लिये बाध्य नहीं है । इस पर जनरल असेम्बली ने २० दिसम्बर, १९६१ को पारित किये एक प्रस्ताव द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से सच के चार्टर की धारा १७ के पैरा २ की प्रामाणिक व्याख्या के सम्बन्ध में सम्मति माँगी और न्यायालय ने यह सम्मति दी कि कागो में की जाने वाली फौजी कार्यवाही पर होने वाला व्यय 'सच का व्यय' है और इसका वहन सच के सदस्यों को करना चाहिये ।

दक्षिण अफ्रीका के मामले (South West African Cases)— इस मामले में १८ जुलाई १९६६ को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने समापति के निर्णायक मत में एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है । यह मामला हेग के न्यायालय में ४ नवम्बर १९६० को ईथियोपिया तथा लाइबेरिया के अफ्रीकी राज्यों ने दक्षिण अफ्रीका की सरकार के विरुद्ध इस आधार पर प्रस्तुत किया था कि उसने दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र सच द्वारा दिये गये शासनादेश (Mandate) के बर्तव्यों तथा दायित्वों का पालन नहीं किया है । इस मामले को अच्छी तरह समझने के लिये इसकी पृष्ठभूमि का परिचय होना आवश्यक है । प्रथम विश्वयुद्ध से पहले दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका का प्रदेश जर्मनी के अधीन इसका मरिश्त राज्य था । युद्ध में जर्मनी के हारने पर बर्साय की संधि द्वारा जर्मनी ने यह प्रदेश अपने साम्राज्य के अन्य भागों की भाँति मित्रराष्ट्रों को सौंप दिया । इन्होंने राष्ट्र सच के सविधान की धारा २२ के अनुसार इस प्रदेश पर शासन करने का अधिकार ब्रिटिश सरकार की ओर से दक्षिण अफ्रीका के सच (Union of South Africa) को सौंप दिया । १७ दिसम्बर १९२० को राष्ट्र सच की परिषद् ने इस शासनादेश को संपुष्ट करते हुए उसकी शर्तों का स्पष्टीकरण किया । इन शर्तों के तथा राष्ट्र सच के सविधान की धारा २२ के अनुसार दक्षिण अफ्रीका ने दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका पर राष्ट्र सच की ओर से इन उद्देश्यों में शासन करना था कि वह इस प्रदेश में निवासियों के कल्याण और विकास में सहायक हो । राष्ट्रसच की परिषद् को यह अधिकार था कि वह इसके प्रशासन का निरीक्षण करे और यह पता लगाये कि दक्षिण अफ्रीका इस दिशा में अपने दायित्वों का पूरा कर रहा है । दक्षिण अफ्रीका ने कई बार इस प्रदेश को अपने राज्य में मिलाने की इच्छा प्रकट की,

६. इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ़ अफ्रीक की रिपोर्टें १९५६, पृ० ६, इण्डियन नॉनल अफ्रीक इंटरनेशनल ला, जुलाई १९५६, पृ० ४०५-४५६

किन्तु राष्ट्र सभ इस पर आपत्ति करता रहा। द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति पर स० राष्ट्र सभ की स्थापना होने पर राष्ट्र सभ द्वारा शासनादेशप्राप्त (Mandated) सभी प्रदेश या तो स्वतन्त्र हो गये अथवा स० रा० सभ की सरक्षकता (Trusteeship) में आ गये। केवल दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका पर ही दक्षिण अफ्रीका के सभ का प्रभुत्व बना रहा और वह स० रा० सभ को प्राप्त नहीं हुआ। सभ की पहली सामान्य असेम्बली में दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि ने यह कहा कि दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के अधिकांश निवासी दक्षिण अफ्रीका के सभ में मिलना चाहते हैं, किन्तु असेम्बली ने इसे स्वीकार न करते हुए यह निफारिस की कि इसे स० रा० सभ की अन्तर्राष्ट्रीय न्यास पद्धति (Trusteeship System) में लाया जाय। दक्षिण अफ्रीका इसके लिये तैयार नहीं था, फिर भी वह इस बात के लिये तैयार हो गया कि "वह इसकी यथापूर्व स्थिति (status quo) बनाये रखेगा और शासनादेश की वर्तमान भावना में इसका प्रशासन करता रहेगा। इस समय उसने इसके शासन के विषय में स० रा० सभ को प्रतिवर्ष रिपोर्ट देना स्वीकार किया। किन्तु १९४६ से ऐसी रिपोर्ट देना बन्द कर दिया और दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका को सभ की न्यास पद्धति में देने से इन्कार किया तथा यह कहा कि इसके प्रशासन के सम्बन्ध में वह सभ को कोई रिपोर्ट देने को बाध्य नहीं है।

इस समस्या के उलझ होने पर जनरल असेम्बली ने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर तथा इस प्रदेश के सम्बन्ध में दक्षिण अफ्रीका के दायित्वों के बारे में परामर्शात्मक सम्मति माँगी। १९५०, १९५५ तथा १९५६ में न्यायालय ने इस विषय में अपनी सम्मतियाँ देते हुए यह कहा था कि (१) राष्ट्र सभ का अन्त हो जाने पर भी उसका शासनादेश बना हुआ है। (२) सामान्य असेम्बली को इस प्रदेश पर किये शासन की देखभाल करने के वही अधिकार प्राप्त है जो इससे पहले इस प्रदेश के प्रशासन के सम्बन्ध में राष्ट्र सभ को प्राप्त थे। (३) दक्षिण अफ्रीका का यह कर्त्तव्य है कि वह इसपर जनरल असेम्बली के निरीक्षण तथा नियन्त्रण की स्वीकार करे और प्रतिवर्ष इसे अपने शासन की रिपोर्टें भेजे। (४) स० रा० सभ ने चार्टर के अध्याय १२ के अनुसार दक्षिण अफ्रीका इस बात के लिये कानूनी तौर से बाध्य नहीं है कि वह इस प्रदेश को न्यास पद्धति में (Trusteeship System) में लाये। (५) दक्षिण अफ्रीका को यह अधिकार नहीं है कि वह स० रा० सभ की सहमति के बिना दक्षिण पश्चिमी-अफ्रीका की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में कोई परिवर्तन करे। दक्षिण अफ्रीका ने इन सम्मतियों को मानने से इन्कार कर दिया।

इसके बाद इस प्रश्न पर विचार करने के लिये जनरल असेम्बली ने २६ फरवरी १९५६ को दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका विषयक समिति (Committee on South West Africa) का निर्माण किया। १७ नवम्बर १९५६ को घान हुए एक प्रस्ताव द्वारा जनरल असेम्बली ने इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर अपने सदस्यों को यह सलाह दी कि वे दक्षिण अफ्रीका के साथ विवादग्रस्त दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के गैरिडेंट के विषय में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने का यत्न करें।

इसपर ४ नवम्बर १९६० को ईथियोपिया तथा लाइबेरिया ने पहली बार अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध इस आधार पर आवेदनपत्र दिया कि दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका के शासनादेश (Mandate) के प्रश्न पर तथा शासनादेश प्राप्त करने वाली (Mandatory) शक्ति के रूप में दक्षिण अफ्रीका के अनियम के कर्तव्यों तथा कार्यों पर विचार करे। इस पर ३० नवम्बर १९६१ को दक्षिण अफ्रीका ने अपनी प्रारम्भिक आपत्ति यह उठाई कि इसके विरुद्ध लाये गये मामले पर विचार करने का क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) न्यायालय को नहीं है। २१ दिसम्बर १९६२ को न्यायालय ने ७ के विरुद्ध ८ वोटों से दक्षिण अफ्रीका की आपत्तियों को रद्द करते हुए कहा कि न्यायालय को इस विषय पर विचार करने का पूरा अधिकार है।

इसके बाद इस मामले का दूसरा दौर (Second Phase) शुरू हुआ। २३ दिसम्बर १९६४ को ईथियोपिया तथा लाइबेरिया ने दक्षिण अफ्रीका सभ पर दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के प्रशासन के सबन्ध में दिये गये शासनादेश को मग करने के आरोप-लगाते हुए न्यायालय में इन विषयों पर विचार एवं धारणा करने के लिये कहा— (१) दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका सभ को शासनादेश (Mandate) के रूप में मिला हुआ प्रदेश है। (२) दक्षिण अफ्रीका सभ पर शासनादेश के सभी बन्धन और दायित्व लागू हैं, स० रा० सभ को उसके प्रशासन के निरीक्षण और नियन्त्रण का अधिकार है, उसे इन विषय में स० रा० सभ को वार्षिक रिपोर्ट देनी चाहिये। (३) रंग-भेद एवं पार्थक्य (Apartheid) की नीति अपनाते के कारण दक्षिण अफ्रीका इस प्रदेश के निवासियों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करने में विफल सिद्ध हुआ है, उसने इस प्रदेश के निवासियों के साथ उनकी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के अनुसार व्यवहार नहीं किया है, इन प्रकार उसने इस प्रदेश के निवासियों के लिये आत्मनिर्णय और स्वतन्त्रता प्राप्त के द्वार बन्द कर दिये हैं। इस प्रदेश में सैनिक अड्डे स्थापित किये हैं। (४) दक्षिण अफ्रीका सभ ने स० रा० सभ की सहमति के बिना शासनादेश की शर्तों में गम्भीर परिवर्तन करने का प्रयत्न किया। (५) न्यायालय में यह भी प्रार्थना की गई थी कि वह इस बात पर भी विचार करे कि उपर्युक्त कार्यों से दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका के सबन्ध में दक्षिण अफ्रीका सभ को दिये गये शासनादेश का भंग होता है, अतः उसका यह कर्तव्य है कि वह ऐसे कार्य करना बन्द कर दे तथा इस विषय में अपने दायित्वों और कर्तव्यों का पालन करे।

चिन्तु न्यायालय ने इन मौलिक प्रश्नों पर विचार करने के स्थान पर केवल इसी विषय पर जाँच और विचार किया कि क्या आवेदनकर्ताओं (ईथियोपिया तथा लाइबेरिया) को इस विषय में अपना दावा करने का कोई कानूनी अधिकार (legal right or interest) है। न्यायालय का यह तर्क था कि यह विषय इन मामलों के Merits से सम्बद्ध था, जब कि १९६२ में न्यायालय ने जित्त प्रश्न पर निर्णय किया था, वह इसके सम्मुख आवेदनकर्ताओं की स्थिति के बारे में था। न्यायालय का यह मत था कि शासनादेश के प्राविधान (Substantive provisions of the Mandate) दो प्रधान वर्गों में बाँटे जा सकते हैं—(क) सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थाएँ

या प्राविधान (Conduct provisions), (ख) विशेष हितों वाले प्राविधान (Special interests provisions) । सञ्चालनविषयक व्यवस्थाय शासनादेश प्राप्त करने वाले राज्य के अधिकारों का तथा इस प्रदेश के निवासियों के प्रति तथा सच एव दूसरे विभिन्न श्रेणों के प्रति इसके दायित्वों का प्रतिपादन करती हैं । दूसरे प्रकार की व्यवस्थाएँ वे विशेष हितों वाली हैं जो शासनादेशप्राप्त (Mandated) प्रदेश के बारे में सच के सदस्यों को नैमित्तिक राज्यों के रूप में प्रयत्न इनके नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान करते हैं । न्यायालय का यह मत था कि इस मामले का सम्बन्ध पहले प्रकार की व्यवस्थाओं से था । न्यायालय ने आवेदनकर्ताओं का यह तर्क नहीं स्वीकार किया कि यद्यपि शासनादेश प्राप्त करने वाले राज्य सच की परिपद के सम्मुख उत्तरदायी है, फिर भी सच के सदस्यों को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि शासनादेश की व्यवस्थाओं का उल्लंघन होता हो तो वे न्यायालय से न्याय प्राप्त करें । न्यायालय की दृष्टि में आवेदनकर्ताओं को न्यायालय से शासनादेश के उल्लंघन के सम्बन्ध में न्याय पाने के लिये तथा इस विषय में घोषणात्मक निर्णय पाने के लिये कोई कानूनी अधिकार होना चाहिये था, किन्तु उन्हें ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं है, अतः न्यायालय इस प्रश्न पर विचार नहीं कर सकता है । न्यायालय ने इस विषय पर मानवीयताविषयक तर्क (Humanitarian grounds) के आधार पर भी विचार करने से इनकार किया क्योंकि कानूनी मामलों पर विचार करने वाला न्यायालय (Court of law) होने के नाते ऐसे प्रश्नों पर विचार नहीं कर सकता था । इसके बाद न्यायालय ने आवेदनकर्ताओं की इस प्रधान युक्ति को भी नहीं स्वीकार किया कि शासनादेश का क्षेत्राधिकार निर्देश करने वाली धारा (Jurisdictional clause) इस विषय में आवेदनकर्ताओं को कानूनी कार्यवाही करने का कोई अधिकार प्रदान करती है, विद्वान् न्यायाधीशों ने इस धारा की अत्यन्त नवीर्य व्याख्या करते हुए यह परिणाम निकाला कि आवेदनकर्ताओं की प्रार्थना पर इसलिये विचार नहीं किया जा सकता कि वे इस बात को सिद्ध नहीं कर सकें हैं कि उन्होंने जिस विषय में न्याय पाने के लिये आवेदनपत्र दिया है उस विषय में उन्हें यह न्याय पाने का कोई कानूनी अधिकार या हित (Legal right or interest) है । अतः अध्येक्ष के निर्णायक मत से न्यायालय ने ईथियोपिया तथा लाइबेरिया के दावे १५ जुलाई १९६६ को रद्द कर दिये ।

३ न्यायालय के १९६६ के निर्णय की अफ्रीका तथा एशिया में बड़ी कड़ी आलोचना हुई है । यह आलोचना निम्नलिखित कारणों के आधार पर की गई है—(१) यह निर्णय १९६२ में इस मामले में दिये गये इसी न्यायालय के निर्णय का दो बातों में विरोधी तथा प्रतिकूल है । पहली बात यह है कि १९६२ में इस न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा था कि मैग्नेट पद्धति के अनुसार दिये गये शासनादेश की दो विशेषताएँ हैं—(क) यह शासन करने वाले देश को "सम्पत्ता की पवित्र धरोहर या न्यास (Sacred Trust of Civilisation) के रूप में दिया जाता है । (ख) इस न्यास के अनुसार शासनकार्य ठीक रीति से चलता रहे, इसके लिये इसमें समुचित व्यवस्थाएँ की गई हैं और न्यायालय को भी इनके पालन के लिये अधिकार दिये गये हैं । १९६२

मे इन बातों को स्वीकार करने के बाद १९६६ में इसके सर्वथा प्रतिकूल न्यायालय ने यह घोषणा की कि १९६२ में इसमें प्रतिपादित क्रिया गया यह विचार भ्रान्तिपूर्ण था कि 'पवित्र धरोहर' की रक्षा के लिये कोई कानूनी कार्यवाही की जा सकती थी। दूसरी बात यह थी कि १९६२ में न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया था कि ईथियोपिया तथा लाइबेरिया को इस मामले में कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार है या नहीं। दक्षिण अफ्रीका का यह कहना था कि सच के किसी सदस्य को इस विषय में कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है, उन समय न्यायालय ने यह तर्क स्वीकार कर दिया था। किन्तु १९६६ में अपने इस पूर्व निर्णय के सर्वथा प्रतिकूल जाते हुए उन्होंने ईथियोपिया तथा लाइबेरिया का इस मामले में कोई अधिकार नहीं माना। इस विषय में ६० अफ्रीका के एक न्यायाधीश वानबिक ने लिखा था कि इस निर्णय के अधिकांश तर्क १९६२ के निर्णय में दिये गए तर्कों के प्रतिकूल और विरोधी हैं।

(२) १९६२ के निर्णय में न्यायालय ने ६० अफ्रीका की यह युक्ति स्वीकार नहीं की थी कि मैग्नेट की धारा के अनुसार वर्तमान विषय में कोई 'विवाद' (Dispute) नहीं क्योंकि इससे आवेदनकर्ताओं के किसी भी तर्क हित को कोई क्षति नहीं पहुँचती है। उस समय न्यायालय ने कहा था कि सच के सदस्यों को इस बात का कानूनी अधिकार प्राप्त है कि वे मैग्नेट पद्धति का पालन करवाते रहे। इसी आधार पर १९६२ का निर्णय दिया गया था। १९६२ में इस प्रकार स्थापित एवं प्रतिपादित की गई व्यवस्था का न्यायालय ने १९६६ में विरोध किया। एक अमेरिकन न्यायाधीश जेम्स ने इसे कानून के क्षेत्र में सर्वथा निराधार व्यवस्था (Completely unfounded in law) कहा है। (३) न्यायालय द्वारा आवेदनकर्ताओं के लिये इस मामले में कानूनी अधिकार होने का तर्क उठाना सर्वथा अर्थात् और अयोग्य था। न्यायालय के विधान एवं निर्णयों में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं कि इसके सामने मामला लाने वाले आवेदनकर्ता देश के लिए यह आवश्यक है कि वह इस विषय में अपना कानूनी अधिकार सिद्ध करे। न्यायाधीश जेम्स ने इस विषय में यह ठीक ही लिखा था कि इस कथन की पुष्टि में एक भी प्रमाण उपस्थित नहीं किया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा इस प्रकार का विरोधी निर्णय देने का कारण यह था कि १९६२ का निर्णय ७ के विरुद्ध ८ के बहुमत से हुआ था। किन्तु १९६६ में १४ न्यायाधीश थे, इनमें मात्र पुराने न्यायाधीश थे और सात नये। पुराने न्यायाधीशों में सर परसी स्पेन्डर न्यायालय के अध्यक्ष थे, इन्होंने १९६२ में न्यायालय के बहुमत के निर्णय से अग्रहमति प्रकट की थी और इस समय १९६२ वाले निर्णय के प्रतिकूल निर्णय को उन्होंने अपने निर्णायक वोट में बहुमत का निर्णय बनाया। इसके अतिरिक्त न्यायालय के एक न्यायाधीश पाकिस्तान के जफरुल्ला खान ने अपना मत नहीं दिया क्योंकि उनका यह कहना था कि प्रधान न्यायाधीश ने उन्हें इन कारण इस मामले में मत न देने की मताह दी क्योंकि उन्हें एक बार प्रार्थी राज्यों ने तदर्थ न्यायाधीश (Judge ad hoc) के रूप में मनोनित किया था।

१९६६ में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपने १९६२ के निर्णय के प्रतिकूल निर्णय

करने अपनी स्थिति तथा प्रतिष्ठा को गहरा घक्का पहुँचाया है, १९६६ में कोई नवीन परिस्थितियाँ न होने पर भी ऐसा निर्णय होने का यह कारण था कि १९६२ वाले सान न्यायाधीश अवकाश ग्रहण कर चुके थे ; न्यायाधीश विभिन्न देशों से निर्वाचित होने पर भी न्यायालय का कार्य निष्पक्ष रीति से करते हैं। फिर भी इस मामले में यह बात उल्लेखनीय है कि १९६२ के निर्णय से असहमति रखने वाले तथा १९६६ में बहुमत रखने वाले न्यायाधीश आस्ट्रेलिया, फ्रांस, ग्रीस, इटली, पोलैण्ड, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन के थे। पोलैण्ड के अतिरिक्त इन देशों की सरकारें दक्षिण अफ्रीका की नीति की कटु आलोचक नहीं हैं। किन्तु १९६६ में असहमति प्रकट करने वाले न्यायाधीश चीन, जापान, मेक्सिको, नाइजीरिया, सेनेगल, सोवियत सघ, और स० रा० अमेरिका के थे। स० रा० अमेरिका के अतिरिक्त इन देशों की सरकारें दक्षिणी अफ्रीका के कार्यों और नीतियों की कटु आलोचक रही हैं। यह सम्भव है कि यह केवल सयोग हो, किन्तु इससे न्यायालय की प्रतिष्ठा को गहरा घक्का पहुँचा है, एशिया तथा अफ्रीका के देशों में इस न्यायालय की निष्पक्षता में गहरा सदेह उत्पन्न हो गया है।*

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का मूल्यांकन—इस विषय में बम्बई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा स० रा० अमेरिका में भारत के राजदूत श्री एम० सी० छागला ने यह सत्य ही कहा है—'न्याय का अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय स० रा० सघ का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। यद्यपि यह पूर्ण नहीं है, इसके पास वह सत्ता और अधिकार नहीं है, जो इसे प्राप्त होना चाहिए। फिर भी यह एक महान् विचार का मूर्त रूप है, एकमात्र यही विचार राष्ट्रों में शान्ति और सद्भाव लाने वाला है। इस विचार के अनुसार जैसे व्यक्ति आपस में विवाद होने पर एक दूसरे का गला काटने का नहीं दीडते, वैसे ही राष्ट्रों को भी आपस में मतभेद होने पर शस्त्रों का सहारा नहीं लेना चाहिये, किन्तु एक स्वतन्त्र और निष्पक्ष न्यायालय के निर्णयों को स्वीकार करना चाहिए। इस न्यायालय में स्वतन्त्रता तथा पक्षपात-हीनता तो है, किन्तु इसके पास पूरी सत्ता और अधिकार नहीं है। यदि मुझे का स्थान इस न्यायालय को ग्रहण करना तो है अभी बहुत कुछ करना होगा। अन्तर्राष्ट्रीय कानून को सुदृढ और सुस्थिर आधार पर प्रतिष्ठित करना होगा। न्यायालय का क्षेत्राधिकार ऐच्छिक के स्थान पर सब मामलों में अनिवार्य हो जाना चाहिए और अन्त में न्यायालय के प्रत्येक निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए उसके पीछे उचित अनुज्ञप्ति (Sanctions) होनी चाहियें। इसके निर्णयों को आवश्यकता पड़ने पर स० रा० सघ के बलपूर्वक क्रियान्वित करनेवाले साधनों (Coercive machinery) द्वारा लागू किया जाना चाहिये।"

७. इस निर्णय की आलोचना के लिये देखिये इण्डियन जर्नल ऑफ इन्टरनेशनल लॉ, जुलाई १९६६, पृ० ३-३-३२४

बीसवाँ अध्याय

अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का निवटारा (Settlement of International Disputes)

सामान्य रूप से अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का निवटारा करने के दो प्रधान साधन हैं - मैत्रीपूर्ण (Amicable) और बल-प्रयोगकारी (Coercive) या बाध्यकारी (Compulsive)। मैत्रीपूर्ण साधनों में दोनों पक्षों में सद्भावना और अच्छी प्रेरणा द्वारा विवादों का हल किया जाता है और बाध्यकारी साधनों का आधार बल-प्रयोग है।

मैत्रीपूर्ण साधन (Amicable means)—अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के मैत्रीपूर्ण साधन ये हैं—वार्ता, सन्धि और मध्यस्थता, सरावन, अन्तर्राष्ट्रीय आयोग और जॉन्, पंचनिर्णय, न्याय के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा तथा स० रा० मण्डल के माध्यम द्वारा न्यायिक समझौता। स० रा० संधि के चार्टर की धारा ३३ में इनका स्पष्टीकरण करते हुए कहा गया है—“अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को मजबूत में डालने वाले किसी विवाद में दोनों पक्ष सर्वप्रथम इसे निम्न उपायों द्वारा हल करने का प्रयत्न करेंगे—वार्ता, जॉन्, मध्यस्थता, सरावन, पंचनिर्णय, न्यायालय द्वारा निर्णय, प्रादेशिक समझौतों का तथा अन्य शान्तिपूर्ण उपायों का अवलम्बन”।

(१) वार्ता (Negotiation)—इसका अभिप्राय दो देशों में उत्पन्न हुए किसी विवाद के समाधान के लिये परस्पर वार्तालाप है। ये राज्यों के अध्यक्षों द्वारा या उन द्वारा नियुक्त एवं प्रमाणित किये राजदूतों में तथा अन्य प्रतिनिधियों द्वारा होता है। प्रायः किसी विवाद के निवटारे के लिये दो देशों में पत्र-व्यवहार होता है, यह भी वार्ता का अंग होता है। उदाहरणार्थ, भारत-पाक सीमा-विवाद के समाधान करने के लिये १ सितम्बर १९५६ को पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री की वार्ता हुई और उन्होंने दोनों देशों में ‘उत्तम पड़ोसी’ के सम्बन्ध

१. प्राचीन भारत के स्मृतिकारों ने इस बात पर बहुत बल दिया है कि युद्ध छेड़ने से पहले मैत्रीपूर्ण उपायों द्वारा विवाद का समाधान करना चाहिये। उन्हें ये साम या शान्ति का उपाय कहते हैं। साम के बाद दान अर्थात् दूसरे पक्ष को आर्थिक सहायता और बहुमूल्य भेंटों द्वारा अपने बरा में करना चाहिये। इन दोनों उपायों के विफल होने पर भेद अर्थात् शत्रुपक्ष में फूट डालकर अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहिये। तीनों के सफल न होने पर युद्ध छेड़ना उचित है। मनुस्मृति (७।१६८) के मन्वानुवाच—साम्ना दानेन भेदेन समन्वैत्थना पृथक्। विजितुं प्रयत्नेतानीन् न युद्धेन कदाचन ॥ ये चारों साम्ना प्राचीन परिभाषा के अनुसार उपाय कहलाते थे। इनके विशद वर्णन के लिये देखिये—वाल्मीकि रामायण—द्विदशमे आर्यधर्मशास्त्र, ख० ३, पृ० १७१।

स्थापित करने तथा सीमा-विवाद का अन्त करने के लिये मत्रियों की एक परिपद बुलाने का निश्चय किया। भारत के इस्पात तथा खान मंत्री श्री स्वर्णसिंह तथा पाकिस्तान के ले० कर्नल के० एम० रोख ने अपने प्रतिनिधि-मंडलों के साथ १५ अक्टूबर से २२ अक्टूबर १९५६ तक दिल्ली और ढाका में वार्तापत्र करके सीमा-सम्बन्धी विभिन्न विवादों का समाधान कर लिया। मूर ने Mavrommatis Palestine Concession में लिखा था—“अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अर्थ में वार्ता एक कानूनी, व्यवस्थित और प्रशासनात्मक प्रक्रिया है, इसकी सहायता में राज्य सरकारें अपनी अस-दिग्ध शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक दूसरे के साथ अपने सम्बन्धों का संचालन करती हैं, अपने मतभेदों पर विचार-विमर्श, इनका व्यवस्थापन और समाधान करती हैं।” यह आवश्यक नहीं कि वार्ता द्वारा विवाद का समाधान हो जाय, किन्तु शान्ति-प्रेमी राज्य इस उपाय का अधिकतम उपयोग करते हैं। कई बार शान्ति का ढोंग करने वाले राज्य भी विजय का लोचन अपने अनुकूल बनाने के लिए वार्ता के साधन का अवनमन करते हैं। युद्ध से पहले वार्ता द्वारा लड़ाई को रोकने का भरसक प्रयत्न किया जाता है।

सितम्बर १९६५ में भारत-पाक सघर्ष छिड़ने पर ७ सितम्बर को नोबियल रूस ने दोनों देशों को इस क्षेत्र में शान्ति बनाये रखने के लिये अपनी सल्लेवार्य देने का प्रस्ताव रखा था वसतें कि दोनों देश इसे उपयोगी समझते हों। रूस की सल्लेवार्यों से ही जनवरी १९६८ में ताशकन्द-घोषणा (Tashkent Declaration) द्वारा दोनों देशों में शान्ति स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पग उठाया गया।

(२) सल्लेवा और मध्यस्थता (Good Offices and Mediation)—जब दो पक्ष स्वयंसेव अपने प्रतिनिधियों की वार्ता द्वारा विवाद का निबटारा नहीं कर सकते तो अन्य राज्य इनके विवाद के समाधान के लिये अपनी सेवाएँ देते हैं। उत्तम उद्देश्य से किया गया उनका यह कार्य सल्लेवा है और भगंडे को मूलमाने की दृष्टि से दोनों पक्षों के बीच में पटना मध्यस्थता है। कई बार अनेक शक्तियाँ मिलकर मध्यस्थता का कार्य करती हैं। चाकी प्रदेश के सम्बन्ध में बोलिविया और पेरुगुये में जब दो वर्ष (१९३२-३) तक निरन्तर युद्ध चलता रहा तो स० रा० अमरीका, अर्जेन्टायना, ब्राजील, चिली, पेरु तथा युरेगुये की सामूहिक मध्यस्थता ने इस विवाद का समाधान कर शान्ति स्थापित की। १९४७ में हावैण्ड तथा इंडोनेशिया में सघर्ष होने पर सुरक्षा परिपद द्वारा नियत की गयी सल्लेवा समिति (Good Offices Committee) ने दोनों पक्षों के समझौते में उत्तम हुए गतिरोध को दूर किया। पेलेस्टाइन में ब्रिटिश मॅण्डेट की समाप्ति के बाद इजराइल तथा अरबों के मध्य में उत्पन्न हुए विवाद के समाधान के लिये जनरल असेम्बली ने मई १९४८ में कोण्ट वरेंटाट की मध्यस्थ बनाया। १९५१ में आस्ट्रेलिया की सरकार ने भारत और पाकिस्तान के काश्मीर-सम्बन्धी विवाद को हल करने के लिये अपनी सल्लेवार्य देने को कहा था, किन्तु भारत सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। स० रा० सघ की ओर से अमरीका के फ्रैंक ग्राहम ने मध्यस्थ बनकर काश्मीर के मामले का समाधान करने का यत्न किया। सितम्बर १९०५ में

रूस-जापान-युद्ध की समाप्ति अमरीकन राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट की सल्लेवाओं से हुई ।

“अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान के हेतु अभिसमय” पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों ने भविष्य में सल्लेवाओं और मध्यस्थता के उपाय के अधिकधिक प्रयोग का सकल्प प्रकट किया था । इसकी विभिन्न धाराओं (२-८) में इन दोनों के सम्बन्ध में अनेक नियम निश्चित किये गये थे । इनके अनुसार विवाद करने वाले पक्षों के अतिरिक्त अन्य राज्यों को सल्लेवायें देने का या मध्यस्थता करने का अधिकार है, इसे शत्रुतापूर्ण कार्य नहीं समझा जा सकता । धारा ६ के अनुसार वे उपाय केवल परामर्शात्मक स्वरूप रखते हैं । धारा ७ के अनुसार मध्यस्थता स्वीकार करने का यह परिणाम नहीं है कि वह किसी पक्ष को युद्ध की आवश्यक तैयारियाँ करने से रोक सके । धारा ४ में मध्यस्थों के कार्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इसका उद्देश्य “विवाद करने वाले राज्यों में उत्पन्न नाराजगी के भावों को दूर करना तथा परस्पर-विरोधी दावों का समन्वय करना है” । कई बार यह बड़ा उपयोगी होता है तथा युद्धों की सम्भावना दूर कर देता है । १९०४ में जागर वैक की घटना से ग्रेट ब्रिटेन और रूस में युद्ध छिड़ने की सम्भावना थी, किन्तु फ्रांस की मध्यस्थता से दोनों देशों में समझौता हो गया ।

(३) सराधन (Conciliation)—आपेनहाइम ने इसका लक्षण करने हुए कहा है—“यह विवाद के समाधान की ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें झगडा निपटाने का काम कुछ व्यक्तियों के समीपन या आयोग का मीमा जाता है । यह आयोग दोनों पक्षों के विवरण सुनकर उनमें समझौता कराने के प्रयत्न की दृष्टि में विवाद सम्बन्धी तथ्यों को स्पष्ट करते हुए एक रिपोर्ट देता है, इसमें विवाद के समाधान के लिये कुछ प्रस्ताव होते हैं, किन्तु इनका स्वरूप पचाट (Award) या अज्ञानी निर्णय की भाँति अनिवार्य रूप से मान्य नहीं होता ।” हडमन के शब्दा में “सराधन की प्रक्रिया में तथ्यों के अन्वेषण तथा विरोधी दावों के समन्वय के प्रयत्न के बाद विवाद के समाधान के लिये प्रस्ताव बनाये जाते हैं । इन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने की स्वतन्त्रता दोनों पक्षों को होती है ।” इन लक्षणों में यह स्पष्ट है कि सराधन में वस्तुतः तीन तत्वों—जाँच, मध्यस्थता तथा विवाद निपटाने के प्रस्तावों का सम्मिश्रण होता है । हेग के अभिसमय (Convention) द्वारा सराधन की प्रक्रिया विवक्षित हुई है । इसकी धारा ६ के अनुसार यह व्यवस्था की गयी थी कि तथ्यों के सम्बन्ध में विवाद होने पर इसके अन्वेषण के लिये दोनों पक्षों द्वारा चुने गये व्यक्तियों का एक ‘अन्तर्राष्ट्रीय आयोग’ बनाया जाय, किन्तु किसी राज्य के ‘सम्मान’ और महत्वपूर्ण स्वार्थ (Honour and Vital Interest) से सम्बन्ध रखने वाले प्रश्न ऐसी जाँच का विषय नहीं बन सकते थे ।

सराधन का इससे मिलती-जुलती अन्य प्रक्रियाओं से बड़ा सूक्ष्म और स्पष्ट अन्तर है । यह जाँच के अन्तर्राष्ट्रीय आयोग (International Commission of

Enquiry) तथा पचनिर्णय (Arbitration) को मध्यवर्ती प्रक्रिया है। जाँच कमीशन का मुख्य उद्देश्य इस आशा से तथ्यों का विस्तारीकरण (Elucidation) करना होता है कि इससे दोनों पक्ष स्वयमेव आपस में समझौता कर लेंगे। किन्तु सराफन का मुख्य ताव्य इस आयाग के प्रयत्नों द्वारा दोनों पक्षों का समझौता कराना है। पचनिर्णय में ठीक ढग से बनाये पच या न्यायाधिकरण का निर्णय दोनों पक्षों को अनिवार्य रूप से स्वीकार करना होता है, किन्तु सराफन में दोनों पक्षों के लिए कानूनी तौर से यह आवश्यक नहीं कि वे विवाद के समाधान के लिए सुझाये गये प्रस्तावों को स्वीकार कर लें। सराफन मध्यस्थता (Mediation) से भी स्पष्ट भेद रहता है, क्योंकि सराफन में दोनों पक्ष अपना विवाद मुख्य रूप से दूसरे व्यक्तियों के समूह को इस प्रधान उद्देश्य के साथ सौंपते हैं कि वह तथ्यों की लिपिक जाँच के बाद इसके समाधान के प्रस्ताव उपस्थित करेगा। किन्तु मध्यस्थता में तीसरा राज्य स्वयमेव दोनों पक्षों में वार्ता चलाकर विवाद को हल करने का प्रयत्न करता है।

(४) अन्तर्राष्ट्रीय जाँच-आयोग — वे विवादों की जाँच के लिये बनाये जाते हैं और इनकी रिपोर्टें दिये जाने तक दोनों पक्ष अपना युद्ध बन्द रखते हैं। पहले यह कहा जा चुका है कि १८६६ के हेग अभिसमय के अनुसार यह जाँच किसी राज्य के सम्मान तथा महत्वपूर्ण स्वार्थों के प्रश्न के साथ सम्बद्ध नहीं होनी चाहिये। इसका उद्देश्य इस दृष्टि से तथ्यों का अनुसंधान करना है कि इनके विशदीकरण से अति और अज्ञान दूर हो सके और इसके परिणामस्वरूप शान्ति स्थापित हो। १६०७ के हेग अभिसमय द्वारा इनके स्वरूप में काफी सुधार किया गया था। १६२४ में वाशिंगटन में हुए समझौते के अनुसार जाँच के स्थायी आयोग स्थापित करने का निर्णय किया गया। इसकी मुख्य व्यवस्थायें निम्नलिखित थीं—(क) समझौते के मुख्य बूटनीतिक उपायों के विफल हो जाने पर दोनों पक्ष अपने विवाद म्यायी आयोग को सौंपेंगे और इसकी रिपोर्टें मिलाने तक युद्ध आरम्भ नहीं करेंगे। (ख) स्थायी आयोग के पांच सदस्य होंगे। प्रत्येक पक्ष इसके लिये एक अपना नागरिक और एक तीसरे राज्य का नागरिक चुनेगा और दोनों मिलकर तीसरे राज्य का पांचवा सदस्य चुनेंगे। (ग) इनकी रिपोर्टें एक माल के भीतर अवश्य प्रा जानी चाहिये, किन्तु इनकी अधिधि दोनों पक्षों की सहमति से घटायी और बढ़ायी जा सकती है। स० रा० अमरीका ने इससे आघार पर अनेक देशों के साथ सधिया की है। यह व्यवस्था हेग की व्यवस्था से निम्न अंश में भिन्नता रखती है—(क) इसमें राज्य की प्रतिष्ठा और महत्वपूर्ण स्वार्थों के प्रश्नों को जाँच-आयोग के अधिकार-क्षेत्र से बाहर नहीं रखा गया। हेग अभिसमय का आयोग विवाद होने पर बनाया जाता था, किन्तु यह स्थायी रूप से बना हुआ है। (ख) इसमें रिपोर्टें के प्रकाशन से पहले युद्ध पर पावन्दी लगायी गयी है।

राष्ट्र सभ ने और स० रा० सभ ने सराफन और जाँच-आयोग द्वारा अनेक अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने का प्रयत्न किया है। १६३१ में राष्ट्र सभ द्वारा मचूरिया की घटनाओं की जाँच के लिये लिटन कमीशन नियुक्त किया गया था। राष्ट्र सभ ने पेलोस्टाइन में अरब राज्यों तथा दखराइल के बीच स्थायी शान्ति बनाये रखने के लिये

एक सराधन आयोग (Conciliation Commission) बनाया था। दोनों विम्बुडो के बीच में विभिन्न देशों में सराधन की प्रक्रिया अपनाते के लिये सैकड़ों मधियों की गयी और इस कार्य के लिये सौ से अधिक स्थायी आयोग बनाये गये, किन्तु इस प्रक्रिया से बहुत कम लाभ उठाया गया। अप्रैल १९४० की शान्तिपूर्ण निबटारे की अमरीकन मधि में अमराकी राज्यों ने इस प्रक्रिया से आपसी विवाद हल करने की व्यवस्था स्वीकार की है। इसी वर्ष ब्रुमेलज की मधि द्वारा ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लुक्सेमबर्ग ने आपसी विवादों के लिये सराधन के उपाय के अवलम्बन का निश्चय किया है। १९४६ में स० रा० राध की जनरल असेम्बली ने सराधन के गन्ध में चार प्रस्ताव स्वीकार किये हैं।

उपर्युक्त सभी साधनों—वार्ता, सत्तेवा, मध्यस्थता, सराधन, जयि आयोग—में दोनों पक्षों के विवाद को किसी न्यायिक निर्णय (Judicial decision) द्वारा हल नहीं किया जाता, दोनों पक्ष मध्यस्थों के सुझाव को मानने के लिये बाध्य नहीं है। अतः इन्हें निर्णयेतर (Non-decisional) उपाय कहा जाता है। किन्तु इनमें दोनों पक्षों को सुझाव न मानने की स्वतन्त्रता होने से ये उपाय अधिक प्रभावशाली नहीं है। इन्हें प्रभावशाली बनाने के लिये कुछ अन्य उपायों का विकास किया गया है। इनमें दोनों पक्षों को विवाद के निबटारे के लिये बनाये गये पच आदि का निर्णय मानना आवश्यक होता है। अतः ये निर्णयात्मक (Decisional) साधन कहे जाते हैं। ये दो प्रकार के हैं— पचनिर्णय (Arbitration) तथा अधिनर्णय या न्यायिक निर्णय (Adjudication or judicial settlement)।

(५) पचनिर्णय (Arbitration)—विभिन्न राज्यों के विवादों को दोनों पक्षों द्वारा किया पच को मीपकर निर्णय कराने की परिपाटी पश्चिमी जगत् में गूनानियों के समय से चली आ रही है। मध्य काल में भी इसका प्रयोग होता रहा। १७६४ की जे सधि (Jay Treaty) के अनुसार ग्रेट ब्रिटेन और स० रा० अमरीका के अनेक विवाद पचनिर्णय द्वारा तय किये गये। १८७२ से १८६६ तक ग्रेट ब्रिटेन ने ऐसे तीस पचनिर्णय कराये, अन्य योरोपियन राज्यों, दक्षिण अमरीकी राज्यों तथा स० रा० अमरीका के इसी अवधि में पचनिर्णयों द्वारा तय किये गये अन्तर्राष्ट्रीय विवादों की संख्या कमरा साठ, पचास और बीस थी।

पचनिर्णय का स्वरूप स्पष्ट करते हुए आपेनहाइम ने लिखा है कि इसका अर्थ राज्यों के मतभेद का समाधान कानूनी निर्णय द्वारा किया जाता है, यह निर्णय दोनों पक्षों द्वारा दूने हुए एक अथवा अनेक पक्षों के न्यायाधिकरण (Tribunal) द्वारा होता है और यह अधिकरण न्याय के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से पृथक् है। पच का काम कानून का ज्ञान न रखने वाले किसी राज्य के शासनाध्यक्ष को भी सौंपा जा सकता है तथा किसी न्यायाधिकरण को मीपा जा सकता है। विभिन्न राज्य आपसी विवाद पचों को सौंपने के लिये बिशेष सधियाँ करते हैं। इन सधियों में पचनिर्णय के

मूल सिद्धान्तों का और इसकी प्रक्रिया का विस्तृत विवरण होता है। कई बार व्यापारिक सभियों में एक ऐसी धारा रखी जाती है, जिसके अनुसार इसके सम्बन्ध में होने वाले मतभेदों के निर्णय के लिये पक्षों की व्यवस्था का उल्लेख होता है। सामान्य रूप से पक्षनिर्णय में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के मौलिक सिद्धान्त लागू किये जाने हैं। यदि सम्बद्ध पक्षों की इच्छा हो तो वे इसमें समन्याय (Equity) के सिद्धान्त भी लागू कर सकते हैं। त्रिवर्ली के कथनानुसार 'पक्ष और जज दोनों के लिये यह अनिवार्य है कि वे कानून के नियमों के अनुसार अपना निर्णय दें, किराीको यह अधिकार नहीं है कि वह कानून का निरादर करते हुए अपने विवेक का प्रयोग करे अथवा वह जिस उचित और न्यायपूर्ण सभकता है, उसके अनुसार अपना निर्णय करे।'

सामान्य रूप से पक्षों का निर्णय (Award) या पचाट दोनो पक्षों को अनिवार्य रूप से स्वीकार करना पड़ता है। राज्यों के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वे अपना कोई विवाद पक्षों को सौंपे। किन्तु एक बार यह विवाद सौंपने पर पक्षनिर्णय को स्वीकार करना उनके लिए आवश्यक हो जाना है। भारत को कई बार काश्मीर का प्रश्न पक्ष को सौंपने की प्रेरणा दी गयी, किन्तु उसने इसे पक्ष को सौंपना स्वीकार नहीं किया। यदि वह ऐसा कर लेता तो उसके लिये पक्ष का निर्णय मानना आवश्यक हो जाता। यदि एक पक्ष पक्ष का निर्णय नहीं मानता तो दूसरा पक्ष उसे सभी उपायों से इसने लिए बाध्य कर सकता है। किन्तु यदि पक्ष का निर्णय दबाव, भ्रान्ति, धोखे या गलत-फहमी से दिया गया हो तो इसका पालन सम्बद्ध पक्षों के लिए आवश्यक नहीं होता, यदि यह अपने अधिकारों का अनिश्चय करने दिया जाय तो भी मान्य नहीं होता। १८३१ में हार्लैण्ड के राजा ने ग्रेट ब्रिटेन और स० रा० अमरीका के उत्तर-पूर्वी सीमा विवाद के बारे में अपना निर्णय दिया था, किन्तु इसे पक्ष द्वारा अपने अधिकारों के अति-प्रमाण के कारण स्वीकार नहीं किया गया। इसी आधार पर १९०६ में कोलंबिया ने पेरू के साथ अपने सीमा विवाद के विषय में ब्रजेन्टायना के राष्ट्रपति द्वारा किये गये पचाट (Award) को स्वीकार नहीं किया।

हेग के १८६६ तथा १९०७ के अभिसमयों (Conventions) में पक्षनिर्णय को अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी विवादों को हल करने का सबसे प्रभावशाली तथा न्यायपूर्ण साधन मानते हुए इससे सम्बन्ध में विस्तृत व्यवस्थाएँ की गयी थीं। अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के दान्तिपूर्ण निबटारे के अभिसमय की ६७ धाराओं में ५४ (धारा स० ३७ ६०) पक्ष-निर्णय के विषय में हैं। १८६६ के हेग सम्मेलन से पहले कोई ऐसा निश्चित व्यक्ति समूह नहीं था, जिसमें से पक्षों को चुना जाय। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी विशेषता पक्ष-निर्णय के स्थायी न्यायालय (Permanent Court of Arbitration) की स्थापना थी। इसके सम्बन्ध में परिहार में यह कहा जाता है कि यह न तो स्थायी था और न न्यायालय,

४. त्रिवर्ली—टी लॉ ऑफ़ नेशनल्स, पृ० २७४

५. भारतीय * क्लिपान में award के लिए काश्मीरी भाषा के इस शब्द को इष्टय किया गया है।

क्योंकि यह विधिशास्त्र के विद्वानों के नामों की एक सूची मात्र था। इस अभिसमय को स्वीकार करने वाले प्रत्येक राज्य को "अन्तर्राष्ट्रीय कानून की योग्यता के लिए विख्यात, उच्चतम नैतिक रूपांगि रखनेवाले तथा पच के कर्त्तव्य स्वीकार करने के दृष्टिक" नाम व्यक्तियों के नाम देने पड़ते हैं। इनका कार्यकाल ६ वर्ष का होता था (धारा ४४)। जब सबद्ध पक्ष अपने विवाद के लिए उपर्युक्त नामसूची में से सर्वसम्मति में पचा के नाम नहीं छांट सकते थे तो प्रत्येक पक्ष दो नाम छांट नेता था, एक अपने देश का तथा एक अन्य देश का। दोनों पक्षों द्वारा चुने गये चार व्यक्ति पाँचवे पच को चुनते थे। हेग के प्रस्तावों के अनुसार राज्यों ने अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए पच-पद्धति को आवश्यक रूप से स्वीकार नहीं किया। उन्होंने इसे अपनी इच्छानुसार स्वीकार या अस्वीकार करने की स्वाधीनता रखी। इस विषय में उनकी यह घोषणा थी कि "यह वाछनीय है कि विवाद उत्पन्न होने पर परिस्थितियों के अनुसार पच-पद्धति का अवलम्बन किया जाय।"

हेग के पचनिर्णय के स्थायी न्यायालय ने अपनी स्थापना के बाद से १९१४ तक १६ मामलों का फैसला दिया था। इनका पहले उल्लेख किया जा चुका है (पृ० ३६६-७)। इनमें उत्तरी अटलांटिक की मछलीगाहों वाला भगडा तो पिछले सौ वर्ष से चला आ रहा था। १९१२ में इसका निबटारा हो गया।

विभिन्न देशों ने अपने कानूनी विवादों को पचों को सौंपने की जो संधियाँ की हैं, उनमें कुछ अपवाद और प्रतिबन्ध रखे गये हैं। १९०३ में ग्रेट ब्रिटेन और फ्रान्स ने पचनिर्णय की संधि करते हुए यह कहा कि यह केवल उन्हीं विवादों के लिए लागू होगी जिनमें किसी की स्वाधीनता, सम्मान और महत्वपूर्ण स्वार्थों का प्रश्न न हो। १९०८ में स० रा० अमरीका ने भी अनेक अन्य देशों के साथ ऐसी हट संधियाँ (Root Treaties) की। किन्तु इस विषय की अधिकांश संधियों में अधिवार्य पचनिर्णय (Compulsory Arbitration) को अनेक प्रतिबन्धों और मर्यादाओं के साथ स्वीकार किया गया है।

(६) अधिनर्णय (Adjudication)— हेग के पच न्यायालय का कार्य महत्वपूर्ण होने पर भी कई दृष्टियों में धोषपूर्ण था। पहले बताया जा चुका है कि बरतुत यह कोई न्यायालय नहीं था, केवल पचों के नामों की सूची थी। जब विवाद करने वाले पक्ष इन नामों में से किन्हीं व्यक्तियों को अपने मामले के लिये पच मान लेते थे नभी यह न्यायालय का रूप धारण करना था। इसका दूसरा दोष यह था कि प्रत्येक मामले के पच विभिन्न व्यक्ति होते थे। इसीलिए न्याय कार्य में कोई अनिश्चितता या एक-रूपता नहीं आने पाती थी। इन दोषों को दूर करने के लिए प्रथम विश्वयुद्ध के बाद राष्ट्र सभ ने अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय (Permanent Court of International Justice) की स्थापना की और द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद स० रा० सभ ने स्थायी न्यायालय के स्थान पर न्याय का अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित किया। न्यायालयों द्वारा किये गये फैसले अधिनर्णय (Adjudication) कहलाते हैं। पिछले अध्याय में इन दोनों के कार्य का वर्णन हो चुका है (देखिये पृ० ३६७ =)।

पचनिर्णय (Arbitration) तथा अधिनर्णय (Adjudication) में कुछ

सादृश्य तथा कुछ भेद हैं। सादृश्य ये हैं—(ब) दोनों में विवाद का समाधान कानून के नियमों और सिद्धान्तों के आधार पर एक वाह्य गृह निष्पक्ष एजेन्सी द्वारा होता है। (ख) पक्षनिर्णय तथा अधिनियम दोनों का पक्षन दोनों पक्षों के लिए अनिवार्य होता है। (ग) दोनों में अपने विवाद को पचायत या न्यायालय की सौंपना ऐच्छिक होता है। किन्तु इन दोनों के मौलिक भेद निम्नलिखित हैं—(क) पचायत के पक्ष प्रत्येक मामले में सम्बद्ध पक्षों द्वारा चुने हुए व्यक्ति होते हैं, किन्तु अधिनियम करने वाला न्यायालय स्थायी होता है, यह विवाद उत्पन्न होने से पूर्व ही विद्यमान होता है, उसके न्यायाधीशों के चुनाव में सम्बद्ध पक्ष कोई भाग नहीं लेते। ये न्यायाधीश विभिन्न राज्यों द्वारा चुने होते हैं। (ख) पचायत उन सब नियमों को स्वीकार करती है, जो विवाद करने वाले पक्षों को मान्य हैं, किन्तु न्यायालय कानून के विषय में दोनों पक्षों द्वारा किसी प्रकार की कोई भी शर्त का बंधन स्वीकार करेगा। स्थायी न्यायालय का सबसे बड़ा लाभ इसका अविच्छिन्न रूप से बना रहना है। इसमें जहाँ एक ओर वादविधि (case law) का विकास होता है, वहीं दूसरी ओर प्रत्येक विचार के विचार के लिए हर बार नये विद्वेस न्यायाधीशों को चुनने की आवश्यकता नहीं रहती। कई बार अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान के लिए ऊपर बताये गये माध्यमों या प्रक्रियाओं का मिश्रित (Composite) रूप में प्रयोग होता है। १९१९ के वाद की शर्त अनेक संधियों में विवाद के निवृत्तारे के लिए समाधान और न्यायिक निर्णय की प्रक्रियाओं का वर्णन है। १९२५ की लोकार्बो संधि तथा १९२८ का अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान का सामान्य कानून (General Act) इसके मप्रसिद्ध उदाहरण हैं।

(७) राष्ट्रसंघ और स० रा० सघ द्वारा विवादों का निवृत्तारा (Settlement of Disputes through the Machinery of League of Nations and U N O) — इन दोनों संस्थाओं के बनाने का प्रधान उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का शान्तिपूर्ण समाधान था। राष्ट्रसंघ के प्रतिज्ञापत्र में ऐसे विवादों के हल के लिए धारा १२ में तीन उपाय बताये गये हैं — इन पक्षों का सौंपना, हेग की स्थायी पचायती अदालत को सौंपना अथवा सच की कौंसिल द्वारा इसकी जाँच करवाना। पहली दो अवस्थाओं में यह निर्णय उपयुक्त (Reasonable) समय में दिया जाता आवश्यक था तथा कौंसिल को जाँच छ महीने के भीतर पूरी होनी चाहिये थी। इन निर्णयों के तथा जाँच के बाद तीन महीने तक दोनों देशों को युद्ध छेड़ने की मनाही थी, ताकि इस बीच में उनकी उत्तेजित मनोभावनाओं शांत हो जायें और शान्तिपूर्ण तथा निष्पक्ष रीति में इस प्रश्न पर विचार हो। धारा १३ के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय संधि के या कानून आदि के प्रदन पक्षनिर्णय या न्यायालय के निर्णय के विषय वत सकते थे। धारा १६ में कौंसिल द्वारा विवाद के निपटारने की विधि का विस्तृत वर्णन था। कौंसिल द्वारा की गई जाँच की रिपोर्ट मानने के लिये दोनों पक्ष बाधित नहीं किये जा सकते थे। धारा १६ में शान्तिपूर्ण निवृत्तारे के प्रत्याय स्वीकार न करने वाले राज्यों के विरुद्ध आर्थिक प्रतिश्रवण (Economic sanctions) लगाने की व्यवस्था की गयी थी।

स० रा० सघ के चार्टर की धारा २४, २५ में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा

बनाये रखने का प्रधान उत्तरदायित्व सुरक्षा परिषद् पर डाला गया है, वह स० रा० सभ के उद्देश्यों तथा मिद्धान्तों के अनुसार कार्य करती है स० रा० सभ के सदस्यों का यह कर्त्तव्य है कि वे सुरक्षा परिषद् के निर्णयों को स्वीकार तथा क्रियान्वित करें। विवाद करने वाले पक्षों के लिये यह आवश्यक है कि वे अपने विवादों का समाधान वार्ता, मध्यस्थता, जाँच, सराधन, पचनिर्णय, अधिनिर्णय से, तथा प्रादेशिक मगठनों की सहायता में और अन्य शांतिपूर्ण उपायों से करें। सुरक्षा परिषद् भी इन्हीं उपायों का अपलम्बन करके विवादों का समाधान करती है। उसे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को सकट में डालने वाली किसी भी स्थिति की जाँच करने का अधिकार है। स० रा० सभ का कोई सदस्य ऐसी स्थिति को सुरक्षा परिषद् के सामने रख सकता है। इसका समाधान यदि शान्तिपूर्ण उपायों से न हो तो उसे इसके लिये सैनिक कार्यवाही करने का भी अधिकार है। बोरिया तथा र्वेज नहर के मामले में उमने ऐसी कार्यवाही सफलतापूर्वक की थी।

बाध्यकारी साधन (Compulsive measures)— जब दो राज्य उपर्युक्त शांतिपूर्ण उपायों में अपने विवाद का समाधान नहीं कर सकते, तो वे युद्ध छेड़ने से पहले दूसरे पक्ष पर अनेक प्रकार का दबाव और बल डालकर अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं। युद्ध में शस्त्रों के बल का प्रयोग होता है, यह विवाद के निर्णय का अन्तिम उपाय है। किन्तु उमने पूर्व दूसरे पक्ष पर दबाव डालने के लिये जिन साधनों का अपलम्बन किया जाता है, वे बाध्यकारी साधन (Compulsive measures) कहलाते हैं। आपेनहाइम ने लिखा है—“मतभेदों के समाधान के बाध्यकारी साधन वे हैं, जिनमें बाध्यता का कुछ अंश होता है, इनका प्रयोग एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध इस उद्देश्य से करता है कि वह पहले राज्य द्वारा वाञ्छित रूप में मतभेदों के समाधान को स्वीकार कर ले।”

युद्ध में तथा बाध्यकारी साधनों में कई महत्वपूर्ण अन्तर हैं। पहला अन्तर यह है कि ये साधन विवाद करने वाले राष्ट्रों अथवा अन्य राज्यों द्वारा युद्ध का कार्य नहीं समझे जाते। अतः इनका प्रयोग होने पर शांतिकाल के सब सम्बन्ध—राजदूतों का आदान-प्रदान, व्यापारिक सम्पर्क और सभियों का पालन मामान्य रूप से होता रहता है। दूसरा अन्तर यह है कि बाध्यकारी साधनों द्वारा दूसरे पक्षों को हानि पहुँचायी जाती है, किन्तु इसकी कुछ सीमा और मर्यादा होती है, युद्ध में परपक्ष को हानि पहुँचाने में सभी साधनों का प्रयोग हो सकता है, अर्थात् कि वे अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा रजित न हों। तीसरा अन्तर यह है कि बाध्यकारी साधनों का प्रयोग करने के बाद जब दूसरा पक्ष मतभेदों का समाधान करने के लिये तैयार हो जाता है, तो इनका प्रयोग बन्द कर दिया जाता है। किन्तु यदि लड़ाई एक बार शुरू हो जाय तो एक पक्ष के भुक्त जाने पर भी दूसरा पक्ष लड़ाई बन्द करने के लिये बाधित नहीं होता। विजेता को विजित देश पर मनचाही शर्तें थोपने का पूरा अधिकार है। बाध्यकारी साधनों के प्रयोग में ऐसा

सम्भव नहीं है। वाच्यकारी साधनों के मुख्य प्रकार ये हैं —

(क) प्रतिकर्म (Retorsion)—प्रतिकर्म एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के विरुद्ध प्रतिकार लेने की दृष्टि से किये गये कार्य होते हैं। आपेनहाइम के शब्दों में “प्रतिकर्म बदले के लिये एक पारिभाषिक शब्द है, इसका प्रयोग एक राज्य के ऐसे अशिष्टतापूर्ण, अह्वान, अनुचित और अन्यायपूर्ण कार्यों के लिये होता है, जो दूसरे राज्य द्वारा इस प्रकार के कार्य किये जाने पर प्रत्युत्तर के रूप में किये जाते हैं।” जब कोई राज्य किसी दूसरे राज्य के किसी कार्य से क्षति उठाता है तो वह उसे वैसे ही क्षति पहुँचाने के कार्य करता है, यही प्रतिकर्म है। इसका उद्देश्य इस प्रकार के कार्य द्वारा दूसरे राज्य को अपना अशिष्ट, अनुचित तथा अर्भत्रीपूर्ण व्यवहार छोड़ने के लिये बाधित करना है। कुछ उदाहरणों से इसका स्वरूप स्पष्ट हो जायगा।

जब रूस ने १९०४ में मात्सलीन टापू के समुद्र में जापानी मछियारों को निकाल दिया तो जापान ने रूस में आने वाले माल पर अधिक चुगी लगाने की धमकी दी। १९५१ में जब चैकोस्लोवाकिया ने अकारण ही वृद्ध अमरीकन नागरिकों को बन्दी बनाया तो अमरीकन सरकार ने इस देश के सात्र किये हुए व्यापारिक समझौते को रद्द करने का निश्चय किया। जब दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने भारतीयों के माथ रगभेद की नीति में कोई कमी या परिवर्तन नहीं किया तो भारत सरकार ने अपने देश में रहने वाले दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों पर अनेक प्रतिबन्ध लगा दिये तथा वहाँ से अपना प्रतिनिधि—भारतीय हाई कमिश्नर भी वापिस बुला लिया। १९६६ में क्यूबा के जंगल बेलर ने जब क्यूबा में कच्चे तम्बाकू के बाहर जाने पर पाबन्दी लगाई तो स० रा० अमरीका ने इस देश से गिगार का आयात बन्द कर दिया। फरवरी १९६६ में जब अलास्का के सीमा विवाद पर कनाडा का स० रा० अमरीका से कोई समझौता नहीं हो सका तो कनाडा में चार्ल्स टप्पर ने इस पर बल दिया कि अमरीकन उद्योगों के लिये कनाडा से जान वाली वस्तुआ - इमारती लकड़ी, कच्ची लाली, ऊन आदि के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय।

(ख) प्रत्यपहार (Reprisals)—त्रियली ने इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा है कि ‘शाब्दिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से इसका अर्थ बदले की दृष्टि से सम्पत्ति का जज्ज करना या व्यक्तियों का पकड़ना है और पहले एक राज्य के लिये यह बात असाधारण नहीं थी कि वह अपने किसी ऐसे नागरिक को प्रत्यपहार पत्र (Letter of Marque) दे, जो दूसरे राज्य में न्याय से वंचित किया गया हो। इस पत्र द्वारा उसे यह अधिकार दिया जाता था कि वह स्वयमेव दूसरे राज्य के प्रजाजन द्वारा पहुँचायी हानि का बदला बल प्रयोग द्वारा ले या अपराधी (Delinquent) राज्य के प्रजाजनों की सम्पत्ति लूट ले। अब विशेष प्रत्यपहार (Special Reprisal) की यह प्रथा बहुत समय से लुप्त हो चुकी है।” आपेनहाइम के शब्दों में “प्रत्यपहार एक राज्य के, दूसरे

७. आपेनहाइम—इन्टरनेशनल लॉ, ख० २, पृ० १३४

८. त्रियली—वी लॉ ऑफ़ नेशन, पृ० ३२१

अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का निवटारा

राज्य के विरुद्ध उसे हानि पहुँचाने वाले तथा अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से ऐसे अवैध कार्य हैं, जिन्हें अपवाद रूप में उस उद्देश्य से करने की अनुमति दी जाती है कि दूसरे राज्य को, उनके अपने अन्तर्राष्ट्रीय अपराध करने से उत्पन्न हुए मतभेद का सतोपजनक समाधान स्वीकार करने के लिये प्रियता निभाया जा सके।^१ हाल ने इसके औचित्य और पर्यावा का स्पष्टीकरण करते हुए कहा है—“प्रत्यपहार का औचित्य यही है कि यह युद्ध के भीषण विकल्प के निराकरण का साधन है। सिद्धांत रूप में यह स्वीकार किया जाना चाहिये कि पूर्ण युद्ध की सम्भावना कम करने वाला कोई भी कार्य पर्याप्त कारण होने पर अनुमति योग्य होता है।” स्टार्क के मन्त्रों में प्रत्यपहार ऐसे उपाय हैं, जो कुछ राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध प्रतिपक्षरात्मक कार्यवाहियों के रूप में करते हैं तथा जिनका उद्देश्य (उन्हें पहुँचायी गयी हानि का) निवारण करना होता है। पहले इस शब्द का प्रयोग सम्पत्ति की जन्ती और व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए होता था, किन्तु वर्तमान समय में इनका यह अभिप्राय समझा जाता है कि किसी राज्य के नौकरानुनी या अनौचित्यपूर्ण व्यवहार से उत्पन्न हुए झगड़े के समाधान की दृष्टि से दूसरे राज्य द्वारा अवलम्बन किये गये बल-प्रयोग के साधन। इसके अनेक रूप हो सकते हैं—जैसे किसी विशेष राज्य के माल का बहिष्कार, पोताबरोध (Embargo), नौतैमिक प्रदर्शन या गोलाबारी।^२

उपर्युक्त लक्षणों में यह स्पष्ट है कि प्रत्यपहार का साधन उन सभी अन्तर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए बरता जा सकता है, जिनके लिये इन अपराधों की क्षतिपूर्ति मेंत्रीपूर्ण उपायों से नहीं हो सकती। कोई भी प्रत्यपहार तब तक उचित नहीं समझा जा सकता जब तक कि (१) अपराध करने वाले राज्य द्वारा पहुँचायी गई हानि के निवारण की प्रार्थना विफल न हो चुकी हो; (२) किसी राज्य को पहुँची हुई क्षति की तुलना में प्रत्यपहार के कार्य “अधिक” न हो। प्रत्यपहार से दूसरे राज्य को उतनी ही मात्रा में क्षति पहुँचानी चाहिए, जितनी पहले राज्य ने उसे पहुँचायी हो। (३) प्रत्यपहार का अवलम्बन हालैंण्ड के मतानुसार केवल उन्हीं मामलों में किया जाना चाहिए, जिनमें बड़ी गहरी क्षति पहुँची हो, इस क्षति को पहुँचाने वाला अथवा इसका समर्थन करने वाला दूसरा राज्य हो तथा इसके लिए न्याय प्राप्त करने के सब प्रयत्न असफल हो चुके हो। प्रत्यपहार के कुछ आधुनिक उदाहरण निम्नलिखित हैं—

प्रथम विश्वयुद्ध में पुर्तगाल तटस्थ था। अफ्रीका में इसका एक^३ पनिवेश अगोला था, इसकी सीमा तत्कालीन जर्मन दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका के साथ लगती थी, १९१५ में अगोला के सीमावर्ती स्थान नौलिगा में हुई एक घटना में तीन जर्मन मारे गये। यह मामला (Portugal v Germany—the Naulilaa Case, 1927-28) पचायती अदालत को सौंपा गया। इनके सामने उपस्थित की गई साक्ष्यों के आधार पर

१. आ'नडासम—दी इंटरनेशनल लॉ, खंड ०, पृ० १३६
 २. स्टार्क—इन इंटरनेशनल लॉ, पृ० २५०-३

इसे विद्वानों को मिला कि यह घटना विद्युत् रूप से भ्रान्ति का परिणाम थी। जर्मन लोगों ने प्रत्यपहार के रूप में अपनी मैना पुर्तगाल के प्रदेश में भेजी, इसने अनेक सीमावर्ती चौकियों पर हमला किया तथा नीतिशास्त्र में वहाँ की रक्षक सेना को भगा दिया। पुर्तगालियों द्वारा जर्मन सेना के दबाव के कारण मारती किए गये प्रदेश में स्थानीय जनता ने विद्रोह किये और इसे दबाने के लिए पुर्तगालियों को पर्याप्त सेना भेजनी पड़ी। पक्षों ने इस मामले में प्रत्यपहार के दंड हाने के लिए तीन शर्तें रखी—(क) दूसरे राज्य द्वारा कोई अवैध कार्य होना चाहिये। (ख) प्रत्यपहार का कार्य करने में पहले अवैध कार्यों में उत्पन्न हुई नुकसान को दूर करने के लिए शान्तिपूर्ण उपायों का अवलम्बन किया जाना चाहिये। इनके विफल होने पर प्रत्यपहार के कार्य (Reprisals) होने चाहिये। (ग) प्रत्यपहार के साधन अधिक उग्र नहीं होने चाहिये, इनका दूसरे राज्य द्वारा पहुँचायी गयी क्षति के समानुपात में होना आवश्यक है। इस मामले में पुर्तगाल ने कोई अवैध कार्य नहीं किया था, जर्मनी ने इस नुकसान को दूर करने के लिये शान्तिपूर्ण रीति से प्रयत्न नहीं किया था तथा जर्मनी की कार्यवाही उसे पहुँची क्षति से कहीं अधिक भारी क्षति पुर्तगाल को पहुँचाने वाली थी, अतः इस मामले में पक्षों का पचाव (Award) पुर्तगाल के पक्ष में था।

१९३५ में फ्रेंच बन्दरगाह मार्सेल्लो में यूगोस्लाविया के राजा एलेक्जेंडर की हत्या कर दी गयी, यूगोस्लाविया यह समझता था कि इसके पीछे हंगरी का हाथ है, अतः उसने अपने देश के हंगेरियन का निष्कासन किया। १९३७ में स्पेन के गगुराज्य की सरकारी मैना के एक वायुयान द्वारा एक जर्मन युद्धपोत Deutschland पर की गई तथाकथित गालाबारी का बदला लेने के लिए जर्मन जमी जहाजों ने आल्बेरिया के स्पेनिश बन्दरगाह पर गोलाबारी की।

युद्ध के समय युद्धकारी देशों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध किये जाने वाले कार्यों का भी प्रत्यपहार कहा जाता है, किन्तु इनका उद्देश्य सामान्य रूप में यह होता है कि शत्रु युद्ध के नियमों का उल्लंघन न करे। १९३९-४० में जब जर्मनी ने समुद्री मनुष्यकीय सुरंगें बिछाकर व्यापारिक जहाजों की डुबाने का अवैध कार्य आरम्भ किया तो ब्रिटिश इसे रोकने के लिए तटस्थ देशों के जहाजों पर तंटे हुए जर्मनी में किये गये निर्यात पदार्थों को जप्त करने लगा।

प्रत्यपहार के कई प्रकार होते हैं। इनकी प्रायः विशेष (Special) और सामान्य (General) नामक दो वर्गों में बाँटा जाता है। विशेष प्रत्यपहार वे हैं, जिनमें दूसरे राज्य के किसी कार्य से क्षतिग्रस्त होने वाले विशेष व्यक्तियों को बदला लेने का अधिकार दिया जाता है और सामान्य प्रत्यपहार में ऐसा बदला लेने का अधिकार सामान्य रूप में सब नागरिकों और सेनाओं को दिया जाता है। प्रत्यपहार का आदिम रूप विशेष प्रत्यपहार था। योरोप में मध्यकालीन राजा कई बार अपने प्रजाजनों की, दूसरे राज्यों के नागरिकों द्वारा पहुँचायी गयी क्षति का प्रतिशोध करने में असमर्थ होते थे, इस प्रयत्न में वे ऐसे प्रजाजनों को बदला लेने का अधिकार दे देते थे। इसमें एक बड़ा भाग यह था कि दूसरे राज्य के साथ युद्ध छेड़े बिना ही

व्यक्तिगत रूप से क्षतिपूर्ति के लिये दस्ता दिया जा सकता था। इटली के राज्यों में बहुधा ऐसा होता था। इस व्यवस्था का दुरुपयोग न हो, इस दृष्टि से सार्ने-सार्ने प्रत्यपहार के नियमों का विकास होने लगा। उसका सबसे बड़ा नियम यह था कि प्रत्यपहार का मन्तिकार राजा द्वारा दिया जाता था। फ्रांस में चार्ल्स पन्च (१४०० ई०) के समय से प्रत्यपहारपत्र प्रदान करना राजा का विनोपाधिकार मन्ना जाने लगा। इसे प्राप्त करने से पहले किसी नौसैनिक न्यायान्त्य में गृह प्रमाणित करना पड़ता था कि इतनी धन राशि का सामान अमुक राज्य के व्यक्तियों द्वारा लूटा गया है। इसके आधार पर प्रत्यपहार में उतनी ही धनराशि वाला उस देश का सामान लूटने का अधिकार दिया जाता था, इसे प्राप्त करने वाले को जमानत जमा करानी पड़ती थी, लूट का मात अदालत के आगे उपस्थित करना आवश्यक था। विनोप प्रत्यपहार का अन्तिम उदाहरण १७६३ में फ्रेंच सरकार द्वारा मार्मलीज के एक व्यापारी को विनोपा के विरुद्ध दिया गया प्रत्यपहारपत्र था। इसके बाद यह प्रथा लुप्त हो गई।

सामान्य प्रत्यपहार (General Reprisal) का तात्पर्य हानि पहुँचाने वाले देश के जहाज और सम्पत्ति को जल करने का अधिकार अपनी सब सेनाओं और प्रजाजनों को सामान्य रूप से प्रदान करना है। क्रामवेल के समय फ्रांस ने एक ब्रिटिश व्यापारिक जहाज को अवैध रीति से जल कर लिया और पेरिस ने इसका प्रतिकार करने में विताम्य किया। इस पर क्रामवेल ने फ्रेंच जहाजों को सामान्य रूप से पकड़ने के लिए अपने जहाज भेज दिये। कई फ्रेंच जहाज पकड़कर बंध दिये गये, इनसे ग्रेट ब्रिटेन का मुआजजा पूरा करने के बाद फ्रेंच राजा फ्रांस को मौप दी गई। १८१६ में इंग्लैंड ने मिमली के राजा के साथ उसके प्रदेशों गन्धक निकालने की गंधि की थी। बाद में इस संधि की अवहलना करते हुए राजा ने इस पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। इसका बदला देने के लिये ब्रिटिश विदेशमन्त्री लार्ड पामरटन ने नेपेरु में अपना बेडा भेजा, इसने उसके सभी जहाजों को पकड़ लिया। मिमली के राजा को अन्त में विवश होकर गन्धक का एकाधिकार समाप्त करना पड़ा और उसने ब्रिटिश व्यापारियों को उनकी क्षतिपूर्ति के लिए हर्जाना दिया। १८६१ में ब्राजील के तट पर लूट हानि वाले ब्रिटिश जमी जहाज प्रिन्स ऑफ वेल्स का लूट के निवासियों द्वारा लूट लिया गया। जब ब्राजील की सरकार ने इस विषय में क्षतिपूर्ति करने में इकार किया तो ब्रिटिश बेडे ने ब्राजील के पाँच जहाज पकड़ लिए, अन्त में ब्राजील का ३२०० पाँड का हर्जाना देने को विवश होना पड़ा।

आपनहाइम ने प्रत्यपहार को भावात्मक (Positive) और निगेधात्मक (Negative) नामों दो वर्गों में बाँटा है। भावात्मक प्रत्यपहार के कार्य हैं जो सामान्य अवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय अपराध समझे जाते हैं। निगेधात्मक प्रत्यपहारों का तात्पर्य ऐसे कार्यों को न करने से है जो सामान्य रूप से आवश्यक समझे जाते हैं, जैसे मधियों का पालन, ऋणों की अदायगी।

स० रा० संध के चार्टर के अनुसार प्रत्यपहार का प्रयोग अवैध है। चार्टर की धारा २ के पैराग्राफ ३ तथा ४ में इस बात पर बल दिया गया है कि इसने सदस्य-राज्य

किन्ती अन्य राज्य की प्रादेशिक अव्यवस्था और राजनीतिक स्वाधीनता नष्ट करने के लिये शक्ति का प्रयोग नहीं करेगे तथा इसकी धमकी भी नहीं देंगे। अतः हमारे राज्य के विरुद्ध प्रत्यपहार के रूप में शक्ति का प्रयोग चाटें की भावना के प्रतिकूल है। धारा ३३ में शान्ति और सुरक्षा का उत्तर में डालने वाले अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान वार्ता एवं अन्य शान्तिपूर्ण माधमों द्वारा करने को कहा गया है। अतएव चाटें के अनुसार प्रत्यपहार का अवसम्बन्ध वैध नहीं है।

किन्तु न्यायिक ने बताया है कि कुछ प्रवस्थाओं में 'अन्तर्राष्ट्रीय या सामूहिक प्रत्यपहार' (Collective Reprisal) वैध भी होते हैं। यदि कोई देश मादक द्रव्यों के अवधिक निर्यात में इनके अवैध व्यापार की सम्भावना को बढ़ाता है तो १९३१ के 'जेनेवा औषध प्रतिबन्ध' (Geneva Drugs Convention) के अनुसार इस देश के निर्यात पर अघिरोप (Embargo) होता है, अर्थात् उसके बन्दरगाहों में जहाजों को ऐसा मान बाहर ले जाने से रोकना जा सकता है। इसका दूसरा उदाहरण मद्य के आदेश में की जाने वाली व्यवस्थाएँ हैं। कोरिया युद्ध के समय १८ मई १९५१ को जनरल अमेम्बली ने यह प्रस्ताव पाम किया था कि तय के मदस्य चीन की साम्यवादी सरकार तथा उत्तरी कोरिया की सरकार के अधिकार वाले प्रदेशों को जहाजों द्वारा शस्त्र, रण सामग्री, पेट्रोल तथा परिवहन के साधन न भेजे।

(ग) अघिरोप (Embargo) — किसी देश के बन्दरगाहों में व्यापारिक जहाजों के प्रवेश या निष्क्रमण पर पाबन्दी लगाना अघिरोप, पाटबन्दी या मॉन्टानरोप है।" अंग्रेजी में इस शब्द का मूल स्पेनिश है और इसका अर्थ बन्दरगाहों में जहाजों को रोकना है। जब कोई राज्य किसी दूसरे राज्य को क्षति पहुँचाना है और दूसरा राज्य पहले राज्य को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए बाधित करने के उद्देश्य से अपने बन्दरगाहों में विद्यमान अपराधी राज्य के जहाजों को रोक लेता है तो यह अघिरोप या नावाघिरोप है। जहाजों को कई उद्देश्यों से रोक जा सकता है, कई बार युद्ध छिड़ने से पूर्व ऐसा इसलिये किया जाता है कि विदेशी जहाज कोई राजनीतिक महत्व का समाचार अन्य देशों में प्रसारित न करें। पहले युद्ध की सम्भावना होने पर अनु-देश के जहाजों को अपने बन्दरगाहों में रोकना जाता था, युद्ध के समय मध्यम देशों के जहाज रोककर उनके स्वामियों को मुआवजा देने के बाद उन जहाजों में अपना काम लिया जाता था। किन्तु अघिरोप का आशय क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की दृष्टि से जहाजों पर लगायी गयी रोक से है। यह अपने देश के जहाजों पर भी लगाया जा सकती है। १७६६ में ऐसी रोक ग्रेट ब्रिटेन ने तथा १८०७ में स० रा० अमरीका ने अपने जहाजों पर लगाई थी।

(घ) शान्तिमय आवेष्टन (Pacific Blockade) — युद्ध के समय युद्धकारी देश एक दूसरे के बन्दरगाहों को पूरी नाकाबन्दी या आवेष्टन करते हैं। शान्तिमय में

११. कौटिलीय अपराध में पाठों (तीनों) में रोक गयी नावों के लिये बदलाव शब्द का प्रयोग किया है (२१२) बदलावार्थना: कायी राजद्विष्टकारियां शरणमयात्। इत रधि से Embargo को बदलावार्थता भी कहा जा सकता है, दोनों का मूल शब्दार्थ एक ही है।

इस प्रकार का कार्य शान्तिमय आवेष्टन कहलाता है। इसका उद्देश्य दूसरे राज्य पर दबाव डालना होता है और दबाव डालने वाले देश के जहाज उसके बन्दरगाहों और तट को ऐसा घेर लेते हैं कि अन्य देशों के साथ उसका व्यापारिक सम्पर्क बिलकुल समाप्त हो जाता है। १९०२ में जब वेनेजुएला ने ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी और इटली के कृणो की सहायता नहीं की, तो इन देशों की नौसैनिकों ने उसका घेरा डालकर उसे खरग बरदा करने के लिए विवश करने का प्रयत्न किया।

शान्तिमय आवेष्टन के औचित्य के सम्बन्ध में विभिन्नशास्त्रियों में बड़ा मतभेद है। किन्तु इस विषय में अब एक सम्मति रखते हैं कि घेरा डालने वाले राज्य को तीसरे राज्य के घेरा तोड़ने वाले जहाजों का पकड़ने या बन्त करने का अधिकार नहीं है। आवेष्टन की समाप्ति पर ये जहाज उनके स्वामी देशको वापिस किये जाने चाहियें। शान्तिमय आवेष्टन के परिणाम बहुत गम्भीर होने हैं, अतः इसका प्रयोग सचिवार्थी के पूर्ण रूप से विफल होने पर ही किया जाना चाहिये। शक्तिशाली नौसेना रखने वाले देश निर्बल राज्यों के विरुद्ध इसका प्रयोग उफलतापूर्वक कर सकते हैं। इसका दुरुपयोग भी सम्भव है। १९वीं शताब्दी से इस साधन का प्रयोग होने लगा है। सर्व प्रथम यूनान के स्वतन्त्रता युद्ध में इसका प्रयोग ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने तुर्कसेनाओं द्वारा अधिभूत समुद्रतट के शान्तिमय आवेष्टन के रूप में किया। १८३१ में फ्रांस ने पुर्तगाल में स्पेच प्रजाजग को पहुँची शक्ति पूरी कराने के लिये इसकी टेगस नदी का आवेष्टन किया। १८३३ में ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने हालैण्ड की तथा १८४४ में अर्जण्टायना की नाकाबन्दी की। १८३८ में फ्रांस ने मेक्सिको के बन्दरगाहों का आवेष्टन किया।

यह साधन शक्तिशाली नौसेना रखने वाले देशों द्वारा निर्बल राज्यों के विरुद्ध सफलतापूर्वक बरता जा सकता है। स्टार्क ने यह लिखा है कि महाशक्तियों ने प्रायः मिलकर इसका प्रयोग सामूहिक हित की दृष्टि से सधियों के पालन, युद्धों के रोकने, उपद्रवों को शान्त करने के लिये किया है। १८८६ में यूनानी सेनाये टर्की के सीमागत पर जमा हो गयी, इस समय महाशक्तियों के शान्तिमय आवेष्टन ने दोनों देशों में युद्ध की आशका को समाप्त कर दिया। स० रा० वर्ष के चांटेर की धारा ४२ में सुरक्षा परिषद् को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने के लिये इस साधन के अवलम्बन का अधिकार दिया गया है।

शान्तिमय आवेष्टन का उपाय अपनाते में कई लाभ हैं। यह युद्ध की अपेक्षा कम उद्य तथा अधिक लचकीला साधन है। दूसरी धार यह सामान्य प्रत्यपहार से अधिक उग्र है और इसे यदि प्रबल राज्यों के विरुद्ध प्रयुक्त किया जाय तो यह युद्ध का कार्य समाप्त जा सकता है। प्रबल सामुद्रिक शक्तियाँ प्रायः इस साधन का अवलम्बन युद्ध के उत्तरदायित्व, अनुविधाओं तथा बोझ से बचने के लिये करती हैं। शान्तिमय आवेष्टन में युद्ध की स्थिति न होने के कारण तीसरे राज्यों के जहाजों का आवेष्टन करने वाला देश युद्ध और तटस्थता के नियम नहीं लागू कर सकता, उसे इनके जहाज पकड़ने और

जब करने का अधिकार नहीं है। जब वह युद्ध की परेशानियों से बचने के लिए शांति-मय आन्दोलन का अवलम्बन करता है तो वह युद्ध और शांति दोनों के लाभ पाने का दावा नहीं कर सकता।

✓(४) हस्तक्षेप (Intervention) —कई बार दो देशों का झगडा निबटाने के लिये तीसरा राज्य हस्तक्षेप करता है। आपेनहाइम के मतानुसार यह दो राज्योंके विवाद में तीसरे राज्य द्वारा ऐसा तानाशाही हस्तक्षेप है जिसका उद्देश्य यह होता है कि इस विवाद का समाधान हस्तक्षेप करनेवाले राज्य की इच्छा के अनुसार हो।" हस्तक्षेप कर्ता राज्य दोनों पक्षा पर पक्षनिर्णय के लिये अथवा विशेष समाधान स्वीकार करने के लिये दबाव डाल सकता है। कई बार अनेक राज्य मिलकर ऐसा दबाव डालते हैं। पहले (५० १३६) यह बताया जा चुका है कि सिमोनीसेकी की चीन जापान सधि के बाद जर्मनी फ्रांस और रूस ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए जापान को इन बात के लिये विवश किया कि वह लिआओटुंग का प्रायद्वीप चीन को वापिस कर दे। स० २० अमरीका ने मुनरो सिद्धान्त के आधार पर दक्षिण अमरीका के राज्यों के मामलों में अनेक बार हस्तक्षेप किया है।

तृतीय खण्ड
युद्ध के नियम

इक्कीसवाँ अध्याय

युद्ध और इसके प्रभाव

(War and its Effects)

युद्ध का स्वरूप (Nature of War) — घन्तराष्ट्रीय त्रिवादों का शांतिपूर्ण हल न होने पर इनके समाधान के लिए युद्ध के उपाय का अवलम्बन किया जाता है। जब दुर्योधन ने पाण्डवों के दून श्रीकृष्ण के पाँच गाँव देने के ग्गूननम प्रस्तावों को ठुकराते हुए कहा—‘सूच्यत्र नैव दास्यामि विना युद्धेन वेशव’ तो पाण्डवों के लिये सग्राम करना अनिवार्य हो गया। युद्ध राग्यों के मध्य शशस्त्र सेनाओं द्वारा किया जाने वाला ऐसा सघर्ष है, जिसमें दोनों एक दूसरे को बलपूर्वक जीतकर उमसे अपनी बात मनवाना चाहते हैं। हाँतने इसका स्वरूप बनाने हुए कहा है “जब राग्या के मध्य मतभेद इतने अधिक बढ जाते हैं कि दोनों पक्ष बल-प्रयोग का अवलम्बन करते हैं अथवा उनमें से कोई एव पक्ष हिंसा के ऐसे कार्य करना है, जिन्हें दूसरा पक्ष ज्ञानि का भग समझना है है तो दोनों में युद्ध का सम्बन्ध उत्पन्न हो जाना है। इसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध नियन्त्रित हिंसा का प्रयोग उस समय तक करते हैं, जब तक कि दोनों में से एक पक्ष उन शर्तों को स्वीकार करने को तय्यार न हो जाय, जिन्हें उमका शत्रु उमसे मनवाना चाहता है।” आपेनहाइम के मतानुसार “युद्ध दो या अधिक राग्यों में अपनी सशस्त्र सेनाओं द्वारा इस उद्देश्य में किया जाने वाला सघर्ष है कि दूसरे पक्ष को पराजित किया जाय और बिजेना द्वारा उस पर शानि स्थापित करने की मनचाही शर्तें थोपी जाएँ।”

१. हाल—इण्टरनेशनल लॉ, अन्धम सत्करण, पृ० ८१

२. आपेनहाइम—इण्टरनेशनल लॉ, खण्ड २, सप्तम मुस्करण, पृ० १०२

इस प्रसंग में प्राचीन मारल के विधिरामिन्त्रियों द्वारा किये गये युद्ध या विग्रह के लक्षणों का उल्लेख समीचीन प्रतीत होता है। कौटिल्य ने शर्मा में शत्रु को ज्ञानि पहुँचाने वाले श्रेष्ठ या हिंसापूर्ण कार्य करना लर्नाई है (अपकारो विग्रह- ७।१)। शुक्राचार्य के मत में शत्रु को पीड़ित और बशीभूत करने वाला कार्य युद्ध है (विनय जुगल सरकार का अनुवाद ४०७, ४६८-२)। कानन्दक का लक्षण है—अमधोपगृहीताना मन्युनतप्तचैनसाम्। परत्तरापकारेण पुंसा मवदि विग्रहः। इसकी यह स्त्री है कि इतने दूसरे पक्ष के ज्ञानि पहुँचाने की इच्छा को युद्ध की विरोधना बढाया गया है। आधुनिक विधिशास्त्री भी इसे ऐसा मानते हैं। प्राचीन स्मृतिकारों का यह विचार था कि युद्ध का प्रयोग अत्यन्त असाधारण अवस्था में, अन्य उपायों के विफल होने पर किया जाना चाहिये। राजा का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिये कि वह युद्ध किये बिना विजय प्राप्त करे—अयुद्धेनैव विजय वर्धयेत् बन्वाधिपः। अत्यन्तानुविजय युद्धेन च नराधिपः॥ (महाभारत शांतिपर्व,

युद्ध की वैधता के विचार की समाप्ति—(War loses its legal character)—प्रथम विश्वयुद्ध ने पहले प्रत्येक देश को अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से लड़ाई छेड़ने का अधिकार (The right to make war) प्राप्त था। किन्तु राष्ट्र-संघ के संविधान ने इस सिद्धान्त की घोषणा की कि कोई भी लड़ाई या लड़ाई की घमकी संध के सभी सदस्यों के लिए समान रूप से गहरी चिन्ता का विषय है तथा इस सम्बन्ध में विश्व में तथा विभिन्न राष्ट्रों में शान्ति बनाये रखने के लिये संध को प्रभाव-शाली कार्यवाही करनी चाहिए। इसका यह अर्थ था कि संध के सदस्यों ने शान्ति बनाये रखने के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective responsibility) के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया तथा विभिन्न राष्ट्रों द्वारा छेड़ी जाने वाली लड़ाइयों की पुरानी परम्परा का परित्याग करने की घोषणा करते हुए अपने विवाह संध के सामने लाने का निश्चय किया। पेरिस में हुए केलोग-बीघ्रां पैक्ट (Pact of Paris) द्वारा इस पर हस्ताक्षर करने वाले देशों ने राष्ट्रीय नीति के रूप में युद्ध के उपाय का परित्याग करने की घोषणा की। इससे राष्ट्रों के लिए युद्ध के उपाय का प्रबलम्बन करना अवैध हो गया। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद स० रा० संध के चार्टर में भी विभिन्न राष्ट्रों द्वारा युद्ध छेड़ने के अधिकार को अस्वीकार किया गया है। शक्ति का प्रयोग केवल सुरक्षा परिषद् या जनरल असेम्बली ही कर सकती है, कोरिया तथा कांगो (किनशासा) के मामले में उसने नैतिक बल का प्रयोग किया है। किन्तु चार्टर की धारा ४२ के अनुसार सुरक्षा परिषद् द्वारा युद्ध के उपायों का प्रयोग विभिन्न राष्ट्रों द्वारा अपनी इच्छानुसार युद्ध छेड़ने के पुराने अधिकारों से सर्वथा भिन्न है। स० रा० संध के चार्टर की धारा ५१ किसी राष्ट्र को आत्मरक्षा (self defence) के लिये युद्ध करने का अधिकार उसी समय तक प्रदान करती है जब तक कि सुरक्षा परिषद् शान्ति बनाये रखने के लिये कोई कदम नहीं उठाती है। इससे यह स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से विभिन्न राष्ट्रों द्वारा छेड़े जाने वाले युद्ध अब वैध नहीं रहे हैं। फिर भी अभी तक मानव समाज में युद्धों की सत्ता बनी हुई है, स० रा० संध इनका अन्त नहीं कर सका। अतः युद्धों के अवैध होते हुए भी इनके विभिन्न प्रकारों और नियमों का प्रतिपादन करना आवश्यक है।

युद्धों के प्रकार (Classification of Wars) - पहले युद्धों का अनेक दृष्टियों से वर्गीकरण किया जाता था।

(क) मध्यकालीन योरोप में धार्मिक दृष्टि से धर्म्य या ग्याय्य (Just) और

अधर्म्य। इसका कारण स्पष्ट करते हुए कानदक (१-१२) ने कहा है कि युद्ध में दोनों पक्षों का नारा होता है—नासो भवति युद्धेन कदापि दुःखोरेषि। मनु का यह मत (७।१२६) है कि युद्ध में विजय के अनिश्चित होने तथा पराजय का सम्भावना होने से युद्ध का मार्ग का अवलम्बन नहीं करना चाहिये—अनि यो विश्वो यग्मादरयते युध्मानवो। पराजयव सन्नामे तस्माद्युद्धं विवर्जयेत्॥ शुभ्रनीति के अनुसार अन्य उपायों के विफल होने पर ही युद्ध करना चाहिये—अपयान्तरातो तु ततो विग्रहमाचरेत्।

अधर्म्य अथवा अन्याय (Unjust) युद्धों पर बहुत बल दिया जाता था। (देखिये ऊपर पृ० २३-२३)। आजकल यद्यपि इस वर्गीकरण को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाता, तथापि किसी देश की राजनीतिक स्वतन्त्रता या प्रादेशिक अखण्डता को सुरक्षित रखने की दृष्टि से लड़े जाने वाले युद्ध धर्म्य समझे जाते हैं। अपने पड़ोसी देशों के प्रदेशों के प्रति विस्तारवादी नीति के कारण किये जाने वाले युद्ध अन्यायपूर्ण कहलाते हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध से पहले जर्मनी का यह कहना था कि उसे जर्मन जनता के जीवनयापन के लिए अधिक स्थान (Lebensraum) चाहिये, अतः उसने पड़ोसी राज्यों के प्रदेश हड़पने लगे किये और युद्ध आरम्भ किया। उसका यह युद्ध अन्यायपूर्ण था।

(ख) मध्यकाल में युद्धों को सार्वजनिक (Public) तथा वैयक्तिक नामक दो वर्गों में बाँटा जाता था। दो स्वतन्त्र, सर्वोच्चप्रभुतासम्पन्न राज्यों का सशस्त्र सैनिक मर्घर्ष सार्वजनिक युद्ध कहलाता था, किन्तु दो बड़े जमींदारों का सैनिक भर्तों करके लड़ाई करना वैयक्तिक युद्ध कहलाता था। आजकल ऐसे युद्ध की प्रथा बिल्कुल समाप्त हो गई है। इस समय सभी युद्ध सार्वजनिक समझे जाते हैं और राज्यों के मध्य में होने हैं। किमी राज्य में विद्रोह या अभिद्रोह होने पर विद्रोहिता को मान्यता प्रदान करके (देखिये ऊपर पृ० १८२) उन्हें युद्ध की स्थिति प्रदान की जाती है।

(ग) युद्धों का एक अन्य भेद पूर्ण (Perfect) और अपूर्ण युद्ध होता है। जब कोई एक राष्ट्र समग्र रूप में दूसरे राष्ट्र से लड़ाई करता है, तो यह पूर्ण युद्ध होता है, किन्तु जब यह लड़ाई कुछ स्थानों और व्यक्तियों तक सीमित होती है तो इसे अपूर्ण युद्ध कहा जाता है।

(घ) युद्ध का एक अन्य प्रकार यादव युद्ध या गृहयुद्ध (Civil War) भी है। यह एक ही राज्य के विभिन्न व्यक्तियों में होता है, जैसे स्पेन का गृहयुद्ध वहाँ की गणराज्य सरकार के विरुद्ध जनरल फ्रांको तथा उसके समर्थक सेनापतियों द्वारा किया गया विद्रोह था। शोशियलिस्ट ने इसे मिश्रित युद्ध (Mixed War) का नाम इसलिए दिया था कि इसमें सरकार की ओर से विद्रोहियों को दबाने का प्रयत्न सार्वजनिक (Public) युद्ध होता है तथा विद्रोही व्यक्तियों द्वारा सरकार को हटाने का प्रयत्न वैयक्तिक (Private) युद्ध होता है, गृहयुद्ध में इन दोनों का सम्मिश्रण होता है। स्पेनहाइम ने गृहयुद्ध का लक्षण करते हुए कहा है कि यह स्थिति तब उत्पन्न होती है, जब एक राज्य में दो परस्पर विरोधी पक्ष इस उद्देश्य में शस्त्रों का अवलम्बन करते हैं कि वे राज्य में सत्ता प्राप्त कर लें अथवा यह स्थिति उस देश में भी उत्पन्न होगी है, जब किसी राज्य की जनता का एक बड़ा भाग वैध सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करता है।

(ङ) युद्धों का एक अन्य भेद औपचारिक (Formal) तथा अऔपचारिक (Informal) युद्ध है। जब कोई लड़ाई युद्ध-घोषणा आदि की सब विधिओं का पूरा पालन करते हुए ऐसी जाती है तो यह औपचारिक युद्ध कहलाता है, किन्तु जब बिना युद्ध-घोषणा के तथा अन्य विधियों का पालन न करते हुए इसे किया जाता है तो यह

अनीपचारिक युद्ध होता है। जापान ने १९३३ में चीन के विरुद्ध ऐसी लड़ाई छेड़ी थी। २० अक्टूबर १९६२ को साम्यवादी चीन ने बिना घोषणा के भारत के साथ ऐसा युद्ध आरम्भ किया।

छापामार (Guerilla) युद्ध शत्रु के प्रबल होने पर किया जाता है। मराठों ने शक्तिशाली मुगल सम्राट् औरंगजेब के विरुद्ध इसी नीति का प्रयोग करके उनके छक्के छुड़ाये थे। आपेनहाइम के मतानुसार "यह ऐसी लड़ाई है जो शत्रु द्वारा अधिभूत प्रदेश में ऐसे सनस्र व्यक्तियों-समूहों द्वारा लड़ी जाती है, जो किसी संगठित सेना का भाग नहीं होते।" इनके पास इतनी शक्ति नहीं होती कि वे शत्रु के साथ खुली लड़ाई लड़ सकें, अतः इनके आक्रमण गुप्त रूप से, चोरी-छिपे शत्रु पर छाये मारते रहने के रूप में होते हैं। अतएव यह छापामार युद्ध कहलाता है। प्रायः ये हारी हुई सेना के अंग होते हैं, इनका उद्देश्य शत्रु को परेशान करना तथा उनकी संचार प्रणाली और मार्ग-व्यवस्था को छिन्न भिन्न करना होता है। द्वितीय विश्वयुद्ध में हिटलर द्वारा पराभूत किये जाने के बाद फ्रांस प्रादि अनेक देशों में जर्मनों के विरुद्ध इस प्रकार के प्रतिरोध आन्दोलन (Resistance movements) तथा छापामार युद्ध होते रहे थे।

१९वीं शताब्दी में तथा १८६१ के पहले हेग सम्मेलन के समय तक छापामार सेनाओं के कार्य अर्बेध समर्थक होते थे। यह माना जाता था कि किसी प्रदेश पर शत्रु का पूर्ण अधिनार हो जाने के बाद उसकी सत्ता की अवहेलना बिल्कुल निरर्थक कार्य है। किन्तु पिछले दो विश्वयुद्धों के बाद इस धारणा में बहुत परिवर्तन आ गया है। अब ऐसे प्रतिरोध आन्दोलनों, मिलिशिया तथा स्वयंसेवक दलों में सशस्त्र सघर्ष करने वाले व्यक्तियों को १९४९ के जेनेवा अभिसमय के अनुसार निम्नलिखित चार शर्तें पूरी करने पर युद्धबन्धियों का-ना व्यवहार पाने का अधिनार है। ये शर्तें इस प्रकार हैं—(क) इनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति इनके कार्यों के लिये उत्तरदायी हो। (ख) वे दूर में पहचाना जा सकने वाला विशिष्ट चिह्न धारण करते हो। (ग) वे खुले रूप में सशस्त्र धारण करते हो। (घ) वे युद्ध के नियमों के अनुसार सैनिक कार्यवाही करते हो।

(च) **समग्र युद्ध (Total War)**—पुराने जमाने की लड़ाइयाँ प्रतिस्पर्धी सेनाओं में टूटा करती थी, साधारण जनता पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता था। मेगस्थनीज ने मौर्यकालीन भारत के बारे में लिखा है कि युद्ध के समय कृषक निर्बाध रूप से अपनी भेटी करते रहते थे (देखिये ऊपर पृ० २१)। वर्तमान समय में इस स्थिति में बड़ी कारणों से बड़ा अन्तर आ गया है। आजकल लड़ाई में केवल दो देशों की सेनायें ही नहीं, किन्तु समग्र जनता पूरी शक्ति के साथ भाग लेती है। अतएव इसे समग्र युद्ध (Total War) कहा जाता है। युद्ध में विजय पाने के लिए समूची जनता का सहयोग लिया जाता है और इसमें निम्न प्रकार के नियम, नीति और विवेक की परवाह नहीं की जाती। अगुवमों, निर्पेली गैंगों और प्रक्षेपणास्त्रों के प्रयोग में कोई सकोच नहीं किया जाता। सैनिक-अभिनव का भेद बिल्कुल भुला दिया जाता है।

आपेनहाइम ने इस स्थिति के पाँच कारण बताये हैं।^१ पहला कारण सैनिकों की संख्या में विलक्षण वृद्धि है। अब प्रायः अधिकांश राज्यों में अनिवार्य सैनिक सेवा का नियम है, इस कारण देश के सभी व्यक्ति पुरुष शस्त्र धारण करने हैं। दूसरा कारण यह है कि युद्ध की प्रक्रिया जटिल होने से उसके लिए आवश्यक सामग्री की मात्रा बहुत बढ़ गई है। इसका उत्पादन करने के लिये विभिन्न युद्धोद्योगों में असैनिक जनता का एक बड़ा भाग लगा रहता है। तीसरा कारण हवाई युद्ध का विकास है। इसमें लड़ाई का क्षेत्र अब केवल रण के मैदान तक सीमित नहीं रहा, किन्तु शत्रु के युद्ध प्रयत्नों को क्षति पहुँचाने की दृष्टि से रणक्षेत्र से बाहर के पुलों, शस्त्रास्त्र तैयार करने वाले कारखानों, रेल के स्टेशनों, औद्योगिक केन्द्रों, बन्दरगाहों और शत्रु की सहायता पहुँचाने वाले जलपोतों को हवाई बमबर्षों का लक्ष्य बनाया जाता है। चौथा कारण यह है कि अब शत्रु को परान्त करने के लिये आर्थिक दृष्टि से उस पर दबाव डालने वाले कार्य अधिक मात्रा में किये जाने लगे हैं। इसका यह परिणाम हुआ है कि अब युद्ध का प्रभाव दो राज्यों की सेनाओं तक ही सीमित नहीं रहा, किन्तु सारी असैनिक जनता को भी युद्ध के परिणामों का फल भोगना पड़ता है। पाँचवाँ कारण हिटलर के नास्वी जर्मनों, मुसोलिनी के फासिस्ट इटली जैमे अधिनायकवादी राज्यों (Totalitarian States) का अभ्युत्थान है। इसमें व्यक्ति के प्राण और सम्पत्ति पर शान्ति एवं युद्धकाल में राज्य का पूरा अधिकार समझा जाता है। इससे भी सैनिक और असैनिक जनता की भेदक रेखा गूँथ होने लगी है तथा समूचा राष्ट्र युद्धमग्न समझा जाने लगा है। इन परिस्थितियों ने समग्र युद्ध (Total War) के विचार को पूर्ण रूप प्रदान किया है।

युद्धतर शत्रुता (Non War Hostility)—अब तक दो पक्षों में युद्ध होने पर ही शत्रुता की स्थिति होती थी और इसमें सशस्त्र संघर्ष (Armed contention) होता था। किन्तु अब कई बार युद्ध के बिना शत्रुता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसका सर्वोत्तम आधुनिक उदाहरण कोरिया का युद्ध (१९५०-५३) है। यह पट्टे दक्षिणी एवं उत्तरी कोरिया के राज्यों का संघर्ष था बाद में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की दृष्टि में दक्षिण कोरिया की ओर से सं० संघ ने दम मामले में हस्तक्षेप किया। सं० संघ की सशस्त्र सेनाएँ उत्तरी कोरिया की सेनाओं से संघर्ष करने लगीं। किन्तु स्टार्क के शब्दों में इस संघर्ष को सभामावस्था या युद्ध की स्थिति (Status of War) का दर्जा नहीं प्रदान किया गया। कोरिया के संघर्ष से पहले बिना युद्ध के शत्रुता की स्थिति तीन उदाहरणों में उत्पन्न हो चुकी थी— (क) मंचूरिया (१९३१-३२) में तथा १९३७ के बाद चीन में जापान और चीन के संघर्ष में। (ख) १९३८ में चन कुफेंग में कम जापान के संघर्ष में। (ग) १९३६ में नोमोनेहन में वाह्य तथा आन्तरिक मंगोलिया की फौजों के आक्रमण में। कोरिया युद्ध के बाद ऐसी स्थिति स्वैज नहर के क्षेत्र पर अक्टूबर, नवम्बर १९५६ में इजरायल, फ्रच तथा ब्रिटिश फौजों के आक्रमण से उत्पन्न हुई थी। इस समय ब्रिटिश लाई प्रिन्सिपल ने

१ नवम्बर १९५६ को यह घोषणा की थी—'महारानी की सरकार वर्तमान कार्य को युद्ध नहीं समझती। वहाँ कोई युद्धावस्था (State of War) नहीं है, किन्तु सघर्ष की स्थिति (State of Conflict) है'।

युद्ध तथा सघर्ष की स्थितियों में क्रियात्मक दृष्टि में बड़ा अन्तर न होते हुए भी कानूनी दृष्टि से बड़ा अन्तर पड़ जाता है। यदि नियमानुसार घोषणा द्वारा दोनों पक्षों में युद्ध शुरू हुआ है तो अन्य देश इस सघर्ष में तटस्थ रहते हैं, उन्हें तटस्थ देशों के सब अधिकार और गुविधाये प्राप्त होनी है। किन्तु जब युद्ध की स्थिति न मानी जाय और केवल शत्रुता या सघर्ष की स्थिति मानी जाय, तो तटस्थता का कोई प्रदान नहीं उठता। स्टाक के मतानुसार युद्धेतर शत्रुता (Non War Hostilities) के विकास के तीन प्रधान कारण हैं— (क) राज्य यह नहीं चाहते कि १९२८ के युद्ध का नियम करने वाले केलाग शीघ्र पैनट पर हस्ताक्षर करके उन्होंने युद्ध न करने का जो वचन दिया है, उसका भंग युद्ध घोषणा द्वारा किया जाय। (ख) इसका दूसरा उद्देश्य यह भी है कि इस सघर्ष में भाग न लेने वाले राज्यों को तटस्थता की घोषणा करने से रोका जाय। (ग) तीसरा कारण यह इच्छा है कि सघर्ष को कुछ स्थानीय क्षेत्रों तक ही सीमित रखा जाय तथा इसे व्यापक एवं विस्तीर्ण युद्ध का रूप न दिया जाय।

युद्ध का आरम्भ तथा युद्ध-घोषणा (Commencement and Declaration of War)— प्राचीनकाल में युद्ध आरम्भ करने के विस्तृत विधि-विधान थे। इस विषय में रोमन व्यवस्था का पहले (पृ० २५) उल्लेख किया जा चुका है। १७वीं शताब्दी तक योरोपियन राज्य युद्ध छेड़ने से पहले अग्रदूतों या वाताविही (Heralds) तथा अवहेलना पत्रों (Letters of Defiance) द्वारा दूसरे राज्यों को इसकी सूचना देते थे। इस सूचना को पाने के तीन दिन बाद लड़ाई शुरू की जाती थी। इसका अन्तिम उदाहरण १६१५ ई० में फ्रान्स द्वारा स्पेन में स्पेन के विरुद्ध युद्ध घोषणा करना था, इसमें युद्ध की सूचना देने वाले दूता को बड़ी भूमिगत में भेजा गया था। १८वीं शती में यह प्रथा बन्द हो गयी और बिना घोषणा के ही युद्ध छेड़े जाने लगे। १७०० से १८७० तक की अवधि में हुए केवल दस युद्धों में ही युद्ध घोषणा की गयी। १८७० लड़ाइयों में ऐसी कोई घोषणा नहीं की गयी। शीशियम का मत था कि युद्ध की घोषणा अवश्य की जानी चाहिये, उद्योगियों शान्ति में उन नियमों की ओर कुछ ध्यान दिया गया। किन्तु बीसवीं शती के आरम्भ के माध इसकी ओर उपधा बुरा हुई। १९०४ में जापान ने पोर्ट आर्थर के बन्दरगाह में प्रस्थित रूसी जहाजों पर अचानक अप्रत्याशित आक्रमण करके उसके माथ लड़ाई आरम्भ की। जापान का कहना था कि इसमें पहले उसकी सचिवायता रूस से भंग हो चुकी थी और उस समय उसने रूस को यह कह दिया था कि अपने रक्षार्थी की रक्षा के लिये उसे स्वतन्त्र कार्यवाही करने का अधिकार है।

पोर्ट आर्थर की इस घटना के कारण १९०७ के तीसरे हेग सम्मेलन में यह नियम बनाया गया कि कोई भी शत्रुतापूर्ण कार्य तब तक नहीं शुरू होना चाहिये, जब

तक कि उससे पहले निम्न दो रूपों में सूचना न दी जाय— (क) युद्ध छेड़ने के कारणों पर प्रकाश डालने वाली रण-धोपण। (ख) अल्टीमेटम या अन्तिम चेतावनी— इसमें हमारे राज्य को कुछ शर्तों न मानने पर युद्ध आरम्भ करने की बात कही जाती है। इसके साथ ही यह भी व्यवस्था की गयी है कि तटस्थ राज्यों को युद्ध की स्थिति की सूचना अविलम्ब देनी चाहिये। प्रथम विश्वयुद्ध में आस्ट्रिया के आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनैंड की हत्या होने से आस्ट्रिया द्वारा सर्बिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में पहले से उसे २३ जुलाई १९१४ को अल्टीमेटम दिया गया था, इसमें सर्बिया को उसके प्रदेश में होने वाली सब आस्ट्रियाविरोधी कार्यवाहियों को रोकने की, ऐसे प्रचारकार्य में नये व्यक्तियों के निष्कासन की, ऐसा कार्य करने वाले संगठनों को समाप्त करने की माँगों की गयी थी। सर्बिया को ४८ घण्टों में इस अल्टीमेटम का उत्तर देना था। जब उसने इनमें से कुछ माँगों को अस्वीकार किया और कुछ के लिये पक्षान्तरण का सुभाव दिया, तो २८ जुलाई को आस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध-धोपण की। ४ अगस्त को जब जर्मनी ने बेल्जियम की तटस्थता का भंग करने हुए, इस पर आक्रमण किया तो ग्रेट ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध धोपण की। इसमें पूर्व २ अगस्त १९१४ को जर्मनी ने रूस के विरुद्ध तथा ४ अगस्त १९१४ को फ्रांस के विरुद्ध युद्ध-धोपण की थी; ६ अप्रैल १९१७ को स० रा० अमरीका की कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास करके जर्मनी के विरुद्ध विधिपूर्वक युद्ध-धोपण की।

किन्तु पिछले तीस वर्षों में हेग की उपर्युक्त व्यवस्था का बारम्बार बड़ा शोचनीय उल्लंघन हुआ है। जापान ने १९३१ में मंचूरिया पर तथा १९३७ में चीन पर बिना युद्ध-धोपण के आक्रामक आक्रमण कर दिया। इटली ने १९३५ में एबीसीनिया पर इसी प्रकार का हमला किया। द्वितीय विश्वयुद्ध का शीघ्रशेष जर्मनी ने पोलैंड पर अघोषित आक्रमण एवं हवाई बमबारी के साथ किया। रूस का १७ सितम्बर १९३९ को पोलैंड पर तथा ३० नवम्बर १९३९ को फिनलैंड पर आक्रमण इसी प्रकार का था। जर्मनी ने ९ अप्रैल १९४० को डेन्मार्क और नार्वे पर तथा जून १९४१ में रूस पर सहमा, बिना किसी चेतावनी के हमला शुरू कर दिया। ७ दिसम्बर १९४१ को जापान ने पर्लहार्बर के बन्दरगाह में स० रा० अमरीका के समुद्री बेड़े पर अपर्याप्त और भीषण आक्रमण किया। जापान के इस आक्रमण को अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से किसी भी प्रकार न्यायोचित नहीं मिला जा सकता। जून १९५० में उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर तथा २० अक्टूबर १९६२ को चीन ने भारत पर बिना युद्ध-धोपण के आक्रमण कर दिया। १ सितम्बर १९६५ को पाकिस्तान ने छद्म जोशियाक्षेत्र में बिना किसी युद्ध-धोपण के भारत पर एक भीषण आक्रमण करके भारत पाकिस्तान संधि का शीघ्रशेष किया। ४ जून १९६६ में इजराइल तथा मिस्र एवं अरब राष्ट्रों में होने वाला युद्ध भी बिना किसी युद्ध-धोपण के आरम्भ हुआ। भविष्य में बिना युद्ध-धोपण के अपर्याप्त आक्रमणों (Surprise attacks) से ही अधिकांश लड़ाइयाँ छेड़ने की आशा है। इनके कारण यह है कि शत्रु पर भटपट अपर्याप्त रीति में हमला (Surprise attacks) करनेवाला देश शत्रु के सैनिक बड़े तथा सस्त्रों को नष्ट करके तत्काल बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर लेता है और उसकी विजय की सम्भावनाय बहुत बढ जाती

हिटलर ने पोलैण्ड आदि देशों पर इसी प्रकार हमले करके विद्युत् युद्ध (Blitzkrieg) की पद्धति अपनाकर सफलता प्राप्त की थी। इसका गनीमतम उदाहरण ४ जून १९६७ को इजराइल द्वारा अरब राष्ट्रों पर भीषण आक्रमण था, पहले २४ घंटे में इजराइल ने मिस्र की वायुसेना का बहुत बड़ा भाग का विध्वंस करके इसे बिल्कुल निकम्मा बना दिया, इसके परिणामस्वरूप मर्यादा एवम् सैनिक बल की दृष्टि से शक्तिशाली होते हुए भी अरब राष्ट्र इस लड़ाई में इजराइल से बुरी तरह हारे। फेनविक के मत में बिना घोषणा किये युद्ध छेड़ने वाले देश को तत्काल लड़ाई का ६० प्रतिशत लाभ मिल जाता है।^१ आणविक आयुधों द्वारा की जाने वाली लड़ाई में शत्रु पर बिना घोषणा के अनभयघ्नपात करना और भी अधिक आवश्यक है, अतः भविष्य में युद्ध-घोषणा करके लड़ाई छेड़ने के अन्तर्राष्ट्रीय नियम का पालन किये जाने की सम्भावना बहुत कम है।

इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय कानून यद्यपि युद्ध छेड़ने से पहले युद्ध की घोषणा करना आवश्यक मानता है, किन्तु राज्य इस नियम का पालन बहुत कम करते हैं।

युद्ध के तात्कालिक प्रभाव (Immediate Effects of War)—दो देशों में युद्ध शुरू होने में इनके सम्बन्धों में मौलिक परिवर्तन होते हैं। हादस के शब्दों में लड़ाई परस्पर विरोधी युद्धकारी देशों के ऐसे प्रत्येक सम्बन्ध को विच्छिन्न कर देती है, जिसका मूलकारण दोनों देशों की मित्रता की भावना होती है। शत्रुता आरम्भ होने पर न केवल दोनों देशों की गैरनायक एक दूसरे के विरुद्ध सशस्त्र सघर्ष आरम्भ करती हैं, किन्तु कुछ अन्य प्रभाव भी होते हैं। इनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं—

(१) राजनयिक सम्बन्धों का भंग (Termination of Diplomatic and

७ फेनविक—इंटरनेशनल ला, पृ० ६६५

८ (क) इस प्रसंग में प्राचीन भारत में यज्ञ छिड़ने के प्रभावों का सङ्घिन उल्लेख आवश्यक है। पहला प्रभाव दौघ सम्बन्ध का भंग होना था। विजिगीषु राजा लड़ाई छिड़ जाने पर शत्रु के दूत का निरङ्कार करते हुए कहता था अब तुम्हें पुनः यहाँ नहीं आना चाहिये। (कौटिलीय अर्थशास्त्र १३।२ लसुभालमेत न पुनरिवागन्त्यम्)। कई बार ऐसी अवस्था में इसके पकड़े जाने और मारे जाने की सम्भावना होती है, कौटिल्य ने ऐसी स्थिति में उसे चुनचाप भाग जाने की उलाह दी है (कौ० २।२३ शासनमनिष्पमुक्त्या वन्धवधभयाद्विमुच्ये व्यपगच्छेत्। अन्वथा नियम्येन)। दूसरा प्रभाव यह था कि युद्ध छिड़ते ही दोनों पक्षों के युक्तचरों और जासूसों की गति-विधियाँ प्रबल हो जाती थीं। कौटिल्य ने मन्त्रयुद्ध के प्रकरण (१९।२) में इनका विस्तार से वर्णन किया है। तीसरा प्रभाव यह है कि विदेशियों के साथ शान्तिपूर्ण सम्बन्ध बिल्कुल समाप्त कर दिया जाता है। इस प्रकार का सम्बन्ध रूकने वाले व्यक्ति दूष्य (शत्रु) से साथ सहयोग करने में दोष योग्य कहे जाते थे। इनके साथ व्यवहार के विस्तृत नियम कौटिलीय अर्थशास्त्र (६।५, ६) में प्रतिपादित किये गये हैं। चौथा प्रभाव सन्धियों पर था। उपयोगी तथा लागूदायक सन्धियों को जारी रखा जाता था, अन्य सन्धियाँ भंग कर दी जाती थीं।

(ख) इस विषय में भारत पाक टर्पर्स का उदाहरण बड़ा रोचक है। यह सघर्ष बिना युद्ध-घोषणा के आरम्भ हुआ था। अतः इसमें दोनों देशों ने अपने दौघ सम्बन्ध भंग नहीं किये।

Consular Relations) — युद्ध छिड़ते ही दोनों देशों के दौत्य (Diplomatic) सम्बन्धों का अन्त हो जाता है। राजदूतों को पासपोर्ट दे दिये जाते हैं और उन्हें स्वदेश लौटने के लिये कहा जाता है और जब तक वे देश छोड़कर नहीं चले जाते, तब तक वे अपने विशेषाधिकारों (वेसिये सोलहवाँ अध्याय) का उपभोग कर सकते हैं। प्रायः वाणिज्य-दूतों के कार्य (Consular activities) भी समाप्त हो जाते हैं और इन्हें देश छोड़कर जाने की अनुमति दी जाती है। किन्तु कई बार इन्हें स्वदेश नहीं लौटने दिया जाता और इनके साथ बुरा बर्तान किया जाता है। राजदूत के स्वदेश चले जाने पर उसका दूतावास किसी तटस्थ देश के प्रतिनिधि को सौंप दिया जाता है और यदि राजदूत कुछ नागण्य-पत्र छोड़ गया हो तो इन्हें मुहूर्तबन्द कर दिया जाता है।

(२) शत्रुदेश के व्यक्ति (Persons of Enemy Country) — पहले युद्ध छिड़ते ही अपने देश में विद्यमान शत्रुदेश के समस्त प्रजाजनो को गुद्धबन्दी बना लिया जाता था। किन्तु अब इस प्रथा में बहुत परिवर्तन आ गया है। आजकल शत्रुदेश के केवल उन्ही प्रजाजनो को बन्दी बनाया जाता है, जिनमें शत्रु को महत्वपूर्ण सैनिक सूचना प्राप्त हो सकती हो या जो शत्रु सेवा के वास्तविक अथवा सम्भावित समर्थक हो। इनके अतिरिक्त शत्रुदेश के सभी प्रजाजनो का निश्चित अवधि के भीतर देश छोड़कर चले जाने को कहा जाता है। उदाहरणार्थ, प्रथम विश्वयुद्ध में ग्रेट ब्रिटेन ने १० अगस्त

तमूचे स्वर्ण के दौरान नई दिल्ली में पाकिस्तान के तथा कराची में भारत के राजदूत शान्तिमान की भाँति निशान करके रहे। ६ अक्टूबर को सोपहर को पाकिस्तान के विदेश विभाग के निदेशक ने कराची में भारतीय दूतावास को यह सूचित किया कि जब तक दूतावास का कर्मचारी भारत नहीं लौट जाते हैं तब तक उन्हें अपनी सुरक्षा के लिये एक ही इमारत में चले जाना चाहिये, पुलिस के संरक्षण में रहना चाहिये, विदेश कार्यालय में मिलने के लिये जाने मनाय, बाजार से सामान लाने के लिये तथा टाउन में मिलने के लिये जाने समस्त भारतीय दूतावास के कर्मचारियों को पुलिस के साथ ही जाना चाहिये। जब पाकिस्तानी अधिकारियों से भारतीय दूतावास ने यह पूछा कि वे भारतीय दूतावास के कर्मचारियों पर ये पाबन्दियाँ क्यों लगा रहे हैं तो यह उत्तर मिला कि पाकिस्तान का राष्ट्रपति ने आज यह घोषणा की है कि हम (भारत के साथ) लड़ रहे हैं (We are at war)। कराची में भारतीय उन के पाकिस्तान को यह बताया कि चूँकि दोनों देशों में से किसी एक देश ने दूसरे देश के विरुद्ध युद्ध प्रस्ताव नहीं दिया, दूतावासों का बन्द करने का प्रार्थना नहीं की, अथवा भारतीय दूतावास के कर्मचारियों पर ज्यों की त्यों पाबन्दियाँ लगायीं उचित नहीं है। किन्तु पाकिस्तान ने इसकी कानूनी परवाह नहीं की। भारतीय दूतावास के कर्मचारियों को अपने निवास स्थानों को छोड़कर एक निश्चित स्थान में रहना पड़ा।

किन्तु युद्ध-विराम होने तक भारतीय दूतावास के कर्मचारी पाकिस्तान में ही बसे रहे। (एशियन रिकार्डर, अक्टूबर २६, नवम्बर १९६४, पृ० ६७४४-५५)। इन दिनों में शत्रु की उपयुक्त घोषणा के बाद भी भारत सरकार प्रायः सम्भव नान होने के कारण तथा विभिन्न युद्ध की घोषणा न होने के कारण दही मानता रही कि भारत पाकिस्तान की सरकार का साथ कथन जनता के साथ लड़ाई नहीं कर रहा है, किन्तु भारतीय सैनिकों का कार्रवाही विरुद्ध रूप में उनकी रक्षा के लिये की जा रही है (एशियन रिकार्डर, पृ० ६६६०)।

१९१४ तक ब्रिटिश प्रदेश में विद्यमान सभी जर्मन प्रजाजनों को स्वदेश छोड़कर जाने को कहा, ३ सितम्बर १९३९ के द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ने पर जर्मन लोगों को ९ सितम्बर तक इंग्लैण्ड से चले जाने का आदेश दिया गया। १८९७ में टर्की ने सब यूनाियनों को १५ दिन के भीतर दुस्तुन्तुनिया त्वाली करने का मोटिस दिया था। बोझर युद्ध में १८६६ में ट्रासवाल के शासकों ने वहाँ रहने का अनुमतिपत्र न प्राप्त करने वाले सभी शत्रुप्रजाजनों को अपने राज्य से निकाल दिया था।

हालैण्ड (Holland) ने यह बताया है कि युद्ध छिड़ने पर शत्रुप्रजाजनों को अपने प्रदेश से निकालने के सम्बन्ध में राज्यों का व्यवहार दो विरोधी नियमों द्वारा निश्चित होता है। पहला नियम शत्रुदेश के प्रजाजनों तथा उनकी सम्पत्ति को शत्रुदेश में अभिन्न समझता है अतः युद्ध छिड़ने पर इन सबको बन्दी बनाना और सम्पत्ति को जब्त कर लेना उचित मानता है। दूसरा नियम यह है कि युद्ध राज्यों में होता है, न कि उनके प्रजाजनों में। अतः युद्ध छिड़ने पर उचित कारण न होने पर प्रजाजनों पर तथा उनकी सम्पत्ति पर प्रतिबन्ध लगाना ठीक नहीं है। वर्तमान समय में अधिकांश विधिशास्त्री दूसरा नियम ही सत्य मानते हैं। वैंटल और ब्लन्टश्ली (Bluntschli) ने इसका समर्थन किया है। वैंटल के कथनानुसार युद्ध की घोषणा करने वाला नरेश अपने प्रदेश में विद्यमान शत्रुदेश के प्रजाजनों को बन्दी नहीं बना सकता, उसे इनके अपने देश से बाहर चले जाने की तिथि निश्चित कर देनी चाहिये, उस तिथि के बाद अपने देश में रहने वाले व्यक्तिमा को ही यह पकड़ सचता है।

प्रथम विश्वयुद्ध के समय लड़ाई आरम्भ होने पर युद्धकारी देशों ने शत्रुप्रजाजनों को नजरबन्द रखने की नीति अपनाई थी। इनकी गतिविधि पर कड़ा निरीक्षण रखा जाता है, राज्य के लिये खर्च बड़ा सतरनाक समझा जाता है। १९१७ में जर्मनी ने जब लुनीटानिया जहाज का डुबाया था तो ब्रिटिश प्रदेश में जर्मन लोगों के विरुद्ध रोप और प्रतिहिंसा की इतनी जबरदस्त लहर उत्पन्न हुई कि इंग्लैण्ड में नजरबन्द जर्मन लोगों के प्राण सकट में पड़ गए। पहले विश्वयुद्ध में ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस ने शत्रुदेशों के प्रजाजनों का नजरबन्द रखा, किन्तु स० रा० अमरीका ने ऐसा नहीं किया। द्वितीय विश्वयुद्ध में भी स० रा० अमरीका ने बहुत थोड़े जर्मनों को भौतिक कारणों से नजरबन्द किया।

१९४९ में जेनेवा में युद्ध के समय में प्रसैनिक व्यक्तियों की रक्षा का अधिसूचना
(Convention on the Protection of the Civilian Persons in Time of War) बना, इसके अनुसार युद्ध आरम्भ होने पर या उसके बाद शत्रुप्रजाजनों की अपनी इच्छानुसार स्वदेश लौटने का अधिकार होना चाहिए, वसति कि उनका जाना राज्य के हितों के प्रतिकूल न हो। उन्हें अपनी धर्मों के लिये आवश्यक धनराशि और वैयक्तिक सामान भी साथ ले जाना चाहिए। शत्रुदेश के जो प्रजाजनों युद्ध के सन्तुष्टि किया वस में रहना चाहे, उनके साथ शान्तिकाल में विदेशियों के साथ होने वाला व्यवहार किया जाना उचित है। यदि युद्ध के कारण उनकी नौकरी छूट गई है तो उन्हें

अन्यत्र नौकरी करने की अनुमति दी जाती चाहिए। यदि उन्हें कोई नौकरी न मिले तो युद्धकारी देश द्वारा उनका भरणपोषण होना चाहिए। इन्हें युद्धमन्त्रालय के साथ साक्षात् रूप में सम्बन्ध कोई कार्य करने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता। यदि किसी विदेशी वीर शत्रुप्रजाजन होने के कारण नजरबन्द किया जाता है तो उसे अपने मामले पर विचार के लिये न्यायालय के पास जाने का अधिकार होना चाहिये तथा नजरबन्दों के मामलों पर निश्चित अवधि के बाद पुनर्विचार होने रहना चाहिये। शत्रुदेश के प्रजाजन किसी भी सरकार का संरक्षण न रखने वाले शरणार्थियों से भिन्न हैं और उन्हें अपने शरीर और सम्मान की रक्षा के लिए, धार्मिक निश्चयों तथा पारिवारिक अधिकारों के लिए राज्य में संरक्षण पाने का पुरा अधिकार है। उनके साथ नस्ल के या राजनीतिक सम्मति के आधार पर भेदभाव का कोई व्यवहार नहीं होना चाहिये। उनसे मूचना प्राप्त करने के लिए उनके साथ किसी प्रकार का शारीरिक बल प्रयोग—घातना या शारीरिक पीडा देने अथवा क्रूरता के कार्य करने का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। उन्हें किसी प्रकार डराया या धमकाया जाना, मारा या पीटा जाना वर्जित है। विशेष अपराध न करने पर किसी ऐसे व्यक्ति को सामान्य रूप में दण्डित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय रेडक्रास सोसायटियों को अपना कार्य करने की पूरी सुविधाये होनी चाहिए। इन्हें नजरबन्दों की आवश्यक सहायता पहुँचाने का अधिकार होना चाहिए। इस अभिमत में नजरबन्दों के स्थान, भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य, डाकटरी सहायता, धार्मिक और बौद्धिक कार्यों की स्वतन्त्रता इनकी सम्पत्ति की सुरक्षा तथा मृत्यु की दशा में सम्पत्ति की व्यवस्था, इनकी मुक्ति, स्वदेश प्रत्यावर्तन अथवा तटस्थ देशों में भेजने के विषय में विस्तृत नियम बनाये गए हैं। नजरबन्द करते समय एक परिवार के सब सदस्यों को एक ही स्थान पर रखना चाहिए, इन पर आश्रित व्यक्तियों के निर्वाह की उचित व्यवस्था करनी चाहिए।

(३) व्यापारिक सम्पर्क की समाप्ति (Dissolution of Commercial Relations)—दो देशों में युद्ध छिड़ने पर सामान्यतः दोनों देशों का व्यापारिक सम्पर्क और कानूनी सम्बन्ध या तो समाप्त हो जाता है अथवा युद्धकाल के लिए स्थगित हो जाता है। इस विषय में प्रथम विश्वयुद्ध में पहले ब्रिटिश तथा अमेरीकन लेसका का यह विचार था कि युद्ध छिड़ने पर व्यापारिक सम्पर्क स्वतः निषिद्ध हो जाता है और इसे विशेष अनुमति लेकर ही किया जा सकता है। सामान्यतः दोनों देशों के मध्य हुए सब ठेके और सविदाएँ समाप्त अथवा स्थगित हो जाती हैं। किन्तु जर्मन, फ्रेंच तथा इटालियन विधिशास्त्रियों का यह मत है कि युद्ध से सब सम्पर्क समाप्त नहीं हान, युद्धकारी देशों को यह अधिकार है कि वे अपनी विशेष आज्ञाओं द्वारा शत्रुओं के साथ व्यापार बन्द कर दें। प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ने पर ग्रेट ब्रिटेन ने १९१४ के शत्रुओं के साथ व्यापार का अधिनियम (Trading with Enemy Act) पास करके युद्धकाल में विशेष अनुमति के अतिरिक्त शत्रुदेशों के प्रजाजनों के साथ सारा व्यापारिक सम्बन्ध अर्थात् बन्द कर दिया। २७ सितम्बर १९१४ को फ्रांस ने एक राजकीय आदेश द्वारा शत्रुप्रजाजनों अथवा शत्रुदेश में रहने वाले सब व्यक्तियों के साथ व्यापार को निषिद्ध बना दिया। जर्मनी

ने ३० मितम्बर १९१४ के एक अध्यादेश (Ordinance) द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में रहने वाले व्यक्तियों को धन की अदायगी वर्जित ठहराई। स० रा० अमरीका ने इस युद्ध में सम्मिलित होने पर अक्टूबर १९१७ में 'शत्रु के साथ व्यापार अधिनियम' द्वारा जर्मनी के साथ सारे व्यापारिक सम्बन्ध अन्वेष बना दिए। दूसरे विश्वयुद्ध में भी सब देशों ने ऐसे कानून बनाये।

(४) सविदाओं पर प्रभाव (Effect on Contracts) — लड़ाई छिड़ने से दो युद्धकारी देशों के सम्बन्ध नग हो जाते हैं, अतः इन सम्बन्धों पर आधारित दोनों देशों के व्यक्तियों और कम्पनियों में हुए व्यापारिक समझौते, ठेके और सविदाये (Contracts) तथा सार्विक (Contractual) सम्बन्ध स्वयमेव टूट जाते हैं। साझेदारी के समझौते (Partnership Agreements) नग हो जाते हैं। ट्राडर, कम्पबैल और बैंकनेयर ने ब्रिटिश कानून में विभिन्न प्रकार की सविदाओं पर युद्ध छिड़ने के प्रभाव की विस्तृत सीमासूची की है। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले तोड़े गये ठेके के सम्बन्ध में शत्रुदेश से सम्बद्ध पक्ष युद्ध के समय उस देश के न्यायालयों में कोई अभियोग नहीं चला सकते, किन्तु युद्ध समाप्त होते ही उन्हें सामान्य चलावे का अधिकार मिल जाता है। इसी प्रकार परिसीमन या अर्बाथ का कानून (Law of Limitations) युद्धकाल में स्थगित रहता है। किन्तु समुद्री तथा भ्रम के बीमे की, एजेंसी की, साझेदारी की तथा माल की बित्री की सविदायें युद्ध छिड़ने के साथ समाप्त हो जाती हैं। ब्रिटिश कम्पनियों के जर्मन हिस्सेदार दोनों देशों में युद्ध छिड़ने पर अपना लाभान नहीं ले सकते। १९१६-२० की तथा १९४६ की शान्ति-सन्धियों में युद्ध से पहले की गई सविदाओं के रद्द होने के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के नियम बनाये गये थे।

(५) शत्रुदेश में युद्धकारियों की सम्पत्ति (Belligerent Property in Enemy Country) — पहले युद्ध छिड़ते ही अपने देश में विद्यमान शत्रु की सार्वजनिक (Public) और वैयक्तिक (Private), चल और अचल सब प्रकार की सम्पत्ति जब्त कर ली जाती थी। किन्तु धीरे-धीरे इस अन्तर्राष्ट्रीय नियम का विकास हुआ कि अपने प्रदेश में शत्रु की वैयक्तिक सम्पत्ति को उस देश द्वारा जब्त करके राजस्वसात् (Confiscate) नहीं किया जा सकता और न ही शत्रुप्रजाजनों के ऋणों को रद्द किया जा सकता है। वैयक्तिक सम्पत्ति के राजस्वसात्करण का अन्तिम उदाहरण १७६३ में हुआ, इसके बाद १९वीं शताब्दी में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। प्रथम विश्वयुद्ध में १९१४ में ब्रिटिश सरकार ने 'शत्रु के साथ ब्रिटिश व्यापार' (सहायन) अधिनियम के अनुसार शत्रुसम्पत्ति का एक सरक्षक (Custodian) बनाया। इसका कार्य शत्रुप्रजाजनों की वैयक्तिक रूप से मिलने वाले लाभानों को प्राप्त करना, इनका विनियोग करना तथा युद्ध के अन्त तक इन्हें सुरक्षित रखना था। १९३६ में द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ने पर भी ग्रेट ब्रिटेन में इसी प्रकार का कानून बनाया गया। १९१६-२० की तथा १९४७ की शान्ति-सन्धियों में वैयक्तिक सम्पत्ति के अधिकारों का सुरक्षित रखने के लिये अनेक व्यवस्थाएँ की गई थीं।

शत्रु की सम्पत्ति (Enemy Property) पर युद्धारम्भ का प्रभाव तीन रूपों में देखा जा सकता है—(क) स्वदेश में शत्रु की सार्वजनिक सम्पत्ति (Enemy Public Property) । (ख) स्वदेश में शत्रु की वैयक्तिक सम्पत्ति (Enemy Private Property) । (ग) तटस्थ देशों में युध्यमान देशों की सम्पत्ति ।

(क) शत्रु की सार्वजनिक सम्पत्ति को अपने प्रदेश में अथवा महासमुद्रों में जप्त और राज्यसात् किया जा सकता है । उदाहरणार्थ, शत्रु के रणपोत तथा अन्य सार्वजनिक जहाज राज्यसात् किये जा सकते हैं, वस्तुें कि ये वैज्ञानिक अनुसंधान या निरीक्षण में, किसी धार्मिक या परोपकार के कार्य में अथवा हस्पताल के और घायलों की सेवा आदि के कार्यों में न लगे हों । सैनिक एजेंटों के उपयोग के लिए शत्रु की चल और अचल सार्वजनिक सम्पत्ति का पूरा लाभ उठाया जा सकता है ।

(ख) शत्रु की वैयक्तिक सम्पत्ति के सम्बन्ध में स्टार्क के मतानुसार राज्यों का सामान्य व्यवहार यह है कि युद्धकारी राज्य अपने प्रदेश में इसका राज्यसात्करण (Confiscation) नहीं करते, जप्त करके अपनी सम्पत्ति नहीं बनाते, किन्तु इसका समपहरण (Sequestration) करते हैं अर्थात् कुछ समय के लिए स्थायी रूप से इसे अपने अधिकार में ले लेते हैं, युद्ध के बाद शान्ति-सन्धियों में इनके सम्बन्ध में समुचित व्यवस्था की जाती है । ऊपर इस विषय में ब्रिटिश कानून और शान्ति-सन्धियों की चर्चा हो चुकी है । युद्धकारी देश को यह अधिकार है कि यह अपने प्रदेश से शत्रु की सैनिक लाभ पहुँचाने वाली गोला-बारूद तथा हथियारों की रण-सामग्री बाहर न जाने दे । यह वैयक्तिक रेल कम्पनियों की गाड़िया, डिब्बे, इजन आदि चलस्कन्ध (Rolling Stock) तथा सामान और व्यक्तियों की हलाई के अन्य साधनों को छीनकर इनका प्रयोग कर सकता है । किन्तु युद्ध की समाप्ति पर इस प्रकार छीनी हुई वैयक्तिक सम्पत्ति वापिस तौटानी पड़ती है और युद्ध के समय किये गये इनके उपयोग का मुआवजा देना पड़ता है । युद्धकारी राज्य शत्रुप्रजाजनों को चुकाए जाने वाले ऋणों की अदायगी युद्ध की समाप्ति तक स्थगित कर सकते हैं ।

स्टार्क ने लिखा है कि यह निश्चित नहीं है कि कोई ऐसा भी अन्तर्राष्ट्रीय नियम है, जिसने शत्रु की वैयक्तिक सम्पत्ति का राज्यसात्करण (Confiscation) पूर्ण रूप से निषिद्ध हो । इस विषय में विधिशास्त्रियों में बड़ा मतभेद है । किन्तु शत्रुद्वारा अभिकृत प्रदेश में वैयक्तिक सम्पत्ति को तब तक लूट या राज्यसात्करण नहीं हो सकता, जब तक कि इसका युद्ध में तात्कालिक उपयोग न हो । अतः गोला-बारूद, हथियार एवं मेना द्वारा अधिकार करने के लिये अग्र्य आवश्यक सामग्री वैयक्तिक हाते हुए भी शत्रु द्वारा छीनी जा सकती है । स्थल में शत्रु की वैयक्तिक सम्पत्ति को कुछ अधिक सुरक्षण प्राप्त है, क्योंकि समुद्र में शत्रु के जहाजों को और माल को जप्त किया जा सकता है । किन्तु तटस्थ देशों के जहाजों पर लदा हुआ शत्रु का माल तब तक राज्यसात् नहीं हो सकता, जब तक कि यह युद्ध के प्रयोजनों के लिए उपयोगी न हो अथवा शत्रु द्वारा युद्ध

के नियमों को बार बार तोड़ने पर उसके प्रत्युपहार (Reprisals) के रूप में न छोड़ा गया हो ।

(ग) तटस्थ देशों में युद्धकारी देशों की सम्पत्ति (Belligerent Property in Neutral Countries) के सम्बन्ध में मामान्य नियम यह हैं कि यह परिग्रहण (seizure) से मुक्त है, किन्तु इस मुक्ति का दुहपयोग सम्भव है । द्वितीय विश्वयुद्ध में जर्मनी और उसके साथियों ने शत्रुदेशों की सम्पत्ति लूटकर उसे सुरक्षित बनाने के लिये तटस्थ देशों में जमा करा दिया था । मित्रराष्ट्रों ने उस समय तटस्थ देशों को इस विषय में अनेक चेतावनियाँ दीं और हिटलर को हराने के बाद उन्होंने जर्मनी द्वारा स्वीडन और स्विट्जरलैण्ड में जमा की हुई सम्पत्ति को हस्तगत किया । स० रा० अमरीका ने १९४१ में द्वितीय विश्वयुद्ध में सम्मिलित होने से पूर्व ही जर्मनी तथा उसके अधिकृत तटस्थ देशों की सम्पत्ति का निश्चलन (Freezing of Assets) कर दिया था, इसके अनुसार इस सम्पत्ति का प्रयोग किसी व्यापारिक प्रयोजन में नहीं हो सकता था । इस प्रकार जर्मनी, इटली, लियुथानिया, लैटविया, इस्टोनिया की स० रा० अमरीका में विद्यमान सभी सम्पत्ति निश्चलित कर दी गई ।

(६) संधियों पर प्रभाव ((Effect on Treaties)—न्यायाधीश कार्दोजो (Cardozo) ने लिखा है कि लड़ाई छिड़ने पर युद्धकारी देशों की संधियों पर इसके प्रभाव का प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय कानून की ऐसी समस्या है, जिसका अभी तक पूरी तरह समाधान नहीं हुआ । पुराने विधिशास्त्रियों के मतानुसार लड़ाई छिड़ते ही युद्धकारी देशों की संधियाँ स्वतः समाप्त हो जाती हैं । आधुनिक विधिशास्त्री इस विचार को नहीं मानते और राज्या का व्यवहार भी इसके अनुकूल नहीं है । इसके अनुसार युद्धारम्भ के साथ कुछ संधियाँ अभिसूच्य (Annul) या रद्द होती हैं, कुछ यथापूर्व बनी रहती हैं तथा कुछ संधियाँ स्थगित हो जाती हैं और शक्ति स्थापित होने पर पुनः रज्जीवित समझी जाती हैं ।

इस विषय में कानून की इस अनिश्चित स्थिति के कारण कोई एकरूप नियम या सिद्धान्त निश्चित करना सम्भव नहीं है । कार्दोजो ने इस विषय में यह सत्य ही लिखा है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून ऐसी समस्याओं पर व्यावहारिक दृष्टि से विचार करता है, यह युद्ध की आवश्यकताओं के अनुसार संधियों का सरक्षण या अभिसूच्यन (Annulling) करता है । स्टार्क ने इस विषय में दो कसौटियों का वर्णन किया है ।^{१०} पहली कसौटी कर्तृगत (Subjective) है, इसमें संधि करने वाले देशों का इरादा देखा जाता है, क्या संधि करते समय उनका यह अभिप्राय था कि युद्ध छिड़ने पर भी इस संधि का पालन उनके लिए आवश्यक होगा ? यदि संधि करते समय ऐसा इरादा था तो युद्धारम्भ के बाद भी यह संधि बनी रहेगी, अन्यथा यह संधि रद्द समझी जावेगी । दूसरी कसौटी कर्मगत (Objective) है । क्या इस संधि का पालन युद्ध संचालन के साथ संगत (Compatible) है ? यदि यह संगत है तो संधि बनी रहेगी, अन्यथा यह

संधि समाप्त हो जायगी।

उपर्युक्त कसीटियों को लागू करत हुए तथा राज्या के वर्तमान व्यवहार को दृष्टि में रखते हुए स्टार्क ने इस त्रिपक्ष में पानुनी स्थिति का प्रतिपादन निम्नलिखित रूप में किया है— (क) युद्धकारी देशों के दोनो पक्षा में सामान्य राजनीतिक कार्यवाही तथा उत्तम सम्बन्ध बनाये रखने पर बल देने वाली मैत्री संधियाँ (Treaties of Alliance) युद्धारम्भ के साथ समाप्त हो जाती है।

(ख) स्थायी व्यवस्था रखने वाली, हस्तान्तर (Cession) की तथा सीमाय निर्धारित करने वाली संधियों पर युद्ध का कोई प्रभाव नहीं पटना। व युद्ध छिड़ने के बाद भी यथापूर्व बनी रहती हैं।

(ग) शत्रुतापूर्ण कार्यों (Hostilities) में युद्ध मन्त्रालय को तथा युद्ध के नियमों को निर्धारित करने वाले १८६६ तथा १९०७ के हग-प्रतिपक्षमा जैमा संधियों युद्ध छिड़ने के बाद भी पूर्ववत् बनी रहती हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य ही युद्ध मन्त्रालय के नियम निरखित करना है।

(घ) स्वास्थ्य, भादक द्रव्यों, औद्योगिक सम्पत्ति आदि क सम्बन्ध में घनेक देशों में किये गये बहुपक्षीय अभिनय (Multilateral Conventions) युद्ध छिड़ने पर रद्द नहीं होते। ये या तो युद्ध के समय में भी चालू रहते हैं या युद्धकाल तक स्थगित रहने पर युद्ध के बाद पुनरुज्जीविता हो जाते हैं।

(ङ) कई बार संधियों में स्पष्ट रूप में यह निर्देश रहता है कि युद्ध छिड़ने पर उनकी क्या स्थिति होगी। १९१६ के हवाई यातायात अभिनय (Aerial Navigation Convention) के अनुच्छेद ६८ में यह व्यवस्था की गई थी कि युद्ध छिड़ने पर समझौता करने वाले देशों की स्वतन्त्रता पर युद्धकारी अथवा तटस्थ देशों के रूप में इसके कारण कोई प्रतिक्रिया नहीं लगी। इसका यह स्पष्ट अभिप्राय था कि युद्ध के समय इस संधि का पातन स्थगित हो जाएगा। युद्धकाल में स्थगित होत वाली संधियों के पुनरुज्जीवित के सम्बन्ध में विधिनास्त्रियों में कुछ मतभेद है। अनेक विचारकों का यह मत था कि युद्धकाल में स्थगित होतवाली संधियाँ लड़ाई समाप्त हो जाने पर स्वयमेव पुनरुज्जीवित हो जाती हैं। किन्तु अन्य विचारकों की यह धारणा है कि इनका पुनरुज्जीवित तभी होता है, जब शान्ति-संधियाँ व इसके त्रिपक्ष स्पष्ट स्वरूप को प्राप्त हो जाय।

शत्रुतापूर्ण या अरिप्रकृति (Enemy Character)—दा देशों में युद्ध छिड़ने पर युद्धकारी देश अपने शत्रुओं को तथा उनकी सम्पत्ति को हानि पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं। यह हानि केवल एन व्यक्तियों तथा सम्पत्ति को पहुँचाई जाती चाहिए जो शत्रु समझे जायें अथवा शत्रु शत्रु का रूप प्राप्त हो। सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि युद्धकारी देश के प्रजाजनो का तथा उनकी सम्पत्ति को शत्रुतापूर्ण या अरिप्रकृति प्राप्त हो जाती है, और तटस्थ देशों के प्रजाजनो और उनकी सम्पत्ति को यह नहीं प्राप्त होती। किन्तु इन नियमों के अनेक महत्वपूर्ण अन्वय हैं, कई बार शत्रु-देश के प्रजाजनो को अरिप्रकृति प्राप्त नहीं होती और तटस्थ देशों के व्यक्तियों तथा सम्पत्ति को यह प्राप्त हो जाती है।

आपेनहाइम के मतानुसार यह प्रश्न बड़ा विवादास्पद और अनिश्चित है क्योंकि इस विषय में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के कोई सर्वसम्मत नियम नहीं हैं।" प्रथम विश्वयुद्ध से पहले ब्रिटिश तथा अमरीकन न्यायालयों द्वारा इस विषय में निर्धारित नियम फ्रांस तथा अन्य देशों के नियमों से भिन्न थे। १९०७ के हेग सम्मेलन में इस विषय में तय किये गये नियम ग्रेट ब्रिटेन ने कुछ शर्तों के साथ स्वीकार किये। इस प्रश्न पर विचार के लिए लन्दन में नौसैनिक सम्मेलन बुलाया गया। किन्तु यह सम्मेलन तथा हेग का अन्तिम समय इस विषय के पुराने विवादों का समाधान नहीं कर सका, मुख्य मतभेद इस प्रश्न पर था कि किसी व्यक्ति या माल की शत्रुरूपता अथवा तटस्थ होने की कसौटी राष्ट्रियता (Nationality) होनी चाहिए या अधिवास (Domicile)। यहाँ व्यक्तियों, निगमों, कारपोरेशनों, जहाजों तथा माल के सम्बन्ध में यह विचार किया जायगा कि इन्हें किन परिस्थितियों में शत्रु समझा जाता है, इनकी शत्रुरूपता की क्या कसौटियाँ हैं।

(क) व्यक्तियों की शत्रुरूपता (Enemy Character of Individuals)— इस विषय में सामान्य नियम यह है कि युद्धकारी देशों के प्रजाजन युद्ध छिड़ने पर शत्रु-रूप धारण करते हैं और तटस्थ देशों के प्रजाजनों को यह अरिप्रकृति प्राप्त नहीं होती। किन्तु तटस्थ देशों के व्यक्ति यदि एक युद्धकारी देश की सेना में भर्ती हो जाते हैं, उसके पक्ष में कुछ कार्य करते हैं, किसी युद्धकारी देश के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण कार्य करते हैं तो इन्हें शत्रुरूपता प्राप्त हो जाती है। शत्रु होने की सबसे बड़ी और मुख्य कसौटी व्यक्ति की निष्ठा (Allegiance) या राजभक्ति है। जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के युद्ध में यदि ब्रिटिश प्रजाजन होते हुए भी किसी की निष्ठा जर्मनी के प्रति है, तो वह ब्रिटेन का शत्रु समझा जाना चाहिए। In the King v Superintendent of Vine Street Police Station (1916) के मामले में ब्रिटिश न्यायालय ने अल्फ्रेड लीबमान नामक व्यक्ति को विदेशी शत्रु घोषित किया, यद्यपि वह इंग्लैण्ड में २६ वर्ष से निवास कर रहा था और उसने २५ वर्ष पूर्व जर्मन राष्ट्रियता से मुक्ति पा ली थी।

१९३९ के 'शत्रु के साथ व्यापार करने के' ब्रिटिश कानून में शत्रु का लक्षण करते हुए कहा गया है कि 'यह शत्रु के प्रदेश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति है'। इस कानून में स्पष्ट रूप से यह कहा गया था कि केवल शत्रुप्रजाजन होने के कारण कोई व्यक्ति शत्रु नहीं समझा जायगा। १९१७ के स० रा० अमरीका के 'शत्रु के साथ व्यापार के कानून' में शत्रु की निम्न परिभाषा की गई थी— (क) शत्रुप्रदेश में निवास करने वाला कोई भी राष्ट्रियता रखने वाला कोई भी व्यक्ति, (ख) शत्रुदेश की सरकार, (ग) शत्रुदेश के नागरिक तथा प्रजाजन। इससे यह स्पष्ट है कि ग्रेट ब्रिटेन और स० रा० अमरीका में शत्रुत्व के लिए शत्रुप्रदेश में अधिवास (Domicile) की प्रधानता दी जाती है। किन्तु इसके विपरीत योरोपियन देशों में राष्ट्रियता को महत्व दिया जाता है। १९४० के शत्रु के साथ व्यापार करने के जर्मन कानून में निवास की शर्त के साथ राष्ट्रियता की शर्त को भी बहुत महत्व दिया गया था।

लारेन्स ने शत्रु समझे जाने वाले व्यक्तियों को उनके शत्रुत्व की मात्रा की दृष्टि से निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त किया है—(क) शत्रु की सेनाओं में लड़ने वाले व्यक्ति पूर्णरूप में शत्रु माने जाते हैं। (ख) शत्रु के व्यापारिक जहाजों को चलाने वाले नाविक। इनकी स्थिति शत्रुदेश के सैनिकों तथा अमेरिकन जनता की मध्यवर्ती होती है, १८०६ के हेग अभिसमय के अनुसार यदि ये डम वान की लिखित प्रतिज्ञा करते हैं कि युद्धकाल में ये अपना कार्य नहीं करेंगे तो इन्हें बन्दी रखने के बंधन से मुक्त किया जा सकता है। (ग) मेना से सम्बन्ध न रखने हुए भी सेना का अनुमरण करने वाले राणाचार्यपत्रों के सवाददाता, रिपोर्टर, ठेकेदार, मेना को सामान देने वाले व्यक्ति पकड़े जाने पर युद्धबन्दी समझे जाते हैं। (घ) शत्रुदेश में निवास करने वाले तटस्थ देशों की राष्ट्रीयता रखने वाले व्यक्ति भी अधिवास (Domicile) के कारण शत्रु समझे जाते हैं, वनातें कि वे युद्ध छिड़ जाने के बाद व्यापार के उद्देश्य में शत्रु के देश में रहे। ब्रिटिश तथा अमरीकन विधिशास्त्री अधिवास (Domicile) को बहूत गहरा देते हैं। एक विशेष इरादे से किसी स्थान पर देर तक निवास (Residence) करना अधिवास है। शत्रुदेश में व्यापार के इरादे से रहने वाले तटस्थ देशों के व्यक्ति भी शत्रु को सहायता देकर उमकी युद्ध करने की शक्ति को बढ़ाने हैं। अतः इन्हें शत्रु समझा जाना चाहिए। (ङ) शत्रु द्वारा अधिकृत प्रदेश में निवास करने वाले व्यक्ति उम समय तक शत्रु समझे जाते हैं, जब तक कि उस प्रदेश पर शत्रु का अधिकार रहता है। (च) तटस्थ देशों में अधिवास रखने वाले ऐसे व्यक्ति शत्रु समझे जाते हैं, जो शत्रुदेश के साथ व्यापार करते हों।

(ख) निगमों की शत्रुरूपता (Enemy Character of Corporations) — व्यापार करने वाली कम्पनियों और निगमों के शत्रुरूप का निर्धारण करने की दा बड़ी

१२. महाभारत (शान्तिपर्व १७।१) में सेना के साथ जाने वाले, उन्हें रक्षित पशुचारे वाले व्यक्तिों के लिए महाजन शब्द का प्रयोग हुआ और इनको मारना अर्थात् ठहराया गया है—
 अपमानेन युद्धे न राजा हन्ति महाजनम् ॥ नीलपण्ड की टीका—महाजन वृकश्रित वैश्यादिजनम् ॥
 इसी प्रकार शान्तिपर्व (१००।२८) में घोड़ों के लिए घोस लाने वाले धर्मियों या बहिष्कारों (बहिष्कृत्यापार्यं चरणे बहिष्कार्यं—नीलकण्ठी टीका) को भी अन्वय कहा गया है। कौटिलीय अर्थशास्त्र में सेना के साथ जाने वाले, किन्तु अतैविक कार्य (विष्टिकन) करने वाले व्यक्तियों के निम्न प्रकार वर्णन है—(क) शिबिर, मार्ग, पुल, कुर्प तथा धातु छीक रिबनि में रखने वाले। (ख) शत्रु, शत्रुशत्रु, कलत्र तथा अन्वय युद्धोपयोगी मारुती वृद्ध शत्रु पशुओं को शत्रु शत्रु से दूसरे स्थान में ले जाने वाले। (ग) युद्धभूमि में घोड़े हुए शत्रुत्व और कवचों का सन्ध करने वाले, शत्रु के शत्रुत्वों से घायन योद्धाओं को अन्वय पहुँचाने वाले। (१०।४—शिबिरनाग-सेतुर्धनीर्धशोधनकर्म यन्त्रासुवावरणोपकरणप्रसुवहनमायोषणाप्य प्रहरणपररप्रतिबिद्यापनधनमिति विष्टिकमोति)। रामायण (अयोध्याकाण्ड ७६।८०) में सेना के साथ जाने वाले खनक (मार्ग मार्ग खोदने वाले), यन्त्रों (श्मीनियरों), पंख काटने वालों (वृषतच्छक), द्रष्टाओं (दिखायन करने वाले) का उल्लेख है। ये सब महाभारत की उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार महाजन तथा अन्वय हैं।

कसौटियाँ उनकी रजिस्ट्री (Incorporation) का आदेश या अभिवास (Domicile) तथा नियन्त्रण हैं। शत्रुदेश में स्थगित होने वाली तथा वहाँ अपनी रजिस्ट्री कराने वाली कम्पनी या निगम के शत्रु होने में कोई सदेह नहीं है। किन्तु कोई कम्पनी शत्रु या शत्रुदेश के साथ व्यापार करती है तो उसे भी शत्रु समझा जाता है। निगम के शत्रु होने की दूसरी कसौटी उमका नियन्त्रण है। इसके एक देश में रजिस्ट्री होने पर भी यदि इसको नियन्त्रित करने वाली शक्ति शत्रुदेश में है तो इसे शत्रु समझा जायगा। इस नियम का सुस्पष्ट प्रतिपादन *Daimler Co Ltd v. Continental Tyre and Rubber Co Ltd (1916)* के मामले में हुआ था।

इस मामले की काण्टिनेण्टल टायर और रबर कम्पनी १९०५ में ग्रेट ब्रिटेन में बनायी गयी थी, इसका रजिस्टर्ड कार्यालय लंदन में था, किन्तु इसके सब संचालक जर्मन थे तथा इसके लगभग सभी हिस्से जर्मन प्रजाजनों द्वारा खरीदे गये थे। इस कम्पनी को डैमलर कम्पनी से कुछ ख़रपा लेना था। उसकी बसूली के लिये इसने उस कम्पनी पर मुकद्दमा चलाया, उसने अपनी सफाई में यह कहा कि ग्रेट ब्रिटेन में रजिस्ट्री होने पर भी इसके संचालक जर्मन होने के कारण यह शत्रु है और १९१४ के 'शत्रु के साथ व्यापार कानून' के अनुसार वे शत्रु को कोई अदायगी नहीं कर सकते। लार्ड पार्कर ने डैमलर कम्पनी के हक में फ़सला देते हुए इसमें निम्नलिखित सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया—(क) किसी नियम या कम्पनी का शत्रुरूप इस बात से निश्चित होता है कि उमका नियन्त्रण करने वाले शत्रुदेश में रहते हैं, अथवा शत्रुदेश में रहते हुए भी शत्रु का अनुसरण करते हैं, उससे आदेश ग्रहण करते हैं या उसके नियन्त्रण में कार्य करते हैं। (ख) ग्रेट ब्रिटेन में स्थापित हुई कम्पनी केवल वहाँ बनने के कारण से मित्र नहीं हो सकती। कम्पनी अपने अभिकर्ताओं (Agents) द्वारा कार्य करती है। यह युद्धकाल में उस दशा में शत्रुरूप धारण करती है, जब ये शत्रुदेश में रहते हों या शत्रु-हिस्सेदारों के आदेश के अनुसार कार्य करते हों। (ग) वैयक्तिक हिस्सेदारों के स्वरूप से कम्पनी का स्वरूप नहीं निर्धारित होता। किन्तु यह इस बात से निश्चित होता है कि इस कम्पनी का वास्तविक नियन्त्रण करने वाले व्यक्ति शत्रुओं से आदेश ले रहे हैं या शत्रुओं के नियन्त्रण में कार्य कर रहे हैं। (घ) ग्रेट ब्रिटेन में रजिस्टर्ड होने वाली कम्पनी यदि तटस्थ देश के साथ वहाँ अथवा उन देशों में रहने वाले एजेंटों द्वारा व्यापार करती है, तो ऊपरी दृष्टि से यह मित्र समझी जा सकती है, किन्तु यह इसका वास्तविक नियन्त्रण करने वाले एजेंटों के कारण शत्रुरूप भी धारण कर सकती है। (ङ) ग्रेट ब्रिटेन में रजिस्ट्री कराने वाली कम्पनी यदि शत्रुदेश के साथ व्यापार करती है तो इसे शत्रु समझना चाहिये।

डैमलर के मामले में उपर्युक्त सिद्धान्तों को १९४३ में हाउस-ऑफ़-लार्ड्स ने सौफ़्राच्ट (Saufracht) के मामले में पुनः पुष्ट किया। यह कम्पनी तटस्थ देश हार्लैण्ड में बनी थी, इसके संचालक वही रहते थे। किन्तु विश्वयुद्ध में जर्मनी में हार्लैण्ड पर अधिकार कर लिया, इस कम्पनी पर जर्मन नियन्त्रण स्थापित हो गया अतः ग्रेट ब्रिटेन द्वारा इसे शत्रुरूपता प्राप्त हुई। १९३६ के शत्रु के साथ व्यापार के

कानून में शत्रुता निर्धारण करने के लिये रजिस्ट्री और नियन्त्रण की दोनों कसौटियों को आवश्यक माना गया है। फ्रेंच न्यायालयों ने प्रथम विश्वयुद्ध में यह कहा था कि उन्हें यह अधिकार है कि वे मामले की तह तक जाकर यह निश्चय करें कि कोई कम्पनी वास्तव में फ्रेंच है या केवल दिखावे के तौर पर ऐसी है। १ सितम्बर १९३६ के फ्रेंच आदेश में रजिस्ट्री और नियन्त्रण की दोनों कसौटियाँ स्वीकार की गयी हैं।

(ग) जहाजों की शत्रुरूपता (Enemy Character of Ships) — इनके सम्बन्ध में सामान्य नियम यह है कि इनका स्वरूप इनकी ध्वजा (Flag) से निश्चित होता है। यदि इन पर शत्रुदेश की ध्वजा फहरा रही हो तो ये शत्रु समझे जायेंगे। किन्तु यदि इन पर तटस्थ देश की ध्वजा हो तो ये शत्रु नहीं समझे जायेंगे। १९०६ में इस सामान्य नियम की पुष्टि लन्दन की घोषणा में भी की। इसके अनुच्छेद ५७ के अनुसार जहाज की शत्रुरूपता की कसौटी उस पर बैध रूप से फहरायी जाने वाली ध्वजा थी। १९१४ का युद्ध छिड़ने ही ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने इस नियम की स्वीकार किया, किन्तु जर्मनों ने इस व्यवस्था का अनुचित रीति में बहुत लाभ उठाया। उस समय २० रा० अमरीका तटस्थ देश था, इसके बहुत से जहाज-मालिकों ने जर्मन पूंजी की सहायता से नये जहाज खरीदे और इन पर अमरीकी झण्डा लगाकर जर्मनी को माल भेजने लगे। इन पर तटस्थ देश की ध्वजा होने के कारण लन्दन सम्मेलन के उपर्युक्त निर्णय के अनुसार शत्रु होने के कारण रोकना या पकडा नहीं जा सकता था। इनमें ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को यह निश्चय हो गया कि लन्दन सम्मेलन की स्वीकृत की हुई उपर्युक्त व्यवस्था का उन्हें परित्याग करना चाहिये। ग्रेट ब्रिटेन ने २० अक्टूबर १९१५ के एक सरकारी आदेश में उपर्युक्त व्यवस्था के निराकरण (Abrogation) की घोषणा करते हुए यह कहा कि वह इस विषय में पुरानी ब्रिटिश परम्परा का अनुसरण करेगा। फ्रांस ने भी नीति में इसी प्रकार का परिवर्तन किया। ब्रिटिश अधिग्रहण न्यायालयों (Prize Courts) ने The St. Tudno के मामले में ब्रिटिश ध्वजा फहराने वाले किन्तु जर्मन स्वामित्व रखने वाले तथा The Harnborm के मामले में तटस्थ देश का झण्डा फहराने वाले जहाज के बारे में सूक्ष्म विचार करने हुए यह निर्णय दिया "अधिग्रहण कानून (Prize Law) का यह निश्चित नियम है कि अधिग्रहण न्यायालय वास्तविक और पारंपरिकताओं (Forms and Technicalities) के पीछे छिपे हुए तथ्यों और वास्तविकताओं की तह तक जायेंगे। इसका यह अर्थ है कि जहाज के स्वामी ता उनके द्वारा चुने गये झण्डे के नियमों से बचे हुए हैं, किन्तु शत्रु पवडों वाले उन झण्डे के नियमों में बंधे हुए नहीं हैं।"

इसका स्पष्ट अभिप्राय यह है कि तटस्थ देश का झण्डा लगाने वाला जहाज यदि वस्तुतः शत्रु का महायन्त्रा पहुँचा रहा है तो उसे शत्रुरूप प्राप्त हो जायगा।

आपनेहाइन के कथनानुसार तटस्थ देश के झण्डे वाला पाव निम्न दशाओं में शत्रुरूप प्राप्त करता है।— (क) लन्दन-घोषणा के अनुच्छेद ४६ के अनुसार ऐसे

जहाजों को लडाईं के कार्यों में सीपा भाग लेने से, शत्रुसरकार द्वारा नियत क्रिये एजेण्ट के नियन्त्रण में होने से, शत्रुसरकार की अनन्य रूप में सेवा करने से, शत्रु की सेनाओं के परिवहन से भयवा शत्रु को सूचना देने का माध्यम होने से शत्रु समझा जाता है।

(ख) यदि यह इनके निरीक्षण और तताशी लेने के बंध अधिकार के प्रयोग का प्रतिरोध करता है, तो भी इसे शत्रुरूपता प्राप्त होती है। (ग) ग्रेट ब्रिटेन, स० रा० अमरीका और जापान के व्यवहार तथा आचरण के अनुसार ऐसे तटस्थ पोतों को भी शत्रुरूपता प्राप्त होती है, जो १७५६ के नियम का उल्लंघन करते हैं। इस नियम के अनुसार युद्ध के समय में कोई भी दूसरा देश उस प्रदेश में व्यापार नहीं कर सकता जिसके व्यापार का अधिकार युद्ध छिड़ने में पहले कोई देश कवल अपना भण्डा फहराने वाले जहाजों के लिये सुरक्षित समझता था। (घ) तटस्थ देश की ध्वजा फहराने पर भी यदि उम जहाज के स्वामियों में से कुछ शत्रुदेश के हैं तो इसे शत्रुरूप प्राप्त हो जायगा।

तटस्थ देश के जहाज को शत्रुरूप प्राप्त होने पर उसके सम्बन्ध में निम्न नियम लागू होते हैं—(क) इस पर लदा हुआ शत्रु का सारा माल राज्यसात् (confiscate) किया जा सकता है, भले ही वह जब इस पर लदा गया हो उम समय यह जहाज वस्तुतः तटस्थ रहा हो। (ख) इस पर लदा हुआ सारा माल शत्रु का समझा जायगा, तटस्थ देशों के माल के मालिकों के लिये यह आवश्यक होगा कि वे इसके तटस्थ रूप को सिद्ध करें। यदि वे ऐसा नहीं कर सकते तो यह शत्रु का माल माना जायगा।

(घ) नौषध्य की शत्रुरूपता (Enemy Character of Cargo) — जहाजों पर गये हुए सामान या नौषध्य की शत्रुरूपता के सम्बन्ध में विभिन्न देशों के नियमों में एकतरफता नहीं है। हानेण्ट ने तटस्थ देश होने के कारण अपने लाभ की दृष्टि से इस विषय में १६५० में अन्य देशों के साथ ऐसी संधियाँ की जिनके अनुसार तटस्थ या स्वतन्त्र देशों के जहाजों पर लदा हुआ माल स्वतन्त्र अर्थात् युद्धकारी देशों द्वारा न पकड़ा जाने वाला समझा जाय, दूसरे शब्दों में तटस्थ देशों के जहाजों का माल युद्धकाल में न छीना जाय। इसे 'स्वतन्त्र जहाज और स्वतन्त्र माल' (Free ships, Free goods) का सिद्धान्त कहते हैं, किन्तु इनो मनजाने के लिये उसे इसका विरोधी सिद्धान्त शत्रु के जहाजों पर लदा हुआ माल शत्रु का होता है (Enemy ships, Enemy goods) भी मानना पडा। इसके अनुसार शत्रु के जहाज पर लदा हुआ सारा माल युद्धकारी देश द्वारा आत्मसात् किया जा सकता था, भले ही उस पर किसी तटस्थ देश का स्वामित्व हो।

इसके विपरीत तत्कालीन प्रधान सामुद्रिक शक्ति ग्रेट ब्रिटेन ने इस विषय में Consolato del mare (देखिये ऊपर पृ० ३३) के सुप्रसिद्ध सिद्धान्त का अनुसरण किया। इसके अनुसार जहाज पर लदे माल के पकड़े जाने की बसोटी जहाज का भण्डा नहीं, किन्तु माल का स्वामित्व था, यदि उम माल के स्वामी तटस्थ देशों के व्यक्ति हैं, तो शत्रु के जहाजों पर लदा हुआ भी यह माल नहीं पकड़ा जा सकता था और यदि शत्रु का माल तटस्थ देशों के जहाजों पर लदा हुआ है तो उसे छीना जा सकता था। यह नियम उपर्युक्त ही सिद्धान्त से सर्वथा प्रतिकूल था, किन्तु अधिक न्यायपूर्ण

और तर्कसंगत होने से जिन शान्ति लोकप्रिय और सर्वमान्य होने लगा। स० रा० अमरीका ने इसे स्वीकार किया। प्रधान न्यायाधीश मार्शल ने *Nereide* के मामले में १८१५ में यह घोषणा की कि संयुक्त रा० अमरीका ने अन्तर्दिग्ध रूप में यह मान लिया है कि "एक मित्र के जहाज में लदा हुआ शत्रु का माल युद्ध में छीना जा सकता है तथा शत्रु के जहाज में लदा हुआ मित्र का माल (छीना जाने पर भी) मित्र को लौटा देना चाहिये।" कीमिया युद्ध की समाप्ति पर १८५६ की पेरिस की घोषणा द्वारा ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने यह स्वीकार किया कि "तटस्थ देश के भण्डे वाले जहाज में युद्ध की विनिषिद्ध (contraband) वस्तुओं के अतिरिक्त शत्रु का सामान जा सकता है और युद्ध में विनिषिद्ध सामग्री के अलावा तटस्थ देशों के माल को शत्रु का भण्डा फहराने वाले जहाज पर लदा होने पर भी नहीं पकड़ा जा सकता।"

वर्तमान समय में आपेनहाइम के मतानुसार सामान्य रूप में यह माना जाता है कि किसी माल की शत्रुरूपता उसके मालिकों की शत्रुरूपता पर निर्भर है। यदि किसी नौपय्य का स्वामी शत्रु है तो यह माल शत्रु का समझा जायगा। व्यक्तियों को शत्रु समझने की कसौटी के सम्बन्ध में मतभेद होने के कारण माल की शत्रुरूपता में भी यह मतभेद है। प्रधान रूप से इस विषय में दो पक्ष हैं —

(१) व्यापारिक अधिवास (Commercial Domicile) — ब्रिटिश तथा अमरीकन व्यवहार के अनुसार किसी व्यक्ति का शत्रुदेश में अधिवास उसे शत्रुरूप प्रदान करता है, अतः शत्रुदेश में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों का माल शत्रु का माल समझा जाता है, शत्रुदेश में न रहने वाले व्यक्तियों का माल शत्रुरूप नहीं धारण करता। इस कारण तटस्थ देशों में रहने वाले शत्रुप्रजाजनों का माल शत्रुरूप नहीं प्राप्त करता, किन्तु शत्रु के देश में रहने वाले तटस्थ राज्यों के प्रजाजनों का माल शत्रुरूप धारण करता है। इसी तरह एक युद्धकारी देश के जो प्रजाजन दूसरे युद्धकारी देश में बसे होते हैं, युद्ध छिड़ने पर भी उस देश में बसे रहते हैं उनका माल दूसरे देश की दृष्टि में शत्रु का समझा जाता है। एक तटस्थ देश के प्रजाजन द्वारा शत्रुदेश में स्थापित की हुई व्यापारिक कम्पनी शत्रु भागी जाती है, इसका स्वामी भले ही शत्रुदेश से बाहर रहता हो, किन्तु व्यापारिक अधिवास (Commercial Domicile) के कारण शत्रुदेश में ही समझा जाता है।

(२) राष्ट्रियता — फ्रांस तथा अनेक योरोपियन राज्य अधिवास को महत्वपूर्व न मानते हुए राष्ट्रियता को ही कसौटी मानते हैं। इनके अनुसार माल के मालिक की राष्ट्रियता (Nationality) यह निर्दिष्ट करती है कि माल को शत्रुरूपता दी जाय या न दी जाय। अतः शत्रु के व्यापारिक जहाजों पर लदे हुए माल में से केवल उन्हीं माल को शत्रुरूपता प्रदान होगी है, जिसने स्वामी शत्रुदेश के प्रजाजन हैं, भले ही ये तटस्थ देशों में रहते हों, किन्तु शत्रुदेश के नागरिक होने के कारण इनका माल शत्रु का ही समझा जाना चाहिये। शत्रु के जहाजों पर लदा हुआ तटस्थ राज्यों के प्रजाजनों का माल शत्रुरूप नहीं प्राप्त करता, भले ही ये शत्रुदेश में निवास करते हों।

बाईसवाँ अध्याय

स्थल युद्ध के नियम

(Laws of Land Warfare)

युद्ध के नियमों का विकास (Development of Laws of War)—युद्ध आरम्भ होने पर दोनों पक्षों का ध्येय सैनिकों के प्रयोग द्वारा शत्रु पर विजय पाना होता है, किन्तु सैनिकों का प्रयोग मनमाने रीति से नहीं किया जा सकता। यद्यपि पूर्ण प्रभुसत्ता रखने वाले राज्यों को यथेच्छ बलप्रयोग का अधिकार है, फिर भी वे शत्रु को हराने के लिए बलप्रयोग में कुछ मर्यादाओं का पालन अनिवार्य समझते हैं। बलप्रयोग की ये मर्यादाएँ ही युद्ध के नियम कहलाती हैं। महाभारत में इनका विचार न रखने वालों को दम्भु और डाकू कहा गया है।^१ कुछ विधिशास्त्री इन्हें युद्ध के कानून (Laws of War) कहते हैं किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने १९४९ की प्रथमी पहली रिपोर्ट में इस शब्द के परिष्कार का सुझाव दिया है और इन्हीं सैनिक बलप्रयोग के नियम कहला ही ठीक हैं। यदि इन नियमों का पालन न किया जाय तो युद्ध में बर्बरता और पातकित्वता की कोई सीमा नहीं रहनेगी।

युद्ध के नियमों का विकास धार्मिक धर्म हुआ है। प्राचीन भारत में युद्धविषयक नियमों का सभ्यता उल्लेख पहले ही हुआ है (पृ० २०)।^२ योरोप में इनका विकास मध्य युग में इसाइयत से तथा शौर्य (Chivalry) के विचार से हुआ। आपतकाल में

१. महाभारत शान्तिपर्व १००।३ निःशंका दत्तवस्तु भवति परिवन्धित ।

२. इस विषय में युद्ध अन्तः प्रमाण विम्वलित्वित है महाभारत शान्तिपर्व (२५।१९) में इस पर बल दिया गया है कि 'सैनिकों को युद्ध में परमावृत्त निश्चिन्तों के अनुसार लड़ना चाहिये, न कि क्रोध और हत्या की भावनाओं से प्रेरित होकर (यथासंभव कोटि न मृत्यु के निमित्त)। वस्तुतः युद्ध में निःशंका की समस्त सुन्दर कसौटी नहीं हो सकती कि उसमें क्रोध और हत्या की भावना नहीं होनी चाहिये। गीता (२।११) में यह कहा गया है कि सैनिकों के लिए परम युद्ध (Just War) से बचकर कोप शत्रु नहीं है (अर्थात् युद्धाच्छ्रेयोऽयं यत्तु चरित्रव्यय न विद्यते)। प्राचीन भारतीय शत्रु के विरुद्ध शक्ति से अत्यधिक अन्यायित प्रयोग को अनुचित समझते थे। शान्तिपर्व (४६ १५) में कहा गया है कि शत्रु को न तो धोखा देना चाहिये और न ही अत्यधिक प्रशंसा से उसके हृदय करना चाहिये, उसे प्रशंसा से उसको मृत्यु ही मरनी है (तामिनी विनिकर्षण्यो नानि-द्वेष कथंचन । जीवित्वा ह्यपि निन्दितः स्युः शत्रुः कथंचन)। यह ही सम्मान से तब किन्तु यथेष्ट मित्रता से महारा मान्य रहना है कि शत्रु के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग ही प्रयोग किया जाना चाहिये कि यह

मनानुमार तीन सिद्धान्तों ने इन नियमों का स्वरूप निर्धारण करने में बड़ा भाग लिया।^१ पहला सिद्धान्त यह है कि युद्धकारी देश शत्रु को परास्त करने के लिए किसी भी मात्रा और प्रकार में बल का प्रयोग कर सकता है। दूसरा सिद्धान्त मानवीयता (Humanity) का है, इसके अनुसार बल का ऐसी मात्रा में तथा ऐसे रूपों में प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो शत्रु को हराने के लिए आवश्यक न हों। तीसरा सिद्धान्त शौर्य (Chivalry) है, भारतीय परिभाषा में इसे क्षात्र धर्म कह सकते हैं। इसके अनुसार शत्रु को चेतावनी देकर, उसके साथ न्यायोचित व्यवहार करते हुए लड़ाई करनी चाहिए, घोषाघड़ी और घूर्तता से विजय नहीं प्राप्त करनी चाहिए। महाभारत के शब्दों में धर्मपूर्वक सटते हुए मर जाना श्रेयस्कर है, किन्तु पापकर्म से विजय प्राप्त करना अच्छा नहीं है।^२ इन्हीं विचारों के परिणामस्वरूप आजकल युद्ध में असैनिक व्यक्तियों की हत्या, युद्धबन्धियों के साथ दुर्व्यवहार, सहायक गैसों का प्रयोग, नाविकों की सुरक्षा किए बिना व्यापारिक जहाजों का डुबाना गृहणीय का कार्य समझे जाते हैं।

१९वीं शताब्दी के मध्य में विभिन्न देश युद्ध के नियमों को विभिन्न संधियों, समझौतों और घोषणाओं द्वारा स्वीकार करने लगे हैं। इस विषय में महत्वपूर्ण समझौते निम्नलिखित हैं— (१) १६ अप्रैल १८६४ की वैरिस्स की घोषणा (देखिए ऊपर पृ० ५०)। (२) २२ अगस्त १८६४ का जेनेवा का अभिसमय—यह रणक्षेत्र में घायल होने वाले सैनिकों की दवा में सुधार करने के सम्बन्ध में था। पहले इस पर नौ राज्यों ने हस्ताक्षर किए, किन्तु बाद में अन्य राज्य भी सम्मिलित हुए। इस विषय में दूसरा जेनेवा समझौता ६ जुलाई १९०६ को ३५ राज्यों ने किया। (३) ११ दिसम्बर १८६८ की सेंटपीटर्सबर्ग की घोषणा—इसमें ४०० ग्राम (१४ आँस) में कम भार के, विस्फोटक यथवा ज्वलनशील पदार्थों में भरे अग्निवाण (Projectiles) के प्रयोग का निषेध किया गया था। इस पर १७ राज्यों ने हस्ताक्षर किये। (४) हेग की १८६६ की पहली सन्धि परिषद् ने खेल युद्ध के नियमों का अभिसमय तय्यार किया। १९०७ में इसका समोधन हेग की दूसरी सन्धि परिषद् ने किया। (५) दसदस गोलियों के निषेध की हेग घोषणा—ये गोलियाँ लगने पर फूल जाती हैं और नरीन में मुक्तीले लम्बे घाव करती हैं, इनका यह नामकरण बलकत्ता के निकट दमदम के शम्भू बगाने के कारखाने में इन का निर्माण होने के आघार पर किया गया है। (६) गुटनारास फेंके जाने वाले विस्फोटक द्रव्यों के निषेध में हेग घोषणा। (७) दम घोटने वाली दवामरोधी (Asphyxiating) या हानिप्रद गैसों के प्रयोग के निषेध की हेग घोषणा। (८) ममुद्री लड़ाई के सम्बन्ध में १८६४ में ऊपर उद्धरण हेग अभिसमय के नियमों में लड़ाई करने तक एक अभिसमय। (९) १९०७ का लड़ाई आरम्भ करने के विषय में हेग अभिसमय। (१०) १९०७ का युद्धारम्भ के समय शत्रु के व्यापारिक जहाजों का स्थिति सम्बन्धी हेग समझौता। (११) १९०७ का व्यापारिक जहाजों को रणपोतों में परिवर्तित करने का हेग

१. आर्मेन्ट्राइस—उत्तरनेरान्त लॉ, स० २, पृ० २०७

२. महाभारत सान्निध्य ४५१२७ धर्मोत्तम श्रेयो न च पापकर्मणा।

अभिसमय । (१२) स्वयंचालित समुद्रान्तर्वर्ती ससर्पणी सुरंगो (Automatic submarine contact mines) का हेग अभिसमय । (१३) युद्ध के समय नौसेनाओं द्वारा बमबारी-विषयक १९०७ का हेग अभिसमय । (१४) समुद्री युद्ध में निग्रह के अधिकार के प्रयोग पर प्रतिबन्धों के विषय में १९०७ का हेग सम्झौता । (१५) तटस्थ शक्तियों और व्यक्तियों के स्थलीय और समुद्री युद्ध के विषय में अधिकारों और कर्तव्यों के १९०७ के हेग सम्झौते । (१६) इवामरोधी विप्लवी तथा अन्य रंगों के प्रयोग की वर्जित ठहराने वाला १९२५ का प्रोटोकॉल । (१७) बीमारों और घायलों के साथ तथा युद्धबन्दियों के साथ किये जाने वाले व्यवहारविषयक १९२९ के जेनेवा अभिसमय । (१८) व्यापारिक जहाजों के विरुद्ध पनडुब्बियों के प्रयोग के बारे में १९३६ का लन्दन प्रोटोकॉल । (१९) १९४९ में जेनेवा में निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में किये गए रेडक्रास के चार अभिसमय (क) युद्ध बन्दियों के साथ व्यवहार, (ख) रणक्षेत्र में आहतों तथा बीमारों की दशा सुधारना (ग) समुद्री युद्ध में घायल, बीमार तथा जहाज नष्ट हो जाने पर नाविकों की दशा सुधारना, (घ) युद्धकाल में असैनिक व्यक्तियों की-रक्षा । ये अभिसमय बहुत विशद हैं और इनमें युद्ध के नियमों का बहुत अंशों में संहिता-करण (Codification) सम्पन्न हुआ है ।

नियमों का पालन (Observance of Laws) — उपर्युक्त नियमों के पालन के सम्बन्ध में दो प्रधान आपत्तियाँ उठाई जाती हैं । पहली आपत्ति कुछ जर्मन लेखकों का यह विचार है कि सैनिक आवश्यकता का यह तर्काजा है कि युद्धमान देशों के कार्यों पर कोई मर्यादा नहीं होनी चाहिए, राज्य की सुरक्षा युद्ध के नियमों के पालन से अधिक महत्वपूर्ण है, अतः सभी प्रकार की हिंसा का प्रयोग अनमर्यादित रूप में किया जा सकता है । एक जर्मन क्रावत है — *Kriegsraeson geht vor Kriegsmaneer* अर्थात् युद्ध की आवश्यकता युद्ध के प्रकार पर हावी होती है, आवश्यकता पड़ने पर हिंसा का कोई भी क्रूर कार्य किया जा सकता है, उगले अचिन्त्य अतीचिन्त्य का विवेचन व्यर्थ है । अंग्रेजी की क्रावत है कि युद्ध और प्रेम में सभी कुछ उचित होता है (All is fair in love and war) ।

किन्तु यह दृष्टिकोण अधिकांश विधिशास्त्रियों द्वारा भ्रान्तिपूर्ण समझा जाता है । हेग नियमों के अनुच्छेद २२ में यह व्यवस्था है कि युद्धमान देशों का शत्रु को हानि पहुँचाने का अधिकार असैनिक या अनमर्यादित नहीं है । अन्तर्राष्ट्रीय कानून में कुछ ऐसे परम्परागत नियम हैं, जिन्हें राज्यों ने विभिन्न शक्तियों द्वारा स्वीकार किया है । उदाहरणार्थ, युद्ध में विष एव विप्लवी हथियारों का प्रयोग, शत्रु के सैनिकों को घोर से मारना या घायल करना वर्जित है । रूसी भी सैनिक आवश्यकताओं में ही, इन साधनों का प्रयोग निषिद्ध ही समझा जाता चाहिए । १९०५ में Pelus के मामले में एक ब्रिटिश न्यायालय ने सैनिक आवश्यकता की युक्ति को स्वीकार नहीं किया था । इस मामले में एक जर्मन पनडुब्बी के सेनापति ने एक व्यापारी जहाज डूबाने के बाद उसने एक तस्ते से विपटकर तैरने वाले व्यक्ति का मसीनगन में इसलिये भून डाला कि जहाज को डूबाने के प्रत्येक चिह्न को नष्ट कर दिया जाय ताकि पनडुब्बी का पीछा न किया जा

सके। जर्मन सेनापति ने इस जघन्य कार्य का समर्थन मैनिक आवश्यकता और आत्म-संरक्षण के आधार पर किया, किन्तु न्यायालय ने इसे अस्वीकार करते हुए यह कहा कि उसे ऐसा कोई अधिकार नहीं था। वह आत्मरक्षा के लिए केवल गद्दी कर सकता था कि डुबाने वाली जगह से शीघ्रातिशीघ्र भाग जाता। १९४७ में Milch के मामले में न्यूयॉर्क के अमरीकन नौनिक न्यायाधिकरण ने बड़े स्पष्ट शब्दों में इसका निराकरण करते हुए कहा था—“ये नियम और रिवाज युद्ध की सभी अवस्थाओं के लिए विशेषरूप से बनाए गए हैं।”

दूसरी आपत्ति ‘सामान्य भागग्रहण धारा’ (General Participation Clause) की है। प्रथम विश्वयुद्ध ने पहले नियमों के अनेक हेतु अभिसमयों में उपर्युक्त धारा है और इसमें यह व्यवस्था है कि इस समझौते के नियमों का पालन तभी आवश्यक होगा, जब सभी युध्यमान देशों ने इन समझौतों पर हस्ताक्षर किये हों। इसका परिणाम यह था कि युद्ध छिड़ने पर यदि केवल एक देश ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किये तो यह समझौता लागू नहीं होता था।

किन्तु ब्रिटिश न्यायालयों ने यह स्थिति कभी स्वीकार नहीं की। लार्ड सुमनेर ने *Blonde and other ships* (१९२०) के मामले में उपर्युक्त व्याख्या को अस्वीकार किया। १९४६ में न्यूयॉर्क के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस सम्बन्ध में यह कहा था कि “हेग के अभिसमय द्वारा दत्ताए गए स्वतन्त्र युद्ध के नियम इन्हें अंगीकार करने के समय निर्दिष्ट रूप में यह सूचित करने थे कि ये तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय कानून से आगे बढ़े हुए हैं।” १९३६ तक ये कानून सब सम्य देशों द्वारा स्वीकार किये जा चुके थे।” इस कारण न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यद्यपि १९०७ में इन नियमों के बनने के समय जेनेवा के अभिसमयों की सत्ता नहीं थी, किन्तु इन नियमों से अन्तर्राष्ट्रीय कानून की घोषणा की गई है, अतः वे उन पर भी लागू होंगे। इसी प्रकार युद्धवन्दियों के सम्बन्ध में जेनेवा के समझौते पर रूस ने हस्ताक्षर नहीं किये थे, किन्तु विभिन्न युद्धपराध न्यायालयों के निर्णयानुसार रूस इस आधार पर यह दावा नहीं कर सकता कि वह इन नियमों के पालन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। १९२६ के जेनेवा के अभिसमयों में ‘सामान्य भाग ग्रहण की धारा’ को हटा दिया गया तथा १९४६ के जेनेवा अभिसमयों में स्पष्ट रूप में यह कहा गया कि यह सम्भव है कि मरण करने वाले पक्ष में से एक देश ने अभिसमय पर हस्ताक्षर न किये हों, किन्तु इस पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के शापसी व्यवहार में इन नियमों का पालन अनिवार्य समझा जायगा।

युद्ध के नियमों की अनुज्ञप्ति (Sanctions of the Laws of War) — युद्ध के नियमों का बहिष्कार उल्लंघन होता है, किन्तु इनका पालन करने के लिए बाध्य करने वाली कुछ अनुज्ञप्ति भी है। स्टार्क के कथनानुसार पहली अनुज्ञप्ति प्रत्युत्तर (Reprisal) की है। द्वितीय विश्वयुद्ध में जब जर्मनी ने युद्धवन्दियों को

१. क्राउनडाइम—एंग्लो-नेशनल लॉ, पृ. २, १०-२२

२. गार्ड—एन इन्ट्रोडक्शन टू इंग्लिश लॉ, पृ. १६५

जजीरों में जकड़ना शुरू किया, तो ग्रेट ब्रिटेन ने इसका प्रतिकार करने के लिए जर्मन युद्धबन्दियों के साथ ऐसा व्यवहार आरम्भ कर दिया। इससे बाधित होकर जर्मनों को इस क्रूर, अमानवीय एवं अर्बुध आचरण का परित्याग करना पड़ा। इसी प्रकार द्वितीय विश्वयुद्ध में जर्मनी ने हेग अभिसमयों द्वारा निषिद्ध रासायनिक गैसों का प्रयोग इसलिए नहीं किया कि ग्रेट ब्रिटेन भी प्रत्युत्तर में जर्मनी के विरुद्ध इन्हें प्रयुक्त करेगा। दूसरी अनुज्ञप्ति युद्ध-नियमों का उल्लंघन करने पर दण्ड दिए जाने का भय है। द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद १९४६-८ तक जर्मनी और जापान के युद्धापराधियों पर अन्तर्राष्ट्रीय तैनिक न्यायाधिकरणों में अभियोग चलाये गए और ऐसा अपराध करने वाले सेनापतियों तथा उच्चाधिकारियों को दण्डित किया गया। भविष्य में ऐसे दण्डों का भय युध्यमान देशों के अधिकारियों द्वारा युद्ध के नियमों के पालन में सहायक होगा। तीसरी अनुज्ञप्ति क्षतिपति या मुझावजे की है। १९०७ के चौथे हेग अभिसमय के तीसरे अनुच्छेद में यह कहा गया है कि यदि कोई राज्य ऐसे नियम तोड़ता है तो उस राज्य को अपनी सेना द्वारा बिये सब कार्यों के लिए उत्तरदायी समझा जायगा और उमसे क्षति-पूर्ति के लिए हर्जाना लिया जायगा। इस अनुच्छेद के अनुसार शान्तिसन्धि के समय उसमें हर्जाने की राशि वसूल की जा सकती है।

स्थल युद्ध के उद्देश्य और साधन (Aims and Means of Land Warfare)
—स्थल युद्ध के दो प्रधान उद्देश्य हैं— शत्रु की सेनाओं को परास्त करना तथा शत्रु के प्रदेश पर अधिकार और उगवा प्रशानन। इन उद्देश्यों की पूर्ति का प्रधान साधन शत्रु-देश के व्यक्तियों के प्रति हिंसा का प्रयोग है। किन्तु इसके अन्य साधन ये भी हैं—शत्रु की सम्पत्ति का आत्मग्राह्यकरण (Appropriation), उगयोग तथा दिध्वस, घेरा डालना, बमवर्षा, जासूसी, देशद्रोह का लाभ उठाना तथा छलोपाय (Ruses)। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शत्रु के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग है, अतः यहाँ पहले उसका वर्णन किया जायगा।

स्थल युद्ध के नियम शत्रु के विरुद्ध हिंसा के प्रयोग की मर्यादा (Laws of Land Warfare—Limit to the use of force against Enemy) —वर्तमान समय में स्थल युद्ध के नियमों का निर्माण सर्वप्रथम कोलम्बिया कालेज न्यूयार्क के प्राध्यापक फ्रांसिस लीबर (Francis Lieber) ने अमरीकन गृहयुद्ध के समय किया था। २४ अप्रैल, १८६३ को ८० रा० अमरीका की सरकार ने इन्हें Instruction for the Government of Armies of the United States in the Field के नाम से प्रकाशित किया। इन्हें आवश्यक संशोधनों के साथ अन्य राज्यों ने १८६६ के तथा १९०७ के हेग सम्मेलनों में स्वीकार किया। १९०७ का चौथा हेग अभिसमय विस्तार में इन नियमों का वर्णन करता है, अतः इन्हें 'हेग नियम' कहा जाता है।

इसमें सर्वप्रथम युध्यमानों (Belligerents) का लक्षण किया गया है, ये ऐसे लड़ने वाले हैं, जिन्हें वैध योद्धा (Lawful Combatant) कहा जाता है। इनमें मुख्य रूप से देश की नियमित सेनाओं (Regular Armies) का समावेश होता है। किन्तु इनके प्रतिरिक्त युद्ध के नियमों का पालन करने वाले छापामार दस्तों (Guerrilla

Troops), स्वयंसेवक दलों (Volunteer Corps) तथा नागरिक सेना (Militia) को भी वध योद्धा समझा जाता है, बशर्त कि (१) इनका नेतृत्व उचित रीति में हो, (२) ये दूर से पहचाने जा सकने वाले निश्चित विरोध चिन्ह का धारण करें, (३) खुले रूप में शस्त्र धारण करें, (४) युद्ध के कानून और प्रथाओं के अनुसार लड़ाई करें। कई बार किसी देश की असैनिक जनता सामूहिक रूप में स्वयंसेवक दलों के विरुद्ध विद्रोह के लिए उठ खड़ी होती है और शस्त्र धारण करती है, इसका पारिभाषिक नाम *Levies en Masse* है, कौटिल्य के शब्दों में यह औत्साहिक बल है।^१ यदि यह उपर्युक्त चारों शर्तें पूरी करता है, तो इस भी वध योद्धा का दर्जा दिया जा सकता है।

वध योद्धा समूहों आने वाले सैनिकों तथा योद्धाभिन्न असैनिक जनता के साथ युद्ध के समय हिंसा के प्रयोग में बड़ा भेद और विवेक किया जाता है। युद्ध का उद्देश्य शत्रु को पराभूत करना है, अतः शत्रु के सैनिकों के विरुद्ध उतनी ही हिंसा वैध है, जो उपर्युक्त उद्देश्य को पूरा कर सके। इस दृष्टि में सैनिकों के विरुद्ध तीन प्रकार की हिंसा वैध है—उन्हे जान से मारना, घायल करना और बन्दी बनाना। युद्ध में किसी सैनिक या अधिकारी और राजा तक को गोली से मारा जा सकता है। किन्तु उनका वध तभी हो सकता है, जब वे लड़ने का तैयार हो या बन्दी बनाए जाने का विरोध करें। अतः बीमार या घायल, हथियार डालने वाले, मर्मरक्षण करने वाले, बन्दी बनाए जाने का विरोध न करने वाले सैनिकों का न तो वध किया जा सकता है और न ही इन्हें घायल किया जा सकता है। इन्हें दयादान (Quarter) दिया जाना चाहिये, उनके प्राणों की रक्षा होनी चाहिए। हथ अभिसमय के अनुच्छेद २३-सी में इनका विस्तृत वर्णन है।^२

७. कौटिलीय अर्थशास्त्र १।२ में इसका स्वरूप प्रतिपादित करते हुए कहा गया है—
 सै यन्नेकमनेकानोयधयुवमनुजान वा विनापार्थं यदुत्तिष्ठति नदीस्तादिकम्। भवन्वेनभिलोय-
 विटिप्रणावकर मेघ परेषाम्, अभेद्य तुल्यदेशजागिरिारण्यप्रभय रुद्रम नद्यम्। अथाय केवल अपन
 उन्माद के बल पर सैनिक कार्यों में प्रवृत्त होने वाली सेना औत्साहिक बल होती है, उसका एक
 मुखिया या नायक नहीं होता, इसमें अनेक जातियों या देशों के लोग रहते हैं। राजा का आदेश
 पाकर या उसे बिना पाये ये शत्रु के प्रदेशों को लूट करने के लिए उठ खड़े होते हैं। भेद और
 अभेद के भेद से यह दो प्रकार का होती है, भेद, वेतन, लूटपाट तथा व्यापार करने वालों का
 प्रभाव प्रदर्शित करने वाली सेना भेद्य होती है, एक देश, एक जाति और एक व्यवसाय करने वाली
 सेना अभेद्य होती है। भेद्य का आराय शत्रु द्वारा फोड़ने तथा अपने साथ मित्रों का सकने
 वाली है। पहले प्रकार में उन्माद लक्ष्य भेद्य, वेतन और लूट का लक्षण होता है, अतः
 शत्रु द्वारा इसे अधिक प्रलोभन देकर अपने साथ मिलाया जा सकता है। दूसरा प्रकार समान
 देश, जाति और व्यवसाय के दबन से क्या होने का कारण अधिक स्पष्ट होता है, उसमें प्राथमिक
 राष्ट्रीयता के कुछ तत्त्व होते हैं। अतः शत्रु द्वारा उन्माद भेदन करना या फोड़ना सम्भव नहीं
 होता।

८. महाभारत (शान्तिपर्व १०२ २४ तथा १०३-४) में इसी प्रकार की व्यवस्था है—
 कृताश्रितं न्यन्मशम्पुद्गीवा नदि द्विर्यात्। क्लेशविजितो यश्च न त युध्यते भूमिषु। महाभारत
 कर्मपर्व १०।११-१२ मकीर्त्यंकेरो विमुक्ते नास्ते प्रथं यत्तान्तलो। शरत्पयते न्यन्मशम्पु
 माने तथाऽनुन ॥ अशयो ब्रह्मभान्दुषे तथा। न विमुञ्चति शरत्पयि शूराः साधुजने

ये वर्तमान समय के सर्वमान्य नियम हैं। विभिन्न देशों के न्यायालय इनका उल्लंघन करने वालों को दण्ड देते हैं। १९४५ में कनाडा के एक सैनिक न्यायालय ने एक जर्मन रेजिमेंट के सेनापति कुर्ट मेयर (Kurt Meyer) को इसलिए प्राणदण्ड दिया था कि उसने अपने सैनिकों को इस बात के लिए उकसाया था कि वे मित्रराष्ट्रों के सैनिकों पर किसी प्रकार का दयादान (Quarter) न करें, वाद में उसका दण्ड घटा कर आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। Ruchteschell Case में अगियुक्त पर यह दंड लगाया गया था कि एक ब्रिटिश व्यापारिक जहाज के समर्पण कर देने के बाद भी वह उस पर गोली चलाता रहा। १९४५ में हालैण्ड में एक ब्रिटिश सैनिक न्यायालय ने Almelo के मामले में एक व्यक्ति को इसलिए दण्डित किया कि उसने हवाई जहाज में आग लगने पर उसमें कूद कर एक निजी मकान में छिपे हुए ब्रिटिश हवाईवाज को गोली मारा था। इस प्रकार की हिंसा अमानवीय, जघन्य और अवैध समझी जाती है।

शत्रु के योद्धाओं और सैनिकों के प्राणहरण का अधिकार यद्यपि वैध है, किन्तु इसके साधनों में कुछ वैध और कुछ अवैध तथा वर्जित हैं। तलवार, राइफल, मशीनगन आदि से मारना तो ठीक है, किन्तु ऐसे मृत साधनों से प्राण लेना वर्जित है जिनसे अनावश्यक रूप में अधिक पीड़ा और कष्ट है। हेग नियमों के अनुच्छेद २३ में इस दृष्टि में विषय का तथा अनावश्यक हानि (Unnecessary injury) पहुँचानेवाले, जलता हुआ द्रव पदार्थ डालने वाले हथियारों, अग्निवाणों तथा क्षेपणास्त्रों (Projectiles) का प्रयोग वर्जित है। अतः शत्रु द्वारा व्यवहार में लाये जाने वाले पानी के जलस्रोतों, कुओं, पम्पों, नदियों को विषैला नहीं बनाया जा सकता, बिपैले हथियारों का प्रयोग नहीं हो सकता, राइफलों में काँच के टुकड़े, लोहे की नुकीली कीले तथा तोपों में Chain shot, Crossbar shot तथा अत्यन्त गरम गोले नहीं भरे जा सकते। अनुच्छेद २३ के अनुसार योद्धाओं को घासे से मारा या घायल नहीं किया जा सकता, वध के लिये हथियारों को किराये पर नहीं रखा जा सकता। १८६८ की संधि पीटसबर्ग की घोषणा के अनुसार लड़ाई में १४ घण्टा से कम आराम वाली विस्फोटक प्रथमा ज्वलनशील सामग्री रखने वाले अग्निवाणों या क्षेपणास्त्रों (Projectiles) का प्रयोग निषिद्ध है। १८६६ के प्रथम हेग सम्मेलन ने ब्रिटिश सरकार द्वारा कलकत्ता के निकट दमदम के कारखाने में बनाई जाने वाली गोलियों के व्यवहार पर २६ जुलाई १८६६ को प्रतिबन्ध लगाया, इसी समय इवांसरोपी या हानिकारक गैसों के प्रयोग को भी निषिद्ध ठहराया

नियमः। स्वयं शूरतमो लोहे साधुवृत्तरच पायटव ॥ महाभारत शांतिपर्व १०।१।२७-२६ में सोय हुए व्यक्ति को अवश्य मृत्या गथा है—विषय लभते नियम सेना सम्यक प्रयोजयन् । प्रदुष्टास्तृषि-
तान् श्रान्ताय् प्रकीर्णान्भिधानयेत् ।

१०. इस विषय में अनुरागि ने अपश्यन्-भलमूद आदि से शत्रु के पापी तथा अन्त आदि को दूषित करने का विधान किया है (७।१६५), इषयेऽन्वधारय सता पवसानोदरेऽन्धनम् ।

१०. महाभारत (शांतिपर्व १५।११) में विष से युक्त तथा कटि वाला बाण दुर्जनो का हथियार बताया गया है—इषुलिप्तो न कर्षी स्यादसगामेनदायुधम् । देसिये ऊपर ५० २०

गया। इसका निषेध वर्साय सन्धि के अनुच्छेद १७१ में तथा १९१९ की अन्य संधियों में तथा वाशिंगटन की फरवरी १९२२ की संधि में भी है। जून १९२५ में राष्ट्रमण्डल की परिषद् द्वारा बुलाये गये एक सम्मेलन में विभिन्न राज्यों ने एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये, इसके अनुसार श्वासरोधी, विषैली या इस प्रकार की अन्य गैसों का प्रयोग तथा हानिकर जीवाणुओं के प्रसार द्वारा किये जाने वाले युद्ध के साधन निषिद्ध ठहराये गये हैं।

सैनिकों के अतिरिक्त सेना के साथ चलने वालों, इन्हें रसद तथा विभिन्न प्रकार की सामग्री पहुँचाने वालों, तथा सम्वाददाताओं पर योद्धा न होने के कारण प्रत्यक्ष रीति में आक्रमण नहीं हो सकता। इनका वध या घायल करना भी वर्जित है। इन्हें केवल बन्दी बनाया जा सकता है। १९४९ के जेनेवा अभिसमय के अनुसार घायलों की चिकित्सा में लगे हुए, डाक्टरों, सैनिक हस्पतालों के अन्य कर्मचारियों तथा पादरियों को भी युद्ध में बन्दी नहीं बनाया जा सकता।

शत्रु को असैनिक (Civilian) जनता के सम्बन्ध में मध्यकाल में बड़े नूर नियम प्रचलित थे। उस समय प्रायः किलों में रहने वाली असैनिक जनता को नर-नारों का भेद किये बिना क्रूरतापूर्वक मार दिया जाता था, अथवा इनसे बड़ा निष्ठुर व्यवहार किया जाता था। किन्तु १८वीं शती में 'राष्ट्रों के कानून' का यह नियम सार्वभौम रूप से माना जाने लगा कि युद्ध में भाग न लेने वाले शत्रुओं पर आक्रमण या इनका प्राणहण नहीं होना चाहिये। १८६३ में स० रा० अमरीका की सरकार की सेना के सामान्य आदेशों में कहा गया था—“यह सिद्धान्त अधिकाधिक रूप में स्वीकार किया जाने लगा है कि युद्ध की आवश्यकताएँ जहाँ तक अनुमति दे, वहाँ तक शस्त्रहीन नागरिक के शरीर, सम्पत्ति और सम्मान को कोई क्षति नहीं पहुँचनी चाहिए।” आशंकन ये न केवल अवध्य और अनाक्रमणीय समझे जाते हैं, किन्तु इन्हें सामान्य रूप से युद्ध में बन्दी भी नहीं बनाया जा सकता। विशेष अवस्थाओं में, साधारण जनता को शत्रु के विरुद्ध लड़ने के लिये उत्तेजित करने पर इन्हें बन्दी बनाया जा सकता है। यदि जनता द्वारा सामूहिक विद्रोह की आशंका हो तो इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हो सकती है, अन्यथा आक्रान्ता को सैनिक सेवा की आयु रखने वाले व्यक्तियों को भी गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है। इन्हें बन्दी बनाने के अतिरिक्त वह अधिकृत प्रदेश में शान्ति बनाये रखने के लिये सब प्रकार के बल का प्रयोग कर सकता है। लड़ाई लड़ने के अतिरिक्त सैनिक कार्यों के लिये आवश्यक राइफलों, पुलों, मकानों का निर्माण इन्हें मजदूरी देकर करा सकता है, इन कार्यों को कराने के लिये आवश्यकता होने पर वह इन्हें कारावास और प्राणदण्ड भी दे सकता है। किन्तु इनके विरुद्ध हिंसा के प्रयोग की सीमाएँ हेग नियमों के अनुच्छेद ४६ में दी गई हैं। इसमें यह कहा गया है, “इनके पारिवारिक सम्मान और अधिकारों का, वैयक्तिक जीवन और वैयक्तिक सम्पत्ति का, धार्मिक विचारों तथा धार्मिक स्वतन्त्रता का सम्मान किया जाना चाहिए।” १९४९ के जेनेवा अभिसमय में भी इन सिद्धान्तों को स्वीकार किया गया है।

असैनिक जनता पर हवाई बमबर्षा (Aerial Bombardment on Civil

Population) — वर्तमान समय में असेनिक जनता को हवाई बमबर्षा से सबसे अधिक खतरा है। १९०७ के हेग नियमों के अनुच्छेद २५ में अरक्षित कस्बों और गांवों पर गोलाबारी करने का निषेध किया गया था, इसमें आकाश से की जाने वाली गोलाबारी भी सम्मिलित थी। किन्तु प्रथम विश्वयुद्ध में इस नियम का पालन नहीं हुआ। १९२३ में हेग में विधिशास्त्रियों ने हवाई लड़ाई के नियमों की सहिता का एक प्रारम्भिक रूप तैयार किया। इसके अनुसार आकाश में की जाने वाली बमबारी को केवल उसी दशा में वैध ठहराया गया, जब कि इसका लक्ष्य विशिष्ट सैनिक लक्ष्य, शत्रुसेनायों, सैनिक बस्तियाँ और रस्त्रास्त्रों के कारखाने हों। असेनिक जनता की अन्धाधुन्ध बमबारी को अवैध ठहराया गया। किन्तु १९३० के वाद चीन-जापान के युद्ध में तथा १९३६-३८ तक स्पेन के गृहयुद्ध में इस नियम की बहुत अवहेलना हुई। अतः १९३८ में राष्ट्र सभ की असेम्बली ने यह प्रस्ताव पाम किया कि असेनिक जनता को हानि पहुँचाने के इरादे में की गयी गोलाबारी अवैध है। द्वितीय विश्वयुद्ध के आरम्भ से घुरी राष्ट्रों ने बड़ी निंदयतापूर्वक शत्रु के असेनिक प्रदेशों पर हवाई बमबारी की तथा इसके प्रत्युत्तर में मित्रराष्ट्रों द्वारा भी कोई कसर बाकी नहीं रखी गयी। उनका सबसे बड़ा कार्य १९४५ में हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम गिराना था। इससे असेनिक जनता को गपार जनपद की क्षति उठानी पडी। वर्तमान समय के समग्रयुद्ध (Total war) में असेनिक जनता पर जानबूझकर बड़ी निर्ममता से इस उद्देश्य से बमबर्षा की जाती है कि वे इससे भयभीत और मन्त्रस्त होकर अपना लड़ाई चलाने का साहस तथा मनोबल (Morale) लो बँटें और जल्दी आत्मसमर्पण करदे। १९४६ में जैनीवा में 'युद्ध के समय असेनिक अस्त्रियों की रक्षा के लिये एक अन्तिममय' तैयार किया गया है, किन्तु यह अणुबमों की विभीषिका से असेनिक जनता के परित्राण के लिये पर्याप्त नहीं है।

अणुबमों के प्रयोग का औचित्य (Justification for the use of Atom Bomb) — अणुबमों के आविष्कार के बाद, इससे भी अधिक शक्तिशाली हाइड्रोजन बमों तथा अन्त महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्रों (Intercontinental Ballistic missiles) का पिछले पच्चीस वर्षों में अभूतपूर्व विकास हुआ है। इनमें असेनिक जनता के विध्वंस और विनाश की सम्भावना पहले की अपेक्षा बहुत अधिक बढ गई है, अतः अणुबमों तथा प्रक्षेपणास्त्रों के प्रयोग का औचित्य और इनके उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाना नितान्त आवश्यक हो गया है। स० रा० अमरीका ने नागासाकी और हिरोशिमा में अणुबम गिराने को दो बारणों के आधार पर उचित ठहराया था — (क) यह जापान तथा अन्य घुरी राष्ट्रों द्वारा पर्ल हार्बर में तथा अन्य स्थानों में स० रा० अमरीका को पहुँचायी गई भारी क्षति का प्रतिकार और प्रत्यपहार (Reprisal) लेने के लिए था। किन्तु इस दृष्टि से घुरी राष्ट्रों द्वारा एक हवाई बमबर्षा में पहुँचाई गई क्षति की तुलना में नागासाकी और हिरोशिमा की अणुबमों द्वारा पहुँचायी गई हानि बढन अधिक थी। पहले (पृ० ४२७) यह बताया जा चुका है कि प्रत्यपहार मात्र द्वारा पहुँचाई क्षति के समानुपात में होना चाहिए। (ख) अणुबम के प्रयोग के समर्थन में दूसरी युक्ति यह दी जाती है कि यह युद्ध को शीघ्र समाप्त करने के उदात्त उद्देश्य में किया गया था। यदि इसका

प्रयोग न होता तो यह मर्यादा बहुत देर तक चलती रहती, इनमें प्राण और धन की अत्यधिक क्षति होती। अणुबम के प्रयोग ने जापान को आत्मसमर्पण के लिये विवश करके द्वितीय विश्वयुद्ध को जल्दी समाप्त कर दिया। यह सैनिक आवश्यकता (Military Necessity) का सिद्धान्त है। पहले यह बताया जा चुका है कि न्यायालय इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते। अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से इन दोनों कारणों में से कोई भी सलोपजनक नहीं है। वस्तुतः इसका प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से अवैध है क्योंकि इसके विस्फोट से विपैली (Radio Active) धूल का प्रसार होता है, १९०७ के नॉन हग अभिमतय के अनुच्छेद २३ में विपैली पदार्थों का प्रयोग निषिद्ध ठहराया गया है। यह १८६८ की सैण्ट पीटर्सबर्ग की उस घोषणा के भी विरुद्ध है जिसमें अनावश्यक पीडा देने वाले पदार्थों का व्यवहार बर्जित बताया गया है।

स्टार्क ने इस विषय में यह सत्य ही लिखा है ' कि जब तक अणुबम और अणुशक्ति पर (तथा अन्न महाद्वीपीय प्रक्षेपणारम्भ पर) कोई अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण स्थापित नहीं होता, तब तक आधुनिक युद्ध में असैनिक जनता की रक्षा होने की बहुत कम सम्भावना है। स० रा० गध १९४६ से इनके नियन्त्रण की अन्तर्राष्ट्रीय योजना बना रहा है। इसमें उसे अब तक पूरी सफलता नहीं मिली, फिर भी इस विषय में उसका कार्य बहुत आसाजनक है और यह सम्भावना की जा सकती है कि अन्ततोगत्वा वह इस पर नियन्त्रण स्थापित कर असैनिक जनता का अनावश्यक विनाश और विध्वंस में परित्राण कर सकेगा।

घायलों तथा मृत व्यक्तियों के साथ व्यवहार (Treatment of wounded and dead persons) — १८६४ में पहले पश्चिमी जर्मनी में इस विषय में कोई अन्तर्राष्ट्रीय कानून या प्रयास नहीं था। एड्विन हिंस नागरिक जीन हुनरी डूनेण्ट (Jean Henry Dunant) ने १८५९ में आस्ट्रिया और इटली के सोल्फरिनो के युद्ध में आहत सैनिकों की भीषण दुर्दशा देखी, हजारों घायल व्यक्ति चिकित्सा के अभाव में तड़पते हुए बुरी तरह से मर गए, जबकि उपयुक्त चिकित्सा द्वारा इनकी प्राणरक्षा सम्भव थी। १८६१ और १८६३ में इस विषय में दो पुस्तिकाएँ प्रकाशित करके उसने सम्य जगत्

११. स्टाक—पूजित पुस्तक, पृ० ३६६

१२. घायलों की चिकित्सा के सम्बन्ध में प्राचीन भारत के कुछ विद्वान इस प्रकार थे। कौटिलीय अर्थशास्त्र (१०१३) में कहा गया है कि चिकित्सकगण चिकित्सा के शास्त्र, यज्ञ, औषध, नेत्र आदि स्नेह द्रव्य और घावों पर बांधने के लिए पट्टिका लेकर सेना के दृष्ट भाग में सदा तैयार रहें (चिकित्सकाः सत्तयनागदस्नेहधरवडरग विषयरचात्रपागरक्षिष्य पुरथापानुदर्शपीथाः पृष्ठनस्तिष्ठेयुः)। महाभारत (शान्तिपर्व ६५।१३) में अपने राज्य में या घर में लाकर ऐसे रातु की चिकित्सा करने का विधान है, जिसके इधरार दूट चुके ह, जो मुसीबत में पडा हो, तिमके धनुष की टोरी कट गयी हो या जिसका घोडा (वाहन) मर गया हो (मग्नराग्नो विपक्षत्वं कुत्तन्यो इज्जवाहनः। चिकित्स्व. स्वार् स्वविनेने मास्थो वा स्वगृहे मनेयु। (उत्के ठाक हो जाने पर उसे मुक्त कर देना चाहिए (वडो, ६५।१४ निर्वपक्ष स मोक्षव्य एष धर्म-सनातन।)

का ध्यान दग समस्या की ओर आकृष्ट किया। १८६५ में इस विषय पर विचार के लिए स्विट्जरलैंड की सरकार की ओर से बारह राज्यों का एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन जेनेवा में बुलाया गया। इसने २२ अगस्त १८६४ को घायलों की चिकित्सा के नियमों के बारे में एक जेनेवा अभिसमय (Convention) बनाया। १८६६ के हेग सम्मेलन ने इसके सशोधन के लिए स्विट्जरलैंड की सरकार से एक नया सम्मेलन बुलाने की प्रार्थना की। पैंतीस राज्यों के इस सम्मेलन ने ६ जुलाई १९०६ को एक सशोधित जेनेवा अभिसमय तैयार किया। प्रथम विश्वयुद्ध के अनुभव से इसमें भी सशोधन की आवश्यकता अनुभव हुई। १ जुलाई १९२९ को ४७ राज्यों के प्रतिनिधियों ने इसका समयानुकूल सशोधन किया तथा २६ जुलाई को ३३ राज्यों ने नए सम्मेलीत पर हस्ताक्षर किये। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद इसमें पुनः समयानुकूल सशोधन करने के लिए राज्यों का एक नया सम्मेलन बुलाया गया और १२ अगस्त १९४६ को इस विषय के नए जेनेवा अभिसमय को स्वीकार किया गया। यह १८६४, १९०६, १९२९ के अभिसमयों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट, विस्तृत और विशद है। इसकी मुख्य व्यवस्थायें निम्न-लिखित हैं—

सेनाओं के साथ सरकारी तौर से सम्बद्ध सभी बीमार और घायल व्यक्तियों का संरक्षण और देखभाल होनी चाहिए, इसमें राष्ट्रीयता, लिंग, नस्ल, धर्म या राजनीतिक विचारों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इन व्यक्तियों का प्राणरक्षण या इनके प्रति हिंसा का प्रयोग सर्वथा वर्जित है। यदि किसी युध्यमान पक्ष को पीछे हटाना पड़े तो उसे अपने घायलों और बीमारों की सेवा शुधूपा के लिए चिकित्सा विभाग के व्यक्ति उनकी देखरेख के लिये पीछे छोड़ जाने चाहिए। बीमार और घायल शत्रु के हाथ में पड़ने पर, युद्धबन्दी समझे जाते हैं। प्रत्येक युद्धभेद के बाद सेनापति का यह कर्तव्य है कि वह रणक्षेत्र का दौरा करके घायलों और मृतकों को एकत्र करे तथा उनको लूट से तथा दुर्व्यवहार से संरक्षण प्रदान करे (अनुच्छेद १२-१६)। बीमारों और घायलों की चिकित्सा तथा शुधूपा का कार्य करने वाले गतिशील (Mobile) चिकित्सक दलों को तथा इनके आवास स्थानों को पूरी सुविधायें तथा संरक्षण प्रदान किया जाता है। किन्तु यदि ये शत्रु को हानि पहुँचाते हैं, सैनिकों को आश्रय देते हैं, युद्धसामग्री को छिपाते हैं या जासूसी करते हैं, तो इनका संरक्षण समाप्त हो जाता है (अनुच्छेद २१-२२)। इनका सामान यदि शत्रु के हाथ में पड़ जाय तो वह घायलों और बीमारों की सेवा के लिए सुरक्षित समझा जायगा। आहतों की सेवा, सग्रह तथा परिवहन में तथा गतिशील चिकित्सालयों में काम करने वाले व्यक्तियों तथा ऐसा कार्य करने वाली मान्यताप्राप्त सोसायटियों के कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान और संरक्षण दिया जाता है। ये अवश्य हैं, इन पर आक्रमण नहीं हो सकता। १९२९ के अभिसमय के अनुसार सेना के टाक्टर युद्धकर्ता देश के हाथ में पड़ जाने पर बन्दी बना कर रोके जा सकते थे। किन्तु १९४६ के अभिसमय में यह कहा गया है कि चिकित्सक वर्ग, पादरी तथा राष्ट्रीय रेडक्रास सोसायटियों के कार्यकर्ता, युद्धबन्दीयों के स्वास्थ्य और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये रोके जा

सक्ते हैं, किन्तु वे युद्धबन्दी नहीं समझे जायेंगे (अनुच्छेद २८) ।

स्विट्जरलैण्ड के इस नियम में किंग गेन महत्वपूर्ण कार्य का स्वीकार करते हुए, उसके एक प्राचीन निजान—सफेद भूमि पर बने हुए लाल तारा—को सेना की चिकित्सा सेवाओं का विशिष्ट चिह्न बना दिया गया । टर्की में यह चिह्न लाल शेर तथा ईरान में लाल भूय है । चिकित्सा सम्बन्धी सभी नवाग्रो में सम्बन्ध रखने वाले सामान पर, भण्डों पर रणक्षेत्र में चिकित्सा कार्य में सगे व्यक्तियों की भुजाओं पर बांधी जाने वाली पट्टियों पर यह निशान उल्लेखनीय अधिकारी की स्वीकृति में अंकित किया जाना चाहिए । हस्पतालों की दमारता पर तबे भण्ड पर लाल तार का चिह्न बना होना चाहिए (अनुच्छेद २२) । यह चिह्न सभी चिकित्सा करने वाले व्यक्तियों को धारण करना चाहिए । लाल तारा (Red Cross) के इन चिह्न का शानिकाल में प्रथम युद्धकाल में दुष्प्रयोग नहीं किया जा सकता ।

रणक्षेत्र में गृह व्यक्तियों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय कानून की यह व्यवस्था है कि इनके शरीरों को किसी प्रकार विरुद्ध नहीं किया जाएगा, इनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा, किन्तु विजेता द्वारा रणक्षेत्र में उचित रीति से दफनाया या जलाया जाएगा । १९४९ के जेनेवा अभिसमय के अनुच्छेद १५ के अनुसार प्रत्येक युद्धभेद के बाद दोनों पक्षों को गृहकों की गोज करनी चाहिए और जवों को विकृत होने से बचाना चाहिए ।

असैनिक बीमारों तथा घायलों की रक्षा के लिए दोनों पक्षों को अपने प्रदेश में ऐसे सुरक्षा क्षेत्र बनाने चाहिए, जहां इनको युद्ध के दुष्प्रभावों में रक्षा हा सके । इन क्षेत्रों में आहतों और बीमारों के साथ १५ वर्षों से कम आयु के बच्चा, बूढ़े व्यक्तियों, गर्भवती स्त्रियों तथा ७ वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की माताओं को रखना चाहिए । रणक्षेत्र में इनकी रक्षा के लिये तटस्थीकृत (Neutralized) प्रदेश बनाय जा सकते हैं । ऐसे व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने वाले हवाई जहाजों पर आक्रमण नहीं किया जा सकता । घायलों की चिकित्सा के लिये भेजी जाने वाली सामग्री, पार्सल पूजा के लिये आवश्यक पदार्थों तथा १५ वर्ष से कम आयु के बच्चा, गर्भवती तथा प्रसूता स्त्रियों के लिये भेजे जाने वाले भोजन, द्रव्य, कपडा और दवाइयों देने वाली दवाइयों के सब पार्सलों को हुलाई नि मुल्क की जाती है ।

युद्धबन्दी (Prisoners of War) — आरम्भ में युद्धबन्दिता के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं थे । उन्हें या तो मार डाला जाता था या देवताओं के आगे बलि चढ़ाया जाता था अथवा दास बनाया जाता था । " कई बार दोनों पक्षों में बन्दिता का विनिमय भी होता था । मध्ययुग की समाप्ति पर इनका व्यवहार और योग्य बनाना कम हो गया, किन्तु इनके साथ अपराधिना जैसा व्यवहार होना था और इन्हें पकड़ने वाले इनसे अधिक से अधिक लाभ कमाने का यत्न करते थे । इन्हें बन्दी बनाने वाले व्यक्ति इनके

१३. महाभारत के शांतिपर्व (६६।४) में इस सम्बन्ध में यह उद्धार व्यवस्था पायी जाती है कि ताल मर तक हमें दास रखने के बाद मुक्त कर दे और हमें अपना पुत्र सन्ने । सर्वधर्म विश्ववेत्तमान्मन्त्रण पुनर्भेद । नोबकण्ड—विश्वयन्त्र—दामोदरभारत व. नि सिद्धा ए ।

सम्बन्धियों से मोचनधन (Ransom) लेकर ही उमें मुक्त करते थे। यह प्रथा उस समय इतने व्यापक रूप में प्रचलित थी कि विभिन्न प्रकार के बन्दिओं के मोचनधन की मात्रा लगभग निश्चित हो चुकी थी। प्रोशियस ने लिखा है कि एक सामान्य सिपाही का मोचनधन उसके मासिक बतन के तुल्य समझा जाता था। १७वीं शती में युद्ध-बन्दिओं के सम्बन्ध में यह प्रथा लुप्त होने लगी कि वे इन्हें पकड़ने वालों के अधिकार में समझे जायें। अब वे जिस राज्य की सेना द्वारा पकड़े जाते थे, उस राज्य के अधिकार में माने जाने लगें। किन्तु अभी तक युद्धबन्दी कूर व्यवहार का पात्र और अपराधी माने जाते थे। १८वीं शताब्दी में शर्न राने यह सिद्धान्त सर्वमान्य होने लगा कि युद्ध में सैनिकों को बन्दी बनाने का उद्देश्य केवल इतना ही है कि वे भागकर अपनी सेना में वापिस न जा सकें और पुनः वस्त्र न धारण कर सकें उनका बन्दीकरण अपराधों के लिये दण्डित किये जाने वाला व्यक्तिता के कारावास से सर्वथा भिन्न है। १७८५ में प्रशिया तथा स० रा० अमरीका में हुई संधि में सचप्रथम इनके साथ उचित बर्ताव की बात स्वीकार की गई "इन्हें कदिया के जेलखानों से भिन्न स्वास्थ्यप्रद स्थानों में बन्द करने बंड़िया न पहनाने, व्यायाम तथा उत्तम भोजन की सुविधा देने पर बल दिया गया। १९वीं शताब्दी में यह सिद्धान्त सामान्य रूप से स्वीकार किया जाने लगा कि युद्धबन्दिओं के साथ विजेता का वैसा ही बर्ताव करना चाहिए, जैसा वह अपनी सेनाओं के सैनिकों के साथ करता है। हय के १९०७ के अभिसमय में सैनिकों के बन्दीकरण के सम्बन्ध में विशद नियम बनाये गये प्रथम विश्वयुद्ध के अनुभवा का लाभ उठाते हुए ४७ राज्यों के प्रतिनिधियों ने युद्धबन्दिओं के साथ व्यवहार पर नया अभिसमय तैयार किया। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पुनः इन नियमों के सशोधन की आवश्यकता अनुभव की गई, स्विस सरकार की प्रार्थना पर २१ अप्रैल से १२ अगस्त १९४९ तक इन समस्याओं पर विभिन्न राज्यों के सम्मेलन ने विचार किया तथा युद्धबन्दिओं के बर्ताव (Treatment of Prisoners of War) पर एक नया अभिसमय स्वीकार किया। इसकी प्रमुख व्यवस्थाएँ निम्नलिखित हैं —

इस अभिसमय के आरम्भ में ही यह कहा गया है कि यह घोषित युद्धों के प्रतिरिक्त, इस पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों के सभी सशस्त्र संधियों पर लागू होगा, भले ही उनमें किसी एक पक्ष द्वारा युद्ध की स्थिति (Status of War) न मानी गई हो (अनुच्छेद २)। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि उन सभी व्यक्तियों के साथ जानि, प्यार, धर्म, लिंग, जन्म सम्पत्ति आदि के आधार पर कोई भेदभाव न करते हुए सब व्यवस्थाओं में मानवीय व्यवहार किया जायगा, जा सड़ाई में बाई भाग नहीं ले रहे, जिन्होंने अपने हथियार डाल दिये हैं या जो बीमारी में घावा से भयवत् अथवा किन्हीं कारणों से लड़ने में असमर्थ हैं। ऐसे व्यक्तियों के शरीर के साथ किसी भी समय और किसी भी स्थान पर निम्नलिखित कार्य सर्वथा वर्जित हैं — (क) इनका प्राणहत्या तथा शरीर की हत्या, सय प्रचार की हत्या, श्रमकर्तन, कूर बर्ताव तथा यातना

(Torture) देना, (ख) शरीर बन्धक (Hostage) बनाना, (ग) वैयक्तिक सम्मान को हानि पहुँचाना, अपमानजनक व्यवहार करना, (घ) मध्य राज्यों द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली न्यायिक (Judicial) गारण्टियाँ प्रदान करने वाले तथा नियमित रूप से बनाए गए न्यायालयों द्वारा निर्णय किये जाने से पूर्व इन्हें दण्ड देना और ऐसे दण्ड क्रियान्वित करना ।

इस अभिसमय के अनुच्छेद ४ में निम्नलिखित वर्गों के व्यक्तियों को युद्धबन्दी माना गया है—(१) सघर्ष करने वाले पक्षों में किसी एक पक्ष को सशस्त्र सेनाओं के सदस्य, नागरिक सेना (Militia) के तथा स्वयसेवक दलों के सदस्य । (२) प्रतिरोध आन्दोलन (Resistance movement) करने वाले तथा अन्य स्वयसेवक दलों के सदस्य, बशर्ते कि इनके सदस्यों का नेतृत्व किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा होता हो, वे दूर से पहचाना जाने वाला निश्चित चिह्न धारण करने हों, धस्त्रों को खुले रूप में धारण करते हों तथा युद्ध के कानूनों और प्रथाओं के अनुसार युद्ध का सञ्चालन करते हों । (३) इन्हें बन्दी बनाने वाली शक्ति द्वारा न स्वीकार की जाने वाली सरकार या शासनसत्ता के प्रति निष्ठा रखने वाली नियमित सेनाओं के सदस्य । (४) सशस्त्र सेनाओं का अनुगमन करने वाले रसद साधक देने वाले ठेकेदार, युद्ध के सम्पाददाता, सेनाओं की देखभाल करने वाले नौकर तथा मजदूर । (५) व्यापारिक जहाजों का नाविक बर्ग तथा असीनिक वायुयानों के चालक और अन्य कर्मचारी । (६) अनधिकृत प्रदेश के ऐसे निवासियों, जो शत्रु के आने पर स्वयमेव उमका प्रतिरोध करने के लिए हथियार उठाते हैं तथा जो नियमित सेना का अंग नहीं हैं । युद्धबन्दी होने के लिए इनका खुले रूप में शस्त्र धारण करना तथा युद्ध के नियमों का पालन करना आवश्यक है । युद्धबन्दीयों के सम्बन्ध में मौलिक सिद्धान्त यह है कि उनके साथ सदैव मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए । अतएव यह व्यवस्था की गई है कि बन्दी बनाने वाली शक्ति को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये, जिससे बन्दी की मृत्यु हो या उसके स्वास्थ्य को हानि पहुँचे । बन्दीयों को चिकित्सा सम्बन्धी अथवा वैज्ञानिक परीक्षण करने का विषय नहीं बनाया जा सकता है । स्थानीय जाना के कुतूहल हिसा, रोप, डराने या अपमान से उनकी रक्षा की जानी चाहिये । प्रत्युत्तर (Reprisals) के आधार पर उनसे कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता । सभी परिस्थितियों में उनके शरीर को कोई क्षति नहीं पहुँचानी चाहिये । स्त्रियों के साथ आदर का व्यवहार होना चाहिए । बन्दीयों को अपने नागरिक दर्जे के कारण प्राप्त अधिकारों के पूर्ण उपभोग का अधिकार है । इसमें बन्दीयों के स्वास्थ्य की देखभाल और चिकित्सा की पूरी जिम्मेवारी, उन्हें बन्दी बनाने वाले राज्य की है । बन्दी बनाने जाने पर पाप उनमें सैनिक सूचना प्राप्त करने का यत्न किया जाता है और उसे प्राप्त करने के लिए इन पर कई प्रकार का दबाव डाला जाता है । किन्तु उपयुक्त अभिसमय के अनुसार इनमें केवल इनके नाम, उपनाम, सैनिक पद, जन्मतिथि, सेना तथा रेजिमेंट के नम्बर और उमर की सूचना प्राप्त की जा सकती है । सूचना प्राप्त करने के लिए इन्हें कोई शारीरिक या मानसिक यातना नहीं दी जा सकती । इन्हें हथियारों, सैनिक सामग्री और बागजान के अनिश्चित

मन्बन्धियो से मोचनधन (Ransom) लेकर ही उसे मुक्त करते थे। यह प्रथा उस समय इतने व्यापक रूप में प्रचलित थी कि विभिन्न प्रकार के बन्धियों के मोचनधन की मात्रा लगभग निश्चित हो चुकी थी। प्रोशियस ने लिखा है कि एक सामान्य सिपाही का मोचनधन उसके मासिक वेतन के तुल्य समझा जाता था। १७वीं शती में युद्ध-बन्धियों के सावन्ध में यह प्रथा लुप्त होने लगी कि वे इन्हें पकड़ने वालों के अधिकार में समझे जाय। अब वे जिस राज्य की सेना द्वारा पकड़े जाते थे, उस राज्य के अधिकार में माने जाने लगे। किन्तु अभी तक युद्धबन्दी क्रूर व्यवहार का पात्र और अपराधी माने जाते थे। १८वीं शताब्दी से शनैः शनैः यह सिद्धान्त सर्वमान्य होने लगा कि युद्ध में सैनिकों को बन्दी बनाने का उद्देश्य केवल इतना ही है कि वे भागकर अपनी सेना में वापिस न जा सकें और पुनः जन्त्र न धारण कर सकें, उनका बन्दीकरण अपराधों के लिये दण्डित किये जाने वाले व्यक्तियों के कारावास से संबंधा भिन्न है। १७८१ में प्रशिया तथा स० रा० अमरीका में हुई संधि में सर्वप्रथम इनके साथ उचित बर्ताव की बात स्वीकार की गई, "उन्हें कदियों के जेलखानों से भिन्न स्वास्थ्यप्रद स्थानों में बन्द करने, बैडियाँ न पहनाने, व्यायाम तथा उत्तम भोजन की सुविधा देने पर बल दिया गया। १९वीं शताब्दी में यह सिद्धान्त सामान्य रूप से स्वीकार किया जाने लगा कि युद्धबन्धियों के साथ विशेषता को वैसा ही बर्ताव करना चाहिए, जैसा वह अपनी सेनाओं के सैनिकों के साथ करता है। हेग के १९०७ के अभिसमय में सैनिकों के बन्दीकरण के सम्बन्ध में विवाद नियम बनाये गये, प्रथम विश्वयुद्ध के अनुभवों का लाभ उठाते हुए ४७ राज्यों के प्रतिनिधियों ने युद्धबन्धियों के साथ व्यवहार पर नया अभिसमय तैयार किया। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पुनः इन नियमों के सशोधन की आवश्यकता अनुभव की गई, स्विस सरकार की प्रार्थना पर २१ अप्रैल से १२ अगस्त १९४९ तक इन समस्याओं पर विभिन्न राज्यों के सम्मेलन ने विचार किया तथा युद्धबन्धियों के बर्ताव (Treatment of Prisoners of War) पर एक नया अभिसमय स्वीकार किया। इसकी प्रमुख व्यवस्थाएँ निम्नलिखित हैं —

इस अभिसमय के आरम्भ में ही यह कहा गया है कि यह घोषित युद्धों के अनिश्चित, इस पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों के सभी सशस्त्र सघर्षों पर लागू होगा, भले ही उनमें किसी एक पक्ष द्वारा युद्ध की स्थिति (Status of War) न मानी गई हो (अनुच्छेद २)। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि उन सभी व्यक्तियों के साथ जाति, दर्ण, धर्म, लिंग, जन्म, सम्पत्ति आदि के आधार पर कोई भेदभाव न करते हुए सब व्यवस्थाओं में मानवीय व्यवहार किया जायगा, जो लड़ाई में कोई भाग नहीं ले रहे, जिन्होंने अपने हथियार डाल दिये हैं या जो बीमारी से, घावों से अथवा अन्य किसी कारणों से लड़ने में असमर्थ हैं। ऐंम व्यक्तियों के शरीर के साथ किसी भी समय और किसी भी स्थान पर निम्नलिखित कार्य सर्वथा वर्जित हैं — (क) इनका प्राणहरण तथा शरीर की हिंसा, सब प्रकार की हत्या, अंगकटन, क्रूर बर्ताव तथा यातना

(Torture) देना, (ख) शरीर बन्धक (Hostage) बनाना, (ग) वैयक्तिक सम्मान को हानि पहुँचाना, अपमानजनक व्यवहार करना, (घ) सभ्य राज्यों द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली न्यायिक (Judicial) गारण्टियाँ प्रदान करने वाले तथा नियमित रूप से बनाए गए न्यायालयों द्वारा निर्णय किये जाने से पूर्व इन्हें दण्ड देना और ऐसे दण्ड क्रियान्वित करना।

इस अभिसमय के अनुच्छेद ४ में निम्नलिखित वर्गों के व्यक्तियों को युद्धबन्दी माना गया है—(१) सशर्प करने वाले पक्षों में किसी एक पक्ष को सशस्त्र सेनाओं के सदस्य, नागरिक सेना (Militia) के तथा स्वयंसेवक दलों के सदस्य। (२) प्रतिरोध आन्दोलन (Resistance movement) करने वाले तथा अन्य स्वयंसेवक दलों के सदस्य, बग़ैर कि इनके सदस्यों का नेतृत्व किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा होता हो, वे दूर से पहचाना जाने वाला निश्चित चिह्न धारण करते हों, शस्त्रों को खुले रूप में धारण करते हों तथा युद्ध के वानुओं और प्रयाओं के अनुसार युद्ध का संचालन करते हों। (३) इन्हें बन्दी बनाने वाली शक्ति द्वारा न स्वीकार की जाने वाली सरकार या शासनसत्ता के प्रति निष्ठा रखने वाली नियमित सेनाओं के सदस्य। (४) सरासरी सेनाओं का अनुगमन करने वाले रसद सामग्री देने वाले ठेकेदार, युद्ध के सम्बाददाता, सेनाओं की देखभाल करने वाले नौकर तथा मजदूर। (५) व्यापारिक जहाजों का नाविक वर्ग तथा असीनिक वायुयानों के चालक और अन्य कर्मचारी। (६) अनधिकृत प्रदेश के ऐसे निवासी, जो शत्रु के आने पर स्वयंसेवक उभरना प्रतिरोध करने के लिए हथियार उठाते हैं तथा जो नियमित सेना का अंग नहीं हैं। युद्धबन्दी होने के लिए इनका खुले रूप में शस्त्र धारण करना तथा युद्ध के नियमों का पालन करना आवश्यक है। युद्धबन्दीयों के सम्बन्ध में मौलिक सिद्धान्त यह है कि उनके साथ मर्दान्ता मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए। अनएव यह व्यवस्था की गई है कि बन्दी बनाने वाली शक्ति को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे बन्दी की मृत्यु हो या उसके स्वास्थ्य को हानि पहुँचे। बन्दीयों को चिकित्सा सम्बन्धी अथवा वैज्ञानिक परीक्षण करने का विषय नहीं बनाया जा सकता है। स्थानीय जनता के कुतूहल, हिंसा, रोष, डराने या अपमान से उनकी रक्षा की जानी चाहिए। प्रत्युत्पहार (Reprisals) के आधार पर उसे कोई उत्पत्तवहार नहीं किया जा सकता। सभी परिस्थितियों में उनके शरीर को कोई क्षति नहीं पहुँचानी चाहिए। स्त्रियों के साथ आदर का व्यवहार जाना चाहिए। बन्दीयों को अपने नागरिक वर्गों के कारण प्राप्त अधिकारों के पूरे उपभोग का अधिकार है। इसमें बन्दीयों के स्वास्थ्य की देखभाल और चिकित्सा की पूर्ण जिम्मेदारी, उन्हें बन्दी बनाने वाले राज्य की है। बन्दी बनाने जाने पर प्राप्त इनमें मौलिक सूचना प्राप्त करने का यत्न किया जाता है और उसे प्राप्त करने के लिए इन पर कर्ष प्रचार का दबाव डाला जाता है। किन्तु उपर्युक्त अभिसमय के अनुसार इनमें केवल इनके नाम, उपनाम, सैनिक पद, जन्मतिथि, सेना तथा रेजिमेंट के नाम और उमराव की सूचना प्राप्त की जा सकती है। सूचना प्राप्त करने के लिए इन्हें कोई शारीरिक या मानसिक क्षति नहीं दी जा सकती। इन्हें हथियारों, नैतिक सामग्री और सामान के अनिश्चित

अपनी सभी वैयक्तिक वस्तुएँ रखने का अधिकार है। उनसे उनका रखा सैनिक अधिकारी के आदेश से छीना जा सकता है, किन्तु इसकी रमीद उन्हें दी जाती है और यह उनके हिसाब में जमा रहता है। बन्दियों को Penitentiaries में नहीं रखा जा सकता, इन्हें स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त स्थानों में रखा जाना चाहिए। इनके रहने की व्यवस्था राज्य के अन्य सैनिकों की भाँति होनी उचित है। इनको उचित मात्रा में स्वास्थ्यप्रद भोजन, नमी रहित तथा मुप्रकाशित निवास स्थान मिलने चाहियें। स्त्रियों के निवास की व्यवस्था पृथक् होनी चाहिये। चिकित्सा का उत्तम प्रबन्ध, धार्मिक विश्वास और पूजा की स्वतन्त्रता, बौद्धिक विकास एवं मनोरंजनों के साधनों और खेलकूद के सामान की व्यवस्था होनी चाहिये। गव बन्दियों के पास इस अभिसमय की प्रतिलिपि होनी चाहिये और कैम्प में कार्य करने वाले व्यक्तियों को इसकी व्यवस्थाओं का पूरा ज्ञान होना चाहिये।

१९४६ के अभिसमय में बन्दियों को काम पर लगाने के सम्बन्ध में विन्मृत व्यवस्थाएँ की गई हैं। शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ बन्दियों में ही काम लिया जा सकता है। अधिकारी-बन्दियों को किसी कार्य के लिये वापिस नहीं किया जा सकता। अन्य बन्दियों से खेती में, कच्चे माल के उत्पादन में, रामायनिक, धार्मिक तथा नशीनों के उद्योगों से भिन्न अन्य उद्योगों में तथा सैनिक उद्देश्य से न बनाए जाने वाले सार्वजनिक निर्माण कार्य में काम लिया जा सकता है। उन्हें किसी अस्वास्थ्यप्रद, सुरंग आदि हटाने के खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। उन्हें दिन के मध्य में एक घण्टे के विश्राम का तथा सप्ताह में एक दिन की छुट्टी का अधिकार है। उन्हें काम के लिए अच्छी मजदूरी मिलनी चाहिये। यदि काम करते हुए उन्हें कोई चोट लगती है तो उन्हें इसका वही हर्जाना मिलना चाहिये जो उन्हें अपने राज्य के कानून के अनुसार मिलता।

बन्दी होने के बाद अथवा नजरबन्दी के कैम्प में पहुँचने के एक सप्ताह के भीतर प्रत्येक बन्दी को अपने परिवार को पत्र लिखने का अधिकार है। वह एक महीने में दो लिफाफे तथा चार कार्ड भेज सकता है। उसे तार भेजने का, भोजन, कपड़े, दवाइयों, धार्मिक वस्तुओं के पार्सल पाने का अधिकार है। उसके पत्रों और पार्सलों पर डाक-माने की टिकट या डाक की दर नहीं लगती। उसके पत्रों और पार्सलों को देखा जा सकता है, किन्तु रोका नहीं जा सकता। बन्दी अपने बन्धा की अवस्थाओं के बारे में शिकायत कर सकते हैं। अनुगामन भंग करने पर इन्हें सैनिक न्यायालय दण्डित कर सकते हैं, किन्तु इन्हें शारीरिक कष्ट नहीं दिया जा सकता, केवल मासिक वेतन में आधी राशि तक के जुर्माने किये जा सकते हैं, इनमें विशेष मुविधाएँ छीनी जा सकती हैं और कारावास में रखने का ३० दिन तक का दण्ड दिया जा सकता है।

युद्धबन्दी के बन्धन (Captivity) की समाप्ति निम्न पाँच प्रकारों में हो सकती है—

(१) युद्ध के समय में सीधा स्वदेश प्रत्यावर्तन (Repatriation)— प्रायः बहुत सख्त बीमार तथा अत्यधिक घायल बन्दियों को युद्ध के बीच में ही स्वदेश पहुँचा

दिया जाता है, नमोकि शत्रु-पक्ष को इनके शीघ्र ही युद्ध में भाग लेने की कोई आशाका या सम्भावना नहीं होती तथा इन्हे लौटाने में वह इनकी चिकित्सा की भारी जिम्मेवारी से मुक्त हो जाता है। जिन बन्दिमों के एक मास में ठीक होने की सम्भावना न हो, जिनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य स्थायी रूप से खराब हो गया हो, उनको प्रवक्ष्य स्वदेश लौटाना चाहिए (अनुच्छेद १०६)।

(२) युद्ध के समय के लिए तटस्थ देशों में भेजना—जिन बन्दिमों के एक मास में स्वस्थ होने की आशा होती है अथवा निरन्तर बन्धन में रहने के कारण जिनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गम्भीर आघात पहुँच रहा होता है, उन्हें तटस्थ देशों में भेजा जाता है। ठीक होने पर इनके तटस्थ देशों में रहने या शत्रुदेश में लौटने का प्रश्न दोनों राज्यों के पारस्परिक समझौते द्वारा तय होता है (अनुच्छेद ११०)। गुप्तमान तथा तटस्थ देशों के पारस्परिक समझौते से भी युद्धबन्दी तटस्थ देशों में भेजे जा सकते हैं।

(३) पलायन—युद्धबन्दी पलायन द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकता है।

(४) मृत्यु—युद्धबन्दी की मृत्यु होने पर इसकी सूचना 'युद्धबन्दी सूचना विभाग' को यथासम्भव शीघ्र ही देनी चाहिए। इसमें उगकी मृत्यु के तारणों का तथा उसके गाड़े जाने के स्थान का पूरा विवरण दिया जाता है, बन्दिमों का दाह सस्कार या दफनाना उनके धार्मिक विश्वासों के अनुकूल तथा उनकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। यदि उनकी मृत्यु किसी सन्तरी द्वारा अथवा किसी अन्य युद्धबन्दी द्वारा हुई हो तो बन्दी बनाने वाली शक्ति द्वारा इन मामलों की सरकारी जाँच की जानी चाहिए।

(५) युद्ध की समाप्ति पर बन्दिमों की मुक्ति तथा स्वदेश प्रत्यावर्तन—१९४६ के अभिसमय में इस विषय में नवोंन एक विस्तृत व्यवस्थाएँ की गई हैं। इसमें 'क्रियाशील शत्रुता' (Active Hostilities) की समाप्ति पर बन्दिमों के स्वदेश लौटाने के विशेष नियम इसलिए बनाने की आवश्यकता पड़ी कि द्वितीय विश्वयुद्ध में वास्तविक लड़ाई बन्द होने तथा शान्ति-सन्धियाँ होने के बीच कई वर्षों का समय लग गया। इस समय युद्ध-बन्दिमों के स्वदेश प्रत्यावर्तन का व्यय दोनों पक्षों पर डाला जाता है और बन्दिमों को उनकी सब बहुमूल्य वस्तुयें तथा धनराशि लौटा दी जाती है। वे अपने साथ अपना वैयक्तिक सामान ले जा सकते हैं। इसके अनुच्छेद ११८-१६ में सब बन्दिमों को उन राज्यों को लौटाने का वर्णन है, जिनकी ओर से वे लड़ाई में सम्मिलित हुए थे।

कोरिया युद्ध की समाप्ति पर युद्धबन्दिमों के प्रत्यावर्तन की समस्या बड़े उग्ररूप में उपरिषत हुई। इसका कारण कम्युनिस्टों की यह भाँग थी कि जेनेवा अभिसमय के अनुच्छेद ११८-१६ के आधार पर उत्तरी कोरिया के सभी बन्दिमों को बिना किसी शर्त के सामूहिक रूप में उत्तरी कोरिया वालों को वापिस किया जाय। किन्तु स० रा० सघ के प्रतिनिधि का यह कहना था कि उत्तरी कोरिया की ओर में अनेक व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध, जबरदस्ती सघ की फौजों के साथ लड़ने को भेजे गए हैं, उन्हें यह भय है कि यदि उन्हें स्वदेश वापिस भेजा जायगा तो वहाँ उनके साथ दुर्व्यवहार होगा, वे स्वदेश लौटने के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध इस प्रकार लौटाना न्याय के

सिद्धान्तों के प्रतिकूल है, जेनेवा का उपर्युक्त अभिसमय बनाने वालों ने ऐसी असाधारण स्थिति की कल्पना नहीं की थी अतः इस अवस्था में उस सम्झौते का पालन नहीं किया जा सकता था।

दोनों पक्षों के विरोधी दृष्टिकोण से इसमें प्रबल गतिरोध उत्पन्न हो गया। इसे दूर करने के लिए भारत ने नवम्बर १९५२ में जनरल असेम्बली की राजनीतिक समिति में दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किया जा सकने वाला एक प्रस्ताव पेश किया, इसमें यह कहा गया था कि बन्दियों की मुक्ति जेनेवा अभिसमय के अनुसार होगी, किन्तु इसमें कैदियों के प्रत्यावर्तन को त्रिपलक्षित करने या रोकने में शक्ति का प्रयोग नहीं किया जायगा। २७ जुलाई १९५३ के युद्धविराम सम्झौते में इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए यह कहा गया कि स्वदेश लौटने की इच्छा न रखने वाले युद्धबन्दियों को एक तटस्थ आयोग को सौंपा जायगा। स० रा० सघ द्वारा नियत किये गए तटस्थ आयोग के सभापति भारत के जनरल थिर्मिया थे, इस आयोग ने युद्धबन्दियों से पूछताछ करके स्वदेश लौटने के इच्छुक व्यक्तियों का ही प्रत्यावर्तन होने दिया। उस समय यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि जापानी सरकार का यह कहना था कि उसने उसके युद्धबन्दियों को साइबेरिया में रोककर उनसे बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों में काम लिया है, अवर्णनीय कष्ट एवं यान्त्रिक भोगते हुए लाखों जापानी कैदी साइबेरिया की ठण्ड में समाप्त हो गए हैं, उनके ३,४०,००० से ३,७०,००० तक युद्धबन्दियों के सम्बन्ध में कोई पता नहीं लग रहा था।

सर राबर्ट फिनिंगोर के मतानुसार निम्नलिखित प्रकार के व्यक्ति युद्धबन्दी नहीं माने जा सकते (क) किसी राजा या सेनापति के आदेशों के बिना लूटपाट करने वाले (Marauders) व्यक्तियों के दल, (ख) शत्रु की सेनाओं का परित्याग करने वाले व्यक्ति (Deserters), (ग) जामूस। शत्रु के लिए सैनिक दृष्टि से उपयोगी सूचनाय प्राप्त करने की दृष्टि में जामूसी करने वाले गुप्तचर सैनिक होने पर भी युद्धबन्दी नहीं समझे जा सकते।

उपर्युक्त विवरण में यह स्पष्ट है कि शत्रु के युद्धबन्दियों के साथ मानवीयता का तथा अपने सैनिकों जैसा बर्ताव करने का सिद्धान्त पिछली शताब्दी से ही पश्चिम में सर्वमान्य होने लगा है। किन्तु भारत में प्राचीन काल से इनके साथ उत्तम व्यवहार पर बल दिया जाता रहा है। महाभारतकार ने कहा है कि विजेता जब विजित के साथ क्षमा का व्यवहार करता है तो उसकी कीर्ति बढ़ती है।^{१५} युद्धबन्दियों के सम्बन्ध में उसका मन्तव्य है कि इन पर क्रोध नहीं करना चाहिए, इनका विनाश नहीं करना चाहिए, किन्तु इनका नियन्त्रण अपने पुत्र की भाँति करना चाहिए।^{१६} युद्धबन्दियों के सम्बन्ध में इनसे ऊँचे आदर्शों की कल्पना नहीं की जा सकती।

१५. महाभारत शांति-पर्व १०२।३० विजय क्षममानस्य यशो राजो विभङ्गे ।

१६. महाभारत १०२।३० शत्रोपैनाशिनारो न विधनन्वा स्वपुत्रवत् ।

तेईसवाँ अध्याय

समुद्री युद्ध के नियम

(Laws of Maritime Warfare)

समुद्री युद्ध के उद्देश्य (Objects of Maritime Warfare) — स्थलीय और समुद्री दोनों प्रकार के युद्धों का मुख्य प्रयोजन शत्रु को परास्त करना है, किन्तु दोनों के उद्देश्यों (objects) में कुछ अन्तर है। स्थल युद्ध का मुख्य उद्देश्य शत्रु की पराजय तथा शत्रु के प्रदेश पर अधिकार करना होता है किन्तु समुद्री युद्ध का उद्देश्य न केवल शत्रु के सामरिक और व्यापारिक जहाजों को नष्ट करना अपितु शत्रु को समुद्र से कोई लाभ न उठाने देना है। आपेनहाइम के मतानुसार समुद्री युद्ध के उद्देश्य (objects) निम्नलिखित हैं—शत्रु की नौबना को परास्त करना शत्रु के व्यापारिक वेडों का विध्वंस, शत्रु की तटवर्ती किलेवाहियों और समुद्रतट की सामरिक बस्तियाँ का विनाश, शत्रुदेश के तट के साथ अन्य देशों का सम्पर्क समाप्त करना शत्रु के लिये विनिषिद्ध (Contraband) वस्तुसामग्री की दुहाई को तथा अनटस्थ सेवा (Unneutral service) को रोकना, स्थल पर की जाने वाली सैनिक कार्यावाहियों को समुद्र द्वारा सहायता पहुँचाना, अपने समुद्री तट तथा व्यापारिक वेडों की रक्षा। स्थलीय युद्ध में वैयक्तिक सम्पत्ति छीनी नहीं जा सकती, किन्तु समुद्री युद्ध में शत्रु के जहाजों पर लदी हुई वैयक्तिक सम्पत्ति को तथा अतटस्थ सेवा में लगे तटस्थ जहाजों को जब्त किया जा सकता है। अतः स्थलीय और समुद्री युद्ध के नियमों में पर्याप्त अन्तर है। स्थलीय युद्ध में शत्रु द्वारा लड़ाई के अनेक लक्ष्य हो सकते हैं किन्तु समुद्री युद्ध में केवल छह लक्ष्य हैं—शत्रु के सार्वजनिक और वैयक्तिक जहाज शत्रुदेश के व्यक्ति शत्रु का समुद्री जहाजों द्वारा ले जाया जाने वाला माल, शत्रु का समुद्रतट, परिवेष्टन तोड़ने का प्रयत्न करने वाले तटस्थ जलपोत, विनिषिद्ध पदार्थ ले जाने वाले तथा अनटस्थ सेवा करने वाले तटस्थ जलपोत।

समुद्री युद्ध के नियमों का विकास (Development of the Laws of Maritime Warfare) — प्राचीन भारत में समुद्री युद्ध के कुछ नियमों का उल्लेख कौटिलीय अर्थशास्त्र (२।२८) में मिलता है। इनके अनुधार हिमा काय मन्त्री समुद्री डाकुओं की नौकाओं को नष्ट कर देना चाहिये, शत्रु के देश को जाने वाली तथा बन्दरगाह के नियमों को भंग करने वाली नौकाओं का विध्वंस होना चाहिये, दिग्भ्रम अथवा तूफान से भटक कर आई नौका की रक्षा पितृ की तरह करनी चाहिये नौकाओं व घाटों और बन्दरगाहों पर ऐसा प्रवृत्त करना चाहिये कि उन पर किसी शत्रुराज्य की नौका न

टिक सके।^१ परायी स्त्री, कन्या या मित्र का अपहरण करने वालेअग्नि जैसे विस्फोटक पदार्थ, शास्त्र और विष ले जाने वाले - लम्बे यात्री, बिना मुद्रा के नाव पर यात्रा करने वाले व्यक्ति को अपराधी के रूप में पकड़ लेना चाहिये।^१

पश्चिमी जगत् में पहले युद्ध के समय समुद्र पर शत्रु की वैयक्तिक (Private) और सार्वजनिक (Public) दोनों प्रकार की सम्पत्ति जब्त एवं राज्यसात् की जा सकती थी। उस समय शत्रु के जहाजों पर लदा हुआ तटस्थ देशों का माल शत्रु का माना जाता था और शत्रु का माल लेने वाले तटस्थ देशों के जहाज शत्रु के जलपोत समझे जाते थे। १७वीं शताब्दी में कासोनेटो डेल मेयर (देखिये ऊपर पृ० ३३) ने इस विषय में कुछ स्पष्ट और सुन्दर नियम बनाये, इनके अनुसार एक युध्यमान देश शत्रु के वैयक्तिक माल और जहाज को जब्त कर सकता था, किन्तु तटस्थ देशों के माल और जहाज के सम्बन्ध में कुछ अग्रवाद माने गये। शत्रु का जहाज राज्यसात् किया जा सकता था, किन्तु उस पर लदा हुआ तटस्थ देश का माल उनके स्वामियों को वापिस करना पड़ता था। इसी प्रकार तटस्थ देशों के जलपोतों पर लदा शत्रु का माल जब्त हो सकता था, किन्तु इन जहाजों को तटस्थ देशों को लौटाना पड़ता था। इन नियमों को इंग्लैंड ने तो स्वीकार किया, किन्तु हालैंड, फ्रांस और स्पेन इनके प्रतिकूल आचरण करते रहे। १६वीं शताब्दी के मध्य में क्रीमिया युद्ध के बाद पेरिस की घोषणा में इन्हें स्वीकार किया गया (देखिये ऊपर पृ० ५०)। १६०० में स० रा० अमरीका ने समुद्री युद्ध के नियमों की सहिता प्रकाशित की। १६०७ के दूसरे हेग सम्मेलन में समुद्री युद्ध के निम्नलिखित पाँच विषयों पर अभिसमय (Conventions) तैयार किये—(क) युद्ध छिड़ने पर शत्रु के व्यापारिक जहाजों की स्थिति सम्बन्धी छठा अभिसमय, (ख) वणिक्पोतों के रणपोतों में परिवर्तनविषयक सातवाँ अभिसमय, (ग) स्वचालित अथ समुद्री सस्पर्ध सुरगों (Automatic submarine contact mines) सम्बन्धी आठवाँ अभिसमय, (घ) नौसेनाओं द्वारा बनवर्षाविषयक नवाँ अभिसमय, (ङ) समुद्री युद्ध में निग्रह (Capture) के अधिकार के प्रयोग पर प्रतिबन्धविषयक दसवाँ अभिसमय। इन अभिसमयों के अनुसार समुद्री युद्ध के विषय में प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय नियम निम्नलिखित हैं—

शत्रु के जलपोतों पर आक्रमण और उनका अभिग्रहण (Attack on Enemy Ships and Seizure)—समुद्री युद्ध में शत्रु के विरुद्ध हिंसा के प्रयोग का सबसे बड़ा साधन उसके जलपोतों पर आक्रमण करना और इनको पकड़ लेना है, इससे शत्रु के जहाजों के साथ साथ, उन पर लदा हुआ माल तथा उन पर सवार शत्रुजन भी आनाता के हाथ में पड़ जाते हैं, वह इन जहाजों को तथा माल को हथियाकर इनका स्वात्म-मात्करण (Appropriation) कर सकता है तथा शत्रुजनों को युद्धबन्दी बना लेता

२. कौटिलीय अर्थशास्त्र २।२८ द्वितिका निधा-येत्। अग्निविषयानिधा पश्यपत्तन-नारिकोपपातिकाश्च मूढवानादनां तां पितृवानुश्लेयीयात्। पश्यतायाश्चैता काया

३. वही—परम्य भार्या कन्या विपत्त वापदरन्त मुद्र नोपघादयेत्।

अग्नियोग विपदस्त दीर्घपथिकम-

है। इस प्रकार वह शत्रु को गहरा धक्का पहुँचाता है। आपेनहाइम के कथनानुसार कोई भी युध्यमान (Belligerent) पक्ष शत्रु के सभी रणपोतों (Men of War) तथा सार्वजनिक जलपोतों पर अपने रणपोतों द्वारा महासमुद्रों (High seas) में अथवा दोनों पक्षों के प्रादेशिक समुद्रों (Territorial waters, देखिये ऊपर पृ० २१०) में तुरन्त आक्रमण कर सकता है और इस प्रकार हमला किये गए जहाज को प्रत्याक्रमण करने का पूरा अधिकार है। किन्तु शत्रु के बणिक्पोतों (Merchantmen) पर तभी आक्रमण किया जाता है, जब वे उचित रीति से सूकेत दिये जाने पर भी अपना निरीक्षण और तलाशी कराने से इन्कार करे। शत्रु के बणिक्पोतों को यह अधिकार है कि वे ऐसी तलाशी देना स्वीकार न करे और अपनी रक्षा करे, किन्तु पेरिस की घोषणा के अनुसार इन पर आक्रमण करने का अधिकार केवल शत्रु के रणपोतों को है। किसी युध्यमान पक्ष का कोई बणिक्पोत यदि शत्रु के सार्वजनिक या वैयक्तिक जहाज पर आक्रमण करे तो उसे समुद्री डाकू या जनदस्यु (Pirate) समझा जायगा और इनके नाविकों को युद्धबन्दी नहीं, किन्तु युद्धापराधी (War criminals) माना जायगा। शत्रु द्वारा आक्रमण होने पर बणिक्पोतों को यह अधिकार है कि वह उन पर प्रत्याक्रमण करे और आवश्यकता होने पर उसका पीछा करे। यदि बणिक्पोतों पर शत्रु बिना चेतावनी दिये आक्रमण करता है, तो इन्हें शत्रु के पोतों द्वारा आक्रमण की प्रतीक्षा किये बिना उन पर हमला करने का हक है। प्रथम विश्वयुद्ध में १९१५ में जब जर्मनी ने मित्रराष्ट्रों के बणिक्पोतों को अपनी पनडुब्बियों द्वारा बिना चेतावनी के डबाना शुरू किया तो मित्रराष्ट्रों के व्यापारिक पोतों के लिए यह सर्वथा वैध समझा जाने लगा कि वे इन्हें टक्कर मारकर (Ram) गूट कर दें। यद्यपि जुलाई १९१६ में ब्रूसेल्स नामक जहाज के नायक फ्रियट (Fryatt) को जर्मन पनडुब्बी यू-३३ को इस प्रकार टक्कर लगाने के लिये मुकद्दमा चलाकर श्राणदण्ड दिया, किन्तु आपेनहाइम की सम्मति में यह न्यायालय द्वारा की गई हत्या (Judicial murder) के अतिरिक्त कुछ नहीं था।

युद्ध करने वाले देश अपने रणपोतों द्वारा शत्रु के निम्नलिखित प्रकार के जहाजों पर आक्रमण नहीं कर सकते —

(१) चिकित्सालय पोत (Hospital Ships)—१९४९ के हेग अधिनियमों के अनुसार चिकित्सा के मानवीय कार्य में सलग्न होने के कारण चिकित्सालय-पोतों (Hospital Ships) पर न तो आक्रमण हो सकता है और न ही इन्हें पकड़ा जा सकता है। ऐसे जहाजों पर पहचान के लिये रेडक्रास का चिह्न बना होता है। पहले विश्वयुद्ध में जर्मनी ने मित्रराष्ट्रों के अनेक चिकित्सालय-पोतों पर आक्रमण करके इन्हें डबाया था। मित्रराष्ट्रों द्वारा इस अर्बुद कार्य के प्रतिवाद पर उसने यह उत्तर दिया था कि चिकित्सालय-पोतों की पहचान बड़ी कठिन है तथा इनका उपयोग सैनिक प्रयोजनों के लिये होता है। द्वितीय विश्वयुद्ध में जापान ने ऐसे अनेक पोत डबाये थे। किन्तु यह

५. आपेनहाइम—इंटरनेशनल लॉ, ख० २, पृ० ४६५-६

६. आपेनहाइम—इंटरनेशनल लॉ, ख० २, पृ० ३६८

कार्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से अनैप और अत्यन्त गहंणीय है, क्योंकि इससे न केवल युद्ध में आहत और बीमार व्यक्तियों का, किन्तु इनकी सेवा के पवित्र कार्य में लगे हुए चिकित्सकों तथा अन्य व्यक्तियों का हनन होता है।

(२) धार्मिक, वैज्ञानिक या परोपकारी कार्यों में संलग्न पोत भी शत्रु के रणपोत द्वारा नहीं पकड़े जा सकते, किन्तु यदि ये शत्रुतापूर्ण कार्य करते हैं तो इनकी यह उन्मुक्ति (Immunity) समाप्त हो जाती है (हेग के ११वें अभिसमय का ४था अनुच्छेद)।

(३) युद्धबन्धियों के विनिमय के कार्य में लगे पोत (Cartel Ships) भी अनाक्रमणीय होते हैं।

(४) १९वीं शती से समुद्री तट पर मछली पकड़ने वाले जहाजों को युध्यमान शत्रु के रणपोतों द्वारा आक्रमण और अधिग्रहण में उन्मुक्त समझा जाता है। दूसरे हेग सम्मेलन के ११वें अभिसमय के तीसरे अनुच्छेद के अनुसार यह व्यवस्था की गयी है कि समुद्रतट से लगे हुए प्रदेश में मछली पकड़ने वाली तथा स्थानीय व्यापार में लगी हुई छोटी कश्तियाँ अपने सब मामान और उपकरणों के साथ शत्रु द्वारा नहीं पकड़ी जा सकती।

(५) कई बार समुद्री लूफान के कारण जहाजों को शत्रु के बन्दरगाह में विवश होकर शरण लेनी पटती है, इस अवस्था में कई उदाहरणों में शत्रु के जहाजों के साथ बड़ी उदारता का व्यवहार किया गया है और उन्हें पकड़ा नहीं गया। १७४६ में ग्रेट ब्रिटेन के स्पेन के साथ युद्ध के समय एलिजाबेथ नामक ब्रिटिश रणपोत को समुद्री लूफान से बचने के लिए हवाना के स्पेनिश बन्दरगाह में शरण लेनी पड़ी, स्पेन ने इसे पकड़ने के स्थान पर मरम्मत की सुविधाएँ दी तथा बरमूडाज के टापू तक सुरक्षित रूप में जाने दिया। १७६६ में फ्रांस और प्रशिया के युद्ध में प्रशिया के एक वणिक्पोत डायना (Diada) को डन्कर्क के फ्रेंच बन्दरगाह में शरण लेनी पड़ी, फ्रेंच नौसेना ने इसे यद्यपि पकड़ लिया, किन्तु फ्रेंच अधिग्रहण न्यायालय (Prize Court) ने इसे छोड़ दिया। आपेनहाइम ने लिखा है कि उपर्युक्त उदाहरण होते हुए भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून का कोई नियम ऐसे जहाजों को आक्रमण से मुक्ति नहीं प्रदान करता।

(६) १९०७ के छठे हेग अभिसमय के अनुसार निम्न प्रकार के वणिक्पोतों को शत्रु के आक्रमण में आधिक उन्मुक्ति प्राप्त है — (क) युद्ध छिड़ने पर शत्रु के बन्दरगाहों में विद्यमान तथा (ग) युद्ध छिड़ने से पहले विद्यमान बन्दरगाह में चले हुए तथा युद्ध की सूचना से अनभिज्ञ वणिक्पोत — क्रोमियन युद्ध शुरू होने पर ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने रूस के जहाजों को ऐसी उन्मुक्ति प्रदान की थी। १८७० में जर्मनी ने फ्रेंच जहाजों के साथ ऐसा व्यवहार किया था। १८७७ में रूस ने टर्की के साथ लडाईं छिड़ने पर तथा १८६८ में स० रा० अमरीका ने स्पेन के साथ और १९०४ में रूस और जापान ने एक दूसरे के जहाजों के सम्बन्ध में इस नियम का पालन किया। १९०७ के छठे हेग

अभिसमय के अनुच्छेद २ के अनुसार युद्ध छिड़ने पर शत्रु के बन्दरगाह में विद्यमान जहाज को यह उन्मुक्ति दी गयी थी। किन्तु प्रथम विश्वयुद्ध में इस नियम का पालन बहुत कम हुआ। अतः १९२५ में ग्रेट ब्रिटेन ने इस अभिसमय का भविष्य में पालन न करने की घोषणा की। आपेनहाइम के मतानुसार आजकल इस विषय में कोई अन्तर्राष्ट्रीय नियम नहीं है।*

डाक ले जाने वाले जहाजों और डाक के थलों को शत्रु द्वारा पकड़े जाने के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय कानून का कोई सामान्य नियम नहीं है। इस विषय में कई देशों ने पारस्परिक समझौतों और सन्धिगों द्वारा यह तय किया है कि युद्ध के समय में भी बिना किसी बाधा के दोनों देशों की डाक, जहाजों द्वारा यथापूर्व भेजी जाती रहेगी। १९वें हेग अभिसमय के पहले अनुच्छेद के अनुसार तटस्थ अथवा युद्धमान देशों की सरकारी और गैर-सरकारी — दोनों प्रकार की डाक अविनाश्या (Inviolable) है, चाहे यह तटस्थ देश के जहाज पर लदी हो या शत्रु के जहाज में ले जायी जा रही हो। किन्तु परिवेष्टित (Blockaded) बन्दरगाह की डाक के बारे में यह छूट नहीं है। प्रथम विश्वयुद्ध में केन्द्रीय शक्तियों ने इसका बड़ा दुरुपयोग किया, दूसरे विश्वयुद्ध में भी ऐसा हुआ। इसे रोकने के लिये मिनराष्ट्रो ने जाच की जाच करना शुरू कर दिया, जाच के बाद आपत्ति रहित डाक ही शत्रु को या तटस्थ देशों को भेजी जाती थी। डाक का यह छूट केवल पत्रव्यवहार तक ही सीमित है, पार्सलों के सम्बन्ध में यह छूट नहीं है।

शत्रु की सेवा में लगे तटस्थ जलपोत (Neutral Merchantships in Enemy Service) — १९०६ की लन्दन-घोषणा में यह कहा गया था कि तटस्थ जहाज निम्नलिखित अवस्थाओं में पकड़े तथा दण्डित किये जा सकते हैं—(क) यदि ये लड़ाई में भाग लें। (ख) यदि शत्रु की सरकार के आदेश में हों। (ग) यदि ये अतन्त्र रूप में शत्रु की सरकार के कार्य में लगे हों। (घ) यदि ये पूर्णरूप से शत्रु की सेनाओं की हुलाई में अथवा शत्रु को लाभ पहुँचाने वाली सूचना को देने में लगे हुए हों।

सांस्कृतिक सामग्री को ज्वल न किया जाता - १४ मई १९५४ को सम्पन्न हुए हेग अभिसमय (Hague Convention of 1954) के अनुसार शत्रुदेश से सबन्ध रखने वाली सांस्कृतिक सामग्री—मूर्तियाँ, चित्र, कलात्मक वस्तुएँ, पाण्डुलिपियाँ तथा सस्कृति से सबन्ध रखने वाले विभिन्न पदार्थों को तथा इनके परिवहन में लगे जहाजों को न तो ज्वल किया जा सकता है और न ही अधिग्रहीत सामग्री (Prize) के रूप में छीना जा सकता है। भारत-पाक संघर्ष के समय फिदेशो में भारतीय कला की प्रदर्शनी के लिये भेजी गई कलात्मक वस्तुओं और मूर्तियों का सामान ले जाने वाले एक जहाज को पाकिस्तान ने रोकने की विफल चेष्टा की थी।^६

तटीय नगरों की बमबर्षा (Bombardment of Coastal Towns) — १९०७

७. आपेनहाइम—इण्टरनेशनल लॉ, ख० २, पृ० ३३५

८. हिन्दुस्तान टाइम्स १८ अक्टूबर १९६५

के ग्यारहवें हेग अभिसमय के अनुच्छेद १ में यह व्यवस्था की गई है कि रक्षा न किये जाने वाले बन्दरगाहों, कस्बों, गाँवों, निवासगृहों तथा इमारतों पर नौसेना द्वारा गोलाबारी करना सब परिस्थितियों में वर्जित है। किमी स्थान पर केवल इसलिए बमवर्षा नहीं की जा सकती कि वहाँ बन्दरगाह से कुछ दूरी पर समुद्र में सुरगें बिछाई गई हैं। अनुच्छेद २ में शत्रु द्वारा उपयोग में लाये जा सकने वाले तथा रक्षा न किये जा सकने वाले सैनिक अथवा नौसैनिक स्थानों, युद्ध सामग्री के भण्डारों, कारखानों, बन्दरगाह में खड़े रणपोतों पर गोलाबारी करने की अनुमति दी गई है, बशर्त कि इससे पूर्व स्थानीय अधिकारियों को इन्हें नष्ट करने की सूचना दी गई हो और उन्होंने इसका पालन न किया हो। अनुच्छेद ५ में सैनिक प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाली तथा विशेष चिह्नों से अंकित, सार्वजनिक पूजा, परोपकार तथा चिकित्सा के कार्य करने वाली इमारतों पर गोलाबारी करना वर्जित ठहराया गया है। अनुच्छेद ६ के अनुसार गोलाबारी शुरू करने से पहले उसकी पूर्व सूचना अवश्य दी जानी चाहिये।

सितम्बर १९६५ के भारत-पाक युद्ध में पाकिस्तान ने उपर्युक्त सभी नियमों की अवहेलना करते हुए अपनी नौसेना के रणपोतों द्वारा ८ सितम्बर १९६५ को प्रातःकाल काठियावाड़ के समुद्री तट पर अवस्थित द्वारका के बन्दरगाह पर गोलाबारी की। यह एक प्राचीन धार्मिक स्थान और श्रीकृष्ण के जीवन में सबद्ध होने के कारण पवित्र तीर्थ माना जाता है, यहाँ कोई सैनिक अड्डे या पिमान नहीं थे। यह सर्वथा असैनिक अरक्षित बन्दरगाह था। इस पर बमवर्षा करना हेग के उपर्युक्त ११वें अभिसमय के अनुच्छेद १ के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से निषिद्ध था।

सुरगें (Mines)—१९०७ के सातवें हेग अभिसमय में इनका विशद वर्णन है। इनमें ऐसी स्वचालित, सस्पर्श से फटने वाली सुरगें (Automatic Contact Mines) के बिछाने का निषेध किया गया है, जो बिछाने वालों का इन पर नियन्त्रण समाप्त होने के १ घण्टे के भीतर हानिरहित न हो जानी हो। लगर वाली (Anchored) तथा इस अर्थ में हानिरहित न होने वाली सुरगें नहीं बिछानी चाहियें। इन्हें समुद्री व्यापार रोकने की दृष्टि से शत्रु के बन्दरगाहों या तट के सामने बिछाना वर्जित है। जब कभी स्वचालित सुरगें बिछाई जायें तो इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि इससे शान्तिमय समुद्री व्यापार को कोई हानि न पहुँचे। मुख्यतः पक्षों को इन सुरगों को निश्चित अर्थ में हानिरहित बना देना चाहिए और यदि ये सुरगें उनके नियन्त्रण से बाहर हो जायें तो इस खतरे की सूचना सम्बद्ध सरकारों तथा जहाजों के मालिकों को यथासम्भव शीघ्र ही दे देनी चाहिए।

हार्लेण्ड के मतानुसार यह अभिसमय (Convention) बड़ा दोषपूर्ण था। इसमें लगर वाली (Anchored) सुरगों के बिछाने के क्षेत्र पर कोई पाबन्दी नहीं लगाई गई थी। इस समय जर्मन प्रतिनिधियों ने यह दावा किया था कि उन्हें महासमुद्री में सुरगें बिछाने का अधिकार है। रूस आदि रात बेसों ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर नहीं किये थे। जर्मनी ने दोनो विश्वयुद्धों में इस समझौते की व्यवस्थाओं का उल्लंघन किया। २३ अगस्त १९१४ को ब्रिटिश नौसेना विभाग ने यह घोषणा की कि

“सामान्य व्यापारिक मार्गों पर जर्मन लोग अविरोधपूर्ण नीति से सुरंगें बिछा रहे हैं, ये कुछ निश्चित घण्टा के बाद हानिरहित नहीं हो जाती, इन्हें किसी विशेष सैनिक योजना के अनुसार नहीं, किन्तु ब्रिटिश जमी एव व्यापारिक जहाजों को नष्ट करने के हरादे से बिछाया जा रहा है।” जर्मनी के इस अवैध कार्य के प्रत्युत्तर में ग्रेट ब्रिटेन ने २३ अक्टूबर १९१४ को कुछ सूचित क्षेत्रों में सुरंगें बिछाने की घोषणा की। जब जर्मनी ने अन्य व्यापारिक मार्गों पर सुरंगें बिछायी तो ब्रिटिश सरकार ने भी सुरंग बिछाने के क्षेत्रों को अधिक विस्तृत कर दिया। इस प्रकार व्यापारिक मार्गों पर महा-समुद्री में सुरंगें बिछाना तटस्थ देशों के अधिकारों का तथा महामुद्रों की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त का प्रबल हनन है तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि में अवैध और अधन्य कार्य है।

पनडुब्बियाँ (Submarines)—पनडुब्बियों के लिए यह सर्वथा वैध है कि वे शत्रु के व्यापारिक जहाजों को निरीक्षण और तलाशी के बाद पकड़ लें तथा शत्रु के जमी जहाजों को बिना किसी पूर्व सूचना के डुबा दें। किन्तु उनके लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये जमी जहाज को डुबाती हैं, उस पर सवार व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर सकती। इनके लिए आक्रमण किये जाने वाले जहाज का स्वल्प पहचानना भी कठिन होता है। प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्ध में जर्मन पनडुब्बियों ने मित्रराष्ट्रों के जहाजों को प्रबल हानि पहुँचाई थी। ७ मई १९१५ को २००० सवारियों को ले जाने वाले यात्री जहाज सुसिटानिया को जर्मन पनडुब्बी ने टारपीडो किया, इससे इसके १२०० यात्रियों की प्राणहानि हुई, इनमें अधिकांश अमरीकन थे। जब २० रा० अमरीका ने जर्मनी से इसका प्रतिवाद करते हुए हेग अभिसमय के नियमों का पालन करने को कहा तो उसने यह उत्तर दिया कि ये नियम उम समय बनाये गये थे, जब लोगों को पनडुब्बियों द्वारा युद्ध की स्वल्प में भी कल्पना नहीं थी। पनडुब्बियाँ यात्रिया और लड़ाई में भाग न लेने वालों की सुरक्षा नहीं कर सकती, यह भी सम्भव नहीं है कि ये आक्रमण करने से पूर्व जहाज के यात्रियों तथा नाविकों को चेतावनी देकर उन्हें प्राणरक्षा के लिए जीवन-नौकाओं में सवार होने का अवसर दे क्योंकि इसी बीच में उन पर शत्रु के रणपोत आक्रमण कर सकते हैं। जर्मनी ने अपने इस कार्य को सैनिक आवश्यकता तथा मित्रराष्ट्रों के विरुद्ध प्रत्यपहार (Reprisal) के वैध उपाय के रूप में न्यायानुकूल गिद्ध करने का प्रयत्न किया।

१९२२ के वाशिंगटन सम्मेलन ने पनडुब्बियों द्वारा व्यापारिक जहाजों का डुबाना, अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विरोधी होने के कारण अवैध माना। १९३० की सन्धन की नाविक सन्धि ने पनडुब्बियों के लिए समुद्रतल पर चलने वाले जहाजों के नियम लागू किये तथा व्यापारिक जहाजों पर इनके आक्रमण से पूर्व हम पर सवार व्यक्तियों तथा नाविक वर्ग की सुरक्षा पर बल दिया। इस सन्धि को १९३६ के सन्धन पनडुब्बी प्रोटोकॉल के रूप में ग्रेट ब्रिटेन, २० रा० अमरीका, फ्रांस, इटली और जापान ने तथा बाद में जर्मनी तथा सोवियत रूस ने भी स्वीकार किया। किन्तु १९३६ में द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ने पर जर्मनी ने १९३६ के प्रोटोकॉल की व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते

हुए शत्रु एव तटस्थ देशों के व्यापारिक जहाजों को, उन पर लदी सवारियों और नाविक वर्ग की सुरक्षा की व्यवस्था किये बिना बड़ी निष्ठुरता से डुबाना शुरू किया। सितम्बर १९३६ में ब्रिटिश जहाज एथीनिया (Athenia) बिना किसी चेतावनी के डुबा दिया गया। इसके प्रत्युत्तर में मई १९४० में ग्रेट ब्रिटेन ने यह घोषणा की कि स्कैगरेक (नार्वे तथा डेन्मार्क के बीच में उत्तरी समुद्र का भाग तथा उस समय नार्वे पर जर्मन आक्रमण का महत्वपूर्ण मार्ग) के समुद्र में ज्यों ही कोई जहाज दिखाई देगा, उसे फौरन नष्ट कर दिया जायगा। २१ मई १९४१ को एक जर्मन पनडुब्बी ने दक्षिणी अटलाण्टिक सागर में स० रा० अमरीका के एक जहाज बी राबिन मूर (The Robin Moor) को चेतावनी देने के ३० मिनट के भीतर डुबा दिया, इसकी सवारियों तथा नाविकों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की। अमरीकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इस कार्य की निन्दा करते हुए यह घोषणा की कि "इसमें अन्तर्राष्ट्रीय कानून के तथा मानवीयता के आरम्भिक सिद्धान्तों की पूरी अवहेलना प्रदर्शित की गई है। इस कारण राबिन मूर का डुबाना अन्तर्राष्ट्रीय आततायोपन (International outlawry) का कार्य बन गया है।" स० रा० अमरीका में इस घटना से लूसिटानिया की घटना जैसा प्रबल रोष उत्पन्न हुआ। इसमें भी अधिक जघन्य घटना यूनानी जहाज पेलियस (Paleus) का बिना किसी चेतावनी के दक्षिणी अटलाण्टिक में डुबाना था। आक्रमण के समय यह जहाज समुद्रतट से ३०० मील दूर था तथा पनडुब्बी ने समुद्रतल के ऊपर जाकर इस जहाज के नष्ट होने के बाद वधे हुए व्यक्तियों को मारने के लिए गोलाबारी भी की। इसके परिणामस्वरूप तीन व्यक्तियों के अतिरिक्त इस जहाज के सभी व्यक्ति मर गये।

१९४६ के जेनेवा अभिसमय में समुद्री युद्ध में नौसेनाओं के आहत होने वालों तथा बीमारी की और जहाज नष्ट-भ्रष्ट हो जाने पर उस पर सवार व्यक्तियों और नाविकों की दशा सुधारने के अनेक नियम बनाये गये हैं।

स्वल्प युद्ध की भाँति समुद्री युद्ध में भी ऐंम छलपूर्ण उपायों (Ruses) का प्रयोग वैध माना जाता है, जिनमें विश्वासघात (Perfidy) न किया जाय। उदाहरणार्थ, समुद्री युद्ध में जहाज पर शत्रु का अथवा तटस्थ देश का झूठा झण्डा लगाया जा सकता है। किन्तु आक्रमण करने से पहले पीत को अपनी वास्तविक ध्वजा लगा लेनी चाहिये। प्रथम विश्वयुद्ध में एक जर्मन कूजर एमडन (Emden) ने अपना यथार्थ रूप छिपाने के लिये जापान का झण्डा लगा लिया। इस झण्डे के कारण वह मलाया राज्य में पीनांग के बन्दरगाह से सुरक्षित निकल गया। आगे बढ़ने पर इसे रूसी कूजर जेमसुग (Zhemshug) मिला। इस पर इसने अपना जापानी झण्डा उतार लिया और इसके स्थान पर जर्मन झण्डा फहराने के वाद ही रूसी कूजर पर हमला किया, गोलाबारी की तथा टारपीडो करके इसे नष्ट कर दिया।

चौबीसवाँ अध्याय

अधिग्रहण न्यायालय

(Prize Courts)

अधिग्रहण न्यायालयों का अर्थ (Meaning of Prize Courts)—महा-समुद्रों में पकड़े और छीने हुए शत्रु के जहाज तथा अन्य बहुमूल्य सामग्री अधिग्रहीत सामग्री या अधिग्रहण (Prize) कहलाती है।^१ इसका स्वरूप स्थलीय युद्ध में छीनी गई वस्तु की सम्पत्ति से भिन्न होता है। अधिग्रहण पर तब तक न्यायोचित स्वत्व नहीं सम्भल जाता, जब तक कि इसका निर्णय करने के लिए बनाये गये न्यायालय छीने हुए माल के बारे में अपने फैसले की घोषणा नहीं कर देते। समुद्र में पकड़ी गई सम्पत्ति के स्वामित्व के सम्बन्ध में अनेक विवाद हो सकते हैं। कई बार ऐसा संदेह उत्पन्न हो सकता है कि यह शत्रु की सम्पत्ति है या तटस्थ देश की। सम्पत्ति छीनने वाले को स्वयमेव इस पर अधिकार करने देना न्याय के मौलिक सिद्धान्तों से प्रतिवृत्त है। इस सम्पत्ति के स्वामित्व और स्वत्व पर विचार करने के लिए इसे न्यायालयों में लाना अत्यधिक वाञ्छनीय है। यह वाञ्छनीयता उम अवस्था में अनिवार्य हो जाती है जबकि इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में तटस्थ देशों का अधिकार और दाना हो, क्योंकि युद्ध में दोनों युध्यमान पक्षों का कर्तव्य है कि वे तटस्थ देशों की सम्पत्ति अक्षत और सुरक्षित रखें। समुद्री युद्ध में छीनी गई या अधिग्रहीत बहुमूल्य सम्पत्ति के स्वत्व निर्धारण के लिए विशेष न्यायालय बनाये जाते हैं। इन्हें अधिग्रहण न्यायालय (Prize Courts) कहा जाता है। लारेन्स ने इनका लक्षण करते हुए कहा है कि अधिग्रहण न्यायालय राष्ट्रीय न्यायालय (Municipal Courts) होते हैं, ये युध्यमान देशों (Belligerents) द्वारा अपने प्रदेश में, अपने द्वारा अधिकृत प्रदेश में अथवा अपने मित्र के प्रदेश में इस उद्देश्य से स्थापित किये जाते हैं कि वे अपने रणपोतों या कूचरों द्वारा पकड़े हुए माल की वैधता का निर्णय करें। मित्र के देश में ऐसा न्यायालय स्थापित करने से पहले उसकी स्वीकृति

१. किन्ती में Prize के लिये कुछ लेखकों ने जयलक्ष्मण शब्द का प्रयोग किया है। किन्तु जयलक्ष्मण बहुत सामान्य शब्द है। यह स्थल एवं जल दोनों युद्धों में किसी प्रकार जीती हुई वस्तु के लिये प्रयुक्त हो सकता है। Prize समुद्री युद्ध में छीनी गई वस्तु के लिए ही व्यवहृत होता है। इनके लिये नौतुण्य तथा फेरों न्यायान्त्यों के लिये नौतुण्य न्यायालय के शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। किन्तु इसमें लूट की अपेक्षा पकड़ने और छानने का भाव अधिक है, अतः यहाँ इनके लिए अधिग्रहण शब्द का प्रयोग किया गया है।

लेना आवश्यक है।^१

अधिग्रहण न्यायालयों का विकास (Evolution of Prize Courts)—
 पश्चिमी जगत् में मध्य युग में जर्मन-शान्ति-विशेष परिस्थितियों के कारण इन न्यायालयों का प्रादुर्भाव और विकास हुआ। आपेनाहाइम के मतानुसार इसका उद्गम मध्ययुग के अन्त में हुआ।^१ रोमन साम्राज्य के पतन के बाद महानामुद्री में विभी मुहूर्त्त शक्ति के अभाव से अराजकता मन गई। उत्तरी एवं दान्टक समुद्रों में डेन लोगों के समुद्री डकैती करने वाले जहाज चक्कर काटने लगे, भूमध्य सागर में यूनानी और अरब जलपोत ऐसा कार्य करने लगे। इससे बरिणपोतों के लिए बड़ा संकट उत्पन्न हो गया, वे अपनी रक्षा के लिये एकत्र होकर विशाल बेड़े बनाकर एक अलसेनानायक या एडमिरल (यह अरबी में समुद्र के शासक का अर्थ देने वाला अमीरलबहर का योरोपियन रूप है) के नेतृत्व में चलने लगे। इस बेड़े के व्यक्ति समुद्री डाकुओं के साथ संपर्क होने पर उनका कुछ मान पकड़ लेते थे, कई बार समुद्रों में डाकुओं की सफाई करने के लिए कुछ सशस्त्र जहाज भेजे जाते थे। इन जहाजों द्वारा पकड़ा हुआ माल एडमिरल के आगे निर्णायक इन्फिन्ट क्लिफ जजान्त था।^१ १२वीं शताब्दी में योरोप के सामुद्रिक राज्यों ने समुद्री डाकुओं की सफाई करने के लिए कुछ संपन्न जहाजों को इन्हें पकड़ने के लिए अधिकार-पत्र (Letters Patents or Letters of Marque) देने शुरु किये। इन जहाजों द्वारा पकड़ा हुआ माल अधिकारपत्र प्रदान करने वाले राज्यों के नियन्त्रण में दिया जाता था। उस समय के सामुद्रिक राज्यों ने इसके लिये एडमिरल्टी (Admiralty) नामक बोर्ड बनाया तथा इसके अधिकारी मजसूर जहाजों पर तथा इसके द्वारा पकड़े गये माल पर नियन्त्रण रखते थे, वे ऐसे प्रत्येक माल के सम्बन्ध में पूरी जाँच करके उस माल और जहाज के स्वामित्व के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करते थे। वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास के बाद यह इतना सर्वमान्य प्रपागत नियम (Customary rule) समझा जाने लगा कि युद्ध छिड़ने पर सामुद्रिक युद्ध में सलग्न दोनों पक्षों के नौविभाग (Admiralty) ऐसे न्यायालय स्थापित करें जो सार्वजनिक वस्तुओं द्वारा पकड़े गये या अधिग्रहीत माल की बँधता पर विचार कर, २० जुलाई १५८२ को इंग्लैण्ड में एक आर्डर-इन-कौंसिल द्वारा सर्वप्रथम यह व्यवस्था की गई कि समुद्र में पकड़ा गया सारा माल नौसेना के उच्च न्यायालय में निर्णय के लिये लाया जाय। इस प्रकार के अधिग्रहण न्यायालय अन्य देशों में भी स्थापित किये गये। आजकल सब देशों में या तो स्थायी अधिग्रहण न्यायालय हैं या इन्हें युद्ध छिड़ने पर विशेष रूप में स्थापित विचा जाता है।

अधिग्रहण न्यायालयों के कार्य (Functions of Prize Courts) प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ने पर ब्रिटिश अधिग्रहण न्यायालय को निम्न कार्य (Commission) सौंपा गया था। इसे यह अधिकार था कि यह ब्रिटिश नौसेना द्वारा छिड़े, पकड़े और जप्त किये जाने वाले सब जहाजों की और इन पर लदे माल की जादगारी रखे, इन पर

२. लाटेल—वी पब्लिशिंग्स आफ इण्टरनेशनल लॉ, पृ० ४६०

३. आपेनाहाइम—इण्टरनेशनल लॉ, खण्ड २, पृ० ४८३

कानूनी विचार करे, ब्रिटिश नौविभाग के तथा राष्ट्रों के कानून के अनुसार जर्मन साम्राज्य के तथा उनके नागरिकों से सम्बन्ध रखने वाले सब जहाजों के और माल के बारे में अपना निर्णय करे तथा इनके विषय में अपनी दण्डाज्ञा (Condemnation) को सुनाये। १९३६ में दूसरा विरवयुद्ध छिड़ने पर इसमें कानून के पकड़े गये हवाई जहाजों को भी सम्मिलित कर लिया गया। पिट कावेट के मतानुसार इन न्यायालयों के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं — (क) समुद्र में पकड़े जाने वाले माल के मामलों की जांच, (ख) पकड़े हुए माल के कानून की सम्पत्ति होने पर इसके वैध अधिग्रहण (lawful prize) होने की तथा इसे जब्त करने की दण्डाज्ञा देना, (ग) वैध अधिग्रहण न होने की दशा में इसे वापिस करने अथवा इसका हर्जाना देने की आज्ञा देना, (घ) लूट और अव्यवस्था से सब देशों के माल को सुरक्षित रखना।

किसी देश के अधिग्रहण न्यायालय का क्षेत्राधिकार मुझ के समय दस देश के रणपोतों अथवा नौसेनाओं द्वारा महासमुद्रों में पकड़ा गया सभी प्रकार का माल होता है। ज्यों ही नौसेना द्वारा कोई जलपोत या माल पकड़ा जाय तो उसे फौरन निर्णय के लिये अपने देश के निकटतम बन्दरगाह में लाया जाना चाहिये। किन्तु यदि कोई जहाज इस तरह विचरत हो गया हो कि उसे अपने देश तक ले जाना सम्भव न हो, तो समीपस्थ तटस्थ देश की अनुमति से उसे उसके किसी बन्दरगाह में ले जाया जा सकता है। पकड़े गये जहाज के समूचे माल और नौतिक वस्तुओं को उस समय तक उस पर रहना चाहिये, जब तक कि वे निर्यातार्थ तय किये गये बन्दरगाह में नहीं पहुँच जाते। किन्तु यदि माल ऐसी दशा में है कि उसकी दुनाई उस बन्दरगाह तक सम्भव नहीं है तो इस निकटतम बन्दरगाह में बेचकर उसकी घतरानि न्यायालय को भर्जी जानी चाहिये। यह नियम तटस्थ देश के माल के सम्बन्ध में भी लागू होता है। पेरस की घोषणा के अनुसार विनिषिद्ध (Contraband) वस्तु न होने पर तटस्थ देश का माल उन्हें लौटा देना चाहिये। न्यायालय जहाज के सब कागजों की जांच और निरीक्षण तथा दोनों पक्षों का विवरण सुनने के बाद अपना निर्णय देने हैं। माल के स्वामि, स्वत्व और व्यवस्था के सम्बन्ध में इनका निर्णय अन्तिम होता है, किसी दूसरे देश को इन पर पुनर्विचार कराने का अधिकार नहीं है।

अधिग्रहण न्यायालयों के कर्तव्य (Duties of Prize Courts)—ये न्यायालय यद्यपि राष्ट्रीय कानून (Municipal Law) द्वारा स्थापित किये जाते हैं, तथापि वे अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार विवादों का निर्णय करते हैं। अतएव इनके न्यायाधीशों का बायित्व बड़ा जटिल होता है। उन्हें राष्ट्रीय हितों के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय हितों का भी ध्यान रखना पड़ता है। लार्ड स्टोवेल न (Stowell) ने मैरिया (Maria) नामक स्वीडिश जहाज के मामले में १७६६ में इयका दर्शन करत हुए कहा था कि मेरा कर्तव्य “किसी विशेष राष्ट्रीय स्वार्थ के प्रयोजनों का पूरा करने वाली सामयिक तथा बदलती रहने वाली सम्मनियों देना नहीं है, किन्तु राष्ट्रों के कानून द्वारा तटस्थ एव मुख्यमान सभी स्वतन्त्र देशों को बिना किसी भेदभाव के प्रदान किये जाने वाले निष्पक्ष न्याय का वितरण करना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ज्ञात कानून

और देशों के आचार के अनुसार न्यायिक सत्ता (Judicial authority) का स्थान युध्यमान देश में है, किन्तु इसके कानून का कोई विशेष स्थान नहीं है। न्यायासन पर बैठने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह यहाँ किसी प्रश्न का उसी प्रकार निर्णय करे, जैसे इस प्रश्न का समाधान स्टाकहोल्म में इस आसन पर बैठने वाला व्यक्ति करेगा। वह इसमें ग्रेट ब्रिटेन की ओर से ऐसे कोई दावे नहीं स्वीकार करेगा जो वह उन्हीं परिस्थितियों में स्वीडन के लिये स्वीकरणीय नहीं समझता। तदस्य देश के रूप में वह स्वीडन पर ऐसे कोई दायित्व नहीं डालेगा, जिन्हे वह इसी रूप में ग्रेट ब्रिटेन के लिये स्वीकार नहीं करना चाहता।" लार्ड स्टोवैन ने १८०७ में रिकवरी (Recovery) नामक जहाज के मामले में इस पर अधिक प्रकाश डालते हुए लिखा था—“यह स्मरण रखना चाहिये कि ग्रेट ब्रिटेन के राजा के प्रदेश में यहाँ बैठने वाला न्यायालय राष्ट्रों के कानून का न्यायालय है। यह अन्य देशों से वैसा ही सम्बन्ध रखता है, जैसा हमसे सम्बन्ध रखता है। विदेशियों को यह अधिकार है कि वे इससे यह माँग करें कि यह हमारे राष्ट्रीय विधिशास्त्र (Municipal Jurisprudence) में ग्रहण किये सिद्धान्तों के अनुरूप, राष्ट्रों के कानून के अनुसार निर्णय करे।”

अधिग्रहण न्यायालयों का दर्जा (Status of Prize Courts)—इस विषय में विधिशास्त्री एकमत हैं कि अधिग्रहण न्यायालय अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रश्नों पर विचार करते हुए भी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय नहीं, किन्तु राष्ट्रीय (Municipal) न्यायालय है। आपेनहाइम ने राष्ट्रीय कानून द्वारा निर्मित और मगठित होने के कारण इसे राष्ट्रीय न्यायालय माना है। लारेन्स का भी यही मत है कि अधिग्रहण न्यायालय राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (Municipal Tribunals) है, वर्तमान समय में अधिकांश विचारक न तो इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय समझते हैं और न ही इसके निर्णयों को अन्तर्राष्ट्रीय कानून मानते हैं, यद्यपि सामान्यतः ये निर्णय अन्तर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित होते हैं।

अधिग्रहण न्यायालयों द्वारा लागू किया जाने वाला कानून (The Law of Prize Courts)—ये न्यायालय राष्ट्रीय होते हुए भी समुद्री युद्ध में छीने गये माल के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर विचार करते हैं। लार्ड स्टोवैन के ऊपर उद्धृत निर्णय से यह स्पष्ट है कि इन्हें अपना निर्णय देते हुए राष्ट्रीय के साथ अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का भी ध्यान रखना पड़ता है। इस कारण यह जटिल समस्या उत्पन्न होती है कि ये किस कानून को लागू करते हैं, राष्ट्रीय को या अन्तर्राष्ट्रीय को? यदि इंग्लैण्ड में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किये गये अथवा आर्डर इन कौमिल से किराी अन्तर्राष्ट्रीय नियम का विरोध या सपर्य हो तो कौन-सा कानून लागू किया जायगा।*

इस प्रश्न के सम्बन्ध में लार्ड स्टोवैन ने फोक्स नामक जहाज के मामले (Fox's case) में विचार करते हुए १८११ में कहा था—“वाद पर विचार के समय यह प्रश्न उठाया गया है कि उस दशा में इस न्यायालय का क्या कर्तव्य होगा,

जबकि कोई आर्डर-इन-कौंसिल अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रतिकूल हो। एक पक्ष ने यह तर्क दिया है कि न्यायालय सब अवस्थाओं में आर्डर-इन-कौंसिल को लागू करने के लिये बाधित है। दूसरे पक्ष का यह मत है कि वह आर्डर-इन-कौंसिल की उपेक्षा करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय कानून लागू करने के लिये बाधित है। इस न्यायालय का यह कर्तव्य है कि यह अन्य देशों के प्रजाजनों के तथा सरकारों के सम्बन्ध के बारे में राष्ट्रों के कानून का प्रशासन करे। दूसरे देशों की सरकारों को अपने प्रजाजनों के लिये यह माँग करने का तथा ऐसा न होने पर शिकायत करने का अधिकार है। यह इसका अलिखित कानून है, यह इसके निर्णयों से तथा तम्य राज्यों की सामान्य प्रथा (Common usage) से प्रमाणित होता है। इसके साथ ही यह भी पूर्ण रूप से सत्य है कि इस देश के सविधान के अनुसार सपरिषद् राजा (King-in-Council) को इस न्यायालय के बारे में कानून बनाने का अधिकार है तथा इसे ऐसे आदेश निकालने का अधिकार है कि जिनका पालन एव लागू करना इसका अनिवार्य कर्तव्य है। अतः यह न्यायालय राष्ट्रों के कानून के प्रशासन के लिये भी बाधित है और साथ ही यह ऐसे आर्डर-इन-कौंसिल लागू करने के लिये भी बाधित है जो राष्ट्रों के कानून के प्रतिकूल नहीं, क्योंकि सपरिषद् आदेशों (Orders-in-Council) के बारे में यह कल्पना की जाती है कि वे इसके अलिखित कानून के सिद्धान्तों के अनुकूल होंगे।”

लार्ड पार्कर ने जमोरा (Zamora) के मामले में इन प्रश्नों का विद्वत्पूर्ण विवेचन करते हुए (देखिये प्रथम परिशिष्ट) कहा था “अधिग्रहण न्यायालय का प्राथमिक कर्तव्य और कार्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून का प्रशासन करना है। अधिग्रहण न्यायालय पार्लियामेंट के कानून से बँधा हुआ है, किन्तु यह सपरिषद् राजा के ऐसे आदेश से बँधा हुआ नहीं, जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विरोधी है, या उसके किसी नियम को बदलना चाहता है। किन्तु अधिग्रहण न्यायालय अन्तर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ने वाले पार्लियामेंट के कानून को मानने के लिये बाधित है। अतः अधिग्रहण न्यायालय पार्लियामेंट के कानूनों को मानने के लिये बाधित है, किन्तु यदि ये राष्ट्रों के कानून के साथ असंगत हों, तो वह अन्तर्राष्ट्रीय कानून का प्रशासन करने वाला नहीं रह जायगा और ऐसी व्यवस्थाएँ करने वाले क्षेत्र में वह अधिग्रहण न्यायालय के उचित कार्य करने में बाधित हो जायगा।”

उपर्युक्त दोनों निर्णय ब्रिटिश अधिग्रहण न्यायालयों द्वारा लागू किये जाने वाले कानून के विषय में कुछ भिन्न स्थिति का प्रतिपादन करने हैं। लार्ड स्टोवेल के मतानुसार ये राष्ट्रीय न्यायालय हैं, आर्डर-इन-कौंसिलों तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धान्तों से बँधे हुए हैं। दोनों में विरोध सम्भव नहीं है क्योंकि आर्डर-इन-कौंसिलों के मन्वना में यह कल्पना की जाती है कि ये अन्तर्राष्ट्रीय कानून के मौलिक सिद्धान्तों के अनुकूल होंगे। लार्ड पार्कर ने जमोरा के मामले में इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय कानून का प्रशासन करने वाला न्यायालय मानते हुए भी यह स्वीकार किया कि ये आर्डर-इन-कौंसिलों का पालन करने के लिए नहीं, किन्तु पार्लियामेंट के कानून का पालन करने के लिए बँधे हुए हैं। इन दोनों में विरोध होने पर आर्डर-इन-कौंसिल को लागू करते

हए ये अन्तर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने के अपने स्वाभाविक कार्य से वंचित हो जाते हैं। प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्रियों में आपेनहाइम के मतानुसार ये न्यायालय राष्ट्रीय कानून को ही लागू करते हैं, यह वस्तुतः अन्तर्राष्ट्रीय कानून होता है, किन्तु इसे राष्ट्रीय कानून का अंग बना लिया जाता है। लारेन्स का मत है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित राष्ट्रीय कानून होता है। जर्मनी के अधिग्रहण न्यायालयों ने सदैव यह स्वीकार किया है, कि ये राष्ट्रीय कानून को ही लागू करते हैं, भले ही यह वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धान्तों के प्रतिकूल हो।

पाकिस्तान द्वारा स्थापित अधिग्रहण न्यायालय की अव्यवस्था — १९६५ के भारत-पाक युद्ध के बाद ८ अक्टूबर १९६५ को यह समाचार बम्बई पहुँचा कि पाकिस्तान ने इस बात का निर्णय करने के लिये एक अधिग्रहण न्यायालय बनाने का निश्चय किया है कि पिछले युद्ध में पाकिस्तान द्वारा पकड़े गये भारतीय जहाजों और माल को जब्त करके नीलाम कर दिया जाना चाहिये। इस समय पाकिस्तान के अधिकार में सिंधिया कम्पनी के तीन जहाज—१० हजार टन का भारवाही जलपोत राजेन्द्र, ३५०० टन का समुद्रतटीय पोत (Coastal Liner) सरस्वती तथा ५०० टन का लघु पोत शकीला थे। इनमें से पहले दो जहाज लडाईं छिड़ने के समय कराची में थे। इसके अतिरिक्त इस समय तटस्थ देशों के १५ जहाजों द्वारा बहुत सा व्यापारिक माल— मशीनें, टेलीफोन के उपकरण, रई, अलवारी कागज भारत आ रहा था। पाकिस्तान ने इसके बन्दरगाहों में रके हुए तटस्थ देशों के जहाजों से इस प्रकार का २० हजार टन का माल कराची में ही उतार लिया। इसका बदला लेने के लिये भारत ने पाकिस्तान के तीस हजार टन के तीन जहाज रोक लिये।

पाकिस्तान द्वारा युद्ध छिड़ने पर अपने बन्दरगाहों में विद्यमान तटस्थ देशों के जहाजों पर लदे भारतीय माल को उतारकर इनके अधिग्रहण की कार्यवाही करना अथवा भारतीय जहाजों के बारे में अधिग्रहण का कार्य करना अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रतिकूल था। १९०७ के छठे हग अभिसमय (Sixth Hague Convention of 1907) के अनुसार जो जलपोत युद्ध छिड़ने पर अपने को शत्रुदेश के बन्दरगाह में पाते हैं, उन्हें ज्वल नहीं किया जा सकता, केवल युद्ध की समाप्ति तक रोक जा सकता है या उसमें अपना कार्य (Requisition) करवाया जा सकता है।

पाकिस्तान द्वारा अधिग्रहण न्यायालय स्थापित करने की कार्यवाही बड़ी विलक्षण और अभूतपूर्व घटना थी। इसका यह कारण था कि पाकिस्तान ने युद्ध-धोषणा करके लडाईं नहीं छोड़ी थी, दोनों देशों में दौत्य सम्बन्ध अभी तक बने हुए थे। इनमें युद्ध की स्थिति घोषित नहीं हुई थी, युद्ध घोषित होने पर ही शत्रुदेश के जहाजों तथा माल को पकड़कर इनका निर्णय करने के लिये अधिग्रहण न्यायालय स्थापित किये जाते हैं। पाकिस्तान को बिना युद्ध घोषणा किये अधिग्रहण न्यायालय की स्थापना करने का अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से कोई अधिकार नहीं था।

अन्तर्राष्ट्रीय अधिग्रहण न्यायालय की आवश्यकता (The need for an International Prize Court)—लारेन्स ने इस बात पर बल दिया है कि इन

न्यायानयो का राष्ट्रीय होना एक बड़ा दोष उत्पन्न करता है। इनमें पुष्ट करने वाले राष्ट्र अपने देश के कार्यों में सम्बद्ध मामलों में स्वयमेव न्यायाधीन बन जाते हैं। यद्यपि इनमें स्टोवेल जैसे न्यायाधीन सर्वत्र निष्पक्षता में निर्णय करते हैं, किन्तु युद्ध की परिस्थितियों के दबाव के कारण यह निष्पक्षता कई बार खण्डित होन लगती है। उस दोष को दूर करने के लिए १९०७ के हेग सम्मेलन में ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी ने अन्तरराष्ट्रीय अधिग्रहण न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। वारहवें हेग अभिसमय (Convention) में इसे स्वीकार कर लिया गया था। इस पर अनेक राज्यों ने हस्ताक्षर किये थे। किन्तु बाद में इसका अनुसमर्थन (Ratification) मूल रूप में इस आधार पर नहीं किया गया कि ऐसे अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय का कार्य सम्मौपजनक रीति से चलाने के लिये समुद्रा कानून के नियमों का पर्याप्त संग्रह इस समय उपलब्ध नहीं है। किन्तु यह युक्ति ठीक नहीं है। आरम्भिक दस्ता में सभी कानून इसी प्रकार के होते हैं। जब तक इस प्रकार के पृथक् न्यायानय की स्थापना नहीं जाती, तब तक वर्तमान अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय को ही सब देना की महत्तमि में उनका राष्ट्रीय अधिग्रहण न्यायालयों की अपेक्षा मूलने का अधिकार दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

पञ्चीसवाँ अध्याय हवाई युद्ध के नियम (Laws of Air Warfare)

आजकल शक्तिशाली और शीघ्रगामी वायुयानों, प्रत्यक्ष बमबर्फी, राकेटों, स्फूर्तिकों तथा अन्त महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्रों (Intercontinent Ballistic Missiles) के आविष्कार और विलक्षण विकास से हवाई युद्ध के महत्व में असाधारण वृद्धि हुई है। उपर्युक्त साधनों के द्वारा युद्ध में भाग न लेने वाली असैनिक जनता के विध्वंस और विनाश की अमित सम्भावनाएँ उत्पन्न हो गई हैं। नागासाकी और हिरोशिमा में बमबर्फी के प्रत्यक्ष विध्वंस के ताण्डव ने इनके निरोध की तीव्र आवश्यकता का अनुभव कराया है। यहाँ हवाई युद्ध के नियमों के विकास का संक्षिप्त परिचय दिया जायगा।

हवाई युद्ध के नियमों के मौलिक सिद्धान्त (Basic Principles of Air Warfare)—ये स्थलीय और समुद्री युद्धों के मौलिक सिद्धान्तों से गहरा सादृश्य रखते हैं। आपेनहाइम के मतानुसार ये निम्नलिखित हैं—(क) मानवीयता के सिद्धान्त, आवश्यक श्रुति और हिंसा का प्रयोग न करना, (ख) युद्ध न करने वाली जनता पर सीधा आक्रमण करने का निषेध, (ग) तटस्थ देश को किसी युध्यमान देश के विरुद्ध तैयारी का अथवा लड़ाई का क्षेत्र न बनाना। इन सिद्धान्तों के आधार पर १८७४ में हवाई युद्ध के नियम बनाये जाते रहे हैं।

१८७४ का ब्रुसेल्स सम्मेलन (The Brussels Conference)—रूस के सम्राट् जार की प्रेरणा से बुलाये गये इस सम्मेलन ने यह नियम बनाया कि खुले तथा अरक्षित (Undefended) कस्बों, गृहसमूहों या गाँवों पर हवाई बमबर्फी नहीं की जा सकती। धर्म, कला और विज्ञान सम्बन्धी इमारतों को तथा चिकित्सालयों को बमबर्फी का लक्ष्य बेचल तभी बनाया जा सकता है, जब कि इनका प्रयोग सैनिक प्रयोजनों के लिए हो।

हेग सम्मेलन (The Hague Conference)—(१८६६ में पहला हेग सम्मेलन बुलाने के समय तक हवाई युद्ध से विध्वंस की सम्भावनाएँ बढ़ने लगीं) इससे पहले युद्ध से केवल गुम्बारों का उपयोग होता था, किन्तु इस समय यह सम्भावना की जाने लगी थी कि मनुष्य शीघ्र ही वायुयान का विध्वंसक साधन के रूप में सफल प्रयोग आरम्भ कर देगा। अतः इस सम्मेलन ने यह प्रस्ताव पास किया कि पाँच वर्ष तक

गुब्बारो या हवाई जहाजो से विस्फोटक द्रव्य फेंकने पर पाबन्दी लगाई जाय। अरक्षित स्थानों पर बमवर्षा न करने के लिए असेलज सम्मेलन के निर्णय को स्वीकार किया गया।

१९०७ के दूसरे हेग सम्मेलन तक वायुयानो के तथा हवाई सडाई के क्षेत्र में नवीन आविष्कारो से परिस्थिति बहुत बदल चुकी थी। अब कई राज्य इस विषय में कोई पाबन्दी नहीं लगाना चाहते थे, अतः जब इसमें अगले हेग सम्मेलन तक के लिए हवाई बमवर्षा के प्रयोग के निषेध का प्रस्ताव रखा गया तो कुछ शक्तिशाली राज्यों ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किए। फिर भी इस समय निम्नलिखित नियम बनाए गए—(क) असीनिक जनता को डराने या आतंकित करने के उद्देश्य से, इने हानि पहुँचाने के प्रयोजन से अथवा सैनिक स्वरूप न रखने वाली वैयक्तिक सम्पत्ति का विध्वंस करने की दृष्टि में बमवर्षा नहीं की जा सकती (अनुच्छेद २२-ब)। शत्रु द्वारा धनराशि या अन्य वस्तुएँ जबदस्ती वसूल करने की दृष्टि से की जाने वाली बमवर्षा वर्जित है (अनुच्छेद २३)। (ग) हवाई बमवर्षा केवल निम्न अवस्थाओं में वैध है— (अ) जब यह किसी सैनिक लक्ष्य पर की गई हो, ये लक्ष्य निम्नलिखित हैं—सेनाएँ, पोताघो में सम्बन्ध रखने वाले स्थान, शस्त्रास्त्र, गोलाबारूद तथा सैनिक सामग्री तैयार करने वाले महत्वपूर्ण कारखाने। (आ) स्थानीय सेनाओं की सडाई के क्षेत्र के बिल्कुल साथ लगे प्रदेशों से दूरवर्ती नगरों, कस्बों, गाँवों, इमारतों पर बमवर्षा वर्जित है। यदि कुछ सैनिक स्थान असीनिक जनता के निवास स्थानों से सम्बद्ध और घिरे हुए हों और दोनों को बमवर्षा की दृष्टि से अलग न किया जा सकता हो तो ऐसे स्थानों पर भी बमवर्षा निषिद्ध है।

१९११ में 'अन्तर्राष्ट्रीय कानून की समस्या' में मैट्रिड में हवाई युद्ध की कानूनी स्थिति पर विचार किया और यह मौलिक सिद्धान्त स्वीकार किया कि हवाई सडाई में स्थलीय अथवा समुद्री सडाई की अपेक्षा अधिक मात्रा में शारीरिक तथा साम्पत्तिक क्षति नहीं पहुँचानी चाहिए किन्तु इस सस्था द्वारा किया विचार-विमर्श अन्तर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण नहीं कर सकता था। प्रथम विश्वयुद्ध में पहले बनाये गए उपयुक्त नियमों में कई दोष थे। पहला दोष यह था कि इनमें रक्षा किए जाने वाले (Defended) तथा अरक्षित स्थान की कोई सुस्पष्ट व्याख्या नहीं की गई थी। दूसरा दोष यह था कि पोलावारूद और हथियार बनाने के अधिकांश कारखाने तथा सैनिक वस्त्रियाँ असीनिक जनता वाले कस्बों और सहरों में होती हैं, इनकी बमवर्षा में वैधता का प्रश्न बड़ा जटिल और मदिग्ध था। तीसरा दोष हवाई युद्ध के नवीन साधनों के आविष्कार और वितरण उन्नति के कारण उपयुक्त नियमों का सर्वथा अपूर्ण तथा अपर्याप्त होना था। चौथा कारण समग्रयुद्ध (Total war) (देखिए पृ० ४३८-९) का नवीन विचार था, इसमें युद्ध की आवश्यकताएँ सर्वोपरि मानी जाती हैं और शत्रु की सम्पूर्ण जनता के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने में कोई दोष नहीं ममना जाता।

प्रथम विश्वयुद्ध (First World War)— प्रथम विश्वयुद्ध में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर बहुत हवाई हमले किए। दोनों का यह कहना था कि उन्होंने अपने हवावाजों

को यह आदेश दे रखा था कि वे केवल सैनिक स्थानों को अपना निशाना बनाएँ, असैनिक जनता पर कोई आक्रमण न करे। किन्तु आदेशों का पालन इसलिए नहीं हो सका कि बड़ी ऊँचाइयों से शीघ्र गति वाले विमानों द्वारा सैनिक लक्ष्यों पर ठीक निशाना लगाना बहुत कठिन था। इस युद्ध की समाप्ति सैनिक लक्ष्यों में दूरवर्ती खुले शहरों और कस्बों पर भी बड़ी अविवेकपूर्ण रीति से हवाई बमबर्षा के साथ हुई।

वाशिंगटन सम्मेलन (Washington Conference) — प्रथम विश्वयुद्ध में यह अनुभव हुआ कि हवाई युद्ध के पुराने नियम नवीन परिस्थितियों के लिए उपयुक्त और पर्याप्त नहीं हैं, इनके सशोधन और पुनर्विचार की आवश्यकता है। यह कार्य १९२३ में वाशिंगटन में शस्त्रस्त्रो को सीमित करने के लिए जुलाए गए एक सम्मेलन द्वारा किया गया। इसमें २० रा० अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रान्स, इटली और जापान ने भाग लिया। इस सम्मेलन ने एव प्रस्ताव द्वारा हवाई लड़ाई की समस्याओं पर विचार करने के लिए प्रसिद्ध विधिशाम्त्रियों की एक कमेटी बना दी। इस कमेटी ने १९२३ में हवाई युद्ध के नियमों की संहिता तैयार की। इसके महत्वपूर्ण नियम निम्नलिखित थे— (१) वैयक्तिक हवाई जहाजों को आत्मरक्षा की दृष्टि से भी सशस्त्र बनाना पूर्णरूप से वर्जित है। (२) असैनिक जनता को डराने या असैनिक सम्पत्ति को नष्ट करने या असैनिक जनता को हानि पहुँचाने के उद्देश्य में की जाने वाली बमबर्षा निषिद्ध है। (३) शत्रु में जबर्दस्ती पनरानि या अन्य सामान लेने के लिए बमबर्षा नहीं होनी चाहिए। (४) हवाई बमबर्षा को नभी वैध समझना चाहिए, जब यह ऐसे सैनिक अड्डों, सन्तार के राफनों, शस्त्रारण्य वदानी के कारखानों को लक्ष्य बनाकर की जाय, जिनके विध्वंस से शत्रु की सैनिक हानि हो और वह निर्वल हो। (५) असैनिक जनता का ध्यान न रखते हुए सैनिक लक्ष्यों पर भी की जाने वाली बमबर्षा अवैध है। (६) स्थलीय सेनाओं की कार्यवाहियों के अति सन्निकट स्थानों के अतिरिक्त अन्य शहरों, कस्बों और इमारतों पर बमबर्षा करना निषिद्ध है। (७) सार्वजनिक पूजा, उपासना, कला, धर्म, विज्ञान तथा परोपकार का कार्य करने वाली इमारतों, ऐतिहासिक स्मारकों, दारणाथियों के लिए बने चिकित्सालयों को हवाई बमबर्षा का लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता। (८) स्थलीय सेनाओं पर लागू होने वाले युद्ध और तटस्थता के नियम हवाई लड़ाई पर भी लागू होते हैं। (९) किसी युध्यमान पक्ष की सेनाओं द्वारा उपर्युक्त नियमों का भंग होने पर उसे इससे होने वाली क्षति का मुआवजा देना पड़ेगा। यद्यपि इन नियमों का राज्यों ने अनुममर्शन नहीं किया, फिर भी आपेनहाइम के शब्दों में इनकी गहृता इस दृष्टि से है कि इन्होंने युद्ध में वायुयानों के प्रयोग की मर्यादाओं का मुन्दर और मुस्पष्ट प्रतिपादन करते हुए इस विषय में सुवोध नियम बनाएँ और ये भविष्य में इस विषय की चर्चाओं के आधार बने। १९२५ में जेनेवा के प्रोतोकॉल द्वारा हवाई युद्ध में विपैली गैसों और जीवाणुओं का प्रयोग निषिद्ध ठहराया गया। जुलाई १९३२ में नि शस्त्रीकरण सम्मेलन के सामान्य आयोग (General Commission of the Disarmament Conference) ने यह निश्चय किया कि

'अभैतिक' (Civil) जनता पर हवाई आक्रमण करना पूर्णरूप में निषिद्ध है।'

किन्तु जापान द्वारा चीन के आक्रमण (१९३१ ई०) और स्पेन के गृहयुद्ध में उपर्युक्त नियमों का बहुत अधिक भंग हुआ। इस पर १९३८ में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने लोरेन्सो में हवाई बमबर्षा के सम्बन्ध में कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए एक बक्तव्य दिया। इसके अनुसार (१) अभैतिक जनता पर जानबूझकर क्रिया गरा आक्रमण निश्चित रूप में अन्तर्राष्ट्रीय कानून का अतिभंग है। (२) हवाई बमबर्षा का निशाना वैध सैनिक लक्ष्यों को बनाना चाहिए और ये ऊँचाई में अच्छी तरह पहचाने जाने वाले होने चाहिए। (३) इन सैनिक लक्ष्यों की हवाई बमबर्षा में ऐसी सुविधाएँ मादधानी बरनी जानी चाहिए कि इन सैनिक लक्ष्यों के निकट रहने वाली अभैतिक जनता पर बमबर्षा न हो। १९३८ में राष्ट्र मन्त्री अर्थमन्त्री ने उपर्युक्त चीनो सिद्धान्त का स्वीकार करते हुए सर्वसम्मति में हवाई बमबर्षा के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पार किया।

आपेनहाइम के कथनानुसार अभैतिक जनता पर हवाई बमबर्षा के निषेध के मौलिक सिद्धान्त को लागू करने में तीन बड़ी कठिनाइयाँ हैं। पहली कठिनाई वर्तमान युद्ध के क्षेत्र और स्वरूप में होने वाले परिवर्तन हैं। उनके कारण लड़ाई में 'समग्र युद्ध' (Total War) का रूप धारण कर लिया है, सैनिक तथा अभैतिक जनता में अन्तर निरन्तर कम हो रहा है। दूसरी कठिनाई ऐसे सैनिक लक्ष्य निर्धारित करने की है, जिनके विरुद्ध वैध रूप से हवाई बमबर्षा की जा सकती है। तीसरी कठिनाई प्रातिमिक (technical) है कि हवाई बमबर्षा के प्रभावों को सैनिक लक्ष्यों तक ही किम प्रकार सीमित रखा जाय। किन्तु इन नई समस्याओं के होने हुए भी वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय कानून अभैतिक जनता में आतंक उत्पन्न करने के उद्देश्य से उस पर जानबूझकर तथा प्रत्यक्ष रूप से की जाने वाली बमबर्षा को अवैध मानता है।

द्वितीय विश्वयुद्ध (Second World War) — दूसरे विश्वयुद्ध में उपर्युक्त नियमों की घोर अवहेलना हुई। इनके आरम्भ में ८० रा० अमेरिका के राष्ट्रपति के प्रस्ताव के फलस्वरूप २ सितम्बर १९३९ को इंग्लैण्ड और फ्रांस ने यह घोषणा की कि वे अभैतिक जनता पर बमबर्षा नहीं करगे, वे उसे केवल अत्यधिक सङ्कुचित अर्थ वाच सैनिक लक्ष्यों तक ही सीमित रखेंगे। १७ सितम्बर का जर्मनी ने भी पारम्परिकता के आधार पर उस नियम के पालन की घोषणा की, किन्तु उसके छ दिन बाद ही उसने पोलैण्ड की राजधानी वारसा पर अन्वयुद्ध, अतिवैक्यपूर्ण हवाई बमबर्षा करते हुए अपनी घोषणा का उल्लंघन किया। बाद के आक्रमण में इसे पुन तोड़ा गया, १६ मई १९४० को जब बन्दरगाह राटरडम के प्रायिकान भाग सैनिक स्थान न होने पर भी हवाई बमबर्षा में बुरी तरह लपट कर दिया गया। (६ अप्रैल १९४१ का इसी प्रकार का भीषण विध्वंस यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड को दण्ड देने के लिए किया गया, क्योंकि उसने जर्मन उच्च सत्ता की उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया था कि वह उसका निषेध करे।

३. आन्तर्देशन—इन्टरनेशनल लॉ, न० २, पृ० ४१५

४. वही, पृ० ४२६

(१० मई १९४० को ब्रिटिश सरकार ने अपनी पूर्व घोषणा में सशोधन करते हुए कहा कि यदि शत्रु ने ग्रेट ब्रिटेन में अथवा उसके मित्रदेशों में असैनिक जनता पर बमवर्षा की तो वह इसके विरोध में आवश्यक समझी जाने वाली कोई भी कार्यवाही करने का अधिकार रखती है।) आरम्भ में ग्रेट ब्रिटेन ने व्यूहिय (Tactical) बमवर्षा न करके केवल रणनीतिक (Strategic) बमवर्षा की। व्यूहिय बमवर्षा का तात्पर्य आक्रमण करने वाली स्थलीय या समुद्री सेना के कार्यों को सहायता देने की दृष्टि से शत्रुप्रदेश पर की जाने वाली बमवर्षा है, जैसी हिटलर ने पोलैण्ड, नार्वे आदि पर आक्रमण के समय की थी। इसमें हवाई जहाज सेना के आगे बढ़ने के साथ-साथ उसका मार्ग प्रशस्त करने के लिए शत्रु के प्रतिरोध को निष्फल बनाने के लिए उसके प्रदेश पर भारी पैमाने पर बमवर्षा करते हैं, इसमें सैनिक, असैनिक लक्ष्यों का भेद नहीं किया जाता। रणनीतिक (Strategic) बमवर्षा में केवल उन्हीं लक्ष्यों पर बमवर्षा की जाती है, जो रणनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण हों, जैसे सैनिक अड्डे, शस्त्रास्त्र बनाने के कारखाने। रणनीतिक बमवर्षा की नीति आगाने के कारण बहुधा ब्रिटिश बमवर्षा के जब विशिष्ट लक्ष्य को पहचानने में समर्थ नहीं होते थे, तो वे इन पर गिराने के लिए ले जाये गये बमों को पुनः स्वदेश वापिस ले आते थे। किन्तु यह स्थिति देर तक नहीं रही। (१९४०-४१ में जब हिटलर ने ग्रेट ब्रिटेन को हराने तथा उसकी जनता में त्रास और आतंक उत्पन्न करने के लिए लन्दन तथा अन्य ब्रिटिश नगरों पर अग्नाधुनिक बमवर्षा आरम्भ की तो ग्रेट ब्रिटेन ने 'लक्ष्य क्षेत्रीय बमवर्षा' (Target Area Bombing) आरम्भ की। इसका अभिप्राय ऐसे सभी विस्तृत क्षेत्रों का विध्वंस था, जिनमें शस्त्रास्त्र बनाने के कारखाने, युद्ध के लिए आवश्यक वस्तुओं पेट्रोल आदि के केन्द्र, सैनिकों के यातायात के लिए आवश्यक रेलवे जंक्शन और बन्दरगाह थे। वायुयान विरोधी तोपों तथा सुरक्षा के अन्य साधनों के कारण विशिष्ट सैनिक लक्ष्यों पर बमवर्षा करना कठिन हो गया, अतः 'लक्ष्य क्षेत्रीय बमवर्षा' द्वारा विस्तृत प्रदेशों का विध्वंस किया जाने लगा। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय सामान्य रूप में मित्रराष्ट्र यह सिद्धान्त मानते रहे कि शत्रु के युद्धप्रयत्नों में सम्बन्ध न रखने वाले नगरों और स्थानों पर बमवर्षा करना अनैतिक है। किन्तु जापान को हराने के लिए सं. रा. अमरीका ने अणुबम का प्रयोग किया।)

अणुबम का प्रयोग (Use of Atom Bomb)—सं. रा. अमरीका ने ६ अगस्त को हिरोशिमा पर तथा ११ अगस्त १९४५ को नागासाकी पर, इन शहरों के शहरियों को कोई पूर्व-चेतावनी दिये बिना अणुबम गिराये। दृष्टसाक्षियों केवर्णनानुसार उन्होंने आकाश में पलभर के लिए एक सफेद चमक देखी, हवा के तेज झोंके का अनुभव किया, एक गडगडाहट सुनी, इसके बाद मकरनों के गिरने की आवाजें आने लगी, चारों ओर अचकार छा गया, धूल के बादल आकाश में फैल गये, सब तरफ प्रचण्ड अग्नि की लालायें आसमान को छूने लगी, प्रलय का दृश्य दृष्टिगोचर होने लगा। यह अनुमान लगाया गया है कि केवल हिरोशिमा में ही ६० हजार नर-नारी और बच्चे मारे गये,

एक लाख व्यक्ति आहत हुए, बीस लाख से अधिक व्यक्ति बेघरबार हो गये। नागासाकी में १ लाख २० हजार व्यक्ति हताहत हुए, इमारतों के ध्वमावशेषों में दबे हुए हजारों व्यक्ति इस मर्यादा में सम्मिलित नहीं हैं।

जापानी मगरों पर दो अणुबमों के गिराने की तीव्र भर्त्सना समूचे सम्य जगत् ने की। इसे मानवीयता और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध घोर अपराध समझा गया। यह युद्ध के नियमों के दो मौलिक सिद्धान्तों की पूर्ण अनहेलना करता है। युद्ध में अनावश्यक हिंसा का प्रयोग निषिद्ध है तथा सैनिक और असैनिक जनता में भेद रखते हुए केवल सैनिक शक्ति का विध्वंस वैध माना जाता है, असैनिक जनता की हिंसा या हानि युद्ध के नियमों के प्रतिकूल है। अणुबम सैनिक तथा असैनिक जनता का कोई भेद न करता हुआ अपने लक्ष्य स्थान में विनाश और विध्वंस की ऐसी ताण्डव लीला करता है कि इससे लाखों व्यक्ति हताहत होते हैं, इसकी धूलविकरण से ऐसे रोग उत्पन्न होते हैं, जिनकी कोई चिकित्सा नहीं हो सकती, भस्मासुर की शक्ति रखने वाला यह बम अपने क्षेत्र में सभी प्राणियों और वनस्पतियों के जीवन को गहरी क्षति पहुँचाता है, उन्हें भस्मावशेष बनाते हुए सामूहिक विध्वंस और प्रलय की सृष्टि करता है। जब अन्तर्राष्ट्रीय कानूनके अनुसार विषैली गैसों का प्रयोग वर्जित है (देखिये ऊपरपृ० ४६३) तो इनमें लाखों गुना अधिक सहारक शक्ति रखने वाले अणुबमों का प्रयोग कैसे वैध हो सकता है ?

राष्ट्रपति ट्रूमैन ने २० रा० अमरीका द्वारा इसके प्रयोग का औचित्य सिद्ध करते हुए कहा था —“हमने इसका प्रयोग युद्ध की व्यथा को कम करने के लिए, हजारों तरुण अमरीकनों के प्राण बचाने के लिए किया है।” यह कहा जाता है कि त्रिम समय अणुबम गिराये गये, उस समय जापान ने पास विमान साम्राज्य था, इसके आधार पर वह देर तक लड़ाई जारी रख सकता था। यदि अणुबमों का प्रयोग न किया जाता तो वह इतनी जल्दी आत्मसमर्पण न करता। इस युक्ति का आधार नैतिक आवश्यकताओं को युद्ध में सर्वोपरि मानना है। पहले यह बताया जा चुका है कि इस सिद्धान्त को सत्य नहीं माना जा सकता (पृ० ४६६-५) और इसने आधारपर अणुबम के प्रयोग को उचित नहीं ठहराया जा सकता (पृ० ४६५)। ‘हजारों तरुण अमरीकनों’ की प्राण रक्षा के लिए लाखों निर्दोष जापानियों की हत्या का समर्थन किसी भी दृष्टिकोण से नहीं किया जा सकता।

इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए कि अन्धाधुन्ध हिंसा और अविचारपूर्ण हिंसा करने वाले सभी साधनों का प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से वर्जित है। प्रथम विश्वयुद्ध में जब जर्मन पनडुब्बियों ने मित्रराष्ट्रों के जहाजों को अन्धाधुन्ध डुबाना शुरू किया था तो मित्रराष्ट्रों ने अधिवेकपूर्ण हिंसा के आधार पर जर्मनी के इस कार्य को अस्वीकार किया था। उस समय जर्मनी ने यह युक्ति दी थी कि युद्ध के पुराने नियम नवआविष्कृत सैनिकों के विषय में लागू नहीं होंगे, उनके कारण पुराने नियम मान्य नहीं रहते और इनका मशोधन होना चाहिए। किन्तु मित्रराष्ट्रों ने विधि-साक्षिण्य ने जर्मनी के इस युक्तिवत्तम को सर्वथा अस्वीकार किया और अमान्य ठहराया

था। अमरीकन विधिशास्त्री उपर्युक्त जर्मन तर्क का अनुसरण करते हुए अणुबम का प्रयोग इस आधार पर उचित नहीं ठहरा सकते कि इस नवीन आविष्कार के बारे में त्रिविक्रपूर्ण हिंसा के निषेध का पुराना नियम लागू नहीं हो सकता। वह युद्ध का मौलिक, सार्वभौम और सार्वकालिक नियम है, उसके प्रतिकूल होने से अणुबम का प्रयोग सर्वथा उचित और अवैध है।

‘आपेनहाइम ने केवल दो अवस्थाओं में इसके प्रयोग को वैध माना है।’ (१) शत्रु द्वारा पहले इसका प्रयोग किये जाने पर, उसके प्रत्युत्तर के रूप में इसका व्यवहार। (२) इसके प्रयोग ऐसे शत्रु के विरुद्ध किया जा सकता है, जिसे युद्ध के नियमों का उल्लंघन करने वाले पैमाने पर किया हो कि वह मानवीयता और दया के व्यवहार का पानन रह गया हो। यदि किसी प्रकार असंदिग्ध रूप में यह प्रमाणित हो सके कि द्वितीय विश्वयुद्ध में जर्मनी ने अपनी सेनाओं द्वारा प्रतिकृत प्रदेश में असैनिक जनता का संहार बहुत बड़े पैमाने पर किया तभी प्रतिरोधक दण्ड (Deterrent punishment) के रूप में अणुबम के प्रयोग को वैध ठहराया जा सकता है। जापान के विरुद्ध अणुबम के प्रयोग में इन दोनों में से कोई भी अवस्था नहीं थी, अतः इसे अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से सर्वथा अवैध माना जाना चाहिये।

अणुबम के आविष्कार के बाद सामूहिक विध्वंस के उससे अधिक शक्तिशाली अनेक अन्वेषणों—हाइड्रोजन बम राकेट, अन्त महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्रों (ICBM) का विकास हुआ है। रूसी प्रधानमंत्री ख्रुश्चेव के कथनानुसार अन्त महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्रों के आविष्कार के बाद बमबर्षक वायुयान सग्रहालयों की वस्तु बन गये हैं, इनकी सहायता से रूस के अड़्डा से ही लन्दन, न्यूयार्क और वाशिंगटन का विध्वंस करने वाले राकेट छोड़े जा सकते हैं। अतः इस समय यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि ऐसे रास्त्रों का प्रयोग सर्वथा निषिद्ध ठहराया जाय और इसे सफल बनाने के लिये इनके उत्पादन पर अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण स्थापित किया जाय। इसमें राज्यों को कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में अपनी प्रभुता (Sovereignty) का परिचय करना पड़ेगा। स० रा० सन् १९५० से निश्चास्त्रीकरण सम्मेलनों तथा अणुसक्ति आयोग द्वारा इस कार्य को सम्पन्न कराने का प्रयत्न कर रहा है।

पाकिस्तान द्वारा हवाई युद्ध के नियमों की अज्ञातता— सितम्बर १९६५ के भारत-पाक संघर्ष में पाकिस्तान ने हवाई युद्ध के उपर्युक्त नियमों का उल्लंघन कई प्रकार से किया। हवाई हमले सैनिक अड्डों पर नहीं किये गये अपितु अमैनिश क्षेत्रों, पवित्र धार्मिक स्थानों—मस्जिदों और चर्चों तथा हस्पतालों पर किये गये। नपाम बम तथा एक एक हजार पौण्ड के बम नगरों पर तथा ऐसे गाँवों पर गिराये गये, जिनका सैनिक बायों से कोई सम्बन्ध नहीं था। पाकिस्तान की वायु सेना ने अम्बाला के सुप्रसिद्ध और १७५ वर्ष पुराने चर्च—शेण्टपाग के कैम्पेडल पर १८ तथा २० सितम्बर को दो बार हमले करके हम पर बमबर्षा की। पहले हमले में इसको काफी नुकसान पहुँचा, दूसरे हमले में

यह बहुत बुरी तरह से विध्वस्त हो गया। जम्मू से आठ मील दूरी पर जोड़ियाँ क्षेत्र में मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले व्यक्तियों पर बमवर्षा की गई। इसमें मस्जिद विध्वस्त हुई तथा पचास व्यक्ति मारे गये। इस युद्ध में पाकिस्तान का सबसे अधिक बर्बर इस्तेमाल तथा रैडक्रास के केन्द्रों पर हमले करना था। पृथ्वी में एक हस्पताल पर गोलाबारी की गई, अम्बाला में सैनिक हस्पताल के आठ वार्ड हवाई हमले से गूँट हो गये, जोधपुर में जन का हस्पताल हवाई हमलों का शिकार बना, फिरोजपुर में घायलों और बीमारों को ले जाने वाली चार एम्बुलैन्स (Ambulance) गाड़ियों पर हमले किये गये।

युद्धविराम होने से १२ घण्टे पहले दो पाकिस्तानी सेवरजेंट विमानों ने अमृतसर में पाँच मील दूर एक औद्योगिक बस्ती छेड़टों पर एक हजार पाउण्ड के छह नम ०० सितम्बर को गिराये। इनमें ४५ व्यक्ति मरे तथा ८० व्यक्ति घायल हुए। छेड़टों अर्थात् बस्ती थी, इस पर बमवर्षा करना अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रतिकूल था।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से नपाम बम (Napalm) का प्रयोग अमानवीय समझा जाता है क्योंकि ये अत्यधिक विध्वंसक और घाग लगाने वाले होते हैं। पाकिस्तानी विमानों ने ऐसे बमों को भारत में बड़ी सङ्ख्या पर चलने वाली अर्थात् (Civil) गाड़ियों पर गिराया। इस प्रकार गिराये गये बम ७५० पाउण्ड के थे। इनकी विरोधना यह होती है कि इनका खोल अत्यन्त हल्का ७० पाउण्ड का होता है, रूप ६८० पाउण्ड अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री पैट्रॉल आदि में भरा होता है, यह बम त्रिज्य स्थान पर गिरता है, उसके आसपास ११० गज तक मनुष्य तथा सभी वस्तुयें राख बन जाती हैं।

पाकिस्तान की हवाई सेना का एक अमानुषिक कार्य १६ अक्टूबर १९६५ को गुजरात के मुख्यमंत्री श्री बलवन्तराय मेहता को तथा उनके परिवार को ले जाने वाले एक अर्थात् (Civil aircraft) पर हमला करके इसे गूँट करना था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने २२ सितम्बर को लोकसभा में इन विषय पर बक्तव्य देते हुए कहा था —“युद्ध कार्य में न लगे हुए (Non-Combatant) वायुयान पर हमला करना एक ऐसा अधिकृत अमानवीय कार्य है कि सबको इसकी निन्दा करनी चाहिये।” अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से यह जघन्यतम कृत्य था। जुलाई १९३२ में निःशस्त्रीकरण सम्मेलन के सामान्य आयोग (General Commission of the Disarmament Conference) ने इस विषय में यह प्रस्ताव पारित किया था कि अर्थात् जनता पर किसी भी प्रकार का हवाई हमला करना पूर्णतः निषिद्ध है। १९३८ में राष्ट्र संधि की १६वीं असेम्बली ने हवाई हमलों के विषय में कुछ अन्तर्राष्ट्रीय नियम बनाते हुए कहा था कि हवाई आक्रमणों का लक्ष्य केवल सैनिक अर्थात् और सैनिक विमान ही होने चाहिये। पाकिस्तान ने १९६५ की सङ्घर्ष में इन सब नियमों की धोर उपेक्षा तथा अवज्ञा की है।

छब्बीसवाँ अध्याय

युद्धापराध (War Crimes)

युद्धापराध का स्वरूप (Nature of War Crimes)—पिछले अध्यायो में म्यान, जल और आकाश में होने वाले युद्धों में अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से पालन करने योग्य नियमों का वर्णन हो चुका है, इनका उल्लंघन करना युद्धापराध (War Crimes) माना जाता है। ब्रिटिश सेना की निर्देशपुस्तिका (Manual) के अनुसार दया दान (Quarter) न करना, युद्धबन्धियों के साथ दुर्व्यवहार, लूटपाट और निरहंश्य विध्वंस युद्धापराध है। १८६६ के हेग सम्मेलन में युद्ध के नियमों और प्रथाओं के प्रति-कूल कार्यों को युद्धापराध घोषित किया था। प्रो० हिगिन्स ने युद्धापराधों में निम्न-लिखित कार्यों का समावेश किया है— सशस्त्र सेनाओं के सैनिकों द्वारा युद्ध के माने हुए नियमों का अनिश्चल, सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा अवैध अनुता के कार्य (Illegitimate hostilities), जासूसी, युद्ध-राजद्रोह (War treason) और प्रभुण्डन (Marauding)। आगेनहाइम के शब्दों में 'युद्धापराध सैनिकों तथा अन्य व्यक्तियों के ऐसे अनुतापूर्ण कार्य हैं, जिन्हें करने वाले पकड़े जाने पर शत्रु द्वारा दण्डित किये जाते हैं। इनमें ऐसे कार्यों का समावेश होता है, जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रतिकूल तथा अपराध करने वाले व्यक्ति के अपने राज्य के कानून के विरुद्ध होते हैं, जैसे हत्या, वैयक्तिक लाभ की दृष्टि से की गई लूटपाट, शत्रुराज्य को और से अथवा उसके आदेश से युद्धनियमों के विरुद्ध किये गये कार्य।' आगेनहाइम ने युद्धापराधों के चार विभिन्न प्रकार बताये हैं— (क) सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों द्वारा युद्ध के सम्बन्ध में स्वीकार किये जाने वाले नियमों को तोड़ना। (ख) ऐसे व्यक्तियों द्वारा सशस्त्र लड़ाई के कार्य, जो शत्रुकी सशस्त्र सेनाओं के सदस्य नहीं हैं। (ग) जासूसी और युद्ध सम्बन्धी राजद्रोह। (घ) प्रभुण्डन के सभी कार्य।

युद्ध के नियमों के उल्लंघन ने कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण निम्नलिखित हैं—
(१) विपत्ते या निषिद्ध स्थानों का, धम पीटने वाली तथा विपत्ती गैतों का प्रयोग,
(२) बीमारी या घानों के कारण असमर्थ सैनिकों अथवा हथियार डाल देने वाले सिपाहियों को मारना या घायल करना, (३) हत्यारों को पीसा देकर हत्या कराना,
(४) घोषा देन की दृष्टि में बीमार या घायल होने वा बहाना करना, (५) युद्ध-बन्धियों, आहतों और बीमारों के साथ दुर्व्यवहार, उनकी एमी सम्पत्ति तथा बहुमूल्य

वस्तुओं को हथियाना, जो सार्वजनिक सम्पत्ति न हो, (६) निर्दोष अमैतिक शत्रु-व्यक्तियों को मारना, उन पर हमला करना, उनकी धर्मयुक्त सम्पत्ति को लूटना, अधि-कृत प्रदेश की जनता से शत्रु की प्रतिरक्षा के साधनों की जानकारी लेने के लिए उन पर दबाव डालना, (७) रणक्षेत्र में मृत व्यक्तियों के शवों को विकृत करना, इनकी ऐसी धनराशि तथा बहुमूल्य वस्तुओं को हथियाना जो सार्वजनिक सम्पत्ति न हो, (८) सभ्रहालियों, चिकित्सालयों, चर्चों, स्कूलों तथा ऐसी अन्य सभ्यताओं की सम्पत्ति नष्ट करना तथा हथियाना, (९) अरक्षित, खुले शहरों का घेरा, घेरा और गोलाबारी, नौनौनामों द्वारा अरक्षित स्थानों की गोलाबारी, अमैतिक जनता पर केवल भय उन्हें आतंकित करने या हमला करने के उद्देश्य से की गई बमबर्षा, (१०) ऐतिहासिक स्मारकों, चिकित्सालयों, धर्म, कला, विज्ञान, परोपकार के कार्यों में लगी हुई तथा रैडक्रॉस आदि विशेष चिह्नों द्वारा अपने दम रक्षण को प्रदर्शित करने वाली स्मारकों पर अनावश्यक गोलाबारी, (११) जेनेवा अभिसमया (देखिये ऊपर २२वाँ अध्याय) का उल्लंघन, (१२) ऐसे जहाजों पर आक्रमण या उनका डुबाना, जिन जहाजों में सम्मर्पण करने के लिए अपना झण्डा झुका दिया हो। तलाशी की प्रार्थना के बिना शत्रु के व्यापारिक जहाजों पर हमला करना, (१३) चिकित्सा के कार्य में लगे जलजाना पर आक्रमण और उन्हें पकड़ना, जेनेवा अभिसमय द्वारा निर्धारित समुद्री युद्ध के नियमों का तोटना, (१४) शत्रु के अमान्यता (Prize) माल का अनुचित विध्वंस, (१५) युद्ध में शत्रु के गणवेश (Uniform) का और समुद्री लडाई में शत्रु के झण्डे का उपयोग, (१६) शत्रुदेश के ऐसे व्यक्तियों पर आक्रमण, जिन्हें ज्ञान के लिए पामपोस्ट मिले हों, या जिन्हें सुरक्षित गमन (Safe Conduct) का आश्वासन दिया गया हो, (१७) रण विराम (Truce) के झण्डे के ताने ताना पर आक्रमण, (१८) रण विराम के झण्डों को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा का दुरुपयोग।

प्रथम विश्वयुद्ध में पहले युद्धापराधों के लिए प्रायः अभियोग नहीं चलाये जाते थे। उस समय यह रिवाज था कि युद्ध की समाप्ति पर दोनों पक्ष अपनी शान्ति-सन्धिवा में सामान्य निर्मुक्ति (Amnesty) या क्षमा सम्बन्धी धारा रखते थे। इसके अनुसार युद्ध में शत्रु या अपकारपूर्ण (Wrongful) कार्य करने वाला जो इन अपराधों के दण्ड से मुक्ति मिल जाती थी। शान्ति-सन्धि में स्पष्ट रूप में ऐसी व्यवस्था न रहने पर भी इन प्रकार की आम माफी युद्ध की समाप्ति का एक स्वाभाविक कानूनी परिणाम समझा जाता था।^१ किन्तु प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति पर १९१९ की बर्निय की सन्धि के अनुच्छेद २२७ ने उक्त अपराधों का अस्तित्व स्वीकार करते हुए अतिरिक्त धारा (Added and Associated) शक्तियों का यह अधिकार माना गया कि वे युद्ध के कानूनों और प्रथाओं का उल्लंघन करने वाले कार्यों को करने वाले जर्मनों पर सैनिक न्यायालयों में अभि-योग चला सकते हैं। इसमें जर्मन सम्राट् वंश के विश्व सन्धियों की पवित्रता और अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता का उल्लंघन करने के अपराधों का मुकदमा चलाने की व्यवस्था

थी। इनके अपराधों पर विचार करने के लिए पाँच महाशक्तियों का एक न्यायाधिकरण (Tribunal) भी बनाया गया। किन्तु उच्च सरकार ने अपने देश में धारण ग्रहण करने वाले भूतपूर्व जर्मन सम्राट् विलियम को समर्पण करने से इकार बर दिया (देखिये पृ० ३१०)। अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग इस कानूनी कठिनाई के आधार पर नहीं चलाये जा सके कि अभियुक्त बताये जाने वाले व्यक्तियों ने अपने कार्य सैनिक आदेशों के अनुसार तथा उच्च अधिकारियों की आज्ञाओं का पालन करते हुए ही किये थे, अतः उन्हें इसके लिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। इसके अतिरिक्त विधिशास्त्र का एक सर्वसम्मत् सिद्धान्त यह है कि पहले से विद्यमान (Pre existing) कानून के अभाव में किसी अपराध के लिये दण्ड नहीं दिया जा सकता। यही Nullum Crimen sine lege (नियमाभावे दण्डाभावः) का नियम है। उस समय युद्धापराधियों की जांच के लिये बनाये गये १५ व्यक्तियों के आयोग ने वेल्जियम की तटस्थता का भंग करने तथा लुक्सेमबर्ग के विषय में १८६७ की सन्धि का उल्लंघन करना युद्धापराध नहीं माना। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद लाइपजिग (Leipzig) के जर्मन सर्वोच्च न्यायालय में युद्धापराधों के लिये १६ व्यक्तियों पर मामले चलाये गये, इनमें केवल छ व्यक्तियों को मामूली दण्ड दिये गये।

न्यूरेम्बर्ग अभियोगों के प्रादुर्भाव का इतिहास (Nuremberg Trials, its Genesis)—द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद १९३३ से हिटलर की नात्सी पार्टी के कार्यको त्सवों के अधिवेशन का स्थान बनने वाले नगर न्यूरेम्बर्ग में नात्सी जर्मनी के प्रसिद्ध नेताओं और सेनाधिकारियों पर विभिन्न युद्धापराधों के लिये अभियोग चलाये गये। इन पर ऐसे मामले चलाने का निश्चय १९४३ के मास्को सम्मेलन में हुआ था। इसमें ग्रेट ब्रिटेन, सं० रा० अमरीका तथा रूस ने यह घोषणा की थी कि अत्याचारों, क्रूरताओं और हत्याकाण्डों के लिए उत्तरदायी जर्मन अधिकारियों और नात्सी पार्टी के व्यक्तियों को युद्ध के बाद उन देशों में अभियोग चलाने के लिए भेजा जायगा, जहाँ उन्होंने ये श्रू कृत्य किये हों। १९४५ के गाल्टा सम्मेलन में इस सकल्प को पुनः दोहराया गया। इसके बाद लार्ड राइट की अध्यक्षता में सं० रा० युद्धापराध आयोग (United Nations War Commission) इस उद्देश्य से बनाया गया कि वह युद्धापराधियों की सूची तैयार करे, उसे इन व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का भी अधिकार दिया गया। अगस्त १९४५ में ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत रूस, सं० रा० अमरीका और फ्रांस में यह समझौता हुआ कि युद्धापराधियों की जांच के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय सैनिक न्यायाधिकरण (International Military Tribunal) नियत किया जाय। इस समझौते के साथ एक चार्टर भी सलग्न था, इसमें न्यायाधिकरण के सचिवायन, कार्यों तथा क्षेत्राधिकार का वर्णन था। इसके आधार पर न्यूरेम्बर्ग में नात्सी नेताओं पर युद्धापराधों के मामले चलाये गये।

न्यूरेम्बर्ग के अभियोगों का औचित्य सिद्ध करने के लिये अनेक युक्तियाँ दी जाती हैं। पहली युक्ति यह है कि जर्मनी सहित राष्ट्र सघ ने २४ सितम्बर १९२७ को अप्राक्रमणारम्भक युद्ध (Aggressive War) को अपराध घोषित किया था। दूसरी

युक्ति १९२८ के युद्ध-विरोधी केलाग ब्रीमाँ पैक्ट (Kellogg-Briand Pact) की है। इसके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिये युद्ध के उपाय की निन्दा करते हुए, इन्हें शान्तिपूर्ण उपायों से सुलझाने पर बल दिया गया था। इस समझौते पर जर्मनी, जापान और इटली के हस्ताक्षर थे। इन सबने इस पैक्ट द्वारा राष्ट्रीय नीति के रूप में युद्ध न छेड़ने का वचन लिया था। तीसरी युक्ति युद्ध में धुरी राष्ट्रों द्वारा किये जाने वाले असाधारण क्रूरता के कार्य थे। इनके कारण मिनराष्ट्रों ने जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद उससे इनके प्रतिकार का पूरा निश्चय कर लिया। इसीलिये उपर्युक्त न्यायाधिकरण तथा उसके द्वारा चालन किये जाने वाले नियमों और युद्धापराधों के लिये कानून भी बना दिया गया। उसका यह कहना था कि जर्मनी द्वारा आत्मसमर्पण करने के बाद उन्हें पराजित तथा अधिकृत देश के लिये कानून बनाने का पूरा अधिकार है। बर्माय की सन्धि के बाद नियमों के अभाव में मुकद्दमें न चल सकने के दोष को तथा अन्य दोषों को पहले से ही दूर करने के लिये उपर्युक्त चार्टर बनाया गया था।

इस चार्टर के अनुसार, न्यायाधिकरण ने न्यूरेम्बर्ग में २० नवम्बर १९४५ से जर्मन युद्धापराधियों के मामले सुनने शुरू किये, ३१ अगस्त १९४६ तक ये मामले चलते रहे। १ अक्टूबर १९४६ को न्यायाधिकरण ने अपना निर्याय सुनाते हुए २२ नात्सी नेताओं में से तीन को मुक्त कर दिया, बारह को प्राणदण्ड, तीन को आजीवन कारावास का तथा चार को विभिन्न अवधि के कारावास का दण्ड दिया।

न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार (Jurisdiction of the Tribunal)— उपर्युक्त चार्टर में न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार का वर्णन करते हुए उसे निम्न तीन प्रकार के अपराधों की जाँच का अधिकार दिया गया था—(क) शान्ति के विरुद्ध किये गये अपराध, ये ऐसे अपराध थे—अग्रक्रमणात्मक युद्ध (Aggressive War) की योजना बनाना, इसकी तैयारी करना, इसका आरम्भ और संचालन करना अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों, समझौतों, आशवासनों का उल्लंघन करने हुए युद्ध करना, उपर्युक्त प्रकार के युद्धों की पूर्ति के लिये किसी सामान्य योजना या पद्धति में भाग लेना, (ख) युद्धापराध—युद्ध की प्रथाओं तथा नियमों को तोड़ना, जैसे अधिकृत प्रदेश में अशान्तिक जनता की हत्या और दुर्व्यवहार, युद्धबन्धियों की हत्या या दुर्व्यवहार, शरीरबन्धकों (Hostages) की हत्या, सार्वजनिक या वैयक्तिक सम्पत्ति की लूट, सैनिक आदरप्रकृता न हानि पर नगरों का निरर्थक विध्वंस, (ग) मानवीयता के विरुद्ध अपराध—युद्ध में पहले या युद्ध के समय अशान्तिक जनता के साथ किये जाने वाले अमानवीय कार्य, इन्हें दास बनाना और इनकी हत्या करना, राजनीतिक, जातीय (Racial) या धार्मिक मतभेद के आधार पर अत्याचार करना।

न्यूरेम्बर्ग न्यायाधिकरण में अभियुक्तों पर यह आरोप था कि उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों, समझौतों और आशवासनों का उल्लंघन करके अग्रक्रमणात्मक युद्ध की योजना बनाई, उसे संचालित किया। नात्सी पार्टी इसका माध्यम थी। इसके उद्देश्य ये थे—(क) नसाय की सन्धि को तथा इस द्वारा जर्मनी के सैनिक पुन

शस्त्रीकरण पर लगाये गये प्रतिबन्धों को नग्न करना, (ख) प्रथम विश्वयुद्ध में जर्मनी द्वारा खोये हुए प्रदेश को प्राप्त करना, (ग) योरोप में जर्मनी के विस्तार (Lebensraum) के लिए जर्मन नस्ल द्वारा आबाद अन्य प्रदेशों को हस्तगत करना। लुन्मेमबर्ग में नात्सी जर्मनी के गुप्त पुलिस विभाग — गेस्टापो (Gestapo) ने १००० नागरिकों को अर्बन्ध रीति से प्राणदण्ड दिया। विशाल जनसंख्याओं के उन्मूलन के लिये बृन्दवादन (orchestra) के संगीत के माय बड़े पैमाने पर बड़े जनसमूहों को गोलियों का शिकार बनाया गया, पानी के टबों में ठण्ड से मारा गया, बाल्टिक राज्यों में, लेनिनग्राद, रटालिनग्राद तथा अन्य नगरों में अर्नैतिक जनता को गोलियों से भूना गया। युद्धबन्धियों के लिए समुचित भोजन, वस्त्र, चिकित्सा और निवास की व्यवस्था नहीं की गई, उनसे बेगार में जबरदस्ती काम लिया गया। युद्ध के नियमों के प्रतिकूल शरीरबन्धकों (Hostages) का वध किया गया।

इन आरोपों के उत्तर में अभियुक्तों ने अपनी यह सफाई पेश की—(क) उन पर अपराक्रमणात्मक युद्ध की योजना बनाने तथा सञ्चालन करने का आरोप सिद्ध नहीं किया जा सका। (ख) सब सम्म्य देशों में विधिशास्त्र का यह मौलिक सिद्धान्त है कि कानून के पहले विद्यमान होने पर ही उसका उल्लंघन करने पर दण्ड दिया जाता है, न कि कोई घटना हो जाने पर उसके सम्बन्ध में कानून बना दिया जाय और उस कानून द्वारा उसके कानून के बनने से पहले किये गये अपराधों के लिए व्यक्तियों को दण्डित किया जाय। घटना के बाद बनाये जाने वाला (Ex-post facto) और भूतकाल में अपना प्रभाव रखने वाला कानून (Retroactive law) सर्वथा अन्यायपूर्ण है, क्योंकि विधिशास्त्र Nullum crimen sine lege (नियमभावे दण्डाभाव) का सिद्धान्त मानता है। इस मुकद्दमे में दण्ड देने वाला कानून १९४५ के चार्टर में बनाया गया है और इसके अनुसार इस कानून के बनने से पहले के छ वर्षों में किये गये तथाकथित अपराधों के लिए उन्हें दण्डित किया जा रहा है। उपर्युक्त चार्टर बनने से पहले किसी प्रभुसत्तासम्पन्न राज्य ने अपराक्रमणात्मक युद्ध (Aggressive War) को अपराध घोषित नहीं किया था और इस कार्य को अपराध बनाने वाला कोई अन्य कानून नहीं था और ऐसी दण्ड व्यवस्था भी नहीं थी, इस अपराध के लिये दण्ड देने वाला कोई न्यायालय नहीं था। अतः अभियुक्तों को वर्तमान न्यायालय द्वारा इन अपराधों के लिये दण्डित नहीं किया जा सकता। (ग) युद्धबन्धियों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप की सफाई में कहा गया था कि रूस ने इस विषय में जेनेवा अधिसमय (Convention) पर हस्ताक्षर नहीं किये थे, अतः उसके युद्धबन्धियों के सम्बन्ध में उपर्युक्त अधिसमय को लागू नहीं किया जा सकता। (घ) अभियुक्तों का यह कहना था कि युद्ध की योजना हिटलर ने बनाई थी, उन्होंने केवल उसकी आज्ञाओं का पालन किया है। आज्ञापालन उनका कर्तव्य था, इसके लिए उनके विरुद्ध मासला नहीं चलाया जा सकता। युद्ध का सारा उत्तरदायित्व हिटलर पर है। (ङ) अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार युद्ध राज्य का कार्य है, इसका सारा उत्तरदायित्व राज्य पर होना है, न कि व्यक्तियों पर। अतः व्यक्तियों को इसके लिए दण्डित नहीं किया जा सकता।

न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय में सफाई पक्ष की उपर्युक्त युक्तियों को निम्नलिखित कारणों के आधार पर स्वीकार नहीं किया— (क) न्यायाधिकरण इसका निर्माण करने वाले तथा इसका क्षेत्राधिकार निश्चित करने वाले चार्टर से बंधा हुआ है। मित्रराष्ट्रों को इसे बनाने का पूरा अधिकार था, जर्मनी ने उनके आगे बिना शर्त आत्मनगर्पण किया था। अतः वे अधिकृत प्रदेश के लिए कानून बना सकते थे। चार्टर कोई मनमाना कानून नहीं है, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय कानून की अभिव्यक्ति है। (ख) न्यायालय की सम्मति में अपराक्रमणात्मक युद्ध का संचालन न केवल अन्तर्राष्ट्रीय अपराध था, अपितु सर्वोच्च (Supreme) अन्तर्राष्ट्रीय अपराध था, अन्य युद्धापराधों में यह केवल इसी अर्थ में भिन्न था कि इनमें सभी युद्धापराधों की बुराई पुजीभूत होती है। जर्मनी का पोलैण्ड के विरुद्ध छेड़ा गया युद्ध अपराक्रमणात्मक था। वेल्जिगम, हालैण्ड और लुकसेमबर्ग पर तथा डेन्मार्क और नार्वे पर हमले का कोई उचित कारण नहीं था। यह विजुद्ध रूप में इन देशों के विरुद्ध अपराक्रमण (Aggression) था। (ग) न्यायालय ने नियम के अभाव में दण्ड के अभाव की (Nullum crimen sine lege) युक्ति स्वीकार नहीं की। “यह मानना सार्वथा अगत्य है कि सन्धियों और आदवामनों की अवहेलना करके पड़ोसी राज्यों पर हमला करने वाले व्यक्तियों को दण्डित करना अन्यायपूर्ण है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में आज्ञान्ता को इन ज्ञान का ज्ञान अवश्य होता है कि वह गलत कार्य कर रहा है। इस अवस्था में उमको दण्डित करना नहीं, किन्तु दण्डित न करना अन्यायपूर्ण है। अभिमान जर्मन सरकार में बड़े लेंचे पदों पर थे, उन्हें जर्मनी द्वारा की गई सन्धियों का ज्ञान था। उन्हें यह भी मालूम था कि जर्मनी अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के निर्णय के लिए युद्ध के उपाय का मन्तव्यन करना १९२८ में केलाग ब्रीमॉ पैंक्ट द्वारा अवैध घोषित कर चुका है। उन्हें यह ध्यान अचढ़ी तरह ज्ञान थी कि वे अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इन अवस्था में उन पर ‘नियमाभावे दण्डाभाव’ का तथा घटनोत्तर विधि (Ex post facto law) का नियम लागू नहीं होना। (घ) न्यायालय ने अभियुक्तों का यह तर्क भी स्वीकार नहीं किया कि युद्ध करना राज्य का कार्य है, अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय राज्य होने है, अतः व्यक्तियों को इन नियमों का उत्तपन करने के लिए दण्डित नहीं किया जा सकता। अभियुक्तों ने वे सब कार्य हिन्तर के आदेश में किए थे, वे आज्ञापालन के लिए बाध्य थे, अतः वे इनका पालन करने हुए किए गए अपराधों के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। इस विषय में न्यायालय का यह मन था कि “अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध अपराध करने वाले नैरंजारी होते हैं, न कि अमूर्त सत्तायें। ऐसा अपराध करने वाले व्यक्तियों को दण्ड देकर ही अन्तर्राष्ट्रीय कानून की व्यवस्थाओं को लागू किया जा सकता है।” ऐसे अपराध करने वाले अपने दबाव के लिए सरकारी पद पर होने की युक्ति नहीं दे सकते। न्यायालय के चार्टर में ‘युद्ध के नियम तोड़ने वाला इन युक्ति के आधार पर दण्ड में मुक्ति नहीं पा सकता कि उमने राज्य के आदेश का पालन करने हुए ऐसा कार्य किया है। यदि राज्य का यह कार्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून का अतिक्रमण करता है, तो इसे करने वाला व्यक्ति अवश्य दण्डित होना चाहिए।” यदि किंगी सैनिक को युद्ध के अन्तर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ने हुए किसी

की हत्या करने या यातना देने का आदेश दिया जाय तो इस पाशविक कार्य के लिये यह सफाई नहीं दी जा सकती कि यह आदेश का पालन करने के लिए किया गया है। अभि-
गुवता ने यह युक्ति दी है कि "उन्होंने गे कार्य हिटलर के आदेश से किए हैं, इसमें वे
इन कार्यों के लिए अपने उत्तरदायित्व से नहीं बच सकते, किन्तु इसके आधार पर उनके
दण्ड में न्यूनीकरण (Mitigation) हो सकता है।" किन्तु "उच्चाधिकारी का सैनिक
को दिया गया आदेश उस अवस्था में उसके दण्ड के न्यूनीकरण में भी महायक नहीं हो
सकता, जबकि अपराध जानबूझकर, निर्दयतापूर्वक बिना किसी उचित कारण के व्यापक
पैमाने पर किए गए हों तथा (मानवीयता को गहरा) आघात पहुँचाने वाले हों।"

न्यायालय की सम्मति में उसके समक्ष उपस्थित की गई साक्षी में यह सिद्ध हो
गया था कि कुछ अभिगुवता ने प्रशासनिक प्रणाली के आयोजन और संचालन में भाग
लिया है। इस विषय में यह तर्क नहीं माना जा सकता कि वे हिटलर की गधिनायकता
(Dictatorship) में थे, हिटलर इनके सहयोग के बिना प्रशासनिक प्रणाली के युद्ध नहीं
चला सकता था, उसके लिए राजनीतिज्ञों, सैनिक नेताओं, उद्योगपतियों का सहयोग
आवश्यक था। अतः हिटलर के उद्देश्य को जानते हुए भी जब इन्होंने उसको सहयोग
दिया तो वे उसके प्रशासनिक प्रणाली के युद्धों की योजना में सम्मिलित हो गये। अतएव वे
युद्धापराधों के आरोप से मुक्त नहीं हो सकते। न्यायाधिकरण ने इन्हें अपराधी मानते
हुए विभिन्न दण्ड दिए।

न्यूरेंबर्ग अभियोगों का महत्व तथा आलोचना (Importance and Criticism
of Nuremberg Trials)—न्यूरेंबर्ग के अभियोग अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास में
कई कारणों से असाधारण महत्त्व रखते हैं। पहला कारण यह है कि इससे अन्तर्राष्ट्रीय
कानून में नवीन सिद्धान्तों का समावेश हुआ है। इससे पहले परम्परागत दृष्टिकोण यह
था कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय राज्य है, व्यक्ति इसका विषय नहीं हो सकते,
अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करने के लिए उन पर कोई अभियोग नहीं चलाया जा
सकता, क्योंकि राज्य द्वारा निश्चित नीति के अनुसार उत्तराधिकारियों के आदेश से ही
वे ऐसे कार्य करते हैं। न्यूरेंबर्ग न्यायालय ने इस दृष्टिकोण को तथा इन युक्तियों को
अस्वीकार करते हुए व्यक्तियों को अन्तर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी
मानने के नये सिद्धान्त का प्रतिपादन किया तथा इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय
(Subject) माना (देखिये अध्याय १५)। दूसरा कारण यह था कि हमने राष्ट्रों के
कानून के इतिहास में पहली बार हेग अभिसमयों, नर्सिय सन्धि, १९२५ के जोहाना
पैन्ड तथा १९२८ के गेरिस पैक्ट द्वारा निश्चित किए गए अन्तर्राष्ट्रीय नियमों को लागू
करने का प्रयत्न किया। तीसरा कारण यह था कि अपने युद्ध के नियमों को अंग करने
वाले व्यक्तियों को दण्डित करके भविष्य में ऐसा कार्य करने वालों को बड़ी चेतावनी
दी। यह सम्भव है कि इन दण्डों से भयभीत होकर आगे युद्ध के नियमों का इतने बड़े
पैमाने पर उल्लंघन न किया जाय, जैसा कि दूसरे विश्वयुद्ध में जर्मनी द्वारा हुआ। हमने
प्रशासनिक प्रणाली के युद्ध छेड़ने की अपराध मानते हुए ऐसा करने वालों को दण्डित किया,
यदि भविष्य में दण्ड के भय से ऐसे युद्ध न हों तो ससार में स्थायी शांति की सभारनायें

वढ सकती है। चौथा कारण यह है कि इससे विश्व के राष्ट्रों में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास और संहिताकरण की प्रवृत्ति प्रबल हुई है। युद्धापराधों का कानून पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट और विस्तृत हुआ है। उसने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून लागू करने की सम्भावनाये बटा दी हैं। पाँचवाँ कारण यह है कि इसने विजेताओं द्वारा पराजित शत्रुओं के नेताओं को दण्डित करके ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण स्थापित किया है कि भविष्य में विजेता राष्ट्र इस प्रकार ज़बुदशो के नेताओं का उन्मूलन किया करेंगे।

न्यूरेंबर्ग अभियोगों की कई दृष्टियों में बड़ी बड़ी ध्यालोचना की गई है। (१) ये अभियोग एकपक्षीय थे, केवल मित्रराष्ट्रों द्वारा घुरी राष्ट्रों के नेताओं और उच्चाधिकारियों पर चलाये गए थे। दम्तुत युद्धापराध कम या अधिक मात्रा में दोनों पक्षों द्वारा हुए थे। फ्रच प्रतिरोध आन्दोलन के नेता मिन्थोम (M de Menthom) जे वना था—“कोई भी देश अपने प्रदेश में निर्दोष नहीं था, प्रत्येक युद्ध स्वयमेव ऐसी बुराईयाँ उत्पन्न करता है कि इसमें वैयक्तिक और सामूहिक अपराध होने हैं क्याकि युद्ध मनुष्य में सोयी हुई दुर्भावनाओं को जागृत कर देता है।” केवल जर्मनी ने ही युद्ध का परिणाम करने वाले १९२० के पेरिस पैक्ट का उल्लंघन किया हो, सो बात नहीं है। तस ने भी पितलैंड पर १९३९ में हमला करके इनका पतितकरण किया था। किन्तु रुनी अधिकारियों पर इसके लिए कोई अभियोग नहीं चलाया गया क्योंकि ‘नमरण को नहीं दोष गुनाई’। (२) प्राय्यापक स्मिथ का कतना है कि इनमें न्याय के मौलिक सिद्धान्त—निष्पक्षता का पालन नहीं किया गया। (३) कई सुप्रसिद्ध विधिशास्त्रियों का मत है कि इस न्यायालय द्वारा लागू की जाने वाली घटनांतर विधि (Ex post facto law) और इसके अनुसार दिए जाने वाले दण्ड राष्ट्रीय कानून के प्रतिद्वन्द्व थे। स्मिथ ने बताया है कि १९४० तक मैसिक कानून की ब्रिटिश नियमावली (British Manual) में युद्धापराध के आरोप से मुक्ति पाने के लिए उच्चाधिकारियों के आदेश का होना उत्तम वचन (Defence) समझा जाता था। किन्तु अप्रैल १९४० में इस व्यवस्था को नियमावली में निकाल दिया गया। (४) न्यूरेंबर्ग के अभियोगों में पेरिस के पैक्ट को बल महत्त्व दिया गया था, इसका उल्लंघन करने के कारण जर्मन नेताओं को दण्डित किया गया। किन्तु ‘पैक्ट के शब्द दण्ड व्यवस्था का विधान करने वाले नहीं थे, व कानून की नहीं किन्तु धर्मशास्त्र की भाषा में थे। उनके आधार पर क्रिया व्यक्ति को दण्डित नहीं किया जा सकता था।’ जब जापान में मचूरिया में चीन पर हमला करने तथा इटली ने एबीसीनिया पर आक्रमण करके पेरिस के पैक्ट का उल्लंघन किया, तो उन पर आज्ञान्ता होने का कोई अभियोग नहीं चलाया गया। फिर जर्मनी पर आन्ट्रिजा चैकोस्लावाकिया पर आक्रमण करने के लिए क्यों मामला चलाया जाय ? (५) यह कहना मय नहीं है कि इस अन्तर्राष्ट्रीय मैसिक न्यायाधिकरण की स्थापना का आधार—ऐतिहासिक तथा कानूनी पूर्वोदाहरण (Legal Precedents) के रूप में अग्रिम न्यायालय (Prize Courts) थे। शिक (Schick) ने इसका प्रतिपादन करते हुए कहा है कि यह मय है कि अधिकरण न्यायालय पहले किसी राष्ट्रों द्वारा बनाए गए थे, किन्तु उनका मैसिक

न्यायालय से एक महत्वपूर्ण मौलिक भेद यह है कि फौजदारी मामलों में इनका क्षेत्राधिकार नहीं होता था। न्यूरेंबर्ग के न्यायालय का एक बड़ा दोष यह भी था कि इसके सभी न्यायाधीश विजेता राष्ट्रों के थे। इनमें यदि तटस्थ देशों के तथा जर्मनी के भी कुछ विधिशास्त्री न्यायाधीश रखे जाते तो यह न्यायाधिकरण अधिक निष्पक्ष होता।

टोकियो अभियोग (Tokyo Trials)—न्यूरेंबर्ग के न्यायालय ने जर्मन युद्ध-पराधियों के मामलों पर विचार किया था, जापानी नेताओं तथा सैन्याधिकारियों के युद्धपराधों की जांच टोकियो में की गई। २० जुलाई १९४५ की मित्रराष्ट्रों की पोटमडम घोषणा में तथा २ सितम्बर १९४५ के जापान के समर्पणपत्र में ऐसी जांच करने का उल्लेख था। तदनुसार ऐसी जांच के लिए स्थापित किए जाने वाले "सुदूर पूर्व के अन्तर्राष्ट्रीय नैतिक न्यायाधिकरण" (International Military Tribunal for the Far East) के सचिवालय का चार्टर सर्वोच्च सेनानायक जनरल मैकार्थर ने १९ जनवरी १९४६ को स्वीकार किया। यह न्यूरेंबर्ग न्यायालय के चार्टर जैसा था। इसके अनुसार जापान से लड़ने वाले ग्यारह देशों—सं० रा० अमरीका, चीन, ग्रेट ब्रिटेन, रूस, आस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, भारत आदि का एक-एक प्रतिनिधि इसमें न्यायाधीश बना। भारत के प्रतिनिधि कलकत्ता के सुप्रसिद्ध विधिशास्त्री श्री राधा-बिनोदपाल थे। इस न्यायालय के सभापति आस्ट्रेलिया के सर विलियम पैब थे। इसमें ग्यारह देशों ने २५ अभियुक्तों पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए। यह जांच ४ जून १९४६ से १४ नवम्बर १९४८ तक चलती रही।

इसमें अभियुक्तों पर तीन प्रकार के पंचपत्र आरोप थे। (क) ३६ आरोप शान्ति के विरुद्ध किये गये अपराधों के सम्बन्ध में थे। इनमें उल्लेखनीय अपराध ये थे—पूर्वी एशिया, प्रशांत महासागर तथा हिन्द महासागर पर प्रभुता पाने के लिए पड़्यन्त्र करना, मचूरिया और चीन पर प्रभुत्व स्थापित करना, १६ देशों के विरुद्ध अवैध युद्ध छेड़ना और उसका संचालन करना, जर्मनी और इटली के नाय मिलकर विश्व पर प्रभुता पाने की दृष्टि से पड़्यन्त्र करना तथा अपने विरोधियों के साथ अवैध युद्धों का संचालन करना। (ख) १६ आरोप हत्याविषयक थे। इनमें निम्न अपराधों का समावेश था—शान्ति काल में हेग के तीसरे अभिसमय का तथा अन्य सन्धियों का उल्लंघन करते हुए जापानी सशस्त्र सेनाओं द्वारा सं० रा० अमरीका, फिलिप्पाइन द्वीप समूह, ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल, हॉलैण्ड और स्याम की जनता पर आक्रमण करना तथा इनका बंध कराना, ७ तथा ८ दिसम्बर १९४१ को पर्सिंहार्बर में तथा हागवाग और शंघाई पर जापान की सशस्त्र सेनाओं का आक्रमण। (ग) तीन आरोप अन्य युद्ध-पराधों तथा मानवीयता के विरुद्ध अपराधों के सम्बन्ध में थे। ये निम्नलिखित थे—सयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल, फ्रांस, हॉलैण्ड, चीन और रूस के हजारों युद्धबन्धियों तथा असैनिक व्यक्तियों के साथ जूरता के कार्य करते हुए युद्ध के नियमों तथा सन्धियों का भंग करने के लिए जापानी सेनापतियों को तथा युद्ध मन्त्रालय के अति-पारियों को आदेश देना।

अभियुक्तों ने जांच के आरम्भ में ही यह आपत्ति उठायी कि उन्हें इस न्यायालय

से न्याय की आशा नहीं है क्योंकि इसके सभी न्यायाधीश विजेता राज्यों के प्रतिनिधि हैं। किन्तु जजो ने उनकी इस आपत्ति को इस आधार पर रद्द कर दिया कि विजेता राज्यों के प्रतिनिधि होते हुए भी वे यहाँ न्यायामन पर अपने वैयक्तिक रूप में बैठे हुए हैं। न्यायालय ने अपना विचार करने के बाद केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्राणदण्ड दिया, जिन पर अन्य अपराधों के अतिरिक्त ये आरोप भी थे कि उन्होंने युद्धनन्दियों के तथा असैनिक जनता के सम्बन्ध में युद्ध के नियमों और समझौतों का उल्लंघन किया तथा युद्धापराय करने की आज्ञा या अनुमति दी, केवल शान्ति के विरुद्ध अपराध करने वालों को विभिन्न अदधि के कारावास के दण्ड दिए गए।

भारत के प्रतिनिधि डा० राधाबिनोदपात ने न्यायालय के बहुमत के निर्णय से असहमति प्रकट करते हुए अपना पृथक् निर्णय दिया। इसमें अग्रार्थमण्डलक युद्ध के स्वरूप तथा युद्धापरायों के जटिल प्रश्न पर बड़ा सुन्दर प्रवाण डाला गया है। उनके मतानुसार अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में युद्ध अभी तक कानून के क्षेत्र में नहीं आया। पेरिस का पैक्ट सध देसो के लिए अनिवार्य रूप से पालन की जाने वाली व्यवस्था नहीं है, अभी तक कोई ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय कानून या रिवाज नहीं है, जो युद्ध को अपराध बनाता हो। जापानी प्रधानमन्त्री तोजो तथा उसके साथियों ने अपने सब कार्य देशभक्ति के उद्देश्यों में पेरित होकर किए हैं। उनकी नुगना नाज़ी पार्टी के कार्यों में नहीं हो सकती। जापान की जनता नाज़ी जर्मनों की भाँति दास नहीं बनाई गई थी, उसे अपने धर्म, विश्वास और आचरण के विषय में पूरी स्वतन्त्रता थी। १ जनवरी १९२८ में २ मितम्बर १९४५ तक जापानी नेताओं द्वारा पूर्वी एशिया की जनता के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के पद्यन्त्र करने की बात सिद्ध नहीं की जा सकी। यदि उन्होंने ऐसा पद्यन्त्र किया हो तो भी वे अपराधी नहीं हैं, क्योंकि अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से ऐसा पद्यन्त्र करना अपराध नहीं है। अतः माननीय न्यायाधीशों की सम्मति में सभी अभियुक्तों पर जो आरोप लगाए गए हैं, वे उनके दोषी नहीं हैं और इन्हें मुक्त कर दिया जाना चाहिए। अपने निर्णय के अन्त में डा० राधाबिनोदपात ने लिखा था—“न्याय करने वाले अधिवरण के रूप में हम किसी भी रूप में ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, जिसके आधार पर लोग अपनी इस भावना को न्यायोचित सिद्ध करने का प्रयत्न करे कि इसकी स्थापना का उद्देश्य वस्तुतः राजनीतिक था, किन्तु इसे न्यायिक आवरण से टॉप दिया गया है। प्रतिशोधपूर्ण प्रतिकार को दीर्घ बनाने के उद्देश्य में न्याय के नाम का अबलम्ब नहीं लेना चाहिए। विरह को इस समय वस्तुतः उदार विनाशचिन्ता तथा एक दूसरे को समझने वाले प्रेमभाव (Generous magnanimity and understanding charity) की आवश्यकता है। जब समय बीतने पर उत्तेजित भावनाएँ और पक्षपात शान्त हो जायेंगे, बुद्धि भ्रान्ति के आवरण को विच्छिन्न कर देगी, उस समय न्याय की देनी अपने दोनों पलकों को सन्तुलित रूप में सामेगी और भूतकाल की बहूत-ती निन्दा और स्तुति अपना स्थान परिवर्तन कर लेगी।” यह निर्णय वस्तुतः दाम्भी कि रामायण में रावण के बध के बाद श्री रामचन्द्र जी द्वारा स्थापित ‘मरणांतानि वेगारि निर्मुक्त नः प्रयोजनम्’ की औरवपूर्ण परम्परा का अनुसरण करता है।

इसकी प्रथा अद्य लुप्त हो रही है। इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें यद्यपि लड़ाई बन्द हो जाती है, किन्तु युद्धावस्था (State of war) का विधिपूर्वक अन्तर्धान नहीं किया जाता, इससे अनेक कानूनी पेचीदगियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, युद्धावस्था के लिये बनाये गए कानून लड़ाई बन्द होने पर भी चलते रहते हैं और इनमें व्यक्तियों का न्याय प्राप्त करने में बड़ी असुविधा होती है। उदाहरणार्थ, द्वितीय विश्वयुद्ध बन्द होने के तीन वर्ष बाद १९४८ में स० रा० अमरीका ने एक 'जर्मन नागरिक' ने 'शत्रु विदेशी कानून' (Enemy Alien Act) के अनुसार उसे देश से निकालने के आदेश को रद्द करने के लिये न्यायालय को हबेस कोर्पस (Habeus Corpus) की याचिका दी, उसका यह कहना था कि लड़ाई १९४५ में जर्मनी द्वारा आत्मसमर्पण करने पर बन्द हो चुकी है, किन्तु न्यायाधीशों का यह निर्णय था कि जर्मनी और अमरीका में कोई शान्ति सन्धि न होने के कारण युद्धावस्था और उसके सब कानून यथापूर्व बने हुए हैं इसलिये उसके देशनिर्वासन की आज्ञा ठीक है। २ मिनम्बर १९४५ को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, किन्तु स० रा० अमरीका के न्यायालयों ने अनेक मामलों में यह धोषणा की कि जब तक जापान से सन्धि नहीं होती तब तक दोनों देशों में युद्धावस्था है। केवल लड़ाई के कार्य बन्द कर देने से युद्ध का अन्तर्धान करने का बड़ा दुष्परिणाम यह है कि उसमें कानूनी दृष्टि से युद्धावस्था बनी रहती है। इस समय बड़ी अनिश्चिन्तना का वातावरण होता है। अतः युद्ध की समाप्ति के लिए शान्ति-सन्धि की अथवा इनकी समाप्ति की घोषणा करना आवश्यक समझा जाता है।

सादी रणनिवृत्ति (Simple Cessation of Hostilities) में दोनों पक्षों के सम्बन्धों का व्यवस्थित करने वाली शान्ति-सन्धि न होने के कारण यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि दोनों पक्षों की स्थिति युद्ध से पहले की यथापूर्व स्थिति (Status quo ante bellum) मानी जाय या लड़ाई बन्द होने के बाद की स्थिति (Status quo post bellum) मानी जाय। पिछली स्थिति को जित्तोभाधिकार या जित्तस्वत्व (Uti possidetis) की स्थिति कहते हैं। प्रायः (पृ० ५१०) इसका बखाना होगा। अधिकांश विधिशास्त्रियों का यह मत है कि दूसरी स्थिति ठीक है, सादी रणनिवृत्ति के बाद जिस पक्ष के पास जितना जीता हुआ प्रदेश, सम्पत्ति या अन्य सम्पत्तियाँ हानी हैं, उन पर उसका स्वत्व मूक भाव में मान लिया जाता है। इसका यह कारण है कि यदि सब द्वारा भैतिक दृष्टि से अधिभूत प्रदेश को बिना निरा ही दूसरा पक्ष लड़ाई बन्द कर देना है तो यह मानना सर्वथा स्वाभाविक है कि उसने अपने प्रदेश पर अपना अधिकार स्वयमेव छोड़ दिया है।

(ख) वशीकरण (Subjugation)—पहले (पृ० ४६) यह बताया जा चुका है कि वशीकरण और विजय (Conquest) में सूक्ष्म अन्तर है। निज भैतिक शक्ति द्वारा शत्रु के प्रदेश को जीतना तथा उस पर अधिकार करना है। उदा० श्री बार्ट शान्ति अपनी मेला द्वारा शत्रु के प्रदेश पर प्रभावशाली नियन्त्रण स्थापित करती है तो उस प्रदेश की विजय हो जाती है। किन्तु यह शत्रु के प्रबल होने पर पराजय में भी परिणत हो सकती है, यहाँ वह अपना स्वत्व पुनः स्थापित कर सकता है। विजित शत्रु

के साथ विजेता उदार व्यवहार करते हुए उसे अपना प्रदेश वापिस लौटा सकता है, उसके साथ शान्ति संधि कर सकता है। वशीकरण विजय के बाद की अग्रणी स्थिति है। जब किसी प्रदेश को सेनाओं द्वारा पूरी तरह जीतने के बाद विजेता शत्रुराज्य का समूहोन्मूलन करके उसे अपने राज्य का अंग बना लेता है तो यह वशीकरण है। इसमें शत्रु की सेनाओं के विध्वंस और प्रदेश की विजय के बाद, अंगीकरण (Annexation) द्वारा शत्रु की सत्ता बिल्कुल समाप्त कर दी जाती है।

इतिहास में वशीकरण के अनेक उदाहरण हैं। अंग्रेजों ने तृतीय बर्मा युद्ध (१८८६) के बाद वहाँ के राजा को हराकर उसे भारत के ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। आधुनिक इटली का निर्माण सार्डीनिया के राज्य द्वारा १८५६ में दो सिमलियो के राज्य के तथा टस्कनी, पार्मा, मोडेना की डचियों के तथा १८७० में पोप के राज्यों के वशीकरण द्वारा हुआ। १८६६ में प्रशिया ने हनोवर के राज्य, नासौ (Nassau) की डची तथा हसो कैसल के एलेक्टोरेट तथा माइन नदी के फ्रैंकफोर्ट का वशीकरण किया। १६०० में ग्रेट ब्रिटेन ने ग्रांजें फ्री स्टेट तथा दक्षिण अफ्रीका के गणराज्य को प्रौर १६३६ में इटली में एवीओनिया को अपने साम्राज्य का अंग बना लिया।

(ग) शान्ति-संधि (Peace Treaty) — युद्धव्यमान की सर्वाधिक लोकप्रिय रीति शान्ति-संधि है, इसे ऐसा नाम देने का यह कारण है कि इससे युद्ध की समाप्ति होकर शान्ति की स्थापना होती है। इससे युद्धकारी देशों में पुनः शान्तिपूर्ण मंत्री सम्बन्धों का आरम्भ होता है। शान्ति संधि से पहले प्रायः संधिवात्ता चलाने के लिए एक अवहार या सामान्य रणविराम (General Armistice) होता है।^१ इसका अर्थ प्रायः अनुनापूर्ण लड़ाई के कार्यों को कुछ समय के लिए स्थगित कर देना है, दोनों पक्षों की ओर से शोलावारी और आक्रमण प्रत्याखण की सैनिक कार्यवाहियाँ बन्द कर दी जाती हैं। यह यदि किसी विशेष क्षेत्र में किया जाय तो इसे स्थानीय रणविराम (Local Armistice) कहा जाता है, यदि यह समूचे रणक्षेत्र के लिए किया जाय तो इसे सामान्य (General) रणविराम कहा जाता है। इनके करने का अधिकार प्रधान सेनापतियों या कूटनीतिक प्रतिनिधियों को होता है तथा इसकी गुप्ति राज्य की उच्च

१. पवित्र रोमन एमपरे (Holy Roman Emperor) को सम्बन्ध में जर्मनी में कुछ राजा चुना करते थे, इन्हें इसका निवाचक होने के कारण इलेक्टर (Elector) कहा जाता था और इनका प्रदेश (Electorate) कहलाता था।

२. अंग्रेजों में इसके लिए Armistice और Truce का प्रयोग होता है। इन दोनों को यद्यपि पर्यायवाची समझा जाता है, फिर भी Armistice अल्पकाल के लिए अनुनापूर्ण सैनिक कार्य स्थगित करना है और Truce काफी लम्बे समय के लिए ऐसा करना है। इन शब्दों से इन्हें अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणविराम कह सकते हैं। इनके लिए प्राचीन भारतीय शब्द अवहार है—महाभारत में इसका कई बार प्रयोग हुआ है—जैसे द्रौपदी के स्वयंवर के बाद राजाओं में हुई लड़ाई बन्द करने के लिए—त्रिभुवनवदारीऽरमासुदाद्व्याहाणमृत्युम् (१।३।०।५) तथा पथ राजश्रवदारी बभ्रुव (५।१८।२०)। अवहार तथा Armistice दोनों का मूल शब्दार्थ लड़ाई के लिए निकले गए हथियारों का हथैला और शान्ति की स्थिति में ले आना है।

सत्ता द्वारा होती है। उदाहरणार्थ, प्रथम विश्वयुद्ध में ११ नवम्बर १९१८ को रणविराम हुआ था तथा इस दिन ११ बजे दोनों पक्षों की ओर में तडाई के सब सैनिक कार्य बन्द कर दिये गये थे। रणविराम से हथियारों की लडाई बन्द होती है, युद्धावस्था का अवसान नहीं होता। रणविराम की वार्ता युद्धकारी देशों में पत्रों द्वारा अथवा विशेष वार्तावह (Negotiator) दूतों द्वारा की जाती है। सन्धु के वार्तावह और रणविराम का सफेद झण्डा लाने वाले व्यक्ति अवध्य समझे जाते हैं।

शान्ति-संधि की सभी शर्तें रणविराम के समय तय नहीं हो सकती। अतः इस समय शान्ति-संधि की आरम्भिक बातें तय की जाती हैं, इसे आरम्भिक या उप-संधि (Preliminary Treaty) कहते हैं, इसके आधार पर बाद में अन्तिम और निश्चित संधि की जाती है, इसे पूर्ण संधि (Definite Treaty) कहते हैं। आजकल पूर्ण संधि प्रायः अवहार या रणविराम के काफी समय के बाद होती है। योरोप में आस्ट्रिया, फ्रान्स और साईोनिया का युद्ध ११ जुलाई १८५६ को विल्लाफ्रान्का (Villafranca) की आरम्भिक वार्ता से बन्द हो गया, किन्तु पूर्ण संधि १० नवम्बर १८५६ को ज्यूरिख में हुई। फ्रैंको जर्मन युद्ध में लडाई की समाप्ति २६ फरवरी १८७१ की बर्साय की आरम्भिक वार्ता (Preliminaries) से हुई, किन्तु पूर्ण संधि १० मई १८७१ को फ्रैंकफोर्ट में हुई। प्रथम विश्वयुद्ध में रणविराम या अवहार ११ नवम्बर १९१८ को हुआ, किन्तु मिनराष्ट्रों की शान्ति-संधि जर्मनी के साथ २८ जून १९१९ को, हंगरी के साथ ४ जून १९२० को तथा तुर्की के साथ १० अगस्त १९२० को हुई।

द्वितीय विश्वयुद्ध का अवहार (Armistice) जर्मनी के बिना सर्व आत्मसमर्पण के साथ ८ मई १९४५ को हुआ, किन्तु उसके साथ संधि के विषय में मित्रराष्ट्रों में उग्र मतभेद होने के कारण पूर्ण संधि अद्य तक नहीं हो सकी। १९५१ में स० रा० अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रान्स ने तथा २५ जनवरी १९५५ को मांविगत रूस ने इसके साथ युद्धावस्था का अन्त किया। जापान ने १४ अगस्त १९४५ को आत्मसमर्पण करते हुए युद्ध बन्द कर दिया, किन्तु स० रा० अमरीका तथा अन्य देशों के साथ इसकी शान्ति-संधि छह वर्ष बाद १९५१ में ही सम्पन्न हो सकी।

शान्ति संधि करने का अधिकार राज्यों के अध्यक्ष राजाओं तथा राष्ट्रपतियों को होता है। वैंटल ने कहा है कि राजा के वन्दी हो जाने पर यद्यपि वह राजपद के अधिकार से वञ्चित नहीं होता, किन्तु अनु के साथ संधि करने के अधिकार से वञ्चित हो जाता है। ग्रेट ब्रिटेन में राजा को युद्ध छेड़ने और संधि करने के असीम अधिकार हैं। कई देशों में मन्त्रिधान द्वारा शान्ताध्यक्ष के संधि करने के अधिकार पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं। उदाहरणार्थ, स० रा० अमरीका में संधि का सीनेट द्वारा पास किया जाना आवश्यक है। १९१९ की पेरिस की शान्ति परिषद् में यद्यपि स० रा० अमरीका की ओर से उसके राष्ट्रपति विल्सन द्वारा सम्मिलित हुए थे, वर्साय की संधि उनकी सहमति से तय हुई थी, किन्तु सीनेट ने १६ मार्च १९२० को इन संधि को अस्वीकार कर दिया।

शान्ति संधियों में यदि इन्हे लागू करने की निधि का स्पष्ट उल्लेख न हो तो

इन्हे हस्ताक्षर किये जाने की तिथि से लागू हुआ समझा जाता है। शीत्रगामी सत्कार-प्रेषण के आधुनिक साधनों के अभाव में पहले कई बार युद्ध के भूमण्डल के अनेक भागों में विन्तीपूर्ण होने पर, दोनों पक्षों को युद्ध बन्द होने की सूचना देने के लिये कुछ समय आवश्यक होता था, अतः शान्ति गांध करते समय तड़ाई बन्द करने की कोई भावी तिथि या अवधि निश्चित की जाती थी। नैपोलियन के साथ ग्रेट ब्रिटेन की १८०१ की आम्सियेज (Amiens) की सन्धि में हिन्द महासागर में तड़ाई बन्द करने के लिये पाँच मास की अवधि तय की गई थी, क्योंकि उस समय महाद्वीप के माधन वर्तमान युग की भाँति उन्नत नहीं थे और दूरवर्ती समुद्रों में विद्यमान अपने जलपोतों की समाचार या आज्ञाप पहुँचाने में बहुत समय लगता था। जब शान्ति-सन्धिगाँ का अनुसमर्थन (Ratification) आवश्यक होता है तो ये इसके बाद ही लागू की जाती हैं, यदि यह अनुसमर्थन न हो तो तड़ाई पुनः आरम्भ की जा सकती है। कई बार शान्ति-सन्धि हो जाने के बाद भी तड़ाई चलती रहती है। रूस जापान युद्ध में यद्यपि अमरीकन राष्ट्रपति के प्रयत्नों से शान्ति-सन्धि ५ मितम्बर १९०५ को हो गयी, किन्तु तड़ाई बन्द करने के समझौते पर १४ मितम्बर तक हस्ताक्षर नहीं हो सके और १६ मितम्बर तक अनुता-पूर्ण युद्ध कार्य चले रहे।

शान्ति-सन्धि के प्रभाव और परिणाम (Effects and Results of Peace Treaty)—इसका पहला सामान्य प्रभाव यह है कि युद्धमान देशों के मध्य पुनः शान्तिपूर्ण भँची सम्बन्ध स्थापित हो जाते हैं। शान्ति-सन्धि लागू होते ही दोनों पक्ष राष्ट्रपरिवार (Family of Nations) के सदस्यों द्वारा शान्तिकाल में पालन किये जाने वाले कर्तव्यों तथा अधिकारों का उपभोग करने लगते हैं। युद्धकाल में नैष समझे जाने वाले सभी कार्यों की वैधता समाप्त हो जाती है अब शत्रुसेनाप्रा पर तथा उसके दुर्गों पर आक्रमण, उसके प्रदेश पर बलपूर्वक अधिकार, उसके जहाजों का पकड़ना निषिद्ध एव अवैध कार्य समझे जाते हैं। यदि शान्ति सन्धि की सूचना प्राप्त न होने के कारण किन्हीं क्षेत्रों में सेनाप्री द्वारा ऐसे अनुतापूर्ण कार्य किए जाते हैं तो इसका हर्जाना दिया जाता है और शान्ति सन्धि के समय की स्थिति बनाये रखने का प्रयत्न होता है। शान्ति-सन्धि के बाद युद्धबन्धियों को मुक्त कर देना चाहिए, पकड़े हुए जहाजों को छोड़ना तथा अधिकृत प्रदेश को खाली करना आवश्यक है। दोनों युद्धमान देशों में तथा इनके नागरिकों में युद्ध से पहले की तरह का शान्तिपूर्ण सम्पर्क स्थापित हो जाता है। युद्ध-रम्भ के समय भग हुए दौल सम्बन्ध पुनः शुरू होते हैं, दोनों पक्ष राजदूतों का आदान-प्रदान करते हैं और वाणिज्यदूत (Consuls) अपना कार्य करने लगते हैं।

युद्ध प्रभाव विन्यासकार (Usages of War) का नियम है, इसके अनुसार शान्ति-सन्धि के समय दोनों पक्षों द्वारा जीते गए प्रदेश और सम्पत्ति के उपभोग का अधिकार उन्हें दिया जाता है, बशर्ते कि शान्ति-सन्धि में इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था न की जाय। भापेनहाइम के शब्दों में इस प्रकार आक्रमण करने वाले युद्धमान पक्ष द्वारा खीनी हुई शत्रुराज्य की मारी चल सम्पत्ति जैसे गोलाबारूद, खाद्य पदार्थ, हथियार, पनरक्षा, भौते, यातायात के साधन विजेता के समझे जाते

हैं।^१ शत्रु का जीता गया प्रदेश भी विजेता का माना जाता है। किन्तु आजकल शांति-सन्धि द्वारा विधिपूर्वक इसे प्राप्त करना अधिक अच्छा समझा जाता है। शांति-सन्धि न होने पर भी विजेता राज्य इसे अंगीकरण (Annexation) द्वारा अपने राज्य में मिला सकता है। इसका एक मनोरञ्जक उदाहरण १९१२ का तुर्की-इटली युद्ध है, इसमें इटली ने तुर्की से ट्रिपोली और साइरेनायिका (Cyrenaica) के प्रदेश छीनने के उद्देश्य से उसे परास्त किया था। तुर्की शांति-सन्धि में इन प्रदेशों को स्पष्ट रूप से देने के लिए तैयार नहीं था, इटली इन्हें लेने के लिए कटिबद्ध था। अतः दोनों पक्षों ने लीजान में १८ अक्टूबर १९१२ को शांति सन्धि करने में पहले १५ अक्टूबर को एक प्रीमिनोकोल समझौता किया, इसके अनुसार तुर्की ने तीन दिन के भीतर उभर्युक्त दोनों प्रदेशों को पूर्ण स्वायत्त शासन देकर अपनी प्रभुसत्ता का परित्याग करना स्वीकार किया। इसके स्वतन्त्र होने पर दोनों देशों में सन्धि हो गई और इटली ने ट्रिपोली तथा साइरेनायिका को अपने राज्य का अंग बनाने की घोषणा की और सम्बद्ध राज्यों को इसकी सूचना दी।^१

शान्ति-सन्धि का तीसरा प्रभाव सामान्य क्षमादान (General Amnesty) होता है। इसका यह अर्थ है कि युद्ध के समय युद्धकारी देशों की सेनाओं तथा उनके प्रजागणों द्वारा शत्रुजनों के विरुद्ध किए गए अपकारपूर्ण (Wrongful) और दण्डनीय कार्यों के लिए दिए जाने वाले दण्डों से उन्हें छूट या उन्मुक्ति मिल जाती है। कई बार सन्धियों में क्षमादान की धारा का विशेष रूप से उल्लेख होता है। यह क्षमादान सामान्य रूप में शत्रु के विरुद्ध किए गए अपकारपूर्ण कार्यों के लिए होता है, अपनी सरकार के विरुद्ध किये गए दण्डनीय कार्य इसमें नहीं आते, वरतों कि सन्धि में इसके लिए स्पष्ट व्यवस्था न की गई हो। उसने १८७८ में तुर्की के साथ सैन स्टीफानो की सन्धि करते हुए उसकी धारा १७ में यह शर्त रखी थी कि तुर्की इस युद्ध में उसका साथ छोड़ने वालों को भी माफ कर देगा। सामान्य रूप से ऐसे व्यक्तियों पर राजद्रोह आदि के अभियोग चलाये जाते हैं। उभय क्षमादान का सामान्य अपराधों में साथ कोई सबंध नहीं है। यदि कोई युद्धबन्दी अपनी बन्दी दशा में कोई हत्या करता है तो शांति-सन्धि के बाद इसके लिए उस पर मनुष्य-हत्या का अभियोग चलाया जाता है।

चौथा प्रभाव युद्धबन्धियों को शान्ति सन्धि होते ही एकदम मुक्त कर देना है। इस विषय में पुरानी व्यवस्था १९२९ के जेनेवा अभियमय ने अनुच्छेद ७५ में भी गई थी, इसमें कहा गया था कि शांति सन्धि सम्पन्न होने पर यथासम्भव शीघ्र ही युद्ध-बन्धियों को स्वदेश भेज दिया जायगा। किन्तु हमारे विश्वयुद्ध के अनुभव से इसमें समोधन की आवश्यकता अनुभव हुई। इटली, जर्मनी और जापान द्वारा बिना शर्त आत्मसमर्पण कर देने के बाद मुन्त्र युद्धकारी देशों में कई वर्षों तक कोई शान्ति-सन्धि

४. आपेनहाइम—इंग्लिश लॉ, पृ० २, पृ० ६११

५. बर्डी—आपेनहाइम ने इसे प्रच्छन्न इत्थान्तर (Concealed cession) कहा है।

किन्तु डीना (Dina) का यह विचार है कि यह प्रच्छन्न इत्थान्तर नहीं किन्तु तुर्की द्वारा इन प्रदेशों में अपनी सत्ता का त्याग (Dereliction) था, इतनी ने इन प्रदेशों के स्वामीहीन होने की दशा में इनका आधिपत्य (Occupation) करके इन पर अपना अधिकार स्थापित किया।

नहीं हो सकती। इस समय वास्तविक लड़ाई बन्द हो जाने पर युद्धबन्धियों का शत्रु-देशों में निरोध (Detention) बनाये रखना अनावश्यक तथा अन्यायपूर्ण समझा गया। अतः १९४६ के जेनेवा अभिसमय के अनुच्छेद ११८ में उपर्युक्त नियम का संशोधन करते हुए बड़े स्पष्ट और असंदिग्ध शब्दों में यह कहा गया—कि “क्रियाशील शत्रुतापूर्ण कार्यों के अन्वय (Cessation of active hostilities) के बाद अविलम्ब युद्धबन्धियों की मुक्ति तथा स्वदेश प्रत्यावर्तन होना चाहिए।” शत्रुतापूर्ण कार्यों के सक्रिय अन्वय का अर्थ अल्पकालिक रणधराम सन्धि या अन्वय (Armistice) नहीं है, जिसकी समाप्ति पर पुनः लड़ाई आरम्भ होने की सम्भावना हो, किन्तु शत्रु के पूर्ण आत्मसमर्पण के बाद ऐसी विरामसन्धि है, जिसके बाद पुनः युद्ध आरम्भ होने की सम्भावना न हो। इस अवस्था में युद्धबन्धियों को फौरन मुक्त कर दिया जाना चाहिए। जर्मनी के साथ मित्रराष्ट्रों का सक्रिय युद्ध १९४५ में समाप्त हो गया था, शांति-सन्धि अब तक भी न होने पर १९४६ तक मित्रराष्ट्रों ने सब जर्मन युद्धबन्दी मुक्त कर दिये थे।

पाँचवाँ प्रभाव युद्धावस्था की समाप्ति है। विरामसन्धि (Armistice) तथा शान्ति सन्धि (Peace Treaty) में एक बड़ा महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि विरामसन्धि में केवल अस्थायी रूप में द्वेषियों द्वारा लड़ाई बन्द हो जाती है, किन्तु युद्ध की स्थिति बनी रहती है। यह लड़ाई किसी भी समय विरामसन्धि की समाप्ति पर पुनः छिड़ सकती है किन्तु शान्ति सन्धि के बाद लड़ाई स्वाधीन रूप से बन्द हो जाती है और इसके पुनः छिड़ने की कोई सम्भावना नहीं होती। शांति सन्धि के कुछ अन्तःपरिणाम ये हैं—युद्ध से पहले लिये गये ऋण और सन्धिदाएँ (Contracts) पुनरुज्जीवित हो जाती हैं। शांति सन्धि पर हस्ताक्षर करने के बाद शत्रु के प्रदेश से उसकी सामग्री का बलपूर्वक उपयोग और घन की जबर्दस्ती वसूली (Requisitions and Contributions) नहीं की जा सकती। युद्धकाल में शत्रु द्वारा छीनी गई व्यक्तिगत सम्पत्ति उन्हें लौटा दी जाती है इसी प्रकार युद्धबन्धियों से ली गई बहुमूल्य वस्तुएँ भी उन्हें वापिस की जाती हैं। सन्धियों के सम्बन्ध में आपेनहाइम ने यह लिखा है कि युद्ध छिड़ने पर जिन सन्धियों का पालन स्थगित हो जाता है शांति सन्धि के बाद ये पुनरुज्जीवित हो जाती हैं। प्रायः शांति-सन्धियों में दोनों पक्ष पुनरुज्जीवित की जाने वाली सन्धियों के बारे में विशेष व्यवस्थाएँ करते हैं। १९४७ में द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद इटली की शांति सन्धि में मित्रराष्ट्रों ने इसने अनुच्छेद ४४ में यह व्यवस्था की थी कि इस सन्धि के लागू होने के छह महीने के भीतर मित्रराष्ट्र इटली को यह सूचित करेंगे कि दोनों देशों की नौग-सी सन्धियाँ वे बनाये रखना या पुनरुज्जीवित रखना चाहते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य सभी सन्धियाँ रद्द समझी जाएँगी।

अन्य सन्धियों की भाँति शांति-सन्धियों का पालन पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ किया जाना चाहिये। इनमें निर्धारित शर्तों के अनुसार अधिभूत प्रदेश को खाली

करना, युद्ध का हर्जाना देना, नई सीमान्त रेखाओं का निर्माण वड़े जटिल कार्य होते हैं, इनके लिए कई बार विशेष आयोग नियत किये जाते हैं। कई बार सन्धि की शर्तें पूरी कराने के लिए पराजित पक्ष के प्रदेश पर सैनिक अधिकार रखा जाता है। प्रथम विश्व-युद्ध के बाद वसूली की सन्धि में ऐसी व्यवस्था की गई थी और इसके अनुसार १९२२ में जर्मनी द्वारा क्षतिपूर्ति की अदायगी न होने पर फ्रांस ने जनवरी १९२३ में उसके रूप के श्रौद्योगिक प्रदेश पर सेनाओं द्वारा कुछ समय के लिए कब्जा कर लिया था।

शांति-सन्धि को पूर्णरूप से अथवा आंशिक रूप से भंग किया जा सकता है। एक पक्ष द्वारा उसकी व्यवस्थाओं के उल्लंघन से यह सन्धि स्वयमेव रद्द नहीं हो जाती। दूसरा पक्ष इसे इस आधार पर रद्द कर सकता है, किन्तु यह तभी होना चाहिए जब इसकी अत्यन्त महत्वपूर्ण और आवश्यक शर्तों का दूसरे पक्ष द्वारा भंग किया जाय।

पूर्वावस्था (Postluminium)

पूर्वावस्था का अन्विष्ट (Meaning of Postluminium) — प्राधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून ने यह परिभाषा रोमन कानून में ग्रहण की है। इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब कोई प्रदेश, व्यक्ति या सम्पत्ति युद्धकाल में शत्रु के अधिकार में चले जाने के बाद, युद्ध के समय या उसकी समाप्ति पर पुनः अपने पहले स्वामी या प्रभु के अधिकार में आ जाती है, इसे इनका पूर्वावस्था में आना कहा जाता है। पूर्वावस्था का वाचक लैटिन शब्द Post (पूर्व) तथा Limen (सीमा) के दो शब्दों में मिलकर बना है।^१ रोमन कानून में इस शब्द का व्यवहार उस समय किया जाता था, जब रोमन किसी ऐसे देश पर आक्रमण करते थे जिसके माथे उनकी मैत्री सन्धि नहीं होती थी। ऐसे राज्य पर आक्रमण करने वाले रोमन शत्रु द्वारा दास बनाये जा सकते थे और उनका सामान जप्त किया जा सकता था। पूर्वावस्था का नियम यह था कि (१) यदि इस प्रकार दास बनाया गया रोमन नागरिक रोमन साम्राज्य की सीमा में लौट आता था तो वह स्वतः (Ipso facto) रोमन नागरिक के उन सब अधिकारों को पा लेता था, जो उसे बन्दी बनाए जाने से पूर्व प्राप्त थे। (२) विदेशी राज्य में प्रवेश के बाद जप्त की हुई सम्पत्ति यदि रोमन साम्राज्य की सीमा में वापिस लाई जाती थी। तो इस पर इसके भूतपूर्व रोमन स्वामी का अधिकार हो जाता था। इस सिद्धान्त का प्रयोग वर्तमान समय में शत्रु द्वारा जीते प्रदेश के उसके मूलस्वामी के पास लौट जाने के सम्बन्ध में किया जाता है। विजित प्रदेश अपने मूलस्वामी को कई प्रकार में मिल सकता है। पहला प्रकार अधिकृत प्रदेश से शत्रु का स्वयमेव हट जाना है और मूलस्वामी द्वारा इस पर फौरन अधिकार कर लेना है। इसे शत्रु में कोई अन्य बंध राजा भी जीत सकता है और जीतने के बाद इसे मूलस्वामी को लौटा सकता है। जनता के सामूहिक विद्रोह द्वारा यह प्रदेश असली मालिक को मिल जाता है। शांति-सन्धि में भी इसे मूलस्वामी को लौटाने की व्यवस्था हो सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून में पूर्वावस्था के

निम्नलिखित तीन प्रभाव होते हैं —

(क) वस्तुओं को पूर्वावस्था प्राप्त होना (Return to Original Conditions) — युद्ध द्वारा किसी प्रदेश पर शत्रु की सेनाओं का अधिकार हो जाने पर भी, अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से इस पर शत्रु की प्रभुसत्ता (sovereignty) स्थापित नहीं होती। यदि शत्रु इस पर बसीकरण (subjugation) द्वारा अपनी प्रभुसत्ता स्थापित नहीं करता तो इस पर कानूनी स्वत्व भूतपूर्व शासक का ही माना जाता है, भले ही वह इस पर अपने स्वत्व का प्रयोग न कर सके। ज्योंही शत्रु इस प्रदेश से स्वयमेव, जनता के विद्रोह से अथवा मित्रदेशों के सैनिक दबाव के कारण हटता है, तो स्वतः इस प्रदेश में पूर्वावस्था लौट आती है। यह प्रदेश और इसके व्यक्ति भूतपूर्व वैध प्रभु की सत्ता के आधीन समझे जाते हैं। इस प्रदेश में घटित होने वाली सब महत्वपूर्ण घटनाओं के लिये अन्य राज्य उसी शासक को उत्तरदायी समझने लगते हैं।

(ख) वैध कार्यों की वैधता (Legality of Legal Acts) — किसी प्रदेश में सैनिक अधिकार रखने वाली शक्ति से वैध कार्यों पर पूर्वावस्था का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शत्रु के लौट जाने से पहले उस द्वारा किये गए वैध कार्यों को अवैध नहीं बनाया जा सकता। यदि उस समय उस शक्ति ने कुछ कर एफन किये हैं, स्वावर सम्पत्ति की पैदावार बेची है, युद्ध के नियमों का पालन करते हुए अपने अधिकार में आई चल सम्पत्ति का विनियोग किया है तो युद्ध के बाद इस प्रदेश पर पुनः अधिकार प्राप्त करने वाला वैध शासक उपर्युक्त व्यवस्थाओं को बदल नहीं सकता। इन कार्यों के किये जाने की आवश्यक शर्त यह है कि ये उसके अधिकार के समय में (During the occupation) किये गये हों।

फ्रेंको जर्मन युद्ध के एक उदाहरण में यह स्पष्ट हो जायगा। अक्टूबर १८७० में फ्रांस के दो जिलों—म्यूज़ तथा म्यूरते (Departments of de la Meuse and de la Meurthe) पर जर्मन सेनाओं का अधिकार था। इसी समय बर्लिन की एक फर्म ने जर्मन सरकार से इन जिलों में बाँक (oak) के १५००० पेड़ गिराने का ठेका लिया और इसके लिए २२५० पौंड की राशि अग्रिम रूप में प्रदान की। बर्लिन की कम्पनी ने अपने ये सार्विक अधिकार (contractual rights) एक दूसरी कम्पनी को बेच दिये। इसने मार्च १८७१ तक ६००० पेड़ काटने और बेचने के बाद शेष ६००० पेड़ काटने का ठेका तीसरी कम्पनी को दे दिया। इसने जर्मन सेनाओं के रहते हुए कुछ पेड़ काटे। किन्तु इसी बीच में दोनों पक्षों में फ्रैंकोपोर्ट की सन्धि हो गयी। जर्मन सेनायें स्वदेश लौट गयीं, फ्रेंच सरकार का इस प्रदेश पर पुनः अधिकार स्थापित हो गया, उसने ठेकेदारों को पेड़ काटने से रोक दिया और उन्हें कोई हर्जाना नहीं दिया, क्योंकि जर्मन सरकार को इस प्रकार का ठेका देने का अधिकार केवल अपने अधिकारकाल में था, उसके बाद उसका यह कार्य सर्वथा अवैध था, अतः फ्रेंच सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया।

(ग) अवैध कार्यों की अवैधता (Illegality of Illegal Acts) — यदि युद्ध के समय अधिकार करने वाली शक्ति ने कुछ ऐसे कार्य किये हैं, जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि में उभे नहीं करने चाहिए थे तो पूर्वावस्था इन्हें अवैध ही समझेगी। यदि

उसने राज्य की कुछ अचल सम्पत्ति बेची है तो युद्ध के बाद यह उसे सौंप देने वालों से बगैर मुआवजा दिये बसूल की जा सकती है। यदि उसने अधिकार न होते हुए कुछ व्यक्तियों को पद बे दिये हैं तो ये उनसे युद्ध के बाद छीने जा सकते हैं।

इस नियम की मर्यादायें (Limitations of the Doctrine)—पूर्वावस्था का नियम केवल वही लागू होता है, जहाँ जीता गया प्रदेश युद्ध में या युद्ध की समाप्ति के बाद भूतपूर्व बंध शासक के पास लौट आये। किन्तु जब कोई विजित प्रदेश कुछ समय तक शान्ति-संधि द्वारा शत्रु को दिया जाय, जीत लिया जाय, अंगीकरण (Annexation) द्वारा राज्य में मिला लिया जाय और बाद में अपने मूलस्वामी के अधिकार में आये तो पूर्वावस्था का नियम लागू नहीं होता। इसके लिए किसी मध्य-वर्ती शासन (Interregnum) का व्यवधान नहीं होना चाहिए। यह नियम केवल युद्धकालीन सैनिक अधिकार के सम्बन्ध में लागू होता है, शांतिकाल में धरकाल तक दूसरे राज्यों के अधिकार में रहने वाले प्रदेश इस नियम का लाभ नहीं उठा सकते। यह हैस कैसल (Hesse Cassel) के निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा।

हैस कैसल का मामला (Hesse Cassel's Case)—१८०६ में फ्रांस और प्रशिया में युद्ध छिड़ने पर नैपोलियन बोनापार्ट की फ्रेंच सेनाओं ने हैस कैसल के तटस्थ प्रदेश पर अधिकार कर लिया तथा इसके शासक (Elector) को इस आधार पर यहाँ से सदेव दिया कि उसकी सशस्त्र तटस्थता से फ्रेंच सेना की सुरक्षा संकटग्रस्त हो गयी है। १८०७ तक यह प्रदेश फ्रांस के सैनिक शासन में रहा। इसके बाद रूस के साथ टिनसिट की संधि करने पर नैपोलियन ने इसे वैंस्टफेलिया नामक नये राज्य का अंग बना दिया और इसकी राजगद्दी पर अपने भाई जेरोम बोनापार्ट को बिठाया। इस राज्य का कुछ भाग नैपोलियन ने अपने पास भी रखा, दोनों भाइयों ने इसके बँटवारे के विषय में २२ अप्रैल १८०८ को एक समझौता किया। हैस कैसल के इलेक्टर ने अपने प्रजाजनों से कुछ ऋण लेने थे। इसके सम्बन्ध में जेरोम का यह कहना था कि इनकी अदायगी नैपोलियन को होनी चाहिये क्योंकि इस प्रदेश का विजेता होने से वही इसका वास्तविक स्वामी है। अतः उसने इन पर अपने दावे का परित्याग किया। नैपोलियन ने यह घोषणा की कि उसने इस प्रदेश के पूर्ण स्वामित्व और उपभोग के बदले में इन ऋणों की अदायगी जेरोम को सौंप दी है। १८१३ के अग्न में नैपोलियन की शक्ति क्षीण होने पर मित्रराष्ट्रों ने एक संधि द्वारा हैस कैसल इसके मूलस्वामी को वापिस लौटा दिया।

काउण्ट वॉन हॉबन (Count Von Hahn) नामक एक बड़े जमींदार को हैस कैसल के इलेक्टर ने कुछ धनराशि उधार दी थी, उसने इसमें से कुछ भाग नैपोलियन को लौटा दिया और उसकी प्रेरणा से मॅकलेनबर्ग के इयूक ने १५ जून १८१० की याज्ञा द्वारा उसे पूरे ऋण की अदायगी में मुक्त कर दिया। हैस कैसल के इलेक्टर ने इसे अर्धप मानते हुए यह कहा कि यह लुटेरे का कार्य है, विजेता का नहीं, उसे अपनी पूरी धनराशि वापिस मिलनी चाहिए। किन्तु उस समय इस मामले की अपील सुनने वाले न्यायालय ने इस विषय में पूर्वावस्था का सिद्धान्त लागू नहीं किया, क्योंकि हैस कैसल की विजय के बाद इस पर नैपोलियन का पूरा अधिकार स्थापित हो गया था, १८१३ में इलेक्टर का

स्वदेश में वापिस आना वैस्टफेलिया के शासन के एक लम्बे व्यवधान के बाद हुआ, इसे पुराने शासन को जारी रखने वाला नहीं माना जा सकता, इस बीच में नैपोलियन द्वारा किए गए सब कार्य वैध थे, भले ही उसने ऋणों की पूरी अदायगी न की हो। अतः न्यायालय का निर्णय हैस कैसल के इलेक्टर के प्रतिकूल हुआ।

अट्टाइसवाँ अध्याय

तटस्थता

(Neutrality)

लक्षण (Definition)—युद्ध छिड़ने पर उसमें भाग न लेने वाले तथा इस सघर्ष से पृथक् रहने वाले राज्य तटस्थ और इनकी यह प्रवृत्ति तटस्थता (Neutrality) कहलाती है। लारेन्स (Lawrence) के शब्दों में तटस्थता राज्यों की वह अवस्था है, जिसमें युद्ध के गमय वे इस सघर्ष में कोई भाग नहीं लेते तथा दोनों युध्यमान पक्षों से अपना शान्तिपूर्ण सम्पर्क बनाए रखते हैं। बिनकरशोयेक (Bynkershoek) के मतानुसार वही राज्य तटस्थ कहे जा सकते हैं, जो युद्धकारी शक्तियों में से किसी पक्ष की ओर से नहीं लड़ते और जो मंत्रीसधि द्वारा किसी पक्ष के साथ नहीं बंधे होते। फेनविक के कथनानुसार “बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में स्वीकार की जाने वाली तटस्थता का लक्षण यह किया जा सकता है कि यह ऐसे राज्य की कानूनी स्थिति है, जो दो राज्यों अथवा राज्यसमूहों में युद्ध छिड़ने पर इसमें पृथक् रहता है, दोनों युध्यमान पक्षों के साथ अपने कुछ अधिकार बनाए रखता है तथा परम्परागत कानूनों से, अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों से तथा सन्धियों से निश्चित किए गए कुछ नियमों का पालन करता है।” स्टार्क ने लिखा है— “सामान्य लोकप्रिय अर्थ में तटस्थता किसी राज्य की उस प्रवृत्ति को व्यक्त करती है, जिसमें वह राज्य युध्यमान पक्षों के साथ लड़ाई नहीं करता और शान्तिपूर्ण कार्यों में कोई भाग नहीं लेता। अपने पारिभाषिक अर्थ में यह इस प्रवृत्ति से कुछ अधिक अर्थ देती है, विशेष प्रकार की ऐसी कानूनी स्थिति को सूचित करती है, जिसमें युध्यमान पक्षों तथा तटस्थ राज्यों को समान रूप में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अधिकार, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों का पालन करना पड़ता है।” ‘आपेनहाइम’ के मत में ‘तटस्थता

१. फेनविक—इटरनेशनल लॉ, १५वीं संस्करण, पृ० ६११

२. स्टार्क— दन इट्रोडक्शन टू इटरनेशनल लॉ, चतुर्थ संस्करण, पृ० ३८३

३. आपेनहाइम—इटरनेशनल लॉ, स. २, पृ० ३५३। दस प्रकरण में प्रकीर्ण अन्तर्गत की तटस्थताविषयक भाष्यनाओं का उल्लेख उपयोगी होगा। तटस्थता के लिए प्राचीन राष्ट्र आसन है। विष्णुवर्मोत्तरपुराण (२ १५०।३-५) में इसका सुस्पष्ट उल्लेख करने हुए यह कहा गया है कि दो देशों में लड़ाई छिड़ जाने पर अपने देश में ही बैठे रहना आसन है (विघ्नैऽपि स्वके देशे स्थित्वात्मनमुच्यते)। आसन भारतीय राजनीति के सुप्रसिद्ध षट्पुत्रों—संध, विग्रह, आसन, धान, राध, ईभीभाव में तीसरा स्थान रखता है। इन गुणों का वर्णन कौटिल्य (मन्म अधिकरण), मनु (७।१६० प्र०), कामन्दक (६-१६), विष्णुवर्मोत्तरपुराण (२।१४५-१५०),

का यह लक्षण किया जा सकता है कि यह दो युद्ध करने वाले पक्षों के प्रति तीसरे राज्यों द्वारा अपनायी गई निष्पक्षता की ऐसी प्रवृत्ति है, जिसे युद्ध करने वाले देश स्वीकार करते हैं और जो निष्पक्ष राज्यों और युध्यमान पक्षों के बीच में कुछ अधिकार और कर्त्तव्य उत्पन्न करती है।"

अग्निपुराण (२४० अध्याय), मानसोद्धान्त (पृ० ६४—१६६), राजनीतिप्रकार (पृ० ३२४—४१३) में है। इनके प्रसंग में आसन का अत्यन्त सखित परिचय दिया गया है। मनु (७।१६६) ने आसन दो प्रकार का बताया है—सेना, कोश आदि की रष्टि से कमजोर होने की दशा में, अथवा इनमें समृद्ध होते हुए भी अपने मित्र के अनुरोध से लड़ाई में न पड़ना आसन है। (वीर्यस्य चैव क्रमशो दीनापूर्वकृतेन वा। मित्रस्य चानुरोधेन द्विविधं स्मृतमासनम् ॥) कौटिल्य के मतानुसार लड़ाई की उपेक्षा कान्य अर्थात् उसमें भाग न लेना आसन है (७।१, उपेक्षणासनम्)। उसने यह भी कहा है कि जब कोई राजा यह समझे कि 'मुझे कोई शत्रु नहीं परास्त कर सकता' और 'मैं भी शत्रु को परास्त नहीं कर सकता' तो राजा आसन की नीति का अदलम्बन करे (७।१, न वा परो नाह परमुपहन्तु राजा इत्यासीत्)। कौटिल्य ने ७।६ में तटस्थता के लिए तीन शब्दों का प्रयोग किया है—स्थान, आसन और उपेक्षण। स्थान का आराधन है—सामान्य रूप से लक्ष्य द्विजने पर लुपवाप बैठे रहना। शत्रु की उपेक्षा शक्ति कम होने की स्थिति में 'स्थान' का अदलम्बन किया जाता है, क्योंकि इसमें शत्रु द्वारा विपक्ष अधिकार का प्रवर्धन द्वारा प्रतिकार नहीं किया जा सकता है। अपनी उन्नति और वृद्धि के लिए तटस्थता का अदलम्बन आसन है सधि आदि किसी ज्वाप का प्रयोग न करना उपेक्षण है (ग्वानामानुसुपेक्ष्यं चैन्यसैनमयोः विरोधस्तु गुणैकदेशे स्थानम्। स्वृद्धिमात्यर्थमासनम्। उपायानामप्रयोग उपेक्षणमिति कदम्बराधा काकुत्स्थवर्मा के तालगुह्यद स्तम्भ अभिलेख (एपिआफिका इटिका, खं० ७, सं० ५, पृ १३) में आसन शब्द का प्रयोग हुआ है, इनमें कहा गया है कि यद्यपि वह आसन की स्थिति में रहता था तो भी मनु, लक्षाड तथा रुद्र शक्तियां होने के कारण सामन्त तथा अन्य राजा उससे भयभीत रहने लगे। श्री रामचन्द्र दीक्षितार ने 'शर इन ऐन्नेयड इंडिया' (पृ० ३२२) में इसे सशर तटस्थता (Armed Neutrality) की स्थिति बताया है, तटस्थता के इस मैदान के लिए देखिए—दीक्षितार की उपयुक्त पुस्तक (पृ० ३२०)।

तटस्थता के लिए दूसरा प्राचीन शब्द उदासीनता है। गीण (६।६) में उदासीन की मध्यस्थ शब्दों का प्रयोग हुआ है और टीकाकारों ने इसका अर्थ अर्द्धी लड़ रहत किया है शकराचार्य के मतानुसार किसी पक्ष को न लेने वाला उदासीन तथा दो विरोध करने वाले पक्षों में दोनों का द्विग वाहने वाला मध्यस्थ होता है (उदासीनो न कयचित्पर्व मञ्जरी, मध्यस्थो नो विरुद्धयोः उभयोः द्विपौ)। नीलकण्ठ ने दोनों पक्षों में पक्षपातशून्य को उदासीन बताया और दोनों के द्विपक्षु को मध्यस्थ (उदासीन उभयत्र पक्षपातशून्य', मध्यस्थ. उभयद्विपौ)। उदासीन की इस धारणा में तटस्थता को एक मुख्य विशेषता—निष्पक्षता को अधिक महत्व दिया गया है। मधुसूदनी टीका की व्याख्या तटस्थता के आधुनिक लक्षण से अधिक मिलती है। यह इस प्रकार है—जड़ने वाले दोनों पक्षों की उपेक्षा करने वाला उदासीन और उभे दोनों पक्षों का द्विपौ मध्यस्थ है (उदासीनो विरुद्धपक्षयोः उभयोरुपेक्षकः। मध्यस्थो विरुद्धपक्षयोः उभयोरपि द्विपौ)। इस अर्थ में आप्योः कथं दीपवा वा अरि वा सह वक्ष्य उरलेखनीय है—अरिः शत्रुः रुद्रहरणो मारणोपनः।

तटस्थता की विशेषतायें (Characteristics of Neutrality)— उपर्युक्त लक्षणों से तटस्थता की अनेक विशेषताएँ स्पष्ट होती हैं। इसकी पहली विशेषता यह है कि यह केवल युद्ध के समय में होती है। लड़ाई की घोषणा या आरम्भ होने के साथ इस अवस्था का शीघ्र ही अन्त हो जाता है और युद्ध बन्द होते ही इसका अन्त हो जाता है। दूसरी विशेषता यह है कि यह एक प्रवृत्ति या मनोवृत्ति (Attitude) है अतः तटस्थ होने के लिए किसी देश को कानूनी तौर से किसी औपचारिक (Formal) घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। उसके युद्ध में सम्मिलित न होने के रूप से ही यह मान लिया जाता है कि वह तटस्थ है। **तीसरी विशेषता** निष्पक्षता की मनोवृत्ति है। निष्पक्ष रहने के कारण तटस्थ राज्य युद्ध करने वाले दोनों पक्षों में से किसी को ऐसी सहायता या मदद नहीं दे सकता, जो दूसरे पक्ष को हानि पहुँचाने वाली हो और न ही वह किसी पक्ष को ऐसी हानि पहुँचा सकता है, जो दूसरे पक्ष के लिये लाभप्रद हो। अतएव तटस्थ देशों को ऐसे उपायों तथा साधनों का अवलम्बन करना आवश्यक है, जिनके कारण दोनों युद्धकारी पक्ष युद्ध के समय सामरिक प्रयोजनों के लिए उसके प्रदेश तथा साधन-गम्यता का कोई लाभ न उठा सकें। अतः उसके प्रदेश में दोनों पक्षों में कोई युद्ध नहीं हो सकता, उसकी भूमि में भी शत्रुसेनाओं का, रणसामग्री का तथा सैनिकों की खाद्य-सामग्री का परिवहन या दुनाई नहीं हो सकती, उसके बन्दरगाहों में किसी पक्ष के रण-पोतों का निर्माण, सज्जा या मरम्मत नहीं हो सकती।

किन्तु निष्पक्षता की मनोवृत्ति का यह आशय नहीं है कि तटस्थ देश किसी युध्यमान पक्ष के साथ सहानुभूति नहीं कर सकता। सहानुभूति इतनी मात्रा तक ही होनी चाहिये कि वह निष्पक्षता का अतिक्रमण करने वाले कार्य न करे। दोनों विद्व-युद्धों के आरम्भ में कुछ समय तक तटस्थ रहने पर भी स० रा० अमरीका की सहानु-भूति ग्रेट ब्रिटेन तथा अन्य मित्रराष्ट्रों के साथ थी। तटस्थ देशों को यह अधिकार है कि वे सहानुभूति रखने वाले युध्यमान पक्ष को ही अपने मानवीय कार्यों— जैसे आहतों की सेवा शुभ्रुपा के लिए दवाइयों, हस्पतालों, डाक्टरों को भेजने आदि का लाभ पहुँचाएँ। इससे उनकी निष्पक्ष वृत्ति किसी तरह खडित नहीं होती। किसी पक्ष द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन होने पर तटस्थ देश की इसे रोकने के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही उगकी निष्पक्षता में बाधक नहीं गमभी जाती इस अवस्था में तटस्थ देशों को हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है। चौथी विशेषता निष्पक्षता की मनोवृत्ति में युद्ध छिड़ने पर तटस्थ रहने वाले देशों के कुछ विशेष अधिकार और कर्तव्य उत्पन्न हो जाता है। आगे इनका वर्णन किया जायगा।

तटस्थता के विचार का विकास (Development of the Idea of Neutra- lity)— पश्चिमी जगत् के प्राचीनकाल के इतिहास में तटस्थता का कोई विचार नहीं था। मध्ययुग में शनैः शनैः इसका आविर्भाव हुआ। प्रोशियन के समय तक यह विचार

५. आपेनहाइम— इन्टरनेशनल लॉ, ग्लोब २, पृ० ६५५

५. वही, पृ० ६२४-५

अपनी सैन्य दशा में था, उसने अपने प्रथम के एक अतिसक्षिप्त अध्याय में इस विषय में केवल दो सामान्य नियमों का वर्णन किया है। पहला नियम यह है कि तटस्थ देश ऐसा कोई कार्य न करें जिससे अधर्म्य या अन्यायपूर्ण पक्ष (Unjust cause) वाले युद्धकारी देश का पक्ष सुदृढ़ हो या न्यायपूर्ण पक्ष वाले देश को हानि पहुँचे। दूसरा नियम यह है कि जब दोनों युद्धकारी देशों के सम्बन्ध में यह स्पष्ट हो कि किसका पक्ष धर्मानुकूल है, तो तटस्थ राज्य दोनों युद्धकारियों के साथ समान व्यवहार करे, उनकी सेनाएँ अपने प्रदेश में से न गुजरने दे, सेनाओं को खाद्य सामग्री न प्रदान करे तथा धिरे हुए व्यक्तियों को सहायता न दे।

१७वीं शताब्दी के अन्त तक तटस्थता के कोई विशद नियम नहीं थे। १८वीं शताब्दी में इसके नियमों में विशदता और सुस्पष्टता आने लगी। तटस्थ देश स्विट्जरलैण्ड के विधिशास्त्री वॉटल ने १७५८ में इसका सुन्दर लक्षण करते हुए कहा — “किसी युद्ध में वे देश तटस्थ होते हैं, जो इसमें कोई भाग नहीं लेते, दोनों पक्षों के मित्र होते हैं, किसी एक पक्ष की सेनाओं को लाभ पहुँचाकर दूसरे पक्ष को हानि नहीं पहुँचाते।” इस शताब्दी के दूसरे प्रसिद्ध विधिशास्त्री बिन्करशोयेक ने तटस्थ देशों के लिये ओस्तिंस की इस शर्त को स्वीकार नहीं किया कि तटस्थ देश न्यायपूर्ण युद्धों के आघार पर लड़ाई करने वालों के साथ अपने व्यवहार में भेदभाव करे, वह तटस्थ राज्य को दोनों युध्यमान पक्षों का मित्र मानता था। इस समय तक तटस्थ देश के व्यापार करने वाले जलपोतों के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं बने थे। ग्रेट ब्रिटेन यह मानता था कि युद्ध करने वाले देश तटस्थ देशों के जलपोतों पर लदा हुआ केवल शत्रु का माल जब्त कर सकते थे, शत्रु के जलपोतों पर लदा हुआ तटस्थ देश का माल नहीं पकड़ा जा सकता था। तटस्थ राज्यों को यह अधिकार था कि युद्ध के समय वे युद्धकारी देशों के साथ उसी प्रकार का व्यापारिक सम्बन्ध रख सकें, जैसा शान्तिकाल में रखते थे। किन्तु फ्रांस और स्पेन की नीति इसमें भिन्न थी। वे शत्रु के जहाजों पर लदा तटस्थ देशों का माल तथा तटस्थ जहाजों पर लदा शत्रु का माल समान रूप से पकड़ा जाने योग्य या अभिप्रहणीय समझते थे। १७५६ में छिड़ने वाले इंग्लैंड और फ्रांस के सप्तवर्षीय युद्ध में इस विषय में एक नया नियम विकसित हुआ, इसे १७५६ का नियम भी कहते हैं। उस समय सब योरोपियन राज्यों की यह नीति थी कि वे अपने समुद्रतट की बन्दरगाहों में तथा उपनिवेशों में नेचल अपने स्वदेशी जहाजों को व्यापार करने देते थे, विदेशी जलपोत इस व्यापार में भाग नहीं ले सकते थे। सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ने पर फ्रांस ने यह अनुभव किया कि उसका नीतिगत वेडा ब्रिटेन के वेडे की अपेक्षा निर्बल है, इसीलिए वह अपने समुद्र पार के उपनिवेशों से व्यापार नहीं कर सकता, उसने इस युद्ध में तटस्थ रहने वाले हाल्लैण्ड को यह व्यापार करने की अनुमति दे दी। इस पर इंग्लैंड ने अपने समुद्री वेडे को यह आदेश दिया कि वह ऐसे व्यापार में लगे सभी डच जहाजों को उनके माल के साथ पकड़ ले, क्योंकि उपर्युक्त फ्रेंच व्यवस्था से डच वेडा फ्रेंच वेडे का भ्रम बन जाने के कारण शत्रु का वेडा बन गया है। इसी नियम को १७५६ का नियम कहा जाता है। ब्रिटिश अभिप्रहण न्यायालय इसे १७४४ में ही स्वीकार कर चुके थे।

सशस्त्र तटस्थता (Armed Neutrality)—१७८० में अमरीकन स्वतन्त्रता सद्ग्राम के समय रूस ने पहली सशस्त्र तटस्थता (Armed Neutrality) की घोषणा की, यह १७५६ के नियम का सशोधन था। इसमें उसने एक परिपत्र द्वारा फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन तथा स्पेन को इन पाँच नियमों का पालन करने को कहा—(१) तटस्थ देशों के जलपोतों को युद्ध करने वाले देशों के समुद्रतटों के बन्दरगाहों में व्यापार की अनुमति दी जाय। (२) विनिषिद्ध (Contraband) सामग्रियों के अतिरिक्त तटस्थ जलपोतों पर लदा हुआ धनुका माल युद्धकारी देशों को नहीं पकड़ना चाहिए। (३) विनिषिद्ध सामग्रियों के विषय में रूस और ग्रेट ब्रिटेन की १७७६ की सन्धि के १०, ११ अनुच्छेद लागू करने चाहिए। (४) किसी बन्दरगाह को उसी अवस्था में परिवेष्टित (Blockaded) समझना चाहिए, जबकि परिवेष्टन करने वाले युद्धकर्ता देता वहाँ अपने जहाज रखे और इनके कारण तटस्थ जलपोतों को वहाँ प्रवेश करने में खतरा हो। (५) अधिग्रहण न्यायालयों (Prize Courts) में अधिगृहीत वस्तुओं (Prize) की वैधता पर विचार करते हुए उपयुक्त सिद्धान्तों को लागू किया जाय।

जुलाई १७८० में रूसने डेन्मार्क के साथ तथा अगस्त में स्वीडन के साथ संधियाँ की, इनका उद्देश्य उपयुक्त नियमों को लागू करने के लिए कुछ रणपोतों को मुमज्जित करना था। बाद में ऐसी सन्धि १७८१ में हार्लैंड, प्रशिया और आस्ट्रिया के साथ, १७८२ में पुर्तगाल के और १७८१ में दो सिसलियों के राज्य के साथ की गयी। फ्रांस, स्पेन और स० रा० अमरीका ने इसके सिद्धान्त स्वीकार किए। इस प्रकार तटस्थता के नियमों की रक्षा के लिए सशस्त्र जलपोतों की व्यवस्था की गयी, इसीलिए इसे 'सशस्त्र तटस्थता' कहते हैं। यद्यपि इसके नियमों का बहुधा उल्लंघन होता रहा है, तथापि हमका विशेष महत्व इसलिए है कि १८५६ की पेरिस की घोषणा का आधार इसके उपयुक्त नियम थे। फ्रेंच राज्यान्तिके समय उपयुक्त नियमों की घोषणा करने वाले रूस ने स्वयंमेव १७९३ में ग्रेट ब्रिटेन के साथ मिलकर दूबका उल्लंघन करते हुए फ्रेंच बन्दरगाहों में तटस्थ जहाजों का प्रवेश निषिद्ध ठहराया, इसका उद्देश्य फ्रांस को भूखा मारकर उसे क्रांतिके पथ से च्युत करना था, इनका यह कहना था कि क्रांतिकारी फ्रांस सम्य जगत् की सुरक्षा के लिए महान् भ्रष्ट है, अतः उसके विरुद्ध किया गया यह कार्य सर्वथा न्यायोचित है। फ्रेंच सरकार ने इसका बदला लेने के लिए फ्रेंच बेड़े को तटस्थ देशों के ऐसे सभी जहाज जप्त करने का आदेश दिया, जो शत्रु के बन्दरगाहों को माल या खाद्य सामग्रियों ले जा रहे हों।

१८०० ई० में रूस ने दूसरी बार 'सशस्त्र तटस्थता' की घोषणा की, इसका कारण यह था कि उस समय ग्रेट ब्रिटेन ने रणपोतों के सरक्षण (Convoy) में जाने वाले तटस्थ देशों के व्यापारिक जहाजों का निरीक्षण और तलाशी लेना आरम्भ कर दिया था। इस विषय में हार्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन की लड़ाई के समय १६५३ में स्वीडन ने सर्वप्रथम यह माँग की कि युद्धकारी देशों को स्वीडिश रणपोतों के सरक्षण में याना करने वाले वणिक्पोतों की तलाशी लेने का कोई अधिकार, उस अवस्था में नहीं है, जब रणपोतों का कप्तान यह घोषणा करे कि वणिक्पोतों पर कोई विनिषिद्ध सामग्रियों

नहीं है। अन्य राज्यों ने भी इस अधिकार की मांग नरु की। ग्रेट ब्रिटेन इस सिद्धान्त को मानने को तैयार नहीं था। अतः जुलाई १८०० में उसने डेन्मार्क के एक रणपोत तथा उसके संरक्षण में जाने वाले वणिक्पोतो (Merchantmen) को पकड़ लिया, क्योंकि वे तलाशी देने को तैयार नहीं थे। इस पर रूस ने स्वीडन, डेन्मार्क तथा प्रशिया को दूसरी सशस्त्र तटस्थता में सम्मिलित होने का निमन्त्रण दिया, तथा उपर्युक्त पाँच नियमों में डम छठे नियम की भी वृद्धि की कि युद्धकारी देशों को उस अवस्था में तटस्थ देशों के जलपोतों के निरीक्षण और तलाशी का अधिकार नहीं है, जब इन्हें अपने संरक्षण में ले जाने वाले रणपोतों का कप्तान यह घोषणा करे कि इन जहाजों में कोई विनिषिद्ध सामग्री नहीं है। रूस के सम्राट् पाल ने दिसम्बर १८०० में इस विषय में स्वीडन, डेन्मार्क तथा प्रशिया से संधियाँ की, किन्तु यह दूसरी सशस्त्र तटस्थता केवल एक वर्ष ही चली। २३ मार्च को रूसी सम्राट् की हत्या तथा २ अप्रैल १८०१ को कोपनहेगन के युद्ध में नेल्सन द्वारा डेनिश वेड़े के पराभव से इसका अन्त हो गया।

१९वीं शताब्दी में तटस्थता के नियमों के विकास में तीन तत्वों ने महत्वपूर्ण भाग लिया। पहला तत्व स० रा० अमरीका का फ्रेंच क्रान्ति एवं नैपोलियन के युद्धों में १७९३ से १८१५ तक तटस्थ रहना था। उन दिनों १७७६ के स्वतन्त्रता संग्राम के कारण स० रा० अमरीका ग्रेट ब्रिटेन का विरोधी होने के कारण फ्रांस का मित्र था। १७९३ में जब इंग्लैण्ड फ्रांस विरोधी पहली गुटबन्दी (First Coalition) में सम्मिलित हुआ तो वाणिज्यतन्त्र में फ्रेंच राजनयिक प्रतिनिधि जेने (Genet) ने अमरीकी बन्दरगाहों में विद्यमान अमरीकी नागरिकों के वणिक्पोतों को ब्रिटिश जहाज पकड़ने के अधिकारपत्र (Letters of Marque) देने शुरू किए। इन वैयक्तिक जहाजों द्वारा पकड़े गये ब्रिटिश जहाजों के मागतों पर विचार करने के लिए फ्रेंच राजदूत ने अमरीकन बन्दरगाहों में फ्रेंच वाणिज्य दूतावासों (Consulates) की सहायता से अधिग्रहण न्यायालय (Prize Courts) स्थापित किये। ब्रिटिश सरकार द्वारा तीव्र प्रतिवाद करने पर अमरीकन सरकार ने फ्रेंच अधिग्रहण न्यायालयों को बन्द करने तथा वैयक्तिक जहाजों को निःशस्त्र करने की आज्ञा दी। गिडिन्गटन हेनफील्ड नामक व्यक्ति के अभियोग में यह शात हुआ कि उस समय तक का अमरीकन कानून अमरीकी नागरिकों के लिए विदेशी युद्धकारी राज्य की सेना में भर्ती होना अवैध नहीं समझता था। अतः कांग्रेस ने १७९४ में एक कानून पास करके अस्थायी रूप से अमरीकी नागरिकों द्वारा विदेशी युद्धकारी देश से 'अधिकारपत्र' (Letters of Marque) लेना तथा उनका विदेशी रथत भ्रमण जल सेना में भर्ती होना बर्जित ठहराया और विदेशी युद्धकारी देशों की सहायता के लिए अपनी बन्दरगाहों में वैयक्तिक जहाजों को घटना से मुसज्जित करने का नियेध किया। २० अप्रैल १८१८ को कांग्रेस ने उपर्युक्त व्यवस्थाओं को अस्थायी रूप देने के लिए 'विदेशी भर्ती कानून' (Foreign Enlistment Act) पास किया। ग्रेट ब्रिटेन ने १८१९ में इसी के आधार पर अपना 'विदेशी भर्ती कानून' बनाया, इससे तटस्थता के नियमों में बड़ी स्पष्टता और विशदता आयी। नैपोलियन के युद्धों के समय लार्ड स्टोवेल ब्रिटिश अधिग्रहण न्यायालय के न्यायाधीश थे। उनकी प्रतिभा से भी तटस्थ देशों के अधिकारों

और कर्तव्यों के कानून में प्रौढता आयी ।

तटस्थता के विक्रम में दूसरा सहायक तत्व स्विट्जरलैंड और बेल्जियम का स्थायी तटस्थीकरण (Neutralisation) था (देखिये ऊपर पृ० १४५) । इन राज्यों ने पिछली शताब्दी में होने वाले सभी योरोपियन युद्धों में अपनी तटस्थता में दोनों पक्षों के प्रति पूरी निष्पक्षता बनाये रखी तथा अपने देश और नावनों का किसी पक्ष को लाभ नहीं उठाने दिया, इसके लिये उन द्वारा की गई कार्यवाहियों ने तटस्थता के नियम को पुष्ट किया । तीसरा तत्व १८५६ की पैरिस की घोषणा थी (ऊपर देखिए प्रथम अध्याय), इसने दो नियमों पर बल दिया । पहला नियम यह था कि शत्रु के जहाजों पर तदा तटस्थ देशों का माल नहीं पकड़ा जा सकता, यह 'स्वतन्त्र जहाज, स्वतन्त्र माल' (Free Ship, Free Goods) का नियम कहलाता है, क्योंकि इसके अनुसार न तो स्वतन्त्र अर्थात् तटस्थ जहाजों को पकड़ा जा सकता है और न ही उनके माल को, भले ही वह शत्रु के जलपोत पर लदा हो । दूसरा नियम यह था कि परिवेष्टन (Blockade) प्रभावशाली होने चाहिए । इनके अनिश्चित अमरीकी शृङ्खल के समय स० रा० अमरीका तथा ग्रेट ब्रिटेन ने तटस्थ अधिकारों के अनेक विवादाओं में इस कानून को स्पष्टता प्रदान की । इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध १८७७ का अल्बामा दावा पंच-निर्णय (Alabama Claims Arbitration) था (देखिये प्रथम परिशिष्ट) ।

हेग अभिसमय (Hague Conventions on Neutrality)—दक्षिण अमरीका के बोअर युद्ध (१९००) की तथा रूस-जापानी युद्ध (१९०४) की अनेक घटनाओं ने तटस्थता सम्बन्धी जटिल प्रश्न उत्पन्न किये । १९०७ के द्वितीय हेग सम्मेलन ने इन पर विचार करने हुए दो अभिसमयों (Conventions) में तटस्थता के नियम बनाये । पाँचवें अभिसमय में स्थल युद्ध में तटस्थ गणितों और व्यक्तियों के अधिकारों और कर्तव्यों का बर्णन था और तेरहवें अभिसमय में नौमुद्ध में इनके अधिकारों और कर्तव्यों का प्रतिपादन था । किन्तु इन दोनों अभिसमयों का अनुममर्षन (Ratification) ग्रेट ब्रिटेन ने नहीं किया । इनके अनिश्चित, तटस्थता के कृच्छ्र नियमों का बर्णन इन सम्मेलन द्वारा बनाये गये अन्य अभिसमयों में भी है, जैसे वणिजपोतों को रणपोत बनाने का सातवाँ अभिसमय, समुद्र में मुरगें विद्यमाने का आठवाँ अभिसमय, निग्रह या पकड़ने के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाने वाला ग्यारहवाँ अभिसमय तथा अन्तर्राष्ट्रीय अग्निपहरण न्यायालय का बारहवाँ अभिसमय । पाँचवें अभिसमय द्वारा स्थल युद्ध में तटस्थ बना के लिए बनाए गए मुख्य नियम इस प्रकार थे — (१) तटस्थ देशों का प्रदेश अनतिक्रम्य (Inviolable) है (अनु० १) । (२) युद्धकारी देश तटस्थ प्रदेश में न अपनी सेना या युद्ध सामग्री नहीं ले जा सकते । यहाँ कोई बेनार की तार का या मैनिक भर्ती करने का सैनिक केन्द्र नहीं बना सकते (अनु० ३, ४) । (३) तटस्थ देश युद्धकारी देशों के घातल और बीमार सैनिकों को अपने प्रदेश में न गुजरने की अनुमति दे सकते हैं (अनु० १४) । अनुच्छेद १६ में तटस्थ व्यक्ति की परिभाषा करने हुए कहा गया था कि यह युद्ध में भाग न लेने वाला है, किन्तु यदि यह किसी युद्धकारी देश के विरुद्ध कोई शत्रुतापूर्ण कार्य करता है, किसी युद्धकारी के पक्ष में कोई कार्य करता है, उसकी सेना में भर्ती

होता है तो वह अपनी तटस्थता से वंचित हो जाता है। समुद्री युद्ध सम्बन्धी तटस्थता के तैरहवें अभिसमय के नियमों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं—(१) तटस्थ देशों के प्रादेशिक समुद्रों (Territorial Waters) में युद्धकारी देशों द्वारा शत्रुता का कोई भी कार्य—जहाजों पर आक्रमण, इनको पकड़ना तथा इनकी तलाशी लेना वर्जित है, ऐसे कार्यों से इनकी तटस्थता भंग होती है (अनु० २)। (२) युद्धकारी देश तटस्थ देश में या देशके प्रादेशिक समुद्र में विद्यमान किसी जलपोत पर कोई अधिग्रहण न्यायालय नहीं बना सकते (अनु० ४)। (३) युद्धकारी देश शत्रु पर नौसैनिक आक्रमण करने के लिये तटस्थ देश के बन्दरगाहों का तथा इसके प्रादेशिक समुद्र को अड्डा या आघार नहीं बना सकते (अनु० ५)। (४) तटस्थ शक्ति युद्धकारी देश को प्रत्यक्ष या परोक्ष—किसी रीति से रणपोत, गोलाबारूद तथा अन्य रण सामग्री नहीं दे सकती (अनु० ६)। (५) तटस्थ सरकार को अपने क्षेत्राधिकार की सीमा में किसी जहाज को बनने या गुप्तजित्त नहीं होने देना चाहिए जिसके बारे में तनिक भी यह संदेह हो कि वह ऐसे देश के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण कार्य करेगा जिसके साथ तटस्थ देश के सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हैं। (६) किसी तटस्थ देश की तटस्थता उसके प्रादेशिक समुद्र में युद्धकारी देशों के रणपोत गुजरने मात्र से भंग नहीं होनी (अनु० १०)। (७) विरोध व्यवस्थाओं के प्रभाव में तटस्थ देशों के प्रादेशिक समुद्र में युद्धकारी देशों के रणपोत २४ घण्टे से अधिक नहीं रह सकते (अनु० १२)। (८) तटस्थ देशों के बन्दरगाहों में युद्धकारी देशों के रणपोतों की केवल उतनी ही भरम्भन हो सकती है, जो उनकी समुद्री यात्रा के लिए आवश्यक हो इसमें उन्हें हथियारों में सुमज्जित नहीं किया जा सकता (अनु० १७)। ये नियम केवल तभी लागू होते थे जब युद्ध करने वाले दोनों पक्षों ने इन्हें स्वीकार कर लिया हो।

लन्दन की घोषणा तटस्थता के नियमों को सहिताबद्ध करने का एक अन्य प्रयत्न १९०६ के लन्दन के नौसामनेलन (London Naval Conference) में किया गया। इसमें नौयुद्ध में परिवेष्टन (Blockade), विनिषिद्ध सामग्री, अतटस्थ सेवा (Unneutral Service) आदिके नियम बनाये गए, इन्हे लन्दन की घोषणा (Declaration of London) कहते हैं। टर्की-इटली के युद्ध (Turco Italian War) में इन नियमों का पूरा पालन किया गया, यद्यपि टर्की ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ने से पहले तक लन्दन घोषणा का अनुममर्थन (Ratification) किसी भी देश ने नहीं किया। इसके छिड़ जाने पर स० रा० अमरीका ने दोनों पक्षों को यह घोषणा स्वीकार करने के लिए कहा। जर्मनी और आस्ट्रिया हंगरी इन्हीं इन शर्तों पर मानने को तैयार हुए कि उनके शत्रु भी इन्हीं स्वीकार करें। किन्तु ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रूस इस अनेक शर्तों के साथ ही मानने को तैयार थे। युद्ध के प्रारम्भक काल में ग्रेट ब्रिटेन ने इन्हीं कुछ शर्तों में स्वीकार भी किया, किन्तु शर्त-शर्तें वह अपने नियमों का पालन मर्यादित करने लगा और ७ जुलाई १९१६ के बाद उसने इस घोषणा के किसी भी नियम का पालन नहीं किया।

प्रथम विश्वयुद्ध में तटस्थता (Neutrality in the First World War)—

प्रथम विश्वयुद्ध में तटस्थता के नियमों का बहुत उल्लंघन हुआ। इसके आरम्भ में ही बेल्जियम की तटस्थता का भंग हुआ। स० १९०१ अमरीका ने इस युद्ध में तटस्थ रहने की घोषणा की थी, किन्तु जर्मन पनडुब्बियों ने इसके समुद्री व्यापार को भीषण क्षति पहुँचाई, जर्मनी ने यह घोषणा की कि एक निर्दिष्ट क्षेत्र में आने वाले सभी जहाजों को—चाहे वे किसी देश के हों—डुबो दिया जायगा। इन पर अमरीका ने ६ अप्रैल १९१६ को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध-घोषणा की। उस समय तटस्थता को बड़ी घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा और यह कहा जाने लगा कि तटस्थ रहने वाला देश “अपने मानवीय कर्तव्यों के पालन के दायित्व से बचना चाहता है।” इस युद्ध में यह भी स्पष्ट हो गया कि जब युद्धकारी देशों के महत्वपूर्ण स्वार्थों खतरों में पड़ते हैं तो दोनों पक्ष तटस्थ देशों के हिंनों की उपेक्षा करने के लिए कानूनी और नैतिक धुक्कियाँ ढूँढ लेते हैं। गार्नर के शब्दों में पहले विश्वयुद्ध ने यह निश्चय कर दिया कि तटस्थ देशों के लिए अपनी तटस्थता की रक्षा करना बहुत कठिन है।

राष्ट्र संघ और तटस्थता (League of Nations and Neutrality)—प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति पर राष्ट्र संघ (League of Nations) का सन्धिघान (Covenant) बना। इसने तटस्थता के नियमों पर गहरा प्रभाव डाला। फेनविक का यह मत है कि इसने तटस्थता के परम्परागत कानून (Traditional Law) के सिद्धान्त को समाप्त कर दिया। किन्तु आप्पेनहार्ट्म का मत ऐसा नहीं है। वस्तुतः मध्य के प्रतिज्ञापत्र के अनुसार दो प्रकार के युद्ध हो सकते थे। पहले प्रकार के युद्ध वे थे, जो साम्प्रतिक पूर्ण उपायों द्वारा विवादास्पद प्रश्नों का समाधान न होने पर किए जाते थे। ये प्रतिज्ञापत्र के अनुकूल थे, इनके सम्बन्ध में संघ के सदस्यों पर कोई दायित्व नहीं था, इनमें सदस्य अपनी इच्छानुसार तटस्थ रह सकते थे। दूसरे प्रकार के युद्ध प्रतिज्ञापत्र का उल्लंघन करके किये जाने वाले थे, इनके विषय में प्रतिज्ञापत्र के अनुच्छेद १०, ११, १२, १३, १५ और १६ में की गई व्यवस्थाएँ सब सदस्य राज्यों पर ऐसे उत्तरदायित्व

६. प्रथम विश्वयुद्ध के बाद अनेक विधिराश्वियों ने इस प्रवृत्ति का प्रबल समर्थन किया। वे तटस्थता को सर्वथा अनैतिक समझते थे, क्योंकि एक और दो राज्यों द्वारा युद्ध को समाप्त करने तथा आक्रमण को रोकने की प्रतिज्ञाएँ की जाती हैं, दूसरी ओर किसी राज्य द्वारा इनका उल्लंघन करने पर वे तटस्थता के नाम पर सुवचाप बँध जाते हैं। यह अनैतिक सामूहिक सुरक्षा (Collective security) तथा अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों और नियमों का प्रतिष्ठा को गहरी क्षति पहुँचाने वाली थी। पोलिटिस (Politics) के मनानुसार तटस्थता एक अनैतिक और अव्यावहारिक दकियानून पन (Immoral and impractical anachronism) था। लो फर (Le Fur) ने इसे अन्तर्राष्ट्रीय अन्यायका की उपज बताया था। कोहन (Cohn) ने परम्परागत तटस्थता के विचार को रद्द करते हुए अवैध युद्ध को बन्द करने के लिए तटस्थ देशों द्वारा संगठन बनाने पर बल दिया। फेनविक ने लिखा है कि उस समय यह समझा जाता था कि अगले युद्ध में तटस्थ देश या तो अपनी परम्परागत नीति का परित्याग करेंगे या उन्हें इसे बनाये रखने के लिए तज्जना पड़ेगा। (फेनविक—इण्टरनेशनल ला, पृ० ४१७-१८)। आगे यह बताया जायगा कि दूसरे विश्वयुद्ध में तटस्थता के नियमों का पहले विश्वयुद्ध की अपेक्षा अधिक घोर उल्लंघन हुआ।

डालती थी, जिनके कारण उनका तटस्थ रहना सम्भव ही नहीं था। इसके अनुच्छेद (१०) में सब सदस्यों का यह कर्तव्य बताया गया था कि वे "संघ के सब सदस्यों की प्रादेशिक अखण्डता का तथा वर्तमान राजनीतिक स्वतन्त्रता का सम्मान करेंगे तथा बाह्य अप्रानामण (External aggression) से इसकी रक्षा करेंगे।" इस दायित्व के कारण संघ के किसी भी सदस्य के लिए कहीं भी अप्रानामण का शिकार बनने वाले राज्य की रक्षा के लिए की जाने वाली सामूहिक सुरक्षा में भाग लेना अनिवार्य कर्तव्य था। इस अप्रानामण को रोकने के लिए की गई कार्यवाही में कोई राज्य तटस्थ नहीं रह सकता था। इसी प्रकार अनुच्छेद ११ में किसी युद्ध या युद्ध की धमकी को—भले ही वह "किसी सदस्य-राज्य पर तत्कालिक प्रभाव न डालती हो"—समूचे संघ के लिए चिंता का विषय बताते हुए संघ को यह अधिकार दिया गया कि वह इस विषय में "राष्ट्रों की शान्ति की सुरक्षा के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण और प्रभावशाली समझे जाने वाली" कोई भी कार्यवाही कर सकता है। इस प्रकार संघ के सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति भंग के कार्यों को रोकने के लिए सामूहिक रूप से बाधित थे। अनुच्छेद १६ के अनुसार शान्तिपूर्ण समाधान की अवहेलना करके युद्ध छेड़ने वाले संघ के सदस्य के बारे में यह कहा गया था कि वह अपने ऐसे कार्य से स्वतः (Ipso facto) संघ के सभी सदस्यों के विरुद्ध युद्ध छेड़ता है और अन्य सदस्यों का यह कर्तव्य है कि वे उसके साथ अपने व्यापारिक और वित्तीय सम्बन्ध बन्द कर दें (यही संघ की सुप्रसिद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध (Economic sanctions) लगाने की व्यवस्था थी।) आपेनहाइम ने तटस्थता पर संघ के प्रतिज्ञापन के प्रभाव का विश्लेषण करते हुए लिखा है "यह कहना ठीक नहीं है कि इसने तटस्थता को समाप्त कर दिया। यह भी मत्त नहीं है कि इसने तटस्थता पर कोई प्रभाव नहीं डाला। यथार्थ दृष्टिकोण सम्भवतः यह है कि कुछ अवस्थाओं में जब युद्ध करना प्रतिज्ञापन के प्रतिकूल न हो, तब इसने तटस्थता के कानून में परिवर्तन नहीं किया। किन्तु इसने तटस्थता को समाप्त न करने हुए उन अवस्थाओं में इस पर मामूली प्रभाव डाला, जिनमें संघ के सदस्य प्रतिज्ञापन के अनुच्छेद १६ के अनुसार किसी देश के विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाने के लिए बाधित थे।"

१९२८ के केलाग-बीचम पैक्ट (वैरिस पैक्ट) अथवा युद्ध परित्याग की सामान्य संधि (General Pact for the Renunciation of War) पर हस्ताक्षर करने वाले देशों ने अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए युद्ध के उपाय के अलम्बन की निन्दा की, राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में युद्ध के परित्याग की घोषणा करते हुए यह कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान केवल शान्तिपूर्ण साधनों से किया जाना चाहिए। किन्तु इस पैक्ट में इसे लागू या पालन कराने वाली व्यवस्थाओं का अभाव था, अतः तटस्थता के नियम पर इसका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा।

१९३१ से १९३६ तक मंचूरिया और चीन पर जापान के आक्रमण, जर्मनी में हिटलर के उत्थान तथा एथीसीनिया पर इटली के आक्रमण में राष्ट्र संघ की सामूहिक

सुरक्षा की व्यवस्था को गहरा धक्का लगा। (इससे) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने की आशाये धूमिल होने लगी। (नये विश्वयुद्ध की संभावना बढ़ने लगी) और इस परिस्थिति में कुछ राज्यों ने इससे बचने और तटस्थ रहने के प्रयत्न आरम्भ किये। ब्रिजियम और हालैण्ड ने तटस्थता की घोषणा की, १९३८ में स्कैंडे-नेविया प्रायद्वीप के राज्यों ने तटस्थता के नियमों के पालन का तथा आपस में पूर्व परामर्श किये बिना इनमें मशौघन न करने का निश्चय किया। १९३६-३७ में ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने स्पेन के गृहयुद्ध के प्रति अहस्तक्षेप (Non-intervention) की नीति अपनायी। स० रा० अमरीका को प्रथम विश्वयुद्ध में यह कटु अनुभव प्राप्त हो चुका था कि तटस्थ होते हुए भी उसे किस प्रकार बाधित होकर युद्ध में सम्मिलित होना पड़ा था, अतः उसने इसकी पुनरावृत्ति रोकने तथा तटस्थता बनाये रखने के लिए ऐसे कानूनों को पास करना शुरू किया, जिनसे युद्धकारी देशों के साथ उसके सघर्ष होने की संभावना बहुत कम हो जाय। इस दृष्टि से १९३७ में स० रा० अमरीका ने तटस्थता का कानून (Neutrality Act) पास किया, १९३९ में इसका संशोधन किया गया। इसका आधार 'नकद हाम बो और माल ले जाओ' (Cash and Carry) का सिद्धान्त था। इसके अनुसार कानून में बताया गया सस्त्रास्त्र सामग्री के अतिरिक्त अन्य माल को दूसरे देश स० रा० अमरीका से भिन्न देशों के जहाजों में ही ले जा सकते थे। युद्धकारी राष्ट्रों को सस्त्रास्त्र सामग्री बेचना, इसे अमरीकी जहाजों में युद्धकारी राष्ट्रों को भेजना, इनके जहाजों में अमरीकी नागरिकों को यात्रा करना, इन युद्धकारी देशों की सरकारी सिक्क्यूरिटियाँ खरीदना, युद्धकारी देशों के रणपोतों, पनडुब्बियों तथा सशस्त्र व्यापारिक जहाजों द्वारा अमरीकी नन्दरगाहों का उपयोग इन कानून द्वारा निषिद्ध कार्य बना दिये गये। इनका उद्देश्य स० रा० अमरीका को युद्ध में पृथक् रखना था।

किन्तु हिटलर द्वारा १९३९ में द्वितीय विश्वयुद्ध छेड़ने तथा १९४० के वसन्त-काल में नार्वे, डेनमार्क, हालैण्ड, बेल्जियम तथा लुकसेम्बर्ग की तटस्थता का अतिशमल करने पर स० रा० अमरीका को शर्न-शर्न अपनी तटस्थता की नीति में परिवर्तन करने के लिए बाधित होना पड़ा। राष्ट्रपति रूजवैल्ट ने यह अनुभव किया कि हिटलर की विजय का परिणाम लोकतन्त्र तथा स्वतन्त्रता का विनाश होगा, अतः उन्होंने अमरीका को लोकतन्त्र का शस्त्रागार (Arsenal of Democracy) बनाने तथा हिटलर से लड़ने वाले ग्रेट ब्रिटेन आदि लोकतन्त्रों को अधिक से अधिक रणसामग्री भेजने का निश्चय किया। २४ जून १९४० को फ्रांस के पतन के बाद अमरीका ने ब्रिटेन को पर्येक प्रकार की रणसामग्री भेजी, अन्तर्गत में ब्रिटिश पायलट, नव के ८, एप्रैल १९ जर्न के पट्टे पर लेकर उसे ५० विध्वंसक (Destroyer) प्रदान किये। उसका यह कार्य स्पष्ट रूप से तटस्थता विरोधी था। ११ मार्च १९४१ को अमरीकी कांग्रेस ने उधार पट्टा (Lend lease) कानून पास किया। इसने अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया था कि वह स० रा० अमरीका की सुरक्षा के लिए जिस देश की सुरक्षा आवश्यक समझे, उस देश की सरकार को सुरक्षा के लिए आवश्यक

सभी प्रकार की रणसामग्री बेच सकता है, उधार या पट्टे पर दे सकता है। यद्यपि इस समय तक कानूनी रूप से स० रा० अमरीका तटस्थ देश था, तथापि उसने उधार पट्टे कानून द्वारा तटस्थता के सभी महत्वपूर्ण नियमों का परित्याग कर दिया था। उसके इस विलक्षण कार्य का समर्थन तीन कारणों के आधार पर किया गया—(१) जर्मनी और इटली द्वारा १९२८ के केलाग-बीघ्रां पैक्ट का भंग तथा तटस्थ राज्यों की तटस्थता का अतिक्रमण। (२) जर्मनी और इटली जैसी शक्तियों से आत्मरक्षा। यदि स० रा० अमरीका ग्रेट ब्रिटेन को जर्मनी द्वारा जीता जाने देता तो अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सर्वथा लोप हो जाता। (३) घुरी राष्ट्रों द्वारा स० रा० अमरीका पर आक्रमण करके उसे जीतने का पड़्यन्त्र करना।

आपेनहाइम ने यह मत प्रकट किया है कि स० रा० अमरीका द्वारा ग्रेट ब्रिटेन को पचास दिवसक देना और उधार पट्टा कानून (Lend Lease Act) पास करना १९वीं शताब्दी के तटस्थता के विचारों के तथा हेग अभिसमयों के नियमों (देखिये ऊपर पृ० ५२३-२४) के अनुकूल नहीं था।^८ किन्तु सम्भवतः "ये कार्य समूचे रूप में तथा समग्र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखे जाने वाले तटस्थता कानून के अनुकूल थे।" ये ऐसे युद्धकारी राष्ट्र के विरुद्ध भेदभावपूर्ण व्यवहार था, जिसने अन्तर्राष्ट्रीय कानून को तिलाजलि देते हुए युद्ध आरम्भ किया था। यह घोषियस तथा उसके समकालीन अन्य लेखकों की अपूर्ण या विशिष्ट (qualified) तटस्थता की नीति का परिणाम था। पूर्ण तटस्थता की नीति युद्ध छेड़ने के पूर्ण अधिकार (absolute right) पर अवलम्बित थी। किन्तु १९२८ के केलाग-बीघ्रां पैक्ट द्वारा जर्मनी सहित सब देश इस नीति का परित्याग कर चुके थे। इसके अनुसार आक्रमण का शिकार बनने वाले देश को सहायता देना तथा आक्रान्ता को रोकना सब देशों का वतंव्य था। इस प्रकार परोक्ष रूप में इस पैक्ट ने पूर्ण तटस्थता के कानून की जड़ें खोजली कर दी थी। इस अवस्था में स० रा० अमरीका का उधार पट्टा कानून पास करना आवश्यक था। इस नीति परिवर्तन का दूसरा कारण आत्मरक्षा की भावना थी। घुरी राष्ट्र विश्व पर प्रभुता पाने के साथ उन आधारों को नष्ट करने पर तुले हुए थे, जिन पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून टिका हुआ था, अतः आत्मरक्षा के लिए ऐसी व्यवस्थाएँ आवश्यक थीं। उधार पट्टा कानून का सरकारी नाम इस तथ्य को भली भाँति सूचित करता है, यह नाम इस प्रकार था—स० रा० अमरीका को प्रतिरक्षा पुष्ट करने वाला अधिनियम (An Act to promote the Defence of the United States)। तीसरा कारण अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों में पारस्परिकता (Mutuality of International Obligations) का सिद्धान्त है। जर्मनी ने अभूतपूर्व पैमाने पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया था। वह स्वयमेव इसका धार अतिक्रमण करने हुए तथा तटस्थ देशों के अधिकारों को कुचलते हुए दूसरे देशों में यह आशा नहीं रख सकता था कि वे तटस्थता

८. रदार्क—एन इण्ट्रोडक्शन टू इण्टरनेशनल लॉ, पृ० ६८८

९. आपेनहाइम—इण्टरनेशनल लॉ, ए० २, पृ० ६३८—४०

के नियमों का पूरा पालन करेगा। ६ जनवरी १९४२ को अमरीकन राष्ट्रपति ने कांग्रेस को भेजे गये अपने सदेश में कहा था—“एकपक्षीय अन्तर्राष्ट्रीय कानून—जिसके पालन में पारस्परिकता का अभाव है—उत्पीडन का साधन बन जाता है।” इस दृष्टि से स० रा० अमरीका के उपयुक्त कार्य जर्मनी द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के लिये उससे लिए जाने वाले प्रतिशोध या प्रत्यपहार (Reprisals) के रूप में थे। (जर्मनी ने १९२८ के केलाग-त्रीझा पैक्ट का घोर अतिक्रमण किया था, स० रा० अमरीका के लिये यह बड़ा महत्वपूर्ण था, उसने इसका बदला लेने के लिए उपयुक्त कार्य किये।”

स० रा० अमरीका ने पूरे हठ निश्चय के साथ गिनराष्ट्रों की सहायता के लिए परम्परागत तटस्थता के नियमों के प्रति कुल कई अन्य कार्य भी किये। २७ मई १९४१ को अमरीकन राष्ट्रपति ने यह घोषणा की कि ग्रेट ब्रिटेन को आवश्यक सामान सुरक्षित रूप में पहुँचाने के लिये अमरीका के गश्ती जहाजों ने सहायता देनी शुरू कर दी है। जर्मन पनडुब्बियों ने जब युद्ध के नियम तोड़ते हुए अमरीकन जहाजों पर हमले किये तो सितम्बर १९४१ में इनके प्रतिरोध के लिए अमरीका के समुद्री बेड़े को दी गयी हिदायतों ने लगभग ऐसी शत्रुतापूर्ण स्थिति उत्पन्न कर दी, जिनका युद्ध से अन्तर करना बड़ा कठिन था। स० रा० अमरीका की नीसेना के ग्रीवर (Greer) नामक विध्वंसक पोत पर जर्मन पनडुब्बी का हमला होने पर ११ सितम्बर १९४१ को राष्ट्रपति ने यह घोषणा की कि ‘अमरीका की प्रतिरक्षा के लिए जिस समुद्र की रक्षा आवश्यक है, इसमें जर्मन और इटालियन जलपोतों ‘खतरा उठाकर’ ही प्रविष्ट हो सकते हैं, अमरीका की नीसेनाओं को यह आशा दे दी गयी है कि इसमें प्रविष्ट होने वाले जर्मन तथा इटालियन जलपोतों और पनडुब्बियों को देखते ही इन पर गाली चला दी जाय। अमरीका ने इस कार्य का औचित्य सिद्ध करते हुए कहा था कि वह इस प्रकार महासमुद्र में नौधालन की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त की रक्षा करना चाहता है, अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार जलदस्त्रियों (Pirates) के हमले के विरुद्ध कार्यवाही का अधिकार है। इस प्रकार ११ दिसम्बर १९४१ को जर्मनी और इटली के विरुद्ध युद्ध घोषणा करने से पूर्व ही उपयुक्त कार्यों द्वारा स० रा० अमरीका की तटस्थता लगभग समाप्त हो चुकी थी।

द्वितीय विश्वयुद्ध में तटस्थता के नियम में सम्बद्ध दो महत्वपूर्ण घटनाय प्राफ स्पी का आत्मनाश तथा आल्टमार्क जहाज से नार्वे के प्रादेशिक समुद्र में एक ब्रिटिश विध्वंसक द्वारा बन्दी ब्रिटिश नाविकों को जबरदस्ती उतार लेना था। प्राफ स्पी (Graf Spee) जर्मनी का जगी जहाज था, दिसम्बर १९३९ में ब्रिटिश कूबरो द्वारा हमला किये जाने पर इसने माण्टीविडियो (Montevideo) के बन्दरगाह में शरण ली। ब्रिटिश कूबर बन्दरगाह से बाहर उसकी प्रतीक्षा करने लगे। यह दक्षिण अमरीका में, युद्ध में तटस्थ राज्य उरुगुये (Uruguay) में था, इसने जर्मन रणपोत को मरम्मत के लिये ७२ घंटे बन्दरगाह में रहने की अनुमति दी और इसके बाद इसे बन्दरगाह से बाहर जाने को कहा। प्राफ स्पी को ब्रिटिश विध्वंसकों के आक्रमण का भय था,

अतः उमने बन्दरगाह को छोड़ने के बाद प्रादेशिक समुद्र में ही अपने पेंडे में छेद कर तथा डुबींकर अपने आप को नष्ट कर दिया। आल्टमार्क (Altmark) की घटना का वर्णन प्रथम परिशिष्ट में किया गया है।

दोनों विश्वयुद्धों के उपर्युक्त निवरण से यह स्पष्ट है कि अब तटस्थता का स्वरूप अत्यधिक मर्यादित हो गया है। 'डा० लौटरेण्ट ने लिखा है—“दो विश्वयुद्धों के अनुभव ने यह प्रदर्शित किया है कि तटस्थता के परम्परागत कानून का तटस्थ देशों के व्यापार के अधिकारों से सम्बन्ध रखने वाला महत्त्वपूर्ण पहलू अब बहुत अंशों में अप्रचलित (Obsolete) हो गया है।”¹ वस्तुतः वर्तमान युद्ध में सैनिक और आर्थिक पहलुओं का सम्बन्ध इतना घनिष्ठ हो गया है कि कोई भी युद्धकारी देश किसी तटस्थ देश का अपने शत्रु के साथ व्यापार करने की स्वतन्त्रता देना, उसकी शक्ति को बढ़ाने वाला समझता है, अतः वह इसे अत्यधिक मर्यादित करके नगण्य बना देता है। इस अवस्था में तटस्थ देशों के युद्धकारी देशों के साथ व्यापार के अधिकार अब लगभग समाप्त हो गये हैं।

स० रा० सघ का चार्टर और तटस्थता (The Charter of U N O and neutrality) सघ के चार्टर द्वारा इसके सदस्यों पर डाले गए दायित्वों के कारण तटस्थता बहुत-बुद्ध कम हो गई है। चार्टर के अनुच्छेद २ के अनुसार सघ सदस्यों का यह आवश्यक कर्तव्य है कि वे चार्टर की व्यवस्थाओं के अनुसार सघ द्वारा की जाने वाली प्रत्येक कार्यवाही में उसे सभी प्रकार की सहायता दे और सघ जिसके विरुद्ध निरोधात्मक (Preventive) या पालनात्मक (Enforcement) कार्यवाही कर रहा हो, उसे कोई सहायता न दे। अनुच्छेद ४१ के अनुसार सदस्य राज्यों का यह कर्तव्य है कि वे सुरक्षा परिषद् द्वारा आवश्यक समझे जाने पर, किसी देश के साथ अपना सम्पूर्ण अथवा आंशिक आर्थिक सम्बन्ध, रेल, समुद्र, हवाई, डाकतार, रेडियो आदि का सम्बन्ध तथा दौत्य सम्पर्क विच्छिन्न कर देंगे। अनुच्छेद ४२ में यह कहा गया है कि उपर्युक्त उपाय अपर्याप्त समझने पर सुरक्षा परिषद् अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए किसी देश के विरुद्ध स० रा० सघ के सदस्य-राज्यों की सेनाओं द्वारा स्वतीय, समुद्रों या हवाई सैनिक कार्यवाही कर सकती है। अनुच्छेद ४५ में यह ध्वस्त है कि स० रा० सघ के सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद् के आह्वान पर उमने अपनी सेनाओं की सहायता देंगे और इन्हे अपने प्रदेश में से गुजरने की सब सुविधाएँ प्रदान करेंगे। अनुच्छेद ५१ में यह कहा गया है कि यदि स० रा० सघ के किसी सदस्य पर सन्धि हमला होता है, तो उमने सुरक्षा परिषद् द्वारा कार्यवाही करने में पहले आत्मरक्षा करने का वैयक्तिक या सामूहिक अधिकार है, तटस्थ देश भी इस प्रकार अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं।

(चार्टर की उपर्युक्त व्यवस्थाओं का यह परिणाम हुआ है कि अब अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सन्धि उत्पन्न होने पर सुरक्षा परिषद् की कार्यवाही पर इमने सब सदस्य

का कर्तव्य है कि वे इसके निवारण के लिए परिपक्व द्वारा बतायी हुई कार्यवाही में सहयोग प्रदान करें। इसका स्पष्ट अभिप्राय यह है कि अब ऐसी स्थिति में कोई सदस्य-राज्य तटस्थ नहीं रह सकता, यदि वह ऐसा करता है तो अपने कर्तव्य के पालन न करने का दोषी होता है। हेन्स कैलसन (Kelsen) ने अनुच्छेद ५१ के प्रभावों का विश्लेषण करते हुए लिखा है—“तटस्थ राज्यों पर निष्पक्षता का दायित्व लागू करने वाले सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून का स्थान अब चार्टर ने ले लिया है और इस प्रकार उस नियम को निरर्थक और बेकार (Supersede) बना दिया है।” रीटर्न के मतानुसार “चार्टर में तटस्थता की स्थिति कुछ बातों में राष्ट्र के प्रतिज्ञापत्र के आधीन स्थिति से मिलती है। चार्टर ने स० रा० सभ के सदस्यों के तटस्थ रहने के अधिकार पर निर्णयात्मक प्रभाव डाला है, किन्तु इसने स० रा० सभ के सदस्यों के बीच में, अथवा इसके गैर सदस्यों के बीच में या सदस्य और गैर-सदस्यों के बीच में लड़े जाने वाले युद्धों में उनके तटस्थ रहने के अधिकार का वास्तविक रूप में उन्मूलन नहीं किया। सिद्धान्त के रूप में, सभ के किसी सदस्य को ऐसी लड़ाई में अपनी इच्छा से तटस्थ रहने का अधिकार नहीं है, जिसमें सुरक्षा परिषद् ने किसी राज्य को सन्ति भग करने का दोषी पाया है और जिसके विषय में उसने सभ के सदस्यों को उस राज्य के विरुद्ध युद्ध-घोषणा करने को या युद्ध से मिलती-जुलती कार्यवाही करने को कहा है।” फुनबिक के मतानुसार “२६ जून १९४५ को स० रा० सभ के चार्टर का स्वीकार किया जाना, कानूनी पद्धति के तौर पर अन्तिम रूप से तटस्थता की समाप्ति का सूचक है।” किन्तु स्टार्क ने इससे असहमति प्रकट करते हुए कहा है कि चार्टर से तटस्थता का पूर्ण रूप से उन्मूलन नहीं हुआ है। सुरक्षा परिषद् द्वारा कोई कार्यवाही किए जाने पर अनु० ४८ तथा ५० के अनुसार कुछ सदस्य-राज्यों को इसका पालन न करने की टूट दी गई है, इस अवस्था में उनकी स्थिति अपूर्ण तटस्थता (Qualified Neutrality) की होती है। जब सुरक्षा परिषद् का कोई स्थायी सदस्य अपने विपेवाधिकार (Veto) द्वारा किसी राज्य के विरुद्ध कोई कार्यवाही रोक देता है तो सदस्य-राज्य दोनों मुख्यमान पक्षों के प्रति पूर्ण रूप से तटस्थ रह सकते हैं।

५ तटस्थता के औचित्य का आधार (Basis of Justification for Neutrality) — तटस्थता का औचित्य प्रायः निम्नलिखित चार कारणों के आधार पर सिद्ध किया जाता है— (१) यह युद्धों का क्षेत्र सीमित करती है। (२) युद्धों की प्रवृत्ति कम करती है। (३) राज्यों को युद्ध से प्रथक रहने में समर्थ बनाती है। (४) अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का नियमन करती है।

द्वितीय विश्वयुद्ध में पहले दोनों कारणों की निरर्थकता भली-भाँति सिद्ध कर दी

- Principle**
12. हेन्स कैलसन—प्रिन्सिपल्स ऑफ इण्टरनेशनल लॉ, पृ० ८७
 १३. आपेनहाइम—इण्टरनेशनल लॉ, स० २, पृ० ६५२
 १४. फुनबिक—इण्टरनेशनल लॉ, पृ० ६९१
 १५. स्टार्क—एन इटोडिक्शन टू इण्टरनेशनल लॉ, पृ० ३८८-९

है। इसमें नार्च, डेन्मार्क, हाज़ेड और बेल्जियम की तटस्थता ने न तो युद्ध का क्षेत्र सीमित किया और न युद्ध की प्रवृत्ति कम की, तटस्थ होने के कारण ये देश सम्मिलित रूप में अपनी प्रतिरक्षा के लिए प्रभावशाली साधन नहीं बना सके, अतः जर्मनी ने इन्हे बड़ी सुगमता से अपने अग्रक्रमण (Aggression) का शिकार बनाया। इससे युद्ध का क्षेत्र सीमित नहीं हुआ, किन्तु इन देशों में फैल जाने के कारण विनाश हो गया। इससे जर्मनी की शक्ति में असाधारण वृद्धि हुई, इटली ने जर्मनी की ओर ने युद्ध में प्रवेश किया, जापान को प्रशान्त महासागर में युद्ध छेड़ने की प्रबल प्रेरणा मिली। गैरपियन युद्ध के क्षेत्र को मर्यादित करने के स्थान पर, इसने उसे विश्वयुद्ध के रूप में परिणत कर दिया।

तीसरे कारण का भी मही नहीं माना जा सकता। पहले यह बताया जा चुका है कि अपनी तटस्थता की रक्षा के लिए ही पहले विश्वयुद्ध में स० रा० अमरीका, फ्रांस तथा ग्रेट ब्रिटेन की ओर से लड़ाई में जुड़ा था। दूसरे विश्वयुद्ध में रूस तथा स० रा० अमरीका ने तटस्थ रहने का पूरा प्रयत्न किया, किन्तु जर्मनी और जापान के आक्रमणों के कारण इन्हे युद्ध में सम्मिलित होना पड़ा। इसके अनित्य का नतीजा कारण अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को नियमित बनाना है। किन्तु यह भी सत्य नहीं प्रतीत होता। राष्ट्रसंघ का १९२० से ४० तक का अनुभव यह प्रदर्शित करता है कि तटस्थता अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में कानून का शासन (Rule of law) बनाए रखने में साधक नहीं, किन्तु बाधक रही है। तटस्थता के परम्परागत दृष्टिकोण और विचारों के कारण संघ के सदस्यों ने उसे अग्रक्रमण की कार्यवाही रोकने के लिए प्रभावशाली पग नहीं उठाने दिए।

(वर्तमान समय में तटस्थता का महत्व घटने का एक मुख्य कारण युद्ध छेड़ने के सम्बन्ध में कुछ विचारों में मौलिक अन्तर आना है। पहले प्रत्येक राज्य को इच्छानुसार युद्ध छेड़ने का पूर्ण अधिकार था, उस समय सब देशों को तटस्थ रहने का भी अधिकार था। किन्तु युद्धों के वर्तमान भीषण रूप ने तथा अन्तर्राष्ट्रीयता के विकास ने इस धारणा में आमूलचूल परिवर्तन किया है। १९२८ के केलाग ब्रीअर्न पेंट के बाद लगभग सभी देशों ने राष्ट्रीय नीति के रूप में युद्ध के साधन के परित्याग की घोषणा की है, शान्तिपूर्ण साधनों द्वारा अपने विवादों के हल करने का सकल्प प्रकट किया है। स० रा० संघ के चार्टर में भी यही बात दोहरायी गई है। इन समस्याओं के समाधान के लिए तथा शान्ति बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद् स्थापित की गई है, इसके निर्णयों को क्रियान्वित करने में सहयोग देना सब सदस्य राज्यों का कर्तव्य है। इस परिस्थिति में तटस्थता का विचार निरर्थक हो गया है।

इसके प्रतिरक्त वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं ने तटस्थता का क्षेत्र बहुत सन्कुचित कर दिया है। इस समय विश्व दो विरोधी गुटों में विभक्त है। एक गुट का नेता रूस तथा दूसरे का समुक्त राज्य अमरीका है। जहाँ एक ओर रूस ने पूर्वी योरोप के आठ देशों को वारसा मधि (Warsaw Pact) सगठन में बांध रखा है, नहीं दूसरी ओर स० रा० अमरीका ने पन्द्रह देशों को नाटो (Nato) के सगठन में आवद्ध किया है, मध्यपूर्व में अमरीका का ऐसा सगठन सेंट्रो (Central Treaty Organisation) तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया में सीटो (South East Treaty Organisation) है। इन

सगठनों में किसी एक पर आक्रमण होने की दशा में अन्य राज्यों ने उसे सहायता देने का वचन दिया है। तटस्थता पर पहले सबसे अधिक बल देने वाला स० रा० अगरीका अब इनका प्रभावशाली सदस्य है। भारत जैसे बहुत थोड़े देश ही इन सगठनों में सम्मिलित नहीं हुए। विश्वव्यापी प्रादेशिक सगठनों ने तटस्थ राज्यों का महत्व तगभग तगाप्त कर दिया है।

तटस्थता के प्रकार (Kinds of Neutrality)—इसके प्रमुख भेदों और प्रकारों में पहला स्थायी या मनातन तटस्थता (Perpetual or Permanent Neutrality) है। यह उन राज्यों की होती है, जो पिछेपे सन्धियों द्वारा सदा के लिये तटस्थीकृत (Neutralised) राज्य बना दिये जाते हैं, जैसे स्विट्जरलैण्ड (देखिये ऊपर पृ० ५२३)। इनके कर्तव्य और अधिकार तटस्थ राज्यों जैसे होते हैं तथा इन्हें अपने प्रदेश को सैनिक प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त न होने देने के लिये, दोनों युध्यमान पक्षों की समान रूप से रोकना पड़ता है। १८७०-७१ के फ्रेंको जर्मन युद्ध में स्विट्जरलैण्ड ने दोनों पक्षों की मनाओं, रणमामात्री तथा रगरूटों को अपने प्रदेश में से नहीं गुजरने दिया। रणक्षेत्र से भागकर स्विट्जरलैण्ड में जरूर लेने वाले फ्रेच सैनिकों को निःशस्त्र करके युद्ध की समाप्ति और शान्ति संधि तक निरोध (Detention) में रखा। स्थायी तटस्थता का सामान्य तटस्थता में यह भेद है कि पहली सारयनकाल के लिये तसभी जाती है और दूसरी तटस्थता का अवनमन देना अपनी सुविधा और लाभ देखकर करते हैं, वे इसे जब चाहे तब तोड़ सकते हैं किन्तु पहली तटस्थता कभी भंग नहीं की जाती, इसका सदैव पालन होना है।

दूसरा भेद सामान्य और आंशिक (General and Partial) तटस्थता का है। जब किसी देश के कुछ हिस्से का विशेष सन्धि द्वारा तटस्थीकरण (Neutralisation) किया जाता है तो उसे आंशिक तटस्थता कहा जाता है। उदाहरणार्थ, जब आयोर्नियन टापू यूनान को दिये गये तो पहले १८६३ में इन सब टापुओं को तटस्थ घोषित किया गया, बाद में २४ मार्च १८६४ की सन्धि के अनुच्छेद २ के अनुसार कोरफू तथा पैक्सो (Paxos) नामक टापुओं का ही तटस्थीकरण किया गया। इनमें कोई सेना नहीं रखी जा सकती थी। १८८८ में स्वेडन नहर के क्षेत्र को तथा १९ नवम्बर १९०१ की सन्धि द्वारा पानामा नहर के क्षेत्र को यही स्थिति प्रदान की गयी। मंगलेन के जलडमरूमध्य (Straits of Magellan) को अर्जेण्टायना तथा चिली में २३ जुलाई १८८१ की सन्धि द्वारा तटस्थीकरण का दर्जा दिया गया है। सामान्य तटस्थता ऐसे राज्यों की तटस्थता है, जिनके किसी विशेष अथवा प्रदेश पर तटस्थीकरण किसी सन्धि द्वारा न किया गया हो।

तीसरा भेद ऐच्छिक (Voluntary) तथा अभिसमयात्मक (Conventional) तटस्थता का है। ऐच्छिक, सरल या स्वाभाविक तटस्थता में कोई राज्य किसी युद्ध में तटस्थ रहने के लिये किसी सामान्य या विशेष सन्धि से बंधा हुआ नहीं होता है। अधिकार अवस्थाओं में तटस्थता इसी प्रकार की होती है। किन्तु जब कोई राज्य युद्ध में तटस्थता का पालन करने के लिये किसी विशेष सन्धि या अभिसमय द्वारा बंधा होता

है तो इसे अभिसमयात्मक (Conventional) तटस्थता कहते हैं। पहले (पृ० १४६) इस विषय में स्विट्जरलैण्ड, बेल्जियम तथा आस्ट्रिया के उदाहरण दिये जा चुके हैं। सन्धियों द्वारा तटस्थता के कुछ अन्य उदाहरण ये हैं - १८१५ की वियना कांग्रेस द्वारा पोलैण्ड में क्रेको (Cracow) का नगर स्वतन्त्र और तटस्थ बनाया गया था, १८४६ में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और स्विट्जरलैण्ड का विरोध करने पर भी आस्ट्रिया ने इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। १८८५ की बर्लिन कांग्रेस ने अफ्रीका में वागो के स्वतन्त्र राज्य को तटस्थ बनाया। १८५६ में रूस ने फिनलैण्ड की खाड़ी में आर्लैण्ड (Aaland) टापुओं में किलेबन्दी न करने तथा वहाँ स्थलीय प्रथवा समुद्री सेनाएँ न रखने का वचन दिया। १९२१ में जेनेवा में इन टापुओं के तटस्थीकरण के एक अभिसमय (Convention) पर महाशक्तियों ने हस्ताक्षर किये।

✓ सोपा भेद सशस्त्र तटस्थता (Armed Neutrality) का है। जब कोई तटस्थ देश अपनी तटस्थता को सुरक्षित रखने के लिए दम उद्देश्य या तैनीक कार्यवाही करता है कि दोनों युध्यमान पक्षों में से कोई उसके तटस्थ प्रदेश का उपयोग न कर सके तो यह सशस्त्र तटस्थता होती है। फ्रैंको जर्मन युद्ध (१८७०) में स्विट्जरलैण्ड की तटस्थता इसी प्रकार की थी। १९३९ के द्वितीय विश्वयुद्ध में बेल्जियम की यही स्थिति थी, उसने अपनी सेना को स्थायी सज्जावस्था (Mobilisation) की स्थिति में रखा। हालैंड और स्विट्जरलैण्ड की लगभग ऐसी स्थिति थी। 'सशस्त्र तटस्थता' के शब्द का प्रयोग एक दूसरे अर्थ में भी होता है। जब तटस्थ राज्यों को यह आशंका या सम्भावना होती है कि युद्धकारी पक्षों में से कोई पक्ष उनके तटस्थता के अधिकारों का अतिव्रमण या उल्लंघन करेगा तो उन राज्यों द्वारा तटस्थता की रक्षा के लिये की जाने वाली सैनिक कार्यवाही भी सशस्त्र तटस्थता कहलाती है। इस विषय के सुप्रसिद्ध उदाहरण १७८० ई० तथा १८०० ई० की सशस्त्र तटस्थताएँ (देखिये ऊपर पृ० ५२१-२) हैं।

पाँचवाँ भेद परोपकारी तटस्थता (Benevolent Neutrality) है। अतकाल तटस्थता में निष्पक्षता के तत्त्व पर अत्यधिक बल दिये जाने के कारण यह भेद विल्कुल समाप्त हो गया है। पुराने जमाने में जब तटस्थता के दायित्वों और कर्तव्यों का पालन इतनी कठोरता में नहीं हुआ करता था तो तटस्थ राज्य अपनी यह स्थिति रखते हुए भी किसी पक्ष के साथ विशेष पक्षपात का व्यवहार करते थे, उसे अनेक प्रकार से लाभ पहुँचाते थे। उसे एक पक्ष को लाभ पहुँचाने की दृष्टि में परोपकारी तटस्थता कहते थे।

छठा भेद पूर्ण अथवा निरपेक्ष (Perfect or Absolute) तथा अपूर्ण, सापेक्ष या विशिष्ट (Imperfect or Qualified) तटस्थता का है। पुराने जमाने में इस भेद का बहुत महत्त्व था। उस समय किसी राज्य की अपूर्ण या विशिष्ट तटस्थता की स्थिति तब समझी जाती थी, जब यह सामान्य रूप में तटस्थ रहते हुए युद्धकारी पक्षों में से किसी एक पक्ष को युद्ध छिड़ने से पहले की हुई सन्धि की शर्तों के अनुसार सन्धिय अथवा निष्पक्ष रूप में, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रीति से सहायता पहुँचा रहा हो। किन्तु

यदि कोई तटस्थ देश किसी भी मुख्यमान पक्ष को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रीति में, निष्क्रिय या सक्रिय रूप में सहायता न पहुँचा रहा हो तो इसे पूर्ण (Perfect) तटस्थता कहा जाता था। १८वीं सताब्दी में इस व्यवस्था का बहुत प्रचलन था। १९वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस विषय में इस बात में संदेह प्रकट किया जाने लगा कि तटस्थता के पूर्ण तथा अपूर्ण नामक दो भेद करना व्याप्योचित है या नहीं। अधिकांश आधुनिक विनिश्चासनी आजकल यह सम्भव ही नहीं मानने कि कोई राज्य तटस्थ रहने हुए किसी मुख्यमान पक्ष को किसी प्रकार सहायता पहुँचा सकता है।

इस समय पूर्ण तथा अपूर्ण तटस्थता के भेद को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाता, किन्तु पहले इसे बहुत महत्व दिया जाता था और इसके कुछ प्रसिद्ध ऐतिहासिक उदाहरण ये हैं— (१) १७७८ म. स. ० रा० अमरीका तथा फ्रांस ने मौजूदा और व्यापार की सन्धि (Treaty of Amity and Commerce) की, इसके अनुसार म० रा० अमरीका ने फ्रांस के निजी युद्धपोता (Privateers) का तथा इनके द्वारा पकड़े हुए जहाजा को युद्ध के समय अमरीकन बन्दरगाहों में प्रवेश का अधिकार दिया और यह बचन दिया कि वह फ्रांस के शत्रुओं के निजी युद्धपोता को अपने बन्दरगाहों में प्रवेश नहीं करने दगा। १७९३ म. फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन ने जब म० रा० अमरीका से प्राप्त कि निजी युद्धपोता के अमरीकन बन्दरगाहों में प्रवेश की तो स० रा० अमरीका ने उत्तर दिया कि वह १७७८ की सन्धि द्वारा ऐसा काम करने के लिये बचनबद्ध है। (२) डन्माक ने १७८१ की तथा अन्य सन्धियों द्वारा रुम को रणपोत तथा मेनाय देने का बचन दिया था। १७८८ के रुम स्वीडन युद्ध में डन्माक ने अपना बचन पूरा करते हुए रुम का ऐसी सहायता दी किन्तु फिर भी वह इस युद्ध में तटस्थ माना गया। (३) १८४८ म. जर्मनी और डन्माक के युद्ध छिड़ने पर ग्रेट ब्रिटेन ने एक पुरानी सन्धि के आधार पर जर्मनी को सन्धि नियाँ करना बन्द कर दिया किन्तु डन्माक को सस्त्र भेजना जारी रखा। (४) १९०० के दक्षिण अफ्रीका के युद्ध में प्रथमान में एक पुरानी सन्धि के अनुसार दक्षिण अफ्रीका को अपने प्रदेश में से ब्रिटिश फौजों को गुजरने के लिये रास्ता प्रदान किया। द्वितीय विश्वयुद्ध में भी पुरानी मैनी सन्धि के अनुसार उसने ग्रेट ब्रिटेन को अपने अजाम के तालुकों में नौसैनिक और वैमानिक बन्दरगाहों की अनुमति दी। (५) प्रथम विश्वयुद्ध में १९१५ में ब्रिटिश और फ्रांस के मन्त्रियों के दूनानी बन्दरगाहों में उत्तरी दूनान उम समय तटस्थ था, इन फौजों का उद्देश्य दूनान के मिन सर्किया को सहायता पहुँचाना था। दूनान ने यद्यपि इन कामों का प्रतिवाद किया, किन्तु फौजों के उतरने का विरोध नहीं किया।

सातवाँ भेद तटस्थतुल्यता (Quasi neutrality) का है। इसका विकास कारिया युद्ध (१९४९-५३) आदि आधुनिक परिस्थितियों के कारण हुआ है। तटस्थता से गहरा साहस्य रखने के कारण इसे तटस्थतुल्यता कहा जाता है। इसमें नियम बतलाने तटस्थता का शब्द का प्रयोग होता था। किन्तु स्टॉक न लिखा है कि आजकल

राज्यों के विरोधी सम्बन्ध दो प्रकार के होते हैं— (क) युद्ध, (ख) युद्धेतर सशस्त्र सघर्ष (Non-war armed conflicts) तथा शान्तिभंग की घटनाएँ, जैसे कोरिया युद्ध (देखिये ऊपर अध्याय २१)। इनके आधार पर इन सघर्षों से पृथक् रहने वाले राज्यों की तटस्थता की स्थिति भी दो प्रकार की होती है— (क) युद्ध में तटस्थ रहने की स्थिति, (ख) युद्धेतर सशस्त्र सघर्ष से पृथक् रहने की तथा इसमें भाग न लेने की स्थिति। इसे स्टार्क ने तटस्थत्वतुल्यता की स्थिति कहा है। इसके नियम अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा निश्चित नहीं हुए हैं।

तटस्थ तथा युध्यमान देशों के अधिकार और कर्तव्य (Rights and Duties in General of Neutrals and Belligerents)—तटस्थता के कारण तटस्थ और युध्यमान देशों को दो अधिकार तथा दो कर्तव्य प्राप्त होते हैं। तटस्थ देशों का युध्यमान देशों के प्रति पहला कर्तव्य यह है कि वह उनके प्रति निष्पक्षता की मनोवृत्ति बनाये रखे। दूसरे कर्तव्य द्वारा वह युध्यमान देश का यह अधिकार स्वीकार करता है कि वह परिवेष्टन (Blockade) का भंग करने वाले, विनिषिद्ध (Contraband) सामग्री ले जाने वाले तथा अतटस्थ सेवा (Unneutral service) करने वाले उसके जहाजों को दण्डित करे, उनका निरीक्षण और तलाशी ले तथा उनका निग्रह (Capture) करे। युध्यमान देशों का तटस्थ देशों के प्रति पहला कर्तव्य यह है कि वे उनके साथ निष्पक्षता का व्यवहार कर और दूसरा कर्तव्य यह है कि वे शत्रु के साथ तटस्थता के नियम के अनुकूल, उनके व्यापारिक सम्पर्क को कोई क्षति न पहुँचायें।

युध्यमान तथा तटस्थ देशों के अधिकार उपर्युक्त कर्तव्यों से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं। प्रत्येक युध्यमान देश को तटस्थ देश के राज्य से निष्पक्षता के व्यवहार की माँग करने का अधिकार है और प्रत्येक तटस्थ राज्य को भी युध्यमान देश से निष्पक्ष आचरण बनाए रखने की माँग का अधिकार है। तटस्थ देशों को यह माँग करने का भी अधिकार है कि शत्रु के साथ उनके सम्पर्क—विशेषतः व्यापारिक सम्बन्ध का विच्छेद या दमन नहीं किया जायगा। किन्तु इसके साथ ही इसमें सम्बन्ध रखने वाला यह अधिकार भी युध्यमान देशों को है कि वे तटस्थ देशों के उन व्यक्तियों तथा जलपोता को दण्डित करे, जो उनके परिवेष्टन का तोड़ते हैं, विनिषिद्ध युद्ध सामग्री शत्रु को पहुँचाते हैं उन्हे इस कार्य से रोकने के लिये उन्हें तटस्थ जहाजों के निरीक्षण और तलाशी तथा निग्रह (Visit, Search and Capture) का अधिकार है। इस तरह यह स्पष्ट है कि तटस्थ देशों के कर्तव्य युध्यमान राज्यों के अधिकार तथा उनके अधिकार युध्यमान देशों के कर्तव्य हैं। अब यहाँ पहले तटस्थ देशों के प्रधान कर्तव्यों तथा बाद में उनके प्रमुख अधिकारों का वर्णन होगा।

तटस्थ देशों के कर्तव्य (Duties of Neutral States)—स्टार्क ने इन्हे तीन मुख्य भागों में बाँटा है—परिवर्जन (Abstention) के, निवारण (Prevention) के तथा मोनमहमति (Acquiescence) के कर्तव्य। इनका संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित

(१) परिवर्जन के कर्तव्य (Duties of Abstention)—तटस्थ देश का कर्तव्य

है कि वह कुछ कार्य करने से अपने को बचाए रखने (परिवर्जन) का पूरा प्रयत्न करे। उसे किसी भी युध्यमान पक्ष को किसी प्रकार की कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष (Indirect) सहायता नहीं देनी चाहिये। उदाहरणार्थ, इसे किसी पक्ष को कोई सेनायें नहीं भेजनी चाहिए, कोई ऋण या इनकी गारण्टी नहीं देनी चाहिए, किसी पक्ष की सशस्त्र सेनाओं को आश्रय नहीं प्रदान करना चाहिए। तटस्थ राज्य को किसी युद्धकारी पक्ष की सैनिक सहायता किसी भी रूप में नहीं करनी चाहिए। इसका यह भी कर्तव्य है कि यह अपने देश के व्यक्तियों द्वारा किसी पक्ष को रणसामग्री का निर्यात न करने दे। किन्तु कई बार राज्यों के लिए अपने नागरिकों को वैयक्तिक रूप में युद्ध में भाग लेने से रोकना सम्भव नहीं होता। १९४९-५० के कोरिया युद्ध में साम्यवादी चीन की नियमित सेनाओं के असम्बद्ध सैनिकों (Irregulars) ने बड़ी सख्या में सीमा पार करके उत्तरी कोरिया वालों को सहायता दी थी, सुरक्षा परिषद में यह विषय उपस्थित होने पर साम्यवादी चीन ने इनकी कोई जिम्मेवारी लेना या इन्हें रोकना स्वीकार नहीं किया। १९०७ के पांचवें हेग अभिसरण के अनुच्छेद ६ में कहा गया है कि यदि कुछ व्यक्ति किसी युध्यमान पक्ष में भाग लेने के लिये तटस्थ राज्य के प्रदेश में से गुजरते हैं तो इनके गुजरने मात्र से उक्त राज्य पर तटस्थता का नियम गग करने की जिम्मेवारी नहीं टाली जा सकती। इसके साथ ही युध्यमान पक्ष का भी यह कर्तव्य है कि वह तटस्थ प्रदेश में शत्रुता के कोई कार्य न करे।

(२) निवारण के कर्तव्य (Duties of Prevention) - तटस्थ राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने प्रदेश में तथा क्षेत्राधिकार में निम्न कार्यों का निवारण करे, इन्हें होने से रोके—किसी भी युध्यमान पक्ष की सेना के लिये भर्ती, नडाई की तय्यारी तथा इसके प्रदेश में और प्रादेशिक समुद्र में लडाई के कार्य तथा किसी युध्यमान पक्ष के अधिग्रहण न्यायालयों (Prize Courts) की स्थापना। इसे अपने प्रदेश में से किसी युद्धकारी पक्ष की सेनाओं को गुजरने में रोकना चाहिए। किन्तु दोनों पक्षों के धायल और बीमार सैनिक तटस्थ देश में से होकर जा सकते हैं। १८वीं शताब्दी में तटस्थ देशों में से सेनाओं को गुजरने का अधिकार दिया जाता था, क्योंकि उस समय अनेक जर्मन राज्यों के प्रदेश बहुत बिलंब हुए थे, एक राज्य के एक भाग से दूसरे भाग तक जाने के लिये बीच में अन्य राज्यों के प्रदेश में से गुजरना पड़ता था। १९वीं शताब्दी के शुरु में ऐसा होता रहा, १८०५ में प्रशिया ने इस प्रकार सेनायें गुजारने के लिये रूस से गुप्त संधि की। नेपोलियन ने बनेडाट को फॉच सेनाएँ प्रशिया में बिना पूछे उसके राज्य में ले जाने का आदेश दिया। १८१३ में स्विस सरकार के प्रतिवाद के बावजूद आस्ट्रियन सेनायें उसके प्रदेश में से होकर गुजरी। १८१५ में स्विट्जरलैंड ने मित्रराष्ट्रों की सेनाओं को नेपोलियन को हराने के लिये अपने प्रदेश में न होकर जाने दिया। किन्तु इसके बाद से तटस्थ देशों में से युद्धकारी राष्ट्रों की सेनायें न गुजरने का नियम सार्वभौम रूप से स्वीकार किया जाने लगा।

अक्टूबर १९१५ में यूनान के तटस्थ होने हुए भी इसके प्रधानमंत्री वेनिजेनोस (Venizelos) के निमन्त्रण पर मित्रराष्ट्रों की सेनायें सविया को सहायता पहुँचाने के

उद्देश्य तो इसके बन्दरगाह सेलोनिका (Salonika) में उत्तरी, यूनानी सरकार ने इनका औपचारिक (Pro forma) निरोध तो किया, किन्तु इसमें कोई बाधा नहीं डाली। इस पर जर्मनी ने सेलोनिका पर आक्रमण कर दिया। जुलाई १९४५ में योरोप में जर्मनी के साथ लड़ाई बन्द हो जाने पर स्विट्जरलैंड ने स्वदेश तोटने वाली कुछ निःशस्त्र सेनाओं को अपने देश में से होकर गुजरने दिया, किन्तु अभी तक जापान के साथ युद्ध बन्द नहीं हुआ था, अतः स्विट्जरलैंड ने ग्रेट ब्रिटेन से आग्रह करके यह बचन लिया कि इसके प्रदेश में से गुजरने वाली ब्रिटिश सेनाओं का प्रयोग मुद्दपूर्वक के रणक्षेत्र में नहीं किया जायगा।

पाँचवें हेग अभिसमय (Hague Convention V) के दूसरे अनुच्छेद के अनुसार युद्ध करने वाले देश किसी तटस्थ प्रदेश में से कोई युद्धसामग्री नहीं ले सकते। किन्तु इसके सातवें अनुच्छेद में कहा गया है कि निजी व्यक्तियों द्वारा किसी मुख्यमान पक्ष को भेजी जाने वाली, स्थलसेना तथा जलसेना के किमी उपयोग में आ सकने वाली वस्तुओं तथा रणसामग्री के निर्यात या अपने देश में से हाकर गुजरने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए तटस्थ देश बाधित नहीं हैं। प्रथम विश्वयुद्ध में इस अनुच्छेद के सम्बन्ध में ग्रेट ब्रिटेन और हालैंड में बड़ा विवाद हुआ। उन दिनों वेल्जियम जर्मनी के अधिकार में था, यहाँ से जर्मनी ने कुछ घातुयें हालैंड के रास्ते स्वदेश भेजी। ब्रिटिश सरकार ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा कि यह कार्य उसने शत्रु को सहायता पहुँचाना तथा तटस्थता के नियम का भंग करना है। हालैंड का यह कहना था कि वह केवल सैनिक कार्यों में सबद्ध वस्तुओं का भेजा जाना ही रोक सकता है। द्वितीय विश्वयुद्ध में ८ जुलाई १९४० को जर्मनी ने स्वीडन के साथ यह समझौता किया कि स्वीडन उसे अपने प्रदेश में से जर्मन युद्धसामग्री, जर्मनी से नावें ले जाने की अनुमति प्रदान करे। ग्रेट ब्रिटेन ने इसे स्वीडन की तटस्थता का उल्लंघन मानते हुए इसका प्रतिवाद किया। इसी प्रकार उसने इस युद्ध में जर्मनी और इटली के स्विट्जरलैंड होकर गुजरने वाले माल के मर्यादित किये जाने पर बल दिया, १९४४ में जर्मन सेनाओं द्वारा उत्तरी इटली पर अधिकार कर लेने के बाद स्विस सरकार ने जर्मनी से इटली जाने वाले माल पर कुछ प्रतिबन्ध लगाए।

तटस्थ देश को यह उचित है कि वह अपने प्रदेश में किसी ऐसे जहाज को शस्त्रास्त्र में सुसज्जित एवं तैयार न होने दे, जिसके बारे में यह सन्देह हो कि वह युद्ध करने वाले किसी पक्ष को हानि पहुँचाने के उद्देश्य में तैयार किया जा रहा है। अलबामा दावा (Alabama Claims) का मामला इसका सुन्दर उदाहरण है। प्रथम परिशिष्ट में इसका विस्तृत विवरण दिया गया है।

किमी तटस्थ देश के प्रादेशिक समुद्र को नौसैनिक युद्ध का प्रह्ला नहीं बनाया जा सकता। १९०४ में रूस-जापान युद्ध में एक नौयुद्ध में परास्त होने पर रूसी रणपोती ने साषाई के बन्दरगाह में शरण ली। चीन इस युद्ध में तटस्थ था, अतः जापान की सरकार ने यह माँग की कि इसका गोलाबारूद चीनी सरकार को दे दिया जाय, इसे निरस्त करने चीनी सरकार को तैयार किया जाय। एप्पम (Appam) के मामले में

(देखिए प्रथम परिशिष्ट) न० रा० अमरीका के सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि जन्तु के किसी जहाज को पकड़कर उसे तटस्थ देश के बन्दरगाह में रखना तटस्थता के नियमों का उल्लंघन करना है।

तटस्थ देशों को अपने बन्दरगाहों में तथा प्रादेशिक समुद्र में युद्धकारी देशों के रणपोतों को नियम अर्थात् अधिक नहीं रखने देना चाहिए। विशेष अनुमति के अभाव में रणपोत तटस्थ बन्दरगाह में २४ घण्टे से अधिक नहीं रुक सकता। तूफान और आवश्यक मरम्मत आदि की विशेष अवस्थाओं में यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। तूफान समाप्त होते ही या मरम्मत पूरी होने पर इस जहाज को प्रादेशिक समुद्र में बाहर धकेलना चाहिए। मरम्मत का आशय रणपोत के लड़ने की शक्ति में वृद्धि करना नहीं, किन्तु उसे समुद्री यात्रा के योग्य बनाना है। यदि इसी सैनिक दृष्टि से मरम्मत की जाती है तो उसे तटस्थ बन्दरगाह से बाहर नहीं जान देना चाहिए। लेना (Lena) जहाज के मामले में यह निर्णय किया गया था कि तटस्थ बन्दरगाह में जहाज की अतैतिक (Civil) मरम्मत ही हो सकती है। ट्रेक (Trek) के मामले में किए गये निर्णय के अनुसार युद्धमान पक्ष के जलपोत तटस्थ बन्दरगाह में २४ घण्टे से अधिक नहीं रुक सकते और उन्हें यहाँ से अपने देश के निकटतम बन्दरगाह तक पहुँचने के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री से अधिक सामान लेने का अधिकार नहीं है।

(३) सूत्रमहमति के कर्तव्य (Duties of Acquiescence)—तटस्थ देश को युद्ध के कार्यों में हस्तक्षेप न करने की शक्ति को, युद्धकारी देशों द्वारा इसके जहाजों के निरीक्षण और तलाशी के अधिकारों को तथा विनिश्चित रणसामग्री ले जाने वाले अपने जहाजों की जन्ती को मुक्तभाव से सहन करना पड़ता है। युद्ध के समय उसका नाविक और व्यापार का अधिकार बहुत सीमित और नियन्त्रित हो जाता है, उस पर अनेक प्रतिबन्ध लग जाते हैं। ये सब उसे स्वीकार करने पड़ते हैं।

उपरोक्त तीन कर्तव्यों के अनिश्चित तटस्थ देशों के दो अन्य कर्तव्य भी हैं। पहला क्षतिपूर्ति (Reparations) देने का कर्तव्य है। यदि तटस्थ देश की दुर्भाग्यना या गलती से किसी युद्धकारी को हानि पहुँचती है तो तटस्थ देश को इसका मुआवजा देना चाहिए। दूसरा कर्तव्य प्रत्यास्थापन (Restoration) है। इसका यह अर्थ है कि यदि कोई युद्धमान पक्ष तटस्थ देश के प्रादेशिक समुद्र में जन्तु द्वारा पकड़े जहाज को पकड़ लेता है तो वह दोहरा अन्याय (wrong) करता है, इससे तटस्थ देश की प्रभुसत्ता (sovereignty) का अनिश्चय होना है तथा शत्रु से उसकी वस्तु अनुचित रूप से छीनी जाती है। इस अन्याय में तटस्थ देश को उसका अपकार करने वाले देश से यह मांग करने का अधिकार है कि वह इसका समुचित प्रतिकार करे तथा अनुचित रूप से छीनी हुई चीजों को वापिस लौटाये। प्रत्यास्थापन (Restoration) का यही अभिप्राय है।

(1) तटस्थ राज्यों के अधिकार—इसका पहला अधिकार अपने प्रदेश की अतैतिकता (Rights of Neutrals—Inviolability) है। इसमें शत्रुता और युद्ध के कोई कार्य नहीं हो सकते। युद्धकारी देश अपने प्रदेशों में शत्रुता महासमुद्र (High

Scas) में लड़ाई कर सकते हैं, किन्तु तटस्थ राज्य के प्रदेश में अथवा प्रादेशिक समुद्र में सन्तुता का कोई काम, लड़ाई, जहाजों का निरीक्षण, तलाशी या पकड़ना नहीं हो सकता। केवल अत्यन्त असामान्य अवस्थाओं में आत्मरक्षण के उद्देश्य से ये कार्य किए जा सकते हैं, किन्तु फौरन इनके लिए सफाई देना और क्षतिपूर्ति करना आवश्यक है। निम्नलिखित उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जायगा —

फ्लोरिडा (Florida) — इस मामले में दक्षिणी राज्यों का यह जहाज अमरीकन गृहयुद्ध के समय अमरीकी नूजर वाचुसेट (Wachusett) द्वारा ब्राजील के प्रादेशिक समुद्र में बहिया नामक बन्दरगाह में पकड़ा गया। ब्राजील उस युद्ध में तटस्थ था, उसने अपने प्रदेश के इस अतिक्रमण का प्रबल प्रतिवाद किया, इस पर अमरीकी सरकार ने क्षमा मांगी अपने रणपोत के कप्तान का कोर्ट मार्शल किया, फ्लोरिडा को पकड़ने की सलाह देने वाले बहिया के अपने वाणिज्यदूत को पदच्युत किया, अपने एक रणपोत को दसके पकड़े जाने की जगह पर ब्राजील ने भण्डे को सलामी देने के लिए भेजा और यह स्वीकार किया कि उगाहा यह कार्य सर्वथा 'अनधिकृत और अनेक' था।

किन्तु कई बार कुछ राज्य आत्मरक्षा के आधार पर तटस्थता का अतिक्रमण करते हैं। १८०७ में नैपोलियन के युद्धों में ग्रेट ब्रिटेन ने ऐसा कार्य किया था। उस समय डेन्मार्क तटस्थ देश था, ग्रेट ब्रिटेन ने इससे यह मांग की कि वह अपना मौसैतिक वेडा उसे दे दे क्योंकि इस बात की सम्भावना है कि नैपोलियन इस पर जबरदस्ती अधिकार कर लेगा। डेन्मार्क ने डगलैंड की यह प्रार्थना स्वीकार नहीं की, इस पर उमने इसके बेड़े पर आक्रमण करके इसे नष्ट कर दिया। प्रथम विश्वयुद्ध में जर्मनी ने बेल्जियम और लुक्सेमबर्ग की तटस्थता के उन्नयन के लिए आत्मरक्षा की युक्ति दी थी, उसका यह कहना था कि उसे इन देशों की दिशा से फ्रांस के आक्रमण का भय था। मार्च १९१५ में ब्रिटिश रणपोता ने जर्मन युद्धपोत ड्रेस्डन (Dresden) पर चिली के प्रादेशिक समुद्र में आक्रमण किया। दस अक्षरों पर यद्यपि ब्रिटिश विदेशमंत्री ने फौरन क्षमा मांगी, किन्तु अपने कार्य की सफाई देने हुए ब्रिटिश सरकार ने यह भी कहा कि ड्रेस्डन स्वयमेव चिली की तटस्थता का दुरुपयोग कर रहा था।

द्वितीय विश्वयुद्ध में तटस्थता के अतिक्रमण बहुत बड़े पैमाने पर हुए। प्रादेशिक समुद्र में इनके उल्लंघन के ग्राफ स्पी (Graf Spee, देखिये ऊपर पृ० २२६) तथा आल्डमार्क (देखिये प्रथम परिशिष्ट) सुप्रसिद्ध उदाहरण हैं। इसमें अनेक तटस्थ देशों पर आक्रमण हुए। ६ अप्रैल १९४० को जर्मन सरकार ने तटस्थ देश नावों पर आक्रमण किया और यह कहा कि उसने पास ऐसे निश्चित प्रमाण हैं कि ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस का इरादा नावों पर हमला करने का था, इसे रोकने के लिए यह कार्यवाही की जा रही है। इसी दिन उमने एक अन्य तटस्थ राज्य डेन्मार्क पर भी आक्रमण किया। इसके एक महीने बाद अग्रेना ने तटस्थ देश आइसलैण्ड पर यह कहते हुए अधिकार कर लिया कि इस पर जर्मनी का हमला होने वाला था। ६ मई को जर्मन सरकार ने तीन तटस्थ राज्यों—बेल्जियम, लुक्सेमबर्ग और हॉलैंड पर बिना चिन्तावनी के एकसाथ आक्रमण किया और अपने कार्य के समर्थन में यह कहा कि उसके पास इस बात के प्रमाण हैं कि

मित्रराष्ट्र इन पर हमला करने वाले थे। २८ अक्टूबर १९४० को इटली ने यह घोषणा की कि यूनान की तटस्थता केवल कोरी कल्पना है, उसकी यह मांग थी कि युद्ध की अवधि के लिए उभे यूनान की भूमि पर कब्जा करने का अधिकार दे दिया जाय। इस मांग के अस्वीकृत होने पर उसने यूनान के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। ६ अप्रैल १९४१ को धुरी राष्ट्रों ने यूगोस्लाविया पर आक्रमण किया, यूगोस्लाव सरकार के मतानुसार इसका कारण यह था कि उसने तटस्थता की नीति का परित्याग करने से इनकार किया था। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि यद्यपि तटस्थ राज्या का प्रदेश अनतिक्रम्य माना जाता है, फिर भी उनका अतिक्रमण अन्तर्राष्ट्रीय कानून की अपहेलना करते हुए बहुधा होता रहता है।

७) तटस्थ देशों का दूसरा अधिकार यह है कि उन्हें अपने प्रदेश के ऊपर के आकाश में पूर्ण प्रभुसत्ता प्राप्त है, किसी युद्धकारी देश के विमान को इन्हे अपने आकाश में नहीं उड़ने देना चाहिए। वे ऐसी उड़ान करने वाले विमान को गोली मारकर नीचे गिरा सकते हैं। इनको तीसरा अधिकार यह है कि ये युद्धकारी देशों में रहने वाले अपने नागरिकों की रक्षा कर सकते हैं, ये इस बात की मांग कर सकते हैं कि इनके नागरिकों को युद्धकारी देश अपनी सेना में भर्ती न करें। चौथा अधिकार यह है कि अपनी तटस्थता का अतिक्रमण करने वाले युद्धकारी देश से तटस्थ देश क्षतिपूर्ति की मांग कर सकते हैं। पाँचवाँ अधिकार यह है कि उन्हें अपने प्रदेश को लड़ाई की तैयारी के कार्यों से सर्वथा मुक्त रखना चाहिए। हेग के पाँचवें अभिसमय में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि तटस्थ प्रदेश में युद्ध की कोई तैयारी नहीं होनी चाहिए। Twee Gebroeders के मामले में लार्ड स्टोबेल ने लिखा था—“शत्रुता का कोई कार्य तटस्थ प्रदेश में आरम्भ नहीं हो सकता। आप तटस्थ प्रदेश से किसी स्थान का ऐसा उपयोग नहीं कर सकते कि यह आपको लाभ प्रदान करने वाली भूमि हो। तटस्थ देश को दोनों युध्यमान पक्षों के साथ पूर्ण समानता का व्यवहार करते हुए किसी पक्ष को लाभ नहीं पहुँचाना चाहिए।”

तटस्थ देश का छठा अधिकार यह है कि वह अपने प्रदेश में अथवा प्रादेशिक समुद्र में होने वाले लड़ाई के कार्यों को रोकने का अधिकार रखता है। प्रांसियस के शब्दों में “तुम अपने शत्रु को उसके देश में, अपने देश में ऐसी भूमि में जो किसी मनुष्य की न हो, अथवा महासमुद्र में मार सकते हो, किन्तु तटस्थ देश में नहीं मार सकते।” इनका सातवाँ अधिकार जहाँ तक दो सके समुद्री तारों को क्षति न पहुँचाने देना है। आठवाँ अधिकार अपने प्रदेश में से होकर फौजों को न जाने देना है। नौवाँ अधिकार इसे पुष्पगत, गवत, की, चाराल, सेनाओं के, अल्पम (Asylum) देने का अधिकार है। युद्ध में पीछा की जाती हुई समुची सेना को इस प्रकार शरण दी जा सकती है। किन्तु इस अवस्था में तटस्थ राज्य ऐसी सेना को निवृत्त करके उनी दक्ष के व्यय पर युद्ध को समाप्त कर उभे अपने देश में रोपकर रखता है। १८७१ में बूरबाकी (Bourbaki) की सेनानायकता में एक फ्रेंच सेना को स्विट्जरलैण्ड ने इस प्रकार आश्रय दिया था। इसका दसवाँ अधिकार अपने प्रदेश में अनन्य क्षेत्राधिकार (Exclusive Jurisdiction)

का है। इसके अनुसार कोई युद्धमान देश तटस्थ प्रदेश में अधिग्रहण न्यायालय स्थापित नहीं कर सकता। तटस्थ देश का स्वारहर्षा अधिकार दोनों युद्धमान पक्षों के साथ दौलत सम्बन्ध बनाये रखने का है। साईं स्टोवील के शब्दों में "राज्यों का व्यवहार (Practice) तटस्थ राज्यों को युद्धकारी राज्यों से राजद्रुत ग्रहण करने का अधिकार प्रदान करता है। किन्तु एक युद्धकारी देश में भेजे जाने वाले दूत को मार्ग में दूसरा युद्धकारी पक्ष अपने प्रदेश में रोक सकता है। तटस्थ देश में युद्धकारी देश के राजद्रुत को अपनी सरकार के साथ निर्बाध रूप में पत्र-व्यवहार करने का अधिकार है, इसमें दूसरा युद्धकारी पक्ष कोई विघ्न नहीं डाल सकता।"

युद्धकारी राष्ट्रों के अधिकार (Rights of Belligerent Countries)— तटस्थता में जहाँ एक ओर तटस्थ राज्यों को कुछ अधिकार हैं, वहाँ दूसरी ओर युद्ध करने वाले राज्यों को भी कुछ अधिकार हैं। इनमें से अनेक अधिकारों का तो ऊपर बर्णन हो चुका है, यह बताया जा चुका है कि इनके रणपोत तटस्थ बन्दरगाहों में २४ घण्टे तक रुक सकते हैं, समुद्री तूफान में कारण ले सकते हैं, अपने जहाजों की अर्सेनिक मरम्मत करा सकते हैं। किन्तु इनके कुछ विशेष अधिकार भी हैं। यहाँ इनमें से अंगरी (Angary) तथा अतटस्थ सेवा रोकने के अधिकारों का संक्षिप्त परिचय दिया जायगा।

अंगरी (Angary) युद्ध के समय असाधारण सार्वजनिक संकट होने पर, युद्धकारी राष्ट्रों द्वारा म्यावजा देकर तटस्थ राज्यों के जहाजों तथा अन्य सम्पत्ति को उपयोग में लाना या नष्ट करना अंगरी का कानून (Jus angariae) कहलाता है। आपेनहाइम के मतानुसार यह शब्द यूनानी के सदेशहर का अर्थ देने वाली Angaros शब्द से निकला है, लैटिन में इसका अर्थ जबरदस्ती काम लेना है। मध्ययुगीन में योरोप में युद्धकारी देश जहाजों की कमी होने पर, बन्दरगाहों में विद्यमान तटस्थ देशों के व्यापारिक जलपोतों पर अनपूर्वक अधिकार कर लेते थे और इनके नाविकों को इस बात के लिए बाधित करते थे कि वे उनसे अगाऊ रूप में भाड़ा लेकर उनकी सेनाओं, रणसामग्री और लाघसामग्री का परिवहन करें। इस प्रकार उस समय यह तटस्थ जहाजों द्वारा उदाई के लिए आवश्यक सामग्री की उदाई कराने का अधिकार था। फ्रांस के प्रसिद्ध शासक लुई चौदहव (१६३८-१७१५) ने इसका प्रचुर मात्रा में उपयोग किया। १७वीं शताब्दी में अपने जहाजों के युद्धकाल में इस प्रकार पकड़े जाने को रोकने के लिए विभिन्न राज्यों ने सन्धियाँ करनी शुरू की। इसके परिणामस्वरूप १८वीं शती में इसका प्रयोग बिल्कुल बन्द हो गया तथा आपेनहाइम के मतानुसार १९वीं शताब्दी में इसके उपयोग का एक भी उदाहरण नहीं है। २०वीं शताब्दी में

१८. आपेनहाइम—इण्टरनेशनल लॉ, ख० २, पृ० ७२६

१९. वडी, ख० २, पृ० ७३०

२०. १८७० के फ्रैंको-जर्मन युद्ध में इस प्रकार की एक घटना हुई थी। जर्मन अधिकारियों ने कोवना देने वाले कुछ ब्रिटिश जहाजों को सीन (Seine) नदी में डबलेवर के निरुद्ध रन उद्देश्य से डुबो दिया था कि यह नदी फ्रेंच गनबोटों के नौचालन की

प्रथम विश्वयुद्ध में इसका पुनः प्रयोग होने लगा, किन्तु इसका स्वरूप मध्यकालीन अगरी से कुछ भिन्न था। पहले इसका प्रयोग सेनाओं के तथा इनकी आवश्यक सामग्री के परिवहन के लिए किया जाता है, जहाजों को लेने के साथ नाविक बर्ग में भी काम लिया जाता था। आजकल अगरी का स्वरूप बहुत विस्तृत हो गया है, इसमें जहाजों के अतिरिक्त तटस्थ देशों की सभी प्रकार की सम्पत्ति का उपयोग या विध्वंस कुछ विशेष अवस्था में किया जा सकता है।

अगरी का आधुनिक स्वरूप (Modern Law of Angary)—ग्राफेनहाइम (१९६२) ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है—“अगरी के मूल (मध्यकालीन) अधिकार की तुलना में अगरी का आधुनिक अधिकार युद्धकारी देशों का ऐसा अधिकार है, जिसके अनुसार युद्धकारी देश आवश्यकता पड़ने पर, आक्रमण के प्रयत्न या प्रतिरक्षा के प्रयोजन से, अपने प्रदेश में, राज्यों के प्रदेश में अथवा महासमुद्रों में विद्यमान तटस्थ देशों की सम्पत्ति नष्ट कर सकते हैं या उपयोग में ला सकते हैं।” स० रा० अमरीका की नौबुद्ध संहिता (Naval War Code) में कहा गया है (अनु० ६) —“सैनिक आवश्यकता होने पर, युद्धकारी देश की अधिकार मता की सीमाओं के भीतर विद्यमान तटस्थ देशों के जहाजों को पकड़ा जा सकता है, नाष्ट किया जा सकता है, या अन्य सैनिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। किन्तु इन अवस्थाओं में तटस्थ जहाजों के मानिकों का पूरा मुआवजा दिया जाना चाहिए।” हमारे हंग सम्मेलन के पाँचवें अधिसमय (अनु० ६) में युद्धकारी देशों को असाधारण आवश्यकता की दशा में मुआवजा देकर तटस्थ देश की रेल सामग्री आदि का उपयोग करने का अधिकार दिया गया है। फिलिमोर (Philmore) का यह मत है कि इस अधिकार का प्रयोग तभी होना चाहिए, जब माल की दुर्लाई का भाड़ा पहले ही अदा कर दिया जाय और यदि इस माल की दुर्लाई के समय कुछ क्षति या नुकसान हो तो उसका पूरा मुआवजा देना चाहिए।

अगरी के आवश्यक तत्वों पर भी बुल्लोक (Bullock) ने बड़ा सुन्दर प्रकाश डाला है। उनके मतानुसार अगरी के आधुनिक कानून की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं—(क) युद्धकारी राज्य को विदेशी जहाजों, वायुयानों तथा परिवहन के अन्य साधनों के अविग्रहण (Requisition) करने का अधिकार है। (ख) यह तभी होना चाहिए, जब परिवहन के प्रयोजनों के लिए इनकी अत्यावश्यकता हो। (ग) ये वस्तुएँ अविग्रहण के समय इन पर अधिकार करने वाले राज्य के प्रदेश की सीमाओं के अन्दर हीनी चाहिए। (घ) इनका अविग्रहण राष्ट्र के आकस्मिक संकटकाल (Emergency) में

रहित से निरर्थक हो जाय। ब्रिटिश सरकार ने जर्मनी की इन कार्यवाही का विरोध किया क्योंकि वह इन युद्ध में तटस्थ था, उसने क्षतिपूर्ति की भी मांग की। इस पर विस्मार्क ने कहा कि जर्मनी का ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है, जिम्मे अनुसार वह जहाजों के मानिकों को मुआवजा दे, फिर भी उसने क्षतिपूर्ति देना स्वीकार कर लिया।

होना चाहिए। (ड) ली जाने वाली सामग्री का पूरा मुआवजा देना चाहिए। (च) छीने गए जलपोतो या वायुयानों के विदेशी नाविकों या वैज्ञानिकों को जहाज चलाने की सेवाएँ देने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता। दुस्लक ने इसमें अधिग्रहण को जाने वाली सामग्री, केवल परिवहन के माधन जलपोत, विमानादि माने हैं, किन्तु आगे बताये जाने वाले मामलों और उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जायगा कि यह तटस्थ युद्ध की दृष्टि से उपयोगी राज्य की कोई भी सम्पत्ति हो सकती है।

वर्तमान समय में अगरी के अधिकार का प्रयोग प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्धों में व्यापक रूप से किया गया। पहले विश्वयुद्ध में १९१७ में ब्रिटिश सरकार ने तटस्थ देश स्वीडन के Sphinx, Bellgrove, Phyllis, Cremeoa आदि जलपोतों पर तथा हॉलैण्ड के Vemmerbergen, Kelbergen आदि जहाजों पर अधिकार किया तथा इनके उपयोग का मुआवजा दिया। २० मार्च १९१८ को स. ० रा. ० अमरीकी सरकार ने यह घोषणा की कि राष्ट्रों के कानून के अनुसार उसे युद्धकारी देश होने के नाते यह अधिकार है कि सैनिक आवश्यकता होने पर युद्ध संचालन के प्रयोजन पूरा करने के लिए वह अपने क्षेत्राधिकार में विद्यमान जहाजों को ले ले तथा इनका उपयोग करे। इस घोषणा के आधार पर उतने अमरीकी बन्दरगाहों में विद्यमान ७७ जहाजों पर अधिकार कर लिया और इनके मालिकों को पूरा मुआवजा दिया। इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने भी ऐसा ही किया। प्रथम विश्वयुद्ध में जमोरा (Zamora, देखिये प्रथम परिशिष्ट) के मामले में युद्ध के प्रयोजन की दृष्टि से ब्रिटिश सरकार ने इस पर लदे हुए तबे और इमारती लकड़ी को ले लिया था। लार्ड पार्कर ने अपने निर्णय में अगरी के अधिकार का विवेचन करते हुए कहा कि युद्धकारी देश को तटस्थ देश के किसी भी जहाज या माल को निम्नलिखित विशेष अवस्थाओं में लेने का अधिकार है—(१) इस प्रकार लिए जाने वाले जहाजों या माल की प्रतिरक्षा के लिए अथवा युद्ध चलाने के लिए अत्यधिक आवश्यकता हो। (२) इस विषय में विचार के लिए वास्तविक प्रश्न होना चाहिए। (३) अधिग्रहण न्यायालय न्यायिक (Judicial) दृष्टि से यह निश्चय करे कि इस मामले की परिस्थितियों में इस अधिकार का प्रयोग होना चाहिए या नहीं।

अतटस्थ सेवा (Unneutral Service) — तटस्थ राज्यों द्वारा युद्ध करने वाले पक्षों में से किसी एक को लाभ पहुँचाने वाले कार्य अतटस्थ सेवा कहलाती है। इसे अतटस्थ नाम देने का कारण यह है कि ऐसे कार्य तटस्थ देशों को नहीं करने चाहिए। इनसे तटस्थ देश अतटस्थ देशों के कार्य करता है, अतः यह अतटस्थ सेवा कहलाती है। युद्धकारी राज्यों को किसी तटस्थ देश द्वारा उसके सन् को इस प्रकार लाभ पहुँचाने वाले कार्यों को रोकने तथा तटस्थ देश का दण्डित करने का अधिकार है। उदाहरणार्थ, यदि किसी तटस्थ देश का कोई वैयक्तिक जहाज किसी युध्यमान पक्ष के लिए मैनार्मों का परिवहन करता है, या रेडियो द्वारा उसे दूसरे पक्ष की सैनिक सूचनाएँ भेजता है, तो इसे देखते ही तत्काल नष्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई तटस्थ जलपोत किसी युद्धकारी पक्ष को लाभ पहुँचाने के लिए समुद्र में सुरंग विद्याता है तो उसे डूबाया जा सकता है।

अतटस्थ सेवा के स्वरूप का विशद स्पष्टीकरण १९०६ की लन्दन की घोषणा (अनु० ४५; तथा ४७) द्वारा मर्यादित किया गया था। हमने पहले इसका अर्थ तटस्थ जलपोतों द्वारा शत्रु की सेनाओं का परिवहन करना था। विनिषिद्ध (Contraband) के होते हुए भी इस नई परिभाषा की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि विनिषिद्ध में केवल निषिद्ध रणसामग्री की दुलाई का समावेश होना था, सेनाओं की दुलाई उसमें सम्मिलित नहीं थी। दूसरा कारण यह भी था कि रणसामग्री संधि रूप में शत्रु के लिए होनी हो, सो बात नहीं है, किन्तु सैनिकों की दुलाई प्रत्यक्ष एक स्पष्ट रूप से शत्रुओं के लिए होती है। इन दोनों कारणों से इसके लिए अतटस्थ सेवा की पृथक् परिभाषा बतलाई गयी, फ्रेंच में इसके लिए De l' assistance hostile अर्थात् "शत्रु की सहायता" शब्द का प्रयोग होता है और यह इसके स्वरूप को अधिक स्पष्ट करता है।

लन्दन की घोषणा के अनुसार तटस्थ जलपोतों द्वारा दो प्रकार के कार्य—किसी युद्धकारी देश के लिए सेनाओं का परिवहन तथा किसी पक्ष की सैनिक सूचना (Military intelligence) देना—अतटस्थ सेवा माने गए हैं। सशस्त्र सेनाओं की दुलाई के बारे में निम्न चार नियम बनाए गए—(क) यदि कोई तटस्थ जलपोत विशुद्ध रूप से (Exclusively) शत्रुसेनाओं की दुलाई में लगा होगा तो इसे शत्रुरूप (Enemy character) प्राप्त होगा (दक्षिण ऊपर अध्याय २१), यह अतटस्थ सेवा नहीं समझी जायगी। (ख) यदि कोई तटस्थ जलपोत न तो विशुद्ध रूप से सशस्त्र सेनाओं की दुलाई में लगा है, न ही वह इस प्रयोजन में यात्रा कर रहा है, किन्तु उस पर स्वाभाविक रूप से अपनी यात्रा करते हुए किसी पक्ष के कुछ सशस्त्र सैनिक यात्रा कर रहे हैं और जहाज के स्वामी तथा कप्तान को इसका ज्ञान है तो यह अतटस्थ सेवा समझी जायगी। (ग) यदि तटस्थ जलपोत पर इसके स्वामी, या इसे किराये पर ले जाने वाले कप्तान की जानकारी में किसी युद्धकारी पक्ष के या तटस्थ देश के प्रजाजन इस पर सवार हैं और अपनी संप्रदायों में वे संकेतप्रेषण (signalling) या रेडियो-सन्देश प्रेषण द्वारा शत्रु को सहायता पहुँचाते हैं तो यह अतटस्थ सेवा होगी। (घ) यदि तटस्थ जलपोत पर शत्रु की सशस्त्र सेनाओं के कुछ व्यक्ति सवार हैं और जहाज की यात्रा विशेष रूप से इनकी दुलाई के लिए की जा रही है तो इसे अतटस्थ सेवा माना जायगा। विशेष यात्रा का यह अभिप्राय है कि वह अपनी सामान्य यात्रा में जाने वाले बन्दरगाहों के अनिश्चित किसी अन्य बन्दरगाह में जाए या अपने स्वाभाविक मार्ग का परिवर्तन करे। यदि कोई पोत अपनी सामान्य यात्रा करते हुए किसी पक्ष के किन्हीं सशस्त्र व्यक्तिों को ले जाता है तो यह अतटस्थ कार्य नहीं समझा जायगा।

किसी युद्धमान पक्ष को सैनिक सूचना देने के सम्बन्ध में भी लन्दन सम्मेलन में दो प्रकार के नियम बनाए—(क) विशुद्ध रूप से (exclusively) शत्रु को सूचना देने का कार्य करने वाला तटस्थ जहाज शत्रुरूप प्राप्त कर लेता है। (ख) यदि वह विशेष रूप से इसी उद्देश्य से अपना स्वाभाविक मार्ग छोड़कर यात्रा करता है तो यह

अतटस्थ सेवा होगी, किन्तु यदि स्वाभाविक माग पर यात्रा करते हुए ऐसा कार्य किया जाता है तो इसे अतटस्थ कार्य नहीं माना जा सकता। तटस्थ जलपोत निम्न चार अवस्थाओं में शत्रुरूप धारण करता है और उसके साथ शत्रुता का व्यवहार किया जाता है— (क) जब तटस्थ जहाज लड़ाई के शत्रुतापूर्ण कार्यों में प्रत्यक्ष भाग ले, (ख) जब तटस्थ पोत शत्रु सरकार द्वारा इस पर विधाये गए किसी अधिकर्ता या एजेंट के नियन्त्रण में हो, (ग) जब यह अनन्य रूप से शत्रु की सरकार का कार्य कर रहा हो। (घ) जब यह अनन्य रूप से शत्रु के सैनिकों की दुलाई कर रहा हो, यह उसे सैनिक सूचनायें पहुँचाने में लगा हुआ हो।

रन्दन घोषणा का किसी राज्य ने अनुसमर्थन (Ratification) नहीं किया। किन्तु प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ने पर मित्रराष्ट्रों ने अतटस्थ सेवा के सम्बन्ध में इस घोषणा के नियमों को स्वीकार किया और जुलाई १९१६ तक इन्हे पूरी तरह लागू करते रहे। किन्तु इसके बाद जर्मनी द्वारा सब देशों के जहाजों को अघातुण्य दुबाने की नीति अपनाने के कारण मित्रराष्ट्रों ने इस घोषणा का परित्याग कर दिया। तत्पश्चात् इस विषय में परम्परागत अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का पालन होने लगा।

अतटस्थ सेवा के परिणाम—तटस्थ जलपोतों को अतटस्थ सेवा के लिए महा-समुद्र (Open sea) में अथवा दोनों युद्धकारी पृष्ठा के प्रादेशिक समुद्र (Territorial Waters) में पकड़ा जा सकता है। डाक ले जाने वाले जहाज का भी व्यापारिक पोतों के समान निग्रह (Capture) सम्भव है। शत्रु की सेना तथा सैनिक सूचना पहुँचाने वाले जहाज का राज्यसत्कारण (Confiscation) हो सकता है। अमरीकन तथा ब्रिटिश परम्परा के अनुसार जब कोई तटस्थ जहाज इन कार्यों के लिये पकड़ा जाता है तो उस पर यात्रा करने वाले सैनिकों को पकड़ने के साथ साथ जहाज को पकड़ना भी आवश्यक होता है। १८६१ में ट्रेन्ट (Trent) के मामले में (देखिये प्रथम परिशिष्ट), इस जहाज से दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधि मेसन और स्लिडेल को जबर्दस्ती पकड़ने के बाद जहाज को छोड़ दिया गया था। जहाज को पकड़े बिना इन प्रतिनिधियों का पकड़ना अवैध समझा गया था।

अतटस्थ सेवा के मामले (Cases of Unneutral Service)—इस विषय के कुछ महत्वपूर्ण मामला और निर्णयों से इसका स्वरूप स्पष्ट हो जायगा। पहले बताया जा चुका है कि अतटस्थ सेवा मुख्य रूप में दो प्रकार की होती है पहली तटस्थ जहाज द्वारा शत्रु को सैनिक सूचनायें पहुँचाने की तथा दूसरी शत्रु के लिये सैनिक बहन करने की। पहले प्रकार के प्रमुख उदाहरण ये हैं—(१) रैपिड (Rapid) एक अमरीकन जहाज था। यह १८१० में ग्रेट ब्रिटेन और हॉलैण्ड की लड़ाई में न्यूयार्क से टानिंजन (Tonningen) जाने हुए इसलिए पकड़ा गया कि यह हॉलैण्ड के मन्त्रिमण्डल के एक सदस्य को भेजी जाने वाली चिट्ठी टानिंजन के एक व्यापारी को सम्बोधित किये गये लिफाफे में छिपाकर ले जा रहा था। किन्तु स.० रा.० अमरीका के अधिग्रहण न्यायालय ने इस जहाज को मुक्त कर दिया, क्योंकि अतटस्थ सेवा के लिये यह आवश्यक है कि जहाज वास्तु को हमारे माध्यम से शत्रु को भेजी जाने वाली सूचना का ज्ञान हो और

वह जहाज इस सूचना को भेजने के लिए किराये पर लिया गया हो। (२) एटलांटा (Atlanta) का मामला रैपिड से भिन्न था। यह तटस्थ जहाज १८०८ में बटेनिया से बेमन जा रहा था। रास्ते में एक फ्रेंच बन्दरगाह में इसे फ्रांस के एक मन्त्री के नाम कुछ पत्र दिये गये। इन पत्रों का कप्तान को पुरा ज्ञान था और इन्हें चाय के सन्दूक में जान-बूझकर छिपा दिया गया था। मार्ग में ब्रिटिश सरकार ने इस जहाज को पकड़ लिया, अधिग्रहण न्यायालय ने जहाज और माल दोनों को इस आधार पर दण्डित किया कि इस प्रकार के पत्र ले जाना सन्तुापूर्ण कार्य है और इन्हें ले जाने वाले जहाज को जस्त किया जाना चाहिए।

शत्रु के सैनिक वहन करने वाले तटस्थ जहाजों के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण ये हैं—

(१) बी फ्रेंडशिप (The Friendship) नामक अमरीकन जहाज को १८०७ में इसलिए दण्डित किया गया था कि यह फ्रेंच नेता के अधिकारियों तथा ममुडी सैनिकों को ले जा रहा था। शत्रु द्वारा सैनिकों के परिवहन के निये किराये पर निये गये इस तटस्थ पोत को दण्डयोग्य समझा जाना स्वाभाविक था।

(२) ओरोजेम्बो (Orozembo) नामक अमरीकन जहाज १८०७ में उच्च सरकार के आदेश में हार्लैंड के तीन उच्च सैनिक अधिकारियों तथा सिविल सविस के दो अधिकारियों को बटेनिया ले जा रहा था। उच्च समय हार्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन में युद्ध चल रहा था। ग्रेट ब्रिटेन ने इस जहाज को अतटस्थ सेवा के लिए पकड़ लिया। इस मामले के निर्णय में यह कहा गया कि ऐसे अपराध में सैनिकों की मर्यादा का कोई महत्व नहीं है, यह सम्भव है कि उच्च पद रखने वाले अल्पसंख्यक व्यक्ति साधारण सैनिकों की बहुमर्यादा से अधिक महत्वपूर्ण हों। इसमें जहाज के कप्तान का यह ज्ञान नहीं था कि वह शत्रु को लाभ पहुँचाने वाला कार्य कर रहा है, किन्तु फिर भी इस मामले में यह माना गया कि मन्वी (Bonafide) अज्ञानता में भी भले ही वास्तविक अपराध न हो, किन्तु यदि इसमें शत्रु को लाभ पहुँचता है तो युद्धकारियों को इसे रोकने का अधिकार है।

(३) १८०२ में स्वीडन के जहाज कैरोलिना (Carolina) को ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के युद्ध में सर विलियम स्काट ने इसलिए दण्डित किया कि उसने फ्रेंच सेनाओं को मित्र से इटली पहुँचाया था। जहाज के मालिक ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि उसने बाधित होकर दिवसना में ऐसा कार्य किया है, किन्तु उसका कार्य हानि पहुँचाने वाला था, अतः न्यायालय ने उसका दिवसता का सकै स्वीकार नहीं किया।

(४) हनुमुन (Hanumun) के मामले में यह निर्णय दिया गया कि युद्ध के कार्यों से सम्बद्ध सकै तटस्थ जहाज से किसी युद्धकारी वेश को नहीं भेजे जा सकते।

(५) स्टीमशिप चायना (S S China) यह सघार्ड से अमरीकन बन्दरगाहों में डाक तथा सवारियों ले जाने वाला अमरीकन ना जहाज था। १९१६ में इस पर सवार होकर कुछ जर्मन, आस्ट्रेलियन और तुर्क मनीला जा रहे थे। एक ब्रिटिश तडाकू

जहाज ने इन सवारियों को जहाज से उतार लिया। अमरीकी सरकार ने इस कार्य का इस आधार पर प्रबल प्रतिवाद किया कि लन्दन घोषणा (देखिये ऊपर पृ० ५४५-६) के अनुच्छेद ४७ के अनुसार केवल स्थल और जलसेनाओं में नीकरी करने वाले व्यक्तियों को ही पकड़ा जा सकता है। ब्रिटिश सरकार का यह कहना था कि ये व्यक्ति विध्वस्तात्मक कार्यों में तथा हथियारों को भोरी से लाने के काम (Smuggling) में लगे हुए थे। इस विवाद का निणय होने से पहले ही स०-रा० अमरीका प्रथम विश्वयुद्ध में कूद पडा और ये व्यक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा छोड दिये गये। इस विषय के दो प्रसिद्ध उदाहरणो ट्रेंट (Trent) तथा असामा मारु (Asama Maru) का वर्णन प्रथम परिशिष्ट में किया गया है।

उत्तरीसर्वा अध्याय

परिवेष्टन

(Blockade)

परिवेष्टन का स्वरूप (Nature of Blockade)—युद्ध के समय यद्यपि तटस्थ देशों को युद्ध करने वाले दोनों पक्षों के साथ व्यापार करने का अधिकार होता है, तथापि यह अधिकार दोनों पक्षों द्वारा शत्रु के परिवेष्टन या नाकाबन्दी से बहुत सीमित एवं मर्यादित हो जाता है। इससे शत्रु के समुद्रतट और बन्दरगाहों को इस प्रकार घेर लिया जाता है कि बाह्य जगत् से उनका कोई सम्पर्क न रहे। आजकल शत्रु को परास्त करने के लिये तथा उसकी अर्थव्यवस्था को विच्छिन्न करने के लिये इस साधन का बहुत प्रयोग किया जाता है। दोनों विश्वयुद्धों में जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन ने परिवेष्टन का प्रयोग व्यापक रूप से किया था। इसका मुख्य उद्देश्य शत्रु को अन्य देशों से पहुँचने वाली सामग्री प्राप्त करने से रोकना, उसके उद्योग-धन्धों के लिए आवश्यक कच्चे माल के पोत बन्द करना, बाहर से आने वाले खाद्य पदार्थों के जहाज रोककर उसे मूला मारना तथा इस प्रकार आत्मसमर्पण के लिये बाधित करना है।

स्टार्क ने इसका लक्षण करते हुए कहा है कि परिवेष्टन तब होता है, जब कोई युध्यमान पक्ष शत्रु के समुद्रतट के समूचे अथवा कुछ हिस्से का रास्ता सब देशों के जनयानों और विमानों के प्रवेश या आगमन (Ingress) और निर्गमन (Egress) के लिए रोक देता है। आपेनहाइम के मतानुसार^१ परिवेष्टन शत्रु के समूचे समुद्रतट को अथवा इसके कुछ हिस्से के मार्ग को रणपोता (Men-of War) द्वारा इस प्रयोजन से बन्द कर देता है कि इनसे किसी जलपोत या विमान का आगमन और निर्गमन न हो सके। इनमें रणपोत बन्द का प्रयोग जानबूझकर किया गया है। यदि किसी बन्दरगाह का रास्ता केवल परशरो से लदे जहाजों को डूबाकर बन्द होगा, जैसा १८६१ में अमरीकन गृह-युद्ध में चार्ल्सटन के बन्दरगाह में किया गया तो वह परिवेष्टन नहीं समझा जायगा, इसमें तटस्थ जहाजों का आना जाना निषिद्ध नहीं समझा जा सकता। परिवेष्टन (Blockade) घेरे (Siege) से भिन्न है, घेरा डालने का उद्देश्य किसी दुर्ग या धिरे स्थान पर विजय पाना होता है। परिवेष्टन का मुख्य लक्ष्य समुद्री मार्ग से बाह्य जगत् के साथ शत्रु के सम्पूर्ण व्यापारिक सम्पर्क को विच्छिन्न करना है।

शत्रु को हराने की दृष्टि में परिवेष्टन का प्रयोग प्राचीन काल में हो रहा है।

१. स्टार्क—एन इण्ट्रोडक्शन टू इण्टरनेशनल लॉ, पृ० ४०३

२. आपेनहाइम—इण्टरनेशनल लॉ, खंड २, पृ० ७६८

प्रोशियस ने लिखा है कि डिमेट्रियस (Demetrius) ने एथेन्स को आत्मसमर्पण के लिये विवश करने की दृष्टि से उसे भूखा मारने की योजना बनाई, उसकी अनाज पहुँचाने वाले एक जहाज के स्वामी और पालक को फाँसी दे दी, इसी तरह उसने अन्य व्यक्तियों को भी एथेन्स में खाद्य सामग्री पहुँचाने से रोका तथा स्वयमेव एथेन्स का अधीश्वर बन गया। आधुनिक काल में डच सरकार ने १५८४ में तथा १६३० में इसका सर्वप्रथम प्रयोग करते हुए फ्लैण्डर्स (वर्तमान बेल्जियम) में स्पेन के अधिकार में विद्यमान सब बन्दरगाहों का परिवेष्टन किया। शर्त-शर्त इसके नियमों का विकास होने लगा।

पेरिस की घोषणा (Declaration of Paris 1856) तथा लन्दन की घोषणा (London Declaration 1909) में इनका सुस्पष्ट प्रतिपादन किया गया। प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्धों में इसे वर्तमान रूप मिला।

पहले परिवेष्टन शत्रु की बन्दरगाहों और समुद्रतट तक ही सीमित रखा जाता था, तटस्थ देशों के बन्दरगाहों या समुद्रतट में प्रवेश को नहीं रोका जाता था। किन्तु अब इसका क्षेत्र बहुत विस्तीर्ण हो गया है, लम्बी दूरी (Long distance) का परिवेष्टन भी वैध माना जाता है। इसके लिये सार्वदेशिक (Universal) होना आवश्यक है, परिवेष्टित प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के सब देशों के जहाजों के आने-जाने पर प्रतिबन्ध होना चाहिये। यह आवश्यकतानुसार सामरिक (Strategic) अथवा व्यापारिक (Commercial) हो सकता है। सामरिक परिवेष्टन शत्रु के समुद्रतट के विरुद्ध किये जाने वाले सैनिक कार्यों का अंग होता है तथा इसका उद्देश्य तटवर्ती शत्रुसेनाओं से प्राप्त हो सकने वाली सहायता को रोकना है। व्यापारिक परिवेष्टन में शत्रु के समुद्रतट का अन्य देशों के साथ वाणिज्य का सम्पर्क विच्छिन्न कर दिया जाता है किन्तु इस तट पर कोई सैनिक कार्यवाही नहीं की जाती। प्रथम विश्वयुद्ध से पहले सुप्रसिद्ध ब्रिटिश विधिशास्त्री हाल (Hall) ने यह मत प्रकट किया था कि व्यापारिक परिवेष्टन अवैध है, इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। किन्तु आजकल दोनों प्रकार के परिवेष्टन वैध माने जाते हैं।

पेरिस तथा लन्दन की घोषणायें (Declarations of Paris and London) — पेरिस की घोषणा (१८५६) द्वारा परिवेष्टन के सम्बन्ध में यह नियम बनाया गया था कि इसके बाध्य रूप से पालनीय (Binding) होने के लिये “इसका प्रभावशाली (Effective) होना आवश्यक है।” इसका यह अर्थ है कि इसे लागू करने वाली शक्ति इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि यह वस्तुतः शत्रु के समुद्रतट तक प्रवेश को रोक सके। किन्तु इस घोषणा ने पर्याप्त शक्ति की व्याख्या नहीं की।

१९०९ की लन्दन की घोषणा का यद्यपि किसी राज्य ने अनुसमर्थन (Ratification) नहीं किया, फिर भी उसके इस विषय में बनाये गये स्पष्ट और विशद नियमों का बहुत महत्व है। इनमें से कुछ ये हैं—(क) इसने परिवेष्टन के प्रभावशाली होने के

१८५६ के नियम को संपुष्ट किया ।

(ख) परिवेष्टन के आरम्भ करने की तथा उसकी भौगोलिक सीमाओं की सूचना तटस्थ देशों को दी जानी चाहिये । यह घोषणा करने का अधिकार युद्धकारी देश को अथवा उसकी ओर में कार्य करने वाले नीसेनापति को है । इनके अतिरिक्त, कोई अन्य व्यक्ति ऐसी घोषणा नहीं कर सकता । इस घोषणा का यह उद्देश्य था कि तटस्थ देशों को पूरी सूचना और चेतावनी, परिवेष्टित प्रदेश में प्रवेश से पहले ही मिल जानी चाहिये, ताकि वे खुद सोच-विचार करने के बाद, अपना दायित्व और खतरा समझते हुए ही इसमें प्रवेश करें ।

(ग) शत्रु की बन्दरगाहों से तथा समुद्रतट से आगे के प्रदेश में परिवेष्टन नहीं होना चाहिये तथा तटस्थ बन्दरगाहों पर और तटस्थ देशों के तटों पर प्रवेश में प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये ।

(घ) परिवेष्टन का ज्ञान होने पर इस प्रदेश में घुसने वाले जहाज को जल्द किया जा सकता है । यदि किसी जहाज को तटस्थ देश के बन्दरगाह से रवाना होने से पूर्व उस देश को परिवेष्टन की सूचना दी जा चुकी है और इस सूचना को प्रकाशित करने के लिये स्थायी अधिकारियों को पर्याप्त समय मिल चुका है, तो यह मान लिया जायगा कि जहाज को परिवेष्टन की सूचना प्राप्त हो गई है (अनु० १५) ।

(ङ) तटस्थ जहाज केवल रणपोतों की कार्यवाही करने के क्षेत्र में पकड़ा जा सकता है ।

(च) जहाज का तथा उसके माल का अन्तिम पहुँचने का स्थान कोई भी हो, उसे तब तक परिवेष्टन के भंग के लिये नहीं पकड़ा जा सकता, जब तक वह अपरिवेष्टित (Non Blockaded) बन्दरगाह की ओर जा रहा हो (अनु० १६) ।

(छ) लन्दन घोषणा के अनुच्छेद २१ में परिवेष्टन भंग करने पर दण्ड की व्यवस्था थी । इसे भंग करने वाले पोत को दण्डित किया जा सकता है, इस पर लड़ा हुआ माल भी तब तक दण्डयोग्य है, जब तक यह सिद्ध न हो जाय कि इस माल के लाने जाने के समय जहाज के मालिक को परिवेष्टन का ज्ञान नहीं था और उगका इसे भंग करने का कोई इरादा नहीं था ।

परिवेष्टन के विभिन्न रूप (Various Forms of Blockade)— इसका पहला रूप कागजी परिवेष्टन (Paper Blockade) होता है । जब कोई शक्ति इसकी घोषणा करती है, इसे छाप देती है, किन्तु प्रभावशाली ढंग में क्रियात्मक रूप देने की सामर्थ्य नहीं रखती, अपने रणपोतों द्वारा शत्रु के बन्दरगाहों में जहाजों के आने जाने पर कोई पाबन्दी नहीं लगा सकती तो यह केवल कागज पर लिखी घोषणामात्र रह जाती है । लारेन्स ने शब्दों में यह परिवेष्टन नहीं, किन्तु बिना अधिकार के तटस्थ जलपोतों को हानि पहुँचाने का अर्थ प्रयत्न है ।

दूसरा रूप प्रभावशाली परिवेष्टन (Effective Blockade) का है, इनमें रणपोतों की सहायता से शत्रु के बन्दरगाहों में जहाजों का आना जाना विस्तृत रूप देना है ।

तोसरा रूप सामरिक (Strategic) तथा चौथा व्यापारिक (Commercial) है। इनका पहले (पृ० ५५०) स्पष्टीकरण किया जा चुका है। पाँचवाँ रूप राजनयिक ढंग से सूचना देकर किया जाने वाला परिवेष्टन (Blockade by Notification) है। आपेनहाइम ने इसके अन्य दो रूप आगमन परिवेष्टन (Blockade Inwards) तथा निगमन परिवेष्टन (Blockade Outwards) बताये हैं। जब किसी बन्दरगाह या समुद्र में प्रवेश का निरोध किया जाय तो यह आगमन परिवेष्टन होता है, १८५४ के श्रीमिया युद्ध में मिनराष्ट्रो ने डेन्यूब नदी के मुहाने का ऐसा परिवेष्टन किया था, क्योंकि उसका उद्देश्य डेन्यूब नदी के रास्ते से कृष्ण समुद्र में रूसियों को मिल सकने वाली सहायता बन्द करना था।

परिवेष्टन योग्य स्थान (Places of Blockade)—पहले केवल किलेबन्दी वाले या इससे रहित बन्दरगाहों का ही परिवेष्टन किया जाता था। कई बार बन्दरगाहों के साथ समुद्रतट भी शत्रु के जहाजों के लिये बन्द कर दिये जाते थे। स० १८०० अमरीका के गृहयुद्ध में उत्तरी राज्यों ने दक्षिणी राज्यों के २५०० मी० लम्बे समुद्रतट की नाकेबंदी की थी। शत्रु के हाथ में पड़े हुए बन्दरगाह भी परिवेष्टित किये जाते हैं, १८७० के फ्राँको जर्मन युद्ध में फ्रांस ने जर्मनों द्वारा अधिकृत बन्दरगाहों—रूआ (Rouen), दिपेप (Dieppe) तथा फेकाप (Fecamp) में ऐसा किया था। उद्गम से मुहाने तक एक ही देश में बहने वाली राष्ट्रीय नदियों (National Rivers) (देखिये ऊपर पृ० २०५) का परिवेष्टन हो सकता है। किन्तु अनेक देशीय अथवा सीमावर्ती (Boundary) नदियों को परिवेष्टित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन पर राष्ट्र का नहीं, किन्तु अनेक राष्ट्रों का स्वामित्व है। १८५४-५६ के श्रीमिया युद्ध में जब ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने डेन्यूब का परिवेष्टन किया तो इस नदी से सबड बचेरिया तथा वुर्टेम्बर्ग के जर्मन राज्यों ने इसका विरोध किया। आपेनहाइम ने लिखा है कि इस विषय में अन्तर्राष्ट्रीय कानून सुनिश्चित नहीं है।^१ १८७० के फ्राँको जर्मन युद्ध में फ्रांस ने उत्तरी सागर के जर्मन समुद्रतट का परिवेष्टन करते हुए एम्स नदी के मुहाने डोल्लार्ट (Dollart) को छोड़ दिया क्योंकि यह डच और जर्मन प्रदेश की सीमा बनाता था। १८६३ के अमरीकन गृहयुद्ध में दक्षिणी राज्यों के समुद्रतट का परिवेष्टन करते हुए उत्तरी देशों के नूजर वन्देर्विल्ट (Vanderbilt) ने अरिओग्राण्डे नदी के मेक्सिको वाले तट के मातामोरोस स्थान को जाते हुए ब्रिटिश पोत पीटरहोफ (Peterhoff) को पकड़ लिया, किन्तु न्यायालय ने इसे मेक्सिको के तटस्थ होने के कारण छोड़ दिया।

जलडमरूमध्यों के परिवेष्टन के विषय में तीन प्रकार के नियम हैं। एक राज्य से सम्बन्ध रखने वाले प्रदेशों को विभक्त करने वाले तथा खुले समुद्र के दो भागों को न जोड़ने वाले जलडमरूमध्यों का परिवेष्टन हो सकता है। किन्तु डाइनेलज जैसे एक राज्य के दो प्रदेशों को विभक्त करने वाले तथा खुले समुद्र के दो बड़े हिस्सों के मिलाने वाले जलडमरूमध्यों के बारे में कोई नियम निर्दिष्ट नहीं हुआ है। १९११ के टर्की इटली

युद्ध के समय इटली ने डाईनल्ट्ज का परिवेष्टन नहीं किया। ऐसे जलडमरूमध्यों के बारे में अभी तक कोई नियम निश्चित रूप से नहीं स्थिर हुआ है। यही स्थिति दो विभिन्न राज्यों को विभक्त करने वाले जलडमरूमध्यों की है। एक देश में विद्यमान नहर का परिवेष्टन हो सकता है। किन्तु दो महासमुद्रों को जोड़ने वाली स्वेज और पानामा नहर के बारे में विरोध समझौते हैं। कानूनी रूप से इनका परिवेष्टन नहीं हो सकता।

वास्तविक परिवेष्टन की आवश्यक शर्तें (Essential Conditions of Real Blockade) — इसकी पहली शर्त यह है कि इसकी स्थापना उचित रीति से, युद्धकारी राष्ट्र की सरकार द्वारा अथवा उस द्वारा विशेष रूप से नियुक्त नौसेनापति द्वारा होना चाहिए। दूसरी शर्त प्रभावशाली होने की है, पेरिस और लन्दन की घोषणाओं ने इस पर बल दिया था। इसे लागू करने के लिए इतनी शक्ति का प्रयोग होना चाहिए कि इसे तोड़ने में भारी खतरा हो। १७८० की पहली सशस्त्र तटस्थता (First Armed Neutrality) के अनुसार परिवेष्टन तभी प्रभावशाली होता है, जब तट तन पहुँचने का मार्ग लगर डाले हुए रणपोतों द्वारा इस तरह घिरा हो, सब पोत एक दूसरे के इतने निकट हो कि बगैर खतरा उठाये इनकी पत्ति को न तोड़ा जा सकता हो। फिलिमोर ने लिखा है कि तथ्यानुसार या वास्तविक (De facto) परिवेष्टन कई जहाजों को पत्ति द्वारा होता है, ये जहाज निषिद्ध बन्दरगाह के मुहाने पर एक तोरण या मेहराब (Arch) सी बनाये होते हैं, यदि यह किसी एक स्थान पर भी भंग होती है तो सारा परिवेष्टन भंग हो जाता है। पहले विश्वयुद्ध तक फ्रांस प्रभावशाली परिवेष्टन के लिए रणपोतों द्वारा ऐसा बेरा डालना आवश्यक मानता था।

इस विषय में दूसरा दृष्टिकोण स० रा० अमरीका जर्मनी, तथा ग्रेट ब्रिटेन का है। डा० लसिंगटन ने १८५५ में फ्रांसिस्का (Franciska) के मामले में (देखिए प्रथम परिशिष्ट) इसकी व्याख्या करते हुए कहा था कि परिवेष्टन के प्रभावशाली होने के लिए इतनी पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए कि यह इस क्षेत्र में आगमन और निर्गमन को, कुदरे, तेज हवा, आवश्यक अनुपस्थिति आदि की विक्षेप अवस्थाओं के अतिरिक्त अन्य अवस्थाओं में सन्नतपूर्ण बना दे, इनमें इसे भंग करने का प्रयत्न करने वाले जहाज का पकड़ा जाना अत्यधिक सम्भव हो। इसके अनुसार परिवेष्टन के लिए बन्दरगाह के प्रवेश मार्ग को घेरने वाले, लगर डाले हुए रणपोतों की पत्ति या तोरण का होना आवश्यक नहीं है। प्रधान न्यायाधीश कावर्बर्न ने १८७२ में *Geipel v Smith* के मामले में यह निर्णय दिया था कि "कानून की दृष्टि से एक परिवेष्टन तब प्रभावशाली समझना चाहिए, जब शत्रु के जहाजों की सख्या और स्थिति ऐसी हो कि सामान्यतः इसे भंग करना खतरों में पड़ना हो, भले ही कुछ जहाज इसे तोड़ने में सफल हों।"

सामान्य रूप से, प्रभावशाली परिवेष्टन एक तग जलप्रणाली में जमी जहाजों के बेटे द्वारा स्थापित किया जाता है। इसे अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए समीपवर्ती तट पर दूने भंग करने वाले जहाज पर गोले बरसाने वाले तोपखाने भी लगाये जाते हैं। परिवेष्टन में कम से कम एक रणपोत आवश्यक होना चाहिए। इसमें आज तक वायुयानों से भी बहुत सहायता ली जाने लगी है। परिवेष्टन तभी तक प्रभावशाली

है, जब तक इसका उल्लंघन करने में सतारा बना रहता है। यदि यह सतारा रणपोतो के हट जाने से दूर हो जाय तो परिवेष्टन स्वयमेव समाप्त हो जाता है।

परिवेष्टन की तीसरी शर्त इसका निरन्तर (Continuous) बनाये रखना है। इसमें कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। यदि परिवेष्टन स्थापित करने के कुछ समय बाद इसे प्रभावशाली बनाने वाला वेडा वापिस लौट जाता है तो परिवेष्टन को समाप्त समझा जायगा। किन्तु यदि ऋतु की प्रतिबलता के कारण कुछ समय के लिए रणपोतो को अस्थायी रूप से अपने स्थान से हटना पडता है तथा ऋतु अनुकूल होने पर वे पुनः अपने स्थान पर लौट आते हैं, तो लन्दन घोषणा के अनुसार रणपोतो के यहाँ से अस्थायी रूप से हटने के कारण परिवेष्टन की समाप्ति नहीं समझी जायगी।

चौथी शर्त उपयुक्त सूचना (Notification) देने की है। प्रायः परिवेष्टन करने वाला नौसेनापति इसकी सूचना परिवेष्टित तट या बन्दरगाह में अधिकारियों को, वहाँ रहने वाले वाणिज्यदूतों को तथा तटस्थ समुद्री राज्यों को भेजता है। फ्रांस तथा इटली इस विषय में यह सावधानी भी बरतते हैं कि परिवेष्टित स्थान के पास आने वाले तटस्थ पोतों को वे परिवेष्टन की पुनः सूचना देते हैं। किन्तु स० रा० अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन और जापान ऐसा करना आवश्यक नहीं समझते। यदि परिवेष्टन का वास्तविक ज्ञान रखने वाले किसी पोत को कोई सूचना नहीं दी गयी और वह परिवेष्टन को भंग करता है तो इन देशों की परिपाटी के अनुसार उसे पकड़ा जा सकता है।

पाँचवीं शर्त निष्पक्षता की है। परिवेष्टन करने वाले राज्य को सभी देशों के जहाजों का आगमन और निर्गमन समान रूप से रोकना चाहिए। फ्रांसिस्का के मामले में प्रिंसी कौंसिल ने रूस के रीगा नामक बन्दरगाह का ब्रिटिश परिवेष्टन इसलिए अर्बैध समझा था कि यह सब देशों के लिए समान एवं निष्पक्ष रूप से लागू नहीं किया गया था, इसमें कुछ युद्धकारी देशों को ऐसी दूट या डील दी गयी थी, जो तटस्थ देशों को प्राप्त नहीं थी। इसकी छठी शर्त यह है कि तटस्थ देशों के तटों तथा बन्दरगाहों का रास्ता बन्द नहीं किया जा सकता। सातवीं शर्त यह है कि परिवेष्टन का क्षेत्र इसे बनाये रखने वाले रणपोतो के कार्यक्षेत्र से अधिक विस्तीर्ण नहीं हो सकता।

परिवेष्टन की समाप्ति (Cessation of Blockade)—युद्ध के अवसान से परिवेष्टन करने वाली शक्ति द्वारा इसे वापिस लेने में अथवा इसके प्रभावशाली न रहने से इसकी समाप्ति हो जाती है। इसके अन्य कारण परिवेष्टन करने वाले जमी वेडे की हार और पलायन तथा इस वेडे को युद्ध के लिये ठूमे स्थान पर बुला लेना है।

परिवेष्टन का भंग (Breach of Blockade)—बेटसी (Betsey) के मामले में १७६८ में निर्णय देते हुए सर विलियम स्काट ने कहा था कि परिवेष्टन के भंग के लिए तीन बातों का सिद्ध करना आवश्यक है। प्रथम, वास्तविक परिवेष्टन की सत्ता द्वितीय, भंग करने वाले पक्ष को इसका ज्ञान होना, तृतीय, परिवेष्टन धारम्भ होने के बाद लडे हुए माल के साथ निषिद्ध क्षेत्र में आने या जाने का कार्य करके परिवेष्टन को तोडना। आपेनहाइम के मतानुसार "परिवेष्टन के अतिव्रमण या भंग का आशय

परिवेष्टन होते हुए भी किसी जहाज का बिना आज्ञा के आगमन या निर्गमन है। जहाँ तक दण्ड का सम्बन्ध है, इसके अतिक्रमण का प्रयत्न करना, अतिक्रमण के तुल्य अपराध है।”

परिवेष्टन की सूचना न होने पर इसके भंग का कोई अपराध नहीं हो सकता। किन्तु इसकी सूचना की प्रक्रिया के सम्बन्ध में विभिन्न देशों की परिपाटी एक-सी नहीं है। इटली और फ्रांस में राजनयिक (Diplomatic) तथा स्थानीय (Local)—दोनों ढंगों से सूचना देना आवश्यक समझा जाता है। इन दोनों देशों की परिपाटी के अनुसार किसी जहाज को तब तक परिवेष्टन भंग करने का अपराधी नहीं माना जाता, जब तक उसे इस क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले परिवेष्टन करने वाले राष्ट्रों ने रोककर विधेय चेतावनी न दी हो और इसे अपनी दैनिक नौपत्रिका (Logbook) में अंकित न किया हो। स० रा० अमरीका, जापान और ग्रेट ब्रिटेन की परिपाटी इससे भिन्न है। वे राजनयिक सूचना (Diplomatic notice) को पर्याप्त समझते हैं, स्थानीय सूचना देना या राष्ट्रों द्वारा चेतावनी देना आवश्यक नहीं मानते। यह उनके मतानुसार वास्तविक सूचना (Actual notice) है। वे इसके स्थान पर Constructive notice को अधिक महत्व देते हैं। इसका यह अभिप्राय है कि राजनयिक सूचना द्वारा अथवा परिवेष्टन के बारे में प्रसिद्धि होने से ही यह मान लिया जाता है कि सब जहाजों को परिवेष्टन की सूचना मिल गई है।

परिवेष्टन भंग करने के परिणाम (Consequences of the Breach of Blockade)—लन्दन घोषणा के अनुच्छेद २१ में परिवेष्टन भंग करने वाले जहाज को दण्डनीय बताया गया है। इसमें सामान्य नियम यह है कि जहाज तथा उस पर लदा हुआ माल, दोनों दण्डित किये जाते हैं। यह समझा जाता है कि इस पर माल लादते समय मालिकों को परिवेष्टन का ज्ञान था, अतः वे भी परिवेष्टन भंग करने के अपराधी माने जाते हैं। परिवेष्टन तोड़ने वाले जहाज को पकड़कर अधिग्रहण न्यायालय के सम्मुख विचार के लिए उपस्थित किया जाता है। जहाज के नाविकों को बन्दी बनाना आवश्यक नहीं है, यदि जहाज और माल का मालिक एक हो तो दोनों को जन्त कर लिया जाता है। यदि दोनों अलग हों तो माल को उसी दशा में जन्त किया जाता है, जब कि यह युद्ध की विनिर्दिष्ट सामग्री हो अथवा इसे लादते समय इसके स्वामी को परिवेष्टन का ज्ञान रहा हो।

परिवेष्टन के मामले (Cases of Blockade)—इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण (Case) टेनिश जहाज फ्रांसिस्का (Franciska) का है। इसका बर्षान् प्रथम परिशिष्ट में किया गया है। दूसरा बेटसी (Betsey) का है, इसके निर्णय में परिवेष्टन के लिए सिद्ध की जाने वाली तीन आवश्यक शर्तों का पहले उल्लेख ही चुका है। तीसरा मामला फ्रेडरिक मोल्के (Fredrick Molke) का है। यह एक डेनिश जहाज था। १७६८ में फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन की लड़ाई में इसे एक ब्रिटिश जहाज ने हाव्रे (Havre) बन्दरगाह का परिवेष्टन तोड़कर यात्रा निकलते हुए पकड़ लिया। उस समय डेन्मार्क लड़ाई में तटस्थ था। लार्ड स्टोवेल ने इस जहाज और माल को इस

आघार पर दण्डित किया कि इसे परिवेष्टन की सूचना दी जा चुकी थी। जमोरा (दक्षिण प्रथम परिशिष्ट) के मामले में लार्ड पार्कर ने यह कहा था कि परिवेष्टन की घोषणा करने वाला आदेश—परिवेष्टित बन्दरगाहों में प्रविष्ट होने का प्रयत्न करने वाले जहाजों को उपरिदर्शी (Prima facie) रूप में निग्रहणीय एवं दण्डयोग्य बना देना है, किन्तु उन्हें ऐसी साक्षी उपस्थित करने से नहीं रोकता, जिससे परिवेष्टन की प्रभावशालिता का अभाव और धर्मघटा सिद्ध हो सके।

विश्वयुद्धों में परिवेष्टन का नियम— लम्बी दूरी का परिवेष्टन (The rule of long distance Blockade in World Wars)—प्रथम विश्वयुद्ध से पहले, परिवेष्टन में शत्रु के बन्दरगाहों के तथा समुद्र तट के समीप जमी जहाजों का घेरा डालकर उन्हें घेर लिया जाना था, इसे समीप का आसन्न परिवेष्टन (Close Blockade) कहा जाता था। किन्तु पहले महासमर में जर्मनी द्वारा समुद्रों में बड़े पैमाने पर मुरगें बिछाने के कारण और पनडुब्बियों द्वारा भीषण विध्वंस किये जाने पर मित्रराष्ट्रों ने जर्मन बन्दरगाहों से एक हजार मील से अधिक दूरी तक के समुद्र में परिवेष्टन आरम्भ किया। यही लम्बी दूरी का परिवेष्टन (Long distance Blockade) था। यह अन्तर्राष्ट्रीय कानून में नया विकास था। मित्रराष्ट्रों को इसका अवलम्बन विशेष कारण से करना पड़ा। जर्मनी ने अपने समुद्र तट तथा बन्दरगाहों की प्रतिरक्षा का संगठन मुरगों तथा पनडुब्बियों की सहायता से इतने प्रभावशाली रूप में किया कि मित्रराष्ट्र इनका १९वीं शती के ढंग का पुराना परिवेष्टन नहीं कर सकते थे। यदि वे ऐसा करते तो उन्हें भीषण क्षति उठानी पड़ती। इसके अतिरिक्त जर्मनी द्वारा समुद्री जहाजों के उग्र विध्वंस की नीति से भी उन्हें ऐसा परिवेष्टन करना पड़ा। फरवरी १९१५ में जर्मनी ने ब्रिटिश द्वीपसमूह के चारों ओर के समुद्र को युद्धक्षेत्र घोषित करते हुए कहा कि इसमें पाये जाने वाले शत्रु के सभी पोतों को नष्ट कर दिया जायगा और इसमें आने वाले तटस्थ जहाज भी सक्कट में पड़ सकते हैं। इस पर ग्रेट ब्रिटेन ने यह घोषणा की कि इसके प्रतिकार के रूप में, वह अपने साथी राष्ट्रों के साथ मिलकर यह प्रयत्न करेगा कि जर्मनी में किसी सामग्री का आयात या निर्यात न हो सके। ११ मार्च १९१५ के ब्रिटिश आर्डर-इन-कौंसिल में उपर्युक्त व्यवस्था करते हुए इसे स्पष्ट रूप से प्रतिशोषनात्मक (Retaliatory) कहा गया था, इसमें परिवेष्टन के स्थापित करने का कोई उल्लेख न था। किन्तु इसके कुछ दिन बाद ब्रिटिश विदेशमन्त्री ने ४० रा० अमरीका के राजदूत को नई नीति का स्पष्टीकरण करते हुए कहा—“ब्रिटिश वेड़े ने एक ऐसे परिवेष्टन की स्थापना की है, जिसमें जर्मनी को आने-जाने वाले समुद्री मार्गों का नियन्त्रण लडाकू जहाजों के घेरे (Cruiser cordon) द्वारा बड़े प्रभावशाली ढंग से हो रहा है।” ४० रा० अमरीका जैसे तटस्थ राज्यों ने इस नए ‘लम्बी दूरी’ के परिवेष्टन का उग्र प्रतिवाद किया। यद्यपि अमरीका यह स्वीकार करता था कि नौयुद्ध के साधना और परिस्थितियों ने महान् परिवर्तन आ जाने के कारण, बन्दरगाहों

के पास किये जाने वाले निकट परिवेष्टन (Close Blockade) के पुराने नियम अब उपयोगी नहीं रहे, किन्तु उसका यह कहना था कि इस विषय में ग्रेट ब्रिटेन ने जिन उपायों का अवलम्बन किया है, वे "युद्ध के नियमों की भावना, सिद्धान्तों और मूलतत्त्व" के अनुकूल नहीं हैं। उसने तीन मुख्य कारणों के आधार पर ब्रिटिश उपायों की आलोचना की थी—(१) इनके कारण तटस्थ देशों के बन्दरगाहों का परिवेष्टन हो गया है, क्योंकि इनमें खुले महासमुद्रों का बहुत अधिक धेन आ जाता है, घेरा डालने वाले जमी जहाज शत्रु के प्रदेश से बहुत दूरी पर होते हैं। तटस्थ देशों को अपने बन्दरगाहों में पहुँचने के लिए इनके घेरे में से आवश्यक रूप से गुजरना पड़ता है। ग्रेट ब्रिटेन को युद्धकारी देश होने के कारण तटस्थ बन्दरगाहों के परिवेष्टन का कोई अधिकार नहीं है। २ अप्रैल १९१५ के तथा ५ नवम्बर १९१५ के अपने नोटों में २० रा० अमरीका ने इस युक्ति पर बहुत बल दिया था। (२) स्वीडन (नार्वे, स्वीडन) के बन्दरगाहों तथा वाल्टिक सागर के जर्मन बन्दरगाहों के बीच में व्यापार को नहीं रोका गया था, इस कारण सब तटस्थ देशों के साथ इस परिवेष्टन द्वारा 'तुल्य कठोरता' (Equal severity) का व्यवहार नहीं हो रहा था। यह परिवेष्टन के 'ममानता और निष्पक्षपात' के सिद्धान्तों के प्रतिकूल था। (३) ये उपाय प्रभावशाली नहीं थे, 'क्योंकि स्वीडन-नियम देशों के साथ जर्मन तट के बन्दरगाहों का व्यापार जारी था।' अतएव सयुक्त राष्ट्र अमरीका का यह कहना था कि लम्बी दूरी का ब्रिटिश परिवेष्टन सार्वभौम रूप से स्वीकार की जाने वाली उपायों में तीन कसौटियों पर खरा नहीं उतरता, इसे "कानून की, व्यवहार की या प्रभाव की किसी भी दृष्टि से परिवेष्टन नहीं माना जा सकता।"

ब्रिटिश सरकार ने इन युक्तियों का उत्तर अपने २३ जुलाई १९१५ तथा २४ अप्रैल १९१६ के नोटों में दिया। उसका यह कहना था कि ये उपाय परिवेष्टन के पुराने सिद्धान्तों को विशेष परिस्थितियों के अनुरूप बनाने का प्रयत्न है तथा इन सिद्धान्तों की मूल भावना के अनुकूल है। (१) तटस्थ बन्दरगाहों के परिवेष्टन की अमरीकी युक्ति के प्रत्युत्तर में ब्रिटिश सरकार ने यह कहा कि "यदि परिवेष्टन को प्रभावशाली बनाने के लिए इसकी तटस्थ बन्दरगाहों में से होकर गुजरने वाले व्यापार पर लागू किया गया है तो यह इसके सामान्य रूप से माने जाने वाले सिद्धान्तों के अनुकूल ही है। मित्रराष्ट्रा ने इस बात का पूरा प्रयत्न किया है कि वे अच्छे (bona fide) तटस्थ व्यापार में तथा जर्मनी के लिए किए जाने वाले व्यापार में भेद कर। इन उपायों के कारण तटस्थ देशों के साथ होने वाली कठोरता में भी मित्रराष्ट्रा ने कमी की है। तटस्थ देशों द्वारा इस परिवेष्टन का भंग होने पर उन्हें कम दण्ड दिया जाता है। (२) परिवेष्टन के निष्पक्ष न होने की युक्ति का यह उत्तर दिया गया कि इसके बावजूद यदि किसी परिवेष्टित प्रदेश में जल या स्थल मार्ग में कुछ व्यापारिक माल आ जाता है तो इसमें कमी यह परिणाम नहीं निकाला जाता कि परिवेष्टन प्रभावशाली नहीं रहा। (३) तीव्र युक्ति का उत्तर देते हुए ब्रिटिश सरकार ने यह कहा कि आज तक किसी भी परिवेष्टन में, इसे भंग करके शत्रु के प्रदेश में प्रविष्ट होने वाले जहाजों की संख्या

इतनी कम नहीं रही, जितनी परिवेष्टन में है। इसकी प्रभावशालिता का इससे अधिक और क्या प्रमाण हो सकता है ?

इस परिवेष्टन को लागू करने तथा तटस्थ देशों के व्यापार को सुरक्षित करने की दृष्टि से मित्रराष्ट्रा ने अनेक उपायों का भ्रवलम्बन किया। जर्मनी के विदेशों के साथ व्यापार के प्रच्छन्न रूपा को खोजने तथा बन्द करने के लिए पृथक् विभाग बनाये, ये इस बात पर बल देते थे कि जर्मनी के पड़ोसी देशों से होने वाले निर्यात की सभी वस्तुओं के साथ उनके "उद्गम का प्रमाणपत्र" (Certificate of Origin) होना चाहिए। यह इसलिए किया गया था कि जर्मनी पड़ोसी राज्यों के माध्यम से अपना माल बाहर न भेज सके, इन प्रमाणपत्रों के अनुसार हालैण्ड, स्वीडन, डेन्मार्क और नार्वे से केवल वही माल बाहर भेजा जा सकता था, जो विशुद्ध रूप से इन देशों में बना हो तथा उसके साथ ऐसा प्रमाणपत्र हो। ऐसे प्रमाणपत्र रहित, निर्यात होने वाले माल को जप्त कर लिया जाता था। तटस्थ देशों में होना हुआ कोई माल जर्मनी न पहुँच सके, इस दृष्टि से उन्होंने पड़ोसी तटस्थ देशों में आयात करने वाले व्यापारियों के सगठनों का निर्माण किया। इनके साथ वे यह समझौता करते थे कि यदि वे मित्रराष्ट्रों को इस बात की गारण्टी दे कि उनका कोई माल किसी भी प्रकार शत्रु को नहीं पहुँच पायेगा तो वे इनके माल में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इन्हें बिना किसी रोक टोक के आने देंगे। हालैण्ड में इस प्रकार का सगठन Netherlands Overseas Trust था। ऐसे सगठन स्विट्जरलैण्ड स्वीडन, नार्वे और डेन्मार्क में भी थे। मित्रराष्ट्रों ने जहाजी कम्पनिया को यह प्रेरणा की कि वे निरीक्षण और तलाशी (Visit and search) के भ्रमण, व्यय और निवन्ध से बचने के लिए सदृश माल को इंग्लैंड के बन्दरगाहों में खाने तथा युद्ध की समाप्ति तक उन्हें वहाँ रखने के लिए तैयार हो जाएँ, अथवा यह माल डमे पाने वाला को इस कड़ी शर्त और गारण्टी पर दिया जाय कि यह किसी भी रूप में शत्रु तक नहीं पहुँच सकेगा। अन्य जहाजी कम्पनिया के साथ यह समझौता किया गया कि वे उत्तरी योरोप आने वाले माल को अपने जहाजों पर तभी लावें जब मित्रराष्ट्रों के अधिकारियों द्वारा उन्हें परिवेष्टन में से गुजरने का प्रमाणपत्र मिल जाय। इसे नैप्रमाणपत्र (Navicert) कहते थे। उन्होंने तटस्थ देशों के जहाजों को उस समय तक कोयला देना बन्द कर दिया जब तक कि उनके मालिक यह गारण्टी न दें कि वे अपने अथवा किराये पर लिए जहाजों द्वारा शत्रु के किसी बन्दरगाह के साथ व्यापार नहीं करेंगे और न ही कोई माल पहुँचायेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रराष्ट्रों ने तटस्थ देशों की व्यापारिक सस्थाओं के साथ ऐसे भी समझौते किए कि वे बाहर से केवल उतना ही माल मँगायेंगे जिससे उनके देश की वास्तविक आवश्यकताएँ पूरी हों।

अप्रैल १९१७ में स० रा० अगरीका मित्रराष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्वयुद्ध में सम्मिलित हुआ। इसके बाद उपर्युक्त व्यवस्थाएँ कठोरतापूर्वक लागू की गयीं। उत्तरी योरोप के तटस्थ देशों को होने वाला निर्यात-व्यापार विशेष अनुमति से ही हो सकता था, इसे प्राप्त करने के लिये उपर्युक्त प्रकार की गारण्टियाँ और बचन देने पड़ते

ये । इसके परिणामस्वरूप जर्मनी तथा उसके साथी देशों का पूरा परिवेष्टन हो गया ।

द्वितीय विश्वयुद्ध आरम्भ होने पर जापान व्यवस्थाओं का पुनरावृत्ति हुई । २७ नवम्बर १९३६ को ग्रेट ब्रिटेन ने जर्मनी के प्रवैध रूप से मुरग विमानों तथा पनडुब्बों युद्ध करने का प्रतिकार करने के लिए यह आर्डर-इन-कॉमिंड निकाला कि जर्मन बन्दरगाहों में लादे गए, जर्मनी से आने वाले या जर्मन स्वामित्व रखने वाले माल को पकड़कर रोक दिया जायगा या बेच दिया जायगा । १९४० तथा ४२ में इसी प्रकार के अन्य आदेश निकाले गए । पहले इटली, २० २० अमरीका तथा रूस ने तटस्थ होने के कारण इनका विरोध किया, किन्तु बाद में ये सभी देश युद्ध में सम्मिलित हो गए और जर्मनी का पूरा परिवेष्टन हुआ ।

परिवेष्टन का भविष्य (Future of Blockade) — डा० लौटरेपैस्ट के मतानुसार द्वितीय विश्वयुद्ध में ग्रेट ब्रिटेन तथा उसके साथियों द्वारा परिवेष्टन के लिये अवनमन किए गए उपाय "सामान्य रूप से इनके लिए स्वीकार किए जाने वाले कानून की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं थे । किन्तु यह भी स्पष्ट है कि वर्तमान युद्ध में प्रधान रूप से आर्थिक रूप धारण कर लिया है । परिवेष्टन के लिए स्वीकार किए जाने वाले कानून के कुछ नियम नौमुद्ध की तथा संचार मायनों को परिवर्तित परिस्थितियों में लागू करने योग्य नहीं रहे । यदि इन्हें पारस्परिक समझौते द्वारा नहीं बदला जायगा तो इनका भंग इनके पालन की अपेक्षा अधिक होगा ।" वस्तुतः आरंभक युद्ध में आर्थिक पहलू का महत्त्व इतना अधिक बढ़ गया है कि परिवेष्टन का प्रयोग आर्थिक शस्त्र के रूप में होने लगा है । यह मैनिंग जर्मनी में कम प्रभावनायी नहीं है । अतः भविष्य में तटस्थ देशों के युद्धकारी देशों के साथ व्यापार के अधिकार पर अधिकारिक प्रतिबन्ध लगाने की संभावना है । ऐतिहासिक दृष्टि में परिवेष्टन और विनिषिद्ध सामग्री (Contraband, बेखिए अगला अन्वय) का कानून शि विरोधी दावों में समझौते का परिणाम है । एक और तटस्थ देश यह कहता है कि उन्हें दोना युध्यमान (Belligerent) पक्षों के साथ व्यापार का निर्वाह अधिकार होना चाहिए, दूसरी ओर युद्ध करने वाले देशों का आग्रह है कि उन्हें सन्तुष्टी मार्ग से युद्ध में उपयोगी हो सकने वाली किसी भी वस्तु को जन्तु तक पहुँचाने से रोकने का अधिकार है । १९वीं शताब्दी में युद्धोपयोगी वस्तुओं की सहायता सीमित थी, अतः उस समय तटस्थ देशों के पास दोनों युद्धकारी पक्षों के साथ व्यापार के अधिकार अधिक थे । किन्तु बीसवीं शती में युद्ध का रूप इतना व्यापक हो गया है, युद्धोपयोगी वस्तुओं की सहायता इतनी बढ़ गयी है कि तटस्थ देशों के व्यापार का क्षेत्र अत्यन्त सङ्कुचित हो गया है । भविष्य में इसके ओर भी अधिक सीमित होने की संभावना है ।

तीसवाँ अध्याय

विनिषिद्ध के नियम

(Contraband)

विनिषिद्ध का स्वरूप और लक्षण (Nature of Contraband)—युद्ध के समय दोनों पक्ष स्वाभाविक रूप से इस बात का पूरा प्रयत्न करते हैं कि उनके शत्रु को युद्ध संचालन में सहायता देने वाली रण सामग्री—सस्त्रास्त्र, मोलाबास्त्र तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुएँ तटस्थ देशों से प्राप्त न हो सकें। इस उद्देश्य में वे शत्रु के साथ तटस्थ देशों के व्यापार के विषय में अनेक नियम या कानून बनाते हैं। इनके अनुसार कुछ निश्चित वस्तुओं का शत्रु को पहुँचाना निषिद्ध होता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून इसे स्वीकार करता है और युद्धकाल में इन वस्तुओं का शत्रु के साथ व्यापार वर्जित माना जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय विधि द्वारा ऐसी सामग्री का व्यापार निषिद्ध होने के कारण उसे—विधिनिषिद्ध का या सक्षिप्त रूप में विनिषिद्ध (Contraband) का नियम कहते हैं। इस नियम का मौलिक सिद्धान्त यह है कि युद्ध में दोनों पक्षों को यह अधिकार है कि वे शत्रु को रण में सहायता पहुँचाने वाली सामग्री ले जाने वाले जहाजों को तथा उनके भाग को छीनकर जब्त कर लें।

आपेनहाइम के कथनानुसार “युद्ध की विनिषिद्ध सामग्री इस प्रकार के मान का नाम है, जो दोनों युद्धकारी पक्षों द्वारा शत्रु को पहुँचाना इस आधार पर वर्जित समझा जाता है कि इसके पहुँचने से शत्रु अधिक शक्ति के साथ युद्ध का संचालन करने में समर्थ होगा।” स्टार्क के शब्दों में “विनिषिद्ध ऐसी वस्तुओं का नाम है, जिनका परिवहन करना युद्धकारी पक्षों द्वारा आपत्तिजनक समझा जाता है, क्योंकि इनमें शत्रु को युद्ध संचालन में सहायता मिल सकती है।” इसके ऐतिहासिक विकास की गृहभूमि को स्पष्ट करते हुए जेस्सप ने लिखा है—“युद्ध की विनिषिद्ध सामग्री के कानून के २०वीं शती के विचारों में तीव्र बाते आवश्यक समझी जाती हैं”—(क) शत्रुदेश को भेजी जाती हुई कुछ निश्चित वस्तुओं को युद्धकारी पक्षों द्वारा पकड़ने तथा जब्त करने का अधिकार। (ख) तटस्थ देशों के लिये ऐसा कोई कर्तव्य या दाय्यता नहीं है कि वे इस प्रकार की विनिषिद्ध सामग्री को दुनाई अपने जहाजों में न करें। (ग) तटस्थ देशों के

१. यह शब्द लैटिन के दो शब्दों Contra तथा Bannum या bandum से मिलकर बना है, इनका अर्थ है विधि या आदेश के विरुद्ध अथवा इसकी अवहेलना करते हुए।

२. आपेनहाइम—इण्टरनेशनल लॉ, स० २, पृ० ८००

३. स्टार्क—एन इण्ट्रोडक्शन टू इण्टरनेशनल लॉ

नागरिकों को शत्रुदंड तक ऐसा मान पहुँचाने का अधिकार है, किन्तु उन्हें यह क्षमता उठाने के लिए तैयार होना चाहिये कि युद्धकारी पक्ष इस माल को ध्विनकर जप्त कर सकते हैं।”

अन्तर्राष्ट्रीय कानून में इस पद्धति का नती-शत विकास हुआ है। सर्वप्रथम तेरहवीं शती में कुछ राज्या ने अपनी चापलाभा द्वारा शत्रु के साथ सम्पूर्ण व्यापार को बन्द करना चाहा। १६वीं १७वीं शताब्दी से तटस्थ देशों ने इसका घोर विरोध करते हुए अपने व्यापार की स्वतन्त्रता बनाये रखने पर बड़ा दबल दिया। तटस्थ देशों के अधिकारों का विकास होने के कारण युद्धकारी देशों को शत्रु के साथ इन देशों के व्यापार के पूर्ण प्रतिबन्ध को तिथि करना पडा, इनसे दो प्रकार के महत्वपूर्ण समझौते करने पडे तथा रियायते देनी पडी। पहला समझौता भौगोलिक था, इनके अनुसार व्यापार का निषेध शत्रु के सम्पूर्ण प्रदेश से हटा कर कुछ विषय बन्दरगाहों तक सीमित कर दिया गया, केवल इन्हीं को परिवेष्टित (Blockade) किया जाने लगा। दूसरा समझौता प्रवर्गीकरण (Categorisation) का था। पहले सब प्रकार की वस्तुओं का व्यापार बजिन था, अब वस्तुओं के विभिन्न वर्ग (Class) या प्रवर्ग (Category) वर्ग बनाये गये, इनमें से कुछ वर्गों में आने वाला माल ही शत्रु को भेजा जाया अथवा समझा गया।

वस्तुओं का वर्गीकरण (Classification of Commodities) — योनियम ने सर्वप्रथम इस दृष्टि से व्यापार की विभिन्न वस्तुओं को तीन वर्गों में बाँटा था। यद्यपि उमने विनिषिद्ध (Contraband) शब्द का प्रयोग नहीं किया, किन्तु उमका विधि

४. कौटिलीय अध्याय में विनिषिद्ध व वस्तु सुत्र में मिलते हैं। इनका वर्णन वय प साधुपत्र (२१२) और शुक्राचार्य (२१२) के प्रकरण में है, और उसका उद्देश्य माल को दुर्गों से बचाने और चोरों से लाने वालों को दण्डित करना है, किन्तु इसमें कोई सुन्दर नहीं है कि युद्ध के समय इन वस्तुओं का पानन कठोरतापूर्वक किया जाना होगा। कौटिल्य ने अन्वय (५१२) व्यापारिक मार्गों को शत्रु के विषे बन्द करने का स्पष्ट उल्लेख किया है। साधुपत्र के प्रकरण में कहा गया है यदि कोई शुक्र रूप में महत्वपूर्ण वस्तुओं (साधुपत्र), सरकारी आदेश (शासन), दंड, विदेशिक द्रव्य (अन्वय) विष ले जा रहा हो, तो उसे अन्वय को पकड़ ले (२१२, गूढान्तराज्यापननगन्धर्वित्तयोग विरक्षण चोपशास्त्र)। कौटिल्य की २१२ की व्यवस्था में यह स्पष्ट है कि उन समय वपानन विनिषिद्ध की भांति कुछ वस्तुओं से ले जाने पर पाबन्दी होगी, इन्हें ‘अनिर्वाह’ (न ले जाने योग्य) कहते थे, इन्हें ले जाने वालों को दण्ड दिया जाता था। यदि कोई ‘द्विधर, कवच, लाटा, रथ, रत्न, अन्न तथा पशु आदि में से कोई व ले जाने योग्य वस्तु बंदर से बच गो उमने राजा द्वारा निर्धारित दण्ड दिया था तथा उनका ऐसा माल (पण्य) लूट कर दिया जाय। इनके लगर के अन्तर लाने पर, इस वस्तु को दुर्गों के बाहर बिना किसी शुक्र के बेच लाया जाय। (शम्भुवर्कचबोधहररत्नचन्वयानन्दनानिर्वाह निर्वारणतो यथाशुषिणे दण्ड पण्यनाशरथ। तथापननगन्धर्वित्तयोग बधिरवोच्छुक्रो विक्रयः)। इममें पहली बार वस्तुओं के अन्वय अन्वय व वस्तुओं की परिभाषा के अनुसार पूर्ण विनिषिद्ध (Absolute contraband) है, तथा पिछली तीन वस्तुओं अथवा अनुसार विनिषिद्ध (Conditional contraband) है (देखिये नीचे पृ० ५६२-४)।

वर्गीकरण बड़ा लोकप्रिय हुआ। इसके अनुसार पहला वर्ग उन वस्तुओं का था, जिनका उपयोग केवल युद्ध में होना है, अतः इनका व्यापार सदैव विनिषिद्ध है। इसमें हथियारों तथा गोलाबारूद का समावेश होना है। दूसरा वर्ग विलास सामग्री का है, जैसे शृंगार की वस्तुएँ, इनका युद्ध में कभी उपयोग नहीं होता, अतः इनका व्यापार कभी निषिद्ध नहीं होता। तीसरा वर्ग धनराशि, खाद्य सामग्री, जहाज, इनके लिये आवश्यक साज-सामान आदि का है। इनका उपयोग युद्ध एवं शान्ति के दोनों कालों में होता है। इनका व्यापार परिस्थितियों को देखते हुए निषिद्ध या विहित होता है। यदि ये शत्रु को युद्ध मञ्चालन में सहायता प्रदान करते हैं तो इनका व्यापार निषिद्ध होता है। ऐसा न होने की परिस्थिति में इनका व्यापार निषिद्ध नहीं होता। बाद में इन्हीं वस्तुओं को अवस्थानुसार या पूर्ण विनिषिद्ध (Conditional or absolute contraband) कहा जाने लगा।

१९वीं शताब्दी से अनेक राज्यों ने इन वर्गों में आने वाले पदार्थों को निश्चित करने के लिये अनेक संधियाँ कीं, किन्तु इनमें गिनाये गये विहित और निषिद्ध पदार्थों में पर्याप्त भेद है। युद्ध के समय में विभिन्न राज्य परिस्थितियों के अनुसार अपनी समझ से वस्तुओं के उपयोग वर्गीकरण में काफी हेरफेर करते रहे हैं। १७८० तथा १८०० की प्रथम तथा द्वितीय सशस्त्र तटस्थताओं ने विनिषिद्ध पदार्थों की सूची मर्यादित करने का निष्फल प्रयत्न किया। १८५६ की पेरिस की घोषणा में विनिषिद्ध शब्द का प्रयोग किया गया, किन्तु इसका लक्षण या व्याख्या नहीं की गयी थी। १९०६ की लन्दन घोषणा में (अनुच्छेद २२ से २६ तक) विनिषिद्ध पदार्थों का विस्तारपूर्वक परिणाम किया गया। इसके अनुसार निम्न वस्तुएँ विनिषिद्ध हैं— प्रत्येक प्रकार के शस्त्र, बन्दूकों और तोपों से फेंकी जाने वाली और इनमें भरी जाने वाली वस्तुएँ, कारबूस, युद्ध के लिये विशेष रूप से बनाया गया बारूद तथा अन्य विस्फोटक पदार्थ, तोप बढाने के यन्त्र, इन्हें खींचने वाली गाड़ियाँ, सैनिक गाड़ियाँ, सैनिक काम के कपड़े, सैनिक काम के साज, सवारी के और ढुलाई करने वाले पशु, फीजी पडाव में काम आने वाली वस्तुएँ, जहाजों की रक्षा के लिये धातु की चादरें, रणपोत, नावें, केवल रणपोतों के काम में आने वाले कल-पुर्ज, रणोपयोगी वस्तुओं के बनाने और मरम्मत करने के यन्त्र। लन्दन घोषणा के अनुसार उपभुक्त वस्तुएँ पूर्ण रूप से विनिषिद्ध (Absolute Contraband) सूची में थीं। इसमें राज्यों को यह अधिकार दिया गया था कि वे पूर्ण रूप से युद्ध के लिये उपयोग में आने वाली अन्य वस्तुओं की विज्ञप्ति (Notification) प्रकाशित करके इस सूची में जोड़ सकते थे। इस सूची के बाद इसमें दूसरी सूची सादेक्ष अथवा अवस्थानुसार निषिद्ध पदार्थों (Conditional Contraband) की थी। इसमें ऐसे पदार्थ थे, 'जिनका उपयोग युद्ध एवं शान्ति के प्रयोजन पूरा करने के लिये हो सकता' था। इस सूची में परिणामित पदार्थों में भी विशेष विज्ञप्ति द्वारा अन्य वस्तुएँ जोड़ी जा सकती थीं। इसमें खाद्य सामग्री, ईंधन, जहाज, रेल सामग्री जैसी वस्तुएँ थीं, किन्तु फ्रांस और रूस खाद्य सामग्री को पूर्ण रूप से निषिद्ध पदार्थों की सूची में सम्मिलित करना चाहते थे। तीसरी 'स्वतन्त्र सूची' (Free list) थी, इसमें गिनाई गई वस्तुएँ 'युद्ध के उपयोग में न आ

सकने के कारण' कभी बिनिपिद्ध घोषित नहीं की जा सकती थी। इनके प्रमुख उदाहरण कपास, ऊन, रबड़ तथा कच्ची घाते (Metallic ores) थी।

किन्तु लन्दन घोषणा का राज्यों ने समर्थन नहीं किया। प्रथम विश्वयुद्ध में यह स्पष्ट हो गया कि इन वस्तुओं का पूर्ण रूप से निर्यात नहीं किया जा सकता कि कौन से पदार्थ पूर्ण रूप से निपिद्ध समझे जाय। तटस्थ राज्यों के स्वार्थ लड़ाई में सम्मिलित होने पर तथा युद्धकारी राष्ट्र की स्थिति ग्रहण करने पर वित्तकुल बदल जाने हैं, तटस्थ रूप में वे जिन पदार्थों को निपिद्ध नहीं समझते, बाद में उन्हीं का व्यापार तंत्रित समझने लगते हैं। नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण तथा समग्र युद्ध (Total war) के विचार से बिनिपिद्ध वस्तुओं के स्वरूप में मौलिक अन्तर आ गया है। इन्में लन्दन घोषणा की उपर्युक्त तीन सूचियों तथा त्रिविध वर्गीकरण के सूक्ष्म अन्तर को निरर्थक बना दिया है।

पूर्ण तथा सापेक्ष बिनिपिद्ध (Absolute and Relative Contraband) — उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि हथियार, गोलाबारूद, रणपोत आदि कुछ वस्तुओं केवल युद्ध में उपयोगी होती हैं, ऐसी वस्तुओं का व्यापार पूर्ण रूप से निपिद्ध होना है, अतः यह पूर्ण बिनिपिद्ध (Absolute Contraband) कहलाता है। कुछ अन्य वस्तुएँ केवल युद्ध के लिए नहीं, किन्तु युद्ध एव शांति के दोनों कालों के लिये उपयोगी होती हैं, जैसे खाद्य पदार्थ, माना, चाँदी कोयला। इनके व्यापार का निषेध उन्हीं परिस्थितियों या अवस्थाओं में किया जाता है जब वे शत्रु द्वारा युद्ध संचालन के लिए आवश्यक या अत्यन्त उपयोगी हों। जब शत्रु अनाज की कमी के कारण अपने देश में खाद्यान्तों के वितरण के लिये राशन प्रणाली आरम्भ करता है तो उसका उद्देश्य यह होता है कि सेना को इस सामग्री की पूर्ण प्रवाह रीति में होनी रहे। इस अवस्था में उम भेजा जाने वाला अनाज सेना के उपयोग में आ सकता है, अतः इस दृश परिस्थिति में बिनिपिद्ध घोषित कर दिया जाता है। विशेष अवस्थाओं में बिनिपिद्ध होने के कारण इन्में अवस्थानुसार बिनिपिद्ध (Conditional Contraband) या सापेक्ष (Relative) बिनिपिद्ध कहते हैं।

यह वर्गीकरण १६वीं १७वीं शताब्दी में किया गया था। उस समय लड़ाई करने वाली सेनाओं में बहुत छोटी हार्तियाँ थी, इसमें युद्धकारी देश की जनसंख्या का अल्पमात्र अन्न ही भाग लेता था। किन्तु प्रथम विश्वयुद्ध के समय से युद्धकारी देशों में प्रतिव्यक्ति दैनिक भोजन की व्यवस्था हो जाने के कारण प्रत्येक वालिग पुरुष को सेना में भर्ती होना पड़ता है, देश के मनुष्ये साधनों का उपयोग युद्ध को सफल बनाने के लिए किया जाता है, सरकार किसी भी समय किसी भी वस्तु को युद्ध संचालन के लिये आवश्यक समझ कर उस पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर सकती है। अतः अब यह समझा जाता है कि बिनिपिद्ध को पूर्ण और सापेक्ष नामक दो वर्गों में विभक्त करना तथा इसमें सूक्ष्म अन्तर बनाना भूतकाल की पटनानामात्र रह गई है। वर्तमान समय में उसका कोई वियात्मक उपयोग नहीं रहा। इस समय पूर्ण रूप से बिनिपिद्ध वस्तुओं का क्षेत्र बड़ा रहा है और सापेक्ष बिनिपिद्ध का क्षेत्र सन्कुचित हो रहा है। युद्ध की नवीन परिस्थितियों के अनिश्चित वैज्ञानिक आविष्कार भी इस प्रवृत्ति में सहायक हैं। उदाहरणार्थ, पहले कपास

का युद्ध में कोई उपयोग न होने के कारण इसे विनिषिद्ध पदार्थों में नहीं गिना जाता था। ऊपर (पृ० ५६३) यह बताया जा चुका है कि १९०६ की लन्दन घोषणा में इसका परिमाण स्वतन्त्र सूची में किया गया था। किन्तु इस घोषणा के छ वर्ष बाद १९१५ में मित्रराष्ट्रों ने इसे पूर्ण विनिषिद्ध घोषित किया क्योंकि इस बीच नवीन आविष्कारों के कारण विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिये कपास का उपयोग होने लगा था।

पूर्ण निषिद्ध (Absolute Contraband)—लन्दन घोषणा के अनुच्छेद २२ में ११ प्रकार के विभिन्न वस्तु-समूहों को पूर्ण रूप से निषिद्ध बतलाया गया था, पहले इनका उल्लेख हो चुका है (पृ० ५६२)। ये वस्तुएँ सबैव निषिद्ध मानी जाती हैं, इनके लिये किसी विशेष घोषणा करने या सूचना देने की आवश्यकता नहीं। अनुच्छेद २३ में ऐसे पदार्थों की सूची भी, जिनका प्रयोग केवल युद्ध के लिये नहीं होता था, फिर भी इन्हें विशेष घोषणा और सूचना के बाद पूर्ण निषिद्ध बताया जा सकता था। प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ने पर विभिन्न सरकारी आदेशों द्वारा पूर्णतया विनिषेध की जाने वाली वस्तुओं की संख्या बढ़ने लगी, २ जुलाई १९१७ की अन्तिम ब्रिटिश सूची लन्दन गजट के दो पृष्ठों में छपी। १९३६ में दूसरा विश्वयुद्ध छिड़ने पर ४ सितम्बर १९३६ के लन्दन गजट की पूर्ण निषिद्ध की सूची यद्यपि ब्योरे की दृष्टि से संक्षिप्त है, किन्तु वास्तविक दृष्टि से बहुत व्यापक है। इसमें मुख्य रूप से निम्न वस्तुओं के व्यापार का पूर्ण विनिषेध है—

(क) सब प्रकार के शस्त्र, गोलाबारूद, विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक युद्ध के लिये उपयुक्त रासायनिक पदार्थ, इन्हें बनाने या ठीक करने की मशीनें, इन मशीनों के कल-पुर्जे, इनका उपयोग करने के लिए आवश्यक पदार्थ, इनके निर्माण के काम में आनेवाली सामग्री, इनके उत्पादन या उपयोग के लिए आवश्यक अथवा सुविधाजनक वस्तुएँ।

(ख) सब प्रकार का ईंधन (Fuel), जल तथा आकाश में परिवहन के सभी साधन, इनका निर्माण या मरम्मत करने वाली मशीनें, इनके कल-पुर्जे, इनके उपयोग के लिये आवश्यक औजार तथा अन्य वस्तुएँ, इनके निर्माण में आने वाली सामग्री, इनके उत्पादन या उपयोग के लिये आवश्यक या सुविधाजनक वस्तुएँ।

(ग) संचारपत्र (Communication) के तब साधन, औजार, उपकरण, साज-सामान, नक्शे, चित्र, कागज, शत्रुता-पूर्ण कार्य करने के लिए सहायक या आवश्यक वस्तुएँ।

(घ) सिक्के, सोना, चांदी, पत्रमुद्रा इनके निर्माण में उपयोगी या सुविधाजनक धातुएँ सामग्री, ठप्पे (Dies), प्लेटें, मशीनें तथा अन्य वस्तुएँ। यह सूची इतनी लंबी नहीं और विस्तृत है कि इसमें आवश्यकता पड़ने पर किसी वस्तु का समावेश किया जा सकता है।

सापेक्ष या अवस्थानुसार विनिषिद्ध (Conditional Contraband)—पहले यह बताया जा चुका है कि कुछ पदार्थ युद्ध एवं शांति के दोनों कालों में उपयोगी होते हुए भी कुछ विशेष अवस्थानुसार, जब प्रधान रूप से युद्ध संचालन के लिए उपयोगी होते हैं, तो इनको 'अवस्थानुसार विनिषिद्ध' घोषित किया जाता है। आपेनहाइम के मतानुसार इसके लिए दो शर्तें होनी आवश्यक हैं—(क) इन्हें जहाजों द्वारा शत्रु के देश

को ले जाया जा रहा हो। (ख) इन्हे सैनिक या नौसैनिक प्रयोजनों की पूर्ति के उद्देश्य से ले जाया जा रहा हो। किन्तु इस वर्ग में किन पदार्थों को सम्मिलित किया जाय, इस विषय में विधिशास्त्रियों में बड़ा मतभेद है। विभिन्न देशों का व्यवहार और आचरण भी इस विषय में एक जैसा नहीं है। ऐसी वस्तुओं के मुख्य उदाहरण खाद्य पदार्थ, घोड़े, कौयला तथा अन्य ईंधन, धनराशि (Money) और रूई हैं।

(१) खाद्य पदार्थ (Food stuffs)— इनके सम्बन्ध में सामान्य रूप से यह माना जाता है कि साधारण अवस्थाओं में इनके द्विनिषिद्ध होने की घोषणा नहीं करनी चाहिये। ब्लशली (Bluntschli) और मूर (Moore) का यह मत है कि इनको सापेक्ष रूप से कभी द्विनिषिद्ध घोषित नहीं किया जा सकता। किन्तु अधिकांश विधिशास्त्रियों का यह विचार है कि यदि खाद्य पदार्थ स्थल सेना अथवा नौसेना के उपयोग के लिये भेजे जा रहे हों तो इनका द्विनिषेध किया जा सकता है। ग्रेट ब्रिटेन और जापान इस नियम का अनुसरण करते रहे हैं। जॉर्जे मारगरेथा (Jonge Margaretha) के मामले में १७९९ में ब्रिटिश न्यायालय ने इस सिद्धान्त का समर्थन किया। हार्नेट का यह जहाज एमस्टर्डम से बैस्ट नामक बन्दरगाह को पनीर ले जा रहा था। यह बन्दरगाह उन दिनों फ्रान्स का नौसैनिक अड्डा था। उस समय फ्रान्स और इंग्लैंड का युद्ध चल रहा था। ब्रिटिश बंदरों ने पनीर की खाद्य सामग्री ले जाने वाले इस तटस्थ जहाज को पकड़ लिया क्योंकि यह शत्रु की सेनाओं के लिये पनीर ले जा रहा था। इस आधार पर ब्रिटिश न्यायालय ने पनीर को द्विनिषिद्ध माना। उसका यह कहना था कि यदि यही माल किसी 'सामान्य व्यापारिक बन्दरगाह' का भेजा जाता तो इसका सैनिक उपयोग होने के कारण इसे जप्त नहीं किया जा सकता था। १८८५ ई० के चीन-जापान युद्ध में फ्रान्स ने चावल को द्विनिषिद्ध घोषित किया क्योंकि चीनी जनता के खाद्य पदार्थों में इसका प्रमुख स्थान था। १९०४ के रूस-जापान युद्ध में रूस ने चावल तथा अन्य खाद्य पदार्थों को पूर्ण द्विनिषिद्ध घोषित किया, ग्रेट ब्रिटेन तथा स० रा० अमरीका ने इसका प्रबल विरोध किया, रूस पर इसे सापेक्ष द्विनिषिद्ध माना गया। Arbida तथा Cachas के मामलों में स्वी मर्वॉच्च अधिवृद्ध न्यायालय ने इन अन्तर को स्वीकार किया। सन्दन घोषणा के अनुच्छेद २४ के अनुसार खाद्य पदार्थ सापेक्ष रूप से द्विनिषिद्ध हैं।

प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ने पर स० रा० अमरीका तथा ग्रेट ब्रिटेन में इस प्रश्न पर तीव्र मतभेद था। नडाई नुरू होते ही १५ अगस्त १९१४ के परिपत्र (Circular) में अमरीका ने यह घोषणा की कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों के अनुसार उसे युद्धकारी देशों को अनाज भेजने का अधिकार है, बशर्त कि यह स्थलसेना या जलसेना के उपयोग के लिये अथवा शत्रु द्वारा अधिकृत या परिवेष्टित बन्दरगाहों को न भेजा जा रहा हो। २६ सितम्बर १९१४ के तत्काल्य में अमरीकी सरकार द्वारा पुनः इस बात पर बल दिया गया कि खाद्य पदार्थों का व्यापार की वैध वस्तुएं हैं, शत्रुदेश के बन्दरगाहों को इन्हें भेजा जाने मात्र में हमें मात्र का पकड़ना और दण्डित करना न्यायोचित नहीं माना जा सकता। किन्तु ग्रेट ब्रिटेन इस विषय में विल्टुन विभिन्न मत रचना था। वह स० रा० अमरीका की यह मान्यता स्वीकार नहीं करता था कि तटस्थ बन्दरगाहों को अथवा

शत्रु द्वारा अपरिचित या अनधिकृत बन्दरगाहों को भेजे जाने वाले खाद्य पदार्थ पकड़े और जप्त नहीं किये जा सकते, क्योंकि ये अन्ततोगत्वा शत्रु के प्रदेश में पहुँच सकते थे। १९१५ में ब्रिटिश सरकार ने नार्वे तथा स्वीडन के कई जहाजों किम (Kim), अलफ्रेड नोबल (Alfred Nobel), ब्योर्नस्तेयर्ने (Bjornstjerne) तथा फ्रिडलैंड (Fridland) को खाद्य पदार्थों, रबड़ और खाले बोपनहेगन ले जाते हुए मार्ग में पकड़ लिया। बोपनहेगन यद्यपि तटस्थ बन्दरगाह था, यह माल वहाँ ले जाया जा रहा था, किन्तु तत्कालीन परिस्थितियों से यह प्रकट होता था कि इस माल के पहुँचाने का अन्तिम लक्ष्य स्थान जर्मनी है। ब्रिटिश न्यायालय ने बोपनहेगन के पिछले कई वर्षों के व्यापारिक आकड़े जाँचने के बाद यह परिणाम निकाला कि युद्ध छिड़ने के पहले के तीन वर्षों में प्रतिवर्ष डेन्मार्क में सूअर की चर्बी का जितना आयात हुआ था, ये जहाज उससे तेरह गुनी चर्बी एक महीने से भी कम समय में बोपनहेगन ले जा रहे थे। इससे यह स्पष्ट था कि चर्बी डेन्मार्क की सामान्य आवश्यकताओं से बहुत अधिक थी और इसका अन्तिम लक्ष्य स्थान जर्मनी था। अतएव ब्रिटिश सरकार ने इसे जप्त कर लिया।

१३ अप्रैल १९१६ को ब्रिटिश सरकार ने पूर्ण और नापेक्ष विनिषिद्ध (absolute and conditional contraband) का भेद इस आधार पर बिल्कुल समाप्त कर दिया कि शत्रुदेश के निवासियों की इतनी अधिक सत्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में युद्ध के कार्यों में भाग ले रही है कि अब जर्मनी की सैनिक और सैनिक जनता में कोई भेद या अन्तर नहीं रहा, जर्मन सरकार ने सापेक्ष रूप से विनिषिद्ध समझी जाने वाली अस्त्रादि वस्तुओं का विनरण अपने हाथ में ले लिया है, खाद्य पदार्थ सेना की आवश्यकताओं पूरी करने के बाद ही असैनिक जनता को दिये जाते हैं, अतः अब इनके सैनिक और असैनिक उपयोग का विचार करना और इस आधार पर इनके विनिषेध को दो वर्गों में बाँटना बिल्कुल बेकार है। सम्पूर्ण खाद्य सामग्री पुरालूप से विनिषिद्ध है। तटस्थ देशों के माध्यम से जर्मनी तक खाद्य पदार्थों की पहुँच बन्द करने के लिये तटस्थ देशों के लिये भी ग्रेट ब्रिटेन ने राशन की व्यवस्था शुरू की। इसमें इन देशों में शान्तिकाल में प्रतिवर्ष आयात होने वाली वस्तुओं की औसत मात्रा निकाली गई, युद्धकाल में भी इनके लिये इसी औसत मात्रा में वस्तुओं का आयात भिश्चित कर दिया गया। इससे अधिक आयात की जाने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में यह कल्पना की गई कि वे इनकी अन्तरिक आवश्यकताओं पूरी करने के लिये नहीं हैं उनका चरम लक्ष्य जर्मनी पहुँचना है। ऐसे सभी खाद्य तथा अन्य पदार्थ राशन में ही रोक लिये जाते थे। म० रा० अमरीका ने मित्रराष्ट्रों की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने के बाद तटस्थ देशों के साथ व्यापार के लिये नाइसेन्स लेने का नियम बना दिया यह वस्तुतः राशन प्रणाली का दूसरा रूप था।

सितम्बर १९१५ के भारत पाक संधि में पाकिस्तान ने विनिषिद्ध वस्तुओं की सूची का अत्यधिक विस्तार करते हुए इसमें चाय तथा जूट जैसे पदार्थों को भी सम्मिलित कर दिया था (एशियन रिकार्डर, पृ० १९६५)। इस समय उराने रिवर स्टीम

नेवीगेशन कम्पनी के छोटे जहाजों द्वारा कलकत्ता लाई जाने वाली तथा वहाँ से विदेशों को भेजी जाने वाली चाय को विनिपिद्ध घोषित करने हुए इन जन्म करके बेचने की आज्ञा दी थी (स्टेट्समैन, १० अक्टूबर १८६५, पृ० १)। पाकिस्तान का यह कार्य कई दृष्टियों से अन्तर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना करने वाला था। पहला कारण यह था कि विदेशों को भेजी जाने वाली चाय विनिपिद्ध वस्तुओं (Contraband) की सूची में नहीं आ सकती थी। दूसरा कारण यह था कि उसे पाकिस्तान को पकड़ने का अधिकार नहीं था, वह युद्ध में 'शत्रुसंपत्ति' (Enemy Property) को ही पकड़ सकता था। भारत के विरुद्ध उठाने युद्ध-घोषणा करके नडाई शुरू नहीं की थी, अतः भारतीय माल 'जन्तु की सम्पत्ति नहीं' था।

(२) भारवाही पशु (Beasts of Burden) — प्रथम विश्वयुद्ध में पहले मोटरगाड़ियों और ट्रका का आविष्कार न होने के कारण परिवहन तथा दुर्गारों के कार्य भारवाही पशुओं—घाज, जख्जरा द्वारा हुआ करते थे। घुड़सवार सेना तथा तारखाना के लिए इनका अनाधारण महत्व था। अतः उन्हें कई द्वार पूर्णतः स विनिपिद्ध समझा जाता था। १९०० ई० की ग० रा० अधिनियम की नौमैतिक युद्धमहिता (Naval War Code) के अनुच्छेद ३६ में इसका स्पष्ट विधान है। उस जापान युद्ध में उसने भारवाही पशुओं के सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्था की थी। अन्त में घोषणा के अनुच्छेद २२ में भी ऐसा ही माना गया। द्वितीय विश्वयुद्ध टिडने पर भारतीय पशुओं का स्थान—मोटरों और ट्रका के लिए निरा, सितम्बर १९३९ न नोट ब्रिटेन द्वारा पूर्ण रूप से विनिपिद्ध वस्तुओं में "परिवहन के सम्पूर्ण साधन" के रूप में उनका समावेश किया गया था।

(३) कोयला (Coal) — रसायना का संचालन प्राप्त वाष्पनक्ति और पेट्रोल द्वारा होता है, अतः समुद्र में युद्ध करने के लिए इनका ईंधन—कायता तथा पेट्रोल असाधारण महत्व रखते हैं। १८५४ में ग्रेट ब्रिटेन युद्धकारी देशों के रसायना तथा नौमैतिक बन्दरगाहों के लिए भेजे जाने वाले वस्तुओं का विनिपिद्ध समझना रहा है। किन्तु १८५९ में फ्रांस और इटली ने उन न्यति का स्वीकार नहीं किया। १८८५ में इसने यह घोषणा की कि वह इस विनिपिद्ध मानने के लिए कभी अपनी महमनि नहीं देगा, किन्तु १९०४ में अपने कानूने, अन्वेषण आदि प्रत्येक प्रकार के ईंधन का पूर्ण विनिपिद्ध घोषित किया। लन्दन की घोषणा (अन० २६) में इस घोषणा विनिपिद्ध माना गया। प्रथम विश्वयुद्ध में ग्रेट ब्रिटेन ने पेट्रोल आदि वस्तुओं तथा क कारिरिकन अन्य सभी प्रकार के ईंधन का ऐसा ही माना। मोटरों, हवाई अड्डा तथा पत्त-द्विधा के पेट्रोल द्वारा संचालित होने के कारण इसका पूर्ण विनिपिद्ध किया गया। अमेरिका ने कोयले, कोयला तथा खनिज तैला को पूर्ण रूप से तथा अन्य ईंधन का अपेक्ष रूप से विनिपिद्ध माना।

(४) धनराशि (Money) — उनके सम्बन्ध में सामान्य नियम यह है कि इनमें सन्तु को युद्ध में कोई महानता नहीं मिलती चाहिए। इस प्रकार की महानता

पहुँचाने वाला सोना-चादी, सिक्के, पत्रमुद्रा और ऋण विनिपिद्ध माने जाते हैं। प्रथम विश्वयुद्ध के आरम्भ में मित्रराष्ट्रों ने सोना-चादी तथा पत्रमुद्रा को सापेक्ष रूप से विनिपिद्ध घोषित किया था, किन्तु १९१६ में उन्होंने इन वस्तुओं को पूर्ण विनिपिद्ध बना दिया। जर्मनी ने भी इनका पूर्ण विनिपेध किया।

(५) रुई (Raw Cotton) के विषय में यह कहा जाता है कि १८६१ में अमरीकन गृहयुद्ध के समय विशेष परिस्थितियों के कारण स० रा० अमरीका ने इसे पूर्ण विनिपिद्ध घोषित किया, क्योंकि दक्षिणी राज्य दूसरे देशों से खरीदे जाने वाले हथियारों, गोलाबाहद और जहाजों का दाम चुकाने के लिये मुद्रा के स्थान में रुई भेज रहे थे। किन्तु सामान्यतः प्रथम विश्वयुद्ध से पहले रुई पूर्णतः विनिपिद्ध वस्तुओं में सम्मिलित नहीं की जाती थी। १९०४ में जब रूस-जापान युद्ध में रूस ने इसके ऐसा होने की घोषणा की तो ग्रेट ब्रिटेन ने इसका प्रतिवाद किया। लन्दन घोषणा (अनु० २८) के अनुसार यह 'स्वतन्त्र सूची' (Free list) (देखिये ऊपर पृ० ५६२-३) में रखी गई। प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ने पर मित्रराष्ट्रों ने इसे विनिपिद्ध घोषित नहीं किया। किन्तु जब नये वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण विस्फोटक द्रव्यों के निर्माण में इसका उपयोग होने लगा तो इसके पूर्ण विनिपिद्ध होने की घोषणा की गई।

लन्दन घोषणा में दी गई सापेक्ष विनिपिद्ध वस्तुओं की सूची प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ने पर ग्रेट ब्रिटेन द्वारा स्वीकार नहीं की गई। इसमें विभिन्न आदेशों द्वारा परिवर्तन होते रहे। २ जुलाई १९१७ की घोषणा के अनुसार इसमें ३४ प्रकार की वस्तुएँ थीं। दूसरे विश्वयुद्ध के आरम्भ में ग्रेट ब्रिटेन की सापेक्ष विनिपिद्ध की सूची में खाद्यान्न, चारा, कपड़ा तथा इनके उत्पादन में उपयोगी सभी वस्तुओं को सम्मिलित किया गया। जर्मनी ने भी ऐसा किया। उस समय अज़ेण्डाइना, सोवियत रूस तथा कुछ अन्य राज्यों ने खाद्यान्नों को विनिपिद्ध वस्तुओं की सूची में सम्मिलित करने का विरोध किया। पानामा में हुए विदेशमन्त्रियों के सम्मेलन ने ३ अक्टूबर १९३९ को अपने 'अन्तिम निर्णय' (Final Act) में यह कहा कि जो खाद्यान्न और वस्त्र अर्थनैतिक जनता के उपयोग के लिये हों, किसी युद्धकारी देश की सरकार के लिये या दूसरी सेनाओं के लिये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में उपयोग के लिए न जा रहे हों, उन्हें इस सूची में शामिल नहीं करना चाहिए।

विरोधी गम्यस्थान (Hostile Destination)— कोई भी वस्तु केवल उसी देश में विनिपिद्ध होती है, जब उसे किसी युद्धकारी पक्ष के युद्ध में उपयोग करने की दृष्टि से भेजा जा रहा हो। किसी तटस्थ देश को भेजे जाने वाले हथियार या गोला-बाहद विनिपिद्ध नहीं हो सकते। विनिपिद्ध की मुख्य कसौटी यह है कि यह माल कहाँ और किस के उपयोग के लिये भेजा जा रहा है, इसका गम्यस्थान (Destination) या लक्ष्य क्या है। यदि यह सन्देश के किसी व्यक्ति को या बन्दरगाह को भेजा जा रहा है तो इसे विरोधी गम्यस्थान (Hostile destination) की ओर जाने वाला कहा जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि यह माल सीधा सन्देश के व्यक्ति को न भेज

कर तटस्थ देश के किसी व्यापारी को इस इरादे से भेजा जाता है कि वह इसे शत्रु को पहुँचा देगा। ऐसा इरादा पता लगने पर तटस्थ देश को जाने वाले माल का भी अन्तिम लक्ष्य विरोधी शत्रुदेश होने के कारण इसे विनिषिद्ध माना जाता है। कई बार जहाज का गम्बरस्थान तटस्थ देश होता है, किन्तु उसे रास्ते में शत्रु के बन्दरगाहों पर रुकना पड़ता है, इससे शत्रु को माल पहुँच सकता है, अतः ऐसे माल को विनिषिद्ध समझा जाता है। १९३६ में हैम्बर्ग के जर्मन अग्रिमहण न्यायालय ने मिन्ना (The Minna) के सम्बन्ध में ऐसे मामले पर विचार किया था। यह एक तटस्थ देश—इस्टोनिया का जहाज था, इसका गम्बरस्थान ६० रा० अमरीका भी तटस्थ था, किन्तु रास्ते में वप्तान का विचार कोयला लेने के लिये स्काटलैंड के बन्दरगाह पर रुकने का था, इस कारण उस पर लडी लकड़ी की लुगरी (Pulp) का न्यायालय ने विनिषिद्ध घोषित किया।

लन्दन घोषणा (अनु० ३०) के अनुसार पूर्ण विनिषिद्ध वस्तुओं के सम्बन्ध में, निम्न अवस्थाओं में विरोधी गम्बरस्थान समझा जाता है—माल का शत्रु को प्रेषण शत्रु की तटस्थ सेनाओं को भेजा जाना। अनुच्छेद ३१ के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं में यह माना जाना चाहिए कि पूर्ण विनिषिद्ध या विरोधी गम्बरस्थान प्रमाणित हो गया है—(क) जब माल शत्रु के किसी बन्दरगाह को या शत्रु की सशस्त्र सेनाओं को भेजा जाय। (ख) जब जहाज को केवल शत्रु के बन्दरगाहों पर जाना हो या तटस्थ देश के बन्दरगाह पर माल ले जाने में पहले रास्ते में शत्रु के बन्दरगाहों पर रुकना हो या शत्रु की सेनाओं से मिलना हो।

विनिषिद्ध सम्बन्धी अपराध के तीन आवश्यक तत्व हैं। लारेन्स के मतानुसार पहला तत्व ऐसी वस्तुओं की दुलाई या परिवहन है, न कि इनका व्यापार और विक्री। तटस्थ देशों के व्यापारियों को अपने देश में शत्रुदेश के प्रतिनिधियों को हथियार तथा गोलाबारूद बेचने का पूरा अधिकार है, किन्तु जब वे दग रामग्री का निर्वात किसी युद्धकारी पक्ष को करते हैं, तभी दूसरे पक्ष को शत्रु को भेजे जाने वाले इन माल को पकड़ने का अधिकार है। दूसरा आवश्यक तत्व विरोधी गम्बरस्थान (Hostile destination) है। ऊपर इसका वर्णन किया जा चुका है। तीसरा तत्व किसी युद्धकारी पक्ष को यह सामग्री पहुँचाने के उद्देश्य से इसे जहाज पर लादकर यात्रा के लिए प्रादेशिक समुद्र से बाहर निकल जाना है। जार्ज स्टोवेल ने इमिना (Imma) के मामले में कहा था कि वस्तुओं को अपराधावस्था में (in delecto) अर्थात् शत्रु के बन्दरगाह की ओर जाते हुए पकड़ा जाना चाहिए।

विनिषिद्ध की दण्ड व्यवस्था (Penalty for carrying Contraband)—
१९०६ की लन्दन घोषणा (अनु० ३६, ४०) के अनुसार यदि मूल्य, भार या परिमाण की दृष्टि से किसी जहाज पर लदे माल में भागे में अधिक विनिषिद्ध वस्तुएँ हों तो ऐसे माल और जहाज दोनों को पकड़ा जा सकता है। इस प्रकार पकड़े गये माल और जहाजों को विचार के लिए अग्रिमहण न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यदि यह माल को विनिषिद्ध टहराता है तो इसे जप्त कर लिया जाता है। यदि यह

जहाज को निर्दोष समझकर मुक्त करता है तो इसे वे सब ब्यय देने पड़ते हैं, जो इस अभियोग के चलाने में तथा अभियोग के समय में इसे अपने सरक्षण (Custody) में रखने में किये गये हों। विनिषिद्ध वस्तुओं के स्वामी का यदि इस जहाज पर, विनिषिद्ध में न आने जाता कुछ अन्य माल तदा हुआ है तो उसे भी जब्त कर लिया जाता है। किन्तु इस पर तदा हुआ अन्य व्यक्तिगतों का माल उन्हें वापिस लौटा दिया जाता है। यदि जहाज पर लदे माल में आपके से कम माल विनिषिद्ध हो तो इसे जब्त करने के बाद जहाज इनके स्वामी को लौटा दिया जाता है। The Neutralitet के मामले में सर विलियम स्काट ने यह निर्णय दिया था कि 'राष्ट्रों के कानून' के वर्तमान नियम के अनुसार जहाजों को विनिषिद्ध पदार्थों का परिवहन करने के लिये दण्डित नहीं किया जा सकता। किन्तु इस निगम के कुछ अपवाद हैं। यदि कोई जहाज विनिषिद्ध सामग्रियों के मालिक का है, भूठे वागजों के साथ भूठे गम्यस्थान पर जाता है तो इस जहाज को भी जब्त किया जा सकता है।

✓ **परिवेष्टन और विनिषिद्ध (Blockade and Contraband)**— इन दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध और सूक्ष्म अन्तर है। पिछले अध्याय में पहले यह बताया जा चुका है कि परिवेष्टन का उद्देश्य शत्रु के समुद्रतट तथा बन्दरगाहों का रणभंगों द्वारा ऐसा घेरा डालना है कि दूसरे देशों के साथ उनका व्यापारिक सम्पर्क पूर्णरूप से विच्छिन्न हो जाय, इसका तात्पर्य न केवल शत्रुदेश में आयात होने वाली वस्तुओं का प्रवेश बन्द करना है, अपितु यहाँ से दूसरे देशों को निर्यात होने वाली वस्तुओं के निरगमन को भी रोकना है। विनिषिद्ध के आवश्यक तत्व वस्तुओं का स्वरूप तथा विरोधी गम्यस्थान (Enemy destination) है। इसका उद्देश्य युद्ध में सहायता देने वाली तथा शत्रु के देश को जाने वाली सामग्रियों को पकड़ना तथा छीन लेना है। इन दोनों में तीन महत्वपूर्ण भेद हैं।

पहला भेद यह है कि परिवेष्टन में इसके मग पर सभी व्यापारिक जहाजों को पकड़ा जा सकता है, भले ही उन पर विनिषिद्ध वस्तुएँ लदी हो या न लदी हो। विनिषिद्ध में केवल उन्हीं जहाजों का निग्रह हो सकता है जो ऊपर बताई गई विनिषिद्ध सामग्रियों का वहन कर रहे हों।

दूसरा भेद यह है कि दोनों के स्वरूप में मौलिक अन्तर है। परिवेष्टन में शत्रु के समुद्रतट और बन्दरगाहों तक पहुँचाने के सब मार्ग इस दृष्टि से बन्द कर दिये जाते हैं कि अन्य देशों के साथ उनका कोई सम्पर्क न रहे, किन्तु विनिषिद्ध में शत्रु को युद्ध में सहायता पहुँचाने वाला माल पकड़ लिया जाता है।

तीसरा भेद यह है कि परिवेष्टन प्रादेशिक दृष्टि से सीमित होता है, इसमें शत्रु के किसी विशेष समुद्रतट या बन्दरगाह पर घेरा डाला जाता है, अतः यह भौगोलिक प्रदेश की दृष्टि से मर्यादित होता है, किन्तु विनिषिद्ध पदार्थों या वस्तुओं की दृष्टि से सीमित होता है, इसमें रणसामग्रियों आदि कुछ निश्चित वस्तुओं का शत्रु तक पहुँचाना वर्जित होता है, अन्य वस्तुओं का शत्रु तक पहुँचाना निषिद्ध नहीं है। परिवेष्टन में शत्रु को सब प्रकार की वस्तुएँ भेजना वर्जित होता है।

प्रथम एव द्वितीय विश्वयुद्धों ने इन दोनों का क्षेत्र इतना विन्तीर्ण कर दिया है कि अब इनमें कोई अन्तर नहीं रहा और ये लगभग निरर्थक हो गये हैं। आजकल युद्धों का रूप इतना व्यापक और विनाश हो गया है कि लगभग प्रत्येक वस्तु युद्धोपयोगी बन गई है। 'समग्र युद्ध' (Total war) के विचार ने लड़ाई की परिस्थितियों को विलकुल बदल दिया है। खड, पट्टेल आदि युद्धोपयोगी वस्तुओं में आत्मनिर्भरता (Ersatz) प्राप्त करने के लिए इन्हें वृद्धि रूप में बनाया जाने लगा है। जमका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ है कि विनिपिद्ध वस्तुओं की मूर्त्तियाँ बहुत विस्तृत और व्यापक हो गई हैं और यह परिवेष्टन का कार्य करने लगी हैं। मिस्र ने लिखा है — "विनिपिद्ध का कानून परिवेष्टन का प्रयोजन पूरा करने लगा है, पहले परिवेष्टन की वही मूर्त्तियाँ भौगोलिक सीमाय हॉर्ती थी, वर्तमान परिस्थितियाँ ने इसका अन्त कर दिया है। दो विश्वयुद्धों में दोनों पक्षों की ओर से जो वृद्ध किया गया है, उसका अर्थ केवल यही है कि शत्रु की आवश्यकताएँ पूरी करने वाली समग्र व्यापारिक वस्तुओं को नष्ट करने का अधिकार दूसरे पक्ष को है, भले ही इन वस्तुओं का परिवहन तटस्थ देश का भण्डा फहराने वाला जहाज कर रहा हो और वह मान किमी भी देश में गुजर रहा हो।" इसका स्वाभाविक परिणाम यह है कि परिवेष्टन का क्षेत्र शत्रु के विरोध समुद्रतट या बन्दरगाहों तक सीमित न रहकर, समुद्रों का सम्पूर्ण प्रदेश हो गया है। इन दृष्टि में परिवेष्टन का कानून विनिपिद्ध के कानून में सम्मिलित हो गया है। इसी तरह विनिपिद्ध के कानून की उपेक्षा करने हुए सभी जहाजों का पकड़ा जाने लगा है, भले ही उनमें विनिपिद्ध मात न रहा हुआ हो। 'समग्र युद्ध' की वर्तमान परिस्थिति में इन दोनों के अन्तर या भेद को बनाए रखना सम्भव नहीं रहा।

फैक्टिक ने लिखा है कि परिवेष्टन के कानून की भाँति विनिपिद्ध के कानून का अधिकार भाग पहले विश्वयुद्ध में समाप्त हो गया था। टमका जो अक्ष डेप रहा था, उनकी समाप्ति दूसरे विश्वयुद्ध में हो गई। म० रा० अमरीका ने दूसरा विश्वयुद्ध आरम्भ होने में पहले ही यह प्रकट कर दिया कि उनमें प्रथम विश्वयुद्ध में तटस्थ देशों के जिन अधिकारों की रक्षा के लिए बड़ा धारा किया था, अगले विश्वयुद्ध में वह उसी सुरक्षा पर दब नहीं देगा, क्योंकि ऐसा करने का परिणाम युद्ध में सम्मिलित होना था। अमरीकी कांग्रेस ने कुछ व्यक्तियों के व्यापारिक जिनों की सुरक्षा के लिए 'महानमूत्रा की स्वतन्त्रता' के परिणाम का निश्चय किया, बत यह नहीं चाहती थी कि इनके स्वार्थों पर आज्ञा अन्त के कारण य अमरीका का युद्ध में पड़ने के लिए विवश करें। अन्त १९३९ में जब फ्रेड्रिक्स और छुटी राष्ट्रों ने विनिपिद्ध पक्षों की विस्तृत सूचियाँ प्रकाशित की तो म० रा० अमरीका ने इसका कोई प्रतिवाद नहीं किया।

अविच्छिन्न समुद्रों यात्रा का सिद्धान्त (The Doctrine of Continuous Voyage) — तटस्थ देशों के जहाज विनिपिद्ध वस्तुओं का वहन करने हुए पकड़ा जाय

से बचने के लिए झलपूरा रीति से काम लेते हैं, वे अपनी यात्रा को दो हिस्सों में बाँट लेते हैं या विच्छिन्न कर लेते हैं, ऊपर से दिखावे के तौर पर उनका गम्यस्थान शत्रु का समीपवर्ती कोई तटस्थ बन्दरगाह होता है, उनके कामजो में यही दर्ज होता है। यहाँ पहुँचकर वे अपना माल उतार देते हैं, इसका तटकर भी दे देते हैं और फिर यहाँ से इस माल को जहाज पर पुन लादकर अपने असली गम्यस्थान-शत्रु के बन्दरगाह की ओर प्रयाण करते हैं। इसी प्रकार परिवेष्टन भग करने के लिए भी इसी कपटपूर्ण रीति का अवलम्बन किया जाता है। परिवेष्टित समुद्रतट के निकट किसी बन्दरगाह तक माल पहुँचाकर, वहाँ से उसे किसी अन्य छोटी नौका या जहाज द्वारा शत्रु को पहुँचाने का प्रयत्न किया जाता है। स० रा० अमरीका के गृहयुद्ध के समय दक्षिणी राज्यों को माल पहुँचाने के लिए इस उपाय का अवलम्बन किया जाता था। उस समय यह माल पहले सन्धन, लिवरपूल आदि ब्रिटिश बन्दरगाहों से दक्षिणी राज्यों के समीपस्थ वेस्ट इंडीज के नासो आदि बन्दरगाहों में ले जाया जाता था, यहाँ से दुबारा इन्हीं जहाजों में अथवा दूसरी नौकाओं पर लादकर दक्षिणी राज्यों को पहुँचाया जाता था।

तटस्थ देशों द्वारा इस प्रकार अपनी समुद्री यात्रा को दो भागों में विभक्त करके शत्रु को प्रच्छन्न रीति से माल पहुँचाना बन्द करने की दृष्टि से 'अविच्छिन्न समुद्री यात्रा के सिद्धान्त' का विकास हुआ है। इसके अनुसार इस प्रकार परोक्ष रीति से माल पहुँचाने की दृष्टि से दो हिस्सों में बाँट कर की गई समुद्री यात्रा एक ही अविच्छिन्न यात्रा (Continuous Voyage) मानी जाती है। स्टार्क ने इसका लक्षण करते हुए कहा है "यह ऐसा साहसिक कार्य है, जिसमें माल का परिवहन पहले तो एक तटस्थ बन्दरगाह तक और पुन वहाँ से किमी दूरवर्ती तथा विरोधी गम्यस्थान तक किया जाता है। इस सिद्धान्त में इन दोनों को शत्रु के गम्यस्थान तक एक ही परिवहन समझा जाता है और इसको ये सब परिणाम भोगने पड़ते हैं, जो तटस्थ बन्दरगाह बीच में न पडने पर भोगने पड़ते।" सरल शब्दों में इसका यह अभिप्राय है कि तटस्थ-बन्दरगाह की ओर जाते हुए भी इसके बारे में यह कल्पना की जाती है कि यह शत्रु के बन्दरगाह की ओर जा रहा है और यदि इस पर कोई विनिषिद्ध पदार्थ लदे होते हैं तो जहाज और माल वैसे ही पकड़ लिया जाता है, जैसे शत्रु को विनिषिद्ध माल पहुँचाने वाले पोत का निग्रह किया जाता है। यदि एक ही जहाज तटस्थ बन्दरगाह में यात्रा भग करके यह माल शत्रु को पहुँचाये तो इस यात्रा को एक ही मानते हुए इसे 'अविच्छिन्न यात्रा' (Continuous Voyage) का सिद्धान्त कहते हैं, और यदि यह माल तटस्थ बन्दरगाह पर उतारकर अन्य नौकाओं या जहाजों द्वारा शत्रु को पहुँचाया जाय तो इसे अविच्छिन्न परिवहन (Continuous Transport) का सिद्धान्त कहते हैं। आपेनहाइम के मतानुसार^१ इस सिद्धान्त का प्रादुर्भाव १८वीं शती के अन्त में होने वाले एग्लो-फ्रेंच युद्धों से हुआ है और

१. स्टार्क—एन इंटरनेशनल लू इन्टरनेशनल लॉ, पृ० ३६६

२. आपेनहाइम—इन्टरनेशनल लॉ, ख० २

यह १७५६ के नियम (Rule of 1756) को लागू करने का परिणाम था। आगे (पृ० ५७५ पर) इसका वर्णन किया जा जायगा। इस नियम का यह अभिप्राय था कि उपनिवेशों के साथ व्यापार का एकमात्र अधिकार उन पर अधिकार रखने वाले राज्यों को है। फ्रांस ने सप्तवर्षीय युद्ध (१७५६-६३) में हार्लेण्ड और स्पेन को भी अपने उपनिवेशों के साथ व्यापार की अनुमति दी, क्योंकि उसका अपना समुद्री वेडा निर्बल था। ब्रिटिश रणपोती ने ऐसे जहाजों को शत्रु घोषित करते हुए पकड़ना शुरू किया। इससे बचने के लिए ये जहाज पहले अपना माल तटस्थ देश के बन्दरगाह में ले जाने लगे और वहाँ से इसे पुनः लादकर अभीष्ट स्थान पर पहुँचाने लगे। विलियम (The William 1805) नामक जहाज के मामले में यह सिद्ध हुआ कि इस तटस्थ जहाज ने स्पेनिश बन्दरगाह ला गुइरा (La Guira) से उस समय तटस्थ स० रा० अमरीका के मैसानुसेट्स राज्य के एक बन्दरगाह के लिए माल लादा, वहाँ माल उतारने और चुंगी देने के बाद इस माल को अन्य माल के साथ पुनः लादा गया और यह जहाज स्पेन के बन्दरगाह बिल्बो की ओर रवाना हुआ। ऐसे सभी उदाहरणों में ब्रिटिश अधिग्रहण न्यायालय औपनिवेशिक बन्दरगाह से तटस्थ बन्दरगाह तक और वहाँ से शत्रु के बन्दरगाह तक एक ही अविच्छिन्न या अविरत यात्रा मानते थे और ऐसे जहाजों पर लदे माल को जप्त करने की आज्ञा देने थे। लार्ड स्टोवैन ने 'भेरिया' (The Maria) नामक जहाज के मामले में इस सिद्धान्त का सुन्दर प्रतिपादन करते हुए कहा था—“यह स्वाभाविक रूप से निश्चित सिद्धान्त है कि यदि कोई जहाज केवल किमी बन्दरगाह पर कुछ समय के लिए रुकता है और उस देश के सामान्य माल में अपने माल के आयात द्वारा वृद्धि नहीं करता तो इससे उसकी समुद्री यात्रा में कोई अन्तर नहीं आयागा, सभी दृष्टियों में इसे उम देदा की अन्तिम बन्दरगाह तक की अविच्छिन्न यात्रा करने वाला समझा जाना चाहिए, जहाँ वह अपना माल पहुँचाने के प्रयोजन से जा रहा है।”

अमरीकन गृहयुद्ध में अनेक मामलों में स० रा० अमरीका के अधिग्रहण न्यायालय ने इस छलपूर्ण रीति में दक्षिणी राज्यों को सहायता पहुँचाने वाले जहाजों को दण्ड दिया तथा इस सिद्धान्त का प्रबल समर्थन किया। १८६५ में बरमुडा (The Bermuda) नामक जहाज इंग्लैण्ड से नामी (वेस्ट इंडीज) की यात्रा करते हुए पकड़ा गया। इस मामले में न्यायालय ने कहा—“जहाज के विदेशी बन्दरगाह तक पहुँचने का गन्धस्थान प्रत्यक्ष (Direct) एवं परोक्ष (Ultior) दोनों प्रकार का हो सकता है, किन्तु इससे इस विषय में कोई अन्तर नहीं पड़ता। गन्धस्थान के पश्च पर इस बात का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि इस माल को नासी में उतारा जा रहा है, बसंत कि वहाँ से इसे पुनः लादा जाना हो। यह इस माल के परिवहन की अविच्छिन्नता (Continuity of Transport) को भंग नहीं कर सकता। तटस्थ देदा से रवानगी और युद्धकारी देश के गन्धस्थान के बीच में एक तटस्थ बन्दरगाह को डालना विनिविद्ध सामग्री ले जाने वालों तथा परिवहन तोड़ने वालों का प्रिय उपाय रहा है। किन्तु जब उनके अन्तिम गन्धस्थान का निश्चय हो जाय तो इससे उन्हें कोई लाभ नहीं मिल सकता। एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दुलाई तब तक अविच्छिन्न या अविरत बनी रहती है, जब तक

इसे एक निश्चित स्थान तक ले जाने का इरादा अपरिमित रूप से बना रहता है, भले ही इसे ले जाने वाला जहाज रास्ते में कई स्थानों पर रुके और अपना माल उतारे।" १८६६ में अमरीकी गृहयुद्ध के समय पीटरहाफ (Peterhoff) नामक ब्रिटिश जहाज तटस्थ देश मेक्सिको के बन्दरगाह मेटामोरोस (Metamoros) की यात्रा कर रहा था। यह बन्दरगाह दक्षिणी राज्यों की सीमा के बिल्कुल साथ लगा हुआ था, रिया ग्रान्दे नदी पर इसके बिल्कुल सामने टेक्सास राज्य का ब्रीन्सविले नामक नगर था। इस पर युद्धोपयोगी सामान लदा हुआ था। तटस्थ बन्दरगाह को जाते हुए भी इस जहाज को पकड़ लिया गया और इसका युद्धोपयोगी सामान जब्त कर लिया गया। इस विषय का एक अन्य सुप्रसिद्ध उदाहरण स्प्रिंगबोक (Springbok) है। यह ब्रिटिश जहाज १८६६ में वहामा टापुओं में नासौ के तटस्थ बन्दरगाह को सामान ले जाता हुआ पकड़ा गया। स० रा० अमरीका के अधिग्रहण न्यायालय ने इसे इस आधार पर दण्डित किया कि इसमें लादे हुए माल से यह प्रतीत होता है कि इस माल का अन्तिम लक्ष्य कोई परिवेष्टित (Blockaded) बन्दरगाह था। "उनका कहना था, हमें इनमें कोई सन्देह नहीं कि परिवेष्टित तोड़ने के इरादे से ही इस जहाज पर माल लादा गया था। इस माल के मालिकों का यह इरादा था कि नासौ में इसे उतारकर ऐसे छोटे जहाज में लाद दिया जाय, जो इस बड़े जहाज की अपेक्षा अधिक सुरक्षा के साथ माल को परिवेष्टित बन्दरगाह में पहुँचा सके। अतः कानून और पाठियों के इरादे की दृष्टि से लन्दन से परिवेष्टित बन्दरगाह तक की यात्रा एक ही है और यदि यह अपनी यात्रा आरम्भ करने के बाद इसके किसी हिस्से में पकड़ा जाता है तो इसे दण्डित किया जा सकता है।"

इस निर्णय की तटस्थ देशों द्वारा डम आधार पर कटु आलोचना की गई कि इससे तटस्थ देशों के अधिकारों का अपहरण होता है, परिवेष्टित का प्रभाव तटस्थ देशों के बन्दरगाहों पर पड़ता है, इससे न केवल सन्तु के, किन्तु तटस्थ देशों के बन्दरगाह भी परिवेष्टित हो जाते हैं। 'अन्तर्राष्ट्रीय कानून की सरथा' की एक समिति ने इस निर्णय को 'तटस्थ देशों के अधिकारों पर गम्भीर आक्रमण' बताया। किन्तु 'ऐसे आक्रमण' जारी रहे। बोअर युद्ध के समय १९०० में ब्रिटिश कृत्रिम ने पुर्तगाल के डेलगामो खाड़ी के तटस्थ बन्दरगाहों को जाते हुए तीन जर्मन जहाज Bundesrath, Herzog तथा General इस आधार पर पकड़ लिये कि ये बोअरों के लिए विनिषिद्ध सामग्री ले जा रहे हैं। जर्मनों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ये जहाज एक तटस्थ बन्दरगाह से दूसरे तटस्थ बन्दरगाह को जा रहे हैं, अतः इन्हें नहीं पकड़ा जा सकता। ब्रिटिश सरकार का यह दावा था कि ऐसा होते हुए भी इन पर ऐसी युद्धसामग्री लदी हुई थी, जिसका अन्तिम लक्ष्य उसके अनुपदेश में पहुँचना था, अतः उसका कार्य सर्वथा न्यायोचित था।

अविच्छिन्न यात्रा का सिद्धान्त फ्रांस ने जर्मिया के युद्ध में, स० रा० अमरीका ने अपने गृहयुद्ध में तथा ग्रेट ब्रिटेन ने दक्षिणी अफ्रीका के बोअर युद्ध में स्वीकार एव लागू किया, किन्तु योरोप के अन्य देश इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे। लन्दन सम्मेलन में इस विषय में दोनों पक्षों में तीव्र मतभेद था। अन्त में लन्दन घोषणा में इस विषय में यह समझौता किया गया कि पूर्ण विनिषिद्ध (Absolute contraband) के

परिवहन के बारे में अविच्छिन्न यात्रा का सिद्धान्त पूर्ण तरह लागू किया जाय, किन्तु सापेक्ष विनिपिद्ध सामग्री के परिवहन के सम्बन्ध में इसे कुछ अपवादों को छोड़कर बिल्कुल लागू न किया जाय। इस घोषणा में यह भी कहा गया कि जहाज या माल का अन्तिम लक्ष्य या गन्तव्यस्थान भले ही कुछ हो, किन्तु यदि वह किसी अपरिवेष्टित (Nonblockaded) बन्दरगाह की यात्रा कर रहा है, तो उसे नहीं पकड़ा जा सकता। इस घोषणा का राज्यो ने अनुममर्त्यन (Ratification) नहीं किया और दोनों विश्वयुद्धों में इस नियम की अनहेलना होती रही। निम्न उदाहरणों से यह भली भाँति स्पष्ट हो जायगा।

प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ने पर नवम्बर १९१४ में ग्रेट ब्रिटेन ने न्यूयार्क से फोपेन-हेमन जाने हुए नावों तथा स्वीडन के किम (Kim) तथा कुछ अन्य जहाजों को पकड़ लिया (देगिये ऊपर पृ० ५६६)। किम पर पाले और खज लदा हुआ था। सर सेमुअल इवान्स ने किम के मामले में निर्णय देने हुए कहा था — 'समुद्री एवं स्थलीय मार्गों द्वारा दुनाई के विषय में अविच्छिन्न यात्रा या परिवहन का सिद्धान्त वर्तमान युद्ध आरम्भ होते ही राष्ट्रों के कानून का अंग बन चुका है, यह स्वीकार किये जाने वाले कानूनों निर्णयों के सिद्धान्तों के अनुनूल है। आधुनिक विभिसास्त्रिया में अधिकांश सिद्धान्त इससे सतमत हैं तथा यह आधुनिक समुद्री युद्ध में राज्यो द्वारा पालन किये जाने वाले आचरण के अनुसूप है।' इस मामले में इस सिद्धान्त का प्रचल प्रतिपादन करते हुए यह नियम जल एवं स्थल दोनों भागों द्वारा मनु को पहुँचानी जाने वाली विनिपिद्ध सामग्री के बारे में लागू किया गया।

प्रथम विश्वयुद्ध में ग्रेट ब्रिटेन ने अनेक सरकारी आदेशों द्वारा अविच्छिन्न समुद्री यात्रा के सिद्धान्त को मान्यता दी। ६ जूलाई १९१६ के 'समुद्री अधिकार गपरिषद् आदेश' (Maritime Rights Order-in-Council) में लन्दन घोषणा की उपयुक्त व्यवस्था (पृ० ५७५) का परिष्कार करते हुए बड़े सरल और स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया था — 'अविच्छिन्न समुद्री यात्रा अथवा अन्तिम गन्तव्यस्थान (Ultimate destination) का सिद्धान्त विनिपिद्ध तथा परिवेष्टित के दोनों मामलों में कियान्वित किया जायगा।' १९१७ में बाल्टो (Balto) के मामले में यह बच्ची खाला के बारे में भी लागू किया गया। स्वीडन का बाल्टो जहाज बोस्टन में गोंथनवर्ग खाले ले जा रहा था। स्वीडन उस समय तटस्थ देश था, फिर भी ब्रिटिश रणपोतों ने उसे पकड़ लिया। खालो के स्वामी का यह कहना था कि इस पर अविच्छिन्न यात्रा का सिद्धान्त नहीं लगाया जा सकता क्योंकि यह मात्र एक तटस्थ देश से दूसरे तटस्थ देश को भेजा जा रहा है और यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि इसका चरम लक्ष्य जर्मनी है। ब्रिटिश सरकार का यह कहना था कि ये खाले बूट बनाने के लिए ले जायी जा रही हैं, ये बूट जर्मनों की सेनाओं के लिये भेजे जायेंगे। इस आधार पर उसने बाल्टो का माल ज्वन कर लिया।

१७५६ के युद्ध का नियम (Rule of the War of 1756) — इसका अविच्छिन्न यात्रा के सिद्धान्त में घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह कहा जाता है कि इस सिद्धान्त की उत्पत्ति इस नियम में हुई है। इंग्लैण्ड और फ्रान्स के सन्तवर्षीय (१७५६-६३) युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन के

समुद्री वेड़े की प्रबलता के कारण फ्रांस के लिये अपने उपनिवेशों के साथ फ्रेंच पोतों द्वारा व्यापार करना सम्भव न रहा। उसने हालैंड को यह व्यापार करने का अधिकार दिया। ग्रेट ब्रिटेन को यह सह्य नहीं था। उसने डच जहाजों को उन पर लदे माल के साथ पकड़ना शुरू किया। इन परिस्थितियों में इस नियम का प्रादुर्भाव हुआ। इस नियम के अनुसार शान्तिकाल में उपनिवेश तथा उसके मन्वापक मातृदेश (Mother Country) में व्यापार का एकमात्र अधिकार मातृदेश के जहाजों को होता है, अतः युद्ध के समय कोई तटस्थ देश किसी मातृदेश और उनके उपनिवेशों के बीच कोई व्यापारिक परिवहन नहीं कर सकता। १७६६ में लार्ड स्टोवर्ट ने इमनेनुएल (Immanuel) के नाम में इसकी स्पष्ट व्याख्या करते हुए कहा था—“जब तटस्थ देशों को शान्तिकाल में किसी तटीय या औपनिवेशिक व्यापार में भाग लेना वञ्चित हो तो युद्धकाल में ऐसा व्यापार करने वाले तटस्थ पोत शत्रु के व्यापारिक जलपोतों में सम्मिलित समझे जायेंगे।” १७९० अमरीका तथा जापान ने बाद में १७५६ के नियम को स्वीकार किया। १९०६ की लन्दन घोषणा में इस विषय में कोई विचार नहीं प्रकट किया।

निरीक्षण और तलाशी का अधिकार (The Right of Visit and Search)— तटस्थ जहाजों द्वारा परिवेष्टन तथा विनिपिद्ध के नियमों का भंग रोकने के लिये युद्धकारी राष्ट्रों को यह अधिकार दिया जाना आवश्यक है कि महासमुद्रों में वे इनका निरीक्षण कर सकें और इनकी तलाशी ले सकें। अन्तर्राष्ट्रीय कानून में युद्धकारी देशों का ऐसा अधिकार स्वीकार किया जाता है, यही उनका निरीक्षण और तलाशी का अधिकार (Right of visit and search) है। आपेनहाइम ने इसका लक्षण करते हुए लिखा है* कि यह तटस्थ व्यापारिक जहाजों का इस उद्देश्य से निरीक्षण का तथा आवश्यकता पड़ने पर तलाशी लेने का अधिकार है कि ये जहाज बस्तुतः तटस्थ देशों के व्यापारिक पोत हैं ये परिवेष्टन तोड़ने का, विनिपिद्ध मामलों में जाने का या अतटस्थ सेवा (२८वाँ अध्याय) का कार्य नहीं कर रहे। इसके अस्तित्व का कारण इतना स्पष्ट है कि लिरकाल से, सार्वभौम रूप से व्यवहार में इसे स्वीकार किया जा रहा है। युद्धकारियों (Belligerents) के पास केवल मान्य यही एक ऐसा साधन है, जिससे वे यह जानने में समर्थ हो सकते हैं कि क्या तटस्थ व्यापारिक पोत शत्रु को सहायता पहुँचाने का या उसकी अतटस्थ सेवा करने का इरादा रखते हैं। बिकरशोपेक के कथनानुसार— “यह सर्वथा बंध है कि एक तटस्थ जहाज को रोककर यह निश्चय किया जाय कि वह केवल अपनी ध्वजा के कारण ही तटस्थ नहीं है, बल्कि इसे कपटपूर्ण रीति से लगाया जा सकता है। किन्तु जहाज पर विद्यमान लेखपत्रों (Documents) के आधार पर भी वह बस्तुतः तटस्थ है।”

यह अधिकार युध्यमान देशों के रणपोतों (Warships) को ही होता है। वे इसका प्रयोग युद्ध छिड़ने के बाद और इसकी समाप्ति से पूर्व ही कर सकते हैं। युद्ध बन्द हो जाने के बाद या शान्तिकाल में उन्हें ऐसा कोई अधिकार नहीं रहता। इस

अधिकार का प्रयोग युध्यमान देशों के प्रादेशिक समुद्री में अथवा महासमुद्र (Open sea) में ही हो सकता है। तटस्थ देशों के प्रादेशिक समुद्र में निरीक्षण या तलाशी का कार्य नहीं हो सकता। इस अधिकार का प्रयोग केवल व्यापारिक और वैयक्तिक (Private) जहाजों पर होता है, तटस्थ देशों के सार्वजनिक (Public) तथा रणपोतों (Men of war) का निरीक्षण और तलाशी नहीं ली जा सकती। डाक ने जाने वाले जहाजों के विषय में कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं है। यदि इनके नायक का कप्तान नौसेना के अधिकारी होते हैं तो इन्हें रणपोत समझकर इस अधिकार के प्रयोग से मुक्त कर दिया जाता है।

निरीक्षण की प्रक्रिया (The Procedure of Visit)—इस विषय में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के कुछ निश्चित नियम नहीं हैं। प्रायः इस सम्बन्ध में १९५६ की पिरैनीज की शान्ति-संधि के अनुच्छेद १७ को आदर्श समझा जाता है। इसी के आधार पर अनेक समुद्री राज्य अपने रणपोतों को निर्देश देते हैं। अतः इस सम्बन्ध में बहुत अज्ञान में लगभग एक जैसी प्रक्रिया और औपचारिक विधियाँ सब देशों में पायी जाती हैं। जब युद्धकारी देश का कोई रणपोत तटस्थ व्यापारिक पोत का निरीक्षण करना चाहता है तो वह पहले उसे रोकता है। रोकने से पहले भले ही उसने भूटा भण्डा लगा रखा हो किन्तु इसे रोकते समय उसे अपने देश का सच्चा भण्डा लगा लेना चाहिए। रोकने का आदेश एक-दो राली वारतूस छोड़कर दिया जाता है, इस पर भी यदि वह नहीं तो रणपोत को इसे रोकवाने के लिए आवश्यक बल प्रयोग का अधिकार है। इसके रूढ़ होने पर रणपोत में एक या दो अधिकारी नौका द्वारा व्यापारिक पोत पर इन्होंने निरीक्षण के लिये भेजे जाते हैं। ये जहाज की राष्ट्रीयता तथा उसके माल और भवारियों के स्वल्प के निश्चय करने का तथा उम जहाज के अग्नि-जाने के तथा रकने के बन्दरगाहों का पता लगाने के लिये उसके कागजों की जाँच करते हैं। बहुधा इस प्रकार के निरीक्षण के लिये व्यापारिक पोत के कप्तान को उसके जहाज के सब कागजों के साथ रणपोत पर बुला लिया जाता है। जहाज के मुख्य कागज ये हैं उसकी रजिस्ट्री या प्रमाण-पत्र, उस पर काम करने वाले अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों की दैनिक उपस्थिति की नागावलि (Muster roll), सरकारी दैनिक नोंदिवरण पत्रिका (Logbook), माल का दिवरणपत्र, माल के बहतपत्र (Bills of lading), यदि किसी व्यक्ति ने जहाज किराये (Charter) पर लिया हो तो उसका प्रमाणपत्र। यदि इन सब पत्रों के निरीक्षण के बाद सब बातें सही पायी जाती हैं, किसी कपट-व्यवहार का संदेह नहीं होता तो जहाज को आगे बढ़ने दिया जाता है और उसकी दिवरण पत्रिका में निरीक्षण की बात अंकित कर दी जाती है। किन्तु यदि जहाज के कागजों के निरीक्षण में इस बात का संदेह हो कि वह विनिषिद्ध सामग्री ले जा रहा है तो उसे रोककर उसकी तलाशी ली जाती है।

तलाशी (Search)—यह समुद्र में रणपोत के एक या दो अधिकारियों द्वारा व्यापारिक पोत के कप्तान की उपस्थिति में ली जाती है। इसे लेते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि इससे जहाज को या माल को कोई हानि न पहुँचे। दसम

बल का प्रयोग नहीं होना चाहिये, वॉई ताला जबदस्ती या तोड़कर नहीं खोला जाना चाहिये। व्यापारिक पोत के कप्तान का यह कर्त्तव्य है कि वह सब ताले खुलवाये, किन्तु उसे ताले खुलवाने के लिये बाधित नहीं किया जा सकता। यदि वह ताले नहीं खुलवाता तो यह जहाज को तथा उसके मात को पकड़ने का पर्याप्त कारण समझा जाता है। तलाशी लेने के बाद यदि कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिलती तो उसकी विवरण पत्रिका में यह बात अंकित करके उसे आगे बढ़ने दिया जाता है। किन्तु यदि इस पर विनिषिद्ध सामग्री लदे होने का प्रमाण मिल जाता है तो इसे पकड़कर अधिग्रहण न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है। यदि इस पर विनिषिद्ध सामग्री लदे होने का सदेह होता है तो इसके निराकरण के लिये तथा पूरी तलाशी के लिये इसे रणपोत किसी बन्दरगाह में ले जाया जाता है। किन्तु रणपोत के नायक को ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि यदि अन्त में अधिग्रहण न्यायालय द्वारा यह जहाज निर्दोष घोषित किया गया तो उसे इस प्रकार रोकने से हुई क्षति का पूरा मुआवजा देना पड़ेगा। अतः समुद्र में तलाशी लेने के बाद जब सदेह करने के प्रबल कारण और आधार विद्यमान हों, तभी व्यापारिक पोत को पकड़ना उचित है।

तलाशी के लिये जहाजों को बन्दरगाहों में लाना—पहले तटस्थ देशों के व्यापार में अनावश्यक हस्तक्षेप को रोकने की दृष्टि से निरीक्षण और तलाशी के अधिकार पर अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगे हुए थे। प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्धों में 'समग्र युद्ध' (Total War) की आवश्यकताओं के आधार पर युद्धकारी पक्षों ने इन प्रतिबन्धों की धोर उपेक्षा और अवहेलना की। प्रथम विश्वयुद्ध से पहले यह नियम था कि निरीक्षण और तलाशी के बाद ही तटस्थ जहाज पकड़ा जाय, तलाशी महासमुद्र में ही ली जाय। किन्तु प्रथम विश्वयुद्ध में ग्रेट ब्रिटेन ने तटस्थ पोतों को सदेह के कोई प्रमाण न होने पर भी पकड़कर पूरी तलाशी लेने के लिये अपने बन्दरगाहों में भेजना आरम्भ किया। म० रा० अमरीका इस समय तक युद्ध में तटस्थ था। उसने महासमुद्र में तलाशी लिये बिना अपने जहाजों को पकड़कर बन्दरगाहों में भेजने का प्रबल प्रतिवाद किया। ब्रिटिश सरकार ने अपनी कार्यवाही के समर्थन में तीन मुख्य युक्तियाँ उपस्थित की— (क) वर्तमान भारवाही जहाजों का आकार और परिमाण बहुत बड़ा गया है, इनमें विनिषिद्ध सामग्री की छिपावट ले जाने की अधिक संभावनाये हैं। इनकी तलाशी बड़ी जटिल, कठिन और बहुत समय लेने वाली प्रक्रिया है। अतः यह कार्य खुले समुद्र में नहीं किया जा सकता। (ख) पनडुब्बियों के विकास के कारण समुद्र में रणपोतों द्वारा तलाशी लेना बड़ा सफलपूर्ण हो गया है। (ग) अमरीकन गृह-युद्ध में, रूस-जापान युद्ध में तथा दूसरे बाल्कन युद्ध में तटस्थ जहाजों को बन्दरगाहों में ले जाकर तलाशी ली जाती रहीं हैं। तटस्थ जहाजों को इस प्रकार होने वाली अमुविषाघों और कठिनाइयों से मुक्त करने के लिये १९१६ में नौप्रमाणपत्रों (Navicerts) की प्रणाली स्वीकार की गयी।

नौप्रमाणपत्र (Navicerts)—ये प्रमाणपत्र तटस्थ देश में निवास करने वाले युद्धकारी देशों के राजदूतों या वाणिज्यदूतों द्वारा जारी किये जाते हैं, इनमें यह

प्रमाणित किया जाता है कि इस जहाज पर तादा हुआ माल सर्वथा निर्दोष है, अतः इसे पकड़ना या ज्वन नहीं करना चाहिए। ऐसा प्रमाणपत्र होने पर गुडकारी देश इस प्रकार के जहाज को तलाशी के लिये नहीं रोकते थे। यह तटस्थ जहाजों के लिये बड़ी सुविधाजनक व्यवस्था थी। इसका आरम्भ १९६० में रानी एलिजाबेथ की मरकार द्वारा किया गया था, किन्तु व्यापक रूप से प्रयोग प्रथम विश्वयुद्ध में १९१६ स जुल हुआ। १९३६ में दूसरा विश्वयुद्ध छिड़ने पर इसका सूब प्रयोग हुआ तथा ऐसा प्रमाणपत्र रखनेवाले जहाज का तलाशी से मुक्त समझा जाता था। जून १९४० में जर्मनी द्वारा फ्रांस, हॉलैण्ड और बेल्जियम पर अधिकार करने के बाद ग्रेट ब्रिटेन ने नौप्रमाणपत्र की व्यवस्था को कठोरतापूर्वक लागू किया। पहले नौप्रमाणपत्र का अभाव मात्र किसी तटस्थ पोत के पकड़े जाने और दण्डित होने का पर्याप्त कारण नहीं था। किन्तु ३१ जुलाई १९४० को प्रकाशित किये गये ग्रेट ब्रिटेन के "प्रत्यपहार सपरिषद् आदेश" (Reprisals Order in Council) का यह प्रभाव हुआ - (क) यदि किसी माल के साथ नौप्रमाणपत्र न हो तो इसे पकड़ा और ज्वन किया जा सकता था। (ख) नौप्रमाणपत्र न होने की दशा में यह क्लाना की जा सकती थी कि यह माल शत्रु के देश को भेजा जा रहा है। यद्यपि इस आदेश ने तटस्थ पोतों के लिये स्पष्ट शब्दों में नौप्रमाणपत्र का लेना अनिवार्य नहीं बनाया। किन्तु अब इनके बिना माल ल जाने वालों का खतरा बहुत बढ़ गया तथा अपने माल को निर्दोष सिद्ध करने का उत्तरदायित्व उन पर आ गया। इस आदेश की तटस्थ देशों द्वारा कटु आलोचना की गई, किन्तु स्टार्क ने यह कहा है कि इसका समर्थन प्रत्यपहार (Reprisals) से ऊपर अध्याय २०) के बीच कार्य के रूप में किया जा सकता है, इसका उद्देश्य परिशेकटन को मरल बनाना, शत्रु पर अधिक दबाव डालना और समूचे व्यापार का अनुमतिपत्रों की प्रणाली (System of Passes) द्वारा नियन्त्रण करना था।"

निरीक्षण व तलाशी के मामले (Cases of Visit and Search)—निरीक्षण और तलाशी के अधिकार के स्वरूप का स्पष्टीकरण अनेक मामलों में हुआ है। इसका पहला सुप्रसिद्ध उदाहरण मेरिया (Maria) का है। यह स्वीडन का व्यापारिक जहाज था। १७६६ में फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन की लड़ाई के समय यह स्वीडिश रक्षक बड़े (Convoy) के सरक्षण में जा रहा था। ब्रिटिश बड़े ने मेरिया की तलाशी लेनी चाही, रक्षक बड़े द्वारा इसका विरोध करने पर मेरिया को पकड़ लिया गया। इस दण्डित करते हुए लार्ड स्टोवेल ने इस विषय में निम्न तीन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया—

(१) युद्धकारी देश के रणपोतों को निर्धिवाद रूप से यह अधिकार है कि वे महामुद्र में किसी जहाज का तथा उनके माल का निरीक्षण कर सकें और तलाशी ले सकें। "यदि कहा है कि जहाजों का, माल का तथा गन्धस्थाना का स्वरूप कुछ भी क्या न हो, जब तक इनका निरीक्षण और तलाशी नहीं होती, तब तक उनका शाप नहीं होता। इन बातों को निश्चित करने का प्रयोगन पूरा करने के लिए निरीक्षण और

तलाशी के अधिकार की आवश्यकता है।”

(२) यदि इस मामले में तटस्थ देश के पूर्ण प्रभुसत्तासम्पन्न राजा (Sovereign) को डाल दिया जाय तो भी युद्धकारी देश के विधिपूर्वक अधिहृत रणपोत द्वारा इसके निरीक्षण और तलाशी के अधिकार में कोई अन्तर नहीं आता।

(३) इस अधिकार के हिंसापूर्ण प्रतिरोध का परिणाम इस प्रकार निरीक्षण और तलाशी से बचाई जाने वाली सम्पत्ति और माल का जब्त कर लेना है। स्टोवेल के इस निर्णय से तटस्थ देशों का भयभीत और चिन्तित होना स्वाभाविक था। बाल्टिक सागर के देशों द्वारा १८०० में दूसरी सशस्त्र तटस्थता (देखिये ऊपर पृ० ५२१) की सन्धि का एक प्रेरक कारण यह भी था।

न्यायाधीश स्टोरी (Story) ने The Marianna Flora के मामले में यह कहा था कि युद्ध के समय राष्ट्रों की सामान्य सहमति द्वारा निरीक्षण और तलाशी का अधिकार स्वीकार किया जाता है और यह केवल युद्धकाल के लिये ही होता है। पच-निर्णय के स्थायी न्यायालय (Permanent Court of Arbitration) ने कार्थेज (Carthage) के मामले में इस अधिकार को स्वीकार करते हुए कहा था—“सर्व भौम रूप से स्वीकार किये गये सिद्धान्तों के अनुसार, एक युद्धकारी देश के रणपोत को, सामान्य नियम के रूप में, यह अधिकार प्राप्त है कि वह तटस्थ देश के व्यापारिक पोत को खुले समुद्र में रोके तथा यह देखने के लिए उसकी तलाशी ले कि वह तटस्थता के नियमों, विशेषतः विनिर्दिष्ट के नियमों का पालन कर रहा है।”

प्रथम परिशिष्ट

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के महत्वपूर्ण मामले

इस पुस्तक में अनेक स्थलों पर अन्तर्राष्ट्रीय कानूनविषयक विभिन्न मामलों या वादों (Cases) का उल्लेख किया गया है और अनेक न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों का निर्देश किया गया है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण मामलों में किये गये निर्णयों की चर्चा इनका स्वरूप स्पष्ट करने की दृष्टि में कुछ विस्तार से की जा रही है। प्रत्येक मामले के नामोल्लेख के बाद कोष्ठक में निर्णय किये जाने के वर्ष का तथा उसके विषय का निर्देश किया गया है। यहाँ पहले विदेशों के न्यायालयों द्वारा तथा बाद में भारतीय न्यायालयों द्वारा निर्णित मामले दिये गये हैं।

(क) विदेशी न्यायालयों के मामले

(१) चुंग ची चेउंग विरुद्ध राजा (१९३६)—(प्रादेशिक समुद्र में सार्वजनिक जहाजों पर प्रवालतों का क्षेत्राधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून)।

चुंग ची चेउंग (Chung Che Cheung) नाम का एक व्यक्ति चीन के सशस्त्र सार्वजनिक जलपोत (Armed Public vessel) पर काम करने वाला लौकर था। जब यह जहाज हांगकांग के ब्रिटिश टापू के प्रादेशिक समुद्र (Territorial waters) में था तो चुंग ने इस जहाज के कप्तान जगलस कैम्पबेल पर गोली चलाकर उसे मार डाला। इसके बाद उसने जहाज के स्थानापन्न मुख्याधिकारी पर गोली चलाकर उसे घायल किया। मुख्याधिकारी ने जहाज की फौरत तेज रफ्तार से हांगकांग वापिस ले जाने को कहा और यहाँ पहुँचने पर अपराधी को गिरफ्तार करवा दिया गया। इस मामले में हत्यारा और मृत व्यक्ति दोनों ब्रिटिश प्रजाजन थे, किन्तु चीनी सरकार के सशस्त्र जहाज पर काम करने के कारण चीनी सरकार की सेवा में थे।

चीनी अधिकारियों ने इस मामले में हत्यारे को उन्हें सौंप देने (Extradition) की माँग की। किन्तु यह प्रार्थना दो कारणों से अस्वीकृत कर दी गई। पहला कारण यह था कि इस विषय में अपील करने वाला ब्रिटिश नागरिक था। दूसरा कारण यह था कि यह हत्या हांगकांग के प्रादेशिक समुद्र अर्थात् ब्रिटिश प्रदेश में हुई थी। हत्यारे पर हांगकांग की एक अदालत में मुकद्दमा चला कर उसे प्राणदण्ड दिया गया। हत्यारे का यह दावा स्वीकार नहीं किया गया कि चीनी सरकार की सेवा में होने के कारण हांगकांग के न्यायालयों को उसका मामला सुनने का अधिकार नहीं है। इस पर अभिमुक्त ने इस निर्णय के विरुद्ध प्रिवी कौंसिल में अपील की, किन्तु यह स्वीकार

नहीं हुई।

इस अपील में प्रिवी कौंसिल के सामने मुख्य विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या स्थानीय ब्रिटिश न्यायालय को दूसरे देशों के सार्वजनिक जहाजों पर उस समय में किए गये अपराधों के मुकद्दमे सुनने का अधिकार है, जब कि वे जहाज ग्रेट ब्रिटेन के प्रादेशिक समुद्र में हों। प्रिवी कौंसिल का यह निर्णय था कि इन्हें इस प्रकार का क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) है और इसे अस्वीकार करने का कोई वैध कारण नहीं है।

इस मामले में निर्णय सुनाते हुए लार्ड एटकिन (Atkin) ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून पर प्रकाश डालते हुए कहा— “यह सदैव स्मरण रखना चाहिये कि जहाँ तक इस देश के न्यायालयों का सम्बन्ध है अन्तर्राष्ट्रीय कानून उत गमय तक बंध नहीं है जब तक कि हमारे अपने देश का घरेलू (Domestic) कानून उसके सिद्धान्तों को स्वीकार एव ग्रहण न करे। कोई ऐसी बाह्य शक्ति नहीं है जो हमारे मौलिक कानून (Substantive Law) पर अपना कानूनी प्रक्रिया पर अपने नियमों को थोप सके। हमारी अदालतें एक ऐसे नियमसमूह की सत्ता मानती हैं, जिसे विभिन्न राष्ट्र पारस्परिक व्यवहार के लिये स्वीकार करते हैं। न्याय सम्बन्धी किसी विवादास्पद प्रश्न पर अदालत यह निश्चय करने का प्रयत्न करती हैं कि इस विषय में क्या नियम है। इसे जान लेने के बाद वे इसी उक्त समय तक अपने घरेलू या देशीय कानून का अंग मानती जब तक कि यह नियम पार्लियामेंट द्वारा बनाये गये कानूनों से अलग न हो और अदालतों द्वारा ऐसा घोषित न किया जाय। इस अवस्था में यह प्रश्न विचारणीय है कि हमारे न्यायालयों ने दूसरे देशों के सार्वजनिक जहाजों के लिए अपने अदालतों के क्षेत्राधिकार से कौन-सी छूटें या उन्मुक्तियाँ (Immunities) स्वीकार कर रखी हैं और ये किन सिद्धान्तों पर आधारित हैं ?

क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) के विषय में दो सिद्धान्त लोकप्रिय हुए हैं। पहला सिद्धान्त यह है कि एक राष्ट्र के सार्वजनिक जहाजों को सब प्रयोजनों के लिये उस राष्ट्र के प्रदेश का एक हिस्सा ममभूना चाहिये। यदि यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया जाय तो किसी देश के न्यायालयों को उसके प्रादेशिक समुद्र में विद्यमान अन्य देशों के जहाजों पर होने वाले अपराधों के मामले सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। दूसरा सिद्धान्त यह है कि दूसरे देश के प्रादेशिक समुद्र में एक सार्वजनिक जहाज (Public Ship) को उस पर स्वामित्व रखने वाले राष्ट्र का प्रदेश नहीं समझा जाना चाहिए, देशीय न्यायालय अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धान्तों के अनुसार जहाजों को इसके नाविक-वर्ग को तथा इसके सामान को कुछ उन्मुक्तियाँ प्रदान करेंगे। इनमें कुछ उन्मुक्तियाँ का स्वरूप निश्चित हो चुका है, कुछ अभी तक विनाशग्रस्त है। इस विचार के अनुसार इन उन्मुक्तियों का आधार कोई स्थूल राज्यक्षेत्रवाह्यता (Exterritoriality) नहीं है, किन्तु यह उक्त देश के कानून के अन्वयताओं (Implications) पर आधारित है। उन्मुक्तियाँ कुछ शर्तों के साथ होती हैं और इस जहाज पर स्वामित्व रखने वाला देश इनका परिस्थान भी कर सकता है।”

“न्यायाधीशों को इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि दूसरा मिडान्त ठीक है। यह अविक नुद्ध एव तार्किक दृष्टि से, राष्ट्रों के उस समझौते को व्यक्त करता है, जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण करता है। यह प्रत्येक देश को एक सबसे बड़ी आवश्यकता के अनुरूप है, यह आवश्यकता अपने देश की सीमाओं में अपराधियों पर अभियोग चलाकर तथा उन्हें दण्डित करके आन्तरिक अव्यवस्था में देश की रक्षा करना है।”

“सन्ना दृष्टिकोण यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून को प्रथाओं के अनुसार किसी प्रदेश में सम्पूर्ण प्रभुता रखने वाला प्रभु (Sovereign) विदेशी राजाओं को उनके हकों को, सांख्यिक जहाज को और इन द्वारा नें प्राप्ति जाने वाली नौसेना को अपनी कानूनी प्रकिया से कुछ उन्मुक्तियाँ (Immunities) प्रदान करता है। अब किसी स्थानीय न्यायालय के मामले उन्मुक्तियों के विषय में कोई प्रश्न आपत्तों उभरे यह निरवय करना है कि इस मामले में उन्मुक्ति या छूट की मत्ता है या नहीं। यदि न्यायालय को यह निश्चय हो कि इसकी मत्ता है तो वह इसे अपने उपक्रम (Initiative) पर क्रियामक रूप देगा। विदेशी राजा, उसके दूत, उसकी सम्पत्ति तथा उसके सन्तान जलपोता पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती। ये उन्मुक्तियाँ भनी भानि मुनिरिचित हो चुकी है। विचारणीय मामला एक युद्धपोत के नाविक वर्ग से सम्बन्ध रखता है। यह स्पष्ट है कि ऐसे जहाज के नाविक वर्ग के आन्तरिक भंगड कानूनी प्रकिया में छूट या उन्मुक्ति के अन्तर्गत है। जहाज पर नाविक वर्ग के एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध किए गए अपराधों पर स्थानीय न्यायालयों की क्षेत्राधिकार नहीं है।”

अब जब हागकाग के प्रादेशिक समुद्र में चीन के जहाज पर नाविक वर्ग के एक व्यक्ति द्वारा एक अधिकारी की हत्या होती है दूसरे की हत्या का प्रयत्न किया जाता है तो इस अपराध पर चीनी सरकार का क्षेत्राधिकार है। चीनी सरकार द्वारा अपराधी के प्रत्यर्पण की माँग विलुक्त ठीक होनी अपराधी तथा मृत व्यक्ति के ब्रिटिश नागरिक होने से इस मामले में कोई अन्तर नहीं आता क्योंकि दोनों युद्धपोत के नाविक वर्ग के सदस्य थे। किन्तु यदि यह प्रार्थना की हो नहीं गई और प्रत्यर्पण को प्रार्थना सफल नहीं हुई तो यह समझा जा सकता है कि चीनी सरकार इस मामले में अपने महत्त्व को गंभीर न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करे और हागकाग के ब्रिटिश न्यायालय को इस अपराध पर विचार करने का अधिकार है।

M. (1929) वेस्ट रेंड गोल्ड माइनिंग कंपनी विरुद्ध राजा (1804) (अन्तर्राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय कानून, राज्य का उत्तराधिकार)।

वेस्ट रेंड ग्रेट ब्रिटेन में रजिस्टर्ड हुई एक ब्रिटिश कंपनी थी। यह ट्रान्सवाल (दक्षिण अफ्रीका) में मंगे की खुदाई का कार्य करती थी। इस कंपनी के मान के दा पार्लम तत्कालीन दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य (South African Republic) की इस सरकार के अधिकारियों ने पकड़ लिये। उस समय के कानून के अनुसार सरकार के दिन यह आवश्यक था कि वह या तो इस पार्लम को तोड़ा दे अथवा इसका मूल्य प्रदान करे।

यह घटना १८६६ में डचों तथा अंग्रेजों में बोअर युद्ध (Boer war) छिड़ने से पूर्व हुई। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने डचों के दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य को जीत लिया, इसे अपने साम्राज्य का अंग बना लिया। इसके बाद इस कम्पनी ने पुरानी डच सरकार के स्थान पर स्थापित नई ब्रिटिश सरकार को आवेदन-पत्र देकर उन दोनों पार्षदों के सोने को वापिस करने अथवा इसका मूल्य प्रदान करने की मांग की। कम्पनी का यह कहना था कि विजय के बाद इस प्रदेश में स्थापित ब्रिटिश सरकार पहली डच सरकार की उत्तराधिकारिणी है, उमने पहली सरकार के सब अधिकार और दायित्व (Obligation) भी उत्तराधिकार में प्राप्त किए हैं और उनका पूरा करना उसका कर्तव्य है।

विन्तु प्रिन्सी कौन्सिल ने कम्पनी की यह मांग रद्द कर दी और इसे अस्वीकार करते हुए प्रधान न्यायाधीश लार्ड एल्बरस्टोन ने अपने निर्णय में अन्तर्राष्ट्रीय कानून की बड़ी सुन्दर व्याख्या की। "आवेदकों द्वारा उपस्थित किये गये विविधास्त्रियों (Jurists) के ग्रन्थों के विशिष्ट उद्धरणों पर विचार करने से पहले हम इस विषय पर विचार करना चाहते हैं कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सैद्धान्तिक रूप से विजेता राष्ट्र को विजित राष्ट्र के सभी दायित्वों का पूरा करना आवश्यक है। हमारा विचार है कि सैद्धान्तिक रूप से इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। सधि करते समय विजय करने वाली शक्ति विजित देश के वित्तीय दायित्वों के सम्बन्ध में मनचाही शर्तें रख सकती है, यह पूर्ण रूप में उसकी इच्छा पर निर्भर है कि वह किन शर्तों का पालन करेगी। इस विषय में एकमात्र कानून सैनिक शक्ति का है। हमें इसका कोई कारण समझ नहीं आता कि चुप्पी का यह अर्थ क्यों लगाया जाय कि वह इस बात का सूचक है कि नई सरकार विजित राज्य की सरकार के साथ हुए वर्तमान सभी ठेकों या सविदाओं (Contracts) को स्वीकार करती है। अनेक मामलों में यह कहा जा चुका है कि एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार को किसी प्रदेश के हस्तान्तर (Cession) का अभिप्राय यह कभी नहीं होता कि उस प्रदेश के व्यक्तियों की सम्पत्ति जब्त कर ली गई है। यदि ऐसे प्रदेश में सम्पत्ति का कुछ भाग कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को देता है, इसे गिरवी या रेहन पर रखता है, या इस पर कोई स्वत्व (Lien) पैदा हो जाता है, तो इसमें उत्पन्न होने वाले विचारणीय प्रश्न उनसे संबंधित होते हैं, जिनमें यह विचार किया जाता है कि विजित राज्य के सविदा सम्बन्धी दायित्वों को विजेता राज्य कहाँ तक स्वीकार करना है। इन कारणों से हमारी यह सम्मति है कि आवेदकों के आवेदन-पत्र में भांगा गया कोई ऐसा अधिकार नहीं है, जिसे वह अथवा अन्य कोई न्यायालय ब्रिटिश सरकार से कम्पनी को दिलवा सके।"

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्वरूप पर तथा राष्ट्रीय (Municipal) कानून के साथ इसके सम्बन्ध पर प्रकाश डालते हुए दृग् निर्णय में यह कहा गया था "यह विन्कुल सत्य है कि जिन नियमों को सब सम्य देशों ने स्वीकृति प्रदान की है, उन्हें हमारे देश की स्वीकृति भी अवश्य मिल चुकी है। अन्य देशों के साथ हमने सामान्य रूप से जिन नियमों की स्वीकृति दी है, उमें अन्तर्राष्ट्रीय कानून कहा जाता है। इस रूप में हमारे

राष्ट्रीय न्यायालय इन नियमों को स्वीकार करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें लागू करते हैं। किन्तु इस प्रकार स्वीकार किया जाने वाला सिद्धान्त ऐसा होना चाहिये जिसका आवश्यक रूप से पालन करना विभिन्न राष्ट्रों ने वस्तुतः स्वीकार किया हो। लागू किये जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय कानून के लिये यह आवश्यक है कि उसकी सत्ता सन्तोषजनक मांश्री द्वारा सिद्ध की जाय। इस मांश्री में यह प्रदर्शित होना चाहिये कि इस प्रकार के विशेष सिद्धान्त को हमारे देश ने स्वीकार कर लिया है या इसके अनुसार आचरण किया है या वह सिद्धान्त इस प्रकार का है, इसे इतने व्यापक और सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है कि इसके बारे में यह कल्पना नहीं की जा सकती कि कोई सभ्य राज्य इसे अस्वीकार करेगा। इस विषय में यह रमरण रखना चाहिये कि सुविख्यात और विद्वान् विधिशास्त्रियों (Jurists) के विचार मात्र अपनेआप में किसी सिद्धान्त को अन्तर्राष्ट्रीय कानून का नियम सिद्ध करने के लिये पर्याप्त नहीं है। इन विचारों को या तो अन्तर्राष्ट्रीय सम्भोजन का स्पष्ट समर्थन मिलना चाहिये या विभिन्न राष्ट्रों के व्यवहारों (Practices) में बार-बार व्यावहारिक स्वीकृति द्वारा इन विचारों का अन्तर्राष्ट्रीय कानून के संग्रह के रूप में होने का विकास होना चाहिये।”

(१८) **दी पाक्वेट हबाना और लोला (१८९६)**—(मछली पकड़ने वाले जहाज और राष्ट्रों की प्रथाएं)—१८९६ ई० में स्पेन और स० रा० अमरीका में युद्ध चल रहा था। इस समय एक अमरीकी रणपोत ने पाक्वेट हबाना (Paquete Habana) और लोला (Lola) नामक दो जहाजों को पकड़ लिया, क्योंकि इन पर स्पेन का भण्डा फहरा रहा था और इनका स्वामी एक स्पेनिश नागरिक था। उन जहाजों पर किसी प्रकार के हथियार या रणसामग्री नहीं, किन्तु ताजी मछली लदी हुई थी, ये मछली का शिकार करने वाले जहाज थे। इन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि दोनों देशों में युद्ध-घोषणा हो चुकी है और इन देशों ने शत्रु का समुद्री यातायात रोकने लिये परि-ब्लेक (Blockade) डाल रखा है। इन जहाजों ने इस बेरे को तोड़ने का कोई प्रयत्न नहीं किया, पकड़े जाने के समय किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। इनसे शत्रु को किसी प्रकार की सहायता पहुँचने की संभावना नहीं थी। किन्तु इनका माल युद्ध में अधिग्रहीत (Prize) समझा गया और एक न्यायालय की आज्ञा द्वारा वेच दिया गया। निचले न्यायालय की इस आज्ञा के विरुद्ध स० रा० अमरीका के सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बहुमत का यह निर्णय था कि मछली का शिकार करने वाले जहाजों को युद्ध में इस प्रकार नहीं पकड़ा जा सकता। सभ्य राष्ट्रों का इतिहास ऐसे उदाहरणों में भरा पड़ा है, जिनमें मछली पकड़ने वाले जहाजों को पकड़ने (Capture) के योग्य नहीं माना गया। यह सत्य है कि इस नियम को फ्रेंच राज्य-प्राप्ति में थोड़े समय के लिये नहीं माना गया, किन्तु इसे १८०६ में पुनः माना जाने लगा और इसके बाद से इसका निरन्तर पालन होना रहा है। यदि मछली पकड़ने वाले जहाज अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं, शत्रु को कोई सहायता या सूचना नहीं देने तो इन्हें अपने माल-घोत्रारों, उपकरणों, माल और नाविक-वर्ग के साथ पकड़े जाने योग्य

नहीं समझा जाता जाहिये। किन्तु अल्पमत रखने वाले न्यायाधीशों फुलर (Fuller), हार्लान (Harlan) और मैकेन (Mackenn) का यह मत था कि मछली पकड़ने वाले जहाजों को पकड़ने (Capture) से मुक्त मानने की परिपाटी अन्तर्राष्ट्रीय कानून का आचारिक नियम (Customary Rule) नहीं बना, यह केवल शिष्टतावश पालन किया जाने वाला नियम है।

इस मामले में बहुमत के निर्णय को सुनाते हुए न्यायाधीश ग्रे (Gray) ने यह कहा—“अन्तर्राष्ट्रीय कानून हमारे कानून का अंग है। उपर्युक्त क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालयों द्वारा इनका निश्चय किया जाना तथा प्रशासन किया जाना आवश्यक है। जब किसी विषय में कोई सधि न हो, इसे नियन्त्रित करने वाला सरकार का आदेश अथवा विधानसभा का कोई कानून न हो तथा न्यायमय का कोई निर्णय न हो तो ऐसे विषय में मध्य राष्ट्रों में प्रचलित आचारों (Customs) तथा प्रथाओं (Usages) का अवलम्बन लेना पड़ता है और इनकी साक्षी के लिये ऐसे विधिसास्त्रियों तथा इनके टीकाकारों के ग्रन्थ देखने पड़ते हैं, जिन्होंने वर्षों तक अनुसन्धान तथा अनुभव द्वारा इन विषयों का अष्ट्या परिचय पा लिया है। न्यायालय इन ग्रन्थों का महारा इसलिए नहीं लेते कि वे लिखने वालों के ये विचार जानना चाहते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून किस प्रकार का होना चाहिये, किन्तु वे उन्हें इस बात की विश्वसनीय साक्षी समझते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का स्वरूप वास्तव में क्या है?”

(४) चरकियेह (१८७२) (अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति) चरकियेह (Char-
kieh) मिश्र के खदीव (शासक) का एक जहाज था। १९ अक्टूबर १८७२ को डगलैंड की टेम्ज नदी में इसकी एक दूसरे जहाज स्टीमशिप बटेनियर (S S. Batavier) से टक्कर हो गई और इसे बहुत क्षति पहुँची। बटेनियर के मालिकों ने इसके लिये मिश्री जहाज को जिम्मेवार ठहराया, इसके विरुद्ध एक मुकद्दमा चलाया, टक्कर में होने वाली क्षतिपूर्ति के हज़ारों के लिये दावा किया।

इस पर चरकियेह की ओर ने अपने विरुद्ध कानूनी कार्यवाही को रोकने के लिये एक आवेदन-पत्र इस आधार पर दिया गया कि यह जहाज मिश्र के खदीव की सम्पत्ति है। वह एक स्वतन्त्र राजा या प्रभु (Independent Sovereign) है, अतएव वह ब्रिटिश नौमैनिक न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं है। जिस समय यह टक्कर हुई, उस समय इस पर टर्की की उस्मानिया नौसेना (Ottoman Navy) का भ्रष्टा फहरा रहा था। उन दिनों खदीव टर्की के सुलतान के अधीन समझा जाता था।

न्यायालय ने मिश्र की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार करते हुए यह निर्णय दिया कि उस समय खदीव अभी दृष्टिगत से एक स्वतन्त्र राजा या प्रभु नहीं था तथा इस दशा में उसकी सम्पत्ति स्थानीय न्यायालयों की कानूनी कार्यवाही से मुक्त नहीं है।

(५) हेल्मिलासी विरुद्ध केबल एण्ड वायरलेस लिमिटेड (१९३६) — (राज्य-
विषयक उत्तराधिकार) — केबल एण्ड वायरलेस लिमिटेड (Cable and Wireless)
Ltd) ग्रेट ब्रिटेन की कम्पनी थी, इसने १९३५ में ईथियोपिया (एबीसीनिया) के टेल-ग्राफ विभाग के संचालक के साथ ग्रेट ब्रिटेन और ईथियोपिया के बीच वेतार की

ने यह निर्णय किया कि अब कम्पनी से राशि प्राप्त करने का अधिकार हेल्सिलासी को नहीं, किन्तु इटली के राजा को है। इस अधिकार परिवर्तन का समय दिसम्बर १९३६ ममभा जाना चाहिये, क्योंकि इसी समय में ब्रिटिश सरकार ने इटली की सरकार को ईथियोपिया की वास्तविक या तथ्यानुसार (De facto) सरकार स्वीकार किया था।

१९३६ ई० में ब्रिटिश यीअरबुक आफ इण्टरनेशनल लॉ ने इस मामले के सम्बन्ध में यह सत्य ही लिखा था "जस्टिस बेनेट ने तथा अपील के न्यायालय (Court of Appeal) ने राज्य के उत्तराधिकार (Succession) के सम्बन्ध में तीन महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय किया (१) यह स्पष्ट रूप से तथा निर्विवाद रूप से मान लिया गया है कि जब पहले से स्वाधीन किसी राज्य को जीतकर कोई उसका नया सर्वोच्च शासक बनता है तो वह इंग्लैण्ड में विद्यमान उन सब श्रेणियों को प्राप्त करने का उत्तराधिकारी हो जाता है, जो सार्वजनिक रूप में उससे पहले स्वतन्त्र शासन को प्राप्त होने बाते थे। जब कानूनी रूप से नये शासक का स्वत्व माना जायगा तो इंग्लैण्ड में उसकी अन्य सम्पत्ति पर भी नये शासक का उत्तराधिकार स्थापित हो जायगा। (२) इंग्लैण्ड में इस सम्पत्ति को उत्तराधिकार में पा सकना तब तक नहीं होगा, जब तक पुराने शासक को विध्यनुसार या कानूनी (De Jure) शासक माना जा रहा है और नया शासक केवल उस प्रदेश का तथ्यानुसार या वास्तविक (De facto) शासक है। (३) जब एक बार किसी शासक को कानूनी तौर से स्वीकृति प्रदान की जाती है तो सम्पत्ति को विराम में पाने के लिये यह स्वीकृति भूतकाल में उस समय तक पीछे की ओर जा सकती है जब कि ब्रिटिश सरकार ने यह स्वीकार किया हो कि नये सर्वोच्च शासक ने वास्तविक या तथ्यानुसार (De facto) शासक का स्वत्व पा लिया है। यह पूर्व सम्बन्ध (Relation back) के सिद्धान्त को व्यवहार में लाना है।"

(अरन्तजाजू)

१

(६) स्टीमशिप अरन्तजाजू मेन्दी, विसुद्ध स्पेन की गणराज्य सरकार (मान्यता तथा प्रादेशिक क्षेत्राधिकार)—अरन्तजाजू मेन्दी (Arantzazu Mendiz) एक स्पेनिश जहाज था। स्पेन के बिल्बाओ नामक बन्दरगाह में इसकी रजिस्ट्री हुई थी। रजिस्ट्री के समय यहाँ स्पेन की गणतन्त्रीय (Republican) सरकार का शासन था। जून १९३७ में इस बन्दरगाह पर जनरल फ्रांको के नेतृत्व में विद्रोहियों ने अधिकार कर लिया तथा स्पेन की एक नई राष्ट्रवादी सरकार (Nationalist Government) का निर्माण किया। जब अरन्तजाजू महागभुद्र में था, तभी गणतन्त्रीय सरकार ने इसके अधिग्रहण (Requisition) करने का आदेश दिया। अगस्त में यह जहाज लन्दन पहुँचा। इसे ब्रिटिश नौसेना के अधिकारियों द्वारा बन्दी बना लिया गया। किन्तु इसी समय जहाज के मालिकों ने इसको उनके अधिकार में देने के लिए न्यायालय में आवेदन-पत्र दिया। अप्रैल १९३८ में फ्रांको की राष्ट्रवादी स्पेनिश सरकार ने इस जहाज के स्वामियों की सहमति से अपने लिए इसके अधिग्रहण (Requisition) का आदेश दिया। इस प्रकार स्पेन की दोनों सरकारों ने अपने कार्य के लिये इस जहाज को लेने की आज्ञा जारी कर दी। गणतन्त्रीय सरकार ने ग्रेट ब्रिटेन से यह प्रार्थना की कि

ब्रिटिश न्यायालय राष्ट्रवादी सरकार की आज्ञा को क्रियान्वित न करने का आदेश प्रदान करे। इस पर राष्ट्रवादी सरकार ने यह आपत्ति उठायी कि ब्रिटिश न्यायालय को किसी विदेशी राज्य के मामले के सम्बन्ध में विचार करने का कोई अधिकार नहीं है।

इस मामले पर विचार करने वाले न्यायालय ने ब्रिटिश सरकार के विदेश कार्यालय से यह जानकारी माँगी कि फ्रांको की राष्ट्रवादी सरकार को ब्रिटिश सरकार विदेशी सरकार स्वीकार करती है या नहीं। न्यायालय को इसका यह उत्तर मिला कि स्पेन की राष्ट्रवादी सरकार दार्मीलियोना मर्यापित गणतन्त्रीय सरकार के साथ संधि कर रही है, ब्रिटिश सरकार गणतन्त्रीय सरकार को स्पेन की कानूनी (de jure) सरकार स्वीकार करती है, यह राष्ट्रवादी सरकार को उत्तरी स्पेन के सैनिक प्रान्ता पर वास्तविक (de facto) नियन्त्रण करने वाली सरकार मानती है और राष्ट्रवादी सरकार स्पेन की किसी दूसरी सरकार के आधीन नहीं है। राष्ट्रवादी सरकार विदेशी (Foreign) राज्य है या नहीं, यह कानूनी प्रश्न है इसका निर्णय करना न्यायालय का कार्य है। यह यह कार्य इस मामले की परिस्थितियों और तथ्यों को देखकर करेगा।

इस विषय में अदालत ने यह फैसला किया कि जनरल फ्रांको की राष्ट्रवादी सरकार विदेशी संपूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न (Sovereign) राज्य है। सम्पत्ति में उसका हित (Interest) है, अतः उस पर ब्रिटिश न्यायालय में मामला नहीं चलाया जा सकता। इस निर्णय के विरुद्ध प्रिवी कौन्सिल में अपील की गई। किन्तु यह स्वीकार नहीं हुई। लार्ड एटकिन ने अपने निर्णय में लिखा—“वास्तविक प्रशासन के नियन्त्रण करने का अथवा प्रभावशाली प्रशासनात्मक नियन्त्रण करने का अभिप्राय में यह समझता हूँ कि यह एक संपूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न (Sovereign) सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करना है—कानून और व्यवस्था को बनाये रखना, न्यायालयों की स्थापना करना तथा इन्हें चलाते रहना, एक प्रदेश के निवासियों के एक दूसरे के साथ तथा सरकार के साथ सम्बन्धों को नियन्त्रण करने वाले कानून को बनाना तथा लागू करना। आवश्यक रूप से इसका ध्वनितार्थ यह भी है कि यह सैनिक और अतैनिक कार्यों के लिये अनेक प्रकार की सम्पत्ति के स्वामी होने तथा उसके नियन्त्रण करने का अधिकार रखती है, इस सम्पत्ति में लड़ाकू तथा व्यापारिक दोनों प्रकार के जहाजों का समावेश होता है। उपर्युक्त अवस्थाओं में मुझे यह प्रतीत होता है कि यदि किसी प्रदेश में वहाँ किसी अन्य सरकार के बराबरी न होने पर, उपर्युक्त विशेषतायें रखने वाली किसी सरकार को मान्यता प्रदान की जाती है तो यह दो अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से विदेशी संपूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न राज्य के समान मान लेना है।”

(७) मिघेल बनाम जोहोर का मुल्तान (१९६४)—सर्वोच्च न्यायालय की विदेशी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से छूट—मलाया में अद्वितीय जोहोर नामक राज्य के एक मुल्तान ने इंग्लैण्ड में निवास करने हुए एल्बर्ट बेकर (Albert Baker) का नाम धारण किया। मिघेल (Mighell) नामक ब्रिटिश महिला से उसका इस रूप में परिचय हुआ। बाद में इस महिला ने उस पर बचन भंग का आरोप करते हुए यह मुद्दा दमा चलाया कि उसने उसके साथ विवाह करने का वचन दिया था, किन्तु इसे पूरा

नहीं किया। सुल्तान ने इसका विरोध करते हुए यह कहा कि वह एक स्वतन्त्र सर्वोच्च शासक (Independent sovereign ruler) है, अतः ब्रिटिश न्यायालयों का उस पर कोई क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) नहीं है। न्यायालय ने उसकी बात स्वीकार करते हुए मिथेल की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया।

इस पर मिथेल ने उच्च-अदालत में अपील की। उसका यह कहना था कि प्रतिवादी अपने-आपको उसे एक निजी व्यक्ति (Private individual) बताता रहा है, इस रूप में वह इंग्लैण्ड का प्रजाजन है और ब्रिटिश न्यायालयों का उस पर क्षेत्राधिकार है। यह बात भी पूरी तरह सिद्ध नहीं हो पायी कि प्रतिवादी एक स्वतन्त्र संपूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न शासक है, इस विषय में औपनिवेशिक कार्यालय (Colonial Office) का पत्र पर्याप्त प्रमाण नहीं है।

लार्ड एशर (Esber) ने इस मामले में निर्णय देते हुए कहा—“औपनिवेशिक कार्यालय (Colonial Office) का पत्र इस विषय में पूरी तरह प्रामाणिक है कि प्रतिवादी जोहोर के सुल्तान के रूप में स्वतन्त्र एवं संपूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न शासक है। न्यायाधीश ने अनीत करने वाली बातों का यह तर्क भी स्वीकार नहीं किया कि निजी तौर पर रहने के कारण प्रतिवादी स्वतन्त्र तथा संपूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न शासक के विशेषाधिकारों से वंचित हो गया है। उसने पार्लेमेण्ट बेल्जे (Parlement belge) के निर्णय को उद्धृत करते हुए कहा—“अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार प्रत्येक संपूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न राज्य (Sovereign State) सभी संपूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न राज्यों की स्वतन्त्रता तथा प्रतिष्ठा का आदर करता है। प्रत्येक राज्य किसी भी संपूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न शासक पर अपने न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की सत्ता मानने से इनकार करता है, विदेशी शासक पर न्यायालय नहीं अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है जबकि इसे ऐसा करने को कहा जाय तथा शासक इसके क्षेत्राधिकार को रक्षामेव स्वीकार कर ले। यदि शासक ऐसा स्वीकार नहीं करता तो न्यायालय का उस पर कोई क्षेत्राधिकार नहीं है।” इन कार्रवायों से अपील को नामजूर कर दिया गया।

(६) स्टीमशिप लोटस (१९२७) — (प्रादेशिक और बंधवित्तक क्षेत्राधिकार सम्बन्धी) विवाद तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून — लोटस (S. S. Lotus) एक फ्रेंच जहाज था। यह २ अगस्त १९२६ को टर्की के एक बन्दरगाह कुस्तुन्तुनिया की ओर जा रहा था। सिगरी अन्तरीप से छ मील दूर तुर्की के प्रादेशिक समुद्र से बाहर महा-समुद्र (High Sea) में, तुर्की के कोयला ढोने वाले बोझ कोर्ट (Bouz Kourt) नामक जहाज से इसकी टक्कर हो गई, परिणामस्वरूप बोझ कोर्ट डूब गया और इस पर विद्यमान आठ तुर्क नागरिकों को अपने प्राण बचाने पड़े। इस टक्कर के समय फ्रेंच जहाज पर लेफ्टिनेण्ट देमोन (Demons) की निरीक्षण की झूठी थी, बोझकोर्ट जहाज का कप्तान हमन ने था।

३ अगस्त को लोटस कुस्तुन्तुनिया पहुँचा। तुर्क अधिकारियों ने इस दुर्घटना की जांच में देमोन से गवाही देने की प्रार्थना की, ५ अगस्त को उसे तथा हमन ने को बन्दी बना लिया गया। देमोन की गिरफ्तारी से पहले इसकी कोई सूचना फ्रेंच वाणिज्य

महादूत (Consul-General) को इसलिये नहीं दी गई कि वही वह भाग न जाय। इस गिरफ्तारी का उद्देश्य उक्त दुर्घटना में डूने लुर्क नागरिकों के परिवारों की शर्पणा पर दोगो पहाना के जिम्मेवार अधिकारियों पर मानवहत्या का अभियोग चलाना था।

तुर्की की फौजदारी अदालत में मुफद्दा चलाने पर ले० देमोन ने यह आगेदत्त किया कि फ्रेंच प्रजाजन होने से तथा दुर्घटना के महासमुद्र में घटित होने के कारण तुर्की के न्यायानयो को उस पर मुफद्दा चलाने का क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) नहीं है। अदालत ने इस युक्ति को स्वीकार नहीं किया, उसकी अपेक्षा और अभावधानी को दुर्घटना का एक कारण मानते हुए उसे आठ दिन की जेल और २२ पांड का जुमाना किया, हमन वे को इसकी अपेक्षा कुछ बठोर दण्ड दिया गया।

फ्रेंच सरकार ने अपने कूटनीति प्रतिनिधियों द्वारा इस बात पर बत दिया कि या तो ले० देमोन को मुक्त कर दिया जाय अथवा यह अभिजाग किसी फ्रेंच अदालत में चलाया जाना चाहिए। तुर्की की सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया, विन्तु परिस के बहुत आग्रह पर वह इस बात के लिये सहमत हुआ कि क्षेत्राधिकार के संघर्ष (Conflict of Jurisdiction) का यह मामला ह्य के स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (Permanent Court of International Justice) के सम्मुख लाया जाय। १२ अक्टूबर १९२६ को जेनेवा में दोना देशों में इस सम्बन्ध में हुए सम्मेलन के अनुसार यह मामला ह्य के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को सौंपा गया।

इस न्यायालय के समझ दो प्रश्न विचार के लिये लाये गये—(१) क्या तुर्की ने अपने देश के कानून के अनुसार फ्रेंच स्टीमर लाटम के कुस्तुन्तुनिया पहुँचने पर ले० देमोन पर हमन वे के साथ सशुक्त रूप में फौजदारी मुफद्दा चलाने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धान्तों के प्रतिबन्धन मानरण किया है? (२) यदि पहल प्रश्न का उत्तर हाँ में हो तो ले० देमोन को आधिक क्षतिपूर्ति की राशि कितनी दी जानी चाहिए। यह राशि अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों के अनुसार इस प्रकार के मामले में दी जाने वाली राशि के अनुरूप होनी चाहिए।

पहले प्रश्न के सम्बन्ध में न्यायालय के विद्वान् न्यायाधीशों में उग्र मतभेद था। इसने सभापति के निर्णायक मत द्वारा पहले प्रश्न का नकारात्मक फैसला करत हुए यह कहा गया कि तुर्की ने फ्रेंच स्टीमर के कुस्तुन्तुनिया पहुँचने पर इसके फ्रेंच नागरिक ले० देमोन पर लुर्क अदालत में हरान वे के साथ फौजदारी का सशुक्त मामला चलाने में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धान्तों का उल्लंघन नहीं किया। पहले प्रश्न का नकारात्मक उत्तर होने के कारण ले० देमोन को मुफद्दा देने के दूसरे प्रश्न पर न्यायालय को निर्णय देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी।

फ्रेंच सरकार ने इस मामले में तुर्की में यह माग की थी कि वह देमोन पर मामला चलाने का तथा अपना क्षेत्राधिकार रखने का अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा स्वीकृत कोई प्रमाण उपस्थित करे। लुर्क सरकार ने इस विषय में अपने पक्ष में २५ जुलाई १९२३ को लोडान में हुए सम्मेलन की १५वीं धारा की उपस्थित किया और न्यायालय ने इस प्रमाण को स्वीकार किया।

इस विषय में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्वरूप की विवेचना करते हुए न्यायालय ने यह मत प्रकट किया—“अन्तर्राष्ट्रीय कानून स्वतन्त्र राज्यों के सम्बन्धों का नियमन करता है। अतः इस क्षेत्र में राज्यों पर लागू होने वाले नियम उनकी अपनी स्वतन्त्र इच्छा से प्रादुर्भूत होते हैं, इन्हें पारस्परिक समझौतों में व्यक्त किया जाता है अथवा ये नियम ऐसी प्रथाओं से निश्चित होते हैं जिन्हें सामान्य रूप से सब देश स्वीकार करते हैं। इन नियमों की स्थापना का प्रयोजन सहवर्ती (co existing) एवम् स्वतन्त्र समुदायों के आपसी सम्बन्धों का इस दृष्टि से नियमन करना होता है कि ये अपने सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। अतः राज्यों की स्वतन्त्रता को मर्यादित करने वाले ऐसे प्रतिबन्धों (Restrictions) की कल्पना (Presumptions) नहीं की जा सकती, जो राज्यों द्वारा स्वीकार न किये गये हों।

“अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार राज्य पर सबसे बड़ा प्रतिबन्ध यह है कि वह दूसरे राज्य के प्रदेश में अपनी शक्ति का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकता। इस प्रकार राज्य का क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) निश्चित रूप से प्रादेशिक है। कोई राज्य इकाई प्रयोग अपने प्रदेश से बाहर नहीं कर सकता, केवल अन्तर्राष्ट्रीय रीति-रिवाज या समझौते द्वारा अनुमति दिये जाने पर ही कोई राज्य अपने प्रदेश से बाहर अपनी सत्ता का प्रयोग कर सकता है।

“किन्तु इससे यह परिणाम नहीं निकालना चाहिये कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून किसी राज्य को अपने प्रदेश में किसी ऐसे मामले में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से रोक सकता है, जिसका सम्बन्ध इस राज्य के प्रदेश से बाहर हुए कार्यों से हो तथा जिसमें इसे ऐसा करने की अनुमति देने वाला अन्तर्राष्ट्रीय कानून का कोई नियम न हो। यह दृष्टिकोण तभी स्वीकार किया जा सकता है, जबकि अन्तर्राष्ट्रीय कानून में सब राज्यों के सम्बन्ध में एक ऐसा सामान्य प्रतिबन्ध मान लिया जाय कि वे अपने प्रदेश से बाहर विद्यमान व्यक्तियों और सम्पत्ति तथा कार्यों के सम्बन्ध में अपने कानूनों को लागू नहीं करेंगे तथा इनके विषय में अपने न्यायालयों का क्षेत्राधिकार नहीं मानेंगे। किन्तु वर्तमान समय में निश्चित रूप में ऐसी स्थिति नहीं है। राज्यों का क्षेत्राधिकार सीमित करने के स्थान पर, यह उन्हें इस विषय में बहुत बड़ी मात्रा में कार्यवाही करने का विवेक (Discretion) प्रदान करता है। इन अवस्थाओं में फ्रेंच सरकार का यह दावा ठीक नहीं है कि तुर्की को अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कानून का कोई नियम प्रमाण के रूप में उपस्थित करना चाहिये।”

फ्रेंच सरकार ने निम्नलिखित युक्तियों के आधार पर यह तर्क उपस्थित किया कि उपर्युक्त सिद्धान्त तुर्की को इस मामले में फ्रेंच प्रजाजन का कौजदारी मामला सुनने का क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करता.—

(१) अन्तर्राष्ट्रीय कानून किसी राज्य को यह अधिकार नहीं प्रदान करता कि वह विदेशियों द्वारा देवान्तर (Abroad) में किये गये अपराधों के सम्बन्ध में केवल पीडित व्यक्ति की नागरिकता के आधार पर कार्यवाही कर सके। इस मामले में तुर्क सरकार ने डूबने वाले तुर्कों की मानव हत्या का आरोप ले० देमोन पर लगाया है और

इन व्यक्तियों की राष्ट्रीयता तुरक होने के कारण वह अपनी फौजदारी अदालत में देमोन पर मामला चला रही है, किन्तु देमोन तुर्की का नागरिक नहीं है और यह अपराध तुर्की की प्रादेशिक सीमाओं से बाहर महामुद्र म फ्रेंच जहाज पर किया गया है, अतः तुर्की की सरकार को ऐसे अपराध के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है।

(२) अन्तर्राष्ट्रीय कानून यह स्वीकार करता है कि महामुद्र म किसी जहाज पर जो घटनाएँ होती हैं, उनके सम्बन्ध में कार्यवाही करने का एकमात्र अधिकार उसी देश को होता है, जिस देश का झण्डा उस जहाज पर फहरा रहा हो। लोटम स्टीमर पर फ्रेंच फताका थी, अतः महामुद्रों में इस पर हुई सब घटनाओं के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का अधिकार केवल फ्रांस की सरकार को है।

(३) यह सिद्धान्त टक्कर या मिडल (Collision) होने की दशा में विशेष रूप से लागू होता है।

न्यायालय ने पहली युक्ति के सम्बन्ध में विचार करते हुए फ्रेंच सरकार का यह दावा स्वीकार नहीं किया कि कोई राज्य किसी विदेशी द्वारा देगान्तर म किये गये अपराध को केवल पीडित व्यक्ति की नागरिकता के आधार पर दण्डित करने का अधिकार नहीं रखता। अनेक देशों के न्यायालय अपने फौजदारी कानून के सम्बन्ध में यह व्याख्या करते हैं कि अपराध करने के समय भले ही उसे करने वाला व्यक्ति हमारे राज्य के प्रदेश में हो, फिर भी वे अपराध राष्ट्रीय प्रदेश में ही किये गये समझे जाते हैं, बशर्त कि अपराध का एक घटक (Constituent) तत्व, विशेष रूप में इस अपराध के प्रभाव उनके प्रदेश में पड़े हो। इस मामले में दुर्घटना के परिणामस्वरूप तुर्कों के डूबने का प्रभाव तुर्की पर पड़ा है, अतः महामुद्र म घटित होने पर भी इसके लिए उत्तरदायी विदेशी प्रजाजना पर अभियोग चताने का अधिकार टर्की की सरकार को है।

फ्रेंच सरकार की दूसरी युक्ति के सम्बन्ध में विचार करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा—“यद्यपि यह सत्य है कि महामुद्रों में घाना करने वाले जलपोता पर उसी राज्य का अधिकार होता है जिस राज्य का झण्डा उन पर होता है, तथापि इससे यह परिणाम नहीं निकालना चाहिए कि राज्य को अपने प्रदेश में उन नावों के सम्बन्ध में कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, जो महामुद्रों में विदेशी जहाजों पर हुए हैं। यदि महामुद्रों में किया गया कोई अपराधपूर्ण कार्य अपना प्रभाव हमारे देश का झण्डा फहराने वाले जलपोत पर अथवा हमारे देश के प्रदेश पर डालता है तो इस दशा में वही सिद्धान्त लागू होगा, जो विभिन्न राज्यों के प्रदेशों में हुए अपराधों पर लागू होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कानून का कोई ऐसा नियम नहीं है, जो अपराधों के प्रभावों को प्राप्त करने वाले जहाज पर रवागित्व रखने वाले राज्य को इन बातों से रोक सके कि यह अपराध उस राज्य के प्रदेश में हुआ है और उसे अपराधी को दण्ड देने का पूरा अधिकार है।

तीसरी युक्ति के सम्बन्ध में न्यायालय का यह मत था कि जहाजों की टक्कर के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय कानून का कोई ऐसा नियम नहीं है, जिसमें अनुसार फौजदारी कार्यवाही करने का एकमात्र या अनन्य क्षेत्राधिकार (Exclusive jurisdiction) केवल

उसी राज्य को है, जिसका झण्डा उस जहाज पर फहरा रहा हो।

“इस मामले में ले० देमोन पर उसकी सापरवाही अथवा असावधानी के लिये मुकद्दमा चलाया गया। यह अपराध मद्यिगि उसने लोटस जहाज पर किया, किन्तु इसके प्रभाव बोजकोर्ट जहाज पर पड़े। कानूनी दृष्टि से ये दोनों तत्व सर्वथा पृथक् न हो सकने वाले तथा ऐसी रीति से मिले हुए हैं कि उनको पृथक् कर देने से अपराधी की सत्ता ही नहीं रहती। न्याय की आवश्यकतायें पूरी करने के लिये तथा दोनों राज्यों के हितों को प्रभावशाली रीति से सुरक्षित रखने के लिये यह उचित है कि इस मामले में न तो दोनों राज्यों में से किसी एक का एकमात्र क्षेत्राधिकार (Exclusive Jurisdiction) माना जाय और न ही दोनों में से प्रत्येक का क्षेत्राधिकार, उनके जहाजों पर होने वाली घटना तक सीमित किया जाय। यह स्वाभाविक है कि प्रत्येक राज्य इसमें क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सके तथा ऐसा करते हुए वह पूरी घटना पर विचार करे। अतः यह मामला समवर्ती क्षेत्राधिकार (concurrent jurisdiction) का है अर्थात् इसमें दोनों देशों को कार्यवाही करने का अधिकार है।”

उपर्युक्त विचार करने के बाद न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा प्रत्येक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न राज्य को प्राप्त होने वाले विवेक (Discretion) के आधार पर टर्की ने यह फौजदारी कार्यवाही की है, अतः उसने अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों के प्रतिभूल कार्य नहीं किया।

कुछ आलोचकों का यह मत है कि स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का यह निर्णय ठीक नहीं था। चाहे सभापति के निर्णायक मत से फ्रांस के मत को अस्वीकार कर दिया गया, किन्तु सही मत वही था, क्योंकि सार्वजनिक जहाज महासमुद्रों पर विदेशी राज्यों के क्षेत्राधिकार से मुक्त (Immune) रहते हैं। शान्ति काल में यह सिद्धान्त विशेष रूप से लागू होता है। जब लोटस तथा बोजकोर्ट में टक्कर हुई, उस समय किसी प्रकार का युद्ध नहीं चल रहा था, अतः टर्की को फ्रांस के जहाज पर या फ्रेंच प्रजाजन पर मुकद्दमा चलाने का कोई अधिकार नहीं था।

(६) दी वर्जिनियस (१८७३)—प्रादेशिक क्षेत्राधिकार—१८७० ई० में वर्जिनियस (Virginus) नामक जहाज की रजिस्ट्री सं० रा० अमरीका में हुई थी। १८७३ में पश्चिमी हिन्द द्वीपसमूह (West Indies) के क्यूबा टापू में स्पेन के आधिपत्य के विशद विद्रोह हुआ। उस समय इस जहाज को विद्रोहियों ने ले लिया। यह जर्मका टापू की राजधानी किंगरटन से ऊपर से दिखाने के लिये तो, कोस्टा रिका नामक राज्य ही और रवाना हुआ, किन्तु इसका वास्तविक लक्ष्य क्यूबा पहुँचना था। इस समय एक स्पेनिस जगी जहाज ने इसका पीछा किया, इससे बचने के लिये कुछ समय तक इसने हैटी टापू के एक बन्दरगाह में दारण ली। इसके बाद यह पुनः क्यूबा की ओर रवाना हुआ, महासमुद्र में स्पेन के टार्नेडो (Torneido) नामक युद्धपोत ने इसका पुनः पीछा किया और इसे पकड़ लिया। पकड़े जाने के समय इस जहाज पर बड़ी मात्रा में इथियार, गोलाबारूद तथा काफी सन्ध्या में ऐंम यात्री पाये गये, जो क्यूबा के विद्रोहियों को सहायता देने के उद्देश्य से वहाँ जा रहे थे। किन्तु इसमें कुछ ब्रिटिश यात्री

भी थे, जो इस पर कोस्टा रिका जाने के इरादे से सवार हुए थे और उन्हें इसके क्यूबा की ओर जाने का कुछ भी ज्ञान नहीं था।

वर्जिनियस को पकड़ने के बाद इसे पूर्वी क्यूबा के सान्टियागो बन्दरगाह में ले जाया गया, यहाँ यात्रियों को तथा नाविक-वर्ग को बन्दी बना लिया गया, इन पर समुद्री डकैती (Piracy) तथा विद्रोहियों को सहायता देने के आरोप लगाय गये। एक फौजी अदालत ने अन्य धानियों के साथ १६ ब्रिटिश तथा ८ अमरीकी धानियों पर तपाये जाने वाले उक्त आरोपों पर विचार किया तथा यात्रियों में से ३७ को गोलियों में उड़ान का दण्ड दिया, इनमें १६ ब्रिटिश प्रजाजन थे।

ग्रेट ब्रिटेन तथा स० रा० अमरीका की सरकारों ने स्पेन से इस दण्ड के विरुद्ध तीव्र प्रतिवाद किया, उसे यह कहा कि वह प्राणदण्ड की आज्ञा को अब आगे न्यायवित्त न करे। इस पर स्पेन की सरकार ने उस समय तक जीवित ब्रिटिश प्रजाजन अमरीकी सरकार को सौंप दिये, क्योंकि इस जहाज पर अमरीकी भण्डा फहरा रहा था। इस मामले में विवादास्पद प्रश्न यह था कि स्पेनिश सरकार द्वारा ब्रिटिश तथा अमरीकी नागरिकों पर सक्षिप्त मुकद्दमा चलाना (Summary trial) और दण्ड देना कहा तक न्यायोचित था। स्पेन की सरकार का यह कहना था कि वर्जिनियस जहाज पर हथियार और गोलाबारूद तदा हुआ था, उनकी यात्रा भी बड़ी सम्बन्धजनक थी, इसमें कुछ यानी निश्चित रूप से क्यूबा के विद्रोहियों को सहायता देने के उद्देश्य से जा रहे थे, यद्यपि इस जहाज को समुद्री डकैती (Piracy) के कार्य में लगा हुआ समझना चाहिये।

इसके विपरीत ब्रिटिश सरकार का यह कहना था कि इसमें ब्रिटिश यात्री इस विश्वास के आधार पर सवार हुए थे कि जहाज वास्ता रिका की ओर सद्भाव से (Bona fide) यात्रा कर रहा है, यात्रियों का पकड़ना और निराप (Detention) भले ही वैध हो, किन्तु सक्षिप्त ढङ्ग (Summary manner) से उनको प्राणदण्ड देने का विन्कूल कोई औचित्य नहीं था। इन पर समुद्री डकैती का कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जहाज ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया था। इस विषय में आवश्यकता (Necessity) या आत्मरक्षा (Self-defence) का तर्क नहीं स्वीकार किया जा सकता, क्योंकि जहाज को पकड़ लेने के बाद उससे किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहा था। इस विषय में बार्थिंगटन में तीन देशों के मध्य हुए एक सम्मेलन के परिणामस्वरूप स्पेन को वर्जिनियस जहाज, इसके बचे हुए यात्री और नाविक स० रा० अमरीका तथा ग्रेट ब्रिटेन को लौटाने पड़े तथा उन्हें फौजी अदालत की आज्ञा से मारे गए ब्रिटिश प्रजाजनों के परिवारों को हर्षानि की राशि देनी पड़ी।

इस मामले में एक अन्य विवादास्पद प्रश्न यह भी था कि क्या स्पेन, स० रा० अमरीका में रजिस्ट्री हुए तथा उसका भण्डा फहराने वाले जहाज के, महामुद्र (High seas) में होने पर इसका पीछा या आक्रमण कर सकता है। स० रा० अमरीका ने महान्यायवादी (Attorney General) का कहना था कि "इस जहाज की रजिस्ट्री कपटपूर्ण (fraudulent) थी, उसे अमरीकी भण्डा फहराने का कोई अधिकार नहीं था, किन्तु फिर भी यह समुद्र में विदेशी शक्ति के हस्तक्षेप ने उतना ही गुप्त

जितना ठीक ढंग से रजिस्ट्री कराने पर होता। स्पेन को अमरीकी भण्डे वाले जहाज को उसी हालत में पकड़ने और निरोध करने का अधिकार था, जबकि वह स्पेन के प्रादेशिक समुद्र में ब्यूबा के विद्रोहियों को सहायता पहुँचा रहा हो।”

(१०) क्रिस्टीना (१६३८) क्षेत्राधिकार—इस मामले में यह प्रतिपादित किया गया था कि विदेशी राज्य किसी अन्य देश के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से मुक्त होता है। १६३७ में स्पेन में गृहयुद्ध चल रहा था। जनरल फ्राको ने स्पेन की तत्कालीन गणराज्यवादी सरकार (Republican Government) के विरुद्ध विद्रोह करके उससे बहुत सा प्रदेश छीन लिया था। ६ जून १६३७ को उसने स्पेन के एक बड़े बन्दरगाह बिल्बोआ (Bilboa) पर अधिकार कर लिया। स्पेन के अधिकार जहाजों की रजिस्ट्री इस बन्दरगाह में हुई थी। २८ जून १६३७ को गणराज्यवादी सरकार ने एक सरकारी आदेश द्वारा बिल्बोआ में रजिस्ट्री हुए सब जहाज अपने अधिकार (Requisition) में ले लिये। स्पेन की सरकार ने ग्रेट ब्रिटेन में विद्यमान ऐसे जलपोतों की सूची देते हुए उन्हें ये निर्देश भेजे कि ये जहाज अब किसी भी ब्रिटिश बन्दरगाह में आयें इन पर अधिकार कर लिया जाय। इन आदेशों का पालन करते हुए स्पेन के वाणिज्यदूतों (Consuls) ने चालीस जहाजों पर कब्जा कर लिया। इसमें से एक जहाज क्रिस्टीना (Cristina) भी था।

क्रिस्टीना जलपोत के मालिकों ने स्पेनिश सरकार की इस कार्यवाही का निरोध करते हुए इस विषय में ब्रिटिश न्यायालय से सहायता माँगी और इस विषय में निपेधाज्ञा प्राप्त की। इसपर स्पेन की गणराज्यवादी सरकार ने २७ जुलाई १६३७ को कुछ शर्तों के साथ ब्रिटिश न्यायालय में उपस्थित होते हुए यह प्रार्थना की कि उसकी जलपोत प्राप्त करने के लिये की गई कार्यवाही को रोकने वाली निपेधाज्ञा को इस युक्ति के आधार पर रद्द कर दिया जाय कि यह जलपोत गणराज्यवादी सरकार के अधिकार में है और इस मामले में एक विदेशी राज्य अर्थात् स्पेन की सरकार को पक्ष बना दिया (Implead) गया है तथा स्पेन की सरकार इस विषय में न्यायालय का क्षेत्राधिकार तथा इसका आदेश मानने को तैयार नहीं है। गणराज्यवादी सरकार का इस जहाज पर इसलिये भी अधिकार है कि इस विषय में स्पेन की सरकार २८ जून १६३७ को इस जहाज को अपने कब्जे में लेने के आदेश प्रसारित कर चुकी है। जहाज के मालिकों की यह दलील थी कि स्पेन की गणराज्यवादी सरकार द्वारा जहाजों पर कब्जा करने का आदेश ब्रिटिश बन्दरगाहों में विद्यमान स्पेनिश जहाजों पर लागू नहीं हो सकता तथा उस सरकार को इस विषय में कोई अधिकार नहीं दे सकता है। जहाज के मालिकों की इच्छा के विरुद्ध इस पर गणराज्यवादी सरकार द्वारा अपना अधिकार स्थापित करना ब्रिटेन की प्रादेशिक प्रभुत्ता का उल्लंघन करना है। एक विदेशी राज्य किसी ऐसी सम्पत्ति के बारे में किसी प्रकार की उन्मुक्ति की माँग नहीं कर सकता, जिसपर यह स्वामित्व का नहीं, अपितु केवल कब्जे का या नियन्त्रण के अधिकार का ही दावा कर सकता है।

किन्तु ब्रिटिश न्यायालय ने जहाज के मालिकों की उपर्युक्त युक्तियाँ अस्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया कि एक विदेशी राज्य या राजा को उसकी इच्छा

के विरुद्ध किसी भी कानूनी कार्यवाही में कोई पक्ष नहीं बनाया जा सकता भले ही यह कार्यवाही विदेशी राजा के शरीर (Person) के विरुद्ध हो अथवा इसका सबन्ध उसकी किसी विशेष सम्पत्ति में हो अथवा उससे कोई हर्जाना वसूल करना हो। इसके अतिरिक्त विदेशी राजा के स्वामित्व में अथवा नियन्त्रण में विद्यमान किसी सम्पत्ति को किसी कानूनी प्रक्रिया द्वारा रोकना या जब्त नहीं किया जा सकता, भले ही इस कानूनी प्रक्रिया में वह कोई पक्ष बना हो या न बना हो।

(११) डी स्कूनर एक्सचेंज वि० मैकफर्डुन (१८१२) क्षेत्राधिकार स्कूनर एक्सचेंज (The Schooner Exchange) एक जहाज था। इसका स्वामी एक अमेरिकन था। यह ८० रा० अमेरिका के बान्टीमोर नामक बन्दरगाह में १८१० में स्पेन की ओर जा रहा था। उस समय नैपोलियन की ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन आदि योरोप के अधिकांश देशों के साथ लड़ाई चल रही थी, किन्तु ८० रा० अमेरिका के साथ लड़ाई नहीं थी। नैपोलियन ने शत्रुदेशों के बन्दरगाहों को जाने वाले सभी जहाजों को पकड़ने का आदेश दे रखा था। इसके अनुसार स्पेन जाने वाले इस जहाज स्कूनर को भी पकड़ लिया गया, इसके बाद यह ८० रा० अमेरिका के फिलाडेल्फिया के बन्दरगाह में बहुत देर तक पड़ा रहा। इस स्थिति में इसके स्वामी मैकफर्डुन ने अमेरिकन सरकार में इस जहाज को इस आधार पर उभे लौटाने की प्रार्थना की कि यह उसका है तथा किसी न्यायालय ने इस जहाज के मामले पर विचार करके इसे फ्रांस को नहीं दिया है।

इस मामले में अमेरिकन सरकार का यह दावा था कि ८० रा० अमेरिका और फ्रांस में शान्तिपूर्ण सबन्ध हैं, अतः फ्रांस के सार्वजनिक जहाज अमेरिका के बन्दरगाह में बिना किसी रोक टोक के प्रविष्ट हो सकते हैं। पेन्सिलवेनिया की जिला अदालत (District Court) ने सरकार की इस युक्ति को स्वीकार करते हुए जहाज के मालिक को उसका जहाज लौटाने की प्रार्थना अस्वीकार कर दी क्योंकि इसको जब एक बार फ्रांस ने लड़ाई में पकड़ लिया और यह फ्रांस द्वारा अधिकृत जहाज के रूप में अमेरिकन बन्दरगाह में प्रविष्ट हुआ तो इसे फ्रांस का पोत समझा गया तथा इसे अमेरिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर समझा गया। किन्तु जिला अदालत के उपरान्त नियम के विरुद्ध दौरा अदालत (Circuit Court) में की गई अपील स्वीकार कर ली गई। इसके बाद इस निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई तथा प्रधान न्यायाधीश मार्शल ने दौरा अदालत के निर्णय को उलटते हुए जिला अदालत के निर्णय को स्वीकार किया तथा प्रादेशिक एवं वैयक्तिक क्षेत्राधिकार (Territorial and Personal Jurisdiction) के प्रश्न पर महत्वपूर्ण विवेचना की। इस निर्णय में यह माना गया कि स्कूनर एक ऐसे विदेशी राजा की सेवा में लगा हुआ सार्वजनिक सैनिक पोत (Public army vessel) था, जिसके साथ अमेरिका के सबन्ध गंभीरपूर्ण थे। इस जहाज को यहाँ इस बात को पहले से ही मानकर लाया गया होगा कि फ्रांस के अधिकार में होने के कारण यह अमेरिकन सरकार के क्षेत्राधिकार में मुक्त होगा।

इस विषय में अन्तर्राष्ट्रीय कानून की स्थिति को स्पष्ट करते हुए मार्शल ने अपने निर्णय में लिखा था—“जब किसी एक राष्ट्र के युद्धपोत एक मित्रदेश के बन्दरगाह

में प्रविष्ट होते हैं तो इस विषय में यह समझ लेना चाहिए कि भिन्नदेश इस बात के लिये अपनी सहमति (Consent) देता है कि ये जहाज उसने क्षेत्राधिकार से मुक्त समझे जाय। "एक सार्वजनिक युद्धपोत (A public armed ship) विदेशी राष्ट्र की सैनिक शक्ति का एक हिस्सा होता है, यह उम देश के राजा की सीधी कमान (Command) में उसके आदेशों का पालन करता है, राजा अपने कुछ राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस जहाज का प्रयोग करता है। वह किसी विदेशी राज्य को इन उद्देश्यों की पूर्ति में बाधक नहीं बनने देना चाहता है। प्रत्येक राष्ट्र को अपने प्रदेश की सीमाओं में पूर्ण एवं निर्बाध अधिकार प्राप्त होता है, यदि उसे ऐसा अधिकार न प्राप्त हो तो उसकी प्रभुसत्ता (Sovereignty) का कोई अर्थ या महत्व नहीं रह जायगा, वह सीमित हो जायगी। प्रत्येक राष्ट्र पर उसके क्षेत्र में कोई विदेशी शक्ति प्रतिबन्ध नहीं आना सक्ती है, किन्तु वह अपनी इच्छा से स्वयमेव अपने पर कुछ प्रतिबन्ध लगाता है। इनमें से एक प्रतिबन्ध यह भी है कि वह अपनी सीमा में विद्यमान विदेशी राजाओं के जहाजों को अपने क्षेत्राधिकार से मुक्त कर देता है। स्कूनर एक्सचेंज भी इसी प्रकार का जहाज है, अतः स० रा० अमेरिका के क्षेत्राधिकार से मुक्त है।

कोर्फू चैनल का मामला (१९४६)—प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, समुद्री सीमा—उत्तरी कोर्फू चैनल (Corfu Channel) या जलप्रणाली अल्बानिया तथा यूनान की सीमा का निर्माण करती है। इसका कुछ भाग इन दोनों राज्यों के प्रादेशिक समुद्र में आता है। ब्रिटिश नौसेना ने अक्टूबर १९४४ तथा जनवरी १९४५ में इसमें अपने समुद्री सुरंगे साफ करने वाले जहाज भेजे। उस समय यहाँ कोई सुरंग न पायी जाने में इस रास्ते को सुरक्षित घोषित किया गया। १५ मई १९४६ को इस प्रणाली में से गुजर रहे दो ब्रिटिश युद्धपोतों ओरायन (Orion) तथा सुपब (Superb) पर अल्बानिया के तट पर लगी तोपों ने गोलाबारी की। २२ अक्टूबर १९४६ को इसी जलप्रणाली के अल्बानिया के प्रादेशिक समुद्र वाले हिस्से में से गुजरते हुए दो ब्रिटिश युद्धपोतों को यहाँ बिछाई गई सुरंगों से गहरी क्षति पहुँची। इसमें ४४ व्यक्ति मृत तथा ४२ घायल हुए। इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन ने इस जलप्रणाली के मार्ग को सुरक्षित बनाने की दृष्टि के अन्तर्राष्ट्रीय सुरंग शोधक आयोग (International Mine Sweeping Commission) के निरुद्ध के अनुसार यहाँ अपने सुरंग साफ करने वाले जहाज भेजने का निश्चय किया। १२-१३ नवम्बर १९४६ को अल्बानिया के अधिकारियों की रकीकृति पाये बिना ही ब्रिटिश बेड़े ने इस जलप्रणाली में सुरंगे साफ करने का कार्य किया और अल्बानिया के प्रादेशिक समुद्र में ठीक उम स्थान पर सुरंगों को विध्वंस हुआ पाया, जहाँ पिछली २२ अक्टूबर को दुर्घटना हुई थी।

अल्बानिया ने ब्रिटिश बेड़े द्वारा उसके प्रदेश की सुरंगे साफ करने का कार्य 'अपनी प्रभुसत्ता का पूर्वयोजित अतिक्रमण' (Premeditated violation of its sovereignty) बताया और इसका तीव्र प्रतिवाद किया। ग्रेट ब्रिटेन ने इस प्रश्न को स० रा० सभ की सुरक्षा परिषद में उठाया और अल्बानिया पर यह आरोप लगाया कि इस जलप्रणाली में सुरंगों की सत्ता का उत्तरदायित्व अल्बानिया पर है। २५ मार्च

१९४७ को परिषद् के बहुमत की यह सम्मति थी कि अल्बानिया को इन सुरगों को उपस्थिति का अवश्य ज्ञान था, इस प्रकार वह इस दुर्घटना के लिए उत्तरदायी है। किन्तु सोवियत रूस ने अपने निपेधाधिकार (Veto) द्वारा इस प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया। तत्पश्चात् ग्रेट ब्रिटेन ने यह प्रस्ताव रखा कि यह मामला अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के पाम निर्णय के लिये भेजा जाय। सुरक्षा परिषद् ने ६ अप्रैल १९४७ को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा २५ मार्च १९४८ को हुए एक विशेष सम्मेलन के अनुसार न्यायालय का निम्नलिखित दो प्रश्नों के निर्णय करने का कार्य सौंपा गया।

(१) क्या अल्बानिया अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार २२ अक्टूबर १९४६ को होने वाले उन विस्फोटों के लिए उत्तरदायी है, जो उसके प्रादेशिक समुद्र में हुए? क्या वह इस दुर्घटना से हुई क्षति तथा मानवीय जीवन की क्षति के लिये जिम्मेवार है? क्या इसकी क्षतिपूर्ति करना उसका कर्तव्य है?

(२) क्या ग्रेट ब्रिटेन ने अल्बानिया के प्रादेशिक समुद्र में २२ अक्टूबर तथा १२-१३ नवम्बर के शाही बेड़े के कार्यों द्वारा, अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अल्बानियन जलतंत्र के गलतारम्भ की प्रभुसत्ता का अतिक्रमण किया है? क्या इस विषय में अल्बानिया को चक्रेपुट करना उसका कार्य है?

न्यायालय ने पहले प्रश्न का निर्णय देते हुए यह कहा कि अल्बानिया अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार २२ अक्टूबर १९४६ को होने वाले विस्फोटों के लिए तथा इनके परिणामस्वरूप हुई हानि तथा मानवीय जीवन की क्षति के लिये उत्तरदायी है तथा अल्बानिया का यह कर्तव्य है कि वह ग्रेट ब्रिटेन को इसका हर्षाना प्रदान करे। अल्बानिया को उत्तरदायी ठहराने का यह कारण दिया गया कि उसे इन सुरगों का ज्ञान अनस्यमेव रहा होगा, किन्तु उसने इस विषय में जहाजों को उपयुक्त चेतावनी देने में लापरवाही की। इस दुर्घटना के बाद अल्बानिया की सरकार ने इसका कारणों की खोजने तथा इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों को दण्ड देने या कोई प्रयत्न नहीं किया। न्यायालय ने अल्बानिया की सरकार का यह मत स्वीकार नहीं किया कि यह हानि बटकर आने वाली (Floating) सुरगों से हुई, क्योंकि इस दुर्घटना में जितनी भीषण क्षति हुई, वह ऐसी सुरगों से कभी नहीं हो सकती थी। न्यायालय ने ग्रेट ब्रिटेन का यह दावा भी पुष्ट प्रमाणों के अभाव में अस्वीकार कर दिया कि ये सुरग अल्बानिया की उपेक्षा (Connivance) में यूगोस्लाविया ने बिछाई हैं। अल्बानिया को उत्तरदायी ठहराने का निर्णय पाँच के विरुद्ध ग्यारह के बहुमत में हुआ। सोवियत जज ने बहुमत के निर्णय से विरोध प्रकट करते हुए यह कहा कि किसी राज्य को सभासनाया के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। किन्तु बहुमत ने अल्बानिया को इस दुर्घटना में लापरवाही करने का दोषी पाया और उसे ब्रिटिश सरकार को क्षतिपूर्ति के लिये ८,४२,६४७ पौण्ड देने की कहा।

न्यायालय ने अल्बानिया के इस दावे पर विचार किया कि अल्बानिया की सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना ग्रेट ब्रिटेन का अपने युद्धपोतों को अल्बानिया के प्रादेशिक समुद्र में भेजना उसकी प्रभुसत्ता का अतिक्रमण था।

इस विषय में न्यायालय का यह मत था कि सामान्य रूप से यह स्वीकार किया जाता है, और अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा भी यही है कि शान्तिकाल में प्रत्येक राज्य को तटवर्ती राज्य की पूर्ण स्वीकृति लिये बिना ऐसे जलडमरूमध्य या जलप्रणाली में से अपने युद्धपोत भेजने का अधिकार है, जो जलप्रणाली महासमुद्रों के दो बड़े भागों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय नीचालन का मार्ग बनी हुई हो। किन्तु इसमें एक बड़ी शर्त यह है कि लडाकू जहाजों का यह गुजरना सर्वथा निर्दोष (Innocent) होना चाहिए अर्थात् इसका उद्देश्य आक्रमणात्मक न हो। किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मति द्वारा यदि कोई प्रतिबन्धन लगाये गये हो तो किसी तटवर्ती राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वह शान्तिकाल में अपने जलडमरूमध्य में से किसी राज्य के जहाजों के निर्दोष रूप से गुजरने पर प्रतिबन्धन लगा सके। न्यायालय की सम्मति में उत्तरी कोर्फू जलप्रणाली अन्तर्राष्ट्रीय महामार्गों की श्रेणी में आती है और शान्तिकाल में कोई तटवर्ती राज्य किसी दूसरे देश के जहाजों को इसमें से गुजरने से नहीं रोक सकता। इन कारणों के आधार पर न्यायालय ने अल्बानिया की सरकार का यह दावा स्वीकार नहीं किया कि ग्रेट ब्रिटेन ने उसकी पूर्ण स्वीकृति लिये बिना इस जलप्रणाली में अपने युद्धपोत भेजकर उसकी प्रभुसत्ता का अतिक्रमण किया है। अतः दो वोटों के विरुद्ध चौदह वोटों के बहुमत से न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि २२ अक्टूबर १९४६ को अल्बानिया के प्रादेशिक समुद्र में ब्रिटिश बेड़े के कार्यों से ग्रेट ब्रिटेन ने अल्बानिया को प्रभुसत्ता का अतिक्रमण नहीं किया।

किन्तु १२-१३ नवम्बर १९४६ को ब्रिटिश बेड़े द्वारा अल्बानिया के प्रादेशिक समुद्र में उसकी स्वीकृति लिये बिना सुरगें साफ करने के कार्य को न्यायालय ने सर्व सम्मति से ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अल्बानिया की प्रभुसत्ता का अतिक्रमण घोषित किया। न्यायालय की सम्मति में "इस प्रकार से दूसरे देश में हस्तक्षेप करने का तथाकथित अधिकार बल-प्रयोग की नीति का ही रूप समझा जाना चाहिये। भूतकाल में इसके अनेक भोषण दुरुपयोग हुए हैं। वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में कितने ही दोष गये न हो, किन्तु इसे अन्तर्राष्ट्रीय कानून में स्थान नहीं दिया जा सकता।" न्यायालय ने ग्रेट ब्रिटेन का यह मत स्वीकार नहीं किया कि सुरगें साफ करने का उद्देश्य अन्तरिक्ष और स्वावलम्बन था। "स्वतन्त्र राज्यों में एक दूसरे की प्रादेशिक प्रभुसत्ता के प्रति पूरा आदर होना चाहिये, यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का एक आवश्यक आधार है।" न्यायालय ने यद्यपि यह स्वीकार किया कि "२२ अक्टूबर के विस्फोटों के बाद अल्बानिया की सरकार ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, वह ग्रेट ब्रिटेन के साथ इस विषय में भूटनीतिक पत्र-व्यवहार करने में बड़ा विलम्ब करती रही। ये परिस्थितियाँ ग्रेट ब्रिटेन के अपराध की गुरता को न्यून करने वाली (Extenuating) हो सकती हैं किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रति प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये न्यायालय को यह घोषणा अवश्य करनी है कि ब्रिटिश नौसेना का यह कार्य अल्बानिया की प्रभुसत्ता का अतिक्रमण था।"

(१३) श्री सावरकर का मामला (१९११)—प्रत्यर्पण, प्रादेशिक अधिकार-क्षेत्र—प्रसिद्ध नान्तिकारी श्री विनायक दामोदर सावरकर भारतीय प्रजाजन थे,

ग्रेट ब्रिटेन में उन्होंने भारत को स्वतन्त्र बनाने के लिये क्रान्तिकारी दल का संगठन किया और भारत में क्रान्ति का प्रसार करने के प्रयत्न किये। इन कार्यों के लिये ब्रिटिश सरकार ने उन्हें इंग्लैण्ड में बन्दी बनाया, उन पर राजद्रोह तथा हत्या की प्रेरणा (Abetment of murder) के अपराधों के लिये अभियोग चलाने के लिये पी० एण्ड ओ० कम्पनी (P. and O Co) के मोरिया (Morica) नामक जहाज द्वारा उन्हें भारत भेजा गया। रास्ते में यह जहाज फ्रांस के मार्सेल्ल नामक बन्दरगाह में ठहरा। वहाँ २५ अक्टूबर १९१० को श्री सावरकर इस जहाज से समुद्र में कूद पड़े और तैरकर समुद्र-तट पर आ गये। वहाँ इन्हें एक फ्रेंच सिपाही ने पकड़ लिया और प्रत्यर्पण (Extradition) की पूरी कार्यवाही किये बिना ही इन्हें ब्रिटिश जहाज के कप्तान को सौंप दिया गया।

श्री सावरकर राजनीतिक अपराधी थे, अतः फ्रेंच सरकार ने ब्रिटिश सरकार से यह मांग की कि श्री सावरकर फ्रांस को वापिस कर दिये जायें और ब्रिटिश सरकार अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विधान के अनुसार औपचारिक रूप में श्री सावरकर को इंग्लैण्ड को अर्पित करने की प्रार्थना करे। ग्रेट ब्रिटेन ने फ्रांस की यह मांग स्वीकार नहीं की। पारस्परिक सहमति में दोनों देश इस मामले को हेग के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले गये। इसने अपने निर्णय में यद्यपि यह स्वीकार किया कि इस मामले में ब्रिटिश अधिकारियों को श्री सावरकर के सौंपने में अनियमितता हुई है तथापि इसने अपना फैसला ग्रेट ब्रिटेन के पक्ष में दिया और यह कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का कोई ऐसा नियम नहीं है, जिसके अनुसार ऐसी परिस्थितियों में किसी शक्ति को अपने किसी ऐसे बन्दी को लौटाने के लिए बाधित किया जा सके, जो किसी विदेशी व्यक्ति को भूल न उसे मिल गया हो।

अनेक विधिशास्त्रियों (Jurists) ने इस निर्णय की बड़ी कटु आलोचना की। किन्तु इस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए कई कारणों से यह सर्वथा उचित प्रतीत होता है। पहला कारण यह है कि ब्रिटिश सरकार ने फ्रेंच सरकार को यह सूचना पहले से ही दे दी थी कि मोरिया जहाज मार्सेल्ल बन्दरगाह में रुकेगा और उस पर एक बन्दी श्री सावरकर भी होगा। फ्रेंच सरकार ने यह सूचना पाने पर कोई आपत्ति नहीं की। दूसरा कारण यह है कि इस निर्णय से केवल इतना सिद्धान्त ही तय हुआ कि जब किसी राज्य का कोई व्यक्ति या अभिकर्ता (Agent) दूसरे राज्य के अधिकारियों को किसी भागे हुए कैदी को सौंपने में कोई अनियमितता करे तथा उसका यह कार्य सद्भावना से किया गया हो, तो यह बन्दी उस राज्य को लौटाया जाना आवश्यक नहीं है, जिसके अधिकारियों ने पहले इसे पकड़कर दूसरे राज्य को दे दिया हो और बाद में उस राज्य ने अपने अधिकारियों के कार्य को अर्थहीन बनाते हुए समर्पित बन्दी को वापिस करने की मांग की हो। इस मामले में फ्रेंच सरकार ने ६ जुलाई से पूर्व श्री सावरकर को ब्रिटिश पुलिस को सौंपने वाले अपने फ्रेंच डिपेंडियर के कार्य को अनुचित नहीं ठहराया था। इस समय तक मोरिया मार्सेल्ल से चल चुका था, ब्रिटिश अधिकारियों को यह विश्वास था कि डिपेंडियर ने अपनी सरकार से प्राप्त

घादेशों के अनुसार ही श्री सावरकर को उनके हवाले किया है। ब्रिगेडियर ने भी यह कार्य पूर्ण सद्भावना के साथ किया था। यद्यपि उमने इस विषय में ऊपर से आदेश प्राप्त नहीं किये थे और प्रत्यर्पण की पूरी कानूनी विधि का पालन नहीं किया था, फिर भी इस मामले में फ्रांस की प्रमुखता के उल्लंघन का कोई कार्य नहीं हुआ। इसमें सभी व्यक्तियों ने सद्भावना (Good faith) के साथ कार्य किया, कोई अनैथ कार्य नहीं किया। अतः प्रत्यर्पण की पूरी कानूनी कार्यवाही न होने पर भी, ग्रेट ब्रिटेन को श्री सावरकर को पुनः फ्रांस को लौटाने के लिये किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता था।

(१४) सैंच्वाटिनो का मामला (१९६२) — राज्य का उत्तरदायित्व—यह मामला राष्ट्रीयकरण से उत्पन्न होने वाले राज्य के उत्तरदायित्व (The International Responsibility of State) से सम्बन्ध रखता है। इसमें वादी क्यूबा का राष्ट्रीय बैंक तथा प्रतिवादी सैंच्वाटिनो थे। ५ अगस्त १९६० को क्यूबा की साम्यवादी सरकार ने राष्ट्रीयकरण का एक कानून बनाया। इसने इस देश में विद्यमान स० रा० अमेरिका के नागरिकों की सारी सम्पत्ति का तथा इनके द्वारा चलाई जाने वाली कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा की। सैंच्वाटिनो एक ऐसी कम्पनी का अस्थायी रिमोवर था, जिसे क्यूबा के कानूनों के अनुसार संगठित किया गया था, किन्तु जिसके अधिकांश हिस्सेदार स० रा० अमेरिका में रहने वाले थे। इसने स० रा० अमेरिका के न्यायालय में इस बात का दावा किया कि क्यूबा का राष्ट्रीयकरण का कानून अन्तर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना करने वाला है क्योंकि इसमें विदेशियों के एक विशेष वर्ग की सम्पत्ति उनको कोई मुआवजा दिये बिना उनसे अवदस्ती छीन ली गई है, यह कार्य स० रा० अमेरिका से बदला लेने की भावना से किया गया है और इसने अमेरिकन नागरिकों के साथ ही यह विशेष भेदभाव किया गया है।

निचले न्यायालय ने सैंच्वाटिनो के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा कि क्यूबा सरकार की आज्ञा ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है और क्यूबा के राष्ट्रीय बैंक (Banco Nacional) का अधिकार अनैथ है। राष्ट्रीय बैंक ने इस निर्णय के विरुद्ध सुप्रीमकोर्ट में अपील की। इसने निचले न्यायालय के निर्णय को रद्द करते हुए यह कहा कि न्याय विभाग किसी ऐसी विदेशी सरकार द्वारा इसकी सीमाओं के भीतर ली जाने वाली सम्पत्ति की वैधता के प्रश्न पर विचार नहीं करेगा, जिस सरकार को इस देश की सरकार मुकद्दमा चलाने के समय तक स्वीकार कर चुकी है, भले ही वादी इस विषय में यह शिकायत करे कि इससे परम्परागत अन्तर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना हो रही है। न्यायालय इन प्रश्नों पर उसी समय विचार करेगा, जब इनके कानूनी सिद्धान्तों के बारे में स्पष्ट रूप से कोई सधि या समझौता हुआ हो। इस प्रकार इस मामले में 'राज्य-कृत्य' (Act of State) के सिद्धान्त का समर्थन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने दूसरे राज्य द्वारा किये कार्य को अपने क्षेत्राधिकार का विषय नहीं माना।

(१५) ट्रेंट काण्ड (१८१२)—डूतो की स्थिति—ट्रेंट (Trent) ग्रेट ब्रिटेन का डाक ले जाने वाला जहाज था। वह १८६१ में क्यूबा की राजधानी हवाना (Havana) से सेंट थॉमस (St Thomas) जा रहा था। इस समय स० रा० अमरीका के उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों में गृहयुद्ध चल रहा था। ट्रेंट जहाज पर दक्षिणी राज्यों द्वारा ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस में नियत किये गये दो दूत (Envoys) मेसन तथा स्लिडेल भी सवार थे। स० रा० अमरीका की सरकार के एक कूजर ने ब्रिटिश विरोध के बावजूद इस जहाज को घेरकर दोनों दूत उगके पूरे सामान के साथ ट्रेंट जहाज से उतार लिये, इन्हें बन्दी बना लिया तथा इसके बाद जहाज को अपने गन्तव्य स्थान को जाने दिया।

स० रा० अमरीका का यह कहना था कि उसका यह कार्य सर्वथा न्यायोचित था, मेसन और स्लिडेल सैनिक व्यक्ति थे, वे युद्ध में वर्जित सन्देशों तथा कागजों को ले जा रहे थे। जब अमरीकी जहाज द्वारा ट्रेंट की तलाशी ली गई तो ये कागज बरामद हुए थे, अतः उन्हे विनिषिद्ध वस्तु (Contraband) के रूप में इन्हें पकड़ने का पूरा अधिकार था।

इसके विपरीत ब्रिटिश सरकार का यह कहना था कि मेसन और स्लिडेल दक्षिणी राज्यों के दूत थे, उनका पद और स्वरूप ऐसा था कि उन्हे विनिषिद्ध नहीं समझा जा सकता था। इन्हें दक्षिणी राज्यों की ओर में तटस्थ देशों में भेजा जा रहा था, तटस्थ राज्यों को युद्धकारी राज्यों के साथ सैन्यपूर्ण भूतनीतिक सम्बन्ध रखने का अधिकार है। अतः ग्रेट ब्रिटेन ने न केवल मेसन और स्लिडेल का प्रविलम्ब मुक्त करने की मांग की, अपितु अमरीकी सरकार पर इस बात के लिये भी बल दिया कि वह इस काण्ड के लिये क्षमा याचना करे। ग्रेट ब्रिटेन के पक्ष का समर्थन रूस, प्रशिया, इटली और आस्ट्रेलिया ने भी किया।

चिरकाल तक पत्र-व्यवहार होने के बाद अमरीकी सरकार ने ब्रिटिश सरकार की मांग स्वीकार करते हुए मेसन और स्लिडेल को मुक्त कर दिया और उन्हें एक ब्रिटिश जहाज पर बिठला दिया ताकि वे अपने मूल गन्तव्य स्थान इंग्लैण्ड और फ्रांस तक पहुँच सकें। अमरीका द्वारा इस मामले में झुकने का कारण यह था कि उसके कूजर ने मेसन और स्लिडेल को जबर्दस्ती ट्रेंट से उतार लिया था जब कि उन्हे यह उचित था कि वह इस जहाज को अमरीका के अधिग्रहण न्यायालय (Prize Court) में पेश करके उससे इन्हें उतारवाने की आज्ञा प्राप्त करता।

(१६) जमोरा (१९१५)—अन्तर्राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय कानून तथा तटस्थता—जमोरा (Zamora) स्वीडन का एक व्यापारिक जहाज था। प्रथम विश्वयुद्ध में यह न्यूयार्क से ताबा तथा अनाज लाकर स्वीडन की राजधानी स्टॉक-होल्म को जा रहा था। ८ अप्रैल १९१५ को इसे एक ब्रिटिश कूजर ने मार्ग में ही रोक लिया तथा एक ब्रिटिश बन्दरगाह में चलने के लिये विवश किया। यहाँ पहुँचते ही इसे पकड़ने वालों ने यह दावा किया कि इस जहाज के माल को जप्त कर लिया जाय, क्योंकि इस पर आपके से अधिक माल (ताबा) युद्ध की विनिषिद्ध सामग्री

(Contraband) में आता है। उस समय यह भी प्रस्ताव रखा गया कि इस जहाज के माल को इस आपार पर बेच दिया या रोक लिया जाय कि यह शत्रु के देश की ओर जा रहा है अथवा शत्रु की सम्पत्ति है।

इस अवसर पर ग्रेट ब्रिटेन में युद्ध कार्य के लिये आवश्यक सामग्री सरकार द्वारा ग्रहण करने वाले सबसे बड़े अधिकारी (Procurator General) ने इस जहाज के मामले का अधिग्रहण न्यायालय (Prize Court) में निर्णय होने तक सारा ताबा सरकारी कार्य के लिये प्राप्त कर लेने का आदेश दिया और इसका आनुमानिक मूल्य राज्य की ओर से अधिग्रहण न्यायालय में जमा करने का वचन दिया।

जमोरा जहाज के मालिकों ने स्वीडन के तटस्थ राज्य होने के कारण इस आदेश पर अनेक कानूनी आपत्तियाँ उठायीं। किन्तु नौविभाग के न्यायालय (Admiralty Division) के अध्यक्ष सर सेमुअल इवान्स ने उपर्युक्त सरकारी आदेश को बंध ठहराया। इस पर जहाज के मालिक इस मामले को ब्रिटेन के उच्चतम न्यायालय प्रिवी कांसिल की जुडीशियल कमेटी में ले गये। प्रिवी कांसिल में लार्ड पार्कर ने अपने सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक निर्णय में सरकार द्वारा जमोरा जहाज के माल की जब्ती के निचले न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के कई जटिल प्रश्नों पर सुन्दर प्रकाश डाला। इस दृष्टि से जमोरा का मामला असाधारण महत्व रखता है।

इस मामले में कई महत्वपूर्ण प्रश्न विचारणीय थे। पहला प्रश्न यह था कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार क्या ब्रिटिश सरकार या ताज (Crown) को अधिग्रहण न्यायालय के निर्णय से पूर्व जहाजों को या उनके माल को सरकारी कार्य के लिये जब्त करने का अधिकार है। दूसरा प्रश्न यह था कि क्या अधिग्रहण न्यायालय के लिये इस प्रकार की जब्ती की सरकारी आज्ञा का पालन करना आवश्यक है। लार्ड पार्कर ने अपने निर्णय में इन प्रश्नों पर विचार करते हुए इस विषय का इतना सुन्दर विवेचन किया कि आजकल अन्तर्राष्ट्रीय एव राष्ट्रीय कानून (Municipal Law) के पारस्परिक सम्बन्धों के और युद्ध के समय अन्य देशों के जहाजों की तथा उनके माल को जब्त करने के बारे में विचार एव मीमांसा की आधारशिला यही निर्णय है।

लार्ड पार्कर ने अधिग्रहण न्यायालय तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए अपने निर्णय में लिखा था, "अधिग्रहण न्यायालय (Prize Court) ने जिस कानून के अनुसार प्रशासन करना है, वह राष्ट्रीय (National) या जनपदीय (Municipal Law) कानून नहीं है, किन्तु राष्ट्रों का कानून (Law of Nations) या अन्तर्राष्ट्रीय कानून है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अधिग्रहण न्यायालय एक जनपदीय या राष्ट्रीय न्यायालय है, इसकी आज्ञाओं तथा आदेशों को राष्ट्रीय कानून द्वारा ही बंधता प्राप्त होती है। अतः एक दृष्टि से यह समझा जा सकता है कि यह न्यायालय जिन कानून को लागू करता है, वह राष्ट्रीय कानून की ही एक शाखा है। फिर भी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कानून में स्पष्ट अन्तर है। राष्ट्रीय कानून के अनुसार निर्णय करने वाला न्यायालय, इसका निर्माण करने वाले, सम्पूर्ण प्रमुखता

सम्पन्न राज्य के नियमों में बंधा होता है और इस कानून को त्रिधात्मक रूप प्रदान करता है। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय कानून लागू करने वाले न्यायालय को ऐसे कानून का स्वरूप निश्चित करना तथा उसे क्रियात्मक रूप देना है, जिस कानून को किसी विशेष राज्य ने नहीं बनाया, किन्तु जिसका प्रादुर्भाव या तो विभिन्न मध्य राष्ट्रों द्वारा एक दूसरे के साथ सम्बन्ध में पालन किये जाने वाले व्यवहार (Practice) तथा प्रथा (Custom) से हुआ है अथवा जिसका जन्म स्पष्ट अन्तर्राष्ट्रीय सम्झौते द्वारा हुआ है।”

“यदि कोई न्यायालय किसी प्रश्न पर ऐसा निर्णय करता है, जिसे वह राष्ट्रों के कानून के अनुकूल समझता है तो यह विवाद में एक पक्ष बने हुए ब्रिटिश ताज (Crown) से कोई आदेश ग्रहण नहीं करता। यह न्यायालय स्वयंसेवक अपनी सर्वोत्तम योग्यता द्वारा यह निर्धारण करता है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून क्या होना चाहिये। यह निर्णय चाहे कितने सकोच के साथ किया जाय, किन्तु यह सर्वदा शासकीय आदेश की अपेक्षा प्रबल होता है। केवल इसी प्रकार कोई अधिग्रहण न्यायालय अपना कार्य अच्छी तरह पूरा कर सकता है और दूसरे राज्यों द्वारा इसके निर्णयों में रूखे जाने वाले विश्वास का पात्र बना रह सकता है।”

“अधिग्रहण न्यायालय का प्रधान कार्य यह है कि वह (झीनी या पकड़ी गयी) वस्तु (Ris) को उन व्यक्तियों को देने के लिये सुरक्षित रखे, जो अन्ततोगत्वा इस पर स्वत्व या भागम (Title) सिद्ध कर सक। इस प्रकार की सम्पत्ति को बेचने के सम्बन्ध में न्यायालय की नैसर्गिक शक्ति (Inherent Power) केवल उन्हीं मामलों तक सीमित है, जहाँ तक इस प्रकार की सम्पत्ति की सुरक्षा किन्हीं कारणों से सम्भव न हो। यह कारण या तो यह हो सकता है कि यह सम्पत्ति क्षयशील (Perishable) हो अथवा कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हों जाएँ, जिनमें इसका संरक्षण असम्भव या कठिन हो।”

“सरकार द्वारा किसी वस्तु को प्राप्त करने की माग, अधिग्रहण या अर्चना का अधिकार (Right of Requisition) न्यायाधीशों की सम्मति में पूर्ण अधिकार (Absolute) नहीं है। इस अधिकार का प्रयोग कुछ निश्चित परिस्थितियों में तथा निश्चित उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुसार यह आवश्यक है कि युद्ध में पकड़ा गया शत्रु का सारा माल अधिनिर्णय (Adjudication) के लिये अधिग्रहण न्यायालय में लाया जाय, अतः सामान्य नियम के तौर पर अर्चना के अधिकार (Right of Requisition) का तभी प्रयोग किया जा सकता है, जबकि ऐसे माल को विचार के लिए न्यायालय में लाया जा चुका हो। इस बात का निर्णय युद्धसलग्न राज्य की कार्यपालिका ने गृही, किन्तु न्यायालय ने करना है कि इस प्रकार जिस अधिकार का दावा किया जा रहा है, उसका प्रयोग किसी विशेष अवस्था में किया जा सकता है या नहीं।”

“एक युद्धसलग्न शक्ति (Belligerent Power) को अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा यह अधिकार प्राप्त है कि वह अधिग्रहण न्यायालय द्वारा निर्णय किये जाने से पूर्व, इसके

सरक्षण में विद्यमान, युद्ध में पकड़े जहाजों तथा माल के उपयोग की मांग (Requisition) करे। किन्तु यह अधिकार कई प्रतिबन्धों के साथ है। पहला प्रतिबन्ध यह है कि राज्य की रक्षा, युद्ध के संचालन तथा राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे जहाज या माल की अत्यावश्यकता होनी चाहिये। दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि न्यायालय के सामने इस प्रकार का वास्तविक प्रदत्त होना चाहिये। तीसरा प्रतिबन्ध यह है कि अधिकार का प्रयोग अधिग्रहण न्यायालय के समस्त आवेदन-पत्र देकर ही होना चाहिये। अधिग्रहण न्यायालय को ही न्यायिक दृष्टि से यह निर्णय करना चाहिये कि किसी विशेष मामले की परिस्थितियों को देखते हुए उसमें अर्थना या अधिग्रहण (Requisition) के अधिकार का प्रयोग होना चाहिये अथवा नहीं होना चाहिये।

उपर्युक्त विचारों के आधार पर प्रिंसी कौन्सिल ने अपील को स्वीकार करते हुए निचले न्यायालय के न्यायाधीश के निर्णय को इस आधार पर रद्द कर दिया कि उसके सामने ऐसे कोई सन्तोषजनक प्रमाण नहीं थे, जिनके आधार पर वह जमीरा जहाज की या उमवे माल की सरकार द्वारा कोई मांग किये जाने पर यह माल सरकार को प्रदान कर सके। प्रिंसी कौन्सिल ने अपील करने वालों का यह तर्क स्वीकार नहीं किया कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अधिग्रहण न्यायालय के सरक्षण में विद्यमान जहाजों की अथवा माल की मांग सरकार अपनी आवश्यकता के लिये नहीं कर सकती। सरकार को यह अधिकार है, किन्तु इसमें उपर्युक्त तीन प्रतिबन्धों का पालन आवश्यक है, इनका पालन न करने के कारण निचले न्यायालय के निर्णय को प्रिंसी कौन्सिल ने रद्द कर दिया।

(१७) एप्पम (१९१६) — तटस्थता — एप्पम (Appam) ग्रेट ब्रिटेन का एक व्यापारिक जहाज था। प्रथम विश्वयुद्ध में जनवरी १९१६ में इसे मोएवे (Moewe) नामक जर्मन क्रूजर (रणपोत) ने पकड़ लिया। इस समय यह निकटतम जर्मन बन्दरगाह एम्डन से १६०० मील दूर था। इसे जर्मन क्रूजर ने १ फरवरी १९१६ को स० रा० अमरीका के नारफोक (Narfolk) नामक बन्दरगाह में पहुँचा दिया।

स० रा० अमरीका की सरकार ने इस प्रकार एक ब्रिटिश जहाज को अपने बन्दरगाह में लाने का घोर विरोध किया, क्योंकि वह उस समय तक तटस्थ देश था। उसने ब्रिटिश जहाज के नाविकों को तथा यात्रियों को मुक्त कर दिया, इसे पकड़ने वाले जर्मन क्रूजर के नाविकों का नजरबन्द कर लिया और इस जहाज के विपक्ष मान हानि का अभियोग चलाया, क्योंकि स० रा० अमरीका के बन्दरगाह में उसकी उपस्थिति अमरीका की तटस्थता का भंग करने वाली थी।

स० रा० अमरीका की जिला सचीय अदालत (District Federal Court) ने इस विवाद में यह निर्णय किया कि ज्यों ही ब्रिटिश जहाज तटस्थ देश के समुद्र में वहाँ अनिश्चित काल तक रहे जाने के इरादे से प्रविष्ट हुआ, उसी समय जर्मन सरकार का ब्रिटिश जहाज पर अधिकार का कानूनी दावा समाप्त हो गया। इस निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। उसने निचले न्यायालय के निर्णय को सुस्पष्ट करते हुए कहा— 'युद्ध में पकड़े हुए जहाज को कानूनी तौर से तटस्थ समुद्र में रोक'

पोन या वेडे (Convoy) के बिना नहीं लाया जा सकता। एप्पम को पकड़ने के बाद सामान्य प्रकृति यह होनी चाहिए थी कि उसे किसी जर्मन बन्दरगाह में ले जाया जाता, वहाँ जर्मनी का अधिग्रहण न्यायालय (Prize Court) उसके सम्बन्ध में निर्णय करके उसे युद्ध में अधिग्रहीत पोत (Prize Vessel) घोषित करता। किन्तु यह जहाज न तो जर्मनी के और न उसके किसी मित्रदेश के बन्दरगाह में ले जाया गया, अमरीका में उसे लाने का उद्देश्य उनकी मरम्मत करना नहीं था, वह जूनु की प्रतिकूलता, ईंधन या खाद्य सामग्री की कमी से विवश होकर थोड़े समय के लिए यहाँ नहीं आया, किन्तु तटस्थ देश के बन्दरगाह में बिना रक्षकपोत (Convoy) के आया। इन अवस्थाओं में युद्धसलभ देश का यह प्रयत्न था कि वह तटस्थ देश अमरीका के बन्दरगाह को युद्ध में पकड़े जहाजों को सुरक्षित रखने का स्थल बनाए, किन्तु उन्हें यहाँ अनिश्चित काल तक रखना हेतु के सम्झौते की व्यवस्थाओं के अनुसार तटस्थता का भंग करना था।”

(१८) आल्टमार्क (१९४०)—तटस्थता—आल्टमार्क जर्मनी का एक सहायक युद्धपोत (Auxiliary Warship) था। सितम्बर १९३९ में जब जर्मनी तथा ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ा तो यह मैसिनरो की खाड़ी से राटरडम बन्दरगाह के लिये पेट्रोल का परिवहन कर रहा था। इस पर दूसरे विश्वयुद्ध में जर्मनी द्वारा बन्दी बनाये गये तीन मी से अधिक ब्रिटिश अधिकारी तथा नाविक भी थे। १४ फरवरी १९४० को आल्टमार्क नार्वे के प्रादेशिक समुद्र (Territorial Waters) में प्रविष्ट हुआ, उसका यह इरादा था कि वह नार्वे और स्वीडन के तटस्थ राज्यों के प्रादेशिक समुद्रों में तट के साथ-साथ चलते हुए किसी जर्मन बन्दरगाह में सुरक्षित रूप से पहुँच जाय और ग्रेट ब्रिटेन के नौयानिक आनमणों में सर्वथा सुरक्षित रहे।

नार्वे के अधिकारी आल्टमार्क के कागजा की जाँच करने के बाद इस परिणाम पर पहुँचे कि वह सहायक युद्धपोत है, इसे अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार तटस्थ देश के समुद्र में से गुजरने का अधिकार है, अतः उल्टाने इसे अपने प्रादेशिक समुद्र में से गुजरने की अनुमति दी और इस जहाज की तलाशी लेने की ग्रेट ब्रिटेन की प्रार्थना अस्वीकार कर दी, क्योंकि तलाशी केवल व्यापारिक पोतों की ही ली जा सकती है। इस पर ब्रिटिश विध्वंसक कस्साक (Cossack) ने १६ फरवरी १९४० को आल्टमार्क पर आनमण किया और नार्वे सरकार के प्रतिवादी के बावजूद इस जहाज पर विद्यमान बन्दी ब्रिटिश प्रजाजनों को बलपूर्वक छीनकर इंग्लैण्ड पहुँचा दिया।

इस पर नार्वे की सरकार ने ग्रेट ब्रिटेन पर उसकी तटस्थता भंग करने का दोषारोपण किया, इस कार्य की निन्दा करते हुए उस कड़ा प्रतिवाद-पत्र भेजा। ब्रिटिश सरकार ने इसका उत्तर देते हुए यह कहा कि उसका कार्य सर्वथा न्यायोचित था, नार्वे की सरकार ने इस जहाज की जाँच और तलाशी ठीक टग से नहीं ली थी, इस पर युद्धबन्धियों की उपस्थिति ने इसे अन्तर्राष्ट्रीय कानून की इस व्यवस्था के नाम में बचिन कर दिया था कि उसे तटस्थ देशों के प्रादेशिक समुद्र में से गुजरने का अधिकार

है। आल्टमार्क पर युद्धबन्दी लदे होने के कारण इसका नावों के समुद्र में से गुजरना अर्थात् या। नावों सरकार का यह कर्तव्य था कि वह या तो बन्दियों को मुक्त कराती या जर्मन जहाज को अपने प्रादेशिक समुद्र से बाहर निकल जाने का आदेश देती।

नावों की सरकार ने ब्रिटिश सरकार के आदेश का खण्डन करते हुए कहा कि आल्टमार्क युद्धपोत था, अतः उसकी तलाशी लेने का कोई अधिकार नावों को न था। नावों का केवल यही कर्तव्य था कि वह उस जहाज के स्वरूप और दर्जे का प्रामाणिक रूप में पता लगाये, यह कार्य उसके टारपीडो बोट ने १४ फरवरी को कर लिया था। अन्तर्राष्ट्रीय कानून का कोई ऐसा नियम नहीं है, जिसके अनुसार ऐसे प्रादेशिक समुद्र में जहाँ योद्धा देशों के रणपोतों को गुजरने का अधिकार हो, वहाँ रणपोतों द्वारा युद्धबन्दियों का परिवहन अर्थात् ठहराया गया हो। आल्टमार्क नावों के किसी बन्दरगाह में नहीं ठहरा, वह अनिच्छित रूप से निरन्तर यात्रा (Continuous voyage) कर रहा था। १९०७ के हेग अभिसमय में तथा नावों की तटस्थता के नियमों में ऐसे युद्धपोत के गुजरने के लिये समय की कोई अवधि निश्चित नहीं की गई है, अतः आल्टमार्क के लिये यह आवश्यक नहीं था कि वह २४ घण्टे के बाद नावों के प्रादेशिक समुद्र से बाहर निकल जाय, उसका नावों के समुद्र में से गुजरना सर्वथा वैध था, नावों ने इस सम्बन्ध में अपने अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन किया, अतः ग्रेट ब्रिटेन द्वारा उसके प्रादेशिक समुद्र में घुसकर ऐसा कार्य करने का कोई औचित्य नहीं था।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धान्तों में से कुछ ग्रेट ब्रिटेन का कार्य व्यापकतः सम्भक्त है, किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि अधिकांश विधिशास्त्री नावों का पक्ष न्यायोचित मानते हैं। उनका मत है कि नावों ने अपनी तटस्थता का पालन किया, १९०७ के तेरहवें हेग सम्मेलन की १०वीं धारा उसके पक्ष का समर्थन करती है, त्रीमियन युद्ध में सिटका (Sitka) काण्ड भी उनके दावे का पोषक है। वेत विश्वविद्यालय के प्रो० एडविन ब्रोचर्ड (Edwin Brochard) ने इस मामले के सम्बन्ध में यह मत ही लिखा है—“ब्रिटिश विश्वसक द्वारा आल्टमार्क पर विद्यमान युद्धबन्दियों को युद्धाने की अदम्य लाजसा के साथ महानुभूति होना स्वाभाविक है, किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि नावों ने अपनी तटस्थता के किन्हीं कर्तव्यों का उल्लंघन किया है। आल्टमार्क की तलाशी लेने का ब्रिटेन को कोई अधिकार नहीं था।” उसने इस विषय में १८७० के फ्रैंको-प्रशियन युद्ध का एक मनोरंजक दृष्टान्त दिया है। इसमें ग्रेट ब्रिटेन तटस्थ था, एक फ्रेंच युद्धपोत कुछ जर्मनबन्दियों के साथ उसके प्रादेशिक समुद्र फर्थ आफ फोर्थ (Firth of Forth) में प्रविष्ट हुआ, इस पर जर्मनी के वाणिज्यदूत (Consul) लीब (Leub) ने ब्रिटिश सरकार से यह माँग की कि तटस्थ होने के नाते वह फ्रेंच पोत के जर्मन युद्धबन्दियों को मुक्त करा दे। उस समय ब्रिटिश सरकार ने यह उत्तर दिया कि फ्रेंच रणपोत को ब्रिटिश प्रादेशिक समुद्र में प्रवेश करने का तथा कुछ निश्चित समय तक रहने का अधिकार है। इस पर विद्यमान युद्धबन्दी स्वतन्त्र नहीं हो सकते, क्योंकि इस जहाज पर वे फार्स के अधिनगरक्षेत्र में हैं और तटस्थ

देस को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। किन्तु ब्रान्टमार्क के मामले में ग्रेट ब्रिटेन नार्वे द्वारा इस प्रकार का कार्य करवाना चाहता था। हाइड (Hyde) ने भी यही मत प्रकट किया है कि नार्वे को ब्रान्टमार्क की तन्हाशी लेने का कोई अधिकार नहीं था।

(१६) असमा मारु (१९४०) - (तटस्थता) द्वितीय विश्वयुद्ध में जनवरी १९४० में जापान का एक व्यापारिक जहाज असमा मारु होनागुत्सु से योकोहामा की ओर जा रहा था। होनोनुत्सु तथा योकोहामा नमरा स० रा० अमरीका तथा जापान के बन्दरगाह थे, उस समय दोनों देश युद्ध में सम्मिलित न होने के कारण तटस्थ राज्य थे। इस जहाज पर अर्सेनिक (Civilian) जर्मन नागरिक भी थे। जब यह जहाज जापान के प्रादेशिक समुद्र के निकट पहुँचा तो एक ब्रिटिश क्रूजर ने इस जहाज को पकड़ लिया, इसके २१ जर्मन नागरिकों को यह कहकर जहाज से उतार लिया कि ये जर्मनी जा रहे हैं और वहाँ मेना में भर्ती हो सकते हैं।

जापान की सरकार ने ग्रेट ब्रिटेन के इस कार्य के विरुद्ध तीव्र प्रतिवाद किया और इसे अन्तर्राष्ट्रीय कानून का अतिव्रमण बताया। ब्रिटिश सरकार ने इसका यह उत्तर दिया कि जर्मन सैन्य कानून के अनुसार १८ वर्ष से ४५ वर्ष तक की आयु वाले प्रत्येक पुरुष जर्मन नागरिक के लिये गस्त्र धारण करने में निषिद्ध बना करना अनिवार्य है, इस जहाज के २१ जर्मन यात्री सैनिक मेना के लिये निर्धारित आयु के थे। अतएव वे युद्ध की विनिषिद्ध वस्तुओं (Contraband of war) में आते हैं, क्योंकि स्वदेश पहुँचने पर वे सेना में भर्ती हो सकते हैं।

जापान की सरकार ने इसका यह उत्तर दिया कि ब्रिटिश सरकार का यह कार्य दृष्ट (देखिये ऊपर पृ० ६०३) के सुप्रसिद्ध मामले तथा स्टीमशिप चायना (S S China) के मामले में निर्धारित किये गये अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धान्तों के सर्वथा प्रतिपूल हैं, क्योंकि इस मामले में राके गव व्यक्तिगत रूप से पद और स्वल्प ऐसा नहीं था जो उन्हें विनिषिद्ध वस्तु बना सके। तटस्थ राज्यों को यह अधिकार है कि वे युद्धकाल में युद्धसलन्न दोनों पक्षों के साथ मध्यस्थता न्यबन्ध बनाय रखें। इस अवस्था में केवल उन्हीं व्यक्तियों को रोका जा सकता है, जो सहायक या सहायक (Auxiliary) सेनाओं के सदस्य हों। स्टीमशिप चायना के मामले में यह सिद्धान्त बड़े स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया गया था।

सुप्रसिद्ध विधिशास्त्रियों ने ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण को गलत ठहराया क्योंकि यह दृष्ट के मामले तथा स्टीमशिप चायना के मामले में निश्चित किये गये अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों के प्रतिपूल है। इनके मतानुसार ग्रेट ब्रिटेन का कार्य किसी भी प्रकार न्यायोचित नहीं था। अन्त में ब्रिटिश सरकार ने २१ जर्मनबन्दिनों में से नौ व्यक्तियों को इस आधार पर छोड़ दिया कि वे सैनिक सेवा करने योग्य नहीं थे।

(२०) अलबामा क्षतिपूर्ति बावा (१८७१) - स० रा० अमरीका के गृहयुद्ध (१८६१-६५) के समय ग्रेट ब्रिटेन के बन्दरगाहों में दक्षिणी राज्यों के सघ (Confederacy) के लिये अनेक जहाज बनाये गये, उनमें उत्तरी राज्यों के जहाजों पर

हमला करने के लिये भारी तोपें लगायी जाती थी। जब ये ब्रिटिश बन्दरगाहों से निकलते थे तो इन पर कोई हथियार नहीं होते थे, किन्तु उस समय सब यह जानते थे कि इन जहाजों का प्रधान उद्देश्य उत्तरी राज्यों के समुद्री व्यापार पर आक्रमण करना है। इस प्रकार का एक आक्रान्ता जहाज अलबामा (Alabama) लिवरपूल के बन्दरगाह में तैयार हो रहा था। ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी राज्यों के अमरीकी प्रतिनिधि श्री एडम्स ने २३ जून १८६२ को ब्रिटिश सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि यह जहाज उत्तरी राज्यों के समुद्री व्यापार पर हमले के इरादे से तैयार किया जा रहा है अतः इसके विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जाय। ब्रिटिश सरकार ने इस विषय में आवश्यक जांच आरम्भ की तथा २६ जुलाई को ब्रिटेन के कानूनी अधिकारियों ने इसके रोक लेने या निरोध (Detention) की सलाह दी।

किन्तु इसी दिन प्रातः काल यह जहाज परीक्षात्मक यात्रा (Trial trip) के लिये बन्दरगाह से समुद्र की ओर रवाना हो गया और ३१ जुलाई तक एंग्लेसी (Anglesey) नामक टापू के पास खड़ा रहा, इसी बीच लिवरपूल से मात्र ४० व्यक्ति इस पर चढ़े और बिना किन्हीं हथियारों के यह अजोर्ज (Azores) द्वीपसमूह के टर्सीरा बन्दरगाह की ओर रवाना हो गया, यहाँ लन्दन और लिवरपूल में आने वाले दो जहाजों ने इसे हथियार कोयला, अफसर तथा कप्तान दिये, जहाज पर सवार व्यक्तियों को इसका असली उद्देश्य बताया तथा जो व्यक्ति आक्रमण के कार्य में भाग नहीं लेना चाहते थे, उन्हें वापिस भेज दिया गया।

इसके बाद अलबामा ने उत्तरी राज्यों के समुद्री व्यापार पर हमले करने शुरू किये, इसने ७० जलपोतों को पकड़कर उनका गम्भीर आर्थिक क्षति पहुँचायी। उत्तरी राज्यों के जहाजों के इस भीषण विध्वंस के कारण यह गृहयुद्ध लम्बा लिख गया। इसी प्रकार की हानि अलबामा के अतिरिक्त इगलैंड में तैयार होने वाले अन्य जहाजों ने भी उत्तरी राज्यों को पहुँचायी। गृहयुद्ध समाप्त होने पर अमरीकी सरकार ने ब्रिटिश सरकार से यह माँग की कि वह ब्रिटेन में तैयार होने वाले जहाजों से ८० लाख अमरीकी को हुई गहरी आर्थिक क्षति की पूर्ति करे। इस पर दोनों देशों में बड़ी अप्रियता और कटुता उत्पन्न हुई इसका अन्त १८७१ की वाशिंगटन की सधि द्वारा हुआ। इसके अनुसार दोनों देश क्षतिपूर्ति के पक्ष को पचायत या मध्यस्थ निर्णय (Arbitration) द्वारा तय कराने के लिये सहमत हो गये।

इसका निर्णय करने के लिये बनाये गये पक्षों को यह निर्देश दिया गया कि वे इस विषय में तटस्थ राज्यों के कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के कुछ नियमों का पूरा ध्यान रखें। ये नियम मुख्य रूप से तीन प्रकार के हैं—(१) एक तटस्थ सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह ऐसा समुचित प्रयत्न करे, जिससे इसके क्षेत्राधिकार में विद्यमान किसी भी जहाज को बनाने अथवा हथियारों से सुसज्जित करने से उस अवस्था में रोक जा सके, जब कि इन बातों की युक्तिसंगत संभावना हो कि यह जहाज उस देश के साथ शान्ति रखने वाली किसी शक्ति के विरुद्ध लड़ाई करने का इरादा रखता है। इसी प्रकार तटस्थ सरकार को इस बात का भी उद्योग करना चाहिये कि वह अपने

क्षेत्राधिकार से किसी ऐसे जहाज की रवानगी रोक सके जिस जहाज का विचार इस देश के साथ शान्ति रखने वाले किसी देश के विरुद्ध युद्ध करने का हो। (२) तटस्थ सरकार का दूसरा कर्तव्य यह है कि यह युध्यमान (Belligerent) पक्षों में से किसी पक्ष को इसने बन्दरगाहों को या प्रादेशिक समुद्र को दूसरे पक्ष के विरुद्ध नौसैनिक कार्योंवाही करने का झुंड़ा नहीं बनने देगी, और न ही इन्हे नैतिक रमद को तथा सम्नास्ना का भेजने का अथवा नैतिका की भर्तों का झुंड़ा बनाया जा सकता है। (३) इसका यह भी कर्तव्य है कि यह अपने बन्दरगाहों तथा प्रादेशिक समुद्रों में ऐसी राखधानी बरतेगी कि यह अपने क्षेत्राधिकार में विद्यमान सभी व्यक्तियों से उपर्युक्त दायित्वों और कर्तव्यों का पातन करा सके और किसी व्यक्ति को इनका अनिक्रमण या उत्पादन नहीं करने दे।

पाँच मध्यस्थता में से चार के बहुमत से यह निर्णय किया गया कि ग्रेट ब्रिटेन को स० रा० अमरीका द्वारा उठायी गई क्षति का पूर्ण करने के लिये उसे एक करोड़ पचास लाख डालर स्वर्णराशि के रूप में देने चाहिये।

(२१) फ्रांसिस्का (१८५५) — (परिवेष्टन) — फ्रांसिस्का डेन्मार्क का एक जहाज था। इसे बाल्टिक सागर में रीगा नामक बन्दरगाह को जाते हुए एक ब्रिटिश क्रूजर ने इस आधार पर पकड़ लिया कि उन दिनों प्रीमिया युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन ने रूसी बन्दरगाहों पर परिवेष्टन या घेरा (Blockade) डाल रखा था। इस युद्ध में ब्रिटिश, फ्रेंच और रूसी सरकारों ने समुद्री व्यापार के सम्बन्ध में अनेक आदेश निकाले थे, इनके अनुसार बाल्टिक सागर के बन्दरगाहों में वे केवल अपने जहाजों को व्यापार की अनुमति देते थे, किन्तु इन आदेशों के अनुसार घेरा डालने का यह परिणाम हुआ कि इन बन्दरगाहों के साथ तटस्थ देशों का व्यापार बन्द हो गया।

फ्रांसिस्का जहाज की ओर से यह कहा गया कि उमक मानिका का ब्रिटिश घेरा तोड़ने का कोई इरादा नहीं था। इस जहाज का परिवेष्टन न होने की दशा में ही रीगा जाने का आदेश दिया गया था।

प्रिन्सीपल कीन्सिल ने इस मामले का निर्णय करते हुए यह लिखा — 'जिस स्थान का घेरा डाला जाय, वहाँ निरीक्षण के लिये इतनी समुद्री शक्ति अवश्य होनी चाहिये कि उसके कारण उस स्थान में जाया या वहाँ से निकलना संकटपूर्ण हो।' फ्रांसिस्का के मालिकों की अपने यथाप की इस दलील को कीन्सिल ने स्वीकार नहीं किया कि उन्हें घेरे या परिवेष्टन का ज्ञान नहीं था, क्योंकि पिछले बन्दरगाह से जहाज के रवाना होने से पहले ही जहाज के वप्तान को यह सूचना मिल चुकी थी। फिर भी माननीय न्यायाधीशों ने इस मामले का फर्मला फ्रांसिस्का जहाज के मालिकों के पक्ष में ही किया। यह इस आधार पर किया गया कि यह घेरा इस कारण अवैध था कि इसे युद्ध-सलमन देश अपने लिये तो निश्चित कर देते थे और तटस्थ देशों के लिये कठोर कर देने थे। इस नैतिक के कारण यह घेरा गैरनागूनी था, अतः रीगा बन्दरगाह में प्रवेश का प्रयत्न करने वाले जहाज को पकड़ना अनुचित था।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय कानून के भारतीय मामले

(२२) डालमिया दादरी सीमेण्ट कम्पनी लिमिटेड वि० कमीशन ग्राफ इकमटैक्स' (१९५८) — राज्य उत्तराधिकार — इस मामले में पंजाब की एक पुरानी रियासत जीन्द में दादरी नामक स्थान पर सीमेण्ट बनाने तथा बेचने के लिए एक कम्पनी की स्थापना की गई थी। पहली अप्रैल १९३८ को जीन्द के तत्कालीन शासक ने एक समझौते द्वारा इस कम्पनी की बनाने वाले शान्तिप्रसाद जैन को इस विषय में कुछ अधिकार प्रदान किये, जीन्द राज्य में सीमेण्ट बनाने के कार्य का एकमात्र अधिकार शान्तिप्रसाद को दिया गया। कम्पनी को यह अनुमति २५ वर्ष के लिए दी गई, आय-कर की दर ५ लाख की आमदनी तक ४ प्रतिशत तथा हमसे अधिक आमदनी पर ५ प्रतिशत रखी गई थी, कम्पनी को चुगी (Octroi) के प्रतिरिक्त सभी प्रकार के आयात तथा निर्यात-कर से छूट दी गई। पहले ये सब अधिकार शान्तिप्रसाद जैन को तथा बाद में २७ मई १९३८ को स्थापित होने वाली डालमिया दादरी सीमेण्ट कम्पनी को प्रदान किये गये।

१५ अगस्त १९४७ को जीन्द के राजा ने अपने प्रदेश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामलों तथा संचार साधनों के विषय में कानून बनाने के बारे में भारत सरकार का अधिकार स्वीकृत किया। ५ मई १९४८ को पूर्वी पंजाब की आठ रियासतों के राजाओं ने एक समझौते द्वारा अपने प्रदेशों को मिलाकर पेप्सू (Patiala East Punjab States Union) नामक राज्यसंघ बनाया। २० अगस्त १९४८ को पेप्सू के राज-प्रमुख ने जीन्द राज्य का प्रशासन सभाला और एक अध्यादेश (Ordinance) द्वारा घोषणा की गई कि अब इस में पटियाला राज्य के कानून लागू होंगे, पिछले कानून रद्द कर दिये जायेंगे। २४ नवम्बर १९४९ को राजप्रमुख ने एक घोषणा द्वारा भारतीय संविधान को रबीकार किया। १३ अप्रैल १९५० को पेप्सू ने भारत सरकार की सघीय वित्तीय एकीकरण योजना (Federal Financial Integration Scheme) स्वीकार की और यहाँ केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित कर लगाने की व्यवस्था चालू हुई।

इस के बाद कम्पनी की आमदनी पर केन्द्रीय सरकार ने निर्धारित आय कर की दर से कर लगाया। इस विषय में कम्पनी का यह कहना था कि उसने आय कर इस दर से नहीं, अपितु १ अप्रैल १९३८ को जीन्द के राजा के साथ हुए समझौते में तय की गई दर से लिया जाना चाहिये, क्योंकि इस समझौते द्वारा राजा ने जो दायित्व और शर्तें स्वीकार की थी, वे नये राज्य को उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त हुई हैं, वह उनका पालन करने के लिए बाध्य है, नये राज्य का नवीन अध्यादेश पुराने राज्य के साथ किये गये समझौते की कानूनी स्थिति का समाप्त नहीं कर सकता है। प्रतिवादी का यह कहना था कि राजाशा द्वारा पेप्सू को बनाने के लिए किया गया समझौता राज्य-कृत्य (Act of State) है, दण्डी बंधता के बारे में राष्ट्रीय न्यायालयों (Municipal Courts) को विचार करने का कोई अधिकार नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में प्रतिवादी की युक्ति स्वीकार करते हुए कहा कि पूर्वी पंजाब के राजाओं द्वारा मद्य बनाने के लिए किया गया समझौता एक ऐसी सधि है, जिसे स्वतन्त्र राज्यों के शासकों ने किया है तथा इस सधि द्वारा उन्होंने अपने प्रदेशों पर अपनी प्रभुसत्ता के अधिकार छोड़ दिये हैं तथा इनको नवीन राज्य के शासक को प्रदान किया है। यह राज्य-कृत्य (Act of State) है क्योंकि इस नब्ब में किसी प्रभुसत्तासम्पन्न राज्य द्वारा पहली बार प्राप्त किये गये सभी प्रदेश सम्मिलित होते हैं, भले ही वे किसी भी विधि—विजय या अर्पण (Cession) द्वारा प्राप्त हुए हों। इन प्रदेशों में रहने वाले निवासी नवीन शासक द्वारा प्रदेश पा लेने के बाद उनके प्रजाजन हो जाते हैं। इस नवीन स्थिति में इस प्रदेश के निवासियों को वे अधिकार नहीं प्राप्त होते, जो उन्हें भूतपूर्व प्रभुसत्तासम्पन्न शासक व समय में प्राप्त थे, अपितु उन्हें केवल वही अधिकार प्राप्त होते हैं, जिनको नया शासक स्वीकार करता है या प्रदान करता है। इस प्रकार जब एक स्वतन्त्र शासक किसी प्रदेश पर अपनी प्रभुसत्ता किसी दूसरे शासक को प्रदान करता है तो यह कार्य राज्य-कृत्य (Act of State) का रूप धारण कर लेता है। इस विषय में कोई भी दावा या मामला राष्ट्रीय न्यायालयों (Municipal Courts) में नहीं लाना जा सकता। इस मामले में पेप्सू में सम्मिलित होना राज्य-कृत्य था, इसमें सम्मिलित होने वाले जीन्द्र के राजा ने अपना प्रदेश पेप्सू को सौंप दिया था, इसके राज्य-कृत्य होने के कारण इन मामले पर इस न्यायालय में कोई विचार नहीं किया जा सकता था। इंग्लिया कम्पनी पर नई सरकार द्वारा निर्धारित आय-कर के नये नियम लागू होंगे। जीन्द्र राज्य के साथ हज़ १९३८ के समझौते वाले पुराने नियम इस विषय में लागू नहीं हो सकते हैं।

इस मामले में न्यायाधीश विजियन बोम ने अपना मतभेदमूलक पृथक् निर्णय देते हुए यह विचार प्रकट किया कि प्रभुसत्ता के परिवर्तन से पुराने नागरिकों के सब अधिकार समाप्त नहीं हो जाते हैं।

(२३) मद्रास राज्य वि० राजगोपालन (१९५६)—राज्य-उत्तराधिकार—
 इस मामले में तथ्य इस प्रकार थे १९३७ में श्री राजगोपालन इंडियन सिविल सर्विस में नियुक्त हुए तथा मद्रास सरकार में काम करने लगे। २ जून १९४७ को उन्होंने कुछ समय के लिए छुट्टी ली, अपनी छुट्टी के दिनों में उन्हें मद्रास सरकार का एक पत्र १९ जून १९४७ को प्राप्त हुआ, इसमें उनमें यह सूझा गया था कि १५ अगस्त १९४७ को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को सत्ता हस्तान्तरण करने के बाद क्या वे अपनी नौकरी करना जारी रखना चाहते हैं। उनका उत्तर स्वीकारात्मक था, किन्तु ६ अगस्त १९४७ को उन्हें मद्रास सरकार ने प्राप्त एक पत्र में उन्हें १५ अगस्त के बाद सिविल सर्विस की सेवा में न रखने के निर्णय की सूचना दी गई। इस प्रकार अपनी सेवा में मुक्त होने की सूचना पाकर श्री राजगोपालन ने इस निर्णय को रद्द कराने का प्रयत्न किया, किन्तु मफल न होने पर उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट में अपनी सेवा की मुक्ति के आदेश की वीथ्या की चुनौती देने हुए मामला खड़ाया। इसमें वादी का यह दावा था कि मद्रास सरकार ने ऐसा आदेश देकर १९३५ के भारत सरकार कानून के खंड २४० में सेवाओं के विषय में

दी गई साविधिक गारण्टियों (Statutory guarantees) का अतिरमण किया है।

मद्रास सरकार या यह कहना था कि १९४७ के भारतीय स्वतन्त्रता कानून के अनुसार सत्ता का हस्तान्तरण होते ही राजगोपालन की मेवाये समाप्त हो गई थी, उमे इसके बाद इस सेवा मे बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। हाईकोर्ट ने मद्रास सरकार की इस युक्ति को रद्द करते हुए श्री राजगोपालन की प्रार्थना स्वीकार की, मद्रास सरकार के आदेश को अवैध ठहराया। मद्रास सरकार ने इस निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट मे अपील की।

सुप्रीम कोर्ट मे अपीलकर्ता ने यह युक्ति दी कि १५ अगस्त १९४७ को होने वाले परिवर्तनों से भारत मे एक नवीन प्रभुसत्तासम्पन्न राज्य का जन्म हुआ, इसके पैदा होते ही पुराने राज्य के समाप्त हो जाने के कारण उसके साथ किये गये सेवा-विषयक अनुबन्ध (Contracts) स्वयमेव समाप्त हो गये। इस विषय मे प्रतिवादी का यह कहना था कि नई सरकार भले ही कितनी स्वतन्त्र क्यों न हो, वह विजय अथवा अर्पण (Cession) के वारण स्थापित होने वाले प्रभुसत्तासम्पन्न राज्य मे बहुत भिन्न है तथा इस विषय मे अन्तर्राष्ट्रीय कानून का यह नियम नहीं लागू हो सकता है कि पिछली सरकार के समाप्त होते ही, उनके साथ किये गये सब अनुबन्ध समाप्त हो जाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का निर्णय करते हुए यह कहा कि भारतीय स्वतन्त्रता कानून १९४७ की धारा ७ (I A) के अनुसार इंडियन सिविल सर्विस के विषय मे इसका पूरा नियन्त्रण करने वाला भारतमन्त्री ब्रिटिश मन्विगण्टल के सदस्य के रूप मे पूर्णरूप से समाप्त हो गया है। इसका यह परिणाम है कि भारत-मन्त्री (Secretary of State for India) द्वारा इंडियन सिविल सर्विस के बारे मे निर्धारित की गई बातें समाप्त हो गई हैं। इस प्रकार इस सेवा के विषय मे दी गई गारण्टियाँ तथा किये गये अनुबन्ध समाप्त हो चुके हैं। इंडियन सिविल सर्विस के कर्मचारी केवल मिट्टान्त रूप से ही ब्रिटिश राज्य के नीचे हैं। ब्रिटिश सरकार के भारत मे चले जाने पर नई सरकार को यह पूरा अधिकार है कि वह इंडियन सिविल सर्विस के पुराने कर्मचारियों को नौकरी पर रवे या न रवे। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास सरकार की अपील स्वीकार कर ली।

(२४) रावजी अमरसिंह वि० राजस्थान की सरकार (१९५८)—राज्य उत्तराधिकार इस मामले मे वादी रावजी अमरसिंह को २९ जनवरी १९५८ को वीकानेर के भूतपूर्व राज्य मे जितना तथा सैदान जज नियत किया गया था। इसके सेवा-काल मे देश मे कुछ राजनीतिक परिवर्तन हुए। ७ अप्रैल १९४९ को वीकानेर के राज्य ने अन्य राज्यों के साथ मिलकर राजस्थान का संयुक्त राज्य बनाया। नये राज्य ने अपने न्यायिक प्रदायन का पुन गठन किया। नय गठन मे रावजी अमरसिंह को मिनिन जज नियत करते हुए लघु पदों (Junior Posts) मे उसको अठारहवाँ स्थान दिया गया। वादी को यह परिवर्तन नापसन्द था, उमका यह कहना था कि हममे उमे भारतीय मन्विधान की धारा ३११ ने अनुसार दिये गये अधिकारों का अति-रमण होता है।

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का निर्णय देते हुए न्यायाधीन विनियम बोन ने कहा था कि जब एक राज्य दूसरे राज्य में विजय, विलय (Merger) सम्मिलन (Accession), एकीकरण (Integration) आदि किसी प्रांत या न विनीत हो जाना है तो पहली सरकार के तथा इसके मेवका के बीच में हुए पहले सभी सेनाविपणक अनुबंध (Contracts of Service) स्वयमेव समाप्त हो जाते हैं। अतः जो व्यक्ति नये राज्य में सेवा करना स्वीकार करते हैं, वे नयी सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर इसकी सेवा करते हैं। अतः न्यायालय ने इन विषय में वादी की अपील का रद्द कर दिया।

(२५) युनियन आफ इण्डिया वि० चमनलाल तूना (१९५६) — राज्य उत्तराधिकार — इस मामले में प्रतिवादी भारतीय सेना को मान देने वाला ठेकेदार था। १९४५ में उसने लाहौर छावनी के मिलिटरी फार्म व मैनजर के माध्यम में तत्कालीन भारत सरकार के सेना विभाग को भूसा देने का एक ठेका किया। उनके अनुसार उसने जमानत के रूप में सेना विभाग में ११००६) २० जमा कराया। उन ठेके क मन्तव्यों में एक शर्त यह भी थी कि उनके बारे में यदि कोई विवाद होगा तो उनका निर्णय एक पक्ष द्वारा किया जायगा। प्रतिवादी ने पाकिस्तान बन जाने तथा लाहौर के पाकिस्तान में चले जाने के बाद भारत सरकार के सेना विभाग में ११००६) २० की जमानत वापिस करने का दावा किया, भारत सरकार ने इस दाव का विराम १९४७ के भारतीय स्वतन्त्रता (अधिकार सम्पत्ति और दायित्व) आदेश [Indian Independence (Rights and Liabilities) Order, 1947] के प्राचार पर करते हुए यह कहा कि इनके अनुसार इस जमानत का उत्तरदायित्व पाकिस्तान पर है, न कि भारत सरकार पर। प्रतिवादी का यह कहना था कि इन मामले में भारतीय स्वतन्त्रता आदेश नहीं, किन्तु १९४७ का प्रविरभा आदेश (Defence Order) लागू होता है, अतः भारत सरकार की दुरिक्ति ठीक नहीं है। निचले न्यायालय ने प्रतिवादी के पक्ष में निर्णय दिया, इस पर भारत सरकार ने इस फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार की प्रतीत स्वीकार करते हुए कहा कि यह अनुबंध या ठेका १९४७ के भारतीय स्वतन्त्रता आदेश की धारा = (१) (b) के अन्तर्गत है, ठेके का प्रयोजन लाहौर छावनी के मिलिटरी फार्म व मैनजर को भूसा देना था, यह फार्म पाकिस्तान में चला गया है। उन विषय में निर्णय की कमीटी यह है कि १५ अगस्त १९४७ का यदि यह ठेका या अनुबंध किया जाना तो यह पाकिस्तान के प्रयोजन को पूरा करने के लिए किया जाना या भारत के प्रयोजन का। लाहौर छावनी के फार्म के पाकिस्तान में चले जाने के कारण इस ठेके का प्रयोजन पाकिस्तान का प्रयोजन पूरा करना है, अतः प्रतिवादी वादी ने मुरआघन की मांग नहीं कर सकता है।

(२५) पेमा डिवर उर्फ प्रेमामाई दीवामाई लगन वि० युनियन आफ इण्डिया

एण्ड अर्बर्स' (१९६६)—राज्य उत्तराधिकार—इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रश्न पर अपना निर्णय दिया है कि सैनिक कार्यवाही द्वारा जीते गये पुर्तगाली प्रदेश में नई सरकार पुरानी सरकार के उन्ही दायित्वों को पूरा करने के लिये बाध्य की जा सकती है, जिन्हें इसने स्वीकार कर लिया है। इस मामले में प्रार्थी भूतपूर्व पुर्तगाली बस्ती का नागरिक था, जिसे भारत ने २० दिसम्बर १९६१ को सैनिक कार्यवाही करके अपने प्रदेश में मिला लिया था। प्रार्थी ने ६ अक्टूबर से ४ दिसम्बर १९६१ के बीच में पुर्तगाली अधिकारियों से १० लाख पौण्ड से अधिक मूल्य का माल आयात करने का लाइसेन्स प्राप्त किया, यह १५० दिनों के लिये वैध था। इसके अनुसार २० दिसम्बर से पहले विदेशों से माल मंगवाने के आर्डर दे दिये गये थे। चूंकि विदेशों का माल निर्धारित समय में नहीं आया था अतः प्रार्थी ने भारत सरकार से उपयुक्त लाइसेन्सों के अनुसार माल मंगवाने की अनुमति मांगी, इसे न देने पर उसने मई १९६३ में सरकार के विरुद्ध यह आवेदनपत्र दिया।

इस मामले में प्रार्थी की ओर से यह कहा गया था कि भारत सरकार इस बात के लिये बाधित है कि वह उसे वांछित वस्तुओं का आयात करने दे क्योंकि वह २० दिसम्बर १९६१ में पहले उसे दिये गये लाइसेन्सों का माल मंगाने के अधिकार को स्वीकार कर चुकी थी। इसके विरुद्ध भारत सरकार का यह दावा था कि उसने पुर्तगाली प्रदेश को सैनिक विजय के साधन से प्राप्त किया है, नया प्रभु या सर्वोच्च सत्तासम्पन्न शासक पुरानी पुर्तगाली सरकार द्वारा अपने पुर्तगाली प्रजाजनो के साथ किये गये समझौतों का पालन करने के लिये बाध्य नहीं है। यह बात नये शासक की इच्छा पर निर्भर है कि वह पुराने शासक द्वारा किये समझौतों या दिये गये वचनों का पालन करे या न करे। इस मामले में भारत सरकार ने पुराने वचनों का पालन करने से इन्कार कर दिया है, अतः प्रार्थी इस विषय में कोई अधिकार नहीं रखता है।

न्यायालय ने इस विषय में निर्णय देते हुए कहा कि विजय द्वारा प्राप्त किये गये प्रदेशों के सम्बन्ध में कानूनी स्थिति निश्चित हो चुकी है। इन प्रदेशों के निवासियों को पिछले शासक या प्रभु के प्रजाजन होने के नाते जो अधिकार प्राप्त थे, वे सभी अधिकार उन्हे नये शासक के समय में स्वतः नहीं प्राप्त हो जाते हैं, उन्हे इस विषय में केवल वही अधिकार प्राप्त होते हैं, जिन्हें देना नया शासक स्वीकार करता है। इस विषय में न्यायालय ने *Dalmia Dadr Cement Co Ltd v Commissioner of Income Tax*, 1959 S C R 729, *State of Gujrat v Vora Fiddali* A I R 1964 S C 1043 के मामलों का हवाला देते हुए कहा है कि इनमें यह तय किया गया था कि एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के प्रदेश को ग्रहण करना राज्य-कृत्य (Act of State) है, पुराने राज्य के प्रजाजन अपने उन्ही अधिकारों को लागू करवा सकते हैं, जिन्हें नवोन शासक ने स्वीकार कर लिया हो। श्यामलान के मामले (A I R 1964, S C 1495) में भी यही स्थिति मानी गई थी। इस निश्चित कानूनी स्थिति के

आधार पर वर्तमान मामले पर विचार करने से यह प्रतीत होता है कि ३० दिसम्बर १९६१ को गोआ के मैनिफेस्ट राज्यपाल ने यह घोषणा की थी कि आजात किया गया जो माल जहाजों द्वारा रवाना हो चुका था अथवा जिनकी विदेशी मुद्रा दी जा चुकी थी, उसी मान का आयात किया जा सकेगा। प्रार्थी का अयात किया जाने वाला माल इन दोनों श्रेणियों में नहीं आता अतः उक्त अधिकार को मध्य मामलों ने स्वीकार नहीं किया है, इसलिये यह अधिकार उपरोक्त नियम के अनुसार उसे नहीं दिया जा सकता है।

(२७) **रायल नेपाल एग्जिटाइम्स लिमिटेड मनोरमा मेहरांसिंह लेगट' (१९६६)**
क्षेत्राधिकार—इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य व क्षेत्राधिकार व विदेशी राजा तथा विदेशी सरकार की एग्निसिया की उन्मुक्ति व चारेम (State Jurisdiction, Sovereign Immunity, Extent of Immunity of Foreign Government Agencies) तथा राजदूत द्वारा उन उन्मुक्तियों का दावा किए जाने के चारेम महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों पर विचार किया है। इनमें बादी सरकार का चारम नैपाल एग्जिटाइम्स कारपोरेशन नामक कम्पनी में कार्य करने वाले एक कम्पनी के कर्मचारी की विववा पत्नी थी। यह कम्पनी नैपाल सरकार के नियमों व अनुसार काम करने वाला कारपोरेशन थी, इसका प्रधान कार्यालय नैपाल की राजधानी काठमाण्डू में था और यह कलकत्ता में भी कार्य करती थी, जो कलकत्ता हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में था। नवम्बर १९६० में, एच हवाई दुर्घटना में बादी का पति मारा गया, बादी का यह कहना था कि यह दुर्घटना प्रतिवादी कारपोरेशन की नापरवाही में हुई अतः उन कम्पनी से पति की मृत्यु में होने वाली हानि का हुआना दिया जाना चाहिये।

प्रतिवादी कारपोरेशन ने अपने विनिवद दस्तावेज में यह कहा कि रायल नैपाल एग्जिटाइम्स कारपोरेशन नैपाल सरकार का एक अंग है, नैपाल सरकार एक स्वतन्त्र विदेशी राज्य है, अतः कलकत्ता के न्यायालय का इस विषय को सुनने का अधिकार नहीं है, दुर्घटना में अग्रस्त होने वाला विमान नैपाल सरकार की सम्पत्ति था तथा नैपाल सरकार की क्षेत्राधिकार में काम करने वाले उन कारपोरेशन का मारा व्यव नैपाल सरकार सहन करती थी। इस प्रकार बादी का अभियोग (Cause of Cessation) कारपोरेशन के विरुद्ध नहीं, बल्कि नैपाल की सरकार और उनके नामक व विरुद्ध था। उक्त अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार कलकत्ता के न्यायालयों के अधिकारक्षेत्र में पूर्ण रूप से उन्मुक्ति (Immunity) प्राप्त है, इन विषय में कोई भी कार्यवाही भारत सरकार की महमति के बिना किसी भी क्षेत्राधीन अदालत में नहीं की जा सकती है अतः इस मामले को गुणावगुण व आधार पर नहीं सुना जा सकता है। किन्तु तब से प्रतिवादी के वादेनपत्र को इस आधार पर रद्द कर दिया कि इस मामले की जांच के लिये मुझाव गत प्रारम्भिक विचारणीय प्रश्न (Preliminary issues) तब के इस मामले के विचारणीय तथ्य के प्रश्नों से एतः उन प्रकार सम्मिलित हैं कि उन पर अलग अलग विचार नहीं किया जा सकता है।

इसके बाद भारत में नैपाल सरकार के राजदूत की ओर से न्यायालय में दिये गये एक आवेदनपत्र द्वारा उपर्युक्त तथ्यों को दोहराते हुए दो प्रार्थनायें की गई थी— (१) विदेशी राज्यों को प्राप्त होने वाली उन्मुक्ति के दावे के आधार पर इस मामले को खारिज कर दिया जाय, (२) इस आवेदनपत्र को देने वाले राजदूत को इस मामले में उन्मुक्ति का दावा करने का अधिकार दिया जाय। इस प्रार्थनापत्र को न्यायाधीश ने इस आधार पर रद्द कर दिया कि दीवानी विधिप्रक्रिया संहिता (Civil Procedure Code) कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि किसी मामले से सम्बन्ध न करने वाला कोई व्यक्ति उस मामले को खारिज करने की प्रार्थना कर सकता है। निचरी अदालत द्वारा दिये गये उपर्युक्त दोनों आदेशों के विरुद्ध कलकत्ता हाईकोर्ट में दो अपीलें की गईं और वहाँ इनकी सुनवाई एकसाथ की गई।

न्यायालय के पहले आदेश के विरुद्ध अपील में यह कहा गया था कि न्यायाधीश को इस मामले के गुणावगुणों पर विचार करने से पहले इस प्रश्न का निर्णय अवश्य करना चाहिये था कि अपील करने वाला नैपाल सरकार का अंग है या नहीं है, अन्यथा इसका मामले के निर्णय पर प्रतिफल प्रभाव पड़ने की आशंका थी। दूसरी अपील में यह प्रार्थना की गई थी कि एक विदेशी राज्य किसी मामले में अग्रत्यक्षरूप में भी संबद्ध होने पर इस बात का पूरा अधिकार रखता है कि वह इस मामले पर विचार के दौरान किसी भी समय आकर न्यायालय से यह प्रार्थना करे कि इस मामले को सुना जाय या न सुना जाय। इस प्रकार इस मामले में न्यायालय ने तीन प्रश्नों पर निर्णय देना था—(१) विदेशी राज्य एब राजा की क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति का स्वरूप और मात्रा। (२) इस उन्मुक्ति की मांग करने का अधिकार किसे है? (३) इसकी मांग किस प्रकार की जानी चाहिये?

इस विषय में अपना निर्णय देते हुए प्रधान न्यायाधीश बीस ने यह लिखा कि यह सत्य है कि दीवानी विधिप्रक्रिया संहिता (Civil Procedure Code) में कहीं यह नहीं लिखा कि विदेशी राजा या सरकार दीवानी मामलों में उन्मुक्ति की मांग कर सकती है। किन्तु इस विषय में यह प्रश्न विचारणीय है कि दीवानी संहिता में ऐसी लिखित व्यवस्था न होने की दशा में क्या न्यायालय विदेशी राजा या सरकार से सम्बन्ध रखने वाले मामलों पर विचार कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिये कि कानून सामान्य नियम होते हैं, वे भविष्य में उत्पन्न होने वाले सभी सम्भावित मामलों के लिये पहले से व्यवस्था नहीं कर सकते। दीवानी विधिसंहिता भी इसी प्रकार का कानून है, इसमें न आने वाले किसी विशेष प्रश्न का निर्णय सामान्य नियमों से किया जाना चाहिये। इस विषय में हाउस आफ लॉर्डस ने *Compania Naviera Vascongada v Steamship Cristina 1913* (Per Lord Atkin) के मामले में प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के दो सामान्य तथा अस्पष्ट नियमों का प्रतिपादन किया है—(१) हम देश के न्यायालय विदेशी राजा से सम्बन्ध रखने वाले मामले में उसकी इच्छा के विरुद्ध ऐसी कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करेंगे, जिसमें वह किसी मामले में कोई पक्ष बने। विदेशी राजा के विरुद्ध या उसकी सम्पत्ति या उगमने दर्जने की मांग के बारे में

कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। (२) दूसरा नियम यह है कि न्यायालय विदेशी राजा से सदन रखने वाली, उसने स्वामित्व अथवा नियन्त्रण में विद्यमान किसी भी सम्पत्ति को जब्त करने या रोकने (detain) के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर सकता है, भले ही इस मामले में विदेशी राजा को पक्ष न बनाया गया हो। इन नियमों की पुष्टि में न्यायालय ने *Parlement Belge (1830)*, *The United States of America v Dolfas meng et Compagnia (1952)*, *Juan Ysmeal & Co v Republic of Indonesia (1955)*, *Rahimtoola v Nizam of Hyderabad* के मामलों का उल्लेख किया। इसके बाद *Mighell v Sultan of Johore (1894)*, *Kranjina v Tass Agency (1949)*, *Baceus S R L v Servics National Del Trigo (1957)* के मामलों का निर्देश करते हुए न्यायाधीश ने लिखा कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि नेपाल के राजदूत द्वारा प्रतिवादी की शरण में प्रस्तुत किए गये हथफतामा में प्रतिपादित सामग्री हम उन दाल का स्वीकार करने के लिये प्रयाप्त प्रमाण देती है कि वादी नेपाल सरकार का एक विभाग है और वादी द्वारा उनके विरुद्ध हर्जाने के लिए किये गये दावे के बारे में उन इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति पाने का दावा करते हैं या भूग अपिचार है। अतः इस मामले का पारिज कर देना चाहिये और इसमें कोई अग्रणी कार्यवाही नहीं करनी चाहिये, इस मुक्ति में कोई बल नहीं है कि नेपाल का राजदूत इस मामले में कोई पक्ष नहीं बना है।

(२८) कमिश्नर आर्क इन्कमर्टेरा प्रान्ध्रप्रदेश विरुद्ध एच० ई० एच० मीर उरमान अली बहादुर (१९६६) — क्षेत्राधिकार — इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रश्न पर अंतिम निर्णय दिया था कि निजाम हैदराबाद क्या अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से प्रमुखतामय राजा था और उसे इस आधार पर भारतीय आय-कर कानून से मुक्ति पाने का अधिकार था। इस मामले में आन्ध्र प्रदेश के आय-कर आयुक्त ने हैदराबाद के भूतपूर्व राजा निजाम की १९५०-५१ की तथा १९५१-५२ की आमदनी पर आय-कर लगाया था और इस विषय में आन्ध्र प्रदेश के हाईकोर्ट से निम्न प्रश्नों पर सम्मति मांगी थी— (१) क्या निजाम अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से १९५०-५१ का कर देने से उन्मुक्ति पाने का अधिकार रखता है? (२) क्या १५ जनवरी १९५० को हुए ममभौते के अनुसार उनसे १९२२ के आय-कर कानून के अनुसार कर लिया जा सकता है?

आन्ध्र प्रदेश के हाईकोर्ट ने यह सम्मति दी कि २५ जनवरी १९५० तक निजाम अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार एक प्रमुखतामय राजा (Sovereign) था, मग इत निधि तक उसे अपनी आय पर आय-कर से उन्मुक्ति पाने का अधिकार है, उतने बाद राजा न रहने में उसे यह अधिकार नहीं है। इसके बाद इस प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया तथा हाईकोर्ट की सम्मति को स्वीकार नहीं किया। इस विषय में न्यायालय ने प्रधान मन्त्र ने दो प्रश्नों पर विचार किया— (१) विदेशी राजाओं को कर से मुक्ति पाने के अधिकार की मात्रा और स्वरूप क्या है? (२) क्या हैदराबाद के निजाम को अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति (International Person) या प्रमुखतामय राजा माना जा सकता है?

पहले प्रश्न के सबन्ध में न्यायालय का यह मत था कि इस विषय में अन्तर्राष्ट्रीय कानून विकसित हो रहा है तथा उसे कोई मुनिर्दिष्ट रूप नहीं प्राप्त हुआ है। हेल्सबरी और आपेनहाइम जैसे लेखकों ने यह मत प्रकट किया है कि प्रमुत्तासम्पन्न शासकों (Sovereign Rulers) पर कोई बर नहीं लगाया जा सकता है। विन्तु हाउस आफ लार्डस ने Sultan of Johore v. Abubakar Dunpur (1952) के मामले में यह कहा था कि न्यायाधीशों का यह विचार है कि "इंग्लैण्ड में इस विषय में अभी तक अन्तिम रूप में कानून निश्चित नहीं हुआ है...यह कोई निरपवाद नियम (Absolute rule) नहीं है कि किसी स्वतन्त्र विदेशी राजा के सबन्ध में हमारे न्यायालयों में कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती है।" इसके बावजूद न्यायालय ने विदेशी राजाओं की सम्पत्ति पर कर में मुक्ति के विषय में अमेरिकन जर्नल आफ इण्टरनेशनल लॉ (खण्ड ८६, पृ० २२६) में प्रकाशित एक लेख से उद्धरण देते हुए यह बताया कि विदेशी राजाओं की अपनी सम्पत्ति पर कर से मुक्ति की कुछ मर्यादाएँ होनी चाहियें। यह कर उन्हीं अवस्थाओं में मुक्त होगा चाहिये, जब वे इनसे परम्परागत शासन मबन्धी कार्य कर रहे हों। विन्तु वे यदि अपनी सम्पत्ति को विदेशी व्यापार में ऐसे कार्यों में लागू के लिये लगाते हैं, जिनमें अन्य व्यक्ति अपनी पूँजी लगा रहे हैं तो इस बात का कोई विशेष कारण नहीं प्रतीत होना है कि उन्हें करों में मुक्ति प्रदान करके अन्य व्यक्तियों की तुलना में कोई विशेषाधिकार दिया जाय और वे अपने कर का भार अनावश्यक रूप से दूसरे व्यक्तियों पर डालें।

न्यायालय ने निजाम के स्वतन्त्र, प्रभुसत्तासम्पन्न राजा (Sovereign Ruler) तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति होने पर विशेष विस्तार से विचार किया। उन्होंने कहा कि आपेनहाइम के मतानुसार राज्यों के परिवार (Family of Nations) का सदस्य होकर अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व आरम्भ करने के लिए किसी राज्य में चार विशेषताएँ होनी चाहियें—(१) समानता, (२) प्रतिष्ठा या गौरव, (३) स्वतन्त्रता, (४) प्रादेशिक एवं वैयक्तिक सर्वोच्च सत्ता। निजाम हैदराबाद इन चार विशेषताओं के होने पर ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति माना जा सकता है।

हैदराबाद राज्य का पुगना इतिहास देते हुए न्यायालय ने यह बताया कि १८५८ में ग्रेट ब्रिटेन के राजा (Crown) ने समूचे भारत का शासन ईस्ट इंडिया कम्पनी ने अपने हाथों में ले लिया सम्पूर्ण भारत को ब्रिटिश ताज की छत्रछाया में लाने की घोषणा करते हुए लार्ड कैनिंग ने कहा था कि ब्रिटिश ताज (Crown) भारत की सर्वोच्च शक्ति (Paramount Power) है। "भारतीय रियासतों पर श्वेतपत्र (White Paper on Indian States) में भी यही स्थिति स्वीकार की गई थी। १९३५ में भारत सरकार कानून (Government of India Act) ने राज्यों को भारतीय सभ में सम्मिलित होने का न होने की स्वतन्त्रता कुछ शर्तों पर ही दी थी, किन्तु १९३६ में सभ के विचार को छोड़ दिया गया। १९४७ के भारतीय स्वतन्त्रता कानून ने ब्रिटिश प्रभुता समाप्त हो जाने पर रियासतों की सर्वोच्च सत्ता उन्हें वापिस मिल गई, किन्तु इनमें उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व (International Personality) नहीं प्राप्त हुआ। किसी

भी राज्य ने हैदराबाद को वास्तविक (de facto) या कानूनी (de jure) गान्यता नहीं प्रदान की। २३ नवम्बर १९४९ को निजाम ने एक घोषणा प्रजागित करके भारत के संविधान को इस शर्त पर स्वीकार किया कि हैदराबाद राज्य की संविधान परिषद भी इसे संपुष्ट (ratify) करे। इस परिपद द्वारा इस विधान को स्वीकार करने के बाद हैदराबाद को संविधान की प्रथम अनुसूची के खण्ड 'बी' में सम्मिलित किया गया। इस इतिहास से यह स्पष्ट है कि हैदराबाद १९४७ के भारतीय स्वतन्त्रता कानून से पहले ब्रिटिश ताज की प्रभुता (Suzerainty) में था और इसके बाद मघिवातों द्वारा भारतीय राज्य का अंग बन गया। इसे किसी भी समय में अन्य राष्ट्र ने स्वतन्त्र राज्य और अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया। ब्रिटिश शासन के समय में हैदराबाद की स्थिति अन्य रियासतों के समान बसवर्ती राज्य (Vassal State) के रूप में थी। इस विषय में न्यायालय ने आपेनहाइम (५म संस्करण, खण्ड १, पृ १६५-६) का यह कथन उद्धृत किया कि भारतीय रियासतों की ग्रेट ब्रिटेन के साथ ऐसे बसवर्ती राज्यों की स्थिति है, जो आपस में ग्यवा बिदेसी राज्यों के साथ कोई अन्तर्राष्ट्रीय संबन्ध नहीं रखते थे। हाल में भी अपनी पुस्तक International Law के अष्टम संस्करण में यही मत प्रतिपादित किया है कि भारतीय रियासतें अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय नहीं बन सकती हैं। इस बातों के आधार पर अन्त में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार हैदराबाद को अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्राप्त नहीं था, मतः इसका राजा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर अपनी वैयक्तिक सम्पत्ति पर लगाये कर से मुक्ति का दावा नहीं कर सकता है।

(२६) सैण्डल बैंक आफ इंडिया लिमिटेड वि० रामनारायण' (१९५५)—
राष्ट्रीयता—इस मामले में तथ्य इस प्रकार थे। रामनारायण नामक व्यक्ति पाकिस्तान में चले गये मुल्तान नामक नगर में सैण्डल बैंक आफ इंडिया की एक शाखा में नगंचारी था, वह मुल्तान का रहने वाला था, १५ अगस्त १९४७ को भारत के स्वतन्त्र होने पर भी वह भारत नहीं आया और मुल्तान के बैंक में काम करता रहा। वहाँ ६ नवम्बर १९४७ को उसने गवर्न का अपराध किया और १० नवम्बर १९४७ को वह भारत भाग आया। भारत के सैण्डल बैंक ने उस पर मुकद्दमा चलाने की स्वीकृति पूर्वी पंजाब की सरकार ने प्राप्त की तथा उस पर कई अपराधों के लिये मुकद्दमा चलाया।

रामनारायण ने अगले विरुद्ध चलाये गये मामले में प्रारम्भिक आपत्ति उठाते हुए यह कहा कि वह पाकिस्तान का नागरिक है, अतः उनके विरुद्ध मामला चलाने के लिये भारतीय दण्डविधान (Indian Penal Code) के चौथे खण्ड (Section) तथा फौजदारी प्रक्रिया (Code of Criminal Procedure) के खण्ड १८८ क अन्तर्गत ली गई अनुमति अवैध है, अतः उस पर यह मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकता। किन्तु निचले न्यायालय ने रामनारायण की इस आपत्ति को इस आधार पर रद्द कर

दिया कि रामनारायण को इस युक्ति के आधार पर पाकिस्तान का नागरिक नहीं माना जा सकता कि वह १५ अगस्त से १० नवम्बर १९४७ तक मुल्तान में रहता रहा है। श्री रामनारायण ने इसके विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील की और हाईकोर्ट ने निचली अदालत की आज्ञा रद्द करने हुए उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, यहाँ भी हाईकोर्ट के निर्णय का समर्थन दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट में महाधिवक्ता (Attorney General) ने यह युक्ति दी कि जब रामनारायण का अभियोग चलाने की स्वीकृति दी गई थी, उस समय वह भारत में था और भारतीय नागरिक था, भारतीय दण्डविधान के अनुसार भारत के नागरिकों पर उनके द्वारा भारत की सीमाओं में बाहर किये गये अपराधों के लिये मुकद्दमा चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश श्री मेहरचन्द महाजन ने इस युक्ति को अस्वीकार करते हुए कहा कि भारतीय दण्डविधान के चतुर्थ खण्ड की व्यवस्थाएँ तभी लागू होती हैं, जब अपराध करने के समय अपराधी भारत का नागरिक हो। अपराध करने के बाद यदि कोई भारतीय नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो इसे भारतीय न्यायालयों को उसके भारतीय नागरिक बनने से पहले किये गये उसके अपराधों पर विचार करने का अधिकार नहीं प्राप्त हो जाता है। न्यायाधीश के शब्दों में—“इस मामले में वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या अपराध करने के समय रामनारायण भारतीय नागरिक था। हमारा खविधान लागू होने के समय (२६ जनवरी १९५०) भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों को मविधान के अनुसार भारतीय नागरिक माना गया है। यदि रामनारायण अपराध करने के समय भारतीय नागरिक होता तो यह भारतीय दण्डविधान के चौथे खण्ड तथा फौजदारी प्रक्रिया संहिता के खण्ड १८८ के क्षेत्र में आ जाता। श्री रामनारायण का निवास स्थान उस समय तक पाकिस्तान ही माना जाना चाहिए जब तक वह स्पष्ट रूप से अपन इस निवास स्थान को छोड़ने का इरादा नहीं प्रकट करता है। उस समय तक वह पाकिस्तान का नागरिक है, बाद में भारत का नागरिक बन जाने पर उससे पहले विदेश में किये गये अपराधों के लिये उसके विरुद्ध भारतीय न्यायालयों में मामला नहीं चलाया जा सकता।

द्वितीय परिशिष्ट

प्राचीन भारत के कुछ अन्तर्राष्ट्रीयनियम

(१) युद्धविषयक नियम

युद्धमध्यस्थी नियमों के बारे में कौरव पाण्डवा का समझौता (महाभारत भीष्मपर्व, प्रथम अध्याय, श्लोक २६-३३) —

ततस्ते समयं चतुः कुल्याण्यनामका ।
 धर्मान्मिस्वापयामामुर्जुञ्जाना भरतर्षभ ॥२६॥
 निवृत्तो विहितं युद्धं स्नाप्रीर्णितं परस्परम् ।
 यथापरं यथाभागं न च म्यान्वम्याचिन्तुन ॥२७॥
 वाचा युद्धप्रवृत्तानां वाचैव प्रतियोजनम् ।
 निष्क्रान्ताः पृत्तामन्यान् हन्त्वथ्या कदाचन ॥२८॥
 रथी च रथिना यांघ्यो गजेन गजद्वर्गन ।
 अश्वेनाश्वी पदानिश्च पादानेनैव भारत ॥२९॥
 यथायोगं यथाकामं यथास्ताहं यथादलम् ।
 समाभाष्य प्रहर्तव्यं न विदमन् न विह्वले ॥३०॥
 एकेन महं समुक्तं प्रपन्ना विमुक्त्वथ ।
 क्षीणशस्त्रो दिवर्मा च न हन्त्वथ कदाचन ॥३१॥
 न मूलेषु न दुर्गेषु न च गन्तवाननादिषु ।
 न भेरीजखवादिषु प्रहर्तव्यं कथंचन ॥३२॥
 एव ते समयं कृत्वा कुल्याण्यवमोमना ।
 विस्मय परमं जग्मुः प्रेक्षमाणा परस्परम् ॥३३॥

युधिष्ठिर और भीष्म का संवाद

शान्तिपर्व ६५।६-१४

युधिष्ठिर उवाच

अथ यः क्षत्रियो राजा क्षत्रियं प्रतुपात्रजम् ।
 कथं सप्रति योद्धव्यस्तस्मै दूहि पिनामह ॥६॥

भीष्म उवाच

नैवासजदकवचो योद्धव्यं क्षत्रियो रणे ।
 एक एकेन वाच्यश्च विमृजेति क्षिपामि न ॥७॥

स चेत्पन्नद्व आगच्छेत्सन्नद्वय्य ततो भवेत् ।
 स चेत्ससैन्य आगच्छेत्सैन्यस्तनथाह्वयेत् ॥८॥
 स चेन्निकृत्वा युध्येत निकृत्वा प्रतिषोषयेत् ।
 अथ चेद्धर्मतो युद्धयेद्धर्मणैव निवारयेत् ॥९॥
 नाश्वेन रथिन पायादुदिसाद्रथिन रथी ।
 व्यसने न प्रहर्तव्य न भीताय न जिताय च ॥१०॥
 इपुलिप्तो न कर्णी स्यादसताभेतदायुधम् ।
 यथार्थमेव योद्धव्य न क्रुध्येत जिघासत ॥११॥
 साधूना तु मिथो भेदास्तापुस्चेद्व्यसनी भवेत् ।
 निष्प्राणो नाभिहन्तव्यो नानपत्य कथचन ॥१२॥
 भग्नशस्त्रो विपन्नश्च कृत्तज्यो हतवाहन ।
 चिकित्स्य स्यात्स्वविषये प्राप्यो वा स्वगृहे भवेत् ॥१३॥
 निर्त्राणश्च स मोक्तव्य एष धर्म सनातन ।
 तन्माद्धर्मण योद्धव्यमिति स्वायमुवोऽब्रवीत् ॥१४॥

शान्तिपर्व ६६।३-४

विशीर्णकवच चैव तवारपीति च वादिनम् ।
 कृताञ्जलि न्यस्तशस्त्र गृहीन्वा न हि हिंसयेत् ॥३॥
 बलेन विजितो यश्च न त युद्धेत् भूमिप ।
 सवत्सर विप्रणयेत्सस्माञ्जात पुनर्मवेत् ॥४॥

शान्तिपर्व ६८।४८-४९

वृद्धबालो न हन्तव्यो न च स्त्री नैव पृष्ठत ।
 तृणपूर्णासुखरचैष तवास्मीति च यो वदेत् ॥

शान्तिपर्व १००।२६-२८

विजय लभते नित्य सेना सम्यक् प्रयोजयन् ।
 प्रसुप्तास्त्वृपितान् श्रान्तान् प्रकीर्णान्नाभिघातयेत् ॥२६॥
 मोक्षे प्रयाणे चलने पानभोजनकालयो ।
 अतिक्षिप्तान् व्यतिक्षिप्तान् निहतान्प्रतनूकृतान् ॥२७॥
 सुविश्रब्धान्कृतारभानुपन्यासान् प्रतापितान् ।
 बहिष्चरानुपन्यामान्कृतवेश्मानुमारिण ॥२८॥

शान्तिपर्व २९७।४, पराशर का वचन—

श्रान्त भीत अष्टशस्त्र रदन्त ।
 पराङ्मुख पारिवर्हेश्च हीनम् ।
 अनुद्यन्त रोगिण याचामान ।
 न वै हिंस्याद् वागवृद्धो च राजन् ॥

कर्णपर्व ६०।११-१३, अर्जुन को कर्ण का कथन

प्रकीर्णकेवे निमुखे ब्राह्मणेऽन कृताञ्जली ॥११॥
 शरणागते न्यस्तशस्त्रे याचमाने तथाऽर्जुन ।
 अवाणे भ्रष्टकवचे भ्रष्टभङ्गाशुभे तथा ॥१२॥
 न विमुञ्चन्ति शम्भ्राणि
 शूरा मापुत्रते स्थिताः ।
 त्व च शूरतमो लोके
 नाधुष्टान्च पाण्डव ॥१३॥

द्रोणपर्व १४३।७-८, भूरिधवा का अर्जुन को कथन—

ननु नामान्प्रघर्मजस्त्रव लोकेऽभ्यधिक परे ।
 सोऽप्युप्यमानस्य कथं रणे प्रहृतवानसि ॥७॥
 न प्रमत्ताय भ्रान्ताय विरथाय प्रयाचते ।
 व्यसने वर्तमानाय प्रहृरन्ति मनस्विन ॥८॥
 इदं तु नीचाचरितममत्पुरुषमेवितनम् ।
 कथमाधरित पाप पापवर्म सुदुष्करम् ॥९॥

सौप्तिकपर्व ५।११-१२, कृप का अश्वत्थामा को कथन—

न वध पूज्यते तांके सुप्तानामिह धर्मत ।
 तथैवापास्तशम्भ्राणा विभुक्तरथवाजिनाम् ॥११॥
 ये च ब्रुवुस्तवास्मीति ये च स्रु शरणागता ।
 विमुक्तमूर्धजा ये च ये चापि हनवाहना ॥१२॥

सौप्तिकपर्व ६।२१-२२

स पथ प्रथुतो धर्मास्तुपथे प्रतिहन्यते ।
 गो-ब्राह्मण-नृपस्त्रीषु सस्युर्मानुर्गुरोस्तथा ॥२१॥
 हीनप्राणजडान्धेषु सुप्तभीतोत्पितेषु च ॥
 मत्तोन्मनप्रमत्तेषु न शम्भ्राणि च पातयेत् ॥२२॥

दोषायनधर्मसूत्र, १।१०।१०-११

न कर्णभिर्न दिग्धे प्रहरेत् । भीतमत्तोन्मत्तप्रमत्तविसन्नाहस्त्रीवातटद्धब्राह्मणैर्न युष्मेतान्यत्राततायिन ।

गौतमधर्मसूत्र, १०।१७।१८

न दोषो हिंसायामाहवे ॥१७॥ अन्यत्र व्यस्वसारथ्यायुषकृताञ्जलिप्रकीर्ण-
 केशपराङ्मुखीपक्षिष्टस्थलवृक्षाधिहृद्बूनगोब्राह्मणवादिभ्यः ॥१८॥

शस्त्र—न पानीय पिबन्त न भुञ्जान नोपानही भुञ्चन्त नामर्षण स्वर्मा
 न स्त्रिय न करेणु न वाजिन न सारथिन न दूत न ब्राह्मण न राजानमराजा हन्यात् ।
 (विजानेस्वर द्वारा वाजपत्य मृति १।३२६ पर उद्धृत ।)

मनुस्मृति ७।६०-६३

न कूर्टेरायुर्धेहंन्याद्युध्यमानो रणे रिपून् ।
 न कर्णिभिर्नापि दिग्धैर्नाग्निज्वलिततेजसै ॥६०॥
 न च हन्यात्स्थलारूढ न क्लीब न कृताञ्जलिम् ।
 न मुक्तकेश नासीन न तपास्मीति चादिनम् ॥६१॥
 न सुप्त न विसन्नाह न नग्न न निरामुघम् ।
 नायुध्यमान पश्यन्त न परेण ममागतम् ॥६२॥
 नायुधव्यसनप्राप्त नात्तं नातिपरिक्षतम् ।
 न भीत न परावृत्त सता धर्ममनुस्मरन् ॥६३॥

याज्ञवल्क्य स्मृति १।३२६

तवाह वादिन क्लीब निर्होति परसगतम् ।
 न हन्याद्विनिवृत्त न युद्धप्रेक्षणकादिकम् ॥

आपरतम्ब धर्मसूत्र २।५।११

न्यस्तायुधप्रकीर्णंप्राञ्जलिपराङ् वृत्तानामायविध परिचक्षते ।

वाल्मीकि रामायण (युद्धकाण्ड १८।२८-३३)

न हन्यादानु शस्यार्थमपि शत्रु परन्तप ।
 आर्तो वा यदि वा दृप्त परेषा शरणागत ॥२८॥
 अरि प्राणान्परित्यज्य रक्षितव्य कृतात्मना ।
 स चेद् भयाद्वा मोहाद्वा कामाद्वापि न रक्षति ॥२९॥
 त्वया शक्त्या यथान्याय तत्पाप लोकगहितम् ।
 विनष्ट पश्यतस्तस्यारक्षिण शरणागत ॥३०॥
 आवाप सुकृत तस्य सर्वं गच्छेदरक्षित ।
 एव दोषो महानत्र प्रपन्नानामरक्षणो ॥३१॥
 अस्वर्ग्यं चायशस्य च बलवीर्यविनाशनम् ।
 करिष्यामि यथार्थं तु कण्डोर्वचनमुत्तमम् ॥३२॥
 धर्मिणश्च न यशस्य च स्वर्ग्यं स्यात्तु फलोदये ।
 सद्भुदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते ॥३३॥

कौटिलीय अर्थशास्त्र १३।४

परदुर्गमवस्कन्ध स्कन्धावार वा पतितपराङ्मुखाभिपन्नमुक्तकेशगस्त्रमय-
 विरूपेभ्यश्चाभयम युध्यमानेभ्यश्च दद्यु ।

कौटिल्य ने युद्ध ने अग्नि के प्रयोग को मर्यादित करने का प्रयत्न किया है
 (१३।४)

नत्वेन विद्यमाने पराक्रमेऽग्निमवसुक्तेत् । अविस्वास्थो ह्यग्निद्वपीडन न ।
 अग्निस्तरान्प्राणिवान्यागुहिरण्यकुप्यद्रोयक्षयकर । क्षीणनिचय चावाप्तमपि राज्य
 सपार्थैव भवति ।

अग्नि पुराण (रणदीक्षा कथन अध्याय २३५)

गजाद्यैश्च गजाद्याश्च न हन्तव्या पतायित ।
 न प्रेक्षका प्रविष्टाश्च अशस्वा पतितादय ॥५७॥
 शान्ते निद्राभिभूते च अर्द्धोत्तीर्णो नदीवने ।
 दुर्दिने कूटमुद्धानि शत्रुनाशार्थमाचरेत् ॥५८॥
 सम्प्राप्य विजय युद्धे देवान् विप्राश्च सयजेत् ।
 रत्नानि राजभामोति अनात्येन कृते रणे ॥६२॥
 तस्य स्त्रियो न कन्यापि रक्ष्यान्नाश्च परस्य च ।
 शत्रु प्राप्य रणे मुनत पुत्रपत् परिपालयेत् ॥६३॥

शुकनीति के युद्धसम्बन्धी नियम (चतुर्थ अध्याय, सप्तम प्रकरण)

गजो गजेन घातव्यस्तुरगेण तुरगम
 रयेन च रथो योज्य पत्तिना पत्तिरेव च ।
 एकैर्नैकश्च शस्त्रेण शस्त्रमन्त्रेण वास्त्रकम् ॥३५४॥
 न च हन्यात्स्थलारूढ न वनीवनकृताञ्जनिम् ।
 न मुक्तकेशमासीन न तवास्मीति बादिनम् ॥३५५॥
 न गुप्त न विसत्राह न नग्न न निरापुषम् ।
 नायुध्यमान पश्यन्त युध्यमान परेण च ॥३५६॥
 पिबन्त न च भुजानमन्यकार्याक्रुल न च ।
 न भीत न पराद्वल मता धर्ममनुस्मरन् ॥३५७॥
 दृढो बालो न हन्तव्यो नैव स्त्री केवतो नृप ।
 अथायोम्य तु सद्योज्य निघ्नन् धर्मो न हीयते ॥३५८॥
 धर्मयुद्धे तु कूटे वै न सन्ति नियमा अमी ।
 न युद्ध कूटमदृश नाशन बलवद्विषो ॥३५९॥

आक्रमण करने वालों के तीन प्रकार

कौटिलीय अर्थशास्त्र १३।१

त्रयोऽभियोक्तारो धर्मागुरलो भविजयित इति । तेषामभ्यवपत्या धर्मे विजयी तुप्यति । समभ्यवपसत । परेषामपि भयाद् भूमिद्रव्यहरणेन लोभविजयी तुप्यति तम-
 शैनाभ्यवपचेत । भूमिद्रव्यपुत्रदारप्राणहरणेनामुरविजयी त भूमिद्रव्याभ्यामुपगृह्याप्राण्य
 प्रतिकुर्वीत ।

नीतिवाक्यामृत

स धर्मविजयी राजा विधेयमात्रेणैव सत्कुटः प्राणार्थाभिमानेषु न व्यभिचरति ।
 स लोभविजयी राजा यो द्रव्येषु कृन्प्रीति प्राणाभिमानेषु न व्यभिचरति । सोऽमुर-
 विजयी च प्राणार्थमानोपघातेन महीमभिलषति ।

युद्धसम्बन्धी आदर्श

महाभारत शान्तिपर्व ६४।१, वामदेव की उक्ति

अयुद्धेनैव विजय वर्धयेद्बसुधाधिप ।

जघन्यमार्हविजय युद्धेन च नराधिप ॥

शान्तिपर्व ६६।१, भीष्म का वचन

नाघर्मेण मही जेतुं लिप्सेत जगतीपति ।

अधर्मविजय लब्ध्वा को नु मन्येत भूमिप ॥१॥

अपमैयुक्तो विजयो ह्यध्रुवोऽस्वर्ग्य एव च ।

सादयत्येष राजान मही च भरतर्षभ ॥२॥

अनीकयो सहनयोर्यदीयाद्ब्राह्मणोऽन्तरा ।

शान्तिमिच्छन्नुभयतो न योद्धव्य तदाभवेत् ॥८॥

मर्यादाशास्वती भिन्नाद्ब्राह्मण योऽभिलषयेत् ।

अथ चेत्लघयेदेव मर्यादा क्षत्रियवृद्ध ॥९॥

असह्येयरतदूर्ध्वं स्यादनादेयश्च ससदि ।

यस्तु धर्मविलोपेन मर्यादाभेदेन च ॥१०॥

ता द्वात्त नानुवर्तते विजयीपुर्महीपति ।

धर्मलब्धाद्धि विजयात्लाभ कोऽभ्यधिको भवेत् ॥११॥

नामित्रो धिनिकर्तव्यो नातिच्छेद्य कथचन ।

जीवित ह्यप्यतिन्धिद्य सत्यजेच्च कदाचन ॥१५॥

(२) सधि के भेद

कामन्दकीय नीतिसार के नवे सर्ग में सधि के निम्नलिखित सोलह भेद बताये गये

है —

कपाल उपहारश्च सन्तान सगतस्तथा ।

उपन्यास प्रतीकार मयोग पुरुषान्तर ॥२॥

अदृष्टनर आदिष्ट आत्मामिप उपग्रह ।

परिक्रयस्तथोच्छिनस्तथा च परिभूषण ॥३॥

स्कन्धोपनेय सधिश्च षोडश परिकीर्तित ।

इति षोडशक प्राहु सधि मधिविषक्षणा ॥४॥

कपालसधिविक्षय केवल समसन्धित ।

मन्त्रपानाद्भवति य उपहार स उच्यते ॥५॥

सन्तानसन्धिविज्ञेयो दारिकादानपूर्वक ।

सिद्धि सगतसधिस्तु मंत्रीपूर्वं उदाहृत ॥६॥

यावदायु प्रमाणस्तु समानार्थप्रयोजन ।

सम्पत्ती च विपत्ती च कारणीयो न भिद्यते ॥७॥

सगत मधिरैवैप प्रहृष्टत्वात्सुवर्णवत् ।
 सोऽपरैटे मन्धिकुशलै काञ्चन परिकीर्त्तित ॥८॥
 भव्यामेकार्थसर्त्तिद्धि समुद्दिश्य क्रिवेत य ।
 स उपन्यासकुशलैरान्यास उदाहृत ॥९॥
 मयास्थोपकृत पूर्वं ममाप्येय करिष्यति ।
 इति य क्रियते मधि प्रतीकार न उच्यते ॥१०॥
 उपकार करोम्यम्य ममाप्येय करिष्यति ।
 अयञ्चापि प्रतीकारो रामनुग्रीवयोरेव ॥११॥
 एकार्थां सम्यगुद्दिश्य त्रिमा यत्राभिगच्छत ।
 स सहितप्रमाणन्तु मन्धि मयोग उच्यते ॥१२॥
 भ्रावमोर्षोधमुस्वाम्या मदर्थं साध्य इत्यपि ।
 यस्मिन्पण्य प्रचिद्यते स सन्धि पुरुषान्तर ॥१३॥
 त्वयैकेन मदीयार्थं सम्प्रमाध्यस्त्वसाविनि ।
 यत्र गनु पण्य कुर्यात्ताऽहृष्टपुरुष स्मृत ॥१४॥
 यत्र भूम्येकदेशेन पण्येन रिपुवर्जित ।
 सधीयते सधिविद्विरादिष्ट सधिरच्यते ॥१५॥
 स्वसंन्येन तु सन्धानमात्मागिप इति स्मृत ।
 क्रियते प्राणरक्षार्थं सर्वदानादुपग्रह ॥१६॥
 कोणाशेनायजुष्येन सर्वकोपण वा पुन ।
 शेषप्रकृतिरक्षार्थं परिक्रय उदाहृत ॥१७॥
 भृशा सारवतीतान्नु गणादुच्छिन्न उच्यते ।
 सर्वभूयुष्टियत्फलदानेन परिभूयगु ॥१८॥
 परिच्छिन्न फल यत्र स्वन्व स्क्रन्धेन दीयते ।
 स्क्रन्धोपनेय त प्राहु सन्धि सन्धिवियोजना ॥१९॥
 परस्परोपकारश्च मैत्र सम्बन्धश्च स्मृतः ।
 उपहारश्च विज्ञेयाश्चत्वारस्ते च मन्थय ॥२०॥

(३) दूत की विशेषताये तथा नियम

बाल्मीकि रामायण (अयोध्या काण्ड १००।३५) में श्री रामचन्द्र ने भरत को दूत की निम्न विशेषतायें बतलायी हैं—अपने ही राज्य में रहने वाला (जानपद), दूतों के अभिप्राय को जानने वाला (विद्वान्-परामिप्रायज्ञ), समर्थ, प्रत्युत्पन्नमति और कहीं हुई बातों को कहने वाला—

कच्चिज्जानपदो विद्वान्दक्षिण प्रतिभानवात् ।

ययोक्तनादी दूतस्ते दूतो भरत पण्डित ॥

महाभारत (शान्तिपर्व ८५।२६-२८) में दूत की अव्ययता का तथा उसकी विशेषताओं का प्रतिपादन निम्न श्लोकों में किया गया है —

न तु हन्यान्नृपो जातु दूत कस्याञ्चिदापदि ।
 दूतस्य हन्ता निरयमाविशेत्सचिर्षं सह ॥२६॥
 यथोक्तवादिन दूत धनधर्मरतो नृप ।
 यो हन्यात्पितरस्तस्य भ्रूणहत्यामवाप्नुयु ॥२७॥
 कुलीन कुलसम्पन्नो वाग्मी दक्ष प्रियवद ।
 यथोक्तवादी मृतिमान्दूत म्यात्मप्लभिर्गुरौ ॥२८॥

कामन्दकीय नीतिसार १२।२-३, २२-२३

प्रगल्भ स्मृतिमान्वाग्मी शास्त्रे चास्त्रे च निष्ठित ।
 अभ्यस्तकर्मा नृपतेर्दूतो भवितुमर्हति ॥२॥
 निसृष्टार्थो मितार्थश्च तथा शासनवाहक ।
 सामर्थ्यात्पादतो हीनो दूतस्तु त्रिविध रमृत ॥३॥
 रिपो शत्रुपरिन्द्रेद सुहृद्बन्धुविभेदनम् ।
 दुर्गोकोपबलज्ञान कुन्ययक्षोपसग्रह ॥२२॥
 राष्ट्राव्यपेतपालानामात्मसात्करण तथा ।
 युद्धापसारभूज्ञान दूतकर्मोति कथ्यते ॥२३॥

मनुस्मृति ६।६३-६४

दूत चैव प्रवृत्ति सर्पशास्त्रविशारदम् ।
 इगिताकारनेष्टज्ञ शुचि दक्ष कुलोद्गतम् ॥६३॥
 अनुरक्त शुचिर्दक्ष स्मृतिमान्देशकालवित् ।
 वपुष्मान्वीतभीर्वाग्मी दूतो राज प्रशस्यते ॥६४॥
 दूत एव हि सद्यत्ते भिन्त्येव च सहतान् ॥
 दूतरतत्कुरते कर्म भिद्यन्ते येन मानवा ॥६५॥

मत्स्यपुराण—वीरमित्रोदय के राजनीतिप्रकाश पृ० १८० पर उद्धृत

यथोक्तवादी दूत स्याद्देशभाषाविशारद ।
 सूक्त क्लेशसहो वाग्मी देशकालविभागवित् ॥
 विज्ञाय देश काल च यद्विद स्यान्महीक्षित ।
 वक्ता तस्यापि य काले स दूतो नृपतेर्मनेन् ॥

गण्डपुराण—राजनीतिप्रकाश पृ० १८० पर उद्धृत

बुद्धिमान्भक्तिमाश्चैव परचित्तोपलक्षक ।
 नूरो यथोक्तवादी च एष दूतो विधीयते ॥

सोमदेवकृत नीतिशास्त्रामृत—१३वां अध्याय दूत समुद्देश—

अनासन्नेष्वर्षेषु दूतो मत्री ॥१॥ भवामिभक्तिरव्यसनिता दाश्य शुचित्व-
 ममूर्खता प्रागल्भ्य प्रतिभावत्व क्षान्ति परममवेदित्व ज्ञानिश्च प्रथमेति दूतगुण ॥२॥
 स च त्रिविधो निसृष्टार्थं परिमितार्थं शासनहरश्चेति ॥३॥ यत्कृत्वा स्वामिन
 मन्धिष्विग्रहो प्रमाणं न नि सृष्टार्थो यथा वृष्ट्य पाडवता ॥४॥ कृत्योपग्रहोऽ—
 कृत्योत्पापन मुनदायादावग्दीपजाप स्वमङ्गलप्रविष्टगूढपुण्यपरिज्ञानमन्तर्भूमिपाला

द्विकसबन्ध कोशदेशतानमित्रावबोध कन्यारत्नवाहनविनिश्चयण स्वाभीष्ट पुरुषप्रयोगात् परप्रकृतिकोभकरण च दूतकर्म ॥६॥ वीर पुरुष परिवारित शूर पुरुषान्तरितान् परदूतान् पश्येत ॥१३॥ श्रूयते हि किल चाणक्यस्त्रीक्षणप्रयोगैर्लोक नन्द जघान ॥१४॥ शत्रुप्रहित शासनमुपायन च स्वैरपरीक्षित नोपाददीत ॥१५॥ श्रूयते हि स्पर्शविपदासिताद्भूतवस्वोपायनेन कटहाटपति कैटभो वमुनागान राजानमाशीविपघरोपेतकरडकप्राग्भूतेन च करवान कराल जघानेति ॥१६॥ महत्त्वपकारैर्जप न दूतमुपहन्यात् ॥१७॥ उद्धृतेष्वपि मस्त्रपु दूतमुखा वै राजान ॥१८॥ तेषामन्त्यावमायिनोऽप्यवध्या किमङ्ग पुनर्बाह्याण ॥१९॥ यध्याभावाद्दूता सर्वमेवजल्पति ॥२०॥

(४) मण्डल सिद्धान्त

सोमदेवकृत नीतिवाक्यामृत (१६।२०)

उदासीनमध्यमविजिगीष्वरिमित्रपाण्ड्याग्राहानन्दमारानर्धयो यथामभवगुण विभवान्तरतम्यान्मण्डलानामधिष्ठातार ॥२०॥ अग्रत पृष्ठत कोणे वा तत्रिवृष्ट वा मण्डले स्थितो मध्यमादीना विग्रहीताना निग्रहे सहितानामनुग्रहे समर्थोऽपि केनचित्कारणेनान्यस्मिन्नूपतौ विजिगीषुमाणे य उदान्ते स उदासीन ॥२१॥ उदासीनवदनियतमण्डलोऽपरभूपापेक्षया समविकल्पलोऽपि कुतश्चित्कारणादन्यस्मिन्नूपतौ विजिगीषुमाणे यो मध्यस्थभावमवलम्बते स मध्यम्य ॥२२॥ राजात्मदैवद्रव्य प्रकृतिसम्पन्नो नवयित्रमयोरधिष्ठान निजिगीषु ॥२३॥ य एव स्वस्याहितानुष्ठानेन प्रानिवृत्त्यमियत्ति स एतारि ॥२४॥ मित्रतदरणमुक्तमेव पुरस्तान् ॥२५॥ या विजिगीषी प्रस्थितेऽपि प्रतिष्ठमाने वा पश्चात्कोप जगयति स पाण्ड्याग्राह ॥२६॥ पाण्ड्याग्राहाय पश्चिम स आक्रन्द ॥२७॥ पाण्ड्याग्राहमित्रमामार आक्रन्दमित्र न ॥२८॥ अरिर्विजिगीषोर्मण्डलान्निविहितवृत्तिरुभयवेतन पर्वतादपीवृताश्रयश्चान्ताधि ॥२९॥

कामन्दकीय नीतिसार के अष्टमसर्ग में मण्डल सिद्धान्त का वर्णन है।

(५) अधिग्रहण के नियम (Prize Law)

गौतम धर्मसूत्र (१०।२०-२३) में यह कहा गया है कि राजा की आज्ञा से सशत्रु में शत्रु को जीतने पर जो धन मिलता है, वह जीतने वाले का हाना है किन्तु हाथी, घोड़ा आदि वाहन राजा का होता है, न कि जीतने वाले का। यदि सब सैनिक मिलकर एकसाथ शत्रु के सामान को जीतते हैं तो राजा को इसमें सझाटा गया निरुपे द्रव्य (उद्धार) दिया जाना चाहिये, इसके अतिरिक्त अन्य द्रव्य राजा को सब सैनिकों में उनमें शौर्य अथवा कार्य के अनुसार बांट देना चाहिये। (जता लभते साध्यामिक वित्तम् ॥२०॥ वाहन तु राज ॥२१॥ उद्धारश्चाप्युग्रजये ॥२२॥ अन्तु यथाहं भाजयेद्राजा ॥२३॥) मनुस्मृति की व्यवस्था (७।६६-६७) गौतम सूत्र की उपर्युक्त व्यवस्था से कुछ भिन्न है। वह रथ, घोड़े, हाथी आदि पर जीतने वाले का

स्वत्व मानता है, केवल सोना चादी, भूमि, रत्न आदि उत्कृष्ट सम्पत्ति जीतने वाले मैनिको द्वारा राजा को समर्पित करने योग्य समझता है। गौतम की भाँति उसने भी उत्कृष्ट वस्तुओं में राजा को विशेष अंश देने की बात कही है और श्रुति के नाग से इसकी पुष्टि की है—

रथाश्व हस्तिन छत्र धन धान्य पशून्स्त्रिय ।

संवद्रव्याणि कुप्य च यो यज्जयति तस्य तत् ॥६६॥

राजश्च दक्षरुद्धारमित्येषा वैदिवी श्रुति ।

राज्ञा च सर्वं योषेभ्यो दातव्यमपृथग्जितम् ॥६७॥

युक्तनीति में सोने, चादी तथा अन्य धातुओं में कोई भेद न करने हुए शत्रु की छीनी हुई सभी सम्पत्ति पर जीतने वालों का अधिकार माना गया है—

ह्यप्य हेम च कुप्यञ्च यो यज्जयति तस्य तत् ।

दद्यात् कार्यानुरूपञ्च हृष्टो योधान्प्रहर्षयन् ॥ ४।७।३७२

(६) परिवेष्टन (Blockade)

कौटिल्य ने इसे पशुपासन कर्म (१३।४) कहा है। शत्रु को हराने के लिए वह इसे विशेष महत्व देता है और एक पूरे अध्याय में इसका वर्णन करता है। वह दुर्ग जीतने के पाँच कारणों—उपजाप (शत्रुपक्षीय लोगों में फूट डालना), अपसर्प (गुप्तचरो द्वारा शत्रु की जासूसी करना), वामन (शत्रु को अपने दुर्ग में बाहर निकालना), पशुपासन (शत्रु के किले को चारों ओर से घेरना) और अवमर्द (शत्रु के दुर्ग को ध्वस्त करना)—में परिवेष्टन को चौथा स्थान देता है।

उपजापोऽवमर्षो वा वामन पशुपासनम् ।

अवमर्दश्च पञ्चते दुर्गलम्भस्य हेतव ॥

पशुपासन में कौटिल्य ने शत्रु के संचित अन्न (मुष्टि), फसल (सस्य), वीजघ (अन्य देशों से या चर्दार्द के समय अपने देश से अन्न और खाद्य सामग्री के आयात के माधन—१०।२ स्वदेशान्वायनिर्वीजघ) तथा प्रसार (किसी दूर देश से घास, इंधन आदि की आमद) को नष्ट करने पर बहुत बल दिया। जैसे १३।४ में विषमस्यस्य मुष्टि सस्य वा हन्याद्वीजघप्रसारौ च ।

प्रसारवीजघच्छेदान्मुष्टिसम्पन्नभादणि

वमनान् गूढघाताच्च जायते प्रकृतिक्षय ॥

(श्रीमूलाटीका—विषमस्यस्य शत्रुपरोक्षसकटप्राप्तस्य मुष्टि बीजघाप, सस्य वा हन्यात् । वीजघप्रसारौ च बीजघो धान्यरत्नेहादिभार प्रसारं हृणक्ताष्ठादिप्रवेद, वीजघ, हन्यात् ॥ वमनात्—अन्यत्र नयनात्, प्रकृतिक्षय अमान्यक्षयश्च) ।

कौटिल्य ने अग्यत्र (१२।४) शत्रु को हराने के उपायों का निर्वेश करते हुए कहा है कि जब प्रबल आक्रमण करने वाले शत्रु का वीजघ (साद्य पशुधर्म), भारवाहियों का समुदाय, उसकी मित्रमेना एवं पशुओं के लिए घास चारा लादे हुए काफिला चला आ रहा हो और चलते चलते एक-एक व्यक्ति द्वारा गजरने योग्य सकरे मार्ग (एकामन)

पर पहुँचे तो गुप्तचर उनके ऊपर आक्रमण करके उन्हें नष्ट कर दे—एकायन वीवधामारप्रसारान् वा । श्रीमूलाटीका—एकायने एकेकक्रमगन्धे सकुचितमकटे मार्गे । वीवधामारप्रसारान् वीवधो धान्यादिप्राप्ति आसार सुहृद्वलागम प्रसारस्तृणकाष्ठादि-प्रवेग एतान् अभिहन्तु ।

कौटिल्य ने १०।४ में घुडसवार सेना के प्रधान कार्यों में शत्रु के वीवध (उसके देश से अविच्छिन्न रूप से आने वाले खाद्य पदार्थों के आयात) को तथा आसार (मित्रसेना के आगमन) को रोकना तथा अपने वीवध और आसार की रक्षा करना बताया है (वीवधामारयोपार्तो रक्षा वा) ।

(७) राज्य के आवश्यक तत्व

कौटिल्य अर्थशास्त्र (१३।४) के अनुसार राज्य के दो आवश्यक तत्व जनता और भूमि है—

न ह्यजनो राज्यमजमपद वा भवतीति कौटिल्य । मि० ७।११ पुरुषवृद्धि राज्यम् । अपुरुषा गौर्बन्धेव किं वृहीत ।

राज्य प्राप्ति के प्रकार

कौटिल्य ने राज्य प्राप्ति या लम्भ (Acquisition) के तीन प्रकार बताये हैं (१३।५)—

त्रिविधश्चास्य लम्भ —नवो भूतपूर्व पित्र्य । श्रीमूलाटीका—नव प्रस्वीय एव विजिगीपुणा शत्रुसकाशाजित । भूतपूर्व स्वीय एव शत्रुवशे म्यितस्त जित्वा प्रत्याहृत । पित्र्य स्वपितृसबन्धेवार्थं परहस्तगत पर जित्वा प्रत्याहृत ।

(८) राज्य व राजाओं के विभिन्न प्रकार

शुक्नीति १।१८३-८७

लक्षकर्मितो भागो राजतो यस्य जायते ।
वत्सरे वत्सरे नित्य प्रजानामविपीडनै ॥१८३॥
सामन्त स नृप प्रोक्तो यावत्लक्षत्रयावधि ।
तदूर्ध्वं, दशलक्षान्तो नृपो माण्डलिक स्मृत ॥१८४॥
तदूर्ध्वन्तु सवेद्राजा यावन् विशतिलक्षक ।
पञ्चासत्लक्षपर्यन्तो महाराज प्रकीर्णित ॥१८५॥
ततस्तु कौटिपर्यन्त स्वराट् मन्त्रात् तत परम् ।
दशकौटिमितो यावत् विराट् तु तदनन्तरम् ॥१८६॥
पञ्चाशत्कौटिपर्यन्त सार्वभौमस्तत परम् ।
सप्तद्वीपा च पृथिवी यस्य वश्या भवेन् मदा ॥१८७॥

तृतीय परिशिष्ट

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन में उपयोगी ग्रन्थसूची

(१) पत्र-पत्रिकायें वार्षिक विवरण

अन्तर्राष्ट्रीय कानून निरन्तर विकसित हो रहा है। उसकी नवीनतम प्रगति का परिचय सबसे अधिक पत्रिकाओं और वार्षिक विवरणों द्वारा होता है इनमें विभिन्न विषयों पर अधिकारी विद्वानों और विधिशास्त्रियों के लेख तथा विश्व-न्यायालय तथा राष्ट्रीय न्यायालयों के निर्णयों के विस्तृत विवरण होते हैं।

American Journal of International Law (New York 1907—)

American Political Science Review (Baltimore 1907—)

Annals of the American Academy of Political and Social Science (Philadelphia 1890—)

Annual Digest and Reports of International Law Cases, 9 Vols 1919-1949

Annual Register (London 1863—)

British Year Book of International Law 1920-1939, 1944— (London)

International Law Reports (1950—)

The Indian Journal of International Law (New Delhi)

Soviet Year book of International Law (Moscow)

The Yearbook of World Affairs, ed by George Keeten, George Schwanzenberger, Stevens (London)

Yearbook of International Law Commission (United Nations)

(२) सामान्य ग्रन्थ

Brierly, J. L.—*The Law of Nations*, Sixth Edition, rev by C. H. M. Waldock, 1963

Briggs—*The Law of Nations, Cases, Documents and Notes* (2nd Edition, 1953)

Oppenheim—*International Law Vol I (Peace) Eighth Edition 1955 and Vol II (War) Seventh Edition 1952*, both edited by Judge Lauterpacht, the leading British Treatise

Hyde—International Law, chiefly as interpreted and applied by the United States, 2nd revised Edition 1947, 3 Vols, Leading American Treatise

Starke, J L—An Introduction to International Law, 5th Edition, 1963

(३) अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विशिष्ट अंगों के ग्रन्थ

Agrawala, S K—International Law, Indian Courts and Legislature, N M Tripathi, Bombay, 1965

Anand, R P—Compulsory Jurisdiction of International Court of Justice, Asia, Bombay 1961

Arnold, R—Treaty Making Procedure A Comparative study of the methods obtaining in different States, 1933

Auguste, Burry B D—The Continental Shelf Librarie Minard, Paris, 1960

Baade, Hans, W (ed)—The Soviet Impact on International Law, Dobbs Ferry, New York, 1966

Berber, F J—Rivers in International Law (Stevens)

Bishop, William—International Law, Cases and Material Little Brown, Boston, 1962.

Blix, Hans—Treaty Making Power (Stevens London)

Blum, Yehuda, Z—Historic Titles in International Law, Nijhoff, The Hague, 1965

Bouchez, L J—The Regime of Rays in International Law, Leyden, 1964

Brierly, J L—The Outlook for International Law (Oxford, 1944)

Briggs, H W—The Doctrine of Continuous Voyage (Baltimore, 1926)

Carlston, Keiths—Law and Organization in World Society (Uni of Illinois Press, 1962)

Carlston, K S—The process of International Arbitration, 1946

Castel, Jean-Gabriel—International Law chiefly as Interpreted and Applied in Canada, Toronto Uni, 1965

Cecil, Viscount (Lord Robbert)—A Great Experiment (New York, 1941)

Chamberlain, J P—The Regime of the International Rivers, Danube and Rhine (New York and London 1923)

Chamberlain, Waldo—Annual Review of United Nations Affairs (Oceana Publications, New York)

- Chaudhari, M A*—Growth of International Law and Pakistan, Uni of Pakistan, Karachi, 1965
- Cheng, T C*—The International Law of Recognition, 1951
- Clive Parry* (ed)—A British Digest of International Law, Vols 5, 6, 7, 8, Stevens London, Tripathi, Bombay, 2 Vols, 1965
- Cobbet, Pit*—Cases on International Law, Vol I Peace, 5th ed, by F T Gray (London, 1931), Vol II War and Neutrality, 5th ed, by W L Walker (London, 1937)
- Cohen, M* (ed)—Law and Politics in Space, Montreal, 1963
- Cohn, G*—Neo Neutrality (New York, 1939)
- Colombos, C J*—A Treatise on the Law of Prize, 2nd ed., (London, 1940)
- Colombos, C J*—The International Law of Sea, 4th ed, London 1959
- Connell, D P O*—International Law, 2 Vols Stevens London, Tripathi Bombay, 1965
- Deak, F* and *Jessup P C*—A Collection of Neutrality Laws, Regulations and Treatise of Various Countries, 2 Vols. (Washington, 1939)
- Eagleton, C*—International Government (New York, 1948)
- Fabela Isidro*—Intervention—A Pedene Paris, 1961
- Fenwick C G*—Cases on International Law, 2nd ed, Chicago, 1951
- Fenwick C G*—International Law, Vakils, Bombay, 1967
- Finch, G A*—The Sources of Modern International Law (Washington, 1937)
- Garner, F W*—International Law and the World War, 2 Vols (New York 1920)
- Glueck, S*—The War Criminals, Their Prosecution and Punishment (New York, 1944)
- Goodrich, L M*, and *Hambro E*—Charter of the United Nations Commentary and Documents (Boston, 1946)
- Greenspan Morris*—The Modern Law of Land Warfare, Uni of California, 1959
- Green, L C*—International Law through the Cases, 2nd ed, Stevens London
- Hackworth, G H*—Digest of International Law, 8 Vols (Washington, 1940 44) It brings Moore up to date
- Infra Hall, F A*—The Law of Naval Warfare, 2nd ed, (London, 1921)

- Hall, W E*—A Treatise of International Law, 8th ed, by A P Higgins (Oxford, 1924)
- Hambro*—The Case Law of the International Court, 2 Vols (Leyden, 1960) Vols 4A-B (1959 63) Nijthoff Leyden, 1966
- Hayten, Robert*—National Interests in Antarctica, Washington, 1960
- Hershey, A S*—The Essentials of International Public Law and Organization (New York, 1937)
- Hervey, J C*—The Legal Effect of Recognition in International Law (Philadelphia 1928)
- Heydecker, J J* and *Leebe*—The Nuremberg Trials (Heinmann, 1962)
- Higgins, A P*—The Hague Peace Conference (Cambridge, 1909)
- Higgins, A P* and *Colombos C J*—The International Law of the Sea (London New York Toronto 1943)
- Hogan, A E*—Pacific Blockade (Oxford 1908)
- Holland, Sir Thomas Erskine*—Lectures on International Law, 1933)
- Hudson, M O*—The Permanent Court of International Justice (Cambridge, 1925)
- Hudson, M O*—The Permanent Court of International Justice 1920 42 (New York 1943)
- Hudson, M O*—Cases and other materials on International Law, 3rd ed, St Paul 1951
- Hudson, M.O*—International Tribunals Past and Future (Washington, 1948)
- Hudson, M O* (Ed)—International Legislation, 7 Vols (Washington, 1931 41)
- Hyde, C C*—International Law chiefly as Interpreted and Applied by the U S A, 2nd rev ed, 3 Vols, Boston 1945
- Indian Yearbook of International Affairs
- International Law Association—The effect of Independence on Treatise Stevens, 1965
- Jacobini, H B*—International Law, 1962
- Jennings, R Y*—The Progress of International Law, New York, 1960
- Jessup, Philip*—The Use of International Law (Univ of Michigan)

- Jessup, P C*—The Law of Territorial Waters and Maritime Jurisdiction (New York, 1927).
- Jessup, P C*—A Modern Law of Nations, 1948.
- Joseph Obeyes*—The International Status of the Suez Canal
- Kelson, H*—Law and Peace in International Relations (Cambridge, 1942)
- Kelson, H*—Peace through Law (Chapel Hill, 1944)
- Kelsen, Hans*—Principles of International Law, Holt, New York 1966
- Knights W S M*—The Life and Works of Hugo Grotious (London, 1925)
- Kohang, Tae, Jig*—Law, Politics and the Security Council, Nijhoff, The Hague, 1964
- Kozhevnikov, F I*—International Law (Foreign Languages Publishing House, Moscow)
- Lall, Arthur*—Modern International Negotiation Principles and Practice (Columbia Uni, New York, 1966).
- Lauterpacht, H*—Recognition in International Law (Cambridge, 1947)
- Lauterpacht, H*—Annual Digest and Reports of Public International Law Cases.
- Lawrence, T J*—Principles of International Law
- Liacourus, Peter J*—The International Court of Justice, 2 Vols, Duke Uni Curham, 1962
- McDougal, Myriss S*—Studies in World Public Order Yale University Press, 1960.
- McNair, Sir, A D*—Legal Effects of War, 2nd ed, Cambridge, 1944
- McNair, Sir, A D*—The Law of Treaties, Oxford Uni Press, 1961.
- McNair, Sir, A D*—The Law of the Air, 1932.
- McNair, Sir, A D*—International Law Opinions (1956) Vols I-III.
- Maine, Sir, H S*—International Law, 1st ed (New York, 1888) and 2nd ed 1894.
- Moore*—Digest of International Law (1906), 8 Vols
- Meyer, C.B V.*—The Extent of Jurisdiction in Coastal Waters, 1937
- Mukerji, Sobhanlal*—International Law, A. Mukerjee, 1961
- Padelford, N J*—The United Nations in Balance, Praegar, (New York 1965)

- Patel, S R*—A Textbook of International Law, Asia, Bombay, 1964
- Panithran, A K*—Substance of Public International Law, Western and Eastern, A P Rajendran, Madras, 1965
- Phillimore, R*—Commentaries upon International Law, 3rd ed., 4 Vols (London, 1879 1889)
- Panhuyts, H F Van*—The Role of Nationality in International Law (A W. Sijthoff Leyden, 1959)
- Potter, P.B*—An Introduction to the Study of International Organization
- Potter, P B*—The Freedom of the Seas in History, Law and Politics (New York, 1924)
- Pyke, H R*—The Law of Contraband of War (Oxford, 1915)
- Ramundo, B A*—The Socialist Theory of International Law, Washington, 1964
- Reid, H D*—International Servitudes in Law and Practice, 1932
- Research in International Law Nationality Responsibility of State for Injustices to Aliens Territorial Waters (Cambridge, Mass, 1929)
- Research in International Law Diplomatic Privileges and Immunities Legal Position and Function of Consuls Competence of Courts in regard to Foreign State Piracy Laws of Various Countries (Cambridge, Mass, 1932)
- Research in International Law Extradition Jurisdiction with respect to Crime Law of Treaties (Cambridge, 1935)
- Research in International Law Judicial Assistance Rights and Duties of Neutral States in Naval and Aerial War, Rights and Duties of States in case of aggression (Cambridge, 1939)
- Ronning, C N*—Diplomatic Asylum, Legal Norms and Political reality in Latin American Relations, Nijhoff, The Hague, 1965
- Schwarzenberger, G*—International Law and Totalitarian Lawlessness, 1943
- Schwarzenberger, G*—The League of Nations and World Order, 1936
- Schwarzenberger, G*—International Law, Vols I, II, III
- Schwarzenberger, G*—A Manual of International Law, 2 Vols, Stevens, 1960
- Schwarzenberger, G*—The Frontiers of International Law, Stevens, 1962

Second United Nations Conference on the Law of the Sea, Columbia Uni Press, New York, 1960.

Simpson, J L and *H Fox*—International Arbitration (Stevens, London).

Smith—Great Britain and the Law of Nations, Vol. I (1932), Vol II (1935).

Smith, H A —The Crisis in the Law of Nations, 1947

Smith, H A —The Law and Custom of the Sea, 1950

Sompong Sucharitkul—State Immunities and Trading Activities in International Law (Frederich A Praegar, New York, 1959)

Spaight, F M —The Atomic Problem, 1948

United Nations War Crimes Commission History of the United Nations War Crimes Commission and the Development of the Laws of War, 1948

Walfred, Jenks C —International Immunities, Stevens, 1961

Wheaton, H —Elements of International Law, 1st ed (1836), 8th ed by R H Dana, Jr (Boston, 1866), 6th Eng ed by A B Keith (London, 1929)

अनुक्रमणिका

- भगरी का कानून, पृ० ५४२, स्वरूप, ५४३ ।
- अकेरान योजना, ३६० ।
- अटलाटिक टट मद्धलीगाह मामला, ३६६-४०० ।
- अणुपरीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि, २३५ ।
- अणुबम का प्रयोग, ४६२, इसके प्रयोग का औचित्य, ४६४ ।
- अतिशिप्र मान्यता, १६० ।
- अधिग्रहण न्यायालय—अर्थ, ४८१, आवश्यकता, ४८६, इनके द्वारा लागू किया जाने वाला कानून, ४८४, कर्त्तव्य, ४८३, कार्य, ४८२, निर्णय, ६७, पाकिस्तान द्वारा स्थापित अधिग्रहण न्यायालय की वैधता, ४८६, विकास, ४८२ ।
- अविनिर्णय, ४२३ ।
- अधिरोष, ४३० ।
- अनुबन्धीय उत्तरदायित्व, १६६ ।
- अन्तर्राष्ट्रीय भौतिक हवाई यात्रा सगठन, २३३ ।
- अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून का सम्बन्ध—अन्तर्राष्ट्रीय एव राष्ट्रीय कानून, १०२, अन्तर्राष्ट्रीय कानून को राष्ट्रीय क्षेत्र में लागू करने के सम्बन्ध में विभिन्न देशों का व्यवहार, १०७, एकत्ववादी सिद्धान्त, १०५, द्वैतवादी सिद्धान्त, १०३, भारत में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सम्बन्ध, १११, रूपान्तरवाद का सिद्धान्त, १०५, समर्पणवाद का सिद्धान्त, १०५ ।
- अन्तर्राष्ट्रीय कानून और व्यक्ति, ३३७—व्यक्ति की स्थिति का प्रतिवादी दृष्टिकोण, ३३१, परम्परागत दृष्टिकोण, ३३०, मध्यवर्तीदृष्टिकोण, ३३२, व्यक्ति की स्थिति को प्रभावित करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थायें, ३३४, जातिवधसमभोजता, ३३५, न्यूरेम्बर्ग के अभियोग, ३३४, मानवीय अधिकारों की रक्षा का योरोपियन अभिसमय, ३३६, मानवीय अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, ३३५ ।
- अन्तर्राष्ट्रीय कानून का ऐतिहासिक विकास—अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उद्गम, १७, अन्तर्राष्ट्रीय कानून के तीन सम्प्रदाय, ४६, अतिवादी सम्प्रदाय, ४७, शोशियल सम्प्रदाय, ४८, चर्च द्वारा कानूनी पद्धतिका विकास, ३०, प्रकृतिवादी सम्प्रदाय, ४६, भारत में कानूनी पद्धति का विकास,

१६, यूनान में कानूनी पद्धति का विकास, २४, रोम में कानूनी पद्धति का विकास, २५, व्यापारिक तथा समुद्री कानूना का विकास, ३२।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का स्वरूप—अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के कानून होने का समर्थन, ६३, आधार, ७८, आवश्यकतत्त्व, ५७, इमकेनिर्माण में नई प्रवृत्ति, ८२, क्या अन्तर्राष्ट्रीय कानून कपोल कल्पना है? ७१, दोष तथा इन्हें दूर करने का उपाय, ७३, परिभाषा, ५४, प्रतिपाद्य विषय, ६०, वर्गीकरण, ५७, वास्तविक और प्रक्रियात्मक अन्तर्राष्ट्रीय कानून, ५६, विशेष अन्तर्राष्ट्रीय कानून, ५६, वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून, ५८, स० रा० सघ की स्थापना तथा अन्य कारणों से होने वाले परिवर्तन, ८४, सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून, ५६, सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून, ५८।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का इतिहास—अभिप्राय, ११३, आरम्भिक प्रयत्न, ११५, वडिनाइयाँ, ११५, दाप, ११४, भविष्य, १२५, राष्ट्रमघ के प्रयत्न, ११८, लाभ, ११४, स० रा० सघ का कार्य, ११८, सक्षिप्त इतिहास, ११५।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत—अधिग्रहण न्यायालयों के निर्णय, ६६, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय, ६६; अन्तर्राष्ट्रीय राजपत्र,

१००; अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ताघो के ग्रन्थ, ६८; अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य, ६६, कानून के सामान्य सिद्धान्त, ६५, सर्वशक्ति, ६६, राष्ट्रीय न्यायालयों के निर्णय, ६६, रिवाज, ६१, रिवाज तथा प्रथा में भेद, ६२; सन्धिवाँ, ८८, स्रोत का अर्थ, ८७; स्रोतों की प्राभाणिकता का क्रम, १००, स्रोतों के प्रकार, ८८।

अन्तर्राष्ट्रीय जाँच आयोग, ४२०।

अन्तर्राष्ट्रीय नदियाँ, २०५, इसमें नौचालन की स्वतन्त्रता, २०६।

अन्तर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय, ४०० तथा ४२३।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, ३६७ तथा ३६६-४१६—अन्तर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय, ४००, आवश्यक क्षेत्राधिकार, ४०२, ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, ४०२, न्याय का अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, ४०१, पञ्चनिर्णय का स्थायी न्यायालय, ३६६, परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार, ४०३, क्षेत्राधिकार, ४०२।

अन्तर्राष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय, १२३।

अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, १२४।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग, ११८, इसके कार्य, १२०।

अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ताघो के ग्रन्थ, ६८।

अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का निवटारा, ४१७-४३२—वाध्यकारी साधन,

- ४२५ : अविरोध, ४३०, प्रति-
 कर्म, ४२६; प्रत्यहार, ४०६,
 शान्तिमय आवेष्टन, ४३०, हस्त-
 क्षेप, ४३२, मैत्रीपूर्ण भाषण
 ४१७ : अधिनिर्याण, ८०३,
 अन्तर्राष्ट्रीय जांच आयोग, ८००
 पचनिर्याण, ४०१, राष्ट्रमण्य और
 स० रा० मण्य द्वारा विवाद का
 निवटारा, ४२४, वार्ता, ८१०,
 संरायण, ४१६, मन्त्रेण्य और
 मध्यस्थता, ४१८।
- अन्तर्राष्ट्रीय मगटना का उत्तराधिकार
 १६३।
- अन्तर्राष्ट्रीय सगठनों की क्षेत्राधिकार
 से मुक्ति, २७७।
- अन्तर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन समझौता,
 २३३।
- अन्तर्राष्ट्रीय हवाई सेवा पारममता
 समझौता, २३३।
- अपराध भेद का निदान, ३१०।
- अपहरण द्वारा प्रत्यर्पण, ३१३।
- अप्रत्यावर्तन के निदान, ३०६।
- आविदा खातून विरुद्ध उत्तर प्रदेश
 राज्य, ३०२।
- अभिद्रोह की मान्यता, १८२।
- अभिममन, ३६७।
- अभिसमयात्मक कानून, ४६।
- अयाला, बल्बर, ३८।
- अरन्तदाडू सेन्दी विरुद्ध स्पेन की गण-
 राज्य सरकार, २७२-२७३ तथा
 ५८८।
- अतबामा क्षतिपूर्ति दावा, ५२३, ५३८
 तथा ६०६।
- अविच्छिन्न ससुत्री यात्रा का निदान,
 ५३१।
- अवैय काओं की अवैयता, ५१४।
- अवैय मन्त्रियां, २७३।
- असमा मारु, ६०६।
- अभैतिक तनदा रण बगवणों ८६३।
- अभिनवादी मन्त्रदाय ८८।
- अन्वामिन्व याच प्रदेणों का आवेष्टन,
 २४३।
- आतिवाही, १०८।
- आनिक् उत्तराधिकार १८७।
- आइरमान का मामला, ३१३।
- आइरलर का मामला, ३०७।
- आवांन का पाच स्वतन्त्राएँ, २३२।
- आवांन पर प्रावैतिक प्रभुता, २३०।
- आन्तरजा, २५६।
- आनुतिक युग म अन्तर्राष्ट्रीय कानून
 का विकास, २४।
- अन्तरिक मन्त्रेण्य २४३।
- आपापिण्य जहाजों का मामला, १४२
 तथा ३८३।
- आरोहम्बो जहाज का मामला, ५४७।
- आर्टुकोविक का मामला, १८६, १८६
 तथा ३१५।
- आधिकारीनामाजिक परिपद, ३६४।
- आल्डमार्क ६०७।
- आवेणन २६०।
- आवेणन द्वारा अधिकार स्वयंरिण करने
 के लिए नर्ते, २६३।
- आध्यय का अधिकार, ३०१।
- आन्दिन, ८१।
- इष्टरनेशनल स्टेट्स आफ साउथ
 अफ्रीका का मामला, १६३।
- इन्दिमा एण्ड सेन्ट्रल इन्वेस्टमेण्ट ट्रस्ट
 लि० विरुद्ध रामचन्द्र महराज देव,

१११।

इन्मेनुएल का मामला, ५७६।

उद्गम का प्रमाणपत्र, ५५८।

उधार पट्टा कानून, ५२७।

उत्तराधिकारी राज्य—जिह्वाविषयक

दायित्व, १६२, सन्निवात्मक

दायित्व, १८६, सन्निवाविषयक

अधिकार और दायित्व, १८७,

साम्प्रतिक अधिकार, १८६,

सार्वजनिक ऋण, १६१।

एग्लो अमेरिकन मत्स्यग्रहण सन्धि,

२११।

एग्लो-नार्वेजियन मछलीगाह मामला,

२१५।

एटलाण्टा का मामला, ५४७।

एट्रिस्ट घास, ३१२।

एन० बखशी विरुद्ध ए० जी० बिहार,

२०१।

एनाहोरा का मामला, ३२५।

एम्ना का मामला, २११।

एप्पम, ६०६।

एस्ट्रेला सिद्धान्त, १७१।

कटिंग का मामला, २७१।

कमिश्नर आफ इन्कमटैक्स आन्ध्र प्रदेश

बि० एच० ई० एफ० नीर उस्मान

अली बहादुर, ६१६।

करीमुद्दिना विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य,

३०२।

कर्तृगत प्रादेशिक सिद्धान्त, २६६।

कर्मगत प्रादेशिक सिद्धान्त, २७०।

कार्पाइनेटल टायर और रबर कम्पनी

का मामला, ४५२।

कार्येज नामक जहाज का मामला,

४०० तथा ५८०।

कार्यद्वत, ३४१।

किम जहाज का मामला, ५६६ तथा

५७५।

कील नहर, २२६।

कूटनीतिक या राजनीतिक हस्तक्षेप,

२५३।

केनेवारो का मामला, २६५।

केलसन, १०५।

केलॉग व्रीमो पैकट (पेरिस पैकट), ५१,

४६६ तथा ५२८।

केलिफोर्निया का पायत फण्ड मामला

३६६।

कैरोसाइन स्टीमर की घटना, २५५।

कैरोलिना जहाज का मामला, ५४७।

कोर्फू चैनल का मामला, ५६८।

कोरी स्टोट वग सिद्धान्त, १८८।

कोलम्बियन-पेरुवियन आश्रय का

मामला, ३११।

कोल्कसिस्को का मामला, ६११।

चावे, १०५।

क्रिबोव, १११।

क्रिस्टीना का मामला, २७२ तथा

५६६।

क्रेगविश विरुद्ध हेबिट का मामला

३०१।

कवीन आफ हार्लैण्ड बि० ड्रकर, २७३।

खण्ड सिद्धान्त, २४४।

खाडिया और आखात, २१८।

गहरे समुद्रतल पर प्रभुत्व की नवीन

समस्या, २२७।

गारण्टिया के कानून, १४७।

गानेर, १२६।

गृहयुद्धों में हस्तक्षेप, २५८।

ग्राफ स्पो का मामला, ५२६ तथा ५५०।

- प्रोशियस, ह्यूगो, ४० तथा ५६१,
 ग्रन्थ, ४१; सिद्धान्त, ४२।
 स्वातिपर धार० एस० डब्ल्यू० वि०
 यूनिवर्सिटी आफ इण्डिया, २००।
 थोयणा, ३६८।
 चरकियेह का मामला, ५८६।
 चरम कानून, ३६८।
 चर्च द्वारा कानूनी पद्धति का विकास,
 ३०।
 चाँद पर अधिकार, २४५।
 चापना स्टीमशिप का मामला, ५५७।
 चिकित्सालय पोत, ४७५।
 चिरकालिक भुक्ति, २४६।
 चुग ची चेरिंग वि० राजा, ५८१।
 छापामार युद्ध, ४३८।
 छोटी घमेम्बनी, ३८६।
 जमोरा का मामला, १०८, ४८५, ५४४,
 ५५६ तथा ६०३।
 जलडमरूमध्य, २१७।
 जस जेन्दायम, २८।
 जहाजों की सानुस्पर्शा, ४५३।
 जातिवध समझौता, ३३५।
 जितभोगाधिकार, ५१०।
 जेनिक्स, २५०।
 जेनेवा अभिसमय, ४५७, ६६३, ४६६,
 ४६७ तथा ४८०।
 जेनेवा औपघ अभिसमय, ४३०।
 जेनेवा सम्मेलन, १२१।
 जेनेवा में युद्ध के समय में अस्मिक
 व्यक्तियों की रक्षा का अभि-
 समय, ४४४ तथा ६६४।
 जे मन्त्रि (१७६४), ४२१।
 जैण्टिलो, एल्वेरियो, ३८।
 जोगे भारगोथा का मामला, ५६५।
 टिनोका का मामला, १६७।
 टोकियो अभियोग ५०४।
 ट्रीपेल १०४।
 ट्रेक का मामला, ५३६।
 ट्रिष्टवाण्ड, ५४८ तथा ६०३।
 डालमिया दादरी सीमेण्ट कम्पनी
 वि० कमिश्नर आफ इन्कमटैक्स,
 १६८ तथा ६१२।
 ड्रेगो मिडान २६०।
 ड्रिस्टन जहाज, ५४०।
 नटम्य नग्न युवमान देसो के अधि-
 कार और कर्तव्य ५३६।
 नन्सना ५१७-५४८ — अगरी,
 ५४२, अगरी का आधुनिक
 स्वरूप ५४८ अतटम्य सेवा,
 ५४४ अतटम्य सेवा के परि-
 गाम ५४६ अतटम्य सेवा के
 नामन, ५४८ इसके औचित्य
 का आधार ५३१ इसके नियमों
 के विकास के तीन तत्त्व ५२२-
 ५२३ इसके विचार का विकास,
 ५१६, ऐन्ड्रिन तथा अभि-
 समयात्मक तटम्यना ५३३,
 तटम्य देसो के अधिकार, ५३६,
 तटस्थ देसो के कर्तव्य ५३६
 तटम्य देसो में युद्धकारी देसा की
 सम्मति ६४८ नाटस्थ्य वृत्तना
 ५२५ परंपरागत तटम्यना,
 ५३६ पूर्ण अथवा निरपेक्ष
 तटम्यना ५३६ प्रकार ५३३
 राष्ट्र मघ और तटम्यना, ५२५,
 लक्षरा, ५१७, विद्यमान, ५१६,
 न० रा० मघ का चार्टर
 और तटम्यना, ५३०, मघम्य

तटस्थता, ५२१ तथा ५३४,
सामान्य और आशिक तटस्थता,
५३३, स्थायी या सनातन तट-
स्थता, ५३३।

तटस्थीकरण और तटस्थता में अन्तर,
१४६।

तटस्थीकृत राज्य, १४५।

तटीय नगरो की ब्रमवर्षा, ४७७।

सारसोब का मामला, ३१८।

तिब्बत में चीन का हस्तक्षेप २६३।

'लैरते टापू' का सिद्धान्त २६८।

दण्डात्मक हस्तक्षेप २५३।

दक्षिण अफ्रीका के मामले, ४११।

दक्षिण ध्रुवविषमक सन्धि २३५।

दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका का अन्त-
राष्ट्रीय दर्जा ४०४।

बीबानी कानून के सन्तान ३४।

बीबानी न्यायसम्बन्धी सन्धि ३७२।

पुगवित, १०५।

पुरपोम १०५।

दूतों का सीमित क्षेत्राधिकार, ३५६।

दूतों की उन्मुक्तियों का आरम्भ और
समाप्ति, ३५७।

दूतों की बीबानी न्यायालयों के क्षेत्रा-
धिकार से मुक्ति ३५३।

दूतों की निपुणता ३८२।

दूतों की पञ्चव्यवहार की स्वतंत्रता
३५६।

दूतों की शौर्यवारी न्यायालयों के
क्षेत्राधिकार से मुक्ति, ३५२।

दूतों की वैयक्तिक सुरक्षा तथा
अवस्था, ३५६।

दूतों की श्रेणियाँ और प्रकार ३३६।

दूतों के अनुशासनीयों के विशेषाधिकार,

३५६।

दूतों के कार्य, ३४५।

दूतों को उपासना का अधिकार,
३५६।

देशीयकरण, २६१।

दोहरी अपराधिता का नियम, ३१२।

दोहरी राष्ट्रीयता, २६४।

दीत्यकार्य की समाप्ति के कारण,
३५८।

दीत्य सम्बन्धों की स्थापना, १५६।

द्वितीय विश्वयुद्ध, ४६१।

द्वितीय विश्वयुद्ध में तटस्थता, ५२६।

द्विपक्षीय सन्धि, १५६।

धार्मिक कानून निकाय, ३०।

निगमों की अनुसूयता, ४५१।

नियम और कानून का भेद, ५३।

निर्दोष गमन का अधिकार, २१३।

निवासी मन्त्री, ३४१।

निःसस्त्रीकरण सम्मेलन के सामान्य
आयोग, ४६० तथा ४६५।

निसार ग्रहण बि० यूनिवर्सिटी आफ
इण्डिया, ३०१।

निमृष्टार्थ दूत, १६।

नेहू सिद्धान्त २६१।

नौपण्य की अनुसूयता, ४५४।

नौप्रमाणपत्र ५५८ तथा ५७८।

नौविभाग की कृष्ण पुस्तक, ३३।

न्याय वा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायानय,
४०१ तथा ४२३।

न्यायाधिकार का क्षेत्राधिकार,
४६६।

न्याय के विचार का विकास, ३६६।

न्याय पद्धति, १५०, मौखिक उद्देश्य,
१५१।

- न्याय परिषद्, १५२ तथा ३६६।
 न्यूरेम्बर्ग अभियोग, ३४४, आलो-
 चना, ५०३, निर्माण, १००
 प्रादुर्भाव का इतिहास, ४९८,
 महत्त्व, ५०२।
 पञ्चनिर्णय, ४२१।
 पञ्चनिर्णय का स्थायी न्यायालय,
 ३६६।
 पञ्चनिर्णय तथा अधिनिर्णय म साटव्य
 तथा भेद, ४२४।
 पचायती निर्णय का स्थायी न्यायालय,
 ५०।
 पट्टा, २५१।
 पनडुवियाँ, ४७६।
 परतन्त्र राज्य, १३८।
 परिमितार्थ, १९।
 परवृत्ता, २३७, इसके प्रकार, २३८।
 परिवेष्टन—जलडमरूमध्य का परि-
 वेष्टन, ५५२, कागजी परिवेष्टन
 ५५१, परिवेष्टन योग्य स्थान
 ५५२, प्रभावनाली परिवेष्टन
 ५५१, मग, ५५४, मग करने
 के परिणाम, ५५५, भविष्य
 ५५६, मामले, ५५५, लम्बी
 दूरी का परिवेष्टन ५५६
 वास्तविक परिवेष्टन की शर्तें
 ५५३, विभिन्न रूप ५५१,
 विश्वयुद्धों में परिवेष्टन का नियम
 ५५६, व्यापारिक परिवेष्टन
 ५५२, समाप्ति, ५५४, समीप
 का आसन परिवेष्टन, ५५६
 सामरिक परिवेष्टन, ५५२,
 स्वरूप, ५४६।
 पाकिस्तान द्वारा हवाई युद्ध के नियमों
 की अवहेलना ४९४।
 पाचवेट हवाना और लोना, ९५, ९८,
 १०६ तथा ५८५।
 पानामा नहर २०८।
 पालमास टापू का मामला, २४२।
 पार्लैमेंट बैलेज, २७६।
 पिपरे डुबाइम ३४।
 पिरेनीज की दार्शनिक सन्धि, ५७७।
 पीटर हाफ का मामला, ५७४।
 पुर्नगाल का भारतीय प्रदेश में से होकर
 गुजरने का अधिकार, ८०१।
 पुर्नगाल वि० जर्मनी—नोलिता
 मामला, ४२७।
 पूर्णाधिकार मंत्री तथा अनाधारण
 दून, ३४०।
 पूर्वाभ्या—अभिप्राय, ५१३, नियम
 की मर्यादायें ५१५।
 पूर्वो प्रोन्लंड का मामला, २४६।
 पेमाडिबर उर्फ प्रेमामाई छीबामाई
 लगल विरुद्ध यूनिफम आफ
 इण्डिया एण्ड अद्वर्स, ६१५।
 परिम का घोषणापत्र ८६।
 परिम की घोषणा ५०, ११६ ४८३,
 ५५० तथा ५६०।
 पेरिम की सन्धि, १७१।
 पेरुज सेलेज का मामला, ३२५।
 पेलेची का मामला, ३४७।
 पोर्तालिम ६७।
 पोलिश अपर साइलीशिया का मामला,
 १८६ तथा ४०१।
 पोलैण्ड के जर्मनवासियों का मामला,
 १९०, १९८ तथा ४०१।
 प्रकृतिवादी सम्प्रदाय, ४६।
 प्रथम विश्वयुद्ध, ४८६।

- प्रथम विद्वत्सुद्ध मे तटस्थता, ५२४ ।
 प्रतिकर्म, ४२६ ।
 प्रतिषेध या निवन्धन का सिद्धान्त,
 ४०६ ।
 प्रत्यपहार, ४२६, इसके प्रकार,
 ४२८ ।
 प्रत्यर्पण—अपराध, ३०७, मामले,
 ३०७, विक्रम, ३०५, स्वरूप,
 ३०४ ।
 प्रत्यर्पणीय व्यक्ति, ३०६ ।
 प्रसधान, १३६ ।
 प्रदेश खोने के प्रकार २५१ ।
 प्रदेश प्राप्त करने के प्रकार—भाव-
 शन, २४०, उपचय या अभिर्दृष्टि,
 २४७, चिरकालिक भुक्ति,
 २४६, पट्टा, २५१, विजय,
 २४६, सम्भेदन का निर्माण,
 २५१, हस्तान्तर, २४७ ।
 प्रदेश बाह्य आश्रय, ३२२ ।
 प्रभुता स्थापित करने की इच्छा और
 इरादा, २४३ ।
 प्रमोदचन्द्र वि० उड़ीसा राज्य, १६६ ।
 प्राकृतिक साधनों के दोहन, २२१ ।
 प्रादेशिक आश्रय, ३२२ ।
 प्रादेशिक प्रभुसत्ता, २०३ ।
 प्रादेशिक समुद्र, २१०, चौडाई पर
 विवाद, २१२, ममभीता
 २१३, स्वरूप और लक्षण,
 २१३, क्षेत्राधिकार, २६७ ।
 प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का विस्तार,
 २६६ ।
 प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से उन्मुक्तियाँ,
 २७२ ।
 प्राप्त अधिकारों का सिद्धान्त १६६ ।
 प्रामाणिक विवरण, ३६८ ।
 प्रोहू विहीर का मामला, ४०७ ।
 प्रोतोकोल, ३६७ ।
 फाक्स जहाज का मामला, ४८४ ।
 फिलिमोर, १३० ।
 फीशल, २६ ।
 फेक्टर वि० लीबन हाइमर, ३८३ ।
 फौजदारी न्यायविषयक सन्धियाँ,
 ३७३ ।
 फ्रासिस्का का मामला, ५५३, ५५४,
 तथा ६११ ।
 फ्रिडलैण्ड जहाज का मामला, ५६६ ।
 फेनविक, ५७१ ।
 फ्रैंकोनिया का मामला, ५१, ६४,
 ६८, १०७ तथा २६७ ।
 फेडरिक मोल्के, ५५५ ।
 फ्रैंडशिप जहाज का मामला, ५४७ ।
 फ्लोरिडा का मामला, ५४० ।
 बन्दरगाहों में क्षेत्राधिकार, २६६ ।
 बरमूडा का मामला, ५७३ ।
 वाध्यकारी साधन, ४२५ ।
 वार्तोलस, ३४ ।
 बाल्टो का मामला, ५०५ ।
 बाह्य अन्तरिक्ष की प्रभुता की नवीन
 समस्या, २३३ ।
 बाह्य अन्तरिक्ष सन्धि, २३५ ।
 बाह्य हस्तक्षेप, २५३ ।
 बेटसी का मामला, ५५४ तथा ५५५ ।
 बेरिञ्जी ब्रदर्स क० वि० स्टीमशिप
 वेपारो, २७६ ।
 बेल्लो, पीरिनो, ३७ ।
 बेहरीग सी फर सील आर्बिट्रेशन,
 २८२ ।
 बैकान अभिसमय २०७ ।

विधली, ६४।

राजीव-काम भीगानछनी विवाद,
२२३।

ब्रुसेल्स घोषणा, ११६।

ब्रुसेल्स सम्मेलन (१८७४), ४८८।

ब्लशानी, ५६५।

ब्लैकमर का मामला, ३०८।

ब्लैकस्टोन, १०७।

भगवान के रखविराम, ३०।

भारत की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति, १६५।

भारत में कानूनी पद्धति का विकास,
१६।

भारत में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय
कानून का सम्बन्ध, १११।

भारत में राष्ट्रीयता विषयक कानूनों
का विकास, २६७।

भारतीय नागरिकता कानून, २६६।

भारतीय प्रत्यर्पण कानून (१९६२),
३१६।

मंगलमैन वि० सानोरेवी ३०२।

मण्डल का सिद्धान्त, २२।

मद्रास राज्य वि० राजगोपालन, २०१
तथा ६१३।

मध्यपूर्व तथा कागो में स० रा० सघ
की कार्यवाही पर होने वाले व्यय
के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय
स्थापना को परामर्शात्मक
सम्मति, ४१०।

मुनरो सिद्धान्त, २५६।

महाद्वीपीय समुदाय, २१८-अधिकार
के प्राप्ति, २२५, इसके विषय
में अन्तर्राष्ट्रीय विधि प्रायोगिक
विषय, २२०, भारत की नीति,
२२४, १६५८ का अभिसमय,

२२०।

महासमुद्रों का अभिसमय, २८३, इसमें
तीव्र अनुसरणविषयक व्यवस्था,
२८६।

महासमुद्रों की स्वतन्त्रता, २७८, तत्व,
२७६, प्रतिबन्ध २८०।

महासमुद्रों के समीप साधनों के तर-
हाण तथा मद्दली पवने का
समझौता, २८१।

महासमुद्रों में तीव्र अनुसरण, २८६।

महासमुद्रों में समुद्री शकंती का दमन,
२८७।

महासमुद्रों में क्षेत्राधिकार, २७८।

मानव जाति की शान्ति और सुरक्षा
के विरुद्ध अपराधों की प्राक्य
संहिता, १२३।

मानवीय अधिकारों का सार्वभौम
घोषणापत्र, १०४, २६७, ३३३
तथा ३३४।

मानवीय अधिकारों की रक्षा का योरो-
पियन अभिसमय, ३३६।

मानवीयता के विरुद्ध अपराध, ४०६।
मिथेल वि० जोहोर का मुत्तान,
५६६।

मिन विबरेस का मामला, २४२।

मिन्ना का मामला, ५६६।

मुहम्मद रजा देवस्थानी वि० स्टेट
श्राफ बम्बई, २६५।

मूर, ५६५।

मैडनिपर का मामला, ३११।

मैड, सर हेनरी, ६३।

मेरियसा का मामला, ५८०।

मेरिया का मामला, ६७, ४८३, ५७३
तथा ५७६।

मैज्डेट पद्धति, ११८, न्याय पद्धति से

भेद, १५३

मोर्ट्यू भूमिममय, २१८।

मोरक्को का मामला, ४०३।

मोरक्को में अमरीकी राष्ट्रजनों के
उत्तराधिकार ४०३।

मौलिक अधिकारों का सिद्धान्त, ७८।

यादव युद्ध या गृह युद्ध, ४३७।

युद्ध और इसके प्रभाव—आरम्भ तथा

घोषणा, ४४०, द्वापामार युद्ध,

४३८, तात्कालिक प्रभाव

तटस्थ देशों में युद्धकारी देशों

की सम्पत्ति, ४४८, राजनयिक

सम्बन्धों का भंग, ४४२, व्यापा-

रिक सम्पत्तियों की समाप्ति, ४४५,

शत्रु की सम्पत्ति, ४४७, शत्रुदेश

के व्यक्ति, ४४३, शत्रुदेश में युद्ध-

कारियों की सम्पत्ति, ४४६,

नविदासों पर प्रभाव, ४४६,

सन्धियों पर प्रभाव, ४४८, यादव

युद्ध या गृह युद्ध, ८३७, युद्धेतर

सम्पत्ति, ४३६, वैधता के विचार

की समाप्ति, ४३६, शत्रुरूपता या

अरिप्रकृति, ४४६—जहाजों की

शत्रुरूपता, ४४३, निगमों की

शत्रुरूपता, ४५१, नौपण्य की

शत्रुरूपता, ४५४, व्यक्तियों की

शत्रुरूपता, ८५०, समग्रयुद्ध,

४३८, स्वरूप, ४३५।

युद्ध और शांति का कानून, ४१।

युद्ध का नियम (१७५६) ४५४, ५२०,

५७३ तथा ५७५।

युद्धकारी राष्ट्रों के अधिकार, ५४२।

युद्ध की समाप्ति—युद्धावसान की

रीतियाँ, ५०६, वशीकरण,

५०७, शत्रुतापूर्ण कार्यों का बन्द

होना, ५०६, शांति सन्धि,

५०८, शांति सन्धि के प्रभाव

और परिणाम, ५१० : जित-

भोगाधिकार, ५१०, मुक्ति,

५११, मैत्री सम्बन्ध, ५१०,

युद्धावस्था की समाप्ति, ५१२,

सामान्य क्षमादान, ५११।

युद्ध की समाप्ति पर बन्धियों की मुक्ति

तथा स्वदेश प्रत्यावर्तन, ४७१।

युद्ध के नियम—अनुज्ञप्तियाँ, ४५६,

इनका पालन, ४५८, विकास,

४५६।

युद्ध परित्याग की सामान्य सन्धि,

५२६।

युद्धबन्धियों के बर्ताव का अभिसमय,

४६८।

युद्धबन्दी, ४६८, बन्धन की समाप्ति

के प्रकार, ४७०।

युद्ध में घायलों तथा मृत व्यक्तियों के

साथ व्यवहार, ४६५।

युद्ध में तथा बाध्यकारी साधनों में

अन्तर, ४२५।

युद्धापराध—इसका स्वरूप, ४६६;

टोकियों अभियोग, ५०४, न्याया-

धिकरण का क्षेत्राधिकार, ४६६,

न्यूरेम्बर्ग अभियोग का महत्त्व

तथा आलोचना, ५०२, न्यूरेम्बर्ग

अभियोगों के प्रादुर्भाव का इति-

हास, ४६८।

युद्धावस्था की मान्यता, १८०।

युद्धेतर शत्रुता, ४३६।

यूनान में कानूनी पद्धति का विकास,

२४।

यूनियन आफ इण्डिया वि० चमनलाल
लूना, ६१५।

रणनीतिक बमबर्षा, ४६२।

रसेल, ६४।

राइट, १०५।

राजनयिक आशय, ३२५।

राजनयिक प्रतिनिधि-राजदूत ३३८।

राजनयिक सम्बन्ध तथा उन्मुक्तियों
का समझौता, १२४।

राजनयिक सम्बन्धों का वियना अभि-
समय, ३३६ तथा ३४६।

राजदूत, ३४०, करो मे मुक्ति, ३५५

गवाही देने के कार्य मे मुक्ति,
३५५, (दूत भी देखिये।)

राजनैतिक अपराध की कसौटी,
३१०।

राजनैतिक अपराध तथा प्रत्यर्पण,
३०६।

राजनीतिक परिस्थितियों का मान्यता
पर प्रभाव, १६४।

राजनैतिक सन्धि, ३७२।

राजा वि० सुपरिस्टेण्डेंट आफ वाइन
स्ट्रीट पुब्लिस रटेशन, ४५०।

राज्य उत्तराधिकार-अन्तर्राष्ट्रीय
संघटनों का उत्तराधिकार,

१६३, आंशिक उत्तराधिकार,

१८७, परिणाम, १८७ जिल्हा,

१६२, सविदात्मक दायित्व,

१८६, सदस्यता, १६२, साम्प-

तिक अधिकार, १८६, मार्क-

जनिक ऋण, १८१, भारतीय

परिपाटी और व्यवहार, १६५,

संयुक्त अरब गणराज्य के निर्माण

के कानूनी पहलू, १६३, स्वरूप,
१८४।

राज्य का स्वरूप-अधिकारों तथा
कर्तव्यों की प्राप्ति घोषणा,

१२२, कृत्रिम सीमाये, २०४,

प्राकृतिक सीमाये २०३ मौलिक

अधिकार और कर्तव्य, १३१,

लक्षण, १२६, वर्गीकरण,

१३७ समानता का अधिकार,

१३६।

राज्यकृत्य के सिद्धान्त, १६७।

राज्यहीनता, २६६।

राज्यक्षेत्र वाह्यता, ३५१।

राज्यों की मान्यता-अन्तर्राष्ट्रीय

संघटनों द्वारा मान्यता, १७२,

एवाकी तथा सामूहिक मान्यता,

१६०, एस्ट्रेला सिद्धान्त, १७१,

निर्वासित सरकारों की मान्यता

१७०, मान्यता कालक्षण १५५

मान्यता के परिणाम, १८३,

मान्यता देने की विधियाँ, १५८,

मान्यता देने के आधार, १८२,

मान्यताविषयक सिद्धान्त,

१५६, भारत की मान्यता विष-

यक नीति, १७६-१८०, इज-

रायलविषयक नीति, १७८,

साम्यवादी चीन सम्बन्धी नीति,

१७७, स्पेनविषयक नीति, १७८,

युद्धावस्था की मान्यता, १८०,

कान्तविषय तथा कानूनी मान्यता

१६०, सं० रा० अमरीका की

मान्यताविषयक नीति, १७४,

मरुतारों की मान्यता, १६६,

सामूहिक मान्यता, १७३;

- स्टिमसन का मान्यताविषयक सिद्धान्त, १७०, स्पष्ट और ध्वनित मान्यता, १५६।
- रायल नेपाल एयरलाइन्स वि० मनोरमा मेहरसिंह नेगर, ६१७।
- रावजी अमरसिंह वि० राजस्थान की सरकार, ६१४।
- राष्ट्रमण्डल, १४३।
- राष्ट्रसंघ और तटस्थता, ५२५।
- राष्ट्रसंघ और स० रा० संघ द्वारा विवादों का निबटाना, ४२४।
- राष्ट्रीयता - अन्तर्राष्ट्रीय महत्व, २६०; इसकी हानि के प्रकार, २६३, पुनः प्राप्ति, २६२, प्राप्ति के प्रकार, २६०, राष्ट्रीयता-विषयक भारतीय मामले, ३००, स्वरूप तथा लक्षण, २५६।
- राष्ट्रीय नदियाँ, २०५।
- राष्ट्रीय न्यायालयों के निर्णय, ६६।
- राष्ट्रों का ऐच्छिक कानून, ८६।
- रिक्वैरी का मामला, ६७ तथा ४८४।
- रिपब्लिका वि० लागरैम्पस, ३४७।
- रिवाज, ६१, प्रथा में भेद, ६२।
- रे कॅस्टियोनी का मामला, ३११।
- रैपिड का मामला, ५४६।
- रोम में कानूनी पद्धति का विकास, २५।
- रोसेट्टा इवेनिन वि० जस्टिस अत डल्लाह, २०९।
- रुट मन्घिया (१६०८), ४२३।
- रूपान्तरवादी सिद्धान्त, १०५।
- लक्ष्यक्षेत्रीय बमबर्षा, ४६२।
- लन्दन की घोषणा, ४५३, ४७७, ५२४, ५४५, ५५०, ५६२ तथा ५७४।
- लन्दन की नाविक सन्धि (१६३०), ४७६।
- लन्दन की सन्धि (१८३०), १७३।
- लन्दन पनडुब्बी प्रोटोकॉल (१६३६), ४७६।
- सांड वि० कैल्विन, २०१।
- लिटन कमीशन, ४२०।
- सूयर विरुद्ध सागोर, १६८।
- सेना का मामला, ५३६।
- सैटस स्टीमशिप, ६४, २७०, ४०१ तथा ५६०।
- स्यूवेक वि० मैकलेनबर्ग, ६३।
- बन्देरविल्ट ब्रूजर, ५५२।
- बर्जिनियस, ही, ५६४।
- वशावर्ती राज्य, १४१।
- वशीकरण, २६३ तथा ५०७।
- वस्तुओं को पूर्वावस्था प्राप्त होना, ५१४।
- वाणिज्यदूत, ३६२।
- वाणिज्यदूतविषयक सम्बन्धों का १६६३ का विद्यमान अभिसमय, ३६४।
- धारता समझौता (१२ अप्टूबर १६२६) २३२।
- वाशिंगटन सम्मेलन, ४७८ तथा ४६०।
- विटोरिया, फासिस्को, ३६।
- वित्तीय कारखानों में हस्तक्षेप, २५८।
- विदेशियों पर क्षेत्राधिकार, २७१।
- विदेशी राज्य और उनके अध्यक्ष की क्षेत्राधिकार में उन्मुक्ति, २७२।
- विदेशी-सेनाओं पर क्षेत्राधिकार, २७७।